बिहार सरकार

सत्यमेव जयते

बिहार आर्थिक सर्वेक्षण

2019-20

वित्त विभाग

बिहार सरकार

बिहार सरकार

वित्त विभाग

आर्थिक सर्वेक्षण

2019-20

मुख्य मंत्री
बिहार

पटना

बिहार सरकार

संदेश

राज्य सरकार का दृष्टिकोण न्याय के साथ विकास रहा है। राज्य सरकार के सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार ने कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली–नाली, घर में शौचालय निर्माण, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में नए संस्थाओं की स्थापना, युवा सशक्तीकरण हेतु उच्च शिक्षा एवं उद्यमशीलता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना एवं महिला सशक्तीकरण हेतु सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना आदि राज्य सरकार के कुछ प्रमुख उपलब्धियों में से हैं। राज्य सरकार द्वारा ग्लोबल वार्मिंग एव जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न संकट से निपटने के लिए एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'जल–जीवन–हरियाली अभियान' की शुरूआत की गई है।

'आर्थिक सर्वेक्षण'बिहार में समावेशी विकास प्रक्रिया को दर्शाता है। इस सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य बिहार की अर्थव्यवस्था के बारे में आम नागरिकों एवं आर्थिक जगत से जुड़े पेशेवरों को जानकारी उपलब्ध कराना है। मुझे आशा है कि यह दस्तावेज उनके लिए अत्यंत ही उपयोगी सिद्ध होगा।

(नीतीश कुमार)

सुशील कुमार मोदी
वित्त मंत्री, बिहार

बिहार सरकार

पटना

संदेश

राज्य सरकार की नीतियों और खास तौर पर राज्य की वित्तव्यवस्था के प्रबंधन के कारण बिहार की विकास गाथा एक सतत प्रक्रिया रही है। आर्थिक सर्वेक्षण में इस गाथा को प्रामाणिकता के साथ दर्ज किया जाता है। इसे अधिक विशद बनाने के लिए इस वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण में पर्यावरण और ई-गवर्नेंस पर दो नए अध्याय जोड़े गए हैं।

मैं पाठकों से इस रिपोर्ट को अधिक ध्यान देकर पढ़ने का अनुरोध करूंगा। और मुझे बहुत आशा है कि इस रिपोर्ट से अपने पास अत्यधिक खोजी जाने वाली जानकारियां सुगमता से पाकर उन्हें हमारे विकास और वृद्धि का विश्लेषण करने में मदद मिलेगी। सभी पाठकों से हमारा अनुरोध होगा कि गत वर्षों की तरह ही हमें अपनी टिप्पणियां और सुझाव भेजें जिससे भविष्य में आर्थिक सर्वेक्षणों की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके।

(सुशील कुमार मोदी)

विषय सूची

अध्याय	:	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
		शब्द संक्षेप संग्रह	i-xiii
		तालिका सूची एवं तालिका परिशिष्ट	xiv-xxxii
		तकनीकी टिप्पणियां	xxxiii-xl
		कार्यकारी सारांश	xli-lvii
अध्याय-1	:	**बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन**	**1-20**
		1.1 राज्य की सामाजिक-आर्थिक विवरणी	2-3
		1.2 बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि	3-7
		1.3 बिहार अर्थव्यवस्था की ढांचागत संरचना	8-9
		1.4 जिलावार विषमता	10
		1.5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	11-12
		परिशिष्ट	13-20
अध्याय-2	:	**राजकीय वित्तव्यवस्था**	**21-71**
		2.1 वित्तीय स्थिति का अवलोकन	23-26
		2.2 राजकोषीय प्रदर्शन	27-30
		2.3 राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता	31-33
		2.4 घाटा प्रबंधन	34-37
		2.5 नगद प्रबंधन और जमानतें	38
		2.6 ऋण प्रबंधन	38-42
		2.7 संसाधन प्रबंधन	42-55
		2.8 व्यय प्रबंधन	56-67
		परिशिष्ट	68-71
अध्याय-3	:	**कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र**	**72-133**
		3.1 कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय	74-75
		3.2 भूमि संसाधन	76-79
		3.3 फसलों और बागानों के उत्पादन के रुझान	79-91
		3.4 पशुपालन, मछली पालन और दूध उत्पादन	91-98
		3.5 कृषि लागत सामग्रियां	98-104
		3.6 भंडारण और भंडारगृह	104-105
		3.7 सिंचाई	105-112
		परिशिष्ट	113-133
अध्याय-4	:	**उद्यम क्षेत्र**	**134-164**
		4.1 उद्योगों की स्थिति	136-148

	4.2	कृषि आधारित उद्योग	148-153
	4.3	गैर-कृषि आधारित उद्योग	153-164
अध्याय-5 :	**श्रम, रोजगार तथा प्रवास**		**165-194**
	5.1	श्रमशक्ति और जनशक्ति की संख्या	165-176
	5.2	श्रमिकों के लिए राज्य सरकार को पहलकदमियां	176-180
	5.3	न्यूनतम मजदूरी की दरें	180-181
	5.4	राज्य और अन्य संस्थाओं द्वारा नियुक्ति	182-188
	5.5	प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता	188-190
	परिशिष्ट		191-194
अध्याय-6 :	**अधिसंरचना**		**195-246**
	6.1	परिवहन क्षेत्र और आर्थिक विकास	196
	6.2	पथ परिवहन में सार्वजनिक निवेश	197-198
	6.3	पथ सुरक्षा	198-200
	6.4	सड़क नेटवर्क	200-220
	6.5	पुल क्षेत्र	220-222
	6.6	पथ परिवहन	222-230
	6.7	रेलवे नेटवर्क	230-232
	6.8	नागरिक उड्डयन	233
	6.9	भवन निर्माण	234-235
	6.10	दूरसंचार नेटवर्क	236-239
	6.11	डाक नेटवर्क	239-241
	परिशिष्ट		242-246
अध्याय-7 :	**ऊर्जा क्षेत्र**		**247-274**
	7.1	बिजली की उपलब्धता	248-250
	7.2	बिजली की जरूरत का अनुमान	250-252
	7.3	विद्युत क्षेत्र का संस्थागत ढांचा	253-254
	7.4	वितरण कंपनियां	255
	7.5	कार्य संचालन और वित्त संबंधी स्थिति	256-257
	7.6	केंद्र सरकार के विद्युत क्षेत्र के कार्यक्रम	257-260
	7.7	संचरण	260-261
	7.8	उत्पादन	262-264
	7.9	नई योजनाएं/ परियोजनाएं	265-266
	7.10	विद्युत क्षेत्र में हाल में हुए विकास	266-268
	7.11	बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा)	268-270
	7.12	बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड	271-274

अध्याय-8 :	**ग्रामीण विकास**	**275-294**
	8.1 बिहार राज्य ग्रामीण जीविका मिशन (जीविका)	276-280
	8.2 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)	280-284
	8.3 प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण	284-285
	8.4 जन वितरण प्रणाली	285-287
	8.5 पंचायती राज संस्थाएं	287-288
	8.6 गृहभूमि वितरण	289
	परिशिष्ट	290-294
अध्याय-9 :	**नगर विकास**	**295-316**
	9.1 शहरीकरण का स्तर	296-299
	9.2 नगर विकास पर व्यय	300
	9.3 नगर विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)	300-303
	9.4 नगर विकास कार्यक्रम (केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित)	303-313
	9.5 नगरपालिकाओं की वित्तव्यवस्था	313-314
	परिशिष्ट	315-316
अध्याय-10 :	**बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र**	**317-348**
	10.1 बैंकिंग अधिसंरचना	320-327
	10.2 जमा, ऋण और ऋण-जमा अनुपात	327-338
	10.3 वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत उपलब्धियां	338-342
	10.4 किसान क्रेडिट कार्ड	342-344
	10.5 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना	344-345
	परिशिष्ट	346-348
अध्याय-11 :	**मानव विकास**	**349-431**
	11.1 जनसांख्यिक परिदृश्य	351-355
	11.2 स्वास्थ्य परिदृश्य	355-369
	11.3 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता	370-373
	11.4 शिक्षा, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य	373-388
	11.5 समाज कल्याण	388-395
	11.6 महिला सशक्तीकरण	395-401
	11.7 वृद्ध और नि:शक्त जनों के लिए सामाजिक सुरक्षा	401-403
	परिशिष्ट	404-431
अध्याय-12 :	**बाल विकास**	**432-454**
	12.1 जनसांख्यिक स्थिति	433-435
	12.2 बच्चों के लिए आबंटन	435-437
	12.3 उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति	437-439

	12.4 बाल विकास कार्यक्रम	439-444
	12.5 पेयजल और स्वच्छता	444
	12.6 शिक्षा और विकास संबंधी स्थिति	444-448
	12.7 बाल संरक्षण की स्थिति	448-450
	12.8 बाल सहभागिता की स्थिति	450-451
	परिशिष्ट	452-454
अध्याय-13 :	**पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन**	**455-496**
	13.1 बिहार में जलवायु परिवर्तन	456-457
	13.2 जल संसाधन	457-466
	13.3 वन संसाधन	467-484
	13.4 वायु प्रदूषण	484-485
	13.5 ध्वनि प्रदूषण	485-486
	13.6 जैव विविधता और वन्यजीवन	486-488
	13.7 आपदा प्रबंधन	488-489
	परिशिष्ट	490-496
अध्याय-14 :	**ई-गवर्नेंस**	**497-532**
	14.1 ई-शासन की नींव	499-502
	14.2 कानून एवं प्रशासन का अनुरक्षण	502-506
	14.3 राजकोषीय गवर्नेंस	507-509
	14.4 लोक सेवा प्रदान	509-519
	14.5 आपदा प्रबंधन	519-522
	14.6 आर्थिक विकास को प्रोत्साहन	522-532

शब्द संक्षेप संग्रह

एए	वैकल्पिक विश्लेषण
एबी-एनएचपीएमसी	आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन परिषद
एसीपी	वार्षिक ऋण योजना
एडीबी	एशियाई विकास बैंक
एआइबीपी	त्वरित सिंचाई लाभ योजना
एआइआइएमएस (एम्स)	अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान
एएमआरयूटी (अमृत)	अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन
एएनसी	प्रसव-पूर्व देखरेख
एएनएम	सहायक नर्स-सह-धाई
एपीईडीए (अपेडा)	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण
एपीएचसी	अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
एक्यूएमएस	वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्र
एआरआइ	तीव्र श्वास संक्रमण
एएसएचए (आशा)	प्रमाणित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता
एएसआइ	वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण
एटी एंड सी	समूहित तकनीकी एवं व्यावसायिक
एटीएमए (आत्मा)	कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन अभिकरण
एवीएस	आंगनवाड़ी विकास समिति
एडब्ल्यूसी	आंगनवाड़ी केंद्र
एडब्ल्यूएच	आंगनवाड़ी सहायिका
एडब्ल्यूडब्ल्यू	आंगनवाड़ी सेविका
बीएएफ (बाफ)	बिहार आधार प्रमाणन रूपरेखा
बीएपीसीसी	बिहार जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना
बीबीओएसई	बिहार मुक्त विद्यालयी परीक्षा पर्षद
बीसी	पिछड़ा वर्ग
बीई (ब.अ.)	बजट अनुमान
बेल्ट्रॉन	बिहार राज्य इलक्ट्रॉनिक विकास निगम
बीईएसटी (बेस्ट)	बिहार सरल विद्यालय लक्ष्यानुसरण
बीसीसी	व्यवहार परिवर्तन संवाद
बीडीएल	पहचान सीमा के नीचे
बीईपीसी	बिहार शिक्षा परियोजना परिषद
बीआरजीईआइ	पूर्वी भारत में हरित क्रांति आरंभ
बीएचआइएम (भीम)	भारत मुद्रा इंटरफेस

बीआइएडीए (बिआडा)	बिहार औद्योगिक विकास प्राधिकार
बीआरएलएस	बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना
बीएमआइ	देह–मात्रा सूचकांक
बीएमजीएफ	बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन
बीओडी	ऑक्सीजन की जैव-रासायनिक मांग
बीपीएससी	बिहार लोक सेवा आयोग
बीआरईडीए (ब्रेडा)	बिहार ऊर्जा नवीकरणीय विकास अभिकरण
बीआरजीएफ	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि
बीआरजेपी	बिहार राज्य जल पर्षद
बीआरएलपी	बिहार ग्रामीण जीविका परियोजना
बीआरपीएनएनएल	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड
बीएसडीएम	बिहार कौशल विकास मिशन
बीएसडीएमए	बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार
बीएसईबी	बिहार राज्य विद्युत बोर्ड
बीएसईडीसी	बिहार राज्य इलक्टॉनिक्स विकास निगम
बीएसएचपी	बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना
बीएसएचपीसी	बिहार राज्य जलविद्युत निगम
बीएसएनएल	भारत संचार निगम लिमिटेड
बीएसपीसीबी	बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद
बीएसपीजीसीएल	बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड
बीएसपीएचसीएल	बिहार राज्य पावर (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड
बीएसपीटीसीएल	बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड
बीएसआरडीसीएल	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड
बीएसआरटीसी	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम
बीएसएसओसीए	बिहार राज्य बीज एवं जैविक प्रमाणन अभिकरण
बीएसडब्ल्यूएएन (बिस्वान)	बिहार राज्यव्यापी एरिया नेटवर्क
बीटीपीएस	बरौनी तापविद्युत केंद्र
बीटीएससी	बिहार तकनीकी सेवा आयोग
बीयूआइडीसीओ (ब्यूडको)	बिहार नगर अधिसंरचना विकास निगम
सीएजीआर	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
कैंपा	क्षतिपूर्ति–परक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण
सीबीआर	अशोधित जन्म दर
सीसीबी	केंद्रीय सहकारी बैंक
सीसीएस	कृष्य कमांड क्षेत्र
सीसीटीएनएस	अपराध एवं अपराधी निगरानी नेटवर्क एवं प्रणाली

सीसीपीडब्ल्यूसी	महिला एवं बाल विरोधी साइबर अपराध
सीडी	ऋण-जमा
सीडीपीओ	बाल विकास परियोजना अधिकारी
सीईए	केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण
सर्ट-इन	भारतीय कंप्यूटर विषयक आपात अनुक्रिया टीम
सीएफएमएस	व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली
सीएफसी	सामान्य सुविधा केंद्र
सीजीआरसी	केंद्रीकृत शिकायत निवारण कोषांग
सीजीएसटी	केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर
सीएचसी	सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र
सीआइडीसी	निर्माण उद्योग विकास परिषद
सीआइएमएमवाइटी (सिम्मिट)	अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं सुधार केंद्र
सीआइपीईटी (सीपेट)	केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान
सीएलएफ	संकुल स्तरीय संघ
सीएलटीएस	बाल श्रम लक्ष्यानुसरण प्रणाली
सीएमआरएफ	मुख्यमंत्री राहत कोष
सीएमपी	व्यापक आवागमन योजना
सीएमआर	बाल मृत्यु दर
सीएनजी	दाबित प्राकृतिक गैस
सीओसी	परिवर्तन के चैंपियन
सीओएमएफईडी (कॉम्फेड)	सहकारी दुग्ध उत्पादक महासंघ लिमिटेड
सीपीआइ	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक
सीआरएफ	केंद्रीय सड़क कोष
सीएससी	सामुदायिक सेवा केंद्र
सीएससी	नागरिक सेवा केंद्र
सीएसओ	केंद्रीय सांख्यिकी संगठन
सीएसपी	उपभोक्ता सेवा स्थल
सीएसआर	निगमोचित सामाजिक दायित्व
सी एंड एसआरबी	संचार एवं सेवा संबंधी प्रसारण
सीएसएसएम	केंद्र प्रायोजित एवं राज्य प्रबंधित
सीएसएस	केंद्र प्रायोजित योजना
सीटीएमआइएस	व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली
सीडब्ल्यूसी	केंद्रीय भंडारण निगम
डीएवाइ-एनयूएलएम (डे-नुल्म)	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन

डीबीटी	प्रत्यक्ष लाभांतरण
डीसीएमएस	डॉक्यूमेंट केस प्रबंधन प्रणाली
डीडीयूजीजेवाइ	दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना
डीईएएस	दुहरी प्रविष्टि लेखाकरण प्रणाली
डीजीटी	प्रशिक्षण महानिदेशालय
डीआइसी	जिला उद्योग केंद्र
दीक्षा	डिजिटल साक्षरता अभियान
डीपीआर	विस्तृत परियोजना रिपोर्ट
डीआर	आपदा अनुक्रिया
डीएसएलएएम (डीएस-लैम)	डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन ऍक्सेस मल्टीप्लेक्सर
डीएसआर	मांग पक्षीय अनुक्रिया
ईएपी	वाह्य सहायता-प्राप्त परियोजना
ईबीसी	अति पिछड़ा वर्ग
ईसीसीई	शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा
ईडी	विद्युत शुल्क
ईडीजीआइ	ई-शासन विकास सूचकांक
ईडीपी	उद्यमिता विकास कार्यक्रम
ईजीडब्ल्यूयूएस	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगिता सेवाएं
ईएमएम	उपकरण अनुरक्षण एवं प्रबंधन प्रणाली
ईएनटी	मनोरंजन कर
ईपीसी	अभियंत्रण, क्रय एवं निर्माण
ईपीआइ	विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम
ईआरएसएस	आपात अनुक्रिया समर्थन प्रणाली
ईएसआइसी	कर्मचारी राज्य बीमा निगम
ईएसटीपी	कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन द्वारा रोजगार
ईटी	वस्तु प्रवेश कर
एफडीडीआइ	पादुका रूपांकन एवं विकास संस्थान
एफईएसओ	मत्स्यपालन प्रसार सेवा अधिकारी
एफईएम	बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली
एफआइएसईपी (फाइसेप)	वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम
एफएमसीजी	द्रुत विक्रय उपभोक्ताा वस्तु
एफएमआइएस	वन प्रबंधन सूचना प्रणाली

एफपीआइआइ	तीव्र भुगतान नवाचार सूचकांक
एफआरबीएम	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन
एफटीएच	फाइबर टू होम
जीसीए	सकल फसली क्षेत्र
जेम	सरकारी ई–बाजारस्थल
जीएफडी	सकल राजकोषीय घाटा
जीआइए	सकल सिंचित क्षेत्र
जीपीएमएस	ग्राम पंचायत प्रबंधन प्रणाली
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
जीएसटीएन	वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क
जीएसवीए	सकल राजकीय मूल्यवर्धन
जीटीएनएसवाइ	ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना
जीवीओ	सकल निर्गत मूल्य
एचसीआइ	मानव विकास सूचकांक
एचएफए	सबके लिए आवास
एचएलअी	होटल विलासिता कर
एचआरआइडीएवाइ (हृदय)	विरासत नगर विकास एवं वृद्धि योजना
एचआरएमएस	मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
एचटी	उच्च विभव
एचयूडीसीओ (हुडको)	आावास एवं नगर विकास निगम
एचएसपीआइ	स्वास्थ्य प्रणाली प्रगति टकर
आइएएमसी	औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति
आइएपी	समेकित कार्ययोजना
आइबीसी	दिवालियापन एवं ऋणशोधन अक्षमता संहिता
आइसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आइसीडी	निवेश सह ऋण-जमा
आइसीडीएस	समेकित बाल विकास सेवा
आइईडी	उद्यमिता विकास संस्थान
आइएफएडी (आइफैड)	अंतर्राष्टोय कृषि विकास कोष
आइजीएएस	भारत सरकार लेखाकरण मानक
आइजीएमएसवाइ	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना

आइजीएनओयू (इग्नू)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय
आइजीएसटी	अंतर-राज्य वस्तु एवं सेवा कर
आइएचएचएल	व्यक्तिगत घरेलू शौचालय
आइएल एंड एफएस	अधिसंरचना लीजिंग एवं वित्तीय सेवाएं
आइएमएफएल	भारत निर्मित विदेशी शराब
आइएमपीएस	तत्काल भुगतान सेवा
आइएमआर	शिशु मृत्यु दर
आइपीसीसी	जलवायु परिवर्तन विषयक अंतर-सरकारी पैनल
आइपीडीएस	समेकित विद्युत विकास योजना
आइपीडीएस	भर्ती रोगी विभाग
आइपीपीबी	भारतीय डाक भुगतान बैंक
आइएसबीटी	अंतर-राज्य बस पड़ाव
आइएसडीपी	समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम
आइसीटी	सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
आइटीआइ	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान
जेई	जापानी एनसेफलाइटिस
जेआइसीए (जीका)	जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण
जेएसवाइ	जननी सुरक्षा योजना
केबीयूएनएल	कांटी बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
केसीसी	किसान क्रेडिट कार्ड
केजीबीवी	कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय
केएचपीएस	कोशी जलविद्युत केंद्र
केवीआइसी	खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग
केएलपीडी	हजार लीटर प्रतिदिन
केवीके	कृषि विज्ञान केंद्र
केवाइपी	कौशल युवा कार्यक्रम
एलईबी	जन्मकालीन जीवन संभाव्यता
एलएफपीआर	श्रमशक्ति सहभागिता दर
एलपीएस	निम्न प्रदर्शन वाले राज्य
एलएस	महिला पर्यवेक्षक
एलएसबीए	लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान
एलटी	निम्न विभव

एलडब्ल्यूई	वामपंथी अतिवाद
एमबीएस	मातृत्व लाभ योजना
एमसीएम	दस लाख घनमीटर
एमसीएस	सूक्ष्म-ऋण योजना
एमडीएफ	मध्यम सघन वन
एमडीएमएस	मध्याह्न भोजन योजना
एमडीआर	मुख्य जिला पथ
एमजीएनआरईजीएस (मनरेगा)	महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
एमआइ	मिशन इंद्रधनुष
एमकेयूवाइ	मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना
एमएमजीएसवाइ	मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना
एमएमआर	मातृ मृत्यु दर
एमएमएसएनवाइ	मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना
एमएमवीएसएनवाइ	मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमपीआइ	बहुआयामी गरीबी सूचकांक
एमएसडीई	कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय
एमएसडीजी	मोबाइल ई-गवर्नेंस सर्विस डेलीवरी गेटवे
एमएसडीपी	बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम
एमएसएमई	अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम
एमवी	मामिडीपुडी वेंकटारंगैया
एमडब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
एनएबीएआरडी (नाबार्ड)	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
एनबीएफसी	गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां
एनबीपीडीसीएल	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एनसीएपी	राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम
एनडीडीबी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एनडीपीएस	निद्रौषधि एवं मन:प्रभावी पदार्थ
एनईजीपी	राष्टोय ई-शासन योजना
एनएफएचएस	राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

एनजीएन	नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क
एनएच	राष्ट्रीय उच्चपथ
एनएचडीपी	राष्ट्रीय उच्चपथ विकास परियोजना
एनएचएम	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
एनईआइएलआइटी (नीलिट)	राष्टोय इलक्टॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान
एनआइओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी संस्थान
एनएमसीजी	राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन
एनएमआर	नवजात मृत्यु दर
एनएनएम	राष्ट्रीय पोषण मिशन
एनओएफएन	राष्ट्रीय ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क (भारत नेटवर्क)
एनओएस	राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय
एनपीए	अनिष्पादित परिसंपत्तियां
एनपीसीआइ	भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम
एनपीके	नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश
एनपी-एनएसपीई	राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहयोग कार्यक्रम
एनआरडीडब्ल्यूपी	राष्ट्रीय ग्रामीणा पेयजल कार्यक्रम
एनआरएचएम	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन
एनआरएलएम	राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन
एनएसए	शुद्ध बुआई क्षेत्र
एनएसडीए	राष्ट्रीय कौशल विकास अभिकरण
एनएसडीसी	राष्ट्रीय कौशल विकास निगम
एनएसडीजी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सर्विस डेलीवरी गेटवे
एनएसडीएम	राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन
एनएसडीपी	निवल घरेलू राज्य उत्पाद
एनएसक्यूसी	राष्ट्रीय कौशल योग्यता समिति
एनएसक्यूएफ	राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा
एनएसएसएफ	राष्ट्रीय लघु बचत कोष
एनएसएसओ	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन
एनयूएचएम	राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन
ओएई	स्वश्रम उद्यम

ओडी	खुले में शौच
ओडीएफ	खुले में शौच से मुक्त
ओएफसी	ऑप्टिकल फाइबर केबल
ओएफ	खुले वन
ओ-ग्रास	ऑनलाइन सरकारी राजस्व एवं लेखाकरण प्रबंधन प्रणाली
ओएसआइ	ऑनलाइन सेवा सूचकांक
ओओएससी	विद्यालय-त्यागी बच्चे
ओपीडी	वाह्य-रोगी विभाग
ओपीएचआइ	ऑक्सफोर्ड गरीबी एवं मानव विकास पहल
ओपीआरएमसी	निर्गत एवं प्रदर्शन आधारित पथ अनुरक्षण संविदा
ओपीडब्ल्यूडी	अन्य लोक निर्माण विभाग
ओडब्ल्यूआरसी	पारदैशिक श्रमिक संसाधन केंद्र
पी	अनंतिम
पीएसीएस (पैक्स)	प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति
पीसीए	त्वरित सुधारक कार्रवाई
पीसीडीई	प्रति व्यक्ति विकास व्यय
पीडीएस	जन वितरण प्रणाली
पीएफसी	विद्युत वित्त निगम
पीएफएमएस	लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली
पीएचसी	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र
पीएचईडी	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग
पीआइए	परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण
पीएम	कणीय पदार्थ
पीएमएवाइ-जी	प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण
पीएमआरसीएल	पटना मेटो रेल निगम लिमिटेड
पीएमईजीपी	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम
पीएमकेएसवाई	प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना
पीएमजीएसवाइ	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना
पीएमजेडीवाइ	प्रधानमंत्री जन-धन योजना
पीएमजेजेबीवाइ	प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

पीएमकेवीवाइ	प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना
पीएमएमवीवाइ	प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना
पीएमएमवाइ	प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
पीएमआर	जन्मकालीन मृत्यु दर
पीएमएसबीएम	प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना
पीओबी	डाकघर बैंक
पीओपी	उपस्थिति-स्थल
पीओएससीओ (पॉस्को)	बाल यौन अपराध संरक्षा
पीओएसएचएएन (पोषण)	प्रधानमंत्री संपूर्ण पोषण अधिभावी योजना
पीपीए	विद्युत क्रय समझौता
पीपीपी	सार्वजनिक-निजी साझेदारी
पीआरआइ	पंचायती राज संस्था
पीएसई	प्राग्विद्यालय शिक्षा
पीएसएस	विद्युत उप-केंद्र
पीटी	पेशा कर
पीटीआर	विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात
क्यू	त्वरित
आरबीआइ	भारतीय रिजर्व बैंक
आरसीएच	प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य
आरई	पुनरीक्षित अनुमान
आरईआइडी एंड पीएस	स्थावर संपदा, निवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं
आरएफए	दर्ज वन क्षेत्र
आरआइडीएफ	ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष
आरएमएसए	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान
आरएनटीसीपी	संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम
आरओबी	रेल उपरिपुल
आरपीएल	पूर्वाधिगम मान्यता
आरआरबी	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
आरआरपी	पथ आवश्यकता योजना
आरएसईटीआइ (रूसेटी)	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान

आरटीडी	भर्ती-प्रशिक्षण-तैनाती
आरटीई	शिक्षाधिकार
आरटीपीएस	वास्तविक समय प्रसंस्करण प्रणाली
आरयूडीएसईटीआइ (रुडसेटी)	ग्राम विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान
आरयूएसए (रूसा)	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान
एसएजी	किशोरी योजना
एसएएमआइएस	विद्यार्थी उपस्थिति प्रबंधन सूचना प्रणाली
एसएपीएफआइएन (सैपफिन)	जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्ययोजना हेतु वित्तीय रूपरेखा
एसएपसीसी (सैपसीसी)	राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना
सौभाग्य	सहज बिजली हर घर योजना
एसबीडी	मानक बोली दस्तावेज
एसबीएम	स्वच्छ भारत मिशन
एसबीपीडीसीएल	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड
एससी	उप-केंद्र
एससी	अनुसूचित जाति
एससीबी	अनुसूचित व्यावसायिक बैंक
एससीईआरटी	राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
एसडीसी	कौशल विकास केंद्र
एसडीसी	राज्य आंकड़ा केंद्र
एसडीजी	सुस्थिर विकास लक्ष्य
एसडीएमएस	कौशल विकास प्रबंधन प्रणाली
एसईसीसी	सामाजिक, आर्थिक एवं जाति गणना
सेक्लेन	सचिवालय स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क
एसईआइटीआरए (सीटा)	स्मार्ट ऊर्जा अधिसंरचना एवं राजस्व प्रबंधन
एसएफआरटीआइ (स्फूर्ति)	पारंपरिक उद्योग पुनर्जीवन वित्तीयन योजना
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
एसएच	राज्य उच्चपथ
एसएचए	राज्य स्वास्थ्य अभिकरण
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसएचजी-बीएलपी	स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम

एसआइपीबी	राज्य निवेश प्रोत्साहन पर्षद
एसजेवीएनएल	सतलज जलविद्युत निगम लिमिटेड
एसकेसीसी	सपनों को चली छूने
एसएलबीसी	राज्यस्तरीय बैंकर समिति
एसएमआइडी	सामाजिक गांलबंदी एवं संस्थागत विकास
एसएनपी	पूरक पोषण कार्यक्रम
एसओसी	मृदा जैव कार्बन
एसओएलयूएस (सोलस)	सुस्थिरता हेतु स्थानीयकरण द्वारा सौर ऊर्जा
स्पैरो	स्मार्ट प्रदशन मूल्यांकन रिपोर्ट प्रलेखन ऑनलाइन विंडो
एसपीवी	विशेष प्रयोजन माध्यम
श्री	चावल सघनीकरण प्रणाली
एसआरआर	बीज प्रतिस्थापन दर
एसएस	समग्र शिक्षा
एसएसए	सर्व शिक्षा अभियान
एसएसडीजी	राज्य ई-गवर्नेंस सर्विस डेलिवरी गेटवे
एसएसजीएस	राज्य सरकार की विशेष प्रतिभूतियां
एसटीपीआइ	सॉफ्टवेयर टेक्नांलॉजी पार्क ऑफ इंडिया
एसयूएच (सुह)	शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय
एसएससी	क्षेत्रगत कौशल परिषद
एसयूएसवी	नगर पथ विक्रेता सहायता
एसडब्ल्यूएएन (स्वान)	राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क
टीडीएस	स्रोत पर कर कटौती
टीई	अध्यापक शिक्षा
टीएफआर	कुल प्रजनन दर
टीआरएफए	चावल के परती खेतों का लक्ष्यकरण
टीएससी एंड एस	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण संबंधी संवाएं
टीवीसी	नगर पथ विक्रता समिति
यू5एमआर	5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर
उड़ान	उड़े देश का आम नागरिक
यूडीएवाइ (उदय)	उज्ज्वल डिस्कॉम एँस्यूरेंस योजना
यूआइपी	चरम सिंचाई क्षमता
यूएनएई	अनिगमित कृषीतर उद्यम

यूएनसीआरसी	संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन
यूएनडीपी	संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम
यूपीआइ	एकीकृत भुगतान इंटरफेस
यूएसओ	सर्व सेवा दायित्व
वीएटी (वैट)	मूल्यवर्धित कर
वीसी	वीडियो कंफ्रेंसिंग
वीडीएफ	अति सघन वन
वीएलई	ग्राम-स्तरीय उद्यमी
वीओ	ग्राम संगठन
डब्ल्यूबीएम	वाटरबांउड मकाडेम
डब्ल्यूडीसी	महिला विकास निगम
डब्ल्यूएचओ	विश्व स्वास्थ्य संगठन
डब्ल्यूपीआइ	थोक मूल्य सूचकांक
डब्ल्यूपीआर	श्रमिक जनसंख्या अनुपात
जेडपी	जिला परिषद

तालिका सूची

तालिका सं.	विषय सूची	पृष्ठ सं.
	अध्याय-1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन	
1.1	भारत और बिहार की जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक ढांचा (2001 और 2011)	2
1.2	बिहार और भारत में गरीबी अनुपात (1993-94, 1999-00, 2004-05 और 2011-12)	3
1.3	2011-12 के स्थिर मूल्य पर भारत और बिहार के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत वृद्धि दर (20112-13 से 2018-19)	4
1.4	2011-12 के मूल्य पर प्रमुख राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2018-19)	5
1.5	सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत वृद्धि दरें (2016-17 और 2018-19)	7
1.6	स्थिर (2011-12) मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रगत संरचना (2012-13 से 2018-19)	9
1.7	बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और पिछड़े जिले	10
1.8	उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए मुद्रास्फीति की राज्यवार वार्षिक दरें (आधार : 2012 = 100) (अक्तूबर, 2018 से अक्तूबर, 2019)	11
	अध्याय-2 : राजकीय वित्तव्यवस्था	
2.1	प्राप्ति और व्यय (2014-15 से 2019-20)	26
2.2	प्रमुख राजकोषीय सूचक (2017-18 से 2019-20)	29-30
2.3	राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक (2015-16 से 2019-20)	31
2.4	राज्यों की राजस्व लेखों में घाटा/ अधिशेष (2017-18 से 2019-20)	34
2.5	सकल राजकोषीय घाटा (2017-18 से 2019-20)	35
2.6	सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में (2016-17 से 2019-20)	36
2.7	बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना (2014-15 से 2019-20)	36
2.8	बिहार में सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (2015-16 से 2019-20)	37
2.9	बकाया देनदारियां (2014-15 से 2019-20)	39
2.10	संचित निधि में बकाया देनदारियों की संरचना (2017-18 से 2018-19)	40
2.11	लोक ऋण अदायगी संबंधी दायित्व (2014-15 से 2019-20)	41
2.12	प्राप्त शुद्ध लोक ऋण (2014-15 से 2019-20)	42

2.13	राजस्व लेखा : प्राप्ति (2014-15 से 2019-20)	43
2.14	केंद्र सरकार से होने वाला संसाधनों का अंतरण (2014-15 से 2019-20)	44
2.15	राज्यों के कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2017-18)	45
2.16	राजस्व प्राप्ति (2014-15 से 2019-20)	46
2.17	विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व (2014-15 से 2019-20)	47
2.18	प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा (2014-15 से 2019-20)	47
2.19	प्रमुख करेतर राजस्व (2014-15 से 2019-20)	48
2.20	करेतर राजस्वों की वृद्धि दरें (2014-15 से 2019-20)	49
2.21	कर और करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बतौर (2014-15 से 2019-20)	49
2.22	महत्वपूर्ण कर और करेतर राजस्व स्रोतों की बायोएंसी (2014-15 से 2019-20)	50
2.23	विभिन्न अधिनियमों के तहत वाणिज्य कर संग्रहण (2014-15 से 2018-19)	50
2.24	कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा (2014-15 से 2018-19)	51
2.25	बिहार में राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर से हुआ संग्रहण (2017-18 से 2018-19)	51
2.26	राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहण (अप्रैल 2018 से अगस्त 2019)	52
2.27	स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व (2014-15 से 2018-19)	53
2.28	स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2018-19	54
2.29	कर संग्रहण में व्यय (2014-15 से 2018-19)	55
2.30	कर और करेतर राजस्वों की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2018-19)	55
2.31	संचित निधि से व्यय (2014-15 से 2019-20)	57
2.32	सरकारी व्यय की संरचना (2014-15 से 2019-20)	57
2.33	व्यय की वृद्धि दरें (2014-15 से 2019-20)	57
2.34	कुल व्यय की प्रतिशत संरचना (2014-15 स 2019-20)	58
2.35	विकासमूलक और विकासेतर राजस्व व्यय (2014-15 से 2019-20)	59
2.36	राजस्व और पूंजीगत व्यय (2014-15 से 2019-20)	59
2.37	राजस्व और पूंजीगत परिव्यय (2014-15 से 2019-20)	60
2.38	ब्याज भुगतान और प्राप्ति (2014-15 से 2019-20)	61
2.39	वेतन और पेंशन पर व्यय (2014-15 से 2018-19)	61
2.40	सामाजिक सेवाओं पर व्यय (2014-15 से 2019-20)	63

2.41	आर्थिक सेवाओं पर व्यय (2014-15 से 2019-20)	64
2.42	सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (2014-15 से 2019-20)	65
2.43	व्यय की गुणवत्ता के मापदंड (2014-15 से 2019-20)	66
2.44	संचित निधि का प्रतिशत वितरण : प्राप्ति तथा व्यय (2017-18 से 2019-20)	67
	अध्याय-3 : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र	
3.1	सकल राजकीय मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का हिस्सा (2013-14 से 2018-19)	74
3.2	कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर व्यय के रुझान (2014-15 से 2018-19)	75
3.3	बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न (2015-16 से 2017-18)	77
3.4	बिहार में जोतों का वर्ग-वार वितरण (2010-11 और 2015-16)	78
3.5	बिहार में जोतों का लिंग आधारित वितरण (2015-16)	79
3.6	बिहार में फसल पैटर्न (2014-15 से 2018-19)	80
3.7	बिहार में मुख्य फसलों के उत्पादन स्तर (2014-15 से 2018-19)	82
3.8	मुख्य फसलों की उत्पादकता के स्तर	83
3.9	मुख्य फसलों के उत्पादन/ उत्पादकता के आधार पर जिलों का वर्गीकरण (2018-19)	85
3.10	बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2016-17 से 2018-19)	87
3.11	बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2016-17 से 2018-19)	89
3.12	भारत के प्रमुख राज्यों में पशुधन की संख्या (2012 और 2019)	92
3.13	पशु संपदा (2003, 2007, 2012 और 2019)	93
3.14	बिहार में पशुधन सेवाएं (2014-15 से 2018-19)	94
3.15	बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन (2014-15 से 2018-19)	95
3.16	प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें (2016-17 से 2018-19)	99
3.17	बिहार में उर्वरकों के उपयोग के रुझान (2016-17 से 2018-19)	100
3.18	सब्सिडी योजना के जरिए खरीदे गए कृषि यंत्रों की संख्या (2016-17 से 2018-19)	101
3.19	बिहार में कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली के उपयोग के रुझान (2013-14 से 2018-19)	101
3.20	वर्षवार उपलब्धि (किसान क्रेडिट कार्ड और खरीद) (2014-15 से 2018-19)	102
3.21	सहवर्ती गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड	102
3.22	बिहार में बैंक-वार कृषि ऋण (2018-19)	103
3.23	बिहार में डीजल के लिए सब्सिडी का वितरण (2010-11 से 2018-19)	104

3.24	बिहार में भंडारगृहों की स्थिति (2010-11 से 2018-19)	104
3.25	स्रोतवार सकल सिंचाई क्षेत्र (2011-12 से 2017-18)	106
3.26	सकल शस्य क्षेत्र में सकल सिंचाई क्षेत्र का हिस्सा (2011-12 से 2017-18)	107
3.27	सिंचाई क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय के रुझान (2013-14 से 2018-19)	107
3.28	बिहार में सिंचाई क्षमता की स्थिति (2016-17 से 2018-19)	109
3.29	वृहद एवं मध्यम सिंचाई के तहत सिंचाई क्षमता सृजन (2018-19)	109
3.30	बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता (2013-14 से 2018-19)	110
3.31	लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्र	111
3.32	कृषक समितियों की स्थिति (मार्च 2019 में)	111
अध्याय-4 : उद्यम क्षेत्र		
4.1	बिहार में स्थिर मूल्य पर द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक विकास दरें (2012-13 से 2018-19)	135
4.2	भारत के विभिन्न राज्यों में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान (2011-12 से 2017-18)	136
4.3	कारखानों और चालू कारखानों की संख्या (2006-07 से 2016-17)	137
4.4	बिहार में उद्योग (2006-07 से 2016-17)	138
4.5	भारत और बिहार में उद्योगों के संरचना अनुपात (2012-13 से 2016-17)	139
4.6	औद्योगिक क्षेत्र के सकल निर्गत मूल्य और सकल मूल्यवर्धन का राज्यवार विवरण (2016-17)	140
4.7	औद्योगिक क्षेत्र नियोजित व्यक्तियों का राज्यवार विवरण (2016-17)	141
4.8	राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी के अनुसार सभी बाजारोन्मुख उद्यमों के अनुमानित सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा (2016)	143
4.9	राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी और उद्यम के प्रकार के अनुसार सभी बाजारोन्मुख उद्यमों प्रति उद्यम अनुमानित सकल मूल्यवर्धन (2016)	144
4.10	राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी और उद्यम के प्रकार के अनुसार सभी बाजारोन्मुख उद्यमों में प्रति श्रमिक अनुमानित सकल मूल्यवर्धन (2016)	145
4.11	राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी और उद्यम के प्रकार के अनुसार सभी उद्यमों के उजरती मजदूरों की वार्षिक परिलब्धियां (2016)	146
4.12	राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी और उद्यम के प्रकार के अनुसार सभी उद्यमों के लिए प्रति उद्यम अपनी स्थिर परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य (2016)	147
4.13	राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी और उद्यम के प्रकार के अनुसार प्रति उद्यम स्थिर परिसंपत्ति सकल मूल्यवर्धन अनुपात (2016)	148

4.14	चीनी उत्पादन और प्राप्ति के प्रतिशत के लिहाज से चीनी मिलों का प्रदर्शन (2016-17 से 2018-19)	150
4.15	संचालन अवधि, आसवन क्षमता और बिजली उत्पादन के लिहाज से चीनी मिलों का प्रदर्शन (2016-17 से 2018-19)	150
4.16	विभिन्न दुग्ध संघों/ परियोजनाओं के तहत दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों की संख्या (2017-18 से 2018-19)	151
4.17	विभिन्न परियोजनाओं द्वारा दैनिक दुग्ध संग्रहण (2014-15 से 2018-19)	152
4.18	प्रति कार्यशील दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति दुग्ध संग्रहण (2014-15 से 2018-19)	152
4.19	कॉम्फेड की गतिविधियां (2014-15 से 2018-19)	153
4.20	बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले	154
4.21	प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य और उपलब्धि (2013-14 से 2018-19)	154
4.22	हथकरघा की जारी योजनाओं की स्थिति (2018-19)	155
4.23	रेशम क्षेत्र की उपलब्धियां (2013-14 से 2018-19)	156
4.24	प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन (2016-17 से 2018-19)	157
4.25	बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की जमीन और गतिविधियों का ब्योरा (सितंबर 2019)	159
4.26	उद्यम के प्रकार के अनुसार निवेश (2017-18 आर 2018-19)	160
4.27	क्षेत्र के अनुसार निवेश की विस्तृत जानकारी (2017-18 और 2018-19)	160
4.28	उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां (2011-12 से 2018-19)	161
4.29	बिहार में खनिजों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य और संग्रहण (2014-15 से 2018-19)	162
4.30	बिहार में खनिजों से प्राप्त राजस्व (2014-15 से 2018-19)	162
4.31	पर्यटन विभाग का व्यय विवरण (2012-13 से 2018-19)	163
अध्याय-5 : श्रम, रोजगार तथा प्रवास		
5.1	राज्यों में श्रमशक्ति सहभागिता दरें (2017-18)	166
5.2	राज्यों में श्रमिक जनसंख्या अनुपात (2017-18)	167
5.3	राज्यों में बेरोजगारी दरें (2017-18)	168
5.4	राज्यों में रोजगार की स्थिति के अनुसार पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2017-18)	169
5.5	राज्यों में रोजगार की स्थिति के अनुसार महिला श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2017-18)	170

5.6	बिहार और भारत के लिए विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2017-18)	171
5.7	बिहार और भारत में कारण और लिंग आधारित प्रवास (जनगणना 2011)	173
5.8	जारी पासपोर्ट की जिलावार संख्या 2018-19	175
5.9	बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अनुदान का श्रेणी-वार प्रावधान	178
5.10	बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रदत्त अनुदान (2015-16 से 2018-19	178
5.11	निबंधित निर्माण मजदूरों और लाभार्थियों की संख्या, तथा धनराशि का उपयोग (2014-15 से 2018-19)	179
5.12	बिहार में क्षेत्रवार न्यूनतम मजदूरी (2015 से 2019)	181
5.13	बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित रिक्तियों की संख्या (2017-18 एवं 2018-19)	182
5.14	बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए प्रकाशित रिक्तियों की संख्या (2017-18 एवं 2018-19)	183
5.15	बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए बजट आबंटन और व्यय (2017-18 एवं 2018-19)	183
5.16	प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार और अवधि	184
5.17	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षुओं की संख्या (2014-15 से 2018-19)	184
5.18	प्रशिक्षण पूरा करने वाले और रोजगार पाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या (2014-15 से 2018-19)	185
5.19	कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बीमित और चिकित्सित कर्मचारियों की संख्या (2017-18 और 2018-19)	186
5.20	प्रशिक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय आबंटन और व्यय 2018-19	187
5.21	कौशल विकास कार्यकमों के लिए विभाग-वार बजट (2016-17 से 2018-19)	188
5.22	भारत में प्रेषित मुद्रा प्राप्ति में राज्यवार हिस्सा (2016-17)	190
अध्याय-6 : अधिसंरचना		
6.1	बिहार में सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक निवेश (2012-13 से 2019-20)	197
6.2	प्रमुख भारतीय राज्यों में सड़क दुर्घटना (2015 से 2018)	199
6.3	भारत के प्रमुख राज्यों में सड़क नेटवर्क (2003-2017)	201
6.4	बिहार में प्राधिकरण के अनुसार कुल और पक्की सड़कों की लंबाई (2012 से 2017)	203

6.5	देश के प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय उच्चपथ नेटवर्क (2003 से 2017)	205
6.6	बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की संख्या और लंबाई (सितंबर 2019 तक)	207
6.7	बिहार और भारत में राष्ट्रीय उच्चपथों के विकास पर हुआ व्यय (2010-11 से 2017-18)	208
6.8	भारतमाला चरण-1 के तहत पथ परियोजनाएं	209
6.9	भारत के प्रमुख राज्यों में राज्य उच्चपथ नेटवर्क (2003 से 2017)	210
6.10	राज्य उच्चपथों के चौड़ीकरण कार्य का विवरण	213
6.11	निर्मित ग्रामीण पथों की कार्यक्रम-वार लंबाई (सितंबर 2019 तक)	217
6.12	बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के वित्त प्रबंधन की स्थिति (2012 से 2019)	220
6.13	बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. की वित्तीय स्थिति (2012-13 से 2018-19)	222
6.14	साल दर साल निबंधित वाहनों की संख्या और राजस्व संग्रहण (2013-14 से 2018-19)	223
6.15	बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राजस्व संग्रहण और ढोए गए यात्रियों की संख्या (2012-13 से 2018-19)	230
6.16	भारत के प्रमुख राज्यों में रेलमार्ग नेटवर्क की प्रगति (2003 से 2017)	231
6.17	पटना हवाईअड्डा पर वायुयानों की आवाजाही, यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई (2004-05 से 2019-20)	233
6.18	बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के वित्त प्रबंधन और परियोजनाओं पर व्यय का सारांश (2013-14 से 2017-18)	235
6.19	प्रमुख भारतीय राज्यों के दूरभाष घनत्व (2016 से 2019)	236
6.20	बिहार में बीएसएनएल की दूरसंचार जनसांख्यिकी (सितंबर 2019 में)	237
6.21	बीएसएनएल नेटवर्क के फैलाव के रुझान (2014-15 से 2019-20)	237
6.22	भारत के प्रमुख राज्यों में डाक नेटवर्क का विस्तार (31 मार्च, 2018 को)	239
6.23	भारत में डाकघरों की वित्तीय सेवाओं का सारांश (31ए मार्च 2018 को)	240
अध्याय-7 : ऊर्जा क्षेत्र		
7.1	विद्युत परिदृश्य (2012-13 से 2018-19)	248
7.2	बिजली की जिलावार खपत (2014-15 से 2018-19)	249
7.3	ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की वार्षिक आवश्यकता (2019-20 से 2021-22)	250
7.4	राज्य की सीमा में बिजली की चरम और ऊर्जा की वार्षिक मांग (2019-20 से 2021-22)	251
7.5	क्षमता विस्तार का वर्षवार और स्रोतवार ब्योरा (2017-18 से 2021-22)	251
7.6	विद्युत और ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (2019-20 से 2021-22)	252

7.7	विद्युत और ऊर्जा का अनुमानित अधिशेष/ कमी (2019-20 से 2021-22)	252
7.8	बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. के तहत धनराशियों का आबंटन (2015-16 से 2019-20)	254
7.9	प्रभावी उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या (बिलिंग के आंकड़ों के अनुसार) (2014-15 से 2018-19)	255
7.10	विद्युत क्षेत्र की वित्तीय स्थिति (2015-16 से 2018-19)	256
7.11	सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास (2011-12 से 2018-19)	257
7.12	पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम और समेकित विद्युत विकास योजना का पूंजीगत व्यय	259
7.13	बिजली की अनुमानित वांछित क्षमता (2019-20 से 2021-22)	261
7.14	संचरण के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्ययोजना (2019-20 से 2021-22)	261
7.15	विद्यमान उत्पादन क्षमता (मार्च 2019)	262
7.16	विद्यमान और योजना वाली उत्पादन इकाइयों के विवरण (2016-17 से 2020-21)	264
7.17	रिकंडक्टरिंग योजनाओं की स्थिति (सितंबर, 2019)	265
7.18	ब्रेडा की उपलब्धियां (2017-18 से 2019-20)	269-270
7.19	निर्माणाधीन लघु जलविद्युत परियोजनाएं (सितंबर, 2019)	273
7.20	गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन परियोजनाओं के स्थान और क्षमता	274
अध्याय-8 : ग्रामीण विकास		
8.1	जीविका के तहत प्रगति (2015-16 से 2018-19)	277
8.2	स्वयं सहायता समूहों द्वारा जीविका से संबंधित गतिविधियों का विस्तार (मार्च, 2019)	278
8.3	मनरेगा का प्रदर्शन (2014-15 से 2018-19)	282
8.4	मनरेगा के तहत पूरे हुए श्रेणी-वार कार्य (2014-15 से 2018-19)	283
8.5	इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रदर्शन (2015-16 से 2018-19)	284
8.6	जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि (2015 से 2018)	285
8.7	विशेषाधिकृत परिवार और अंत्योदय के तहत चावल और गेहूं का कुल आबंटन और उठाव (2014-15 से 2018-19)	286
8.8	बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण	287
8.9	पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर व्यय का विवरण (2014-15 से 2018-19)	288
8.10	अभियान बसेरा के तहत तबकावार पात्र परिवार और लाभान्वित	289
अध्याय-9 : नगर विकास		
9.1	बिहार और भारत में शहरीकरण का रुझान (जनगणना वर्ष)	296

9.2	बिहार में जिलावार शहरीकरण (2001 और 2011 की जनगणना)	297
9.3	बिहार में शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी और शौचालयों की उपलब्धता (जून, 2016)	298
9.4	बिहार में शहरी क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति (2017)	299
9.5	बिहार में शहरी क्षेत्रों में नालियों की स्थिति (2017)	299
9.6	बिहार में नगर विकास एवं आवास का व्यय का पैटर्न (2011-12 से 2017-18)	300
9.7	योजना की मुख्य विशेषताएं (2017-18 और 2018-19)	301
9.8	योजना का ब्योरा (2017-18 और 2018-19)	302
9.9	घर तक पक्की गली नालियां योजना का वर्षवार लक्ष्य (2016-17 से 2019-20)	303
9.10	घर तक पक्की गली नालियां योजना की मुख्य विशेषताएं (2017-18 और 2018-19)	303
9.11	घर तक पक्की गली नालियां योजना का ब्योरा (2017-18 और 2018-19)	303
9.12	नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की स्थिति (2015-16 से 2018-19)	304
9.13	सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास के तहत उपलब्धियां (2017-18 और 2018-19)	305
9.14	कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती द्वारा रोजगार के तहत उपलब्धियां (2017-18 और 2018-19)	306
9.15	वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां (2017-18 और 2018-19)	306
9.16	शहरी पथ विक्रेता सहायता के तहत उपलब्धियां (2017-18 और 2018-19)	307
9.17	स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भौतिक प्रगति (2018 और 2019)	308
9.18	प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास के तहत प्रगति (अक्तूबर 2019 तक)	308
9.19	अमृत के तहत आबंटन और व्यय (2018-19)	309
9.20	जलापूर्ति योजनाओं का ब्योरा (2018-19 तक)	309
9.21	जल निकासी योजनाओं का ब्योरा (2018-19 तक)	310
9.22	पार्क संबंधी योजनाओं का ब्योरा (2018-19 तक)	310
9.23	स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति (2018-19 तक)	310
9.24	स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वित्तीय प्रगति	311
9.25	स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रगति	312
9.26	स्मार्ट सिटी मिशन का व्यय	312
9.27	बिहार के 35 शहरों में नगरपालिका की वित्तीय स्थिति	314
अध्याय-10 : बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र		
10.1	बिहार में खुली बैंकों की नई शाखाएं (2005-06 से 2018-19)	320

10.2	2018-19 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या	321
10.3	भारत में विभिन्न राज्यों के व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का हिस्सा (मार्च 2015 से मार्च 2019)	322
10.4	व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण (2013-19)	323
10.5	अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारियों का वितरण (मार्च 2018 तक)	324
10.6	बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या (सितंबर 2019 के अंत तक)	325
10.7	राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या (31 मार्च, 2016 से 2018)	326
10.8	भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च, 2017-18 से 2018-19)	328
10.9	बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (2012-13 से सितंबर 2019 तक)	331
10.10	बैंकों का ऋण, जमा और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2019 तक)	331
10.11	बैंक समूह और क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात (2018-19)	332
10.12	31 मार्च को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (2015 से 2018)	333
10.13	जिलावार ऋण-जमा अनुपात (2017-18 से सितंबर 2019)	334
10.14	बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण-जमा अनुपात (2014-15 से सितंबर 2019)	335
10.15	बिहार में निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघुवित्त बैंकों का जमा, अग्रिम और ऋण-जमा अनुपात (2018 और 2019)	337
10.16	बिहार में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2015-16 से 2018-19)	338
10.17	बिहार में जमा और अग्रिम का बैंक-वार हिस्सा (सितंबर-2017 से सितंबर-2019)	338
10.18	वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2016-17 से 2018-19)	339
10.19	वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत ऋण के लक्ष्य और उनकी उपलब्धि (2017-18 और 2018-19)	339
10.20	वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि - सभी बैंक (2012-13 से 2018-19)	340
10.21	बिहार में वार्षिक ऋण योजना के बैंक-वार लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां (2017-18 और 2018-19)	341
10.22	बिहार में कृषिगत ऋण प्रवाह (2012-13 से 2018-19)	341
10.23	बकाया कृषिगत अग्रिम (2012-13 से 2018-19)	342
10.24	बैंकों द्वारा जारी (नए) किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (2012-13 से 2018-19)	343
10.25	बिहार में बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां (2018 और 2019)	343

10.26	मार्च 2019 में बिहार में बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियों का क्षेत्रवार ब्योरा	344
10.27	बिहार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रदर्शन (2017-18 और 2018-19)	345
अध्याय-11 : मानव विकास		
11.1	शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान (2011-12 से 2018-19)	350
11.2	बिहार और भारत की जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक ढांचा (2001 और 2011)	352
11.3	बिहार में कुल प्रजनन दर का अनुमान (2012-2041)	354
11.4	बिहार में आयु संरचना के अनुसार जनसंख्या (2011 से 2041)	355
11.5	जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (2006-10 एवं 2013-17)	357
11.6	बिहार और भारत के स्वास्थ्य संबंधी चुनिंदा सूचक (2013-2017)	358
11.7	सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या (2015-2019)	359
11.8	स्वास्थ्य अधिसंरचना की समग्र स्थिति (2012-2019)	360
11.9	स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या (2017-18 और 2018-19)	362
11.10	जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों की संख्या (2014-15 से 2019-20)	363
11.11	बिहार में एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन (2017-18 से 2019-20)	366
11.12	मुख्य रोगों की व्यापकता (2015-16 से 2018-19)	367
11.13	स्वास्थ्य समितियों को संवितरित धनराशि (2011-12 से 2018-19)	368
11.14	प्रदूषण वाले जिलों का मानचित्रण	371
11.15	जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं के तहत उपलब्धि (2011-12 से 2018-19)	372
11.16	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति (2012-13 से 2018-19)	373
11.17	जलापूर्ति एवं स्वच्छता की वित्तीय स्थिति (2012-13 से 2018-19)	373
11.18	राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं में भौतिक लक्ष्य (2012-13 से 2018-19)	373
11.19	भारत और बिहार में साक्षरता दरों के रुझान (1961 से 2011)	375
11.20	प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर कुल नामांकन (2012-13 से 2017-18)	376
11.21	पाथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें (2012-13 से 2017-18)	378
11.22	प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें (2012-13 से 2017-18)	379
11.23	शिक्षा पर व्यय (2013-14 से 2018-19)	380
11.24	मध्याह्न भोजन योजना के तहत आहार, पोषण और कैलोरी संबंधी मानक और हर	381

	दिन का मेनू	
11.25	मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन (2013-14 से 2018-19)	382
11.26	विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि और किए गए व्ययों की स्थिति (2017-18 से 2018-19)	385
11.27	उच्च शिक्षा के संस्थान (2014-2018)	386
11.28	अजा एवं अजजा कल्याण हेतु परिव्यय आबंटन का अवलोकन (2017-18 और 2018-19)	390
11.29	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम की सब्सिडी योजना (बैंकों द्वारा क्रियान्वित) (2013-14 से 2018-19)	392
11.30	पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति (2014-15 से 2018-19)	392
11.31	पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यक्रमों के भौतिक और वित्तीय विवरण (2013-14 से 2018-19)	393
11.32	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का बजट और व्यय विवरण (2013-14 से 2017-18)	394
11.33	जेंडर बजट का सारांश (2014-15 से 2018-19)	396
11.34	महिला विकास पर व्यय का विवरण (2017-2018)	397
11.35	लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं (2014-15 से 2018-19)	397
11.36	सामाजिक सशक्तीकरण के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या (2017-18 से 2019-20)	400
11.37	वृद्धों, विधवाओं और नि:शक्त जनों के लिए पेंशन योजनाएं (2017-18 और 2018-19)	402
	अध्याय-12 : बाल विकास	
12.1	बिहार और भारत में बच्चों की जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011)	433
12.2	विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (0-19 वर्ष) (2001 और 2011)	434
12.3	शक्ति-प्राप्त कार्य समूह वाले (ईएजी) राज्यों में किशोरवय जनसंख्या (2011)	435
12.4	बाल बजट का विवरण (2013-14 से 2018-19)	436
12.5	बाल बजट पर विभाग-वार व्यय (2013-14 से 2018-19)	437
12.6	बिहार और भारत में कुपोषण से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत (2005-06 और 2015-16)	438
12.7	समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की संख्या (2013-14 से 2018-19)	441
12.8	समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग (2013-14 से 2018-19)	442
12.9	बिहार में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं वाले प्रारंभिक विद्यालयों का प्रतिशत (2011-12 से 2016-17)	444
12.10	बिहार में उम्र और लिंग के आधार पर साक्षरता का प्रतिशत (2001 और 2011)	445

12.11	बिहार में विद्यालय-त्यागी बच्चों की संख्या (2016-17 से 2018-19)	447
	अध्याय-13 : पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन	
13.1	बिहार में कृषि-जलवायु जोनों की विशेषताएं	457
13.2	विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात (2001 से 2019)	458
13.3	बिहार में नदियों की स्थिति	460
13.4	बिहार में नदियों के बेसिन का ब्योरा	461
13.5	नदियों के जल की राज्यवार गुणवत्ता (2017)	462
13.6	वार्षिक भूजल संभरण में संभरण के घटकों का राज्यवार योगदान (2017)	463
13.7	भूजल प्रदूषण वाले जिलों का राज्यवार विवरण	464
13.8	दर्ज वन क्षेत्र/ ग्रीन वाश के अंदर नमभूमि (2019)	465
13.9	कृषि के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन का हिस्सा (2013-14 से 2018-19)	467
13.10	भारत के प्रमुख राज्यों में दर्ज वन क्षेत्र (2019)	468
13.11	भारत के प्रमुख राज्यों में दर्ज वनाच्छादन (2019)	469
13.12	बिहार में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन (2011-19)	471
13.13	विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्रफल (2011-19)	471
13.14	बिहार में वन्य कार्बन स्टॉक (2017 और 2019)	473
13.15	विभिन्न प्रयोजनों के लिए वनभूमि का उपयोग परिवर्तन (2010-11 से 2018-19)	475
13.16	जंगल में आग लगने की प्रमंडल-वार घटनाएं (2005-06 से 2018-2019)	476
13.17	वन विभाग का राजस्व और व्यय (2014-15 से 2018-19)	477
13.18	कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना के तहत पौधों का वितरण	478
13.19	कृषि वानिकी योजना (2012-13 से 2018-19)	479
13.20	मुख्यमंत्री निजी पौधशाला - पोपलर ईटीपी योजना की उपलब्धियां (2012-13 से 2018-19)	479
13.21	मुख्यमंत्री निजी पौधशाला - अन्य प्रजाति योजना की उपलब्धियां	480
13.22	विभागवार कार्ययोजना और अनुमानित बजट (2019-20 से 2021-22)	482-483
13.23	बिहार में व्यापक वायु गुणवत्ता के वार्षिक औसत मान (2017 आर 2018)	484
13.24	पटना में पांच स्थानों पर व्यापक ध्वनि प्रदूषण पर वार्षिक आंकड़े (2016 से 2018)	486
13.25	बिहार में वन्यजीवन, जीवमंडल शरणस्थली और पक्षी अभयारण्य	487
13.26	खरीफ 2019 में बाढ़ और सूखा संबंधी रिपोर्ट	488
	अध्याय-14 : ई-गवर्नेंस	
14.1	भारत के प्रमुख राज्यों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं तथा आधार का आच्छादन (मार्च 2018 में)	501

14.2	शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभांतरण	510
14.3	बिहार में सामाजिक कल्याण योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभांतरण का पावधान	516
14.4	बिहार में स्टार्ट-अप और मुख्यमंत्री अजा एवं अजजा उद्यमिता योजनाओं की स्थिति (2017-2020)	525
14.5	बिहार में बिम्स परियोजना की स्थिति (2017-2020)	526
14.6	विभिन्न श्रम कानूनों के तहत ऑनलाइन सेवाओं का विवरण (2017-2020)	527
14.7	दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निवेश और इससे लाभान्वितों की संख्या (2017-2020)	531
14.8	हरित आच्छादन के लिए ई-शासन कार्यक्रम (2019)	532

तालिका परिशिष्ट

परिशिष्ट	विषय सूची	पृष्ठ सं.
	अध्याय-1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन	
प 1.1	बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2004-05 से 2018-19)	13
प 1.2	वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2018-19)	14
प 1.3	2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2018-19)	15
प 1.4	वर्तमान मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2018-19)	16
प 1.5	2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2018-19)	17
प 1.6	2004-05 के मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद (2007-08 से 2011-12)	18
प 1.7	त्पादों की जिलावार खपत (2014-15 सं 2018-19)	19
प 1.8	डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत (2016-17 से 2018-19)	20
	अध्याय-2 : राजकीय वित्तव्यवस्था	
प 2.1	बिहार का राजस्व घाटा (2001-02 से 2009-10)	68
प 2.2	बिहार सरकार का राजस्व लेखा (2013-14 से 2019-20)	68
प 2.3	2018-19 में राजस्व लेखा में प्राप्ति (2017-18 और 2018-19)	68
प 2.4	राजस्व प्राप्ति की संरचना (1990-91 से 2004-05)	69
प 2.5	क्षेत्रगत व्यय (2017-18 और 2018-19)	69
प 2.6	बिहार में सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में	69

	(2007-08 से 2018-19)	
प 2.7	बिहार में राजस्व अधिशेष बनाम पूंजीगत परिव्यय (2006-07 से 2018-19)	70
प 2.8	बिहार में बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में (2007-08 से 2018-19)	70
प 2.9	राजस्व प्राप्ति और व्यय की प्रतिशत वृद्धि (2008-09 से 2018-19)	70
प 2.10	राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2007-08 से 2018-19)	71
प 2.11	2018-19 में वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहण	71
प 2.12	कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय (2008-09 से 2019-20)	71
प 2.13	वेतन और पेंशन पर व्यय में वृद्धि (2008-09 से 2019-20)	71
अध्याय-3 : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र		
प 3.1	भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2017-18)	113-114
प 3.2	चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2017-18 और 2018-19)	115
प 3.3	गेहूं का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2017-18 और 2018-19)	116
प 3.4	मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2017-18 और 2018-19)	117
प 3.5	दलहनों का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2017-18 और 2018-19)	118
प 3.6	ईख का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2017-18 और 2018-19)	119
प 3.7	महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2017-18 और 2018-19)	120-121
प 3.8	महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2017-18 और 2018-19)	122-123
प 3.9	पशुधन संबंधी सेवाओं के लिए जिलावार उपलब्धि (2017-18 और 2018-19)	124
प 3.10	मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन (2016-17 से 2018-19)	125
प 3.11	बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2017-18)	126
प 3.12	बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2018-19)	127
प 3.13	बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2017-18)	128
प 3.14	बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2018-19)	129
प 3.15	कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2017-18)	130
प 3.16	कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2018-19)	131
प 3.17	जिलावार सहकारी ऋण वितरण (2016-17 से 2018-19)	132
प 3.18	बिहार में जिलावार सकल सिंचित क्षेत्र (2017-18)	133
अध्याय-5 : श्रम, रोजगार तथा प्रवास		
प 5.1	बिहार में जिलावार जारी पासपोर्ट (2016-17 से 2018-19)	191

प 5.2	पुरानी और नई योजना के तहत मुक्त और पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या (2013 से 2019)	192
प 5.3	मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत मुक्त और पुनर्वासित बाल मजदूर (2016-17 से 2018-19)	193
प 5.4	प्रवासी मजदूरों की जिलावार मृत्यु और मृतकों के परिवार को आबंटित धनराशि (2016-17 से 2018-19)	194
अध्याय-6 : अधिसंरचना		
प 6.1	मार्च के अंत में बिहार में जिलावार राष्ट्रीय उच्चपथ नेटवर्क (किमी में) (2014 से 2019)	242
प 6.2	मार्च के अंत में बिहार में जिलावार राज्य उच्चपथ नेटवर्क (किमी में) (2014 से 2019)	243
प 6.3	मार्च के अंत में बिहार में जिलावार मुख्य जिला पथ नेटवर्क (किमी में) (2014 से 2019)	244
प 6.4	मार्च के अंत में बिहार में जिलावार ग्रामीण पथ नेटवर्क (किमी में) (2015 से 2019)	245
प 6.5	बिहार में 2018-19 में निबंधित वाहनों के जिलावार आंकड	246
अध्याय-8 : ग्रामीण विकास		
प 8.1	मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति (2016-17 से 2018-19)	290-291
प 8.2	मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति (2016-17 से 2018-19)	292
प 8.3	बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण (2018-19) (प्रतिशत)	293
प 8.4	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2018-19)	294
अध्याय-9 : नगर विकास		
प 9.1	मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की जिलावार प्रगति (2016-17 से 2019-20)	315
प 9.2	घर तक पक्की गली-नालियां योजना का जिलावार लक्ष्य और उपलब्धि (अक्तूबर 2019)	316
अध्याय-10 : बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र		
प 10.1	मार्च 2019 के अंत में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन (कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्यम)	346
प 10.2	मार्च 2019 के अंत में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन (अन्य प्राथमिकता -प्राप्त क्षेत्र और कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र)	347

प 10.3	जिलावार उपलब्धि - नए और नवीकृत किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (2010-11 से 2018-19)	348
	अध्याय-11 : मानव विकास	
प 11.1	बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011)	404
प 11.2	बिहार में जिलावार अनुमानित जनसंख्या (लाख में) (2011 से 2041)	405
प 11.3	बिहार के जिलों में अनुमानित कुल प्रजनन दर (2012 से 2041)	406
प 11.4	बिहार में उम्र समूह के अनसार जिलावार अनुमानित जनसंख्या (लाख में) (2021 से 2041)	407
प 11.5	बिहार में उम्र समूह के अनुसार जिलावार अनुमानित जनसंख्या (प्रतिशत में) (2021 से 2041)	408
प 11.6	बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (सितंबर 2019 में)	409
प 11.7	जिलावार प्रतिदिन पहुंचने वाले औसत वाह्यरोगी और भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर (2016-17 से 2019-20)	410
प 11.8	नियमित और संविदाधीन चिकित्सकों का जिलावार नियोजन (2017-18 और 2018-19)	411
प 11.9	'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन (2017-18 और 2018-19)	412
प 11.10	एएनएम का जिलावार नियोजन (2017-18 और 2018-19)	413
प 11.11	आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन (2016-17 से 2018-19)	414
प 11.12	जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों का जिलावार आच्छादन (2014-15 से 2019-20)	415
प 11.13	रोगों की व्याप्ति (2018-19)	416-417
प 11.14	स्वास्थ्य समितियों को वितरित जिलावार धनराशि (2013-14 से 2018-19)	418
प 11.15	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चापाकलों की जिलावार स्थापना (2015-16 से 2018-19)	419
प 11.16	केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय संबंधी जिलावार उपलब्धि (2017-18 और 2018-19)	420
प 11.17	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (सभी) (2015-16 से 2017-18)	421
प 11.18	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा) (2015-16 से 2017-18)	422
प 11.19	प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा) (2015-16 से 2017-18)	423
प 11.20	बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या (2016-17 और 2017-18)	424

प 11.21	बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की जिलावार संख्या (2016-17 और 2017-18)	425
प 11.22	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5) (2016-17 से 2018-19)	426
प 11.23	मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8) (2016-17 से 2018-19)	427
प 11.24	बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार संख्या (2016-17 से 2018-19)	428
प 11.25	बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार और धारावार संख्या (2018-19 तक)	429
प 11.26	अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय विवरण	430-431
अध्याय-12 : बाल विकास		
प 12.1	बिहार में बच्चों की जिलावार संख्या (2011)	452
प 12.2	बिहार में आबादी का जिलावार और उम्रवार लिंग अनुपात (2011)	453
प 12.3	बिहार में कुपोषण से पीड़ित 5 वर्ष से छोटे बच्चों का जिलावार प्रतिशत (2015-16)	454
अध्याय-13 : पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन		
प 13.1	विभिन्न मौसमों में जिलावार वार्षिक वर्षापात	490
प 13.2	बिहार में जिलावार भूजल संभरण (2017)	491-492
प 13.3	बिहार में जिलावार नमभूमि	493
प 13.4	बिहार में जिलावार वन क्षेत्र (2017 और 2019)	494
प 13.5	शहरी स्थलों का हरितीकरण (2017-18 से 2019-20)	495
प 13.6	बिजली गिरने से मौत की जिलावार घटनाएं (2015 से 2019)	496

तकनीकीटिप्पणियां

अध्याय - 1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

स्थिर मूल्य : स्थिर मूल्यों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की गणना करते समय मुद्रास्फीति के प्रभावों को संतुलित किया जाता है। स्थिर मूल्यों के उपयोग से मुद्रास्फीति के प्रभावों को सुधार देने के कारण परिणाम में वास्तविक परिवर्तन की माप संभव हो पाती है। आम तौर पर आय के स्थिर मूल्य पर अनुमान के लिए किसी आधार वर्ष को चिन्हित किया जाता है।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ) : उपभोक्ता मूल्य सूचकांक एक माप है जिसके जरिए परिवहन, भोजन, चिकित्सीय देखरेख आदि उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं के बास्कट के भारित औसत मूल्य की जांच की जाती है। इसकी गणना वस्तुओं के पूर्वनिर्धारित बास्कट की हर सामग्री के मूल्यमें परिवर्तन को लेकर और उपयुक्त भार के साथ उनका औसत निकालकर की जाती है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) : सकल राज्य घरेलू उत्पाद को किसी राज्य की सीमा में किसी खास समय में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं की मुद्रा के रूप में माप के बतौर परिभाषित किया जाता है।

सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) : निर्गत मूल्य में से लागत मूल्य को घटा देने पर किसी उत्पादन इकाई द्वारा किया गया मूल्यवर्धन निकलता है। सकल राज्यगत मूल्यवधन सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यवर्धन का योगफल होता है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में सब्सिडी को जोड़ देने और करों को घटा देने पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्राप्त होता है।

प्रति व्यक्ति आय (पीसीआइ) : प्रति व्यक्ति आय या औसत आय से किसी खास क्षेत्र में किसी खास वर्ष में प्रति व्यक्ति द्वारा उपार्जित औसत आय मापी जाती है। इसकी गणना किसी क्षेत्र की कुल आय में उसकी कुल जनसंख्या से भाग देकर की जाती है।

थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) : थोक मूल्य सूचकांक का उपयोग थोक विक्रेताओं द्वारा लेनदेन करने पर वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में हुए औसत बदलाव को मापने के लिए किया जाता है।

अध्याय - 2 : राजकीय वित्तव्यवस्था

पूंजीगत लेखा और राजस्व लेखा : पूंजीगत लेखों में राज्य सरकार की वैसी लेनदेन दर्ज होती हैं जिनके दीर्घकालिक निहितार्थ होते हैं। जैसे उधार लेना पूंजीगत प्राप्ति है, और सड़क पर निवेश पूंजीगत व्यय है। दूसरी ओर, राजस्व लेखों में वैसी लेनदेन शामिल होती हैं जिनका वर्तमान वर्ष के लिए ही निहितार्थ होता है। जैसे वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण राजस्व प्राप्ति है और वेतन का भुगतान राजस्व व्यय है।

प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर : प्रत्यक्ष कर वे होते हैं जिनके बोझ उस व्यक्ति पर पड़ते हैं जिन पर उन्हें लगाया गया होता है (जैसे कि आय कर या संपदा कर)। वहों, अप्रत्यक्ष कर के मामले में बोझ आम तौर पर उस पर नहीं पड़ता है जो कर चुकाता है। जैसे बिक्रां कर, जिसे विक्रता द्वारा चुकाया जाता है लेकिन उसे खरीदार से लिया जाता है।

राजकोषीय घाटा : कुल व्यय बिना उधार ली गई प्राप्ति से जितना बढ जाता है उसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है।

प्राथमिक घाटा : प्राथमिक घाटा राजस्व घाटा में से ब्याज भुगतान घटा देने पर प्राप्त होता है। यह अतीत की देनदारियों को ध्यान में रखे बिना सरकार के घाटे को व्यक्त करता है।

लोक ऋण : लोक ऋण की प्राप्ति उस वष लिया गया उधार और लोक ऋण की अदायगी उस वर्ष की गई अदायगी होती है। किसी वर्ष में लिए गए उधार और की गई अदायगी के बीच का अंतर लोक ऋण की शुद्ध वृद्धि होती है।

अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) : भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनो के लिए बैंकर के बतौर काम करता है। इस रूप में भारतीय रिजर्व बैंक उनकी प्राप्ति और व्यय में अंतर होने पर अस्थायी सहायता के रूप में उन्हें अर्थोपाय अग्रिम उपलब्ध कराता है।

अध्याय - 3 : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

कृत्रिम गर्भाधान : एक विशेष सिरिंज जैसे उपकरण के जरिए पुरुष के नर को कृत्रिम रूप से मादा के गर्भ में पहुंचाना कृत्रिम गर्भाधान है। इसकी प्रक्रिया नर से वीर्य संग्रहित करने से शुरू होती है। दुधारू पशुओं के मामले में इस विधि का व्यापक उपयोग किया जाता है।

बीरान और अकृष्य भमि : जिस जमीन पर बहुत अधिक खर्च किए बिना खेती नहीं की जा सकती हो, उसे अकृष्य भूमि के बतौर वर्गीकृत किया जाता है, चाहे वह अलग टुकड़े में हो या खेती वाली जोतों के अंदर हो।

प्रमाणित बीज : किसी अमिश्रित स्टॉक से उपजाए गए बीज जो किसी प्रमाणन अभिकरण (आम तौर पर सरकारी अभिकरण) के मानकों को पूरा करते हों। बीजों का प्रमाणन अंकुरण दर, खर-पतरवार और रोग से मुक्त होने और प्रभेद के सहीपन पर आधारित होता है।

कृष्य बंजर भूमि : इसमें खेती के लिए उपलब्ध ऐसी जमीन शामिल होती है जिस पर वर्तमान वर्ष सहित लगातार पांच वर्षों में किसी भी मौसम में खेती नहीं की गई होती है। ऐसी जमीन उपयोग में नहीं आने के कारण परती या झाड़ियों और जंगलों से ढंकी हो सकती है।

वर्तमान परती : इसमें ऐसा शस्य क्षेत्र शामिल होता है जो वर्तमान वर्ष में परती हो।

सकल शस्य क्षेत्र (जीसीए) : यह एक बार बोई गई कुल जमीन के क्षेत्रफल को और, उसी साल एक बार से अधिक बोए गए जमीन के क्षेत्रफल को व्यक्त करती है। एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र जितनी बार बोए जाते हैं, उन्हें उतनी बार जोड़ लिया जाता है।

सकल सिंचित क्षेत्र (जीआइए) : यह लगे फसलों वाली जमीन का कुल क्षेत्रफल होता है चाहे जमीन की सिंचाई साल में एक बार होती हो या अधिक बार। एक बार से अधिक सिंचित क्षेत्रों के मामले में जितनी फसलों के लिए सिंचाई होती है, उनकी गिनती उतनी ही बार की जाती है।

विविध पेड़ो-बागानों वाली जमीन : इसमें वैसी जमीन शामिल होती है जिसे 'शुद्ध बुआई क्षेत्र' में नहीं शामिल किया जाता है लेकिन उसका कृषि के लिए कुछ उपयोग होता है।

शुद्ध बुआई क्षेत्र (एनएसए) : यह लगे फसलों और फलोद्यानों वाली जमीन के कुल क्षेत्रफल को व्यक्त करता है। इसमें साल में एक बार से अधिक फसल लगने पर भी क्षेत्र को एक ही बार गिना जाता है।

शुद्ध सिंचित क्षेत्र (एनआइए) : यह साल में किसी भी स्रोत से सिंचित कुल जमीन का क्षेत्रफल दर्शाता है चाहे उस पर एक बार से अधिक भी फसल क्यों न लगी हो।

चावल सघनीकरण प्रणाली (श्री) : श्रो विधि पानी की कम और परिश्रम की अधिक जरूरत वाली विधि है जिसमें एक-एक छोटे बिचड़ों की रोपनी की जाती है और चावल का उत्पादन बढ़ाने के मकसद से आम तौर पर विशेष औजार की सहायता से बिना मशीन गुड़ाई की जाती है।

जीरो टिलेज : जीरो टिलेज (या नो टिलेज) ऐसा तरीका है जिसमें पिछली फसल लेने के बाद बिना जमीन जोते ही अगली फसल लगा दी जाती है। इसका उपयोग आम तौर पर ऐसे कृष्य क्षेत्रों में होता है जहां जमीन को परती रखना जरूरी हो।

<u>अध्याय- 4 : उद्यम क्षेत्र</u>

पूंजी-प्रवण उद्योग : ऐसा उद्योग जिसमें वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए काफी मात्रा में पूंजी लगाने की जरूरत पड़ती है।

घरेलू उद्यम : घरेलू उद्यम वह होता है जिसे किसी परिवार के एक या अधिक सदस्यों द्वारा चलाया जाता है, चाहे उद्यम घर के परिसर में अवस्थित हो या बाहर।

स्वश्रम उद्यम (ओएई) : स्वश्रम उद्यम ऐसे उद्यम को कहा जाता है जो बिना बाहरी मजदूर की सेवा लिए नियमित रूप से चलाया जाता है।

अनिगमित कृषीतर उद्यम : इसमें ऐसे कृषीतर उद्यम शामिल होते हें जो 'अनिगमित' (अर्थात कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत निबंधित नहीं) होते हैं। 'अनिगमित उद्यम' की सीमा में ये उद्यम शामिल नहीं हैं - (क) कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 2एम(1) और 2एम(2) के तहत निबंधित उद्यम या बीड़ी एवं सिगार श्रमिक (नियोजन स्थिति) अधिनियम, 1966 के तहत निबंधित बीड़ी और सिगार बनाने वाली इकाइयां, (ख) सरकारी/ सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम, और (ग) सहकारी समितियां। इस प्रकार, इसके आच्छादन में मुख्यत: सभी घरेलू स्वामित्व और साझा उद्यम शामिल हैं। इसके अलवा, स्वयं सहायता समूह (एसएचजी), निजी गैर-मुनाफा संस्थान सेवा परिवार (एनपीआइएसएच) सहित निजी गैर-मुनाफा संस्थान और न्यास, सभी स्वश्रम उद्यम के अंतर्गत आते हं।

<u>अध्याय - 5 : श्रम, रोजगार और प्रवास</u>

बाल श्रम : बाल श्रम को ऐसे काम के बतौर परिभाषित किया जाता है जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनके सम्मान से वंचित करता ह और उनके शारीरिक और मानसिक विकास को नुकसान पहुंचाता है।

श्रमशक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर) : श्रमशक्ति में सभी श्रमिक शामिल हैं, चाहे वे रोजगार वाले हों या बेरोजगार। श्रमशक्ति सहभागिता दर कुल जनसंख्या के प्रतिशत के बतौर श्रमशक्ति वाले लोगों की संख्या होती है।

बेरोजगारी दर (यूआर) : बेरोजगारी दर को बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के बतौर परिभाषित किया जाता है।

श्रमिक सहभागिता दर (डब्ल्यूपीआर) : श्रमिक सहभागिता दर को आबादी में नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत के बतौर परिभाषित किया जाता है।

<u>अध्याय - 7 : ऊर्जा क्षेत्र</u>

पारंपरिक ऊर्जा : पारंपरिक ऊर्जा तेल, गैस और कोयला जैसे प्रकृति केसीमित स्रोतों की प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा होती है।

अपारंपरिक ऊर्जा : अपारंपरिक ऊर्जा में पवन, ज्वार, सूर्य, भूतापीय ऊष्मा और बायोमास से प्राप्त ऊर्जा शामिल होती है। इन स्रोतों से ऊर्जा की होने वाली आपूर्ति असीमित होती है।

चरम मांग : चरम मांग का उपयोग ऊर्जा की मांग के प्रबंधन में होता है। यह ऐसी अवधि को बतलाता है जिस अवधि तक औसत आपूर्ति के स्तर से काफी अधिक विद्युत ऊर्जा की पूर्ति की आशा की जाती है।

संचरण एवं वितरण ह्रास (टी एंड डी) : संचरण एवं वितरण ह्रास उत्पादन स्थल से बिलिंग के स्थान तक संचरण के दौरान होने वाला ऊर्जा का ह्रास है। इसकी गणना किसी खास समय के लिए की जाती है जो सामान्यत: एक वर्ष होता है।

अध्याय -8 : ग्रामीण विकास

गेहूं सघनीकरण प्रणाली (एसडब्ल्यूआइ) : गेहूं सघनीकरण प्रणाली गेहूं की खेती की नई तकनीक है जिसका लक्ष्य चावल सघनीकरण प्रणाली (श्री विधि) के सिद्धांतों का उपयोग करके गेहूं की फसल की उपज बढ़ाना है।

अध्याय - 9 : बैंकिंग एवं सहवर्ती क्षेत्र

ऋण-जमा अनुपात (सीडी रेशियो) : यह अनुपात दर्शाता है कि किसी राज्य में बैंक द्वारा जमा की गई रकम का कितना हिस्सा ऋण दिया गया है।

अनिष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) : अनिष्पादित परिसंपत्ति ऐसा ऋण या अग्रिम होती है जिसका मूलधन या ब्याज भुगतान कम से कम 90 दिनों की अवधि से बकाया रहा होता है।

रेपो रेट : यह वह दर होतो है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक धनराशि की कमी होने की स्थिति में व्यावसायिक बैंकों को कर्ज देता है।

अध्याय - 11 : मानव विकास

अशोधित जन्म दर (सीबीआर) : अशोधित जन्म दर को प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्मे जीवित बच्चों की संख्या के बतौर परिभाषित किया जाता है।

शिशु मृत्यु दर (आइएमआर) : शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से एक वर्ष पूरा करने के पहले मृत बच्चों की संख्या बताती है।

जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (एलईबी) : जन्मकालीन जीवन संभाव्यता मृत्यु के वर्तमान शिड्यूल के तहत किसी नवजात के जीवित रहने के औसत वर्षों की संख्या को दर्शाती है।

मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) : मातृ मृत्यु दर प्रति 1,00,000 जीवित प्रसवों में प्रसव या गर्भावस्था की जटिलताओं के कारण माताओं की मृत्यु की दर्ज हुई संख्या है।

नवजात मृत्यु दर (एनएमआर) : नवजात मृत्यु दर प्रति 1000 जन्मे बच्चों में से जन्म के 28 दिनों के अंदर ही मृत बच्चों की संख्या है।

प्रसवकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) : प्रसवकालीन मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित या मृत प्रसवों में से मृत पैदा हुए और जन्म के पहले सप्ताह के अंदर मृत बच्चों की कुल संख्या है।

बचे रह गए गांव-टोले : इसमें वैसे गांव-टोले शामिल होते हैं जो एक समय जलापूर्ति के लिहाज से पूर्णतः आच्छादित थे लेकिन वर्तमान वर्ष में आंशिक रूप से बचे रह गए गए हैं या आच्छादित नहीं हुए हैं।

कुल प्रजनन दर (टीएफआर) : कुल प्रजनन दर प्रजनन उम्र की किसी महिला द्वारा अपने पूरे जीवन काल में जन्म दिए गए बच्चों की कुल संभावित संख्या होती है।

5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर (यू5एमआर) : 5 वर्ष पूर्व मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों में से जन्म और ठीक पांच वर्ष होने के बीच मृत बच्चों की संख्या है।

<u>अध्याय - 12 : बाल विकास</u>

ठिगनापन (उम्र के लिहाज से ऊंचाई) : यह ऊंचाई बढ़ने में होने वाली कमी और विकास में चिरकालिक कमी की माप है। जिन बच्चों की उम्र के लिहाज से संदर्भ आबादी के औसत से दो मानक विचलन से कम हो उन्हें नाटा (ठिगना), या चिरकालिक कुपोषित माना जाता है। वहीं, जो बच्चे औसत से तीन मानक विचलन से भी कम होते हैं उन्हें अति ठिगना माना जाता है।

हल्का (उम्र के लिहाज से वजन) : यह उम्र के लिहाज से ऊंचाई और ऊंचाई के लिहाज से वजन का संयुक्त सूचकांक होता है। यह तीव्र और चिरकालिक, दोनो प्रकार के अल्प-पोषण को दर्शाता है। जिन बच्चों का उम्र के लिहाज से वजन का स्कोर संदर्भ आबादी के औसत से दो मानक विचलन से कम होता है उनको हल्का के बतौर वर्गीकृत किया जाता है। वहीं, जिन बच्चों का उम्र के लिहाज से वजन का स्कोर संदर्भ आबादी के औसत से तीन मानक विचलन से कम होता है उनको अति-हल्का के बतौर वर्गीकृत किया जाता है।

दुबलापन (ऊंचाई के लिहाज से वजन) : इसके जरिए शरीर की ऊंचाई की तुलना में शरीर के वजन को मापा जाता है और यह पोषण की वर्तमान स्थिति को दर्शाता है। संदर्भ आबादी के औसत से दो मानक विचलन से कम स्कोर वाले बच्चों को दुबला (वेस्टेड), या अल्पपोषित माना जाता है। वहीं, संदर्भ आबादी के औसत से तीन मानक विचलन कम से स्कोर वाले बच्चों को अति दुबला माना जाता है।

<u>अध्याय - 13 : पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन</u>

ऑक्सीजन की जैव-रासायनिक मांग (बीओडी) : पानी में घुले ऑक्सीजन की मात्रा जिसका उपयोग उसमें मौजूद सूक्ष्मजीवों के द्वारा अपने चयापचय की जैव प्रक्रिया के लिए किया जाता है।

कार्बन डायक्साइड (सीओ2) : यह एक रंगहीन, गंधहीन, अविषाक्त गैस है जो जीवाश्म इंधनों के जलने से निकलती है और सामान्यत: व्यापक वायु की हिस्सा है।

कार्बन स्टॉक : जंगल का कार्बन स्टॉक कार्बन की वह मात्रा है जो वायुमंडल से निकलकर वन परितंत्र में मुख्यत: जीवित बायोमास और मिट्टी में और गौण रूप से सूखी लकड़ी और कूड़ा-करकट में जमा होती है।

ऑक्सीजन की रासायनिक मांग (सीओडी) : यह पानी में मौजूद सभी कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों के ऑक्सीकरण के लिए जरूरी ऑक्सीजन की माप है।

शिखर सघनता : यह पौधों के शिखर पर पड़ने वाली सूर्य की रोशनो को रोकने वाले पौधों के पत्तों, शाखाओं, फलों आदि हिस्सों के बारे में बताता है। इससे कुल प्रकाश में से पेड़ों द्वारा रोके गए प्रतिशत हिस्से के बतौर मापा जाता है।

मृत कार्बनिक पदार्थ : इस कार्बन पूल में सारा निर्जीव काष्ठ बायोमास शामिल होता है जिसे दो घटकों में बांटा जा सकता है - लकड़ी (कटे पेड़, जड़ें, और 10 सेंटीमीटर से अधिक व्यास वाले धड़) और डंठल या लीटर (2 मिमी से लेकर 10 सेमी व्यास तक)।

घुलित ऑक्सीजन : पानी में मुक्त रूप से मौजूद ऑक्सीजन जो मछली और अन्य जलजीवों के लिए बहुत जरूरी है। यह पानी में घुले ऑक्सीजन का संकेंद्रण है जिसे मिग्रा प्रति लीटर या संतृप्ति के प्रतिशत के बतौर मापा जाता है।

फीकल कॉलीफॉर्म : स्तनधारियों की आंतों में पाए जाने वाले बैक्टेरिया। पानी या कीचड़ में इसकी मौजूदगी प्रदूषण की सूचक है और रोगाणुओं से प्रदूषित होने की आशंका जतलातो है।

फ्लोराइड : औद्योगिक प्रक्रिया में निकलने वाले फ्लोरीन के गैसीय, ठोस या घुलित यौगिक। इसकी अधिक मात्रा से फ्लोरोसिस नामक रोग हो सकता है।

वनाच्छादन : इसमें एक हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल वाली वैसी सारी जमीनें शामिल हैं जिन पर पेड़ों की शिखर सघनता 10 प्रतिशत से अधिक हो, चाहे उनका स्वामित्व या कानूनी स्थिति कुछ भी क्यों न हो। जरूरो नहीं है कि उन्हें वन क्षेत्र के बतौर दर्ज ही किया गया हो। उनमें फलोद्यान, बांस और ताड़ के झुंड भी शामिल हो सकते हैं।

नाइटोजन डायक्साइड (एनओ2) : यह वाहनों या स्थिर स्रोतों में दहन का उत्पाद है। यह अम्ल जमा होने और क्षोभमंडल में जमीनी ओजोन बनने का मुख्य कारण है।

कणीय पदार्थ : वायु को प्रदूषित करने वाले महीन ठोस या तरल कण जो वायुमंडल में धरती की सतह पर प्राकृतिक या मानवजनित प्रक्रियाओं के जरिए पहुंचते हैं। धूल, धुआं, कजली, पराग और मिट्टी के कण कणीय पदार्थों के उदाहरण हैं।

संरक्षित वन : भारतीय वन अधिनियम या राज्यों के वन अधिनियमों के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र जिन्हें सीमित स्तर का संरक्षण प्राप्त हो। संरक्षित वनों में विशेष रूप से प्रतिबंधित गतिविधियों के सिवा सारी गतिविधियों की अनुमति होती है।

आरक्षित वन : भारतीय वन अधिनियम या राज्यों के वन अधिनियमों के अंतर्गत अधिसूचित क्षेत्र जिन्हें पूरा संरक्षण प्राप्त हो। आरक्षित वनों में विशेष रूप से स्वीकृत गतिविधियों के सिवा सारी गतिविधियां प्रतिबंधित होती हैं।

नदी बेसिन : जमीन का नदी द्वारा खोदा गया हिस्सा और उसमें बहने वाली धारा। नदी बेसिन की गुणवत्ता पानी की गुणवत्ता को प्रभावित करती है इसलिए पानी की गुणवत्ता संरक्षित करने और सुधारने के प्रयासों में अक्सर नदी बेसिन के प्रबंधन की योजनाएं भी शामिल होती हैं।

मृदा जैव कार्बन : यह मिट्टी के जैव पदार्थ का मापा जाने वाला घटक है। मृदा जैव कार्बन मिट्टी का घटक है जिसमें पौधों के छोटे अवशेष, छोटे जीवित मृदा जीव, और विघटित कार्बनिक पदार्थ शामिल होते हैं।

सल्फर डायक्साइड (एसओ2) : यह कोयला और तेल जैसे इंधनों के जलने से निकलने वाली संक्षारक गैस है जिसमें गंधक होता है। यह सी स्प्रे, कार्बनिक विघटन और ज्वालामुखी से भी निकलती है।

<u>अध्याय 14 : ई-शासन</u>

ई-शासन विकास सूचकांक (ईजीडीआइ) : ई-शासन विकास सूचकांक तीन सामान्यीकृत सूचकांकों के भारित औसत पर आधारित संयुक्त सूचकांक है। इसमें एक-तिहाई दूरसंचार अधिसंरचना सूचकांक (टीआइआइ) से, एक-तिहाई मानव पूंजी सूचकांक (एचसीआइ) से और एक-तिहाई ऑनलाइन सेवा सूचकांक (ओएसआइ) से लिया जाता है। इससे राष्टोय स्तर पर ई-शासन के विकास का मूल्यांकन होता है।

लैन : स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क (लैन) एक कंप्यूटर नेटवर्क ह जिसका विस्तार अपेक्षाकृत छोटे क्षेत्र में होता है। अधिकांशत: लैन एक कमरे, भवन या भवन समूह में सीमित रहता है। हालांकि एक लैन को टेलिफोन लाइनों आर रेडियो तरंगों के जरिए दूर के दूसरे लैन से भी जोड़ा जा सकता है।

वैन : वाइड एरिया नेटवर्क (वैन) ऐसा दूरसंचार नेटवर्क है जिसका विस्तार व्यापक भौगोलिक क्षेत्र में मुख्यत: कंप्यूटर नेटवर्किंग के मकसद से होता है। वैन को अक्सर लीज्ड दूरसंचार परिपथों के जरिए स्थापित किया जाता है।

कार्यकारी सारांश

अध्याय 1 : बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

1. वित्तीय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद बिहार में गत दशक में लगातार सामाजिक-आर्थिक विकास दिखा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) पर नई श्रृंखला के आंकडों के अनुसार 2018-19 में स्थिर मूल्य पर बिहार को अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 10.53 प्रतिशत और वर्तमान मूल्य पर 15.01 प्रतिशत थी जो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है।

2. वर्ष 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,57,490 करोड़ रु. और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 3,94,350 करोड़ रु. था। वहीं, 2018-19 में राज्य में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 5,13,881 करोड़ रु. और स्थिर मूल्य पर 3,59,030 करोड़ रु. था। फलत: 2018-19 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 47,541 रु. और स्थिर मूल्य पर 33,629 रु. था।

3. सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्रमश: 21.3 प्रतिशत, 19.7 प्रतिशत और 59.0 प्रतिशत था। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर निर्माण और विनिर्माण सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में मुख्य योगदाता हैं जिनका 2018-19 में क्रमश: 9.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत हिस्सा था और गत पांच वर्षों में ये हिस्से लगभग अपरिवर्तित रहे हैं। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के बीच समग्र द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 19 से 20 प्रतिशत के बीच रहा है। तृतीयक क्षेत्र में मुख्य योगदाता व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं (18.2 प्रतिशत), और स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं (9.1 प्रतिशत) थे। बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 2012-13 से 2018-19 के बीच बढ़ा है।

4. बिहार में विभिन्न जिलों के बीच सामाजिक-आर्थिक विकास के लिहाज से काफी विषमता मौजूद है जो विभिन्न सूचकों से स्पष्ट है। पेट्रॉल की खपत के आधार पर पटना, मुजफ्फरपुर और गोपालगंज राज्य में अपेक्षाकृत समृद्ध जिले हैं। वहीं, प्रति व्यक्ति लघु बचत के आधार पर तीन सबसे समृद्ध जिल पटना, सारण और बक्सर हैं।

अध्याय 2 : राजकीय वित्तव्यवस्था

1. वर्ष 2018-19में बिहार में राजकीय वित्तव्यवस्था के प्रबंधन में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के संकल्पों का पालन किया गया है। इस वर्ष राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.68 प्रतिशत, राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.34 प्रतिशत आर राज्य सरकार की लोक ऋण संबंधी देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 32.34 प्रतिशत के बराबर थी।

2. अपने संसाधनों से सीमित राजस्व प्राप्ति को देखते हुए राज्य सरकार संसाधनों के लिए केंद्रीय अंतरणों और अनुदानों पर काफी निर्भर रही है। ये अंतरण अधिकांशत: वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार होते हैं। 15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। उसकी अनुशंसा के अनुसार 2020-21 के लिए कुल वितरणीय संसाधन कोष में बिहार का हिस्सा वर्तमान 9.67 प्रतिशत से बढ़कर 10.06 प्रतिशत हो गया है।

3. राजकोषीय प्रबंधन की प्रभाविता में सुधार के प्रयास में राज्य सरकार ने 1 अप्रील, 2019 को व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) की शुरुआत की जिससे राज्य में सारी वित्तीय गतिविधियां ऑनलाइन और कागजरहित हो जाएंगी। वर्ष 2018-19 में एक और विकास यह हुआ है कि राज्य सरकार ने सारे विभागों के लिए जेम पोर्टल से खरीद करना अनिवार्य बना दिया है।

4. वर्ष 2018-19 मं बिहार में कुल राजस्व प्राप्ति 1,31,793 करोड़ रु. और पूंजीगत प्राप्ति 20,494 करोड़ रु. थी। वहीं, राज्य में राजस्व व्यय 1,24,897 करोड़ रु. और कुल व्यय 1,54,655 करोड़ रु. था। वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति गत वर्ष से 12.2 प्रतिशत बढ़ी जबकि राजस्व व्यय 21.7 प्रतिशत बढ़ा। वहीं, इस अवधि में पूंजीगत प्राप्ति 12.0 प्रतिशत घटकर 29,759 करोड़ रु. रह गई।

5. वर्ष 2018-19 में कर राजस्वों से प्राप्ति 14,791 करोड़ रु. बढ़कर 103,011 करोड़ हो गई जो गत वर्ष की अपेक्षा 16.8 प्रतिशत अधिक है। वहीं 2018-19 में करेतर राजस्व 4131 कराड़ रु. था जो गत वर्ष से 17.8 प्रतिशत अधिक है। केंद्र सरकार के सहायता अनुदान एवं अंशदान के तहत प्राप्ति घटकर 2018-19 में 24,652 करोड़ रु. रह गई। वर्ष 2018-19 में राज्य द्वारा संग्रहित राज्य वस्तु एवं सेवा कर और समेकित वस्तु एवं सेवा कर 17,861 करोड़ रु. था। राज्य के लिए वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहित कुल राजस्व में समेकित वस्तु एवं सेवा कर से प्राप्त राजस्व का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा था।

6. कुल व्यय में राजस्व लेखे पर व्यय का हिस्सा 2017-18 के 75.2 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 80.8 प्रतिशत हो गया। फलत: पूंजीगत लेखे का व्यय 2017-18 के 24.8 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 19. 2 प्रतिशत रह गया। 1,54,655 करोड़ रु. के कुल व्यय में से 1,07,737 करोड़ रु. (69.7 प्रतिशत) विकासमूलक व्यय था। राज्य सरकार का वेतन और पेंशन पर व्यय 2018-19 में गत वर्ष से 12.2 प्रतिशत बढ़ा और 35,996 करोड़ रु. पहुंच गया।

7. वर्ष 2018-19 में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर व्यय क्रमश: 38,691 करोड़ रु., 58,284 करोड़ रु. और 27,918 करोड़ रु. था। इन शीर्षों के तहत गत वर्ष की अपेक्षा क्रमश: 15.9 प्रतिशत, 27.3 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत वृद्धि दिखी।

8. वर्ष 2018-19 में कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय के हिस्से में दो प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई जबकि आर्थिक सेवाओं और सामान्य सेवाओं के हिस्सों में एक-एक प्रतिशत अंकों की गिरावट आई। वर्ष 2018-19 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 27.3 प्रतिशत बढ़कर 58,284 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2018-19 में सामाजिक सेवाओं के तीन मुख्य शीर्षों पर व्यय इस प्रकार थे - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति : 28,080 रु., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण : 7318 करोड़ रु. और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास

एवं नगर विकास : 15,638 करोड़ रु.। इन तीनों घटकों पर व्यय की वृद्धि दर क्रमशः 13.1 प्रतिशत, 18.4 प्रतिशत और 105.5 प्रतिशत थी।

9. वर्ष 2018-19 के अंत तक राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियां 1,68,921 करोड़ रु. थीं जो गत वर्ष की कुल बकाया देनदारियों से 7.7 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2018-19 के अंत में राज्य की कुल बकाया देनदारी में 74.7 प्रतिशत हिस्सा लोक ऋण का और शेष हिस्सा लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों और जमा एवं अग्रिमों का था।

10. राज्य सरकार की कुल उधारियां 2018-19 में 18,668 करोड़ रु. थीं जो 2017-18 में 13,169 करोड़ रु. और 2016-17 में 21,577 करोड़ रु. थीं। एक महत्वपूर्ण विकास यह हुआ कि 2018-19 में लोक ऋण की अदायगी में गत वर्ष की अपेक्षा 55.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। लोक ऋण की अदायगी 2017-18 में 4654 करोड़ रु. थी जो 2018-19 में बढ़कर 7230 रु. हो गई।

11. बिहार का सकल राजकोषीय घाटा 2018-19 में 13,807 करोड़ रु. के निम्न स्तर पर था जो 2017-18 में 14,305 करोड़ रु. था। वर्ष 2018-19 में सकल राजकोषीय घाटे के वित्तोयन में शुद्ध ऋणग्रहण का 82.0 प्रतिशत हिस्सा था जबकि लोक लेखा के शुद्ध शेष का मात्र 18.0 प्रतिशत हिस्सा था।

अध्याय 3 : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

1. राज्य के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का हिस्सा 2017-18 में 21 प्रतिशत था जबकि फसल का हिस्सा 12.1 प्रतिशत था। राज्य में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का कुल व्यय 2014-15 में 3615 करोड़ रु. था जो 2018-19 में 5176 करोड़ रु. हो गया।

2. वर्ष 2017-18 में बिहार में सकल शस्य क्षेत्र 75.25 लाख हेक्टेयर था और फसल सघनता 144 प्रतिशत थी।

3. वर्ष 2017-18 में अनाजों का उत्पादन 143.21 लाख टन था जो 2018-19 में बढ़कर 158.58 लाख टन हो गया। अनाजों में से चावल और गेहूं का कुल सकल शस्य क्षेत्र में 70 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा था।

4. भारत सरकार ने 2 जनवरी, 2020 को मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया है।

5. वर्ष 2018-19 में बिहार के कृषि क्षेत्र के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में पशुधन और जलकृषि क्षेत्र का लगभग 7.1 प्रतिशत हिस्सा था। राज्य में मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2018-19 में लगभग 92.865 करोड़ मत्स्य बीजों का वितरण किया गया। मछली उत्पादकों ने पड़ोसी राज्यों और नेपाल को 30,000 मैट्रिक टन मछली का निर्यात करना शुरू किया है।

6. राज्य में अंडा उत्पादन 2016-17 के 111.17 करोड़ से बढ़कर 2018-19 में 176.34 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के अनंतिम आंकड़े 265 करोड़ अंडों के हैं। इसके कारण अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तेजी से बढ़कर 2016-17 के 11 से 2019-20 में 25 हो जाएगी।

7. वर्ष 2018-19 में ऊर्जा विभाग द्वारा किसानों के लिए विद्युत सब्सिडी के बतौर कुल 229.93 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। वहीं, बिहार मं 2018-19 में डीजल सब्सिडी 263.60 करोड़ रु. थी। राज्य सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन के प्रयुक्त यंत्रों की खरीद पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी देने के लिए एक नई पहल की है।

8. सिंचाई के विकास के लिए कुल व्यय 11.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2013-14 के 854.17 करोड़ रु. से 2018-19 में 1328.43 करोड़ रु. हो गया। राज्य सरकार ड्रिप इरीगेशन पर 90 प्रतिशत और स्प्रिंकलर इरीगेशन पर 75 प्रतिशत सब्सिडी दे रही है।

अध्याय 4 : उद्यमिता क्षेत्र

1. बिहार में द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच अपेक्षाकृत कम संबंध है। हालांकि हाल के वर्षों में राज्य ने द्वितीयक क्षेत्र में,खास कर विद्युत, गैस, जलापूर्ति, एवं अन्य उपयोगिता सेवाओं के मामले में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस उप-क्षेत्र की वृद्धि दर हाल के वर्षों में लगातार धनात्मक रही है और कुछ वर्षों में तो सराहनोय स्तर तक ऊंची रही है।

2. पिछले 10 वर्षों में बिहार में चालू कृषि-आधारित कारखानों की वृद्धि दर 16.4 प्रतिशत थी जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर मात्र 3.3 प्रतिशत थी।

3. बिहार में अनिगमित कृषीतर उद्यमों का प्रदर्शन खास तौर पर प्रभावी रहा है। स्वश्रम उद्यमों का प्रति श्रमिक सकल मूल्यवर्धन 71 हजार रु. था जो संपूर्ण भारत के औसत (46हजार रु.) से लगभग 54 प्रतिशत अधिक है। इसी प्रकार स्वश्रम उद्यमों का प्रति कारखाना सकल मूल्यवर्धन 94हजार रु. था और यह भी संपूर्ण भारत के औसत (88 हजार रु.) से 7 प्रतिशत अधिक है। स्वश्रम उद्यमों क सकल मूल्यवर्धन का स्थिर पूंजी के साथ अनुपात भी राष्टोय औसत से अधिक है।

4. वर्ष 2017-18 और 2018-19 में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में 742.54 करोड़ रु. का निवेश किया गया है जो 'उच्च प्राथमिकता क्षेत्र' के तहत वर्गीकृत सभी उद्योगों में सबसे अधिक है। राज्य में औद्योगीकरण को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं।

5. बिहार में अभी छः जिलों में 11 चीनी मिल काम कर रहे हैं। वर्ष 2018-19 में 810.17 लाख क्विंटल ईख की पेराई हुई और 84.02 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बीच राज्य में चीनी का उत्पादन 17.4 प्रतिशत बढ़ा है। साथ ही, चीनी प्राप्ति की दर भी 2017-18 के 9. 57 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 10.37 प्रतिशत हो गई।

6. वर्ष 2018-19 में कॉम्फेड में दो और सहकारी समितियां जुड़ी हैं - बिहार के सुपौल में दुग्ध संघ और झारखंड के बोकारो में बोकारो दुग्ध संघ। वर्ष 2018-19 में बिहार में संगठित समितियों की संख्या

2017-18 के 20,997 से 9.4 प्रतिशत बढ़कर 22,971 हो गई। वर्ष के दौरान सभी दुग्ध संघों का दैनिक दूध संग्रहण 18.7 प्रतिशत बढ़ा है।

7. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के लक्षित लाभार्थियों की संख्या 2017-18 के 2850 से 52 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में 4348 हो गई। वर्ष 2018-19 में वित्तीय आबंटन भी 93 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 के 5653 लाख रु. से 10,869 लाख रु. हो गया।

8. राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में पर्यटन विभाग के लिए उदारतापूर्वक धनराशि आबंटित की है, और इस अवधि में बजट के प्रतिशत के बतौर व्यय का स्तर भी काफी ऊंचा रहा है। वर्ष 2018-19 में पर्यटन विभाग ने 45.67 करोड़ रु. व्यय की अनेक परियोजनाओं की शुरुआत की है।

अध्याय 5 : श्रम, नियोजन एवं प्रवास

1. ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए श्रमिक सहभागिता दर 64.0 प्रतिशत थी जो संपूर्ण भारत के औसत से लगभग 8 प्रतिशत अंक कम थी। ग्रामीण बिहार में महिलाओं के लिए श्रमिक सहभागिता दर अत्यंत कम - मात्र 3.9 प्रतिशत थी। वर्ष 2017-18 में बिहार में 55.9 प्रतिशत पुरुष स्वनियोजित थे। बिहार में अनियमित श्रमिकों का हिस्सा 32.1 प्रतिशत था जो संपूर्ण भारत के स्तर (24.3 प्रतिशत) से काफी अधिक है।

2. बिहार में कामकाजी पुरुषों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख उद्योग थे - कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट (44.6 प्रतिशत), निर्माण (17.1 प्रतिशत), थोक और खुदरा व्यापार, वाहनों की मरम्मत (12.3 प्रतिशत), तथाविनिर्माण (9.3 प्रतिशत)। वहीं, महिला श्रमिकों के लिए रोजगार देने वाले मुख्य उद्योग कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट (53.6 प्रतिशत) और शिक्षा (25.7 प्रतिशत) थे।

3. वर्ष 2011 में बिहार में 75 प्रतिशत प्रवास विवाह के कारण हुआ जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर इसका आंकड़ा 46 प्रतिशत है। कुल प्रवास में से 2.9 प्रतिशत ही काम/ रोजगार और व्यवसाय के कारण हुआ। काम, रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रवास करने वाले कुल लोगों में 76 पतिशत पुरुष थे।

4. वर्ष 2015-16 से 2018-19 के बीच पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जारी पासपोर्ट की औसत संख्या तीन लाख प्रति वर्ष से भी अधिक है। सर्वाधिक 348.3 हजार आवेदन 2018-19 में प्राप्त हुए जबकि सर्वाधिक 357.6 हजार पासपोर्ट 2015-16 में जारी किए गए थे।

5. पिछले पांच वर्षों में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (रूसेटी) ने 1,38,104 प्रत्याशियों को प्रशिक्षित किया जिनमें से 62,618 (45 प्रतिशत) पुरुष थे और 75,457 (54 प्रतिशत) महिलाएं जबकि 1 प्रतिशत से भी कम तृतीयलिंगी थे। कुल प्रशिक्षित प्रत्याशियों में से 74 प्रतिशत को विभिन्न आर्थिक कार्यों में लाभप्रद रोजगार मिल गया। विभिन्न योजनाओं के अंग के बतौर वित्तीय संस्थाओं ने 26 प्रतिशत प्रत्याशियों के लिए वित्तीयन किया।

6. बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 का क्रियान्वयन बिहार के सभी जिलों में किया गया था। मुआबजे की रकम इस प्रकार थी - मृत्यु के लिए 1.00 लाख रु., स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 75 हजार रु. और स्थायी आंशिक विकलांगता के लिए 37.50 हजार रु.।

अध्याय 6 : अधिसंरचना

1. गत दशक में बिहार में भौतिक अधिसंरचना को काफी मजबूत किया गया। वर्ष 2011-12 से 2018-19 के बीच परिवहन क्षेत्र की वृद्धि दर 11.0 प्रतिशत थी। वर्ष 2011-12 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवहन क्षेत्र का योगदान 11,236 करोड़ रु. था जो 2018-19 में 24,692 करोड़ रु. हो गया। इसका मुख्य कारण भारी सार्वजनिक निवेश ह जो 2012-13 के 5988 करोड़ रु. से तिगुने से भी अधिक होकर 2019-20 में 18,677 करोड़ रु. हो गया।

2. पथ सुरक्षा के उपायों के क्रियान्वयन ने सुनिश्चित किया है कि 2018 में बिहार (9.3) प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटनाओं की संख्या देश के सभी प्रमुख राज्यों के बीच सबसे कम थी।

3. वर्ष 2008 से 2017 के बीच अतिरिक्त सड़क निर्माण (1,30,799 किमी) के लिहाज से बिहार का देश में छठा स्थान था। बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई विगत वर्षों के दौरान क्रमश: बढ़ती गई है और 2013-17 के बीच इसका विस्तार पूर्व की अपेक्षा अधिक था। राज्य सरकार ने राज्य उच्चपथ निर्माण के लिए प्रचुर रकम खर्च की है।

4. राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण सड़कों पर निवेश 2012-13 के 1874 करोड़ रु. से बढ़कर 2019-20 में 10,476 करोड़ रु. पहुंच गया। कुल पक्की सड़कों का हिस्सा 2015 में सिर्फ 35 प्रतिशत था लेकिन 2019 में उनका हिस्सा बढ़कर 75 प्रतिशत हो गया। पक्की ग्रामीण सड़कों की लंबाई 2015 के 48,794 किमी से बढ़कर 2019 में 92,204 किमी हो गई।

5. चूंकि राज्य में अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है इसलिए दोपहियों का निबंधन अन्य वाहनों की अपेक्षा काफी तेज गति से हो रहा है। दोपहियों के अलावा 2018-19 निबंधित वाहनों की वृद्धि के शीर्ष तीन वाहक हैं - ट्रक (20.5 प्रतिशत), कार (19.0 प्रतिशत) और ट्रेलर (12.1 प्रतिशत)।

6. वर्ष 2013-19 की अवधि में निबंधित मोटरवाहनों की संख्या 17.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। वर्ष 2018-19 में कुल 11.89 लाख वाहनों का निबंधन हुआ जिनकी संख्या 2013-14 में मात्र 5.53 लाख थी। राज्य में मोटरवाहन अधिनियम के तहत कर संग्रहण के जरिए संग्रहित कुल राजस्व 2013-14 के 835 करोड़ रु. से लगभग 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2018-19 मं 2067 करोड़ रु. हो गया है।

7. भवन निर्माण पर व्यय में 2008-09 से 2018-19 के बीच 34 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज हुई है। पथ, पुल, परिवहन और भवन निर्माण क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपनी परियोजनाओं का कुशलता से प्रबंधन कर रहे हैं और उन्हें समय से पूरा करके काम में मुनाफा अर्जित कर रहे हैं।

8. रेलवे लाखों यात्रियों और बड़ी मात्रा में सामानों के लिए परिवहन का किफायती माध्यम है। प्रति लाख आबादी पर उपलब्ध रेलमार्ग के मामले में 2017 में देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार का तीसरा स्थान था।

9. बिहार में वायु परिवहन क्षेत्र में तेज (35.6 प्रतिशत) वार्षिक वृद्धि हुई है क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के 31 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 252 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2018-19 में 40.61 लाख यात्रियों ने वायुयात्रा की जबकि 2017-18 में उनकी संख्या 31.11 लाख थी।

10. विगत वर्षों के दौरान बिहार और अन्य राज्यों में दूरसंचार के क्षेत्र में जबर्दस्त वृद्धि दर्ज हुई है और दूरभाष घनत्व तेजी से बढ़ता गया है। अभी बिहार में ग्रामीण दूरभाष घनत्व के लिहाज से 46 कनेक्शन प्रति 100 व्यक्ति है। वहीं, राज्य में शहरी दूरभाष घनत्व 149 कनेक्शन प्रति 100 व्यक्ति है।

11. मार्च 2018 तक बिहार में कुल 9084 डाकघर मौजूद थे जिनमें से 8625 (94.9 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 459 (5.1 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में। व्यापक डाक नेटवर्क के जरिए अनेक वित्तोय सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिहार में डाकघर बैंक के 272 लाख खाताधारी हैं जिनका पूरे देश में 7.3 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार में डाकघर बैंकों में कुल बकाया शेष 92,810 करोड़ रु. था जो संपर्ण भारत का 15.5 प्रतिशत है।

अध्याय 7 : ऊर्जा क्षेत्र

1. राज्य में बिजली की अनुमानित चरम मांग में काफी सुधार हुआ है जो 2012-13 के 2650 मेगावाट से 2018-19 में 5,300 मेगावाट हो गई है; अर्थात पिछले छः वर्षों में यह लगभग 100 प्रतिशत बढ़ी है। वहीं मांग की चरम पूर्ति में लगभग 185 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो 2012-13 के 1802 मेगावाट से बढ़कर 2018-19 में 5139 मेगावाट हो गई।

2. वर्ष 2012-13 तक राज्य में लगभग 32 प्रतिशत की सर्वोच्च कमी (पीक डेफिसिट) रहतो थी जोकाफी घटकर 2018-19 मेंलगभग 3 प्रतिशत रह गई। बिजली की औसत उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 6-8 घंटे से बढ़कर 20-22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 10-12 घंटे से बढ़कर 22-24 घंटे हो गई। इसके चलते राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 के 145 किलोवाट-आवर से बढ़कर 2018-19 में 311 किलोवाट-आवर हा गई जो छः वर्षों में 114 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

3. राज्य के सभी इच्छुक परिवारों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगले चरण में डीजल से चलने वाले खेती वाले सभी पंपसेटों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बिजली कनेक्शन देने का काम मिशन मोड मं चलाया जा रहा है और इसे मार्च 2020 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है।

4. वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग लगभग 6900 मेगावाट और ऊर्जा की वार्षिक मांग 3984.1 करोड़ यूनिट होना अनुमानित है। वर्ष 2018 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 3889 मेगावाट थी जा 22.6 प्रतिशत बढ़कर 2019 में 4767 मेगावाट हो गई। बिजली की बढ़ी हुई मांग को पूरी करने के लिए राज्य सरकार 2021-22 तक विभिन्न स्रोतों से 5335 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना पहले ही बना चुकी है। वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 10,102 मेगावाट हो जाने की आशा है, जिसमें से 6421 मेगावाट (63.6 प्रतिशत) पारंपरिक बिजली होगी और शेष 3681 मेगावाट (36.4 प्रतिशत) अपारंपरिक।

5. वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. और इसकी अनुषंगी कंपनियों - बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) और बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) के लिए धनराशि का आबंटन 3663.49 करोड़ रु. था जो 2018-19 में बढ़कर 6185.63 करोड़ रु. हो गया।

6. बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद (केंद्रीय वितरण जनित ह्रास को छोड़कर) चार वर्षों में लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 के 2167.7 करोड़ यूनिट से 2018-19 में 2811.2 करोड़ यूनिट हो गई। बिजली की बिक्री बढ़ने के साथ राजस्व संग्रहण भी बढ़ा है। वर्ष 2017-18 में लागत वसूली लगभग 80 प्रतिशत थी जो 2018-19 में 86 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है।

7. मार्च 2019 तक राज्य में कुल 4767 मेगावाट विद्युत उत्पादन की क्षमता थी। इसमें से 82 प्रतिशत कोयला आधारित तापविद्युत से, 11 प्रतिशत जलविद्युत से और शेष 7 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से उपलब्ध थी। स्वामित्व के लिहाज से देखें तो सर्वाधिक 86 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय क्षेत्र का, 13 प्रतिशत निजी क्षेत्र/ स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का और 1 प्रतिशत राजकीय क्षेत्र का था।

8. नवीकरणीय ऊर्जा वाली विद्युत परियोजनाओं के उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) नामक अभिकरण बनाया है। यह अभिकरण राज्य में बिजली उत्पादन के लिए अपारंपरिक स्रोतों के उपयोग वाली परियोजनाओं के क्रियान्वयन में लगा है। ब्रेडा द्वारा बिहार में अनेक ऊर्जा दक्षता योजनाएं भी चलाई जाती हैं।

अध्याय 8 : ग्रामीण विकास

1. हाल के वर्षों में जीविका को अपनी उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए राष्टोय और अंतर्राष्टोय स्तर पर सम्मान मिला है। जीविका द्वारा लगभग 84,88,964 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया। स्वयं सहायता समूहों को 55,628 ग्राम संगठनों (वीओ) और 925 संकुल स्तरीय संघों (सीएलएफ) में संघबद्ध किया गया है। परियोजना 2018-19 तक 8169 करोड़ रु. के बैंक ऋण दिला पाई है।

2. राज्य सरकार ने अगस्त 2018 से 'सतत जीविकोपार्जन योजना' नामक एक नई योजना शुरू की है। तीन वर्षों में 840 करोड़ रु. बजट परिव्यय के साथ जीविका को इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल अभिकरण बनाया गया है। इस योजना का मकसद अप्रील 2016 में शराबबंदी लाग् होने के पहले देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्री के काम में पारंपरिक रूप से लगे परिवारों सहित अति गरीब परिवारों को आमदनी वाली टिकाऊ परिसंपत्तियां उपलब्ध कराना है।

3. मार्च 2019 तक कुल 2.2 लाख युवक-युवतियों को प्रशिक्षित किया गया और 2.5 लाख युवक-युवतियों को परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण (पीआइए) या ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूसेटी) के जरिए अथवा जीविका द्वारा आयोजित रोजगार मेलों के जरिए काम में लगाया गया।

4. वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बीच जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या 148 लाख से बढ़कर 155 लाख हो गई। रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या भी लगभग 32 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 के 22 लाख से 2018-19 में 29 लाख हो गई। वहीं, सृजित रोजगारों के दिन 2014-15 के 352 लाख व्यक्ति-दिवस से साढ़े-तीनगुने होकर 2018-19 में 1234 लाख व्यक्ति-दिवस पहुंच गए।

5. बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण आवास के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है क्योंकि राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है। इस योजना के तहत धनराशि का उपयोग 2015-16 में 38.2 प्रतिशत था जो 2017-18 में 41.2 प्रतिशत हो गया।

6. जन वितरण प्रणाली के तहत गेहूं का कुल आबंटन 2014-15 के 4914.9 हजार टन से बढ़कर 2018-19 में 5220.2 हजार टन हो गया। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच चावल का आबंटन 183 हजार टन और गेहूं का आबंटन 122 हजार टन बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार खाद्यान्नों के आबंटन का पूरा उपयोग करती रही है।

7. वर्ष 2018-19 में पंचायती राज संस्थाओं का कुल व्यय लगभग 780 करोड़ रु. था जो 2014-15 की अपेक्षा 527 करोड़ रु. अधिक था। लेकिन 2018-19 में ग्राम पंचायत के स्तर पर व्यय में गत वर्ष की अपेक्षा कमी आई ह। इस अवधि में पंचायत समिति के स्तर पर व्यय में थोड़ी (1.10 करोड़ रु. की) वृद्धि दिखी। वर्ष 2018-19 में पंचायत समिति के स्तर पर व्यय 27.70 करोड़ रु. था।

8. अभियान बसेरा के तहत योजना के पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए 2014 में एक सर्वेक्षण किया गया था। उसमें विभिन्न तबकों के 1,11,080 परिवारों की पहचान की गई थी और 2017-18 तक 66,396 परिवारों को वांछित बासगीत जमीन उपलब्ध करा दी गई थी जो सभी लक्षित परिवारों का 59.7 प्रतिशत है। अभी विभिन्न सामाजिक तबकों के लिए योजना का आच्छादन इस प्रकार है - अति पिछड़ी जातियां 53.0 प्रतिशत, अनुसूचित जातियां 50.8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियां 55.5 प्रतिशत और महादलित 62.6 प्रतिशत।

अध्याय 9 : नगर विकास

1. बिहार में शहरीकरण की दर संपूर्ण भारत के स्तर की तुलना में काफी कम है। बिहार के जिलों में भी शहरीकरण की दर में काफी विषमता है। एक छोर पर पटना जिला है जहां शहरीकरण की दर 43.1 प्रतिशत है, तो दूसरी छोर पर बांका में यह मात्र 3.5 प्रतिशत है।

2. शहरी केंद्रों में सुख-सुविधाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार ने 'हर घर नल का जल' और 'घर तक पक्की गली नालियां' जैसी विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। पक्की नलीगली योजना के तहत 2019-20 तक 3,65,490 मकान आच्छादित होंगे जिनमें से 3,57,217 मकान अब तक आच्छादित हो चुके हैं।

3. नगर विकास एवं आवास पर राज्य सरकार का बजट आबंटन 2011-12 में मात्र 2079 करोड़ रु. था जो 52 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 3151 करोड़ रु. हो गया। साथ ही, नगर विकास एवं आवास पर राज्य सरकार का वास्तविक व्यय भी 2011-12 के 1395 करोड़ रु. से छः वर्षों में 131 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 3227 करोड़ रु. हो गया।

4. राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत 2018-19 में गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या 2017-18 के 2185 से बढ़कर 5640 हो गई है। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों क सदस्यों की कुल संख्या भी 2017-18 के 21,850 से बढ़कर 2018-19 में 56,402 हो गई। चक्रानुसारी

कोष (रिवॉल्विंग फंड) प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या भी 2017-18 के 1260 से बढ़कर 2018-19 में 2622 हो गई है।

5. हाल में कुल 13,366 कराड़ व्यय वाली पटना मेट्रो रेल परियोजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कुल 31.39 किमी लंबाई वाले दोनो कॉरीडोर (पूर्वी-पश्चिमी कॉरीडोर और उत्तरी-दक्षिणी कॉरीडोर)के निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा पटना मेट्रो रेल निगम लिमिटेड का गठनकिया गया है।

अध्याय 10 : बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र

1. बिहार में बैंकिंग अधिसंरचना ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में अधिक तेज गति से बढ़ी है। सभी प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की राज्य में सर्वाधिक उपस्थिति है। लेकिन देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में उनकी उपस्थिति की तुलना करने पर दिखता है कि अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का अपेक्षाकृत कम आच्छादन है, और बिहार में उनकी शाखाओं में कर्मचारी भी तुलनात्मक रूप से कम हैं।

2. वर्ष 2019 में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं में बिहार का 4.9 प्रतिशत हिस्सा रहा है और इस लिहाज से यह देश में 10वें स्थान पर है। यह हिस्सा 2015 और 2019 में लगभग बराबर रहा है। देश की कुल आबादी में बिहार के हिस्से (8.6 प्रतिशत) के साथ इस हिस्से की तुलना करने पर दिखता है कि बिहार की बैंक शाखाएं राष्ट्रीय औसत से अधिक आबादी को सेवा दे रही हैं।

3. राज्य में 2018-19 में खुली 221 नई शाखाओं में से 42 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खुलीं और 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में। हाल के वर्षों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा खोली जाने वाली शाखाओं की संख्या में काफी गिरावट दिखी है। भारत में बैंकिंग सेवा प्रदाता के बतौर लघुवित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की शुरुआत के साथ बिहार में भी उनकी उपस्थिति दिखी और उनकी क्रमश: 107 और 38 नई शाखाएं खुलीं। बैंकिंग क्षेत्र में उनकी शुरुआत के तीन वर्षों के अंदर राज्य में उनकी 234 शाखाएं हो गई हैं।

4. वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बीच बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि 36,148 करोड़ रु. बढ़ी है। इसी अवधि में राज्य में उनके द्वारा दी गई ऋण राशि 18,776 करोड़ रु. बढ़ी है जो गत वर्ष से 18.5 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2018-19 में देश की कुल जमा राशि में बिहार का हिस्सा 2.8 प्रतिशत और दिए गए ऋण में हिस्सा 1.2 प्रतिशत रहा है। देश की जनसंख्या में बिहार के हिस्से की तुलना करने पर अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि और उनके द्वारा दी गई ऋण राशि में राज्य का हिस्सा काफी कम रहा है।

5. वर्ष 2018-19 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 2017-18 के 32.0 प्रतिशत से बढ़कर 34.0 प्रतिशत हो गया। यह आंध्र प्रदेश के 121.8 प्रतिशत, महाराष्ट्र के 106.5 प्रतिशत और तमिलनाडु के 109.7 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात से बहुत कम है। प्रमुख राज्यों में से झारखंड और

हिमाचल प्रदेश का ऋण-जमा अनुपात ही बिहार से कम है। संपूर्ण भारत के स्तर पर भी ऋण-जमा अनुपात 2017-18 के 75.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 78.2 प्रतिशत हो गया।

6. सितंबर 2019 के अंत में 16 जिलों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के ऋण-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम थे।बैंक समूहों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात विगत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है जबकि भारतोय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में कमी का रुझान दिखा है।

7. राज्य में वार्षिक ऋण योजना के तहत समग्र उपलब्धि 2017-18 के 90.8 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 84.3 प्रतिशत रह गई। योजना के तहत बिना प्राथमिकता वाले क्षेत्र की उपलब्धि प्राथमिकता वाले क्षेत्र से अधिक रही है। वर्ष 2018-19 में बिना प्राथमिकता वाले क्षेत्र की उपलब्धि 91.0 प्रतिशत थी जबकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र की 81.6 प्रतिशत। विगत वर्षों के दौरान वार्षिक ऋण योजना में दोनो ही क्षेत्रों की उपलब्धि घटी है। गिरावट प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अधिक थी जो 2017-18 के 86.5 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 81.6 प्रतिशत रह गई।

8. राज्य में वार्षिक ऋण योजना के तहत कृषि क्षेत्र में कुल ऋण प्रवाह 2018-19 में 41,798 करोड़ रु. था जो गत वर्ष के 42,161 करोड़ रु. से थोड़ा कम है। वार्षिक ऋण योजना के तहत कृषि क्षेत्र के लिए कुल लक्ष्य 2018-19 में 60,000 करोड़ रु. था जो 2017-18 के 49,000 करोड़ रु. से अधिक था। लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए तय लक्ष्य का उपलब्धि प्रतिशत 2017-18 के 86.0 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 70.7 प्रतिशत रह गया। बिहार में कृषि क्षेत्र में ऋण का लक्ष्य हासिल करने के मामले में बैंकों के बीच व्यावसायिक बैंकों का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

9. वर्ष 2018-19 में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल 2.19 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक 1.55 लाख कार्ड व्यावसायिक बैंकों द्वारा और उसके बाद 62.3 हजार कार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए थे जबकि केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 2.0 हजार कार्ड जारी किए गए थे। हालांकि विगत वर्षों के दौरान 2017-18 तक हर साल 15.00 लाख कार्ड जारी करने के लक्ष्य किया जाता था लेकिन उपलब्धि का प्रतिशत लगातार गिरता गया था। नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लक्ष्य को 2018-19 में संशोधित करके 10.00 लाख कर दिया गया था लेकिन तब भी इस वर्ष 21.9 प्रतिशत उपलब्धि ही हासिल की जा सकी।

10. मार्च 2019 तक बिहार में सभी बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां 10.9 प्रतिशत थीं। मार्च 2019 में बिहार के बैंकों के बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनिषादित परिसंपत्तियां सर्वाधिक 25.2 प्रतिशत थीं जो मार्च 2018 के 27.5 प्रतिशत से कम है। मार्च 2019 में सहकारी बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां भी मार्च 2018 के 9.7 प्रतिशत से घटकर 7.2 प्रतिशत रह गईं। लेकिन मार्च 2019 में व्यावसायिक बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां गत वर्ष के 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गईं।

11. मार्च 2019 तक अनिष्पादित परिसंपत्तियों का सर्वाधिक 19.1 प्रतिशत स्तर कृषि क्षेत्र में था जो मार्च 2018 के 17.1 प्रतिशत से अधिक है। वहीं, मार्च 2019 में अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर मार्च 2018 के 13.9 प्रतिशत से घटकर 12.8 प्रतिशत रह गया। मार्च 2019 में

प्राथमिकता-विहीन क्षेत्र में भी अनिष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर घटा और मार्च 2018 के 2.1 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत रह गया।

12. बिहार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2018-19 में 7458.00 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किए गए थे जो 4170.45 करोड़ रु. के लक्ष्य से अधिक थे। दिए गए ऋणों में सर्वाधिक 47 प्रतिशत हिस्सा किशोर, 30 प्रतिशत शिशु और 23 प्रतिशत तरुण ऋणों का था। इस योजना के लिए उपलब्धि की दर शिशु के लिए 217.1 प्रतिशत, किशोर के लिए 208.3 प्रतिशत और तरुण के लिए 118.6 प्रतिशत थी।

तालिका 11 : मानव विकास

1. बिहार में 2011-12 से 2018-19 के बीच प्रति व्यक्ति विकास व्यय (पीसीडीई) में 14.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि हुई है जबकि राष्ट्रीय औसत 13.3 प्रतिशत ही रही है। राज्य में शिक्षा पर व्यय 13.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है और यह भी संपूर्ण भारत के औसत (12.8 प्रतिशत) से अधिक है। स्वास्थ्य पर व्यय में भी 20.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई और यह भी संपूर्ण भारत के औसत से अधिक थी। रकम के रूप में देखें, तो बिहार में शिक्षा पर व्यय 2011-12 में 10,124 करोड़ रु. था जो 2018-19 में बढ़कर 28,080 करोड़ रु. हो गया। इसी तरह, स्वास्थ्य पर व्यय भी 2011-12 के 2125 करोड़ रु. से 2018-19 में 7318 करोड़ रु. हो गया।

2. बिहार में 2013-17 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों के लिए 69.2 और महिलाओं के लिए 68.6 वर्ष रही है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 2006-10 की तुलना में पुरुषों के लिए 3.7 वर्षों की और महिलाओं के लिए 2.4 वर्षों की वृद्धि हुई है। वहीं, 2006-10 की अपेक्षा 2013-17 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 4.5 वर्ष बढ़ी है। यहां गौरतलब है कि इन 7 वर्षों में भारत और बिहार के बीच जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के मामले में फासला 2006-10 में 0.3 वर्ष था जो 2013-17 में घटकर 0.1 वर्ष रह गया है।

3. वर्ष 2014-15 और 2018-19 के बीच संस्थागत प्रसवों की संख्या 14.94 लाख से 7.2 प्रतिशत बढ़कर 16.02 लाख हो गई। मिशन इंद्रधनुष के तहत बिहार के लिए प्रतिरक्षण का आच्छादन 41 प्रतिशत अंक बढ़ा और 2015-16 के 62 प्रतिशत से 2017-18 में 103 प्रतिशत हो गया।

4. राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत लगाए गए चापाकलों में 2015-16 तक इसमें लगातार प्रगति हुई जब 26.7 हजार चापाकल लगाए गए थे। उसके बाद हाल के वर्षों में इसमें गिरावट आई है। वर्ष 2018-19 में पानी की गुणवत्ता की समस्याओं के मामले में आच्छादन की बात करें, तो इसमें 2018-19 में उल्लेखनीय प्रगति हुई जब मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत 20,290 से अधिक वार्डों में पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आइएचएचएल) के निर्माण के मामले में काफी उपलब्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2018-19 में कुल 61.4 लाख बने व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों में से 23.9 लाख (38.9 प्रतिशत) गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए हैं और 37.5 लाख (61.1 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए।

5. राज्य की साक्षरता दर में 14.8 प्रतिशत अंकों का सुधार हुआ जो 2001 क 47.0 प्रतिशत से काफी सुधरकर 2011 में 61.8 प्रतिशत हो गई। गौरतलब है कि यह वृद्धि बिहार में 1961 से हुई सारी दशकीय वृद्धि दरों से ही अधिक नहीं है, 2001 से 2011 के दशक में सारे राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है।

6. प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन 2012-13 के 154.51 लाख से बढ़कर 2017-18 में 160.08 लाख हो गया। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में 4.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2012-13 के 60.36 लाख से 2017-18 में 75.76 लाख हो गया। प्राथमिक स्तर पर छीजन दर में 2012-13 (31.7 प्रतिशत) से 2017-18 (16.2 प्रतिशत) तक 15.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह गिरावट 6.9 प्रतिशत अंकों की थी।

7. 18 से 23 वर्ष उम्र की 1.18 करोड़ युवा आबादी होने के कारण बिहार के लिए उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर पैदा करना जरूरी है। अभी राज्य में 879 महाविद्यालय और 33 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं जिनमें से 28 पारंपरिक विश्वविद्यालय, 4 प्राइवेट विश्वविद्यालय और एक मुक्त विश्वविद्यालय हैं। राज्य में 15 शोध संस्थान भी मौजूद हैं। राज्य में 34 अभियंत्रण महाविद्यालय और 54 पॉलीटेकनीक संस्थान भी हैं।

8. मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत 2019-20 में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा विद्यार्थियों के लिए 105.00 करोड़ रु. और अजजा विद्यार्थियों के लिए 16.36 करोड़ रु. आबंटित किए गए। उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा/अजजा विद्यार्थियों के लिए 63.40 करोड़ रु. का आबंटन किया गया।अभी राज्य सरकार द्वारा अजा विद्यार्थियों के लिए 65 और अजजा विद्यार्थियों के लिए 20 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं।

9. मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत 2018-19 में 55,942 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए शिक्षा विभाग को 55.94 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2019-20 में 60,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 60.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार, प्रवेशिका-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत अभी तक 1359.20 करोड़ रु. के व्यय से 1.25 करोड़ विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

10. मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनुदान योजना के तहत उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अल्पसंख्यक छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1000 रु. नगद अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2018-19 में इसके लिए 1.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था जिसमें से 8186 विद्यार्थियों के बीच कुल 81.86 लाख रु. वितरित किए गए।

अध्याय 12 : बाल विकास

1. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 39 प्रतिशत आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र वाले लोगों की है जबकि बिहार में उनका 48 प्रतिशत हिस्सा है। देश के बच्चों की कुल आबादी का 11 प्रतिशत हिस्सा बिहार में रहता है। राज्य के कुल 4.98 करोड़ बच्चे हैं जिनमें से 47.4 प्रतिशत (2.36 करोड़) हिस्सा लड़कियों का है और 52.6 प्रतिशत (2.62 करोड़) लड़कों का।

2. वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में बाल लिंग अनुपात का स्तर संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंचा है। बाल लिंग अनुपात 0-6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों में 935 लड़कियां प्रति 1000

लड़के, 0–14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों में 923 लड़कियां प्रति 1000 लड़के और 0–18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों में 897 लड़कियां प्रति 1000 लडके थे। बल लिंग अनुपात अनुसूचित जाति में 962 और अनुसूचित जनजाति में 969 था जो राज्य के औसत (935) से अधिक था।

3. बिहार में बाल बजट की शुरुआत 2013–14 में हुई जिसमें बाल कल्याण से संबंधित सभी योजनाओं के विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं। वर्ष 2013–14 से 2018–19 के बीच बच्चों के विकास पर व्यय 23.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। इसो अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय 2013–14 के 1225 रु. से बढ़कर 2018–19 में 3727 रु. हो गया। राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत है जिसमें साल–दर–साल कुछ अंतर रहा है।

4. समेकित बाल विकास सेवा मुख्यत: सेवा–आधारित कार्यक्रम है और उसकी सफलता के लिए स्टाफ की मौजूदगी अत्यंत महत्वपूर्ण है। सभी 1.07 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना 0 से 6 वर्ष तक उम्र समूह के 1.91 करोड़ बच्चों और 60.3 लाख गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए की गई है। वर्ष 2013–14 की अपेक्षा 2018–19 में आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या बढ़ी है।

5. पेयजल की सुविधा वाले प्रारंभिक विद्यालयों का हिस्सा 2011–12 के 93.0 प्रतिशत से बढ़कर 2016–17 में 99.0 प्रतिशत हो गई थी। लड़कों के लिए शौचालय सुविधा वाले विद्यालयों का हिस्सा 2011–12 के 70.3 प्रतिशत से बढ़कर 2016–17 में 97.8 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, लड़कियों के लिए शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत भी काफी बढ़ा जो 2011–12 के 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 2016–17 में 94.0 प्रतिशत हो गया।

6. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में साक्षरता दर 61.8 प्रतिशत थी। हालांकि बिहार में महिला साक्षरता दर अभी भी महज 51.5 प्रतिशत है जो पुरुष साक्षरता दर (71.2 प्रतिशत) से काफी पीछे है। विद्यालय–त्यागी बच्चों की कुल संख्या 2016–17 में 2.17 लाख थी जो राज्य सरकार के कोंद्रित दृष्टिकोण के फलस्वरूप 2018–19 में घटकर 1.44 रह गई।इनमें से 29.4 प्रतिशत अजा, 13.8 प्रतिशत अल्पसंख्यक और मात्र 3.0 प्रतिशत अजजा बच्चे थे।

7. विपदाग्रस्त, परित्यक्त और अनाथ बच्चों के सहयांग और पुनर्वास के लिए राज्य के विभिन्न जिलों में 33 बाल गृह चल रहे हैं। इन 33 बाल गृहों में से 22 लड़कों के लिए हैं और 11 लड़कियों के लिए। अभी तक विभिन्न बाल गृहों में कुल 6540 बच्चों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

अध्याय 13 : पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

1. वर्ष 2018–19 में बिहार मे औसत 780 मिमी वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ। किशनगंज में सर्वाधिक 1522 मिमी वार्षिक वर्षापात हुआ और सबसे कम 403 मिमी जहानाबाद जिले में देखा गया।

2. बिहार में भूजल के दोहन की वार्षिक मात्रा लगभग 29 अरब घनमीटर अनुमानित है जबकि धरती के अंदर वर्ष 2017-18 में कुल 31.4 अरब घनमीटर पानी पहुंचता है। बिहार में जमीन के अंदर से पानी निकालने की दर 45.8 प्रतिशत है जो संपूर्ण भारत के 63.3 प्रतिशत से कम है।

3. बिहार में कोई 285 नमभूमियां हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 3992 हे. है जो 2019 में राज्य के कुल दर्ज वन क्षेत्र का लगभग 0.6 प्रतिशत है।

4. वर्ष 2019 में कुल वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन मिलाकर 9309 वर्ग किमी हो जाता है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.9 प्रतिशत है। राज्य की 2018 की कृषिवानिकी नीति में परितंत्र को संरक्षित और स्थिर करना, जलवायु के अनुकूल फसल प्रणाली को प्रोत्साहन, और कृषिवानिकी के विस्तार के जरिए ग्रामीण परिवारों का रोजगार बढ़ाने की बात सोची गई है।

5. विभाग के राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है जो 11.0 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धिदर से बढ़ते हुए 2014-15 के 16.10 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 24.13 करोड़ रु. हो गया।

6. जल-जीवन-हरियाली राज्य सरकार की प्रमुख योजना है जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण से संबंधित समस्याओं से निपटना है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 2019-20 से 2021-22 तक कुल अनुमानित व्यय 24,524 करोड़ रु. है। वर्ष 2019-20, 2010-21 और 2021-22 के लिए व्यय क्रमश: 5870 करोड़ रु., 9874 करोड़ रु. और 8780 करोड़ रु. अनुमानित है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के प्रशासनिक शीर्ष के तहत अनुमानित व्यय 2019-20 में 6.19 करोड़ रु., 2020-21 में 8.42 करोड़ रु. और 2021-22 में 8.78 करोड़ रु. है।

7. बिहार के खेतों में फसलों के अवशेषों को जलाना चिंता की बात है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि फसलों के अवशेषों को जलाते पाए जाने वाले किसानों को तीन वर्षों के लिए वित्तोय सहायता से वंचित कर दिया जाएगा।

8. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अनुमान के अनुसार पटना में 2016-18 की अवधि में ध्वनि प्रदूषण के स्तरों में कमी का रुझान है। शहर में ध्वनि प्रदूषण में कमी के लिए राज्य सरकार हॉर्न बजाने के खिलाफ जागरूकता अभियान को बढ़ावा दे रही है।

9. वाल्मीकि बाघ शरणस्थल राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में 893.73 वर्ग किमी अवस्थित है जो भारतीय बाघ प्रजाति (पैंथेरा टाइग्रिस) का निवास स्थल है। राष्टोय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार बिहार में बाघों की संख्या 2010 के 8 से बढ़कर 2018 में 31 हो गई है। इसो प्रकार, भागलपुर में गंगा में अवस्थित विक्रमशिला गांगेय डॉल्फीन अभयारण्य गांगेय डॉल्फीन (सूंस), ताजा पानी की मछलियों और कछुओं का निवास स्थान है।

10. वर्ष 2019-20 के खरीफ मौसम में नदियों में बाढ़ आने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार राज्य में 5 लाख हे. से अधिक क्षेत्र में फसल नहीं लगाई जा सकी।

अध्याय 14 : ई-शासन

1. बिहार को ई-शासन के क्षेत्र में आठ प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं। ई-शासन का मकसद सामान्य सेवा प्रदान केंद्रों के जरिए सभी सरकारी सेवाओं को आम आदमी के लिए उनके अपने क्षेत्र में उपलब्ध कराना है। इससे आम आदमी की बुनियादी जरूरतें पूरी करने के लिए किफायती खर्च पर ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में कुशलता, पारदर्शिता, और विश्वसनीयता सुनिश्चित होती है।

2. ई-शासन में सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की व्यापक भागीदारी के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल होता है। राज्य में बिस्वान, सेक्लैन, राज्य आंकड़ा केंद्र (एसडीसी), सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी), वाइफाइ परियोजनाओं, आधार, भारत नेट आदि के क्रियान्वयन और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों के विस्तार के जरिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अधिसंरचना को मजबूत किया गया है।

3. राजगिर (नालंदा) में आइटी सिटी, पटना में आइटी टावर और आइटी पार्क, दरभंगा, भागलपुर और पटना में सॉफ्टवेयर पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआइ), बिहटा, बक्सर तथा मुजफ्फरपुर में राष्ट्रीय इलक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट) और मेडिकल इलक्ट्रॉनिक्स के लिए बिहटा स्थित पटना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) में इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना का काम या तो पूरा हो चुका है या प्रगति पर है।

4. कानून और शासन बहुत जटिल मामला होता है और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सीसीटीएन, साइबर सिक्योरिटी, ई-प्रीजन, सीसीटीवी और वीडिया कंफ्रेंसिंग, बिहार पुलिस हेल्पलाइन, ई-कोर्ट, बाल श्रम टकिंग प्रणाली, ई-म्युनिसीपैलिटी बिहार, ई-ऑफिस आदि के जरिए कानून एवं व्यवस्था के प्रवर्तन और राज्य में शांत वातावरण बनाने में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

5. लोक वित्त प्रबंधन में बजट निर्माण, बजट क्रियान्वयन, लेखाकरण, रिपोर्टिंग, बाहरी जांच और लेखापरीक्षा का चक्र शामिल होता है। इसी के लिए राज्य राज्य सरकार ने 2019 में लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) का क्रियान्वयन किया है। सीएफएमएस की शुरुआत सभी विभागों, कोषागारों, जिला विकास कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी कार्यालयों को जोड़कर की गई है। इससे प्राप्ति, व्यय, ऋण और निवेश, तथा अर्थोपाय अग्रिम की तत्काल जानकारी मिल जाती है जिससे कार्यालय आधारित और खास अभिकरण के बारे में नीतिगत निर्णय में मदद मिलती है।

6. राज्य सरकार के लगभग सभी विभागों द्वारा ई-शसन के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जैसे, ई-लाभार्थी से सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नि:शक्तता भत्ता और पोशाक और पठन सामग्री के लिए भुगतान, छात्रवृत्ति की रकम आदि प्रदान की जाती है। ये सेवाएं शिक्षा, समाज कल्याण, अजा/अजजा कल्याण, पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण आदि विभागों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही हैं। सेवा प्रदान कार्यक्रमों के अलावा, नागरिकों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में सशक्तीकरण के लिए ई-सेवा से उन्हें अनेक हकदारी आधारित शक्तियां भी उपलब्ध कराई गई हैं।

7. आपूर्ति शृंखला के सुगम और रिसावमुक्त प्रबंधन के लिए जीपीएस, एसएमएस एलर्ट के जरिए की गई डेलीवरी को ट्रैक करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल विकसित किया गया है। परियोजना प्रबंधन इकाई द्वारा लाभार्थियों के शिकायत निवारण के लिए भी एक सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल विकसित किया गया है।

8. प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए धान के मामले में खरीद संबंधी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है और निबंधित किसानों को आरटीजीएस/ नेफ्ट के जरिए 48 घंटे के अंदर भुगतान विमुक्त कर दिया जा रहा है।

9. ई-शासन आपदाओं के पहले और आपदाओं की प्रतिक्रियास्वरूप, दोनो स्थितियों में आपदा से संबंधित सेवाएं देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जल संसाधन विभाग की योजना के क्रियान्वयन के जरिए एलर्ट के माध्यम से नागरिकों को आपदा संबंधी चेतावनी भेजकर कि वे खुद को आपदा के संबंध में तैयार रखें, आपदा संबंधी जागरूकता सुनिश्चित की जा रही है। राज्य सरकार अनुश्रवण प्रणाली, बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल, नदी व्यवहार विश्लेषण मॉडल, तटबंध संपदा प्रबंधन प्रणाली, वास्तविक समय में आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली, गणितीय मॉडलिंग केंद्र, अनुकृपा अनुदान और तत्काल सहायता आदि के लिए भी सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयाग कर रही है।

10. राज्य सरकार ने पारदर्शी बिडिंग (बोली लगाने) और सार्वजनिक खरीद, तथा भौतिक अधिसंरचना परियोजनाओं के अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए भी अनेक ई-शासन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करती रही है। बिहार में ई-शासन में जमीन के रिकॉर्ड का डिजिटाइज और अपडेट करना, कौशल विकास और रोजगार प्रोत्साहन, उत्पादकता वृद्धि में सहायता आदि भी शामिल हैं। राज्य सरकार जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के बारे में भी चिंतित है और वन प्रबंधन सूचना प्रणाली से संबंधित अनेक सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

अध्याय - 1

बिहार की अर्थव्यवस्था : एक अवलोकन

हमें तभी याद किया जाएगा जब हम अगली पीढ़ी को आर्थिक समृद्धि और सभ्यता की विरासत से बना समृद्ध और सुरक्षित भारत देंगे।

— ए.पी.जे. अब्दुल कलाम

सारांश

पिछले एक दशक में बिहार में आर्थिक और सामाजिक दोनो क्षेत्रों में लगातार विकास हुआ है। राज्य सरकार के प्रयासों के कारण यह विकास न केवल मजबूत बलकि समावेशी भी रहा है। जिससे विशेष रूप से गरीब परिवारों को लाभ हुआ है। पिछले तीन वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से तेज रही है और बिहार का वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) 2018-19 में 10.5 प्रतिशत बढ़ा है। इस वृद्धि में तृतीयक क्षेत्र की मुख्य भूमिका रही है जिसकी वृद्धि दर 13.3 प्रतिशत थी। विभिन्न क्षेत्रों की वृद्धि दरों में भिन्नता रहने के कारण अर्थव्यवस्था में ढांचागत परिवर्तन भी हुआ है - सकल राज्य घरेलू उत्पाद में प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा घटा है और तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा बढ़ा है। निष्कर्ष रूप में, हाल के वर्षों में बिहार में समग्र मुद्रास्फीति दर और ग्रामीण मुद्रास्फीति दर संपूर्ण भारत की मुद्रास्फीति दरों से काफी नीचे रही हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था के विकास का यह प्रदर्शन हाल के वर्षों में राज्य सरकार द्वारा उच्च विकासमूलक व्यय के कारण संभव हो सका है।

वित्तोय संसाधनों की सीमित उपलब्धता के बावजूद बिहार में गत दशक में लगातार सामाजिक-आर्थिक विकास दिखा है। राज्य में नीतियों का जोर इस बात पर रहा है कि सरकारी कार्यक्रमों के लाभ समाज में हर किसी तक पहुंचें। यह राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में हुई आर्थिक और सामाजिक, दोनो प्रकार की उपलब्धियों से स्पष्ट है। अभी तक हुआ विकास बढ़े विकास व्यय सहित राज्य सरकार की विभिन्न नीतिगत पहलकदमियों का परिणाम है।

विकास प्रक्रिया को बल देने के लिए राज्य सरकार 'सात निश्चयों' पर काम कर रही है जिनमें युवाओं का कल्याण, महिलाओं का विकास, सभी घरों को बिजली की आपूर्ति, स्वच्छ पेयजल, सड़क संपर्क, शौचालय सुविधा, और उच्चतर तकनीकी शिक्षा की उपलब्धता शामिल हैं। उच्च आर्थिक विकास दर हासिल करने के प्रयासों के अतिरिक्त राज्य सरकार ने 2019-20 में शुरू किए गए अपने महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'जल जीवन हरियाली अभियान' के जरिए पर्यावरण संबंधी चुनौतियों के समाधान पर भी ध्यान केंद्रित किया है। यह राज्य सरकार की ऐसी पहल है जिसमें दीर्घस्थायी विकास के अनुरूप नीति निर्माण को फोकस किया गया है। बिहार में इस योजना पर वर्तमान वित्तवर्ष से शुरू करके तीन वर्षों में 24,524 करोड़ रु. व्यय का बजट बनाया गया है। बिहार के वास्तविक सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) की वृद्धि दर 2018-19 में 10.5 प्रतिशत थी जो देश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर से अधिक है। राज्य ने अपनी वित्तव्यवस्था का प्रबंध विवेकपूर्ण ढंग से किया है और बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) अधिनियम, 2006 के संकल्पों का

पालन किया है। अपने संसाधनों से राजस्व सृजन में सुधार करने की सीमाओं के बावजूद राज्य विगत दशक में अच्छा-खासा राजस्व अधिशेष रख सका था जिसने सार्वजनिक निवेश के लिए कुछ राजकोषीय गुंजाइश उपलब्ध कराई। बिहार की अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति और नीतिगत पहलकदमियों तथा उनके प्रभावों पर वर्तमान आर्थिक सर्वेक्षण के विभिन्न अध्यायों में चर्चा की गई है। इस अध्याय में समग्र अर्थव्यवस्था का अवलोकन प्रस्तुत किया गया है।

1.1 राज्य की सामाजिक-आर्थिक विवरणी

बिहार सघन आबादी वाला राज्य है। यहां 2011 में प्रति वर्ग किमी औसतन 1106 लोग रह रहे थे जो देश के औसत जनसंख्या घनत्व (382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) का लगभग तिगुना है। आने वाले वर्षों में जनसंख्या घनत्व और भी बढने की आशा की जा सकती है। वर्ष 2011 में बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी जबकि देश की जनसंख्या 121.06 करोड़ थी। वर्ष 2001 और 2011 की जनगणना के आंकड़ों का उपयोग करके जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक इकाइयों की संख्या तालिका 1.1 में प्रस्तुत की गई ह। इन दोनो जनगणनाओं के बीच जन्मकालीन लिंग अनुपात और बाल लिंग अनुपात बिहार और भारत, दोनो में घटे हैं। राज्य की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और 2011 में राज्य में शहरीकरण मात्र 11.3 प्रतिशत था। हालांकि राज्य के सतत सामाजिक-आर्थिक विकास के साथ अगली जनगणना में इन अनुपातों में सुधार होने की आशा है।

तालिका 1.1 : भारत और बिहार की जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक ढांचा (2001 और 2011)

		जनसंख्या (करोड़)			लिंग अनुपात	जन्मकालीन लिंग अनुपात 2013-15	जन्मकालीन लिंग अनुपात 2014-16	बाल लिंग अनुपात
		कुल	ग्रामीण	शहरी	(महिला प्रति हजार पुरुष)			
बिहार	2001	8.29	7.43	0.87	919	916	908	942
	2011	10.41	9.23	1.18	918			935
भारत	2001	102.87	74.25	28.61	933	900	898	927
	2011	121.06	83.37	37.71	943			919

		घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	शहरीकरण (%)	दशकीय वृद्धि दर (%)	प्रशासनिक ढांचा			
					जिलों की संख्या	विकास प्रखंडों की संख्या	(वैधानिक/जनगणना) शहरों की संख्या	गांवों की संख्या
बिहार	2001	880	10.5	28.6	37	533	130	45098
	2011	1106	11.3	25.1	38	534	199	39073
भारत	2001	325	27.8	21.5	593	5463	5161	638596
	2011	382	31.2	17.6	640	5924	7935	597369

स्रोत : भारत की जनगणना, 2001 और 2011

तेंदुलकर समिति की प्रविधि काउपयोग करने पर बिहार में गरीबी अनुपात ग्रामीण क्षेत्रों में34.1 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 31.2 प्रतिशत था। समग्र गरीबी अनुपात 33.7 प्रतिशत था (तालिका 1.2)। ये गरीबी अनपात संपूर्ण

भारत के स्तर से काफी अधिक हैं। 2004-05 और 2011-12 के गरीबी अनुपातों में अंतर के बतौर मापी गई गरीबी में कमी की गति बिहार में संपूर्ण भारत के स्तर से अधिक थी। साथ ही यह भी देखा गया कि बिहार के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी अनुपात में 21.6 प्रतिशत अंकों की कमी आई जो शहरी क्षेत्रों में हुई 12.5 प्रतिशत अंकों की कमी से अधिक है। लेकिन बिहार के गरीबी अनुपात और संपूर्ण भारत के औसत गरीबी अनुपात के बीच शहरी क्षेत्रों के मामले में 17.5 प्रतिशत अंकों का अंतर है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 8.4 प्रतिशत अंकों का ही अंतर है।

तालिका 1.2 : बिहार और भारत में गरीबी अनुपात (1993-94, 1999-00, 2004-05 और 2011-12)

क्षेत्र		1993-94	1999-00	2004-05	2011-12	गरीबी अनुपात में 2004-05 और 2011-12के बीच कमी
बिहार	ग्रामीण	58.2	44.3	55.7	34.1	21.6
	शहरी	34.5	32.9	43.7	31.2	12.5
	संयुक्त	55.0	42.6	54.4	33.7	20.7
भारत	ग्रामीण	37.3	27.1	41.8	25.7	16.1
	शहरी	32.1	23.6	25.7	13.7	12.0
	संयुक्त	36.0	26.1	37.2	21.9	15.3
मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)						
बिहार	ग्रामीण	–	–	433	778	–
	शहरी	–	–	526	923	–
भारत	ग्रामीण	–	–	447	816	–
	शहरी	–	–	579	1000	–

स्रोत : योजना आयोग, भारत सरकार

1.2 बिहार की अर्थव्यवस्था की वृद्धि

विगत तीन वर्षों में संपूर्ण देश की अपेक्षा बिहार की अर्थव्यवस्था में तेज वृद्धि दर दर्ज हुई है (चार्ट 1.1)।पिछले दो वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की अनुमानित वृद्धि दरघटी है जबकि बिहार में इस दौरान दो अंकों में वृद्धि दर दर्ज हुई है। तालिका 1.3 में 2012-13 से 2018-19 तक की अवधि में बिहार और भारत की अर्थव्यवस्था की क्षेत्रगत वृद्धि दरों की तुलना की गई है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में बिहार की अर्थव्यवस्था में भारतीय अर्थव्यवस्था की अपेक्षा उच्च वृद्धि दर दर्ज हुई जिसका मुख्य कारण राज्य में तृतीयक क्षेत्र में अधिक वृद्धि दर है। दो अन्य क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम दर से वृद्धि हुई है।

तालिका 1.3 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर भारत और बिहार के प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत वृद्धि दर (20112-13 से 2018-19)

वर्ष	प्राथमिक		द्वितीयक		तृतीयक	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार
2012-13	1.4	9.6	3.6	-13.2	8.3	7.4
2013-14	4.8	-10.8	4.2	27.8	7.7	3.8
2014-15	1.2	-1.6	6.7	11.9	9.8	2.5
2015-16	2.1	4.3	9.5	0.1	9.4	9.1
2016-17	6.8	10.0	7.5	14.3	8.4	7.0
2017-18	5.0	6.4	6.0	4.7	8.1	13.1
2018-19	2.7	0.6	7.5	6.3	7.5	13.3

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार

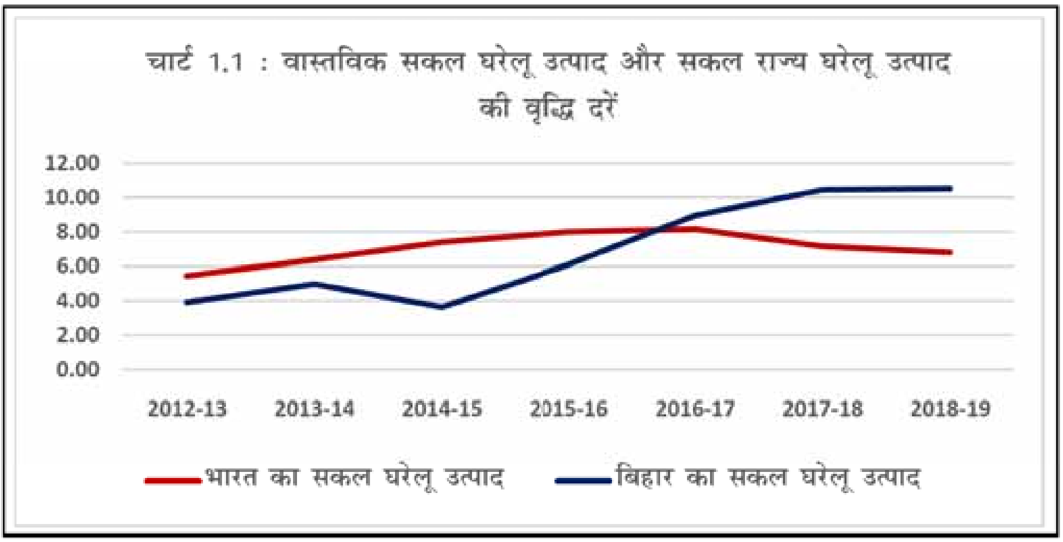

बिहार के सूक्ष्मार्थिक सूचकों से संबंधित विभिन्न आंकड़े इस अध्याय के अंत में परिशिष्ट में प्रस्तुत हैं। भारत सरकार के केंद्रीय सांख्यिकी संगठन से प्राप्त त्वरित अनुमानों के अनुसार 2018-19 में वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 5,57,490 करोड़ रु. था। वहीं 2011-12 के स्थिर मूल्य पर 2018-19 में राज्य के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आंकड़ा 3,94,350 करोड़ रु. था। इसी प्रकार, 2018-19 में राज्य में निवल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 5,13,881 करोड़ रु. और स्थिर मूल्य पर 3,59,030 करोड़ रु. था। फलत: 2018-19 में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्तमान मूल्य पर 47,541 रु. और स्थिर मूल्य पर 33,629 रु. था। तालिका प 1.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में 2004-05 के आधार वर्ष के साथ 2004-05 से 2014-15 तक के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद के समय शृंखला के आंकड़े प्रस्तुत हैं। वहीं, सांख्यिकीय परिशिष्ट की तालिका प 1.2 से प 1.5 तक वर्तमान मूल्य और 2011-12 के स्थिर मूल्य, दोनो पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पद का 2011-12 से 2018-19 तक का क्षेत्रवार ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।

प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

स्थिर मूल्य पर विभिन्न राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद तालिका 1.4 में प्रस्तुत हैं। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 2011-12 के 21,750 रु. से बढ़कर 2018-19 में 30,617 रु. हो गई। बहरहाल बिहार की प्रति व्यक्ति आय देश के राज्यों के बीच सबसे कम है और 2018-19 में यह राष्टोय औसत (92,565 रु.) का मात्र 33.1 प्रतिशत थी। अत: राज्य को अपनी आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि के लिए अतिरिक्त आवेग की जरूरत है ताकि यह प्रति व्यक्ति आय के राष्टोय औसत के समकक्ष पहुंच सके। राज्य और देश के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद का पैटर्न चाट 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4 : 2011-12 के मूल्य पर प्रमुख राज्यों के प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2018-19)

राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	69000	68865	72254	79174	88609	97086	106864	117261
बिहार	**21750**	**22201**	**22776**	**23223**	**24064**	**25825**	**28101**	**30617**
छत्तीसगढ़	55177	56777	61409	61122	61504	65948	68543	71429
गुजरात	87481	96683	102589	111370	120683	131281	144090	अनु.
हरियाणा	106085	111780	119791	125032	137748	148193	157649	168209
झारखंड	41254	44176	43779	48781	44524	48826	54246	57157
कर्नाटक	90269	94382	101864	105703	116819	131260	142943	154809
केरल	97912	103551	107846	112444	120387	129256	136364	अनु.
मध्य प्रदेश	38551	41287	42778	44336	47763	53253	55677	58706
महाराष्ट्र	99564	103904	109399	114746	122422	132899	141152	अनु.
ओडिशा	48370	50714	54109	54210	57592	66240	69864	74927
पंजाब	85577	88915	93238	95807	100141	105848	110834	116222
राजस्थान	57192	58441	61053	64496	68565	71076	74453	78785
तमिलनाडु	92984	96890	101559	106189	114581	121378	129328	138805
उत्तर प्रदेश	32002	32908	34044	34583	36923	38965	41082	43102
पश्चिम बंगाल	51543	53157	53811	54520	57255	60618	65497	73202
भारत	**63462**	**65538**	**68572**	**72805**	**77659**	**82931**	**87623**	**92565**
बिहार की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय के प्रतिशत में	**34.3**	**33.9**	**33.2**	**31.9**	**31.0**	**31.1**	**32.1**	**33.1**

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारत सरकार

चार्ट 1.2 : 2011-12 के मूल्य पर प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद

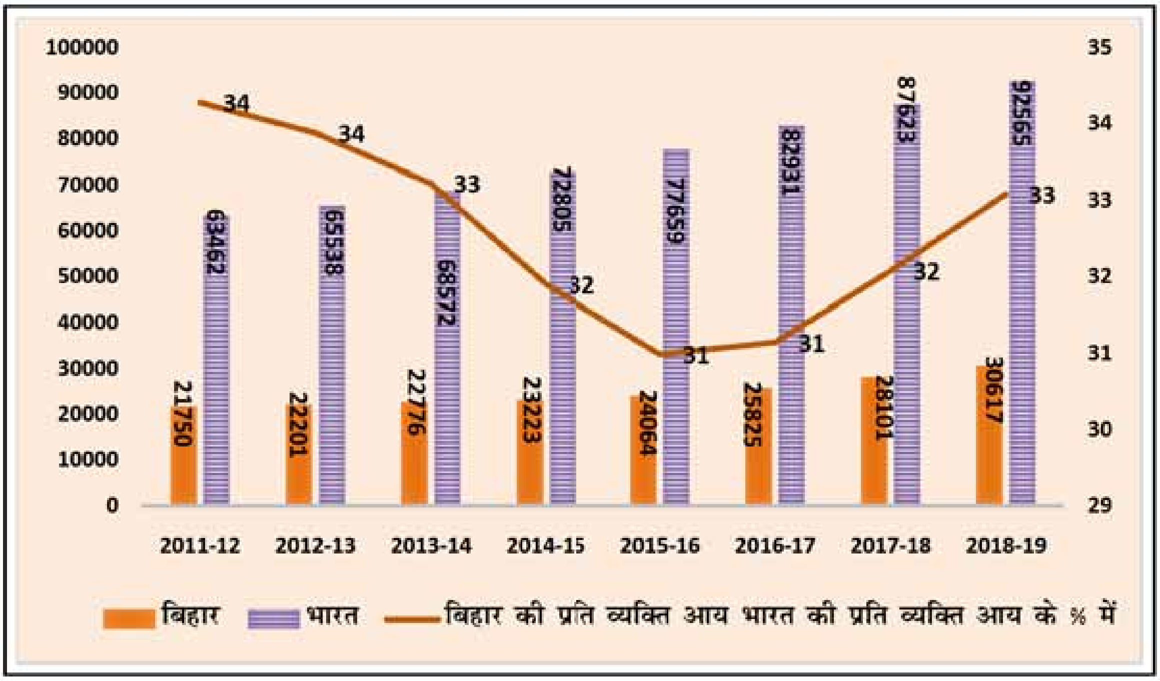

क्षेत्रवार विकास दरें

तालिका 1.5 में बिहार की अर्थव्यवस्था की 2016-17, 2017-18 (अनंतिम अनुमान) और 2018-19 (त्वरित अनुमान) में क्षेत्रवार वृद्धि दरें प्रस्तुत हैं। बिहारमें पिछले दो वर्षों में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की समग्र वृद्धि दर दो अंकों में होने का अनुमान था। राज्य में तेज वृद्धि का कारण मुख्यत: अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र में वृद्धि है जिसकी दर 2017-18 में 13.10 प्रतिशत और 2018-19 में 13.30 प्रतिशत थी। उप-क्षेत्रों के बीच वायु परिवहन में 2018-19 में 36 प्रतिशत वृद्धि दिखी। इन दोनो वर्षों में द्वितीयक क्षेत्र क्रमश: 4.73 प्रतिशत और 6.29 प्रतिशत की दर से बढ़े। प्राथमिक क्षेत्र में विकास का आवेग 2018-19 में कमजोर हो गया और वृद्धि दर मात्र 0.63 प्रतिशत रही। कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की मुख्य घटक हैं और राज्य की आबादी का बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर है। लेकिन 2018-19 में कृषि में अनुमानित वृद्धि दर 2017-18 के 4.88 प्रतिशत से घटकर नकारात्मक (-3.87 प्रतिशत) हो गई। वहीं, 2018-19 में द्वितीयक क्षेत्र में विनिर्माण 3.02 प्रतिशत को दर से बढ़ा और निर्माण 9.44 प्रतिशत की दर से। इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि बिहार की अर्थव्यवस्था में वृद्धि तृतीयक क्षेत्र के कारण हुई है। प्राथमिक क्षेत्र में विकास की अप्रयुक्त संभावनाओं के उपयोग से राज्य को आने वाले वर्षों में अधिक वृद्धि दर हासिल करने में मदद मिलेगी।

तालिका 1.5 : सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत वृद्धि दर (2016-17 और 2018-19)

क्र. सं.	क्षेत्र	2016-17		2017-18(त्वरित)		2018-19(अनंतिम)	
		वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य	वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य	वर्तमान मूल्य	स्थिर मूल्य
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	16.9	11.0	12.7	6.7	6.5	0.6
1.1	फसल	17.9	11.9	8.7	4.9	4.0	-3.9
1.2	पशुधन	14.0	7.8	20.6	9.9	12.4	8.4
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	32.8	27.1	6.8	2.5	7.3	4.9
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	5.8	0.5	23.0	15.5	3.1	2.4
2.	खनन एवंउत्खनन	-6.2	-24.6	2.8	-12.0	14.2	2.7
	प्राथमिक	**16.2**	**10.0**	**12.5**	**6.4**	**6.7**	**0.6**
3.	विनिर्माण	25.4	25.6	5.8	1.3	5.1	3.0
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	-5.6	8.3	-1.6	12.0	5.2	5.3
5.	निर्माण	8.5	6.0	13.3	7.0	14.6	9.4
	द्वितीयक	**14.2**	**14.3**	**9.0**	**4.7**	**9.9**	**6.3**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	13.8	10.1	14.2	10.7	22.5	17.0
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	14.0	10.3	14.4	10.9	23.1	17.6
6.2	होटल एवं जलपानगृह	9.4	5.8	11.4	8.1	12.0	5.8
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	7.5	3.2	8.2	7.5	14.0	8.8
7.1	रेलवे	3.0	-13.3	1.1	20.1	1.8	2.1
7.2	पथ परिवहन	14.7	11.6	16.1	12.7	20.4	14.0
7.3	जल परिवहन	60.8	56.5	-5.1	-7.9	-1.8	-5.4
7.4	वायु परिवहन	21.4	18.2	28.2	24.4	44.0	36.0
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	17.8	14.6	14.5	11.0	12.7	6.8
7.6	भंडारण	6.9	4.2	17.4	13.8	8.6	3.8
7.7	संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं	-3.1	-4.3	-4.3	-7.0	5.6	1.2
8.	वित्तीय सेवाएं	1.7	2.0	22.5	13.8	22.5	13.8
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	5.2	3.6	7.2	5.1	6.9	4.9
10.	लोक प्रशासन	10.4	7.3	34.9	33.5	11.1	8.2
11.	अन्य सेवाएं	15.1	10.7	24.8	20.3	23.3	20.0
	तृतीयक	**10.5**	**7.0**	**16.5**	**13.1**	**18.0**	**13.3**
12.	**आधार मूल्य पर कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए)**	**12.5**	**9.1**	**14.2**	**9.9**	**13.9**	**9.2**
13.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**13.6**	**8.9**	**14.8**	**10.5**	**15.0**	**10.5**

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

बिहार में 2018-19 के दौरान निम्नलिखित क्षेत्रों ने दोहरे अंक की वृद्धि दर्ज की है और साथ ही सतत मूल्य पर बिहार के समग्र आर्थिक विकास की दिशा में योगदान दिया है। वायु परिवहन (36.0 प्रतिशत),अन्य सेवाएं (20. 0 प्रतिशत) व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं (17.6 प्रतिशत), पथ परिवहन (14.0 प्रतिशत)और वित्तिय सेवाएं (13.8 प्रतिशत) ।

1.3 बिहार अर्थव्यवस्था की ढांचागत संरचना

बिहार की अर्थव्यवस्था में 2017-18 में तीन व्यापक क्षेत्रों (प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक) का क्षेत्रवार योगदान चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का हिस्सा क्रमशः 21.3 प्रतिशत,19.7 प्रतिशत और 59.0 प्रतिशत था। वर्ष 2011-12 स 2018-19 के बीच बिहार की अर्थव्यवस्था की क्षेत्रवार संरचना बदली है। ऐसा मुख्यतः प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा तृतीयक क्षेत्र की ओर शिफ्ट होने के कारण हुआ है। द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा लगभग अपरिवर्तित रहा है (चार्ट 1.4)। प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2011-12 के 25.8 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 19.7 प्रतिशत रह गया जबकि तृतीयक क्षेत्र का हिस्सा 55.5 प्रतिशत से बढ़कर 61.2 प्रतिशत हो गया। वहीं, द्वितीयक क्षेत्र का हिस्सा 2011-12 में 18.8 प्रतिशत था जो बहुत मामूली बढ़कर 2018-19 में 19.1 प्रतिशत हो गया।

चार्ट 1.3 : मूल मूल्यों पर 2017-18 के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में क्षेत्रों का प्रतिशत में योगदान

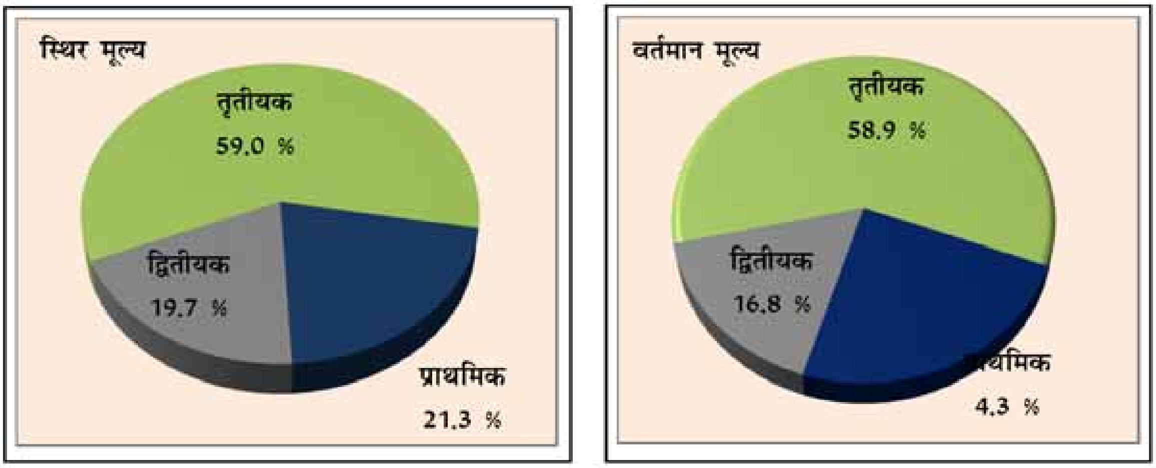

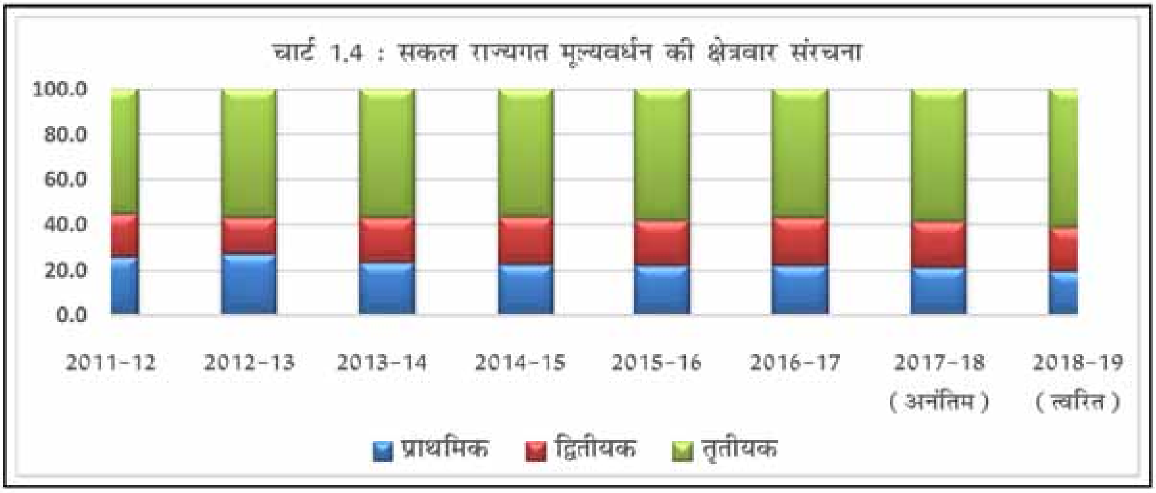

चार्ट 1.4 : सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रवार संरचना

बिहार की अर्थव्यवस्था के सभी उप-क्षेत्रों को ध्यान में रखकर 2012-13 से 2018-19 तक की क्षेत्रवार संरचना तालिका 1.6 में प्रस्तुत है। फसल और पशुधन राज्य में प्राथमिक क्षेत्र में मुख्य योगदाता हैं। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में पशुधन का हिस्सा 5.6 प्रतिशत पर लगभग अपरिवर्तित रहा है जबकि फसलों का हिस्सा 18.9 प्रतिशत से घटकर 10.6 प्रतिशत रह गया है। इसके कारण पूरे प्राथमिक क्षेत्र के हिस्से में गिरावट आई है जो

27.1 प्रतिशत से घटकर 19.7 प्रतिशत रह गया है। द्वितीयक क्षेत्र के अंदर निर्माण और विनिर्माण सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में मुख्य योगदाता हैंइनका 2018-19 में क्रमश: 9.5 प्रतिशत और 8.2 प्रतिशत हिस्सा था जो गत पांच वर्षों में लगभग अपरिवर्तित रहा है। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के बीच द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 19 से 20 प्रतिशत के बीच रहा है। वहीं, 2018-19 में तृतीयक क्षेत्र में मुख्य योगदाता व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं (18. 2 प्रतिशत), स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं (9.1 प्रतिशत), पथ परिवहन (5.4 प्रतिशत), और वित्तोय सेवाएं (4.3 प्रतिशत) हैं। बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं को छोड़कर इन सारे घटकों का हिस्सा 2012-13 से 2018-19 के बीच बढ़ा है।

तालिका 1.6 : स्थिर (2011-12) मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन की क्षेत्रगत संरचना(2012-13 से 2018-19)

क्र. सं.	क्षेत्र	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अनंतिम)	2018-19 (त्वरित)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	27.0	22.8	22.0	21.2	21.6	21.0	19.3
1.1	फसल	18.9	14.2	13.1	12.3	12.7	12.1	10.6
1.2	पशुधन	5.0	5.4	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	1.7	1.7	1.6	1.5	1.8	1.7	1.6
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	1.5	1.6	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5
2.	खनन एवंउत्खनन	0.1	0.5	0.2	0.6	0.4	0.3	0.3
	प्राथमिक	**27.1**	**23.4**	**22.2**	**21.9**	**22.0**	**21.3**	**19.7**
3.	विनिर्माण	3.9	7.2	9.6	8.2	9.4	8.7	8.2
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	1.6	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5
5.	निर्माण	10.2	10.5	9.7	10.0	9.7	9.5	9.5
	द्वितीयक	**15.6**	**19.3**	**20.9**	**19.7**	**20.6**	**19.7**	**19.1**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	18.6	17.5	15.8	17.6	17.8	17.9	19.2
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	17.5	16.4	14.8	16.6	16.8	16.9	18.2
6.2	होटल एवं जलपानगृह	1.1	1.1	1.0	1.0	1.0	1.0	0.9
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	8.1	9.0	9.7	10.3	9.7	9.5	9.5
7.1	रेलवे	1.3	1.5	1.5	1.4	1.1	1.2	1.2
7.2	पथ परिवहन	4.0	4.4	4.7	4.9	5.0	5.1	5.4
7.3	जल परिवहन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.4	बायु परिवहन	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5
7.6	भंडारण	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7.7	संचार एवं प्रसारण संबंधी सेवाएं	2.3	2.6	2.9	3.4	3.0	2.5	2.3
8.	वित्तीय सेवाएं	3.8	3.9	4.3	4.3	4.0	4.2	4.3
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	11.4	11.4	11.4	10.5	10.0	9.5	9.1
10.	लोक प्रशासन	5.3	4.9	4.9	4.6	4.5	5.5	5.4
11.	अन्य सेवाएं	10.1	10.5	10.8	11.2	11.3	12.4	13.6
	तृतीयक	**57.2**	**57.3**	**56.9**	**58.5**	**57.3**	**59.0**	**61.2**
12.	**आधार मूल्य पर सकल राज्यगत मूल्यवर्धन का योग**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

1.4 जिलावार विषमता

बिहार में विभिन्न जिलों के बीज सामाजिक-आर्थिक विकास के लिहाज से काफी विषमता मौजूद है जो विभिन्न सूचकों से स्पष्ट है। विभिन्न पैरामीटर पर विस्तृत चर्चा आर्थिक सर्वेक्षण के अन्य अध्यायों में की गई है। बिहार में जिलों के लिए प्रति व्यक्ति आय का सबसे हाल का अनुमान 2011-12 से संबंधित है जो तालिका प 1.6 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। इन अनुमानों के आधार पर बिहार के तीन सर्वाधिक उन्नत जिले पटना, मुंगेर और बेगूसराय हैं। वहीं, आर्थिक रूप से सबसे प्रतिकूल स्थिति वाले जिले मधेपुरा, सुपौल और शिवहर हैं।

प्रति व्यक्ति आय के हाल के जिलावार आंकड़ों की अनुपस्थिति में विभिन्न जिलों में 'पेट्रॉलियम उत्पादों (पेट्रॉल, डीजल और रसाई गैस) की प्रति हजार व्यक्ति खपत' से जिला स्तर पर होने वाली आर्थिक गतिविधियों के स्तर का कुछ अंदाजा मिल सकता है। पेटॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत के 2014-15 से 2018-19 के बीच औसत खपत के साथ 2018-19 के आंकड़े तालिका प 1.7 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। साथ ही, तालिका में बिहार में तीनो पेट्रॉलियम उत्पादों (पेट्रॉल, डीजल और रसाई गैस) की होने वाली कुल खपत में हर जिले का हिस्सा भी प्रस्तुत किया गया है। इन पेट्रॉलियम उत्पादों की औसत प्रति व्यक्ति खपत से जिला स्तर पर आर्थिक गतिविधि के स्तर का और इस प्रकार जिलों के बीच विषमता का निर्णय किया जा सकता है। तीनो पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत के आधार पर सर्वाधिक समृद्ध और सबसे पिछड़े जिलों की सूची तालिका 1.7 में प्रस्तुत हैं। पेट्रॉलियम उत्पादों की प्रति हजार व्यक्ति खपत के आधार पर पटना, मुजफ्फरपुर औरगोपालगंज राज्य में अपेक्षाकृत समृद्ध जिले हैं। वहीं, इस सूची के सबसे पिछड़े जिले शिवहर, लखीसराय और बांका हैं।

तालिका 1.7 : बिहार के अपेक्षाकृत समृद्ध और पिछड़े जिले

मापदंड	जिले	
	तीन शीर्षस्थ जिले	तीन सबसे पीछे के जिले
पेट्रॉल	पटना, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज	शिवहर, लखीसराय, बांका
डीजल	पटना, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर	शिवहर, मधुबनी,बांका
एलपीजी	पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर	किशनगंज, अररिया, बांका
लघु बचत	पटना, सारण, बक्सर	अररिया, किशनगंज, खगरिया,

स्रोत : वित्त विभाग, भारत सरकार, बिहर सरकार ओर इंडियन आयल कॉर्पोरेशन

पेट्रॉलियम उत्पादों की खपत के अलावा, डाकघरों रखी गई लघु बचत की जमा राशियों से भी आर्थिक स्थिति में जिलावार विषमता का पता लगाया जा सकता है। इस सूचक के संबंध में सभी जिलों के आंकड़े तालिका प 1.8 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तालिका से स्पष्ट होता है कि प्रति व्यक्ति लघु बचत के लिहाज से पटना, सारण और बक्सर बिहार के सबसे समद्ध जिले हैं। दूसरी ओर इसके आधार पर अररिया, किशनगंज, और खगरिया आर्थिक लिहाज से सबसे प्रतिकूलता-ग्रस्त दिखते हैं। दोनो सूचकों के आधार पर जिलावार विषमता को देखें, तो दिखता है कि पटना और मुजफ्फरपुर बिहार के दो सर्वाधिक समृद्ध जिले हैं। इसी प्रकार, शिवहर और बांका बिहार के सबसे प्रतिकूलता-ग्रस्त जिले हैं।

1.5 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

हाल में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने मूल्य सूचकांक की नई शृंखला जारी की है जिसका आधार वर्ष 2011-12 है। इसशृंखला में थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआइ) और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआइ), दोनो शामिल हैं। थोक मूल्य सूचकांक सिर्फ भारत के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन सौभाग्यवश, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्टोय औसत के साथ-साथ सभी राज्यों के लिए भी उपलब्ध हैं। साथ ही, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों के लिए अलग-अलग अनुमान उपलब्ध हैं। तालिका 1.8 में अक्तूबर 2018से अक्तूबर 2019 के लिए सभी बड़े राज्यों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और उसके कारण होने वाली वार्षिक मुद्रास्फीति दर प्रस्तुत की गई है। गौरतलब है कि संयुक्त मुद्रास्फीति दर बिहार में सबसे कम1.25 प्रतिशत थी जबकि पूरे भारत के लिए 4.62 प्रतिशत थी। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिहार में मुद्रास्फीति दर 0.55 प्रतिशत दर थी और यह भी देश के राज्यों के बीच सबसे कम थी जबकि राष्टोय औसत 4.29 प्रतिशत था। इसके विपरीत, शहरी क्षेत्रों में बिहार में मुद्रास्फीति की 5.39 प्रतिशत दर राष्ट्रीय औसत (5.11 प्रतिशत) से अधिक थी। इसका आंशिक कारणहाल के वर्षों में बिहार के शहरी क्षेत्रों में अवस्थित तृतीयक क्षेत्र की उच्च वृद्धि दर हो सकता है।

तालिका 1.8 : उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों के लिए मुद्रास्फीति की राज्यवार वार्षिक दरें (आधार : 2012 = 100) (अक्तूबर, 2018 से अक्तूबर, 2019)

राज्य/ केंद्रशासित क्षेत्र का नाम	ग्रामीण			शहरी			संयुक्त		
	अक्तूबर 18 का सूचकांक (अंतिम)	अक्तूबर 19 का सूचकांक (अनंतिम)	मद्रस्फीति की दर (%)	अक्तूबर 18 का सूचकांक (अंतिम)	अक्तूबर 19 का सूचकांक (अनंतिम)	मद्रस्फीति की दर (%)	अक्तूबर 18 का सूचकांक (अंतिम)	अक्तूबर 19 का सूचकांक (अनंतिम)	मद्रस्फीति की दर (%)
आंध्र प्रदेश	138.5	144.8	4.55	139.4	147.1	5.52	138.8	145.6	4.90
बिहार	**145.5**	**146.3**	**0.55**	**137.4**	**144.8**	**5.39**	**144.3**	**146.1**	**1.25**
छत्तीसगढ़	144.2	145.2	0.69	139.7	145.5	4.15	142.5	145.3	1.96
गुजरात	142.4	144.6	1.54	132.9	140.9	6.02	137.0	142.5	4.01
हरियाणा	137.7	145.4	5.59	136.3	141.2	3.60	137.0	143.4	4.67
झारखंड	146.4	150.1	2.53	138.6	146.7	5.84	143.4	148.8	3.77
कर्नाटक	143.4	150.5	4.95	145.0	153.3	5.72	144.3	152.0	5.34
केरल	145.8	156.5	7.34	144.3	152.4	5.61	145.3	155.1	6.74
मध्य प्रदेश	135.8	145.6	7.22	140.4	145.5	3.63	137.7	145.6	5.74
महाराष्ट्र	143.5	147.9	3.07	134.9	142.0	5.26	137.8	144.0	4.50
ओडिशा	145.4	149.2	2.61	137.2	144.5	5.32	143.1	147.9	3.35
पंजाब	139.9	148.6	6.22	135.3	140.4	3.77	137.8	144.9	5.15
राजस्थान	140.4	149.7	6.62	140.9	147.3	4.54	140.6	148.8	5.83
तमिलनाडु	143.9	151.1	5.00	142.1	150.1	5.63	142.8	150.5	5.39
उत्तर प्रदेश	137.9	146.3	6.09	141.0	148.3	5.18	139.0	147.0	5.76
पश्चिम बंगाल	145.3	150.2	3.37	139.5	146.9	5.30	142.6	148.6	4.21
संपूर्ण भारत	**142.2**	**148.3**	**4.29**	**138.9**	**146.0**	**5.11**	**140.7**	**147.2**	**4.62**

स्रोत : भारतीय रिजर्व बैंक और श्रमिक ब्यूरो, भारत सरकार

चार्ट 1.5 : बिहार और भारत में मुद्रास्फीति की दर

परिशिष्ट

तालिका प 1.1 : बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद और निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2004-05 से 2018-19)

वर्ष	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)		निवल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)		प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)	
	वर्तमान मूल्य पर	स्थिर(2004-05) मूल्य पर	वर्तमान मूल्य पर	स्थिर(2004-05) मूल्य पर	वर्तमान मूल्य पर	स्थिर(2004-05) मूल्य पर
आधार वर्ष 2004-05						
2004-05	77781	77781	70167	70167	8773	8773
2005-06	82490	76466	74144	68419	9149	8481
2006-07	100737	88840	91331	80260	10994	9695
2007-08	113680	93774	102853	84415	12215	10076
2008-09	142279	107412	129690	97284	15060	11369
2009-10	162923	113158	148151	101938	16998	11806
2010-11	203555	130171	185745	117503	20944	13393
2011-12	243269	143560	222442	129521	24696	14574
2012-13	293616	158909	268902	143250	29425	15925
2013-14	343663	173409	315225	156671	34014	17163
2014-15	402283	189789	369576	171802	39341	18560
आधार वर्ष 2011-12						
2011-12	247144	247144	228497	228497	23525	23525
2012-13	282368	256851	261327	236933	26459	24068
2013-14	317101	269650	292143	246915	29251	24874
2014-15	342951	279482	315732	255739	31142	25379
2015-16	371602	296488	340119	269200	33218	26504
2016-17	422316	323004	388144	293471	37163	28424
2017-18(अनंतिम)	484740	356768	445942	324395	41992	30906
2018-19(त्वरित)	557490	394350	513881	359030	47541	33629

टिप्पणी : 2017-18 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2018-19 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.2 : वर्तमान मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद(2011-12 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अनंतिम)	2018-19 (त्वरित)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	62067	76700	73719	78632	84284	98546	111084	118315
1.1	फसल	42608	53365	45223	46222	48987	57760	62778	65272
1.2	पशुधन	12028	14811	18316	20621	22677	25862	31196	35055
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4187	4571	5010	5258	5824	7734	8264	8866
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	3244	3953	5170	6532	6795	7191	8846	9123
2.	खनन एवंउत्खनन	199	234	1508	851	2670	2505	2574	2941
	प्राथमिक	**62265**	**76934**	**75227**	**79483**	**86954**	**101052**	**113658**	**121256**
3.	विनिर्माण	14666	10351	21209	29978	25490	31962	33831	35540
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	3659	4422	3859	3313	5036	4755	4680	4923
5.	निर्माण	27017	27810	31848	32678	32515	35269	39974	45797
	द्वितीयक	**45341**	**42583**	**56916**	**65968**	**63040**	**71986**	**78485**	**86260**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	43904	51755	52051	53410	66060	75146	85810	105100
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	41109	48672	48735	49959	62213	70937	81120	99845
6.2	होटल एवं जलपानगृह	2796	3083	3316	3451	3846	4209	4690	5255
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	17545	21616	26850	31889	36465	39216	42413	48346
7.1	रेलवे	2751	3348	3957	4725	4784	4928	4983	5073
7.2	पथ परिवहन	8405	10697	13479	15723	17565	20153	23407	28186
7.3	जल परिवहन	49	26	17	21	22	36	34	34
7.4	वायु परिवहन	31	58	46	79	158	192	246	355
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	893	1120	1425	1666	1880	2213	2533	2855
7.6	भंडारण	74	84	85	93	100	107	126	137
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	5342	6282	7842	9582	11956	11587	11083	11706
8.	वित्तीय सेवाएं	8839	9774	11223	12188	13233	13459	16494	20213
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	28023	31217	34604	36675	36357	38260	41000	43843
10.	लोक प्रशासन	13587	14777	15768	17203	17676	19520	26336	29255
11.	अन्य सेवाएं	22193	28043	34046	38383	44370	51081	63763	78613
	तृतीयक	**134092**	**157182**	**174542**	**189748**	**214161**	**236684**	**275816**	**325369**
12.	**कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन**	**241698**	**276699**	**306685**	**335199**	**364155**	**409722**	**467960**	**532885**
13.	उत्पादों पर कर	17169	21185	26236	27007	34787	35291	42248	53184
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	15517	15820	19255	27340	22697	25468	28578
15.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**247144**	**282368**	**317101**	**342951**	**371602**	**422316**	**484740**	**557490**
16.	जनसंख्या (करोड़)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	11.5	11.7
17.	**प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**23525**	**26459**	**29251**	**31142**	**33218**	**37163**	**41992**	**47541**

टिप्पणी : 2017-18 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2018-19 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.3 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अनंतिम)	2018-19 (त्वरित)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	62067	68040	59516	59349	60735	67414	71963	72393
1.1	फसल	42608	47493	37107	35254	35330	39530	41458	39853
1.2	पशुधन	12028	12525	14008	15359	16281	17559	19298	20922
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4187	4253	4330	4218	4353	5533	5671	5948
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	3244	3768	4071	4518	4772	4793	5536	5670
2.	खनन एवंउत्खनन	199	216	1386	577	1789	1349	1188	1220
	प्राथमिक	**62265**	**68256**	**60902**	**59926**	**62524**	**68764**	**73150**	**73613**
3.	विनिर्माण	14666	9714	18893	25958	23384	29361	29734	30632
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	3659	4017	4128	4270	4272	4628	5182	5455
5.	निर्माण	27017	25608	27261	26019	28669	30396	32511	35579
	द्वितीयक	**45341**	**39339**	**50282**	**56247**	**56325**	**64384**	**67427**	**71666**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	43904	46729	45683	42626	50424	55501	61441	71876
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	41109	43945	42775	39877	47496	52404	58094	68336
6.2	होटल एवं जलपानगृह	2796	2784	2908	2749	2927	3096	3347	3541
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	17545	20372	23473	26054	29428	30358	32636	35498
7.1	रेलवे	2751	3346	3965	4092	4070	3529	4239	4328
7.2	पथ परिवहन	8405	9962	11373	12678	14006	15637	17617	20087
7.3	जल परिवहन	49	24	15	17	18	28	26	24
7.4	वायु परिवहन	31	54	38	64	126	149	185	252
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	893	1043	1202	1344	1499	1717	1906	2035
7.6	भंडारण	74	79	71	75	80	83	95	99
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	5342	5863	6808	7785	9629	9214	8568	8672
8.	वित्तीय सेवाएं	8839	9580	10273	11653	12258	12506	14236	16205
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	28023	28686	29819	30739	29991	31079	32658	34244
10.	लोक प्रशासन	13587	13350	12752	13171	13132	14097	18825	20364
11.	अन्य सेवाएं	22193	25297	27478	29002	32008	35419	42600	51119
	तृतीयक	**134092**	**144015**	**149478**	**153245**	**167240**	**178960**	**202397**	**229307**
12.	**कुल सकल राज्यगत मूल्यवर्धन**	**241698**	**251609**	**260662**	**269418**	**286090**	**312108**	**342974**	**374585**
13.	उत्पादों पर कर	17169	19588	22638	26793	30900	30532	34732	42722
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	14347	13650	16729	20501	19636	20937	22956
15.	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**247144**	**256851**	**269650**	**279482**	**296488**	**323004**	**356768**	**394350**
16.	जनसंख्या (करोड़)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	11.5	11.7
17.	**प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**23525**	**24068**	**24874**	**25379**	**26504**	**28424**	**30906**	**33629**

टिप्पणी : 2017-18 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2018-19 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.4 : वर्तमान मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अनंतिम)	2018-19 (त्वरित)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	57852	71802	67874	72063	77265	90993	102970	109178
1.1	फसल	39053	49248	40320	40687	42987	51233	55796	57410
1.2	पशुधन	11795	14525	17975	20253	22321	25482	30780	34586
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4141	4520	4953	5206	5770	7674	8192	8785
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	2862	3509	4625	5917	6187	6605	8201	8397
2.	खनन एवंउत्खनन	174	203	1291	724	2234	2104	2520	2879
	प्राथमिक	**58025**	**72005**	**69166**	**72786**	**79498**	**93097**	**105490**	**112058**
3.	विनिर्माण	12681	8450	19073	27523	23138	29501	31158	32531
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	2431	2892	2554	2145	3390	3167	3225	3284
5.	निर्माण	25764	26372	29909	30757	30582	33106	37432	42935
	द्वितीयक	**40876**	**37713**	**51536**	**60426**	**57110**	**65774**	**71815**	**78749**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	43256	50952	51087	52321	64039	72838	83101	102049
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	40564	47998	47926	49031	60445	68901	78717	97139
6.2	होटल एवं जलपानगृह	2692	2955	3161	3290	3594	3937	4384	4910
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	14845	18612	22530	26925	30841	32801	35095	40105
7.1	रेलवे	2022	2558	2996	3516	3432	3410	3327	3208
7.2	पथ परिवहन	7582	9771	12282	14474	16224	18492	21343	25862
7.3	जल परिवहन	44	20	10	13	14	25	23	21
7.4	वायु परिवहन	15	40	22	53	130	162	208	312
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	761	971	1233	1469	1645	1924	2197	2477
7.6	भंडारण	63	74	72	78	84	90	102	110
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	4359	5178	5916	7323	9312	8699	7894	8115
8.	वित्तीय सेवाएं	8700	9601	11035	11963	12960	13162	16131	19804
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	25298	28025	30922	32624	32005	33578	35796	38060
10.	लोक प्रशासन	10485	11490	12339	13598	14163	15794	21659	23990
11.	अन्य सेवाएं	21567	27259	33112	37338	42056	48506	60075	74460
	तृतीयक	**124151**	**145940**	**161025**	**174769**	**196064**	**216679**	**251857**	**298468**
12.	**कुल निवल राज्यगत मूल्यवर्धन**	**223052**	**255658**	**281727**	**307980**	**332672**	**375550**	**429162**	**489275**
13.	उत्पादों पर कर	17169	21185	26236	27007	34787	35291	42248	53184
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	15517	15820	19255	27340	22697	25468	28578
15.	**निवल राज्य घरेलू उत्पाद**	**228497**	**261327**	**292143**	**315732**	**340119**	**388144**	**445942**	**513881**
16.	जनसंख्या (करोड़)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	11.5	11.7
17.	**प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**21750**	**24487**	**26948**	**28671**	**30404**	**34156**	**38631**	**43822**

टिप्पणी : 2017-18 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2018-19 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.5 : 2011-12 के स्थिर मूल्य पर बिहार का निवल राज्य घरेलू उत्पाद (2011-12 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अनंतिम)	2018-19 (त्वरित)
1.	कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	57852	63491	54487	53929	55146	61586	65800	65670
1.1	फसल	39053	43675	32908	30738	30640	34607	36312	34238
1.2	पशुधन	11795	12260	13706	15042	15962	17230	18950	20543
1.3	वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4141	4206	4280	4173	4305	5479	5608	5879
1.4	मत्स्याखेट एवं जलकृषि	2862	3350	3593	3975	4240	4271	4930	5009
2.	खनन एवंउत्खनन	174	187	1187	468	1424	984	1140	1168
	प्राथमिक	**58025**	**63678**	**55674**	**54396**	**56570**	**62570**	**66941**	**66838**
3.	विनिर्माण	12681	7896	16913	23761	21270	27153	27406	28092
4.	विद्युत, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य जनोपयोगी सेवाएं	2431	2542	2904	3226	2798	3179	3453	3568
5.	निर्माण	25764	24235	25437	24238	26866	28333	30133	32985
	द्वितीयक	**40876**	**34674**	**45253**	**51225**	**50934**	**58664**	**60992**	**64645**
6.	व्यापार, मरम्मत, होटल एवं जलपानगृह	43256	45972	44805	41669	48617	53358	59025	69240
6.1	व्यापार एवं मरम्मत सेवाएं	40564	43309	42038	39062	45915	50502	55933	65978
6.2	होटल एवं जलपानगृह	2692	2663	2767	2607	2702	2856	3092	3262
7.	परिवहन, भंडारण, संचार एवं प्रसारण सेवाएं	14845	17490	19386	21654	24507	24762	26426	28722
7.1	रेलवे	2022	2605	3088	3040	2893	2226	2864	2828
7.2	पथ परिवहन	7582	9077	10265	11514	12756	14114	15791	18095
7.3	जल परिवहन	44	18	7	10	10	18	16	13
7.4	वायु परिवहन	15	37	17	39	100	122	152	215
7.5	परिवहन के समकक्ष सेवाएं	761	899	1021	1169	1293	1465	1635	1740
7.6	भंडारण	63	68	60	62	66	68	78	81
7.7	संचार एवं प्रसारण सेवाएं	4359	4785	4927	5819	7389	6749	5890	5750
8.	वित्तीय सेवाएं	8700	9412	10095	11454	12021	12246	13926	15867
9.	स्थावर संपदा, आवास स्वामित्व एवं पेशेवर सेवाएं	25298	25724	26548	27285	26254	27121	28496	29704
10.	लोक प्रशासन	10485	10191	9553	9910	9933	10708	14696	15859
11.	अन्य सेवाएं	21567	24550	26613	28082	29967	33145	40099	48390
	तृतीयक	**124151**	**133339**	**137000**	**140053**	**151297**	**161340**	**182668**	**207782**
12.	**कुल निवल राज्यगत मूल्यवर्धन**	**223052**	**231691**	**237927**	**245674**	**258801**	**282575**	**310600**	**339265**
13.	उत्पादों पर कर	17169	19588	22638	26793	30900	30532	34732	42722
14.	उत्पादों पर सब्सिडी	11724	14347	13650	16729	20501	19636	20937	22956
15.	**निवल राज्य घरेलू उत्पाद**	**228497**	**236933**	**246915**	**255739**	**269200**	**293471**	**324395**	**359030**
16.	जनसंख्या (करोड़)	10.5	10.7	10.8	11.0	11.2	11.4	11.5	11.7
17.	**प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद (रु.)**	**21750**	**22201**	**22776**	**23223**	**24064**	**25825**	**28101**	**30617**

टिप्पणी : 2017-18 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2018-19 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.6 : 2004-05 के मूल्य पर जिलावार प्रति व्यक्ति सकल जिला घरेलू उत्पाद(2007-08 से 2011-12)

(रुपए)

जिला	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12
पटना	43448 (1)	48719 (1)	53428 (1)	57823 (1)	63063 (1)
नालंदा	8219 (14)	9152 (11)	9787 (10)	10971 (11)	12561 (8)
भोजपुर	8775 (8)	10146 (8)	10134 (8)	11537 (9)	12459 (10)
बक्सर	8368 (12)	8992 (15)	8812 (18)	9732 (20)	11289 (15)
रोहतास	9544 (7)	10950 (6)	10908 (7)	12265 (6)	13909(6)
कैमूर	7564 (21)	8441 (22)	7785 (27)	9539 (22)	10412 (24)
गया	8660 (9)	9135 (12)	9519 (15)	10504 (18)	11897 (13)
जहानाबाद	7490 (24)	8588 (19)	8478 (22)	9322 (24)	11182 (17)
अरवल	6475 (33)	7028 (35)	7283 (35)	8133 (35)	9125 (34)
नवादा	6739 (31)	7409 (32)	7602 (30)	8437 (31)	9560 (30)
औरंगाबाद	7575 (20)	7922 (29)	8189 (23)	9293 (25)	11012 (18)
सारण	7522 (23)	7938 (28)	8559 (20)	9576 (21)	10615 (23)
सीवान	7377 (26)	8864 (16)	8042 (26)	9192 (26)	10685 (22)
गोपालगंज	7646 (17)	8059 (26)	8543 (21)	10386 (19)	12129 (12)
पश्चिम चंपारण	8476 (11)	9484 (10)	9706 (11)	10577 (17)	9971 (27)
पूर्व चंपारण	6223 (35)	8457 (21)	7571 (31)	8790 (29)	10735 (21)
मुजफ्फरपुर	9814 (5)	11602 (5)	12159 (5)	14082 (5)	15402 (5)
सीतामढ़ी	6180 (37)	7301 (33)	7456 (32)	8274 (33)	9538 (31)
शिवहर	5541 (38)	6128 (38)	5438 (38)	6208 (38)	7092 (38)
वैशाली	7728 (16)	9604 (9)	9937 (9)	11591 (8)	12490 (9)
दरभंगा	7614 (18)	8516 (20)	9036 (16)	10798 (12)	10932 (19)
मधुबनी	6216 (36)	7643 (30)	7455 (33)	10607 (15)	9241 (33)
समस्तीपुर	7559 (22)	8729 (18)	8843 (17)	10705 (14)	10762 (20)
बेगूसराय	12419 (3)	15001 (3)	14235 (4)	18433 (3)	17587 (3)
मुंगेर	15791 (2)	17034 (2)	18554 (2)	21011 (2)	22051 (2)
शेखपुरा	7209 (28)	8105 (25)	7775 (28)	8377 (32)	9687 (29)
लखीसराय	9549 (6)	10209 (7)	10950 (6)	11870 (7)	13073 (7)
जमुई	7584 (19)	8028 (27)	8186 (24)	8944 (28)	10166 (25)
खगड़िया	8517 (10)	9111 (13)	9642 (12)	10603 (16)	11515 (14)
भागलपुर	12097 (4)	13351 (4)	14253 (3)	15870 (4)	17324 (4)
बांका	6882 (30)	7596 (31)	7724 (29)	7756 (37)	9269 (32)
सहरसा	8164 (15)	8744 (17)	9591 (14)	11268 (10)	12197 (11)
सुपौल	6382 (34)	6790 (36)	7043 (36)	8193 (34)	8492 (37)
मधेपुरा	6920 (29)	6602 (37)	6979 (37)	8096 (36)	8609 (36)
पूर्णिया	7419 (25)	8228 (23)	8743 (19)	9357 (23)	10099 (26)
किशनगंज	7312 (27)	8120 (24)	8085 (25)	9126 (27)	9928 (28)
अररिया	6635 (32)	7251 (34)	7376 (34)	8534 (30)	8776 (35)
कटिहार	8267 (13)	9060 (14)	9594 (13)	10721 (13)	11278 (16)
बिहार	**10076**	**11369**	**11806**	**13393**	**14574**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े जिलों का दर्जा दर्शाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 1.7 : पेट्रॉलियम उत्पादों की जिलावार खपत(2014-15 से 2018-19)

(आंकड़े हजार मैट्रिक टन में)

जिला	पेट्रॉल		डीजल		रसोई गैस		प्रति हजार व्यक्ति पर खपत (मैट्रिक टन)		
	औसत (2014-2019)	2018-19	औसत (2014-2019)	2018-19	औसत (2014-2019)	2018-19	पेट्रॉल	डीजल	रसोई गैस
पटना	80.5 (13.1)	99.8	229.8 (10.3)	263.5	125.9 (13.4)	148.1	13.8	39.4	21.6
नालंदा	12.8 (2.1)	17.1	58.5 (2.6)	73.1	25.3 (2.7)	32.3	4.4	20.3	8.8
भोजपुर	14.4 (2.3)	19.2	55.4 (2.5)	63.2	27.9 (3)	33.9	5.3	20.3	10.2
बक्सर	9.6 (1.6)	12.2	34.9 (1.6)	33.3	14.8 (1.6)	18.6	5.6	20.5	8.7
रोहतास	18.1 (2.9)	23.8	78.8 (3.5)	81.7	26.5 (2.8)	33.6	6.1	26.6	9.0
कैमूर	7.7 (1.2)	9.3	31.9 (1.4)	27	10 (1.1)	14.5	4.7	19.6	6.1
गया	23.2 (3.8)	30.5	87.6 (3.9)	99.1	33.4 (3.5)	44.2	5.3	19.9	7.6
जहानाबाद	4.6 (0.7)	6.2	20.3 (0.9)	25.1	10.7 (1.1)	12.9	4.1	18.0	9.5
अरवल	2.9 (0.5)	4	11.3 (0.5)	12.7	5.1 (0.5)	6.7	4.1	16.1	7.3
नवादा	7.9 (1.3)	10.8	37.3 (1.7)	44.5	17.1 (1.8)	22	3.6	16.8	7.7
औरंगाबाद	12.7 (2.1)	16.8	69.1 (3.1)	86.6	17.3 (1.8)	23.1	5.0	27.2	6.8
सारण	23.7 (3.9)	31.4	95.2 (4.3)	100.4	36 (3.8)	46.3	6.0	24.1	9.1
सीवान	23.3 (3.8)	28.5	55.2 (2.5)	54.5	32.9 (3.5)	41.1	7.0	16.6	9.9
गोपालगंज	19.5 (3.2)	23.5	47.5 (2.1)	44.5	29 (3.1)	36.4	7.6	18.5	11.3
पश्चिम चंपारण	30.9 (5)	38.2	105.3 (4.7)	102.7	45.3 (4.8)	62.3	6.1	20.6	8.9
पूर्व चंपारण	22.8 (3.7)	29	70.3 (3.2)	73.5	31.6 (3.4)	43.3	5.8	17.9	8.0
मुजफ्फरपुर	38.2 (6.2)	51.1	138.9 (6.2)	154.3	55.1 (5.9)	71.9	8.0	28.9	11.5
सीतामढ़ी	14.5 (2.3)	17.7	44.8 (2)	47.1	29.7 (3.2)	41.5	4.2	13.1	8.7
शिवहर	2 (0.3)	2.9	5.4 (0.2)	6.4	5.4 (0.6)	7.7	3.0	8.2	8.2
वैशाली	26.1 (4.2)	33.4	78.6 (3.5)	81.9	38.7 (4.1)	47.2	7.5	22.5	11.1
दरभंगा	21.2 (3.5)	28.9	63 (2.8)	76.3	40.5 (4.3)	54.1	5.4	16.0	10.3
मधुबनी	22.7 (3.7)	27.7	54 (2.4)	59.8	37.1 (3.9)	53.2	5.1	12.0	8.3
समस्तीपुर	22.9 (3.7)	30.9	84.1 (3.8)	97	32.7 (3.5)	46.8	5.4	19.7	7.7
बेगूसराय	15.4 (2.5)	20	108.8 (4.9)	115.6	33.6 (3.6)	48.7	5.2	36.6	11.3
मुंगेर	6.2 (1)	7.8	32 (1.4)	33.9	15.7 (1.7)	19	4.5	23.4	11.5
शेखपुरा	2.6 (0.4)	3.6	17.9 (0.8)	26	4.5 (0.5)	6.4	4.1	28.1	7.1
लखीसराय	3.2 (0.5)	4.3	19.2 (0.9)	22.4	6.9 (0.7)	8.7	3.2	19.2	6.9
जमुई	6.4 (1)	8.4	23.4 (1)	27	10.1 (1.1)	15.1	3.6	13.3	5.7
खगड़िया	5.9 (1)	7.9	32.7 (1.5)	35.9	10.2 (1.1)	14.5	3.5	19.6	6.1
भागलपुर	17 (2.8)	21.8	76.2 (3.4)	85.7	29.6 (3.1)	38.5	5.6	25.1	9.7
बांका	6.9 (1.1)	9	25.5 (1.1)	28.7	10.1 (1.1)	14.2	3.4	12.5	5.0
सहरसा	8.8 (1.4)	12	37.7 (1.7)	42	12.8 (1.4)	16.9	4.6	19.8	6.7
सुपौल	11.5 (1.9)	15.2	35.6 (1.6)	40.7	11.9 (1.3)	17.3	5.2	16.0	5.3
मधेपुरा	10 (1.6)	13.5	33.7 (1.5)	37.3	11.5 (1.2)	15.1	5.0	16.8	5.7
पूर्णिया	20.5 (3.3)	27.7	83 (3.7)	90.4	18.5 (2)	25.2	6.3	25.4	5.7
किशनगंज	9.3 (1.5)	11.2	21.3 (1)	21.3	8 (0.8)	11.8	5.5	12.6	4.7
अररिया	16.4 (2.7)	20.3	53 (2.4)	52.4	13.4 (1.4)	19	5.8	18.9	4.8
कटिहार	13.6 (2.2)	17.4	70.4 (3.2)	74.4	16.9 (1.8)	22.8	4.4	22.9	5.5
बिहार	**615.6 (100)**	**793**	**2227.4 (100)**	**2441.9**	**941.6 (100)**	**1234.8**	**5.9**	**21.4**	**9.0**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े राज्य के आंकड़े का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

तालिका प 1.8 : डाकघरों और लोक भविष्य निधि में जिलावार लघु बचत (2016-17 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

जिला	प्रति व्यक्ति लघु बजट (रु)	2016-17		2017-18		2018-19		उपलब्धि का प्रतिशत (2016-19)
		लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	
पटना	982.6	500	525.83	545	479.14	549.00	716.13	573.7 (18.0)
नालंदा	597.0	270	244.12	262	162.40	186.00	109.01	171.8 (5.4)
भोजपुर	421.5	195	88.73	115	106.08	122.00	150.24	115 (3.6)
बक्सर	627.1	85	86.48	93	106.32	122.00	128.15	107 (3.4)
रोहतास	431.4	125	125.03	134	113.73	130.00	144.23	127.7 (4.0)
कैमूर	344.3	50	51.36	55	50.28	58.00	66.27	56 (1.8)
गया	265.7	80	94.94	102	104.00	119.00	151.25	116.7 (3.7)
जहानाबाद	526.1	40	47.79	51	51.22	59.00	78.73	59.2 (1.9)
अरवल	382.4	20	22.13	24	24.25	28.00	34.10	26.8 (0.8)
नवादा	425.4	120	125.98	135	55.76	64.00	101.41	94.4 (3.0)
औरंगाबाद	327.9	70	59.35	64	70.14	80.00	120.51	83.3 (2.6)
सारण	750.3	260	265.49	270	307.76	353.00	316.36	296.5 (9.3)
सीवान	360.9	140	121.40	140	115.68	133.00	123.53	120.2 (3.8)
गोपालगंज	322.0	110	78.61	89	75.98	87.00	92.89	82.5 (2.6)
पूर्व चंपारण	154.3	65	66.84	72	79.64	91.00	89.57	78.7 (2.5)
पश्चिम चंपारण	97.3	50	46.36	50	18.58	21.00	49.84	38.3 (1.2)
मुजफ्फरपुर	294.7	110	112.67	121	131.16	150.00	180.65	141.5 (4.4)
सीतामढ़ी	131.1	45	34.85	37	35.28	40.00	64.59	44.9 (1.4)
शिवहर	175.2	10	9.18	10	9.19	11.00	16.14	11.5 (0.4)
वैशाली	341.1	120	111.56	120	115.83	133.00	130.21	119.2 (3.7)
दरभंगा	296.9	115	115.64	124	121.45	139.00	113.52	116.9 (3.7)
मधुबनी	121.9	80	59.29	64	53.97	62.00	50.97	54.7 (1.7)
समस्तीपुर	128.6	90	74.96	80	64.74	74.00	24.82	54.8 (1.7)
बेगूसराय	191.2	60	49.16	53	48.90	56.00	72.25	56.8 (1.8)
मुंगेर	421.9	75	62.40	67	57.23	66.00	53.32	57.7 (1.8)
शेखपुरा	399.2	25	20.21	22	18.99	22.00	37.08	25.4 (0.8)
लखीसराय	199.8	25	20.21	22	18.99	22.00	20.94	20 (0.6)
जमुई	151.1	25	26.17	28	21.29	24.00	32.42	26.6 (0.8)
खगड़िया	88.2	15	12.04	13	13.66	16.00	18.27	14.7 (0.5)
भागलपुर	271.3	105	79.83	86	82.25	94.00	85.13	82.4 (2.6)
बांका	106.2	25	21.52	23	25.31	29.00	17.97	21.6 (0.7)
सहरसा	181.0	40	33.67	36	28.49	33.00	41.11	34.4 (1.1)
सुपौल	138.2	35	37.66	40	22.60	26.00	32.03	30.8 (1.0)
मधेपुरा	115.4	30	22.73	25	19.12	22.00	27.41	23.1 (0.7)
पूर्णिया	136.0	35	49.78	53	32.66	37.00	50.71	44.4 (1.4)
किशनगंज	55.0	10	11.78	13	5.66	6.00	10.45	9.3 (0.3)
अररिया	52.3	10	15.73	17	10.73	12.00	17.55	14.7 (0.5)
कटिहार	112.0	35	41.57	45	21.12	24.00	40.59	34.4 (1.1)
बिहार	**306.2**	**3300**	**3073.05**	**3300**	**2879.58**	**3300.00**	**3610.38**	**3187.7 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े बिहार में जिले का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

अध्याय -2

राजकीय वित्तव्यवस्था

दैवम् विनतिप्रयत्नम् करोति यत्तद्विफलम्।
सुनियोजित काम के अच्छे परिणाम मिलते हैं, यहां तक कि प्रतिकूल परिस्थिति में भी।

— चाणक्य

सारांश

बिहार ने पिछले कुछ वर्षों में लगातार विवेकपूर्ण राजकोषीय प्रबंधन किया है जिससे राजकोषीय घाटे निर्धारित सीमा के अंदर रहे हैं। राज्य में राजकीय वित्तव्यवस्था के प्रबंधन में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के प्रस्तावों का पालन किया गया है। राजकोषीय सूचक दर्शाते हैं कि बिहार में वर्तमान स्तर पर व्यय के लिए राजकीय वित्तव्यवस्था के साधन उपयुक्त हैं। राज्य में 2018-19 में राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.68 प्रतिशत, राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.34 प्रतिशत, राज्य सरकार की लोक ऋण संबंधी कुल देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.34 प्रतिशत और शुद्ध ब्याज भुगतान राजस्व लेखे में कुल प्राप्ति का 6.61 प्रतिशत था। राज्य में कुल आय और कुल व्यय, दोनो में वृद्धि हुई है। वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति 12 प्रतिशत बढ़ी, जबकि राजस्व व्यय 21.7 प्रतिशत बढ़ा। वहीं, 2018-19 में पूंजीगत व्यय में 12 प्रतिशत कमी आई। वर्ष 2018-19 में कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा गत वर्ष की अपेक्षा दो प्रतिशत अंक बढ़ गया। वर्ष 2018-19 में बिहार में राजकीय वित्तव्यवस्था की समग्र स्थिति अच्छी हालत में रहो।

वर्ष 2018-19में बिहार में राजकीय वित्तव्यवस्था के प्रबंधन में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2006 के संकल्पों का पालन किया गया है। वित्तवर्ष 2018-19 के अंत में राज्य की वित्तव्यवस्था की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी हालत में थी। इस वर्ष राजक्रोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 2.68 प्रतिशत, राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.34 प्रतिशत और राज्य सरकार की लोक ऋण संबंधी देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 32.34 प्रतिशत के बराबर थी। वर्ष 2018-19में निवल ब्याज भुगतान राज्य के राजस्व लेखा की कुल प्राप्ति का 6.61 प्रतिशत थी जो 14वें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 10 प्रतिशत की सीमा से काफी नीचे है।

अपने संसाधनों से सीमित राजस्व प्राप्ति के कारण राज्य सरकार संसाधनों के लिए केंद्रोय अंतरणों और अनुदानों पर निर्भर रही है। ये अंतरण अधिकांशत: वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार होते हैं, और वर्तमान वित्तवर्ष

(2019-20) केंद्र सरकार के 14वें वित्त आयोग की अनुशंसा के राजकोषीय निहितार्थों के लिहाज से अंतिम वर्ष है।15वें वित्त आयोग ने वर्ष 2020-21 के लिए अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। अनुशंसा के अनुसार कुल वितरणीय संसाधनों में बिहार का हिस्सा 9.67 प्रतिशत से बढ़कर 10.06 प्रतिशत हो गया है।

वर्ष 2018-19 ऐसा पहला पूरा वित्तवर्ष था जिसमें वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से संग्रहण ने जुलाई 2017 में इसके क्रियान्वयन के बाद से देश में अनेक करों से होने वाले राजस्व संग्रहण की जगह ले ली। राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर का कुल संग्रहण लक्ष्य सेनीचे रहा, और वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के समय तय लक्ष्य से हुई कमी के लिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को क्षतिपूर्ति को गई। वर्तमान आर्थिक सुस्ती ने 2019-20 में वस्तु एवं सेवा कर से राजस्व संग्रहण को प्रभावित किया है। वस्तु एवं सेवा कर के जरिए राज्यों के राजस्व संग्रहण में हुई कमी की केंद्र सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति करनी है, इसलिए राज्यों को फिलहाल एक लिहाज से वित्तीय सुरक्षा प्राप्त है। हालांकि, राज्य को अपने संसाधनों से राजस्व बढ़ाने की योजनाओं पर काम करने की जरूरत है।

राजकोषीय प्रबंधन की प्रभाविता में सुधार के प्रयास में राज्य सरकार ने 1 अप्रल, 2019 को व्यापक वित्त प्रबंधन प्रणाली (सीएफएमएस) की शुरुआत की जिससे राज्य में सारी वित्तोय गतिविधियां ऑनलाइन और कागजरहित हो जाएंगी। एक अन्य निर्णय के तहत वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने सारे विभागों के लिए जेम पोर्टल से खरीद करना अनिवार्य बना दिया है।

2.1 वित्तोय स्थिति का अवलोकन

इस खंड में राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति का एक अवलोकन प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार की प्राप्ति और व्यय का सारांश तालिका 2.1 में प्रस्तुत है। वित्तवर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के लिए वास्तविक आंकड़ों का और 2019-20 के लिए बजट अनुमान (बोई) का उपयोग किया गया है। कुछ राजकोषीय सूचकों का उपयोग करके बिहार की वित्तोय स्थिति की तुलना देश के अन्य प्रमुख राज्यों से भी की गई है। विभिन्न राज्यों के मुख्य राजकोषीय सूचकों के आंकड़े तालिका 2.2 में प्रस्तुत हैं। इस तालिका में वास्तविक आंकड़ों का उपयोग 2016-17 तक के लिए ही किया गया है जबकि 2017-18 के लिए संशोधित अनुमान (सं.अ.) का और 2018-19 के लिए बजट अनुमान (ब.अ.) का उपयोग किया गया है।

वर्ष 2018-19 में बिहार में कुल राजस्व प्राप्ति 1,31,793 करोड़ रु. और पूंजीगत प्राप्ति 20,494 करोड़ रु. थी। वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति गत वर्ष से 12.2 प्रतिशत अधिक थी। गत वर्ष की अपेक्षा 2018-19 में राजस्व व्यय और कुल व्यय, दोनो में वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 में राजस्व व्यय 1,24,897 करोड़ रु. और कुल व्यय 1,54,655 करोड़ रु. था। वर्ष 2018-19 में राज्य में पूंजीगत व्यय गत वर्ष की अपेक्षा 12 प्रतिशत घटकर 29,759 करोड़ रु. रह गया। वहीं, 2018-19 में राजस्व व्यय 21.7 प्रतिशत बढ़ गया।

चार्ट 2.1 : बिहार का राजस्व घाटा (करोड़ रु.)

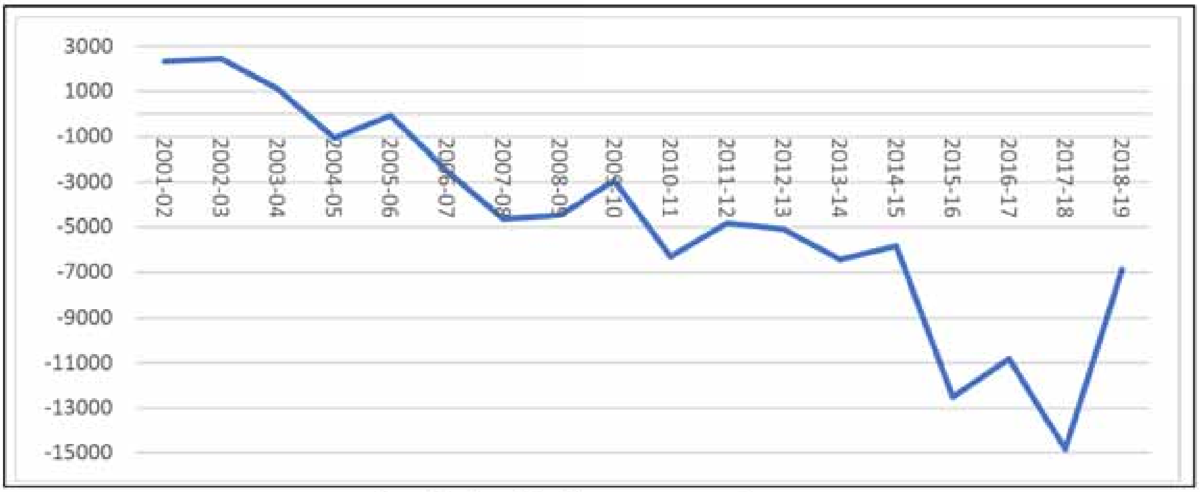

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2004-05 से ही बिहार लगातार राजस्व अधिशेष बनाए रखने वाला राज्य रहा है (चार्ट 2.1)। वर्ष 2018-19 में राजस्व अधिशेष सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 1.34 प्रतिशत था। राजस्व अधिशेष 2014-15 तक लगातार बढ़ता रहा और उसके बाद 153 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 14,823 करोड़ रु. पहुंच गया जो अभी तक का सर्वोच्च स्तर है। हालांकि 2018-19 में इसमें 52.5 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 6,897 करोड़ रु. रहा। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में राजस्व अधिशेष 21,517 करोड़ रु. हो जाना अनुमानित है।

वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति के सारे घटकों में गत वर्ष की अपेक्षा वृद्धिहुई है (चार्ट 2.2)। वर्ष 2018-19 में बिहार के राजस्व लेखे में कुल प्राप्ति गत वर्ष से 12.2 प्रतिशत बढ़कर 1,31,793 करोड़ रु. हो गई। वर्ष 2018-19 में कर राजस्व 14,791 करोड़ रु. बढ़कर 1,03,011 करोड़ रु. हो गया जो गत वर्ष से 16.8 प्रतिशत अधिक है। राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में करेतर राजस्व का हिस्सा मात्र तीन प्रतिशत था। यह रकम 2018-19 में 4131 करोड़ रु. थी जो गत वर्ष से 17.8 प्रतिशत अधिक थी। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में कर राजस्व 1,22,922 करोड़ रु. और करेतर राजस्व 4,806 करोड़ रु. अनुमानित हैं।वर्ष 2018-19 में केंद्र सरकार से सहायता अनुदान एवं अंशदान के तहत प्राप्ति गत वर्ष के 25,720 करोड़ रु. से घटकर 24,652 करोड़ रु. रह गई। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में यह 49,019 करोड़ रु. अनुमानित है।

वर्ष 2017-18 और 2018-19 में बिहार की राजस्व प्राप्ति की संरचना चार्ट 2.3 में दर्शाई गई है। इस अवधि में कर राजस्व का हिस्सा 75 प्रतिशत से बढ़कर 78 प्रतिशत हो गया जबकि सहायता अनुदान एवं अंशदान का हिस्सा 22 प्रतिशत से घटकर 19 प्रतिशत रह गया। करेतर राजस्व का हिस्सा तीन प्रतिशत पर स्थिर रहा।

राज्य में कर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात 2017-18 के 18.2 प्रतिशत से बढकर 2018-19 में 20.0 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में इसके 21.5 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। वहीं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद में सहायता अनुदान एवं अंशदान का हिस्सा 2017-18 के 5.3 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 4.8 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में इसके सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 8.6 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

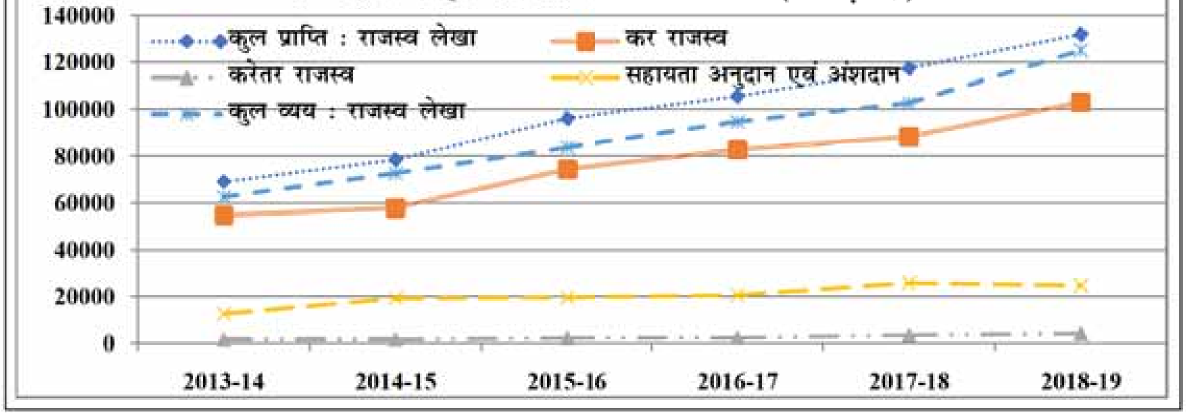

चार्ट 2.2 : बिहार सरकार का राजस्व लेखा (करोड़ रु.)

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार के बजट

चार्ट 2.3 : 2017-18 और 2018-19 में राजस्व लेखे में प्राप्ति

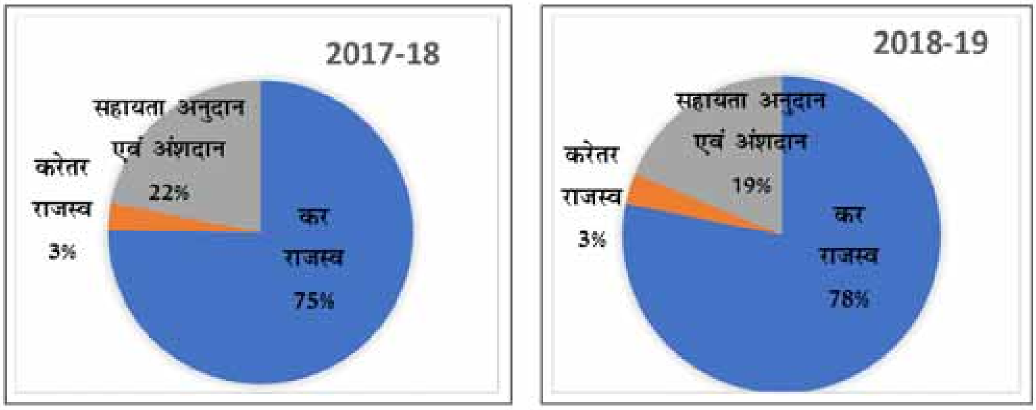

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार के बजट

बिहार की कुल राजस्व प्राप्ति में विभिन्न घटकों के हिस्से के 1990-91 से 2018-19 तक के आंकड़े चार्ट 2.4 में दर्शाए गए हैं। वर्ष 1999-2000 के बाद संरचना में बड़ा परिवर्तन देखा गया। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार के अपने संसाधनों से राजस्व का हिस्सा काफी घट गया जिसका मुख्य कारण अपने संसाधनों से करेतर राजस्व में आई गिरावट थी। वर्ष 2007-08 तक कुल राजस्व प्राप्ति में राज्य के अपने कर राजस्व के योगदान में भी क्रमिक कमी आई जिसमें उसके बाद से सुधार हुआ। वर्ष 2013-14 से इसमें पुन: गिरावट आने लगी है। अत: 2000-01 से बिहार अपनी राजस्व प्राप्ति के लिए मुख्यत: केंद्र सरकार से होने वाले अंतरणों पर निर्भर है।

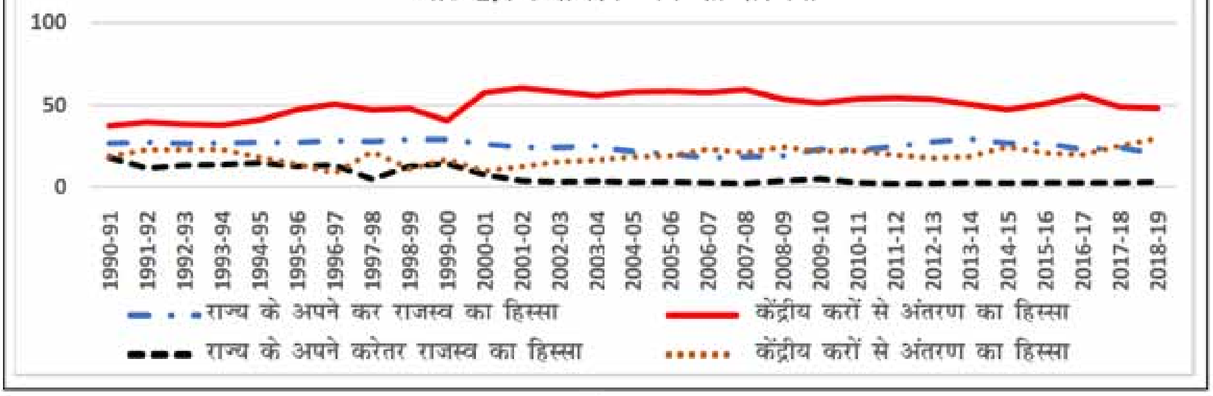

चार्ट 2.4 : राजस्व व्यय की संरचना

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2018-19 में राज्य का राजस्व व्यय 1,24,897 करोड़ रु. था जो गत वर्ष से 22,273 करोड़ रु. अधिक है। वहीं, ब्याज भुगतान पर व्यय 2017-18 के 9054 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 10,071 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2018-19 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय गत वर्ष से 27.3 प्रतिशत बढ़कर 58,284 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में राजस्व लेखे के व्यय की संरचना चार्ट 2.5 में दर्शाई गई है। वर्ष 2018-19 में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा दो प्रतिशत अंक बढ़ा, जबकि आर्थिक सेवाओं और समाजिक सेवाओं पर व्यय में एक-एक प्रतिशत अंक की कमी आई।

चार्ट 2.5 : 2017-18 और 2018-19 में राजस्व लेखे के व्यय का क्षेत्रवार हिस्सा

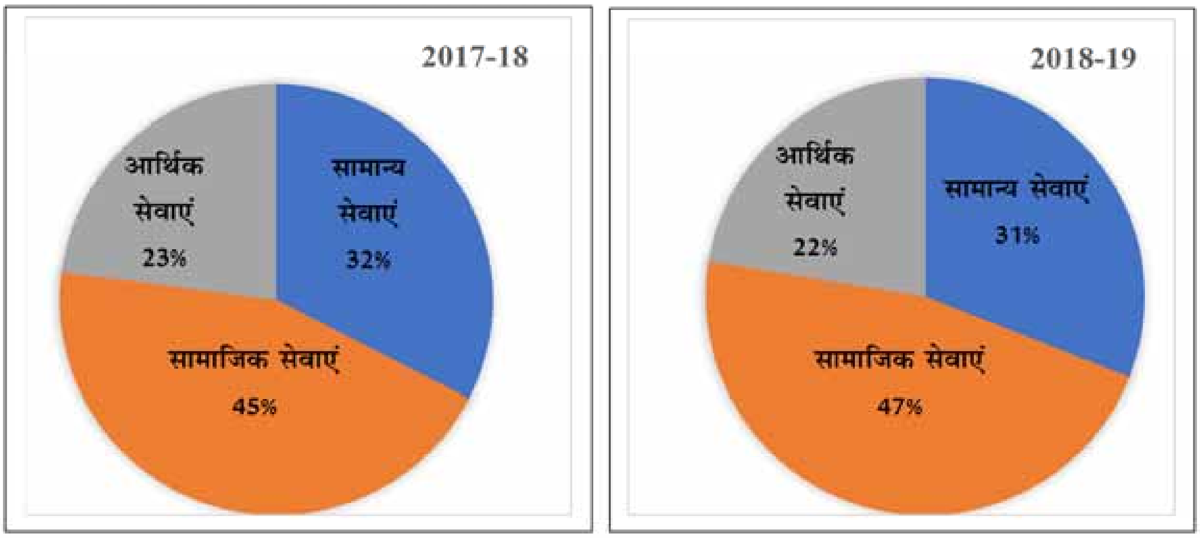

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2018-19 में राज्य द्वारा लिया गयाकुल उधार 18,668 करोड़ रु. था जो 2017-18 में 13,169 करोड़ रु. और 2016-17 में 21,577 करोड़ रु. था।सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ बकाया ऋण का प्रतिशत विगत तीन वर्षों में लगभग समान स्तर पर रहा है। वर्ष 2018-19 में राज्य में कुल बकाया ऋण 32.8 प्रतिशत था और 2019-20 के बजट अनुमान में यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 32.5 प्रतिशत अनुमानित है। वहीं राजस्व लेखे से ब्याज भुगतान विगत वर्षों में बढ़ता रहा है। वर्ष 2018-19 में यह 10,071 करोड़ रु. था जबकि 2017-18 में 9054 करोड़ रु. ही था।

एक महत्वपूर्ण बात यह है कि 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा लोक ऋण की अदायगी में गत वर्ष से 55.4 प्रतिशत वृद्धि हुई। वर्ष 2018-19 में लोक ऋण की अदायगी 7230 करोड़ रु. थी जबकि 2017-18 में 4654 करोड़ रु. ही थी। वष2019-20 के बजट अनुमान सहित राज्य की वित्तव्यवस्था का 2014-15 से 2018-19तक का सारांश तालिका 2.1 में दर्शाया गया ह।

तालिका 2.1 : प्राप्ति और व्यय (2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

क्र. सं.	मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 ब.अ.
1	**कुल प्राप्ति - राजस्व लेखा**	**78418**	**96123**	**105585**	**117447**	**131793**	**176748**
a	कर राजस्व	57713	74372	82623	88220	103011	122922
b	करेतर राजस्व	1558	2186	2403	3507	4131	4806
c	सहायता अनुदान एवं अंशदान	19146	19566	20559	25720	24652	49019
2	**कुल व्यय - राजस्व लेखा**	**72570**	**83616**	**94765**	**102624**	**124897**	**155231**
a	सामान्य सेवाएं, जिसमें	26408	27972	30607	33374	38691	46146
	ब्याज भुगतान	6129	7098	8191	9054	10071	10723
b	सामाजिक सेवाएं	31713	35943	40737	45769	58284	75147
c	आर्थिक सेवाएं	14445	19696	23417	23476	27918	33931
d	सहायता अनुदान	4	4	4	4	4	6
3	**राजस्व घाटा**	**-5848**	**-12507**	**-10819**	**-14823**	**-6897**	**-21517**
4	**पूंजीगत प्राप्ति**	**15411**	**18402**	**21600**	**13191**	**20494**	**24837**
a	लोक ऋण आदि	13918	18383	21577	13169	18668	24421
b	ऋण एवं अग्रिम वसूली	1493	19	23	22	1825	416
5	**पूंजीगत व्यय, जिसमें**	**22128**	**28712**	**31537**	**33803**	**29759**	**45270**
a	पूंजीगत परिव्यय	18150	23966	27208	28907	21058	36593
b	ऋण एवं अग्रिम	369	621	114	243	1471	1442
c	लोक ऋण	3609	4125	4215	4654	7230	7236
6	**कुल व्यय**	**94698**	**112328**	**126302**	**136427**	**154655**	**200501**
a	योजना व्यय	43939	53732	60840	65027	69772	101391
b	योजनेतर व्यय	50759	58596	65462	71400	84884	99110
7	**सकल राजकोषीय घाटा**	**11178**	**12062**	**16480**	**14305**	**13807**	**16101**
8	**प्राथमिक घाटा**	**5050**	**4964**	**8289**	**5251**	**3736**	**5378**
9	**कुल ऋण-ग्रहण**	**13918**	**18383**	**21577**	**13169**	**18668**	**24421**
a	आंतरिक ऋण-ग्रहण	13199	17565	20065	11771	16134	21736
b	केंद्र सरकार से ऋण	718	818	1512	1399	2534	2685
10	**लोक ऋण अदायगी***	**3609**	**4125**	**4215**	**4654**	**7230**	**7236**
11	**बकाया देनदारी**	**99056**	**116578**	**138722**	**156777**	**168921**	**186106**
12	**सकल राज्य घरेलू उत्पाद**	**342951**	**371602**	**422316**	**484740**	**515634**	**572827**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में							
1	**कुल प्राप्ति - राजस्व लेखा**	**22.9**	**25.9**	**25.0**	**24.2**	**25.6**	**30.9**
a	कर राजस्व	16.8	20.0	19.6	18.2	20.0	21.5
b	करेतर राजस्व	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
c	सहायता अनुदान एवं अंशदान	5.6	5.3	4.9	5.3	4.8	8.6
2	**कुल व्यय - राजस्व लेखा**	**21.2**	**22.5**	**22.4**	**21.2**	**24.2**	**27.1**
a	सामान्य सेवाएं, जिसमें	7.7	7.5	7.2	6.9	7.5	8.1
	ब्याज भुगतान	1.8	1.9	1.9	1.9	2.0	1.9
b	सामाजिक सेवाएं	9.2	9.7	9.6	9.4	11.3	13.1
c	आर्थिक सेवाएं	4.2	5.3	5.5	4.8	5.4	5.9
	सहायता अनुदान	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
3	**राजस्व घाटा**	**-1.7**	**-3.4**	**-2.6**	**-3.1**	**-1.3**	**-3.8**
4	**पूंजीगत प्राप्ति**	**4.5**	**5.0**	**5.1**	**2.7**	**4.0**	**4.3**
a	लोक ऋण आदि	4.1	4.9	5.1	2.7	3.6	4.3
b	ऋण एवं अग्रिम वसूली	0.4	0.0	0.0	0.0	0.4	0.1
5	**पूंजीगत व्यय, जिसमें**	**6.5**	**7.7**	**7.5**	**7.0**	**5.8**	**7.9**
a	पूंजीगत परिव्यय	5.3	6.4	6.4	6.0	4.1	6.4
b	ऋण एवं अग्रिम	0.1	0.2	0.0	0.1	0.3	0.3
c	लोक ऋण	1.1	1.1	1.0	1.0	1.4	1.3
6	**कुल व्यय**	**27.6**	**30.2**	**29.9**	**28.1**	**30.0**	**35.0**
a	योजना व्यय	12.8	14.5	14.4	13.4	13.5	17.7
b	योजनेतर व्यय	14.8	15.8	15.5	14.7	16.5	17.3
7	**सकल राजकोषीय घाटा**	**3.3**	**3.2**	**3.9**	**3.0**	**2.7**	**2.8**
8	**प्राथमिक घाटा**	**1.5**	**1.3**	**2.0**	**1.1**	**0.7**	**0.9**
9	**कुल ऋण-ग्रहण**	**4.1**	**4.9**	**5.1**	**2.7**	**3.6**	**4.3**
a	आंतरिक ऋण-ग्रहण	3.8	4.7	4.8	2.4	3.1	3.8
b	केंद्र सरकार से ऋण	0.2	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5
10	**लोक ऋण अदायगी ***	**1.1**	**1.1**	**1.0**	**1.0**	**1.4**	**1.3**
11	**बकाया देनदारी**	**28.9**	**31.4**	**32.8**	**32.3**	**32.8**	**32.5**

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

2.2 राजकोषीय प्रदर्शन

इस खंड में देश के कुछ प्रमुख राज्यों के साथ राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन की तुलना इन सूचकों का उपयोग करके की गई है - (क) सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुपात, (ख) सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (ग) समूहित संवितरण (एँगोगेट डिसबर्समेंट) के साथ विकासेतर व्यय का अनुपात, (घ) राजस्व प्राप्ति के साथ विकासेतर राजस्व व्यय का अनुपात, (च) राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात, (छ) राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात, (ज) समूहित संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण (ग्रॉस ट्रांसफर) का अनुपात, और (झ) केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण सेवा व्यय का अनुपात। तालिका 2.2 में इन सूचकों से संबंधित आकड़े प्रस्तुत हैं। वर्ष 2017-18 के लिए वास्तविक आंकड़े प्रयुक्त हुए हैं जबकि 2018-19 के लिए पुनरीक्षित अनुमान और 2019-20 के लिए बजट अनुमान के आंकड़े हैं।

(क) **सकल राजकोषीय घाटा के साथ राजस्व घाटा का अनुपात** : यह अनुपात दर्शाता है कि सकल राजकोषीय घाटा में राजस्व घाटा का किस हद तक योगदान है। अगर अनुपात 100 प्रतिशत से अधिक है, तो यह अधिशेष को दर्शाता है जो संकेत देता है कि राजस्व लेखे के अधिशेष का पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण हेतु उपयोग किया जा सकता है। बिहार के राजस्व लेखे में 2004-05 से ही अधिशेष लगातार बरकरार रहा है। राजस्व अधिशेष के चलते ही राज्य सरकार को अपना पूंजीगत परिव्यय उसके वित्तीयन हेतु लिए गए उधार की अपेक्षा काफी अधिक बढ़ाने की गुंजाइश बनी। वर्ष 2017-18 में बिहार का राजस्व अधिशेष सकल राजकोषीय घाटा के 104 प्रतिशत के बराबर था।वर्ष 2017-18 में प्रमुख राज्यों के बीच इससे अधिक(143 प्रतिशत) राजस्व अधिशेष सिर्फ ओडिशा का था।हालांकि 2018-19 में बिहार के लिए यह बढ़कर सकल राजकोषीय घाटा का 50 प्रतिशत हो गया।

(ख) **सकल राजकोषीय घाटा के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात** : यह अनुपात पूंजीगत परिव्यय के कारण होने वाले राजस्व घाटा के अनुपात को दर्शाता है। वर्ष 2017-18 में बिहार में पूंजीगत परिव्यय सकल राजकोषीय घाटे का 202 प्रतिशतऔर 2018-19 में 135 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20के बजट में इसका 227 प्रतिशत हो जाना अनुमानित है। अपने उच्च राजस्व अधिशेष के कारण ही बिहार ऐसा उच्च अनुपात बनाए रख सका। अन्य प्रमुख राज्यों मेंकेवल ओडिशाका ही पूंजीगत परिव्यय का अनुपात 2017-18 में बिहार से ऊंचा था।

(ग) **समूहित संवितरण के साथ विकासेतर राजस्व व्यय का अनुपात** : यह अनुपात दर्शाता है कि कुल व्यय का कितना हिस्सा प्रशासनिक या सामान्य संवाओं पर व्यय के लिए है। इस अनुपात का निम्न होना बेहतर राजकोषीय पबंधन का सूचक है। बिहार में यह अनुपात 2017-18 में 26.5 प्रतिशत था जो 2018-19में 23.4 प्रतिशत रह गया।इस सूचक के मामले में राज्य का प्रदर्शन अनेक अन्य राज्यों से बेहतर है। वर्ष 2017-18 में यह अनुपात पंजाब के लिए 48.0 प्रतिशत और केरल के लिए 39.1 प्रतिशत था।

(घ) **राजस्व प्राप्ति के साथ विकासेतर राजस्व व्यय का अनुपात :** यह अनुपात बताता है कि राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियों का उपयोग किसहद तक प्रशासनिक और सामान्य सेवाओं पर व्यय के रूप मेंकिया गया। बिहार में 2017-18 में कुल राजस्व प्राप्ति का 31 प्रतिशत हिस्सा प्रशासनिक और सामान्य सेवाओं परव्यय में गया थाजो 2018-19में घटकर 28 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2017-18 में बिहार के लिए यह अनुपात पंजाब (65 प्रतिशत), केरल (55 प्रतिशत), और पश्चिम बंगाल (41 प्रतिशत) जैसे राज्यों से काफी नीचे था। वर्ष 2017-18 में केवल चार राज्यों-ओडिशा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और छत्तीसगढ़-में ही यह अनुपात बिहार से कम था।

(च) **राजस्व व्यय के साथ ब्याज भुगतान का अनुपात :** यह अनुपात दर्शाता है कि राजस्व व्यय का कितना हिस्सा राज्य में पूर्व में लिए गए उधारों के लिए ब्याज भुगतान पर खर्च हो रहा है। वष 2017-18में बिहार का ब्याज भुगतान कुल राजस्व व्यय का 8.8 प्रतिशत था जो सिर्फ तीन राज्यों (मध्य प्रदेश, ओडिशा और छत्तीसगढ़) से अधिक था। वर्ष 2018-19 में यह घटकर 7.2 प्रतिशत रह गया और 2019-20 के बजट अनुमान में इसे 6.9 प्रतिशत तक कम होने की संभावना है।

(छ) **राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात :** कुल राजस्व व्यय के साथ राज्य के अपने राजस्व का अनुपात राज्य सरकार की राजस्व व्यय संबंधी जरूरतों के लिहाज से उसकी आत्मनिर्भरता को दर्शाता है। वर्ष 2018-19 में बिहार में यह अनुपात 2017-18 के 32.4 प्रतिशत से घटकर 25.2 प्रतिशत रह गया और 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार यह 26.4 प्रतिशत पर पहुंचता दिखता है।

(ज) **समूहित संवितरण के साथ केंद्र सरकार से सकल अंतरण का अनुपात :** यह अनुपात केंद्रीय अंतरणों पर राज्य सरकारों की निर्भरता का संकेत देता है। हाल के वर्षों में बिहार के कुल व्यय का 60 प्रतिशत से अधिक हिस्सा केंद्रीय अंतरणों से पूरा हुआ है। वर्ष 2017-18 में बिहार के लिए यह अनुपात 62.8 प्रतिशत था जो 2018-19 में बढ़कर 64.3 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2017-18 मेंयह अनुपात महाराष्ट में 19. 4 प्रतिशत और हरियाणा में 13.1 प्रतिशत था।

(झ) **केंद्र सरकार से सकल अंतरण के साथ ऋण अदायगी व्यय का अनुपात :** यह अनुपात दर्शाता है कि राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय अंतरणों का ऋण सेवा के लिए किस हद तक उपयोग किया गया। वर्ष 2017-18 में बिहार को हुए सकल अंतरण का 16.0 प्रतिशत हिस्सा ऋण सेवा भुगतान में चला गया था जो 2018-19 में उससे थोड़ा घटकर 14.7 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में और भी घटकर इसका 13.0 प्रतिशत रह जाने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और केरल जैसे राज्यों में 2017-18 मेंयह अनुपात 100 प्रतिशत से भी अधिक था।

तालिका 2.2 : प्रमुख राजकोषीय सूचक (2017-18 से 2019-20)

राज्य	क. राजस्व घाटा : सकल राजकोषीय घाटा (%)			ख. पूंजीगत परिव्यय : सकल राजकोषीय घाटा (%)		
	2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)	2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)
बिहार	-104	-50	-134	202	135	227
झारखंड	-15	-94	-120	100	174	194
पश्चिम बंगाल	34	23	-	67	75	98
ओडिशा	-143	-76	-35	226	170	130
उत्तर प्रदेश	-45	-108	-59	141	202	166
मध्य प्रदेश	-20	0	-2	136	95	104
राजस्थान	73	79	83	81	67	60
महाराष्ट्र	-9	27	33	112	74	68
गुजरात	-24	-4	-9	123	99	105
पंजाब	76	68	59	19	28	116
हरियाणा	55	41	54	71	78	72
कर्नाटक	-15	0	-1	99	89	95
आंध्र प्रदेश	50	35	5	42	61	92
केरल	63	55	33	33	41	62
तमिलनाडु	54	42	32	51	58	71
हिमाचल प्रदेश	-8	28	32	97	63	62
छत्तीसगढ़	-50	34	-11	147	65	111

राज्य	ग. विकासतर व्यय : समूहित संवितरण (%)			घ. विकासतर व्यय : राजस्व प्राप्तियां (%)		
	2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)	2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)
बिहार	26.5	23.4	25.3	31	28	29
झारखंड	25.7	24.2	22.9	33	28	26
पश्चिम बंगाल	29.7	28.2	28.4	41	38	37
ओडिशा	21.3	22.1	22.4	24	26	27
उत्तर प्रदेश	34.0	31.7	33.0	39	38	40
मध्य प्रदेश	19.5	21.0	20.7	24	26	26
राजस्थान	24.5	26.2	25.5	35	38	36
महाराष्ट्र	27.9	24.4	27.1	33	32	35
गुजरात	26.7	25.6	28.0	34	34	37
पंजाब	48.0	39.2	32.9	65	54	53
हरियाणा	30.0	28.5	31.2	43	40	45
कर्नाटक	19.0	20.9	22.0	24	27	28
आंध्र प्रदेश	26.8	24.9	21.9	38	35	28
केरल	39.1	39.8	37.9	55	53	50
तमिलनाडु	30.2	29.8	31.2	42	41	42
हिमाचल प्रदेश	32.6	30.9	32.8	41	42	43
छत्तीसगढ़	19.5	17.2	19.4	22	22	23

राज्य	च. ब्याज भुगतान : राजस्व व्यय (%)			छ. राज्य का अपना राजस्व : राजस्व व्यय (%)		
	2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)	2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)
बिहार	8.8	7.2	6.9	32.4	25.2	26.4
झारखंड	9.1	8.8	7.9	43.8	49.8	52.3
पश्चिम बंगाल	19.9	18.2	19.0	43.1	41.1	43.3
ओडिशा	6.9	6.4	6.0	54.9	45.2	41.8
उत्तर प्रदेश	10.9	9.6	9.7	48.6	50.2	48.1
मध्य प्रदेश	8.5	8.1	8.1	45.3	41.3	44.4
राजस्थान	13.5	12.6	12.1	48.0	47.3	48.6
महाराष्ट्र	13.7	11.3	10.5	78.0	68.3	68.1
गुजरात	16.1	14.6	14.2	75.1	68.6	69.6
पंजाब	24.5	19.8	19.6	57.3	52.2	52.3
हरियाणा	16.3	16.2	17.6	69.5	70.7	65.0
कर्नाटक	9.8	9.4	10.5	67.9	62.6	60.5
आंध्र प्रदेश	11.4	11.3	9.6	46.4	49.9	45.9
केरल	15.1	13.8	13.9	59.4	59.5	66.2
तमिलनाडु	15.5	14.4	15.3	63.9	62.5	65.1
हिमाचल प्रदेश	14.0	12.3	12.6	36.8	27.5	28.7
छत्तीसगढ़	5.5	4.8	6.0	50.4	38.6	41.4

राज्य	ज. सकल अंतरण : समूहित संवितरण (%)			झ. ऋण अदायगी : सकल अंतरण (%)		
	2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)	2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)
बिहार	62.8	64.3	69.1	16.0	14.7	13.0
झारखंड	45.3	48.4	47.4	24.8	23.0	22.3
पश्चिम बंगाल	40.3	42.8	43.8	73.2	80.1	81.3
ओडिशा	47.8	51.5	51.2	16.5	16.2	15.7
उत्तर प्रदेश	47.2	47.6	46.5	29.3	24.5	32.4
मध्य प्रदेश	46.2	48.6	46.3	21.6	24.6	28.1
राजस्थान	32.8	32.5	32.7	53.4	56.0	57.0
महाराष्ट्र	19.4	21.8	21.7	90.9	76.6	70.2
गुजरात	21.8	25.0	25.4	94.2	76.0	73.9
पंजाब	24.4	30.0	25.8	284.9	189.5	192.6
हरियाणा	13.1	15.5	17.9	154.0	186.9	174.3
कर्नाटक	28.0	29.1	31.4	42.6	42.3	39.5
आंध्र प्रदेश	33.9	33.1	43.2	46.8	52.0	31.2
केरल	20.6	25.5	23.4	117.2	98.9	99.2
तमिलनाडु	20.5	23.6	23.8	83.7	75.1	79.6
हिमाचल प्रदेश	50.8	52.4	52.8	41.7	39.5	33.3
छत्तीसगढ़	47.0	46.3	51.5	12.9	13.6	15.9

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट : 2019-20 के बजटों का अध्ययन, भारतीय रिज़र्व बैंक

2.3राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता, लचीलापन और सुभेद्यता

तालिका 2.3 में कुछ चुनिंदा सूचक प्रस्तुत हैं जिनका उपयोग बिहार में राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता (सस्टेनेबिलिटी), लचीलापन (फ्लेक्सिबिलिटी) और सुभेद्यता (वल्नरेबिलिटी) को मापने के लिए किया गया है। इस खंड में कुछ प्रमुख सूचकों का विश्लेषण किया गया है।

तालिका 2.3 : राजकोषीय एवं वित्तीय प्रदर्शन सूचक (2015-16 से 2019-20)

सचक	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
क. सुस्थिरता					
वर्तमान राजस्व शेष (करोड़ रु.)	26027	28330	33996	36956	47205
ब्याज अनुपात (%)	8.5	8.6	8.3	8.2	6.7
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी कर प्राप्ति की बायोएंसी	2.7	-0.5	-0.2	4.3	1.3
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के मुकाबले राज्य की अपनी करेतर प्राप्ति की बायोएंसी	4.8	0.7	3.1	2.8	1.5
बकाया ऋण में वृद्धि (%)	17.7	19.0	13.0	7.7	10.2
कुल राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (%)	22.6	9.8	11.2	12.2	34.1
राज्य की अपनी राजस्व प्राप्ति में वृद्धि (%)	23.9	-5.4	1.9	25.9	15.1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में वृद्धि (%)	8.4	13.6	14.8	6.4	11.1
ख. लचीलापन					
पूंजीगत अदायगी/ पूंजीगत ऋण-ग्रहण(%)	25.8	20.1	37.2	46.6	35.5
कुल कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	20.0	19.6	18.2	20.0	21.5
पूंजीगत परिव्यय/ पूंजीगत प्राप्ति (%)	130.2	126.0	219.1	102.8	147.3
राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	6.8	5.6	4.8	5.7	5.9
राज्य की अपनी करेतर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
बकाया देनदारी/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	31.4	32.8	32.3	32.8	32.5
ग. सुभेद्यता					
राजस्व घाटा (करोड़ रु.)	-12507	-10819	-14823	-6897	-21517
राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)	12062	16480	14305	13807	16101
प्राथमिक घाटा (करोड़ रु.)	4964	8289	5251	3736	5378
प्राथमिक घाटा/ राजकोषीय घाटा (%)	41.2	50.3	36.7	27.1	33.4
राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा (%)	-103.7	-65.7	-103.6	-50.0	-133.6

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

सुस्थिरता

निम्नलिखित सूचकों का उपयोग यह जानने के लिए किया जाता है कि राज्य में विकासमूलक गतिविधियों के वित्तपोषण के साधन टिकाऊ हैं या नहीं, अर्थात वे ऋण का भार ज्यादा बढ़ाए बिना राज्य सरकार की व्यय संबंधी बढ़ी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हैं या नहीं। ये सूचक बताते हैं कि बिहार में राजकीय वित्तव्यवस्था के साधन सुस्थिर हैं।

ब्याज अनुपात : इस अनुपात की गणना ब्याज भुगतान और ब्याज प्राप्ति के अंतर तथा कुल राजस्व और ब्याज प्राप्ति के अंतर के अनुपात के बतौर की जाती है। ब्याज अनुपात का उपयोग अपनी राजस्व प्राप्तियों से किसी नए ऋण को चुकाने और अपना राजस्व व्यय पूरा करने की राज्य सरकार की क्षमता को मापने के लिए किया जाता है। इसका ऊंचा अनुपात अपनी राजस्व प्राप्ति से किसी नए ऋण को चुकाने और अपना राजस्व व्यय पूरा करने की राज्य सरकार की क्षमता में कमी को दर्शाता करता है। बिहार के लिए यह अनुपात हाल के वर्षों में निम्न स्तर पर रहा है। वर्ष 2015-16 में यह अनुपात 8.5 प्रतिशत था और उसके बाद से घटते हुए 2018-19 में यह 8.2 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार इसे और भी घटकर 6.7 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। यह भारत के चौदहवें वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित 10 प्रतिशत की सीमा के नीचे है।

राज्य के अपने कर और करेतर राजस्वों की बायोएंसी (उछाल) : राज्य सरकार की अपनी कर प्राप्ति की बायोएंसी (उछाल) में हाल के वर्षों में काफी उतार-चढ़ाव दिखता है। सामान्यत: 2015-16 तक इसमें बायोएंसी रही है। राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में 2018-19 में 4.3 प्रतिशत बायोएंसीथी। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार भी इसमें बायोएंसी रहने की आशा है। करेतर राजस्व में बायोएंसीके मामले में भी हाल के वषां के दौरान उतार-चढ़ाव काफी अधिक रहा है। वर्ष 2015-16 में करेतर राजस्व के मामले में बायोएंसी4.8 थी जो बाद के वर्षों में घटती गई है। करेतर राजस्व के मामले में बायोएंसी में ऐसा व्यापक उतार-चढ़ाव मुख्यत: राज्य में इसके शीर्षों (जैसे कि खनिजों से रॉयल्टी) के आर्थिक चक्रों के प्रति अत्यंत संवदेनशील होने कारण होता है। गौरतलब है कि बिहार की कुल राजस्व प्राप्ति में करेतर राजस्व का हिस्सा राज्य के विभाजन के बाद 2001-02 से बहुत कम रहा है। अत: राज्य में राजकीय वित्तव्यवस्था की सुस्थिरता को समझने के लिए कर राजस्व उछाल ही अधिक महत्वपूर्ण है।

लचीलापन

इन सूचकों का उपयोग राजस्व बढ़ाकर या ऋण लेकर वित्तपोषण के साधनों की व्यवस्था करने में राज्य सरकार के लचीलापन की माप करने के लिए किया जाता है।

पूंजीगत प्राप्तिके साथपूंजीगत परिव्यय का अनुपात : यह अनुपात बताता है कि राज्य में पूंजीगत प्राप्ति का पूंजी निर्माण में किस हद तक उपयोग किया जा रहा है। 100 प्रतिशत से कम अनुपात दीर्घकालिक आधार पर

टिकाऊ नहीं होगा क्योंकि यह बताएगा कि पूंजीगत प्राप्ति का उपयोग राजस्व व्यय के लिए किया जा रहा है। बिहार में यह अनुपात हाल के वर्षों में 100 प्रतिशत से ऊपर रहा है। हालांकि 2017-18 के 219.1 प्रतिशत से घटकर यह 2018-19 में 102.8 प्रतिशत रह गया। कुल मिलाकर यह दर्शाता है कि राज्य सरकार की संपूर्ण पूंजीगत प्राप्ति का उपयोग अभी पूंजीगत परिव्यय हेतु हो रहा है। हाल के वर्षों में बिहार में राजस्व अधिशेष के एक हिस्से का उपयोग भी पूंजीगत परिव्यय के लिए किया गया।

राज्य की अपनी कर प्राप्ति का सकल राज्य घरेलू उत्पादके साथ अनुपात : बिहार के लिए सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अपनी कुल कर प्राप्ति का अनुपात 2008-09 तक चार प्रतिशत के आसपास गतिरुद्ध रहा था जो 2015-16 तक सुधरकर 6.8 प्रतिशत हो गया था। हालांकि यह अनुपात 2017-18 में पुन: घटकर 4.8 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2018-19 में यह 5.7 प्रतिशत था और वर्तमान वित्तवर्ष में इसके थोड़ा बढ़कर5.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। यह अनुपात अन्य राज्यों से काफी कम है जो इस बात को रेखांकित करता है कि अपने कर राजस्व में सुधार लाने की जरूरत है। यही नहीं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के हिस्से के बतौर राज्य का अपना करेतर राजस्व 2018-19 में मात्र 0.8 प्रतिशत था। वर्ष 2019-20 में इसके इसी स्तर पर रहने का अनुमान है।

बकाया देनदारी का सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ अनुपात : इस अनुपात का उपयोग राज्य सरकार की ऋण संबंधी सुस्थिरता के एक सूचक के बतौर किया जा सकता है। यह अनुपात ऊंचा हो, तो राज्य सरकार के लिए वित्तीय फेरबदल की बहुत कम गुंजाइश बचती है और वित्तीय लचोलापन की कमी व्यक्त होती है। यहां गौरतलब है कि राज्य की कुल देनदारी, जिसमें लोक लेखा की देनदारी भी शामिल थी, 2015-16 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 31.4 प्रतिशत के बराबर थी जो 2018-19 में बढ़कर 32.8 प्रतिशत हो गई और 2019-20 के बजट में इसके 32.5 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

सुभेद्यता

राजकीय वित्तव्यवस्था की सुभेद्यता (वल्नरेबिलिटी) का संकेत घाटा, खास कर प्राथमिक घाटा सेमिलता है।

प्राथमिक घाटा, वर्तमान वर्ष के राजकोषीय घाटा और सरकार द्वारा पूर्व में लिए गए उधारों के लिए वर्तमान वर्ष के ब्याज भुगतानों के बीच अंतर होता है। यह अतीत की देनदारियों पर विचार किए बिना, जिसके लिए वर्तमान वित्तवर्ष में ब्याज भुगतान किया जाना है, राज्य सरकार के वर्तमान व्यय संबंधी निर्णयों के कारण हुए घाटा को दर्शाता है। वर्ष 2008-09 में बिहार में 1246 करोड़ रु. का प्राथमिक अधिशेष था लेकिन उसके बाद से बिहार अपने प्राथमिक लेखे में अधिशेष कायम नहीं कर सका। अपवाद सिर्फ वर्ष 2010-11 था जब प्राथमिक लेखे में 349 करोड़ रु. का मामूली अधिशेष मौजूद था। वर्ष 2018-19 में प्राथमिक घाटा पिछले साल के 5251 करोड़ रु. से घटकर 3736 करोड़ रु. रह गया।

2.4 घाटा प्रबंधन

आर्थिक सुस्ती के दौर में घाटा को एफआरबीएम की विहित सीमा में रखनाएक चुनौती है। बिहार जैसे राज्य के लिए तो यह और भी मुश्किल है जहां राजकोषीय गुंजाइश सीमित है। राजस्व के मोर्चे पर सीमाबद्धताओं के बावजूद बिहार ने विगत कुछ वर्षों के दौरान लगातार राजकोषीय विवेक दर्शाया है और घाटे निर्धारित सीमाओं के अंदर रहे हैं। प्रमुख राज्यों के राजस्व लेखों की स्थिति तालिका 2.4 में दर्शाई गई है। बिहार ऐसे चंद राज्यों में से एक है जिन्होंने हाल के वर्षों में लगातार राजस्व अधिशेष बरकरार रखा है। राज्य का राजस्व अधिशेष 2017-18 में 14,823.0 करोड़ रु. हो गया जो अन्य राज्यों से अधिक था। लेकिन 2018-19 में यह घटकर 6897.6 करोड़ रु. रह गया।

तालिका 2.4 : राज्यों की राजस्व लेखों में घाटा/ अधिशेष (2017-18 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

राज्य	राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)			राज्य	राजस्व घाटा (+)/ अधिशेष (-)		
	2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)		2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)
बिहार	-14,823.0	-6897.6	-21,517.0	गुजरात	-5,231.6	-1,378.7	-2,874.0
झारखंड	-1,805.6	-7,065.0	-8,555.0	पंजाब	9,455.3	11,919.1	11,687.3
पश्चिम बंगाल	9,807.0	7,524.1	—	हरियाणा	10,562.5	8,506.7	12,022.5
ओडिशा	-13,367.0	-10,554.9	-6,528.1	कर्नाटक	-4,517.3	-194.1	-258.0
उत्तर प्रदेश	-12,551.9	-47,247.7	-27,777.4	आंध्र प्रदेश	16,151.7	11,654.9	1,778.5
मध्य प्रदेश	-4,629.3	-137.3	-732.6	केरल	16,928.2	13,027.0	8,770.3
राजस्थान	18,534.3	24,824.9	27,015.0	तमिलनाडु	21,593.9	19,319.0	14,314.8
महाराष्ट्र	-2,082.5	14,960.0	19,784.4	छत्तीसगढ़	-3,417.3	6,341.6	-1,151.5

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

चार्ट 2.6 में बिहार का 2007-08 से अब तक का सकल राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। वर्ष 2017-18 और 2018-19, दोनो वर्षों के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर बिहार का सकल राजकोषीय घाटा एफ.आर.बी.एम. अधिनियम द्वारा अधिदेशित 3 प्रतिशत सीमा के अंदर था। हालांकि 2014-15 से लेकर 2016-17 तक यह इस सीमा से थोड़ा ऊपर चला गया था। वर्ष 2019-20 के बजट में इसके राज्य घरेलू उत्पाद का 2.81 प्रतिशत रहने का अनुमान है। तालिका 2.5 में देश के प्रमुख राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा दर्शाया गया है। बिहार में सकल राजकोषीय घाटा अनेक अन्य राज्यों से कम स्तर पर रहा है। बिहार में सकल राजकोषीय घाटा 2017-18 के 14,305 करोड़ रु. की तुलना में 2018-19 में 13,807 करोड़ रु. था। कम सकल राजकोषीय घाटा और कम राजस्व अधिशेष बिहार के 2018-19 में पूंजीगत व्यय में हुई कमी में प्रतिबिंबित होता है।

चार्ट 2.6 : बिहार का सकल राजस्व घाटा सकल राज्य घरेलु उत्पाद के प्रतिशत में

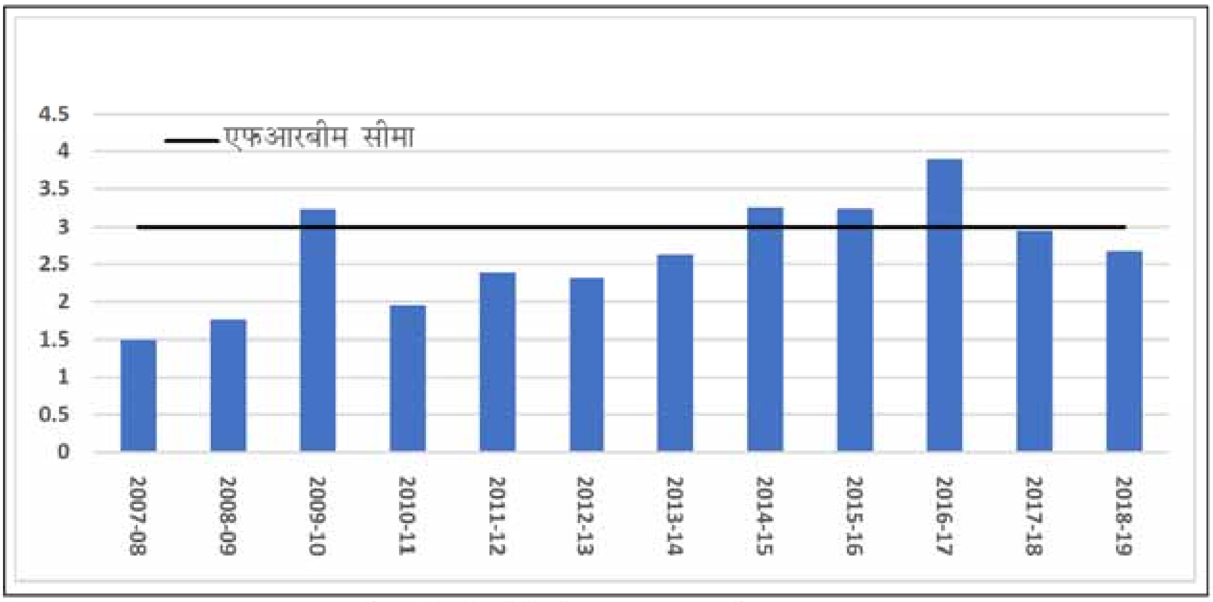

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.5 : सकल राजकोषीय घाटा (2017-18 से 2019-20)

राज्य	सकल राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)			राज्य	सकल राजकोषीय घाटा (करोड़ रु.)		
	2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)		2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)
बिहार	14,305	13807	16,101	पंजाब	12,494	17,650	19,658
झारखंड	11,931	7,494	7,156	हरियाणा	19,115	20,533	22,462
पश्चिम बंगाल	28,931	32,498	27,254	कर्नाटक	31,101	40,167	42,051
ओडिशा	9,360	13,935	18,877	आंध्र प्रदेश	32,373	33,619	35,261
उत्तर प्रदेश	27,810	43,840	46,911	केरल	26,837	23,686	26,291
मध्य प्रदेश	22,745	28,612	32,106	तमिलनाडु	39,840	45,520	44,176
राजस्थान	25,342	31,473	32,678	हिमाचल प्रदेश	3,870	7,786	7,352
महाराष्ट्र	23,961	56,054	60,235	छत्तीसगढ़	6,811	18,768	10,881
गुजरात	21,366	31,787	31,253				

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

तालिका 2.6 में देश के प्रमुख राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर दर्शाया गया है। राज्यों का राजकोषीय अनुशासन 2017-18 में कुल मिलाकर 2016-17 से बेहतर स्थिति में था। बिहार भी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतार अपना सकल राजकोषीय घाटा 2017-18 और 2018-19, दोनो वर्षों में में एफ.आर.बी.एम. अधिनियम द्वारा अधिदेशित 3 प्रतिशत सीमा के अंदर रखने में सफल रहा।वर्ष 2019-20 के बजट में इसके 2.8 प्रतिशत रहने का अनुमान है।

तालिका 2.6 : सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में (2016-17 से 2019-20)

राज्य	2016-17	2017-18	2018-19 (पु.अ.)	2019-20 (ब.अ.)
आंध्र प्रदेश	4.4	4.0	3.6	3.3
बिहार	3.9	3.0	2.7	2.8
गुजरात	1.4	1.6	2.1	1.8
हरियाणा	4.7	3.1	2.9	2.9
झारखंड	4.3	4.3	2.4	2.0
कर्नाटक	2.4	2.3	2.9	2.5
केरल	4.2	3.8	3	3.0
मध्य प्रदेश	4.3	3.1	3.5	3.5
महाराष्ट्र	1.8	1.0	2.1	2.0
ओडिशा	2.4	2.1	2.9	3.5
पंजाब	12.4	2.6	3.4	3.4
राजस्थान	6.1	3.0	3.4	3.2
तमिलनाडु	4.3	2.7	2.7	2.4
तलंगाना	5.3	3.5	3.3	2.4
उत्तर प्रदेश	4.5	2.0	3	3.0
पश्चिम बंगाल	2.9	2.9	2.8	2.0

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

तालिका 2.7 में राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे की संरचना दर्शाई गई है। तालिका में देखा जा सकता है कि राजस्व अधिशेष पूंजीगत परिव्यय के बड़े हिस्से का वित्तीयन करता रहा है। वहीं, चार्ट 2.7 से स्पष्ट है कि विगत वर्षों के दौरान सकल राजकोषीय घाटा के ये दो घटक साथ-साथ आगे बढ़े हैं। अधिकांश वर्षों में जब राजस्व अधिशेष बढ़ा, तो पूंजीगत परिव्यय भी बढ़ता दिखा। वहीं, राजस्व अधिशेष घटने पर राज्य में सामाजिक और भौतिक अधिसंरचना पर व्यय के वित्तोयन का मुख्य स्रोत अब उधारियां बन गई हैं। राज्य सरकार के सकल राजकोषीय घाटे में शुद्ध ऋणप्रदान का हिस्सा बहुत कम रहा है।यह भी दिखा कि 2018-19 में राज्य सरकार मुख्यत: पूंजीगत परिव्यय में कमी लाकर ही सकल राजकोषीय घाटा को एफआरबीएम सीमा के अंदर रख पाई।

तालिका 2.7 : बिहार में सकल राजकोषीय घाटा की संरचना (2014-15 से 2019-20)

रकम (करोड़ रु.)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
राजस्व घाटा	-5848	-12507	-10819	-14823	-6897	-21517
पूंजीगत परिव्यय	18150	23966	27208	28907	21058	36593
शुद्ध ऋण-प्रदान	-1124	603	91	221	-355	1025
सकल राजकोषीय घाटा	**11178**	**12062**	**16480**	**14305**	**13807**	**16101**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	342951	371602	422316	484740	515634	572827
सकल राजकोषीय घाटा : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (%)	**3.26**	**3.25**	**3.90**	**2.95**	**2.68**	**2.81**

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

चार्ट 2.7 : बिहार में राजस्व अधिशेष बनाम पूंजीगत परिव्यय

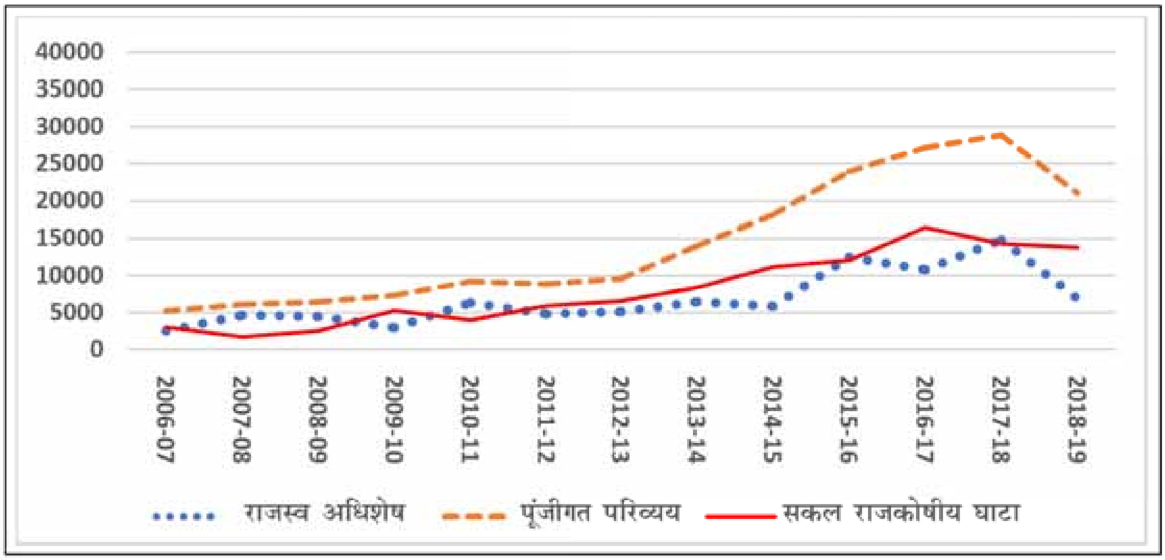

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.8 में दर्शाया गया है कि 2015-16 से सकल राजकोषीय घाटे का वित्तीयन किस तरह किया गया। विगत वर्षों के दौरान सकल राजकोषीय घाटा के वित्तोयन में शुद्ध ऋण-ग्रहण और लोक लेखा के शुद्ध शेष का हिस्सा बदलता रहा है। वर्ष 2018-19 में सकल राजक्रोषीय घाटा के वित्तोयन में शुद्धऋण-ग्रहण का 82.8 प्रतिशत और लोक लेखा के शुद्ध शेष का 18.0 प्रतिशतहिस्साथा। उनके हिस्से 2017-18 में क्रमश: 59.5 प्रतिशत और 40.0 प्रतिशत थे। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में सकल राजकोषीय घाटा का पूरा वित्तोयन शुद्धऋण-ग्रहण से होता दिखाया गया है। वर्ष 2017-18 में सकल राजकोषीय घाटा का वित्तोयन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से 68 करोड़ रु. नगद शेष निकाला गया था।

तालिका 2.8 : बिहार में सकल राजकोषीय घाटे का वित्तपोषण (2015-16 से 2019-20)

रकम(करोड़ रु.)	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
शुद्ध ऋण-ग्रहण	14258	17362	8516	11438	17185
शुद्ध लोक लेखा	-1983	-893	5721	2479	-1084
नगद शेष में शुद्ध कमी (आरंभिक शेष - अंतिम शेष)	-214	10	68	-110	0
सकल राजकोषीय घाटा	**12062**	**16480**	**14305**	**13807**	**16101**
प्रतिशत संरचना					
शुद्ध ऋण-ग्रहण	118.2	105.4	59.5	82.8	106.7
शुद्ध लोक लेखा	-16.4	-5.4	40.0	18.0	-6.7
नगद शेष में शुद्ध कमी	-1.8	0.1	0.5	-0.8	0.0

स्रोत : राज्य सरकार के बजट

2.5 नगद प्रबंधन और जमानतें

राज्य सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक में 1.73 करोड़ रु. का न्यूनतम दैनिक नगद शेष रखना होता है। ऐसा नहीं करने पर उसे सामान्य अग्रिम या विशेष अर्थोपाय अग्रिम (वेज एंड मीन्स एडवांस) लेना पड़ता है। वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के पास पूरे साल दैनिक न्यूनतम शेष बनाए रख सकी। 31 मार्च 2019 को राज्य सरकार का कुल नगद शेष 20,837.31 करोड़ रु. था जो 31 मार्च 2018 को 22,081 करोड़ रु. था। इसमें से 14,791 करोड़ रु. का निवेश नगद शेष निवेश लेखा में किया गया और234.65 करोड़ रु. विभागीय अधिकारियों के पास नगद के रूप में मौजूद थे।जबकि2018-19 के अंत में 758.52 करोड़ रु. विभिन्न विभागीय अधिकारियों के पास आकस्मिक व्यय हेतु स्थायी अग्रिम के बतौर रखे थे। वहीं, 4,895.22 करोड़ रु. का निवेश परिशोधन निधि (सिंकिंग फंड) जसे चिन्हित कोषों में किया गया। फलतः 31 मार्च, 2019को भारतीय रिजर्व बैंक के पास 157.12 करोड़ रु. का शुद्ध नगद शेष रह गया।

वर्ष 2018-19 के अंत में राज्य सरकार द्वारा दी गई समस्त गारंटी 5,501.86 करोड़ रु. की थी जो 2017-18 के अंत में 5,346.42 करोड़ रु. थी। इसमें से 3717 करोड़ रु. की विद्युत क्षेत्र के ऋण के संबंध में, 127.47 करोड़ रु. की बिहार राज्य वित्त निगम के संबंध में और 495.66 करोड़ रु. की ऋणमूलक सहकारी समितियों और आवासीय सहयोग समितियों के संबंध में गारंटी दी गई थी। वर्ष 2018-19 में गारंटी कमीशन या शुल्कों के रूप में 2.64 करोड़ रु. प्राप्त हुए।

2.6 ऋण प्रबंधन

तालिका 2.9 में राज्य सरकार की 2014-15 से 2019-20 तक की बकाया ऋण देनदारियों (गारंटियों को छोड़कर) और उनके घटकों को दर्शाया गया है। वर्ष 2018-19 के अंत तक राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारियां 1,68,921 करोड़ रु. पहुंच गईं जो गत वर्ष की कुल बकाया देनदारियों से 7.7 प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2018-19 में बकाया देनदारी में हुई 7.7 प्रतिशत वृद्धि 2015-16 की 17.7 प्रतिशत और2016-17 की 19.0 प्रतिशत वृद्धि से कम है।

वर्ष 2018-19 के अंत में राज्य की कुल बकाया देनदारी में 74.7 प्रतिशत हिस्सा लोक ऋण का और शेष हिस्सा लघु बचतों, भविष्य निधि, आरक्षित निधियों और जमा एवं अग्रिमों का था। वित्तवर्ष 2015-16 से कुल लोक ऋण में आंतरिक ऋण का हिस्सा 90 प्रतिशत के आसपास रहा है। यह 2007-08 में मात्र 76.4 प्रतिशत था जिसके बाद से यह बढ़ता गया है। लोक ऋण में केंद्र सरकार से ऋण का हिस्सा विगत वर्षों घटता गया है जो 2015-16 से लगभग नौ प्रतिशत के आसपास है। तालिका 2.9 यह भी दर्शाती है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर बकाया देनदारी में वृद्धि हुई है और यह 2014-15 के 28.8 प्रतिशत से 2018-19 में 32.5 प्रतिशत हो गई है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर बकाया देनदारी विगत तीन वर्षों में 32-33 प्रतिशत के आसपास है। बकाया देनदारी 2007-08 में सकल राज्य घरेलू उत्पादद के 45 प्रतिशत के उच्च स्तर पर थी जो 2011-12 में 27 प्रतिशत पर आ गई थी। (देखें चार्ट 2.8)।

तालिका 2.9 : बकाया देनदारियां (2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

रकम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
लोक ऋण						
आंतरिक ऋण	65848	79990	96595	104525	114360	129943
केंद्रीय ऋण	8722	8838	9596	10182	11785	13387
योगफल	74570	88829	106191	114707	126145	143330
लोक ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर	21.7	23.9	25.1	23.7	24.5	25.0
अन्य देनदारियां						
लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	8865	8792	8891	8811	9089	8989
आरक्षित निधियां	1836	1435	723	26	26	26
जमा राशियां एवं अग्रिम	13589	17523	22917	33233	33661	33761
योगफल	24290	27749	32531	42070	42776	42776
अन्य देनदारियां सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर	7.1	7.5	7.7	8.7	8.3	7.5
योग (लोक ऋण + अन्य देनदारियां)	98860	116578	138722	156777	168921	186106
बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर	28.9	31.4	32.8	32.3	32.8	32.5

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार के बजट

चार्ट 2.8 : बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलु उत्पाद के प्रतिशत में

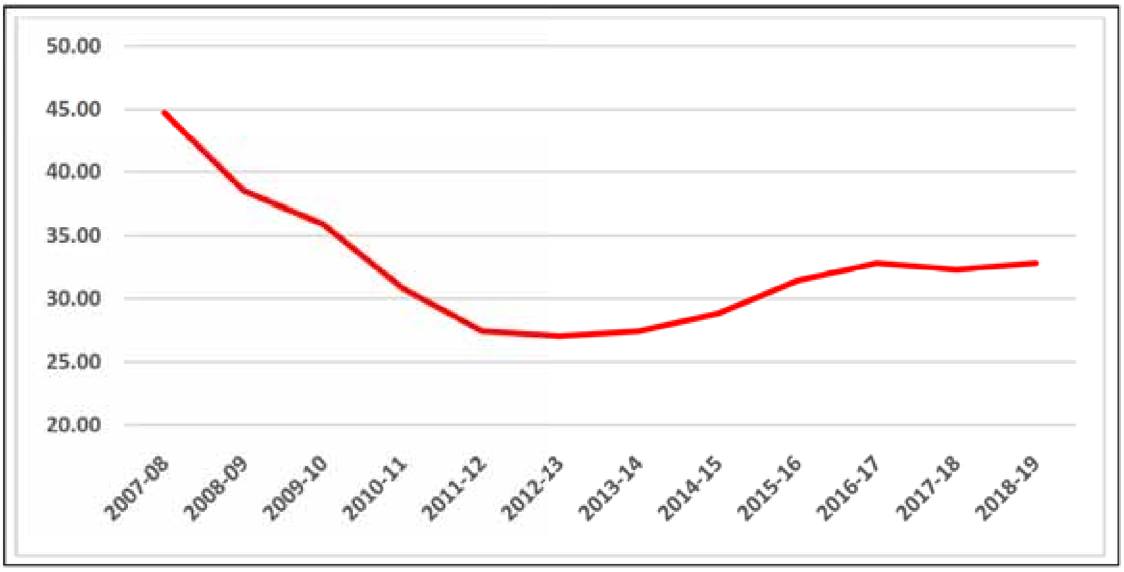

स्रोत : वित्तीय लेखे और राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2018-19 और 2019-20, दोनो वर्षों के अंत में राज्य सरकार की लोक लेखा संबंधी देनदारी 42,776 करोड़ रु. थी। राज्य सरकार की कुल बकाया देनदारी में इसका हिस्सा 2018-19 में 25.3 प्रतिशत था और 2019-20 के बजट में यह घटकर 23.0 प्रतिशत होता दिखाया गया है। यह कमी मुख्यत: आंतरिक ऋण के जरिए बकाया ऋण में वृद्धि के कारण है।

तालिका 2.10 : संचित निधि में बकाया देनदारियों की संरचना (2017-18 से 2018-19)

उधारियों की प्रकृति	ताजा उधारियां		बकाया शेष		2018से 2019में प्रतिशत वृद्धि	प्रतिशत संरचना
	2017-18 (करोड़ रु.)	2018-19 (करोड़ रु.)	31.03.2018 (करोड़ रु.)	31.03.2019 (करोड़ रु.)		
क. आंतरिक ऋण	**11,771**	**16,134**	**1,04,525**	**1,14,360**	**9.4**	**90.7**
बाजार के ऋण	10,000	14,300	73897	84,800	14.8	74.2
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिम	0	0	0	0	0.0	
बांड	0	0	2351	2,351	0.0	2.1
वित्तीय संस्थाओं से ऋण	1,771	1,834	6820	7,571	11.0	6.6
राष्ट्रीय लघु बचत कोष को जारी विशेष प्रतिभूतियां	0	0	21450	19,631	-8.5	17.2
अन्य	0	0	7	7.45	0.0	0.0
ख. केंद्र सरकार के ऋण और अग्रिम	**1398**	**2534**	**10182**	**11785**	**15.7**	**9.3**
योजनतर ऋण	0	0	1	1	0.0	0.0
केंद्रीय योजना की योजनाओं के लिए ऋण	0	0	1	1	0.0	0.0
राज्य योजना की योजनाओं के लिए ऋण	0	0	191	191	0.2	0.2
केंद्र प्रायोजित योजना की योजनाओं के लिए ऋण	7.19	0	1	1	0.0	0.0
अन्य ऋण	1391.46	2,533.78	9989	11592	16.0	7.9
योग (क+ख)	**13,169**	**18,668**	**1,14,707**	**1,26,145**	**10.0**	**100.0**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.10 में गत दो वर्षों के दौरान राज्य सरकार की बकाया देनदारी की संरचना दर्शाई गई है। राज्य सरकार की कुल उधारियां 2017-18 के 13,169 करोड़ रु. से 41.8 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में 18,668 करोड़ रु. हो गईं। वहीं, मार्च 2019 के अंत में संचित निधि से संबंधित बकाया शेष 11,438 करोड़ रु. बढ़कर 1,26,145 करोड़ रु. हो गया जिसका अर्थ 10.0 प्रतिशत की वृद्धि है। गत वर्ष की तुलना में 2018-19 में आंतरिक ऋण 9.4 प्रतिशत बढ़ा जबकि केंद्र सरकार से लिए गए ऋण एवं अग्रिम 15.7 प्रतिशत बढ़े।

बाजार से ली गई उधारियां 14.8 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 के अंत में 84,800 करोड़ रु. हो गईं और कुल बकाया देनदारी में इसका हिस्सा गत वर्ष के 64.4 प्रतिशत से 74.2 प्रतिशत हो गया। राज्य सरकार ने पिछले तीन वर्षों में राष्टोय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) से कोई ताजा उधार नहीं लिया है। राष्टोय लघु बचत निधि के कारण बकाया देनदारी 2017-18 के अंत में 21,450 करोड़ रु. थी जो 2018-19 के अंत में घटकर 19,630.65 करोड़ रु. रह गई।

तालिका 2.11 : लोक ऋण अदायगी संबंधी दायित्व (2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

रकम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
आंतरिक ऋण की अदायगी	2975	3423	3460	3841	6299	6153
केंद्रीय ऋणों की अदायगी	634	702	754	813	930	1083
अन्य देनदारियों की अदायगी	25463	34384	46487	36704	54432	34140
कुल अदायगी	**29072**	**38508**	**50701**	**41357**	**61661**	**41376**
कुल ब्याज भुगतान	**6129**	**7098**	**8191**	**9054**	**10071**	**10723**
ऋण सेवा का कुल बोझ	**35200**	**45606**	**58892**	**50411**	**71733**	**52099**

टिप्पणी : देनदारियों में लघु बचत और भविष्य निधिकी प्राप्ति और भुगतान की राशियां,आरक्षित निधियां और बिहार सरकार के लोक लेखा के तहत हुआ जमा शामिल हैं।

तालिका 2.11 में संचित निधि से संबंधित अपनी देनदारी के कारण राज्य सरकार के कर्ज अदायगी संबंधी दायित्व को दर्शाया गया है। वर्ष 2018-19 में राज्य स्रकार का कुल ऋण सेवा बोझ 2017-18 के 50,411 करोड़ रु. से बढ़कर 71,733 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2018-19 में मूलधन अदायगी 61,661 करोड़ रु. और ब्याज अदायगी 10,071 करोड़ रु. थी। वर्ष 2018-19 में मूलधन की अदायगी गत वर्ष से 49 प्रतिशत अधिक थी। वहीं, 2018-19 में संचित आंतरिक ऋण के मामले में भुगतान 64 प्रतिशत बढ़ गया।

तालिका 2.12 में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त शुद्ध लोक ऋण का विवरण देखा जा सकता है जिसका उपयोग अपने व्यय के लिए किया जा सका। वर्ष 2017-18 में कुल उधारियों के प्रतिशत के बतौर शुद्धऋण मात्र 8.1 प्रतिशत था जो 2018-19 में 24.5 प्रतिशत हो गया। हालांकि 2018-19 में पूंजीगत अदायगी में 55.4 प्रतिशत वृद्धि हुई लेकिन राज्य सरकार की शुद्धऋण प्राप्ति में वृद्धि बढ़ी उधारियों और ऋणों एवं अग्रिमों की बड़ी मात्रा में वसूली के कारण हुई। ऋणों और अग्रिमों की वसूली 2017-18 के 22 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 1825 करोड़ रु. हो गई। वर्ष 2019-20 के बजट में शुद्ध लोक ऋण 9172 करोड़ रु. रहने का अनुमान है जो कुल उधारियों का 37.6 प्रतिशत है।

तालिका 2.12 : प्राप्त शुद्ध लोक ऋण (2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

रकम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
प्राप्त सकल केंद्रीय ऋण	718	818	1512	1399	2534	2685
प्राप्त आंतरिक ऋण	13199	17565	20065	11771	16134	21736
प्राप्त कुल लोक ऋण	**13918**	**18383**	**21577**	**13169**	**18668**	**24421**
ऋणों तथा अग्रिमों की वसूली	1493	19	23	22	1825	416
ब्याज भुगतान	6129	7098	8191	9054	10071	10723
प्राप्त ब्याज	345	584	940	1577	1372	2294
चुकाया गया ऋण	3609	4125	4215	4654	7230	7236
प्राप्त शुद्धलोक ऋण	**6018**	**7763**	**10135**	**1061**	**4565**	**9172**
प्राप्त शुद्ध ऋण कुल ऋण-ग्रहण के प्रतिशत के बतौर	**43.2**	**42.2**	**47.0**	**8.1**	**24.5**	**37.6**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

2.7 संसाधन प्रबंधन

राज्य सरकार को कर और करेतर, दोनों प्रकार के स्रोतों से राजस्व प्राप्त होता है। राज्य सरकार के कर राजस्व में उसका अपना कर राजस्व तथा केंद्र सरकार के करों एवं शुल्कों के विभाज्य पूल से मिलने वाला उसका हिस्सा शामिल रहता है। इसी प्रकार, करेतर राजस्व में राज्य सरकार के अपने करेतर राजस्व के साथ-साथ योजना और योजनेतर प्रयोजनों के लिए मिलने वाले केंद्रीय अनुदान शामिल रहते हैं। जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत के साथ केंद्र और राज्य के अनेक करों की जगह वस्तु एवं सेवा कर ने ले ली। इसके तीन घटक हैं - राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी), केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) तथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर (आइजीएसटी)।

पेटॉलियम, पेटॉलियम उत्पादों और अल्कोहल को छोड़कर शेष सभी चीजों पर लगने वाले बिक्री कर/ मूल्यवर्धित कर, माल एवं यात्री कर, राज्य उत्पाद शुल्क (अल्कोहल को छोड़कर), मनोरंजन कर, विलासिता कर, लॉटरी पर कर, और विज्ञापन कर वस्तु एवं सेवा कर में समाहित हो गए हैं। बिहार में मद्यनिषेध लागू होने के बाद से राज्य सरकार अल्कोहल की बिक्री से किसी प्रकार का राजस्व प्राप्त नहीं करती है। ये सारे कर अभी तक वाणिज्य कर विभाग द्वारा संग्रहित किए जाते हैं जो अब इन करों की जगह राज्य वस्तु एवं सेवा कर वसूलता है।

विगत वर्षों के दौरान राजस्व लेखे में प्राप्ति और व्यय, दोनो लगातार बढ़े हैं। वर्ष 2008-09 से राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय की वृद्धि दरों को चार्ट 2.9 में दर्शाया गया है। ऐसा दिखता है कि पिछले ग्यारह वर्षों में से चार वर्षों को छोड़कर शेष वर्षों में राजस्व व्यय राजस्व प्राप्ति की अपेक्षा तेज दर से बढ़ा है। बिहार के लिए 2014-15 से 2018-19 तक और 2019-20 के बजट अनुमान में वर्णित राजस्व प्राप्तियों का सारांश तालिका 2. 13 में प्रस्तुत है। वर्ष 2018-19 में राजस्व प्राप्ति गत वर्ष से 12.2 प्रतिशत बढ़ी जबकि व्यय 21.7 प्रतिशत बढ़ गया। राजस्व लेखे में प्राप्ति की तुलना में व्यय की वृद्धि दर अधिक होने से 2018-19 में राजस्व अधिशेष घट

गया। लेकिन 2019-20 के बजट अनुमान में राजस्व प्राप्ति राजस्व व्यय की अपेक्षा तेज दर से बढ़ने का अनुमान है।

तालिका 2.13 : राजस्व लेखा : प्राप्ति (2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

रकम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
राजस्व प्राप्ति	78418	96123	105585	117447	131793	176748
राजस्व व्यय	72570	83616	94765	102624	124897	155231
राजस्व अधिशेष	-5848	-12507	-10819	-14823	-6897	-21517
राज्य का अपना कर + करेतर राजस्व	22308	27635	26145	26643	33539	38606
राज्य का अपना राजस्व कुल राजस्व के % में	28.4	28.7	24.8	22.7	25.4	21.8
केंद्रीय कर में राज्य का हिस्सा कुल राजस्व के % में	47.1	50.9	55.8	55.4	55.8	50.4
केंद्रीय अनुदान कुल राजस्व के % में	24.4	20.4	19.5	21.9	18.7	27.7
राज्य का अपना राजस्व राजस्व व्यय के % में	28.4	28.7	24.8	22.7	25.4	21.8

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

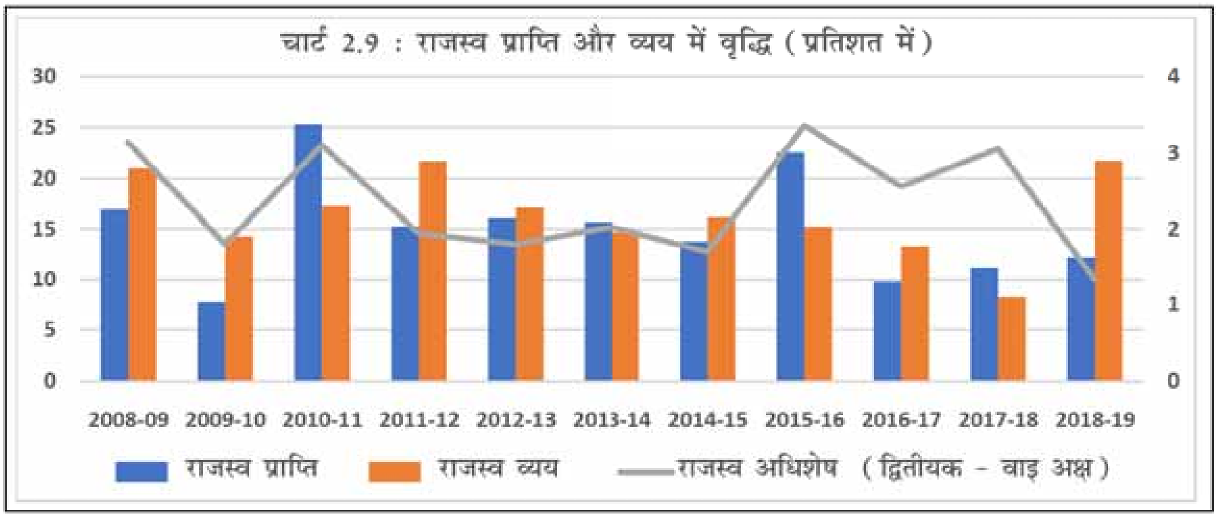

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

राज्य के अपने कर और करेतर राजस्व, दोनो के हिस्से में पिछले दो वित्तवर्षों के दौरान कमी आई थी लेकिन 2018-19 में इसमें वृद्धि हुई। राज्य का अपना राजस्व 2018-19 में कुल राजस्व का मात्र 25.4 प्रतिशत था। वर्ष 2015-16 में यह अनुपात 28.7 प्रतिशत था लेकिन उसके बाद से गत तीन वर्षों के दौरान इसमें लगातार गिरावट आई। अत: अपने व्यय के वित्तोयन के लिए राज्य सरकार केंद्रोय करों में अपने हिस्से औरकेंद्र सरकार के अनुदानों तथा उधारियों पर काफी अधिक निर्भर है। केंद्रोय करों में राज्यके हिस्से से राजस्व प्राप्ति2018-19 में 55.8 प्रतिशत थी। पिछले तीन वर्षों में यह लगभग समान स्तर पर रहा है। वहीं, राजस्व प्राप्ति में केंद्रोय अनुदानों का हिस्सा 2014-15 के 24.4 प्रतिशत से घटकर 2018-19 मं 18.7 प्रतिशत रह गया।

केंद्र सरकार से बिहार को होने वाले संसाधनों के अंतरण का पैटर्न तालिका 2.14 में दर्शाया गया है। संसाधनों के सकल अंतरण में केंद्रोय करों में राज्य सरकार का हिस्सा, केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान, और केंद्र

सरकार के ऋण शामिल होत हैं। केंद्र से राज्य को हुए संसाधनों का कुल अंतरण 2014-15 के 56,194 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 99,858 करोड़ हो गया और 2019-20 के बजट अनुमान में यह 1,39,743 करोड़ रु. होता दिखता है। केंद्र सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान 2018-19 में 24,652 करोड़ रु. था जो गत वर्ष से 1068 करोड़ रु. कम है। केंद्र सरकार से बिहार को ऋण के बतौर होने वाला संसाधनों का अंतरण 2014-15 के 85 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 1603 करोड़ रु. हो गया। केंद्र सरकार से हुआ शुद्ध अंतरण 2014-15 में कुल व्यय का 59.3 प्रतिशत था जो 2018-19 में बढ़कर 64.6 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार अपने संसाधन से अपने कुल व्यय के 21.7 प्रतिशत हिस्से का ही वित्तोयन कर पाई।

तालिका 2.14 : केंद्र सरकार से होने वाला संसाधनों का अंतरण (2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

रकम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
संवितरणों का पूर्णयोग	94698	112328	126302	136427	154655	200501
केंद्रीय करों में हिस्सा	36963	48923	58881	65083	73603	89122
केंद्र से सहायता अनुदान	19146	19566	20559	25720	24652	49019
केंद्र से सकल ऋण	718	818	1512	1399	2534	2685
संसाधनों का सकल अंतरण	56828	69306	80951	92202	100789	140826
केंद्र से शुद्ध ऋण	85	116	758	586	1603	1602
संसाधनों का शुद्ध अंतरण	56194	68604	80197	91390	99858	139743
अपना कर + करतर राजस्व	22308	27635	26145	26643	33539	38606
शुद्ध अंतरण : कुल व्यय अनुपात (%)	59.3	61.1	63.5	67.0	64.6	69.7
अपने संसाधन : कुल व्यय अनुपात (%)	23.6	24.6	20.7	19.5	21.7	19.2

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

चार्ट 2.10: राज्य की अपनी कर प्राप्तियां/सकल राज्य घरेलु उत्पाद (%)

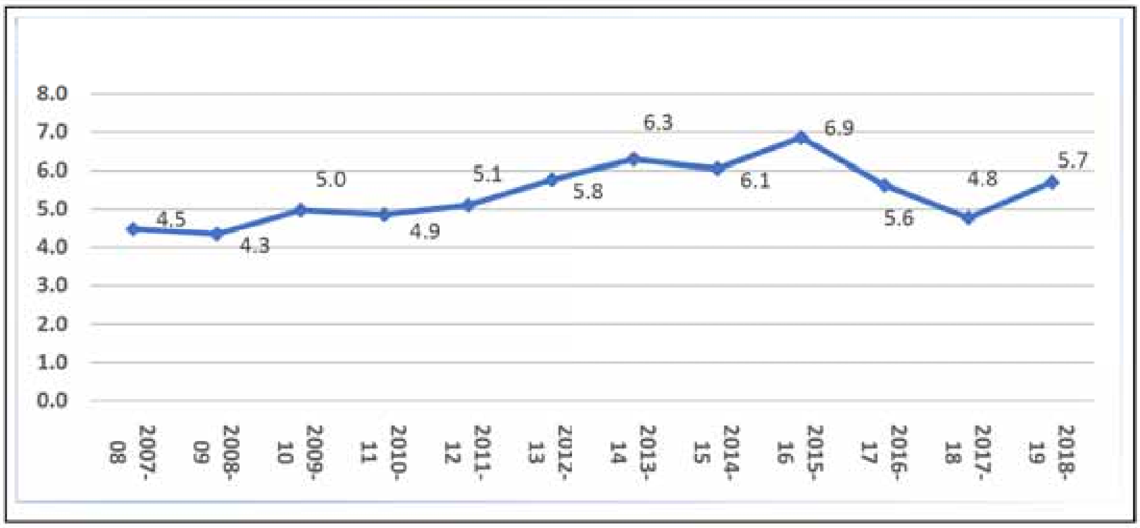

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.15 में 2017-18 के लिए विभिन्न राज्यों के अपने कर एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपातों की तुलना दर्शाई गई है। वर्ष 2017-18 में बिहार के मामले में यह अनुपात सभी प्रमुख राज्यों के बीच सबसे कम था जबकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद के हिस्से के बतौर कुल राजस्व सभी राज्यों के बीच सबसे अधिक था। हालांकि गौरतलब है कि राजस्व एवंसकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात ऊंचा होने का आंशिक कारण जनसंख्या की तुलना में राज्य का कम सकल राज्य घरेलू उत्पाद होना है। इसीलिए अन्य राज्यों की तुलना में राज्य की प्रति व्यक्ति राजकोषीय उपलब्धता काफी कम है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर बिहार की अपनी कर प्राप्ति 2007-08 में 4.5 प्रतिशत थी जो 2017-18 में 4.8 प्रतिशत हो गई लेकिन यह 2015-16 के 6.8 प्रतिशत से यह नीचे है (चार्ट 2.10)।

तालिका 2.15 : राज्यों के कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2017-18)

राज्य	राजस्व प्राप्ति (करोड़ रु.)	राज्य का अपना कर (करोड़ रु.)	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (करोड़ रु.)	राज्य का अपना कर : राजस्व प्राप्ति	राज्य का अपना कर : सकल राज्य घरेलू उत्पाद	कुल राजस्व : सकल राज्य घरेलू उत्पाद
बिहार	1,17,447	29708	4,84,740	25.3	4.8	24.2
झारखंड	52,756	14488	2,76,243	27.5	5.2	19.1
पश्चिम बंगाल	1,31,270	57701	9,99,585	44.0	5.8	13.1
ओडिशा	85,204	31070	4,36,374	36.5	7.1	19.5
उत्तर प्रदेश	2,78,776	109605	13,76,324	39.3	8.0	20.3
मध्य प्रदेश	1,34,875	49943	7,28,242	37.0	6.9	18.5
राजस्थान	1,27,307	54342	8,35,558	42.7	6.5	15.2
महाराष्ट्र	2,43,654	171686	24,11,600	70.5	7.1	10.1
गुजरात	1,23,291	73646	13,14,680	59.7	5.6	9.4
पंजाब	53,010	31496	4,79,141	59.4	6.6	11.1
हरियाणा	62,695	41836	6,26,054	66.7	6.7	10.0
कर्नाटक	1,47,000	90335	13,50,257	61.5	6.7	10.9
आंध्र प्रदेश	1,05,062	52414	8,09,547	49.9	6.5	13.0
केरल	83,020	48160	7,00,532	58.0	6.9	11.9
तमिलनाडु	1,46,280	96472	14,61,841	66.0	6.6	10.0
हिमाचल प्रदेश	27,367	7593	1,40,613	27.7	5.4	19.5
छत्तीसगढ़	59,647	21989	2,84,194	36.9	7.7	21.0

स्रोत : राज्य सरकारों के बजट

तालिका 2.16 में बिहार में 2014-15 से 2018-19 तक और 2019-20 के बजट अनुमान में राजस्व प्राप्ति के मुख्य घटकों को दर्शाया गया है। ऐसा दिखता है कि इन वर्षों में राज्य सरकार की राजस्व प्राप्ति का 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्य के हिस्से और सहायता अनुदान के जरिए केंद्र सरकार से आया। वर्ष 2013-14 में राज्य सरकार के कुल राजस्व में इसका 69 प्रतिशत हिस्सा था जो 2018-19 में बढ़कर

75 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2018-19 में कुल राजस्व में राज्य सरकार के अपने संसाधनों का योगदान मात्र 25.4 प्रतिशत था जो गत वर्षके 22.7 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। यह वृद्धि कर और करेतर राजस्व, दोनो में वृद्धि के कारण हुई। वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार की अपनी कुल प्राप्ति में कर राजस्व का 22.3 प्रतिशत और करेतर राजस्व का 3.13 प्रतिशत हिस्सा था।

तालिका 2.16 : राजस्व प्राप्ति (2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
1. राज्य का अपना राजस्व	**22308**	**27635**	**26145**	**26643**	**33539**	**38606**
(क) कर राजस्व	20750	25449	23742	23136	29408	33800
(ख) करेतर राजस्व	1558	2186	2403	3507	4131	4806
2. केंद्र से प्राप्ति	**56109**	**68488**	**79440**	**90804**	**98255**	**138141**
(क) विभाज्य करों का हिस्सा	36963	48923	58881	65083	73603	89122
(ख) सहायता अनुदान	19146	19566	20559	25720	24652	49019
3. कुल राजस्व प्राप्ति	**78418**	**96123**	**105585**	**117447**	**131793**	**176748**
कुल प्राप्तियों में राज्य के अपने राजस्व का प्रतिशत	28.4	28.7	24.8	22.7	25.4	21.8

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2018-19 में राज्य में राज्य वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहण 15,288 करोड़ रु. था और 2019-20 के बजट अनुमान में इसे 17,812 करोड़ रु. होना अनुमानित है (तालिका 2.17)। विदित है कि जुलाई 2017 में वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्यवन के बाद से 2018-19 पहला पूर्ण वित्तवर्ष था जिसमें राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले अनेक करों की जगह राज्य वस्तु एवं सेवा कर ने ले ली। वर्ष 2018-19 में राज्य के राज्य वस्तु एवं सेवा कर का अपने कुल राजस्व में 45.6 प्रतिशत और कुल राजस्व प्राप्ति में 11.6 प्रतिशत हिस्सा था।

राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अलावा पेटॉलियम और पेटॉलियम उत्पादों की बिक्री सेकर राजस्व, स्टांप एवं निबंधन शुल्क, तथा वाहनों से संग्रहित शुल्क, राज्य के अपने कर राजस्व के मुख्य स्रोत थे। स्टांप एवं निबंधन शुल्क से संग्रहित राजस्व 2017-18 में 3726 करोड़ रु. था जो 2018-19 में बढ़कर 4189 करोड़ रु. हो गया। वाहन कर से राजस्व 2017-18 के 1600 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 2086 करोड़ रु. हो गया। वर्ष 2019-20 के बजट में इसके 2500 करोड़ पहुंचने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में भूमि राजस्व 2017-18 के 799 करोड़ रु. से घटकर 477 करोड़ रु. रह गया। हालांकि 2019-20 के बजट में इसके काफी बढ़कर 1100 करोड़ पहुंचने का अनुमान है।

तालिका 2.17 : विभिन्न शीर्षों के तहत कर राजस्व(2014-15 से 2019-20)

राजस्व के स्रोत (करोड़ रु.)	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	6747	15288	17812
बिक्री/ व्यापार कर आदि	8607	10603	11874	8298	6584	7150
माल एवं यात्री कर	4451	6087	6246	1645	399	50
राज्य उत्पाद शुल्क	3217	3142	30	-3	-10	0
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	2699	3409	2982	3726	4189	4700
वाहन कर	964	1081	1257	1600	2086	2500
भूमि राजस्व	277	695	971	779	477	1100
विद्युत कर एवं शुल्क	375	298	224	239	269	350
अन्य वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर/ शुल्क	105	69	81	20	1	0
आय-व्यय पर अन्य कर	55	65	79	87	125	138
अन्य	160	134	160	107	126	138
योगफल	**20750**	**25449**	**23742**	**23136**	**29408**	**33800**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.18 में राज्य सरकार के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा प्रस्तुत किया गया है। प्रत्यक्ष कर की संरचना आम तौर पर प्रगतिशील प्रकृति की होती है। हालांकि अप्रत्यक्ष करों को भी प्रगतिशील कर के बतौर डिजाइन किया जा सकता है। बिहार के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 2014-15 में मात्र 21.1 प्रतिशत था जो 2018-19 में बढ़कर 24.3 प्रतिशत हो गया। फलस्वरूप, 2018-19 में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा 75.7 प्रतिशत रह गया।

तालिका 2.18 : प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा(2014-15 से 2019-20)

स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
राज्य के अपने कर राजस्व में अप्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	78.9	78.2	76.8	72.2	75.7	74.0
राज्य के अपने कर राजस्व में प्रत्यक्ष करों का हिस्सा (%)	21.1	21.8	23.2	27.8	24.3	26.0
योगफल	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट, गणना

राज्य सरकार के प्रमुख कर राजस्वों की संरचना तालिका 2.19 में प्रस्तुत है। राज्य सरकार के करेतर राजस्व में ब्याज प्राप्ति और 'अलौह खनन एवं धातु उद्योग' से राजस्व प्राप्ति का मुख्य योगदान है। वर्ष 2018-19 में ब्याज से राजस्व प्राप्ति 1372 करोड रु. थी जो 2017-18 के 1577 करोड़ रु. से कम है। वर्ष 2012-13 से 2017-18 तक यह लगातार बढ़ता गया और 167 करोड़ रु. से 1577 करोड़ रु. पहुंच गया। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में इसके 2294 करोड़ रु. पहुंचने का अनुमान है।

अलौह खनन एवं धातु उद्योग से राजस्व गत वर्ष से 44.1 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में 1561 करोड़ रु. पहुंच गया। लेकिन विगत वर्षों के दौरान अलौह खनन एवं धातु उद्योग से राजस्व प्राप्ति की वृद्धि दर 2014-15 के 54.6 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 44.1 प्रतिशत रह गई (तालिका 2.20)। राज्य में उपलब्ध खनिजों में ईंट, मिट्टी, पत्थर, चूना पत्थर, बालू आदि गौण खनिज ही शामिल हैं जिनका उपयोग मुख्यत: स्थावर संपदा के क्षेत्र में होता है। अत: इन खनिजों से राजस्व वृद्धि की दर संबंधित आर्थिक गतिविधि में वृद्धि पर निर्भर है।

तालिका 2.19 : प्रमुख करेतर राजस्व(2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	880	971	998	1083	1561	1600
ब्याज प्राप्ति	345	584	940	1577	1372	2294
विविध सामान्य सेवाएं	2	1	6	3	4	1
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	22	73	100	26	47	23
पुलिस	30	66	42	86	30	53
वृहत सिंचाई	1	15	14	22	37	50
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	11	41	17	21	19	22
सड़क और पुल	55	42	42	67	118	75
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	30	40	40	55	67	55
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	29	24	36	49	62	15
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0	0	0	0	0	0
अन्य	154	328	168	518	814	620
योगफल	**1558**	**2186**	**2403**	**3507**	**4131**	**4806**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.20 : करतर राजस्वों की वृद्धि दरें (2014-15 से 2019-20)

राजस्व के स्रोत	वार्षिक वृद्धि दरें(प्रतिशत)						वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2014-19)
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)	
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	54.6	10.4	2.7	8.5	44.1	2.5	13.7
ब्याज प्राप्ति	27.9	69.3	61.0	67.8	-13.0	67.2	43.2
विविध सामान्य सेवाएं	611.0	-48.3	512.0	-45.2	8.2	-82.8	-6.7
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	113.9	233.5	37.6	-74.1	81.1	-51.7	-6.8
अन्य करतर राजस्व	-55.5	79.9	-35.5	127.7	40.4	-22.5	26.6
योगफल	**0.9**	**40.3**	**9.9**	**45.9**	**17.8**	**16.4**	**25.4**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2018-19 में बिहार काअपना कर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का 5.7 प्रतिशत था जो उसके पिछले वर्ष के 4.8 प्रतिशत से अधिक है (तालिका 2.21)। वर्ष 2018-19 में अपना करेतर राजस्व सकल घरेलू उत्पाद का मात्र 0.8 प्रतिशत था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से कुल राजस्व और अपने कर राजस्व की बायोएंसी हाल के वर्षों में अस्थिर रही है जो उसमें किसी रुझान का संकेत नहीं देती है। हालांकि वर्ष 2018-19 में दोनो की बायोएंसी ऊंची थी जोकि कुल राजस्व के लिए 1.9 और अपने कर राजस्व के लिए 4.3 थी। खास राजस्व शीर्षों की बात करें, तो उनमें भी बायोएंसी अस्थिर रही थी जो तालिका 2.22 से स्पष्ट है।

अलग-अलग कर शीर्षों और अपने स्रोत से करेतर राजस्व के बायोएंसी अनुपात तालिका 2.22 में दर्शाए गए हैं। इनके बायोएंसी अनुपात अस्थिर रहे हैं। वाहन कर और अलौह खनिजों से कर राजस्व के लिए ये अनुपात हाल के वर्षों में हमेशा धनात्मक रहे हैं। यह दर्शाता है कि राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ने से उनसे राजस्व संग्रहण का योगदान बढ़ रहा है। लेकिन सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से इनके बायोएंसी अनुपातों में सुधार एक चुनौती बनी हुई है।

तालिका 2.21 : कर और करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बतौर (2014-15 से 2019-20)

सूचक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
अपना कर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर	6.1	6.8	5.6	4.8	5.7	5.9
अपना करेतर राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर	0.5	0.6	0.6	0.7	0.8	0.8
कुल राजस्व सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % के बतौर	22.9	25.9	25.0	24.2	25.6	30.9
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से कुल राजस्व की बायोएंसी (अनुपात)	1.7	2.7	0.7	0.8	1.9	3.1
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से राज्य के अपने करों की बायोएंसी (अनुपात)	0.5	2.7	-0.5	-0.2	4.3	1.3

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.22 : महत्वपूर्ण कर और करेतर राजस्व स्रोतों की बायोएंसी (2014-15 से 2019-20)

राजस्व के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
बिक्री, व्यापार पर कर (राज्य वस्तु एवं सेवा कर)	0.2	2.8	0.9	-2.0	-3.2	0.8
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	-0.1	3.1	-0.9	1.7	1.9	1.1
वाहन कर	1.8	1.5	1.2	1.8	4.8	1.8
भूमि राजस्व	4.6	18.1	2.9	-1.3	-6.1	11.8
विद्युत कर एवं शुल्क	20.3	-2.5	-1.8	0.5	2.0	2.7
कुल कर राजस्व	**0.7**	**3.5**	**0.8**	**0.5**	2.6	1.7
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	6.7	1.2	0.2	0.6	6.9	0.2
ब्याज प्राप्ति	3.4	8.3	4.5	4.6	-2.0	6.1
कुल करेतर राजस्व	**0.1**	**4.8**	**0.7**	**3.1**	2.8	1.5

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

तालिका 2.23 में वाणिज्य कर विभाग द्वारा संग्रहित कर दर्शाए गए हैं। वस्तु एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के बाद से अनेक करों के वस्तु एवं सेवा कर में समाहित हो जाने के बाद विभाग द्वारा कर संग्रहण के तरीके में ढांचागत बदलाव हुआ है। कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा तालिका 2.24 में प्रस्तुत है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक इसका हिस्सा 17-18 प्रतिशत के आसपास रहा है।

तालिका 2.23 : विभिन्न अधिनियमों के तहत वाणिज्य कर संग्रहण (2014-15 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

वर्ष	वैट	केंद्रीय बिक्री कर	मनोरंजन कर	विद्युत शुल्क	विज्ञापन कर	होटल विलासिता कर	प्रवेश कर	पेशा कर	**योग**
2014-15	8796	71	46	373	1	11	4406	55	13758
2015-16	10726	60	55	297	1	11	6162	66	17378
2016-17	11908	70	70	226	1	11	6389	77	18751
2017-18क	1893	13	13	29	0	1	877	4	2832
2017-18 ख	6438	43	4	208	0	2	879	84	7658
2018-19	6802	26	14	280	0	0	472	127	7722

टिप्पणी : 1. 2017-18 क अप्रील से जून 2017 तक और 2017-18 ख जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक के लिए हैं।

2. वैट : मूल्यवर्धित कर, प्रवेश कर : खपत या बिक्री हेतु स्थानीय क्षेत्र में वस्तुओं के प्रवेश पर कर, पेशा कर : पेशा, व्यापार, धंधा और रोजगार पर कर

सोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.24 : कुल राजस्व में वाणिज्यिक करों का हिस्सा (2014-15 से 2018-19)

रकम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राज्य का कुल राजस्व (करोड़ रु.)	78418	96123	105585	117447	131793
राज्य का अपना कर राजस्व (करोड़ रु.)	20750	25449	23742	23136	29408
वाणिज्य करों से राजस्व (करोड़ रु.)	13758	17378	18751	20277	23013
कुल राजस्व में वाणिज्य करों का हिस्सा (%)	17.5	18.1	17.8	17.3	17.5
राज्य के अपने करों में वाणिज्य करों का हिस्सा (%)	66.3	68.3	79.0	87.6	78.3

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार द्वारा राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहण तालिका 2.25 में प्रस्तुत है। राज्य सरकार द्वारा 2018-19 में राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर के तहत संग्रहित राजस्व 17,861 करोड़ रु. था। कुल संग्रहण में राज्य वस्त् एवं सेवा कर, समेकित वस्तु एवं सेवा कर तथा राज्य वस्तु एवं सेवा कर संबंधी अनुदान का हिस्सा चार्ट 2.11 में दर्शाया गया है। राज्य में वस्तु एवं सेवा कर से हुए कुल संग्रहण में समेकित वस्तु एवं सेवा कर का लगभग 58 प्रतिशत हिस्सा था। अप्रील 2018 से अगस्त 2019 तक वस्तु एवं सेवा कर से राज्य का मासिक संग्रहण तालिका 2.26 में प्रस्तुत है।

तालिका 2.25 : बिहार में राज्य वस्तु एवं सेवा करतथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर से हुआ संग्रहण(2017-18 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

वर्ष	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	समेकित वस्तु एवं सेवा कर	समेकित वस्तु एवं सेवा कर भुगतान (अग्रिम/तदर्थ)	राज्य वस्तु एवं सेवा कर संबंधी अनुदान	योगफल
2017-18 (जुलाई 17 से मार्च 18)	2362.90	3831.95	552.00	3041.00	9787.85
2018-19	4871.60	8368.06	2051.16	2571.00	17861.82

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 2.11 : 2018-19 में राज्य का वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहण

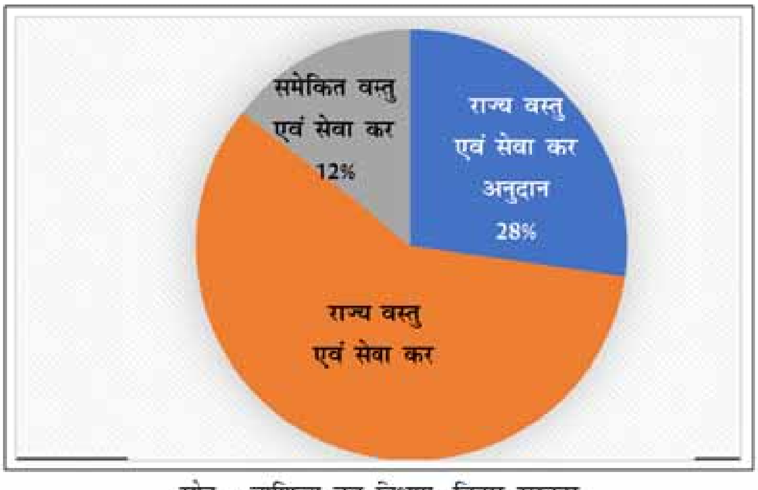

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.26 : राज्य वस्तु एवं सेवा करतथा समेकित वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहण(अप्रैल 2018 से अगस्त 2019)

(करोड़ रु.)

	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	समेकित वस्तु एवं सेवा कर	समेकित वस्तु एवं सेवा कर भुगतान (अग्रिम/ तदर्थ)	राज्य वस्तु एवं सेवा कर संबंधी अनुदान	योगफल
अप्रल 18	422.07	598.09			1020.16
मई 18	336.25	618.25		99.00	1053.50
जून 18	362.69	719.08	789.00		1870.77
जुलाई 18	390.93	737.12		325.00	1453.05
अगस्त 18	360.87	704.91			1065.78
सितंबर 18	369.86	665.89	189.00	633.00	1857.75
अक्तूबर 18	394.50	771.15	473.45		1639.10
नवंबर 18	400.85	709.59		498.00	1608.44
दिसंबर 18	388.06	706.19	284.07		1378.32
जनवरी 19	452.87	740.33		508.00	1701.20
फरवरी 19	437.40	702.68			1140.08
मार्च 19	555.25	694.78	315.64	508.00	2073.67
अप्रील 19	563.01	797.21	189.38		1549.60
मई 19	464.64	721.15		326.00	1511.79
जून 19	485.99	874.21			1360.20
जुलाई 19	530.67	904.8	236.47	568.00	2239.94
अगस्त 19	454.67	719.35		739.00	1913.02

स्रोत : वाणिज्य कर विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.27 में 2014-15 से 2018-19 तक स्टांप तथा निबंधन शुल्कों से संग्रहित राजस्व का विवरण प्रस्तुत है। इन स्रोतों से प्राप्त राजस्व 2014-15 के 2,885 करोड़ रु. से 2018-19 में 4,441 करोड़ रु. पहुंच गया। वर्ष 2018-19 में प्राप्त कुल 4,441 करोड़ राजस्व में से 3,425 करोड़ रु. स्टांप शुल्क से था और 1,016 करोड़ रु. निबंधन शुल्क से।

तालिका 2.27 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्क से प्राप्त राजस्व (2014-15 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
मुद्रित नॉन-जूडिशियल स्टांप	330	391	339	410	417
बैंक चालान के जरिए जमा नॉन-जूडिशियल स्टांप शुल्क	1750	2024	2064	2436	2896
एँडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप	30	32	26	34	38
स्पेशल एँडहेसिव नॉन-जूडिशियल स्टांप - फ्रैंकिंग मशीन द्वारा	18	20	17	20	25
राजस्व स्टांप	2	2	2	2	3
न्यायिक (जूडीशियल) स्टांप	37	40	37	43	46
उप योग	**2167**	**2508**	**2485**	**2945**	**3425**
अभिलेख निबंधन शुल्क	646	741	730	832	965
भूस्वामी निबंधन शुल्क	31	34	31	36	39
भूस्वामी संबंधी प्रक्रियागत (प्रोसेसिंग) शुल्क	4	5	4	4	5
अभिलेखों तथा अभारित चीजों की खोज के लिए प्राप्त शुल्क	5	5	5	5	5
प्रमाणित प्रतियों के लिए प्राप्त शुल्क	2	2	2	2	2
उप योग	**688**	**787**	**772**	**879**	**1016**
योग	**2855**	**3295**	**3257**	**3824**	**4441**

स्रोत : मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.28 में 2018-19 के लिए स्टांप एवं निबंधन शुल्कों से हुआ जिलावार राजस्व संग्रहण लक्ष्य और उपलब्धि के साथ दर्शाया गया है। लक्ष्य हासिल करने के लिहाज से भागलपुर सर्वोत्तम प्रदर्शन वाला जिला था जहां 99.8 प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया गया। वहीं 77.6 प्रतिशत उपलब्धि के साथ जहानाबाद सबसे कमजोर प्रदर्शन वाला जिला था। पटना और मुजफ्फरपुर राजस्व में योगदान करने वाले दो शीर्ष जिले थे जहां का संग्रहण क्रमश: 815.78 करोड़ और 227.62 करोड़ रु. था। वहीं, राज्य में सबसे कम संग्रहण करन वाले जिले अरवल और शिवहर थे जिनका कुल संग्रहण में क्रमश: 15.84 करोड़ रु. और 17.42 करोड़ रु. ही योगदान था।

राज्य में मुख्य करों का संग्रहण-व्यय तालिका 2.29 में दर्शाया गया है। राज्य में करों के संग्रहण-व्यय में विगत वर्षों के दौरान कमी आई है। तालिका में सूचीबद्ध चार श्रेणी के करों में सर्वाधिक संग्रहण-व्यय वाहन कर के मामले में है। हालांकि यह भी 2014-15 के 4.0 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 2.7 प्रतिशत रह गया।

तालिका 2.30 में कर और करेतर राजस्व के बजट अनुमान और वास्तविक संग्रहण के बीच तुलना दर्शाई गई है। कुल राजस्व में बजट अनुमान से 1909 करोड़ रु. की कमी आई जो बजट अनुमान का 5.7 प्रतिशत है। वर्ष 2017-18 में देखी गई 23.6 प्रतिशत कमी की तुलना में इसमें सुधार हुआ है। वर्ष 2018-19 में जिन मुख्य स्रोतों से राजस्व में बजट के लक्ष्य से कमी आई वे हैं - करों की श्रेणी में बिक्री, व्यापार आदि पर कर, स्टांप एवं निबंधन शुल्क,और भूमि राजस्व, तथा करेतर राजस्व की श्रेणी में ब्याज प्राप्ति।

तालिका 2.28 : स्टांप शुल्क तथा निबंधन शुल्कों से प्राप्त जिलावार राजस्व, 2018-19

(करोड़ रु.)

जिला	अभिलेखों की संख्या	स्टांप और निबंधन शुल्कों से कुल प्राप्ति	लक्ष्य	प्राप्ति लक्ष्य के प्रतिशत में	प्रति अभिलेख प्राप्ति (रु.)
पटना	86367	815.78	932.00	87.53	94455
नालंदा	31229	105.86	123.00	86.07	33898
भोजपुर	30225	133.43	136.00	98.11	44146
बक्सर	15724	58.20	66.00	88.18	37013
रोहतास	29218	117.41	134.00	87.62	40184
कैमूर	17477	47.69	49.00	97.33	27287
गया	41840	180.57	200.00	90.29	43157
जहानाबाद	9501	36.46	47.00	77.57	38375
अरवल	6322	15.84	20.00	79.20	25055
नवादा	21586	58.49	66.00	88.62	27096
औरंगाबाद	24482	99.42	110.00	90.38	40609
सारण	36391	103.53	128.00	80.88	28449
सीवान	37349	110.42	128.00	86.27	29564
गोपालगंज	30917	99.38	117.00	84.94	32144
पश्चिम चंपारण	47526	110.26	118.00	93.44	23200
पूर्व चंपारण	64173	193.67	225.00	86.08	30179
मुजफ्फरपुर	56235	227.62	264.00	86.22	40477
सीतामढ़ी	40764	113.77	123.00	92.50	27909
शिवहर	8078	17.42	19.00	91.68	21565
वैशाली	40414	142.67	158.00	90.30	35302
दरभंगा	37920	131.40	140.00	93.86	34652
मधुबनी	50492	112.69	127.00	88.73	22318
समस्तीपुर	50988	122.06	140.00	87.19	23939
बेगूसराय	26775	110.72	128.00	86.50	41352
मुंगेर	8063	42.95	49.00	87.65	53268
शेखपुरा	8764	20.45	21.00	97.38	23334
लखीसराय	9170	32.86	38.00	86.47	35834
जमुई	16390	36.43	42.00	86.74	22227
खगड़िया	12666	37.05	41.00	90.37	29252
भागलपुर	28073	182.59	183.00	99.78	65041
बांका	20041	44.35	51.00	86.96	22130
सहरसा	20371	62.69	71.00	88.30	30774
सुपौल	19184	48.24	61.00	79.08	25146
मधेपुरा	21378	55.56	66.00	84.18	25989
पूर्णिया	40963	122.69	136.00	90.21	29951
किशनगंज	28631	51.17	58.00	88.22	17872
अररिया	35657	68.97	81.00	85.15	19343
कटिहार	40947	96.03	104.00	92.34	23452
योगफल	**1152291**	**4166.79**	**4700.00**	**88.66**	**1265938**

स्रोत : मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 2.29 : कर संग्रहण में व्यय(2014-15 से 2018-19)

वर्ष	संग्रहण (करोड़ रु.)	संग्रहण व्यय (करोड़ रु.)	व्यय संग्रहण के प्रतिशत में	संग्रहण (करोड़ रु.)	संग्रहण व्यय (करोड़ रु.)	व्यय संग्रहण के प्रतिशत में
	राज्य वस्तु एवं सेवा कर तथा बिक्री कर, व्यापार कर आदि			स्टांप एवं निबंधन शुल्क		
2014-15	8607	96	1.1	2699	52	1.9
2015-16	10603	90	0.8	3409	55	1.6
2016-17	11874	117	1.0	2982	48	1.6
2017-18	8298	72	0.9	3726	54	1.4
2018-19	6584	0	0.0	4189	65	1.5
	वाहन कर			राज्य उत्पाद शुल्क		
2014-15	964	38	4.0	3217	50	1.6
2015-16	1081	40	3.7	3142	50	1.6
2016-17	1257	46	3.7	-30	92	—
2017-18	1600	62	3.9	-3	82	—
2018-19	2086	56	2.7	-10	98	—

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.30 : कर और करेतर राजस्वों की अनुमानित और वास्तविक वसूली में अंतर (2018-19)

(करोड़ रु.)

राजस्व के स्रोत	बजट अनुमान	वास्तविक प्राप्ति	अंतर अधिकता (-)/ कमी (+)	प्रतिशत अंतर अधिकता (-)/ कमी (+)
अपना कर राजस्व				
राज्य वस्तु एवं सेवा कर/ बिक्री कर, व्यापार कर आदि/ माल एवं यात्री कर	15000	15288.06	-288.059	-1.88
बिक्री कर, व्यापार कर आदि	7890	6584	1306	19.8
माल एवं यात्री कर	0	399	-399	-100
राज्य उत्पाद शुल्क	0	-10	10	-100
स्टांप एवं निबंधन शुल्क	4700	4189	511	12.2
वाहन कर	2000	2086	-86	-4.1
भूमि राजस्व	1000	477	523	109.7
विद्युत कर एवं शुल्क	310	269	41	15.2
वस्तुओं और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	102	126	-24	-19.2
योगफल	**31002**	**29408**	**1594**	**5.4**
अपना करेतर राजस्व				
अलौह खनन एवं धातु उद्योग	1600	1561	39	2.5
ब्याज प्राप्ति	2187	1372	815	59.4
विविध सामान्य सेवाएं	0	4	-4	-100
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	20	47	-27	-57.1
पुलिस	46	30	16	51.9
वृहद सिंचाई	50	37	13	35.4
शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	18	19	-1	-6.8
सड़क एवं पुल	72	118	-46	-38.8
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	47	67	-20	-29.5
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	36	62	-26	-41.7
सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	0	0	0	-74.5
अन्य	369	814	-445	-54.7
योगफल	**4446**	**4131**	**315**	**7.6**
कुल योग	**35448**	**33539**	**1909**	**5.7**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

2.8 व्यय प्रबंधन

तालिका 2.31 में 2014-15 से 2018-19 तक और 2019-20 के बजट अनुमान के लिए राज्य सरकार का विभिन्न शीर्षों के तहत संचित निधि से होने वाला व्यय विवरण दर्शाया गया है। वहीं, तालिका 2.32 में कुल व्यय का विभिन्न शीर्षों के तहत वितरण प्रस्तुत किया गया है। और उसके बाद तालिका 2.33 में व्यय की साल दर साल वृद्धि दरें वर्णित हैं।

राज्य सरकार के व्ययों की तीन मुख्य कामकाजी श्रेणियां होती हैं – सामान्य सेवाएं, सामाजिक सेवाएं और आर्थिक सेवाएं। इन तीनो मुख्य सेवाओं पर राजस्व व्यय और पूंजीगत परिव्यय के अलावा राज्य सरकार द्वारा व्यय के अन्य क्षेत्र पूंजीगत लेखे के ऋणों की अदायगी, तथा स्थानीय निकायों और स्वायत्त संस्थाओं को दिए जाने वाले अनुदान होते हैं। राज्य सरकार अपने सार्वजनिक उद्यमों, स्थानीय नगर निकायों, पंचायती राज संस्थाओं तथा अपने कर्मचारियों को विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण भी देती है। गौरतलब है कि ऋणों के मूलधन की अदायगी जहां पूंजीगत लेखे से होती है, वहीं ब्याज भुगतान सामान्य सेवाओं के तहत व्यय के राजस्व लेखे से होता है।

बिहार के व्यय में मुख्य हिस्सा राज्य के विकास के लिए आवश्यक सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का है जो समग्र विकास के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वर्ष 2018-19में सामान्य सेवाओं, सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय बढ़कर क्रमश: 38,691 करोड़ रु., 58,284 करोड़ रु. और 27,918 करोड़ रु. हो गया। इन शीर्षों पर व्यय में गत वर्ष से क्रमश: 15.9 प्रतिशत, 27.3 प्रतिशत और 18.9 प्रतिशत वृद्धि दिखी। इसके कारण कुल व्यय में उनका हिस्सा क्रमश: 25.0 प्रतिशत, 37.7 प्रतिशत और 18.1 प्रतिशत हो गया। लेकिन 2018-19 में पूंजीगत परिव्यय में गत वर्ष से 27.2 प्रतिशत कमी आई और कुल व्यय में इसका हिस्सा 2017-18 के 21.2 प्रतिशत से घटकर 13.6 प्रतिशत रह गया। गौरतलब है कि 2014-15 से 2017-18 के बीच पूंजीगत परिव्यय की रकम तो हमेशा बढ़ी है लेकिन साल दर साल वृद्धि दर में लगातार कमी आई है।

राज्य सरकार द्वारा व्यय की संरचना के विश्लेषण के लिए तालिका 2.34 में राजस्व और पूंजीगत लेखों और उन दोनो के कुछ शीर्षों की प्रतिशत संरचना प्रस्तुत की गई है। पूंजीगत लेखे में विकासमूलक पूंजीगत व्यय का हिस्सा विगत दो वर्षों के दौरान 20.6 प्रतिशत से घटकर 13.6 प्रतिशत रह गया। यही नहीं, (सामान्य लोक निर्माण, सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का) पूंजीगत परिव्यय भी 2017-18 के 20.4 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 12.6 प्रतिशत रह गया। फलत:, विगत दो वर्षों में विकासेतर पूंजीगत व्यय 4.2 प्रतिशत से बढ़कर 5.7 प्रतिशत हो गया। आर्थिक विकास में पूंजीगत व्यय की भूमिका को महसूस करते हुए2019-20 के बजट अनुमान में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा बढ़कर 22.6 प्रतिशत होता दर्शाया गया है।

लोक ऋण की अदायगी पर व्यय 2017-18 के 4654 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 7230 करोड़ रु. हो गया। ऐसा दिखता है कि राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में ऋण सेवा पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। वर्ष 2018-19 में 'लोक ऋण की अदायगी' शीर्ष के तहत व्यय में काफी वृद्धि हुई है जिसमें गत वर्ष से 55.4 प्रतिशत वृद्धिदर्ज हुई।

तालिका 2.31 : संचित निधि से व्यय(2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

व्यय शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
सामान्य सेवाएं	26408	27972	30607	33374	38691	46146
सामाजिक सेवाएं	31713	35943	40737	45769	58284	75147
आर्थिक सेवाएं	14445	19696	23417	23476	27918	33931
सहायता अनुदान	4	4	4	4	4	6
पूंजीगत परिव्यय	18150	23966	27208	28907	21058	36593
लोक ऋणों की अदायगी	3609	4125	4215	4654	7230	7236
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम	369	621	114	243	1471	1442
योगफल	**94698**	**112328**	**126302**	**136427**	**154655**	**200501**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.32 : सरकारी व्यय की संरचना (2014-15 से 2019-20)

(प्रतिशत)

व्यय शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
सामान्य सेवाएं	27.9	24.9	24.2	24.5	25.0	23.0
सामाजिक सेवाएं	33.5	32.0	32.3	33.5	37.7	37.5
आर्थिक सेवाएं	15.3	17.5	18.5	17.2	18.1	16.9
पूंजीगत परिव्यय	19.2	21.3	21.5	21.2	13.6	18.3
लोक ऋणों की अदायगी	3.8	3.7	3.3	3.4	4.7	3.6
ऋण एवं अग्रिम	0.4	0.6	0.1	0.2	1.0	0.7
योगफल	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.33 : व्यय की वृद्धि दरें(2014-15 से 2019-20)

व्यय शीर्ष	वार्षिक वृद्धि दरें					
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
सामान्य सेवाएं	19.9	5.9	9.4	9.0	15.9	19.3
सामाजिक सेवाएं	20.1	13.3	13.3	12.4	27.3	28.9
आर्थिक सेवाएं	2.7	36.4	18.9	0.3	18.9	21.5
पूंजीगत परिव्यय	29.6	32.0	13.5	6.2	-27.2	73.8
लोक ऋणों की अदायगी	15.7	14.3	2.2	10.4	55.4	0.1
ऋण एवं अग्रिम	-54.3	68.5	-81.7	113.2	505.7	-2.0
योगफल	17.8	18.6	12.4	8.0	13.4	29.6

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.34 : कुल व्यय की प्रतिशत संरचना (2014-15 से 2019-20)

व्यय शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
राजस्व लेखा	76.6	74.4	75.0	75.2	80.8	77.4
विकासेतर राजस्व व्यय	27.5	24.5	23.9	24.1	24.7	22.6
विकासमूलक राजस्व व्यय	49.2	49.9	51.1	51.1	56.1	54.8
सामान्य सेवाएं (लोक निर्माण)	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4
सामाजिक सेवाएं	33.5	32.0	32.3	33.5	37.7	37.5
आर्थिक सेवाएं	15.3	17.5	18.5	17.2	18.1	16.9
पूंजीगत लेखा	23.4	25.6	25.0	24.8	19.2	22.6
विकासेतर पूंजीगत व्यय	4.6	6.0	4.2	4.2	5.7	4.5
सामान्य सेवाएं (लोक निर्माण को छोड़कर)	0.8	2.3	0.9	0.8	1.0	0.8
लोक ऋण की अदायगी (सामान्य सेवाएं)	3.8	3.7	3.3	3.4	4.7	3.6
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम (सामान्य सेवाएं)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
विकासमूलक पूंजीगत व्यय	18.7	19.6	20.8	20.6	13.6	18.1
पूंजीगत परिव्यय (सामान्य लोक निर्माण, सामाजिक और आर्थिक सेवाएं)	18.4	19.0	20.7	20.4	12.6	17.4
राज्य द्वारा प्रदत्त ऋण एवं अग्रिम (सामाजिक और आर्थिक सेवाएं)	0.4	0.5	0.1	0.2	1.0	0.7
कुल विकासेतर व्यय	32.1	30.5	28.1	28.3	30.3	27.1
कुल विकासमूलक व्यय	67.9	69.5	71.9	71.7	69.7	72.9
कुल व्यय	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

हाल के वर्षों में राजस्व लेखे में व्यय का विकासमूलक और विकासेतर व्यय में वितरण तालिका 2.35 में दर्शाया गया है। राज्य में राजस्व और पूंजीगत व्यय का ब्योरा तालिका 2.36 में प्रस्तुत है। इन दोनो शीर्षों के तहत व्यय हाल के वर्षों में बढ़ा है लेकिन विगत कुछ वर्षों में कुल व्यय में उनका हिस्सा लगभग स्थिर रहा है। 1,54,655 करोड़ रु. के कुल व्यय में से 1,07,737 करोड़ रु. विकासमूलक व्यय था और 2019-20 के बजट अनुमान के अनुसार इसके 1,46,134 करोड़ रु. पहुंचने की आशा है। कुल व्यय में राजस्व लेखे पर व्यय का हिस्सा 2017-18 के 75.2 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 80.8 प्रतिशत हो गया। फलत: पूंजीगत लेखे का व्यय 2017-18 के 24.8 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 19.2 प्रतिशत रह गया।

तालिका 2.35 : विकासमूलक और विकासेतर राजस्व व्यय (2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

श्रकम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
विकासेतर व्यय	30405	34251	35502	38656	46918	54367
विकासमूलक व्यय	64293	78077	90800	97771	107737	146134
कल व्यय	94698	112328	126302	136427	154655	200501
विकासमूलक व्यय कुल व्यय के % में	67.9	69.5	71.9	71.7	69.7	72.9

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

वर्ष 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व व्यय 21.7 प्रतिशत बढ़ा जबकि पूंजीगत व्यय में 12.0 प्रतिशत कमी आई (तालिका 2.36)। इस अवधि में पूंजीगत परिव्यय के मुख्य शीर्ष -पूंजीगत परिव्यय मं 27.2 प्रतिशत की गिरावट आई। हालांकि 2019-20 के बजट अनुमान में पूंजीगत व्यय और पूंजीगत परिव्यय क्रमशः 52.1 प्रतिशत और 73.8 प्रतिशत बढ़ने का अनुमान है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद और कुल व्यय के साथ राजस्व व्यय का अनुपात पिछले दो वर्षों में बढ़ा है। साथ ही, राजस्व व्यय के साथराजस्व प्राप्ति का अनुपात 86.1 प्रतिशत से घटकर 85.2 प्रतिशत रह गया। इस अनुपात को 2019-20 के बजट में बढ़कर 88.2 प्रतिशत होने का अनुमान है। वर्ष 2018-19 में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिहाज से राजस्व व्यय की बायोएंसी राजस्व प्राप्ति की बायोएंसी से अधिक थी।

तालिका 2.36 : राजस्व और पूंजीगत व्यय(2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

व्यय शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
राजस्व व्यय (आर.ई.)	72570	83616	94765	102624	124897	155231
पूंजीगत व्यय (सी.ई.)	22128	28712	31537	33803	29759	45270
कुल व्यय (टी.ई.)	94698	112328	126302	136427	154655	200501
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	342951	371602	422316	484740	515634	572827
राजस्व व्यय (आर.ई.)की वृद्धि दर (%)	16.2	15.2	13.3	8.3	21.7	24.3
पूंजीगत व्यय (सी.ई.)की वृद्धि दर (%)	23.4	29.8	9.8	7.2	-12.0	52.1
कुल व्यय (टी.ई.)की वृद्धि दर (%)	17.8	18.6	12.4	8	13.4	29.6
आर.ई./ टी.ई.(%)	76.6	74.4	75	75.2	80.8	77.4
टी.ई./ जी.एस.डी.पी.(%)	27.6	30.4	29.9	28.1	30	35
आर.ई./ जी.एस.डी.पी.(%)	21.2	22.6	22.4	21.2	24.2	27.1
राजस्व प्राप्ति (आर.आर.)/ टी.ई. (%)	82.8	85.6	83.6	86.1	85.2	88.2
जी.एस.डी.पी. के मुकाबले आर.ई. की बायोएंसी	1.98	1.97	0.87	0.57	3.41	2.19
आर.आर. के मुकाबले आर.ई. की बायोएंसी	1.17	0.67	1.35	0.74	1.78	0.71

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

वर्ष 2017-18 में राज्य का पूंजीगत परिव्यय 2014-15 के 18,150 करोड़ रु. से बढ़कर 28,907 करोड़ रु. हो गया था (तालिका 2.37)। लेकिन 2018-19 में यह 27 प्रतिशत घटकर 21,058 करोड़ रु. रह गया। वर्ष 2013-14 से पूंजीगत परिव्यय की वृद्धि दर घटती दिखी है और 2018-19 में यह ऋणात्मक थी। इसके कारण राज्य के कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा घटकर 13.6 प्रतिशत रह गया (चार्ट 2.12)। पूंजीगत परिव्यय 2019-20 में बढ़कर 36,593 करोड़ रु. हो जाने का अनुमान है जो उस वर्ष के बजट अनुमान में कुल व्यय का 18.2 प्रतिशत होगा।

तालिका 2.37 : राजस्व और पूंजीगत परिव्यय(2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

रकम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
कल कर राजस्व	57713	74372	82623	88220	103011	122922
अपना कर राजस्व	20750	25449	23742	23136	29408	33800
अपना करेतर राजस्व	1558	2186	2403	3507	4131	4806
अपना कर + करेतर राजस्व	22308	27635	26145	26643	33539	38606
पूंजीगत परिव्यय	18150	23966	27208	28907	21058	36593
पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के % में	19.17	21.34	21.54	21.19	13.62	18.25

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

चार्ट 2.12 : कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय

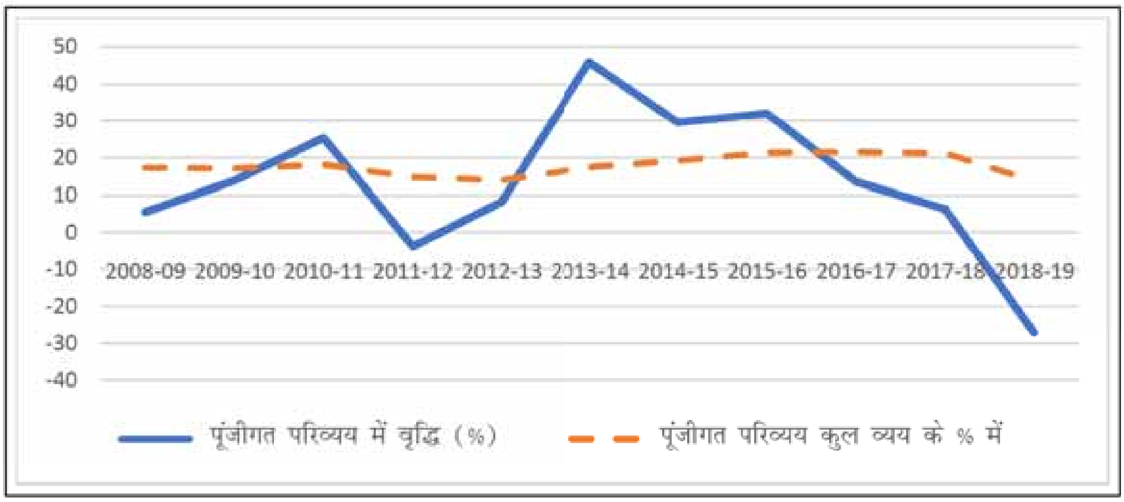

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

तालिका 2.38 में हाल के वर्षों में राज्य सरकार के ब्याज भुगतान और प्राप्ति का पैटर्न प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा निवल ब्याज भुगतान 2018-19 में गत वर्ष से 16.4 प्रतिशत बढ़ गया। सकल और निवल ब्याज भुगतान के बीच के बीच अंतर राज्य सरकार द्वारा किसी वित्तवर्ष में प्राप्त ब्याज के कारण होता है। यह अंतर 2014-15 में 345 करोड़ रु. था जो 2017-18 में बढ़कर 1577 करोड़ रु. हो गया। हालांकि 2018-19 में यह घटकर 1372 करोड़ रु. रह गया।

तालिका 2.38 : ब्याज भुगतान और प्राप्ति (2014-15 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

रकम	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
सकल ब्याज भुगतान	6129	7098	8191	9054	10071	10723
निवल ब्याज भुगतान	5784	6514	7251	7477	8699	8430

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार तथा राज्य सरकार के बजट

वेतन और पेंशन पर व्यय

वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार द्वारा वेतन और पेंशन पर व्यय 12.2 प्रतिशत बढ़ा और 35,996 करोड़ रु. हो गया (तालिका 2.39)। वर्ष 2018-19 में यह सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 7.0 प्रतिशत था। इन दोनो शीर्षों पर व्ययों की वृद्धि दरें 2015-16 और 2016-17 में एक अंकों में थीं। वर्ष 2010-11 से 2017-18 तक पेंशन पर व्यय वेतन पर व्यय की अपेक्षा ऊंची दर से बढ़ा (चार्ट 2.13)। हालांकि हाल के वर्षों में इस रुझान के पलटने की आशा है क्योंकि तब कर्मचारियों के लिए पेंशन योंजना में बदलाव का प्रभाव व्यय में व्यक्त होने लगेगा। वर्तमान में, इन दोनो शीर्षों में हाल की उच्च वृद्धि दर वेतन आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार वेतन और पेंशन व्यय में वृद्धि का परिणाम ह। वेतन और पेंशन पर व्यय कुल राजस्व व्यय का 28.8 प्रतिशत है। वर्ष 2014-15 में यह हिस्सा 35.8 प्रतिशत था जो क्रमश: घटकर 2018-19 में 28.8 प्रतिशत रह गया। कुल व्यय में वेतन पर व्यय का हिस्सा 2014-15 के 20.1 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 16.0 प्रतिशत रह गया। साथ ही, पेंशन पर व्यय का हिस्सा भी 15.6 प्रतिशत से घटकर 12.8 प्रतिशत पर आ गया।

तालिका 2.39 : वेतन और पेंशन पर व्यय (2014-15 से 2018-19)

शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वेतन पर व्यय (करोड़ रु.)	**14607**	**14924**	**15784**	**17779**	**19968**
वृद्धि दर (%)	4.07	2.17	5.76	12.64	12.32
वेतन जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर	4.3	4	3.7	3.6	3.9
वेतन राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर	18.6	15.5	14.9	15.1	15.2
वेतन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	20.1	17.8	16.7	17.3	16
पेंशन पर व्यय	**11345**	**11850**	**12508**	**14293**	**16027**
वृद्धि दर(%)	19.6	4.5	5.5	14.3	12.1
पेंशन जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर	3.3	3.2	2.9	2.9	3.1
पेंशन राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर	14.5	12.3	11.8	12.2	12.2
पेंशन राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	15.6	14.2	13.2	13.9	12.8
वेतन और पेंशन पर कुल व्यय(करोड़ रु.)	**25952**	**26774**	**28292**	**32072**	**35996**
वृद्धि दर(%)	10.35	3.17	5.67	13.36	12.23
कुल व्यय जी.एस.डी.पी. के प्रतिशत के बतौर	7.6	7.2	6.6	6.6	7.0
कुल व्यय राजस्व प्राप्ति के प्रतिशत के बतौर	33.1	27.9	26.8	27.3	27.3
कुल व्यय राजस्व व्यय के प्रतिशत के बतौर	35.8	32	29.9	31.3	28.8

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

चार्ट 2.13 : वेतन और पेंशन पर व्यय में वृद्धि

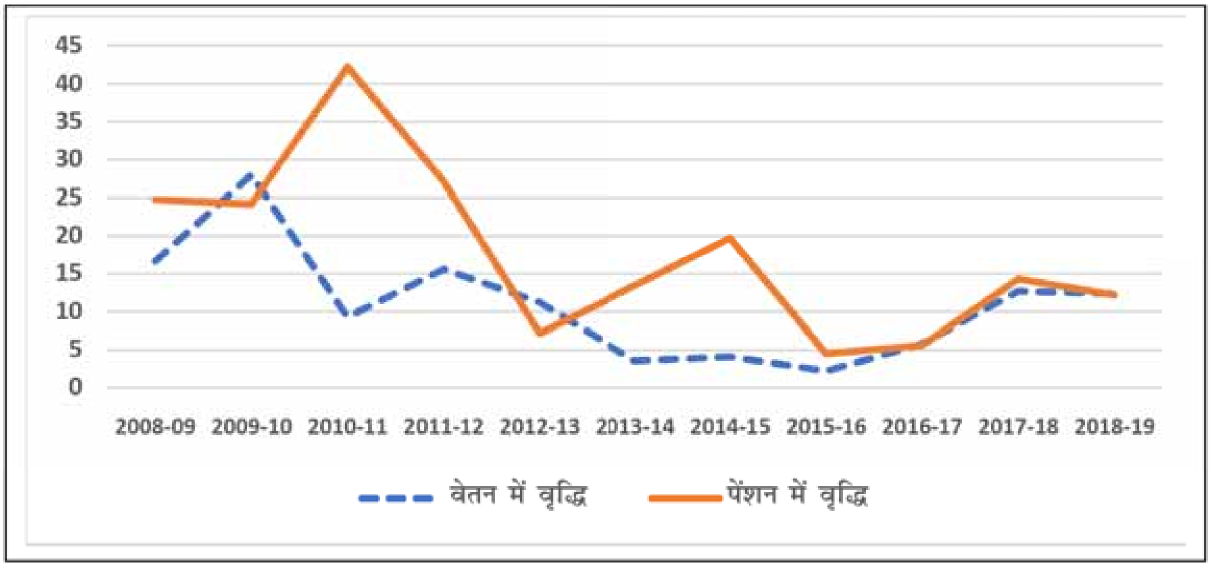

क्षेत्रगत व्यय

सामाजिक सेवाओं पर व्यय

राज्य में सामाजिक सेवाओं के तहत विभिन्न शीर्षों पर व्यय तालिका 2.40 में प्रस्तुत है। वर्ष 2018-19 में सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय 24.6 प्रतिशत बढ़कर 62,346 करोड़ रु. हो गया। गत वर्ष की तुलना में यह काफी अधिक वृद्धि है। सामाजिक सेवाओं पर व्यय की वृद्धि दर2017-18 में 12.9 प्रतिशत और 2016-17 में 14.6 प्रतिशत थी। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में इसमें 32.8 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है।

वर्ष 2018-19 में सामाजिक सेवाओं के तीन मुख्य शीर्षों पर व्यय इस प्रकार थे - शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति : 28,080 रु., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण : 7318 करोड़ रु. और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास : 15,638 करोड़ रु.। इन तीनों घटकों पर व्यय की वृद्धि दर क्रमशः 13.1 प्रतिशत, 18.4 प्रतिशत और 105.5 प्रतिशत थी। जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास के तहत 105.5 प्रतिशत वृद्धि दर होने के पहले 2017-18 में वृद्धि दर 13.4 प्रतिशत थी।

सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय का 6.5 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2018-19 में यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल व्यय 15.7 प्रतिशत और जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास पर कुल व्यय का 11 प्रतिशत था। शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर व्यय सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय का 45 प्रतिशत था। हालांकि 2018-19 में शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय का मात्र 3.8 प्रतिशत था।

सामाजिक सेवाओं के उप-शीर्षों में वेतन व्यय का हिस्सा घटता-बढ़ता रहा है। वेतन घटक पर व्यय सभी सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय का 17.8 प्रतिशत था। हालांकि यह स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 49.1 प्रतिशत, शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति में 18.8 प्रतिशत, और जलापर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास में 1.9 प्रतिशत था।

तालिका 2.40 : सामाजिक सेवाओं पर व्यय (2014-15 से 2019-20)

व्यय शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	16531	19155	20226	24833	28080	35942
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	16267	18605	19152	23315	27024	34458
(क) वेतन घटक (%)	30	24	22.8	20.4	18.8	17.3
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	70	76	77.2	79.6	81.2	82.7
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	263	550	1074	1519	1056	1484
पूंजीगत परिव्यय (%)	1.6	2.9	5.3	6.1	3.8	4.1
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	3604	4571	5493	6182	7318	9157
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	3288	3481	4622	5617	6172	7216
(क) वेतन घटक (%)	48.6	52.6	48.3	46.9	49.1	50.2
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	51.4	47.4	51.7	53.1	50.9	49.8
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	316	1091	870	565	1146	1941
पूंजीगत परिव्यय (%)	8.8	23.9	15.8	9.1	15.7	21.2
जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं नगर विकास						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	4542	4518	8786	7609	15638	20744
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	3639	3694	7463	5676	13921	16857
(क) वेतन घटक (%)	6.5	6.3	3.1	4.6	1.9	1.7
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	93.5	93.7	96.9	95.4	98.1	98.3
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	903	824	1323	1933	1717	3887
पूंजीगत परिव्यय (%)	19.9	18.2	15.1	25.4	11	18.7
योगफल (सामाजिक सेवाएं)						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	33386	38684	44329	50028	62346	82779
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	31713	35943	40737	45769	58284	75147
(क) वेतन घटक (%)	22.4	19.2	17.7	17.6	17.8	16.9
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	77.6	80.8	82.3	82.4	82.2	83.1
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	1674	2740	3592	4258	4061	7632
पूंजीगत परिव्यय (%)	5.0	7.1	8.1	8.5	6.5	9.2

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार (परिशिष्ट 1)

आर्थिक सेवाओं पर व्यय

आर्थिक सेवाओं के मुख्य शीर्षों (कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा एवं विद्युत, उद्योग एवं खनिज तथा परिवहन) पर व्यय तालिका 2.41 में प्रस्तुत है। इन शीर्षों पर कुल व्यय 2018-19 में 28,113 करोड़ रु. था और कुल व्यय में इसका 67.6 प्रतिशत हिस्सा था जो 2017-18 में 59.0 प्रतिशत ही था।

तालिका 2.41 : आर्थिक सेवाओं पर व्यय (2014-15 से 2019-20)

व्यय शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
कृषि एवं सहवर्ती गतिविधियां						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	3615	4120	2414	3824	3740	6537
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	3431	3515	2287	3626	3636	6220
(क) वेतन घटक (%)	13.9	14.6	22.7	16.3	21.0	15.0
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	86.1	85.4	77.3	83.7	79.0	85.0
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	185	605	128	198	105	317
पूंजीगत परिव्यय (%)	5.1	14.7	5.3	5.2	2.8	4.8
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	2444	2836	2844	3967	3406	4357
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	1020	1151	1048	1301	1360	1575
(क) वेतन घटक (%)	58.0	57.0	56.9	51.2	50.8	45.9
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	42.0	43.0	43.1	48.8	49.2	54.2
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	1424	1685	1796	2665	2046	2782
पूंजीगत परिव्यय (%)	58.3	59.4	63.1	67.2	60.1	63.9
ऊर्जा एवं विद्युत						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	7948	8945	13437	11236	11958	8795
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	3773	6151	7698	4305	6923	4318
(क) वेतन घटक (%)	0.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.0
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	100.0	100.0	100.0	99.0	100.0	100.0
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	4175	2794	5739	6931	5035	4477
पूंजीगत परिव्यय (%)	52.5	31.2	42.7	61.7	42.1	50.9
उद्योग एवं खनिज						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	564	1230	1116	866	938	1184
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	561	1201	888	756	840	1062
(क) वेतन घटक (%)	11.5	5.2	5.7	7.8	9	12
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	88.5	94.8	93.0	90.7	91	88
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	3	29	228	110	98	121
पूंजीगत परिव्यय (%)	0.5	2.4	20.4	12.8	10.4	10.2
परिवहन						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	5194	6130	7388	6804	8071	8360
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	996	1712	1787	1402	2795	2673
(क) वेतन घटक (%)	21.7	13.9	13.0	19.0	10.0	16.0
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	78.3	86.1	87.0	81.0	90.0	84.0
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	4198	4417	5601	5402	5275	5687
पूंजीगत परिव्यय (%)	80.8	72.1	75.8	79.4	65.4	68.0
योगफल (आर्थिक सेवाएं)						
कुल व्यय (करोड़ रु.)	29173	37305	44943	45360	41603	58245
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	14445	19696	23417	23476	27918	33931
(क) वेतन घटक (%)	14.4	11.2	9.2	10.2	8.3	9.9
(ख) गैर-वेतन घटक (%)	85.6	88.8	90.8	89.8	91.8	90.1
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	14728	17609	21526	21884	13686	24314
पूंजीगत परिव्यय (%)	50.5	47.2	47.9	48.2	32.9	41.7

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार (परिशिष्ट 1)

आर्थिक सेवाओं पर व्यय का राजस्व घटक 2018-19 में 18.9 प्रतिशत बढ़कर 27,918 करोड़ रु. हो गया जबकि पूंजीगत परिव्यय 37.5 प्रतिशत घटकर 13,686 करोड़ रु. रह गया। आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय भी 2017-18 के 45,360 करोड़ रु. से घटकर 2018-19 में 41,603 करोड़ रु. रह गया। लेकिन 2019-20 के बजट अनुमान में इसमें 40 प्रतिशत वृद्धि अनुमानित है। वहीं,वेतन पर व्यय का हिस्सा 2017-18 में आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का 10.2 प्रतिशत था जा 2018-19 में 8.3 प्रतिशत रह गया। आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय भी 2017-18 के 48.2 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 32.9 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2019-20 के बजट में इन दोनो व्ययों में वृद्धि अनुमानित है। गौरतलब है कि सामाजिक सेवाओं की तुलना में आर्थिक सेवाओं में पूंजीगत परिव्यय हमेशा ही अधिक रहा है जो तालिका 2.40 और 2.41 से स्पष्ट है।

तालिका 2.42 में बिहार की अनुमानित जनंसख्या का उपयोग करके 2014-15 से 2018-19 तक तथा 2019-20 के बजट अनुमान के लिए सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय दर्शाया गया है। तालिका में आर्थिक सेवाओं और पूंजीगत परिव्यय को छोड़कर अधिकांश शीर्षों पर प्रति व्यक्ति व्यय बढ़ा है। वर्ष 2018-19 में सामाजिक सेवाओं और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय क्रमशः 5116 और 3414 रु. था। एक वर्ष पूर्व इन पर व्यय क्रमशः 4199 रु. और 3807 रु. था।

तालिका 2.42 : सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय(2014-15 से 2019-20)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
अनुमानित जनसंख्या (करोड़रु.)	10.9	11.1	11.3	11.5	11.7	11.9
कुल व्यय (करोड़ रु.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	16531	19155	20226	24833	28080	35942
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	3604	4571	5493	6182	7318	9157
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	4542	4518	8786	7609	15638	20744
सामाजिक सेवाएं	33386	38684	44329	50028	62346	82779
आर्थिक सेवाएं	29173	37305	44943	45360	41603	58245
पूंजीगत परिव्यय	18150	23966	27208	28907	21058	36593
सामान्य सेवाएं	28157	31589	32697	36139	42002	50793
प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)						
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	1513	1724	1791	2162	2404	3025
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य	330	411	486	538	626	771
जलापूर्ति एवं स्वच्छता	416	407	778	662	1339	1746
सामाजिक सेवाएं	3055	3482	3924	4355	5337	6966
आर्थिक सेवाएं	2670	3358	3979	3949	3561	4901
पूंजीगत परिव्यय	1661	2157	2409	2517	1803	3079
सामान्य सेवाएं	2577	2843	2895	3146	3595	4274

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट

विगत वर्षों के दौरान राज्य में चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति व्यय लगातार बढ़ा है। यह 2017-18 में 519 रु. था जो 2018-19 में 600 रु. हो गया। तालिका 2.40 में यह भी देखा जा सकता है कि इस शीर्ष के तहत 49 प्रतिशत का व्यय वेतन व्यय के बतौर हुआ था, जिसके बाद 2018-19 में चिकित्सा और लोक स्वास्थ्य में प्रभावी रूप में प्रति व्यक्ति 305 रु. बच गए। शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर प्रति व्यक्ति व्यय 2017-18 में 2084 रु. था जो 2018-19 में बढ़कर 2304 रु. हो गया।

व्यय की गुणवत्ता के निर्णय के लिए प्रयुक्त कुछ मापदंडों के आंकड़े तालिका 2.43 में प्रस्तुत हैं। व्यय की गुणवत्ता के तालिका में दर्शाए गए मापदंड हैं - (1) कुल व्यय के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (2) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ पूंजीगत परिव्यय का अनुपात, (3) सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय का अनुपात तथा (4) इन सेवाओं पर किए जा रहे गैर-वेतन व्यय का अनुपात। कुल व्यय के साथ पूंजीगत परिव्यय के अनुपात और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के साथ पूंजीगत परिव्यय के अनुपात, दोनो में पिछले चार वर्षों में लगातार सुधार हुआ था लेकिन 2018-19 में उनमें गिरावट आई। वर्ष 2019-20 के बजट अनुमान में इनके बढ़ने का अनुमान है। बिहार में हाल के वर्षों में अन्य दो मापदंडों के लिहाज से व्यय की गुणवत्ता में सुधार दिखा है।

तालिका 2.43 : व्यय की गुणवत्ता के मापदंड (2014-15 से 2019-20)

व्यय शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
पूंजीगत परिव्यय (करोड़ रु.)	18150	23966	27208	28907	21058	36593
राजस्व व्यय (करोड़ रु.)	72570	83616	94765	102624	124897	155231
जिसमें से सामाजिक और आर्थिक सेवाओं का	46158	55639	64154	69245	86202	109078
(i) वेतन घटक (करोड़ रु.)	9176	9108	9349	10458	11265	13836
वेतन घटक (%)	19.9	16.4	14.6	15.1	13.1	12.7
(ii) गैर-वेतन घटक (करोड़ रु.)	36982	46531	54805	58788	74937	95242
गैर-वेतन घटक (%)	80.1	83.6	85.4	84.9	86.9	87.3
पूंजीगत परिव्यय/ कुल व्यय (%)	19.2	21.3	21.5	21.2	13.6	18.3
राजस्व व्यय/ कुल व्यय (%)	76.6	74.4	75.0	75.2	80.8	77.4
सामाजिक और आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद(%)	21.2	22.5	22.4	21.2	24.2	27.1
पूंजीगत परिव्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	5.3	6.5	6.4	5.9	4.1	6.4

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट

राज्य सरकार की प्राप्ति और व्यय की संरचना का सारांश तालिका 2.44 में प्रस्तुत है। आंकड़े संकेत देते हैं कि 2017-18 से 2018-19 के बीच राज्य में प्राप्ति और व्यय की संरचना में ढांचागत बदलाव आया है। प्राप्ति के मामले में सहायता अनुदान एवं अंशदान का हिस्सा 19.7 से घटकर 16.2 प्रतिशत रह गया जबकि लोक ऋण का हिस्सा 10.1 प्रतिशत से बढ़कर 12.3 प्रतिशत हो गया। वहीं, व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का हिस्सा 2017-18 से 2018-19 के बीच 33.5 प्रतिशत से बढ़कर 37.7 प्रतिशत हो गया जबकि पूंजीगत परिव्यय का हिस्सा 21.2 प्रतिशत से घटकर 13.6 प्रतिशत रह गया।

तालिका 2.44 : संचित निधि का प्रतिशत वितरण : प्राप्ति तथा व्यय (2017-18 से 2019-20)

प्राप्ति	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)	व्यय	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
राजस्व लेखा				**राजस्व लेखा**			
कर राजस्व	67.5	67.6	61	सामान्य सेवाएं	24.5	25	23
करतर राजस्व	2.7	2.7	2.4	सामाजिक सेवाएं	33.5	37.7	37.5
सहायता अनुदान और अंशदान	19.7	16.2	24.3	आर्थिक सेवाएं	17.2	18.1	16.9
पूंजीगत लेखा				**पूंजीगत लेखा**			
लोक ऋण	10.1	12.3	12.1	लोक ऋण की अदायगी	3.4	4.7	3.6
ऋणों और अग्रिमों की वसूली	0	1.2	0.2	ऋण एवं अग्रिम	0.2	1	0.7
अंतर-राज्य भुगतान	0	0	0	पूंजीगत परिव्यय	21.2	13.6	18.3
योगफल	**100**	**100**	**100**	**योगफल**	**100**	**100**	**100**

स्रोत : वित्तीय लेखे तथा राज्य सरकार के बजट

परिशिष्ट

अध्याय दो में प्रयुक्त चित्रों से संबंधित आंकड़े निम्नलिखित तालिकाओं में प्रस्तुत किए गए हैं। इन आंकड़ों के स्रोत वित्तीय लेखे, राज्य सरकार के बजट और बिहार के पूर्ववर्ती आर्थिक सर्वेक्षण हैं।

तालिका प 2.1 : बिहार का राजस्व घाटा (2001-02 से 2009-10)

(करोड़ रु.)

वर्ष	राजस्व घाटा	वर्ष	राजस्व घाटा
2001-02	2342	2010-11	-6316
2002-03	2457	2011-12	-4820
2003-04	1107	2012-13	-5101
2004-05	-1076	2013-14	-6441
2005-06	-81	2014-15	-5848
2006-07	-2498	2015-16	-12507
2007-08	-4647	2016-17	-10819
2008-09	-4469	2017-18	-14823
2009-10	-2943	2018-19	-6897

तालिका प 2.2 : बिहार सरकार का राजस्व लेखा (2013-14 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

शीर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)
कुल प्राप्ति - राजस्व लेखा	68918.55	78417.53	96123.1	105584.6	117446.7	131793.5	176747.6
कर राजस्व	54789.76	57713.29	74371.86	82622.85	88219.87	103011.3	122921.8
करेतर राजस्व	1544.76	1557.982	2185.641	2402.764	3506.737	4130.562	4806.467
सहायता अनुदान एवं अंशदान	12584.03	19146.26	19565.6	20559.02	25720.13	24651.63	49019.38
कुल व्यय - राजस्व लेखा	62477.34	72569.97	83615.94	94765.18	102623.7	124896.8	155230.7

तालिका प 2.3 : 2018-19 में राजस्व लेखा में प्राप्ति (2017-18 और 2018-19)

(करोड़ रु.)

शीर्ष	2017-18	2018-19
कर राजस्व	88219.87	103011.3
करेतर राजस्व	3506.737	4130.562
सहायता अनुदान एवं अंशदान	25720.13	24651.63

तालिका प 2.4 : राजस्व प्राप्ति की संरचना (1990-91 से 2004-05)

(प्रतिशत हिस्सा)

वर्ष	अपना कर राजस्व	केंद्रीय करों से अंतरण	राज्य का अपना करेतर राजस्व	केंद्र से अनुदान	वर्ष	अपना कर राजस्व	केंद्रीय करों से अंतरण	राज्य का अपना करेतर राजस्व	केंद्र से अनुदान
1990-91	26.4	37.4	17.7	18.5	2005-06	20.00	58.4	2.9	18.7
1991-92	27.0	39.5	11.2	22.4	2006-07	17.5	57.6	2.2	22.7
1992-93	26.2	38.4	13.0	22.4	2007-08	18.0	59.4	1.9	20.7
1993-94	26.4	37.7	13.4	22.6	2008-09	18.7	53.6	3.5	24.1
1994-95	27.0	41.0	14.3	17.6	2009-10	22.8	51.2	4.7	21.3
1995-96	26.8	47.2	12.4	13.6	2010-11	22.2	53.8	2.2	21.8
1996-97	28.0	50.7	13.2	8.1	2011-12	24.6	54.4	1.7	19.3
1997-98	27.5	46.9	4.5	21.1	2012-13	27.3	53.6	1.9	17.2
1998-99	28.8	47.9	12.4	10.9	2013-14	29.0	50.5	2.2	18.3
1999-00	28.9	40.5	14.0	16.6	2014-15	26.5	47.1	2.0	24.4
2000-01	25.8	57.7	7.1	9.4	2015-16	26.5	50.9	2.3	20.4
2001-02	23.9	60.4	3.5	12.2	2016-17	22.5	55.8	2.3	19.5
2002-03	23.9	58.1	2.8	15.2	2017-18	24.0	48.9	2.2	24.9
2003-04	24.8	55.7	3.3	16.2	2018-19	19.6	48.2	2.8	29.4
2004-05	21.3	58.0	2.7	18.0					

तालिका प 2.5 : क्षेत्रगत व्यय (2017-18 और 2018-19)

(करोड़ रु.)

शीर्ष	2017-18	2018-19
सामान्य सेवाएं	33374	38691.01
सामाजिक सेवाएं	45769	58284.31
आर्थिक सेवाएं	23476	27918

तालिका प 2.6 : बिहार में सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में (2007-08 से 2018-19)

वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % में	वर्ष	सकल राजकोषीय घाटा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % में
2007-08	1.50	2013-14	2.63
2008-09	1.76	2014-15	3.26
2009-10	3.24	2015-16	3.25
2010-11	1.95	2016-17	3.90
2011-12	2.39	2017-18	2.95
2012-13	2.32	2018-19	2.68

तालिका प 2.7 : बिहार में राजस्व अधिशेष बनाम पूंजीगत परिव्यय (2006-07 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

वर्ष	राजस्व अधिशेष	पूंजीगत परिव्यय	सकल राजकोषीय घाटा	वर्ष	राजस्व अधिशेष	पूंजीगत परिव्यय	सकल राजकोषीय घाटा
2006-07	2498	5211	3021	2013-14	6441	14001	8352
2007-08	4647	6104	1703	2014-15	5848	18150	11178
2008-09	4469	6436	2507	2015-16	12507	23966	12062
2009-10	2943	7332	5272	2016-17	10819	27208	16480
2010-11	6316	9196	3970	2017-18	14823	28907	14305
2011-12	4820	8852	5915	2018-19	6897	21058	13807
2012-13	5101	9585	6545				

तालिका प 2.8 : बिहार में बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत में (2007-08 से 2018-19)

वर्ष	बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % में	वर्ष	बकाया देनदारी सकल राज्य घरेलू उत्पाद के % में
2007-08	44.9	2013-14	27.4
2008-09	38.6	2014-15	28.9
2009-10	36.0	2015-16	31.4
2010-11	30.9	2016-17	32.8
2011-12	27.4	2017-18	32.3
2012-13	27.1	2018-19	32.8

तालिका प 2.9 : राजस्व प्राप्ति और व्यय की प्रतिशत वृद्धि (2008-09 से 2018-19)

(प्रतिशत वृद्धि)

वर्ष	राजस्व प्राप्ति	राजस्व व्यय	राजस्व अधिशेष
2008-09	16.91	21.00	3.14
2009-10	7.72	14.28	1.81
2010-11	25.35	17.29	3.10
2011-12	15.24	21.68	1.95
2012-13	16.07	17.13	1.81
2013-14	15.70	14.71	2.03
2014-15	13.78	16.15	1.71
2015-16	22.58	15.22	3.37
2016-17	9.84	13.33	2.56
2017-18	11.23	8.29	3.06
2018-19	12.22	21.70	1.34

तालिका प 2.10 : राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (2007-08 से 2018-19)

(प्रतिशत)

वर्ष	राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)	वर्ष	राज्य की अपनी कर प्राप्ति/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद (%)
2007-08	4.47	2013-14	6.29
2008-09	4.34	2014-15	6.05
2009-10	4.97	2015-16	6.85
2010-11	4.85	2016-17	5.62
2011-12	5.10	2017-18	4.77
2012-13	5.76	2018-19	5.70

तालिका प 2.11 : 2018-19 में वस्तु एवं सेवा कर से संग्रहण

(करोड़ रु.)

वर्ष	वस्तु एवं सेवा कर	वस्तु एवं सेवा कर	राज्य वस्तु एवं सेवा कर अनुदान
2018-19	4871.6	10419.2	2571.0

तालिका प 2.12 : कुल व्यय में पूंजीगत परिव्यय (2008-09 से 2019-20)

वर्ष	पूंजोगत परिव्यय में वृद्धि (%)	पूंजीगत परिव्यय कुल व्यय के % में
2008-09	5.45	17.31
2009-10	13.92	17.13
2010-11	25.42	18.14
2011-12	-3.74	14.71
2012-13	8.28	13.85
2013-14	46.08	17.41
2014-15	29.64	19.17
2015-16	32.04	21.34
2016-17	13.53	21.54
2017-18	6.24	21.19
2018-19	-27.15	13.62
2019-20 ब.अ.	73.77	18.25

तालिका प 2.13 : वेतन और पेंशन पर व्यय में वृद्धि (2008-09 से 2019-20)

वर्ष	वेतन में वृद्धि	पेंशन में वृद्धि	वर्ष	वेतन में वृद्धि	पेंशन में वृद्धि
2008-09	16.64	24.74	2014-15	4.07	19.65
2009-10	28.00	24.13	2015-16	2.17	4.46
2010-11	9.23	42.26	2016-17	5.76	5.55
2011-12	15.58	27.09	2017-18	12.64	14.27
2012-13	11.19	7.11	2018-19	12.32	12.13
2013-14	3.53	13.37	2019-20 ब.अ.	22.88	15.16

अध्याय - 3

कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र

कृषि मनुष्य का सबसे स्वास्थ्यप्रद, सबसे उपयोगी और सबसे नेक रोजगार है।

— जॉर्ज वाशिंगटन

सारांश

कृषि बिहार जैसी अर्थव्यवस्थाओं के लिए मुख्य सहारा है जो उनकी खाद्य सुरक्षा, रोजगार और ग्रामीण विकास को सहारा देती है। यह तीन-चौथाई से भी अधिक आबादी को सहारा देती है। रोजगार पैदा कराने के अलावा, यह उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराती है, खाद्य आपूर्ति में वृद्धि करती है, और गरीबी निवारण में सहायता करती है। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 2017-18 में लगभग 20 प्रतिशत था। कुल सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में फसल क्षेत्र का हिस्सा 2018-19 में 10.64 प्रतिशत था। सीमित भूमि संसाधन, टुकड़ों में बंटी जोतों, और अनियमित वर्षापात के बावजूद राज्य में फसलों और बागवानी का उत्पादन संबंधी प्रदर्शन उत्साहजनक रहा है। वर्ष 2018-19 में बिहार में खाद्यान्नों का उत्पादन 163.12 लाख टन था। बिहार में 2018-19 में कृषि क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में पशुधन, मछली पालन और जलकृषि का संयुक्त योगदान लगभग 7.10 पतिशत था। बिहार में कुल मछली उत्पादन 6.22 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धि दर से बढ़ते हुए 2013-14 के 4.79 लाख टन से 2018-19 में 6.02 लाख टन हो गया। फसल उत्पादन, कृषि निवेशों, लागत सामग्रियों तथा मशीनों की खरीद के लिए वित्तीय संसाधनों की मांग बढ़ती रही है। सिंचाई के सुदृढ़ीकरण, बाढ़ से संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, और डेयरी विकास की परियोजनाओं को शामिल करने के लिए कृषि विभाग और सहवर्ती क्षेत्रों को तृतीय कृषि रोडमैप, 2017-22 के लिए कुल 1.54 लाख करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। किसान समुदाय को जीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार जलवायु के झटके झेलने में सक्षमकृषि को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता देने और आधुनिक लागत सामग्रियों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए अनेक योजनाएं चला रही है।

परिचय

बिहार जैसे राज्यों में आर्थिक गतिविधियां कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों के विकास के साथ घनिष्ठता से जुड़ी हुई हैं क्योंकि खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा से इनका मजबूत संबंध है। यह क्षेत्र खाद्य पदार्थों की आपूर्ति ही नहीं बढ़ाता है, रोजगार के अवसर भी पैदा करता है, जीविका के अवसरों में भी सुधार लाता है, और गरीबी निवारण भी करता है। विगत दो दशकों में बिहार की अर्थव्यवस्था में ढांचागत बदलाव आया है जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद की क्षेत्रगत संरचना में कृषि क्षेत्र से सेवा क्षेत्र की ओर शिफ्ट से स्पष्ट होता है। तृतीयक क्षेत्र के हिस्से में

वृद्धि के कारण राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का सापेक्ष हिस्सा 2000-01 के 35.8 प्रतिशत से घटकर 2017-18 में 19.7 प्रतिशत रह गया, ऐसा तृतीय क्षेत्र के हिस्से में वृद्धि के कारण हुआहालांकि इसका जारी महत्व इस बात में निहित है कि राज्य की 70 प्रतिशत से भी अधिक आबादी कृषि कार्यों में लगी है। वर्ष 2000 में राज्य के विभाजन के बाद अधिकांश खनिज संसाधन झारखंड वाले क्षेत्र में चले गए। अतः सक्षम कृषि व्यवस्था बिहार में समग्र आर्थिक विकास की विकासमूलक रणनीति का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। कृषि क्षेत्र में उच्च और टिकाऊ विकास हासिल करना खेती में और खेती के बाद रोजगार के अवसर पैदा करने तथा आमदनी, खास कर गरीबों की आमदनी बढ़ाने, दोनो के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

शीतोष्ण क्षेत्र के उपोष्ण अंचल में अवस्थित बिहार $24^0 20'$ से $27^0 31'$ उत्तरी अक्षांश और $83^0 19'$ से $88^0 17'$ पूर्वी देशांतर के बीच अवस्थित है। गंगा नदी राज्य को दो हिस्सों में बांटतो है। उत्तर बिहार घना बसा है और यहां के अधिकांश लोग कृषि कार्यों में लगे हैं जबकि दक्षिण बिहार में कृषि और औद्योगिक गतिविधियों का मिश्रण है। उत्तर बिहार को गंगा से निकलने वाली नदियों से पानी मिलता है और यह बाढ़प्रवण है जबकि दक्षिण बिहार मुख्यतः सूखाप्रवण है, और मध्य भारत की नदियों के भरोसे है। वर्षापात, तापमान, मिट्टी और क्षेत्र के आधार पर राज्य तीन कृषि-जलवायु क्षेत्रों में बंटा है -उत्तर-पश्चिमी जलोढ़ मैदान, उत्तर-पूर्वी जलोढ़ मैदान और दक्षिण बिहार के जलोढ़ मैदान। दक्षिणी भाग की तुलना में उत्तर-पश्चिमी जलोढ़ मैदान और उत्तर-पूर्वी जलोढ़ मैदान मं अधिक वर्षा होती है। समुद्रतट-विहीन राज्य बिहार में देश की लगभग 8.6 प्रतिशत आबादी रहती है जबकि यहां देश का 3.8 प्रतिशत कृषि-भूमि ही मौजूद है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य का जनसंख्या घनत्व देश में सबसे अधिक - 1106 व्यक्ति प्रति वर्गकिमी है जबकि देश का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी ही है। कुल मिलाकर बढ़ती आबादी, सीमित कृषि-भूमि, टुकड़ों में बंटी जोतें, लागत सामग्रियों की ऊंची लागत, अनियमित वर्षा, बाढ़ और भूमि का क्षरण बिहार में कृषि क्षेत्र के लिए गंभीर चुनौतियां प्रस्तुत करते हैं।

कृषि की संभावना को साकार करने के लिए राज्य सरकार ने कृषि रोडमैप के तहत राज्य में फसलों, पशुधन, मछली उत्पादन, दूध उत्पादन और सिंचाई क्षेत्र के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। राज्य सरकार के कृषि रोडमैप का मुख्य उद्देश्य बढ़ती आबादी के लिए खाद्य एवं पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से लाभप्रद और टिकाऊ खेती की उपलब्धि के लिए सक्षमकारी वातावरण निर्मित करना है। कृषक समुदाय के लिए जीविका की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिहाज से पर्यावरण के झटके झेलने में सक्षमकृषि व्यवहारों को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी संबंधी सहायता उपलब्ध कराने और आधुनिक लागत सामग्रियों की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं।

बिहार में 2013-14 से 2018-19 तक सकल राजकीय मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का योगदान तालिका 3.1 में प्रस्तुत है। बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों का योगदान 2013-14 के 22.8 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 19.3 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2018-19 में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में सर्वाधिक 10.6 प्रतिशत योगदान फसल क्षेत्र का था और सबसे कम 1.5 प्रतिशत मत्स्याखेट एवं जलकृषि क्षेत्र का। पशुधन क्षेत्र बिहार में एक महत्वपूर्ण हिस्से के बतौर उभर रहा है जो राज्य के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में इसके बढ़ते योगदान - 2013-14 के 5.4 प्रतिशत से 2018-19 में 5.6 प्रतिशत -से स्पष्ट है। सकल राजकीय

मूल्यवर्धन में फसल क्षेत्र का हिस्सा 2018-19 में 10.6 प्रतिशत था लेकिन 2013-14 के 14.2 प्रतिशत से यह 3.6 प्रतिशत अंक घट गया है। वर्ष 2018-19 में बिहार के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में वन एवं काष्ठ उत्पादन क्षेत्र का योगदान लगभग 1.6 प्रतिशत था। गत छः वर्षों के दौरान राज्य के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र के योगदान के रुझान का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि राज्य में कृषि क्षेत्र को आगे लाने के लिए फसल, पशुधन और मत्स्य क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण संभावनाएं हैं।

तालिका 3.1 : सकल राजकीय मूल्यवधन में कृषि क्षेत्र का हिस्सा (2013-14 से 2018-19)

(स्थिर मूल्य पर)

क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18(अनंतिम)	2018-19(त्वरित)
कृषि, वन एवं मत्स्याखेट	22.8	22.0	21.2	21.6	21.0	19.3
फसल	14.2	13.1	12.4	12.7	12.1	10.6
पशुधन	5.4	5.7	5.7	5.6	5.6	5.6
वानिकी एवं काष्ठ उत्पादन	1.7	1.6	1.5	1.8	1.6	1.6
मत्स्याखेट एवं जलकृषि	1.6	1.7	1.7	1.5	1.6	1.5

टिप्पणी : 2017-18 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2018-19 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी विभाग, बिहार सरकार

3.1कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय

यह देखते हुए कि गरीबी निवारण पर कृषि का व्यापक बहुगुणक प्रभाव होता है, राज्य सरकार ने राज्य में लक्षित निवेशों, अधिसंरचनात्मक विकास और प्रोत्साहन योजनाओं के जरिए टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रचुर वित्तीय संसाधन आबंटित किए गए हैं। कृषि रोडमैप-3 (2017-22) में कृषि और सहवर्ती क्षेत्र के विकास के लिए, जिसके अंतर्गत सिंचाई के सुदृढ़ीकरण, बाढ़ से संरक्षण, खाद्य प्रसंस्करण, और डेयरी विकास की परियोजनाएं शामिल हैं,1.54 लाख करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

कृषि और इसके उप-क्षेत्रों में 2010-11 से 2018-19 तक सार्वजनिक व्यय के रुझान तालिका 3.2 में प्रस्तुत हैं। कृषि और सहवर्ती क्षत्रों के लिए 2018-19 में राज्य बजट 5176 करोड़ रु. था जो कुल आर्थिक सेवाओं का 9.7 प्रतिशत था। वहीं, 2018-19 में उप-क्षेत्रों में सर्वाधिक 2674 करोड़ रु. का व्यय फसल क्षेत्र में देखा गया और उसके बाद 552 करोड़ रु. खाद्य भंडारण पर। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच कृषि और सहवर्ती सेवाओं पर व्यय की वार्षिक चक्रवृद्धि दर 11.0 प्रतिशत थी। इस प्रकार कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों पर कुल सार्वजनिक व्यय 2014-15 के 3615 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 5176 करोड़ रु. हो गया। लेकिन आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय में इसका हिस्सा 2014-15 में 12.4 प्रतिशत था जो 2018-19 में घटकर 9.6 प्रतिशत रह गया। पिछले पांच वर्षों में कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा पर राज्य के बजट से सार्वजनिक व्यय मेंकमी आई है। इसका एक कारण राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय का डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा में बदल जाना हो सकता है।वहीं, पशुपालन पर व्यय में उछाल आया है जो 2014-15 के 156 करोड़ रु. से 2018-19 में 451 करोड़ रु. हो गया।

तालिका 3.2 : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र पर व्यय के रुझान (2014-15 से 2018-19)

(लाख रु.)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
फसल उत्पादन	188035 (6.4)	174915 (4.7)	99201 (2.2)	299151 (5.4)	267419 (5.0)
मृदा एवं जल संरक्षण	3000 (0.1)	3944 (0.1)	8314 (0.2)	9077 (0.2)	14003 (0.3)
पशुपालन	15606 (0.5)	20489 (0.6)	23598 (0.5)	45209 (0.8)	45055 (0.8)
दुग्ध विकास	13577 (0.5)	8657 (0.2)	9749 (0.2)	12619 (0.2)	11185 (0.2)
मत्स्यपालन	3039 (0.1)	4434 (0.1)	3791 (0.1)	10571 (0.2)	10326 (0.2)
वानिकी एवं वन्य जीवन	32501 (1.1)	28258 (0.8)	33176 (0.7)	31299 (0.6)	40674 (0.8)
खाद्य भंडारण/ भंडारण	30698 (1.0)	108513 (2.9)	1331 (neg.)	80983 (1.5)	55221 (1.0)
कृषि अनुसंधान/ शिक्षा	58943 (2.0)	35158 (0.9)	45619 (neg.)	37196 (0.7)	40405 (0.8)
सहयोग	16140 (0.6)	27286(0.7)	17981 (neg.)	44763 (0.8)	32220 (0.6)
अन्य कार्यक्रम	—	338 (नगग्य)	1348 (नगण्य)	1545 (नगण्य)	1143 (नगण्य)
कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र	**361538 (12.4)**	**411993 (11.0)**	**241446 (5.4)**	**572414 (10.3)**	**517650 (9.7)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल आर्थिक सेवाओं का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य के बजट दस्तावेज

चार्ट 3.1 में दो त्रिवर्षों -2010-13 और 2016-19 -के लिए कुल आर्थिक सेवाओं में हिस्से के बतौर कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के उप-क्षेत्रों में व्यय के रुझानों पर एक स्नैपशॉट प्रस्तुत किया गया है। कुल मिलाकर त्रिवर्ष 2016-19 में कुल आर्थिक सेवाओं में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों के व्यय का हिस्सा त्रिवर्ष 2010-13 के 13.6 प्रतिशत से घटकर 8.4 प्रतिशत रह गया। हालांकि फसल उत्पादन पर व्यय सर्वाधिक था लेकिन 2016-19 त्रिवर्ष में उसके हिस्से में कमी आई। समग्रता में कहें, तो बिहार में फसल, पशुपालन, खाद्य भंडारण एवं भंडारण के लिए प्रचुर सार्वजनिक संसाधन आबंटित करके राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी है।

चार्ट3.1 : कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों में सार्वजनिक व्यय के रुझान

(कुल आर्थिक सेवाओं में प्रतिशत)

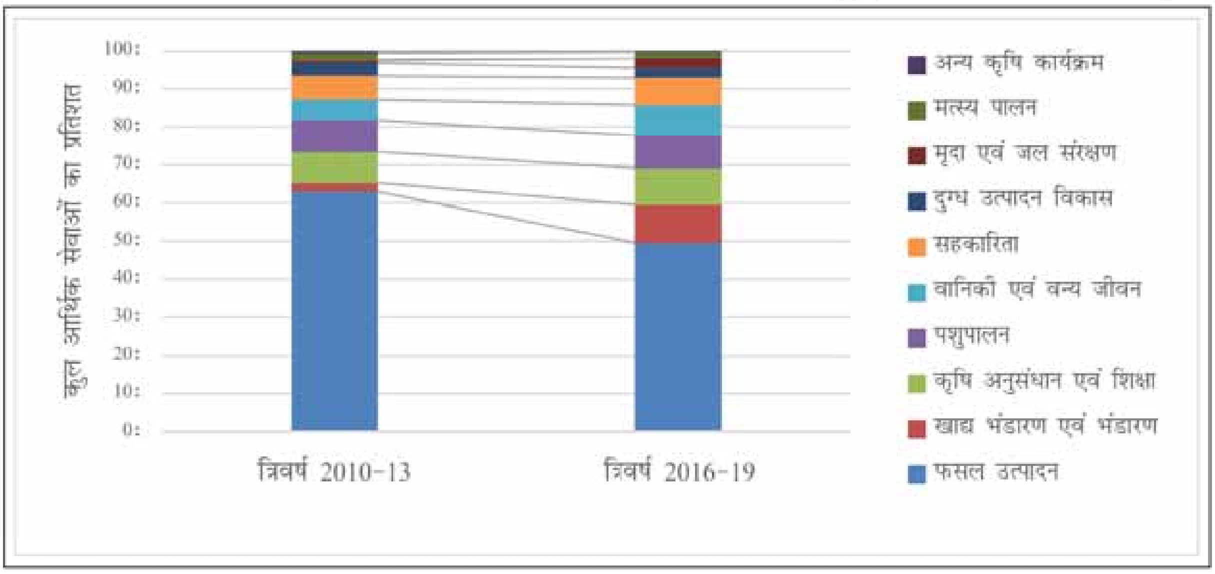

स्रोत : राज्य के बजट दस्तावेज, बिहार

3.2 भूमि संसाधन

भूमि संसाधन किसी अर्थव्यवस्था में आर्थिक, सामाजिक और मानवीय गतिविधियों के विस्तार को सक्षम बनाने के लिए खाद्य, चारा, और रेशा उत्पादन का आधार तैयार करते हैं। कृषि और कृषीतर प्रयोजनों के लिए जमीन की मांग और प्रतिस्पर्धी उपयोग बढ़ने से जमीन खेती के उपयोग के लिए उत्तरात्तर कम होती जा रही है। साथ ही, बढ़ती आबादी, प्रवास, निर्वनीकरण, मृदा क्षरण और जलवायु परिवर्तन के जोखिम भूमि संसाधनों के टिकाऊ प्रबंधन के लिए चुनौती प्रस्तुत करते हैं। जमीन का परिनाण सीमित है लेकिन वकल्पिक (कृषीतर) उपयोगों के लिए उसकी मांग बढ़ती जा रही है जो भूमि संसाधनों के सर्वोत्तमउपयोग के लिए उचित योजना निर्माण की जरूरत जतलाती है।

भूमि उपयोग पैटर्न

जैसा कि तालिका 3.3 में दर्शाया गया है, 2015-16 से 2017-18 के बीच राज्य में भूमि के उपयोग का पैटर्न मोटे तौर पर अपरिवर्तित रहा है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में कृषि भूमि का अच्छा-खासा हिस्सा है क्योंकि 2017-18 में कुल बुआई क्षेत्र 56 प्रतिाशत (52.42 लाख हेक्टेयर) था। वर्ष 2017-18 में सकल शस्य क्षेत्र (जीसीए) 75.25 लाख हे. था जो 144 प्रतिशत फसल सघनता दर्शाता है। विभिन्न पेड़ों-बागानों के अंतर्गत भूमि 2.48 लाख हे. थी जो कि राज्य के कुल क्षेत्र का 2.6 प्रतिशत थी; जबकि 2017-18 में स्थायी चरागाह राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 0.2 प्रतिशत था।कुल अकृष्य भूमि 2015-16 के 41.55 लाख ह. से घटकर 2017-18 में 41.18 लाख हे. रह गई थी जो कुल भौगोलिक क्षेत्र का 44.0 प्रतिशत है। अकृष्य भूमि में क्रमिक कमी का आंशिक कारण कृषि और कृषीतर, दोनो प्रयोजनों के लिए जमीन पर बढ़ता दबाव है। कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 11.1 प्रतिशत हिस्सा कुल परती भूमि के अंतर्गत है। कृषीतर उपयोग के अंतर्गत जमीन 2015-16 के 17.13 हे. से थोड़ा बढ़कर 2017-18 में 17.18 लाख हे. हो गई। इसका श्रेय मुख्यत: बढ़ते शहरीकरण, औद्योगीकरण, अधिसंरचना विकास और बढ़ती बसाहटों के कारण कृषि भूमि के कृषीतर प्रयोजनों में रूपांतरण को जाता है। कुल मिलाकर राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान भूमि उपयाग पैटर्न में निरंतरता दिखी है।

जिला स्तर पर भूमि उपयोग पैटर्न पर गहराई से नजर डालने पर काफी अंतर का पता चलता है जिसे तालिका प 3.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में दर्शाया गया है। सर्वाधिक 2.83 लाख हे. शुद्ध बुआई क्षेत्र पूर्व चंपारण में था और सबसे कम 0.23 लाख हे. शिवहर में। वहीं 2017-18 में फसल सघनता सहरसा में सर्वाधिक 1.95 थी और सबसे कम 1.07 भोजपुर में। वर्ष 2017-18 में कोई 20 जिलों में फसल सघनता राज्य के औसत (1.44) से अधिक दर्ज की गई। कैमूर (1.13 लाख हे.), जमुई (0.93 लाख हे.), पश्चिम चंपारण (0.92 लाख हे.), गया (0.78 लाख हे.), रोहतास (0.67 लाख हे.) और नवादा (0.64 लाख हे.) जिलों में कुल 5.06 लाख हे. वनक्षेत्र था जो राज्य के कुल वनक्षेत्र के 80 प्रतिशत से अधिक है। वर्ष 2017-18 में कुल अकृष्य भूमि सर्वाधिक 3.11 लाख हे. गया जिले में थी और सबसे कम 0.15 लाख हे. शेखपुरा जिले में। वहीं, 2017-18 में भोजपुर, मधुबनी, रोहतास और सुपौल जिलों में वर्तमान परती 2 प्रतिशत से भी कम थी। वर्ष 2017-18 में

तालिका 3.3 : बिहार में भूमि उपयोग का पैटर्न (2015-16 से 2017-18)

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

क्र.सं.	भूमि उपयोग	2015-16	2016-17	2017-18
1	भौगोलिक क्षेत्रफल	9359.57 (100.0)	9359.57 (100.0)	9359.57 (100.0)
2	वन भूमि	621.64 (6.6)	621.64 (6.6)	621.64 (6.6)
3	कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि			
	(क) बंजर एवं अकृष्य भूमि (क)	431.72(4.6)	431.72 (4.6)	431.72 (4.6)
	(ख) कृषोतर उपयोग वाली भूमि	1713.02 (18.3)	1718.59 (18.4)	1718.31 (18.4)
	भूमिक्षेत्र	1360.65 (14.5)	1366.15 (14.6)	1366.65 (14.6)
	जलक्षेत्र	352.37 (3.8)	352.44 (3.8)	351.66 (3.8)
4	कृष्य ऊसर भूमि	44.46 (0.5)	44.41 (0.5)	44.28 (0.5)
5	अकृष्य भूमि परती भूमि को छोड़कर			
	(क) स्थायी चरागाह	15.23 (0.2)	15.14 (0.2)	15.08 (0.2)
	(ख) बागानी भूमि	247.95 (2.6)	248.05 (2.6)	248.15 (2.6)
6	परती भूमि			
	(क) वर्तमान परती	961.42 (10.3)	868.01 (9.3)	919.5 (9.8)
	(ख) अन्य परती भूमि	119.24 (1.3)	119.08 (1.3)	118.92 (1.3)
7	कुल अकृष्य भूमि (2 से 6)	4154.68 (44.4)	4066.64 (43.4)	4117.60 (44.0)
8	निवल बुआई क्षेत्र	5204.89 (55.6)	5292.93 (56.6)	5241.97 (56.0)
9	सकल शस्य क्षेत्र	7572.41	7654.36	7525.18
	फसल सघनता	1.45	1.45	1.44

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

चार्ट 3.2 भूमि उपयोग (2017-18)

(प्रतिशत में)

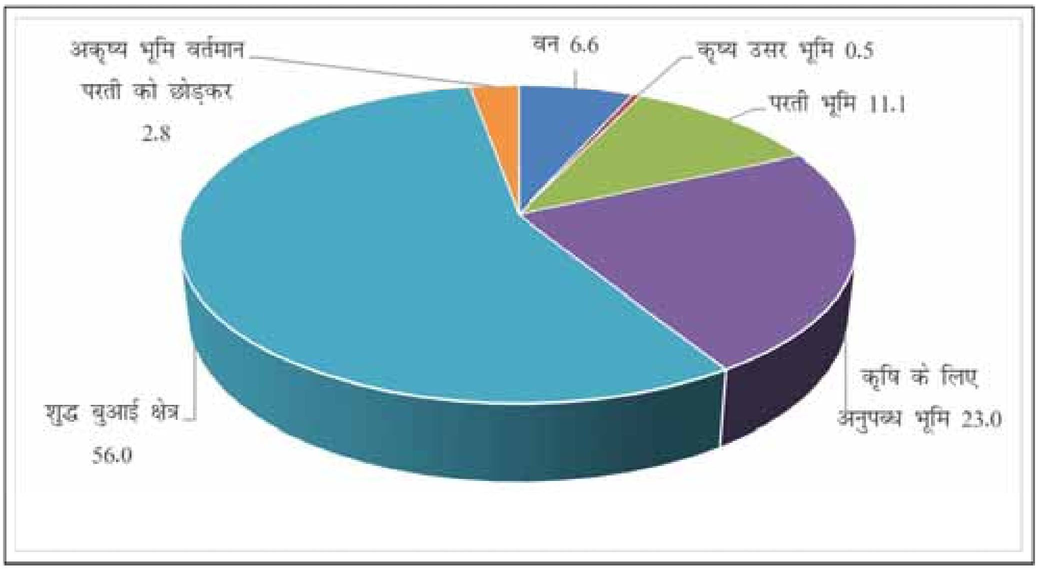

शिवहर, अररिया, मधुबनी और सीतामढ़ी में कुल अकृष्य भूमि (वर्तमान परती को छोड़कर) का 29.6 प्रतिशत हिस्सा था। इस प्रकार, बिहार में कृषि और कृषीतर प्रयोजनों के लिए भूमि उपयोग के पैटर्न में जिलों के बीच काफी अंतर है। जहां कुछ जिलों में अच्छी-खासी कृष्य भूमि और जल संसाधन हैं, वहीं अन्य जिलों की स्थिति वैसी नहीं है। कृषि-परितंत्रकी स्थितियां, जलवायु संबंधी कारक, और मिट्टी की गुणवत्ता बिहार में भूमि उपयोग पैटर्न पर विचार करने के मामले में योगदाता कारक हैं।

बिहार में जोतें

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 85 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, और उनकी जीविका की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत उनकी अपनी जोते हैं। लेकिन भारत में जोतों के बहुत छोटी होने क प्रमाण उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं और बिहार इस परिदृश्य का अपवाद नहीं है। वर्ष 2010-11 और 2015-16 की कृषि गणना के अनुसार आकार के आधार पर जोतों के वितरण का ब्योरा तालिका 3.4 में प्रस्तुत है।

तालिका 3.4 : बिहार में जोतों का वर्ग-वार वितरण (2010-11 और 2015-16)

वर्ग आधारित आकार	कार्यशील जोतों की संख्या (हजार)			कार्यशील जोतों का क्षेत्रफल (हजार हेक्टेयर)			कार्यशील जोतों का औसत क्षेत्रफल (हे.)	
	2015-16	2010-11	प्रतिशत परिवर्तन	2015-16	2010-11	प्रतिशत परिवर्तन	2015-16	2010-11
सीमांत	14971	14744	1.5	3728	3669	1.6	0.25	0.25
लघु	944	948	-0.4	1178	1186	-0.6	1.25	1.25
लघु-मध्यम	414	415	-0.2	1076	1073	0.3	2.60	2.59
मध्यम	81	81	-0.1	431	415	3.8	5.29	5.09
वृहत	3	3	-1.3	45	45	-1.1	14.48	14.45
सभी	16413	16191	1.4	6457	6388	-1.1	0.39	0.39

टिप्पणी : प्रतिशत अंतर क्षेत्रफल के आंकड़ों पर आधारित हैं।

स्रोत : कृषि गगना, 2015-16

वर्ष 2015-16 में बिहार में कार्यशील जोतों की कुल संख्या 2010-11 के 1.619 करोड़ से 1.4 प्रतिशत बढ़कर 1.641 करोड़ हो गई। वर्ष 2015-16 में बिहार की कुल जोतों में दो हे. से छोटे आकार वाली लघु और सीमांत जोतों का लगभग 97 प्रतिशत हिस्सा था जिनके अंतर्गत राज्य क कार्यकारी जोतों के कुल क्षेत्रफल का लगभग 76 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2010-11 और 2015-16 के बीच सीमांत जोतों में 1.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है। लगभग 3.0 प्रतिशत परिवारों के पास अर्ध-मध्यम और मध्यम आकार की जोतें हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 15.07 लाख हे. है और कुल क्षेत्रफल में उनका 23.3 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2015-16 में बिहार में जोतों का औसत आकार 0.39 हे. था जिसमें 2010-11 की पूर्ववर्ती गणना से कोई अंतर नहीं आया है।

वर्ष 2015-16 में बिहार में सभी आकार वाली जोतों का लिंग आधारित वितरण तालिका 3.5 में प्रस्तुत है। पुरुषों और महिलाओं, दोनो के लिए जोतों का औसत आकार 0.39 हे. था। रोचक बात यह है कि महिलाओं के मामले में सीमांत, अर्ध-मध्यम और बड़े आकार वाली जोतों का औसत आकार पुरुषों से अधिक था।

तालिका 3.5 : बिहार में जोतों का लिंग आधारित वितरण (2015-16)

(संख्या हजार में, क्षेत्रफल हजार हे. में)

लिंग आधारित आकार	कार्यशील जोतों की संख्या (हजार)			कार्यशील जोतों का क्षेत्रफल (हजार हे.)			कार्यशील जोतों का औसत क्षेत्रफल (हे.)		
	पुरुष	महिला	योगफल	पुरुष	महिला	योगफल	पुरुष	महिला	योगफल
सीमांत	12835	2136	14971	3165	563	3728	0.25	0.26	0.25
लघु	821	123	944	1024	154	1178	1.25	1.25	1.25
लघु-मध्यम	360	54	414	933	143	1076	2.59	2.62	2.60
मध्यम	71	10	81	379	52	431	5.30	5.15	5.29
वृहत	3	0	3	35	10	45	13.59	14.14	14.48
सभी	14090	2323	16413	5537	920	6457	0.39	0.39	0.39

स्रोत : कृषि गगना, 2015-16

बिहार में सभी वर्ग समूहों में जोतों का कुल कार्यकारी क्षेत्रफल पुरुषों के लिए 55.4 लाख हे. और महिलाओं के लिए 9.2 लाख हे. था। पुरुषों के मामले में जोतों की सर्वाधिक संख्या (128.4 लाख) सीमांत जोतों के तहत थी और उसके बाद मध्यम के तहत (9.3 लाख)। महिलाओं में भी सर्वाधिक संख्या (21 लाख) सीमांत जोतों की ही थी जिनके तहत कुल क्षेत्रफल 8.2 लाख हे. था। महिलाओं के मामले में बड आकार की जोतों की संख्या 1. 4 लाख थी जिनके तहत कुल 0.5 लाख हे. जमीन थी। आंकड़ों से बिल्कुल स्पष्ट होता है कि बिहार में 14.2 प्रतिशत जोतों पर महिलाओं का स्वामित्व है जो राज्य में भूमि अधिकारों के प्रति लैंगिक पूर्वाग्रहदर्शाता है।

3.3 फसलों और बागानों केउत्पादन के रुझान

गंगा के उपजाऊ मैदान, उर्वर जलोढ़ मिट्टी, और प्रचुर जल संसाधन राज्य में खाद्य और अखाद्य, दोनो प्रकार की फसलों के उत्पादन के लिए विविधतापूर्ण कृषि प्रणाली को बल प्रदान करते हैं। चावल, गेहूं और मक्का जैसी प्रमुख फसलें तथा फल-सब्जियां खरीफ (जून से सितंबर), रबी (अक्तूबर से मार्च) और जायद (अप्रील से जून), तीनो कृषि मौसमों में उपजाई जाती हैं। राज्य में कृषि उत्पादन मुख्यत: दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून पर निर्भर है। सिंचाई सुविधाओं के विस्तार ने उन्नत बीजों, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों और आधुनिक मशीनों को अपनाकरकृषि उत्पादन का विविधीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

फसल क्षेत्र

राज्य में फसल पैटर्न मुख्यत: जैव-भौतिक और जलवायु संबंधी कारकों, सिंचाई, प्रौद्योगिकी अपनाने और किसानों की सामाजिक-आर्थिक क्षमता पर निर्भर है। भूमि उपयोग और फसल प्रणाली के पैटर्न के निहितार्थ खाद्य और पोषण संबंधी सुरक्षा के लिए ही नहीं, पर्यावरण की सुस्थिरता के लिए भी है। बिहार में कृषि-जलवायु और स्थलाकृति संबंधी कारकों के कारण अनाज, दलहन, तिलहन, रेशों और नगदी फसलों का उत्पादन होता है। तालिका 3.6 में राज्य में 2014-15 से 2018-19 तक का फसल पैटर्न दर्शाया गया है। राज्य के फसल पैटर्न में

अनाजों का वर्चस्व है जिनका सकल शस्य क्षेत्र में 86 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा है। अनाजों में भी चावल और गेहूं का सकल शस्य क्षेत्र के 70 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा है।

तालिका 3.6 : बिहार में फसल पैटर्न (2014-15 से 2018-19)

(प्रतिशत में)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
खाद्यान्न	93.23	93.26	91.63	93.72	94.04
अनाज	86.15	86.19	84.88	86.94	87.10
दलहन	7.09	7.07	6.76	6.77	6.94
तिलहन	1.63	1.70	1.49	1.46	1.46
रेशेदार फसलें	1.57	1.58	3.59	1.50	1.24
ईख	3.56	3.46	3.28	3.33	3.26
कुल क्षेत्रफल	100	100	100	100	100

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

विगत चार वर्षों में सकल शस्य क्षेत्र में दलहनी फसलों का क्षेत्रफल घटता गया है, हालांकि 2018-19 में उसमें सुधार हुआ है। दलहनों के क्षेत्रफल में गिरावट और उनकी बढ़ती कीमतों का राज्य के गरीबों के कल्याण पर प्रभाव पड़ता है। विगत पांच वर्षों में सकल शस्य क्षेत्र में तिलहन और रेशेदार फसलां, दोनो के हिस्सों में लगातार गिरावट दिखी है। वर्ष 2018-19 में सकल सश्य क्षेत्र में खाद्यान्न फसलों का 94.0 प्रतिशत हिस्सा राज्य में कृषि की जीवननिर्वाह वाली प्रकृति का संकेत है। महत्वपूर्ण नगदी फसल के बतौर ईख का सकल शस्य क्षेत्र में 2017-18 में 3.3 प्रतिशत हिस्सा था। चूंकि फसल उत्पादन मुख्यत: मॉनसून पर निर्भर है इसलिए सिंचाई सुविधाओं और अन्य अधिसंरचनाओं को उन्नत करने का राज्य में कृषि के लिहाज से अधिक क्षेत्र में दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है।

उत्पादन और उत्पादकता के रुझान

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की अवधि में सर्वप्रमुख फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के स्तरों के रुझान क्रमश: तालिका 3.7 और 3.8 में प्रस्तुत हैं। पांच वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक चक्रवृद्धि दरें तालिकाओं के अंतिम कॉलम में दी गई हैं। बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन 2018-19 में 163.12 लाख टन था जो 2014-15 में 147.50 लाख टन ही था। यह 4.14 प्रतिशत वृद्धि दर दर्शाता है। खाद्यान्नों की बढ़ती मांग पूरी करने में अनाज महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

पारंपरिक खाद्यान्न अर्थव्यवस्था के अनुरूप बिहार में उपजाई जाने वाली प्रमुख खाद्य फसलों में चावल, गेहूं, मक्का और दलहन शामिल हैं। वर्ष 2017-18 में अनाजों का उत्पादन 143.21 लाख टन था जो 4.21 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में 158.58 लाख टन हो गया। इस वृद्धि के बड़े हिस्से का कारण अधिक उत्पादकता है जो 4.31 प्रतिशत वृद्धि दर्ज करते हुए 2014-15 के 2328 किग्रा प्रति हे. से बढ़कर 2018-19 में 2636 किग्रा प्रति हे. हो गई। अनाजों का उत्पादन बढ़ने में गेहूं और मक्के की फसलों में वृद्धि का प्रभाव पड़ा। गेहूं का उत्पादन

2014-15 में 35.70 लाख टन था जो 2018-19 में बढ़कर लगभग 64.66 लाख टन हो गया। वहीं, मक्का का उत्पादन इस अवधि में 24.79 लाख टन से 31.94 लाख टन पहुंच गया। हालांकि बिहार में मक्का का उत्पादन क्षेत्र लगातार बढ़ा है लेकिन उत्पादन में निरंतरता नहीं हांने से उपज दर में काफी उतार-चढ़ाव दिखा। चावल के मामले में भी पिछले पांच वर्षों में उत्पादन और उत्पादकता में निरंतरता नहीं रही है। चावल का उत्पादन 2014-15 में 82.42 लाख टन था जो 2018-19 में घटकर 61.56 प्रतिशत रह गया। उसकी उत्पादकता में भी 3.61 प्रतिशत की दर से गिरावट आई और 2018-19 में वह 2014-15 के 2525 किग्रा प्रति हे. से 1948 किग्रा प्रति हे. रह गया। चावल की घटी उत्पादकता का कारण सूखा और कम वर्षा के चलते खेती के लिए पानी की अपर्याप्त उपलब्धता, कुछ जिलों में बाढ़ और लागत सामग्रियों की बढ़ती कीमत है। जीरो टिलेज विधि और श्री विधि (चावल सघनीकरण प्रणाली) को बढ़ावा देने के जरिए राज्य सरकार ने चावल का उत्पादन बढ़ाने के लिए काफी प्रयास किया है। अनाजों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार कृषि का आधुनिकीकरण करने, प्रौद्योगिकी अपनाने, सिंचाई अधिसंरचना में निवेश करने और कीटों-पीड़कों का आक्रमण रोकने के जरिए प्रयास कर रही है।

दलहनों का उत्पादन 2014-15 से 1.89 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2018-19 में 4.53 लाख टन हो गया। इसमें अधिकांश वृद्धि रबी दलहनों के कारण हुई जिसका श्रेय मुख्यतः मसूर में 36.5 प्रतिशत, गरमा मूंग में 26.3 प्रतिशत और चना में 16.0 प्रतिशत वृद्धि को दिया जा सकता है। पिछल पांच वर्षों में रबी फसलों का उत्पादन 2.71 प्रतिशत को वार्षिक दर से बढ़ा और औसत उत्पादकता 897 किग्रा प्रति हे. हो गई। वहीं, खरीफ दलहनों का उत्पादन 2017-18 के 22.01 लाख टन से बढ़कर 2018-19 में 23.22 लाख टन हो गया और इस अवधि में औसत उत्पादकता 843.2 किग्रा प्रति हे. हो गई। राज्य में दलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिहाज से कीटों-पीड़कों के प्रकोप में कमी लाने, उपज दर में वृद्धि, और किसानों को मिलने वाली कीमत बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने अनेक पहलकदमियां ली हैं।

हालांकि कुल तिलहनों का उत्पादन थोड़ा घटा और 2014-15 के 1.27 लाख टन से 2018-19 में 1.25 लाख टन रह गया लेकिन 2014-15 की अपेक्षा 2018-19 नें मूंगफलो और सरसों के उत्पादन का स्तर बढ़ा दिखा जिनमें क्रमशः 9.7 प्रतिशत और 2.7 प्रतिशत वृद्धि हुई। वहीं, तिलहनों की उत्पादकता 4.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2014-15 के 1093 किग्रा प्रति हे. से 2018-19 में 1247 किग्रा हो गई। तीसी, मूंगफली और सूर्यमुखी को छोड़कर शेष तिलहनों की उत्पादकता में वृद्धि दर्ज हुई। जलवायु के प्रति संवेदनशील होने के बावजूद, 2014-15 से 2018-19 के बीच सरसों/ राई की उत्पादकता में सबसे अधिक 5.0 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई।ऐसा बीज की गुणवत्ता और सिंचाई सुविधा में सुधार के कारण संभव हुआ। रेशेदार फसलों (जूट और मेसता) की बात करें, तो पिछले पांच वर्षों में उनके क्षेत्रफल और उत्पादन, दोनो में गिरावट आई ह।

इस प्रकार बिहार की महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन और उत्पादकता के रुझानों का मूल्यांकन करने से सामने आता है कि राज्य में वर्षा-आश्रित और सिंचित, दोनो प्रकार के खाद्यान्नों की उत्पादकता बढ़ाने की गुंजाइश है। राज्य में फसल क्षेत्र में उत्पादन मुख्य रूप से क्षेत्रफल के बजाय उत्पादकता बढ़ने के कारण बढ़ा है क्योंकि राज्य में खेती के लिए अतिरिक्त जमीन की गुंजाइश बहुत सीमित है। बढ़ती आबादी ने राज्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा की पूर्ति के लिए उत्पादन बढ़ाने की जरूरत दर्शाई है।

तालिका 3.7 : बिहार में मुख्य फसलों के उत्पादन स्तर (2014-15 से 2018-19)

(हजार टन में)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)
कुल खाद्यान्न	14750.04	14508.03	18560.78	17802.78	16311.54	4.14
कुल अनाज	14321.11	14087.25	18099.11	17348.61	15858.11	4.21
कुल चावल	8241.62	6802.22	8238.77	8093.16	6155.53	-4.02
बोड़ो चावल	1010.34	725.21	949.37	903.29	615.67	-7.42
अगहनी चावल	7049.73	5876.03	7065.07	7046.04	5403.58	-3.44
गरमा चावल	181.56	200.98	224.33	143.83	136.28	-8.68
गेहूं	3570.21	4736.45	5985.84	6104.30	6465.91	15.51
कुल मक्का	2478.75	2517.10	3845.70	3120.77	3193.91	7.49
खरीफ मक्का	825.15	692.70	624.30	535.88	464.14	-13.13
रबी मक्का	913.78	1105.14	2131.51	1645.56	2098.44	22.89
गरमा मक्का	739.82	719.26	1089.89	939.34	631.33	-0.50
कुल मोटे अनाज	2509.28	2548.58	3874.50	3151.15	3236.68	7.48
जौ	13.43	13.90	16.29	16.47	283.93	87.24
ज्वार	1.55	1.71	1.91	1.45	0.76	-14.70
बाजरा	3.73	4.64	4.05	4.97	3.53	-0.47
रागी	9.84	9.89	3.46	4.18	3.09	-27.22
कोदो-सावां	1.98	1.34	3.10	3.31	6.99	40.88
कुल दलहन	428.93	420.78	461.67	454.17	453.43	1.89
कुल खरीफ दलहन	33.69	28.98	29.30	22.01	23.22	-9.69
ऊड़द	14.36	12.05	11.49	7.06	7.31	-17.18
भदई मूंग	9.23	8.34	8.33	5.53	5.32	-14.04
कुल्थी	7.96	7.21	7.63	7.98	8.97	3.46
घघरा	0.43	0.49	0.43	0.43	0.38	-3.71
अन्य खरीफ दलहन	1.71	0.89	1.43	1.02	1.25	-4.79
कुल रबी दलहन	395.24	391.80	332.69	432.17	430.21	2.71
अरहर (तूर)	28.54	37.13	33.17	28.63	31.68	-0.51
चना	57.49	58.55	66.50	67.18	67.69	4.75
मसूर	140.06	140.44	146.88	147.49	148.03	1.61
मटर	17.31	17.94	16.74	16.94	17.15	-0.76
खेसारी	60.06	50.99	55.18	50.31	51.38	-3.20
गरमा मूंग	90.73	86.02	111.55	120.19	113.16	8.07
अन्य रबी दलहन	1.05	0.73	2.35	1.43	1.12	8.34
कुल तिलहन	127.01	126.52	125.86	124.24	124.94	-0.51
अंडी	0.09	0.04	0.07	0.02	0.08	-8.87
कसुम	0.08	0.09	0.09	0.08	0.07	-3.78
तिल	2.56	2.39	1.78	1.38	1.41	-15.99
सूर्यमुखी	16.64	16.20	14.69	13.38	10.36	-10.76
सरसों-राई	92.89	94.39	97.68	98.49	103.95	2.71
तीसी	14.16	12.91	10.56	10.31	8.20	-12.34
मूंगफली	0.59	0.50	0.99	0.58	0.87	9.69
कुल रेशेदार फसलें	1637.12	1630.60	1571.00	1280.00	1085.00	-10.10
जूट	1418.71	1308.60	1356.00	1110.00	929.00	-9.68
मेसता	218.41	322.00	215.00	170.00	156.00	-12.29
ईख	21117.43	18175.59	18239.90	17610.12	20116.28	-1.28

टिप्पणी : (क) वार्षिक चक्रवृद्धि दर (प्रतिशत) की गणना 5 वर्षों (2014-15 से 2018-19) के लिए की गई है।
(ख) जूट और मेसता की मात्राएं गट्ठरों में लिखी गई हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 3.8 : मुख्य फसलों की उत्पादकता क स्तर

(किग्रा/ प्रति हे.)

फसलें	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)
कुल अनाज	2328	2320	2919	2839	2636	4.61
कुल चावल	2525	2104	2467	2447	1948	-3.61
बोड़ो चावल	1739	1321	1705	1728	1382	-1.89
अगहनी चावल	2711	2258	2618	2594	2036	-4.25
गरमा चावल	2207	2472	2660	2119	2256	-1.10
गेहूं	1657	2244	2843	2905	2998	15.54
कुल मक्का	3508	3571	5335	4607	4771	9.09
खरीफ मक्का	2974	2559	2586	2400	2078	-7.51
रबी मक्का	3630	4421	7482	6138	7432	19.26
गरमा मक्का	4171	3903	5601	5047	3854	0.99
कुल मोटे अनाज	3425	3491	5194	4488	4625	8.89
जौ	1109	1304	1505	1587	1990	14.63
ज्वार	1068	1063	1065	1066	1066	-0.01
बाजरा	1134	1133	1135	1134	1134	0.01
रागी	1474	1429	723	994	1071	-9.53
कोदो-सावां	757	756	379	752	751	-0.21
कुल दलहन	848	844	936	954	946	3.47
कुल खरीफ दलहन	892	821	855	855	793	-1.93
ऊड़द	913	883	885	890	894	-0.34
भदई मूंग	838	683	782	743	581	-6.28
कुल्थी	957	929	919	929	904	-1.13
अन्य खरीफ दलहन	757	753	753	754	754	-0.07
कुल रबी दलहन	844	846	879	960	956	3.83
अरहर (तूर)	1438	1577	1581	1548	1852	5.00
चना	958	986	1120	1154	1199	-33.06
मसूर	916	932	1005	1068	1001	3.19
मटर	1010	1053	1020	1031	1036	0.30
खेसारी	990	934	1059	1057	1018	1.81
गरमा मूंग	579	548	690	707	705	6.70
अन्य रबी दलहन	1000	1010	1005	1005	1004	0.03
कुल तिलहन	1093	1059	1155	1208	1247	4.03
अंडी	958	953	961	1000	965	0.63
कसुम	804	802	813	818	811	0.37
तिल	874	868	877	877	873	0.08
सूर्यमुखी	1429	1421	1428	1429	1417	-0.11
सरसों-राई	1100	1053	1180	1245	1290	4.98
तीसी	861	859	833	851	849	-0.37
मूंगफली	1023	1018	1015	1019	1020	-0.05
जूट	2694	2508	2671	2393	2367	-3.01
मेसता	2402	3515	2369	1479	1935	-12.17
ईख	67040	68970	69060	65480	89181	5.33

टिप्पणी : वार्षिक चक्रवृद्धि दर (प्रतिशत) की गणना 5 वर्षों (2014-15 से 2018-19) के लिए की गई है।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

जिलावार उत्पादन और उत्पादकता स्तर

सिंचाई, अधिसंरचना और प्रौद्योगिकी में निवेश में राज्य की सहायता के कारण राज्य में अनाजों, मोटे अनाजों और दलहनों के उत्पादन और उत्पादकता में प्रभावी वृद्धि दरें दर्ज हुई हैं जिससे खाद्य अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। लेकिन उत्पादन और उत्पादकता संबंधी प्रदर्शन के मामले में जिला स्तरीय रुझानों में काफी अंतर दिखा। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में चावल, गेहूं, मक्का और दलहनों के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता के रुझान सांख्यिकीय परिशिष्ट में क्रमश: तालिका प 3.2, प 3.3, प 3.4 और प 3.5 में प्रस्तुत हैं। वहीं, तालिका 3.9 में चार प्रमुख फसलों - चावल, गेहूं, मक्का और दलहनों -के लिए 2018-19 के आंकड़ों के आधार पर जिलों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया गया है।

चावल

बिहार में व्यापक रूप से उपजाई जाने वाली एक प्रमुख फसलों होने के कारण चावल ग्रामीण आबादी की जीविका और खाद्य सुरक्षा, दोनो सुनिश्चित करने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चावल पानी की सबसे अधिक खपत करने वाली फसलों में से एक है, और लगातार सूखा या कम वर्षा से इसकी उपज प्रभावित हो सकती है। साथ ही, बाढ़-प्रवण क्षेत्रों में खराब जल-निकासी और जल-जमाव से भी इसका उत्पादन घट सकता है। वर्ष 2017-18 में चावल की सर्वाधिक 4105 किग्रा प्रति हे. उत्पादकता रोहतास जिले में और सबसे कम 709 किग्रा प्रति हे. सीवान जिले में दर्ज की गई थी। चावल के उत्पादन के लिहाज से शीर्ष तीन जिले रोहतास (7.92 लाख टन), औरंगाबाद (5.42 लाख टन) और कैमूर (3.54 लाख टन) थे। श्री विधि अपनाने से चावल की उत्पादकता ही नहीं, पानी की दक्षता भो बढ़ी है और पर्यावरण संबंधी दबावों का काफी प्रतिरोध हो पाया है।

गेहूं

गेहूं बिहार की सर्वप्रमुख रबी फसल है जो नवंबर में बोई और मार्च-अप्रील में काटी जाती है। वर्ष 2017-18 में गेहूं के उत्पादन स्तर के लिहाज से तीन प्रमुख जिले रोहतास (5.18 लाख टन), मुजफ्फरपुर (3.36 लाख टन) और सीतामढ़ी (3.21 लाख टन) थे। वहीं, इसकी उत्पादकता के मामले में तीन शीर्ष जिले मधेपुरा (3805 किग्रा प्रति हे.), बेगूसराय (3775 किग्रा प्रति हे.) और रोहतास (3680 किग्रा प्रति हे.) थे। दूसरी ओर, उत्पादकता का सबसे कम स्तर शेखपुरा (2200 किग्रा प्रति हे.), जमुई (2113 किग्रा प्रति हे.) और मधुबनी (1993 किग्रा प्रति हे.) जिलों में दिखा। कृषि यंत्रीकरण मं निवेश, अगात बुआई और बीज प्रतिस्थापन में वृद्धि से राज्य में गेहूं की उत्पादकताबढ़ सकती है।

मक्का

मक्का बिहार की एक महत्वपूर्ण खाद्य फसल है और मुख्यत: विभिन्न कृषि-परितंत्र वाले क्षेत्रों के सभी जिलों के बीच उपजाई जाती है। यह खाद्य और चारा की सबसे उपयुक्त फसल है, और इसका उत्पादन बढ़ता ही जा रहा है इसलिए यह मनुष्यों के भोजन, पशु (मुर्गियों और पशुओं के) आहार, तथा औद्योगिक उपयोग जैसे विविध उपयोगों के लिए बढ़ती मांग पूरी करने के लिहाज से उपयोगी है। गंगा के मैदान की उपजाऊ मिट्टी और संकर बीजों के उपयोग के कारण मक्के की अधिक उपज हासिल कर पाना संभव हुआ है हालांकि इस मामले में जिलों के बीच काफी उतार-चढ़ाव है। वर्ष 2017-18 में जहां पूर्णिया में सर्वाधिक 9188 किग्रा प्रति हे. उपज दर्ज हुई जबकि सबसे कम 1378 किग्रा प्रति हे. उपज भोजपुर में देखी गई। मक्का के उत्पादन में तीन शीर्ष जिले कटिहार (4.76 लाख टन), पूर्णिया (3.44 लाख टन) और अररिया (3.28 लाख टन) हैं।

दलहन

पोषण संबंधी महत्वपूर्ण लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता के कारण बिहार में, खास कर शाकाहारी लोगों के बीच दलहनों की मांग तेजी से बढ़ी है। यह पोषण का ही महत्वपूर्ण घटक नहीं है, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में अपनी मुख्य भूमिका के कारण यह परितंत्र की सुस्थिरता हासिल करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। बिहार में दलहनों का उत्पादन मुख्यत: वर्षा पर आश्रित होता है इसलिए उपज में काफी उतार-चढ़ाव की आशंका रहती है। वर्ष 2017-18 में दलहनों की सर्वाधिक 1374 किग्रा प्रति हे. उत्पादकता बक्सर जिले में थी। वहीं, सुपौल (567 किग्रा प्रति हे.), समस्तीपुर (496 किग्रा प्रति हे.) और किशनगंज (492 किग्रा प्रति हे.) जिलों में इनकी उत्पादकता सबसे कम थी। उत्पादन के लिहाज से राज्य के तीन शीर्ष जिले पटना (0.68 लाख टन), औरंगाबाद (0.31 लाख टन) और नालंदा (0.28 लाख टन) हैं।

तालिका 3.9 : मुख्य फसलों के उत्पादन/ उत्पादकता के आधार पर जिलों का वर्गीकरण (2018-19)

फसल	उत्पादन/ उत्पादकता	निम्न	उच्च
चावल	उत्पादन (हजार टन)	भागलपुर (28.68) बेगूसराय (27.48) खगड़िया (27.25)	रोहतास (792.14) औरंगाबाद (542.10) कैमूर (354.09)
	उत्पादकता (किग्रा प्रति हे.)	भागलपुर (874) गोपालगंज (842) सीवान (709)	रोहतास (4105) अरवल (3113) औरंगाबाद (3086)
गेहूं	उत्पादन (हजार टन)	शेखपुरा (46.70) शिवहर (43.97) मुंगेर (38.30)	रोहतास (517.85) मुजफ्फरपुर (335.65) सीतामढ़ी (321.41)
	उत्पादकता (किग्रा प्रति हे.)	शेखपुरा (2200) जमुई (2113) मधुबनी (1993)	मधेपुरा (3805) बेगूसराय (3775) रोहतास (3680)
मक्का	उत्पादन (हजार टन)	अरवल (0.44) कैमूर (0.16) औरंगाबाद (0.13)	कटिहार (475.83) पूर्णिया (344.26) अररिया (327.78)
	उत्पादकता (किग्रा प्रति हे.)	शेखपुरा (1618) औरंगाबाद (1420) भोजपुर (1378)	पूर्णिया (9188) अररिया (7396) सुपौल (6928)
दलहन	उत्पादन (हजार टन)	शिवहर (1.77) गोपालगंज (1.70) पूर्णिया (1.16)	पटना (67.89) औरंगाबाद (31.39) नालंदा (28)
	उत्पादकता (किग्रा प्रति हे.)	सुपौल (567) समस्तीपुर (496) किशनगंज (492)	बक्सर (1374) पटना (1362) पूर्व चंपारण(1333)

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार के आंकड़ों के आधार पर संकलित

ईख

ईख बिहार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नगदी फसल है और एक सबसे बड़े कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चे माल उपलब्ध कराती है। श्रम-प्रधान फसल होने के कारण ईख की खेती ग्रामीण बिहार में ढेर सारे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराती है। तालिका प 3.6 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में दिए गए आंकड़ों के अनुसार ईख का उत्पादन 182.97 लाख टन था। ईख की उत्पादकता 2017-18 में 69.06 टन प्रति हे. थी जो 2018-19 में घटकर 60.15 टन प्रति हे. रह गई। जिलावार विश्लेषण से पता चलता है कि ईख की उत्पादकता में काफी अंतर है। वर्ष 2018-19 में ईख की सर्वाधिक 84.77टन प्रति हे. उत्पादकता पटना में देखी गई और सबसे कम 46. 14टन प्रति हे.भागलपुर जिले में। राज्य के कुल ईख उत्पादन में पश्चिम चंपारण जिले का लगभग 58.3 प्रतिशत हिस्सा है। जिले में 1.72 लाख हे. जमीन पर ईख की खेती होती है जो 2018-19 में ईख की खेती के कुल क्षेत्रफल का 56.6 प्रतिशत है। 13 जिलों में उत्पादकता राज्य के औसत (60,150 किग्रा प्रति हे.) से अधिक है।

ईख उत्पादकों के लिए एक प्रमुख योजना मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना है जो पंचायती राज संस्थाओं के जरिए चुने गए किसान लाभार्थियों को सब्सिडीशुदा प्रमाणित बीजों की आपूर्ति से जुड़ी है। योजना के तहत किसानों को अधिकतम 2.5 एकड़ जमीन के लिए 16 चुनिंदा प्रजातियों के प्रमाणित बीजों की खरीद पर 160 रु. प्रति क्विंटल (अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिए 200 रु. प्रति क्विंटल) सब्सिडी दी जाती है। वर्ष 2018-19 में इस योजना से 7023 हेक्टेयर खेतों के लिए 8468 किसान लाभान्वित हुए हैं। स्पष्ट है कि बिहार में ईख की उपज में सुधार की गुंजाइश है। प्रौद्योगिकी अपनाने, सिंचाई में निवेश, और राज्य सरकार से प्रोत्साहनों के बावजूद ईख की उत्पादकता और उत्पादन में उतार-चढ़ाव चिंता की बात है।

बागवानी

पिछले दो दशकों में बागवानी बिहार में एक महत्वपूर्ण कृषि उद्यम के रूप में उभरी है क्योंकि फलों, सब्जियों, फूलों, मसालों, बागानी फसलों, तथा औषधीय और सुगंधित वनस्पतियों को शामिल करके यह किसानों को अपने फसल पैटर्न में विविधता लाने का काफो मौका देती है। बढ़ती विविधता से अधिक श्रमिकों के काम में लगने और किसानों को लाभप्रद आमदनी होने के अवसर प्राप्त होते हैं। बागवानी उत्पाद राज्य में खाद्य एवं पोषण सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण घटक बन जाते हैं। स्थानीय, राष्टोय और अंतर्राष्टोय बाजारों में किफायती और उच्च गुणवत्ता वाले फलों की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए इस क्षेत्र में काफी प्रतिस्पर्धा दिख रही है। चूंकि बागवानी उत्पाद बहुत जल्दी नष्ट होने वाले और मौसमी प्रकृति के होत हैं इसलिए उनके लिए तुड़ाई के बाद की पर्याप्त संरचना की जरूरत होती है। राज्य में किसानों की मदद के लिए राज्य सरकार बागवानी क्षेत्र को काफी बढ़ावा दे रही है।

फल

बिहार में 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि के लिए फलों की खेती के क्षेत्रफल और उत्पादन के रुझान तालिका 3.10 में प्रस्तुत हैं। बिहार में फलों का कुल उत्पादन 2016-17 में 41.05 लाख टन था जो 4.9 प्रतिशत 2018-19 में बढ़कर 42.29 लाख टन हो गया। पिछले तीन वर्षों में अनारस को छोड़कर शेष फसलों का उत्पादन बढ़ा है। लीची के उत्पादन में राज्य का प्रदर्शन अच्छा है जिसकी 2018-19 में 0.36 लाख हे. में खेती

हुई और 3.07 लाख टन उत्पादन हुआ। ऐसा क्षेत्रफल और उत्पादकता, दोनो के बढ़ने के कारण संभव हो पाया। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बीच केला का उत्पादन 2.1 प्रतिशत, पपीता का 4.1 प्रतिशत, आम का 3.5 प्रतिशत, अमरुद का 8.2 प्रतिशत, तरबूज का 10.7 प्रतिशत और खरबूजा का 11.8 प्रतिशत बढ़ा।

तालिका 3.10 : बिहार में फलों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2016-17 से 2018-19)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार मै.टन में)

वर्ष	2016-17		2017-18		2018-19		वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)	
क्षेत्रफल/ उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
आम	149.96	1472.38	153.45	1533.64	158.50	1577.43	2.81	3.51
अमरुद	29.38	370.37	27.613	427.6	29.15	433.44	-0.39	8.18
लीची	32.2	198.6	33.26	282.27	35.81	307.58	5.46	24.45
केला	35.1	1527.8	31.06	1396.39	34.34	1591.58	-1.09	2.07
अनारस	4.3	116.6	4.26	115.13	4.17	111.83	-1.52	-2.07
पपीता	1.6	43.9	1.9	42.72	2.24	47.58	18.32	4.11
आंवला	0.9	14.2	1.59	14.917	1.78	15.97	40.63	6.05
तरबूज	1.4	29.7	1.48	23.73	2.09	36.37	22.18	10.66
खरबूजा	1.7	12.9	1.81	10.2	2.90	16.14	30.61	11.86
अन्य	32.4	311	44.36	360.67	47.70	373.87	21.34	9.64
योग	**288.9**	**4097.5**	**300.78**	**4207.26**	**318.68**	**4511.79**	**5.03**	**4.93**

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

चार्ट 3.3 बिहार में फलों की उत्पादकता (टन प्रति हेक्टेयर) (त्रिवर्ष 2016-19)

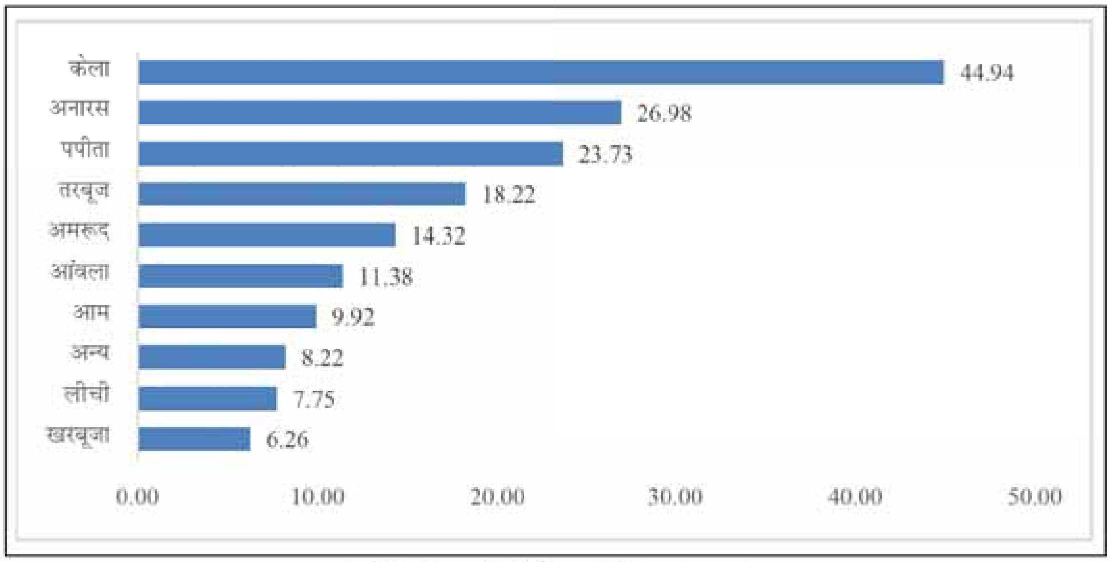

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

चार्ट 3.3 में बिहार में 2016-19में फलों की औसत उत्पादकता दर्शाई गई है। सर्वाधिक उत्पादकता केला के मामले में औसतन 44.94 टन प्रति हे. थी जबकि सबसे कम 6.26 टन प्रति हे. औसत उत्पादकता खरबूजा के मामले में देखी गई। विगत तीन वर्षों में लीची की औसत उत्पादकता 7.75 टन प्रति हे. थी। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए आम, लीची, केला आर अमरुद के क्षेत्रफल और उत्पादकता के जिलावार रुझान तालिका प 3.7 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तीन शीर्ष आम उत्पादक जिले दरभंगा, पूर्व चंपारण और मुजफ्फरपुर हैं जिसका राज्य में 2018-19 में हुए आम के कुल उत्पादन में 24.8 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार में आम के अंतर्गत कुल क्षेत्रफल में इन तीनों जिलों का संयुक्त रूप से 23.2 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं लीची का शीर्ष उत्पादक जिला मुजफ्फरपुर है जहां 1.48 लाख टन लीची का उत्पादन हुआ और राज्य के कुल लीची उत्पादन में उसका 48 प्रतिशत हिस्सा है। इसी प्रकार, तीन जिलों - कटिहार, वैशाली और मुजफ्फरपुर का राज्य के कुल केला उत्पादन में संयुक्त रूप से लगभग 33 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार की शाही लीची और मालदह आम अपनी सुगंध और स्वाद के लिए मशहूर हैं। सुविधाओं में निवेश से फलों के सुरक्षित रहने की अवधि बढ़ेगी और बिहार में फलों के उत्पादन और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, दोनो के लिए उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं।

सब्जियां

वर्ष 2005 में राष्टोय बागवानी मिशन के क्रियान्वयन के समय से उच्च आमदनी वाले क्षेत्र के बतौर सब्जियों के उत्पादन को बिहार में विशेष आवेग मिला है। राज्य में प्रौद्योगिकी, सब्जियों की तुड़ाई के बाद प्रबंधन और प्रसंस्करण में निवश के जरिए राज्य सरकार काफी सहायता दे रही है। साथ ही, राज्य को जलवायु, जलोढ़ मिट्टी और जल संसाधन कम खर्च में सब्जियों के उत्पादन के लिहाज से अनुकूल हैं। तालिका 3.11 में राज्य में 16 महत्वपूर्ण सब्जियों के क्षेत्रफल और उत्पादन स्तर के 2016-17 से 2018-19 तक के रुझान प्रस्तुत हैं। वर्ष 2018-19 में राज्य में 8.57 लाख हे. जमोन पर कुल 166.03 लाख टन सब्जियों का उत्पादन हुआ। वर्ष 2016-17 से 2018-19 बीच सब्जियों का कुल क्षेत्रफल लगभग 1.99 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 8.28 लाख हे. से 8.57 लाख हे. हो गया। उसी के अनुरूप सब्जियों का कुल उत्पादन भी 7.52 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और 143.62 लाख टन से 166.03 लाख टन हो गया। सब्जियों के उत्पादन में वृद्धि मुख्यत: उत्पादकता में 18.81 प्रतिशत वृद्धि के कारण हुई। पिछले तीना वर्षों में सब्जियों की खेती का कुल क्षेत्रफल 1. 99 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़ा। वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि में 3.20 लाख हे. क्षेत्रफल पर हुए सब्जियों के कुल उत्पादन में आलू का लगभग आधा (49.11 प्रतिशत) हिस्सा था। वर्ष 2016-17 से 2018-19 के बीच खीरा, मूली, टमाटर और पत्तागोभी को छोड़कर शेष सभी सब्जियों के उत्पादन में सकारात्मक वृद्धि दर दर्ज हुइ। लेकिन इस अवधि में टमाटर, पत्तागोभी, खीरा और मूली के उत्पादन में गिरावट दर्ज हुई। पिछले तीन वर्षों में उत्पादन में सर्वाधिक 63.82 प्रतिशत वृद्धि गाजर के मामले में दर्ज हुई जबकि क्षेत्रफल के लिहाज से सर्वाधिक 39.04 प्रतिशत वृद्धि शक्करकंद के मामले में हुई।

तालिका 3.11 : बिहार में सब्जियों का क्षेत्रफल और उत्पादन (2016-17 से 2018-19)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार मै.टन में)

वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	आलू	प्याज	टमाटर	गोभी	पत्तागोभी	बैंगन
2016-17	क्षेत्रफल	320.48	54.06	46.21	66.11	41.18	57.88
	उत्पादन	6377.71	1248.96	1009.6	1003.74	725.9	1141.2
2017-18	क्षेत्रफल	304.78	53.77	45.08	62.03	37.94	58.21
	उत्पादन	7740.73	1267.18	941.56	935.55	673.43	1241.71
2018-19	क्षेत्रफल	321.88	56.5	51.44	67.9	41.26	61.36
	उत्पादन	8153.91	1311.45	964.45	1035.69	721.37	1319.87
वार्षिक चक्रवृद्धि दर(%)	क्षेत्रफल	0.22	2.23	5.51	1.34	0.10	2.96
	उत्पादन	13.07	2.47	-2.26	1.58	-0.31	7.54
वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	भिंडी	मिर्च	लौकी	खीरा/ ककड़ी	पटल	करेला
2016-17	क्षेत्रफल	58	45.24	40.35	3.6	6.83	9.71
	उत्पादन	765.95	476.84	634.73	67	72.13	67.32
2017-18	क्षेत्रफल	57.41	42.9	41.43	3.89	7.11	10
	उत्पादन	787.77	451.19	699.68	25.35	77.77	83.44
2018-19	क्षेत्रफल	61.14	47.05	43.28	4.38	8.21	11.18
	उत्पादन	841.6	488.66	679.83	30.19	88.92	94.86
वार्षिक चक्रवृद्धि दर(%)	क्षेत्रफल	2.67	1.98	3.57	10.30	9.64	7.30
	उत्पादन	4.82	1.23	3.49	-32.87	11.03	18.71
वर्ष	क्षेत्रफल/ उत्पादन	मटर	मूली	गाजर	शक्करकंद	अन्य	योग
2016-17	क्षेत्रफल	10.54	24.35	9.15	0.9	29.18	823.77
	उत्पादन	64.24	246.99	53.73	8.4	397.79	14362.23
2017-18	क्षेत्रफल	9.65	23.45	14	1.04	30.94	803.63
	उत्पादन	57.76	233.95	147.44	8.5	399.25	15772.26
2018-19	क्षेत्रफल	10.87	23.65	12.93	1.74	32.1	856.87
	उत्पादन	65.94	232	144.2	13.38	416.82	16603.14
वार्षिक चक्रवृद्धि दर(%)	क्षेत्रफल	1.55	-1.45	18.87	39.04	4.88	1.99
	उत्पादन	1.31	-3.08	63.82	26.21	2.36	7.52

टिप्पणी : वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गणना 3 वर्षों (2016-17 से 2018-19) के लिए की गई है।

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

चार महत्वपूर्ण सब्जियों (आलू, प्याज, गोभी और बैंगन) के 2017-18 और 2018-19 के जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन तालिका प 3.8 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। राज्य के उत्पादन स्तर और क्षेत्रफल में हर जिले का हिस्सा कोष्ठकों में दर्शाया गया है। वर्ष 2018-19 में पटना, नालंदा और वैशाली शीर्ष आलू उत्पादक जिले थे। आलू की सर्वाधिक 29.2 टन प्रति हे. उत्पादकता वैशाली जिले में दर्ज हुई। प्याज के मामले में शीर्ष जिले नालंदा, कटिहार और मुजफ्फरपुर हैं। इसी प्रकार, गोभी के मामले में शीर्ष जिले वैशाली, नालंदा और मुजफ्फरपुर हैं। उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए अभी भी गुंजाइश है।

चार्ट 3.4 में त्रिवर्ष 2016-19 के लिए राज्य में सब्जियों की प्रति हे. उत्पादकता का स्नैपशॉट प्रस्तुत किया गया है। सर्वाधिक 23.5 मै.टन प्रति हे. उपज आलू के मामले में थी और सबसे कम 6.0 मै.टन प्रति हे. उपज मटर के मामले में। आलू के बाद प्याज की उत्पादकता सर्वाधिक (23.3 मै.टन प्रति हे.) थी।

चार्ट 3.4 बिहार मं सब्जियां की उत्पादकता (टन प्रति हेक्टेयर) (त्रिवर्ष 2016-19)

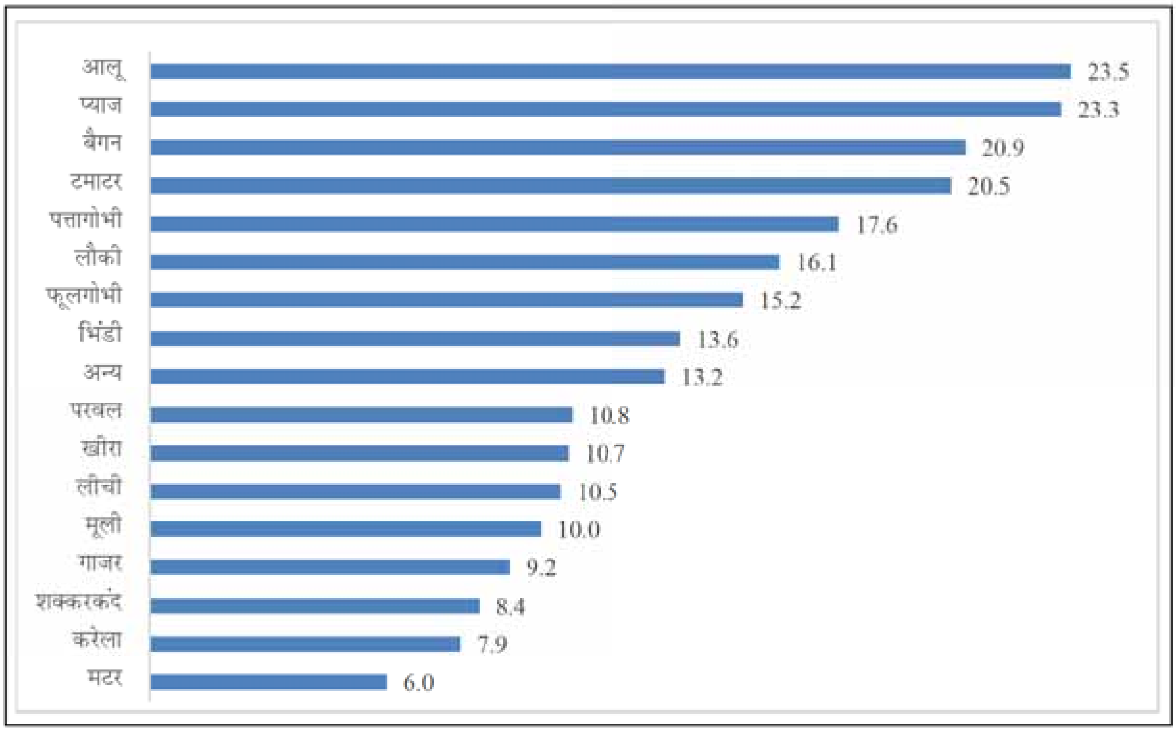

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

जैसा कि कृषि रोडमैप (2017-22) में उल्लेख किया गया है, अब राज्य सरकार द्वारा जैविक खेती और छतों पर खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, फलों और सब्जियों के विपणन के लिए किफायती शीतगृह इकाइयों और शीतशृंखला की स्थापना के फलस्वरूप बागवानी उत्पादों का बेहतर प्रबंधन हो पाया है और उनकी बर्बादी घटी है। नई प्रौद्योगिकी, उच्च उपज प्रभेदों, गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री, संरक्षित कृषि, सूक्ष्म सिंचाई विधियों और केला के टिस्सू कल्चर वाले पौधों का उपयोग अपनाने के प्रति बढ़ती जागरूकता से हाल के दिनों में इस क्षेत्र में विकास संभव हुआ है। सब्जियों के उत्पादन में रासायनिक कीटनाशकों के उपयोग के नकारात्मक प्रभावों को देखते हुए राज्य सरकार फलों और सब्जियों की जैविक कृषि को बढ़ावा देने और मातृ पादपों के विकास के लिए सरकारी पौधशालाओं के विकास को सरकार प्राथमिकता दे रही है।

बिहार सरकार के कृषि विभाग की योजनाएं

- राज्य सरकार 2008 से ही कृषि रोडमैप का क्रियान्वयन कर रही है। इसके कारण कृषि क्षेत्र में प्रशंसनीय उपलब्धियां हासिल हुई हैं। भारत सरकार ने मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता में उपलब्धियों के लिए 2 जनवरी 2020 को राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार दिया है।
- मुख्यमंत्री बागवानी मिशन के तहत पटना सहित राज्य के पांच शहरों में छतों पर बागवानी को बढ़ावा देने के लिए अनुदान का प्रावधान है। इस योजना के तहत कुल 4126.31 लाख रु. की आबंटित रकम में से 3569.86 लाख रु. खर्च किए गए हैं।
- वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक की अवधि के लिए 15,588.58 लाख रु. की स्वीकृत रकम से राज्य के 12 जिलों (पटना, बक्सर, भोजपुर, नालंदा, वैशाली, सारण, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, खगड़िया, भागलपुर और मुंगेर) में बिहार राज्य जैविक मिशन का क्रियान्वयन किया जा रहा है। योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देना, प्रदूषण से पर्यावरण को बचाना, मिट्टी और जल संसाधनों को संरक्षण, तथा खेती को दीर्घस्थायी बनाना है। इसका लक्ष्य किसानों के लिए बेहतर आय सुनिश्चित करने के लिहाज से उत्पादों का मूल्य बढ़ाना है। जैविक बीजों को अपनाने और प्रमाणन के कार्यक्रम के तहत किसानों को जैविक बीज अपनाने के लिए प्रमाण उपलब्ध कराया जाएगा।
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य प्रति वर्ष 6000 रु. की आय संबंधी सहायता उपलब्ध कराकर किसानों की आमदनी बढ़ाना है। यह सहयोग सभी किसानों को हर चार महीने पर 2000 रु. की किश्त उपलब्ध कराकर किया जाएगा।
- जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत राज्य सरकार ने जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम नामक एक नई योजना शुरू की है। पहले चरण में परियोजना का क्रियान्वयन 8 जिलों में होगा जहां 40 गांवों (हर जिले के 5 गांवों) को आदर्श जलवायु अनुकूल कृषि ग्राम के बतौर विकसित किया जाएगा। इस परियोजना के अनुभवों के आधार पर आने वाले वर्षों में इसे पूरे राज्य में लागू किया जाएगा। परियोजना के मुख्यत: दो घटक हैं - पहला, पहले से विकसित जलवायु के अनुकूल और भविष्योन्मुखी फसल प्रणाली (फसल चक्र) का 8 जिलों में प्रदर्शन, और दूसरा, भावी जर्मप्लाज्म, फसल प्रणाली (फसल चक्र) और जलवायु परिवर्तन के लिए रणनीतिक अनुसंधान। जलवायु के अनुकूल कृषि कार्यक्रम का क्रियान्वयन डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, बिहार कृषि विश्वविद्यालय, पूर्वी अंचल हेतु भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अनुसंधान परिसर, और CIMMYT-BISA द्वारा किया जा रहा है। राज्य सरकार ने परियोजना के लिए पांच वर्षों के लिए 60 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं।

3.4 पशुपालन, मछली पालन और दूध उत्पादन

बिहार में मत्स्यपालन, पशुधन और दूध उत्पादन जैसे सहवर्ती क्षेत्र के बढ़ते महत्व का कारण जीविका को सहयोग देने में इस क्षेत्र की भूमिका है। श्रम-प्रधान क्षेत्र होने के नाते ये क्षेत्र आबादी के बड़े हिस्से को रोजगार उपलब्ध कराते हैं और गरीब ग्रामीण परिवारों को पूरक आमदनी हासिल करने में मदद करते हैं। पशुओं से प्राप्त

आहार को प्रोटीन की आपूर्ति का अच्छा स्रोत माना जाता है इसलिए राष्टोय और अंतर्राष्टोय, दोनो बाजारों में उनकी अच्छी मांग रहती है। बिहार में 2018-19 में कृषि क्षत्र के सकल मूल्यवर्धन में पशुधन और जलकृषि का संयुक्त रूप से 7.10 प्रतिशत हिस्सा था। पिछले तीन वर्षों, अर्थात 2016-17 से 2018-19 तक सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 1.45 लाख करोड़ रु. था। दूध, मांस, अंडों, और मछली की बढ़ती मांग पूरी करने लिहाज से उनके उत्पादन और विपणन में वृद्धि के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने 2018-19 से 2022-23 तक के लिए एक पशुधन मास्टर प्लान (एलएमपी) तैयार किया है। बिहार में बढ़ते उप-क्षेत्रों के रूप में पशुधन और मत्स्यपालन क्षेत्र के व्यावसायिक पैमाने पर विकास की काफी संभावना है।

पशुधन

पशुधन उत्पादन बिहार में कृषि अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण घटक है क्योंकि यह खाद्य और पोषण की आपूर्ति में सहायता करता है, और आमदनी एवं जीविका तथा कृषि कार्यों की विविधता को बढ़ाता है। तालिका 3.12 में पशुगणना के दो वर्षों के अनुसार देश के प्रमुख राज्यों में पशुधन की संख्या दर्शाई गई है। पशुधन की संख्या के तुलनात्मक विश्लेषण से पता चलता है कि राज्य में 2012 और 2019 के बीच पशुओं की संख्या 10. 67 प्रतिशत बढ़कर 3.29 करोड़ से 3.65 करोड़ हो गई। पशुओं की संख्या में सर्वाधिक 23.32 प्रतिशत वृद्धि पश्चिम बंगाल में दर्ज की गई।

तालिका 3.12 : भारत के प्रमुख राज्यों में पशुधन की संख्या (2012 और 2019)

राज्य	संख्या (करोड़ में)		प्रतिशत परिवर्तन
	2012	2019	
उत्तर प्रदेश	6.87	6.78	-1.35
राजस्थान	5.77	5.68	-1.66
मध्य प्रदेश	3.63	4.06	11.81
पश्चिम बंगाल	3.03	3.74	23.32
बिहार	3.29	3.65	10.67
आंध्र प्रदेश	2.94	3.40	15.79
महाराष्ट	3.25	3.30	1.61
तेलंगाना	2.67	3.26	22.21
कर्नाटक	2.77	2.90	4.70
गुजरात	2.71	2.69	-0.95

स्रोत : पशु गणना, विभिन्न वर्ष

पिछली चार पशुगणनाओं के अनुसार बिहार में विभिन्न प्रजातियों के पशुओं की संख्या तालिका 3.13 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2019 की पशुगणना के अनुसार, बिहार में पशुओं की कुल संख्या 2003 के 269.57 लाख से 35.23 प्रतिशत बढ़कर 2019 में 364.54 लाख हो गई। पशुओं की कुल संख्या में दुधारू पशुओं का 63.18 प्रतिशत हिस्सा था। वर्ष 2019 में गाय-बैल की कुल संख्या 153.11 लाख (42.0 प्रतिशत) थी जो भैंसों की 77.20

लाख (21.18 प्रतिशत) संख्या से अधिक है। मुर्गे-मुर्गियां की संख्या भी 18.31 प्रतिशत बढ़कर 2003के139.68 प्रतिशत से 2019 में 165.25 लाख हो गई। राज्य में भैसों की संख्या में काफी वृद्धि दिखी जो बदलती जलवायु के प्रति उनकी अनुकूलता और रोगों के प्रति उनकी प्रतिरोध क्षमता को दर्शाती है। राज्य के कुल पशुधन में गाय-भैंसों के बाद सर्वाधिक 35.1 प्रतिशत (128.21 लाख) हिस्सा बकरे-बकरियों का है। बकरियां लघु और सीमांत किसानों के बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं और गरीबी निवारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पशु उत्पादों की बढ़ती मांग उनके पोषण संबंधी मान की वजह से है। यह क्षेत्र सीमांत किसानों को, खास कर प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों से आमदनी घटने पर आमदनी का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध कराकर मदद करता है।

तालिका 3.13 : पशु संपदा (2003, 2007, 2012 और 2019)

(आंकड़े हजार में)

पशुधन और पॉल्ट्री	2003	2007	2012	2019
गाय-बैल	10470	12408	12232	15311
भैंस-भैंसा	5766	6690	7567	7720
भेड़	346	218	232	213
बकरा-बकरी	9606	10167	12154	12821
सूअर	627	632	650	343
घोड़ा-घोड़ी	115	51	49	32
अन्य	0	0	55	13
कुल पशुधन	26957	30167	32939	36454
कुल पॉल्ट्री पक्षी	13968	11420	12748	16525

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

पशुधन सेवाएं

पशुधन की उत्पादकता में सुधार के लिहाज से पशुओं के स्वास्थ्य और प्रजनन को बढ़वा देने के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सेवाएं उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। राज्य सरकार ने टीकाकरण अभियानों के व्यवस्थित क्रियान्वयन के जरिए पशु चिकित्सा एवं रोग रक्षी देखरेख सवाओं की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया है। राज्य सरकार का एक मुख्य उद्दश्य पशुधन का उत्पादन बढ़ाना, दुधारू पशुओं का स्वास्थ्य सुधारना, और सीमांत समुदायों द्वारा पशुधन संबंधी सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाना है। बिहार पशुधन मास्टर प्लान और कृषि रोडमैप में रोगों में कमी लाने के लिए पशु स्वास्थ्य सेवाओं की मात्रा और गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत को रेखांकित किया गया है। कैलेंडर के अनुसार टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं और विभिन्न संक्रामक रोगों से बचाव के लिए राष्टोय पशुधन स्वास्थ्य एवं रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत विभाग द्वारा गत चार वर्षो से चार महत्वपूर्ण टीकों - एचएसबीक्यू, एफ एमडीसीपी, ब्रूसेलोसिस और पीपीआर के टीके बिना चूके दिए जाते हैं। पशुधन विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता वाला पटना स्थित बिहार पशुधन विकास अभिकरण नोडल अभिकरण है।

बिहार में 2014-15 से 2018-19 के बीच पशुधन सेवाओं की प्रगति तालिका 3.14 में प्रस्तुत है। स्पष्ट है कि टीकाकरण किए गए पशुओं की संख्या उल्लेखनीय तेजी से बढ़ रही है। प्रतिरक्षित पशुओं की संख्या 107 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2014-15 के महज 26.24 लाख से बढ़कर 2018-19 में 555.66 लाख हो गई। वर्ष 2018-19 में 44.08 लाख पशुओं का इलाज किया गया था जिनकी संख्या 2014-15 से काफी अधिक है। वर्ष 2018-19 में बिहार में 31.01 लाख पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान कराया गया।

तालिका 3.14 : बिहार में पशुधन सेवाएं (2014-15 से 2018-19)

वर्ष	उपचारित पशु (लाख)	प्रतिरक्षण (लाख)	कृत्रिम गर्भाधान (लाख)
2014-15	32.99	26.24	26.40
2015-16	38.26	163.31	26.31
2016-17	41.03	296.45	26.20
2017-18	44.67	526.72	28.23
2018-19	44.08	555.66	31.01
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)	7.62	107.03	4.00

टिप्पणी : वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)की गणना पिछले 5 वर्षों (2014-15 से 2018-19) के लिए की गई है।

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

पशु, मत्स्य एवं दुग्ध उत्पादों का उत्पादन

राज्य में पशु एवं मत्स्य उत्पादों के उत्पादन के 2014-15 से 2018-19 तक के रुझान तालिका 3.15 में प्रस्तुत हैं। बिहार में मछली का उत्पादन 2014-15 के 4.79 लाख टन से 6.22 प्रतिशत की वार्षिक चक्रवृद्धिदर से बढ़कर 2018-19 में 6.02 लाख टन हो गया। इसी प्रकार, दूध का उत्पादन भी लगातार बढ़ा और 2014-15 के 77.75 लाख टन से 5.92 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 2018-19 में 98.18 लाख टन हो गया। सबसे तेज वृद्धि अंडों के उत्पादन में देखी गई जिसमें इस अवधि में 14.60 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई। बिहार में अभी 176.33 करोड़ अंडों का उत्पादन हो रहा है। साथ ही, बढ़ती लोकप्रियता के कारण मांस के उत्पादन में भी लगातार वृद्धि हुई है जा 5.70 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2014-15 के 2.94 लाख टन से 2018-19 में 3.64 लाख टन हो गया। अंडा उत्पादन 58.63 प्रतिशत की दर से बढ़ते हुए 2016-17 के 111. 17 करोड़ से 2018-19 में 176.34 करोड़ हो गया। वर्ष 2019-20 के अनंतिम आंकड़े वर्ष में 265 करोड़ अंडों के हैं।इसके कारण अंडों की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तेजी से बढ़कर 2016-17 के 11 से 2019-20 में 25 हो जाएगी। मत्स्य, मुर्गा और दुग्ध उत्पादों में तेज वृद्धि का श्रेय मुख्यतः विभाग द्वारा दिए गए नेतृत्व और मार्गदर्शन, किसानों के अभियान और उत्साह, प्रौद्योगिकी में अग्रगति, पशुओं के स्वास्थ्य के बेहतर प्रबंधन और नई योजनाओं की शुरुआत तथा उनके बेहतर क्रियान्वयन को दिया जा सकता है।

तालिका 3.15 : बिहार में पशुधन और मत्स्य उत्पादन (2014-15 से 2018-19)

वर्ष	दूध (लाख टन)	अंडे (करोड़)	ऊन (लाख किग्रा)	मांस (लाख टन)	मछली (लाख टन)
2014-15	77.75	98.35	2.78	2.94	4.79
2015-16	82.88	100.21	2.40	3.02	5.07
2016-17	87.10	111.17	2.81	3.26	5.09
2017-18	92.41	121.85	2.98	3.43	5.87
2018-19	98.18	176.33	3.12	3.64	6.02
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)	5.92	14.60	4.57	5.70	6.22

टिप्पणी : वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)की गणना पिछले 5 वर्षों (2014-15 से 2018-19) के लिए की गई है।

स्रोत : पशुपालन विभाग, बिहार सरकार

मछली पालन

मछली पालन बिहार में संभावनाओं से भरा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि यह आर्थिक रूप से कमजोर ढेर सारे परिवारों को जीविका की सुरक्षा उपलब्ध कराता है। तेजी से विकसित होती व्यावसायिक गतिविधि होने के कारण मछली पालन खाद्य और पोषण की बढ़ती सुरक्षा, विदेशी मुद्रा पाने, रोगजार देने और आमदनी बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रोटीन की अधिक मात्रा होने के कारण मछली की मांग लगातार बढ़ रही है। साथ ही जलीय परितंत्र में मछली पालन फसल और पशुधन उत्पादन गतिविधियों के पूरक के बतौर काम करता है और जल संरक्षण तथा जमीन के अंदर पानी पहुंचाने में सहायता करता है। अधिकांश मछली पालन तालाबों में किया जाता है जो जीरा, अंगुलिकाओं और वर्षिकाओं (साल भर की मछलियों) जैसे मत्स्य बीजों को पालने के लिहाज से सुविधाजनक होते हैं। अभी बिहार देश के ताजा पानी की मछलियों के प्रमुख उत्पादक राज्यों में से एक है और ताजा पानी की मछलियों के उत्पादन में राज्य का चाथा स्थान है। राज्य के सकल मूल्यवर्धन में मत्स्यपालन क्षेत्र का 1.6 प्रतिशत योगदान है और यह क्षेत्र 2013-14 से 2018-19 के बीच 6.70 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। बिहार में मछली का कुल उत्पादन 2013-14 के 4.79 लाख टन से 6.22 प्रतिशत की औसत वार्षिक दर से बढ़कर 2018-19 में 6.02 लाख टन हो गया। वर्ष 2017-18 में यह 15 प्रतिशत की दर से बढ़ा लेकिन अगले वर्ष 2018-19 में गंभीर सूखा जैसी स्थिति के कारण कम वृद्धि हुई। जलकृषि से मछली उत्पादन के लिए पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण मत्स्यबीज की जरूरत होती है। मछली की अच्छी प्रजातियों के उन्नत बीजों की मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार प्राथमिकता के आधार पर मत्स्यबीजों का वितरण कर रही है। राज्य में मछली का उत्पादन बढ़ाने के लिए 2018-19 में 92.865 करोड़ मत्स्यबीजों का वितरण किया गया जो 2016-17 से 17.07 प्रतिशत अधिक है। मछली उत्पादकों ने 30,000 मैट्रिक टन मछली का निर्यात पड़ोसी राज्यों और नेपाल को करना शुरू कर दिया है। पहले आंध्र प्रदेश से मछलियां आती थीं लेकिन उनका आना काफी घट गया है।

मछली उत्पादन और मत्स्यबीजों के वितरण के 2016-17 से 2018-19 तक के जिलावार रुझान तालिका प 3.10 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2018-19 में मछली उत्पादन के लिहाज से शीर्ष जिले मधुबनी (0.69

लाख टन), दरभंगा (0.55 लाख टन) और पूर्व चंपारण (0.51 लाख टन) हैं। राज्य के कुल मछली उत्पादन में मधुबनी, दरभंगा, पूर्व चंपारण, कटिहार और पश्चिम चंपारण का संयुक्त रूप से लगभग 39.4 प्रतिशत हिस्सा है। पिछले साल सर्वाधिक 17.48 करोड़ मत्स्यबीजों का वितरण दरभंगा में और उसके बाद 16.30 करोड़ मधुबनी में किया गया जबकि सबसे कम 1.2 लाख नवादा मेंकिया गया। राज्य में 2018-19 में हुए कुल मत्स्यबीज वितरण में दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी का संयुक्त हिस्सा 45.1 प्रतिशत था।

दक्षतापूर्वक उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्य सरकार किसानों को सारी अद्यतन प्रौद्योगिकी और गुणवत्तापूर्ण मत्स्यबीज उपलब्ध करा रही है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अलावा, राज्य में तालाबों के विकास और जीर्णोद्धार, मछली के विपणन के लिए वाहनों के वितरण, मत्स्यबीज उत्पादन केंद्र और मत्स्य आहार मिलों की स्थापना के लिए प्राथमिकता के आधार पर सब्सिडी दी जा रही है। राज्य सरकार सूखा-प्रवण और मछली उत्पादन में उतार-चढ़ाव की चुनौती झेलने वाले जिलों में मछुआरा सहयोग समितियों के सदस्यों को बीमा आच्छादन उपलब्ध करा रही है।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की नई पहलकदमियां

- माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जनवरी 2019 में इंटरनेशनल लाइवस्टॉक रिसर्च इंस्टीट्यूट और बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से तैयार बिहार जीविका मास्टर प्लान का लोकार्पण किया गया।
- किसानों के घर पर ही कृत्रिम गर्भाधान की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वीकृत कुल 800 पशुधन विकास केंद्रों में से 780 चालू हैं।
- वर्ष 2017-18 में शुरू किए गए व्यापक कृमिनाशन कार्यक्रम को संस्थागत रूप दे दिया गया है।
- गायों की देशी नस्लों के संरक्षण के लिए बक्सर जिले के डुमरांव में गोकुल ग्राम की स्थापना की जा रही है।
- पूर्णिया में प्रति वर्ष 50 लाख फ्राजन सीमन स्ट्रा की उत्पादन क्षमता वाले सबसे बड़े फ्रोजन सीमन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है जो राज्य के किसानों के लिए वरदान साबित होगा।
- लघु पशुपालन एवं जलकृषि का व्यावसायिक रूप से सक्षम और टिकाऊ तरीके से विकास शुरू करने में छोटे उत्पादकों और भूमिहीन किसानों को सक्षम बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है। इससे उनकी आमदनी और खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी तथा सेवाओं और मूल्य शृंखलाओं में मजबूती आएगी। योजना को आइफैड (इंटरनेशनलन फंड फॉर ऍग्रीकल्चरल डेवलपमेंट) से सहायता मिलेगी। महिला किसानों पर फोकस के साथ 10 लाख गरीब परिवारों का लक्ष्य तय किया गया है।
- सुविधा वंचित समूह के बच्चों और गर्भवती/ शिशुवती महिलाओं को उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन की उपलब्धता में सुधार के लिए पशुपालन विभाग ने आंगनवाड़ी केंद्रों में दूध पावडर और अंडों की आपूर्ति के लिए बिहार के समाज कल्याण विभाग के समेकित बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) निदेशालय के साथ गंठजोड़ किया है। आंगनवाड़ी केंद्रों को विभाग के सहायता-अनुदान से स्थापित लेयर पॉल्ट्री फॉर्मों द्वारा उत्पादित अंडों की आपूर्ति की जा रही ह।

दुग्ध उत्पादन क्षेत्र

दूध उत्पादन क्षेत्र में ग्रामीण आबादी की आमदनी बढ़ाने की क्षमता है क्योंकि ढेर सारे लघु और सीमांत किसान आमदनी के नियमित स्रोत के लिए इस क्षेत्र पर निर्भर हैं। हाल के वर्षों में बिहार में दुग्ध सहयोग समितियों का प्रशंसनीय प्रदर्शन रहा है। चार्ट 3.5 में बिहार में 2011-12 से 2018-19 तक दूध उत्पादन के रुझान प्रस्तुत हैं। स्पष्ट है कि राज्य में दूध का उत्पादन 2011-12 के 65.17 लाख टन से बढ़कर 2018-19 में 98.18 लाख टन हो गया है। राज्य में 2017-18 और 2018-19 में दूध उत्पादन के जिलावार रुझान सांख्यिकीय परिशिष्ट की तालिका प 3.11 और प 3.12 में प्रस्तुत हैं। राज्य में दूध का सर्वाधिक उत्पादन गायों से होता है जिनका कुल दूध उत्पादन में 58.59 प्रतिशत हिस्सा है जबकि भैंसों का 39.22 प्रतिशत और बकरियों का 2.19 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2018-19 में राज्य में गायों से हुए कुल दूध उत्पादन में समस्तीपुर, बेगूसराय और पटना का संयुक्त रूप से 17.05 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, बकरी के दूध के मामले में मुख्य उत्पादक जिले अररिया (33.64 हजार टन), पूर्व चंपारण (11.77 हजार टन) और मुजफ्फरपुर (9.4 हजार टन) थे जिनका राज्य में बकरियों के दूध के कुल उत्पादन में संयुक्त रूप से 25.5 प्रतिशत हिस्सा था।

चार्ट 3.5 : बिहार में दूध उत्पादन (2011-12 से 2018-19)

स्रोत : पशुपालन एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार

मुर्गा पालन

उच्च उत्पादन, निम्न आरंभिक व्यय, और जमीन की कम जरूरत के कारण मुर्गी पालन बिहार में सर्वाधिक लाभप्रद पेशों में से एक के बतौर उभरा है। जैसा कि तालिका 3.15 में दर्शाया गया है, राज्य में अंडों का उत्पादन 14.60 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2014-15 के 98.35 करोड़ से 2018-19 में 176.33 करोड़ हो गया। वर्ष 2014-15 में ग्रामीण पिछवाड़ा मुर्गीपालन योजना की शुरुआत के बाद से राज्य सरकार मुर्गीपालन करने और इसे मुर्गी के व्यवसाय से जोड़ने पर जोर दे रही है। उद्यमियों को पर्याप्त प्रशिक्षण, ऋण और विपणन सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। ग्रामीण परिवारों को लगातार अतिरिक्त आय हो, इसके लिए पिछले पांच वर्षों से राज्य सरकार जीविका को एक दिन के चूजों और मातृ इकाइयों के वितरण के लिए अनुदान उपलब्ध करा रही है। इस कार्यक्रम के जरिए मुर्गियों की कम लागत वाली नस्लां के कार्यक्रम के जरिए मुर्गे का मांस और अंडों का उत्पादन बढ़ाने का लक्ष्य लेकर बीपीएल परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है।

समेकित पॉल्टो विकास योजना के तहत राज्य में युवा वर्ग को लाभप्रद रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और मुर्गा के मांस का उत्पादन बढ़ाने के लिए ब्रायलर मुर्गी फार्म के अधिसंरचना निर्माण पर अनुदान दिए जा रहे हैं। वर्ष 2016-17 से राज्य सरकार 5000 और 10,000 क्षमता वाले लेयर पॉल्टो फार्म की स्थापना के लिए सब्सिडी दे रही है। इसने राज्य में अनेक लेयर फार्म के लिए उत्प्रेरक का काम किया है जिसके चलते इस क्षेत्र का असाधारण विकास हुआ है। वहीं, बकरे के मांस का उत्पादन बढ़ाने और ग्रामीण परिवारों के लिए लाभप्रद रोजगार के लिहाज से पशुधन एवं मत्त्य संसाधन विभाग द्वारा दिए गए अनुदान के जरिए जीविका द्वारा स्वयं सहायता समूह की महिलाओं का प्रति परिवार 3 बकरियां दी जा रही हैं। 21, 42 और 105 पशु इकाइयों वाले बकरी और बकरा फार्म की स्थापना के लिए एक प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है जिसका मकसद ग्रामीण परिवारों को जीविका के अवसर उपलब्ध कराना है।

3.5 कृषि लागत सामग्रियां

कृषि में विविधता के लिए बढ़ते दबाव, आबादी की बढ़ती मांगों को पूरी करने के लिहाज से अधिक उपज प्राप्त करने और उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने पर विचार करने पर लागत सामग्रियों की समय पर और पर्याप्त आपूर्ति अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्ष 2010-11 में शुरू की गई पूर्वी भारत हरित क्रांति प्रस्तुति (बीजीआरइआइ) कार्यक्रम के आरंभ के बाद से राज्य सरकार ने उत्पादकता बढ़ाने के लिए किसानों को उर्वरक, कीटनाशक, बीज, टक्टर, और अन्य मशीनचालित उपकरण जैसी आधुनिक लागत सामग्रियां उपलब्ध कराने पर काफी ध्यान दिया है। रासायनिक उर्वरकों और यंत्रचालित उपकरणों के उपयोग ने राज्य में खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने में सकारात्मक भूमिका निभाई है। यह देखते हुए कि राज्य के ढेर सारे किसान सीमांत किसान हैं, वित्तोय सहायता देना भी आधुनिक प्रौद्योगिकी और लागत सामग्रियों को बढ़ावा देने में उत्प्रेरक का काम करता है। इसो लिहाज से राज्य सरकार बीजों आर कृषि उपकरणों के लिए विभिन्न प्रकार की सब्सिडी और ऋण संबंधी सहायता दे रही है जिससे उत्पादकता बढ़ती है। इस खंड में बिहार में बीज, उर्वरक, मशीनों, ऊर्जा के उपयोग और ऋण संबंधी रुझानों पर चर्चा की जाएगी।

बीज

बीज की समय पर उपलब्धता और उसकी गुणवत्ता फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संकर बीजों में यह गुण होता है कि वे जलवायु के प्रति सहिष्णु और उपज बढ़ाने वाले होते हैं। बिहार राज्य बीज निगम ने बीजों के आधार पर निर्भरता घटाने के लिहाज से बीज भंडारण और प्रसंस्करण केलिए अधिसंरचनात्मक सुविधाओं की स्थापना की है। किसानों को प्रमाणित बीज अपनाने के लिए भी प्रशिक्षित किया जा रहा है। वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक प्रमुख खरीफ और रबी फसलों की बीज प्रतिस्थापन दरें तालिका 3.16 में प्रस्तुत हैं। खरीफ धान की बीज प्रतिस्थापन दर 2016-17 में 42.9 प्रतिशत थी जो 2018-19 में घटकर 41.3 प्रतिशत रह गई। हालांकि कृषि रोडमैप-3 के अनुसार इसे 50 प्रतिशत पहुंचाने का लक्ष्य है। विगत तीन वर्षों के दौरान सर्वाधिक 86.5 प्रतिशत बीज प्रतिस्थापन दर रबी मक्का के मामले में रही है। चना की बीज प्रतिस्थापन दर 2016-17 के 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 35.1 प्रतिशत हो गई। अन्य फसलों की बीज प्रतिस्थापन दर अभी इष्टतम स्तर पर नहीं पहुंची है लेकिन प्रमाणित बीजों की बढ़ती उपलब्धता के साथ आने वाले वर्षों में स्थिति में सुधार होगा। चना बीज के मामले में प्रमाणित बीजों की आपूर्ति वांछित मात्रा से 12.41 हजार क्विंटल अधिक थी। लेकिन अन्य खरीफ और रबी फसलों के मामले में वांछित मात्रा में प्रमाणित बीजों की आपूर्ति नहीं हो पाई। कुल मिलाकर, प्रमाणित बीजों के उपयोग में तेजी लाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए समवेत प्रयासों से उत्पादन और उत्पादकता, दोनो बढ़ी है।

तालिका 3.16 : प्रमाणित बीजों का वितरण और उनकी बीज प्रतिस्थापन दरें (2016-17 से 2018-19)

(आवश्यकता और आपूर्ति हजार क्विंटल में/ बीज प्रतिस्थापन दर प्रतिशत में)

फसल	2016-17			2017-18			2018-19		
	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रति. दर	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रति. दर	जरूरत	आपूर्ति	बीज प्रति. दर
खरीफ फसलें									
धान	431.25	317.54	42.9	428.40	319.08	40.74	448.80	320.99	41.3
मक्का	90.00	11.96	13.8	81.70	13.05	16.0	82.65	13.42	16.9
ऊड़द	1.78	-	-	-	-	-	-	-	-
अरहर	6.02	1.05	8.7	3.24	1.56	11.6	3.60	2.73	21.6
मूंग	1.65	0.32	13.5	0.90	-	-	0.90	-	-
रबी फसलें									
गेहूं	930.00	465.16	20.3	720.75	674.10	30.8	744.00	753.52	32.9
मक्का	112.50	108.78	87.0	73.10	72.68	85.5	87.00	82.70	87.0
चना	30.36	2.99	3.6	16.56	5.83	9.8	18.40	30.81	35.1
मटर	9.24	0.20	0.8	5.04	0.95	5.1	5.60	0.13	0.5
मसूर	28.38	6.24	7.3	15.48	5.14	9.2	17.60	4.23	5.0
राई/ सरसों	8.21	4.44	58.6	2.57	1.67	31.6	4.38	4.38	63.5

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

उर्वरक

हरित क्रांति के दौर से रासायनिक उर्वरक उत्पादकता बढ़ाने में लागत सामग्रियों का अभिन्न अंग बन गए हैं। अनेक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीय नवाचारों के कारण पोषण से भरपूर उर्वरकों का उत्पादन होने लगा है जो विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न फसलों की उपज बढ़ाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिहार में 2016-17 से 2018-19 के बीच उर्वरकों की खपत के रुझान तालिका 3.17 में प्रस्तुत हैं। खरीफ और रबी मौसम में उर्वरकों की खपत का पैटर्न अलग होता है। कुल मिलाकर, पिछले तीन वर्षों में उर्वरकों की खपत रबी मौसम में अपेक्षाकृत अधिक होती दिखो है। सभी कृषि मौसमों में यूरिया की खपत सर्वाधिक 2183.7 हजार टन रही है जिसका 2018-19 में हुई उर्वरकों की कुल खपत में 41.7 प्रतिशत हिस्सा है।एनपीके की खपत 2016-17 के 1510.39 हजार टन से बढ़कर 2018-19 में 1731.7 हजार टन हो गई। खरीफ मौसम में उर्वरकों की खपत 2016-17 में 1735.76 हजार टन थी जो 2018-19 में बढ़कर 2173.49 हजार टन हो गई। आंकड़ों से स्पष्ट पता चलता है कि उर्वरकों की खपत की वृद्धि दर विगत तीन वर्षों में घटी है हालांकि उनकी कुल मात्रा में वृद्धि हुई है।

तालिका प 3.13 और प 3.14 (सांख्यिकोय परिशिष्ट) में क्रमश: 2017-18 और 2018-19 के लिए बिहार में रासायनिक उर्वरकों की खपत के जिला स्तरीय रुझान प्रस्तुत हैं। वर्ष 2018-19 में यूरिया की सर्वाधिक 68.72 हजार टन खपत पूर्णिया में देखी गई और सबसे कम 5.88 हजार टन शिवहर में। वर्ष 2018-19 में राज्य मं एनपीके की कुल खपत में पूर्णिया, पूर्व चंपारण और कटिहार का संयुक्त रूप से 15.5 प्रतिशत हिस्सा था। राज्य

सरकार जैविक खेती के उपयोग को बढ़ावा दे रही है और रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग के लिए क्षेत्र में निदर्शन करवा रही है जो राज्य में कृषि विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

तालिका 3.17 : बिहार में उर्वरकों के उपयोग के रुझान (2016-17 से 2018-19)

(हजार टन)

उर्वरक का प्रकार	2016-17			2017-18			2018-19		
	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग	खरीफ	रबी	योग
यूरिया	882.7	1094.8	1977.5	885.6	1154.0	2039.5	883.7	1300.0	2183.7
डाइ अमोनियम फास्फेट	148.7	383.1	531.7	250.5	431.8	682.3	312.7	364.8	677.5
सिंगल सुपर फास्फेट	33.4	33.1	66.5	41.1	30.9	72.0	41.9	35.3	77.1
म्यूरिएट ऑफ पोटाश	50.6	179.2	229.8	81.6	163.2	244.9	98.5	124.3	222.8
अमोनियम सल्फेट	6.0	21.4	27.4	7.5	25.3	32.8	4.5	24.2	28.7
मिश्रित	53.4	187.2	240.6	58.1	204.0	262.2	107.2	204.9	312.1
उप-योग	1174.7	1898.7	3073.5	1324.4	2009.3	3333.6	1448.4	2053.5	3501.9
नाइट्रोजन	444.0	610.8	1054.8	464.2	649.0	1113.2	481.5	706.2	1187.7
फासफोरस	85.2	223.6	308.8	134.9	251.4	386.2	176.9	218.7	395.6
पोटाश	31.8	115.0	146.7	52.1	109.6	161.8	66.6	81.8	148.4
योग (एनपीके)	561.0	949.4	1510.4	651.2	1010.0	1661.2	725.1	1006.7	1731.7
कुल योग	1735.8	2848.1	4583.9	1975.6	3019.2	4994.9	2173.5	3060.2	5233.6
उर्वरकों की खपत (किग्रा प्रति हे.)	137.0	205.7	173.4	153.6	216.3	186.5	177.3	222.4	201.0

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

कृषि यंत्र

बढ़ती जनसंख्या और विविधीकरण के बढ़ते रुझान ने कृषि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी और उपकरणों के उपयाग को जरूरी बना दिया है। आधुनिक कृषि यंत्रों के उपयोग में बुआई, जुताई और कटनी आदि विभिन्न चरणों में कृषि कार्यों की क्षमता बढ़ाने की संभावना मौजूद है। राज्य सरकार पावर टिलर, टक्टर, स्प्रेयर, पावर वीडर और पावर थ्रसर की खरीद के लिए सब्सिडो उपलब्ध करा रही है। जीरो टिलेज विधि पर खास जोर छोटे और सीमांत किसानों के लिए खास तौर पर लाभदायक है। सब्सिडी योजना के जरिए कृषि यंत्रों के वितरण के 2016-17 से 2018-19 तक के रुझान तालिका 3.18 में प्रस्तुत हैं जिसमें मिश्रित पैटर्न दिखता है। सब्सिडी योजना के जरिए खरीदे गए पंपसेटों की संख्या 2016-17 के 6818 से बढ़कर 2018-19 में 11,362 हो गई। दूसरी ओर, पावरटिलर की संख्या में इसी अवधि में गिरावट दिखी। आदमी और पशुओं की ताकत से चलने वाले यंत्रों और औजारों के उपयोग में कमी अच्छा संकेत है जो राज्य में कृषि का यंत्रीकरण बढ़ने का प्रमाण उपलब्ध कराता है। राज्य सरकार ने फसल अवशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रयुक्त होने वाली मशीनों पर 80 प्रतिशत तक सब्सिडी उपलब्ध कराने के लिए नई पहल की है।

कृषि यंत्रों की खरीद के लिए सब्सिडी वितरण के जिलावार रुझान तालिका प 3.15 और प 3.16 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। जीरो टिलेज मशीनों की सर्वाधिक संख्या में खरीद कैमूर जिले में होने की सूचना है। वर्ष 2018-19 में पंपसेटों की खरीद में गया (827), भागलपुर (656) और बेगूसराय (578) जिले सबसे आगे थे।

तालिका 3.18 : सब्सिडी योजना के जरिए खरीदे गए कृषि यंत्रों की संख्या (2016-17 से 2018-19)

कृषि यंत्र	2016-17	2017-18	2018-19
कंबाइन हार्वेस्टर	182	249	230
जीरो टिलेज	1298	1087	741
पंपसेट	6818	18204	11362
पावर टिलर	1431	926	668
शारीरिक शक्तिचालित यंत्र/ उपकरण	23908	13850	5970
थ्रेसर	4044	4789	5304
योगफल	**37681**	**39105**	**24275**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

कृषि क्षेत्र के लिए बिजली का उपयोग

बिजली की पर्याप्त और विश्वसनीय उपलब्धता सिंचाई के लिए पंपों और अन्य मशीनों के उपयोग को ताकत देने के लिहाज से अत्यंत महत्वपूण है। बुआई से लेकर कटनी तक विभिन्न कार्यों के लिए कृषि बिजली पर काफी निर्भर है। तालिका 3.19 में बिहार में 2013-14 से 2018-19 तक कृषि प्रयोजनों के लिए बिजली के उपयोग के रुझान प्रस्तुत हैं। वर्ष 2013-14 में कृषि क्षेत्र में बिजली का अनुमानित उपयोग 32.18 कराड़ यूनिट था जो 2018-19 में बढ़कर 72.67 करोड़ यूनिट हो गया। हालांकि ऊर्जा की कुल खपत में इसका हिस्सा 2013-14 के 3.90 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 3.62 प्रतिशत ही रह गया। बिजली का बिना मीटर और मुफ्त उपयोग ऊर्जा के अकुशल उपयोग और दुरुपयोग की दिशा में जा सकता है। उत्पादक प्रयोजनों के लिए बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन, संचरण, और वितरण की इकाइयों का नवीकरण किया है। जैसा कि कृषि रोडमैप-3 (2017-22) में रेखांकित किया गया है, राज्य सरकार कृषि क्षेत्र के लिए अलग फीडरों की व्यवस्था करके लगातार विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है।

तालिका 3.19 : बिहार मेंकृषि प्रयोजनों के लिए बिजली के उपयाग के रुझान (2013-14 से 2018-19)

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिजली की खपत (करोड़ यूनिट में)	32.18	31.32	35.52	39.40	47.98	72.67
बिजली की कुल खपत में प्रतिशत हिस्सा	3.90	2.90	2.59	2.48	2.63	3.62

स्रोत : बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लिमिटेड

कृषि ऋण

प्रौद्योगिकी के अभ्युदय ने आधुनिक लागत सामग्रियों की मांग बढ़ाई है जिसके लिए कृषि ऋण की जरूरत पड़ती है। ऋण कृषि में उत्पादन और उत्पादकता में तेजी लाने के लिए एक महत्वपूर्ण लागत सामग्री है। कृषि के लिए संस्थागत ऋण के वितरण के मुख्य चैनल व्यावसायिक बैंक, सहकारी समितियां और सूक्ष्मवित्त संस्थान हैं। समय

पर संस्थागत ऋण की उपलबधता से कार्यशील पूंजी संबंधी खर्चों में मदद मिलती है। वर्ष 2018-19 में राज्य में कृषि ऋण का संपूर्ण प्रवाह 41,798 करोड़ रु. था जिसमें व्यावसायिक बैंकों का लगभग 52.0 प्रतिशत, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का 41.3 प्रतिशत और सहकारी बैंकों का 6.7 प्रतिशत हिस्सा था।

किसान क्रेडिट कार्ड

किसान क्रेडिट कार्ड योजना द्वारा 1998 से ही ब्याज अनुदान योजना के जरिए किसानों को समय से ऋण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। तालिका 3.20 में कृषि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की 2014-15 से 2018-19 तक की उपलब्धियों के रुझान दर्शाए गए हैं। वर्ष 2018-19 में कोई 2.53 लाख किसान इस योजना से लाभान्वित हुए। इसके अलावा, इस योजना को डेयरी, मुर्गीपालन और पशुपालन जैसी कृषि की सहवर्ती गतिविधियों के लिए भी शुरू किया गया है जिसके विवरण तालिका 3.21 में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2018-19 में तय लक्ष्यों के बरअक्स उपलब्धि का सर्वाधिक 38.5 प्रतिशत स्तर डेयरी के लिए, 9.8 प्रतिशत मुर्गीपालन के लिए और 3.8 प्रतिशत मछलीपालन के लिए था।

तालिका 3.20 : वर्षवार उपलब्धि (किसान क्रेडिट कार्ड और खरीद) (2014-15 से 2018-19)

(लाख रु. में)

वर्ष	कृषि संबंधी उपलब्धि	
	सदस्य	रकम
2014-15	167513	38088.51
2015-16	406574	125759.00
2016-17	384139	182546.00
2017-18	370746	254800.00
2018-19	253060	279986.00

स्रोत : बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड

तालिका 3.21 : सहवर्ती गतिविधियों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड

(करोड़ रु. में)

योजना	लक्ष्य	स्वीकृति		वितरण		उपलब्धि का प्रतिशत
	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	
दूध उत्पादन	3616	230380	1379	230213	1391	38.5
मुर्गीपालन	1440	9530	141	9569	143	10.00
पशुपालन	1391	3441	51	3478	53	3.8

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

फसल उत्पादन, कृषि में निवेश, और लागत सामग्रियां तथा अन्य मशीनों की खरीद के लिए वित्तोय संसाधनों की मांग बिहार में बढ़ती जा रही है। कृषि ऋण के संस्थागत स्रोत के बतौर व्यावसायिक बैंक और सहकारी बैंक बिहार में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तालिका 3.22 में बिहार में 2018-19 के लिए बैंक-वार कुल कृषि ऋण दर्शाया गया है। तालिका पर एक नजर डालने से पता चलता है कि 2018-19 में तय लक्ष्य के बरअक्स सहकारी बैंकों की उपलब्धि 165 प्रतिशत और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 91.4 प्रतिशत थी।

तालिका 3.22 : बिहार में बैंक-वार कृषि ऋण (2018-19)

(करोड़ रु.)

बैंक	लक्ष्य	स्वीकृति		वितरण		उपलब्धि का प्रतिशत
	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	
व्यावसायिक बैंक	30837	1884959	19324	1939745	19802	64.2
सहकारी बैंक	1697	253060	2800	253060	2800	165.0
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	18896	1589654	18266	1588201	17264	91.4
लघुवित्त बैंक		553642	1804	553642	1802	-
योगफल	51430	4281015	42194	4334648	41671	81.0

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक के लिए सहकारी बैंकों के लक्ष्यों और उपलब्धियों की जिलावार स्थिति तालिका प 3.17 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। तालिका से स्पष्ट है कि 2018-19 में सहकारी ऋणों की पूर्ति के लक्ष्य बेगूसराय, खगड़िया और मधुबनी जिलों में अपेक्षाकृत अधिक थे। गौरतलब है कि 2018-19 में कटिहार में ऋण की आपूर्ति तय लक्ष्य का लगभग 90.6 प्रतिशत थी। वहीं, जहानाबाद और अरवल जैसे जिलों में सहकारी ऋण की आपूर्ति के मामले उपलब्धि तय लक्ष्य से बहुत कम थी।

सब्सिडी

सब्सिडी किसानों को कम कीमत पर लागत सामग्रियां उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता है। यह किसानों के लिए, खास कर कुछ खास फसलों को प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए वरदान है। लागत और डीजल सब्सिडी किसानों को खेती जारी रखने के लिए काफी प्रेरित कर सकती है। कृषि लागत सब्सिडी योजना के जरिए किसानों को सब्जियों की जैविक खेती अपनाने के लिए बुआई के पहले साल में दो बार सब्सिडी दी जाती है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (सूक्ष्म-सिंचाई) के तहतएक हे. से कम जोत वाले सीमांत किसानों के लिए 55 प्रतिशत और और एक हे. से अधिक जोत वाले किसानों के लिए 45 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है। बिहार में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अतिरिक्त टॉप अप सब्सिडी दे रही है। टॉप अप जोड़ने के बाद राज्य के किसानों को डिप इरीगेशन पर 90 प्रतिशत और स्प्रिंकलर इरीगेशन पर 75 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। वर्ष 2018-19 में ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत सब्सिडी के बतौर कुल 229.93 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। वहीं, बिहार में 2018-19 में डीजल सब्सिडी के बतौर 263.60 करोड़ रु. तक वितरित किए गए (तालिका 3.23)। इसके अलावा, किसानों को फसलों की ठूंठ जलाने से विरत करने और पर्यावरण के अनुकूल व्यवहारों को बढ़ावा देने के लिए फसलों के अवशेष के प्रबंधन के लिहाज से हैपी सीडर, स्टा रीपर, स्टा बेलर और रोटरो मल्चर आदि कृषि यंत्रों की खरीद के लिए राज्य सरकार 80 प्रतिशत तक सब्सिडी दे रही है।

तालिका 3.23 : बिहार में डीजल के लिए सब्सिडी का वितरण (2010-11 से 2018-19)

(करोड़ रु. में)

वर्ष	डीजल
2010-11	76.53
2011-12	4.09
2012-13	140.55
2013-14	175.99
2014-15	97.15
2015-16	195.24
2016-17	65.75
2017-18	49.70
2018-19	263.60

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

3.6 भंडारण और भंडारगृह

बिहार में भंडारगृहों का प्रबंधन बिहार राज्य भंडारण निगम (बीएसडब्ल्यूसी) द्वारा किया जाता है जिसकी स्थापना कृषि उत्पाद निगम अधिनियम, 1956 के तहत 1957 में की गई थी। छंटाई और श्रेणीकरण इकाइयों, शीतगृह इकाइयों और भंडारगृहों को शामिल करते हुए पर्याप्त भंडारण उपलब्ध कराना कटनी-दौनी के बाद उत्पादों के प्रबंधन में सहायता करने के लिहाज से बहुत जरूरी हैं।

तालिका 3.24 में बिहार में 2010-11 से 2018-19 तक की अवधि के लिए भंडारगृहों की स्थिति प्रस्तुत है। मार्च 2018-19 में बिहार में खाद्यान्नों को भंडारित करने और संरक्षित रखने के लिए कुल भंडारण क्षमता लगभग 5.21 लाख टन की थी। वर्ष 2018-19 में राज्य के अपने भंडारगृहों की वार्षिक उपलब्ध क्षमता 4.86 लाख टन और किराए के भंडारगृहों की 0.35 लाख टन थी। सभी वर्षों में किराए के भंडारगृहों की उपयोग क्षमता शत प्रतिशत थी। वहीं 2018-19 में अपने भंडारगृहों की 3.48 लाख मैट्रिक टन क्षमता का उपयोग हुआ जो कुल उपलब्ध क्षमता का लगभग 71.6 प्रतिशत है।

तालिका 3.24 : बिहार में भंडारगृहों की स्थिति (2010-11 से 2018-19)

वर्ष	केंद्रों की संख्या	वार्षिक उपलब्ध क्षमता (लाख टन)			वार्षिक प्रयुक्त क्षमता (लाख टन)			क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	
		अपनी	किराए की	योगफल	अपनी	किराए की	योगफल	अपनी	किराए की
2010-11	33	1.45	0.87	2.31	1.16	0.87	2.02	80.0	100.0
2011-12	30	1.65	0.7	2.35	1.27	0.7	1.97	77.0	100.0
2012-13	28	1.75	0.68	2.43	1.53	0.68	2.21	87.4	100.0
2013-14	30	1.96	0.64	2.6	1.65	0.64	2.29	84.2	100.0
2014-15	29	1.98	0.51	2.49	1.61	0.51	2.12	81.3	100.0
2015-16	30	2.13	0.42	2.55	1.71	0.42	2.12	80.3	100.0
2016-17	35	3.93	0.34	4.27	1.82	0.34	2.17	46.3	100.0
2017-18	38	4.67	0.32	4.99	2.14	0.32	2.47	45.8	100.0
2018-19	41	4.86	0.35	5.21	3.48	0.35	3.82	71.6	100.0

स्रोत : बिहार राज्य भंडारण निगम

भंडारण, प्रसंस्करण और विपणन की कई योजनाओं के जरिए राज्य में भंडारण क्षमता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार काफी प्रयास कर रही है। खाद्यान्नों और बागवानी फसलों के अधिक उत्पादन के कारण राज्य में खाद्य प्रसंस्करण की भारी संभावना है। समेकित खाद्य प्रसंस्करण विकास योजना के तहत 3 शीतगृह और 5 शुष्क भंडारगृहों का निर्माण किया गया है। कॉम्फेड और प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर राज्य सरकार विभिन्न कृषि उत्पादों का मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, शीत भंडारण और भंडारण सुगम बनाने के लिए सामान्य सुविधा केंद्र स्थापित कर रही है। खाद्यान्न भंडारण क्षमता का निर्माण बिहार राज्य भंडारण निगम क अलावा पैक्स, राज्य खाद्य निगम और केंद्रीय भंडारण निगम जैसे अभिकरणों द्वारा भी किया जा रहा है। बीज की अंकुरण संबंधी गुणवत्ता बरकरार रखने के लिए बिहार राज्य बीज निगम द्वारा अपने भंडारगृहों में नमी पर नियंत्रण के लिए संयंत्र स्थापित किए जाएंग। बागवानी क्षेत्र के विकास के लिए किफायती भंडारण इकाइयों के निर्माण, (ताजा फल-सब्जियों के विपणन के लिए) शीतशृंखला के विकास,और खेतों से ही संग्रहण, तथा वहीं छंटाई, श्रेणीकरण और पैकेजिंग के जरिए बुनियादी अधिसंरचनात्मक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

3.7 सिंचाई

उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रभेदों, आधुनिक प्रौद्योगिकी, उर्वरक, और कृषि यंत्रों को अपनाने के दौर में पानी की पर्याप्त और सुनिश्चित आपूर्ति की जरूरत पर शायद ही कोई जोर देने की जरूरत है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में जल क्षेत्र का लगभग 3.6 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य में औसतन 1000 मिमी वर्षापात होता है जिसमें से अधिकांश बारिश दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून से होती है। लेकिन वर्षा के अनियमित पैटर्न और बार-बार पड़ने वाले सूखों के कारण सिंचाई के लिए पानी की कमी होने से उच्च उत्पादकता प्राप्त करने पर असर पड़ता रहा है। अत: उत्पादन में स्थिरता लाने, और उपज तथा फसल सघनता बढ़ाने के लिए सुनियोजित सिंचाई व्यावस्था की जरूरत है। निस्संदेह, हाल के वर्षों में वर्षा के अनियमित पैटर्न और बार-बार पड़ने वाले सूखों तथा भूजल के अति-दोहन के कारण राज्य में पानी की उपयोग दक्षता हासिल करना अधिक चुनौतीपूर्ण हो गया है। सिंचाई के पानी की लागत, खास कर छोटे और सीमांत किसानों के लिए घटाने का उनके कल्याण में वृद्धि पर दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। इसके अलावा, भूजल के उपयोग के पर्यावरण संबंधी लागतों को संतुलित करने के लिए पानी की उपयोग दक्षता बढ़ाना भी जरूरी है।

वर्ष 2017-18 में बिहार में औसतन 994.4 मिमी वार्षिक वर्षापात हुआ था जिसमें से 84.9 प्रतिशत दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के कारण हुआ था। हालांकि राज्य की पूरी कृषि गतिविधियों के लिए यह पर्याप्त नहीं है। चार्ट 3.6 में बिहार में 2017-18 में सकल सिंचित क्षेत्र (जीआइए) की स्रोत-वार जानकारी दी गई है। नलकूप राज्य में सिंचाई के प्रमुख स्रोत हैं जिनसे कुल सिंचित क्षेत्र के लगभग 63.1 प्रतिशत हिस्से की सिंचाई होती है। उसके बाद सकल सिंचित क्षेत्र में लगभग 30.7 प्रतिशत हिस्सा नहरों से सिंचाई का है। वर्ष 2017-18 के लिए जिलों में सिंचाई का स्रोतवार ब्योरा तालिका प 3.18 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। सभी स्रातों से सर्वाधिक 338.13 हजार हे. सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास जिले में था और सबसे कम 26.25 हजार हे. शिवहर जिले में। वहीं, 2017-18 में समस्तीपुर जिले की 227.69 हे. जर्मीन नलकूपों से सिंचाई के लिहाज से सुसज्जित थी।

चार्ट 3.6 : बिहार में स्रोतवार सकल सिंचित क्षेत्र (2017-18)

(प्रतिशत हिस्सा)

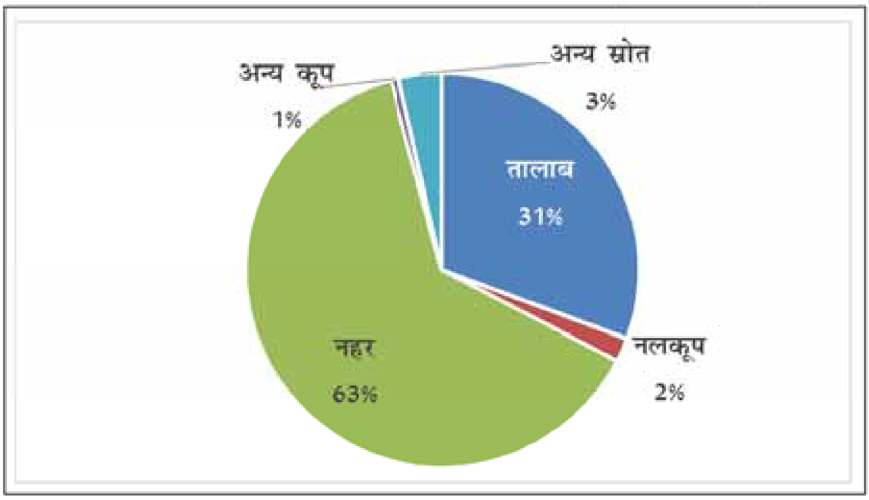

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीनिदेशालय, बिहार सरकार

वर्ष 2011-12 से 2017-18 तक सकल सिंचित क्षेत्र में विभिन्न स्रोतों का हिस्सा तालिका 3.25 में प्रस्तुत है। राज्य में सकल सिंचित क्षेत्र 2011-12 के 51.58 लाख हे. से बढकर 2017-18 में 54.14 प्रतिशत हो गया जो मात्र 4.7 प्रतिशत वृद्धि दर्शाता है। बिहार में सिंचाई के सबसे बड़े स्रोत नलकूप हैं जिनका राज्य के सकल सिंचित क्षेत्र में 63.1 प्रतिशत योगदान है जबकि दूसरा सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सरकारी नहरें हैं जिनका 30.7 प्रतिशत योगदान है। तालाबों से सिंचित क्षेत्र 2011-12 में 0.74 लाख हे. था जो 7.25 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2017-18 में 1.05 लाख हे. हो गया। सिंचाई में नलकूपों का बढ़ता हिस्सा चिता की बात है क्योंकि यह भूजल के अति-दोहन और जल-स्तर घटने का कारण बन सकता है।

तालिका 3.25 : स्रोतवार सकल सिंचाई क्षेत्र (2011-12 से 2017-18)

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

वर्ष	नहरें	तालाब	कूप			अन्य स्रोत	योगफल
			नलकूप	अन्य कूप	कूपों का योग		
2011-12	1473.48 (28.6)	74.09 (1.4)	3402.64 (66)	28.84 (0.6)	3431.48 (66.5)	178.46 (3.5)	5157.51 (100)
2012-13	1521.73 (28.6)	72.74 (1.4)	3516.83 (66)	29.37 (0.6)	3546.2 (66.6)	186.3 (3.5)	5326.97 (100)
2013-14	1470.88 (28.6)	73.54 (1.4)	3401.36 (66.1)	28.27 (0.5)	3429.63 (66.7)	170.72 (3.3)	5144.77 (100)
2014-15	1490.08 (28.3)	73.7 (1.4)	3497.44 (66.4)	29.58 (0.6)	3527.02 (67)	176.73 (3.4)	5267.52 (100)
2015-16	1466.07 (27.9)	84.57 (1.6)	3482.18 (66.4)	28.60 (0.5)	3510.78 (67)	185.43 (3.5)	5246.85 (100)
2016-17	1628.97 (30.5)	107.27 (2)	3377.1 (63.2)	37.57 (0.7)	3414.67 (63.9)	190.56 (3.6)	5341.46 (100)
2017-18	1660.00 (29.6)	104.88 (1.9)	3418.26 (63.1)	39.63 (0.7)	3457.89 (63.9)	190.74 (3.5)	5413.51 (100)
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)	1.37	7.25	-0.16	5.34	-0.10	1.14	0.61

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीनिदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 3.26 : सकल शस्य क्षेत्र में सकल सिंचाई क्षेत्र का हिस्सा (2011-12 से 2017-18)

(क्षेत्रफल हजार हे. में)

वर्ष	सकल शस्य क्षेत्र	सकल सिंचाई क्षेत्र	सकल सिंचाई क्षेत्र सकल शस्य क्षेत्र के प्रतिशत के बतौर
2011-12	7646.76	5157.51	67.45
2012-13	7777.52	5326.97	68.49
2013-14	7580.14	5144.77	67.87
2014-15	7672.95	5267.52	68.65
2015-16	7572.41	5246.85	69.29
2016-17	7654.36	5341.46	69.78
2017-18	7525.18	5413.51	71.94

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीनिदेशालय, बिहार सरकार

चार्ट 3.7 : सकल शस्य क्षेत्र में सकल सिंचाई क्षेत्र का हिस्सा (2011-12 से 2017-18)

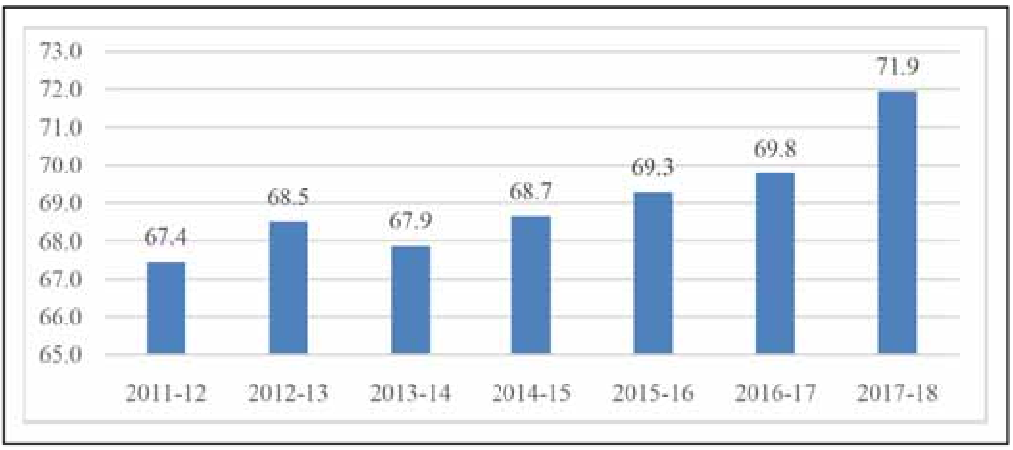

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकीनिदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 3.26 में 2011-12 से 2017-18 तक की अवधि के लिए सकल शस्य क्षेत्र में सकल सिंचित क्षेत्र का हिस्सा प्रस्तुत है। यही सूचना चार्ट 3.7 में भी दी गई है। वर्ष 2013-14 के बाद से सकल शस्य क्षेत्र में सकल सिंचित क्षेत्र के अनुपात में लगातार वृद्धि दिखी है। वर्ष 2017-18 में सकल शस्य क्षेत्र में सकल सिंचित क्षेत्र का हिस्सा 71.9 प्रतिशत था जो 2011-12 में 67.4 प्रतिशत ही था।

तालिका 3.27 : सिंचाई क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय के रुझान (2013-14 से 2018-19)

(करोड़ रु. में)

वर्ष	राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	कुल व्यय
2013-14	86.85	767.32	854.17
2014-15	86.87	721.67	808.55
2015-16	107.16	845.58	952.74
2016-17	106.53	772.22	878.75
2017-18	129.32	1268.71	1398.03
2018-19	120.86	1207.57	1328.43

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

चाट 3.8 : सिंचाई क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय की संरचना (2013-14 से 2018-19) (करोड़ रु.)

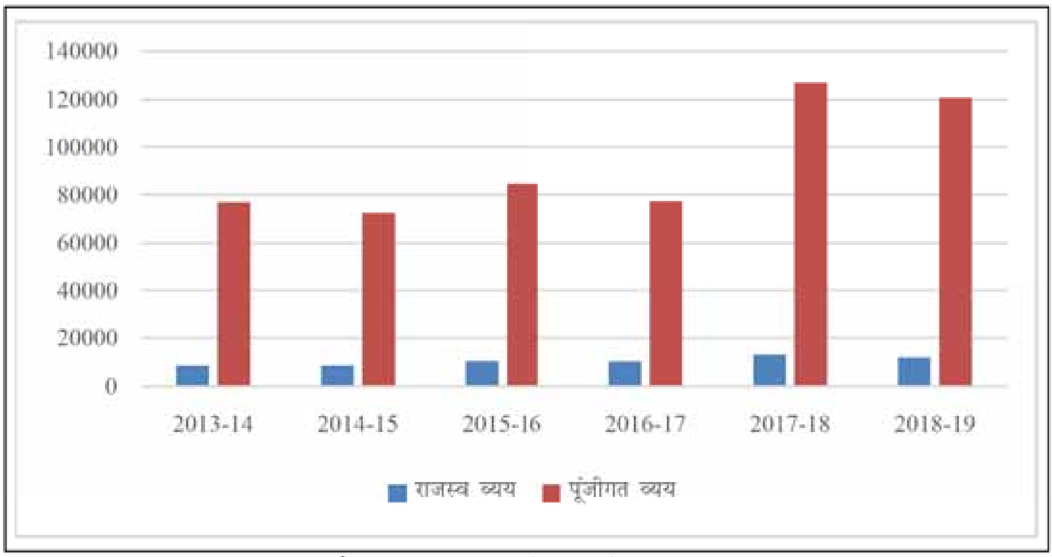

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

चूंकि कृषि भारतीय संविधान के तहत राज्य का विषय है इसलिए सिंचाई और जल संरक्षण पर खर्च करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों की होती है। चार्ट 3.8 में 2013-14 से 2018-19 तक की अवधि के लिए सिंचाई क्षेत्र में सार्वजनिक व्यय के रुझान दर्शाए गए हैं और तालिका 3.27 में वही आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। सिंचाई के विकास के लिए कुल व्यय 11.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2013-14 के 854.17 करोड़ रु. से 2018-19 में 1328.43 करोड़ रु. हो गया। कुल व्यय में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 90.9 प्रतिशत था। सिंचाई के लिए सरकारी व्यय में अधिसंरचना और अन्य परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए पूंजीगत व्यय का अच्छा-खासा हिस्सा है। पूंजीगत व्यय 2013-14 के 767.32 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 1207.57 करोड़ रु. हो गया। सिंचाई पर पूंजीगत व्यय में वृद्धि का, खास तौर पर पिछले दो वर्षों में रुझान सिंचाई अधिसंरचना के विकास की राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता को दर्शाता है।

सिंचाई क्षमता

अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण बिहार को जल संसाधनों का बेहतर अवदान प्राप्त है। हालांकि अनियमित वर्षा और उसका अनियमित स्थानिक वितरण कृषि उत्पादन में सुस्थिरता लाने के मामल में चिंता की बात है। अत: विभिन्न सिंचाई योजनाओं में निवेश करना कृषि विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिहार की सिंचाई योजनाओं को मुख्यत: वृहत, मध्यम, और लघु सिंचाई योजनाओं में बांटा जा सकता है। तालिका 3.28 में बिहार में 2016-17 से 2018-19 के बीच सिंचाई क्षमता की स्थिति प्रस्तुत की गई है। राज्य की 117.54 लाख हे. चरम सिंचाई क्षमता में से 53.53 लाख हे. सिंचाई क्षमता वृहत और मध्यम सिंचाई योजनाओं के जरिए तथा 64.01 लाख हे. लघु सिंचाई योजनाओं के जरिए सृजित होना अनुमानित है। साथ ही, चरम सिंचाई क्षमता में 75.9 प्रतिशत (48. 57 लाख हे.) हिस्सा भूजल संसाधनों का है। वर्ष 2018-19 में कुल सृजित सिंचाई क्षमता में से लगभग 30.04 लाख हे. वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से और 42.03 लाख हे. लघु सिंचाई परियोजनाओं से थी।

तालिका 3.28 : बिहार में सिंचाई क्षमता की स्थिति (2016-17 से 2018-19)

(क्षेत्रफल लाख हे. में)

सिंचाई क्षमता का प्रकार	चरम क्षमता	2016-17		2017-18		2018-19	
		सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता	सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता	सृजित क्षमता	प्रयुक्त क्षमता
(क) वृहद एवं मध्यम सिंचाई	53.53	29.69	26.72	29.91	23.80	30.04	26.56
(ख) लघु सिंचाई	64.01	40.79	36.71	41.12	36.99	42.03	37.82
भूतल सिंचाई	15.44	8.14	7.33	8.35	7.50	8.70	7.83
भूजल सिंचाई	48.57	32.66	29.38	32.77	29.49	33.33	30.00
योगफल	**117.54**	**70.48**	**63.43**	**71.03**	**60.79**	**72.07**	**64.38**

टिप्पणी : सृजित और प्रयुक्त सिंचाई क्षमता मार्च तक है

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

नहर सिंचाई प्रणाली में काफी गाद जमा होने और उनके टूटने के कारण सृजित क्षमता से कम उपयोग की समस्या पैदा होती है। इसलिए राज्य सरकार ने ह्रासित सिंचाई क्षमता को पुनःस्थापित करने के लिए अनेक पहलकदमियां की हैं। वर्ष 2018-19 में ली गई ऐसी पहलकदमियों में पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली, पूर्वी कोशी नहर प्रणाली, पूर्वी सोन उच्चस्तरीय नहर, चौसा पंप नहर योजना आदि शामिल थीं। इन योजनाओं के तहत 234. 05 हजार हे. सिंचाई क्षमता पुनःस्थापित हुई। वर्ष 2018-19 में दुर्गावती जलाशय योजना, कुंडघाट जलाशय योजना, जहानाबाद जिले में सेंधवा चेक डैम, नालंदा जिले में पंचाने नदी पर वीयर, दनवार झील जल निकासी एवं सिंचाई योजना, पश्चिमी गंडक नहर प्रणाली और लवाइच रामपुर बराज जैसी योजनाओं का क्रियान्वयन करके नई सिंचाई क्षमता सृजित की गई थी। इन योजनाओं के तहत 2018-19 में कुल सृजित सिंचाई क्षमता 12.75 हजार हे. थी (तालिका 3.29)।

तालिका 3.29 : वृहद एवं मध्यम सिंचाई के तहत सिंचाई क्षमता सृजन (2018-19)

योजना का नाम	सृजित सिंचाई क्षमता (हे. में)
दुर्गावती जलाशय योजना	2190
कुंडघाट जलाशय योजना	600
जहानाबाद जिले में सेंधवा चेक डैम	2100
नालंदा जिले में पंचाने नदी पर वीयर	2400
दनवार झील जल निकासी एवं सिंचाई योजना	4800
पश्चिमी कोशी नहर प्रणाली	160
लवाइच रामपुर बराज	500
योगफल	**12750**

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

सृजित सिंचाई क्षमता के कुशल उपयोग के बिना सिंचाई में निवेश के लाभ प्राप्त करना संभव नहीं है। तालिका 3.30 में 2013-14 से 2018-19 तक राज्य में वृहत और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं की दक्षता का वर्तमान स्तर दर्शाया गया है। उपयोग दक्षता को वास्तविक सिंचाई और सृजित सिंचाई क्षमता के अनुपात के बतौर मापा जाता है। संतोष की बात है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान दक्षता का औसत स्तर 86.0 प्रतिशत रहा है। दक्षता में सुधार चार्ट 3.9 से भी स्पष्ट है।

तालिका 3.30 : बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता (2013-14 से 2018-19)

(आंकड़े हजार हे. में)

वर्ष	सृजित सिंचाई क्षमता	खरीफ		रबी		गरमा		कुल प्रयुक्त सिंचाई क्षमता	उपयोग दक्षता (%)
		लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई	लक्ष्य	सिंचाई		
2013-14	2921.08	1864.88	1614.31	567.38	490.81	11.83	11.83	2116.95	72.5
2014-15	2925.12	1864.88	1627.71	372.84	319.57	14.79	14.79	1962.07	67.1
2015-16	2946.44	1918.34	1717.79	484.53	430.54	28.17	25.51	2173.84	73.8
2016-17	2969.18	1981.58	1931.01	801.95	713.76	28.67	27.69	2672.46	90.0
2017-18	2991.08	2227.02	1953.52	430.03	398.81	28.67	27.69	2380.02	79.6
2018-19	3003.83	2108.04	2043.46	653.23	613.08	0.00	0.00	2656.54	88.4

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 3.9 : बड़ी और मंझोली सिंचाई योजनाओं की जल उपयोग दक्षता का पैटर्न (2013-19)

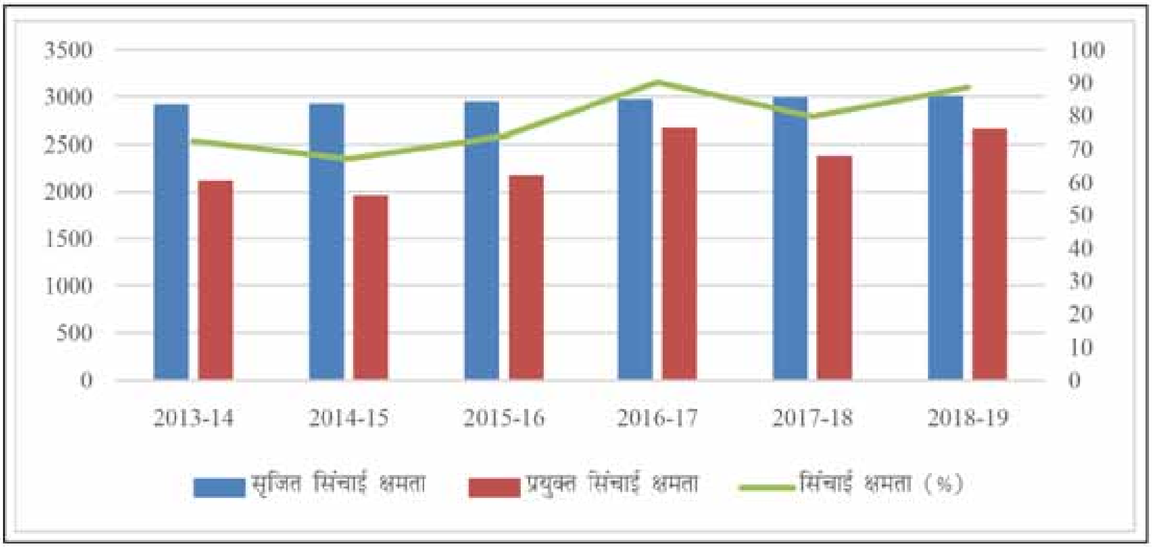

स्रोत : जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

नहर, तालाब (आहर-पइन सहित), नलकूप, और अन्य स्रोत जैसे लघु जल संसाधनों से जिन क्षेत्रों को सिंचाई उपलब्ध कराई गई है, उनके बारे में सूचना तालिका 3.31 में प्रस्तुत है। लघु सिंचाई परियोजनाओं के तहत 2018-19 में कुल 90.76 हजार हे. जमीन को सिंचाई उपलब्ध कराई गई। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के बीच

नलकूपों द्वारा उपलब्ध कराई गई सिंचाई क्षमता सर्वाधिक थी जो औसतन 52 प्रतिशत थी। उसके बाद आहर-पइन सहित तालाबों का स्थान था जिनका उसमें 32.9 प्रतिशत हिस्सा था। लघु सिंचाई द्वारा उपलब्ध सिंचाई क्षमता में विगत वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव आता रहा है। यह सबसे अधिक 127.30 हजार हे. 2016-17 में था और सबसे कम 38.42 हजार हे. 2014-15 में।

तालिका 3.31 : लघु सिंचाई स्रोतों से सिंचित क्षेत्र

(क्षेत्रफल हे. में)

स्रोत	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भूतल नहरें	26086	9310	-	2600	5500	-
तालाब (आहर-पइन सहित)	41591	10934	28631	20500	15830	29876
नलकूप (निजी और सरकारी)	64251	15610	38440	86200	24000	55931
अन्य स्रोत (उद्वह सिंचाई एवं दोन सिंचाई)	9627	2564	5055	18000	10160	4950
योगफल	**141555**	**38418**	**72126**	**127300**	**55490**	**90757**

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 3.32 : कृषक समितियों की स्थिति (मार्च 2019 में)

स्थिति	संख्या
सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन हस्तांतरित	54
प्रणाली के हस्तांतरण के लिए तैयार समितियां	27
निबंधन हेतु आवेदन	30
उत्प्रेरण प्रक्रियाधीन समितियां	511
योगफल	**622**

स्रोत : लघु जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार

सहभागी सिंचाई प्रणाली ने किसानों को सिंचाई व्यवस्था के विभिन्न पक्षों, खास तौर पानी के वितरण में शामिल करने को बल प्रदान किया है। राज्य सरकार ने अपना ध्यान सहभागी सिंचाई प्रबंधन पर केंद्रित किया है ताकि उपयोगकर्ताओं में जल संसाधनों प्रति अपनापन की भावना पैदा की जा सके, जल के उपयोग में किफायत को बढ़ावा दिया जाय और पानी के वितरण में समानता हासिल की जा सके। जैसा कि तालिका 3.32 में दर्शाया गया है, मार्च 2019 तक बिहार में 54 समितियों को सिंचाई प्रणाली का प्रबंधन हस्तांतरित किया जा चुका है। अभी 27 और समितियों के लिए हस्तांतरण प्रक्रियाधीन है। अभी राज्य सरकार ने 'समेकित जल प्रबंधन प्रणाली' अपनाई है जिसका मुख्य उद्देश्य सूखे इलाकों में पानी पहुंचाना, भूजल संभरण (रिचार्ज) और मृदा संरक्षण है। इसके अतिरिक्त यह प्रणाली राज्य में कृषि विकास के लिए जल संसाधनों के उचित उपयोग को भी प्रोत्साहित करती है।

लघु जल संसाधन विभाग की पहलकदमियां

लघु जल संसाधन विभाग ने कृषि रोडमैप-3 (2017-22) के तहत वर्णित सिंचाई योजनाओं के विस्तार के लिए कई कार्यक्रम लिए हैं। विभाग ने भूतल सिंचाई के जरिए 8.25 लाख हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित करने की योजना बनाई है - 5.56 लाख हे.आहर-पइन से, 1.82 लाख हे. वीयर योजना से और 0.88 लाख हे.उद्वह सिंचाई योजना से।

1. **भूतल सिंचाई योजना :** आहर-पइन सिंचाई योजना, वीयर और सिंचाई तालाबों का विभिन्न स्रोतों से वित्तपोषण के जरिए जीर्णोद्धार कराया जा रहा है।
   - **राज्य योजना** 2018-19 में कुल 77 सिंचाई योजनाएं पूरी हुई हैं जिनसे 14,708 हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।
   - **नाबार्ड की ग्रामीण अधिसंचरना विकास कोष योजना :** ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत आहर-पइना की 202 योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है जिसमें से 189 पूरी हो चुकी हैं। वर्ष 2019-20 में 60.55 हजार हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।
   - **प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना :** नवादा, रोहतास, कैमूर और सीतामढ़ी में आहर-पइन की कुल 44 योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है और अभी तक 18.85 हजार हे. अतिरिक्त सिंचाई क्षमता सृजित हुई है।
2. **जल-जीवन हरियाली अभियान :** इस योजना का मकसद जल संरक्षण, भंडारण और सिंचाई है। सभी सार्वजनिक आहर-पइनों और तालाबों का जीर्णोद्धार कराया जाएगा और बरसात के मौसम में पानी इकट्ठा करने के लिए छोटी नदियों, नालों आदि पर चेक डैम/ वीयर का निर्माण कराया जाएगा। ये योजनाएं तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) के अंदर पूरी हो जाएंगी। इन योजनाओं को पूरा करने के लिए 13,610 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। वर्ष 2019-20 में 978 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से आहर-पइन और तालाबों की 1413 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए निविदाएं फाइनल कर दी गई हैं।
3. **भूजल सिंचाई योजना :** अभी बिहार में 10,240 नलकूपों में से 5,183 राजकीय नलकूप योजनाएं कार्यशील हैं।
4. **बिहार शताब्दी नलकूप योजना :** राज्य सरकार किसानों को 70 मी. गहरे नलकूप लगाने के लिए 15,000 रु. और 100 मी. गहरे नलकूप लगाने के लिए 35,000 रु. का अधिकतम अनुदान देती है। साथ ही, मोटर पंप की 50 प्रतिशत कीमत भी अधिकतम 10,000 रु. तक दी जाती है। सारे अनुदान प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना (डीबीटी) के तहत अंतरित किए जाते हैं। किसानों द्वारा अभी तक कोई 31,468 नलकूप लगाए जा चुके हैं।
5. **टेलीमीटो योजना** (स्वचालित डिजिटल जल स्तर रिकॉर्डर) : 564 स्थानों पर टेलीमीट्री उपकरण लगाए गए हैं जिनमें से 539 काम कर रहे हैं।
6. **नलकूपों का स्वामित्व :** सभी राजकीय नलकूपों को संचालन और रखरखाव के लिए ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित कर दिया गया है। ग्राम पंचायतों को राजस्व इकट्ठा करने और सिंचाई की दरें तय करने का अधिकार दिया गया है। वर्ष 2018-19 में ग्राम पंचायतों ने 21.25 लाख रु. राजस्व इकटठ्ठा किया।

परिशिष्ट

तालिका प 3.1 : भूमि उपयोग का जिलावार पैटर्न (2017-18)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

जिला	भौगोलिक क्षेत्रफल (1)	वन क्षेत्र (2)	गैर-कृषि उपयोग हेतु भूमि (3)				कृषि योग्य ऊसर भूमि (4)
			बंजर एवं अकृष्य भूमि	कृषीतर उपयोग			
				भूमि क्षेत्र	जल क्षेत्र		
					बारहमासी	अस्थायी	
पटना	317.2 (100)	0.1 (0)	12.4 (3.9)	67.9 (21.4)	10.3 (3.3)	2 (0.6)	0.7 (0.2)
नालंदा	232.7 (100)	4.6 (2)	1.2 (0.5)	35.9 (15.4)	2.5 (1.1)	7 (3)	0.2 (0.1)
भोजपुर	237.3 (100)	0 (0)	6.7 (2.8)	30.4 (12.8)	2.8 (1.2)	1.5 (0.6)	0.6 (0.2)
बक्सर	167 (100)	0 (0)	2.2 (1.3)	13.2 (7.9)	3.2 (1.9)	1.1 (0.7)	0.6 (0.4)
रोहतास	390.7 (100)	66.7 (17.1)	16.8 (4.3)	44.4 (11.4)	9 (2.3)	0.6 (0.2)	1.1 (0.3)
कैमूर	342.5 (100)	113 (33)	19.3 (5.6)	31.2 (9.1)	2.5 (0.7)	1.6 (0.5)	1.8 (0.5)
गया	493.8 (100)	77.8 (15.8)	27.5 (5.6)	63.4 (12.8)	3.8 (0.8)	6 (1.2)	3.2 (0.7)
जहानाबाद	94 (100)	0.6 (0.7)	3.3 (3.5)	13.9 (14.8)	0.8 (0.9)	0.5 (0.6)	0.1 (0.1)
अरवल	62.6 (100)	0 (0)	2.2 (3.5)	9.2 (14.7)	0.6 (0.9)	0.8 (1.3)	0.1 (0.1)
नवादा	248.7 (100)	63.8 (25.6)	11.2 (4.5)	25.8 (10.4)	3 (1.2)	6.9 (2.8)	1.1 (0.4)
औरंगाबाद	330 (100)	18.8 (5.7)	16.4 (5)	56.4 (17.1)	1.7 (0.5)	1.7 (0.5)	1.8 (0.5)
सारण	264.9 (100)	0 (0)	17.9 (6.8)	28.9 (10.9)	3.5 (1.3)	0.2 (0.1)	0.2 (0.1)
सीवान	224.4 (100)	0 (0)	8.7 (3.9)	29.8 (13.3)	2 (0.9)	1.5 (0.7)	0.7 (0.3)
गोपालगंज	203.8 (100)	0 (0)	5.5 (2.7)	31.3 (15.4)	2.1 (1)	0.5 (0.2)	1.4 (0.7)
पश्चिम चंपारण	484.4 (100)	91.8 (18.9)	2.9 (0.6)	71.2 (14.7)	15.2 (3.1)	8.8 (1.8)	1.2 (0.3)
पूर्व चंपारण	431.7 (100)	0.1 (0)	8.1 (1.9)	51.7 (12)	10.1 (2.3)	15.2 (3.5)	0.2 (0.1)
मुजफ्फरपुर	315.4 (100)	0 (0)	5.3 (1.7)	51.6 (16.4)	7.8 (2.5)	4 (1.3)	0.3 (0.1)
सीतामढ़ी	221.9 (100)	0 (0)	1.8 (0.8)	45.2 (20.4)	2.5 (1.1)	16 (7.2)	0.1 (0)
शिवहर	43.5 (100)	0 (0)	0.4 (0.9)	10 (23)	1.3 (2.9)	0.2 (0.3)	0 (0)
वैशाली	201.5 (100)	0 (0)	24.1 (12)	30.5 (15.1)	5.8 (2.9)	1.9 (1)	0.1 (0.1)
दरभंगा	254.1 (100)	0 (0)	1.3 (0.5)	44.3 (17.4)	9.4 (3.7)	7.4 (2.9)	0.1 (0.1)
मधुबनी	353.5 (100)	0 (0)	2.2 (0.6)	71.3 (20.2)	13.4 (3.8)	2.2 (0.6)	0.5 (0.1)
समस्तीपुर	262.4 (100)	0 (0)	3.8 (1.5)	54.7 (20.9)	8.2 (3.1)	0.8 (0.3)	0 (0)
बेगूसराय	187.8 (100)	0 (0)	18 (9.6)	30.3 (16.1)	7.7 (4.1)	4 (2.1)	0 (0)
मुंगेर	139.8 (100)	28.5 (20.4)	11.4 (8.2)	20.9 (15)	5.8 (4.2)	5.3 (3.8)	0.9 (0.7)
शेखपुरा	62.1 (100)	0 (0)	1 (1.6)	7.8 (12.5)	0.9 (1.4)	2 (3.2)	0.2 (0.4)
लखीसराय	128.6 (100)	13.5 (10.5)	7 (5.5)	9.3 (7.3)	1.2 (0.9)	4.7 (3.7)	0.7 (0.5)
जमुई	305.3 (100)	92.9 (30.4)	28.6 (9.4)	39.6 (13)	2.2 (0.7)	2.8 (0.9)	10.3 (3.4)
खगड़िया	149.3 (100)	0 (0)	13.6 (9.1)	19.3 (12.9)	7.7 (5.2)	4.2 (2.8)	0.6 (0.4)
भागलपुर	254.3 (100)	0.1 (0)	22.4 (8.8)	54.9 (21.6)	6.6 (2.6)	9.6 (3.8)	2.3 (0.9)
बांका	305.6 (100)	46.3 (15.2)	43 (14.1)	36.9 (12.1)	2.9 (0.9)	3 (1)	7.9 (2.6)
सहरसा	164.6 (100)	0 (0)	10.8 (6.6)	22.3 (13.5)	4.8 (2.9)	2.2 (1.3)	0.4 (0.2)
सुपौल	238.6 (100)	0 (0)	20.2 (8.5)	39.3 (16.5)	9.8 (4.1)	3.1 (1.3)	1.4 (0.6)
मधेपुरा	179.6 (100)	0 (0)	3.9 (2.2)	26.9 (15)	3.9 (2.1)	1.2 (0.7)	0 (0)
पूर्णिया	313.9 (100)	0.1 (0)	12.3 (3.9)	38.1 (12.1)	6.9 (2.2)	1.6 (0.5)	1.1 (0.4)
किशनगंज	189.1 (100)	0.4 (0.2)	11.2 (5.9)	26 (13.7)	7.3 (3.8)	2.7 (1.4)	1.2 (0.6)
अररिया	271.7 (100)	0.8 (0.3)	5 (1.8)	41 (15.1)	6.4 (2.4)	5.5 (2)	0.5 (0.2)
कटिहार	291.4 (100)	1.8 (0.6)	22.1 (7.6)	42.2 (14.5)	12.1 (4.2)	4.2 (1.4)	0.6 (0.2)
बिहार	**9359.6 (100)**	**621.6(6.6)**	**431.7 (4.6)**	**1366.7 (14.6)**	**207.4 (2.2)**	**144.3 (1.5)**	**44.3 (0.5)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार (जारी)

तालिका प 3.1 : भूमि उपयाग का जिलावार पैटर्न (2017-18) (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

जिला	अकृष्य भूमि वर्तमान परती को छोड़कर (5)		परती भूमि		कुल अकृष्य भूमि (7) (2 से 6 तक)	निवल बुआई क्षेत्र (8)	सकल शस्य क्षेत्र (9)	फसल सघनता (10)
	स्थायी चरागाह	बागान	वर्तमान परती	अन्य परती				
पटना	0.1 (0)	1 (0.3)	45.5 (14.3)	1.5 (0.5)	141.5 (44.6)	175.7 (55.4)	218.9 (69)	1.2
नालंदा	0 (0)	1.3 (0.6)	6.3 (2.7)	0.1 (0.1)	59.1 (25.4)	173.6 (74.6)	252.2 (108.4)	1.5
भोजपुर	0.1 (0)	2.1 (0.9)	4.5 (1.9)	2.3 (1)	51 (21.5)	186.4 (78.5)	199.3 (84)	1.1
बक्सर	0 (0)	0.8 (0.5)	3.6 (2.1)	0.6 (0.3)	25.3 (15.1)	141.7 (84.9)	198.6 (118.9)	1.4
रोहतास	0.1 (0)	2.9 (0.7)	3.3 (0.8)	0.7 (0.2)	145.6 (37.3)	245.1 (62.7)	349.8 (89.5)	1.4
कैमूर	0.1 (0)	0.8 (0.2)	34.6 (10.1)	0.1 (0)	205 (59.9)	137.5 (40.1)	202.9 (59.3)	1.5
गया	2 (0.4)	3.9 (0.8)	111.9 (22.7)	11.3 (2.3)	310.9 (63)	182.9 (37)	212.9 (43.1)	1.2
जहानाबाद	0.1 (0.1)	0.7 (0.8)	32 (34)	0.2 (0.2)	52.3 (55.6)	41.7 (44.4)	77.3 (82.2)	1.9
अरवल	0.1 (0.2)	0.9 (1.5)	3.5 (5.5)	1.6 (2.5)	18.9 (30.2)	43.7 (69.8)	65 (103.8)	1.5
नवादा	0.9 (0.3)	0.7 (0.3)	12.9 (5.2)	2.6 (1)	128.9 (51.8)	119.9 (48.2)	137.4 (55.2)	1.1
औरंगाबाद	0.5 (0.2)	0.7 (0.2)	25.4 (7.7)	1.1 (0.3)	124.4 (37.7)	205.6 (62.3)	287.4 (87.1)	1.4
सारण	0.1 (0.1)	8.6 (3.3)	45.5 (17.2)	3.6 (1.4)	108.5 (40.9)	156.4 (59.1)	191.8 (72.4)	1.2
सीवान	0.2 (0.1)	9 (4)	6.8 (3)	1.4 (0.6)	60.1 (26.8)	164.4 (73.2)	226.1 (100.7)	1.4
गोपालगंज	0.2 (0.1)	7.5 (3.7)	13.6 (6.6)	2.3 (1.1)	64.3 (31.6)	139.5 (68.4)	207.4 (101.8)	1.5
पश्चिम चंपारण	1.1 (0.2)	6.5 (1.3)	41.6 (8.6)	2.2 (0.5)	242.5 (50.1)	241.8 (49.9)	391.2 (80.8)	1.6
पूर्व चंपारण	0.4 (0.1)	27.2 (6.3)	32.4 (7.5)	2.9 (0.7)	148.2 (34.3)	283.5 (65.7)	412.9 (95.6)	1.5
मुजफ्फरपुर	0 (0)	17.5 (5.5)	24.9 (7.9)	1.3 (0.4)	112.8 (35.8)	202.6 (64.2)	299.6 (95)	1.5
सीतामढ़ी	1.3 (0.6)	14 (6.3)	13 (5.8)	0.5 (0.2)	94.3 (42.5)	127.6 (57.5)	232.8 (104.9)	1.8
शिवहर	0 (0)	3.7 (8.4)	3.8 (8.7)	0.8 (1.9)	20.1 (46.2)	23.4 (53.7)	45.6 (104.9)	2
वैशाली	0.3 (0.2)	9.8 (4.9)	4.7 (2.3)	0.3 (0.1)	77.5 (38.5)	123.9 (61.5)	181.5 (90.1)	1.5
दरभंगा	0.1 (0.1)	12.5 (4.9)	29.4 (11.6)	2.1 (0.8)	106.6 (42)	147.5 (58)	171.9 (67.7)	1.2
मधुबनी	1.3 (0.4)	24 (6.8)	3.2 (0.9)	2.9 (0.8)	120.9 (34.2)	232.6 (65.8)	340.1 (96.2)	1.5
समस्तीपुर	0.1 (0)	8.3 (3.2)	9.9 (3.8)	0.9 (0.3)	86.7 (33)	175.7 (67)	307.8 (117.3)	1.8
बेगूसराय	0 (0)	3.8 (2)	15.7 (8.4)	0.8 (0.4)	80.2 (42.7)	107.6 (57.3)	157.7 (84)	1.5
मुंगेर	0.2 (0.1)	0.6 (0.4)	21.9 (15.6)	1.9 (1.3)	97.4 (69.7)	42.4 (30.3)	48.7 (34.8)	1.1
शेखपुरा	0 (0)	0.3 (0.5)	1.3 (2)	1.6 (2.6)	15.1 (24.3)	47 (75.7)	60.7 (97.7)	1.3
लखीसराय	0.1 (0)	0.4 (0.3)	29.3 (22.8)	6.3 (4.9)	72.4 (56.3)	56.2 (43.7)	77.3 (60.1)	1.4
जमुई	1.6 (0.5)	2.1 (0.7)	38.5 (12.6)	16 (5.2)	234.6 (76.8)	70.7 (23.2)	126.2 (41.3)	1.8
खगड़िया	0.2 (0.1)	3.1 (2.1)	9.9 (6.6)	2.2 (1.4)	60.8 (40.7)	88.6 (59.3)	126.2 (84.5)	1.4
भागलपुर	0.6 (0.2)	6.8 (2.7)	23.3 (9.2)	4.9 (1.9)	131.3 (51.6)	123 (48.4)	149.3 (58.7)	1.2
बांका	1 (0.3)	7.5 (2.4)	25.6 (8.4)	11.1 (3.6)	185.3 (60.6)	120.4 (39.4)	154.6 (50.6)	1.3
सहरसा	1.1 (0.7)	4.4 (2.7)	28.2 (17.1)	3.7 (2.3)	77.9 (47.3)	86.7 (52.7)	169.3 (102.9)	2
सुपौल	0.2 (0.1)	3.1 (1.3)	1.7 (0.7)	9.4 (3.9)	88.3 (37)	150.4 (63)	252.3 (105.7)	1.7
मधेपुरा	0 (0)	7.2 (4)	8.4 (4.7)	1 (0.5)	52.4 (29.2)	127.2 (70.8)	187.9 (104.6)	1.5
पूर्णिया	0 (0)	8.9 (2.8)	65.2 (20.8)	4.6 (1.5)	138.9 (44.3)	175 (55.7)	194.8 (62.1)	1.1
किशनगंज	0.4 (0.2)	5.2 (2.8)	30.1 (15.9)	3 (1.6)	87.4 (46.2)	101.7 (53.8)	143.9 (76.1)	1.4
अररिया	0.2 (0.1)	19.2 (7.1)	51.2 (18.8)	3.5 (1.3)	133.3 (49)	138.4 (51)	264.9 (97.5)	1.9
कटिहार	0.1 (0)	11.1 (3.8)	57.2 (19.6)	5.9 (2)	157.3 (54)	134 (46)	201.3 (69.1)	1.5
बिहार	**15.1 (0.2)**	**248.2 (2.7)**	**919.5 (9.8)**	**118.9 (1.3)**	**4117.6 (44)**	**5242 (56)**	**7525.2 (80.4)**	**1.4**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 3.2 : चावल का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2017-18 और 2018-19)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2017-18			2018-19		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	72.1 (2.2)	216.66 (2.7)	3005 (14)	73.47 (2.3)	178.89 (2.9)	2435 (7)
नालंदा	119.79 (3.6)	381.09 (4.7)	3181 (13)	107.63 (3.4)	225.22 (3.7)	2092 (13)
भोजपुर	97.11 (2.9)	393.67 (4.9)	4054 (1)	102.11 (3.2)	277.9 (4.5)	2722 (5)
बक्सर	87.48 (2.6)	306.03 (3.8)	3498 (6)	87.52 (2.8)	199.29 (3.2)	2277 (11)
रोहतास	190.72 (5.8)	739.67 (9.1)	3878 (2)	192.98 (6.1)	792.14 (12.9)	4105 (1)
कैमूर	117.43 (3.6)	400.63 (5)	3412 (9)	118.44 (3.7)	354.09 (5.8)	2990 (4)
गया	100.02 (3)	342.28 (4.2)	3422 (8)	94.12 (3)	142.55 (2.3)	1515 (21)
जहानाबाद	35.53 (1.1)	117.59 (1.5)	3310 (11)	34.1 (1.1)	80.34 (1.3)	2356 (8)
अरवल	42.52 (1.3)	159.9 (2)	3761 (3)	35.01 (1.1)	108.98 (1.8)	3113 (2)
नवादा	77.05 (2.3)	247.15 (3.1)	3208 (12)	65.2 (2.1)	104.33 (1.7)	1600 (20)
औरंगाबाद	178.07 (5.4)	638.83 (7.9)	3588 (4)	175.65 (5.6)	542.1 (8.8)	3086 (3)
सारण	62.39 (1.9)	116.16 (1.4)	1862 (24)	64.21 (2)	65.21 (1.1)	1016 (35)
सीवान	91 (2.8)	151.3 (1.9)	1663 (34)	91 (2.9)	64.52 (1)	709 (38)
गोपालगंज	83.24 (2.5)	145.62 (1.8)	1749 (30)	35.42 (1.1)	29.81 (0.5)	842 (37)
पश्चिम चंपारण	140.28 (4.2)	238.73 (2.9)	1702 (32)	138.26 (4.4)	254.35 (4.1)	1840 (15)
पूर्व चंपारण	188.95 (5.7)	270.04 (3.3)	1429 (37)	189.63 (6)	252.61 (4.1)	1332 (27)
मुजफ्फरपुर	122.74 (3.7)	162.92 (2)	1327 (38)	118.13 (3.7)	128.45 (2.1)	1087 (34)
सीतामढ़ी	97.9 (3)	180.6 (2.2)	1845 (26)	98.72 (3.1)	175.15 (2.8)	1774 (16)
शिवहर	22.02 (0.7)	36.87 (0.5)	1675 (33)	21.58 (0.7)	32.17 (0.5)	1491 (22)
वैशाली	42.03 (1.3)	89.26 (1.1)	2124 (21)	40.88 (1.3)	45.87 (0.7)	1122 (32)
दरभंगा	78.57 (2.4)	135.76 (1.7)	1728 (31)	79.96 (2.5)	101.22 (1.6)	1266 (28)
मधुबनी	203.4 (6.2)	303.34 (3.7)	1491 (36)	196.9 (6.2)	216.8 (3.5)	1101 (33)
समस्तीपुर	97.11 (2.9)	202.59 (2.5)	2086 (22)	93.47 (3)	165.66 (2.7)	1772 (17)
बेगूसराय	18.68 (0.6)	51.44 (0.6)	2753 (16)	16.02 (0.5)	27.48 (0.4)	1716 (19)
मुंगेर	27.18 (0.8)	76.67 (0.9)	2821 (15)	25.82 (0.8)	36.22 (0.6)	1403 (26)
शेखपुरा	30.7 (0.9)	71.27 (0.9)	2322 (18)	27.25 (0.9)	32.66 (0.5)	1199 (30)
लखीसराय	31.68 (1)	107.29 (1.3)	3387 (10)	41.27 (1.3)	97.21 (1.6)	2355 (9)
जमुई	65.8 (2)	165.66 (2)	2518 (17)	45.79 (1.4)	53.31 (0.9)	1164 (31)
खगड़िया	18.9 (0.6)	42.04 (0.5)	2224 (19)	18.87 (0.6)	27.25 (0.4)	1444 (25)
भागलपुर	33.69 (1)	115.95 (1.4)	3442 (7)	32.82 (1)	28.68 (0.5)	874 (36)
बांका	91.76 (2.8)	325.73 (4)	3550 (5)	106.37 (3.4)	155.61 (2.5)	1463 (24)
सहरसा	67.54 (2)	120.25 (1.5)	1780 (28)	77.87 (2.5)	98.09 (1.6)	1260 (29)
सुपाल	101.31 (3.1)	159.45 (2)	1574 (35)	103.35 (3.3)	201.73 (3.3)	1952 (14)
मधेपुरा	71.91 (2.2)	133.25 (1.6)	1853 (25)	79.71 (2.5)	201.24 (3.3)	2525 (6)
पूर्णिया	110.9 (3.4)	217.59 (2.7)	1960 (23)	103.5 (3.3)	239.53 (3.9)	2314 (10)
किशनगंज	78.53 (2.4)	140.19 (1.7)	1785 (27)	78.59 (2.5)	116.21 (1.9)	1479 (23)
अररिया	157.36 (4.8)	275.84 (3.4)	1753 (29)	57.98 (1.8)	101.52 (1.6)	1751 (18)
कटिहार	53.51 (1.6)	113.85 (1.4)	2128 (20)	90.12 (2.9)	201.14 (3.3)	2232 (12)
बिहार	**3306.9 (100)**	**8093.16 (100)**	**2447**	**3159.72 (100)**	**6155.53 (100)**	**1948**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.3 : गेहूं का जिलावार क्षत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2017-18 और 2018-19)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2017-18			2018-19		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	68.18 (3.2)	246.69 (4)	3618 (1)	72.02 (3.3)	252.15 (3.9)	3501 (8)
नालंदा	80.5 (3.8)	253.45 (4.2)	3149 (11)	75.2 (3.5)	266.55 (4.1)	3545 (7)
भोजपुर	71.5 (3.4)	213.08 (3.5)	2980 (16)	85.92 (4)	308 (4.8)	3585 (6)
बक्सर	78.75 (3.7)	272.22 (4.5)	3456 (5)	80.12 (3.7)	265.5 (4.1)	3314 (11)
रोहतास	140.75 (6.7)	472.04 (7.7)	3354 (7)	140.73 (6.5)	517.85 (8)	3680 (3)
कैमूर	68.51 (3.3)	161.44 (2.6)	2356 (33)	73.43 (3.4)	218.39 (3.4)	2974 (16)
गया	71.95 (3.4)	231.67 (3.8)	3220 (10)	66.84 (3.1)	185.89 (2.9)	2781 (21)
जहानाबाद	23.43 (1.1)	58.33 (1)	2490 (28)	23.2 (1.1)	76.92 (1.2)	3316 (10)
अरवल	13.56 (0.6)	31.54 (0.5)	2327 (34)	18.14 (0.8)	47.34 (0.7)	2609 (30)
नवादा	43.03 (2)	132.29 (2.2)	3075 (14)	46.2 (2.1)	127.86 (2)	2768 (23)
औरंगाबाद	70.32 (3.3)	177.44 (2.9)	2523 (27)	86.38 (4)	224.76 (3.5)	2602 (31)
सारण	77.6 (3.7)	243.27 (4)	3135 (12)	89.6 (4.2)	255.8 (4)	2855 (20)
सीवान	90.63 (4.3)	262.86 (4.3)	2901 (19)	90.63 (4.2)	276.42 (4.3)	3050 (15)
गोपालगंज	74.21 (3.5)	192.6 (3.2)	2595 (26)	74.4 (3.4)	194.44 (3)	2613 (29)
पश्चिम चंपारण	70.31 (3.3)	160.94 (2.6)	2289 (36)	70.13 (3.3)	192.92 (3)	2751 (25)
पूर्व चंपारण	118.82 (5.7)	289.77 (4.7)	2439 (31)	118.51 (5.5)	301.43 (4.7)	2544 (33)
मुजफ्फरपुर	91.87 (4.4)	258.18 (4.2)	2810 (21)	123.3 (5.7)	335.65 (5.2)	2722 (26)
सीतामढ़ी	87.79 (4.2)	258.99 (4.2)	2950 (18)	88.57 (4.1)	321.41 (5)	3629 (4)
शिवहर	14.45 (0.7)	44.55 (0.7)	3083 (13)	14.27 (0.7)	43.97 (0.7)	3082 (14)
वैशाली	40.75 (1.9)	132.67 (2.2)	3256 (9)	40.7 (1.9)	112.72 (1.7)	2769 (22)
दरभंगा	57.92 (2.8)	173.99 (2.9)	3004 (15)	58.3 (2.7)	146.39 (2.3)	2511 (34)
मधुबनी	90.46 (4.3)	196.94 (3.2)	2177 (37)	91.43 (4.2)	182.21 (2.8)	1993 (38)
समस्तीपुर	55.97 (2.7)	202.36 (3.3)	3616 (2)	55.8 (2.6)	200.72 (3.1)	3597 (5)
बेगूसराय	57.33 (2.7)	200.23 (3.3)	3492 (4)	68.28 (3.2)	257.79 (4)	3775 (2)
मुंगेर	13.89 (0.7)	38.83 (0.6)	2795 (22)	13.85 (0.6)	38.3 (0.6)	2765 (24)
शेखपुरा	21.93 (1)	60.66 (1)	2766 (23)	21.23 (1)	46.7 (0.7)	2200 (36)
लखीसराय	29.69 (1.4)	88.05 (1.4)	2966 (17)	29.55 (1.4)	87.37 (1.4)	2957 (17)
जमुई	42.92 (2)	105.71 (1.7)	2463 (29)	26.97 (1.3)	57.01 (0.9)	2113 (37)
खगड़िया	28.48 (1.4)	97.21 (1.6)	3414 (6)	28.19 (1.3)	95.93 (1.5)	3403 (9)
भागलपुर	47.5 (2.3)	156.47 (2.6)	3294 (8)	49.06 (2.3)	160.67 (2.5)	3275 (12)
बांका	33.13 (1.6)	90.88 (1.5)	2743 (24)	22.63 (1)	65.44 (1)	2892 (19)
सहरसा	49.38 (2.3)	140.53 (2.3)	2846 (20)	48.66 (2.3)	124.71 (1.9)	2563 (32)
सुपौल	52.62 (2.5)	126.33 (2.1)	2401 (32)	53.27 (2.5)	131.46 (2)	2468 (35)
मधेपुरा	32.03 (1.5)	115.71 (1.9)	3612 (3)	28.43 (1.3)	108.18 (1.7)	3805 (1)
पूर्णिया	19.78 (0.9)	48.7 (0.8)	2462 (30)	18.1 (0.8)	58.86 (0.9)	3252 (13)
किशनगंज	17.77 (0.8)	33.09 (0.5)	1862 (38)	17.79 (0.8)	47.25 (0.7)	2655 (27)
अररिया	25.36 (1.2)	58.14 (1)	2293 (35)	23.36 (1.1)	61.69 (1)	2641 (28)
कटिहार	28.25 (1.3)	76.45 (1.3)	2706 (25)	23.46 (1.1)	69.26 (1.1)	2952 (18)
बिहार	**2101.31 (100)**	**6104.3 (100)**	**2905**	**2156.65 (100)**	**6465.91 (100)**	**2998**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्ज को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.4 : मक्का का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2017-18 और 2018-19)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2017-18			2018-19		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	5.56 (0.8)	24.58 (0.8)	4418 (12)	8.23 (1.2)	28.82 (0.9)	3501 (19)
नालंदा	6.92 (1)	29.48 (0.9)	4263 (14)	6.33 (0.9)	17.54 (0.5)	2772 (23)
भोजपुर	2.11 (0.3)	5.24 (0.2)	2482 (33)	3.69 (0.6)	5.08 (0.2)	1378 (37)
बक्सर	1.35 (0.2)	3.59 (0.1)	2665 (31)	0.6 (0.1)	1.13 (0.04)	1885 (34)
रोहतास	0.07 (0)	0.22 (0)	3027 (26)	-	-	-
कैमूर	0.12 (0)	0.43 (0)	3612 (20)	0.07 (0)	0.16 (0)	2397 (30)
गया	2.88 (0.4)	8.81 (0.3)	3057 (25)	0.72 (0.1)	2.57 (0.1)	3552 (17)
जहानाबाद	0.4 (0.1)	1.66 (0.1)	4163 (15)	0.23 (0)	0.86 (0.03)	3675 (14)
अरवल	0.45 (0.1)	2.09 (0.1)	4634 (9)	0.17 (0)	0.44 (0.01)	2618 (26)
नवादा	1.21 (0.2)	4.38 (0.1)	3622 (19)	1.13 (0.2)	2.45 (0.1)	2170 (31)
औरंगाबाद	0.23 (0)	0.6 (0)	2658 (32)	0.09 (0)	0.13 (0.004)	1420 (36)
सारण	26.89 (4)	84.13 (2.7)	3129 (24)	22.87 (3.4)	58.56 (1.8)	2561 (27)
सीवान	18.96 (2.8)	53.14 (1.7)	2802 (29)	17.75 (2.7)	43.45 (1.4)	2448 (29)
गोपालगंज	14.9 (2.2)	41.2 (1.3)	2765 (30)	10.03 (1.5)	31.16 (1)	3107 (21)
पश्चिम चंपारण	4.9 (0.7)	15.91 (0.5)	3245 (23)	4.82 (0.7)	17.24 (0.5)	3575 (16)
पूर्व चंपारण	46.09 (6.8)	111.43 (3.6)	2418 (34)	46.23 (6.9)	89.83 (2.8)	1943 (33)
मुजफ्फरपुर	35.04 (5.2)	54.01 (1.7)	1542 (37)	33.34 (5)	117.71 (3.7)	3531 (18)
सीतामढ़ी	5.34 (0.8)	21.07 (0.7)	3945 (16)	3.74 (0.6)	17.32 (0.5)	4627 (10)
शिवहर	1.63 (0.2)	5.71 (0.2)	3503 (21)	1.78 (0.3)	7.51 (0.2)	4232 (12)
वैशाली	32.18 (4.8)	105.22 (3.4)	3269 (22)	32.15 (4.8)	84.99 (2.7)	2644 (25)
दरभंगा	9.38 (1.4)	34.47 (1.1)	3675 (18)	8.57 (1.3)	43.54 (1.4)	5083 (9)
मधुबनी	0.17 (0)	0.84 (0)	5078 (7)	0.28 (0)	0.78 (0.02)	2756 (24)
समस्तीपुर	66.89 (9.9)	444.68 (14.2)	6648 (3)	68.76 (10.3)	266.68 (8.3)	3878 (13)
बेगूसराय	46.45 (6.9)	99.95 (3.2)	2152 (35)	54.32 (8.1)	199.11 (6.2)	3666 (15)
मुंगेर	2.2 (0.3)	6.61 (0.2)	3002 (27)	2.34 (0.3)	4.87 (0.2)	2078 (32)
शेखपुरा	0.61 (0.1)	0.91 (0)	1497 (38)	0.65 (0.1)	1.06 (0)	1618 (35)
लखीसराय	2.47 (0.4)	5.03 (0.2)	2032 (36)	7.53 (1.1)	20.91 (0.7)	2776 (22)
जमुई	3.42 (0.5)	9.75 (0.3)	2852 (28)	4.01 (0.6)	10.08 (0.3)	2514 (28)
खगड़िया	59.51 (8.8)	295.74 (9.5)	4953 (8)	59.48 (8.9)	255.42 (8)	4294 (11)
भागलपुर	38.91 (5.7)	179.46 (5.8)	4613 (10)	30.17 (4.5)	170.14 (5.3)	5638 (8)
बांका	10.13 (1.5)	39.09 (1.3)	3859 (17)	8.29 (1.2)	27.46 (0.9)	3310 (20)
सहरसा	26.14 (3.9)	134.49 (4.3)	5145 (6)	26.17 (3.9)	148.34 (4.6)	5668 (7)
सुपौल	17.91 (2.6)	100.1 (3.2)	5641 (5)	11.88 (1.8)	82.3 (2.6)	6928 (3)
मधेपुरा	37.61 (5.6)	166.7 (5.3)	4432 (11)	39.34 (5.9)	269.66 (8.4)	6855 (5)
पूर्णिया	30.53 (4.5)	205.7 (6.6)	6738 (2)	37.47 (5.6)	344.26 (10.8)	9188 (1)
किशनगंज	3.56 (0.5)	23.3 (0.7)	6541 (4)	3.23 (0.5)	18.75 (0.6)	5809 (6)
अररिया	48.9 (7.2)	212.19 (6.8)	4339 (13)	44.32 (6.6)	327.78 (10.3)	7396 (2)
कटिहार	65.42 (9.7)	588.87 (18.9)	9002 (1)	68.7 (10.3)	475.83 (14.9)	6927 (4)
बिहार	**677.44 (100)**	**3120.77 (100)**	**4607 (48)**	**669.48 (100)**	**3193.91 (100)**	**4771**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.5 : दलहनों का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2017-18 और 2018-19)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता किग्रा/ हे. में)

जिला	2017-18			2018-19		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	46.9 (9.9)	69.92 (15.4)	1491 (3)	49.82 (10.4)	67.89 (15)	1362 (2)
नालंदा	25.43 (5.3)	28.76 (6.3)	1131 (11)	25.96 (5.4)	28 (6.2)	1079 (12)
भोजपुर	12.8 (2.7)	13.76 (3)	1076 (12)	12.81 (2.7)	14.93 (3.3)	1165 (7)
बक्सर	7.71 (1.6)	10.88 (2.4)	1410 (4)	5.65 (1.2)	7.76 (1.7)	1374 (1)
रोहतास	10.92 (2.3)	11.41 (2.5)	1046 (13)	10.87 (2.3)	12.46 (2.7)	1146 (8)
कैमूर	11.46 (2.4)	10.81 (2.4)	944 (19)	11.97 (2.5)	10.58 (2.3)	884 (24)
गया	18.78 (3.9)	16.68 (3.7)	888 (22)	16.69 (3.5)	17.58 (3.9)	1054 (14)
जहानाबाद	14.54 (3.1)	18.44 (4.1)	1268 (6)	14.32 (3)	17.55 (3.9)	1226 (5)
अरवल	5.65 (1.2)	4.66 (1)	825 (25)	5.82 (1.2)	6.06 (1.3)	1042 (15)
नवादा	9.58 (2)	12.27 (2.7)	1281 (5)	9.81 (2)	9.76 (2.2)	995 (16)
औरंगाबाद	31.06 (6.5)	29.8 (6.6)	959 (17)	42.2 (8.8)	31.39 (6.9)	744 (34)
सारण	2.39 (0.5)	4.68 (1)	1960 (1)	2.51 (0.5)	2.27 (0.5)	902 (21)
सीवान	3.76 (0.8)	4.48 (1)	1190 (9)	3.76 (0.8)	3.56 (0.8)	948 (19)
गोपालगंज	1.58 (0.3)	1.14 (0.3)	718 (31)	1.56 (0.3)	1.7 (0.4)	1087 (11)
पश्चिम चंपारण	9.79 (2.1)	7.72 (1.7)	789 (27)	9.48 (2)	8.83 (1.9)	889 (23)
पूर्व चंपारण	9.94 (2.1)	11.76 (2.6)	1183 (10)	9.91 (2.1)	13.22 (2.9)	1333 (3)
मुजफ्फरपुर	27.71 (5.8)	15.74 (3.5)	568 (35)	26.04 (5.4)	20.2 (4.5)	776 (31)
सीतामढ़ी	6.12 (1.3)	4.57 (1)	748 (30)	6.13 (1.3)	4.35 (1)	710 (35)
शिवहर	2.11 (0.4)	1.22 (0.3)	577 (34)	2.12 (0.4)	1.77 (0.4)	834 (28)
वैशाली	8.64 (1.8)	13.19 (2.9)	1526 (2)	8.6 (1.8)	8.39 (1.9)	976 (17)
दरभंगा	12.12 (2.5)	9.16 (2)	756 (29)	10.78 (2.2)	8.41 (1.9)	780 (30)
मधुबनी	23.51 (4.9)	21.72 (4.8)	924 (21)	23.95 (5)	25.33 (5.6)	1058 (13)
समस्तीपुर	15.77 (3.3)	8.77 (1.9)	556 (36)	17.09 (3.6)	8.47 (1.9)	496 (37)
बेगूसराय	4.96 (1)	4.98 (1.1)	1003 (14)	4.75 (1)	5.3 (1.2)	1115 (10)
मुंगेर	2.3 (0.5)	2.25 (0.5)	980 (16)	2.36 (0.5)	2.2 (0.5)	934 (20)
शेखपुरा	5.02 (1.1)	6.2 (1.4)	1235 (7)	4.49 (0.9)	5.25 (1.2)	1170 (6)
लखीसराय	10.42 (2.2)	12.6 (2.8)	1209 (8)	10 (2.1)	12.3 (2.7)	1229 (4)
जमुई	8.61 (1.8)	8.24 (1.8)	957 (18)	9.67 (2)	10.89 (2.4)	1126 (9)
खगड़िया	6.82 (1.4)	6.31 (1.4)	925 (20)	6.83 (1.4)	6.52 (1.4)	954 (18)
भागलपुर	12.06 (2.5)	9.37 (2.1)	777 (28)	11.92 (2.5)	9.05 (2)	759 (32)
बांका	9.2 (1.9)	7.43 (1.6)	807 (26)	8.49 (1.8)	7.28 (1.6)	858 (26)
सहरसा	20.1 (4.2)	12.73 (2.8)	633 (33)	19.21 (4)	14.37 (3.2)	748 (33)
सुपौल	32.14 (6.8)	16.09 (3.5)	501 (37)	32.81 (6.8)	18.61 (4.1)	567 (36)
मधेपुरा	19.55 (4.1)	16.76 (3.7)	857 (24)	17.36 (3.6)	14.92 (3.3)	859 (25)
पूर्णिया	5.45 (1.1)	2.59 (0.6)	475 (38)	1.3 (0.3)	1.16 (0.3)	895 (22)
किशनगंज	9.49 (2)	6.22 (1.4)	656 (32)	8.88 (1.9)	4.37 (1)	492 (38)
अररिया	5.15 (1.1)	4.49 (1)	871 (23)	4.84 (1)	3.8 (0.8)	785 (29)
कटिहार	6.46 (1.4)	6.37 (1.4)	986 (15)	8.61 (1.8)	7.35 (1.6)	854 (27)
बिहार	**476 (100)**	**454.17 (100)**	**954**	**479.37 (100)**	**453.43 (100)**	**946**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.6 : ईख का जिलावार क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता (2017-18 और 2018-19)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में/ उत्पादकता टन/ हे. में)

जिला	2017-18			2018-19		
	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता	क्षेत्रफल	उत्पादन	उत्पादकता
पटना	0.38 (0.14)	3.52 (0.2)	92.14 (1)	0.35 (0.12)	2.97 (0.16)	84.77 (1)
नालंदा	0.06 (0.02)	0.39 (0.02)	63.84 (15)	0.06 (0.02)	0.34 (0.02)	60 (14)
भोजपुर	0.33 (0.12)	1.66 (0.09)	50 (36)	0.35 (0.12)	1.77 (0.1)	50 (33)
बक्सर	0.21 (0.08)	1.26 (0.07)	60.01 (18)	0.18 (0.06)	1 (0.05)	57.05 (23)
रोहतास	0.1 (0.04)	0.52 (0.03)	52.22 (35)	0.09 (0.03)	0.47 (0.03)	52.5 (29)
कैमूर	0.18 (0.07)	0.89 (0.05)	48.83 (37)	0.18 (0.06)	0.85 (0.05)	46.85 (36)
गया	0.15 (0.06)	1.11 (0.06)	73.99 (3)	0.14 (0.05)	0.94 (0.05)	67.72 (4)
जहानाबाद	0.1 (0.04)	0.61 (0.03)	59.75 (20)	0.09 (0.03)	0.49 (0.03)	53.78 (27)
अरवल	0.01 (0)	0.06 (0)	65.79 (11)	0.01 (0)	0.05 (0)	59.6 (15)
नवादा	0.21 (0.08)	1.21 (0.07)	56.81 (27)	0.19 (0.06)	1 (0.05)	51.75 (31)
औरंगाबाद	0.1 (0.04)	0.72 (0.04)	73.98 (4)	0.09 (0.03)	0.59 (0.03)	66.59 (5)
सारण	1.17 (0.43)	8.54 (0.49)	73.17 (6)	1.32 (0.44)	7.63 (0.42)	57.64 (22)
सीवान	1.35 (0.5)	9.86 (0.56)	73.21 (5)	1.28 (0.42)	7.58 (0.41)	59.43 (16)
गोपालगंज	25.11 (9.34)	162.99 (9.26)	64.92 (12)	25.95 (8.53)	162.76 (8.9)	62.72 (9)
पश्चिम चंपारण	145.33 (54.04)	992.1 (56.34)	68.27 (8)	172.3 (56.65)	1067.14 (58.32)	61.93 (11)
पूर्व चंपारण	34.7 (12.9)	220.85 (12.54)	63.65 (16)	38.54 (12.67)	189.89 (10.38)	49.27 (34)
मुजफ्फरपुर	8.17 (3.04)	54.35 (3.09)	66.54 (9)	9.18 (3.02)	60.49 (3.31)	65.91 (6)
सीतामढ़ी	15.45 (5.75)	92.44 (5.25)	59.82 (19)	18.07 (5.94)	109.28 (5.97)	60.49 (12)
शिवहर	3.59 (1.33)	20.83 (1.18)	58.08 (25)	3.93 (1.29)	23.02 (1.26)	58.51 (19)
वैशाली	1.24 (0.46)	8.19 (0.46)	65.93 (10)	1.29 (0.42)	8.45 (0.46)	65.51 (7)
दरभंगा	1.56 (0.58)	10.11 (0.57)	64.83 (13)	1.36 (0.45)	7.88 (0.43)	57.91 (21)
मधुबनी	4.28 (1.59)	27.75 (1.58)	64.83 (14)	3.82 (1.26)	22.62 (1.24)	59.26 (17)
समस्तीपुर	6.05 (2.25)	33.51 (1.9)	55.38 (30)	7.77 (2.55)	46.85 (2.56)	60.31 (13)
बेगूसराय	5.88 (2.19)	33.68 (1.91)	57.3 (26)	7.36 (2.42)	47.84 (2.61)	65.02 (8)
मुंगेर	0.18 (0.07)	1.08 (0.06)	60.86 (17)	0.16 (0.05)	0.91 (0.05)	55.99 (25)
शेखपुरा	0.32 (0.12)	1.86 (0.11)	58.86 (22)	0.28 (0.09)	1.45 (0.08)	51.92 (30)
लखीसराय	0.02 (0.01)	0.11 (0.01)	56.14 (29)	0.02 (0.01)	0.09 (0.01)	51.02 (32)
जमुई	0.29 (0.11)	1.74 (0.1)	59.27 (21)	0.26 (0.09)	1.41 (0.08)	53.32 (28)
खगड़िया	0.38 (0.14)	2.19 (0.12)	58.16 (24)	0.42 (0.14)	2.6 (0.14)	62.49 (10)
भागलपुर	2.4 (0.89)	12.95 (0.74)	53.92 (33)	0.65 (0.21)	3 (0.16)	46.14 (37)
बांका	2.2 (0.82)	12.36 (0.7)	56.3 (28)	1.05 (0.34)	5.05 (0.28)	48.32 (35)
सहरसा	1.29 (0.48)	7.12 (0.4)	55.22 (31)	1.29 (0.42)	7.5 (0.41)	58.1 (20)
सुपौल	-	-	-	-	-	-
मधेपुरा	4.68 (1.74)	25.04 (1.42)	53.57 (34)	4.68 (1.54)	26.65 (1.46)	57.01 (24)
पूर्णिया	0.9 (0.33)	5.26 (0.3)	58.46 (23)	0.9 (0.3)	5.29 (0.29)	58.83 (18)
किशनगंज	0.22 (0.08)	2.05 (0.12)	91.51 (2)	0.22 (0.07)	1.79 (0.1)	79.86 (2)
अररिया	0.28 (0.1)	1.52 (0.09)	54.07 (32)	0.28 (0.09)	1.52 (0.08)	54.07 (26)
कटिहार	0.08 (0.03)	0.55 (0.03)	68.74 (7)	0.08 (0.03)	0.55 (0.03)	68.74 (3)
बिहार	**268.94 (100)**	**1761.01 (100)**	**69.06**	**304.18 (100)**	**1829.72 (100)**	**60.15**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत और उत्पादकता के लिए दर्जे को दर्शाते हैं।

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.7 : महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2017-18 और 2018-19)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

जिला	कला				अमरुद			
	2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	0.72 (2.3)	31.17 (2.2)	1.24 (3.6)	53.23 (3.3)	1.23 (4.5)	10.06 (2.4)	2.09 (7.2)	17.12 (3.9)
नालंदा	0.54 (1.7)	22.5 (1.6)	0.03 (0.1)	1.04 (0.1)	1.5 (5.4)	170.6 (39.9)	1.52 (5.2)	71.35 (39.5)
भोजपुर	0.5 (1.6)	19 (1.4)	0.26 (0.8)	9.8 (0.6)	1.93 (7)	16.5 (3.9)	1.58 (5.4)	13.53 (3.1)
बक्सर	0.16 (0.5)	8.3 (0.6)	0.17 (0.5)	8.72 (0.5)	1.2 (4.3)	9.37 (2.2)	1.26 (4.3)	9.78 (2.3)
रोहतास	0.34 (1.1)	16 (1.1)	0.42 (1.2)	20 (1.3)	3.48 (12.6)	28.45 (6.7)	4.35 (14.9)	35.57 (8.2)
कैमूर	0.21 (0.7)	9.24 (0.7)	0.21 (0.6)	8.31 (0.5)	1.4 (5.1)	10.6 (2.5)	1.39 (4.8)	10.09 (2.3)
गया	0.3 (1)	12.9 (0.9)	0.31 (0.9)	13 (0.8)	0.7 (2.5)	5.5 (1.3)	0.74 (2.5)	5.7 (1.3)
जहानाबाद	0.21 (0.7)	8.3 (0.6)	0.23 (0.7)	9.11 (0.6)	0.3 (1.1)	2.1 (0.5)	0.31 (1.1)	2.19 (0.5)
अरवल	0.15 (0.5)	9.15 (0.7)	0.14 (0.4)	9.01 (0.6)	0.2 (0.7)	1.8 (0.4)	0.19 (0.7)	1.77 (0.4)
नवादा	0.31 (1)	9.27 (0.7)	0.3 (0.9)	9 (0.6)	0.38 (1.4)	3 (0.7)	0.3 (1)	2.4 (0.6)
औरंगाबाद	0.31 (1)	1.21 (0.1)	0.24 (0.7)	0.96 (0.1)	0.54 (2)	3.7 (0.9)	0.5 (1.7)	3.51 (0.8)
सारण			0.92 (2.7)	37.48 (2.4)				
सीवान	0.8 (2.6)	45.1 (3.2)	0.82 (2.4)	46.23 (2.9)	0.7 (2.5)	5.46 (1.3)	0.7 (2.4)	5.5 (1.3)
गोपालगंज	0.65 (2.1)	43 (3.1)	0.54 (1.6)	34 (2.1)	0.6 (2.2)	4.85 (1.1)	0.47 (1.6)	3.8 (0.9)
पश्चिम चंपारण	1.15 (3.7)	53.32 (3.8)	1.2 (3.5)	55.64 (3.5)	1.65 (6)	14.23 (3.3)	1.7 (5.8)	14.66 (3.4)
पूर्व चंपारण	1.05 (3.4)	45.91 (3.3)	1.38 (4)	61.37 (3.9)	1.28 (4.6)	10.53 (2.5)	1.3 (4.5)	11.1 (2.6)
मुजफ्फरपुर	1.9 (6.1)	140.91 (10.1)	1.86 (5.4)	138.75 (8.7)	0.92 (3.3)	54.23 (12.7)	0.85 (2.9)	46.85 (10.8)
सीतामढ़ी	0.71 (2.3)	30.83 (2.2)	0.8 (2.3)	32 (2)	0.7 (2.5)	6.19 (1.4)	0.7 (2.4)	6.19 (1.4)
शिवहर	0.3 (1)	13 (0.9)	0.3 (0.9)	13.2 (0.8)	0.3 (1.1)	2.62 (0.6)	0.3 (1)	2.7 (0.6)
वैशाली	3.4 (10.9)	142.08 (10.2)	3.63 (10.6)	152.63 (9.6)	1.5 (5.4)	11.2 (2.6)	1.69 (5.8)	12.52 (2.9)
दरभंगा	1.31 (4.2)	72.19 (5.2)	1.03 (3)	56.8 (3.6)	0.54 (2)	4.41 (1)	0.56 (1.9)	4.44 (1)
मधुबनी	1 (3.2)	49 (3.5)	1 (2.9)	48.35 (3)	0.5 (1.8)	4.1 (1)	0.49 (1.7)	4.08 (0.9)
समस्तीपुर	2.31 (7.4)	102.95 (7.4)	2.32 (6.7)	102.1 (6.4)	0.7 (2.5)	5.31 (1.2)	0.71 (2.4)	5.34 (1.2)
बेगूसराय	1.11 (3.6)	50.39 (3.6)	1.12 (3.3)	51 (3.2)	0.4 (1.5)	3.71 (0.9)	0.4 (1.4)	3.72 (0.9)
मुंगेर	0.32 (1)	13.54 (1)	0.32 (0.9)	13.7 (0.9)	0.3 (1.1)	2.53 (0.6)	0.35 (1.2)	2.78 (0.6)
शेखपुरा	0.08 (0.3)	4.9 (0.4)	0.07 (0.2)	4.59 (0.3)	0.08 (0.3)	0.9 (0.2)	0.08 (0.3)	0.86 (0.2)
लखीसराय	0.16 (0.5)	6.94 (0.5)	0.17 (0.5)	7.05 (0.4)	0.15 (0.5)	1.17 (0.3)	0.15 (0.5)	1.25 (0.3)
जमुई	0.2 (0.7)	9.35 (0.7)	0.2 (0.6)	9.45 (0.6)	0.2 (0.7)	1.67 (0.4)	0.2 (0.7)	1.64 (0.4)
खगड़िया	1.11 (3.6)	46.12 (3.3)	1.1 (3.2)	45.79 (2.9)	0.4 (1.4)	3 (0.7)	0.39 (1.3)	2.93 (0.7)
भागलपुर	1.35 (4.3)	54.43 (3.9)	1.35 (3.9)	55.19 (3.5)	0.71 (2.6)	5.58 (1.3)	0.71 (2.4)	5.58 (1.3)
बांका	0.41 (1.3)	15.07 (1.1)	0.4 (1.2)	15.05 (0.9)	0.3 (1.1)	2.5 (0.6)	0.3 (1)	2.5 (0.6)
सहरसा	1.21 (3.9)	51.97 (3.7)	1.21 (3.5)	51.85 (3.3)	0.72 (2.6)	5.39 (1.3)	0.72 (2.5)	5.41 (1.2)
सुपौल	0.74 (2.4)	25.24 (1.8)	0.86 (2.5)	29.19 (1.8)	0.42 (1.5)	3.47 (0.8)	0.49 (1.7)	4.01 (0.9)
मधेपुरा	1.78 (5.7)	86.72 (6.2)	1.43 (4.1)	69.44 (4.4)	0.53 (1.9)	3.75 (0.9)	0.69 (2.4)	4.93 (1.1)
पूर्णिया	1.2 (3.9)	44.77 (3.2)	1.21 (3.5)	44.77 (2.8)	0.4 (1.4)	3.2 (0.7)	0.4 (1.4)	3.2 (0.7)
किशनगंज	0.71 (2.3)	31.86 (2.3)	0.66 (1.9)	27.21 (1.7)	0.2 (0.7)	1.9 (0.4)	0.18 (0.6)	1.78 (0.4)
अररिया	0.5 (1.6)	18.7 (1.3)	0.53 (1.5)	19.64 (1.2)	0.2 (0.7)	1.2 (0.3)	0.21 (0.7)	1.26 (0.3)
कटिहार	1.88 (6.1)	51.08 (3.7)	4.42 (12.9)	226.94(14.3)	0.38 (1.4)	2.85 (0.7)	0.19 (0.6)	1.45 (0.3)
बिहार	**31.07 (100)**	**396.39 (100)**	**34.34 (100)**	**1591.58 (100)**	**27.61 (100)**	**427.61 (100)**	**29.15 (100)**	**433.44 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 3.7 : महत्वपूर्ण फलों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2017-18 और 2018-19) (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

जिला	लीची				आम			
	2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	–	–	–	–	4.5 (2.9)	52.92 (3.5)	7.73 (4.88)	73.76 (4.68)
नालंदा	–	–	–	–	2.91 (1.9)	30.4 (2)	2.95 (1.86)	30.79 (1.95)
भोजपुर	–	–	–	–	4.7 (3.1)	47.3 (3.1)	3.57 (2.25)	35.95 (2.28)
बक्सर	–	–	–	–	2.63 (1.7)	26.57 (1.7)	2.75 (1.73)	27.3 (1.73)
रोहतास	–	–	–	–	6.0 (3.9)	61.87 (4)	5.83 (3.68)	59.97 (3.8)
कैमूर	–	–	–	–	3.42 (2.2)	34.4 (2.2)	3.42 (2.16)	34.5 (2.19)
गया	–	–	–	–	1.41 (0.9)	14.55 (0.9)	1.43 (0.9)	14.73 (0.93)
जहानाबाद	–	–	–	–	0.41 (0.3)	4.23 (0.3)	0.41 (0.26)	4.19 (0.27)
अरवल	–	–	–	–	0.5 (0.3)	4.5 (0.3)	0.49 (0.31)	4.42 (0.28)
नवादा	–	–	–	–	1.13 (0.7)	10.25 (0.7)	0.9 (0.57)	8.65 (0.55)
औरंगाबाद	–	–	–	–	0.99 (0.6)	10.8 (0.7)	0.78 (0.49)	8.53 (0.54)
सारण	–	–	1.11 (3.11)	9.03 (2.93)	5.18 (3.4)	51.26 (3.3)	5.18 (3.27)	51.26 (3.25)
सीवान	1.21 (3.6)	8.63 (3.1)	1.21 (3.38)	8.67 (2.82)	2.56 (1.7)	28.65 (1.9)	2.57 (1.62)	28.7 (1.82)
गोपालगंज	1 (3)	8.5 (3)	0.99 (2.76)	8.42 (2.74)	3.11 (2)	34 (2.2)	3.43 (2.16)	35.22 (2.23)
पश्चिम चंपारण	2.15 (6.5)	11.77 (4.2)	2.2 (6.14)	12.05 (3.92)	7.35 (4.8)	72.85 (4.7)	7.4 (4.67)	73.34 (4.65)
पूर्व चंपारण	2.51 (7.5)	15.41 (5.5)	3.59(10.02)	22.51 (7.32)	11.23 (7.3)	111.1 (7.2)	12.04(7.59)	128.81 (8.17)
मुजफ्फरपुर	10.1 (30.5)	132.69 (47)	11.2 (31.25)	147.7 (48.04)	10.57 (6.9)	113.52 (7.4)	10.57 (6.67)	113.5 (7.2)
सीतामढ़ी	2.31 (6.9)	17.49 (6.2)	2.31 (6.46)	17.49 (5.69)	5.3 (3.5)	51.58 (3.4)	5.41 (3.41)	52.59 (3.33)
शिवहर	1.03 (3.1)	7 (2.5)	1.03 (2.87)	7 (2.28)	2.71 (1.8)	27.2 (1.8)	2.71 (1.71)	27.2 (1.72)
वैशाली	3.7 (11.1)	21.67 (7.7)	3.82 (10.67)	22.13 (7.19)	8.46 (5.5)	85.9 (5.6)	8.46 (5.34)	85.96 (5.45)
दरभंगा	0.72 (2.2)	3.69 (1.3)	0.89 (2.49)	4.41 (1.43)	13.56 (8.8)	140.51 (9.2)	14.27 (9)	148.61 (9.42)
मधुबनी	0.8 (2.4)	5.42 (1.9)	0.75 (2.09)	4.21 (1.37)	6.2 (4)	61.78 (4)	6.2 (3.91)	61.9 (3.92)
समस्तीपुर	1.51 (4.5)	10.38 (3.7)	1.52 (4.23)	10.48 (3.41)	10.65 (6.9)	99.31 (6.5)	10.65 (6.72)	99.41 (6.3)
बेगूसराय	0.52 (1.6)	2.84 (1)	0.5 (1.4)	2.89 (0.94)	4.3 (2.8)	42.48 (2.8)	4.2 (2.65)	41.49 (2.63)
मुंगेर	0.3 (0.9)	1.77 (0.6)	0.3 (0.84)	1.84 (0.6)	1.3 (0.8)	16.41 (1.1)	1.4 (0.88)	18.51 (1.17)
शेखपुरा	–	–	–	–	0.71 (0.5)	7.54 (0.5)	0.67 (0.42)	7.02 (0.45)
लखीसराय	0.06 (0.2)	0.35 (0.1)	0.06 (0.16)	0.36 (0.12)	0.59 (0.4)	5.09 (0.3)	0.55 (0.35)	5.82 (0.37)
जमुई	0.1 (0.3)	1.18 (0.4)	0.1 (0.28)	1.22 (0.4)	1.16 (0.8)	10.53 (0.7)	1.17 (0.74)	11.77 (0.75)
खगड़िया	0.3 (0.9)	2.12 (0.8)	0.3 (0.84)	2.22 (0.72)	1.71 (1.1)	16.58 (1.1)	1.6 (1.01)	15.02 (0.95)
भागलपुर	0.6 (1.8)	4.1 (1.5)	0.6 (1.68)	4.1 (1.33)	7.9 (5.1)	73.09 (4.8)	8.1 (5.11)	74.1 (4.7)
बांका	0.1 (0.3)	0.3 (0.1)	0.1 (0.28)	0.3 (0.1)	6.5 (4.2)	52.1 (3.4)	6.5 (4.1)	52.1 (3.3)
सहरसा	0.62 (1.9)	4.78 (1.7)	0.61 (1.71)	4.8 (1.56)	2.24 (1.5)	23.4 (1.5)	2.34 (1.48)	23.5 (1.49)
सुपौल	0.11 (0.3)	0.74 (0.3)	0.12 (0.35)	0.86 (0.28)	1.37 (0.9)	13.73 (0.9)	1.59 (1.01)	15.89 (1.01)
मधेपुरा	0.26 (0.8)	1.83 (0.6)	0.21 (0.59)	1.47 (0.48)	2.52 (1.6)	22.97 (1.5)	2 (1.26)	18.1 (1.15)
पूर्णिया	1.29 (3.9)	8.43 (3)	1.29 (3.6)	8.43 (2.74)	2.58 (1.7)	25.47 (1.7)	2.58 (1.62)	25.47 (1.61)
किशनगंज	0.4 (1.2)	2.1 (0.7)	0.38 (1.06)	2.01 (0.65)	0.81 (0.5)	7.6 (0.5)	0.8 (0.5)	7.52 (0.48)
अररिया	0.4 (1.2)	1.4 (0.5)	0.42 (1.17)	1.47 (0.48)	0.71 (0.5)	5.72 (0.4)	0.74 (0.47)	6.01 (0.38)
कटिहार	1.13 (3.4)	7.67 (2.7)	0.21 (0.59)	1.49 (0.48)	3.64 (2.4)	35.5 (2.3)	5.15 (3.25)	45.83 (2.91)
बिहार	**33.3 (100)**	**282.27 (100)**	**35.81 (100)**	**307.58 (100)**	**153.46 (100)**	**1533.6 (100)**	**158.5 (100)**	**1577.43 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 3.8 : महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2017-18 और 2018-19)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

जिला	आलू				प्याज			
	2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	17.8 (5.8)	512.39 (6.6)	29.88 (9.3)	860.19 (10.5)	2.98 (5.5)	72.21 (5.7)	3 (5.3)	72.9 (5.6)
नालंदा	24 (7.9)	691.98 (8.9)	24.33 (7.6)	701.35 (8.6)	5.97 (11.1)	159.2 (12.6)	6.03 (10.7)	165.2 (12.6)
भोजपुर	8.8 (2.9)	242 (3.1)	5.63 (1.7)	154.88 (1.9)	1.2 (2.2)	26 (2.1)	1.5 (2.7)	32.5 (2.5)
बक्सर	3 (1)	81 (1)	3.1 (1)	84.9 (1)	0.8 (1.5)	20.01 (1.6)	0.84 (1.5)	21.8 (1.7)
रोहतास	11.45 (3.8)	296 (3.8)	12.31 (3.8)	340 (4.2)	1.27 (2.4)	28.88 (2.3)	1.49 (2.6)	33.1 (2.5)
कैमूर	3.23 (1.1)	84.23 (1.1)	3.23 (1)	48.91 (0.6)	1.01 (1.9)	20.95 (1.7)	1.01 (1.8)	13.54 (1)
गया	10.9 (3.6)	10.9 (0.1)	11.21 (3.5)	11.21 (0.1)	1.41 (2.6)	28 (2.2)	1.45 (2.6)	28.1 (2.1)
जहानाबाद	2.81 (0.9)	73.85 (1)	3.5 (1.1)	92.05 (1.1)	0.52 (1)	13.52 (1.1)	0.55 (1)	14.41 (1.1)
अरवल	2.5 (0.8)	67.16 (0.9)	2.5 (0.8)	67.16 (0.8)	0.4 (0.7)	9.9 (0.8)	0.38 (0.7)	9.62 (0.7)
नवादा	4.85 (1.6)	115 (1.5)	5 (1.6)	118.55 (1.5)	1.04 (1.9)	22.45 (1.8)	1.1 (1.9)	23.75 (1.8)
औरंगाबाद	5.17 (1.7)	133.33 (1.7)	4.08 (1.3)	105.33 (1.3)	0.88 (1.6)	19.91 (1.6)	0.67 (1.2)	15.33 (1.2)
सारण	13.6 (4.5)	353.24 (4.6)	13.62 (4.2)	280.85 (3.4)	1.01 (1.9)	18.25 (1.4)	1.02 (1.8)	18.24 (1.4)
सीवान	9.8 (3.2)	291.44 (3.8)	9.86 (3.1)	293.1 (3.6)	0.95 (1.8)	22.17 (1.7)	0.95 (1.7)	22.17 (1.7)
गोपालगंज	12.8 (4.2)	307.2 (4)	12.01 (3.7)	288.71 (3.5)	0.75 (1.4)	18.6 (1.5)	0.92 (1.6)	18.95 (1.4)
पश्चिम चंपारण	12 (3.9)	323.62 (4.2)	12.5 (3.9)	337.11 (4.1)	3 (5.6)	77.4 (6.1)	3.1 (5.5)	79 (6)
पूर्व चंपारण	10.7 (3.5)	299.6 (3.9)	13.23 (4.1)	377.71 (4.6)	2.32 (4.3)	57.3 (4.5)	2.51 (4.4)	53.21 (4.1)
मुजफ्फरपुर	15.41 (5.1)	231.12 (3)	15.35 (4.8)	241 (3)	2.69 (5)	62.32 (4.9)	2.9 (5.1)	63.57 (4.8)
सीतामढ़ी	5.12 (1.7)	137.09 (1.8)	5.12 (1.6)	137.09 (1.7)	1.3 (2.4)	32.58 (2.6)	1.37 (2.4)	34.09 (2.6)
शिवहर	3.21 (1.1)	83.87 (1.1)	3.22 (1)	83.94 (1)	0.7 (1.3)	17.35 (1.4)	0.7 (1.2)	17.4 (1.3)
वैशाली	12 (3.9)	351.04 (4.5)	13.41 (4.2)	391.34 (4.8)	2.25 (4.2)	55.05 (4.3)	2.84 (5)	69.35 (5.3)
दरभंगा	10.02 (3.3)	285.82 (3.7)	13.03 (4)	371.56 (4.6)	1 (1.9)	25 (2)	1.2 (2.1)	30 (2.3)
मधुबनी	10.8 (3.5)	289 (3.7)	10.6 (3.3)	286 (3.5)	1 (1.9)	22 (1.7)	0.97 (1.7)	21.8 (1.7)
समस्तीपुर	12 (3.9)	326.09 (4.2)	12.01 (3.7)	326.15 (4)	1.4 (2.6)	30.46 (2.4)	1.39 (2.5)	30.4 (2.3)
बेगूसराय	8.5 (2.8)	238 (3.1)	9 (2.8)	252.1 (3.1)	1.8 (3.3)	38.16 (3)	1.85 (3.3)	41.06 (3.1)
मुंगेर	7.2 (2.4)	160.05 (2.1)	7.2 (2.2)	170.12 (2.1)	1.1 (2)	26.9 (2.1)	1.12 (2)	25.31 (1.9)
शेखपुरा	3.25 (1.1)	92.63 (1.2)	3.02 (0.9)	86.13 (1.1)	1.31 (2.4)	29.07 (2.3)	1.4 (2.5)	30.73 (2.3)
लखीसराय	3.11 (1)	58.6 (0.8)	3.1 (1)	57.99 (0.7)	0.35 (0.7)	8.84 (0.7)	0.36 (0.6)	8.96 (0.7)
जमुई	2.61 (0.9)	64.08 (0.8)	2.55 (0.8)	64.57 (0.8)	0.81 (1.5)	21.27 (1.7)	0.8 (1.4)	20.07 (1.5)
खगड़िया	4.11 (1.3)	108.92 (1.4)	4.11 (1.3)	108.55 (1.3)	0.8 (1.5)	17.39 (1.4)	0.8 (1.4)	17.4 (1.3)
भागलपुर	9.85 (3.2)	262.88 (3.4)	9.83 (3.1)	263.26 (3.2)	1.61 (3)	40.16 (3.2)	1.53 (2.7)	38.24 (2.9)
बांका	4.9 (1.6)	125.7 (1.6)	4.9 (1.5)	125.99 (1.5)	0.71 (1.3)	15.72 (1.2)	0.71 (1.3)	15.75 (1.2)
सहरसा	5.72 (1.9)	151.97 (2)	5.72 (1.8)	151.97 (1.9)	0.62 (1.1)	15.38 (1.2)	0.62 (1.1)	15.38 (1.2)
सुपौल	4.73 (1.6)	121.84 (1.6)	5.52 (1.7)	133.3 (1.6)	0.42 (0.8)	8.95 (0.7)	0.49 (0.9)	9.79 (0.7)
मधेपुरा	6.64 (2.2)	175.46 (2.3)	5.4 (1.7)	145.04 (1.8)	0.75 (1.4)	16.95 (1.3)	1 (1.8)	22.58 (1.7)
पूर्णिया	5.15 (1.7)	135.98 (1.8)	5.16 (1.6)	136.02 (1.7)	1.8 (3.3)	42.5 (3.4)	1.8 (3.2)	42.5 (3.2)
किशनगंज	4.51 (1.5)	118.14 (1.5)	4.4 (1.4)	100.23 (1.2)	1.41 (2.6)	31.65 (2.5)	1.42 (2.5)	33.1 (2.5)
अररिया	4.56 (1.5)	111.74 (1.4)	4.79 (1.5)	117.33 (1.4)	1.5 (2.8)	32.31 (2.6)	1.58 (2.8)	33.93 (2.6)
कटिहार	7.98 (2.6)	227.85 (2.9)	8.48 (2.6)	242.24 (3)	2.93 (5.5)	62.44 (4.9)	3.15 (5.6)	68.25 (5.2)
बिहार	**304.78 (100)**	**7740.79 (100)**	**321.88 (100)**	**8153.91 (100)**	**53.77 (100)**	**1267.18 (100)**	**56.5 (100)**	**1311.45 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

(जारी)

तालिका प 3.8 : महत्वपूर्ण सब्जियों का जिलावार क्षेत्रफल और उत्पादन (2017-18 और 2018-19) (जारी)

(क्षेत्रफल हजार हे. में/ उत्पादन हजार टन में)

जिला	बैंगन				फूलगोभी			
	2017-18		2018-19		2017-18		2018-19	
	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन	क्षेत्रफल	उत्पादन
पटना	2.15 (3.7)	55.19 (4.4)	3.73 (6.1)	95.87 (7.3)	4.48 (7.2)	1.53 (0.2)	7.58 (11.2)	2.59 (0.3)
नालंदा	7.21 (12.4)	148.12 (11.9)	6.86 (11.2)	141.14 (10.7)	3.15 (5.1)	60.87 (6.5)	3.33 (4.9)	64.39 (6.2)
भोजपुर	1.2 (2.1)	28.9 (2.3)	0.92 (1.5)	22.25 (1.7)	1.11 (1.8)	21.7 (2.3)	0.89 (1.3)	17.36 (1.7)
बक्सर	0.82 (1.4)	17.16 (1.4)	0.64 (1)	13.5 (1)	0.53 (0.9)	9.6 (1)	0.56 (0.8)	10.09 (1)
रोहतास	1.06 (1.8)	19.98 (1.6)	1.33 (2.2)	24.97 (1.9)	1.38 (2.2)	23.21 (2.5)	1.73 (2.6)	29.01 (2.8)
कैमूर	0.61 (1)	14.51 (1.2)	0.61 (1)	8.32 (0.6)	0.81 (1.3)	13.62 (1.5)	0.81 (1.2)	8.96 (0.9)
गया	1.6 (2.8)	3.88 (0.3)	1.62 (2.6)	1.62 (0.1)	2 (3.2)	2 (0.2)	2.02 (3)	2.02 (0.2)
जहानाबाद	0.72 (1.2)	14.09 (1.1)	0.73 (1.2)	14.27 (1.1)	0.52 (0.8)	10.01 (1.1)	0.52 (0.8)	10.09 (1)
अरवल	0.41 (0.7)	9.74 (0.8)	0.41 (0.7)	9.74 (0.7)	0.4 (0.6)	8.1 (0.9)	0.4 (0.6)	8.1 (0.8)
नवादा	1.85 (3.2)	37 (3)	1.9 (3.1)	38 (2.9)	1.88 (3)	30 (3.2)	1.85 (2.7)	29.6 (2.9)
औरंगाबाद	1.11 (1.9)	22.53 (1.8)	0.92 (1.5)	18.29 (1.4)	1.25 (2)	25.18 (2.7)	0.99 (1.5)	19.89 (1.9)
सारण	1.81 (3.1)	38.78 (3.1)	1.82 (3)	38.8 (2.9)	2.91 (4.7)	38.17 (4.1)	2.92 (4.3)	38.24 (3.7)
सीवान	1.6 (2.7)	36 (2.9)	1.69 (2.8)	37.96 (2.9)	1.6 (2.6)	28.4 (3)	1.59 (2.3)	28.23 (2.7)
गोपालगंज	1.42 (2.4)	30.5 (2.5)	1.43 (2.3)	30.8 (2.3)	1.6 (2.6)	44.9 (4.8)	1.6 (2.4)	44.9 (4.3)
पश्चिम चंपारण	2 (3.4)	45 (3.6)	2.05 (3.3)	46.13 (3.5)	3.05 (4.9)	56.16 (6)	3.1 (4.6)	57.08 (5.5)
पूर्व चंपारण	1.7 (2.9)	38.58 (3.1)	1.71 (2.8)	38.99 (3)	3.15 (5.1)	42.56 (4.5)	3.3 (4.9)	45.04 (4.3)
मुजफ्फरपुर	2.91 (5)	58.2 (4.7)	3 (4.9)	59.07 (4.5)	-	-	-	-
सीतामढ़ी	1.31 (2.3)	27.15 (2.2)	1.58 (2.6)	32.58 (2.5)	1.41 (2.3)	24.41 (2.6)	1.77 (2.6)	30.51 (2.9)
शिवहर	0.7 (1.2)	14.06 (1.1)	0.7 (1.1)	14.06 (1.1)	0.81 (1.3)	15.23 (1.6)	0.82 (1.2)	15.25 (1.5)
वैशाली	3.21 (5.5)	96.2 (7.7)	3.86 (6.3)	111.92 (8.5)	4.5 (7.2)	74.91 (8)	5.74 (8.4)	95.38 (9.2)
दरभंगा	2.55 (4.4)	52 (4.2)	3.18 (5.2)	65.66 (5)	1.65 (2.7)	29.39 (3.1)	2.22 (3.3)	39.56 (3.8)
मधुबनी	2.1 (3.6)	42.9 (3.5)	2.3 (3.7)	46.15 (3.5)	2.6 (4.2)	45.65 (4.9)	2.59 (3.8)	45.6 (4.4)
समस्तीपुर	2.31 (4)	58.53 (4.7)	2.31 (3.8)	58.52 (4.4)	3.01 (4.9)	59.74 (6.4)	3.01 (4.4)	59.74 (5.8)
बेगूसराय	2.82 (4.8)	58.94 (4.7)	2.72 (4.4)	68.08 (5.2)	1.72 (2.8)	33.35 (3.6)	1.72 (2.5)	35.02 (3.4)
मुंगेर	0.79 (1.4)	18.97 (1.5)	0.79 (1.3)	19.84 (1.5)	0.81 (1.3)	10.78 (1.2)	0.81 (1.2)	11.01 (1.1)
शेखपुरा	0.23 (0.4)	5.09 (0.4)	0.21 (0.3)	4.77 (0.4)	0.16 (0.3)	3.56 (0.4)	0.15 (0.2)	3.28 (0.3)
लखीसराय	-	-	0.2 (0.3)	4.32 (0.3)	-	-	0.28 (0.4)	5.21 (0.5)
जमुई	0.61 (1)	11.88 (1)	0.61 (1)	11.85 (0.9)	0.4 (0.6)	7.24 (0.8)	0.39 (0.6)	7.39 (0.7)
खगड़िया	1.21 (2.1)	29.8 (2.4)	1.15 (1.9)	29 (2.2)	1.31 (2.1)	21.58 (2.3)	1.31 (1.9)	21.49 (2.1)
भागलपुर	1.7 (2.9)	34 (2.7)	1.65 (2.7)	33.5 (2.5)	1.7 (2.7)	29 (3.1)	1.7 (2.5)	29 (2.8)
बांका	0.8 (1.4)	17.4 (1.4)	0.8 (1.3)	17.42 (1.3)	0.81 (1.3)	12.57 (1.3)	0.81 (1.2)	12.43 (1.2)
सहरसा	1.32 (2.3)	28.93 (2.3)	1.33 (2.2)	28.93 (2.2)	1.82 (2.9)	31.68 (3.4)	1.82 (2.7)	31.68 (3.1)
सुपौल	0.63 (1.1)	13.67 (1.1)	0.74 (1.2)	15.85 (1.2)	0.74 (1.2)	12.31 (1.3)	0.86 (1.3)	13.49 (1.3)
मधेपुरा	1.6 (2.7)	32.03 (2.6)	1.6 (2.6)	33.75 (2.6)	2.28 (3.7)	39.05 (4.2)	1.82 (2.7)	32.3 (3.1)
पूर्णिया	1.11 (1.9)	20.92 (1.7)	1.11 (1.8)	20.98 (1.6)	2.11 (3.4)	35.37 (3.8)	2.11 (3.1)	35.37 (3.4)
किशनगंज	0.62 (1.1)	12.65 (1)	0.6 (1)	12.05 (0.9)	0.91 (1.5)	16.09 (1.7)	0.8 (1.2)	14.09 (1.4)
अररिया	0.71 (1.2)	13.92 (1.1)	0.74 (1.2)	14.62 (1.1)	0.81 (1.3)	14.99 (1.6)	0.85 (1.3)	15.73 (1.5)
कटिहार	1.73 (3)	34.54 (2.8)	1.82 (3)	36.33 (2.8)	2.68 (4.3)	2.66 (0.3)	3.15 (4.6)	66.56 (6.4)
बिहार	**58.22 (100)**	**1241.71 (100)**	**61.36 (100)**	**1319.88 (100)**	**62.04 (100)**	**935.56 (100)**	**67.9 (100)**	**1035.69 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : बागवानी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 3.9 : पशुधन संबंधी सेवाओं के लिए जिलावार उपलब्धि (2017-18 और 2018-19)

(लाख में)

जिला	पशुओं का उपचार		टीकाकरण		कृत्रिम गर्भाधान	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
पटना	2.4	2.6	16.52	17.2	1.32	1.35
नालंदा	1.6	1.72	13.48	14.23	0.72	0.72
भोजपुर	1.19	1.11	10.95	11.62	1.44	1.6
बक्सर	0.54	0.69	8.98	10.19	1.01	0.97
रोहतास	1.3	1.23	14.91	15.75	0.86	0.99
कैमूर	0.55	0.55	11.07	11.05	0.51	0.47
गया	2.2	2.27	26.94	28.3	0.72	0.85
जहानाबाद	0.73	0.76	5.5	5.84	0.32	0.38
अरवल	0.35	0.31	3.22	3.38	0.19	0.24
नवादा	1.1	1.52	11.71	12.43	0.26	0.28
औरंगाबाद	1.37	1.36	15.78	16.6	0.33	0.4
सारण	1.95	1.63	13.4	14.14	0.8	0.94
सीवान	0.83	0.8	9.8	12.92	0.63	0.74
गोपालगंज	0.95	1.14	10.81	8.82	1.21	1.37
पश्चिम चंपारण	1.18	0.88	18.21	19.16	0.51	0.74
पूर्व चंपारण	1.76	1.65	20.38	21.44	0.93	1.17
मुजफ्फरपुर	1.94	1.97	18.11	19.01	2.37	2.49
सीतामढ़ी	1.15	0.76	9.83	10.33	0.53	0.65
शिवहर	0.28	0.19	2.53	2.63	0.41	0.44
वैशाली	1.09	1.18	10.68	11.35	1.47	1.45
दरभंगा	1.58	1.5	13.15	13.89	0.71	0.9
मधुबनी	1.24	1.15	22.15	23.33	0.53	0.74
समस्तीपुर	2.91	2.75	19.16	20.18	3.31	3.18
बेगूसराय	1.74	1.94	12.76	13.33	2.32	2.51
मुंगेर	0.82	0.82	6.13	6.48	0.55	0.58
शेखपुरा	0.63	0.67	3.03	3.19	0.13	0.1
लखीसराय	0.54	0.38	4.98	5.28	0.52	0.48
जमुई	0.77	0.66	15.18	16.05	0.08	0.09
खगड़िया	0.7	0.75	9.22	9.75	1.12	1.29
भागलपुर	1.26	1.64	19.53	21.15	0.59	0.69
बांका	0.94	1.21	18.91	19.96	0.59	0.57
सहरसा	1.06	1	12.84	13.55	0.27	0.32
सुपौल	1.18	0.67	21.38	22.5	0.13	0.24
मधेपुरा	1.23	1	16.63	17.49	0.18	0.36
पूर्णिया	1.4	1.52	17.81	18.75	0.23	0.24
किशनगंज	0.56	0.46	12.93	13.64	0.07	0.05
अररिया	0.72	0.68	28.24	29.77	0.16	0.19
कटिहार	0.93	0.96	19.87	20.98	0.19	0.24
बिहार	**44.67**	**44.08**	**526.71**	**555.66**	**28.23**	**31.01**

स्रोत : पशुपालन निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 3.10 : मछली और मत्स्य-बीज का जिलावार उत्पादन (2016-17 से 2018-19)

जिला	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)	मछली उत्पादन (हजार टन)	मत्स्य बीज (लाख)
	2016-17		2017-18		2018-19	
पटना	15.63	225.00	17.43	467.80	18.03	468.80
नालंदा	17.62	360.00	20.33	365.25	22.20	365.50
भोजपुर	10.07	60.05	12.20	62.50	12.20	62.60
बक्सर	6.92	84.00	6.69	85.02	6.70	69.00
रोहतास	6.78	175.00	8.44	178.30	9.50	210.00
कैमूर	9.98	125.00	12.51	127.50	13.75	190.25
गया	6.50	150.00	8.07	152.15	8.10	155.00
जहानाबाद	1.26	15.00	1.26	16.05	1.25	17.00
अरवल	1.37	20.00	1.26	21.03	1.25	37.60
नवादा	5.50	1.00	4.90	1.50	4.00	1.20
औरंगाबाद	8.13	70.00	9.15	75.00	9.10	80.00
सारण	9.71	56.80	11.25	57.25	11.05	55.00
सीवान	6.22	20.00	7.27	21.02	7.21	30.00
गोपालगंज	9.41	16.25	10.80	17.30	11.50	17.60
पश्चिम चंपारण	23.20	461.00	25.02	462.15	29.02	275.00
पूर्व चंपारण	50.00	725.00	51.62	731.02	51.20	231.00
मुजफ्फरपुर	21.75	520.00	25.60	520.00	22.70	375.00
सीतामढ़ी	12.25	598.00	12.41	599.70	13.11	810.00
शिवहर	2.20	6.00	2.62	35.00	2.55	55.00
वैशाली	15.09	96.00	18.90	97.25	19.00	28.50
दरभंगा	44.00	1000.00	54.00	1750.00	54.80	1748.00
मधुबनी	51.80	1600.00	65.65	1625.65	68.70	1630.00
समस्तीपुर	14.02	320.00	14.24	320.30	14.35	405.00
बेगूसराय	21.81	0.00	24.10	0.00	24.51	32.75
मुंगेर	9.40	20.00	9.20	18.00	9.11	22.00
शेखपुरा	2.93	10.00	2.91	15.00	2.95	15.00
लखीसराय	7.90	0.00	6.75	0.00	6.74	24.00
जमुई	2.35	1.50	2.51	2.00	2.25	17.60
खगड़िया	20.00	120.00	23.89	124.30	25.31	127.35
भागलपुर	13.61	375.00	14.09	377.25	14.25	373.20
बांका	9.91	0.00	9.98	0.00	9.95	298.80
सहरसा	6.85	10.00	8.82	11.50	8.83	13.50
सुपौल	8.10	2.20	12.95	10.00	12.90	13.00
मधेपुरा	3.82	1.25	4.30	15.00	4.70	15.25
पूर्णिया	12.10	70.00	16.40	160.00	16.60	315.00
किशनगंज	6.19	115.00	5.75	117.25	5.76	121.00
अररिया	10.85	33.50	13.13	95.00	13.50	80.00
कटिहार	23.85	470.00	31.45	472.25	33.50	501.00
बिहार	**509.08**	**7932.55**	**587.85**	**9206.29**	**602.13**	**9286.50**

स्रोत : पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.11 : बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2017-18)

(हजार टन में)

जिला	संकर गाय	स्थानीय गाय	कुल गाएं	भैंस	योग (गाय + भैंस)	बकरी	कुल उत्पादन
पटना	285.03 (9.8)	17.38 (0.7)	302.41 (5.6)	196.06 (5.4)	498.47 (5.5)	3.9 (1.9)	502.37 (5.4)
नालंदा	118.36 (4.1)	28.14 (1.1)	146.49 (2.7)	213.99 (5.9)	360.49 (4)	3.16 (1.5)	363.65 (3.9)
भोजपुर	138.97 (4.8)	24.48 (1)	163.45 (3)	136.9 (3.8)	300.35 (3.3)	2.75 (1.3)	303.1 (3.3)
बक्सर	71.19 (2.4)	62.37 (2.5)	133.56 (2.5)	159.29 (4.4)	292.85 (3.2)	3.12 (1.5)	295.97 (3.2)
रोहतास	29.45 (1)	50.54 (2)	79.99 (1.5)	118.35 (3.3)	198.33 (2.2)	1.08 (0.5)	199.41 (2.2)
कैमूर	63.93 (2.2)	35.42 (1.4)	99.36 (1.8)	92.98 (2.6)	192.34 (2.1)	1.23 (0.6)	193.56 (2.1)
गया	40.91 (1.4)	144.68 (5.8)	185.59 (3.4)	132.16 (3.7)	317.75 (3.5)	7.33 (3.5)	325.08 (3.5)
जहानाबाद	25.9 (0.9)	13 (0.5)	38.9 (0.7)	64.59 (1.8)	103.49 (1.1)	1.34 (0.6)	104.82 (1.1)
अरवल	30.26 (1)	2.88 (0.1)	33.14 (0.6)	41.53 (1.1)	74.67 (0.8)	1.09 (0.5)	75.75 (0.8)
नवादा	18.79 (0.6)	68.63 (2.7)	87.42 (1.6)	60.83 (1.7)	148.25 (1.6)	3.49 (1.7)	151.74 (1.6)
औरंगाबाद	34.99 (1.2)	94.66 (3.8)	129.66 (2.4)	106.86 (3)	236.52 (2.6)	4.8 (2.3)	241.31 (2.6)
सारण	127.62 (4.4)	63.17 (2.5)	190.79 (3.5)	90.98 (2.5)	281.77 (3.1)	2.94 (1.4)	284.71 (3.1)
सीवान	54.81 (1.9)	64.82 (2.6)	119.63 (2.2)	80.87 (2.2)	200.5 (2.2)	3.44 (1.7)	203.94 (2.2)
गोपालगंज	39.27 (1.3)	42.84 (1.7)	82.11 (1.5)	62.77 (1.7)	144.88 (1.6)	3.26 (1.6)	148.14 (1.6)
पश्चिम चंपारण	61.83 (2.1)	93.53 (3.7)	155.35 (2.9)	101.33 (2.8)	256.68 (2.8)	9.04 (4.4)	265.72 (2.9)
पूर्व चंपारण	40.22 (1.4)	108.95 (4.4)	149.17 (2.8)	150.05 (4.1)	299.23 (3.3)	11.13 (5.4)	310.36 (3.4)
मुजफ्फरपुर	194.68 (6.7)	19.5 (0.8)	214.19 (4)	138.27 (3.8)	352.45 (3.9)	8.92 (4.3)	361.37 (3.9)
सीतामढ़ी	24.46 (0.8)	17.39 (0.7)	41.86 (0.8)	89.1 (2.5)	130.95 (1.4)	6.56 (3.2)	137.51 (1.5)
शिवहर	12.26 (0.4)	8.23 (0.3)	20.49 (0.4)	22.35 (0.6)	42.84 (0.5)	1.79 (0.9)	44.63 (0.5)
वैशाली	180.5 (6.2)	5.01 (0.2)	185.5 (3.4)	81.8 (2.3)	267.31 (3)	4.54 (2.2)	271.85 (2.9)
दरभंगा	53.14 (1.8)	64.72 (2.6)	117.87 (2.2)	130.3 (3.6)	248.17 (2.7)	5.2 (2.5)	253.37 (2.7)
मधुबनी	9.85 (0.3)	122.01 (4.9)	131.86 (2.4)	151.68 (4.2)	283.54 (3.1)	7.12 (3.4)	290.67 (3.1)
समस्तीपुर	338.76 (11.6)	12.38 (0.5)	351.14 (6.5)	111.42 (3.1)	462.56 (5.1)	5.78 (2.8)	468.34 (5.1)
बेगूसराय	294.73 (10.1)	6.23 (0.2)	300.96 (5.6)	52.66 (1.5)	353.62 (3.9)	3.76 (1.8)	357.38 (3.9)
मुंगेर	74.02 (2.5)	40.08 (1.6)	114.09 (2.1)	36.01 (1)	150.1 (1.7)	3.42 (1.7)	153.53 (1.7)
शेखपुरा	28.06 (1)	13.3 (0.5)	41.35 (0.8)	28.56 (0.8)	69.91 (0.8)	1.1 (0.5)	71.01 (0.8)
लखीसराय	61.33 (2.1)	16.73 (0.7)	78.06 (1.4)	34.61 (1)	112.67 (1.2)	1.48 (0.7)	114.16 (1.2)
जमुई	12.94 (0.4)	110.02 (4.4)	122.95 (2.3)	42.36 (1.2)	165.31 (1.8)	5.79 (2.8)	171.1 (1.9)
खगड़िया	176.25 (6)	28.78 (1.2)	205.03 (3.8)	63.3 (1.7)	268.33 (3)	3.81 (1.8)	272.15 (2.9)
भागलपुर	145.64 (5)	99.11 (4)	244.74 (4.5)	102.46 (2.8)	347.21 (3.8)	7.93 (3.8)	355.14 (3.8)
बांका	28.22 (1)	144.15 (5.8)	172.37 (3.2)	68.85 (1.9)	241.22 (2.7)	5.98 (2.9)	247.2 (2.7)
सहरसा	21.28 (0.7)	85.77 (3.4)	107.05 (2)	92.08 (2.5)	199.12 (2.2)	5.48 (2.6)	204.6 (2.2)
सुपौल	2.51 (0.1)	121.44 (4.9)	123.95 (2.3)	220.23 (6.1)	344.18 (3.8)	7.15 (3.5)	351.33 (3.8)
मधेपुरा	18.39 (0.6)	89.76 (3.6)	108.15 (2)	91.55 (2.5)	199.7 (2.2)	5.94 (2.9)	205.65 (2.2)
पूर्णिया	24.33 (0.8)	138.35 (5.5)	162.68 (3)	60.65 (1.7)	223.33 (2.5)	6.55 (3.2)	229.89 (2.5)
किशनगंज	13.87 (0.5)	120.76 (4.8)	134.63 (2.5)	29.49 (0.8)	164.13 (1.8)	6.33 (3.1)	170.46 (1.8)
अररिया	7.81 (0.3)	164.8 (6.6)	172.61 (3.2)	105.61 (2.9)	278.22 (3.1)	30.3 (14.7)	308.53 (3.3)
कटिहार	10.52 (0.4)	156.18 (6.2)	166.71 (3.1)	56.49 (1.6)	223.2 (2.5)	8.8 (4.3)	232 (2.5)
बिहार	**2915.06 (100)**	**2500.21 (100)**	**5415.27 (100)**	**3619.37 (100)**	**9034.64 (100)**	**206.85 (100)**	**9241.49 (100)**

स्रोत : पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.12 : बिहार में जिलावार दूध उत्पादन (2018-19)

(हजार टन में)

जिला	संकर गाय	स्थानीय गाय	कुल गाएं	भैंस	योग (गाय + भैंस)	बकरी	कुल उत्पादन
पटना	279.94 (9)	17.71 (0.7)	297.65 (5.2)	200.4 (5.2)	498.05 (5.2)	3.68 (1.7)	501.73 (5.1)
नालंदा	128.68 (4.2)	29.83 (1.1)	158.51 (2.8)	210.64 (5.5)	369.15 (3.8)	3.12 (1.5)	372.27 (3.8)
भोजपुर	149 (4.8)	25.69 (1)	174.69 (3)	138.52 (3.6)	313.21 (3.3)	2.44 (1.1)	315.65 (3.2)
बक्सर	79.9 (2.6)	67.34 (2.5)	147.24 (2.6)	162.28 (4.2)	309.52 (3.2)	3.05 (1.4)	312.57 (3.2)
रोहतास	31.95 (1)	52.04 (2)	83.99 (1.5)	120.85 (3.1)	204.84 (2.1)	1.23 (0.6)	206.07 (2.1)
कैमूर	65.52 (2.1)	36.92 (1.4)	102.44 (1.8)	91.7 (2.4)	194.14 (2)	1.26 (0.6)	195.4 (2)
गया	45.53 (1.5)	154.07 (5.8)	199.6 (3.5)	141.77 (3.7)	341.37 (3.6)	7.14 (3.3)	348.51 (3.5)
जहानाबाद	29.31 (0.9)	13.29 (0.5)	42.6 (0.7)	74.23 (1.9)	116.83 (1.2)	1.49 (0.7)	118.32 (1.2)
अरवल	34.54 (1.1)	3.11 (0.1)	37.65 (0.7)	45.14 (1.2)	82.79 (0.9)	1.06 (0.5)	83.85 (0.9)
नवादा	20.77 (0.7)	77.07 (2.9)	97.84 (1.7)	64.47 (1.7)	162.31 (1.7)	3.13 (1.5)	165.44 (1.7)
औरंगाबाद	42 (1.4)	96.14 (3.6)	138.14 (2.4)	115.04 (3)	253.18 (2.6)	4.19 (1.9)	257.37 (2.6)
सारण	147.81 (4.8)	63.65 (2.4)	211.46 (3.7)	92.64 (2.4)	304.1 (3.2)	3.11 (1.4)	307.21 (3.1)
सीवान	61.81 (2)	67.68 (2.5)	129.49 (2.3)	82.47 (2.1)	211.96 (2.2)	3.66 (1.7)	215.62 (2.2)
गोपालगंज	41 (1.3)	48.78 (1.8)	89.78 (1.6)	66.82 (1.7)	156.6 (1.6)	3.16 (1.5)	159.76 (1.6)
पश्चिम चंपारण	66.54 (2.1)	95.48 (3.6)	162.02 (2.8)	113.75 (3)	275.77 (2.9)	9.18 (4.3)	284.95 (2.9)
पूर्व चंपारण	43.8 (1.4)	112.22 (4.2)	156.02 (2.7)	172.32 (4.5)	328.34 (3.4)	11.77 (5.5)	340.11 (3.5)
मुजफ्फरपुर	202.47 (6.5)	20.47 (0.8)	222.94 (3.9)	148.54 (3.9)	371.48 (3.9)	9.4 (4.4)	380.88 (3.9)
सीतामढ़ी	27 (0.9)	19.96 (0.8)	46.96 (0.8)	92.37 (2.4)	139.33 (1.5)	6.72 (3.1)	146.05 (1.5)
शिवहर	13.63 (0.4)	9.18 (0.3)	22.81 (0.4)	28.16 (0.7)	50.97 (0.5)	1.95 (0.9)	52.92 (0.5)
वैशाली	193.25 (6.2)	5.76 (0.2)	199.01 (3.5)	92.57 (2.4)	291.58 (3)	5.04 (2.3)	296.62 (3)
दरभंगा	57.85 (1.9)	66.08 (2.5)	123.93 (2.2)	133.57 (3.5)	257.5 (2.7)	5.31 (2.5)	262.81 (2.7)
मधुबनी	10.45 (0.3)	130.07 (4.9)	140.52 (2.4)	167.55 (4.4)	308.07 (3.2)	6.92 (3.2)	314.99 (3.2)
समस्तीपुर	357 (11.5)	13.2 (0.5)	370.2 (6.4)	116.61 (3)	486.81 (5.1)	6.4 (3)	493.21 (5)
बेगूसराय	306.8 (9.9)	6.48 (0.2)	313.28 (5.4)	55.36 (1.4)	368.64 (3.8)	3.73 (1.7)	372.37 (3.8)
मुंगेर	84.85 (2.7)	42.87 (1.6)	127.72 (2.2)	42.43 (1.1)	170.15 (1.8)	3.79 (1.8)	173.94 (1.8)
शेखपुरा	29 (0.9)	14.65 (0.6)	43.65 (0.8)	26 (0.7)	69.65 (0.7)	1.17 (0.5)	70.82 (0.7)
लखीसराय	63.74 (2.1)	18.08 (0.7)	81.82 (1.4)	38.2 (1)	120.02 (1.2)	1.69 (0.8)	121.71 (1.2)
जमुई	13.58 (0.4)	122.49 (4.6)	136.07 (2.4)	45.36 (1.2)	181.43 (1.9)	6.48 (3)	187.91 (1.9)
खगड़िया	184.14 (5.9)	30.48 (1.1)	214.62 (3.7)	66 (1.7)	280.62 (2.9)	4.06 (1.9)	284.68 (2.9)
भागलपुर	149.28 (4.8)	102.74 (3.9)	252.02 (4.4)	109.44 (2.8)	361.46 (3.8)	8.21 (3.8)	369.67 (3.8)
बांका	28 (0.9)	152.34 (5.7)	180.34 (3.1)	72.44 (1.9)	252.78 (2.6)	6.31 (2.9)	259.09 (2.6)
सहरसा	22.31 (0.7)	86.95 (3.3)	109.26 (1.9)	96.35 (2.5)	205.61 (2.1)	5.41 (2.5)	211.02 (2.1)
सुपौल	2.74 (0.1)	127.44 (4.8)	130.18 (2.3)	241.99 (6.3)	372.17 (3.9)	6.8 (3.2)	378.97 (3.9)
मधेपुरा	21.38 (0.7)	94.34 (3.6)	115.72 (2)	101.08 (2.6)	216.8 (2.3)	5.92 (2.8)	222.72 (2.3)
पूर्णिया	27 (0.9)	150.46 (5.7)	177.46 (3.1)	72.43 (1.9)	249.89 (2.6)	7.01 (3.3)	256.9 (2.6)
किशनगंज	15 (0.5)	134.93 (5.1)	149.93 (2.6)	30.91 (0.8)	180.84 (1.9)	7.23 (3.4)	188.07 (1.9)
अररिया	8.83 (0.3)	172.95 (6.5)	181.78 (3.2)	117.07 (3)	298.85 (3.1)	33.64 (15.7)	332.49 (3.4)
कटिहार	11.94 (0.4)	171.66 (6.5)	183.6 (3.2)	63.17 (1.6)	246.77 (2.6)	9.07 (4.2)	255.84 (2.6)
बिहार	**3098.34 (100)**	**2654.6 (100)**	**5752.94 (100)**	**3850.64 (100)**	**9603.58 (100)**	**214.93 (100)**	**9818.51 (100)**

स्रोत : पशुपालन और मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.13 : बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2017-18)

(हजार टन में)

जिला	यूरिया	डीएपी	एसएसपी	म्यूरिएट ऑफ पोटाश	अमोनियम सल्फेट	मिश्रित	उप-योग	नाइट्रोजन	फॉस्फोरस	पोटाश	योग(NPK)	कुल योग
पटना	75.9	15.9	3.6	1.6	1	6.1	104	39	9	1	49.6	153.7
नालंदा	99.5	24.5	8.4	1.6	0.7	10.6	145.3	52	15	2	69.5	214.8
भोजपुर	70.7	20.1	2.2	1.4	0.4	10.9	105.6	38	12	1	51.4	157
बक्सर	60.1	14.7	1	1	0	11.2	88	32	9	1	42.5	130.6
रोहतास	111.5	25.8	8.6	3.1	0	21.8	170.8	59	19	4	82.6	253.4
कैमूर	61.3	16.2	4.3	0.9	0	10.3	93	33	10	1	44.4	137.3
गया	62.4	22.1	2.7	2.2	0	5.6	95	34	12	2	47.2	142.1
जहानाबाद	21	3.6	0	0.4	0.2	0.8	26.2	11	2	0	12.7	38.9
अरवल	17.9	3.6	0.1	0.4	0	0.5	22.5	9	2	0	11	33.5
नवादा	25	5	1.3	0.2	0	1.9	33.4	13	3	0	15.9	49.3
औरंगाबाद	61.5	18.5	7.7	1.6	0	9.5	98.9	33	12	1	46.4	145.2
सारण	54.9	16.3	0.3	2.3	0	4.7	78.5	29	9	2	39.2	117.7
सीवान	45.6	9.5	0	0.8	0	4.1	60	23	5	1	29.2	89.2
गोपालगंज	26	4.4	0.1	0.8	0	2.1	33.4	13	2	1	16.1	49.6
पश्चिम चंपारण	71.4	29.3	1.6	12.2	3.3	8.4	126.2	40	16	8	63.7	189.9
पूर्व चंपारण	93.7	35	3.3	10.6	0.7	11.1	154.4	51	19	7	77.8	232.2
मुजफ्फरपुर	80.8	27.9	1.8	13.9	0.1	8.4	132.8	44	15	9	67.7	200.6
सीतामढ़ी	43	12.7	0.7	5.1	0.6	6.3	68.4	23	7	4	34.2	102.6
शिवहर	8.7	2.2	0.1	0.8	0	0.6	12.3	5	1	0	6.2	18.5
वैशाली	70.2	36.4	2.4	14.4	5.9	8.6	137.9	41	19	9	69.9	207.9
दरभंगा	40.7	15.6	1.1	6	1.3	6.2	70.9	23	9	4	36	107
मधुबनी	40.5	21.9	0.1	3.6	0.7	3.1	69.8	23	11	2	36.4	106.2
समस्तीपुर	62.8	22.4	1.6	10.5	0.1	5.6	103	34	12	6	52.2	155.2
बेगूसराय	63.2	29.3	2.2	13.6	4	8.6	120.9	37	16	9	61.2	182.1
मुंगेर	15.4	3.8	0.1	1.1	0	0.6	21	8	2	1	10.5	31.5
शेखपुरा	12.4	2.7	0.4	0.2	0	0.7	16.3	6	1	0	7.8	24.1
लखीसराय	19.7	4.2	1.6	0	0	1.4	27	10	3	0	12.8	39.8
जमुई	45.6	14.4	1	2.1	0.1	4	67.2	24	8	2	33.7	101
खगड़िया	75.2	24.4	1.1	13	1.5	7.7	122.9	41	13	8	62.1	184.9
भागलपुर	38.2	11.4	0.7	3.5	0.4	3.2	57.4	20	6	2	28.8	86.2
बांका	37.3	13	0.1	8.9	0.3	4.7	64.3	20	7	6	33.3	97.6
सहरसा	40.5	19.7	0.1	10.2	0.1	9	79.5	24	11	7	41.4	120.9
सुपौल	54.6	21.4	0.1	14.8	0.9	9.8	101.5	31	12	9	52.3	153.8
मधेपुरा	94.9	40.6	5.4	24.7	5.2	20.8	191.7	56	24	15	95.3	287
पूर्णिया	20.6	9.1	0.7	2.8	0.2	2.5	35.8	12	5	2	18.2	54
किशनगंज	72.5	29.4	1.9	20.1	1.6	11	136.6	41	16	12	69.6	206.2
अररिया	68.6	30.4	2.8	19.3	3.5	12.8	137.4	40	17	12	69.6	207
कटिहार	75.7	24.8	0.7	15.3	0.3	6.9	123.7	41	13	9	62.9	186.6
बिहार	**2039.5**	**682.3**	**72**	**244.9**	**32.8**	**262.2**	**3333.6**	**1113.2**	**386.2**	**161.8**	**1661.2**	**4994.9**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.14 : बिहार में उर्वरकों की जिलावार खपत (2018-19)

(हजार टन में)

जिला	यूरिया	डीएपी	एसएसपी	म्यूरिएट ऑफ पोटाश	अमोनियम सल्फेट	मिश्रित	उप-योग	नाइटोजन	फॉस्फोरस	पोटाश	योग(NPK)	कुल योग
पटना	49.62	10.35	0.42	0.33	0.52	5.17	66.41	25.72	5.95	0.43	32.11	98.52
नालंदा	59.66	13.05	2.78	1.41	0.80	7.83	85.53	31.33	8.23	1.24	40.80	126.32
भोजपुर	44.04	8.51	0.70	0.61	0.28	8.01	62.16	23.42	5.66	0.44	29.52	91.67
बक्सर	31.39	6.26	0.45	0.45	0.43	12.67	51.64	18.15	5.53	0.36	24.03	75.68
रोहतास	58.74	9.94	1.42	0.38	0.05	18.72	89.24	31.80	9.70	1.83	43.33	132.56
कैमूर	32.83	6.20	0.53	0.24	0.00	9.41	49.21	17.96	5.03	0.42	23.41	72.62
गया	35.93	7.73	0.62	0.10	0.00	2.77	47.16	18.47	4.21	0.06	22.75	69.91
जहानाबाद	12.20	1.48	0.00	0.00	0.36	0.87	14.91	6.12	0.86	0.02	6.99	21.90
अरवल	10.54	0.90	0.00	0.10	0.00	0.22	11.76	5.05	0.45	0.07	5.58	17.34
नवादा	12.92	3.02	0.37	0.10	0.00	1.43	17.83	6.75	1.76	0.09	8.60	26.43
औरंगाबाद	36.46	7.17	2.21	0.16	0.00	6.24	52.24	19.27	4.95	0.17	24.39	76.63
सारण	39.02	13.64	0.25	1.79	0.00	8.79	63.49	22.08	8.19	1.24	31.52	95.00
सीवान	27.29	8.50	0.03	1.27	0.00	3.50	40.58	14.74	4.67	0.85	20.26	60.85
गोपालगंज	18.10	2.90	0.22	0.52	0.00	2.04	23.79	9.24	1.78	0.36	11.39	35.18
पश्चिम चंपारण	41.19	15.56	2.06	6.29	0.00	8.32	73.42	23.28	9.26	4.11	36.66	110.08
पूर्व चंपारण	61.92	15.09	1.53	6.65	0.45	8.52	94.17	32.72	9.30	4.54	46.56	140.73
मुजफ्फरपुर	52.63	15.93	0.79	6.83	3.77	5.45	85.40	28.84	8.64	4.28	41.76	127.16
सीतामढ़ी	27.83	7.36	0.64	3.12	0.34	3.36	42.65	14.79	4.25	2.05	21.08	63.73
शिवहर	5.88	1.46	0.05	0.39	0.00	0.73	8.50	3.11	0.83	0.24	4.18	12.68
वैशाली	52.64	11.43	0.45	1.88	3.73	4.61	74.74	27.83	6.36	1.38	35.57	110.31
दरभंगा	27.33	10.04	0.63	3.60	1.38	3.42	46.40	15.20	5.58	2.47	23.25	69.66
मधुबनी	21.36	10.00	0.05	3.34	0.83	2.33	37.91	12.19	5.13	2.16	19.49	57.40
समस्तीपुर	44.09	13.89	0.68	5.82	0.51	5.96	70.97	23.88	7.95	3.93	35.76	106.73
बेगूसराय	47.74	18.58	0.44	6.38	2.63	8.72	84.49	27.40	10.60	4.18	42.19	126.68
मुंगेर	8.57	2.20	0.00	0.16	0.00	0.54	11.47	4.45	1.12	0.10	5.66	17.13
शेखपुरा	11.24	2.99	0.32	0.27	0.00	1.29	16.10	5.94	1.72	0.21	7.87	23.97
लखीसराय	8.48	1.12	0.09	0.09	0.00	1.05	10.82	4.31	0.74	0.06	5.11	15.93
जमुई	22.24	4.04	0.21	0.26	0.09	2.13	28.98	11.40	2.32	0.16	13.88	42.86
खगड़िया	58.79	15.93	1.10	7.02	0.08	6.16	89.08	31.14	8.75	4.27	44.16	133.24
भागलपुर	38.81	11.25	0.93	6.97	0.58	7.37	65.90	21.43	6.82	4.26	32.52	98.41
बांका	20.54	4.99	0.18	0.61	0.00	1.71	28.04	10.69	2.67	0.38	13.74	41.78
सहरसा	28.11	9.76	0.06	4.74	0.05	3.19	45.91	15.24	5.20	3.06	23.50	69.41
सुपौल	28.95	12.24	0.14	6.00	0.25	5.83	53.42	16.67	6.86	3.77	27.30	80.73
मधेपुरा	37.51	13.59	0.26	7.70	0.82	7.99	67.87	21.33	8.04	4.93	34.29	102.16
पूर्णिया	69.71	25.81	5.83	15.66	3.37	11.98	132.36	39.72	15.30	9.53	64.54	196.91
किशनगंज	15.18	6.86	3.33	1.89	0.35	1.31	28.91	8.53	3.97	1.19	13.68	42.59
अररिया	48.85	17.91	2.84	11.23	0.72	6.51	88.06	27.14	10.00	6.75	43.89	131.94
कटिहार	51.70	17.13	2.65	9.90	1.84	8.75	91.97	28.83	10.27	6.26	45.36	137.33
बिहार	**1300.05**	**364.81**	**35.25**	**124.29**	**24.23**	**204.86**	**2053.49**	**706.16**	**218.65**	**81.84**	**1006.66**	**3060.15**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.15 : कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2017-18)

जिला	कृषि उपकरण	कंबाइन हार्वेस्टर	जीरो टिलंज	पंपसेट	पावर टिलर	शारीरिक शक्तिचालित औजार	थ्रसर
पटना	3048	12	21	84	134	182	238
नालंदा	1176	24	20	60	203	121	93
भोजपुर	1168	14	115	88	1	205	46
बक्सर	739	27	74	118	0	32	24
रोहतास	1656	73	239	59	1	62	144
कैमूर	778	31	370	44	1	125	44
गया	1835	6	1	152	238	311	345
जहानाबाद	527	2	2	26	72	236	62
अरवल	461	0	0	29	22	104	114
नवादा	725	11	2	30	54	216	123
औरंगाबाद	1211	12	5	62	18	55	346
सारण	2343	2	30	89	1	250	229
सीवान	2005	7	6	227	0	177	316
गोपालगंज	1876	11	9	112	0	210	211
पश्चिम चंपारण	3572	6	3	258	29	669	95
पूर्व चंपारण	5230	0	39	212	0	796	190
मुजफ्फरपुर	2833	0	9	257	1	649	170
सीतामढ़ी	2989	0	22	56	0	983	199
शिवहर	734	0	9	69	4	236	32
वैशाली	2505	0	10	66	0	613	90
दरभंगा	860	0	4	36	0	0	32
मधुबनी	2606	0	8	75	1	535	300
समस्तीपुर	4518	1	7	200	0	137	121
बेगूसराय	3175	2	15	44	1	318	86
मुंगेर	779	0	3	84	4	308	51
शेखपुरा	765	1	4	22	3	233	87
लखीसराय	1062	0	14	96	0	328	149
जमुई	993	0	2	68	58	366	53
खगड़िया	836	1	0	16	0	397	97
भागलपुर	2533	0	7	265	2	865	110
बांका	1912	1	20	171	47	720	66
सहरसा	2417	0	3	42	0	679	76
सुपौल	4161	0	1	133	1	402	57
मधेपुरा	2054	0	2	124	0	654	44
पूर्णिया	3124	0	10	58	4	624	221
किशनगंज	933	1	0	74	1	76	10
अररिया	1145	0	1	45	0	263	32
कटिहार	2253	4	0	146	25	498	19
बिहार	**73537**	**249**	**1087**	**3797**	**926**	**13635**	**4722**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.16 : कृषि उपकरणों की जिलावार संख्या (2018-19)

जिला	कृषि उपकरण	कंबाइन हार्बेस्टर	जीरो टिलेज	पंपसेट	पावर टिलर	शारीरिक शक्तिचालित औजार	थ्रेसर
पटना	2381	34	3	540	113	15	171
नालंदा	2082	41	39	190	204	53	92
भोजपुर	1302	9	117	309	0	47	140
बक्सर	673	20	40	219	0	24	10
रोहतास	639	31	134	108	0	7	2
कैमूर	1263	14	229	190	0	28	26
गया	2827	12	2	827	130	171	441
जहानाबाद	1085	1	0	156	62	103	93
अरवल	654	0	0	242	11	10	156
नवादा	1171	7	5	292	32	67	190
औरंगाबाद	1471	16	7	394	9	17	421
सारण	1957	1	24	367	0	86	226
सीवान	1791	14	1	309	0	68	292
गोपालगंज	1463	7	0	281	0	75	132
पश्चिम चंपारण	3367	2	2	473	6	362	124
पूर्व चंपारण	3907	1	32	488	0	356	241
मुजफ्फरपुर	2123	0	7	383	0	209	197
सीतामढ़ी	1928	1	18	149	0	394	246
शिवहर	720	0	9	57	0	124	63
वैशाली	2277	0	7	429	1	209	88
दरभंगा	830	0	0	164	0	0	29
मधुबनी	2231	1	5	301	0	127	295
समस्तीपुर	4380	0	3	468	0	594	173
बेगूसराय	4128	2	8	578	0	203	183
मुंगेर	688	1	0	152	4	101	86
शेखपुरा	625	2	0	47	5	55	86
लखीसराय	798	4	5	93	0	140	95
जमुई	463	1	2	141	34	64	43
खगड़िया	1039	0	0	114	0	263	73
भागलपुर	2566	2	2	656	2	354	136
बांका	1210	1	12	401	32	146	38
सहरसा	2019	0	5	242	0	331	119
सुपौल	2652	0	3	203	2	146	90
मधेपुरा	3032	0	3	415	0	362	109
पूर्णिया	2823	0	6	190	3	259	146
किशनगंज	897	1	0	161	0	26	50
अररिया	1788	2	10	171	1	141	95
कटिहार	2159	2	1	462	17	233	107
बिहार	**69409**	**230**	**741**	**11362**	**668**	**5970**	**5304**

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.17 : जिलावार सहकारी ऋण वितरण (2016-17 से 2018-19)

जिला	लक्ष्य (लाख रु.)			उपलब्धि (लाख रु.)		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
पटना	3990	7179	1285	3065.15 (76.8)	680.33 (9.5)	453.22 (35.3)
नालंदा	5586	5758	521	794.05 (14.2)	276.37 (4.8)	37.96 (7.3)
भोजपुर	6383	5758	998	472.79 (7.4)	528.01 (9.2)	377.34 (37.8)
बक्सर	3724	3559	567	292.11 (7.8)	300.55 (8.4)	238.05 (42)
रोहतास	3458	3838	3680	2035.91 (58.9)	1947.09 (50.7)	1284.02 (34.9)
कैमूर	2926	2879	1606	864.05 (29.5)	849.86 (29.5)	741.8 (46.2)
गया	1596	1439	519	231.97 (14.5)	168.91 (11.7)	52.99 (10.2)
जहानाबाद	532	480	309	4.7 (0.9)	4.7 (1)	1.2 (0.4)
अरवल	–	–	204	–	1.7	1.1 (0.5)
नवादा	6118	6237	2663	589 (9.6)	1785.03 (28.6)	1437.54 (54)
औरंगाबाद	5320	4798	769	558.77 (10.5)	406.95 (8.5)	68.09 (8.9)
सारण	–	–	-	–	–	
सीवान	4242	3838	1446	1049.73 (24.7)	765.77 (20)	603.76 (41.8)
गोपालगंज	6383	5758	4491	1618.93 (25.4)	2376.75 (41.3)	1463.34 (32.6)
पश्चिम चंपारण	2128	2877	1098	556.63 (26.2)	581.06 (20.2)	766.62 (69.8)
पूर्व चंपारण	4256	3838	5568	2385.44 (56)	2946 (76.8)	881.64 (15.8)
मुजफ्फरपुर	4256	3838	489	341.67 (8)	259.1 (6.8)	194.23 (39.7)
सीतामढ़ी	3192	2879	463	196.62 (6.2)	245.36 (8.5)	183.72 (39.7)
शिवहर	532	480	294	66.99 (12.6)	49.56 (10.3)	23.98 (8.2)
वैशाली	1862	1919	227	6.52 (0.4)	66.91 (3.5)	164.02 (72.3)
दरभंगा	–	–		–	–	
मधुबनी	6118	6237	6573	4668.6 (76.3)	3478.72 (55.8)	1367.21 (20.8)
समस्तीपुर	2660	2879	3081	1989.01 (74.8)	2053.88 (71.3)	1804.95 (58.6)
बेगूसराय	3458	4318	11945	8054.83 (232.9)	6312.49 (146.2)	5477.81 (45.9)
मुंगेर	–	–	130	19.96 (0)	68.84 (0)	11.8 (9.1)
शेखपुरा	–	–	119	–	10.47 (0)	2.77 (2.3)
लखीसराय	–	–	140	–	20.73 (0)	9.8 (7)
जमुई	–	–	128	–	15.28 (0)	4.52 (3.5)
खगड़िया	2394	2399	7276	5100.63 (213.1)	3850.35 (160.5)	4688.4 (64.4)
भागलपुर	2660	3359	585	346.03 (13)	310.85 (9.3)	231.32 (39.5)
बांका	3458	3359	242	24.35 (0.7)	22.62 (0.7)	12.81 (5.3)
सहरसा	–	–	–	–	–	–
सुपौल	–	–	–	–	–	–
मधेपुरा	–	–	–	–	–	–
पूर्णिया	4522	4798	904	393.6 (8.7)	478.69 (10)	123.27 (13.6)
किशनगंज	2128	2399	327	86.97 (4.1)	173.28 (7.2)	163.73 (50.1)
अररिया	2926	3359	1155	274.62 (9.4)	611.66 (18.2)	214.38 (18.6)
कटिहार	3192	3359	261	60.38 (1.9)	137.79 (4.1)	236.46 (90.6)
बिहार	**100000**	**103818**	**60063**	**36150.01 (36.2)**	**31785.66 (30.6)**	**23323.85 (38.8)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : सहकारिता विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 3.18 : बिहार में जिलावार सकल सिंचित क्षेत्र (2017-18)

(क्षेत्रफल हजार हेक्टेयर में)

जिला	नहरें	तालाब	कूप		अन्य स्रोत	योगफल
			नलकूप	अन्य कूप		
पटना	43.36 (2.6)	0 (0)	96.35 (2.8)	19.27 (48.6)	1.61 (0.8)	160.58 (3)
नालंदा	29.39 (1.8)	0 (0)	190.01 (5.6)	1.7 (4.3)	5.14 (2.7)	226.23 (4.2)
भोजपुर	124.08 (7.5)	0 (0)	49.82 (1.5)	1.47 (3.7)	5.8 (3)	181.16 (3.3)
बक्सर	79.73 (4.8)	0.45 (0.4)	89.01 (2.6)	0.36 (0.9)	11.08 (5.8)	180.62 (3.3)
रोहतास	254.1 (15.3)	0 (0)	35.5 (1)	9.81 (24.7)	38.72 (20.3)	338.13 (6.2)
कैमूर	86.54 (5.2)	0 (0)	85.89 (2.5)	0 (0)	13.88 (7.3)	186.3 (3.4)
गया	60.36 (3.6)	0.13 (0.1)	126.1 (3.7)	0 (0)	2.04 (1.1)	188.63 (3.5)
जहानाबाद	26.6 (1.6)	0 (0)	33.26 (1)	0 (0)	0.61 (0.3)	60.47 (1.1)
अरवल	46.97 (2.8)	0 (0)	10.01 (0.3)	0 (0)	1.73 (0.9)	58.71 (1.1)
नवादा	35.45 (2.1)	0 (0)	85.5 (2.5)	0 (0)	4.79 (2.5)	125.74 (2.3)
औरंगाबाद	140.98 (8.5)	0.35 (0.3)	55.81 (1.6)	4.98 (12.6)	47.05 (24.7)	249.17 (4.6)
सारण	25.81 (1.6)	0.35 (0.3)	90.7 (2.7)	0 (0)	0.47 (0.2)	117.33 (2.2)
सीवान	22.51 (1.4)	2.52 (2.4)	85.63 (2.5)	0 (0)	2.43 (1.3)	113.09 (2.1)
गोपालगंज	63.48 (3.8)	0 (0)	82.78 (2.4)	0 (0)	0.35 (0.2)	146.61 (2.7)
पश्चिम चंपारण	185.44 (11.2)	0 (0)	128.94 (3.8)	0 (0)	1.1 (0.6)	315.48 (5.8)
पूर्व चंपारण	52.26 (3.1)	0 (0)	162.03 (4.7)	0 (0)	5.86 (3.1)	220.14 (4.1)
मुजफ्फरपुर	45.04 (2.7)	0 (0)	129.97 (3.8)	0 (0)	7.33 (3.8)	182.34 (3.4)
सीतामढ़ी	0 (0)	5.46 (5.2)	188.93 (5.5)	0 (0)	2.1 (1.1)	196.49 (3.6)
शिवहर	0 (0)	0 (0)	26.25 (0.8)	0 (0)	0 (0)	26.25 (0.5)
वैशाली	0 (0)	0.39 (0.4)	111.7 (3.3)	0 (0)	9.99 (5.2)	122.08 (2.3)
दरभंगा	0 (0)	82.42 (78.6)	33.67 (1)	0 (0)	10.72 (5.6)	126.8 (2.3)
मधुबनी	77.19 (4.6)	0.31 (0.3)	64.31 (1.9)	0 (0)	0.53 (0.3)	142.34 (2.6)
समस्तीपुर	0 (0)	0 (0)	227.69 (6.7)	0 (0)	1.05 (0.6)	228.75 (4.2)
बेगूसराय	0 (0)	0.62 (0.6)	115.88 (3.4)	0 (0)	0.25 (0.1)	116.74 (2.2)
मुंगेर	23.42 (1.4)	0.14 (0.1)	14.95 (0.4)	0 (0)	0.25 (0.1)	38.75 (0.7)
शेखपुरा	2.78 (0.2)	11.41 (10.9)	39.57 (1.2)	0 (0)	0.16 (0.1)	53.9 (1)
लखीसराय	14.7 (0.9)	0 (0)	46.72 (1.4)	0 (0)	0.2 (0.1)	61.61 (1.1)
जमुई	20.3 (1.2)	0 (0)	44.15 (1.3)	0 (0)	0 (0)	64.46 (1.2)
खगड़िया	0 (0)	0 (0)	86.52 (2.5)	0 (0)	0.09 (0)	86.61 (1.6)
भागलपुर	8.42 (0.5)	0 (0)	90.46 (2.6)	0 (0)	1.01 (0.5)	99.89 (1.8)
बांका	53.84 (3.2)	0.33 (0.3)	62.5 (1.8)	1.85 (4.7)	0.8 (0.4)	119.32 (2.2)
सहरसा	7.05 (0.4)	0 (0)	93.68 (2.7)	0 (0)	3.71 (1.9)	104.43 (1.9)
सुपौल	38.56 (2.3)	0 (0)	127.92 (3.7)	0 (0)	4.53 (2.4)	171.02 (3.2)
मधेपुरा	20.83 (1.3)	0 (0)	106.33 (3.1)	0 (0)	0.31 (0.2)	127.46 (2.4)
पूर्णिया	22.92 (1.4)	0 (0)	128.89 (3.8)	0 (0)	3.29 (1.7)	155.11 (2.9)
किशनगंज	0 (0)	0 (0)	47.36 (1.4)	0.05 (0.1)	0.24 (0.1)	47.65 (0.9)
अररिया	43.79 (2.6)	0 (0)	85.49 (2.5)	0 (0)	0.16 (0.1)	129.43 (2.4)
कटिहार	4.58 (0.3)	0 (0)	138.02 (4)	0.14 (0.4)	1.4 (0.7)	144.14 (2.7)
बिहार	**1660.45 (100)**	**104.88 (100)**	**3418.26 (100)**	**39.63 (100)**	**190.74 (100)**	**5413.96 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

अध्याय -4

उद्यम क्षेत्र

घरेलू मांग से आमदनी प्राप्त करने के लिए सामाजिक समावेशिता की ओर उन्मुख नीतियों की और औद्योगिक क्षमता निर्मित करने की जरूरत होती है।

– औद्योगिक विकास रिपोर्ट 2018, संयुक्त राष्ट औद्योगिक विकास संगठन

सारांश

प्रचुर भौतिक और मानव संसाधनों वाले राज्य बिहार में आद्योगीकरण की जबर्दस्त संभावना है। राज्य सरकार ने राज्य के औद्योगीकरण के लिए अनेक रणनीतियां अपनाई हैं। कृषि क्षेत्र में तुलनात्मक रूप से लाभप्रद स्थिति को देखते हुए कृषि प्रसंस्करण उद्योगों का विकास हुआ है। अनौपचारिक उद्यमों के आधिकारिक आंकड़े दर्शाते हैं कि कामकाजी उम्र वाले लोगों का बड़ा हिस्सा छोटे स्तर पर उत्पादन के कार्यों में लगा है। महत्व की बात यह है कि अनौपचारिक उद्यमों ने राज्य में पूंजी निर्माण और रोजगार पैदा करने में काफी योगदान दिया है। बड़े कृषि आधारित उद्योगों में डेयरी और चीनी उद्योगों ने खास तौर पर बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा) ने अनेक सुधारों क जरिए बिहार में औद्योगीकरण में सहायता की है। प्रमुख सुधारों का प्रभाव दिख भी रहा है क्योंकि पिछले दो वर्षों में निवेश बढ़ा है। साथ ही, राज्य में खनिजों से राजस्व संग्रहण काफी बढ़ा है जो 2017-18 के 1083 करोड़ से 2018-19 में 1557 करोड़ रु. हो गया। और पर्यटन क्षेत्र ने भी पिछले कुछ वर्षों में काफी बड़ी संख्या में देशी-विदेशी पर्यटकों को आकर्षित किया है।

औद्योगीकरण विकास को बढावा देने और देशों के बीच तथा किसी देश के क्षेत्रों के बीच आर्थिक असमानता समाप्त करने का एक सशक्त प्रेरक है। काफी पहले बिहार कृषि अर्थव्यवस्था में अधिशेष आबादी के होने से पीड़ित था और बढ़ती आबादी राज्य के अंदर और बाहर शहरी केंद्रों की ओर प्रवास कर रही थी। यह भी मानना होगा कि प्रवासियों द्वारा भेजी गई रकम का खपत संबंधी मांग पर सकारात्मक प्रभाव हुआ है, लेकिन इससे राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ पाई है। इस समस्या का टिकाऊ समाधान तेज औद्योगीकरण है। कामकाजी आबादी की बड़ी संख्या को देखते हुए बिहार को इस तरह के औद्योगीकरण की जरूरत है जो मुख्यत: श्रम-प्रधान हो और साथ ही कृषीतर अर्थव्यवस्था के आधार का विस्तार करके राज्य के अंदर बड़े पैमाने पर पूंजी निर्माण करे। इसी लिहाज से राज्य सरकार ने अधिसंरचनात्मक विकास और संस्थागत सुधारों के जरिए कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं और ऐसे निवेश के कुछ आरंभिक प्रभाव दिखते भी हैं।

बिहार में द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक वृद्धि दर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद के बीच कम संबंध रहा है। इसका अर्थ हुआ कि राज्य के समग्र आर्थिक विकास में द्वितीयक क्षेत्र के विकास में उतार-चढ़ाव का बहुत कम

योगदान रहता है। द्वितीयक क्षेत्र के उप-क्षेत्रों के विकास पथ पिछले पांच वर्षों में अस्थिर रहे हैं। हालांकि द्वितीयक क्षेत्र के विकास का सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक विनिर्माण क्षेत्र रहा है। द्वितीयक क्षेत्र में हासिल समग्र वृद्धि में विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन की बहुत महबूत भूमिका रही है। हाल के वर्षों में बिजली, गैस, जलापूर्ति, एवं अन्य उपयोगी सेवाएं (ईजीडब्ल्ययूएस) उपलब्ध कराने में राज्य ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। उल्लेखनीय है कि द्वितीयक क्षेत्र के अन्य उप-क्षेत्रों के विपरीत इस उप-क्षेत्र की वृद्धि दर हाल क वर्षों में लगातार धनात्मक रही है और कुछ वर्षों में तो सराहनीय ढंग से ऊंची रही है (तालिका 4.1)।

राज्यों के सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में औद्योगिक क्षेत्र के योगदान की तुलना करने पर दिखता है कि देश के सभी प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में इसका योगदान सबसे कम था। अभी तक छोटे औद्योगिक उद्यमों की बहुलता वाली बिहार की औद्योगिक अर्थव्यवस्था उपभोक्ता वस्तुओं की मांग से प्रेरित होती है। क्षेत्रगत ढांचे से पता चलता है कि बिहार में सकल राजकीय मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान 2017-18 मं महज 20.0 प्रतिशत था जो संपूर्ण भारत के औसत से 11.2 प्रतिशत अंक कम है। यह झारखंड (37.1 प्रतिशत), छत्तीसगढ़ (48.0 प्रतिशत), और उड़ीसा (42.1 प्रतिशत) जैसे राज्यों से भी काफी कम था (तालिका 4.2)। बिहार में औद्योगिक क्षेत्र का कम हिस्सा तृतीयक क्षेत्र को सशक्त उपस्थिति का संकेत देता है क्योंकि सकल राजकीय मूल्यवर्धन में कृषि क्षेत्र का योगदान महज 25 प्रतिशत है। बिहार में द्वितीयक क्षेत्र में भी विनिर्माण क्षेत्र का आकार बहुत छोटा है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने सुव्यवस्थित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 लाकर औद्योगीकरण की रणनीति बनाई है और औद्योगीकरण की प्रक्रिया में कुछ संस्थागत बदलाव लाए हैं।

तालिका 4.1 : बिहार में स्थिर मूल्य पर द्वितीयक क्षेत्र की वार्षिक विकास दरें (2012-13 से 2018-19)

क्षेत्र	द्वितीयक क्षेत्र					सकल राज्य घरेलू उत्पाद
	खनन एवं उत्खनन	विनिर्माण	बिजली, गैस, जलापूर्ति एवं अन्य उपयोगो सेवाएं	निर्माण	योगफल	
2012-13	8.9	-33.8	9.8	-5.2	-13.1	3.9
2013-14	540.6	94.5	2.8	6.5	30.6	5.0
2014-15	-58.3	37.4	3.4	-4.6	10.0	3.6
2015-16	210.0	-10.0	0.1	10.2	2.3	6.1
2016-17	-24.6	25.6	8.3	6.0	13.1	8.9
2017-18(P)	-12.0	1.3	12.0	7.0	4.4	10.5
2018-19(Q)	2.7	3.0	5.3	9.4	6.2	10.5

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका 4.2 : भारत के विभिन्न राज्यों में सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान(2011-12 से 2017-18)

राज्य	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
आंध्र प्रदेश	32.2	27.7	26.5	27.5	27.5	27.6	27.0
असम	32.4	29.8	30.8	30.8	37.7	39.7	39.0
बिहार	**18.8**	**15.7**	**19.8**	**21.1**	**20.3**	**21.1**	**20.0**
छत्तीसगढ़	47.3	47.1	49.1	47.6	47.1	47.5	47.3
गुजरात	43.8	47.2	45.0	47.2	49.8	49.8	49.5
हरियाणा	31.6	32.2	32.1	31.7	32.2	32.7	32.1
झारखंड	45.4	46.4	45.2	43.5	41.3	41.0	40.6
कर्नाटक	29.5	28.2	27.8	26.5	27.6	28.7	28.0
केरल	28.2	27.2	27.3	27.3	27.7	28.9	28.6
मध्य प्रदेश	30.9	28.0	27.6	27.3	29.3	27.3	27.6
महाराष्ट्र	35.8	35.5	34.3	34.9	35.5	34.8	34.8
ओडिशा	43.6	41.0	43.8	40.2	42.8	45.3	44.4
पंजाब	25.4	24.8	24.7	25.0	25.2	25.1	25.1
राजस्थान	32.7	31.4	29.7	30.5	33.3	33.1	32.9
तमिलनाडु	36.9	37.7	35.8	33.6	36.2	37.3	36.9
तेलंगाना	30.9	27.1	25.5	23.7	25.7	24.0	23.8
उत्तर प्रदेश	27.6	27.0	27.7	26.5	28.2	29.1	28.6
पश्चिम बंगाल	26.6	26.1	26.2	24.4	25.0	27.1	28.3
भारत	**32.5**	**31.8**	**31.2**	**31.1**	**31.6**	**31.5**	**31.2**

स्रोत : केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (सीएसओ)

4.1 उद्योगों की स्थिति

आंकड़ों के अधिकृत स्रोत वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण (एएसआइ) के द्वारा कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत निबंधित कारखानों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इसके अलावा, सर्वेक्षण द्वारा बिजली की सहायता से काम करने वाले 10 या अधिक और बिना बिजली काम करने वाले 20 या अधिक मजदूरों के नियोजन वाली ऐसी बीड़ी और सिगार निर्माण इकाइयों के बारे में भी सूचना एकत्र की जाती है जो बीड़ी एवं सिगार श्रमिक (नियोजन की स्थिति) अधिनियम, 1966 के तहत निबंधित हों।

तालिका 4.3 में बिहार और संपूर्ण भारत के स्तर पर कारखानों की संख्या और चालू कारखानों की संख्या की जानकारी दी गई है। बिहार में कृषि-आधारित और कृषीतर, दोनो प्रकार के कारखानों और चालू कारखानों की

तालिका 4.3 : कारखानों और चालू कारखानों की संख्या (2006-07 से 2016-17)

वर्ष	कारखानों की संख्या			चालू कारखानों की संख्या			कुल कारखानों में चालू कारखानों का प्रतिशत
	कृषि आधारित	कृषीतर	योग	कृषि आधारित	कृषीतर	योग	
बिहार							
2006-07	278	1323	1601	228	1182	1410	88.1
2007-08	466	1319	1785	404	1209	1613	90.4
2008-09	437	1340	1777	377	1172	1549	87.2
2009-10	510	1409	1919	454	1271	1725	89.9
2010-11	918	1889	2807	822	1725	2547	90.7
2011-12	1126	2106	3232	1014	1858	2872	88.9
2012-13	1141	2206	3347	1005	1941	2946	88.0
2013-14	1148	2272	3420	1036	2096	3132	91.6
2014-15	1232	2298	3530	1129	1813	2942	83.3
2015-16	1251	2372	3623	1092	1826	2918	80.5
2016-17	1229	2302	3531	1049	1859	2908	82.4
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	16.0	7.4	9.7	16.4	5.9	8.8	—
भारत							
2006-07	54902	89809	144711	51681	86937	138618	95.8
2007-08	62189	84196	146385	59124	81443	140567	96.0
2008-09	67259	88063	155322	64005	86285	150290	96.8
2009-10	65409	93469	158878	62299	90336	152635	96.1
2010-11	87520	117011	204531	69249	97387	166636	81.5
2011-12	93251	124303	217554	72769	102939	175708	80.8
2012-13	87803	134317	222120	68698	110403	179101	80.6
2013-14	87775	136803	224578	70993	114697	185690	82.7
2014-15	95887	134546	230433	77049	112417	189466	82.2
2015-16	90762	142354	233116	73427	117635	191062	82.0
2016-17	91159	143706	234865	75684	118696	194380	82.8
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	5.3	6.2	5.8	3.3	4.1	3.8	—

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

वार्षिक वृद्धि दर संपूर्ण भारत के औसत से अधिक थी। इस पर भी गौर करना उत्साहवर्धक है कि पिछले 10 वर्षों में बिहार में चालू कृषि-आधारित कारखानों की वृद्धि दर 16.4 प्रतिशत थी जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर मात्र 3.3 प्रतिशत थी। हालांकि कुछ वर्षों में कारखानों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई है।

तालिका 4.4 में भारत और बिहार में चलने वाले उद्योगों के आकार और पैमाने का निर्णय लेने के कुछ महत्वपूर्ण सूचकों पर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। ये सूचक हैं - स्थिर पूंजी की मात्रा, कार्यशील पूंजी की मात्रा, कर्मियों

तालिका 4.4 : बिहार में उद्योग (2006-07 से 2016-17)

वर्ष	चालू कारखानों की संख्या (हजार में)		बिहार भारत के प्रतिशत के बतौर	स्थिर पूंजी (हजार करोड़ में)		बिहार भारत के प्रतिशत के बतौर
	भारत	बिहार		भारत	बिहार	
2006-07	139	1.41	1.0	715	2.95	0.4
2007-08	141	1.61	1.1	845	3.01	0.4
2008-09	150	1.55	1.0	1056	3.03	0.3
2009-10	153	1.73	1.1	1352	4.45	0.3
2010-11	167	2.55	1.5	1607	5.26	0.3
2011-12	176	2.87	1.6	1950	7.55	0.4
2012-13	179	2.95	1.6	2180	6.47	0.3
2013-14	186	3.13	1.7	2374	8.04	0.3
2014-15	189	2.94	1.6	2474	9.94	0.4
2015-16	191	2.92	1.5	2810	9.92	0.4
2016-17	194	2.91	1.5	3190	18.04	0.6
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	3.7	8.8	—	15.9	18.6	—
वर्ष	कार्यशील पूंजी (हजार करोड़ में)		बिहार भारत के प्रतिशत के बतौर	नियोजित लोगों की संख्या (हजार में)		बिहार भारत के प्रतिशत के बतौर
	भारत	बिहार		भारत	बिहार	
2006-07	282	1.61	0.6	10328	67.00	0.6
2007-08	317	1.64	0.5	10453	74.00	0.7
2008-09	311	1.47	0.5	11327	74.00	0.6
2009-10	388	0.95	0.2	11792	87.00	0.7
2010-11	620	2.47	0.4	12695	106.00	0.8
2011-12	589	(-)0.24	—	13430	127.00	1.0
2012-13	603	2.48	0.4	12950	116.00	0.9
2013-14	1011	5.88	0.6	13538	114.00	0.8
2014-15	641	3.49	0.5	13881	146.00	1.0
2015-16	741	1.45	0.2	14300	119.50	0.8
2016-17	663	2.08	0.3	14911	116.23	0.8
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	11.2	7.0	—	3.7	6.9	—
वर्ष	निर्गत मूल्य (हजार करोड़ में)		बिहार भारत के प्रतिशत के बतौर	शुद्ध मूल्यवर्धन (हजार करोड़ में)		बिहार भारत के प्रतिशत के बतौर
	भारत	बिहार		भारत	बिहार	
2006-07	2409	19.04	0.8	396	0.32	0.1
2007-08	2776	21.87	0.8	482	1.16	0.2
2008-09	3273	29.54	0.9	528	3.18	0.6
2009-10	3733	2.83	0.1	592	2.32	0.4
2010-11	4676	36.05	0.8	705	4.42	0.6
2011-12	5776	60.17	1.0	837	5.64	0.7
2012-13	6026	51.68	0.9	852	1.30	0.2
2013-14	6555	55.30	0.8	895	5.15	0.6
2014-15	6884	58.76	0.8	975	5.82	0.6
2015-16	6862	47.73	0.7	1072	5.24	0.5
2016-17	7266	47.69	0.7	1146	5.37	0.5
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	12.3	15.7	—	10.9	22.5	—

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

की संख्या, निर्गत मूल्य, तथा शुद्ध मूल्यवर्धन। इस तालिका से कुछ रोचक निष्कर्ष सामने आते हैं। सर्वप्रथम, कार्यशील पूंजी की वृद्धि को छोड़ दें, तो उक्त सारे सूचक संपूर्ण भारत के स्तर की तुलना में बिहार में अधिक तेजी से बढ़े। दूसरे, 2015-16 और 2016-17 के बीच बिहार में चालू कारखानों की संख्या में थोड़ी गिरावट आई लेकिन स्थिर पूंजी में 82 प्रतिशत और कार्यशील पूंजी में 43 प्रतिशत वृद्धि हुई। तीसरे, 2015-16 और 2016-17 के बीच निर्गत मूल्य और शुद्ध मूल्यवर्धन में थोड़ी वृद्धि हुई है जबकि पहले भी कहा गया कि चालू कारखानों की संख्या में थोड़ी कमी आई है। चौथे, 2015-16 और 2016-17 के बीच बिहार में नियोजित लोगों की संख्या में लगभग 3 प्रतिशत कमी आई है। संयुक्त रूप से ये चारो सूचक यह बताते हैं कि सामान्य धारणा के विपरीत बिहार में पूंजी-प्रधान उद्योगों की संख्या धीरे-धीरे बढ़ रही है।

श्रम, पूंजी और निर्गत संबंधी विभिन्न पैमानों का उपयोग तालिका 4.5 पुष्टि करता है कि बिहार में वित्तवर्ष 2016-17 में प्रति चालू कारखाना स्थिर पूंजी में और प्रति नियोजित व्यक्ति स्थिर पूंजी में उल्लेखनीय सुधार दिखा है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के बीच प्रति चालू कारखाना श्रमिकों की संख्या, प्रति चालू कारखाना नियोजित व्यक्तियों की संख्या, प्रति चालू कारखाना शुद्ध मूल्यवर्धन, और प्रति नियोजित व्यक्ति शुद्ध मूल्यवर्धन जैसी अन्य चीजों में या तो मामूली बदलाव आए हैं या फिर उनमें कोई बदलाव नहीं आया है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के बीच प्रति चालू कारखाना स्थिर पूंजी की रकम 82.5 प्रतिशत और प्रति व्यक्ति स्थिर पूंजी की रकम 87 प्रतिशत बढ़ी है। इससे भी स्पष्ट पता चलता है कि बिहार में चालू उद्योगों में पूंजी की सघनता बढ़ी है। हालांकि बिहार में प्रति कारखाना स्थिर पूंजी का औसत आकार संपूर्ण भारत के औसत का महज 37.8 प्रतिशत है जो बिहार में कारखानों के छोटे आकार का संकेत देता है। वर्ष 2015-16 और 2016-17 के बीच पूंजी-श्रमिक अनुपात के मामले में बिहार और संपूर्ण भारत के बीच फासले में काफी कमी आई है।

तालिका 4.5 : भारत और बिहार में उद्योगों के संरचना अनुपात (2012-13 से 2016-17)

विशेषताएं	2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार	भारत	बिहार
प्रति चालू कारखाना स्थिर पूंजी (लाख रु.)	1217	220 (18.1)	1278	257 (20.1)	1306	338 (25.9)	1470.5	339.9 (23.1)	1641.3	620.4 (37.8)
प्रति नियोजित व्यक्ति स्थिर पूंजी (लाख रु.)	16.9	5.6 (33.1)	17.5	7.1 (40.4)	17.8	6.8 (38.2)	19.6	8.3 (42.2)	21.4	15.5 (72.6)
प्रति चालू कारखाना श्रमिकों की संख्या	56	34 (60.7)	56	31 (54.6)	57	43 (75.2)	58.3	35.4 (60.7)	60.0	34 (56.7)
प्रति चालू कारखाना नियोजित व्यक्तियों की संख्या	72	40 (55.6)	73	36 (49.7)	73	50 (67.8)	74.8	41 (54.7)	76.7	40 (52.1)
प्रति चालू कारखाना शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रु.)	476	44 (9.2)	482	165 (34.1)	515	197 (38.5)	561.3	179.6 (32)	589.5	184.6 (31.3)
प्रति नियोजित व्यक्ति शुद्ध मूल्यवर्धन (लाख रु.)	6.6	1.1 (17)	6.6	4.5 (68.6)	7	4.0 (56.7)	7.5	4.4 (58.5)	7.7	4.6 (60.1)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े संपूर्ण भारत के आंकड़ों में बिहार का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

देश के औद्योगिक उत्पादन में बिहार का योगदान अत्यंत सीमित रहा है। वर्ष 2016-17 में देश के औद्योगिक क्षेत्र के कुल सकल मूल्यवर्धन में बिहार का योगदान मात्र 0.5 प्रतिशत था (तालिका 4.6)। हाल के वर्षों में यह अनुपात और भी घटकर लगभग 0.3 प्रतिशत रह गया। बिहार के सकल निर्गत मूल्य में सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा भी 13.4 प्रतिशत ही था जो औद्योगिक उत्पादन के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले राज्य महाराष्ट से 9.1 प्रतिशत अंक कम है। राष्टोय स्तर पर यह अनुपात 18.8 प्रतिशत है। अगर बिहार और महाराष्ट के चालू कारखानों के औसत स्तर की तुलना की जाय, तो बिहार में प्रति कारखाने में 2.2 करोड़ रु. जुड़े जबकि महाराष्ट में 11.5 करोड़ रु.। यह भी बतलाना है कि बिहार में चालू कारखाने अपेक्षाकृत छोटे आकार के हैं।

तालिका 4.6 : औद्योगिक क्षेत्र के सकल निर्गत मूल्य और सकल मूल्यवर्धन का राज्यवार विवरण (2016-17)

राज्य	चालू कारखानों की संख्या	सकल निर्गत मूल्य (करोड़ रु.)	सकल मूल्यवर्धन		
			रकम (करोड़ रु. में)	योगफल में प्रतिशत हिस्सा	सकल निर्गत मूल्यके प्रतिशत के बतौर
आंध्र प्रदेश	13084	265834	35406	2.6	13.3
बिहार	**2908**	**47693**	**6414**	**0.5**	**13.4**
छत्तीसगढ़	2874	108669	17076	1.2	15.7
गुजरात	18980	1222201	199211	14.6	16.3
हरियाणा	6854	500387	78960	5.8	15.8
झारखंड	2449	123228	26942	2.0	21.9
कर्नाटक	10748	501647	97292	7.1	19.4
केरल	6748	143187	22362	1.6	15.6
मध्य प्रदेश	3975	204673	39676	2.9	19.4
महाराष्ट्र	21095	1074970	242152	17.7	22.5
ओडिशा	2694	151092	30836	2.3	20.4
पंजाब	10705	189215	29143	2.1	15.4
राजस्थान	8263	270546	50224	3.7	18.6
तमिलनाडु	31614	765524	143044	10.5	18.7
तेलंगाना	12725	203818	42201	3.1	20.7
उत्तर प्रदेश	12894	495523	101007	7.4	20.4
पश्चिम बंगाल	8604	288236	37094	2.7	12.9
भारत	**194380**	**7265514**	**1368050**	**100.0**	**18.8**

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

बिहार में कारखानों की उक्त विशेषताएं तालिका 4.7 में भी दिखती हैं जिसमें रोजगार और मजदूरी के आंकड़े प्रस्तुत हैं। बिहार में प्रति कारखाना औसतन 40.0 लोग नियोजित हैं जो संपूर्ण भारत के औसत (76.7 श्रमिक)

का लगभग आधा और हरियाणा में किसी कारखाना की औसत रोजगार देने की क्षमता (120.7 श्रमिक) का एक-तिहाई है। पहले भी कहा गया है कि बिहार में श्रमिकों की निम्न उत्पादकता के कारण उनकी खपत का स्तर भी निम्न रहता है। जैसे, बिहार में किसी कारखाने में श्रमिक को मजदूरी, वेतन और बोनस के रूप में प्रति वर्ष आसतन 1.296 लाख रु. प्राप्त होते हैं जो देश में सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले दो राज्यों -झारखंड (3.738 लाख रु.) और महाराष्ट (3.44 लाख रु.) - का महज एक-तिहाई है। राष्टोय स्तर पर प्रति वर्ष औसत खपत 2.528 लाख रु. है।

तालिका 4.7 : औद्योगिक क्षेत्र नियोजित व्यक्तियों का राज्यवार विवरण (2016-17)

राज्य	चालू कारखानों की संख्या	नियोजित व्यक्ति			प्रति व्यक्ति वार्षिक मजदूरी, वेतन और बोनस
		संख्या	योगफल में प्रतिशत हिस्सा	प्रति कारखाना रोजगार	
आंध्र प्रदेश	13084	5640	3.8	43.1	4140
बिहार	**2908**	**1162**	**0.8**	**40.0**	**129584**
छत्तीसगढ़	2874	1874	1.3	65.2	311084
गुजरात	18980	16346	11.0	86.1	265457
हरियाणा	6854	8270	5.5	120.7	275156
झारखंड	2449	1891	1.3	77.2	373762
कर्नाटक	10748	10650	7.1	99.1	293578
केरल	6748	3196	2.1	47.4	217388
मध्य प्रदेश	3975	3726	2.5	93.7	244332
महाराष्ट्र	21095	19262	12.9	91.3	344045
ओडिशा	2694	2725	1.8	101.2	291872
पंजाब	10705	6563	4.4	61.3	169765
राजस्थान	8263	5330	3.6	64.5	247513
तमिलनाडु	31614	24083	16.2	76.2	220216
तेलंगाना	12725	7246	4.9	56.9	187290
उत्तर प्रदेश	12894	10129	6.8	78.6	241917
पश्चिम बंगाल	8604	6407	4.3	74.5	215239
भारत	**194380**	**149112**	**100.0**	**76.7**	**252790**

स्रोत : वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

बिहार में औद्योगिक क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से निम्न निवेश, निम्न पूंजी निर्माण, और निवेश पर निम्न प्रतिफल की समस्या से ग्रस्त रहा है। हालांकि राज्य सरकार द्वारा सतर्क नीति निर्माण और संस्थागत हस्तक्षेप विगत पांच वर्षों के दौरान राज्य में निवेश के वातावरण में सुधार लाने में मददगार रहे हैं। वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के आंकड़ों से पता चलता है कि 2015-16 और 2016-17 के बीच स्थिर पूंजी और कार्यशील पूंजी के स्तर में काफी सुधार हुआ है। यह इस बात का भी स्पष्ट संकेत देता है कि भविष्य में राज्य की आर्थिक विकास प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिहाज से औद्योगिक क्षेत्र का विकास सही दिशा में हो रहा है।

बिहार में अनौपचारिक उद्यम

राष्टोय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के जुलाई 2015 से जून 2016 के बीच संपन्न 73वें चक्र '(निर्माणेतर) अनिगमित कृषीतर उद्यम सर्वेक्षण' के अनुसार अनिगमित कृषीतर उद्यमों की संख्या संपूर्ण भारत के स्तर पर 6.34 करोड़ अनुमानित थी जिनमें से 5.4 प्रतिशत बिहार में चल रहे थे। अनौपचारिक क्षेत्र के विभिन्न पक्षों को समझने के लिए राष्टोय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 73वें चक्र में तीन क्षेत्रों - विनिर्माण, व्यापार एवं अन्य सेवाएं (निर्माण छोड़कर) - के अनिगमित कृषीतर उद्यमों को शामिल किया गया। यहां उल्लेखनीय है कि वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में देश की अनौपचारिक उत्पादन इकाइयों का बड़ा हिस्सा शामिल नहीं रहता है। सात प्रकार के उद्यमों का सर्वेक्षण किया गया था - (1) विनिर्माण उद्यम (कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 2एम(1) और 2एम(2) के तहत निबंधित उद्यमों को छोड़कर), (2) कारखाना अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 85 के तहत निबंधित विनिर्माण उद्यम, (3) कारखाना अधिनियम, 1948 के तहत निबंधित उद्यमों से इतर कपास की ओटाई, सफाई और गट्ठर बांधने में लगे उद्यम, (4) बीड़ी एवं सिगार (नियोजन स्थिति अधिनियम, 1966 के तहत निबंधित उद्यमों से इतर बीड़ी और सिगार निर्माण में लगे उद्यम, (5) केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के पास अनिबंधित अनिबद्ध विद्युत उत्पादन, संचरण एवं वितरण इकाइयां, (6) व्यापारिक उद्यम, और (7) अन्य सेवा क्षेत्रों के उद्यम (निर्माण छोड़कर)।

इस खंड में गतिविधियों की तीन महत्वपूर्ण श्रेणियों (विनिर्माण, व्यापार, तथा अन्य सेवाएं) और गतिविधि की हर श्रेणी में दो प्रकार के उद्यमों (स्वश्रम उद्यमों और प्रतिष्ठानों) का उपयोग करके अनिगमित कृषीतर उद्यमों के कुछ मुख्य आर्थिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। तालिका 4.8 से पता चलता है कि संपूर्ण भारत के स्तर पर पूरी तरह से बाजार के लिए उत्पादन करने में लगे उद्यमों के कुल सकल मूल्यवर्धन में विनिर्माण का 23.5 प्रतिशत हिस्सा था जबकि व्यापार का 38.7 प्रतिशत और अन्य सेवाओं का 37.8 प्रतिशत योगदान था। गुजरात (42.6 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (32.7 प्रतिशत) जैसे राज्यों में विनिर्माण का ऊंचा हिस्सा था। बिहार में कुल सकल मूल्यवर्धन में विनिर्माण का हिस्सा 18.3 प्रतिशत था जबकि व्यापार का हिस्सा 53.8 प्रतिशत था जो सभी राज्यों में सबसे अधिक है। वहीं, अन्य सेवाओं का हिस्सा बिहार में सबसे कम (27.9 प्रतिशत) था।

तालिका 4.8 : राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी के अनुसार सभी बाजारोन्मुख उद्यमों के अनुमानित सकल मूल्यवर्धन का हिस्सा (2016)

राज्य	विनिर्माण	व्यापार	अन्य सेवाएं	सभी
आंध्र प्रदेश	22.3	32.6	45.1	100.0
असम	18.3	53.8	27.9	100.0
बिहार	**18.1**	**45.1**	**36.9**	**100.0**
छत्तीसगढ़	19.3	46.1	34.7	100.0
गुजरात	42.6	26.7	30.8	100.0
हरियाणा	16.2	39.1	44.7	100.0
झारखंड	18.4	40.2	41.5	100.0
कर्नाटक	21.0	39.7	39.4	100.0
केरल	15.7	37.6	46.7	100.0
मध्य प्रदेश	18.0	37.0	45.1	100.0
महाराष्ट्र	20.0	39.4	40.6	100.0
ओडिशा	15.6	45.5	38.8	100.0
पंजाब	23.2	47.4	29.3	100.0
राजस्थान	21.8	34.3	44.0	100.0
तमिलनाडु	27.6	32.5	40.0	100.0
तेलंगाना	23.2	34.9	41.9	100.0
उत्तर प्रदेश	20.9	46.3	32.8	100.0
पश्चिम बंगाल	32.7	36.3	31.0	100.0
भारत	**23.5**	**38.7**	**37.8**	**100.0**

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 73वां चक्र, जुलाई 2015 से जून 2016

विनिर्माण क्षेत्र के अंदर बिहार में प्रति स्वश्रम उद्यम (ओएई) सकल मूल्यवर्धन 99 हजार रु. था जो संपूर्ण भारत के औसत (62 हजार रु.) से अधिक था (तालिका 4.9)। हालांकि विनिर्माण क्षेत्र के अंदर बिहार में प्रतिष्ठानों का प्रदर्शन (301 हजार रु.) राष्ट्रीय औसत (574 हजार रु.) से कमजोर था। सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले राज्य गुजरात (1209 हजार रु.) और बिहार (301 हजार रु.) के बीच काफी अधिक फासला था। विनिर्माण क्षेत्र के अंदर बिहार में औसत प्रतिष्ठान द्वारा गुजरात की तुलना में एक-चौथाई सकल मूल्यवर्धन ही हो पा रहा था। वहीं व्यापार क्षेत्र में स्वश्रम उद्यमों और प्रतिष्ठानों, दोनो का प्रदर्शन विनिर्माण क्षेत्र से अच्छा था। स्वीकार करना होगा कि सभी क्षेत्रों को ध्यान में रखने पर अनिगमित कृषीतर प्रतिष्ठानों के प्रदर्शन का स्तर राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर है; लेकिन सिर्फ स्वश्रम उद्यमों को ध्यान में रखने पर बिहार के प्रदर्शन का स्तर राष्ट्रीय औसत से बेहतर है।

तालिका 4.9 : राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी और उद्यम के प्रकार के अनुसार सभी बाजारोन्मुख उद्यमों प्रति उद्यम अनुमानित सकल मूल्यवर्धन (2016)

राज्य	प्रति उद्यम सकल मूल्यवर्धन (हजार रु. में)								
	विनिर्माण			व्यापार			अन्य सेवाएं		
	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी
आंध्र प्रदेश	50	353	99	104	587	161	72	911	140
असम	89	348	153	105	316	137	90	314	139
बिहार	**99**	**301**	**121**	**120**	**526**	**154**	**107**	**435**	**163**
छत्तीसगढ़	61	462	109	77	469	125	71	536	156
गुजरात	87	1209	278	133	609	206	108	1192	243
हरियाणा	115	669	271	162	611	267	123	1276	405
झारखंड	45	383	64	85	505	114	81	419	146
कर्नाटक	71	629	155	167	591	264	123	980	304
केरल	69	588	189	134	747	333	128	872	282
मध्य प्रदेश	52	392	85	94	400	136	88	856	230
महाराष्ट्र	79	789	217	164	736	281	132	1046	336
ओडिशा	44	301	65	71	555	116	63	356	112
पंजाब	100	465	188	144	623	256	104	554	179
राजस्थान	86	587	162	112	603	181	136	1072	281
तमिलनाडु	66	585	167	130	569	225	117	660	252
तेलंगाना	49	485	81	128	589	216	92	866	208
उत्तर प्रदेश	69	415	120	102	562	146	84	534	150
पश्चिम बंगाल	33	414	67	104	407	137	71	441	110
भारत	**62**	**574**	**136**	**121**	**598**	**195**	**100**	**737**	**211**

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 73वां चक्र, जुलाई 2015 से जून 2016

तालिका 4.10 में गतिविधियों की तीनो श्रेणियों और उद्यमों के दोनो प्रकारों में सभी बाजारोन्मुख उद्यमों की श्रमिकों की उत्पादकता की जांच की गई है। विनिर्माण क्षेत्र के स्वश्रम उद्यमों में प्रति श्रमिक सकल मूल्यवर्धन बिहार में 71 हजार रु. था जो राष्टोय औसत (46 हजार रु.) से लगभग 54 प्रतिशत अधिक था। इसी प्रकार, स्वश्रम उद्यमों में व्यापार में प्रति श्रमिक सकल मूल्यवर्धन 94 हजार रु. था और यह भी राष्टोय औसत (88 हजार रु.) से 7 प्रतिशत अधिक था। लेकिन तीनो श्रेणियों में बिहार के प्रतिष्ठानों का प्रदर्शन संपूर्ण भारत के औसत से कमजोर था। तालिका 4.9 और 4.10 को संयुक्त रूप से देखते हुए सुरक्षित निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि छोटे आकार के बावजूद बिहार में स्वश्रम उद्यम प्रतिष्ठानों की तुलना में अधिक कुशलता से चल रहे हैं।

तालिका 4.10 : राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी और उद्यम के प्रकार के अनुसार सभी बाजारोन्मुख उद्यमों में प्रति श्रमिकअनुमानित सकल मूल्यवर्धन (2016)

राज्य	प्रति श्रमिकसकल मूल्यवर्धन (हजार रु. में)								
	विनिर्माण			व्यापार			अन्य सेवाएं		
	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी
आंध्र प्रदेश	37	74	52	71	164	93	70	149	98
असम	70	91	81	94	122	102	84	95	89
बिहार	**71**	**96**	**76**	**94**	**159**	**107**	**88**	**119**	**100**
छत्तीसगढ़	35	86	51	45	137	65	53	116	80
गुजरात	71	185	131	95	179	120	98	228	150
हरियाणा	95	132	118	133	202	163	109	224	181
झारखंड	33	84	42	61	156	74	67	114	87
कर्नाटक	56	144	89	115	175	139	112	191	156
केरल	56	150	102	105	224	171	116	187	153
मध्य प्रदेश	35	94	49	68	113	81	70	139	107
महाराष्ट्र	62	158	108	112	220	152	117	230	178
ओडिशा	28	85	37	47	167	70	53	93	69
पंजाब	83	127	105	118	195	153	95	128	110
राजस्थान	65	136	91	90	200	121	113	176	143
तमिलनाडु	53	121	86	89	164	118	99	146	125
तेलंगाना	44	132	62	83	181	115	94	164	128
उत्तर प्रदेश	42	83	56	69	154	87	68	103	82
पश्चिम बंगाल	25	84	40	83	131	95	66	117	81
भारत	**46**	**122**	**74**	**88**	**180**	**116**	**88**	**158**	**120**

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 73वां चक्र, जुलाई 2015 से जून 2016

तीनों श्रेणियों की गतिविधियों और दोनो प्रकार के उद्यमों में संपूर्ण भारत के स्तर पर श्रमिकों की वार्षिक आय (विनिर्माण में स्वश्रम उद्यमों में) 53 हजार रु. से लेकर (अन्य सेवाओं में प्रतिष्ठानों में) 82 हजार रु. तक है। यह स्पष्ट दर्शाता है कि सभी राज्यों में अनिगमित क्षेत्र में अधिकांश उजरती (भाड़े के) मजदूरों की मजदूरी निगमित क्षेत्र के उजरती मजदूरों की अपेक्षा काफी कम है। बिहार में उजरती मजदूरों की मजदूरी का स्तर तो और भी कम है – (विनिर्माण में स्वश्रम उद्यमों में) 48 हजार रु. से लेकर (अन्य सेवाओं में प्रतिष्ठानों में) 68 हजार रु. तक।

तालिका 4.11 : राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी और उद्यम के प्रकार के अनुसार सभी उद्यमों के उजरती मजदूरों की वार्षिक परिलब्धियां (2016)

राज्य	प्रति उजरती मजदूर परिलब्धियां (हजार रु. में)								
	विनिर्माण			व्यापार			अन्य सेवाएं		
	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी
आंध्र प्रदेश	49	50	50	51	77	77	58	106	105
असम	31	48	48	34	53	53	35	60	60
बिहार	**48**	**57**	**57**	**37**	**61**	**60**	**40**	**68**	**68**
छत्तीसगढ़	31	47	46	44	66	66	23	72	69
गुजरात	37	92	92	49	81	81	79	161	161
हरियाणा	69	78	78	56	94	94	51	165	165
झारखंड	49	52	52	29	60	59	49	81	79
कर्नाटक	51	90	89	102	96	96	61	119	119
केरल	94	112	112	77	118	118	70	138	137
मध्य प्रदेश	39	52	52	33	76	75	53	86	85
महाराष्ट्र	59	94	94	55	88	88	56	137	137
ओडिशा	58	53	53	42	63	63	27	66	66
पंजाब	42	77	76	47	74	74	85	85	85
राजस्थान	80	86	86	79	76	76	52	106	105
तमिलनाडु	61	83	83	64	87	87	62	103	103
तेलंगाना	60	87	87	16	84	83	50	104	104
उत्तर प्रदेश	51	51	51	50	61	61	39	63	63
पश्चिम बंगाल	35	60	60	44	55	55	41	60	60
भारत	**53**	**76**	**76**	**61**	**81**	**80**	**51**	**102**	**101**

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 73वां चक्र, जुलाई 2015 से जून 2016

तीनों श्रेणियों की गतिविधियों और दोनो प्रकार के उद्यमों में बिहार में उद्यमों की स्थिर पूंजी का स्तर संपूर्ण भारत के औसत से काफी कम है (तालिका 4.12)। जैसे, बिहार में विनिर्माण क्षेत्र के प्रतिष्ठानों के पासमात्र 199 हजार रु. की औसत स्थिर परिसंपत्तियां थीं जो 662 हजार रु. के संपूर्ण भारतीय औसत का लगभग 30 प्रतिशत ही है। व्यापार के प्रतिष्ठानों के मामले में भी यही पैटर्न दिखता है जो संपूर्ण भारत के औसत का मात्र 57 प्रतिशत है। यही स्थिति अन्य सेवाओं के प्रतिष्ठानों की भी है जो संपूर्ण भारत के औसत का मात्र 44 प्रतिशत है। हालांकि स्वश्रम उद्यमों के मामले में तीनो श्रेणियों की गतिविधियों में बिहार और संपूर्ण भारत के स्तर पर काफी कम फासला है।

तालिका 4.12 : राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी और उद्यम के प्रकार के अनुसार सभी उद्यमों के लिए प्रति उद्यम अपनी स्थिर परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य (2016)

राज्य	प्रति उद्यम अपनी स्थिर परिसंपत्तियों का बाजार मूल्य (हजार रु. में)								
	विनिर्माण			व्यापार			अन्य सेवाएं		
	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी
आंध्र प्रदेश	66	351	112	62	416	103	86	1217	178
असम	36	221	81	45	123	57	118	326	164
बिहार	**69**	**199**	**83**	**70**	**361**	**94**	**102**	**527**	**174**
छत्तीसगढ़	86	535	140	127	527	175	101	1405	340
गुजरात	162	2479	556	260	1228	409	151	2170	404
हरियाणा	144	687	296	180	479	250	162	1664	528
झारखंड	38	275	52	76	325	93	93	764	224
कर्नाटक	74	631	158	109	327	159	177	1284	412
केरल	58	351	126	111	393	203	175	1380	426
मध्य प्रदेश	91	473	128	136	873	237	171	1299	382
महाराष्ट्र	147	1298	372	254	1409	491	252	1956	635
ओडिशा	38	194	50	48	232	65	69	626	161
पंजाब	120	532	219	162	692	286	145	926	275
राजस्थान	127	547	191	161	605	224	245	1975	514
तमिलनाडु	89	617	192	107	356	160	203	960	392
तेलंगाना	55	231	68	115	197	130	137	784	234
उत्तर प्रदेश	100	470	154	117	954	198	126	1318	301
पश्चिम बंगाल	31	246	50	70	246	90	74	498	119
भारत	**79**	**662**	**163**	**125**	**636**	**204**	**147**	**1185**	**328**

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 73वां चक्र, जुलाई 2015 से जून 2016

स्थिर परिसंपत्तियों के निम्न औसत मूल्य के बावजूद बिहार में स्थिर परिसंपत्तियों के साथ सकल मूल्यवर्धन का अनुपात दर्शाता है कि अनिगमित कृषीतर उद्यमों ने राष्टोय औसत की तुलना में उल्लेखनीय रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है (तालिका 4.13)। तीनों श्रेणियों की गतिविधियों और दोनो प्रकार के उद्यमों में बिहार में प्रति उद्यम स्थिर परिसंपत्ति-सकल मूल्यवर्धन अनुपात महाराष्ट, कर्नाटक और हरियाणा जैसे औद्योगीकृत राज्यों से काफी अधिक है।

तालिका 4.13 : राज्य, गतिविधियों की व्यापक श्रेणी और उद्यम के प्रकार के अनुसार प्रति उद्यम स्थिर परिसंपत्ति सकल मूल्यवर्धन अनुपात (2016)

राज्य	प्रति उद्यम स्थिर परिसंपत्ति सकल मूल्यवर्धन अनुपात								
	विनिर्माण			व्यापार			अन्य सेवाएं		
	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी	स्वश्रम उद्यम	प्रतिष्ठान	सभी
आंध्र प्रदेश	57.4	74.6	66.2	98.6	82.2	90.9	62.1	53.1	56.8
असम	188.4	131.4	151.4	147.5	135.3	143.0	65.2	70.7	67.9
बिहार	**117.9**	**101.7**	**113.0**	**108.1**	**70.0**	**93.6**	**79.3**	**59.5**	**68.9**
छत्तीसगढ़	57.1	64.2	60.5	46.0	43.5	44.8	55.3	30.8	36.8
गुजरात	44.0	38.8	40.0	35.5	32.7	34.1	50.5	47.3	48.2
हरियाणा	58.8	77.5	70.6	61.5	74.7	67.9	52.6	63.9	60.9
झारखंड	107.5	110.7	108.6	89.1	121.5	96.8	76.6	49.3	58.5
कर्नाटक	57.6	61.5	59.9	58.0	65.1	61.4	42.6	52.1	48.5
केरल	84.2	105.2	98.3	59.5	92.2	80.2	57.7	48.3	51.0
मध्य प्रदेश	43.9	52.2	47.2	47.3	29.1	37.9	34.1	47.5	42.1
महाराष्ट्र	34.7	31.6	32.4	30.3	26.0	27.8	30.4	29.3	29.5
ओडिशा	109.0	121.0	113.2	100.3	134.3	113.1	75.7	51.2	60.4
पंजाब	56.5	64.8	61.2	51.8	64.1	58.2	46.5	45.4	45.9
राजस्थान	46.4	72.1	57.7	39.4	55.7	45.6	40.7	41.1	40.8
तमिलनाडु	52.2	66.1	60.9	63.5	84.2	73.3	43.0	51.7	48.2
तेलंगाना	63.0	92.4	73.2	55.0	95.5	70.5	51.3	63.9	58.5
उत्तर प्रदेश	56.6	72.2	63.6	59.0	46.9	53.9	48.7	34.8	40.1
पश्चिम बंगाल	97.8	136.3	115.8	119.9	117.6	119.1	78.0	69.6	74.0
भारत	**58.9**	**59.2**	**59.1**	**57.1**	**53.8**	**55.5**	**48.4**	**44.7**	**46.0**

स्रोत : राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, 73वां चक्र, जुलाई 2015 से जून 2016

4.2 कृषि आधारित उद्योग

बिहार के विद्यमान फसल पैटर्न को देखते हुए, राज्य में कृषि आधारित उद्योगों का तुलनात्मक लाभ काफी अधिक है। यह तुलनात्मक लाभ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में निवेश के पैटर्न में दिखता है। बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा) की रिपोर्ट के अनुसार पिछले दो वर्षों (2017-18 और 2018-19) में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों में 742.54 करोड़ रु. का निवेश किया गया है जो 'उच्च प्राथमिकता क्षेत्र' के तहत वर्गीकृत सभी उद्योगों में सबसे अधिक है।

चीनी उद्योग

देश में पैदा होने वाली ईख में बिहार का 3.5 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य सरकार ईख की खेती और चीनी उत्पादन की संभावना का गंभीरता से उपयोग कर रही है। चीनी उत्पादन इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसकी उत्पादन प्रक्रिया में निकल उप-उत्पादों के अनेक उपयोग होते हैं। ईख का ऊपरी हिस्सा, खोई, फिल्टर मड और छोआ चीनी उद्योग के सबसे महत्वपूर्ण उप-उत्पाद हैं। ईख के ऊपरी हिस्से का उपयोग मुख्यत: पशुओं के चारा के बतौर होता है। खोई ईख की पेराई के बाद बची रेशेदार अवशेष होती है और उसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जा सकता है। खोई का उपयोग पार्टिकल बोर्ड बनाने के लिए भी किया जा सकता है

और उसके उपयोग से इमारती लकड़ी, प्लाइवुड और फाइबरबोर्ड का उपयोग घट सकता है। साथ ही, खोई कागज उत्पादन के लिए भी प्रयुक्त होती है। एक अन्य उप-उत्पाद फिल्टर मड का उपयोग पशु चारा के बतौर होता है और यह जैव-उर्वरक की अच्छी लागत सामग्री होता है। छोआ के भी अनेक उपयोग हैं क्योंकि इसके किण्वन से इथाइल अल्कोहल, एसिटिक एसिड, एसीटोन आदि तैयार होता है। इसीलिए चीनी और अनेक उप-उत्पादों, दोनो के उत्पादन के कारण आज के समय में किसी 'चीनी मिल' को 'चीनी संकुल' के बतौर देखा जाता है।

बिहार में अभी छः जिलों में 11 चीनी मिल काम कर रहे हैं। इन 11 चीनी मिलों में से 7 दो जिलों - पश्चिम चंपारण (चार चीनी मिल) और गोपालगंज (तीन चीनी मिल) - में अवस्थित हैं। यह दर्शाता है कि चीनी मिलों का संकेंद्रण उत्तर-पश्चिमी बिहार में है। वर्ष 2018-19 में 810.17 लाख टन ईख की पेराई हुई और 84.02 लाख क्विंटल चीनी का उत्पादन हुआ। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बीच राज्य में ईख का उत्पादन 8.3 प्रतिशत और चीनी का उत्पादन 17.4 प्रतिशत बढ़ा है। अधिक चीनी उत्पादन का कारण चीनी प्राप्ति की दर में उल्लेखनीय सुधार है जो 2017-18 के 9.57 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 10.37 प्रतिशत हो गया।

चीनी उत्पादन के अलावा सासामुसा और गोपालगंज को छोड़कर सभी चीनी मिलों में इथाइल अल्कोहल, बिजली और जैव उर्वरक जैसे उपयोगी उप-उत्पादों के उत्पादन की क्षमता स्थापित है। इथाइल अल्कोहल उत्पादन के लिए छः चीनी मिलों की कुल आसवन क्षमता 395 हजार लीटर प्रतिदिन थी। बगहा और सिधवलिया चीनी मिलों के परिसर में आसवन संयंत्रों का निर्माण प्रक्रियाधीन है। 11 में से 8 चीनी मिलों द्वारा खोई से बिजली का उत्पादन किया जा रहा है और 2018-19 के पेराई के मौसम में उनकी कुल उत्पादन क्षमता 88.5 मेगावाट थी। इसके अलावा, हरिनगर, नरकटियागंज, गोपालगंज, और रीगा चीनी मिलों में जैव उर्वरक निर्माण की इकाइयां भी स्थापित हैं। साथ ही, सिधवलिया और हसनपुर चीनी मिलों ने वर्मीकंपोस्ट का उत्पादन भी शुरू कर दिया है। स्थापित क्षमता के उपयोग में सुधार के कारण बिहार में 2018-19 में पेराई का समय बढ़ गया। वर्ष 2015-16 में पेराई के मौसम में 95 दिन काम चला था जो 2018-19 में बढ़कर 145 दिन हो गया। यह महज चार वर्षों में 52 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके चलते रोजगार का अवसर बढ़ गया।

ईख की खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार अभी मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना नामक त्रिस्तरीय बीज प्रतिस्थापन कार्यक्रम चला रही है। कार्यक्रम के तहत 2018-19 में निम्नलिखित उपाय किए गए :

(1) आधारिक बीजों के उत्पादन के लिए चीनी मिलों को 25,000 रु. प्रति हे. की दर से प्रोत्साहन राशि दी गई है। इस मकसद से राज्य सरकार ने 162.5 लाख रु. कर्णांकित किए हैं जिसमें से 59.56 लाख रु. का वितरण किया जा चुका है।

(2) उच्च उत्पादकता के लिए 16 चुनिंदा प्रजाति के प्रमाणित ईख बीजों की खरीद पर सामान्य किसानों को 160 रु. और अजा/ अजजा के किसानों को 200 रु. प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी दी गई।इस कार्यक्रम के तहत कुल 682.78 लाख रु. वितरित किए गए।

(3) प्रमाणित बीजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को 30 रु. प्रति क्विंटल बोनस दिया गया। इस मकसद से राज्य सरकार ने 2018-19 में 351 लाख रु. आबंटित किए। प्रमाणित बीज का उपयोग करने वाले किसानों के बीच उसमें से 126 लाख रु. का वितरण किया जा चुका था।

वर्ष 2018-19 में उक्त पहलकदमियों से कोई 8468 किसान लाभान्वित हुए और ईख के 7023 हेक्टेयर खेतों का आच्छादन हुआ।

तालिका 4.14 : चीनी उत्पादन और प्राप्ति के प्रतिशत के लिहाज से चीनी मिलों का प्रदर्शन (2016-17 से 2018-19)

चीनी मिल का नाम	पेरी गई ईख (लाख क्विंटल)	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)	पेरी गई ईख (लाख क्विंटल)	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)	पेरी गई ईख (लाख क्विंटल)	उत्पादित चीनी (लाख क्विंटल)	चीनी की प्राप्ति (%)
	2016-17			2017-18			2018-19		
बगहा	82.60	7.33	8.88	113.75	10.36	9.11	121.01	12.53	10.35
हरिनगर	126.44	11.60	9.23	175.55	17.67	10.04	175.18	18.76	10.71
नरकटियागंज	88.06	8.54	9.70	118.08	12.17	10.31	121.90	13.78	11.31
मझौलिया	49.93	4.50	9.03	60.51	5.46	9.00	64.51	6.45	10.0
सासामुसा	16.15	1.32	8.42	4.88	0.31	6.35	18.75	1.75	9.25
गोपालगंज	38.81	3.55	9.20	55.11	5.19	9.45	65.5	6.78	10.36
सिधवलिया	47.69	4.37	9.18	58.24	5.38	9.24	65.67	6.77	10.33
रीगा	32.70	2.86	8.72	46.90	4.08	8.77	45.26	3.62	8.05
हसनपुर	29.00	2.88	9.94	38.97	4.08	10.47	59.64	6.69	11.23
लौरिया	32.63	2.96	9.08	40.10	3.65	9.13	35.61	3.49	9.95
सुगौली	27.13	2.57	9.47	35.80	3.19	9.03	37.14	3.40	9.40
योगफल	**571.14**	**52.48**	**9.17**	**747.89**	**71.54**	**9.57**	**810.17**	**84.02**	**10.37**

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

तालिका 4.15 : संचालन अवधि, आसवन क्षमता और बिजली उत्पादन के लिहाज से चीनी मिलों का प्रदर्शन (2016-17 से 2018-19)

चीनी मिल का नाम	संचालन अवधि			2018-19 में आसवन क्षमता (हजार ली. प्रतिदिन)	2018-19 में बिजली उत्पादन क्षमता (मेगावट में)
	2016-17	2017-18	2018-19		
बगहा	122	154	165	अनु.	6.0
हरिनगर	125	156	161	120	14.5
नरकटियागंज	125	162	173	60	10.0
मझौलिया	111	129	149	45	—
सासामुसा	87	22	102	अनु.	—
गोपालगंज	99	129	146	अनु.	—
सिधवलिया	97	115	131	अनु.	10.0
रीगा	92	122	148	45	3.0
हसनपुर	88	115	143	अनु.	10.0
लौरिया	116	151	136	60	20.0
सुगौली	102	121	138	60	20.0
औसत	106	125	145	390	93.5

स्रोत : गन्ना विभाग, बिहार सरकार

दूध उत्पादन उद्योग

वर्ष 1983 से ही बिहार राज्य दुग्ध उत्पादक महासंघ (कॉम्फेड) बिहार में दूध का उत्पादन करने वाले ग्रामीण परिवारों के लिए संस्थागत सहयोग का बड़ा स्रोत बन गया है। कार्यसंचालन के लिहाज से बिहार में कॉम्फेड का त्रिस्तरीय ढांचा है – गांव के स्तर पर दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, जिला स्तर पर दुग्ध संघ, तथा राज्य स्तर पर दुग्ध महासंघ।

वर्ष 2018-19 में कॉम्फेड ने बिहार में सुपौलदुग्ध संघ और झारखंड के बोकारो डेयरी में कई नई सहकारी समितियां जुड़ी हैं। इस प्रकार 2018-19 में बिहार में 22,971 संगठित समितियां कार्यवत थीं जो 2017-18 से 9.4 प्रतिशत अधिक हैं। सभी दुग्ध संघों में दैनिक दूध संग्रहण 2017-18 के 1627.25 हजार किग्रा प्रतिदिन से 18.7 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में 1931.11 हजार किग्रा प्रतिदिन हो गया। महत्वपूर्ण बात यह है कि यह वृद्धि परियोजना के सभी स्थानों पर दर्ज हुई है।

कॉम्फेड की विपणन गतिविधियों में मूल्यवर्धन की मुख्य भूमिका है। हालांकि 2018-19 में 2017-18 की अपेक्षा दूध की बिक्रो में गिरावट आई है लेकिन लस्सी, पेड़ा, पनीर, गुलाबजामुन आदि दुग्ध उत्पादों की बिक्रो उसी अनुपात में बढ़ी है। कॉम्फेड द्वारा पशुओं का कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण, कृमिनाशन, बीज वितरण, और पशु आहार वितरण जैसी विभिन्न सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। वर्ष 2018-19 में बीज वितरण और कृमिनाशन को छोड़कर शेष सभी सेवा प्रावधानों में अच्छी-खासी वृद्धि हुई है।

तालिका 4.16 : विभिन्न दुग्ध संघों/ परियोजनाओं के तहत दुग्ध उत्पादन सहयोग समितियों की संख्या (2017-18 से 2018-19)

(संख्या)

संघ/ परियोजना की अवस्थिति	2017-18			2018-19		
	संगठित समितियां	कार्यशील समितियां	निर्बंधित समतियां	संगठित समितियां	कार्यशील समितियां	निर्बंधित समतियां
वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना	4383	2726	1311	4515	2792	1337
देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी	2272	2132	1122	2321	2145	1127
मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर	2529	2030	1172	2565	2045	1187
तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर	3521	2032	1003	3756	2298	1109
शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा	3533	2368	1262	3623	2415	1275
विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर	1828	1355	346	1856	1476	356
मगध दुग्ध परियोजना, गया	2048	1784	247	2181	1931	333
कोशी दुग्ध परियोजना, पूर्णिया	828	726	39	996	894	51
रांची दुग्ध परियोजना, रांची	60	50	12	62	48	12
सुपौल दुग्ध संघ	अनु.	अनु.	अनु.	1077	826	170
बोकारो डेयरी	अनु.	अनु.	अनु.	19	9	0
योगफल	**21002**	**15203**	**6514**	**22971**	**16879**	**6957**

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

तालिका 4.17 : विभिन्न परियोजनाओं द्वारा दैनिक दुग्ध संग्रहण (2014-15 से 2018-19)

(हजार किलोग्राम में)

संघ/ परियोजना	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
वैशाली पाटलिपुत्र दुग्ध संघ, पटना	318.91	307.73	273.66	263.3	331.53	-0.8
देशरत्न डॉ. राजेंद्र प्रसाद दुग्ध संघ, बरौनी	409.72	457.52	427.53	454.86	529.85	5.3
मिथिला दुग्ध संघ, समस्तीपुर	354.51	353.67	354.26	349.65	379.87	1.4
तिरहुत दुग्ध संघ, मुजफ्फरपुर	196.87	191.55	205.73	196.35	232.49	4.0
शाहाबाद दुग्ध संघ, आरा	257.57	258.29	199.55	189.65	225.85	-2.6
विक्रमशिला दुग्ध संघ, भागलपुर	70.13	72.94	60.34	72.71	78.76	2.3
मगध दुग्ध परियोजना, गया	39.53	39.82	35.36	40.54	54.0	6.4
कोशी दुग्ध संघ, सुपौल			21.85	18.64	32.38	14.0
कोशी दुग्ध परियोजना, पूर्णिया	29.24	41.48	16.22	17.75	28.78	0.31
रांची/ बोकारो/ जमशेदपुर दुग्धशाला	13.84	17.43	17.84	23.8	37.61	22.1
योगफल	**1690.32**	**1740.43**	**1612.34**	**1627.25**	**1931.11**	**2.7**

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

तालिका 4.18 : प्रति कार्यशील दुग्ध उत्पादन सहयोग समिति दुग्ध संग्रहण (2014-15 से 2018-19)

(किलोलीटर प्रतिदिन में)

संघ/ परियोजना की अवस्थिति	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पटना	108.88	123.58	107.15	96.59	118.74
बरौनी	206.2	232.24	209.99	213.35	247.02
समस्तीपुर	177.17	192.1	181.86	172.24	185.76
मुजफ्फरपुर	100.24	100.6	105.99	96.63	101.17
आरा	108.49	106.2	86.72	80.09	93.52
भागलपुर	86.26	71.02	52.02	53.66	53.36
गया	35.08	30.19	22.02	22.72	27.96
सुपौल	अनु.	अनु.	32.61	25.75	39.20
पूर्णिया	30.78	42.03	28.51	24.46	32.19
रांची दुग्धशाला	277.64	347.17	312.98	371.16	599.38
बोकारो डेयरी	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	982.22
सभी दुग्धशालाएं	120.59	124.18	108.67	102.11	114.41

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

तालिका 4.19 : कॉम्फेड की गतिविधियां (2014-15 से 2018-19)

सूचक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सहकारी समितियां					
संगठित	18385	19543	20769	22018	22971
कार्यशील	14189	14016	14842	15936	16879
निबंधित	5754	6042	6384	6643	6957
सदस्यों की संख्या (लाख)	9.42	10.04	10.86	11.4	11.85
दुग्ध संग्रहण					
दुग्ध संग्रहण (लाख किग्रा प्रतिदिन)	16.9	17.4	16.13	16.27	19.31
उत्पादों का विपणन					
खुदरा बिक्री केंद्रों की संख्या	12299	13099	15857	17726	19238
दूध (लाख लीटर प्रतिदिन)	11.52	12.18	13.45	14.55	14.36
घी (टन)	1669	1643	1342	1513	1487
लस्सी (टन)	4385	4103	4975	6387	8019
पेड़ा (टन)	1173	1190	1314.42	1236	1316
पनीर (टन)	3385	3946	4300	4523	5253
दही (टन)	7498	8088	9110	10290	9411
गुलाबजामुन (टन)	1152	1220	1365	1360	1484
आइसक्रीम (टन)	1702	1743	1375	1577	1520
सेवाएं					
कृत्रिम गर्भाधान केंद्रों की संख्या	3117	3275	3436	3852	4220
कृत्रिम गर्भाधान (लाख)	20.3	21.37	20.41	21.62	22.71
टीकाकरण (लाख)	15.53	18.05	17.01	12.31	15.39
कृमिनाशन (लाख)	12.92	16.46	14.3	14.49	14.29
बीज वितरण (टन)	930.93	1016.79	1279.53	1554.23	1333.61
पशु आहार वितरण (टन)	56143	62130	53810	46889	55160

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार सरकार

4.3 गैर-कृषि आधारित उद्योग

हैंडलूम और पावरलूम

कपड़ा उत्पादन के स्वचालन और वस्त्र उद्योग में कृत्रिम मेधा अपनाए जाने के आरंभिक चरण के दौर में हथकरघा (हैंडलूम) देशी और विदेशी, दोनो के ही संप्न्न बाजारों की जरूरतें पूरी करके बचा हुआ है। बुनकर समुदाय राज्य के सांस्कृतिक इतिहास की विरासत के संरक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार के

सांस्कृतिक इतिहास के संरक्षण और हथकरघा बुनकर समुदाय के सहयोग के लिए राज्य सरकार की संरक्षण नीति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तालिका 4.20 में बिहार के 13 स्थानों की जानकारी दी गई है जहां विभिन्न वस्त्रों और पोशाकों के सामानों का विशेष रूप से उत्पादन होता है। कुछ संकुल हथकरघा उत्पादों का उत्पादन खास तौर पर निर्यात बाजार के लिए करते हैं। तालिका 4.21 दर्शाती है कि बुनकरों को कौशल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार विभिन्न स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रही है। वर्ष 2013-14 से राज्य सरकार हर साल 204 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाती रही है और हासिल उपलब्धियां 2014-15 के 78.4 प्रतिशत से 2016-17 के 82.8 प्रतिशत के बीच रही हैं। वर्ष 2018-19 में उपलब्धि दर 75.9 प्रतिशत थी। वहीं, तालिका 4.22 में राज्य में हथकरघा और पावरलूम बुनकरों को बढ़ावा और सब्सिडी देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी गई है।

तालिका 4.20 : बिहार में हथकरघा के संकेंद्रण वाले जिले

जिला	उत्पाद
भागलपुर	रेशमी, सूती, सजावटी कपड़े, स्टेपल चादरें, निर्यात योग्य रेशमी और सूती कपड़े
बांका	तसर रेशम, निर्यात योग्य रेशमी कपड़े और सूती तौलिए-गमछे
गया	सूती कपड़ों के थान, बेड शीट, तौलिए-गमछे
नालंदा	सजावटी पर्दे, बिस्तर के खोल, आंतरिक सज्जा सामग्रियां और सजावटी कपड़े
नवादा	तसर रेशम और महिलाओं की पोशाक के सामान, लिनेन
मधुबनी	महीन सूती कपड़ों के थान, धोती, कमीज के कपड़े
औरंगाबाद, रोहतास	ऊनी कंबल, ऊनी कालीन और साड़ियां
कैमूर	ऊनी कालीन, बनारसी साड़ियां
पटना, सीवान	सूती कपड़े, सजावटी कपड़े,
पूर्णिया, कटिहार	जूट के थैले, जूट मिश्रित सामग्रियां, आंतरिक सज्जा सामग्रियां

स्रोत : उद्योग विभाग, हथकरघा, बिहार सरकार

तालिका 4.21 : प्रशिक्षण कार्यक्रमों का लक्ष्य और उपलब्धि (2013-14 से 2018-19)

(संख्या)

	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लक्ष्य	204	204	204	204	204	204
उपलब्धि	163	160	167	169	156	155
उपलब्धि (प्रतिशत)	79.9	78.4	81.9	82.8	76.4	75.9

स्रोत : उद्योग विभाग, हथकरघा, बिहार सरकार

तालिका 4.22 : हथकरघा की जारी योजनाओं की स्थिति(2018-19)

क्र. सं.	योजना का नाम	योजना का उद्देश्य	भौतिक लक्ष्य	वित्तीय लक्ष्य (लाख रु.)
1	2	3	4	5
1	विद्युत सब्सिडी अनुदान योजना	पावरलूम बुनकरों को 3.00 रु. प्रति यूनिट की दर से विद्युत सब्सिडी अनुदान देने की योजना	-	300.00
2	छः प्रशिक्षण केंद्रों पर प्रशिक्षुओं को छात्रवृत्ति देने की योजना	हथकरघा बुनकरों के परिवारों को कपड़ों की बुनाई, रंगाई, और डिजाइनिंग का प्रशिक्षण दिया जाता है	144	-
3	गया जिले के सभी (लगभग 900) पावरलूम को बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मानकों के पालन के लिए उनके पास जमा किए गए शुल्क के 60 प्रतिशत को प्रतिपूर्ति की गई	पावरलूम को प्रतिपूर्ति की गई ताकि उद्योग को नुकसान नहीं उठाना पड़े	-	100.00
4	खादी की तरह हथकरघा वस्त्रों की बिक्री पर भी 10 प्रतिशत छूट	इससे हथकरघा उत्पादों की बिक्री और उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी	-	5.00
5	पुराने हथकरघों की जगह 68'' के करघे लगाने की योजना	68'' का फ्रेम लूम उपलब्ध होने से कपड़ों/ कंबलों की गुणवत्ता बेहतर होगी	166	44.82
6	विद्युत कर योजना	पावरलूम बुनकरों को आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराना। वस्त्र मंत्रालय की जारी पावरलूम उत्क्रमण योजना में राज्य सरकार का अंशदान	53	5.842
7	बफर फंड योजना (राज्य/ केंद्र)	रंगीन कपड़ों के निर्माण में लगे बुनकरों को समय पर उनकी मजदूरी मिलनी चाहिए	चादर	200.00
8	पूल/ बफर फंड योजना (भेड़ एवं ऊन संघ)	भेड़ एवं ऊन संघ द्वारा विभिन्न सरकारी कार्यालयों/ संस्थाओं को की जाने वाली कंबलों/ कपड़ों की आपूर्ति के मामले में विलंब से भुगतान की समस्या के समाधान के लिए भुगतान का प्रावधान	-	50.00
9	कार्यशील पूंजी योजना	राज्य के अंदर यूआइडी निशान वाले चालू हथकरघों को कार्यशील पूंजी के बतौर 10,000 रु. दिए जाएंगे	6727	666.00
10	हथकरघा चिह्न निबंधन योजना	यूआइडी निशान वाले सभी हथकरघा बुनकरों, प्राथमिक बुनकर समितियों, क्षेत्रीय बुनकर संघों के लिए हैंडलूम मार्क के लेबल का प्रावधान	-	15.00
योगफल				**1386.662**

रेशम उत्पादन

बिहार में रेशम उत्पादन की उल्लेखनीय संभावना है। बिहार में तीन प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है – मलबरी, तसर और अंडी। वर्ष 2018-19 में तसर को छोड़कर, मलबरी और अंडी कोयों का उत्पादन घटा है जिससे कच्चे रेशम के उत्पादन में 2017-18 की तुलना में2018-19 में कमी आई है। वर्ष 2018-19 में मलबरी कोयों के उत्पादन में 2017-18 की अपेक्षा 78.04 टन की कमी आई और यह गत वर्ष के उत्पादन का मात्र 43 प्रतिशत रह गया।

रेशम उत्पादन के प्रदर्शन में सुधार के लिए राज्य सरकार ने 2019-20 में निम्नलिखित योजनाओं के लिए 6.00 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। सर्वप्रथम 1.51 करोड़ रु. का आबंटन विभिन्न स्थानों पर रेशम उत्पादन फॉर्म बनाने और सिंचाई सुविधा प्रदान करने के लिए किया गया है। दूसरे, राज्य सरकार ने किशनगंज में मलबरी रीलिंग भवन के निर्माण की जरूरत महसूस की और इस मकसद के लिए 56.46 लाख रु. आबंटित किए। इसके अलावा, राज्य सरकार ने सुपौलमें रीलिंग इकाइयों के जीर्णोद्धार का काम हाथ में लिया है। विभिन्न स्थानों पर प्रशासनिक भवन, भंडारण भवन और कोया बैंक के निर्माण के लिए भी 100 लाख रु. आबंटित किए गए हैं। साथ ही, पेड़ लगाने या उत्पादन के उपकरणों, सिंचाई सुविधा और कीटपालन (रीयरिंग) भवन के निर्माण आदि के लिए मलबरी और अंडी उत्पादकों को सब्सिडी देने के लिए भी राज्य सरकार को 200 लाख रु. का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है।

तालिका 4.23 : रेशम क्षेत्र की उपलब्धियां (2013-14 से 2018-19)

वर्ष	रेशम का प्रकार	पौधरोपण (हे.)	रोगमुक्त कीट पालन (लाख)	कुल कॉकून उत्पादन	कच्चा रेशम (टन)
2013-14	मलबरी	117	5.07	122.73 (टन)	15.08
	तसर	608	7.10	386.94 (लाख)	37.89
	अंडी	575	0.81	6.50 (टन)	5.2
2014-15	मलबरी	184	5.04	162.16 (टन)	19.5
	तसर	5198	7.48	293.88 (लाख)	32.95
	अंडी	232	1.19	10.20 (टन)	8.16
2015-16	मलबरी	136	5.78	202.56 (टन)	22.55
	तसर	2325	9.21	466.00 (लाख)	42
	अंडी	161	1.19	9.50 (टन)	7.6
2016-17	मलबरी	340	5.69	191.69 (टन)	23.49
	तसर	1218	8.62	482.20 (लाख)	43.51
	अंडी	232	1.27	12.43 (टन)	9.94
2017-18	मलबरी	362	4.54	138.74 (टन)	17.17
	तसर	-	8.64	426.73 (लाख)	36.00
	अंडी	276	1.31	12.10(टन)	9.68
2018-19	मलबरी	131	2.20	60.70(टन)	7.55
	तसर	-	9.09	457.02 (लाख)	38.39
	अंडी	-	1.33	10.91 (टन)	8.73

स्रोत : उद्योग विभाग, रेशम उत्पादन, बिहार सरकार

खादी एवं ग्रामोद्योग

बिहार में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआइसी) और खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआइबी) कई गतिविधियां चलाते हैं। मुख्य गतिविधियां हैं - नए कौशलों की जानकारी का प्रसार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, और शोध एवं विकास। आयोग पारंपरिक उद्योग पुनर्जीवन कोष योजना (स्फूर्ति -SFURTI) और 2008 में शुरू किए गए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के लिए भी जवाबदेह है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, राज्य स्तर पर खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, तथा राज्य सरकार के जिला उद्योग केंद्रों के द्वारा किया जाता है।

तालिका 4.24 में विगत तीन वर्षों (2016-17 से 2018-19) के दौरान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम क प्रदर्शन पर जानकारी दी गई है। वर्ष 2018-19 में 2017-18 की तुलना में भौतिक और वित्तोय, दोनो प्रकार के लक्ष्योंमें काफी संशोधन किया गया। लक्षित लाभार्थियों की संख्या 2017-18 के 2850 से 52 प्रतिशत बढ़कर 2018-19 में 4348 हो गई। इसी प्रकार, 2018-19 में वित्तोय आबंटन भी 93 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 के 5653 लाख रु. से 10,869 लाख रु. हो गया। वर्ष 2018-19 में लक्ष्यों की उपलब्धि भी प्रभावशाली रही है जो भौतिक लक्ष्य के मामले में 74 प्रतिशत और वित्तोय लक्ष्य के मामले में 89 प्रतिशत है। उल्लेखनीय है कि 2018-19 में इन लक्ष्यों की प्राप्ति में जिला उद्योग केंद्रों ने काफी कुशल प्रदर्शन किया। साथ ही, 2017-18 में राज्य द्वारा शुरू की गई योजनाओं से भी लक्ष्य समूह को लाभ मिलना जारी रहा है।

तालिका 4.24 : प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम का प्रदर्शन (2016-17 से 2018-19)

अभिकरण		खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग	खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड	जिला उद्योग केंद्र	योग
2016-17					
लक्ष्य/ मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	1122 (29.9)	1122 (29.9)	1506 (40.2)	3750 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	2244 (29.4)	2248 (30.0)	3008 (40.1)	7500 (100.0)
नोडल बैंकों द्वारा वितरित मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	532 (16.5)	313 (9.7)	2389 (73.9)	3234 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	810.33 (9.7)	995.34 (11.9)	6530.83 (78.3)	8336.5 (100.0)
2017-18					
लक्ष्य/ मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	855 (30.0)	855 (30.0)	1140 (40.0)	2850 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	1695.93(30.0)	1695.93 (30.0)	2261.24 (40.0)	5653.1 (100.0)
नोडल बैंकों द्वारा वितरित मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	324 (14.3)	223 (9.9)	1708 (75.7)	2255 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	622.58(9.7)	689.58 (10.8)	5095.33 (79.5)	6407.64 (100.0)
2018-19					
लक्ष्य/ मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	1304 (30.0)	1304 (30.0)	1740 (40.0)	4348 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	3292 (30.3)	3292 (30.3)	4285 (39.4)	10869 (100.0)
नोडल बैंकों द्वारा वितरित मार्जिन मनी	भौतिक (संख्या)	342 (11.0)	277 (9.0)	2621 (80.0)	3240 (100.0)
	वित्तीय (लाख रु.)	985.74 (10.0)	969.86 (10.0)	7741.23 (80.0)	9696.83 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े कुल योगफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री अतिलघु एवं लघु उद्योग संकुल विकास योजना

मुख्यमंत्री अतिलघु एवं लघु उद्योग संकुल विकास योजना के तहत 8 संकुलों में सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए राज्यस्तरीय समिति द्वारा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है। 7 सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के लिए अभी तक 17.96 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। योजना के अंग के बतौर बिहटा (पटना) में अपारेल (वस्त्र) पार्क और मुजफ्फरपुर में लेदर गुड्स कांप्लेक्स (चमड़े की वस्तुओं का संकुल) प्रस्तावित है। सुपौल में मखाना संकुल, तथा लोदीपुर, सबौर और भागलपुर में सैनीटरी पैड संकुल के लिए राज्यस्तरीय समिति द्वारा डीपीआर को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

औद्योगिक प्रोत्साहन नीति, 2011 और बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत औद्योगिक इकाइयों को बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा 284.75 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। इस योजना के तहत वैट की प्रतिपूर्ति के लिए बिक्रो कर विभाग को 200 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं। अभी तक 112.53 करोड़ रु. माफ भी कर दिए गए हैं।

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 के तहत राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड की बैठकों में वित्तवर्ष 2018-19 में कुल 337 इकाइयों को प्रथम चरण की अनापत्ति और 142 इकाइयों को वित्तोय प्रोत्साहन हेतु अनापत्ति प्रदान की गई है। वर्ष 2018-19 में 126 इकाइयों को बोर्ड के जरिए 40.06 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं।

सहयोगदाता संस्थाएं

बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा)

औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए बिआडा की स्थापना बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1974 के वैधानिक प्रावधानों के तहत की गई थी। बिआडा का मुख्य काम बिहार में औद्यागिक क्षेत्रों का योजनाबद्ध विकास करना है। बिआडा के चार क्षेत्रीय कार्यालय पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा हैं।

सितंबर 2019 तक बिआडा ने कुल 6061.7 एकड़ भूमि अधिग्रहित की है और इस प्रकार अक्तूबर 2018 से सितंबर 2019 के बीच 876.5 एकड़ जमीन का अधिग्रहण हुआ है। कुछ अधिग्रहित जमीन में से 3363.77 एकड़ (55.5 प्रतिशत) का आबंटन उद्यमियों को किया जा चुका है। सितंबर 2018 से अक्तूबर 2019 के बीच मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर में 877.78 एकड़ जमीन का और उसके बाद दरभंगा में 148.88 एकड़ जमीन काअधिग्रहण किया गया। इससे यह भी पता चलता है कि उद्योगों के पटना के आसपास केंद्रीकरण को बढावा देने के बजाय राज्य सरकार ने राज्य में औद्योगीकरण को पूरे राज्य में विस्तार देने का प्रयास किया है।

राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए हैं। मुख्य सुधार नीचे वर्णित हैं :

(1) पूर्ववर्ती बिआडा अधिनियम, 1974 की जगह बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2017 पारित किया गया।

(2) नए बिआडा अधिनियम, 2017 के अनुसार विभिन्न नीतियां सूत्रबद्ध की गई जिनमें निर्गत नीति, आबंटन नीति, आबंटन सुगमीकरण एवं समर्पण नीति, लीज एवं लाइसेंस नीति, तथा भूमि केंद्रीकरण (पूलिंग) नीति शामिल हैं।

(3) औद्योगिक क्षेत्रों के बेहतर प्रबंधन के लिए औद्योगिक क्षेत्र प्रबंधन समिति (आइएएमसी) गठित की गई है।

(4) नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए सीधे जमीन मालिकों से जमीन खरीदने का प्रावधान किया गया है।

तालिका 4.25 : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार की जमीन और गतिविधियों का ब्योरा (सितंबर 2019)

क्षेत्रीय कार्यालय	कुल अधिग्रहित जमीन और शेड		अधिसंरचना, प्रशासनिक खंड, सड़क आदि के लिए आरक्षित जमीन (एकड़)	कुल आवंटित जमीन और शेड		मुकदमे वाली जमीन (एकड़)	आबंटन लायक कुल खाली जमीन और शेड	
	जमीन (एकड़)	निर्मित शेड (सं.)		जमीन (एकड़)	निर्मित शेड (सं.)		जमीन (एकड़)	निर्मित शेड (सं.)
पटना	2550.22	230	232.63	2071.77	207	133.24	102.08	23
भागलपुर	1347.29	148	75.66	404.31	145	827.05	40.27	3
दरभंगा	874.49	144	56.16	270.20	131	427.06	121.07	13
मुजफ्फरपुर	1289.74	158	209.19	617.49	142	350.45	112.62	16
योगफल	**6061.74**	**680**	**573.64**	**3363.77**	**625**	**1737.8**	**376.04**	**55**

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

अभी तक राज्य में हुए निवेश का ब्योरा दिया जाय, तो कोई 1641 उत्पादन इकाइयों में लगभग 6446.05 करोड़ रु. का निवेश किया गया और 2019 तक उनमें 33,076 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। देखा गया कि 2005-06 से उत्पादन इकाइयों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। चल रही 1641 इकाइयों के अलावा 315 इकाइयां निर्माणाधीन हैं और उनमें शीघ्र ही उत्पादन शुरू हो जाएगा। वर्ष 2018-19 में 62 उत्पादन इकाइयों में 742.93 करोड़ रु. निवेश किया गया। नइ उत्पादन इकाइयों में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का बड़ा हिस्सा है। खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों में 601.01 करोड़ रु., प्लास्टिक एवं रबर क्षेत्र में 73.87 करोड़ रु., और वस्त्र उद्योग में 53. 69 करोड़ रु. का निवेश हुआ। उद्योगों के आकार के वर्गीकरण के लिहाज से देखें, तो 7 वृहद उद्योगों में 608. 95 करोड़ रु. का निवेश हुआ जो कुल निवेश का लगभग 82 प्रतिशत है। मुख्य निवेशक ब्रिटानिया इंडस्टोज लिमिटेड (205.6 करोड़ रु.), एबिस एक्सपोर्ट्स (इंडिया) प्राइवेट लि., यूनो डिजिटल प्राइवेट लि., और राकेश मसाला उद्योग (54.61 करोड़ रु.) थे। वर्ष 2018-19 में 37 लघु उद्यमों द्वारा लगभग 103.27 करोड़ रु. का निवेश किया गया और प्रति इकाई औसतन 45 व्यक्तियों को रोजगार मिला। उल्लेखनीय है कि गत दो वित्त वर्षों में विभिन्न श्रेणी के उद्यमों में निवेश के स्तर और पैटर्न में निरंतरता रही है।

तालिका 4.26 : उद्यम के प्रकार के अनुसार निवेश (2017-18 और 2018-19)

उद्यम का प्रकार	आबंटन की संख्या		निवेश (करोड़ रु. में)		रोजगार (संख्या)	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
अतिलघु	23	17	19.93	10.97	397	302
लघु	53	37	244.83	103.27	2316	1658
मध्यम	2	1	14.63	19.73	124	60
वृहद	3	7	440.3	608.96	448	2313
योगफल	**81**	**62**	**719.71**	**742.93**	**3285**	**4333**

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

तालिका 4.27 : क्षेत्र के अनुसार निवेश की विस्तृत जानकारी (2017-18 और 2018-19)

उद्यम को श्रेणी	आबंटन की संख्या		निवेश (करोड़ रु. में)		रोजगार (संख्या)	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
उच्च प्राथमिकता क्षेत्र						
खाद्य प्रसंस्करण	39	34	141.54	601.00	1507	3017
वस्त्र	3	4	3.94	53.69	44	471
चर्म	1	11	780.7	0.19	8	5
सूचना प्रौद्योगिकी/ सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवा/ इलक्ट्रॉनिक सिस्टम का विकास और रखरखाव	2	0	1.54		48	0
प्राथमिकता क्षेत्र						
प्लास्टिक और रबर	24	19	57.23	73.87	949	676
छोटी मशीनों का निर्माण	5	1	64.82	0.49	243	15
स्वास्थ्य देखरेख	4	3	12.01	13.68	261	149
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र	1	0	1.78	0	35	0
तकनीकी शिक्षा	0	0	0	0	0	0
पर्यटन	0	0	0	0	0	0
गैर-प्राथमिक	**2**	**0**	**358.77**	**0**	**192**	**0**
योगफल	**81**	**62**	**719.71**	**742.93**	**3285**	**4333**

स्रोत : बिआडा, बिहार सरकार

उद्योग मित्र

विगत वर्षों के दौरान बिहार में औद्योगीकरण को बढावा देने में उद्योग मित्र ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उद्योग मित्र द्वारा संभावित उद्यमियों को उद्योग की स्थापना या विस्तार करने, आवश्यक परियोजना विवरणी विकसित करने, आवश्यक सूचनाएं प्रदान करने और औद्योगिक इकाइयों के संचालन के दौरान उभरने वाली विभिन्न समस्याओं का समाधान करने के लिहाज से परामर्श सेवा उपलब्ध कराई जाती है। साथ ही, उद्योग मित्र द्वारा

उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और शोधकर्ताओं के साथ मिलकर संगोष्ठियां और क्षमता निर्माण गतिविधियां भी आयोजित की जाती हैं और उद्योगों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। गौरतलब है कि पिछले तीन वर्षों में (2016-17 से 2018-19 तक) उद्योग मित्र द्वारा पूरी आबंटित रकम का उपयोग किया गया है। उद्योग मित्र द्वारा 2018-19 में किए गए कार्य नीचे वर्णित हैं :

- नए उद्यमों की स्थापना के लिए उद्योग मित्र द्वारा 1834 उद्यमियों को परामर्श सेवा उपलब्ध कराई गई और उन्हें परियोजना प्रस्ताव तैयार करने में भी सहायता दी गई।

- ऑनलाइन संवाद पोर्टल के जरिए प्रश्नों के उत्तर देकर उद्योग मित्र ने 136 उद्यमियों की सहायता की है।

- इसके अलावा, विभागीय आदेशों के अनुपालन के अनुरूप कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए उद्योग मित्र के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने केंद्रीय प्लास्टिक अभियंत्रण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीपेट), फुटवियर डिजाइन एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट (एफडीडीआइ), राष्टोय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआइटी) और उद्यमिता विकास संस्थान (आइईडी) के साथ समझौते हस्ताक्षरित किए हैं।

- मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति उद्यमिता विकास कार्यक्रम के तहत उद्योग मित्र द्वारा प्रासंगिक ब्रोशर, स्टैंडी और पैंफलेट तैयार किए गए और हर जिला उद्योग केंद्र को दिए गए।

तालिका 4.28 : उद्योग मित्र की भौतिक तथा वित्तीय उपलब्धियां (2011-12 से 2018-19)

वर्ष	आबंटित रकम (लाख रु.)	खर्च रकम (लाख रु.)	खर्च रकम (प्रतिशत में)	लाभान्वित उद्यमियों की सं.
2011-12	100.00	67.48	67.5	753
2012-13	104.00	78.73	75.7	596
2013-14	120.00	101.13	84.3	583
2014-15	98.60	88.94	90.2	664
2015-16	110.30	92.37	83.8	906
2016-17	110.00	110.29	100.0	1098
2017-18	140.00	140.00	100.0	819
2018-19	140.00	140.00	100.0	1834

स्रोत : उद्योग मित्र, बिहार सरकार

खनन एवं उत्खनन

बिहार के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में खनन और उत्खनन का बहुत सीमित हिस्सा है और बिहार के आर्थिक विकास में इस क्षेत्र की अपेक्षाकृत सीमित भूमिका है। हालांकि राज्य सरकार के विभिन्न कदमों के कारण हाल के वर्षों में खनन एवं उत्खनन क्षेत्र से राजस्व काफी बढ़ा है। जैसे, 2018-19 में राज्य सरकार का लक्ष्य खनन क्षेत्र से 1600 करोड़ रु. राजस्व संग्रहित करना था जबकि वास्तविक संग्रहण 1556.77 करोड़ रु. हुआ जो लक्ष्य

का 97.3 प्रतिशत है। साथ ही, 2018-19 में राजस्व संग्रहण 2017-18 की अपेक्षा 43.8 प्रतिशत अधिक था। राजस्व के मुख्य स्रोत बालू, निर्माण विभाग, पत्थर और क्रशर, ईंट, एवं अन्य थे। वर्ष 2017-18 से 2018-19 के बीच राजस्व संग्रहण बालू खनन में 87 प्रतिशत, पत्थर तुड़ाई में 27 प्रतिशत और ईंटों के मामले में 5 प्रतिशत बढ़ा है। यह राज्य में निर्माण कार्यों में वृद्धि का अनिवार्य रूप से संकेत देता है। ईंट भट्ठों से राजस्व संग्रहण पर नजर रखने के लिए राज्य सरकार जियो-मैपिंग ऍप का उपयोग कर रही है। पर्यावरण पर खनन कार्यों के प्रभाव में कमी लाने के लिए राज्य सरकार दीर्घस्थायी बालू एवं पत्थर खनन नीति का पालन कर रही है।

तालिका 4.29 : बिहार में खनिजों से राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य और संग्रहण (2014-15 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

वर्ष	लक्ष्य	संग्रहण	अनुपात (प्रतिशत में)
2014-15	750.0	859.34	114.58
2015-16	1000.0	971.0	97.1
2016-17	1100.0	994.1	90.37
2017-18	1350.0	1082.67	80.2
2018-19	1600.0	1556.77	97.3

स्रोत : खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार

तालिका 4.30 : बिहार में खनिजों से प्राप्त राजस्व (2014-15 से 2018-19)

(लाख रु.)

स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
1. मुख्य खनिज	107.3	99.1	57.5	152.8	588.6
2. गौण खनिज					
(i) ईंट	2659.1	4295.6	3639.9	3934.5	4154.6
(ii) बालू	50542.1	42806.3	45765.2	41066.8	76740.7
(iii) पत्थर + क्रशर	7516.9	11097.9	11140.6	12784.9	16283.6
(iv) मोरम	0.5	56.4	0.0	0.0	0.0
(v) मिट्टी	270.3	271.4	833.4	485.4	702.4
(vi) निर्माण विभाग	24074.5	36413.5	35999.8	41893.1	43687.7
(vii) ट्रांजिट पास	42.4	40.7	25.2	1039.1	0.0
(viii) अन्य	278.7	626.2	1564.9	1636.5	6382.7
3. बकाया	443.3	1392.9	383.7	172.8	7137.0
योगफल	**85935.10**	**97100.0**	**99410.2**	**108265.9**	**155677.3**

स्रोत : खान एवं भूविज्ञान विभाग, बिहार सरकार

पर्यटन

बिहार में राष्टोय और अंतर्राष्टोय, दोनो स्तरों पर आकर्षक पर्यटन स्थलों के रूप में आम तौर पर बोधगया, राजगिर, नालंदा और वैशाली जैसे ऐतिहासिक स्थल जाने जाते हैं। लेकिन यह धारणा गलत है। पर्यटकों के आकर्षण के अन्य स्थानों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने राज्य में आठ पर्यटन परिपथों की योजना बनाई है - (1) बौद्ध परिपथ, (2) जैन परिपथ, (3) रामायण परिपथ, (4) शिव-शक्ति परिपथ, (5) सूफी परिपथ, (6) सिख परिपथ, (7) गांधी परिपथ और (8) पारिस्थितिक (इको) परिपथ। पिछले दशक में केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय के साथ मिलकर पर्यटन विभाग ने विभिन्न पर्यटन परिपथों में अतिरिक्त सुख-सुविधाओं और पर्यटकों के अनुकूल अधिसंरचना का प्रावधान किया था।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में पर्यटन विभाग के लिए उदारतापूर्वक धनराशि आबंटित की है, और 2018-19 को छोड दें, तो इस अवधि में बजट के प्रतिशत के बतौर व्यय का स्तर भी काफी ऊंचा रहा है। वर्ष 2019-20 में विभाग को 275 करोड़ रु. आबंटित किए गए जो 2018-19 के आबंटन का तिगुना था। उपयोग के लिहाजसे देखें, तो सितंबर 2019 तक 88.56 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।

तालिका 4.31 : पर्यटन विभाग का व्यय विवरण (2012-13 से 2018-19)

वर्ष	स्वीकृत बजट (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	व्यय बजट के प्रतिशत में
2012-13	100.1	99.3	99.2
2013-14	65.5	59.4	90.7
2014-15	118.1	87.4	74.0
2015-16	66.0	65.4	99.0
2016-17	94.5	86.4	91.5
2017-18	91.0	76.7	84.3
2018-19	84.6	47.2	55.8
2019-20 सितंबर 2019 तक	275.0	88.56	32.2

स्रोत : बजट दस्तावेज, बिहार सरकार

बिहार आने वाले पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ी है और 2011 के 183.96 लाख से 2018 में 336.21 लाख हो गई जो 7.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्शाती है। साथ ही, 2011 से 2018 के बीच विदेशी पर्यटकों का आना भी 1.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि अधिकांश पर्यटक धार्मिक और विरासत पर्यटन के मकसद से बिहार आते हैं। अन्य प्रकार के पर्यटन की संभावना का उपयोग करने के लिहाज से दुनिया के विभिन्न भागों के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार प्राकृतिक और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। गौरतलब है कि हमारे देश के भुगतान शेष पर विदेशी पर्यटकों के आगमन में वृद्धि का सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। देशी-विदेशी पयटक रोजगार के अवसर पैदा करने, स्थानीय सेवा प्रदाताओं की आमदनी बढ़ाने, प्रवास में कमी लाने और पर्यटन गंतव्यों में स्थावर संपत्ति के विकास में भी प्रचुर योगदान कर सकते हैं।

चार्ट 4.1 : आने वाले देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या

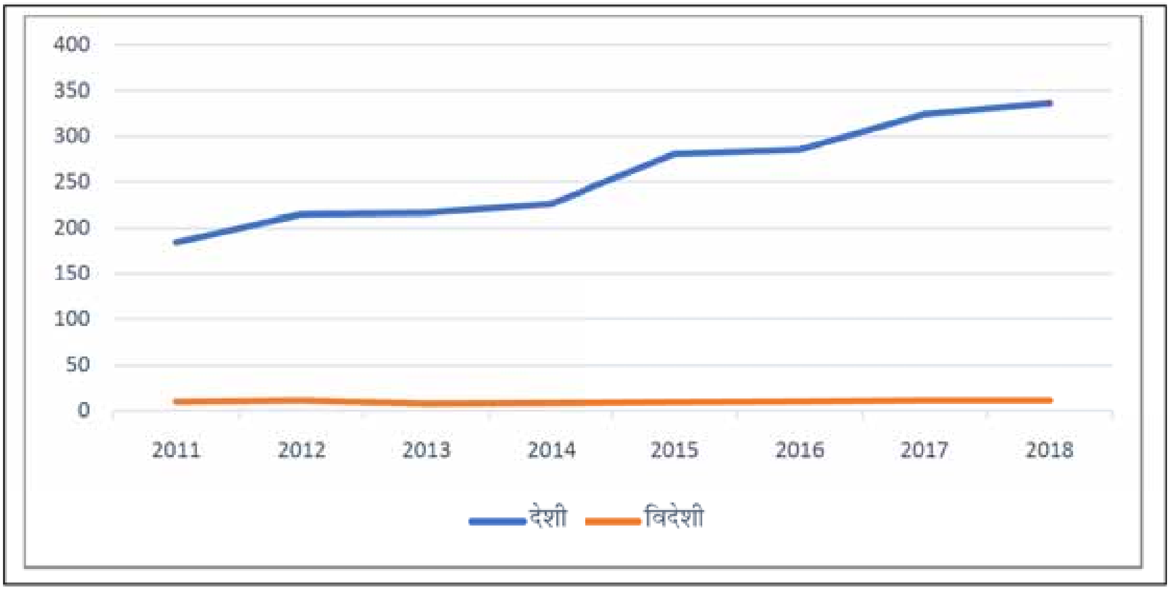

स्रोत : पर्यटन विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार के पर्यटन विभाग ने 2018-19 में 45.67 करोड़ रु. के व्यय से विभिन्न परियोजनाएं चलाई हैं। इसमें वैशाली जिले में बाबा गणोनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण भी शामिल है। इस मकसद से 7.62 करोड़ रु. आबंटित किए गए। सीतामढ़ी जिले में सौंदर्यीकरण और सुख-सुविधाएं विकसित करने के लिए 10.68 करोड़ रु. आबंटित किए गए। वहीं, भोजपुर जिले में चार स्थानों पर (शिवपुर घाट, बीबीगंज, कायम नगर और बारासिंघा बुजुर्ग में) वीर कुंवर सिंह विजय स्तंभ का निर्माण कराया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस मकसद से 7. 78 करोड़ रु. कर्णांकित किए गए हैं।

अध्याय -5

श्रम, रोजगार तथा प्रवास

श्रम पहला मूल्य था - वह मूल क्रय-मुद्रा जिसका सारी चीजों के लिए भुगतान किया जाता था। कोई सोना या चांदी नहीं, वरन श्रम ही था जिसके जरिए मूल रूप सेदुनिया की सारी संपदा खरीदी जाती थी।
— एडम स्मिथ

सारांश

बिहार श्रमिकों के अधिशेष वाला भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार देश के अन्य हिस्सों के साथ-साथ विदेशों को भी कुशल और अकुशल, दोनो तरह के श्रमिकों की आपूर्ति करता है। विभिन्न आधिकारिक स्रोतों के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में कार्य सहभागिता दर संपूर्ण भारत के स्तर से कम है, और महिला श्रमिकों के लिए तो विशेष रूप से कम है। बिहार में विभिन्न सरकारी अभिकरणों और संस्थाओं के द्वारा कामकाजी उम्र वाले लोगों के विभिन्न तबकों के लिए रोजगार के अतिरिक्त अवसर पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अध्याय में श्रमशक्ति की संख्या और प्रकार, रोजगार के अवसर और श्रमिकों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों पर विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी समाप्त करने तथा उन श्रमिकों का पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ली गई पहलकदमियों पर भी चर्चा की गई है। बिहार में अनेक राजकीय अभिकरण और आयोग भी युवा वर्ग की रोजगार पाने की क्षमता बढ़ाने के लिहाज से उनके लिए कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम चला रहे हैं।

बिहार श्रमिकों के अधिशेष वाला राज्य है, और काम की उम्र वाली आबादी का कल्याण सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात है। कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था होने के कारण काम की उम्र वाली आबादी का बड़ा हिस्सा कृषि और सहवर्ती कार्यों में लगा हुआ है। ऐतिहासिक रूप से औद्योगिक विकास की कमी और कौशल आधारित सेवा क्षेत्र की कम उपस्थिति में काम वाली उम्र की आबादी का बड़ा हिस्सा लाभप्रद रोजगार क अवसरों की तलाश में अन्य राज्यों तथा दूसरे देशों की ओर प्रवास करता रहा है। समय के साथ प्रवास की प्रकृति और भूगोल में गुणात्मक परिवर्तन हुए हैं। बिहार के बुनियादी ढ़ाचे के विकास पर खर्च मे वृद्धि के कारण राज्य से श्रमिकों के पलायन मे कमी आयी हैं।

5.1 श्रमशक्ति और जनशक्ति की संख्या

राज्य में कामकाजी उम्र के लोगों की स्थिति में सुधार के लिए राज्य सरकार की पहलकदमियों पर चर्चा करने के पहले बिहार और शेष भारत की श्रमशक्ति के आकार और संरचना पर चर्चा करना प्रासंगिक है। तालिका 5.1 में दिखता है कि बिहार में परुषों और महिलाओं की श्रमशक्ति सहभागिता दर (एलएफपीआर) संपूर्ण भारत के औसत से कम है। महत्वपूर्ण बात यह है कि बिहार में महिलाओं की श्रमशक्ति सहभागिता दर संपूर्ण भारत के औसत की तुलना में अत्यंत कम थी। जैसे, ग्रामीण बिहार में महिलाओं की श्रमशक्ति सहभागिता दर मात्र 3.9 प्रतिशत थी जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 24.6 प्रतिशत। इसी प्रकार, बिहार में शहरी महिलाओं की श्रमशक्ति

सहभागिता दर 6.4 प्रतिशत और संपूर्ण भारत के स्तर पर 20.4 प्रतिशत थी। महिलाओं की श्रमशक्ति सहभागिता दर का इतना निम्न स्तर नीति-निमाताओं के लिए चिंता की बात है। महिलाओं की इतनी निम्न श्रमशक्ति सहभागिता दर के कारण बहुआयामी - सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक - हैं। बिहार में पुरुषों की श्रमशक्ति सहभागिता दर भी ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों के मामले में सभी राज्यों के बीच सबसे कम थी।

आबादी के नियोजित व्यक्तियों के प्रतिशत को दर्शाने वाली श्रमिक जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) के आंकड़े भी ऐसी ही तस्वीर पेश करते हैं (तालिका 5.2)। बिहार में पुरुष और महिला, दोनो प्रकार के श्रमिकों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात संपूर्ण भारत के औसत की तुलना में बहुत कम रही है। ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात 64.0 प्रतिशत थी जो संपूर्ण भारत के औसत से लगभग 8 प्रतिशत अंक कम थी। वहीं, ग्रामीण बिहार में महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात अत्यंत कम - मात्र 3.9 प्रतिशत थी। हालांकि शहरी बिहार में महिलाओं के लिए श्रमिक जनसंख्या अनुपात ग्रामीण महिलाओं की तुलना में काफी अधिक - 6.1 प्रतिशत थी। राज्य में 15 वर्ष और अधिक उम्र की 2.69 करोड़ महिला आबादी को देखते हुए, 4.1 प्रतिशत (10.75 लाख) महिलाएं ही किसी प्रकार की लाभप्रद आर्थिक गतिविधि में संलग्न थीं। इसलिए राज्य सरकार के लिए जरूरी है कि वह राज्य में उपलब्ध मानव संसाधनों के उपयोग के लिए वैकल्पिक रणनीतियां विकसित करे जिससे कि उच्च-स्तरीय सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके।

तालिका 5.1 : राज्यों में श्रमशक्ति सहभागिता दर (2017-18)

राज्य	ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
आंध्र प्रदेश	79.5	48.4	63.3	78.3	30.7	52.8
असम	80.9	12.3	47.7	75.3	15.4	45.7
बिहार	**68.8**	**3.9**	**38.2**	**66.5**	**6.4**	**38.2**
छत्तीसगढ़	79.6	54	67.1	77.6	30.5	54.0
गुजरात	78.7	22.5	51.7	76.6	16.2	47.1
हरियाणा	73.9	14.7	45.5	74.8	13.7	45.5
झारखंड	75.7	15.7	46.3	66.9	14.3	40.2
कर्नाटक	80.5	28.2	54.0	73.8	22.8	48.0
केरल	71.1	25.9	46.6	68.9	27.3	46.4
मध्य प्रदेश	81.5	35.3	59.3	75.4	21.0	49.0
महाराष्ट्र	75.4	37.7	56.8	74.2	21.6	48.2
ओडिशा	79.4	20.0	49.0	74.6	16.9	44.8
पंजाब	72.9	14.0	44.5	78.2	18.2	49.6
राजस्थान	73.9	30.8	52.6	72.2	14.5	44.8
तमिलनाडु	78.5	39.0	58.3	76.7	27.6	51.4
तेलंगाना	73.7	39.2	56.6	76.7	22.9	49.9
उत्तर प्रदेश	75.6	14.2	44.9	73.4	11.1	43.4
पश्चिम बंगाल	81.3	19.8	50.4	75.1	23.0	49.2
संपूर्ण भारत	**76.4**	**24.6**	**50.7**	**74.5**	**20.4**	**47.6**

स्रोत : सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एन०एस०ओ०2018

तालिका 5.2 : राज्योंमें श्रमिकजनसंख्या अनुपात (2017-18)

राज्य	ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
आंध्र प्रदेश	75.9	47.3	61	74	27.9	49.3
असम	75.0	10.6	43.8	71.3	13.6	42.8
बिहार	**64.0**	**3.8**	**35.6**	**60.3**	**6**	**34.7**
छत्तीसगढ़	77.5	52.8	65.5	73	27	50
गुजरात	74.4	21.6	49.1	73.4	15.5	45.1
हरियाणा	67.2	13.2	41.3	70.3	12.1	42.4
झारखंड	70.1	15.1	43.2	60.1	12.6	36
कर्नाटक	77.2	27.2	51.9	69.2	21.2	44.9
केरल	67	20.8	41.9	64.4	19.8	40.2
मध्य प्रदेश	78	34.9	57.3	69.5	19.6	45.3
महाराष्ट्र	72.8	36.7	55	69.6	19.1	44.7
ओडिशा	73.6	18.9	45.6	69.1	14.8	41.1
पंजाब	67.7	12.5	41.1	73.1	15.7	45.8
राजस्थान	69.7	30.4	50.3	67.4	13.1	41.5
तमिलनाडु	71.6	36.7	53.7	71.9	25.2	47.9
तेलंगाना	68.3	37.3	52.9	70.2	20	45.2
उत्तर प्रदेश	71	14	42.5	66.5	9.9	39.3
पश्चिम बंगाल	77.7	19.5	48.5	70.2	21.6	46.1
संपूर्ण भारत	**72**	**23.7**	**48.1**	**69.3**	**18.2**	**43.9**

स्रोत : सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एन०एस०ओ०2018

तालिका 5.3 में भारत के राज्यों में बेरोजगारी दर का उल्लेख किया गया है। बेरोजगारी दर को श्रमशक्ति (जिसमें नियोजित और अनियोजित अर्थात बेरोजगार, दोनो तरह के व्यक्ति शामिल होते हैं) में बेरोजगार व्यक्तियों के प्रतिशत के बतौर परिभाषित किया जाता है। संपूर्ण भारत के स्तर पर बेरोजगारी दर ग्रामीण पुरुषों के लिए 5.7 प्रतिशत और शहरी पुरुषों के लिए 6.9 प्रतिशत थी। वहीं, संपूर्ण भारत के स्तर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर 3.8 प्रतिशत आर शहरी महिलाओं के लिए 10.8 प्रतिशत थी। वहीं, बिहार में पुरुष श्रमशक्ति के लिए बेरोजगारी दर संपूर्ण भारत के स्तर से अधिक थी लेकिन महिलाओं के लिए बेरोजगारी दर संपूर्ण भारत से बहुत कम थी। यह पैटर्न ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों में एक जैसा था। महिलाओं की निम्न बेरोजगारी दर का

एक औचित्यपूर्ण कारण यह है कि उनमें से अधिकांश अपनी गरीबी के कारण बेरोजगार रहना सहन नहीं कर सकती हैं और इसलिए वे अन्यंत निम्न मजदूरी पर भी रोजगार स्वीकार करने के लिए बाध्य हैं।

तालिका 5.3 : राज्यों मेंबेरोजगारी दर (2017-18)

राज्य	ग्रामीण			शहरी		
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति
आंध्र प्रदेश	4.5	2.3	3.6	5.5	9.0	6.6
असम	7.3	14	8.1	5.3	11.4	6.3
बिहार	**7.0**	**2.3**	**6.8**	**9.3**	**6.2**	**9.0**
छत्तीसगढ़	2.7	2.1	2.5	5.9	11.4	7.5
गुजरात	5.4	4.1	5.2	4.2	4.3	4.2
हरियाणा	9	9.9	9.2	6.0	12.0	6.9
झारखंड	7.4	3.7	6.8	10.2	11.5	10.4
कर्नाटक	4.0	3.4	3.9	6.3	7.2	6.5
केरल	5.9	19.6	10.0	6.6	27.4	13.2
मध्य प्रदेश	4.3	1.2	3.4	7.8	6.9	7.6
महाराष्ट	3.4	2.8	3.2	6.2	11.4	7.4
ओडिशा	7.3	5.3	6.9	7.3	12.7	8.4
पंजाब	7.2	10.3	7.6	6.5	13.5	7.7
राजस्थान	5.6	1.2	4.4	6.7	9.9	7.2
तमिलनाडु	8.8	6.0	7.9	6.2	9.0	6.9
तेलंगाना	7.2	5.0	6.5	8.5	12.6	9.4
उत्तर प्रदेश	6.1	1.5	5.4	9.4	10.6	9.5
पश्चिम बंगाल	4.4	1.7	3.8	6.6	5.9	6.4
संपूर्ण भारत	**5.7**	**3.8**	**5.3**	**6.9**	**10.8**	**7.7**

स्रोत : सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एन॰एस॰ओ॰2018

रोजगार का स्वरूप

रोजगार में मुख्य श्रेणियां ये हैं - स्वरोजगार (स्वश्रम श्रमिक, नियोक्ता, और घरेलू उद्यमों में सहायक), नियमित मजदूरी, मजदूरी/ वेतन, और अनियमित श्रम। तालिका 5.4 और 5.5 से पता चलता है कि देश के सभी राज्यों में अधिकांश श्रमिक स्वनियोजित हैं, खास कर स्वश्रम श्रमिक के बतौर। बिहार में 55.9 प्रतिशत पुरुष स्वनियोजित थे जिनका हिस्सा संपूर्ण भारत के 52.3 प्रतिशत से थोड़ा अधिक है। वहीं बिहार में अनियमित श्रमिकों का

हिस्सा 32.1 प्रतिशत था जो संपूर्ण भारत के स्तर (24.3 प्रतिशत) से काफी अधिक है। नियमित मजदूरी/ वेतन वाले पुरुषों की आबादी बिहार में 11.9 प्रतिशतथी। नियमित मजदूरी/ का अनुपात वेतन वाले पुरुषों का निम्न अनुपात बताता है कि बिहार के पुरुष श्रमिकों के पास स्थायी और दीर्घकालिक रोजगार के लिहाज से सीमित विकल्प है।

तालिका 5.4 : राज्यों मेंरोजगार की स्थिति के अनुसार पुरुष श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2017-18)

राज्य	स्वनियोजित			नियमित मजदूरी/ वेतन	अनियमित श्रमिक	सभी
	स्वश्रम श्रमिक, नियोक्ता	घरेलू उद्यम में सहायक	समस्त स्वनियोजित			
आंध्र प्रदेश	40.3	5.7	46.1	21.0	33.0	100.0
असम	55.6	5.9	61.5	20.3	18.2	100.0
बिहार	**50.4**	**5.5**	**55.9**	**11.9**	**32.1**	**100.0**
छत्तीसगढ़	45.8	17.9	63.7	17.8	18.4	100.0
गुजरात	43.2	11.5	54.7	29.9	15.5	100.0
हरियाणा	38.8	5.3	44.1	36.9	19.0	100.0
झारखंड	51.4	8.3	59.7	15.4	24.9	100.0
कर्नाटक	41.4	9.0	50.3	25.3	24.4	100.0
केरल	40.1	0.7	40.8	27.5	31.7	100.0
मध्य प्रदेश	43.7	13.8	57.5	15.7	26.8	100.0
महाराष्ट	39.3	8.5	47.8	31.7	20.6	100.0
ओडिशा	52.5	6.8	59.3	15.7	25.1	100.0
पंजाब	40.2	6.7	47.0	31.5	21.5	100.0
राजस्थान	50.5	9.5	60.0	22.4	17.6	100.0
तमिलनाडु	30.4	2.1	32.4	35.5	32.1	100.0
तेलंगाना	42.6	5.1	47.7	32.0	20.3	100.0
उत्तर प्रदेश	50.1	11.8	61.9	15.2	22.8	100.0
पश्चिम बंगाल	40.5	5.6	46.1	20.7	33.1	100.0
संपूर्ण भारत	**44.1**	**8.2**	**52.3**	**23.4**	**24.3**	**100.0**

स्रोत : सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एन०एस०ओ०2018

महिला श्रमिकों के लिए रोजगार का पैटर्न नितांत भिन्न था (तालिका 5.5)। बिहार में स्वनियोजित महिला श्रमिकों का अनुपात 33.9 प्रतिशत था जो संपूर्ण भारत के अनुपात (51.9 प्रतिशत) से काफी कम था। गौरतलब है कि स्वनियोजित श्रेणी के अंदर घरेलू उद्यमों में सहायक के बतौर महिला श्रमिकों का हिस्सा बिहार में मात्र 6. 4 प्रतिशत था जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर यह 31.7 प्रतिशत था। स्वरोजगार के इतने निम्न स्तर का एक संभव कारण यह है कि ग्रामीण परिवारों में कार्यकारी जोतों का छोटा आकार, खास कर परिवार की महिला सदस्यों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने में सक्षम नहीं होता है। दूसरे, कुछ जातियों और वर्गों की

महिलाओं के लिए सामाजिक-सांस्कृतिक निषेध उन्हें आर्थिक गतिविधियों से, यहां तक कि अपने खेतों में काम करने से भी दूर रहने के लिए बाध्य करते हैं, और वे घरेलू काम करन तक ही सीमित रहती हैं। निम्न स्वरोजगार का अर्थ है कि नियमित मजदूरी/ वेतन और अनियमित मजदूर की स्थिति वाली महिलाओं का अनुपात बिहार में संपूर्ण भारत के स्तर से ऊंचा था। महिलाओं की कम श्रमशक्ति सहभागिता दर (जैसा कि तालिका 5.1 में दिया गया है) को देखते हुए श्रमिक नियमित वेतन/ मजदूरी और अनियमित मजदूरी वाली अधिकांश महिला श्रमिक सेवा क्षेत्र में लगी थीं।

तालिका 5.5 : राज्यों मेंरोजगार की स्थिति के अनुसार महिला श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2017-18)

राज्य	स्वनियोजित			नियमित मजदूरी/ वेतन	अनियमित श्रमिक	सभी
	स्वश्रम श्रमिक, नियोक्ता	घरेलू उद्यम में सहायक	समस्त स्वनियोजित			
आंध्र प्रदेश	17.3	25.0	42.3	14.2	43.5	100.0
असम	11.9	8.5	20.4	59.3	20.3	100.0
बिहार	**27.5**	**6.4**	**33.9**	**32.9**	**33.3**	**100.0**
छत्तीसगढ़	8.9	61.5	70.4	7.9	21.7	100.0
गुजरात	30.2	24.6	54.9	23.1	22.1	100.0
हरियाणा	34.6	7.7	42.3	27.8	30.0	100.0
झारखंड	18.0	50.6	68.6	14.1	17.3	100.0
कर्नाटक	16.9	23.5	40.4	25.8	33.8	100.0
केरल	21.9	7.7	29.6	47.5	22.9	100.0
मध्य प्रदेश	9.7	47.9	57.6	10.6	31.8	100.0
महाराष्ट	12.2	32.8	45.1	21.8	33.1	100.0
ओडिशा	15.0	35.3	50.3	14.2	35.5	100.0
पंजाब	31.9	8.4	40.3	45.2	14.5	100.0
राजस्थान	22.1	57.9	80.0	8.6	11.4	100.0
तमिलनाडु	17.4	16.0	33.5	30.1	36.4	100.0
तेलंगाना	23.4	25.1	48.5	17.9	33.7	100.0
उत्तर प्रदेश	28.8	44.5	73.4	13.8	12.9	100.0
पश्चिम बंगाल	32.1	13.8	45.9	27.2	26.9	100.0
संपूर्ण भारत	**20.2**	**31.7**	**51.9**	**21.0**	**27.0**	**100.0**

स्रोत : सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एन०एस०ओ०2018

प्रमुख उद्योगों में पुरुष और महिला, दोनो प्रकार के श्रमिकों के वितरण पर तालिका 5.6 में चर्चा की गई है। बिहार में कामकाजी पुरुषों को रोजगार उपलब्ध कराने वाले प्रमुख उद्योग थे -कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट (44. 6 प्रतिशत), निर्माण (17.1 प्रतिशत), थोक और खुदरा व्यापार, वाहनों की मरम्मत (12.3 प्रतिशत), तथा

तालिका 5.6 : बिहार और भारत के लिए विभिन्न उद्योगों में श्रमिकों का प्रतिशत वितरण (2017-18)

उद्योग	संपूर्ण भारत		महिला		व्यक्ति	
	बिहार	संपूर्ण भारत	बिहार	संपूर्ण भारत	बिहार	संपूर्ण भारत
कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	44.6	40.2	53.6	57.0	45.1	44.1
खनन एवंउत्खनन	0.1	0.5	0.0	0.2	0.1	0.4
विनिर्माण	9.3	12.0	3.2	12.5	8.9	12.1
विद्युत, गैस, जालवाष्प एवं वातानुकुलन आपूर्ति	0.1	0.4	0.0	0.1	0.1	0.3
जलापूर्ति, मलजल निकासी, अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचार कार्य	0.0	0.3	0.0	0.1	0.0	0.3
निर्माण	17.1	13.7	2.8	5.0	16.3	11.7
थोक और खुदरा व्यापार; मोटरवाहनों और मोटरसाइकलों की मरम्मत	12.3	11.7	4.1	4.8	11.8	10.1
परिवहन और भंडारण	3.8	6.3	0.0	0.3	3.6	4.9
निवास और आहार सेवा कार्य	1.7	2.0	5.2	1.5	1.9	1.9
सूचना एवं संचार	0.6	1.1	0.1	0.7	0.5	1.0
वित्तीय और बीमा कार्य	0.9	1.1	0.3	0.8	0.9	1.1
स्थावर संपदा संबंधी काम	0.2	0.3	0.0	0.1	0.2	0.2
पेशेवर, वैज्ञानिक और तकनीकी कार्य	0.9	0.9	0.1	0.5	0.9	0.8
प्रशासनिक एवं सहयोगी सेवा कार्य	1.2	1.4	0.5	0.6	1.2	1.2
लोक प्रशासन एवं प्रतिरक्षा; अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा	0.6	1.8	0.9	1.0	0.6	1.6
शिक्षा	2.9	2.6	25.7	7.6	4.1	3.8
मानव स्वास्थ्य एवं सामाजिक कार्य संबंधी गतिविधियां	0.7	0.8	1.2	2.5	0.8	1.2
कला, मनोरंजन एवं मनबहलाव	0.6	0.3	0.0	0.1	0.6	0.3
अन्य सेवा कार्य	2.0	2.0	0.5	1.7	2.0	1.9
नियोक्ता के बतौर घरेलू कार्य; परिवार की अपने उपयोग और उत्पादक कार्यों को अलग नहीं की जा सकने वाली वस्तुएं और सेवाएं	0.6	0.5	1.9	3.0	0.7	1.1
अपरदेशीय संगठन और निकायों से संबंधित गतिविधियां	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
सभी	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : सावधिक श्रम शक्ति सर्वेक्षण, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, एन॰एस॰ओ॰2018

विनिर्माण (9.3 प्रतिशत)। वहीं, महिला श्रमिकों के लिए रोजगार देने वाले मुख्य उद्योग थे - कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट (53.6 प्रतिशत), शिक्षा (25.7 प्रतिशत), और निवास तथा आहार सेवा संबंधी कार्य (5.2 प्रतिशत)। तालिका 5.6 में देखा जा सकता है कि बिहार में विभिन्न उद्योगों में पुरुष श्रमिकों के काम करने का पैटर्न संपूर्ण भारत के पैटर्न जैसा ही है। लेकिन बिहार में महिला श्रमिकों के काम करने का पैटर्न संपूर्ण भारत के पैटर्न से काफी अलग है। जैसे, बिहार में कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट (मछली मारना) के बाद महिलाओं को रोजगार

देने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र शिक्षा है जबकि सामान्य धारणा है कि विनिर्माण क्षेत्र महिला श्रमिकों के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर्ण रोजगारदाता होगा। आंकड़ों से पता चलता है कि 3.2 प्रतिशत महिला श्रमिक ही विनिर्माण के काम में लगी हैं जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर उनका हिस्सा 12.5 प्रतिशत है। शिक्षा उद्योग में महिला श्रमिकों का बड़ा हिस्सा अभी बिहार में चल रही राज्य-प्रायोजित योजनाओं और कार्यक्रमों की सफलता को सूचित करता है। बिहार में महिला श्रमिकों की कम संख्या को देखते हुए उनका अच्छा-खासा बड़ा हिस्सा सेवा क्षेत्र में लगा था – ऐसे क्षेत्र में जिसमें परिलब्धियां और काम का माहौल अपेक्षाकृत बेहतर है।

प्रवास

भारत के आर्थिक इतिहास में पुष्टि की गई है कि भारत में आर्थिक और सामाजिक विकास के विभिन्न चरणों में बिहार प्रवासी श्रमिकों का अबाध स्रोत रहा है। यहां के कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिक कृषि और औद्योगिक विकास, दोनों में मजदर का काम करने के लिए देश के विभिन्न भागों मं गए हैं। ऐतिहासिक रूप से अंतर्राष्टोय स्थलों पर भी प्रवास होता देखा गया है। वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़े बताते हैं कि बिहार के सीवान, गोपालगंज, पूर्व चंपारण और पश्चिम चंपारण जिलों के श्रमिक अक्सर खाड़ी देशों के लिए प्रवास करते हैं। भारत में अधिकांश प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा और बिहार से आते हैं और उनके सबसे पसंदीदा गंतव्य महाराष्ट, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और कर्नाटक जैसे आर्थिक रूप से समृद्ध राज्य रहे हैं।

वर्ष 2011 के जनगणना में प्रवासियों की संख्या और प्रवास के उनके कारणों पर जानकारी दी गई है। तालिका 5.7 में बिहार और भारत में प्रवासियों की लिंग और प्रवास के कारणों पर आधारित संख्या दी गई है। प्रवास के मुख्य कारण काम/ रोजगार, व्यवसाय, शिक्षा, विवाह, जन्म के बाद जाना, परिवार के साथ जाना आदि हैं। बिहार में 75 प्रतिशत प्रवास विवाह के कारण हुआ जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर इसका आंकड़ा 46 प्रतिशत है। कुल प्रवास में से 2.9 प्रतिशत ही काम/ रोजगार और व्यवसाय के कारण हुआ। विवाह के कारण प्रवास करने वाले लोगों की कुल संख्या में महिलाओं का 98 प्रतिशत हिस्सा था। साथ ही, काम, रोजगार और व्यवसाय के लिए प्रवास करने वालों में 76 प्रतिशत पुरुष थे। ये दो पैटर्न दर्शाते हैं कि भारत में, खास कर बिहार में आर्थिक कारणों की तुलना में सामाजिक मानकों और रीति-रिवाजों के कारण काफी अधिक प्रवास होता रहा है। दूसरे, महिलाओं का प्रवास मुख्यत: सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों द्वारा नियंत्रित होता रहा है, और पुरुषों का प्रवास आर्थिक कारणों से तय होता रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की बात करें, तो भारतीय हवाईअड्डों से विदेशगमन संबंधी अनापत्ति (एमिग्रेशन क्लीयरेंस) से इसका कुछ अप्रत्यक्ष प्रमाण मिल सकता है। इसके आंकड़ों के अनुसार विदेशगमन संबंधी अनापत्ति में बिहार का 15 प्रतिशत हिस्सा था जो आंध्र प्रदेश के 31 प्रतिशत के बाद सर्वाधिक है। समग्र परिदृश्य चार्ट 5.1 में दर्शाया गया है जिसमें विदेशगमन अनापत्ति संबंधी आंकड़ों पर राज्यवार आंकड़े प्रस्तुत हैं।

तालिका 5.7: बिहार और भारत में कारण और लिंग आधारित प्रवास (जनगणना 2011)

(आंकड़े हजार में)

श्रेणी		भारत			बिहार		
		समस्त	ग्रामीण	शहरी	समस्त	ग्रामीण	शहरी
कार्य/ रोजगार	व्यक्ति	41,423	26,736	13,394	707	288	419
	पुरुष	35,017	22,673	11,382	539	166	373
	महिला	6,406	4,064	2,011	167	121	46
व्यवसाय	व्यक्ति	3,590	2,005	1,438	84	48	36
	पुरुष	2,683	1,501	1,088	39	12	27
	महिला	907	504	350	45	35	10
शिक्षा	व्यक्ति	5,458	3,403	1,784	122	48	74
	पुरुष	3,296	2,060	1,077	74	23	51
	महिला	2,161	1,344	707	48	25	23
विवाह	व्यक्ति	211,186	175,816	27,764	20,440	18,719	1,721
	पुरुष	5,347	4,242	879	380	339	41
	महिला	205,840	171,574	26,885	20,060	18,380	1,680
जन्म के बाद जाना	व्यक्ति	33,856	18,352	14,098	293	183	110
	पुरुष	20,079	11,189	8,057	177	108	69
	महिला	13,777	7,162	6,041	116	75	41
परिवार के साथ जाना	व्यक्ति	65,960	37,684	25,071	1,268	519	749
	पुरुष	29,680	16,991	11,132	605	264	341
	महिला	36,280	20,693	13,940	663	255	408
अन्य	व्यक्ति	94,314	31,118	22,806	4,331	3,463	868
	पुरुष	50,044	14,867	12,347	2,023	1,543	479
	महिला	44,270	16,251	10,459	2,308	1,919	389
कुल प्रवासी	व्यक्ति	455,788	295,114	106,356	27,245	23,267	3,978
	पुरुष	146,146	73,523	45,962	3,837	2,457	1,381
	महिला	309,642	221,592	60,394	23,407	20,810	2,597

स्रोत : भारत के महानिबंधक और जनगणना आयुक्त, जनगणना 2011

चार्ट 5.1 : स्वीकृत राज्यवार विदेशगमन अनापत्ति, 2011-2016

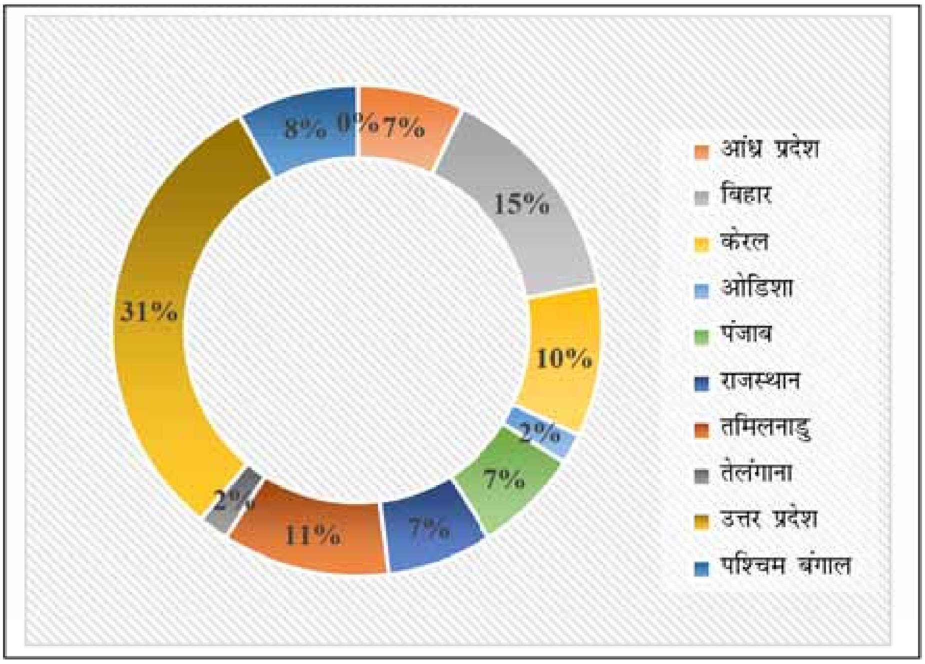

एमईए डेटा, 2011-16, (क्रॉस रेफरेंसेज : इंडियन लेबर माइग्रेशन अपडेट 2018)

अंतर्राष्टोय प्रवास का एक और सूचक पटना स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय को पासपोर्ट के लिए मिले आवदनों और उसके द्वारा जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या है। वर्ष 2015-16 से 2018-19 तक के प्रासंगिक आंकड़े चार्ट 5.2 में प्रस्तुत हैं। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि जारी पासपोर्ट की संख्या में विभिन्न वर्षों के दौरान काफी अंतर रहा है। सर्वाधिक 348.3 हजार आवेदन 2018-19 में प्राप्त हुए। वहीं, सर्वाधिक 357.6 हजार पासपोर्ट 2015-16 में और उसके बाद 339.1 हजार पासपोर्ट 2017-18 में जारी किए गए थे। पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय से जारी पासपोर्ट की औसत संख्या 3 लाख प्रति वर्ष से भी अधिक है जो निस्संदेह एक बड़ी संख्या है।

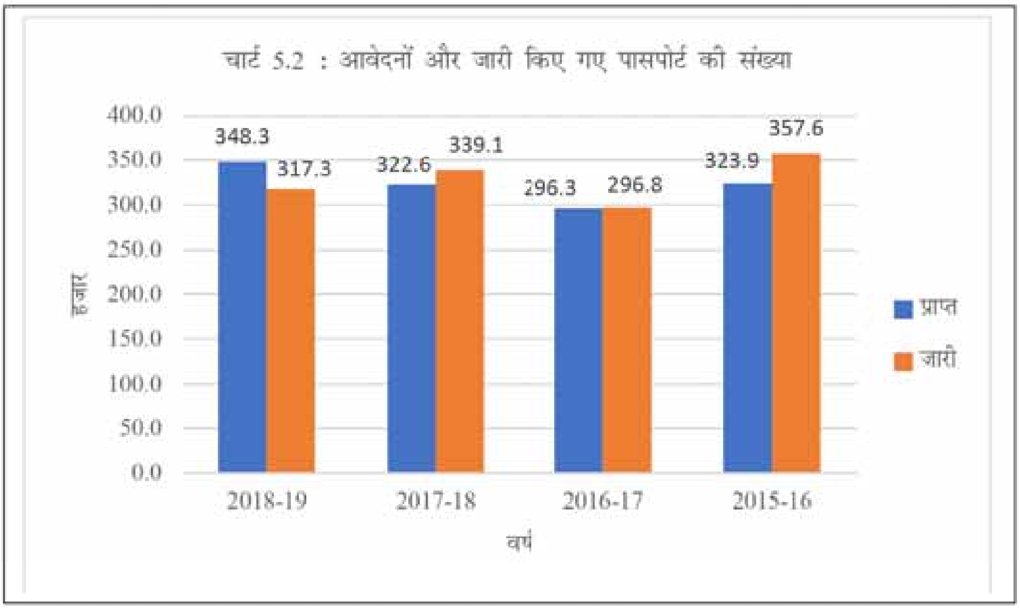

स्रोत : विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना

पासपोर्ट जारी करने के मामले में क्षेत्रों के बीच अंतर की बात करें, तो तालिका 5.8 में दिखता है कि 13.1 प्रतिशत पासपोर्ट सीवान के, 10.8 प्रतिशत गोपालगंज के, 11 प्रतिशत पटना के और 8 प्रतिशत औरंगाबाद के निवासियों के लिए जारी किए गए। वर्ष 2018-19 में जारी कुल पासपोर्ट में इन चारो जिलों का संयुक्त हिस्सा 42.9 प्रतिशत था। इससे बेहिचक माना जा सकता है कि अन्य वर्षों में भी जिलों के बीच भारी विषमता थी।

तालिका 5.1 प (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में 2016-17 से 2018-19 तक पटना क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय द्वारा पासपोर्ट के लिए प्राप्त आवेदनों और जारी पासपोर्ट की जिलावार संख्या दर्शाई गई है। स्पष्ट करने की जरूरत है कि कुछ मामलों में जारी किए गए पासपोर्ट की संख्या प्राप्त आवेदनों से अधिक थी। इसका कारण पासपोर्ट जारी करने के मामले में हुआ बैकलॉग है। सीवान और गोपालगंज जिलों से अन्य जिलों की अपेक्षा काफी अधिक आवेदन दिए गए थे।

तालिका 5.8 : जारी पासपोर्ट की जिलावार संख्या 2018-19

जिला	पासपोर्ट की सं. (हजार)	जिला	पासपोर्ट की सं. (हजार)
पटना	34.0 (11.0)	दरभंगा	10.1 (3.2)
नालंदा	4.6 (1.5)	मधुबनी	9.6 (3.0)
भोजपुर	5.9 (1.9)	समस्तीपुर	5.1 (1.6)
बक्सर	6.1 (1.9)	बेगूसराय	4.8 (1.5)
रोहतास	6.8 (2.2)	मुंगेर	2.2 (0.7)
कैमूर	2.0 (0.6)	शेखपुरा	1.0 (0.3)
गया	7.9 (2.5)	लखीसराय	1.1 (0.4)
जहानाबाद	1.6 (0.9)	जमुई	2.9 (0.9)
अरवल	1.2 (0.4)	खगड़िया	1.4 (0.4)
नवादा	4.9 (1.5)	भागलपुर	5.0 (1.6)
औरंगाबाद	25.4 (8.0)	बांका	1.1 (0.4)
सारण	13.8 (4.3)	सहरसा	1.9 (0.6)
सीवान	41.7 (13.1)	सुपौल	2.8 (0.9)
गोपालगंज	34.2 (10.8)	मधेपुरा	1.1 (0.3)
पश्चिम चंपारण	317.3 (4.5)	पूर्णिया	7.0 (2.2)
पूर्व चंपारण	12.7 (4.0)	किशनगंज	4.7 (1.5)
मुजफ्फरपुर	13.6 (4.3)	अररिया	4.8 (1.5)
सीतामढ़ी	7.3 (2.3)	कटिहार	4.6 (1.5)
शिवहर	0.9 (0.3)		
वैशाली	6.3 (2.0	**बिहार**	**337.4**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्शाए गए आंकड़े प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना

यह सुविदित तथ्य है कि सीवान और गोपालगंज से अधिकांश प्रवासी खाड़ी देशों में काम करने गए थे। यह भी बेहिचक माना जा सकता है कि विगत वर्षों के दौरान आकांक्षियों ने खाड़ी देशों के लिए प्रवास जारी रखने का एक सशक्त नेटवर्क स्थापित कर लिया है।

5.2 श्रमिकों के लिए राज्य सरकार की पहलकदमियां

विगत वर्षों के दौरान श्रमिकों के विभिन्न तबकों की जीविका और कार्यदशा में सुधार के लिए राज्य सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इस खंड में उनमें से कुछ उपायों के विवरण प्रस्तुत हैं।

बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना (बीएलआरएस)

बंधुआ मजदूर व्यवस्था (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के जरिए राज्य सरकारों को बंधुआ मजदूरां को विभिन्न उत्पीड़नों से मुक्त कराने और उनका पुनर्वास सुनिश्चित करने का दायित्व सौंपा गया है। राज्य सरकारों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने 1978 में एक योजना शुरू की जिसे बंधुआ मजदूर पुनर्वास की केंद्र प्रायोजित योजना के नाम से जाना जाता है। बाद में केंद्र सरकार ने पुरानी योजना को 2016 में संशोधित कर दिया। संशोधित योजना के तहत केंद्र सरकार वित्तोय पुनर्वास सहायता का पूरा बोझ वहन करेगी। मुक्त बंधुआ मजदूरों के लिए वित्तोय सहायता के विभिन्न घटक नीचे वर्णित हैं।

पहली श्रेणी : मुक्त कराए गए पुरुष बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास के लिए 1.00 लाख रु. की वित्तोय सहायता दी जाएगी। यह वित्तोय सहायता लाभार्थियों को वार्षिक योजना या एकमुश्त नगद अंतरण के बतौर दी जाती है।

दूसरी श्रेणी : इस श्रेणी में विशेष रूप से परिभाषित बंधुआ मजदूर शामिल हैं, जैसे कि बंधुआ बच्चे, बंधुआ मजदूरी में बलपूर्वक लगाए गए बच्चे और महिलाएं, तथा जबर्दस्ती भीख मंगवाने के संगठित नेटवर्क से मुक्त कराए गए बच्चे। इस श्रेणी के तहत मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिक को 2.00 लाख रु. दिए जाते हैं जिसमें से 1.25 लाख रु. मुक्त कराए गए मजदूर के नाम से वार्षिक योजना में जमा कर दिए जाते हैं और 75,000 रु. की शेष रकम मुक्त मजदूर के बैंक खाते में जमा कर दी जाती है।

तीसरी श्रेणी : इस श्रेणी में वेश्यालयों, मसाज पार्लरों या प्लेसमेंट एजेंसियों से मुक्त कराए गए ट्रांसजेंडर, बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। उन्हें 3.00 लाख रु. वित्तोय क्षतिपूर्ति दी जाती है जिसमें से 2.00 लाख रु. वार्षिक योजना के बतौर उपलब्ध कराए जाते हैं और शेष 1.00 लाख रु. मुक्त व्यक्ति के बैंक खाते में जमा करा दिए जाते हैं।

वित्तोय सहायता के अलावा, योजना के वित्ततर घटक भी हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण वित्ततर घटक हैं – घर बनाने और खेती के लिए भूखंडों का आबंटन, कम खर्च वाली आवासीय इकाइयों का प्रावधान, पशुपालन, दुग्धशाला और सूअरपालन आदि; मजदूरी वाले रोजगार उपलब्ध कराना और न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करना; लघु वनोपज

का संग्रहण और प्रसंस्करण; लक्षित जन वितरण प्रणाली के जरिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति; तथा बच्चों के लिए शिक्षा।

योजना के तहत जिला स्तर पर बंधुआ मजदूर पुनर्वास कोष निर्माण के लिए प्रावधान है जिसका अनुश्रवण जिला दंडाधिकारी द्वारा किया जाता है। 10.00 लाख रु. का कॉर्पस कोष मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूरों को तत्काल वित्तोय सहायता उपलब्ध कराने क लिए होता है। तात्कालिक वित्तोय सहायता की ऊपरी सीमा 20,000 रु. है। राज्य सरकारों को मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर के लिए सुरक्षित वातावरण और उनकी कौशल वृद्धि के लिए प्रशिक्षण देना सुनिश्चित करना होता है। राज्य सरकारों को मुक्त कराए गए बच्चों को उनके निवास स्थल के आसपास कक्षा 12 तक की शिक्षा उपलब्ध करानी होती है। और नि:शक्त सहित सभी मुक्त लोगों के लिए मनोवैज्ञानिक और कौशल विकास कार्यक्रम पुनर्वास योजना के मुख्य घटक हैं।

वर्ष 2013 और 2016 के बीच 1922 बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराया गया और मुक्त बंधुआ मजदूरों को पुनर्वास के लिए उन्हें कुल 192.20 लाख रु. मिले (तालिका प 5.2)(सांख्यिकीय परिशिष्ट)। अधिकांश संख्या में बंधुआ मजदूर – गया (693), समस्तीपुर (139), मधुबनी (137), सीतामढ़ी (114) और कटिहार (111) के थे, और यह 2013-2016 के बीच मुक्त कराए गए बिहार के कुल बंधुआ मजदूरों का 62 प्रतिशत था। बाद में नई योजना के तहत 798 मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर के पुनर्वास पर 84.40 लाख रु. व्यय किया गया। सर्वाधिक संख्या में मुक्त कराए गए बंधुआ मजदूर नवादा (252), गया (79), समस्तीपुर (57), जहानाबाद (56), सुपौल (54) और दरभंगा (50) के थे। 2016 से 2019 के बीच मुक्त कराए गए कुल मजदूरों में संयुक्त रूप से 68 प्रतिशत से भी अधिक इन छ: जिलों के थ।

बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना 2011

राज्य सरकार ने 2011 में बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक कल्याण योजना को शुरुआत असंगठित मजदूरों की मदद के लिए की क्योंकि राज्य के मजदूरों का बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में लगा है। असंगठित क्षेत्र के तहत 88 पेशों को चिन्हित किया गया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अलावा याजना में कारीगर और अन्य लोग भी शामिल हैं। योजना के तहत मृत्यु, विकलांगता, दुर्घटना या नियतकालिक रोगों/ बीमारियों जैसी आपात स्थिति में वित्तोय सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है। अनुदान की रकम तालिका 5.9 में प्रस्तुत है। मृत मजदूरों के पति/ पत्नी को वैध प्रमाणपत्र और दस्तावेज जमा करने पर अनुदान मिलता है। जिला दंडाधिकारी इस योजना के लिए क्रियान्वयन अधिकारी होते हैं।

वर्ष 2015-16 में सभी श्रेणियों में दाखिल दावों की कुल संख्या 728 थी और कुल 393.30 लाख रु. वितरित हुए। आंकड़ों से पता चलता है कि दावों की संख्या 2015-16 के 728 से बढ़कर 2018-19 में 1448 हो गई। फलत:, वितरित रकम भी 2015-16 के 393.30 लाख रु. से बढ़कर 2018-19 में 820.23 लाख रु. हो गई। गत चार वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने योजना के तहत 5085 दावों के लिए कुल 2844.00 लाख रु. की वित्तोय सहायता उपलब्ध कराई (तालिका 5.10)।

तालिका 5.9 : बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत अनुदान का श्रेणी-वार प्रावधान

उपयोजना	रकम (रु.)
दुर्घटना में मृत्यु	1,00,000
स्वाभाविक मृत्यु	30,000
स्थायी पूर्ण नि:शक्तता	75,000
स्थायी आंशिक नि:शक्तता	37,500
दुर्घटना के कारण चोट-चपेट	5000
ठीक नहीं होने वाले रोग/ बीमारियां	7500-30,000

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.10 : बिहार शताब्दी असंगठित कार्यक्षेत्र कामगार एवं शिल्पकार सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत प्रदत्तअनुदान (2015-16 से 2018-19)

वर्ष	दुर्घटना से मृत्यु की सं.	स्थायी विकलांगता	आंशिक विकलांगता	सामान्य मृत्यु	अस्पताल में भर्ती	ठीक नहीं होने वाले रोग	दावों की कुल संख्या	कुल रकम (लाख रु.)
2015-16	249	3	6	462	2	6	728	393.30
2016-17	634	9	35	1093	2	18	1791	985.93
2017-18	440	5	8	636	0	29	1118	644.55
2018-19	548	8	11	855	1	25	1448	820.23
योगफल	**1871**	**25**	**60**	**3046**	**5**	**78**	**5085**	2844.00

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

निर्माण मजदूर

निर्माण मजदूरों के संबंध में दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून - (1) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक (नियोजन एवं सेवा स्थिति विनियम) अधिनियम, 1996, और (2) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उप-कर अधिनियम, 1996 - हैं। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1996 के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन एवं सेवा स्थिति विनियम) नियमावली, 2005 लागू की जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया। भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उप-कर अधिनियम, 1996 के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार द्वारा नियमावली उपलब्ध कराईगई थी। कानून में निर्माण श्रमिकों की कार्यदशा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के अनुश्रवण के लिए प्रावधान किए गए हैं। उक्त अधिनियम और नियमावली के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की स्थापना की है। अभी बिहार में निर्माण कार्यमें शामिल असंगठित मजदूरों को 20 प्रकार के कार्यों के तहत वर्गीकृत किया गया है।

बिहार भवन एवं सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का लाभ लेने के लिए 18 वर्ष से 60 वर्ष उम्र समूह वाले निर्माण मजदूरों को बोर्ड का निबंधित सदस्य बनना होता है। सभी आवदनों को बोर्ड द्वारा विकसित ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दिया जाता है, और निबंधित निर्माण मजदूरों को पहचान-पत्र जारी किए जाते हैं। बोर्ड द्वारा कार्यस्थल पर निर्माण मजदूरों का स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, उनके कल्याण को बढ़ावा दिया जाता ह, और विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए कोष का भी प्रबंधन किया जाता है। इन कल्याण योजनाओं में मृत्यु लाभ, मातृत्व लाभ, शिक्षा के लिए वित्तोय सहायता, नगद पुरस्कार, विवाह के लिए वित्तोय सहायता, साइकल खरीद योजना, उपकरण खरीद योजना, आवास मरम्मत अनुदान, चिकित्सा सहायता, वार्षिक चिकित्सा सहायता, पेंशन, नि:शक्तता पेंशन, अंत्येष्टि हेतु वित्तोय सहायता, पारिवारिक पेंशन, और पितृत्व लाभ शामिल हैं।

निर्माण श्रमिकों को उक्त लाभ उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने काफी बड़ी रकम कर्णांकित की है। यह रकम राज्य के अन्दर होने वाले सभी प्रकार के निर्माणों से निर्माण सेस के बतौर प्राप्त होती है। तालिका 5.11 में निबंधित निर्माण मजदूरों और लाभार्थियों की संख्या संबंधी विवरण प्रस्तुत हैं। वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक कुल 1295 हजार निर्माण श्रमिकों ने बोर्ड के पास अपना निबंधन कराया है और विभिन्न योजनाओं के तहत उनमें से 339.3 हजार श्रमिकों को कुछ लाभ उपलब्ध हुए हैं। विगत वर्षों के दौरान धनराशि के आबंटन में वृद्धि होती रही है। वर्ष 2014-15 और 2018-19 में कुल आबंटन क्रमश: 163.80 करोड़ रु. और 370.00 करोड़ रु. था जो पांच वर्षों में 126 प्रतिशत वृद्धि को दर्शाता है।

तालिका 5.11: निबंधित निर्माण मजदूरों और लाभार्थियों की संख्या, तथा धनराशि का उपयोग(2014-15 से 2018-19)

वर्ष	निबंधित निर्माण मजदूरों की सं. (हजार में)	धनराशि (करोड़ रु. में)	लाभार्थियों की सं. (हजार में)	धनराशि का उपयोग (करोड़ रु. में)
2014-15	309.8	163.8	27.5	41.3
2015-16	409.6	203.7	5.5	8.3
2016-17	57.4	231.1	7.3	10.9
2017-18	191.3	266.0	40.8	61.3
2018-19	326.9	370.0	258.2	80.9
योगफल	**1295**	**1234.6**	**339.3**	**202.7**

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

बाल मजदूर

वर्ल्ड रिपोर्ट ऑन चाइल्ड लेबर (बाल श्रम पर वैश्विक रिपोर्ट) 2015 के अनुसार दुनिया में 16.8 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के फंदे में जकड़े थे। भारत में बाल श्रम के मामले में राज्यों के बीच काफी अंतर मौजूद है।

बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम 1986 के तहत अनुच्छेद 3 के जरिए खतरनाक माने जाने वाले सभी पेशों और प्रक्रियाओं में बच्चों को लगाने का निषेध किया गया है। वर्ष 2009 में बच्चों के समग्र कल्याण के लिए बाल-हितैषी और अनुकूल वातावरण बनाने के लिहाज से राज्य सरकार ने 'बाल संरक्षण, बचाव एवं पुनर्वास हेतु राज्य कार्ययोजना' की शुरुआत की। वर्ष 2017 में राज्य कार्ययोजना को दुबारा संशोधित किया गया। कार्ययोजना के तहत मुक्त किए गए बाल श्रमिकों के पुनर्वास की निगरानी करने के लिए एक सॉफ्टवेयर 'चाइल्ड लेबर टकिंग सिस्टम' (बाल श्रम निगरानी प्रणाली) विकसित किया गया। वर्ष 2014 और 2019 के बीच 5616 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया गया और 82 बच्चों का विद्यालयों में नामांकन कराया गया। इसके अलावा, राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से बाल श्रमिकों को 25,000 रु. वित्तोय सहायता देने का भी प्रावधान किया है। योजना से 2014 और 2019 के बीच कोई 1492 बाल श्रमिक लाभान्वित हुए हैं। साथ ही, कार्ययोजना में मुक्त कराए गए बाल श्रमिकों के शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास को आगे बढ़ाने के लिए आवासीय प्रशिक्षण केंद्रों का भी प्रावधान शामिल किया गया है। मुख्य धारा के विद्यालयों में नामांकन के पहले मुक्त कराए गए बच्चों के लिए सेतु पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं। औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ इच्छुक बच्चों को व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है और विभिन्न राज्य संचालित कौशल विकास कार्यक्रमों में शामिल किया जा रहा है। गया, नवादा, पटना, बांका, सीतामढ़ी और जमुई में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। अभी पटना, गया, जमुई और बांका में विशेष आवासीय प्रशिक्षण केंद्र काम कर रहे हैं।

तालिका प 5.3 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए मुक्त कराए गए बच्चों और मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत पुनर्वास के जिलावार आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं। वर्ष 2016-17 में कोई 1054 बच्चों को मुक्त कराया गया था। बाद के वर्षों में मुक्त कराए गए बच्चों की संख्या घटी है। लेकिन पुनर्वास की दर 2017-18 में सर्वाधिक थी जब मुक्त कराए गए 930 में से 230 बच्चों को राज्य में पुनर्वास उपलब्ध कराया गया था। अन्य राज्यों से आने वाले लेकिन बिहार में मुक्त कराए गए बच्चों को मानकों के अनुरूप अन्य राज्यों के अधिकारियों को सौंप दिया गया है।

5.3 न्यूनतम मजदूरी की दरें

न्यूनतम मजदूरी का निर्धारणअसंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की जीविका सुनिश्चित करने के सबसे महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। मजदूरी में असमानता घटाने और श्रमिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर को बढ़ावा देने के लिए न्यूनतम मजदूरी को प्रभावो ढंग से लागू करना भी जरूरी है। श्रम संसाधन विभाग द्वारा समय-समय पर छः श्रेणियों - कार्य श्रेणी 1 (69 प्रकार के अनौपचारिक कार्य), कार्य श्रेणी 2 (पापड़ और अगरबत्तो उद्योग, शुष्क शौचालय निर्माण), कार्य श्रेणी 3 (दवाओं की बिक्री, प्रोत्साहन और योजना निर्माण), कार्य श्रेणी 4 (घरेलू मजदूर), कार्य श्रेणी 5 (पत्थर तुड़ाई और पिसाई, बीड़ी, ईंट निर्माण, बाल काटना, पावरलूम, रेशम और धागा उद्योग, लाह और चाय उद्योग के श्रमिक आदि), तथा कार्य श्रेणी 6 (कृषि) - के तहत न्यूनतम मजदूरियों में संशोधन किया जाता है। न्यूनतम मजदूरी को साल में दो बार - अप्रील में और अक्तूबर में - संशोधित किया जाता है। सभी छः श्रेणियों के तहत गत पांच वर्षों की न्यूनतम मजदूरी की सूची तालिका 5.12 में प्रस्तुत है।

तालिका 5.12 : बिहार में क्षेत्रवार न्यूनतम मजदूरी (2015 से 2019)

श्रेणी	2015	2016	2017	2018	2019
कार्य श्रेणी 1 और 5					
अकुशल (प्रतिदिन)	197	237	247	257	277
अर्ध-कुशल (प्रतिदिन)	206	247	257	268	289
कुशल (प्रतिदिन)	251	301	313	325	352
अतिकुशल (प्रतिदिन)	306	367	381	396	429
सुपरवाइजर/ लिपिक (प्रति माह)	5664	6799	7074	7359	7955
कार्य श्रेणी 2					
अकुशल (प्रतिदिन)	189	227	237	246	266
अर्ध-कुशल (प्रतिदिन)	197	237	247	257	277
कुशल (प्रतिदिन)	241	290	302	314	339
अतिकुशल (प्रतिदिन)	295	353	367	382	413
सुपरवाइजर/ लिपिक (प्रति माह)	5444	6535	6799	7073	7646
कार्य श्रेणी 3					
अकुशल (प्रतिदिन)	181	217	225	234	254
अर्ध-कुशल (प्रतिदिन)	188	225	235	244	263
कुशल (प्रतिदिन)	232	278	290	302	325
अतिकुशल (प्रतिदिन)	282	339	353	368	397
सुपरवाइजर/ लिपिक (प्रति माह)	5229	6277	6531	6794	7344
कार्य श्रेणी 4					
कपड़े धोना (एक महीने तक रोज एक घंटे)	589	707	735	765	827
बर्तन/ कपड़े धोना (एक महीने तक रोज एक घंटे)	589	707	735	765	827
बर्तन/ कपड़े धोना/ 1000 वर्ग फीट में पोंछा लगाना (एक महीने तक रोज एक घंटे)	589	707	735	765	827
बर्तन/ कपड़े धोना, 1000 वर्ग फीट में पोंछा लगाना (8 महीने तक रोज एक घंटे)	4703	5645	5873	6109	6605
बर्तन/ कपड़े धोना, 1000 वर्ग फीट में पोंछा लगाना, बच्चों को स्कूल ले जाना और वहां से लाना (8 महीने तक रोज एक घंटे)	4703	5645	5873	6109	6605
कार्य श्रेणी 6					
अकुशल (प्रतिदिन)	197	237	247	257	277
अन्य कार्य कटनी संबंधी कार्य को छोड़कर (प्रतिदिन)	189	227	237	246	266
टक्टर चालक और पंप ऑपरेटर (प्रतिदिन)	6805	8168	8498	8841	9557
कटनी का काम (प्रति माह)	5294	6355	6612	6878	7435

टिप्पणी : तुलना के लिए यहां अक्तूबर महीने में संशोधित न्यूनतम मजदूरियों की जानकारी दी गई है।

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

5.4 राज्य और अन्य संस्थाओं द्वारा नियुक्ति

विगत वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने कामकाजी उम्र वाले पात्र लोगों को विभागों और विभिन्न राज्य संचालित उपक्रमों में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए कई कदम उठाए हैं। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न समयों पर अभिकरणों और आयोगों का गठन किया है। कुछ सबसे प्रमुख आयोग और अभिकरण बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), बिहार तकनीकी सेवा आयोग (बीटीएससी), बेल्ट्रॉन और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआइ) है।

बिहार लोक सेवा आयोग

बिहार लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 के तहत गठित संवैधानिक निकाय है। बिहार लोक सेवा आयोग राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए प्रतिस्पर्धी परीक्षाएं आयोजित करक लोगों की नियुक्ति करने वाले सबसे बड़े आयोगों में से एक है। वर्ष 2017-18 में आयोग ने 1528 व्यक्तियों की भर्ती की थी जिनकी संख्या 2018-19 में लगभग दूनी होकर 2930 हो गई।

तालिका 5.13 : बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित रिक्तियों की संख्या (2017-18 एवं 2018-19)

वर्ष	विवरण	सामान्य	अनुसूचित जाति	अनसूचित जनजाति	अति पिछड़ी जाति	पिछड़ी जाति	पिछड़ी जाति की महिलाएं	योगफल
2017-18	रिक्तियां	936	309	17	331	219	50	1862
	भेजी गई अनुशंसा	924	160	7	209	207	21	1528
2018-19	रिक्तियां	1559	579	28	685	369	120	3340
	भेजी गई अनुशंसा	1550	394	27	511	359	68	2930*

टिप्पणी : * माननीय अदालत के आदेश पर अनुशंसित 21 पद शामिल हैं।

स्रोत : बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी), बिहार सरकार

बिहार तकनीकी सेवा आयोग

बिहार तकनीकी सेवा आयोग संविधान का गठन राज्य सरकार द्वारा 2014 में किया गया था और यह 2017 से काम करने लगा। आयोग के द्वारा बिहार के विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालयों में तकनीकी पदों को भरने के लिए अनुशंसा की जाती है। आयोग द्वारा 109 तकनीकी पदों की पहचान की गई है जिन पर नियुक्ति के लिए नियमित अंतराल पर अनुशंसा की जाती है। तालिका 5.14 से स्पष्ट है कि 2018-19 और 2019-20 में आयोग ने 22,115 पदों के लिए विज्ञापन दिया है।

तालिका 5.14 : बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों के लिए प्रकाशित रिक्तियों की संख्या(2017-18 एवं 2018-19)

वर्ष	पद	संख्या
2018-19	कनीय अभियंता	6379
2019-20	स्टाफ नर्स	9130
	ट्यूटर	169
	चिकित्सा अधिकारी	6437
योगफल		**22115**

स्रोत : बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार सरकार

तालिका 5.15 में 2017-18 और 2018-19 में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए धनराशि का आबंटन और व्यय प्रस्तुत है। वर्ष 2018-19 में धनराशि के आबंटन में काफी (140 प्रतिशत) वृद्धि हुई है। दूसरी ओर व्यय भी 26 प्रतिशत बढ़ा है।

तालिका 5.15 : बिहार तकनीकी सेवा आयोग के लिए बजट आबंटन और व्यय (2017-18 एवं 2018-19)

(आंकड़े लाख रु. में)

वर्ष	आबंटन	व्यय	धनराशि के उपयोग का %
2017-18	220.0	93.8	42.6
2018-19	528.9	341.2	64.5
योगफल	**748.9**	**435.0**	**58.1**

स्रोत : बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार सरकार

बिहार राज्य इलक्टॉनिक विकास निगम (बेल्टॉन)

बेल्टॉन सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी परामर्श में सेवाएं देता है, ई-गवर्नेंस में सहयोग देता है और सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित जनशक्ति उपलब्ध कराता है। सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में कुशल और प्रभावी सेवा प्रदान प्रणालियों के लिए राज्य सरकार नई प्रौद्योगिकी अपनाने की जरूरत की हिमायत करती है। बेल्टॉन का उद्देश्य बिहार को इलक्टॉनिक्स में विकसित राज्य और प्रौद्योगिकी के लिहाज से शक्तिसंपन्न समाज के बतौर विकसित करना, अबाध और विश्वसनीय नागरिक-केंद्रित सेवा के लिए विभिन्न विभागों को जनशक्ति उपलब्ध कराना, और लोगों को सूचनाएं प्रदान करना है। वर्तमान में बेल्ट्रॉन तीसरा पक्ष अभिकरण के द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में मानव-शक्ति जैसे प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डेटा-एंट्री आपरेटर की सेवाएं प्रदान करता है।

ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआइ)

केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के जरिए राष्टोय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम) की स्थापना की है। मिशन का लक्ष्य ग्रामीण बीपीएल परिवारों के लिए रोजगार हेतु कौशल विकास और सूक्ष्म उद्यमों को बढ़ावा देने पर केंद्रित विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिए टिकाऊ रोजगार पैदा करना है। मिशन से ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना, ब्रांडिंग, प्रशिक्षण व्यय की प्रतिपूर्ति, अनुश्रवण और कनवर्जेंस सुनिश्चित करने में मदद की आशा की जाती है। आरंभ में कौशल विकास प्रशिक्षण देने के लिए चुनिंदा जिलों में ग्रामीण विकास एवं स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूडसेटी) की स्थापना की गई थी। चूंकि इन संस्थानों को भारी सफलता मिली

थी इसलिए राज्य सरकार ने ऐसे संस्थानों की स्थापना राज्य के हर जिले में करने का निर्णय किया। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना के लिए इसी मॉडल को अपनाया गया। ये संस्थान प्रशिक्षण और कौशल विकास संबंधी गतिविधियों के जरिए स्वरोजगार शुरू करने के अवसरों के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षण और कौशल विकास मॉड्यूल उद्यमिता विकास के लिहाज से कुशलता से तैयार किए गए और केंद्र सरकार के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य मानकों और अधिसूचनाओं के साथ संरेखित होते हैं। मोटे तौर पर दो प्रकार के कार्यक्रम हैं - पहली पीढ़ी के उद्यमियों के लिए और स्थापित उद्यमियों के लिए। प्रथम-पीढ़ी उद्यमी विकास कार्यक्रम में कृषि उद्यमी विकास कार्यक्रम (ईडीपी), उत्पाद उद्यमी विकास कार्यक्रम, प्रक्रिया उद्यमी विकास कार्यक्रम और सामान्य उद्यमी विकास कार्यक्रम शामिल हैं। स्थापित उद्यमियों की श्रेणी में कौशल उन्नयन एवं वृद्धि कार्यक्रम शामिल हैं।

विभिन्न कौशल विकास कार्यक्रमों की अवधि तालिका 5.16 में प्रस्तुत है। कृषि उद्यमी विकास कार्यक्रम के लिए प्रशिक्षण की अवधि 6 से 10 दिन है। वहीं, उत्पाद, प्रक्रिया और सामान्य उद्यमी विकास कार्यक्रमों के लिए अवधि 6 दिन से 45 दिन के बीच है। कौशल उन्नयन एवं वृद्धि कार्यक्रमों के लिए प्रशिक्षण में 7 से 15 दिन लगते हैं।

तालिका 5.16 : प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रकार और अवधि

कार्यक्रम का प्रकार	प्रशिक्षण अवधि (दिन)
कृषि उद्यमी विकास कार्यक्रम	6-10
उत्पाद उद्यमी विकास कार्यक्रम	6-45
प्रक्रिया उद्यमी विकास कार्यक्रम	6-45
सामान्य उद्यमी विकास कार्यक्रम	6-45
कौशल उन्नयन एवं वृद्धि कार्यक्रम	7-15

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.17 में पाठ्यक्रम पूरा करने और प्रमाण-पत्र पाने वाले पुरुष और महिला, दोनो प्रकार के प्रशिक्षुओं की संख्या प्रस्तुत है। पिछले पांच वर्षों (2014-15से 2018-19) में 1,38,104 प्रत्याशियों को प्रशिक्षित किया गया, जिनमें से 62,618 (45 प्रतिशत) पुरुष थे और 75,457 (54 प्रतिशत) महिलाएं जबकि 1 प्रतिशत से भी कम तृतीयलिंगी थे।यह देखना एक सुखद अहसास है कि प्रशिक्षण कार्यक्रमों में पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक शामिल थीं।

तालिका 5.17 : ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षुओं की संख्या (2014-15 से 2018-19)

वर्ष	प्रशिक्षित प्रत्याशी	प्रशिक्षित/ प्रमाण-पत्र जारी		
		पुरुष	महिला	तृतीयलिंगी
2014-15	24933	13952	10977	4
2015-16	27528	13056	14470	2
2016-17	30544	13832	16708	4
2017-18	28411	11813	16596	2
2018-19	26688	9965	16706	17
योगफल	**138104**	**62618**	**75457**	**29**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.18 से पता चलता है कि 2014-15 से 2018-19 तक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत 4919 कार्यक्रम संचालित किए गए और 1,38,104 प्रत्याशियों को प्रशिक्षण मिला। कुल प्रशिक्षित प्रत्याशियों में से 74 प्रतिशत को विभिन्न आर्थिक कार्यों में लाभप्रद रोजगार मिल गया। विभिन्न योजनाओं के अंग के बतौर वित्तीय संस्थाओं ने 26 प्रतिशत प्रत्याशियों के लिए वित्तीयन किया। ऋण की उपलब्धता ने प्रशिक्षित लोगों के लिए निश्चित तौर पर अनेक अवसरों के मार्ग प्रशस्त किए हैं।

तालिका 5.18 : प्रशिक्षण पूरा करने वाले और रोजगार पाने वाले प्रशिक्षुओं की संख्या (2014-15 से 2018-19)

वर्ष	प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सं.	प्रशिक्षण पूरा करने वाले प्रशिक्षुओं की सं.	रोजगार पाने वाले प्रशिक्षुओं की सं.
2014-15	882	24933	17402
2015-16	998	27528	19980
2016-17	1073	30544	23290
2017-18	1041	28411	22221
2018-19	925	26688	16059
योगफल	**4919**	**138104**	**102682**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान

वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार ने श्रम एवं नियोजन के मुद्द पर राज्य सरकार के लिए थिंकटैंक (विचार मंच) की भूमिका निभाने के लिहाज से दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन संस्थान की स्थापना के लिए 2.00 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। संस्थान द्वारा राज्य में श्रम संसाधनों पर नीति-उन्मुख शोध कार्य किए जाएंगे और कामकाजी आबादी की उन्नति के लिए कार्ययोजना तैयार की जाएगी। संस्थान द्वारा सरकारी अधिकारियों के क्षमता निर्माण के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और श्रम कानूनों के प्रवर्तन पर, और श्रम कानूनों में संशोधन के लिहाज से राज्य सरकार का मार्गदर्शन करने के लिए प्रासंगिक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। साथ ही, विभिन्न कार्यक्षेत्रों में प्रौद्योगिकी की प्रगति के रुझान के आधार पर संस्थान द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की पाठ्यचर्या में संशोधन की अनुशंसा की जाएगी ताकि युवा वर्ग बाजार में मांग वाले काम पा सके। संस्थान राज्य सरकार द्वारा संचालित कल्याण कार्यक्रमों की नियमित अंतराल पर समीक्षा भी करेगा और आवश्यक परिवर्तन के लिए अनुशंसा करेगा।

बिहार में तकनीकी शिक्षा

राज्य सरकार द्वारा बिहार के जिलों में 38 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित हैं। राज्य सरकार ने 11 महिला औद्योगिक संस्थानों की शुरुआत की है। राज्य में 44 पॉलीटेक्नीक कॉलेज हैं जिनमें से 32 को सरकार से मान्यता प्राप्त है। वर्ष 2018-19 में पॉलिटेक्नीक के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की स्वीकृत क्षमता 10,035 थी जबकि प्राइवेट पॉलिटेक्नीक के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की स्वीकृत क्षमता 17,095 थी।

कर्मचारी राज्य बीमा (ईएसआइ)

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 संसद द्वारा श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा के लिए बनाया गया पहला प्रमुख कानून था। अधिनियम को सबसे पहले कारखाना मजदूरों के लिए लागू किया गया था लेकिन बाद में इसका विस्तार 10 या अधिक श्रमिकों वाले सभी सभी प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों के लिए कर दिया गया। कर्मचारी राज्य बीमा योजना एक स्व-वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ईएसआइसी) द्वारा किया जाता है। निगम भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय के तहत स्वायत्त निकाय है। योजना के तहत निबंधित कर्मचारियों की कुल संख्या 2017-18 में 2.02 लाख थी जो 40 प्रतिशत वृद्धि के साथ बढ़कर 2018-19 में 2.83 लाख हो गई। योजना के तहत 2017-18 में 65,821 कर्मचारियों का इलाज हुआ था जबकि 2018-19 में 56,919 कर्मचारियों का इलाज हुआ।

तालिका 5.19 : कर्मचारी राज्य बीमा निगम के तहत बीमित और चिकित्सित कर्मचारियों की संख्या(2017-18 और 2018-19)

वर्ष	बीमित लोगों की सं.	चिकित्सित लोगों की सं.
2017-18	201950	65821
2018-19	283220	56919

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

कौशल विकास

बिहार कौशल विकास मिशन (बीएसडीएम) का गठन 2010 में किया गया था। मिशन का मुख्य उद्दश्य युवा वर्ग के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुगम बनाना और उन्हें रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध कराना है। मिशन की दो मुख्य योजनाएं निम्नलिखित हैं :

कुशल युवा कार्यक्रम (केवाइपी) : कक्षा 10 के न्यूनतम शैक्षिक स्तर वाले 15 से 28 वर्ष उम्र समूह के लोगों को लक्षित करके मिशन ने कुशल युवा कार्यक्रम नामक एक अद्वितीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। मिशन इस कार्यक्रम के तहत जीवन कौशल, संवाद कौशल (हिंदी और अंग्रेजी में) तथा बुनियादी कंप्यूटर साक्षरता वाले व्यवहारिक कौशल उपलब्ध कराने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया है। आधिकारिक आंकड़ों से पता चलता है कि राज्य के सभी जिलों में अभी तक 1561 कार्यशील केंद्रों में कुल 7,37,473 विद्यार्थियों ने अपना निबंधन कराया है। साथ ही, 3,02,974 विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम पूरे कर लिए हैं।

भर्ती-प्रशिक्षण-तैनाती (आरटीडी) योजना : यह योजना बिहार में प्रभावो और कुशल कौशल परितंत्र स्थापित करने की एक नवाचारी योजना है। इस दिशा में मिशन ने 'डायनामिक एंड डिमांड बेस्ड सिस्टम प्लानिंग' (जीवंत और मांग आधारित प्रणालीगत योजना) तैयार की है। इस योजना के तहत विभिन्न उद्योगों और कार्पोरेट निकायों के प्रतिनिधियां को विभिन्न क्षेत्रों में कौशलों की बाजार में मांग का मूल्यांकन करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। योजना उद्योगों के लिए अपनी जरूरत के अनुसार प्रत्याशियों को प्रशिक्षित करना सुगम बनाने के

लिहाज से डिजाइन की गई है। स्पष्ट है कि यह मॉडल नौकरी की तलाश करने वाले युवा वर्ग और उद्योगों, दोनो के लिए फायदेमंद है।

तालिका 5.20 में विभिन्न योजनाओं के तहत शुरू किए गए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यकमों के विवरण प्रस्तुत हैं। सभी योजनाओं के तहत धनराशि के उपयोग का स्तर उल्लेखनीय रूप से ऊंचा है जो राज्य में युवा वर्ग के एक बड़े तबके को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने और उनकी रोजगार पाने की क्षमता में सुधार लाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।

तालिका 5.20 : प्रशिक्षण के लिए विभिन्न योजनाओं के तहत वित्तीय आबंटन और व्यय 2018-19

(लाख रु.)

योजना	बजट	व्यय	उपयोग का प्रतिशत
प्रशिक्षण एवं पुनः-प्रशिक्षण	26.10	25.87	99.1
मौजूदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए टड की शुरुआत	100.00	30.14	30.1
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की मशीनों और उपकरणों का आधुनिकीकरण	4000.00	577.81	14.4
मौजूदा महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में नए टड की शुरुआत	50.00	19.98	40.0
नए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	4000.00	3449.12	86.1
सूचना प्रबंधन प्रणाली	493.90	132.68	26.9
बिहार कौशल प्रशिक्षण मिशन (जनजातीय उप-योजना)	379.19	379.19	100.0
बिहार कौशल विकास मिशन (SCSP)	10136.20	10136.20	100.0
बिहार कौशल विकास मिशन	21459.88	21459.88	100.0
नए महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना	1000.00	617.59	61.8
कौशल विकास मिशन	2384.70	283.50	11.9
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के लिए भूमि अधिग्रहण	2000.00	307.00	15.4
योगफल (क)	**46029.97**	**37419.14**	81.3
भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन	480.00	312.72	65.2
भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन(SCSP)	90.00	0.00	0.0
भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन(TSP)	30.00	0.00	0.0
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण	13491.15	11915.07	88.3
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण (TSP)	250.00	50.00	20.0
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के भवनों का निर्माण/ जीर्णोद्धार/ सुदृढ़ीकरण	1497.70	1368.22	91.3
योगफल (ख)	**15838.85**	**13646.01**	86.1
भवन निर्माण के लिए कौशल विकास मिशन (केंद्रांश)	1125.00	612.89	54.5
कौशल विकास मिशन (केंद्रांश)	2875.00	45.07	1.6
योगफल (ग)	**4000.00**	**657.96**	16.4
कुल योग (क+ख+ग)	65868.82	51723.11	78.5

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 5.21 में कौशल विकास कार्यकमों के लिए विभाग-वार बजट प्रस्तुत हैं। स्वास्थ्य विभाग, अजा/ अजजा विभाग, समाज कल्याण विभाग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 2017-18 की तुलना में 2018-19 में बजट आबंटन बढ़ा है।

तालिका 5.21: कौशल विकास कार्यकमों के लिए विभाग-वार बजट (2016-17 से 2018-19)

(लाख रु.)

विभाग का नाम	बजट की रकम		
	2016-17	2017-18	2018-19
बिहार कौशल विकास मिशन, श्रम संसाधन विभाग	27443.80	30154.51	80971.05
स्वास्थ्य विभाग	अनु.	100.00	460.00
गृह विभाग (कारा एवं सुधारक सेवाएं)	अनु.	अनु.	25.00
शिक्षा विभाग	अनु.	अनु.	2931.00
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	अनु.	585.00	118.00
पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	अनु.	अनु.	600.00
उद्योग विभाग	2067.80	2834.50	2071.00
अजा/ अजजा कल्याण विभाग	अनु.	1500.00	1700.00
कृषि विभाग	913.50	1200.00	1249.00
सूचना प्रौद्योगिकी विभाग	2500.00	2000.00	300.00
नगर विकास एवं आवास विभाग	15364.00	12247.00	15088.00
पर्यटन विभाग	अनु.	100.00	100.00
ग्रामीण विकास विभाग	713.10	21661.99	30490.00
समाज कल्याण विभाग	अनु.	1000.00	1307.00
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	800.00	1000.00	855.00
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	200.00	700.00	800.00
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (केंद्र प्रायोजित राज्य प्रबंधित घटक)	अनु.	अनु.	3682.00

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

5.5 प्रवासी श्रमिकों के लिए सहायता

बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो

बड़ी संख्या में बिहार के श्रमिक रोजगार की तलाश में विदेश जाते हैं। अपने गंतव्य-स्थलों पर रहने के दौरान प्रवासी मजूदरों को विभिन्न स्वरूपों में शोषण झेलना पड़ता है। आकांक्षी प्रवासियों की चिंता दूर करने और उन्हें विश्वसनीय सूचनाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 2010 में श्रम संसाधन विभाग के तहत बिहार राज्य समुद्रपार नियोजन ब्यूरो का गठन किया। ब्यूरो का उद्देश्य आकांक्षी प्रवासियों की सहायता के लिए संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित करना है। साथ ही, ब्यूरो गंतव्य देश में प्रवास के नियमों, आम नियमों, नैतिकताओं और

शिष्टाचारों पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाता है। इसके साथ-साथ, ब्यूरो सुरक्षा उपायों के बारे में सलाह भी देता है और प्रवासियों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रवासियों और गंतव्य देशों के भारतीय दूतावास के साथ संपर्क स्थापित करने का भी प्रयास करता है। इसके अलावा, ब्यूरो आकांक्षी प्रवासियों को पासपोर्ट के लिए आवेदन करने, वीसा की प्रक्रिया और विदेशगमन संबंधी अनापत्ति पाने में भी मदद करता है।

प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने भी चौबीसो घंटे चलने वाला ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। किसी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति को संभालने में मदद पाने के लिए निम्नलिखित ऑनलाइन पोर्टल उपयोग में लाए जा सकते हैं -(1) मदद पोर्टल :http://www.madad.gov.in, (2) ई-माइग्रेंट्स :http:/emigrate.gov.in, और (3) ओवरसीज वर्कर्स रिसोर्स सेंटर तथा (4) भारतीय श्रम संसाधन केंद्र।

बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना अनुदान योजना, 2008

बिहार राज्य प्रवासी श्रमिक दुर्घटना अनुदान योजना, 2008 का क्रियान्वयन बिहार के सभी जिलों में किया गया था। बाद में इसे 2016 में संशोधित किया गया औरयोजना का आच्छादन बढ़ा कर 2016 की संशोधित नियमावली में मृत्यु के मामलों के साथ-साथ स्थायी पूर्ण विकलांगता और स्थायी आंशिक विकलांगता को भी शामिल कर लिया गया। प्रवासी मजदूरों की विकलांगता की स्थिति में अनुदान की रकम सीधा कानून द्वारा स्थापित आश्रित के खाते में अंतरित कर दी जाती है। मुआबजे की रकम इस प्रकार थी - मृत्यु के लिए 1.00 लाख रु., स्थायी पूर्ण विकलांगता के लिए 75,000 रु. और स्थायो आंशिक विकलांगता के लिए 37,500 रु.।

चार्ट 5.3 : मृत प्रवासी मजदूरों के आश्रितों को आबंटित कुल रकम2014-19

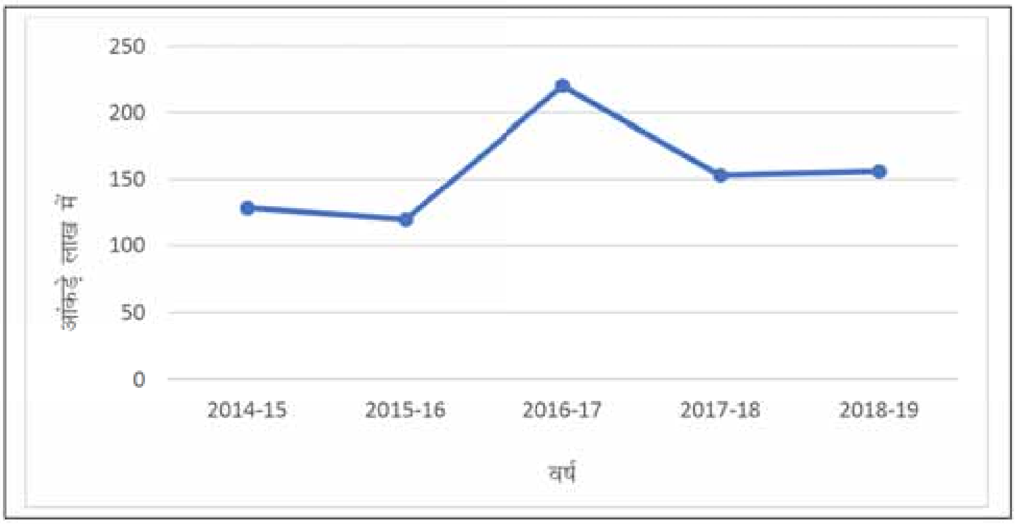

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2016-17 में राज्य सकार ने प्रवासी मृतक और विकलांग के परिवारों को मुआबजा देने पर 22.03 लाख रु. खर्च किए थे। सर्वाधिक 26 प्रवासी मजदूर बेगूसराय के थे और उसके बाद 20 सारण के और 19 समस्तीपुर के। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में मृतकों और आंशिक या पूर्ण स्थायी विकलांगता वाले प्रवासियों की कुल संख्या में काफी कमी आई। फलत:, राज्य सरकार द्वारा वितरित रकम भी कम हो गई जैसा कि तालिका प 5.4 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत किया गया है।

प्रेषित रकम

भेजी गई रकम प्रवास का एक महत्वपूर्ण पक्ष है। प्रवासियों के परिवार उनको भेजी गई रकम की मात्रा पर अत्यधिक निर्भर होते हैं। देश के राज्यों से प्रवास और मुद्रा प्रेषण की स्थिति की जानकारी देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने 'भारतीय प्रेषित मुद्रा प्राप्ति सर्वेक्षण 2016-17' नामक एक सर्वेक्षण किया। तालिका 5.22 में दूसरे देशों से भेजी गई रकम का राज्यवार हिस्सा दर्शाया गया है। तालिका में देखा जा सकता है कि भेजी गई कुल रकम में से सर्वाधिक 19.0 प्रतिशत केरल को प्राप्त हुई और उसके बाद 16.7 प्रतिशत महाराष्ट्र को तथा 15 प्रतिशत कर्नाटक को। सभी राज्यों के बीच बिहार का 11वां स्थान था और भेजी गई कुल रकम में उसका 1.3 प्रतिशत हिस्सा था। इस रिपोर्ट के निष्कर्ष के अनुसार भेजी गई कुल रकम के 59.2 प्रतिशत का उपयोग मुख्यत: मूल परिवारों में खपत बरकरार रखने के लिए किया गया जबकि 20.0 प्रतिशत का इस्तेमाल बैंक में जमा के बतौर किया गया और 8.3 प्रतिशत का उपयोग निवेश के लिए, खास कर स्थावर और वित्तीय परिसंपत्तियां खरीदने के लिए किया गया। स्पष्ट है कि जहां भेजी गई रकम के आधे से अधिक हिस्से का इस्तेमाल घरेलू खपत के लिए किया गया, वहीं भेजी गई रकम के कारण मूल परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार हुआ।

तालिका 5.22: भारत में प्रेषित मुद्रा प्राप्ति में राज्यवार हिस्सा(2016-17)

रैंक	गंतव्य राज्य	कुल प्रेषित रकम में हिस्सा (प्रतिशत)	रैंक	गंतव्य राज्य	कुल प्रेषित रकम में हिस्सा (प्रतिशत)
1	करल	19.0	13	गोवा	0.8
2	महाराष्ट्र	16.70	14	हरियाणा	0.8
3	कर्नाटक	15.0	15	मध्य प्रदेश	0.4
4	तमिलनाडु	8.0	16	ओडिशा	0.4
5	दिल्ली	5.9	17	झारखंड	0.3
6	आंध्र प्रदेश	4.0	18	उत्तराखंड	0.2
7	उत्तर प्रदेश	3.1	19	पदुच्चेरी	0.2
8	पश्चिम बंगाल	2.7	20	चंडीगढ़	0.2
9	गुजरात	2.1	21	जम्मू एवं कश्मीर	0.2
10	पंजाब	1.7	25	अन्य	15.8
11	बिहार	1.3		**योगफल**	**100.0**
12	राजस्थान	1.2			

टिप्पणी : अन्य में भेजी गई वैसी रकम शामिल है जिनके गंतव्य की पहचान बैंक नहीं कर सके।

स्रोत : भारतीय प्रेषित मुद्रा प्राप्ति सर्वेक्षण 2016-17, भारतीय रिजर्व बैंक

परिशिष्ट

तालिका प 5.1 : बिहार में जिलावार जारी पासपोर्ट (2016-17 से 2018-19)

जिला	2016-17		2017-18		2018-19	
	पाप्त	जारी	पाप्त	जारी	पाप्त	जारी
पटना	29925	28956	31780	32513	34209	34911
नालंदा	3988	3983	4640	4870	5053	4620
भोजपुर	6168	6062	6761	7196	6456	5880
बक्सर	7710	7143	7405	8510	6861	6071
रोहतास	6648	6808	7355	7778	7608	6845
कैमूर	1951	1950	2016	2214	2204	2040
गया	7342	7293	7804	7955	9703	7949
जहानाबाद	1394	1425	1630	1649	1712	1648
अरवल	1062	980	1112	1249	1268	1231
नवादा	4199	4389	4752	5156	5517	4886
औरंगाबाद	16472	17610	27854	26257	25483	25462
सारण	15087	14859	15143	16405	15729	13766
सीवान	42142	41709	45819	49263	45093	41668
गोपालगंज	37355	38680	37244	39924	35893	34239
पश्चिम चंपारण	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	348348	317338
पूर्व चंपारण	13587	13738	14148	14813	14908	12753
मुजफ्फरपुर	14091	13833	14878	15301	16545	13642
सीतामढ़ी	7924	7643	7908	8763	8462	7306
शिवहर	792	671	761	925	897	860
वैशाली	5622	5497	6356	6855	6782	6312
दरभंगा	12327	12923	11982	12889	12643	10112
मधुबनी	12184	12387	11018	12024	11944	9607
समस्तीपुर	5090	5178	5582	5779	6118	5067
बेगूसराय	4854	4503	5027	5293	5605	4797
मुंगेर	1956	1971	2374	2452	2667	2215
शेखपुरा	883	911	950	1021	1058	961
लखीसराय	1037	996	1117	1205	1286	1126
जमुई	2289	2291	2724	2849	2989	2864
खगड़िया	1510	1498	1601	1840	1609	1350
भागलपुर	4834	4989	6967	6736	6192	4989
बांका	1091	1087	1364	1424	1456	1147
सहरसा	2053	1967	2241	2457	2175	1909
सुपौल	2896	3026	2658	3205	2981	2755
मधेपुरा	1086	1152	1041	1209	1209	1073
पूर्णिया	5406	5438	6380	6511	7100	6973
किशनगंज	4665	4594	4937	5280	4887	4749
अररिया	4690	4678	4570	4581	4762	4776
कटिहार	3985	3968	4743	4757	4951	4603
बिहार	**296295**	**296786**	**322642**	**339108**	**367908**	**337401**

टिप्पणी : आवदेनों का बैगलॉग शामिल

स्रोत : विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, पटना

तालिका प 5.2 : पुरानी और नई योजना के तहत मुक्त और पुनर्वासित बंधुआ मजदूरों की संख्या (2013 से 2019)

जिला	पुरानी योजना (2013 से 16 मई, 2016 तक)			नई योजना(मई, 2016 से)		
	मुक्त बंधुआ मजदूरों की सं. (राज्य के अंदर और बाहर)	सहायता प्राप्त बंधुआ मजदूरों की सं.	तत्काल सहायता के बतौर भुगतान की गई रकम (करोड़ रु.)	मुक्त बंधुआ मजदूरों की सं. (राज्य के अंदर और बाहर)	सहायता प्राप्त बंधुआ मजदूरों की सं.	तत्काल सहायता के बतौर भुगतान की गई रकम (हजार रु.)
पटना	20	20	20.0	15	10	200.0
नालंदा	66	66	66.0	9	6	120.0
भोजपुर	13	13	13.0			
बक्सर	1	1	10.0			
रोहतास	30	30	30.0			
कैमूर	7	7	70.0	2	1	20.0
गया	693	693	6930.0	79	40	800.0
जहानाबाद	64	64	640.0	56	27	540.0
अरवल	3	3	30.0			
नवादा	64	64	64.0	252	89	1780.0
औरंगाबाद	3	3	30.0			
सारण	2	2	20.0	2		
सीवान	1	1	10.0	29		
गोपालगंज				1		
पश्चिम चंपारण	4	4	40.0	1		
पूर्व चंपारण	59	59	590.0	33	31	620.0
मुजफ्फरपुर	78	78	780.0	19	7	140.0
सीतामढ़ी	114	114	1140.0	21	14	280.0
शिवहर	2	2	20.0	1		
वैशाली	43	43	430.0	8	5	100.0
दरभंगा	59	59	590.0	50	18	360.0
मधुबनी	137	137	1370.0	22	16	320.0
समस्तीपुर	139	139	1390.0	57	53	1060.0
बेगूसराय	22	22	220.0	4	4	80.0
मुंगेर	7	7	70.0			
शेखपुरा	4	4	40.0			
लखीसराय						
जमुई						
खगड़िया	4	4	40.0	1	1	20.0
भागलपुर	8	8	80.0	11	10	200.0
बांका	14	14	140.0	19	19	380.0
सहरसा	1	1	10.0			
सुपौल	7	7	70.0	54	48	960.0
मधेपुरा						
पूर्णिया	28	28	280.0	2	1	20.0
किशनगंज	91	91	910.0	1		
अररिया	23	23	230.0	20		
कटिहार	111	111	1110.0	29	22	440.0
बिहार	**1922**	**1922**	**19220.0**	**798**	**422**	**8440.0**

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 5.3 : मुख्यमंत्री राहत कोष के तहत मुक्त और पुनर्वासित बाल मजदूर (2016-17 से 2018-19)

जिला	2016-17		2017-18		2018-19	
	मुक्त बाल मजदूर	CL/ACमें अंतरित मुख्यमंत्री राहत कोष की रकम	मुक्त बाल मजदूर	CL/ACमें अंतरित मुख्यमंत्री राहत कोष की रकम	मुक्त बाल मजदूर	CL/ACमें अंतरित मुख्यमंत्री राहत कोष की रकम
पटना	294	6	35	2	55	3
नालंदा	41	2	74	9	39	0
भोजपुर	3	3	23	11	27	18
बक्सर	2	0	8	6	5	0
रोहतास	0	0	16	4	17	2
कैमूर	0	0	11	1	12	0
गया	141	20	115	18	132	0
जहानाबाद	34	13	25	2	23	0
अरवल	1	0	9	0	4	0
नवादा	37	20	55	11	51	0
औरंगाबाद	23	6	30	1	25	0
सारण	32	13	34	12	18	0
सीवान	9	2	31	13	6	0
गोपालगंज	5	3	14	2	13	0
पश्चिम चंपारण	34	11	16	9	48	9
पूर्व चंपारण	34	12	36	5	97	0
मुजफ्फरपुर	7	2	10	0	48	0
सीतामढ़ी	12	5	26	10	14	2
शिवहर	1	1	5	0	8	
वैशाली	41	21	52	9	31	1
दरभंगा	41	5	8	1	15	0
मधुबनी	11	7	30	19	20	0
समस्तीपुर	53	29	27	14	73	3
बेगूसराय	6	0	11	0	42	0
मुंगेर	6	0	14	5	6	0
शेखपुरा	1	0	11	5	10	0
लखीसराय	1	0	3	0	6	0
जमुई	0	0	23	9	16	3
खगड़िया	7	6	26	7	9	0
भागलपुर	2	1	16	9	21	0
बांका	5	4	15	2	33	0
सहरसा	21	15	16	1	19	0
सुपौल	2	0	8	3	6	0
मधेपुरा	8	5	10	4	10	0
पूर्णिया	77	13	31	8	23	3
किशनगंज	40	6	18	0	5	0
अररिया	11	7	18	8	24	5
कटिहार	11	7	20	10	16	5
बिहार	**1054**	**245**	**930**	**230**	**1027**	**54**

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

तालिकाप 5.4 : प्रवासी मजदूरों की जिलावार मृत्यु और मृतकों के परिवार को आबंटित धनराशि(2016-17 से 2018-19)

जिला	2016-17		2017-18		2018-19	
	मत व्यक्तियों की सं.	आबंटित रकम (हजार रु.)	मत व्यक्तियों की सं.	आबंटित रकम (हजार रु.)	मत व्यक्तियों की सं.	आबंटित रकम (हजार रु.)
पटना	4	400	2	200	4	400
नालंदा	2	200	0	0	—	—
भोजपुर	16	1600	9	900	11	1100
बक्सर	10	1000	1	100	3	300
रोहतास	9*	837.5	8*	737.5	2	200
कैमूर	4	400	1	100	1	100
गया	4	400	4	400	1	100
जहानाबाद	—	—	1	100		
अरवल	—	—	5	500	3	300
नवादा	3	300	6	600	1	100
औरंगाबाद	5	500	6	600	7	700
सारण	20	2000	3	300	13	1300
सीवान	13	1300	17	1700	4	400
गोपालगंज	8	800	4*	337.5	10	1000
पश्चिम चंपारण	—	—	1	100	10	1000
पूर्व चंपारण	5	500	10	1000	2	200
मुजफ्फरपुर	13	1300	11	1100		
सीतामढ़ी	2	200	1	100	1	100
शिवहर	1	100	1	100	1	100
वैशाली	14	1400	6	600	7	700
दरभंगा	—	—	5	500	2	200
मधुबनी	2	200	—	—	1	100
समस्तीपुर	19	1900	12	1200	15	1500
बेगूसराय	26	2600	--	--	9	900
मुंगेर	2	200	2	200	—	—
शेखपुरा	3	300	1	100	8	800
लखीसराय	—	—	1	100	3	300
जमुई	6	600	2	200	5	500
खगड़िया	3	300	2	200	9	900
भागलपुर	4	400	4@	375	6	600
बांका	6	600	—	—	1	100
सहरसा	5	500	10	1000	8	800
सुपौल	3	300	2	200		
मधेपुरा	2	200	—	—	2	200
पूर्णिया	5	500	11	1100	1	100
किशनगंज	—	—	—	—	1	100
अररिया	2	200	2	200	3	300
कटिहार	—	—	4	400	1	100
बिहार	**221**	**22037.5**	**155**	**15350**	**156**	**15600**

टिप्पणी : *एक स्थायी आंशिक विकलांगता, @एक स्थायी पूर्ण विकलांगता

स्रोत : श्रम संसाधन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 6

अधिसंरचना

आप और हम सड़क या रेल से आते-जाते हैं लेकिन अर्थशास्त्री अधिसंरचना पर यात्रा करते हैं।

—मार्गरेट थैचर

सारांश

अधिसंरचना आर्थिक विकास का एक मुख्य स्तंभ है। हाल के समय में परिवहन क्षेत्र की दो अंकों में वृद्धि दर रही है और अर्थव्यवस्था में इसका हिस्सा बढ़ा है। यह मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा किए गए निवेश का परिणाम है। पथ सुरक्षा के मामले में मुख्य उपलब्धि यह है कि प्रति लाख आबादी पर दुर्घटनाओं की दर देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार में सबसे कम है। पथ घनत्व (प्रति 1000 वर्ग किमी) के लिहाज से देखें, तो देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार का चौथा स्थान है। राज्य सरकार ग्रामीण सड़कों का बड़े पैमाने पर विस्तार कर रही है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए पिछले पांच वर्षों में सड़कों की लंबाई दूनी कर दी गई है। राज्य परिवहन निगम ने राजस्व संग्रहण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है और पिछले पांच वर्षों में इसकी आमदनी सात-गुनी से भी अधिक बढ़ी है। रेल और वायु परिवहन भी राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं। भवन निर्माण विभाग ने प्रशासनिक भवनों और सामाजिक अधिसंरचना के निर्माण के जरिए सुशासन के लिए पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण अधिसंरचना निर्मित करने का प्रयास किया है। दूरसंचार राज्य में ई-गवर्नेंस के कार्यक्रमों को उपलब्ध कराने में उपयोगी रहा है जबकि डाक विभाग बुनियादी डाक सेवाओं के अलावा काफी बैंकिंग सेवाएं भी उपलब्ध कराता रहा है।

दीर्घस्थायी विकास लक्ष्य-9 (एसडीजी 9) का लक्ष्य क्षेत्रीय और सीमावर्ती स्तरों पर गुणवत्तापूर्ण और सुदृढ़ अधिसंरचना विकसित करना है। उपलब्ध और प्राप्त अधिसंरचना आर्थिक विकास की एक महत्वपूर्ण प्रेरक है। अधिसंरचना आर्थिक विकास के पूरक का काम करती है और आर्थिक विकास अधिसंरचना के पूरक का। जैसे, परिवहन अधिसंरचना के विकास से बाजार की संभावना और आकार का विस्तार होता है तथा उत्पादकता भी काफी बढ़ती है। दूसरी और, आर्थिक विकास के कारण राज्य अधिक अधिसंरचना के निर्माण में सक्षम होता है। स्थानीय बाजारों के वैश्विक बाजारों के साथ जुड़ाव, प्रौद्योगिकी के नवाचारों, और अधिसंरचना में प्रगति से आर्थिक विकास की बेहतर संभावना सुनिश्चित करने के अलावा गरीबी घटाने में भी मदद मिलती है। अधिसंरचना में प्रगति खरीद, उत्पादन और विपणन संबंधी कार्यों को संयुक्त करने के लिए लॉजिस्टिक के बेहतर प्रबंधन को भी सक्षम बनाती है। अधिसंरचना सेवाओं का प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों का साझा दायित्व होता है। वर्तमान वैश्विक आर्थिक व्यवस्था में निजी पूंजी भी अधिसंरचना के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बिहार में राज्य सरकार ने पूरे राज्य में अधिसंरचना निर्माण को उच्च प्राथमिकता दी है। बिहार में भौतिक संरचना

में गत दशक के दौरान काफी मजबूती आई। इस अध्याय में सड़क नेटवर्क, पथ परिवहन, रेलवे, नागरिक उड्डयन, भवन निर्माण, दूरसंचार और डाक सेवा जैसे क्षेत्रों पर विचार किया गया है। ऊर्जा क्षेत्र, शहरी अधिसंरचना और सिंचाई अधिसंरचना जैसे समान रूप से महत्वपूर्ण घटकों पर इस रिपोर्ट में अलग से विचार किया गया है।

6.1 परिवहन क्षेत्र और आर्थिक विकास

अधिसंरचना विकास का सेवा क्षेत्र में आर्थिक विकास के मामलों में प्रत्यक्ष योगदान रहता है। बहुगुणक प्रभावों के जरिए यह रोजगार सृजन, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, बाजार की उपलब्धता आदि को भी अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। बिहार में हाल के वर्षों में समग्र परिवहन क्षेत्र 11.0 प्रतिशत की दर से विकसित होता रहा है और 2011-12 के स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 2011-12 के 11,236 करोड़ रु. से दूने से भी अधिक होकर 2018-19 में 24,692 करोड़ रु. हो गया। सकल राज्यगत मूल्यवर्धन (जीएसवीए) में भी परिवहन क्षेत्र का हिस्सा 2.0 प्रतिशत अंक बढ़कर 2011-12 के 4.6 प्रतिशत से 2018-19 में 6.6 प्रतिशत हो गया (चार्ट 6.1)। वर्ष 2011-12 से 2017-18 के बीच पथ परिवहन का योगदान 12.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है जबकि वायु परिवहन का योगदान उससे भी ऊंची - 35.9 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। वहीं, रेल परिवहन की वृद्धि दर इस अवधि में 5.1 प्रतिशत ही रही। इस प्रकार परिवहन क्षेत्र बिहार का एक प्रमुख क्षेत्र है और राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास के एक वाहक के बतौर उभरा है। यह रुझान राज्य के लोगों की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है जो अब अधिक आधुनिक परिवहन सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम हैं। ये परिणाम अधिसंरचना क्षेत्र में लगातार और प्रचुर निवेश के कारण हो सके हैं। ऐसे निवेश ने लोगों द्वारा व्यापक उपयोग के कारण परिवहन क्षेत्र, खास कर सड़क क्षेत्र को प्राथमिकता में ला दिया है।

चार्ट 6.1 : बिहार में सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में विभिन्न परिवहन क्षेत्रों के रुझान

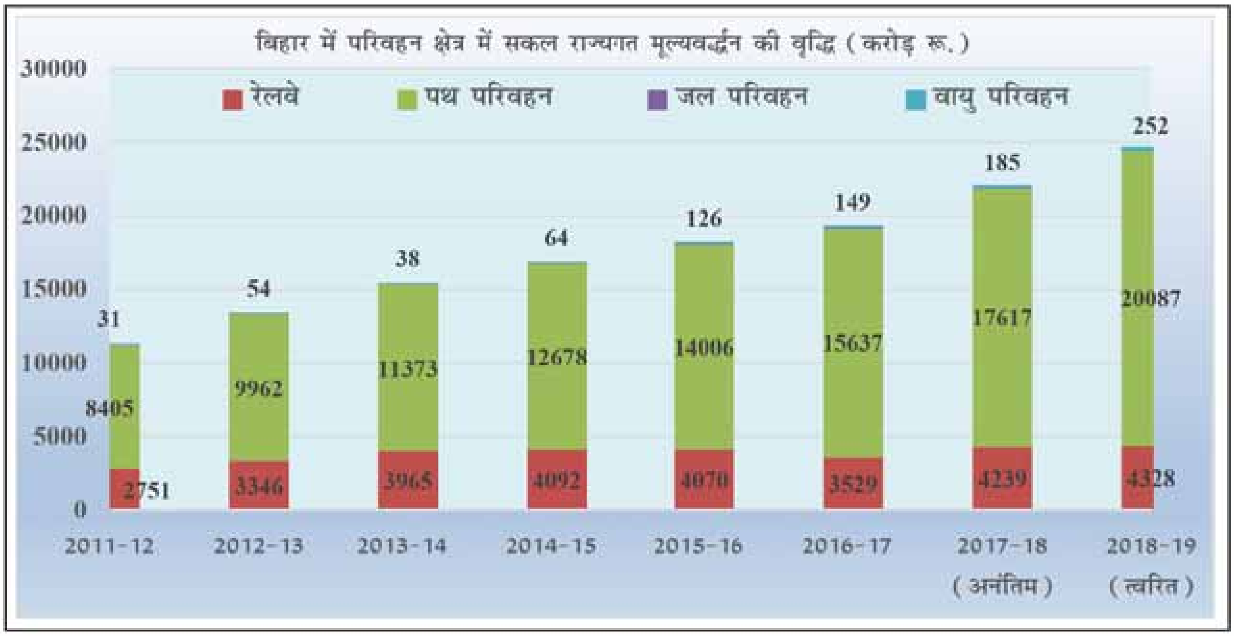

6.2 पथ परिवहन में सार्वजनिक निवेश

सड़क निर्माण और रखरखाव में अच्छा-खासा रोजगार उपलब्ध होता है और उससे अन्य आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। इस परिदृश्य में राज्य में सड़क नेटवर्क का विकास हमेशा से राज्य सरकार की उच्च प्राथमिकता रहा है। हाल के वर्षों में राज्य सरकार ने वस्तुओं और यात्रियों के सुचारु आवागमन के लिए सड़कों और पुलों के निर्माण और रखरखाव पर काफी निवेश किया है। निस्संदेह राज्य सरकार ने अच्छी गुणवत्ता वाले सड़क नेटवर्क के निर्माण का निश्चय किया है ताकि सुदूर क्षेत्रों के लोग भी पांच घंटे के अंदर राजधानी पटना पहुंच सकें। फलतः सड़कों और पुलों के लिए आबंटन में वृद्धि दिखती रही है जो 2012-13 के 5988 करोड़ रु. से 2019-20 में 18,677 करोड़ रु. हो गया।

तालिका 6.1 : बिहार में सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक निवेश (2012-13 से 2019-20)

(करोड़ रु. में)

व्यय शीर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (ब.अ.)	**वार्षिक चक्रवृद्धि दर**
सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक निवेश (i+ii)	5988	7392	9816	14125	14993	13158	9015	18677	**12.5**
(i) पुलों पर व्यय	4114	5458	5168	6112	7101	6770	8055	8201	**9.6**
(ii) ग्रामीण पथ पर व्यय	1874	1934	4648	8013	7892	6388	960	10476	**12.0**
सड़कों और पुलों पर राजस्व व्यय	823	1375	991	1709	1776	1398	2792	2665	**16.5**
सड़कों और पुलों पर पूंजीगत व्यय	3291	4083	4177	4403	5326	5373	5264	5536	**7.2**
आर्थिक सेवाओं पर व्यय	20246	24871	29173	37305	44943	45360	41603	58245	**14.6**
विकासमूलक व्यय	47282	54718	64293	78077	90800	97771	107737	146134	**16.3**
कुल बजट	**69207**	**80405**	**94698**	**112328**	**126302**	**136427**	**154655**	**200501**	**15.3**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**282368**	**317101**	**342951**	**371602**	**422316**	**484740**	**515634**	**572827**	**10.7**
सड़कों और पुलों पर सार्वजनिक निवेश निम्नलिखित के प्रतिशत के बतौर									
आर्थिक सेवाओं पर व्यय	29.6	29.7	33.6	37.9	33.4	29.0	21.7	32.1	—
विकासमूलक व्यय	12.7	13.5	15.3	18.1	16.5	13.5	8.4	12.8	—
कुल बजट	8.7	9.2	10.4	12.6	11.9	9.6	5.8	9.3	—
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	2.1	2.3	2.9	3.8	3.6	2.7	1.7	3.3	—

स्रोत : राज्य के बजट दस्तावेज, बिहार सरकार

सड़क एवं पुल क्षेत्र पर सार्वजनिक निवेश की वार्षिक वृद्धि दर 12.5 प्रतिशत थी। राज्य में रखरखाव पर व्यय की वृद्धि दर काफी तेज (16.5 प्रतिशत) थी जो नए सड़कों और पुलों के निर्माण पर व्यय की वृद्धि दर (7.2 प्रतिशत से काफी अधिक है। इससे राज्य में सड़क नेटवर्क की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। यह देखते हुए कि राज्य की 88.7 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, ग्रामीण पथों की उपलब्धता बहुत महत्वपूर्ण है। इस दिशा में राज्य सरकार ने हर घर को पक्की सड़क और नालियों से जोड़ने का निश्चय किया है। राज्य सरकार ने अपने कुल बजट का औसतन 9.3 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण पथों सहित सड़कों और पुलों के निर्माण पर खर्च किया है। वर्ष 2019-20 में राज्य सरकार ने पथ परिवहन के लिए 18,677.26 करोड़ रु. आवंटित किए जो आर्थिक सेवाओं पर कुल व्यय का 32.1 प्रतिशत, कुल विकासमूलक व्यय का 12.8 प्रतिशत और राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत है।

चार्ट 6.2 : बिहार में विकासमूलक व्यय के रुझान (करोड़ रु.)

6.3 पथ सुरक्षा

पथ सुरक्षा गत दशक के निर्धारक मुद्दों में से एक रहा है। बिहार ने प्रगति की है और अब यह पथ सुरक्षा के मामले में भारत में एक सर्वोत्तम रिकॉर्ड बनाने की राह में है। दुनिया भर में सड़क पर होने वाले टक्करों में से 10 प्रतिशत अकेले भारत में होती हैं। पिछले 10 वर्षों में सड़क पर होने वाले टक्करों के कारण घातक चोट-चपेटों में 6 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है। वाहन चालकों के व्यवहार में व्यापक बदलाव, बेहतर अभियंत्रण और कानून अधिक सख्ती से लागू करने के जरिए बहुत से लोगों की जिंदगी बचाई गई है।

वर्ष 2018 में देश में कुल 4.67 लाख सड़क दुर्घटनाओं की सूचना दर्ज हुई थी। सर्वाधिक 63,920 दुर्घटनाएं तमिलनाडु में हुई थीं और उसके बाद 51,397 मध्य प्रदेश में और 42,568 उत्तर प्रदेश में। इस तरह देश में हुई कुल दुर्घटनाओं में से 34 प्रतिशत इन तीनों राज्यों में हुई थीं। वहीं, बिहार में 2018 में 9600 सड़क दुर्घटनाएं हुई

थीं और देश में इस लिहाज से राज्य 15वें स्थान पर था (तालिका 6.2)। हालांकि गौरतलब है कि बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़क दुर्घटना का आंकड़ा 9.0 है जो सभी बड़े राज्यों के बीच सबसे कम है। और इस मामले में राज्य का 26वां स्थान है। प्रति लाख आबादी पर सर्वाधिक 111 दुर्घटनाएं केरल में हुई जबकि पूरे देश के स्तर पर यह आंकड़ा 36 का है। वर्ष 2018 में भारत के 10 लाख से अधिक आबादी वाले 50 शहरों के बीच सड़क दुर्घटनाओं के मामले में पटना 32वें स्थान पर था। उस वर्ष पटना में 966 सड़क दुर्घटनाएं हुई थीं जो राज्य में हुई कुल दुर्घटना का लगभग 10 प्रतिशत थी। सड़क दुर्घटनाएं मानवीय त्रुटियों, सड़क के वातावरण और वाहनों की स्थिति जैसे अनेक कारकों का परिणाम होती हैं। दुर्घटनाओं के मुख्य कारण यातायात के नियमों का उल्लंघन, बिना लाइसेंस गाड़ी चलाना, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करना, यातायात में अधिक भीड़भाड़, वाहनों की गति, ओवरलोडिंग, मौसम की स्थिति आदि हैं। पूरे राज्य में पथ सुरक्षा में सुधार के लिए व्यापक क्षेत्रों - कानून, अधिसंरचना, प्रौद्योगिकी, प्रवर्तन, आपात प्रतिक्रिया और शिक्षा - को शामिल करते हुए पथ सुरक्षा बढ़ाने की अनेक पहलकदमियां ली गई हैं।

तालिका 6.2 : प्रमुख भारतीय राज्यों में सड़क दुर्घटना (2015 से 2018)

राज्य	इन वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या				प्रति एक लाख आबादी पर दुर्घटनाओं की संख्या			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
आंध्र प्रदेश	24258	24888	25727	24475	27.7	28.2	28.9	27.3
बिहार	**9555**	**8222**	**8855**	**9600**	**9.3**	**7.9**	**8.4**	**9.0**
छत्तीसगढ़	14446	13580	13563	13864	56.5	52.5	51.8	52.3
गुजरात	23183	21859	19081	18769	37.3	34.8	30.0	29.2
हरियाणा	11174	11234	11258	11238	41.3	40.9	40.4	39.8
झारखंड	5162	4932	5198	5394	15.5	14.7	15.3	15.6
कर्नाटक	44011	44403	42542	41707	71.2	71.2	67.6	65.7
केरल	39014	39420	38470	40181	110.0	110.5	107.2	111.4
मध्य प्रदेश	54947	53972	53399	51397	71.6	69.3	67.6	64.2
महाराष्ट्र	63805	39878	35853	35717	53.8	33.2	29.5	29.1
ओडिशा	10542	10532	10855	11262	25.0	24.8	25.4	26.1
पंजाब	6702	6952	6273	6428	23.2	23.9	21.4	21.7
राजस्थान	24072	23066	22112	21743	33.4	31.6	29.9	29.0
तमिलनाडु	69059	71431	65562	63920	100.0	102.9	94.0	91.3
उत्तराखंड	1523	1591	1603	1468	14.5	15.0	14.9	13.5
उत्तर प्रदेश	32385	35612	38783	42568	15.1	16.3	17.5	18.9
पश्चिम बंगाल	13208	13580	11631	12705	14.2	14.5	12.3	13.4
संपूर्ण भारत	**501423**	**480652**	**464910**	**467044**	**38.3**	**37.9**	**36.2**	**36.0**

स्रोत : पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

पथ सुरक्षा देश में एक प्रमुख सामाजिक चिंता के बतौर उभर रही है। नई सड़कों का निर्माण हो रहा है और बड़ी संख्या में तेज से तेज वाहनों का ईजाद किया जा रहा है जिससे पथ सुरक्षा एक गंभीर सवाल बन गई है। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और पथ परिवहन को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा पथ सुरक्षा नीति, 2015 अपनाई गई है। उसके बाद बिहार पथ सुरक्षा कार्ययोजना और पथ सुरक्षा कोष का भी निर्माण किया गया है। पथ सुरक्षा परिषद नियमावली-2018 भी तैयार करके अपनाई गई है। सख्त अनुश्रवण प्रणालियों के जरिए पथ सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य पथ सुरक्षा परिषद और जिला पथ सुरक्षा समिति का गठन किया गया है। पथ सुरक्षा को कक्षा 6 से कक्षा 7 तक की पाठ्यचर्या में शामिल किया गया है और राज्य के आम लोगों के लिए नियमित आधार पर जागरूकता कार्यक्रम चलाए गए हैं। विद्यार्थियों का सुरक्षित परिवहन सुनिश्चित करने के लिए विद्यालय वाहन प्रबंधन नीति तैयार की जा रही है। दुर्घटनाओं में कमी के लिहाज से सभी प्रकार के वाहनों के लिए गति-नियंत्रक डिवाइस और चमकने वाले टेप लगाना अनिवार्य बना दिया गया है। सुनागरिक नीति और दुर्घटना-प्रवण स्थान नीति का निर्माण किया गया है। राज्य के सभी जिलों में टॉल फ्री नंबर 1099 वाले 44 उन्नत जीवनरक्षी एंबुलेंस और टॉल फ्री नंबर 102 वाले 749 बुनियादी जीवनरक्षी एंबुलेंस उपलब्ध हैं। ये एंबुलेंस सेवाएं राज्य सरकार द्वारा मुफ्त उपलब्ध कराई जाती हैं।

हर साल फरवरी माह के पहले सप्ताह में पथ सुरक्षा सप्ताह मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम और क्रियाकलाप चलाए जाते हैं- जैसे कि प्रदर्शनी, श्रव्य-दृश्य शो, स्लाइड शो, बैनर प्रदर्शन आदि किए जा रहे हैं। इस अवसर पर बस चालकों/ कंडक्टरों को दुर्घटनाओं के मामले में जागरूक किया जाता है और गलतियां दुहराने से बचने के लिए चेतावनी दी जाती है। बड़ी/ घातक दुर्घटनाओं और उनके कारणों का उल्लेख करते हुए पोस्टर, अपील, निर्देश आदि जारी किए जाते हैं। औरंगाबाद स्थित वाहन चालन एवं यातायात अनुसंधान संस्थान (आइडीटीआर) में 2,000 आवेदकों को विभाग ने भारी मोटरवाहनों के लाइसेंस के लिए मुफ्त प्रशिक्षण देना शुरू कर दिया है।

6.4 सड़क नेटवर्क

सड़क नेटवर्क किसी भी क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ग्रामीण क्षेत्रों को नजदीकी शहरी या अर्ध-शहरी केंद्रों से जोड़कर यह काफी अवसर देता है, बाजार के लिए पहुंच उपलब्ध कराता है, और इस प्रकार आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने में मदद करता है। भारत में लगभग 58.98 लाख किमी लंबा सड़क नेटवर्क है जिसका विश्व में दूसरा स्थान है। इसमें राष्ट्रीय उच्चपथ, तीव्रगामी पथ, राज्य उच्चपथ, मुख्य जिला पथ, अन्य जिला पथ और ग्रामीण पथ शामिल हैं। अभी बिहार में 2,09,549 किमी लंबा सड़क नेटवर्क है जिसमें 4839 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ और 4006 किमी राज्य उच्चपथ शामिल हैं। इस सड़क नेटवर्क के जरिए वस्तुओं अधिकांश हिस्से की ढुलाई होती है और अधिकांश यात्रियों द्वारा इनका उपयोग अपने गंतव्य स्थलों तक पहुंचने के लिए भी किया जाता है। विगत वर्षों के दौरान पथ परिवहन में क्रमश: वृद्धि होती गई है जिसके कारण राज्य में शहरों और गांवों के बीच संपर्क में सुधार हुआ है।

भारत के प्रमुख राज्यों में 2003 से 2017 के बीच सड़कों की कुल लंबाई तालिका 6.3 में प्रस्तुत है। ये आंकड़े कथित अवधि के लिए पांच-पांच वर्षों के औसत हैं। तालिका 6.3 में प्रति लाख जनसंख्या और प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्रफल के आधार पर पथ घनत्व भी प्रस्तुत किया गया है। वर्ष 2008 से 2017 के बीच सड़क नेटवर्क का सर्वाधिक 3,52,603 किमी विस्तार महाराष्ट्र में हुआ और उसके बाद 1,77,851 किमी मध्य प्रदेश में और 1,68,127 किमी उत्तर प्रदेश में। इस अवधि में अतिरिक्त सड़क निर्माण (1,30,799 किमी) के लिहाज से बिहार का देश में छठा स्थान था।

तालिका 6.3 : भारत के प्रमुख राज्यों में सड़क नेटवर्क (2003-2017)

राज्य	सड़कों की लंबाई (किमी)			घनत्व					
				प्रति लाख आबादी पर वर्तमान सड़कों की लंबाई			प्रति 1000 वर्ग किमी पर वर्तमान सड़कों की लंबाई		
	2003-07	2008-12	2013-17	2003	2010	2017	2003	2010	2017
आंध्र प्रदेश	282682	261484	193923	259	282	201	73	86	64
बिहार	**102559**	**128337**	**205808**	**91**	**126**	**181**	**84**	**136**	**223**
छत्तीसगढ़	73328	84670	95001	335	365	357	54	68	72
गुजरात	144048	155020	177412	272	262	280	73	79	92
हरियाणा	28859	37480	52263	130	150	301	64	84	184
झारखंड	15468	22157	51537	41	69	195	14	28	88
कर्नाटक	215670	279080	329399	367	465	565	104	146	188
केरल	167397	204594	202943	434	604	692	359	517	619
मध्य प्रदेश	164854	188021	286067	263	266	435	53	62	111
महाराष्ट्र	241716	367321	608769	272	367	532	88	132	203
ओडिशा	214505	238321	287254	564	564	689	137	150	195
पंजाब	44516	76611	111168	160	299	482	79	163	277
राजस्थान	149430	220449	247080	239	332	355	41	65	78
तमिलनाडु	174931	196369	255156	261	267	350	129	146	201
उत्तर प्रदेश	259394	356699	419809	151	192	196	108	156	178
उत्तराखंड	40731	46823	62576	395	472	640	65	88	130
पश्चिम बंगाल	156269	281672	311647	108	324	338	100	329	363
संपूर्ण भारत	**2873680**	**3636861**	**4621503**	**245**	**309**	**386**	**79**	**112**	**152**

स्रोत : परिवहन अनुसंधान स्कंध, पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

पिछले 15 वर्षों में प्रति लाख जनसंख्या पर पथ घनत्व 245 वर्ग किमी से 386 वर्ग किमी हो गया। लेकिन बिहार में पथ घनत्व सबसे कम - मात्र 181 किमी प्रति लाख जनसंख्या था जबकि संपूर्ण भारत के स्तर पर 386 किमी था। सात राज्यों का पथ घनत्व संपूर्ण भारत के औसत (386 किमी) से अधिक था जबकि बिहार

सहित 10 राज्यों का पथ घनत्व इससे कम था। वर्ष 2017 में पथ घनत्व के लिहाज से देखें, तो 692 किमी प्रति लाख जनसंख्या के साथ केरल सबसे ऊपर था जिसके बाद ओडिशा (689 किमी) और कर्नाटक (565 किमी) का स्थान था (चार्ट 6.3)। वहीं, प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्रफल के लिहाज से देखें, तो 2017 में बिहार (223 किमी) का चौथा स्थान था और राज्य का पथ घनत्व संपूर्ण भारत के औसत (152 किमी) से काफी अधिक था। उच्च पथ घनत्व वाले कुछ अन्य राज्य केरल (619 किमी), पश्चिम बंगाल (363 किमी) और पंजाब (277 किमी) थे।

चार्ट 6.3 : 2017 में प्रति लाख जनसंख्या पर कुल पथ घनत्व (किमी)

राष्ट्रीय उच्चपथों, राज्य उच्चपथों, लोक निर्माण विभाग के पथों, शहरी पथों और ग्रामीण पथों के निर्माण में अलग-अलग अभिकरण शामिल होते हैं। बिहार में विभिन्न प्रकार के सड़कों का ब्योरा तालिका 6.4 में प्रस्तुत है। राज्य में कुल 2,09,549 किमी सड़कों में से 1,17,573 किमी सड़कें पक्की थीं। राष्ट्रीय उच्चपथ, राज्य उच्चपथ और अन्य लोक निर्माण विभाग पथ पूरी तरह पक्के थे जबकि 52 प्रतिशत ग्रामीण पथ, 43 प्रतिशत शहरी पथ और 20 प्रतिशत अन्य परियोजना पथ 2017 तक कच्चे थे। इस प्रकार कुल 92,000 किमी सड़कें अभी भी पक्की नहीं हैं। चूंकि बिहार मुख्यतः ग्रामीण राज्य है इसलिए कुल सड़कों का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण पथों के तहत आता है। लोक निर्माण विभाग के अन्य पथ, शहरी पथ और परियोजना पथ का कुल सड़क नेटवर्क में कोई 10-12 प्रतिशत हिस्सा है। तालिका 6.4 के आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि ग्रामीण पथों का विस्तार हाल के वर्षों में अन्य पथों की अपेक्षा तेजी से हुआ है और दूसरे, ग्रामीण पथों की कुल लंबाई में पक्की सड़कों का हिस्सा काफी बढ़ा है। पक्की ग्रामीण सड़कों की लंबाई 9.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ती रही है और 2012 से 2017 के बीच इनकी लंबाई में 50,000 किमी से भी अधिक वृद्धि हुई है। राज्य में समग्र सड़क नेटवर्क का विस्तार 6.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से हो रहा है और इस अवधि में 60,000 किमी से भी अधिक अतिरिक्त सड़कों का निर्माण हुआ है।

तालिका 6.4 : बिहार में प्राधिकरण के अनुसार कुल और पक्की सड़कों की लंबाई (2012 से 2017)

(लंबाई किमी में)

सड़क का प्रकार		राष्ट्रीय उच्चपथ	राज्य उच्चपथ	लोक निर्माण विभाग के अन्य पथ	ग्रामीण पथ	शहरी पथ	परियोजना पथ	**योगफल**
2012	कुल	4105 (3.0)	4857 (3.5)	9030 (6.5)	108759 (78.5)	8918 (6.4)	2848 (2.1)	**138517 (100.0)**
	पक्की	4105 (6.3)	4857 (7.4)	9030 (13.8)	42747 (65.4)	3819 (5.8)	797 (1.2)	**65355 (100.0)**
2013	कुल	4168 (2.1)	4483 (2.3)	9401 (4.8)	167579 (85.0)	8760 (4.4)	2848 (1.4)	**197239 (100.0)**
	पक्की	4168 (3.6)	4483 (3.8)	9401 (8.0)	94421 (80.8)	3661 (3.1)	797 (0.7)	**116931 (100.0)**
2014	कुल	4467 (2.1)	4389 (2.1)	10128 (4.8)	179392 (85.5)	8823 (4.2)	2559 (1.2)	**209758 (100.0)**
	पक्की	4467 (4.3)	4389 (4.2)	10128 (9.8)	80431 (77.6)	3699 (3.6)	508 (0.5)	**103622 (100.0)**
2015	कुल	4701 (2.3)	4426 (2.1)	10128 (4.9)	175373 (85.1)	8823 (4.3)	2559 (1.2)	**206010 (100.0)**
	पक्की	4701 (4.3)	4426 (4.1)	10128 (9.4)	84794 (78.3)	3699 (3.4)	508 (0.5)	**108256 (100.0)**
2016	कुल	4839 (2.3)	4253 (2.1)	10634 (5.2)	175373 (84.9)	8826 (4.3)	2559 (1.2)	**206484 (100.0)**
	पक्की	4839 (3.9)	4253 (3.4)	10634 (8.6)	99476 (80.6)	3702 (3.0)	508 (0.4)	**123412 (100.0)**
2017	कुल	4839 (2.3)	4006 (1.9)	11145 (5.3)	178109 (85.0)	8891 (4.2)	2559 (1.2)	**209549 (100.0)**
	पक्की	4839 (4.1)	4006 (3.4)	11145 (9.5)	93275 (79.3)	3801 (3.2)	508 (0.4)	**117573 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े योगफल में प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : परिवहन अनुसंधान स्कंध, पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

पहले भी चर्चा हुई है कि राज्य सरकार सुगम सड़क नेटवर्क उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है जिससे राज्य के सुदूर हिस्से से भी पांच घंटे में राजधानी पटना पहुंचा जा सके। विभिन्न जिलों में पथ घनत्व चार्ट 6.4 में दर्शाया गया है। चार्ट में प्रति लाख जनसंख्या पर सड़क नेटवर्क का विस्तार प्रस्तुत किया गया है। सभी जिलों में 160 किमी प्रति लाख आबादी के साथ जमुई जिला शीर्ष पर है जिसके बाद औरंगाबाद (152 किमी) और कैमूर (143 किमी) का स्थान है। वहीं बेगूसराय (54 किमी), मुंगेर (67 किमी) और पटना (69 किमी) पथ घनत्व के लिहाज से सबसे नीचे हैं। वहीं प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्रफल के लिहाज से शीर्ष 3 जिले शिवहर (1925 किमी), वैशाली (1884 किमी) और दरभंगा (1816 किमी) हैं। दूसरी और सबसे नीचे के जिले लखीसराय (698 किमी), मुंगेर (726 किमी) और पश्चिम चंपारण (734 किमी) हैं। दक्षिण बिहार के कुल 11 और उत्तर बिहार के 7 जिलों का पथ घनत्व राज्य के औसत से अधिक है।

चार्ट 6.4 : सितंबर 2019 में बिहार में जिलावार पथ घनत्व (किमी)

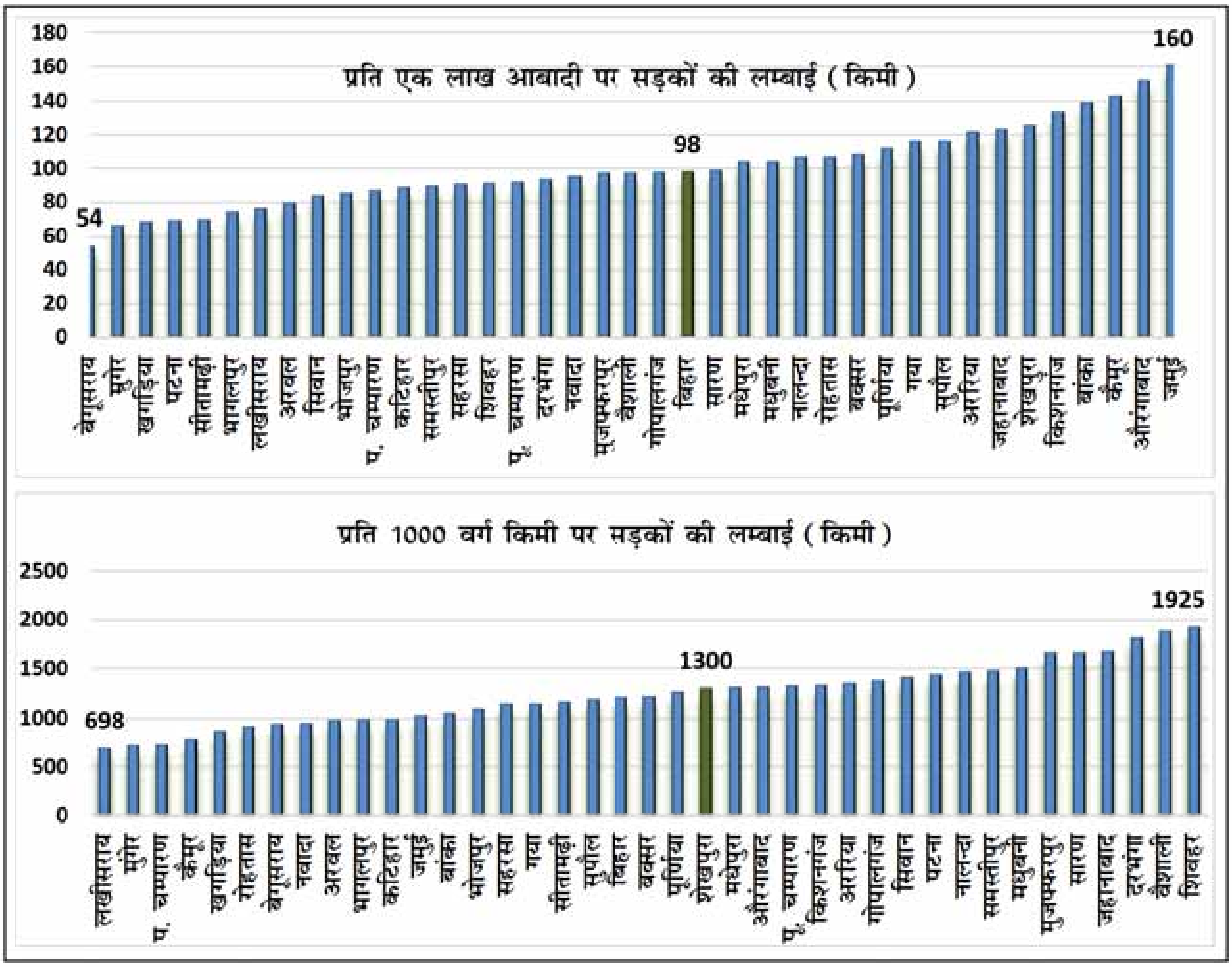

राष्ट्रीय उच्चपथ नेटवर्क

राष्ट्रीय उच्चपथ किसी क्षेत्र की आर्थिक नींव को मजबूत करते हैं और अक्सर उच्चपथों के इर्दगिर्द नए शहरों के उदय का कारण बनते हैं। ये निर्माण के दौरान अल्पकालिक और सड़क किनारे सेवा स्थलों (होटल, जलपानगृह आदि) की स्थापना के जरिए दीर्घकालिक रोजगार उपलब्ध कराते हैं। केंद्र सरकार ने देश की अब तक के सबसे बड़े उच्चपथ निर्माण कार्यक्रम भारतमाला परियोजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत पहले चरण में 5,35,000 करोड़ रु. के व्यय से 34,800 किमी लंबाई में राष्ट्रीय उच्चपथों को उत्क्रमित किया जाना है। इस परियोजना से पूरे देश में अधिसंरचना संबंधी गंभीर कमियों को दूर करके तेज सड़क यातायात सुनिश्चित होगा। साथ ही, भारतीय राष्ट्रीय उच्चपथ प्राधिकरण (एनएचएआइ) की दृष्टि है कि भारतमाला परियोजना के तहत सुदूर क्षेत्रों को जोड़ने के लिए हरित पथ (ग्रीन कॉरीडोर) विकसित किए जाएं। परियोजना से बहुमाध्यम और कुशल परिवहन उपलब्ध कराने से लॉजिस्टिक खर्च में कमी होगी, अंतिम बिंदुओं तक संपर्क उपलब्ध होगा और देश में वर्तमान आपूर्तिश्रृंखला अधिसंरचना में सुधार होगा।

राष्ट्रीय उच्चपथों की कुल लंबाई और जनसंख्या तथा क्षेत्रफल के लिहाज से विभिन्न राज्यों में उनका घनत्व तालिका 6.5 में दर्शाया गया है। बिहार में उच्चपथों की लंबाई विगत वर्षों के दौरान क्रमशः बढ़ती गई है और

2003-07 के 3534 किमी से 2013-17 के दौरान 4603 किमी हो गई। राष्ट्रीय उच्चपथ निर्माण की वृद्धि दर 2008-12 की अपेक्षा 2013-17 के बीच अधिक थी। प्रति 1000 वर्ग किमी पर राष्ट्रीय उच्चपथों का घनत्व 2003 के 35.2 किमी से बढ़कर 2017 में 51.4 किमी हो गया। वर्ष 2003 से 2017 के बीच देश में 56,043 किमी राष्ट्रीय उच्चपथों का निर्माण हुआ जिसमें से सर्वाधिक 11,811 किमी महाराष्ट्र में, उसके बाद 3,770 किमी उत्तर प्रदेश में और 3309 किमी राजस्थान में निर्माण हुआ।

तालिका 6.5 : देश के प्रमुख राज्यों में राष्ट्रीय उच्चपथ नेटवर्क (2003 से 2017)

राज्य	सड़कों की लंबाई (किमी)			घनत्व					
				प्रति लाख आबादी पर वर्तमान राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई			प्रति 1000 वर्ग किमी पर वर्तमान राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई		
	2003-07	2008-12	2013-17	2003	2010	2017	2003	2010	2017
आंध्र प्रदेश	4378	4524	5643	5.1	5.4	6.2	14.6	16.5	19.9
बिहार	**3534**	**3735**	**4603**	**3.8**	**3.6**	**4.2**	**35.2**	**38.7**	**51.4**
छत्तीसगढ़	2109	2205	2942	8.3	8.7	11.2	13.4	16.2	22.8
गुजरात	2939	3402	4696	4.7	5.5	7.7	12.5	16.5	25.3
हरियाणा	1463	1539	2247	6.2	6.1	9.7	30.7	34.3	59.3
झारखंड	1765	1878	2656	5.7	5.6	7.4	20.1	22.6	33.3
कर्नाटक	3788	4285	6103	6.6	7.3	10.2	18.6	22.9	33.9
केरल	1440	1457	1718	4.5	4.4	5.2	37.1	37.5	46.6
मध्य प्रदेश	4881	4892	5693	7.4	7.1	6.6	15.1	16.3	16.8
महाराष्ट्र	4066	4198	8133	3.6	3.8	6.3	11.8	13.6	24.2
ओडिशा	3623	3704	4657	8.7	8.9	11.0	21.2	23.8	31.1
पंजाब	1557	1557	2207	6.2	5.7	9.6	30.9	30.9	55.0
राजस्थान	5387	5894	7705	7.8	8.3	10.6	13.4	16.3	23.1
तमिलनाडु	4210	4780	4963	5.8	6.8	6.6	28.9	37.2	38.0
उत्तर प्रदेश	5578	6803	8296	2.9	3.5	3.9	20.5	28.1	35.2
उत्तराखंड	1808	2032	2519	12.2	20.6	24.9	20.1	38.2	50.7
पश्चिम बंगाल	2271	2588	2882	2.4	2.9	3.1	22.0	29.0	33.3
संपूर्ण भारत	**64487**	**71198**	**96713**	**5.5**	**6.0**	**7.8**	**17.7**	**21.6**	**30.7**

स्रोत : पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

राष्ट्रीय उच्चपथों का जिलावार विस्तार तालिका प 6.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। वर्ष 2013-19 के बीच बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की लंबाई 716.5 किमी बढ़ी। इससे जमुई जिला सबसे अधिक लाभान्वित हुआ जहां 110.0 किमी अतिरिक्त राष्ट्रीय उच्चपथों का निर्माण हुआ। उसके बाद सीवान में 77.2 किमी और कटिहार में 56.1 किमी राष्ट्रीय उच्चपथों का निर्माण हुआ। चार्ट 6.5 में क्षेत्रफल और जनसंख्या के लिहाज से विभिन्न जिलों में पथ घनत्व दर्शाया गया है। जनसंख्या के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले तीन जिले अरवल, जमुई और सुपौल हैं। वहीं क्षेत्रफल के लिहाज से तीन शीर्ष जिले अरवल, पटना और सुपौल हैं।

चार्ट 6.5 : सितंबर 2019 में बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों का जिलावार घनत्व (किमी में)

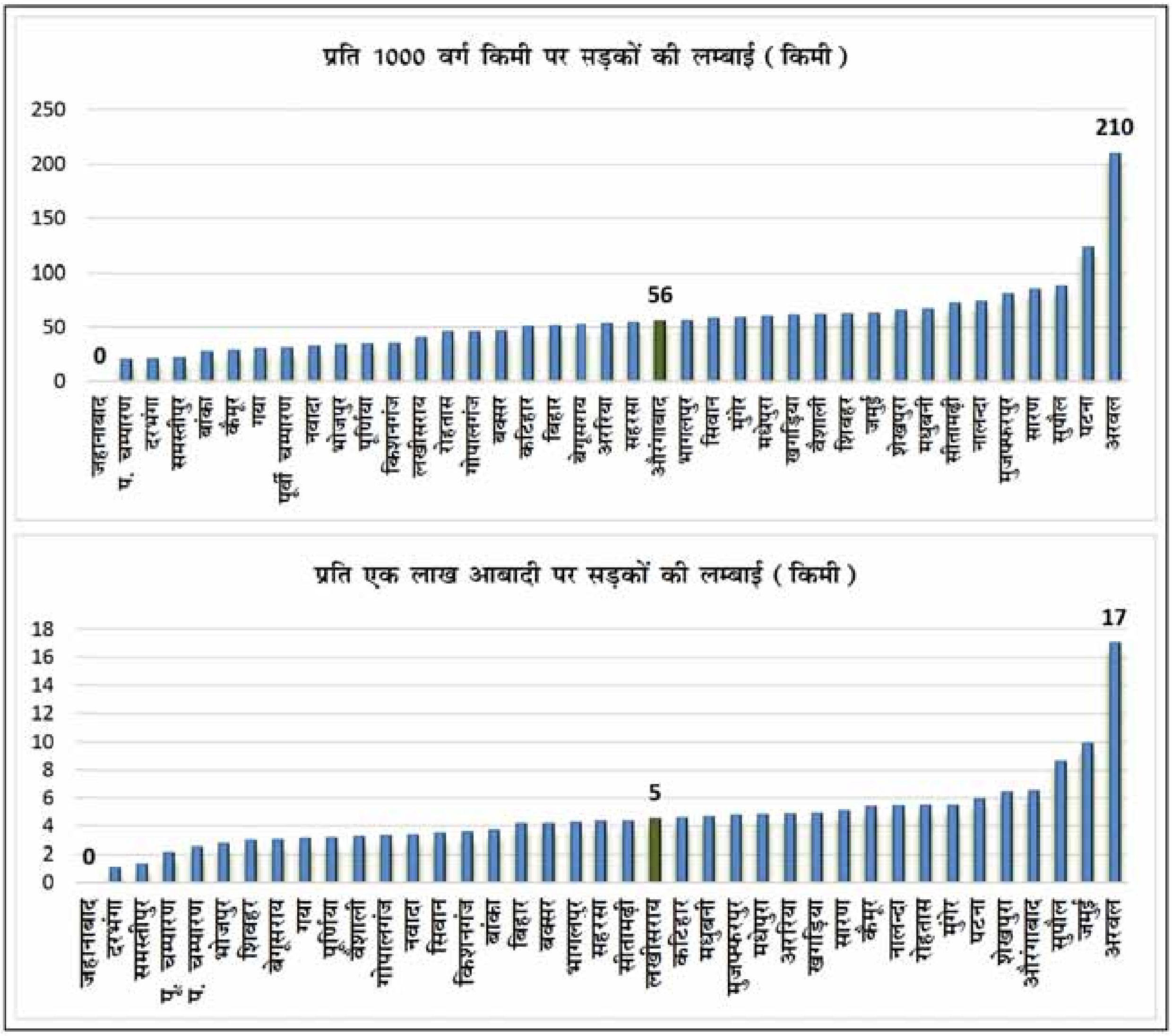

सितंबर 2019 तक राज्य में कुल 43 राष्ट्रीय उच्चपथ थे जिनकी कुल लंबाई का 4917 किमी हिस्सा बिहार में था। मार्च 2014 में उनकी संख्या 35 और कुल लंबाई 4321 किमी ही थी। इन पांच वर्षों के दौरान इनमें 8 और उच्चपथों के जुड़ जाने से उनकी कुल लंबाई 4917 किमी हो गई। तालिका 6.6 में बिहार से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय उच्चपथों की सूची दी गई है। तालिका में देखा जा सकता है कि राज्य से होकर गुजरने वाले राष्ट्रीय उच्चपथों में राष्ट्रीय उच्चपथ-31 की लंबाई बिहार में सबसे अधिक 404 किमी है।

चार्ट 6.6 में चौड़ाई के लिहाज से राष्ट्रीय उच्चपथों का प्रतिशत वितरण दर्शाया गया है। राष्ट्रीय उच्चपथों में सबसे अधिक 81 प्रतिशत हिस्सा दो या दो से अधिक लेन वाली सड़कों का है। मध्यवर्ती और एक लेन वाली सड़कों का हिस्सा क्रमशः 11 प्रतिशत और 8 प्रतिशत है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से इन वर्षों के दौरान बिहार में दो और दो से अधिक लेन वाली सड़कों की चौड़ाई क्रमशः बढ़ी है।

तालिका 6.6 : बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों की संख्या और लंबाई (सितंबर 2019 तक)

(लंबाई किमी में)

क्र.सं.	राष्ट्रीय उच्चपथ सं.	लंबाई (किमी)	क्र.सं.	राष्ट्रीय उच्चपथ सं.	लंबाई (किमी)	क्र.सं.	राष्ट्रीय उच्चपथ सं.	लंबाई (किमी)	क्र.सं.	राष्ट्रीय उच्चपथ सं.	लंबाई (किमी)
1	2	205.7	**12**	82	147.0	**23**	106	135.1	**34**	327A	25.1
2	19	93.0	**13**	83	125.0	**24**	107	180.0	**35**	122A	31.8
3	28	267.3	**14**	84	74.0	**25**	57A	13.0	**36**	333A	198.9
4	28A	66.7	**15**	85	92.0	**26**	28B	112.0	**37**	527A	28.2
5	30	230.0	**16**	98	152.0	**27**	110	90.0	**38**	219	46.8
6	30A	69.0	**17**	99	11.2	**28**	2C	105.0	**39**	333B	18.4
7	31	404.0	**18**	101	65.0	**29**	333	146.7	**40**	133B	7.5
8	57	310.0	**19**	102	75.0	**30**	527C	64.2	**41**	727A	4.5
9	77	139.0	**20**	103	59.0	**31**	327E	227.1	**42**	227A	147.0
10	80	190.0	**21**	104	214.0	**32**	131A	81.1	**43**	120	145.0
11	81	55.0	**22**	105	55.0	**33**	133	11.0	**योगफल**		**4917.2**

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 6.6 : बिहार में चौड़ाई के आधार पर राष्ट्रीय उच्चपथों का वितरण (सितंबर 2019 तक)

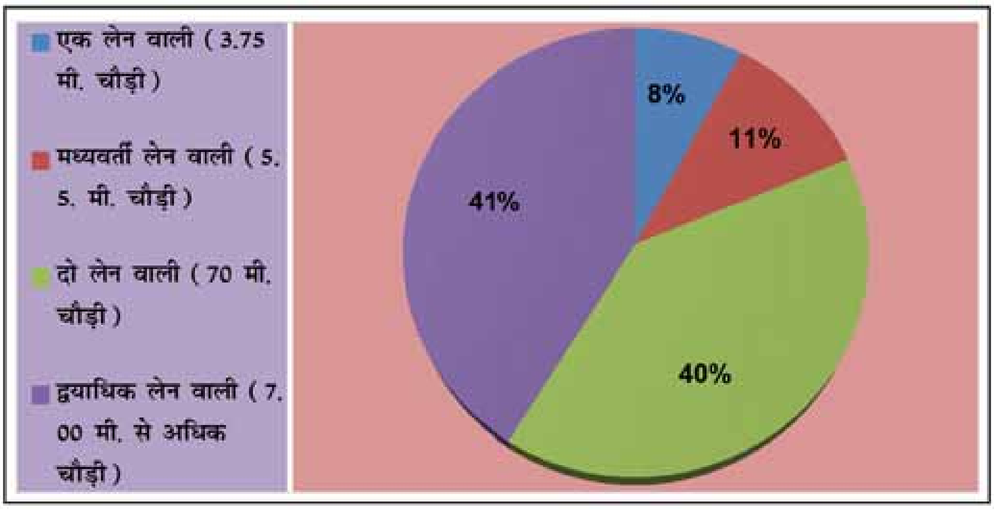

राष्ट्रीय उच्चपथों के निर्माण के जिम्मेवारी केंद्र सरकार की है। तालिका 6.7 में राष्ट्रीय उच्चपथ के विकास पर 2010-11 से 2017-18 के बीच बिहार और संपूर्ण भारत में व्यय दर्शाया गया है। बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों के विकास पर व्यय 2010-11 में 199 करोड़ रु. था जो पूरे देश में व्यय का मात्र 1.18 प्रतिशत था। रकम के लिहाज से देखें तो यह बढ़कर 2017-18 में 1524 करोड़ रु. हो गया और संपूर्ण भारत में व्यय में इसका हिस्सा भी बढ़कर 3.07 प्रतिशत हो गया। राष्ट्रीय उच्चपथ के विकास पर व्यय में 2010-11 से 2014-15 के बीच बहुत मामूली वृद्धि दर्ज हुई थी। लेकिन उसके बाद व्यय बढ़कर 2014-15 के 277 करोड़ रु. से 2015-16 में 708 करोड़ रु. और 2017-18 में 1524 करोड़ रु. हो गया। अंतिम दो वर्षों में कुल राष्ट्रीय व्यय में बिहार का हिस्सा काफी बढ़ा है जो 2016-17 में 3.28 प्रतिशत और 2017-18 में 3.07 प्रतिशत था।

तालिका 6.7 : बिहार और भारत में राष्ट्रीय उच्चपथों के विकास पर हुआ व्यय (2010-11 से 2017-18)

(करोड़ रु.)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बिहार	199	232	129	271	277	708	1332	1524
भारत	16869	25287	16319	20605	24405	40464	40622	49646
संपूर्ण भारत में बिहार का हिस्सा	**1.18**	**0.92**	**0.79**	**1.32**	**1.14**	**1.75**	**3.28**	**3.07**

स्रोत : पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

बिहार में राष्ट्रीय उच्चपथों कुल लंबाई 4917 किमी है और इनका लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा दो या अधिक लेन वाली सड़कों का है। जनसंख्या के अधिक घनत्व को देखते हुए आवश्यक है कि यातायात के सुगम और तेज प्रवाह के लिए बिहार में अधिक राष्ट्रीय उच्चपथ हों। अभी ऐसी अनेक परियोजनाएं चल रही हैं जिनमें से कुछ नई सड़कों की हैं और कुछ पुरानी सड़कों के चौड़ीकरण की।

राष्ट्रीय उच्चपथ परियोजनाएं : बिहार में अभी ऐसी 9 परियोजनाएं चल रही हैं जो प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। इनमें से दो परियोजनाओं को राष्ट्रीय उच्चपथ-2 (वाराणसी-औरंगाबाद-चोरदाहा सीमावर्ती खंड को छः लेन बनाने का काम) के लिए स्वीकृति मिली थी जिसमें 1730 करोड़ रु. के व्यय से 260 किमी सड़क का निर्माण शुरू किया गया है। अन्य दो परियोजनाएं राष्ट्रीय उच्चपथ-28 (उत्तर प्रदेश की बथनकुट्टी-देवापुर-कोटवा का चार लेन का काम) के तहत स्वीकृत थीं जिसमें 806 करोड़ रु. के व्यय से 79 किमी लंबाई में काम होना था। राष्ट्रीय उच्चपथ-19 के तहत निम्नलिखित परियोजनाएं शुरू की गई हैं - (1) 575 करोड़ रु. के व्यय से छपरा से हाजीपुर तक 67 किमी सड़क का चौड़ीकरण, (2) हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक 63 किमी सड़क का चौड़ीकरण, और (3) 512 करोड़ रु. के व्यय से मुजफ्फरपुर-सोनबर्षा के 82 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ का चौड़ीकरण। राष्ट्रीय उच्चपथ-28 ए के तहत 373 करोड़ रु. के व्यय से राष्ट्रीय उच्चपथ-28ए के पिपरा कोठी से रक्सौल तक 69 किमी में उन्नयन कार्य शीघ्र ही पूरा हो जाएगा। इसके अलावा, केंद्र सरकार के द्वारा चौड़ीकरण के लिए सड़कों के 13 अन्य खंडों को भी चुना गया है। इन 13 परियोजनाओं में से 7 पूरी हो चुकी हैं, 4 प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और शेष दो पर अभी काम शुरू होना है।

नए खंडों की बात करें, तो केंद्र सरकार द्वारा बिहार के तीन जिलों में पांच परियोजनाएं (सारण में दो, सुपौल में दो और पश्चिम चंपारण में एक) स्वीकृत हुई जिन पर 274 करोड़ रु. व्यय होगा। परियोजनाओं के तहत 45 किमी सड़क और दो रेल उपरिपुलों (आरओबी) का निर्माण शामिल है। अभी इन परियोजनाओं के लिए बोली की प्रक्रिया चल रही है।

राष्ट्रीय उच्चपथ-82 के तहत 95 किमी मार्ग (गया-मानपुर-हिसुआ-राजगिर-नालंदा-बिहारशरीफ) को 4 लेन में बदलने के लिए जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग अभिकरण (जीका) से स्वीकृति मिली है। केंद्र सरकार द्वारा 16 रेल उपरिपुलों के निर्माण को स्वीकृति मिली है जिनमें से सात पर काम प्रगति पर है, 6 पर बोली की प्रक्रिया चल रही है और शेष तीन पर शीघ्र ही काम शुरू होगा। मोकामा में गंगा नदी पर हाइब्रिड एॅन्यूइटी मोड वाले पुल का निर्माणकार्य प्रगति पर है।

भारतमाला परियोजना

परियोजना का पहला चरण 2017-18 से 2021-22 तक चलेगा। बिहार तीन श्रेणियों में लाभान्वित होगा - अंत:मार्ग और फीडर मार्ग (305 किमी), राष्ट्रीय मार्गों की क्षमता में सुधार (70 किमी) और सीमावर्ती तथा अंतर्राष्ट्रीय संपर्क (50 किमी)। भारतमाला परियोजना के पहले चरण के अंतर्गत बिहार में 425 किमी सड़कों का निर्माण होना है जिसका संपूर्ण भारत में बनने वाली सड़कों की लंबाई में 1.71 प्रतिशत हिस्सा है। तालिका 6.8 में ब्योरा दिए गए हैं।

तालिका 6.8 : भारतमाला चरण-1 के तहत पथ परियोजनाएं

(लंबाई किमी में)

श्रेणी	कुल चिन्हित लंबाई		भारतमाला परियोजना चरण-1		संपूर्ण भारत में बिहार का हिस्सा	
	भारत	बिहार	भारत	बिहार	कुल चिन्हित लंबाई	भारतमाला परियोजना चरण-1
आर्थिक मार्ग (कॉरीडोर)	26163	—	9000	-	-	-
अंत:मार्ग और फीडर रूट	15403	272	6000	305	1.77	5.08
राष्ट्रीय मार्गों की क्षमता में सुधार	13049	—	5000	70	-	1.40
सीमावर्ती और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क	5230	50	2000	50	0.96	2.50
समुद्रतटीय और पत्तन संपर्क	3305	—	2000	—	—	—
तीव्रगामी मार्ग	1837	—	800	—	—	—
योगफल	**64987**	**322**	**24800**	**425**	**0.50**	**1.71**

स्रोत : प्रेस सूचना ब्यूरो, पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य उच्चपथ नेटवर्क

राज्य उच्चपथ मुख्य जिला पथों को जोड़ते हैं और द्वितीयक स्तर का पथ परिवहन स्थापित करते हैं। राज्य उच्चपथों का निर्माण और रखरखाव मुख्यत: राज्य सरकार द्वारा कराया जाता है। तालिका 6.9 में देश के प्रमुख राज्यों में राज्य उच्चपथों की प्रगति और घनत्व का ब्योरा दिया गया है। बिहार में राज्य उच्चपथों की लंबाई क्रमश: बढ़ रही है और 2003-07 के 3213 किमी से 2013-17 में 4311 किमी हो गई। इसमें सर्वाधिक वृद्धि 2007-12 की अवधि में दिखी जब राज्य उच्चपथ नेटवर्क के चौड़ीकरण के लिए राज्य सराकर ने काफी बड़ी रकम खर्च की। संपूर्ण भारत में 2003-07 से 2013-17 के बीच राज्य उच्चपथों की लंबाई 29,130 किमी बढ़ी है। राज्य उच्चपथों का विस्तार सबसे अधिक 5781 किमी महाराष्ट्र में हुआ और उसके बाद 5513 किमी कर्नाटक में तथा 4043 किमी तमिलनाडु में। मार्च 2017 तक प्रति 1000 वर्ग किमी पर राज्य उच्चपथ घनत्व के मामले में 45.2 किमी के साथ बिहार का सातवां स्थान था। वहीं, प्रति लाख आबादी पर राज्य उच्चपथों के घनत्व की बात करें, तो 3.7 किमी के साथ देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार का 15वां स्थान था।

तालिका 6.9 : भारत के प्रमुख राज्यों में राज्य उच्चपथ नेटवर्क (2003 से 2017)

राज्य	औसत (किमी)			घनत्व					
				प्रति लाख आबादी पर वर्तमान राज्य उच्चपथों की लंबाई			प्रति 1000 वर्ग किमी पर वर्तमान राज्य उच्चपथों की लंबाई		
	2003-07	2008-12	2013-17	2003	2010	2017	2003	2010	2017
आंध्र प्रदेश	9295	10522	7327	10.6	12.5	7.4	30.1	38.1	23.6
बिहार	**3213**	**4118**	**4311**	**2.7**	**3.9**	**3.7**	**25.3**	**42.4**	**45.2**
छत्तीसगढ़	3300	4470	4719	16.6	20.9	16.3	26.7	38.8	33.0
गुजरात	18908	18446	17788	36.5	31.0	26.6	97.7	93.9	87.7
हरियाणा	2513	2522	2049	11.2	10.1	6.7	55.7	57.0	40.7
झारखंड	1886	1886	1510	—	5.8	3.6	—	23.7	16.3
कर्नाटक	14563	20743	20076	18.1	34.1	30.6	51.2	107.0	102.1
केरल	3871	4300	4341	11.0	13.1	12.5	90.7	111.7	111.8
मध्य प्रदेश	8351	9969	11025	12.9	14.4	13.9	26.3	33.2	35.5
महाराष्ट्र	33519	32909	39299	33.8	29.6	33.2	109.5	106.7	126.7
ओडिशा	4340	3708	4233	13.1	8.9	9.5	31.8	23.8	26.9
पंजाब	1414	1460	1232	5.1	5.4	3.9	25.3	29.3	22.5
राजस्थान	9832	11090	12581	14.4	16.7	20.3	24.8	32.8	44.4
तमिलनाडु	7548	9871	11591	11.2	13.2	15.8	55.5	72.2	90.4
उत्तर प्रदेश	8801	8181	7428	5.2	4.1	3.3	37.4	33.0	29.7
उत्तराखंड	1018	2461	4031	13.0	15.9	41.5	21.3	29.5	84.5
पश्चिम बंगाल	2306	3940	3683	4.3	5.0	3.8	39.8	50.8	40.7
संपूर्ण भारत	**142541**	**160291**	**171671**	**12.7**	**13.4**	**13.6**	**41.0**	**48.7**	**53.6**

स्रोत : पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

बिहार में पथ घनत्व में सुधार के लिए राज्य सरकार ने अनेक उपाय शुरू किए हैं जिन्हें चार्ट 6.7 में प्रस्तुत किया गया है। सितंबर 2019 तक बिहार में राज्य उच्चपथ नेटवर्क की कुल लंबाई 4006 किमी थी जिसका राज्य की सड़कों की कुल लंबाई में 2.1 प्रतिशत हिस्सा था। राज्य सरकार अपने राज्य उच्चपथ नेटवर्क का लगातार विस्तार कर रही है और उसकी गुणवत्ता में सुधार कर रही है। राज्य उच्चपथों का 70 प्रतिशत हिस्सा दो लेन वाला, 15 प्रतिशत एक लेन वाला, 11 प्रतिशत मध्यवर्ती लेन वाला और बहुत कम (4 प्रतिशत) हिस्सा दो से अधिक लेन वाला है।

चार्ट 6.7 : सितंबर 2019 में चौड़ाई के अनुसार बिहार के राज्य उच्चपथों की स्थिति

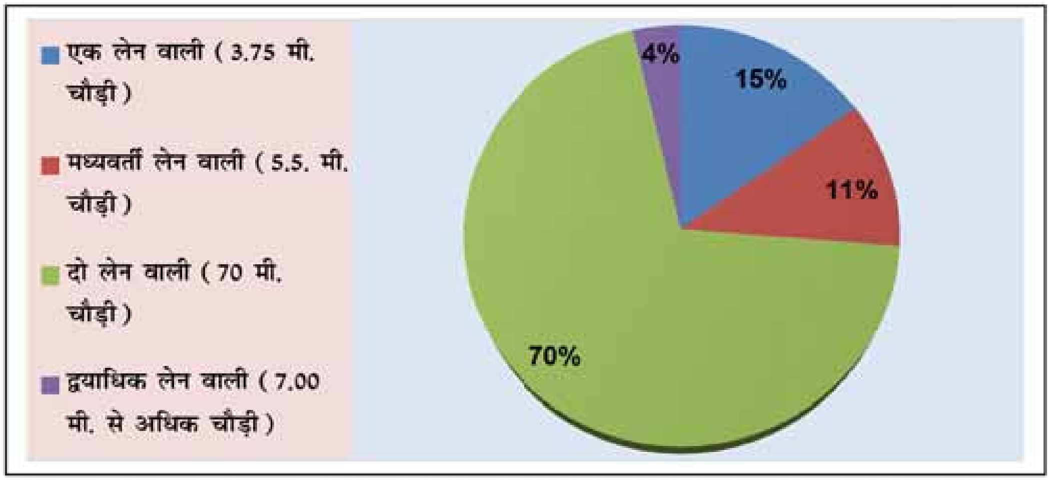

राज्य के जिलों में राज्य उच्चपथ नेटवर्क का फैलाव एक जैसा नहीं है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। राज्य उच्चपथ नेटवर्क का जिलावार विवरण तालिका प 6.2 (सॉंख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। राज्य उच्चपथों के राष्ट्रीय उच्चपथों में बदल जाने से 25 जिले लाभान्वित हुए हैं। सितंबर 2019 तक दरभंगा (5.6 प्रतिशत), गया (5.2 प्रतिशत) और पटना (5.2 प्रतिशत) कुल राज्य उच्चपथ नेटवर्क में हिस्से के लिहाज से अग्रणी जिले थे। वहीं, प्रति 1000 वर्ग किमी पर लंबाई के लिहाज से शीर्ष तीन जिले दरभंगा (98.3 किमी), नालंदा (81.5 किमी) और नवादा (74.6 किमी) थे। इसी प्रकार, प्रति लाख आबादी के आधार पर तीन अग्रणी जिले नवादा (7.5 किमी), बांका (7.4 किमी) और नालंदा (5.9 किमी) थे। ये तीनो जिले दक्षिण बिहार के हैं।

चार्ट 6.8 : सितंबर 2019 में बिहार के जिलों में राज्य उच्चपथों का पथ घनत्व

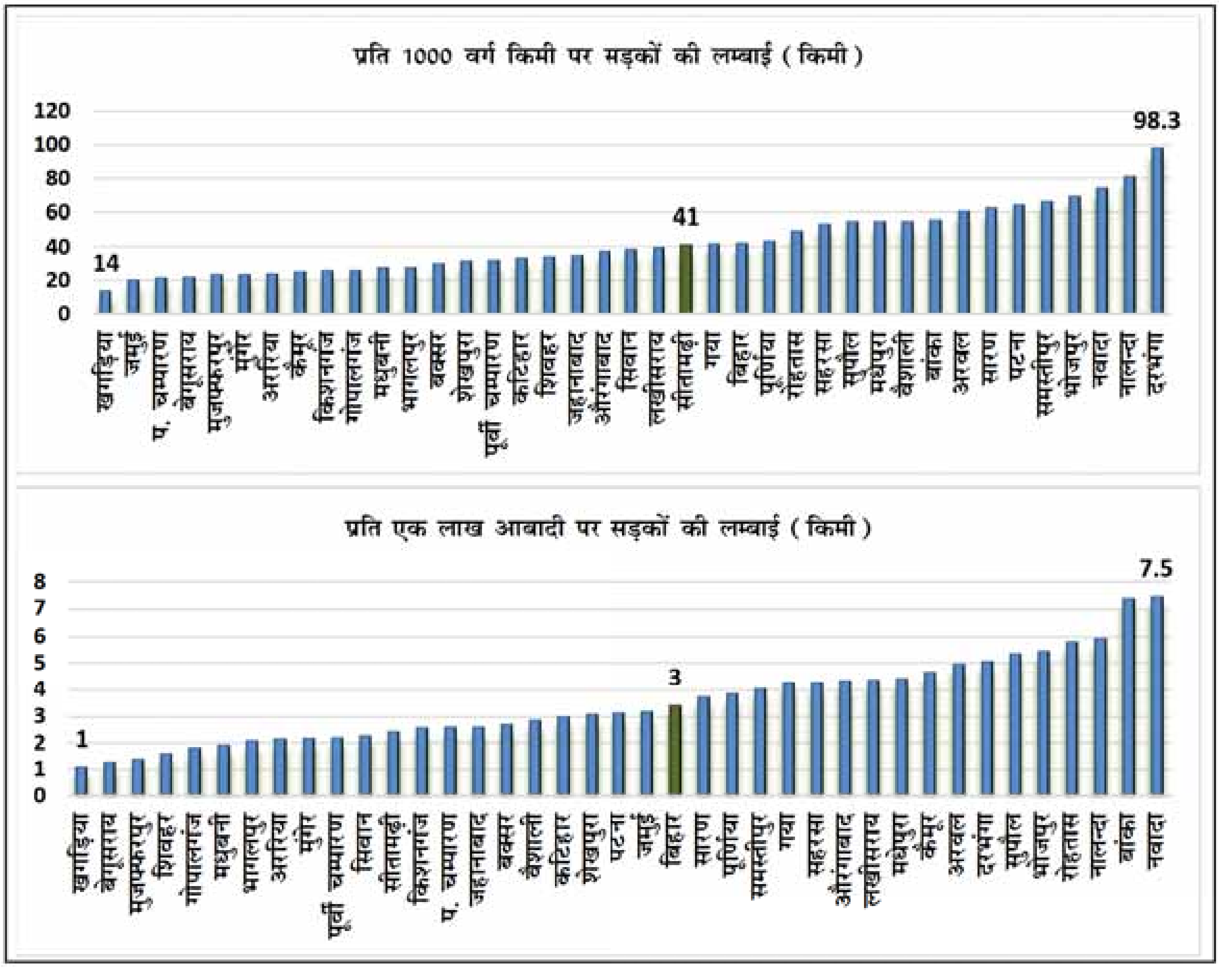

बिहार में सड़क संचार में सुधार के लिए राज्य सरकार ने बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम शुरू किया है जिसे एशियाई विकास बैंक (एडीबी) से वित्तीय सहायता मिल रही है। परियोजना के पहले चरण में 2630 करोड़ रु. के व्यय से 9 राज्य उच्चपथों की 825.4 किमी सड़कों का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। परियोजना का प्रथम चरण पूरा हो जाने के बाद राज्य सरकार ने 3752 करोड़ रु. के व्यय से 5 राज्य उच्चपथों को 374.3 किमी में दो लेन में उत्क्रमित करने के लिए इसके दूसरे चरण की शुरुआत

की है। इनमें से तीन परियोजनाएं (राज्य उच्चपथ-81 - सहार से नासरीगंज, राज्य उच्चपथ-89 और राज्य उच्चपथ-90) पूरी हो चुकी हैं और शेष 2 (राज्य उच्चपथ-78 और राज्य उच्चपथ-91) का काम प्रगति पर है। एशियाई विकास बैंक ने चार अन्य राज्य उच्चपथों (राज्य उच्चपथ-83, राज्य उच्चपथ-86, राज्य उच्चपथ-87 और राज्य उच्चपथ-88) को 254.5 किमी लंबाई में दो लेन में बदलने के लिए 2171 करोड़ रु. की अतिरिक्त धनराशि स्वीकृत की है। राज्य उच्चपथ-83 और राज्य उच्चपथ-86 का काम पूरा होने के साथ-साथ इस परियोजना के तहत मुख्य (85 प्रतिशत) काम पूरा हो चुका है। साथ ही, राज्य सरकार ने एशियाई विकास बैंक के जरिए वित्तपोषण से 5 अन्य राज्य उच्चपथों को दो लेन में बदलने के लिए चुना है जिन्हें बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना के तीसरे चरण के तहत शामिल किया जाएगा। तीसरे चरण में 1860 करोड़ रु. के व्यय से 231.8 किमी सड़कों का निर्माण होना है। इसके व्यय में एशियाई विकास बैंक का 66 प्रतिशत और राज्य सरकार का 34 प्रतिशत हिस्सा होगा। सड़कों का निर्माणकार्य शुरू हो गया है। एशियाई विकास बैंक ने 4988 करोड़ रु. के अनुमानित व्यय से गंगा नदी पर 6 लेन का पुल (9.8 किमी पुल और 13 किमी सड़क) बनाने के लिए भी ऋण स्वीकृत किया है।

गंगा नदी पर दीघा और सोनपुर के बीच रेल-सह-सड़क पुल बनने से सामान और यात्रियों की ढुलाई के लिए दूरी और यात्रा का समय घटा है। इससे गंगा नदी के महात्मा गांधी सेतु पर यातायात का बोझ कम करने में भी मदद मिली है। इस पुल के निर्माण का कुल व्यय 2921 करोड़ रु. था। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि का उपयोग करके राज्य सरकार ने इस पुल के लिए 1240 करोड़ रु. आबंटित किए थे। पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत समर्थित एक अन्य परियोजना पटना एम्स (राष्ट्रीय उच्चपथ-98) को दीघा घाट से जोड़ने वाली 11.90 किमी लंबी उत्थित (एलिवेटेड)/ अर्ध-उत्थित सड़क थी। इस परियोजना को 1289 करोड़ रु. के व्यय से पूरा किया गया है।

गंगा नदी की सफाई और सौंदर्यीकरण राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। अभी पटना में दीघा से दीदारगंज तक विभाजित वाहन मार्ग के साथ चार लेन के 20.5 किमी लंबे गंगा पथ का निर्माण हो रहा है जिसका 11.7 हिस्सा एलिवेटेड कॉरीडोर है। अभी तक इसका लगभग 40 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। इसका कुल परियोजना व्यय 3390 करोड़ रु. है जिसमें से 2000 करोड़ रु. का वित्तपोषण हुडको (आवास एवं नगर विकास निगम) के ऋण के द्वारा किया गया है।

राज्य सरकार सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत कुछ और परियोजनाओं पर काम कर रही है। 1603 करोड़ रु. के व्यय से गंगा नदी पर राष्ट्रीय उच्चपथ-31 के बख्तियारपुर बाइपास और ताजपुर में राष्ट्रीय उच्चपथ-28 को जोड़ने वाले ग्रीनफील्ड पुल का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत 5.5 किमी लंबे पुल और 45.74 किमी लंबी सड़क का निर्माण शामिल है। अभी तक इसका लगभग 52 प्रतिशत काम पूरा हो गया है।

तालिका 6.10 : राज्य उच्चपथों के चौड़ीकरण कार्य का विवरण

अभिकरण-वार सड़क/ पुल	लंबाई (किमी)	अभ्युक्ति
एशियाई विकास बैंक (बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-1) 9 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	825.4	व्यय 2629.86 करोड़ रु. - काम पूरा
एशियाई विकास बैंक (बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2) 5 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	374.3	संशोधित व्यय 3751.88 करोड़ रु. - राज्य उच्चपथ 89 और 90 तथा 81 के सहार-नासरीगंज खंड का निर्माण पूरा। राज्य उच्चपथ 78, 91 और 81 के सकड्डी-सहार खंड का काम प्रगति पर
एशियाई विकास बैंक (बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-2 हेतु अतिरिक्त वित्तीयन) 4 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	254.5	संशोधित व्यय 2171.31 करोड़ रु. - 84.31 प्रतिशत काम पूरा (राज्य उच्चपथ 83 का पूरा होना और 86 के बड़े हिस्से का काम पूरा होना शामिल)। शेष काम प्रगति पर
एशियाई विकास बैंक (बिहार राज्य उच्चपथ परियोजना-3) 5 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	231.8	व्यय 1859.58 करोड़ रु.
एशियाई विकास बैंक (परियोजना पाइपलाइन में) 4 राज्य उच्चपथों का 2 लेन सड़कों में उत्क्रमण	324.96	अनुमानित व्यय 3145.38 करोड़ रु.
एशियाई विकास बैंक (6 लेन गंगा पुल और सड़क परियोजना)	पुल 9.8 सड़क 13.0	व्यय 4988.40 करोड़ रु. - काम प्रगति पर
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (गगा पुल) दीघा से सोनपुर के बीच संपर्क पथ	गगा नदी पर पुल	पुल तैयार और संपर्कपथ का काम प्रगति पर (व्यय 2921 करोड़ रु.)
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (पटना एम्स से दीघाघाट)	11.9	व्यय 1289.25 करोड़ रु. - (96.09 प्रतिशत काम पूरा)
हुडको (सड़क)	गंगा पथ 20.5 उत्थित पथ 11.7	संशोधित व्यय 3390.00 करोड़ रु. (37 प्रतिशत काम पूरा) - काम प्रगति पर
सार्वजनिक-निजी साझेदारी (राष्ट्रीय उच्चपथ-31 पर बख्तियारपुर से राष्ट्रीय उच्चपथ-28 पर ताजपुर के बीच गंगा पर ग्रीनफील्ड पुल)	पुल 5.5 सड़क 45.74	व्यय 1602.74 करोड़ रु. - ईपीसी संविदा के मामले में 52.07 प्रतिशत काम पूरा

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

मुख्य जिला पथ नेटवर्क

मुख्य जिला पथ उत्पादन और विपणन के क्षेत्रों को आवागमन उपलब्ध कराने और उन्हें उच्चपथों और रेलमार्गों से जोड़ने के लिए जिलों के बीच से गुजरते हैं। राज्य में मुख्य जिला पथों की कुल लंबाई 13,498.65 किमी है जो राज्य में मौजूद राष्ट्रीय उच्चपथों तथा राज्य उच्चपथों की संयुक्त लंबाई से लगभग डेढ़गुनी है। लेकिन जिलों में इनका फैलाव एक जैसा नहीं है। कम से कम 49 प्रतिशत मुख्य जिला पथ एक लेन (3.75 मी.), 37 प्रतिशत मध्यवर्ती लेन (5.5 मी.), 12 प्रतिशत दो लेन (7.00 मी.) और 2 प्रतिशत दो से अधिक लेन (7.00 मी. से अधिक) चौड़ाई वाले हैं। राज्य सरकार सभी मुख्य जिला पथों को न्यूनतम मध्यवर्ती लेन (5.50 मी.) में बदलने के लिए कृतसंकल्प है जिससे मुख्य जिला पथ बढ़ती यातायात सघनता को संभाल सकें।

जिलों में मुख्य जिला पथों की स्थिति और उपलब्धता तालिका प 6.3 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। वर्ष 2014 से 2019 के बीच कुल 4098 किमी मुख्य जिला पथों का निर्माण किया गया है। इससे लाभान्वित होने वाले तीन मुख्य जिले गया (527 किमी), पटना (359 किमी) और दरभंगा (315 किमी) हैं। इसी अवधि में कटिहार (111 किमी), बांका (50 किमी) और सहरसा (41 किमी) जिले मुख्य जिला पथों के राज्य/ राष्ट्रीय

उच्चपथों में उत्क्रमण से सबसे अधिक लाभान्वित हुए। चार्ट 6.10 में सितंबर 2019 तक प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर सड़कों की लंबाई के लिहाज से बिहार के विभिन्न जिलों का पथ घनत्व प्रस्तुत किया गया है। शीर्ष तीन जिले दरभंगा (315 किमी), जहानाबाद (308 किमी) और पटना (255 किमी) हैं। वहीं प्रति लाख आबादी के आधार पर शीर्ष तीन जिले शेखपुरा (24 किमी), जहानाबाद (23 किमी) और सुपौल (22 किमी) हैं।

चार्ट 6.9 : सितंबर 2019 में मुख्य जिला पथों की चौड़ाई के अनुसार संरचना

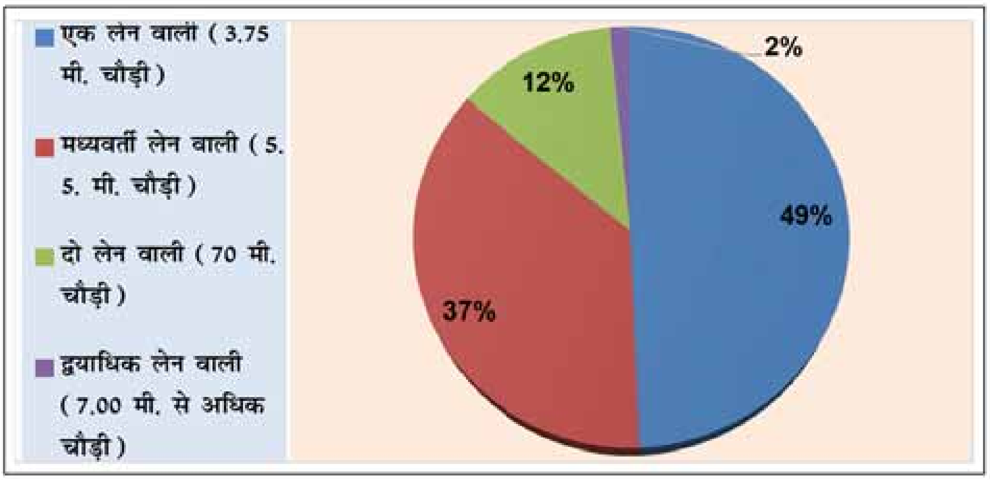

चार्ट 6.10 : सितंबर 2019 में बिहार के जिलों में मुख्य जिला पथों का पथ घनत्व

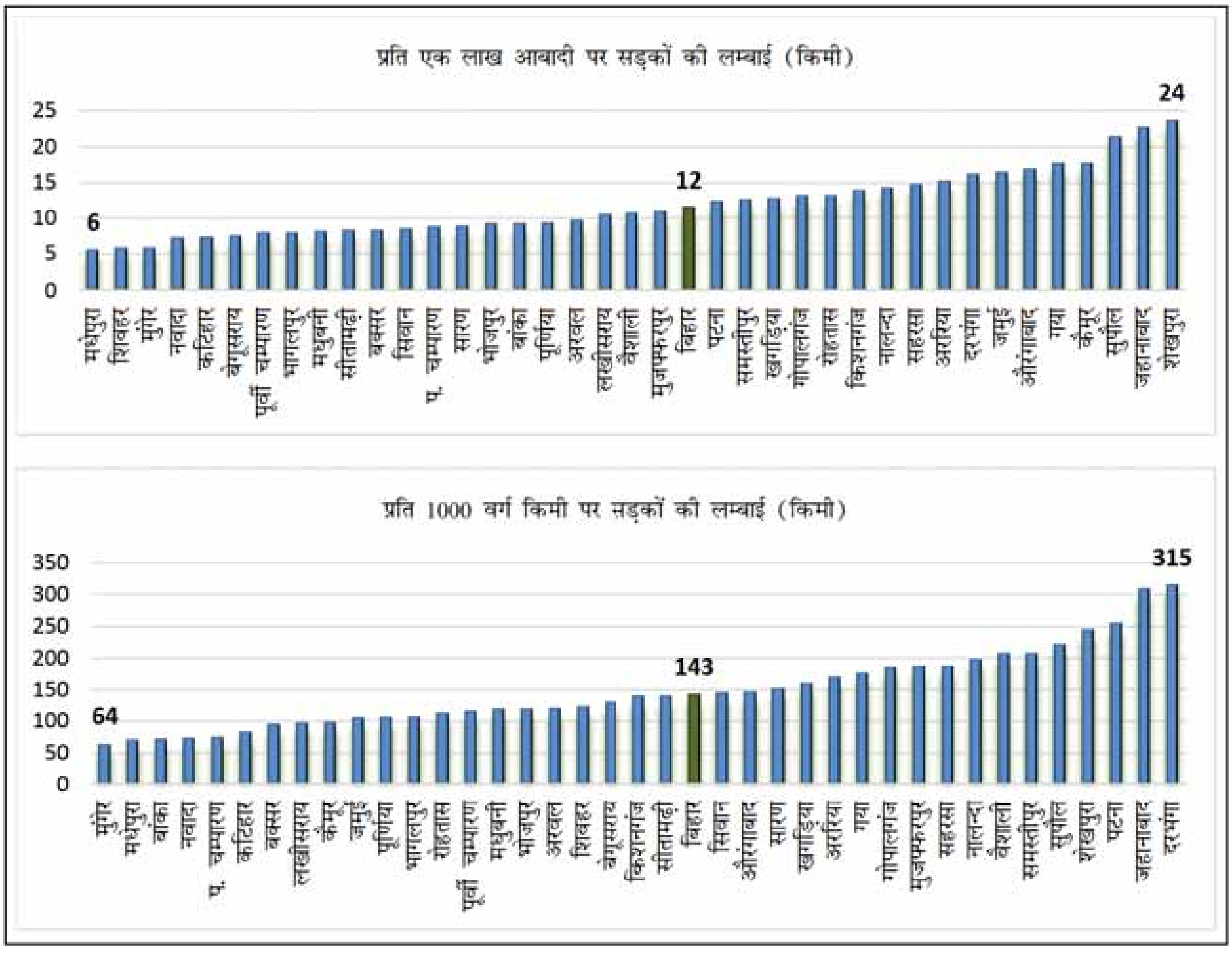

मुख्य जिला पथों के निर्माण, चौड़ीकरण और रखरखाव के लिए वित्तपोषण के विभिन्न स्रोतों का उपयोग किया जाता है। ये स्रोत हैं - राज्य योजना, ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष (आरआइडीएफ) के अनुदान, केंद्रीय सड़क कोष, वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ संपर्क परियोजना कोष, भारत-नेपाल सीमा पथ विकास कार्यक्रम, आर्थिक महत्ववान पथ, अंतर्राष्ट्रीय महत्ववान पथ और वित्त आयोग के अनुदान।

राज्य योजना की योजनाएं

राज्य योजनाओं के तहत विभिन्न पथ परियोजनाओं का क्रियान्वयन अनुसूचित जाति विशेष घटक योजना, मुख्य जिला पथ योजना और अन्य योजनाओं के तहत किया जा रहा है। अनेक योजनाओं का वित्तपोषण हुडको, एशियाई विकास बैंक, सार्वजनिक-निजी साझेदारी आदि के जरिए किया जा रहा है। अभी 2057 करोड़ रु. के व्यय से 825.31 किमी सड़कों का निर्माण प्रगति पर है। इसके अलावा, 2018-19 में 1512 करोड़ रु. व्यय वाली कुल 339.53 किमी सड़कों को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के तहत 2018-19 में 743.27 किमी मुख्य जिला पथों के चौड़ीकरण/ सुदृढ़ीकरण/ जीर्णोद्धार का काम पूरा किया गया है। मुख्य जिला पथ योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा 1094 करोड़ रु. का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है और अनुसूचित जाति विशेष घटक के तहत 950 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं।

वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्र पथ विकास योजना : पथ आवश्यकता योजना-1 (आरआरपी-1) का क्रियान्वयन वामपंथी अतिवाद प्रभावित जिलों (अरवल, औरंगाबाद, गया, जमुई और जहानाबाद) के लिए किया गया था जिसमें 616 करोड़ रु. के व्यय से कुल 675.35 किमी लंबाई में निर्माण वाली कुल 41 पथ परियोजनाएं शामिल थीं। पथ परियोजनाओं में 71.8 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ, 68.1 किमी राज्य उच्चपथ और 534.4 किमी मुख्य जिला पथ शामिल थे। साथ ही, बिहार के वामपंथी अतिवाद प्रभावित 6 जिलों में पथ आवश्यकता योजना-2 शुरू की गई है। इसके तहत 1052.27 किमी की कुल लंबाई वाली 60 मुख्य जिला पथ परियोजनाओं को चिन्हित किया गया है। परियोजना का वित्तपोषण केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इनके लिए वित्तवर्ष 2019-20 में 2070 करोड़ रु. केंद्रांश और 180 करोड़ रु. राज्यांश का बजट है।

भारत-नेपाल सीमा पथ परियोजना : भारत-नेपाल सीमा पथ परियोजना से बिहार (564 किमी), उत्तर प्रदेश (640 किमी) और उत्तराखंड (173 किमी) लाभान्वित हुए हैं। इस परियोजना से सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र विकास और उन्हें नजदीकी बाजारों और शहरों से जोड़ने के अलावा सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा सुगमतापूर्वक गश्त लगााने में मदद मिलेगी। सीमा पथ परियोजना का बिहार का हिस्सा 7 जिलों से गुजरता है - पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। केंद्र सरकार ने इस परियोजना के तहत नेपाल सीमा के समानांतर राज्य उच्चपथ निर्माण के लिए 1656 करोड़ रु. के व्यय से कुल 552.3 किमी सड़क निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सकार ने भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण संबंधी अनापत्ति और उपयोगी चीजों को हटाने के लिए 2261 करोड़ रु. अंशदान दिया है। इसके अलावा, नाबार्ड ने सीमावर्ती सड़कों के संरेखण में 121 बड़े पुलों के निर्माण के लिए कुल 984 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। भारत-नेपाल सीमा पथ परियोजना में 127.3 किमी राष्ट्रीय उच्चपथ, 82.0 किमी जल संसाधन विभाग की सड़कें, और 211.0 किमी ग्रामीण पथ शामिल हैं।

ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष : इस कोष के ट्रेंच 1 से 13 के तहत पूर्व में अनेक परियोजनाएं पूरी की गई हैं। हाल के वर्षों में ट्रेंच 14 से 23 के तहत 6259 करोड़ रु. व्यय की 326 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है जिसकी पूर्ति नाबार्ड के ऋण से की जाएगी। नाबार्ड ने ट्रेंच 14 के लिए 2018-19 में 790 करोड़ रु. का ऋण दिया था और 2019-20 के लिए 1136.7 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

केंद्रीय सड़क कोष : इस कोष के तहत कुल 125 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिनमें से 83 पूरी हो चुकी हैं, 18 में काम प्रगति पर है और शेष 24 निविदा के विभिन्न चरणों में हैं। केंद्र सरकार ने कोष के तहत 2018-19 में 102 करोड़ रु. विमुक्त किए हैं और 2019-20 के लिए 400 करोड़ रु. का बजट रखा है।

ग्रामीण सड़क नेटवर्क

ग्रामीण पथ गांवों-टोलों के विकास के लिए ग्रामीण पथ संपर्क एक अत्यंत महत्वपूर्ण जरूरत है। ग्रामीण पथ उच्च कृषि आय और उत्पादक रोजगार की संभावनाएं पैदा करने में काफी मदद करते हैं। ये ग्रामीण आबादी को आर्थिक और सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता के लिए काफी अवसर उपलब्ध कराते हैं। इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार हर गांव को ग्रामीण पथों के जरिए जोड़ने के लिए कृतसंकल्प है। राज्य सरकार के सात निश्चयों में से एक निश्चय 'घर तक पक्की गली नालियां' है। ग्रामीण पथों के लिए राज्य सरकार द्वारा किए गए सार्वजनिक निवेश काफी प्रभावशाली दर से बढ़ रहे हैं और पिछले सात वर्षों में इसमें पांचगुनी से भी अधिक वृद्धि हुई है। निवेश 2012-13 के 1874 करोड़ रु. से बढ़कर 2019-20 में 10,476 करोड़ रु. पहुंच गया। कुल पक्की सड़कों का हिस्सा 2015 में सिर्फ 35 प्रतिशत था लेकिन उसके बाद पक्की सड़कों की लंबाई में 15 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई और 2019 में उनका हिस्सा 75 प्रतिशत हो गया। पक्की ग्रामीण सड़कों की लंबाई 2015 के 48,794 किमी से बढ़कर 2019 में 92,204 किमी हो गई।

वर्ष 2004-25 से राज्य सरकार ने 20,000 करोड़ रु. के व्यय से लगभग 40,000 किमी लंबाई में ग्रामीण पथों का निर्माण कराया है। साथ ही, पिछले 15 वर्षों में 52,203 किमी ग्रामीण पथों के निर्माण पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कुल 25,000 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। इस योजना के तहत 2019 तक कुल 52,194 किमी ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया गया। इन सड़कों के अलावा, 5274 करोड़ रु. के व्यय से 4122 पुलों का निर्माण किया गया, 19,331 किमी सड़कों की मरम्मत कराई गई, और नियमित रखरखाव के तहत 41,857 किमी सड़कों का रखरखाव किया गया। कुल ग्रामीण पथों में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बनी सड़कों का 56.6 प्रतिशत हिस्सा है। राज्य सरकार ने हाल में दो नए कार्यक्रम शुरू किए हैं - मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना और दूर-दराज के टोलों को घर तक पथ संपर्क उपलब्ध कराने के लिए ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना। मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत 7279 करोड़ रु. के व्यय से 10,825.4 किमी ग्रामीण पथों का और मुख्यमंत्री टोला संपर्क निश्चय योजना के तहत 1503.4 करोड़ रु. के व्यय से 2788.52 किमी सड़कों का निर्माण कराया गया। वर्ष 2019-20 में 1035 करोड़ रु. का बजट प्रावधान किया गया है और सितंबर 2019 तक कुल 724.3 किमी ग्रामीण पथों का निर्माण हो चुका है। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत वित्तवर्ष 2019-20 में 2915.95 करोड़ रु. का बजट स्वीकृत किया गया है और सितंबर 2019 तक 883 किमी सड़कों तथा 11 पुलों का निर्माण पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 581 करोड़ रु. के व्यय से सितंबर 2019 तक 220 किमी सड़कों और 95 पुलों का निर्माण किया गया है।

तालिका 6.11 : निर्मित ग्रामीण पथों की कार्यक्रम-वार लंबाई (सितंबर 2019 तक)

योजना का नाम	पथ निर्माण (किमी)	पुल निर्माण (सं.)	व्यय (करोड़ रु.)
ग्रामीण टोला संपर्क निश्चय योजना	2788.52		1503.38
मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना	10825.40		7277.99
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	52194.11	393	24562.01
राज्य योजना	3511.77	401	4770.10
राज्य योजना की अन्य योजनाएं	22883.60	39	5954.64
योगफल	**92203.40**	**833**	**44068.12**

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

विभिन्न जिलों में ग्रामीण पथों के नेटवर्क का विस्तार तालिका प 6.4 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है जिसमें पिछले पांच वर्षों में (2015 से 2019 तक) सड़कों की लंबाई और हुई प्रगति का ब्योरा दिया गया है। कुल पक्की सड़कों की लंबाई 2015 से 34,815 किमी बढ़ी है जिसका वार्षिक औसत 7000 किमी होता है। पक्के ग्रामीण पथों की लंबाई में सर्वाधिक वृद्धि गया (2182 किमी), औरंगाबाद (1928 किमी), और पूर्व चंपारण (1585 किमी) में दर्ज की गई। हालांकि ये जिले भौगोलिक क्षेत्रफल के लिहाज से बड़े जिले हैं इसलिए ग्रामीण पथों के विस्तार की जानकारी के लिए क्षेत्रफल और आबादी दोनो लिहाज से पथ घनत्व जानना जरूरी है। चार्ट 6.8 से स्पष्ट है कि प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर ग्रामीण पथों की लंबाई के लिहाज से तीन शीर्ष जिले शिवहर, वैशाली और दरभंगा हैं। वहीं प्रति लाख आबादी पर ग्रामीण पथों की लंबाई के लिहाज से तीन शीर्ष जिले जमुई, औरंगाबाद और बांका हैं।

चार्ट 6.11 : सितंबर 2019 में बिहार के जिलों में ग्रामीण पथों का पथ घनत्व

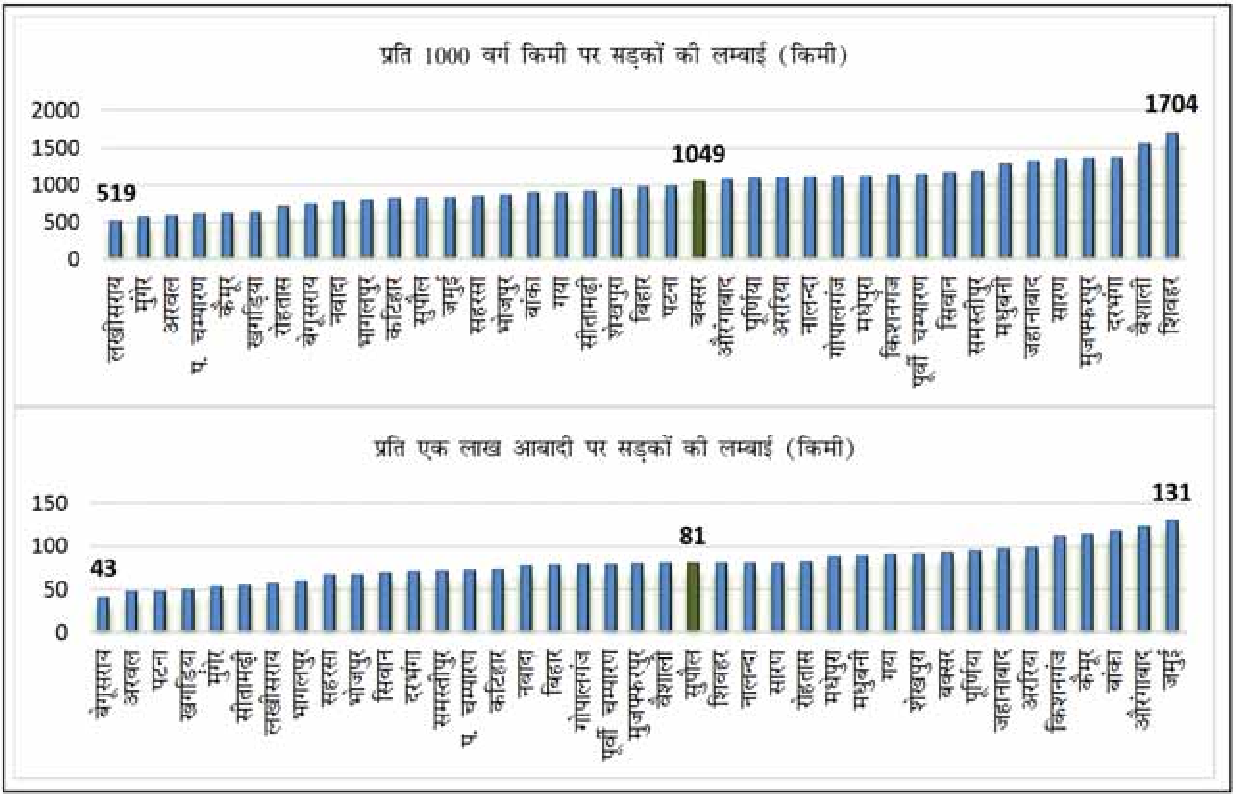

बिहार निर्गत एवं प्रदर्शन आधारित पथ अनुरक्षण संविदा नीति-2018

राज्य में सड़क नेटवर्क के समय पर और गुणवत्तापूर्ण रखरखाव के लिए पथ परिसंपत्ति प्रबंधन (रैम) या पथ अनुरक्षण राज्य सरकार की एक सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रदर्शन आधारित पथ अनुरक्षण संविदा पथ संपदा प्रबंधन का एक अनिवार्य तत्व है और उनके क्रियान्वयन का सड़क नेटवर्क की प्रभाविता और दक्षता में सुधार के लिए योगदान होता है। अच्छी तरह तैयार प्रदर्शन आधारित पथ अनुरक्षण संविदाओं से सड़कें अपेक्षाकृत निम्न व्यय पर पूर्वनिर्धारित अच्छी स्थिति में रहती हैं। दीर्घकालिक प्रदर्शन आधारित पथ अनुरक्षण संविदाओं को अक्सर पथ परिसंपत्ति प्रबंधन संविदा कहा जाता है। राज्य सरकार ने यह नीति नवनिर्मित परियोजनाओं के लिए शुरू की है जिसमें पांच वर्षों के लिए रखरखाव की शर्त शामिल रहती है। साथ ही, इस नीति के कारण प्राकृतिक आपदा से प्रभावित सड़कों की आपात मरम्मत और निर्माण भी सुनिश्चित होता है। इसके अलावा, सड़क किनारे वृक्षारोपण, पथ सुरक्षा संकेत, सूचना बोर्ड, स्पीड ब्रेकर, क्रैश बैरियर आदि भी शामिल रहते हैं। इस नीति से सुश्चित होता है कि पांच वर्षों तक नियमित रखरखाव के अलावा अंतर्राष्ट्रीय रुक्षता सूचकांक (आइआरआइ) का भी जरूर पालन किया जाएगा जिसकी ऊपरी सीमा 400 मिमी प्रति किमी है। बिहार सरकार के ग्रामीण कार्य विभाग ने बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण कार्यक्रम के तहत 2019-20 में 17,500 किमी ग्रामीण पथों का लक्ष्य तय किया है और कुल 16,075 किमी ग्रामीण पथों के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड

राज्य में सड़कों का निर्माण और रखरखाव एक जारी प्रक्रिया है। इसी पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने 2009 में कंपनी अधिनियम 1956 के तहत बिहार राज्य पथ विकास निगम की स्थापना की। इसका उद्देश्य सड़कों, पुलों, और सुरंगों का निर्माण, मरम्मत और रखरखाव है। काम में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण इसे आइएसओ 9001:2008 से प्रमाणित निगम घोषित किया गया है।

निगम ने राज्य उच्चपथ की 13 परियोजनाओं को दो-लेन में बदलने और एशियाई विकास बैंक समर्थित परियोजना के तहत गंगा नदी पर 6 लेन वाले पुल निर्माण की एक परियोजना अपने हाथ में ली है। जापानी अंतर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण द्वारा समर्थित परियोजना के तहत गया-मानपुर-हिसुआ-राजगिर-नालंदा-बिहारशरीफ सड़क को 93 किमी लंबाई में चार लेन में उत्क्रमण के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। इसका परियोजना व्यय 2116 करोड़ रु. है और इसका 41 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। निगम ने राष्ट्रीय उच्चपथ-31 पर करजा गांव

से राष्ट्रीय उच्चपथ-28 पर स्थित ताजपुर तक चार लेन वाले पुल के निर्माण की एक परियोजना भी हाथ में ली है। पुल की लंबाई 5.6 किमी है और परियोजना में 45.4 किमी लंबा संपर्क पथ भी शामिल है। इसका कुल परियोजना व्यय 1603 करोड़ रु. है। इसका 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। साथ ही, चार लेन वाला दीघा-दीदारगंज लोकनायक गंगा पथ (35 प्रतिशत काम पूरा), ऐम्स से दीघा तक चार लेन वाला 12.27 किमी लंबा उत्थित पथ (96 प्रतिशत काम पूरा) और दीघा से ऐम्स तक संपर्क पथ के लिए भी अभियंत्रण, अधिप्राप्ति एवं निर्माण मोड के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है। योगापट्टी से रतवल चौक तक पुल सहित 37 किमी सड़क को भी केंद्रीय सड़क कोष के तहत स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके मार्च 2020 तक बन जाने की आशा है।

तालिका 6.12 में 2012-18 के लिए निगम की वित्तीय स्थिति प्रस्तुत की गई है। निगम अपने आरंभ से ही लाभ अर्जित कर रहा है। निगम का टर्नओवर घटता-बढ़ता रहा है जो 2016 में सर्वाधिक 1624.30 करोड़ रु. और 2013 में सबसे कम 730.10 करोड़ रु. था। तालिका 6.12 में विभिन्न परियोजनाएं और उनकी स्थिति भी प्रस्तुत की गई है।

निगम अपने आरंभ से ही समाज के प्रति काफी उदार रहा है और उसने हर साल मुख्यमंत्री राहत कोष में लगभग 10 करोड़ रु. का योगदान किया है। इसके अलावा, निगम ने निगमोचित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत भी समाज कल्याण और लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक काम किए हैं। निगम ने पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान के जिराफ 'सृष्टि' का भी वित्तपोषण किया है। निशानेबाज सुश्री मीरा कुमारी को 8.90 लाख रु. व्यय की राइफल और गोलियां उपलब्ध कराई गई हैं जिससे उनके खेल संबंधी कैरियर को आवेग प्राप्त होगा। निगमोचित सामाजिक दायित्व के तहत निगम ने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को 35 स्ट्रेचर और तीन लोगों के बैठने वाली 60 कुर्सियां उपलब्ध कराई हैं। महात्मा गांधी पुल पर सुगम और कुशल यातायात के लिए कुल 250 ट्रफिक ट्रॉलियां भी उपलब्ध कराई गई हैं जिनका कुल व्यय 30 लाख रु. है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय उच्चपथ-19 पर अबाध यातायात के लिए 18 लाख रु. के व्यय वाली 150 ट्रॉलियां वैशाली के जिलाधिकारी को दी गई हैं। दानापुर के महादलित बालिका विद्यालय में 26.36 लाख रु. के व्यय से एक बहुद्देश्यीय कक्ष का निर्माण कराया गया। मानसिक और शारीरिक नि:शक्त बच्चों के आशादीप इंस्टीट्यूट को 6.25 लाख रु. कीमत का एक यात्री वाहन दान में दिया गया। निगम ने राजभवन से सचिवालय तक सड़क के सौंदर्यीकरण और जीर्णोद्धार का काम भी हाथ में लिया है। इस परियोजना का व्यय लगभग 8.00 करोड़ रु. है। निगम सगुना मोड़ स्थित शताब्दी स्मारक का भी रखरखाव करता है। निगम ने पटना साहिब स्थित ऐतिहासिक मंगल तालाब का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण भी किया है।

तालिका 6.12 : बिहार राज्य पथ विकास निगम लिमिटेड के वित्त प्रबंधन की स्थिति (2012 से 2019)

कैलेंडर वर्ष	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 सितंबर 19 तक
वित्त वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
टर्नओवर (करोड़ रु.)	956.89	730.10	879.27	1221.22	1624.30	1490.92	813.67	1173.55
मुनाफा + कर (करोड़ रु.)	66.45	46.69	56.50	88.50	119.69	107.61	61.14	46.61
मुनाफा (करोड़ रु.)	53.12	37.35	44.70	69.42	93.87	84.48	48.95	29.24
बिहार उच्चपथ परियोजना-1								
लक्ष्य (करोड़ अमेरिकी डॉलर)	13.24	5.077						
उपलब्धि (करोड़ अमेरिकी डॉलर)	12.527	5.077						
उपलब्धि (प्रतिशत)	94.6	100.0	बंद					
बिहार उच्चपथ परियोजना-2								
लक्ष्य (करोड़ अमेरिकी डॉलर)	2.550	4.000	2.800	4.160	4.650	3.940	2.805	
उपलब्धि (करोड़ अमेरिकी डॉलर)	1.686	3.120	2.763	3.860	4.408	3.340	2.805	
उपलब्धि (प्रतिशत)	66.12	78.00	98.68	92.78	94.78	83.50	100.00	
बिहार उच्चपथ परियोजना-2 के तहत अतिरिक्त वित्तपोषण								
लक्ष्य (करोड़ अमेरिकी डॉलर)	-	2.300	4.200	4.340	2.650	1.780	1.100	5.119
उपलब्धि (करोड़ अमेरिकी डॉलर)	-	2.160	3.709	4.340	2.380	1.245	0.464	2.767
उपलब्धि (प्रतिशत)	-	93.9	88.3	100.0	89.8	69.97	42.2	45.95
बिहार उच्चपथ परियोजना-3								
लक्ष्य (करोड़ अमेरिकी डॉलर)								4.570
उपलब्धि (करोड़ अमेरिकी डॉलर)								2.079
उपलब्धि (प्रतिशत)								45.5

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

6.5 पुल क्षेत्र

पुल सड़कमार्ग और रेलमार्ग नेटवर्क के, खास कर सघन बसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण घटक होते हैं। पुलों से दूरी कम हो जाने और यात्रा का समय घटने के काण सड़क नेटवर्क अधिक कुशल हो जाता है। बिहार में अनेक नदियां बहती हैं इसलिए राज्य में ढेर सारे पुल बनाए गए हैं जबकि अनेक पुल निर्माणाधीन हैं। गंगा नदी पर बक्सर, पटना, मोकामा, भागलपुर, आरा-छपरा और जयप्रकाश पुल - छः पुल पहले से ही चालू हैं। वहीं, कच्ची दरगाह- बिदुपुर (6 लेन वाला पुल), बख्तियारपुर-ताजपुर पुल, मुंगेर पुल और सुल्तानगंज-अगुआनीघाट पुल - चार और पुल निर्माणाधीन हैं। सुल्तानगंज-अगुआनीघाट पुल अनोखी विशेषताओं वाला पुल है। चूंकि यह पुल डॉल्फीन अभयारण्य क्षेत्र में अवस्थित है इसलिए पुल से लटकी हुई शीशे की एक डॉल्फीन ऑब्जर्वेटरी भी बनाई जाएगी। पुल के साथ इंटेलीजेंट ट्रफिक सिस्टम की सुविधा भी जुड़ी हुई है। इन पुलों के अलावा, उत्तर

और दक्षिण बिहार के बीच बेहतर संपर्क के लिए राज्य सरकार ने गंगा नदी पर पांच और पुल बनाने का निर्णय लिया है जो बक्सर पुल, जय प्रकाश पुल, महात्मा गांधी पुल, राजेंद्र पुल और विक्रमशिला पुल के समानांतर होंगे। राज्य सरकार ने अन्य प्रमुख नदियों पर भी पुल बनवाए हैं। जैसे गंडक नदी पर चार पुल का काम हाथ में लिया गया है जिनमें से दो (धनहा-रतवल और गोपालगंज-बेतिया) का निर्माण हो चुका है और शेष दो (सत्तर घाट और बंगरा घाट) पुल निर्माणाधीन हैं। कोशी नदी पर भी तीन पुल (कोशी महासेतु, बलुहा घाट पुल और विजय घाट पुल) बनकर तैयार हैं और डुमरी घाट पुल का जीर्णोद्धार कार्य पूरा हो गया है। साथ ही, दो अन्य पुल – भेजा घाट और फुलौत घाट पुल भी प्रस्तावित हैं। वर्ष 2005 तक सोन नदी पर केवल दो पुल थे लेकिन अब अरवल-सहार के बीच एक और पुल चालू हो गया है। वहीं, दो अन्य पुलों (दाउदनगर-नासरीगंज और कोइलवर पुल के समानांतर 6 लेन का पुल) का निर्माण कार्य प्रगति पर है। बागमती नदी पर अभी 8 पुल चालू हैं। वर्ष 2005 तक फल्गू नदी पर एक ही पुल था। लेकिन राज्य सरकार ने 6 अन्य पुलों को स्वीकृति दी जिनमें से 4 पूरे हो चुके हैं और 2 निर्माणाधीन हैं। अभी बूढ़ी गंडक नदी पर 30 से अधिक पुल हैं। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत मार्च 2010 से अभी तक 10,989 करोड़ रु. के व्यय से कुल 1392 बड़े-छोटे पुल-पुलियों का निर्माण कराया गया है।

रेल उपरिपुल परियोजना 2005 के तहत मीठापुर को छोड़कर सभी 22 पुलों का निर्माण हो गया है। साथ ही, रेल उपरिपुल परियोजना 2010 के तहत नरकटियागंज यार्ड को छोड़कर 11 पुल बन चुके हैं। वहीं, रेल उपरिपुल परियोजना 2013 के तहत राज्य कोष से 95 करोड़ रु. के व्यय से राज्य उच्चपथ-4 पर मानपुर में पुल का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इनके अतिरिक्त राज्य सरकार ने रेलवे क्रॉसिंग पर 65 रेल उपरिपुलों की लागत की 50 प्रतिशत धनराशि देने की सहमति दे दी है। बिहार में महापुलों के निर्माण के लिए ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष के तहत ऋण के जरिए नाबार्ड ने भी सहयोग किया है। कोष के सातवें से 13वें ट्रेंच के तहत सारी परियोजनाएं पूरी हो गई हैं। वहीं कोष के 14वें से 23वें ट्रेंच के तहत 10,844 करोड़ रु. के व्यय वाली 326 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और 2018-19 में उसके 24वें ट्रेंच के तहत 790 करोड़ रु. के व्यय वाली 14 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं। वर्ष 2019-20 में नाबार्ड द्वारा बिहार में विभिन्न परियोजनाओं के लिए 1136.7 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत 29.00 करोड़ रु. बजट वाली 9 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं और 2018-19 में 26.50 करोड़ रु. बजट वाली 6 परियोजनाएं स्वीकृत हुई हैं।

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड

बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत स्थापित सार्वजनिक उपक्रम है जिसे राज्य सरकार ने 5.00 करोड़ रु. की शेयर पूंजी दी थी। यह राज्य के लाभ अर्जित करने वाले उपक्रमों में से एक है। निगम द्वारा पुलों और सड़कों के निर्माण के अलावा सड़कों का रखरखाव और सड़क चुंगी की वसूली भी की जाती है। मार्च 2005 से सितंबर 2019 तक निगम ने 12,704 करोड़ रु. के व्यय से 2202 परियोजनाएं पूरी की हैं जिनमें मुख्यमंत्री सेतु निर्माण योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाएं भी शामिल हैं। निगम का वित्तीय सारांश तालिका 6.13 में प्रस्तुत है। वर्ष 2012-13 से 2018-19 तक के सभी वर्षों में निगम का औसत सकल लाभ 100 करोड़ रु. से अधिक और शुद्ध लाभ 60 करोड़ रु. से अधिक रहा है। सर्वाधिक 1840 करोड़ रु. टर्नओवर 2016-17 में दर्ज हुआ था और सबसे कम 1273 करोड़ रु. 2012-13 में। राजस्व संग्रहण में

भी साल दर साल अंतर रहा है जो 2017-18 में 118 करोड़ रु. और 2014-15 में 183 करोड़ रु. था। कुल मिलाकर, निगम अपनी ठोस वित्तीय स्थिति और परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रयासरत रहा है।

तालिका 6.13 : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि. की वित्तीय स्थिति (2012-13 से 2018-19)

वर्ष	पुलों की सं.	व्यय (करोड़ रु.)	टर्नओवर (कार्य निष्पादन) (करोड़ रु.)	कुल राजस्व (करोड़ रु.)	प्रशासनिक व्यय (करोड़ रु.)	सकल लाभ (करोड़ रु.)	शुद्ध लाभ (करोड़ रु.)
2012-13	136	788	1273	142	35	107.0	63.8
2013-14	119	1152	1481	159	39	120.1	72.5
2014-15	179	730	1739	183	44	139.1	80.9
2015-16	176	2835	1699	151	43	107.7	70.3
2016-17	103	1188	1840	147	39	108.2	68.8
2017-18	84	638	1501	118	40	78.09	38.0
2018-19	94	1622	1503	128	48	80.66	42.7

स्रोत : बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लि., बिहार सरकार

6.6 पथ परिवहन

पथ परिवहन सुलभ और अधिक सुविधाजनक होता है। इसीलिए बिहार में और देश के दूसरे भागों में हर साल विभिन्न प्रकार के नए वाहन निर्बंधित होते हैं। चार्ट 6.12 में 2015-16 में देश के प्रमुख राज्यों में निर्बंधित मोटरवाहनों की संख्या का विवरण दिया गया है। प्रति लाख जनसंख्या पर निर्बंधित वाहनों की कुल संख्या सबसे अधिक 33 वाहन तमिलनाडु में थी और उसके बाद 32 वाहन हरियाणा, गुजरात और पंजाब तथा 29 वाहन केरल में। वहीं प्रति लाख आबादी पर वाहनों की संख्या सबसे कम 5 वाहन बिहार में थी और उसके बाद 7 वाहन पश्चिम बंगाल और झारखंड में तथा 10 वाहन उत्तर प्रदेश में। संपूर्ण भारत के स्तर पर प्रति लाख जनसंख्या पर निर्बंधित वाहनों की संख्या 18 थी।

चार्ट 6.12 : भारत के प्रमुख राज्यों में प्रति लाख जनसंख्या पर निबंधित मोटरवाहन (2015-16)

स्रोत : पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय, भारत सरकार

तालिका 6.14 में राज्य में वाहनों के निबंधन में हुई प्रगति दर्शाई गई है। मोटरवाहन अधिनियम के तहत परिवहन विभाग नए वाहनों का निबंधन करता है और राजस्व प्राप्त करता है। तालिका 6.14 में बिहार में मोटरवाहनों के निबंधन से होने वाले राजस्व संग्रहण का रुझान प्रस्तुत किया गया है। चूंकि राज्य में अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है इसिलिए दोपहियों का निबंधन अन्य वाहनों की अपेक्षा काफी तेज गति से हो रहा है। इनके अलावा निबंधित वाहनों की वृद्धि के शीर्ष तीन वाहक हैं - ट्रक (20.6 प्रतिशत), कार (19.0 प्रतिशत) और ट्रेलर (12.2 प्रतिशत)। विगत 6 वर्षों (2013-19) में निबंधित मोटरवाहनों की संख्या 17.7 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। वर्ष 2018-19 में कुल 11.89 लाख वाहनों का निबंधन हुआ जिनकी संख्या 2013-14 में मात्र 5.53 लाख थी। राज्य में मोटरवाहन अधिनियम के तहत कर संग्रहण के जरिए संग्रहित कुल राजस्व 2013-14 के 835 करोड़ रु. से काफी बढ़कर 2018-19 में 2067 करोड़ रु. हो गया है। गत 6 वर्षों के दौरान इसमें लगभग 20 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि हुई है।

तालिका 6.14 : साल दर साल निबंधित वाहनों की संख्या और राजस्व संग्रहण (2013-14 से 2018-19)

वाहनों का प्रकार	वाहनों की संख्या (हजार में)						**वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2013-19)**
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
ट्रक	11	13	14	20	23	27	**20.6**
बस	2	2	2	3	3	3	**11.0**
कार	23	28	31	34	50	54	**19.0**
टैक्सी	12	7	6	5	6	5	**-13.4**
जीप	9	9	12	9	13	6	**-3.4**
ऑटो	35	31	37	42	37	46	**6.0**
दुपहिया	420	477	549	593	929	978	**19.7**
ट्रैक्टर	31	34	35	38	33	38	**2.9**
ट्रेलर	8	12	18	20	14	16	**12.2**
अन्य	2	2	2	1	11	16	**52.7**
योगफल	**553**	**615**	**704**	**764**	**1118**	**1189**	**17.7**
राजस्व संग्रहण (करोड़ रु.)	835	967	1071	1250	1625	2067	19.5

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

वाहनों का स्वामित्व सभी जिलों में समान रूप से वितरित नहीं है। वर्ष 2018-19 के लिए विभिन्न जिलों में निबंधित वाहनों की संख्या तालिका प 6.5 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। राज्य की राजधानी होने के नाते पटना इस मामले में सबसे समृद्ध जिला है जहां कार, जीप और दोपहिया जैसे वाहनों का सर्वाधिक 32 प्रतिशत निबंधन हुआ। वहीं, ट्रैक्टरों के स्वामित्व के लिहाज से अग्रणी जिला पूर्व चंपारण है। इसी प्रकार, ट्रकों के स्वामित्व के लिहाज से अग्रणी जिले पटना और मुजफ्फरपुर हैं।

राज्य सरकार ने अवैध परिवहन, ओवरलोडिंग, परिवहन अधिनियम के प्रवर्तन, उच्च्च सुरक्षा वाले नबंर प्लेट लगवाने, और हर जिले में सामान्य सुविधा केंद्रों की स्थापना के जरिए परिवहन प्रणाली को मजबूत किया है। इन

पहलकदमियों के अलावा, लाइसेंस जारी करने, वाहनों का निबंधन करने और परमिट देने के लिए विशेष पोर्टल पर ई-पेमेंट करने के लिए अनेक ई-गवर्नेंस सुविधाएं दी जा रही हैं। ऑनलाइन भुगतान की व्यवस्था पूरे राज्य में चालू है और इससे परिवहन विभाग को राजस्व बढ़ाने में मदद मिल रही है। ई-भुगतान वित्त विभाग के ओ-ग्रास पोर्टल के जरिए किया जाता है। महिलाओं के आत्मविश्वास के लिए उनके द्वारा व्यावसायिक वाहनों के स्वामित्व को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने उन्हें निबंधन शुल्क में शत-प्रतिशत रियायत दे दी है। ये रियायतें तिपहियां, मोटर कैब और मैक्सी कैब के लिए लागू हैं। राज्य में ध्वनि और वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए राज्य सरकार द्वारा ई-रिक्शा को भी बढ़ावा दिया जा रहा है।

राजस्व संग्रहण और वाहनों की वृद्धि

विगत दस वर्षों के दौरान राजस्व संग्रहण, वाहनों के निबंधन और ड्राइविंग लाइसेंस में वृद्धि के लिए विभाग द्वारा किए गए प्रयासों को चार्ट 6.13 में दर्शाया गया है।

चार्ट 6.13 : परिवहन विभाग की भौतिक और वित्तीय उपलब्धियां (राजस्व करोड़ रु. और वाहन तथा लाइसेंस संख्या में)

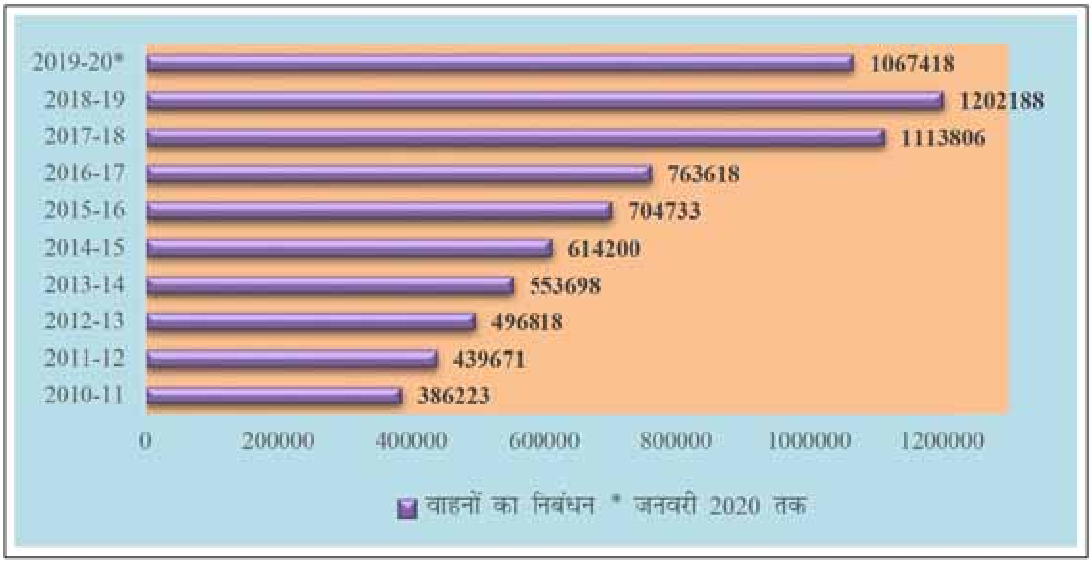

परिवहन विभाग की नई पहलकदमियां

सुव्यवस्थित परिवहन प्रणाली राज्य की अर्थव्यवस्था के विकास की रीढ़ होती है। परिवहन विभाग परिवहन के क्षेत्र में 'हर सफर का हमसफर' के उद्देश्य के साथ सेवाओं में सुधार का प्रयास कर रहा है। बिहार में हाल के वर्षों में प्रौद्योगिकी आधारित नवाचारों का उपयोग करके अनेक उपाय किए गए हैं। व्यवस्था मोटरवाहन अधिनियम को लागू करने के लिहाज से पर्याप्त सख्त है, और साथ ही, राज्य के नागरिकों को सुगम और सुविधाजनक सेवाएं भी उपलब्ध कराती है।

मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना : सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में सशक्त और कुशल परिवहन प्रणाली का निर्माण बिहार के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए अत्यंत महत्व का काम है। इस योजना के तहत राज्य की यात्री परिवहन व्यवस्था में मौजूद कमियों को दूर करने पर अधिक ध्यान दिया जाता है। योजना का लक्ष्य ग्रामीण युवक-युवतियों और समाज के सीमांत समूहों का सशक्तीकरण करना है ताकि वे भी मुख्य धारा का अंग बन सकें। योजना के तहत राज्य के 40,000 से भी अधिक बेरोजगार लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की बात सोची गई है। सुदूर क्षेत्रों से शहरों के लिए अबाध और सुविधाजनक सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने की पहल के बतौर योजना का लक्ष्य उपलब्ध अवसरों के मामले में ग्रामीण लोगों और शहरी लोगों के बीच मौजूद फासले को पाटना है।

आम माफी योजना : आम माफी योजना विशेष समूह के करदाताओं के लिए पूर्व की कर अवधियों के लिए ब्याज और जुर्माना सहित कर की देनदारी को माफ करने के लिए आपराधिक मुकदमा चलने के भय से मुक्त होकर निर्धारित रकम चुकाने के लिहाज से सीमित समय का अवसर है। निर्बंधित या अनिर्बंधित ट्रैक्टर-ट्रेलर, और अन्य व्यावसायिक वाहनों के लिए कर नहीं चुकाने और फिटनेस नहीं करा पाने वाले वाहन मालिकों के लिए बिहार की राज्य सरकार ने 15 नवंबर को आम माफी योजना लागू की है। योजना 90 दिनों के लिए लागू है और विभाग ने इससे 100 करोड़ रु. से अधिक राजस्व अर्जित किया है।

बिहटा, पटना में निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र : वर्तमान वाहन निरीक्षण प्रणाली में कई कमजोरियां हैं। मौजूदा प्रचलन की व्यक्तिपरकता खत्म करने और अधिक वस्तुनिष्ठ व्यवहार अपनाने के लिए निरीक्षण एवं प्रमाणन कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने की जरूरत है जिसमें ब्रेक, सस्पेंशन, स्पीडोमीटर, उत्सर्जन आदि के लिए दिखने वाले (पूर्वनिर्धारित दिशानिर्देशों के साथ) और स्वचालित जांच, दोनो का संयोजन शामिल हो। 16.50 करोड़ रु. के परियोजना व्यय से निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र की स्थापना बिहटा में राज्य सरकार द्वारा दी गई 3 एकड़ जमीन पर की जाएगी जिसके लिए पथ परिवहन एवं उच्चपथ मंत्रालय द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा रही है।

वाहन चालन एवं यातायात अनुसंधान संस्थान (आइडीटीआर), औरंगाबाद : यह बिहार सरकार के परिवहन विभाग और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का संयुक्त उपक्रम है जिसका उद्घाटन 3 मई, 2018 को किया गया था। संस्थान में विश्वस्तरीय व्यवस्था और गुणवत्ता संबंधी मानदंड अपनाए गए हैं। 25 एकड़ से भी अधिक जमीन पर फैले इस संस्थान में वैज्ञानिक ढंग से निर्मित अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों वाले प्रशिक्षण और जांच ट्रैक हैं। परियोजना का कुल व्यय 25.15 करोड़ रु. है। संस्थान की मुख्य विशेषताएं ये हैं - (क) वातानुकूलित वर्गकक्ष, (ख) वाहन चालकों के प्रशिक्षण के लिए सिमुलेटर, (ग) वैज्ञानिक आधार पर विकसित ट्रैक, (घ) 180 व्यक्तियों की क्षमता वाला सभागार, (च) 80 लोगों की सुविधा वाला होस्टल, और (छ) कैंटीन।

साझा आवागमन : जितने अधिक लोग परिवहन के साझा माध्यमों का उपयोग करते हैं, उतना ही सार्वजनिक वाहनों का उपयोग होने, कारों की संख्या घटने और परिवहन पर कुल मिलाकर कम खर्च करने की संभावना होती है। साझा माध्यम सार्वजनिक परिवहन के पूरक का काम करते हैं जिससे शहरों में आने-जाने में सहूलियत होती है। साझा माध्यमों का महत्व बढ़ना जारी रहेगा और सार्वजनिक हस्तियों को चाहिए कि वे यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभों में व्यापक और समान रूप से भागीदारी होगी, उनसे बातचीत करने के अवसरों को चिन्हित करें। बिहार टैक्सी समूहक नीति 2019 अधिसूचित की गई है और यह 4 जनवरी से प्रभावी हो गई है। इसके तहत टैक्सी या मोटरबाइक के जरिए यात्रियों की यात्रा व्यवस्था को सुगम बनाया गया है। बाइक टैक्सी ऑपरेटरों को इन्हें चलाने की इजाजत दी गई है। रेंट-ए-कैब (कैब भाड़े पर लें) नीति भी अधिसूचित की गई है जो 4 जनवरी 2019 से प्रभावी है। इस नीति के तहत नागरिक आसानी और जरूरत के अनुरूप पर्यटन परमिट वाले वाहनों को किराए पर ले सकेंगे और अपनी सहूलियत और जरूरत के अनुसार यात्रा कर सकेंगे।

डिजीलॉकर : यह ड्राइविंग लाइसेंस और निबंधन प्रमाणपत्र की मूल दस्तावेज के समकक्ष कानूनी स्वीकार्यता को स्वीकृति प्रदान करता है। कागजरहित शासन के विचार के लिए लक्षित डिजीलॉकर दस्तावेजों और प्रमाणपत्रों को डिजिटल तरीके से जारी और सत्यापित करने का एक प्लेटफार्म है जिससे भौतिक दस्तावेजों का उपयोग करने की जरूरत खत्म हो जाती है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग का लक्ष्य डिजिलॉकर के क्रियान्वयन के जरिए कागजरहित शासन की अवधारणा है जिसके जरिए नागरिक अपने डिजिटल दस्तावेज किसी भी समय, कहीं भी पा सकते हैं और ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। यह सुविधाजनक और समय बचाने वाला है। इससे ऐसे दस्तावेजों की प्रामाणिकता सुनिश्चित होगी और प्रशासनिक बोझ घटेगा। इससे जुड़ने पर लोगों को अपने निबंधन प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस की भौतिक प्रतियां साथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी जगह वे डिजिलॉकर मोबाइल ऍप के जरिए अपने मोबाइल फोन पर उनकी डिजिटल प्रतियां पा सकते हैं।

हैंड-हेल्ड डिवाइस और सीसीटीवी के जरिए ई-चालान : यह योजना परिवहन संबंधी उल्लंघनों के लगभग तुरंत प्रबंधन, आंकड़ों के रखरखाव, अभियोजन संबंधी रिपोर्ट तैयार करने और नियमों का बार-बार उल्लंघन करने वालों को मोटर वाहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त दंड देने के लिहाज से अभियोजन के लिए सीसीटीवी और हैंड-हेल्ड डिवाइस/ टर्मिनल के जरिए ई-चालान की स्वीकृति को बढ़ावा देती है। अभी सीसीटीवी आधारित ई-चालान और हैंड-हेल्ड डिवाइस के जरिए ई-चालान का पूरे राज्य में क्रियान्वयन हो रहा है। ई-चालान प्रणाली इसे सुनिश्चित करने के लिए है कि यातायात के नियमों के सारे उल्लंघनों को उसी समय रिकॉर्ड कर लिया जाता है और चोरी के वाहनों को ट्रैक करके उसी के अनुसार कानूनी अभियोजन होता है।

ई-नीलामी नीति : बिहार में अबसे वाहन मालिकों को मोटर वाहनों का पसंदीदा निबंधन नंबर (न्यूनतम आरक्षित मूल्य पर) ''ई-नीलामी'' प्रक्रिया के जरिए आबंटित किया जाएगा।

इच्छुक वाहन मालिकों को वाहन 4.0 सॉफ्टवेयर के जरिए एक खास लिंक उपलब्ध कराया जाएगा जिस पर लॉग-इन करने के बाद विहित रकम (न्यूनतम आरक्षित मूल्य) ऑनलाइन क्रेडिट करना होगा। रकम उस विशेष निबंधन नंबर पर निर्भर करेगी जिसके लिए परिवहन विभाग द्वारा विशेष निबंधन नंबरों के आबंटन के लिए ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लिया जाएगा।

वाहन 4.0 और सारथी 4.0 सॉफ्टवेयर का क्रियान्वयन : सभी 38 जिलों में सॉफ्टवेयर वाहन 4.0 और सारथी 4.0 में उत्क्रमित कर दिए गए हैं। इसके चलते विभाग के कामकाज में अधिक पारदर्शिता आई है। इससे कि बिहार में होने वाले सारे वाहनों का निबंधन राष्ट्रीय ई-रजिस्टर में भी रिकॉर्ड हो जाना भी सुनिश्चित होता है। साथ ही, वाहनों के खरीदारों को होने वाली असुविधा पर काबू पाने के लिए विक्रेताओं के स्थान पर ही वाहनों के निबंधन की सुविधा दी गई है। निबंधन प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस के लिए प्रतीक्षा का समय घटाकर न्यूनतम कर दिया गया है। इसके अलावा, उन्नत सेवा, कानून के पालन, निबंधन प्रमाणपत्र/ ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति की ट्रैकिंग और एसएमएस एलर्ट सेवाओं तथा प्राप्त होने की सूचना की तेज और आसान उपलब्धता के लिहाज से विभाग द्वारा आवेदकों को निबंधन प्रमाणपत्र और ड्राइविंग लाइसेंस स्पीडपोस्ट से भेजने की सुविधा दी जाती है। इससे जिला परिवहन अधिकारी कार्यालय में चक्कर काटने का समय बचाने, आवेदक का पता प्रमाणित करने, निर्णय लेने हेतु सूचना प्रबंधन प्रणाली द्वारा संकलन करने और कदाचार की आसानी से पहचान करने में मदद मिलती है।

ई-शासन : सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि नागरिकों के लिए सेवा में और विभाग के लिए प्रशासन और सेवाओं में, दोनो के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और उत्तरदायित्व जरूरी होता है। यह क्षेत्रीय कार्यालयों और मुख्यालय में मानव संचालित सेवाओं के कारण समन्वय में होने वाली समस्याओं पर काबू पाने में मददगार है। ली गई मुख्य पहलकदमियां इस प्रकार हैं :

- मोटर वाहन कर और शुल्कों, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन निबंधन के लिए ऑनलाइन भुगतान की सुविधा
- ऑनलाइन परमिट सेवाएं
- ऑनलाइन लाइसेंस सेवाएं (प्रदूषण केंद्र, फिटनेस केंद्र, पेट्रॉल पंप और मोटर ड्राइविंग प्रशिक्षण संस्थान में)
- स्वचालित प्रदूषण नियंत्रणाधीन (पीयूसी)
- आंकड़ों के डिजिटाइजेशन की विरासत

अंतर-राज्य परिवहन : उन्नत और विकसित परिवहन प्रणाली पिछड़े क्षेत्रों को सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए राज्य के अंदर और दूसरे राज्यों के शहरों और बाजारों से जोड़ती है। अंतर-राज्य पथ परिवहन को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने यात्रियों की सुविधा के लिहाज से नजदीकी राज्यों के साथ अनेक समझौते किए हैं। इस पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने झारखंड (200 रूट), छत्तीसगढ़ (28 रूट पर), ओडिशा (07 रूट), पश्चिम बंगाल (45 रूट) और उत्तर प्रदेश (34 रूट) के साथ समझौते हस्ताक्षरित किए हैं।

सीएनजी और विद्युत आधारित वाहन : विभाग ने विद्युत और सीएनजी आधारित वाहनों को बढ़ावा देने के लिए अनेक कदम उठाए हैं और बैटरी/ बिजली से चलने वाले वाहनों को राज्य में निबंधित कराने में पथ कर में 50 प्रतिशत छूट दी गई है। पटना में अभी 5 सीएनजी स्टेशन काम कर रहे हैं जबकि और अधिक स्टेशन शीघ्र ही शुरू हो जाएंगे।

बिहार स्वच्छ ईंधन योजना : यात्री तिपहिया वाहन सार्वजनिक परिवहन अधिसंरचना के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। वे दूर की जगहों तक संपर्क उपलब्ध कराते हैं और जिन क्षेत्रों को सार्वजनिक परिवहन की सेवा नहीं मिलती है,

वहां भी सेवा देते हैं। बिहार स्वच्छ ऊर्जा योजना, 2019 का लक्ष्य पेट्रॉल/ डीजल वाले वर्तमान तिपहियों और पेट्रॉल चालित मोटरकार/ मैक्सी कैब को सीनजी या बिजली से चलाने के लिहाज से बदलने के लिए प्रोत्साहित करना है। राज्य के परिवहन की योजना यह सुनिश्चित करने की है कि 31 मार्च 2021 के बाद पटना की सड़कों पर कोई भी डीजल चालित ऑटोरिक्शा नहीं चले।

प्रदूषण में कमी के उपाय : बिहार के तीन प्रमुख शहरों – पटना, गया और मुजफ्फरपुर में वायु प्रदूषण चिंता की बड़ी बात है जिसे सरकार और अन्य हितधारकों के बीच समन्वित प्रयासों के जरिए व्यवस्थित रूप से संभालने की जरूरत है। वाहनों के जरिए प्रदूषण में कमी लाने के लिए सतत हस्तक्षेपों के जरिए इन शहरों की वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा समवेत और समन्वित प्रयास किया गया है। राज्य सरकार के परिवहन विभाग ने बिहार में प्रदूषण स्तर में कमी लाने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ये कदम इस प्रकार हैं –

(क) बहुत पुरानी गाड़ियों के चलने पर रोक : राज्य सरकार ने 15 वर्ष से पुराने सारे सरकारी वाहनों के चलने पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी की है। 15 साल से पुराने व्यावसायिक वाहनों को भी पटना और आसपास के क्षेत्रों में चलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य सरकार ने बिहार स्वच्छ ईंधन नीति, 2019 शुरू की है जिसके तहत 31 जनवरी 2021 से पटना में और 31 मार्च 2021 से दानापुर, खगौल और फुलवारीशरीफ में डीजल से चलने वाले वाहनों के चलने पर रोक लगाया गया है। राज्य सरकार ने 12 वर्ष से पुराने व्यावसायिक वाहनों पर हरित कर लगाया है।

(ख) अपेक्षाकृत स्वच्छ ईंधन वाले वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहन : (1) (सीएनजी) खरीद पर प्रोत्साहन : राज्य सरकार ने बिहार स्वच्छ ईंधन नीति, 2019 शुरू की है जिसके तहत वर्तमान डीजल/ पेट्रॉल तिपहियों की जगह सीएनजी से चलने वाले यात्री वाहन खरीदने पर प्रति वाहन 40,000 रु. (चालीस हजार रुपए मात्र) एकमुश्त सब्सिडी दी जाएगी। (2) बिहार स्वच्छ ईंधन नीति, 2019 में पटना के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी द्वारा जारी वैध परमिट वाले तिपहिया यात्री वाहन/ मोटरकार/ मैक्सी कैब में सीएनजी किट लगाने का खर्च वहन करने में मदद के लिए 20,000 रु. (बीस हजार रुपए मात्र) एकमुश्त परिवर्तन प्रोत्साहन राशि देने का प्रावधान है। (3) राज्य सरकार ने पटना शहरी क्षेत्र में नए तिपहिया यात्री वाहनों के लिए परमिट जारी करना बंद कर दिया है। सरकार की इसे गया और मुजफ्फरपुर में भी लागू करने की योजना है।

(ग) विद्युत चालित वाहनों की दिशा में प्रयास : राज्य परिवहन विभाग द्वारा बिहार में निबंधित होने वाले सभी विद्युत वाहनों के लिए मोटरवाहन कर में 50 प्रतिशत छूट दी जाती है। बिहार स्वच्छ ईंधन नीति, 2019 में वर्तमान डीजल/ पेट्रॉल यात्री तिपहिया की जगह नया यात्री तिपहिया वाहन लेने पर एकमुश्त 25,000 रु. (पच्चीस हजार रुपए मात्र) सब्सिडी देने का प्रावधान है। राज्य परिवहन विभाग राज्य के लिए विद्युत वाहन नीति को अंतिम रूप देने के अंतिम चरण में है जिसका लक्ष्य राज्य में विद्युत वाहनों की खरीद और विद्युत वाहनों को चार्ज करने की अधिसंरचना लगाने को प्रोत्साहित करना है। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की भारत सरकार की फेम-2 योजना के तहत 25 विद्युत बस खरीदने की योजना है।

(घ) प्रदूषण नियंत्रणाधीन (पीयूसी) केंद्रों को सहयोग : राज्य सरकार ने सभी प्रदूषण नियंत्रणाधीन केंद्रों के लिए सिर्फ ऑनलाइन पीयूसी प्रमाणपत्र जारी करना अनिवार्य कर दिया है। राज्य सरकार ने सभी पेट्रॉल पंपों में भी प्रदूषण नियंत्रणाधीन केंद्र होना अनिवार्य कर दिया है। नए प्रदूषण नियंत्रणाधीन केंद्र की स्थापना की प्रक्रिया सरल बनाई गई है और राज्य सरकार ने नए प्रदूषण नियंत्रणाधीन केंद्र की स्थापना और पुराने केंद्र के लाइसेंस के नवीकरण के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। राज्य सरकार ने प्रदूषण नियंत्रणाधीन केंद्र के लाइसेंस के लिए आवदेन करने के पहले प्रदूषण जांच उपकरणों की खरीद से संबंधित मानकों में ढील दी है। राज्य परिवहन विभाग के द्वारा प्रदूषण नियंत्रणाधीन केंद्रों के लिए लाइसेंस/ नवीकरण का शुल्क भी घटाया गया है। राज्य परिवहन विभाग ने प्रदूषण नियंत्रणाधीन केंद्र चलाने के लिए वांछित शैक्षिक योग्यता संबंधी मापदंडों में भी कमी की है। घर पर प्रदूषण जांच सेवा देने के लिए भी मोबाइल प्रदूषण केंद्रों को स्वीकृति प्रदान की गई है।

(च) सख्त प्रवर्तन एवं अनुश्रवण : राज्य परिवहन विभाग चूक करने वालों को नियंत्रण में रखने के लिए नियमित प्रदूषण जांच अभियान चलाता है। राज्य परिवहन विभाग के अधिकारी प्रदूषण नियंत्रणाधीन केंद्रों द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले प्रदूषण जांच उपकरणों का नियमित कैलीब्रेशन टेस्ट करते हैं। प्रदूषण संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए मोटर वाहन निरीक्षक नियमित अंतराल पर परिवहन वाहनों के फिटनेस की जांच करते हैं। वाहनों के सड़क पर चलने की उपयुक्तता की जांच के लिए बिहार में स्वचालित निरीक्षण एवं प्रमाणन केंद्र भी स्थापित किया जा रहा है।

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम

बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) राज्य का सार्वजनिक उपक्रम है जो लोगों को सुगम और किफायती परिवहन सुविधाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। यात्रियों को सुरक्षित और आरामदेह सेवाएं देने के लिए राज्य में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत किया गया है, और अभी निगम के तहत राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 410 बसें चल रही हैं। साथ ही, 231 बसें सार्वजनिक-निजी साझेदारी के तहत भी चल रही हैं। पटना की बढ़ती आबादी के आलोक में पटना और आसपास के क्षेत्रों में आसान और तेज यात्रा के लिए 107 बसें उपलब्ध कराई गई हैं। राज्य सरकार ने जयप्रकाश सेनानियों को सार्वजनिक परिवहन में यात्रा करने के लिए मुफ्त पास उपलब्ध कराए हैं। कुछ बसें सिर्फ महिलाओं के लिए हैं और आम बसों में महिलाओं के लिए 65 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। साथ ही, नि:शक्त व्यक्तियों को 50 किमी तक की यात्रा में 50 प्रतिशत छूट दी जाती है और हर बस में उनके लिए दो सीट भी आरक्षित रहती हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच आरामदेह और कम अंतराल पर यात्रा के लिहाज से 3 बस सेवाएं देने के लिए बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच आपसी समझौता किया गया है। इसी प्रकार बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच यात्रा के लिए 13 बसें उपलब्ध कराई गई हैं। निगम ने रोज आने-जाने के लिहाज से बोधगया-पटना-काठमांडु के लिए दो बसें और पटना-जनकपुर के लिए चार बसें उपलब्ध कराई हैं। तालिका 6.15 में निगम द्वारा संग्रहित राजस्व और ढोए गए यात्रियों का सारांश प्रस्तुत किया गया है। निगम द्वारा राजस्व संग्रहण लगातार बढ़ रहा है और 2018-19 में यह 151.2 करोड़ रु. था जो 2014-15 के 21.6 करोड़ संग्रहण के सातगुने से भी अधिक है। गत सात वर्षों में निगम का राजस्व 42.3 प्रतिशत के वार्षिक दर से बढ़ा है। निगम द्वारा ढोए जाने वाले यात्रियों की संख्या भी 13.4 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी है। वर्ष 2018-19 में निगम ने 320.0 लाख यात्री ढोए जबकि 2012-13

में उनकी संख्या 146.6 लाख थी। यह सेवाओं के बढ़े आच्छादन और लोगों द्वारा सार्वजनिक परिवहन के बारे में बदली धारणा का संकेत देता है। जैसा कि चार्ट 6.14 में दर्शाया गया है, एक वर्ष के अंदर दैनिक यात्रियों की संख्या चारगुनी से भी अधिक बढ़ गई है।

तालिका 6.15 : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा राजस्व संग्रहण और ढोए गए यात्रियों की संख्या (2012-13 से 2018-19)

विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	**वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2012-19)**
राजस्व संग्रहण (करोड़ रु.)	26.0	21.1	21.6	24.9	61.4	124.8	151.2	**42.3**
ढोए गए यात्रियों की संख्या (लाख)	146.6	152.3	110.6	126.6	184.5	212.0	320.0	**13.4**

स्रोत : बिहार राज्य पथ परिवहन निगम, बिहार सरकार

चार्ट 6.14 : 2018-19 में औसत दैनिक यात्रियों की त्रैमासिक वृद्धि

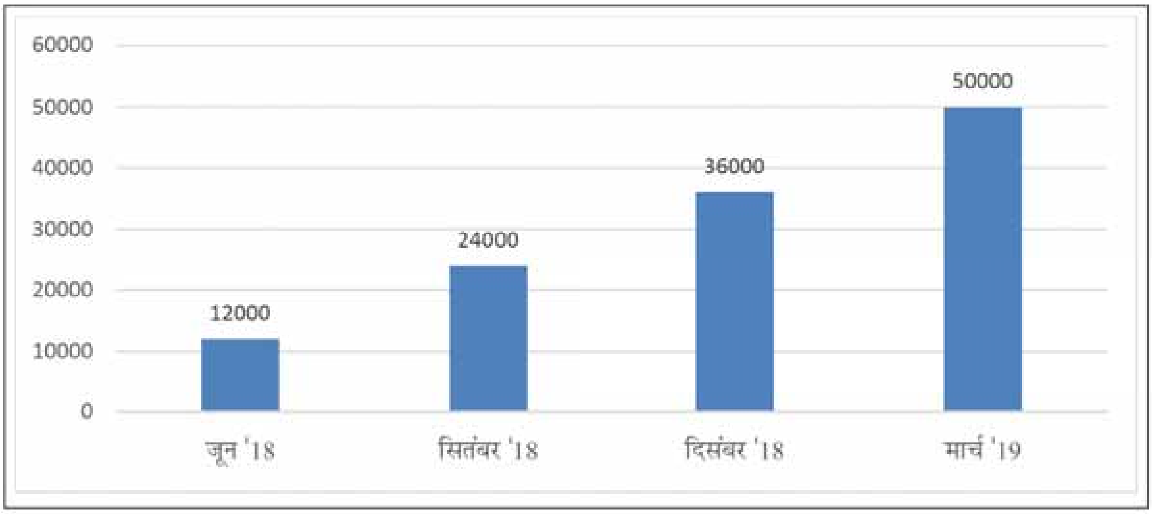

6.7 रेलवे नेटवर्क

भारतीय रेलवे का नेटवर्क दुनिया के सबसे पुराने और बड़े रेल नेटवर्क में से एक है जिसका विस्तार 68,400 किमी में है। यह देश की जीवनरेखा है जो रोज 2.30 करोड़ यात्रियों को ढोती है। इसके कारण यह विश्व की सबसे बड़ी यात्रीवाही प्रणाली बन जाती है। यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी मालवाही प्रणाली है जो हर साल देश के विभिन्न हिस्सों में 116 करोड़ टन सामान पहुंचाती है। रेलवे लाखों यात्रियों और बड़ी मात्रा में सामानों के लिए परिवहन का किफायती माध्यम है। देश में सबसे अधिक 8989 किमी रेलमार्ग उत्तर प्रदेश में है। वर्ष 2017 में इस मामले में देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार का नौवां स्थान था। तालिका 6.16 में 2017 में देश के प्रमुख राज्यों में रेल मार्ग और इसके घनत्व का ब्योरा दिया गया है। बिहार में रेलमार्ग की कुल लंबाई 3714 किमी थी और देश के कुल रेलमार्ग में बिहार का 5.5 प्रतिशत हिस्सा था। बिहार में रेल मार्ग का घनत्व 39.4 किमी प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्रफल था। हालांकि बिहार में प्रति लाख आबादी पर उपलब्ध रेलमार्ग मात्र 3.2 किमी था जबकि राष्ट्रीय औसत 5.2 किमी का है। प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग के लिहाज से देखें तो 8.1

किमी के साथ गुजरात शीर्ष पर था जबकि 1000 वर्ग किमी भौगोलिक क्षेत्रफल के आधार पर 46.6 किमी के साथ पश्चिम बंगाल शीर्ष पर था।

तालिका 6.16 : भारत के प्रमुख राज्यों में रेलमार्ग नेटवर्क की प्रगति (2003 से 2017)

राज्य	औसत (किमी)			रेल घनत्व					
				प्रति लाख आबादी पर रेल मार्ग (लंबाई किमी में)			प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर रेल मार्ग (लंबाई किमी में)		
	2003-07	2008-12	2013-17	2003	2010	2017	2003	2010	2017
आंध्र प्रदेश	5191.0	5224.8	4018.4	—	—	4.3	—	—	13.9
बिहार	**3344.4**	**3540.0**	**3678.4**	**3.7**	**3.5**	**3.2**	**34.2**	**37.9**	**39.4**
छत्तीसगढ़	1174.0	1186.6	1203.6	5.4	4.7	4.4	8.7	8.8	9.0
गुजरात	5288.8	5236.6	5258.6	10.1	8.4	8.1	26.9	25.5	26.8
हरियाणा	1582.0	1533.2	1662.2	7.1	6.2	6.3	35.2	35.1	38.7
झारखंड	1915.6	1991.6	2287.6	6.4	6.2	6.9	22.6	25.1	30.8
कर्नाटक	2988.8	3049.6	3299.0	5.5	5.1	5.4	15.5	16.0	17.9
केरल	1050.0	1050.0	1048.0	3.3	3.2	3.0	27.0	27.0	26.9
मध्य प्रदेश	4873.2	4938.0	5004.6	7.7	6.9	6.5	15.7	16.1	16.6
महाराष्ट्र	5504.2	5588.8	5740.8	5.5	5.1	4.9	17.7	18.2	18.8
ओडिशा	2283.4	2417.6	2544.4	6.2	5.8	5.9	14.9	15.3	16.7
पंजाब	2112.6	2137.8	2258.2	8.4	7.8	7.8	41.7	42.4	45.1
राजस्थान	5864.4	5784.6	5885.4	10.0	8.6	7.9	17.2	16.9	17.2
तमिलनाडु	4169.6	4060.8	4027.2	6.5	5.7	5.4	32.2	31.2	31.0
उत्तर प्रदेश	8606.4	8709.2	8989.2	5.1	4.4	4.2	36.5	36.2	38.0
उत्तराखंड	345.0	345.0	343.0	3.9	3.5	3.1	6.5	6.5	6.4
पश्चिम बंगाल	3812.8	3933.6	4090.2	4.5	4.3	4.3	41.5	43.8	46.6
संपूर्ण भारत	**63293.4**	**64064.4**	**66264.2**	**5.9**	**5.4**	**5.2**	**19.2**	**19.5**	**20.5**

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, भारतीय रेलवे, भारत सरकार

चार्ट 6.15 : मार्च 2017 में प्रति 1000 वर्ग किमी क्षेत्रफल पर रेल मार्ग का घनत्व (किमी में)

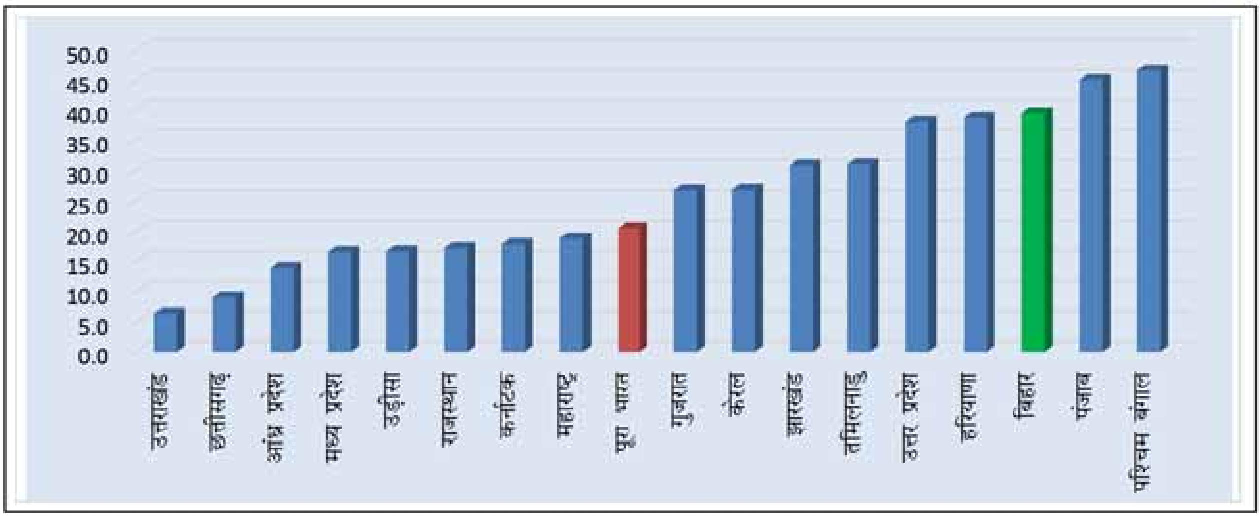

बिहार में रेलवे की उपलब्धियां

केंद्रीय रेल मंत्रालय ने बिहार में पूर्व-मध्य रेलवे जोन स्थापित किया है जिसका मुख्यालय हाजीपुर में है। राज्य का कुछ हिस्सा उत्तर-पूर्व सीमांत रेलवे, पूर्व रेलवे और उत्तर-पूर्व रेलवे जोनों के अधिकार-क्षेत्र में भी है। राज्य में दो ग्रीनफील्ड रेल इंजन कारखाने (विद्युत रेल इंजन कारखाना, मधेपुरा और डीजल रेल इंजन कारखाना मढ़ौरा) स्थापित किए गए हैं। बिहार में रेलवे की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नलिखित हैं :

अधिसंरचना निर्माण : वर्ष 2014 से 2019 के बीच रेलवे ने बिहार में 191 किमी नई लाइनें बनवाईं, 135 किमी में रेल लाइनों का दुहरीकरण किया, 248 किमी में लाइनों के गेज बदले, 1226 किमी में लाइनों का विद्युतीकरण किया, और रेलवे सेवाओं के विस्तार के लिए 85 रेल उपरि/अंत:-पुल बनाए। गंगा नदी पर पटना और मुंगेर में रेल पुल बनकर चालू हो चुके हैं। साथ ही, भागलपुर में गंगा नदी पर एक नया पुल स्वीकृत किया गया है। कोशी पर नया पुल भी बनकर लगभग तैयार है और बाढ़ प्रभावित कोशी क्षेत्र को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराएगा। वहीं, मोकामा में राजेंद्र पुल के समानांतर दो लाइनों वाले नए पुल का निर्माण कार्य चल रहा है। रेलवे ने 40,234 करोड़ रु. के व्यय से पिछड़े अंचल में 2540 किमी नए रेलमार्ग बनाने के लिए सर्वेक्षण किया है।

समर्पित मालवाही मार्ग : मालवाही सुविधाओं में सुधार के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा दो समर्पित मालवाही मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। लगभग 1840 किमी लंबा पूर्वी समर्पित मालवाही मार्ग बिहार के चार जिलों (कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद और गया) से होकर गुजरता है जिसकी बिहार में लंबाई लगभग 240 किमी है। इस परियोजना का अनुमानित व्यय 6900 करोड़ रु. है और दिसंबर 2020 में बनकर तैयार हो जाने की आशा है।

सुरक्षा : सुरक्षा रेलवे की उच्च प्राथमिकता में है इसलिए बिहार में सितंबर 2019 तक एक भी मानवरहित क्रॉसिंग नहीं रह गई। अभी सारे मानवरहित क्रॉसिंग पर गेट मित्र तैनात किए गए हैं। समेकित सुरक्षा प्रणाली (आइएसएस) के तहत बिहार में विभिन्न स्थानों पर 287 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। रेल आरक्षी बल ने सीसीटीवी कैमरों की मदद से 2557 बच्चों को बचाकर उनके अभिभावकों/ गैर-सरकारी संगठनों/ पुलिस को सौंपा है।

यात्री सेवाएं : वर्ष 2014 से यात्रियों की सुविधा के लिए 52 जोड़ी नई रेलगाड़ियां शुरू की गई हैं और विभिन्न नए स्थानों पर 100 जोड़ी से भी अधिक गाड़ियों का ठहराव दिया गया है। हाल में 32 फुट ओवरब्रिज, 20 एक्सेलेटर, 11 लिफ्ट, 1050 प्लेटफॉर्म शेड, 166 पानी बेचने की मशीनें, और 27 प्रमुख स्थानों पर नि:शक्त व्यक्तियों के लिए शौचालय बनवाए गए हैं। साथ ही, बिहार में 81 स्टेशनों पर प्लेटफॉर्मों ऊंचा किया या बढ़ाया गया है। इसके अलावा, 23 नए अनारक्षित रेलवे काउंटर (यूटीसी), 10 नए यूटीसी सह पीआरसी (यात्री आरक्षण काउंटर) और एक यात्री आरक्षण काउंटर खोला गया है। 50 से अधिक स्टेशनों पर मुफ्त और तेज वाइ-फाइ नेटवर्क भी उपलब्ध कराया गया है।

6.8 नागरिक उड्डयन

वायु परिवहन आर्थिक विकास हासिल करने के लिए एक अनिवार्य सुगमकर्ता है और यह विभिन्न क्षेत्रों को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ने में भी सक्षम बनाता है। यह व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर प्रदान करता है और यात्रा का समय घटाता है। वायु परिवहन का विकास और प्रबंधन केंद्र सरकार द्वारा 'सब उड़े सब जुड़े' की भावना के साथ किया जाता है। बिहार में वायु परिवहन क्षेत्र में तेज वृद्धि हुई है क्योंकि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2011-12 के 31 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 252 करोड़ रु. हो गया (चार्ट 6.1)। इसका अर्थ 35.6 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर है। वर्ष 2018-19 में 40.61 लाख यात्रियों ने वायुयात्रा की जबकि 2017-18 में उनकी संख्या 31.11 लाख थी। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच घरेलू यात्रियों की आवाजाही 36.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ी। इसी प्रकार इस अवधि में वायुयानों का आना-जाना 31.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा। मालवाहन भी 2004-05 के 1.04 हजार टन से छ:गुना होकर 2018-19 में 6.32 हजार टन पहुंच गया। वर्ष 2019-20 के पहले छ: महीनों में ही गत वर्ष से अधिक मालों की ढुलाई हुई है (तालिका 6.17)।

तालिका 6.17 : पटना हवाईअड्डा पर वायुयानों की आवाजाही, यात्रियों की संख्या और माल ढुलाई (2004-05 से 2019-20)

वर्ष	वायुयानों का आवागमन (सं.)	यात्रियों की सं. (लाख में)	माल ढुलाई (हजार टन में)
2004-05	3844	1.76	1.04
2009-10	10734	5.53	2.53
2014-15	11060	11.97	5.20
2015-16	13947	15.84	4.41
2016-17	15508	21.12	6.59
2017-18	24479	31.11	6.32
2018-19	32169	40.61	6.32
2019-20 (सितंबर 19 तक)	18257	22.80	6.46
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2014-19)	**31.0**	**36.6**	**7.8**

स्रोत : भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, पटना

उड़े देश का आम नागरिक (उड़ान)

उड़ान केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संयुक्त पहल है। सामान्य श्रेणी के राज्यों के मामले में केंद्र सरकार और राज्य सरकार उड़ान के लिए 80:20 के अनुपात में सब्सिडी उपलब्ध कराती हैं। इसकी शुरुआत राष्ट्रीय केंद्रीय उड्डयन नीति, 2016 के तहत की गई थी। यह लोगों के लिए किफायती खर्च पर क्षेत्रीय वायु परिवहन उपलब्ध कराकर क्षेत्रों को जोड़ता है। दरभंगा को उड़ान-2 के तहत शामिल किया गया है और प्रस्तावित हवाईअड्डा का निर्माण कार्य प्रगति पर है। पटना हवाईअड्डा से जून 2018 से ही प्रयागराज के लिए उड़ान के तहत वायुयान चल रहे हैं। उड़ान-4 के तहत 27 हवाईअड्डे/ हवाईपट्टियां विभिन्न श्रेणी के वायुयानों के लिए सूचीबद्ध हैं। कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए पटना के जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डे पर 219 किलोवाट आवर क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र लगाया गया है।

6.9 भवन निर्माण

बिहार में 2005 से ही निर्माण क्षेत्र में दो अंकों में वृद्धि दर दर्ज हुई है। राज्य सरकार सुशासन के लिए स्वास्थ्य संस्थानों, शैक्षिक संस्थानों, प्रशासनिक कार्यालयों, सामुदायिक कक्षों, भंडारगृहों, किसान भवनों, संग्रहालयों आदि के लिए अच्छे भवन समेत पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण अधिसंरचना उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है। भवनों के निर्माण से राज्य में युवाओं को रोजगार भी उपलब्ध होता है। भवन निर्माण की अनेक परियोजनाओं को हाथ में लिया गया और समय सीमा में पूरा किया गया है। भवन निर्माण पर व्यय लगातार बढ़ता रहा है और गत 12 वर्षों में इसमें 34 प्रतिशत की वार्षिक दर से वृद्धि दर्ज हुई है (चार्ट 6.16)। इस अवधि में योजना व्यय में तो और भी अधिक - 62 प्रतिशत वृद्धि दर दर्ज हुई है जो स्थापना व्यय और कार्यार्पित व्यय के मामले में 15 प्रतिशत ही है। सभी परियोजनाओं के बीच अकेले लोक निर्माण विभाग का ही धनराशि में 69 प्रतिशत हिस्सा था जिसके बाद आवास (15) और शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति विभाग का (12 प्रतिशत) था।

चार्ट 6.16 : भवन निर्माण विभाग द्वारा व्यय (करोड़ रु.)

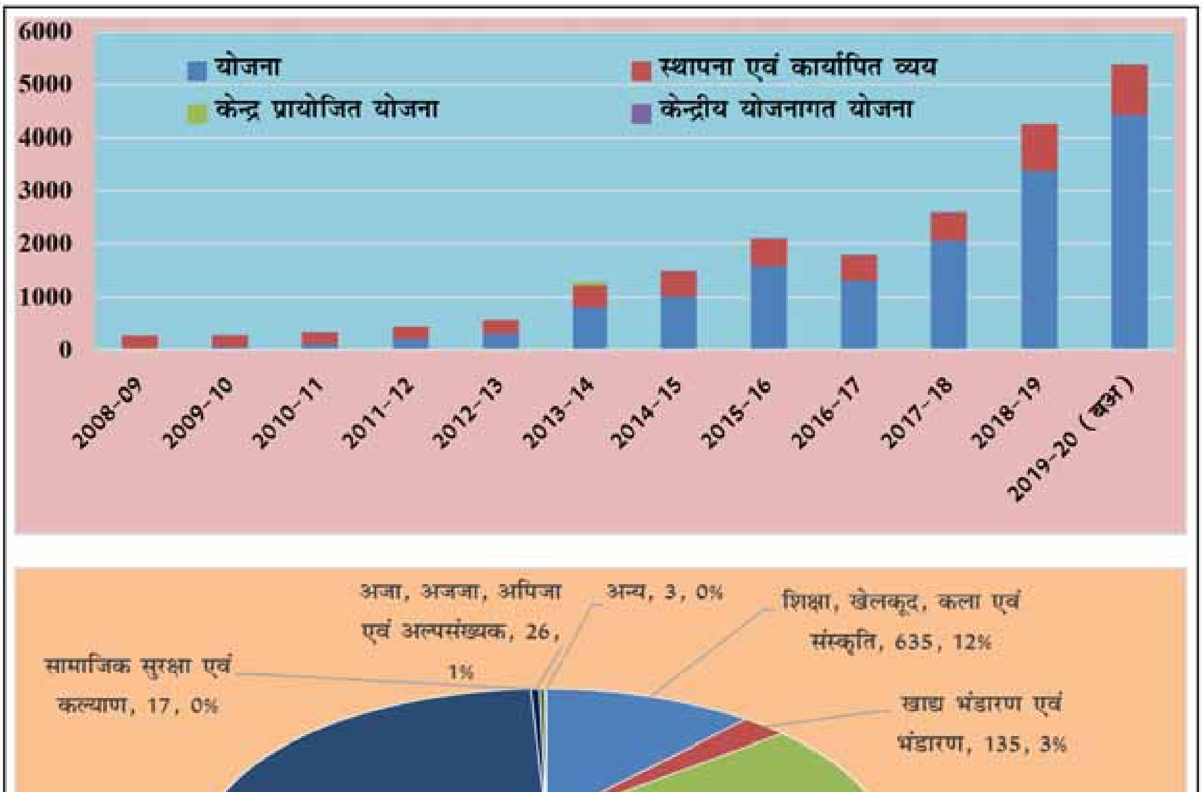

स्रोत : भवन निर्माण विभाग, बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग ने अपने सीमित संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग किया है और अनेक महत्वाकांक्षी परियोजनाओं के अधिकांश भौतिक लक्ष्य हासिल किए हैं। 633.00 करोड़ रु. के व्यय से राजगिर में राज्य खेल अकादमी सह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का आधुनिक क्रिकेट स्टेडियम निर्माणाधीन है। गया में 145.00 करोड़ रु. के व्यय से महाबोधि सम्मेलन केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय एवं शांति स्तूप के निर्माण पर 301.40 करोड़ रु. व्यय किया जा रहा है। इसके अलवा, 397.00 करोड़ रु. के व्यय से पटना में ए.पी.जे. अब्दुल कलाम विज्ञान केंद्र का विकास किया जा रहा है। वहीं, दरभंगा में 164.00 करोड़ रु. के व्यय से तारामंडल का निर्माण कराया जा रहा है। ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के तहत विभाग सरकारी आवासों के आबंटन में पहुंच उपलब्ध कराता है, और पारदर्शिता तथा उत्तरदायित्व दर्शाता है। इसमें सम्राट अशोक सम्मेलन केंद्र, अधिवेशन भवन और मजहरुल हक् ऑडिटोरियम को किराए पर लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन भी शामिल है। विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का अनुश्रवण परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआइएस) के जरिए किया जा रहा है।

बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

राज्य सरकार ने बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड की स्थापना 2008 में सार्वजनिक उपक्रम के बतौर की थी। अभी निगम की पूरे बिहार में नौ इकाइयां हैं। इसने अभी तक 5076.57 करोड़ रु. के व्यय वाली 1647 परियोजनाओं को पूरा किया है। हाल के वर्षों में निगम का तेज विकास दिखा है, और यह लाभ भी अर्जित कर रहा है। इसके शुद्ध लाभ में विगत वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव होता रहा है जो सबसे कम 5.51 करोड़ रु. 2015-16 में था और सर्वाधिक 26.78 करोड़ रु. 2014-15 में। तालिका 6.18 में निगम के वित्त प्रबंधन और व्यय का सारांश प्रस्तुत है। गौरतलब है कि निगम हर साल निगमोचित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) के तहत अच्छी-खासी रकम खर्च करता है। वर्ष 2017-18 में यह रकम 40.14 लाख थी।

तालिका 6.18 : बिहार राज्य भवन निर्माण निगम के वित्त प्रबंधन और परियोजनाओं पर व्यय का सारांश (2013-14 से 2017-18)

वर्ष	परियोजनाओं की सं.	व्यय (करोड रु.)	टर्नओवर (करोड रु.)	कुल राजस्व (करोड रु.)	प्रशासनिक व्यय (करोड रु.)	सकल लाभ (करोड रु.)	शुद्ध लाभ (करोड रु.)	सीएसआर रिजर्व (लाख रु.)
2013-14	747	300.50	28.76	41.27	14.12	14.59	9.43	19.89
2014-15	128	637.49	58.18	72.51	17.24	41.21	26.78	25.55
2015-16	87	445.82	27.34	38.82	18.47	8.30	5.51	64.10
2016-17	400	568.76	39.26	57.47	14.02	28.59	18.63	52.06
2017-18	254	602.16	40.93	67.39	20.12	23.32	14.95	40.14

स्रोत : बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड

6.10 दूरसंचार नेटवर्क

दूरसंचार क्षेत्र वैश्विक स्तर पर उभरता हुआ क्षेत्र है जो सूचना के तेज संचार और आदान-प्रदान के लिए प्रचुर अवसर उपलब्ध कराता है। यह क्षेत्र अपनी बढ़ती पहुंच, व्यापक होते नेटवर्क और प्रणालियों के डिजिटाइजेशन, तथा कृषि समेत आर्थिक क्षेत्रों के बीच संवाद के लिए अपनाए जाने वाले साधनों के उपयोग के करण भी महत्वपूर्ण है। भारत अभी दुनिया का दूरसंचार का दूसरा सबसे बड़ा बाजार है जहां 118 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। बिहार में भी दूरसंचार क्षेत्र सबसे तेजी से बढ़ने वाले क्षेत्रों में से एक है। राज्यवार दूरभाष घनत्व (प्रति 100 आबादी पर टेलीफोन की संख्या) तालिका 6.19 में प्रस्तुत है। विगत वर्षों के दौरान बिहार और अन्य राज्यों में इस क्षेत्र में जबर्दस्त वृद्धि दर्ज हुई है और दूरभाष घनत्व तेजी से बढ़ता गया है। लेकिन इसके बढ़ने का रुझान 2019 में बिहार और संपूर्ण भारत, दोनो जगह पलट गया। वर्ष 2019 में ग्रामीण दूरभाष घनत्व के लिहाज से 46 कनेक्शन के साथ बिहार का देश के प्रमुख राज्यों के बीच नीचे से दूसरा स्थान और शहरी दूरभाष घनत्व के लिहाज से 149 कनेक्शनों के साथ आठवां स्थान था। सर्वाधिक ग्रामीण दूरभाष घनत्व (86 कनेक्शन) तमिलनाडु में दर्ज किया गया था और सर्वाधिक शहरी दूरभाष घनत्व (302 कनेक्शन) केरल में। राष्ट्रीय औसत इस प्रकार था - ग्रामीण : 57 कनेक्शन, शहरी : 160 कनेक्शन और समग्र : 90 कनेक्शन।

तालिका 6.19 : प्रमुख भारतीय राज्यों के दूरभाष घनत्व (2016 से 2019)

राज्य	2016			2017			2018			2019		
	ग्रामीण	शहरी	समग्र	ग्रामीण	शहरी	समग्र	ग्रामीण	शहरी	समग्र	ग्रामीण	शहरी	समग्र
आंध्र प्रदेश	51	177	86	60	192	97	61	189	53	65	181	98
बिहार	**36**	**166**	**54**	**41**	**187**	**61**	**44**	**221**	**63**	**46**	**149**	**60**
गुजरात	67	145	100	76	166	114	76	161	112	71	155	107
हरियाणा	65	123	86	65	136	91	69	211	121	71	142	98
कर्नाटक	53	179	102	59	198	113	62	182	109	69	172	110
केरल	62	220	102	70	248	115	75	260	122	67	302	126
मध्य प्रदेश	42	124	64	44	129	67	44	124	67	44	137	70
महाराष्ट्र	65	135	99	70	151	110	74	144	108	71	144	107
ओडिशा	50	160	69	58	184	81	62	164	80	60	145	76
पंजाब	72	150	106	81	166	118	81	180	123	78	182	125
राजस्थान	58	162	83	62	187	92	60	171	87	58	172	85
तमिलनाडु	85	140	118	94	151	128	105	155	136	86	135	117
उत्तर प्रदेश	42	145	66	46	168	74	46	164	73	49	133	69
पश्चिम बंगाल	53	145	80	62	169	93	63	159	91	58	159	87
संपूर्ण भारत	**51**	**154**	**83**	**57**	**172**	**93**	**59**	**166**	**93**	**57**	**160**	**90**

स्रोत : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राइ)

भारत संचार निगम लि. (बीएसएनएल) केंद्र सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक उपक्रम है जो पूरे देश में, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाएं प्रदान करता है। ये सेवाएं जनजातीय क्षेत्रों और वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में भी दी जाती हैं। राज्य में इसका नेटवर्क 16.0 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल, 84.7 प्रतिशत

जनसंख्या, 68.5 प्रतिशत गांवों और सभी राष्ट्रीय उच्चपथों, राज्य उच्चपथों तथा रेलमार्गों को कवर करता है। दूरसंचार की जनसांख्यिकी तालिका 6.20 में प्रस्तुत है। हाल के वर्षों में निगम ने अनेक कदम उठाएं हैं। वर्ष 2017 में वाइ-फाइ हॉटस्पॉट और अगली पीढ़ी के नेटवर्क एक्सचेंज शुरू किए गए। वर्ष 2018 में विंग्स (वाइ-फाइ इंटरनेट टेलीफोनी कनेक्शन), और 2019 में 4जी बेस ट्रांससीवर स्टेशन (बीटीएस) शुरू किए गए। बिहार में भारतीय दूर संचार निगम की दूरसंचार अधिसंरचना की स्थिति तालिका 6.21 में प्रस्तुत है।

तालिका 6.20 : बिहार में बीएसएनएल की दूरसंचार जनसांख्यिकी (सितंबर 2019 में)

मद	कुल योग	आच्छादन (%)
क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	94613	66.0
जनसंख्या (करोड़)	10.38	84.7
राजस्व जिले (सं.)	38	100.0
राजस्व अनुमंडल (सं.)	101	100.0
प्रखंड मुख्यालय (सं.)	534	100.0
कुल गांव (सं.)	44874	68.5
राष्ट्रीय उच्चपथ (किमी)	3734	100.0
राज्य उच्चपथ (किमी)	4857	100.0
कुल रेलमार्ग (किमी)	3515	100.0

स्रोत : भारतीय संचार निगम लिमिटेड, पटना

तालिका 6.21 : बीएसएनएल नेटवर्क के फैलाव के रुझान (2014-15 से 2019-20)

विवरण		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20*
बीएसएनएल के कनेक्शनों की कुल सं. (लाख में)		21.69	25.14	30.32	32.64	33.58	36.38
मोबाइल जीएसएम कनेक्शनों की कुल सं. (लाख में)		18.61	22.36	28.76	31.27	32.38	35.34
वायरलाइन कनेक्शनों की कुल सं. (लाख में)		1.95	1.66	1.56	1.37	1.20	1.04
विंग्स (वाइ-फाइ इंटरनेट टेलीफोनी) कनेक्शनों की संख्या		जुलाई 2018 से				1130	12.56
वायरलेस इंटरनेट कनेक्शनों की संख्या (लाख में)		21.50	23.48	28.76	31.27	32.38	35.34
हाइस्पीड फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की कुल सं.		215	519	869	5147	6005	7573
वायरलाइन ब्रॉडबैंड कनेक्शनों की कुल सं. (लाख में)		0.59	0.59	0.59	0.52	0.43	0.27
जीएसएम मोबाइल बीटीएस की सं.	2G/3G	3256	3734	3875	4562	4874	4436
	4G	4G सेवा 12.03.2019 से				34	323
वाइ-फाइ हॉटस्पॉट की संख्या		2017 से		6	10	108	729
एनजीएन (नेक्स्ट जेनरेशन नेटवर्क) एक्सचेंजों की सं.				5	16	177	367
हाइस्पीड फाइबर टू होम ब्रॉडबैंड कनेक्शनों के लिए ओएलटी की सं. (भारत नेट चरण-1 सहित)		39	80	99	410	410	410
लैंडलाइन टेलीफोन एक्सचेंजों की कुल सं.		1196	1196	1196	1196	1118	1055
वायरलाइन ब्रॉडबैंड डीएसएलएएम की सं.		1160	1111	896	896	850	850

स्रोत : भारतीय संचार निगम लिमिटेड, पटना

दूरसंचार विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर दूरसंचार अधिसंरचना और नेटवर्क की मजबूती के लिए अनेक कदम उठाए हैं। इन कदमों से बिहार भी लाभान्वित हो रहा है।

वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए विशेष प्रावधान : केंद्र सरकार ने 10 वामपंथी अतिवाद प्रभावित राज्यों (आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल) में 2335 स्थानों की पहचान की है और उन स्थानों पर बीएसएनएल का नेटवर्क मजबूत करने के लिए 4781 करोड़ रु. का परिव्यय कर्णांकित किया है। बिहार के विभिन्न जिलों में ऐसे 250 स्थान हैं। एलडब्ल्यूई चरण-2 के हिस्से के बतौर केंद्र सरकार ने 10 राज्यों के 96 जिलों में विभिन्न स्थानों पर 4072 मोबाइल टावर लगाने का निर्णय किया है। इनमें से 8 जिले बिहार में हैं। इस परियोजना का अनुमानित व्यय 7330 करोड़ रु. है।

संपन्न : भारतीय संचार निगम और दूरसंचार विभाग के सेवानिवृत्त कर्मियों को पेंशन के प्रत्यक्ष वितरण के लिए संपन्न (सिस्टम फॉर एकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पेंशन) नामक नया सॉफ्टवेयर विकसित किया गया है। इससे व्यापक पेंशन प्रबंधन व्यवस्था (सीपीएमएस) सुनिश्चित होगी। इसे संचार लेखा नियंत्रक (सीसीए) के 12 कार्यालयों (उत्तर प्रदेश, गुजरात, केरल, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, जम्मू एवं कश्मीर तथा दिल्ली) में शुरू किया गया है। अन्य राज्यों के संचार लेखा नियंत्रक कार्यालयों में इसे उचित समय पर शुरू किया जाएगा। संपन्न से पेंशनधारियों को निम्नलिखित लाभ हुए हैं – (1) पेंशन की पूरी प्रक्रिया के लिए सिंगल विंडो सिस्टम होने से जटिलताएं घटी है, (2) पेंशनधारियों को अपने पेंशन की स्थिति और संबंधित प्रक्रियाओं पर नजर रखने के लिए लॉगइन दिया गया है, (3) समय पर बिना हस्तक्षेप पेंशन का प्रत्यक्ष वितरण हो रहा है, तथा (4) पेंशन के बकायों और पेंशन में संशोधन के मामलों की प्रभावी और त्वरित प्रोसेसिंग हो रही है। अभी तक 2092 पेंशनधारी लाभान्वित हुए हैं और पेंशन के बतौर 296.51 करोड़ रु. का वितरण किया गया है। पुराने पेंशनधारियों के बैंक संबंधी आंकड़ों को सीपीएमएस में ले जाने का काम प्रक्रियाधीन है।

यूएसओएफ वाइ-फाइ हॉटस्पॉट : केंद्र सरकार की भारतीय संचार निगम के ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंजों में 25,000 पब्लिक वाइ-फाइ हॉटस्पॉट लगाने की योजना है। इससे वाइ-फाइ के जरिए ब्रॉडबैंड इंटरनेट चलेगा जिससे बीएसएनएल का बोझ घटेगा। इस परियोजना के तहत कुल 895 ग्रामीण टेलीफोन एक्सचेंज में इसे लगाने की योजना है जिसमें से 693 स्थापित हो चुके हैं और 202 अन्य में 2019-20 में वाइ-फाइ सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।

भारत नेट परियोजना : राज्य सरकार ने डिजिटल इंडिया अभियान के हिस्से के बतौर इंटरनेट और ब्रॉडबैंड का विस्तार करने पर जोर दिया है। इस परियोजना का क्रियान्वयन भारत संचार निगम के जरिए होता है और हाइस्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए 5986 ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन (ओएफसी) से जोड़ा जाना है। साथ ही, 226 ग्राम पंचायतों को इस परियोजना के तहत वाइ-फाइ चौपाल की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।

अपराध एवं अपराधी निगरानी नेटवर्क एवं व्यवस्था (सीसीटीएनएस) परियोजना : इस परियोजना के तहत कनेक्टिविटी बिहार के विभिन्न जिलों में 980 पुलिस थानों को रेडियो फ्रिक्वेंसी सुनिश्चित करेगी। भारत संचार

निगम द्वारा 569 पुलिस थानों को नेटवर्क उपलब्ध कराया जाना है जिसमें से 400 पुलिस थानों को नेटवर्क उपलब्ध कराया जा चुका है।

6.11 डाक नेटवर्क

भारतीय डाक नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें कुल मिलाकर 1.55 लाख डाकघर हैं। डाक विभाग पत्र, बैंकिंग, बीमा, मुद्रा अंतरण और खुदरा सेवाओं जैसी कई सेवाएं उपलब्ध कराता है। मार्च 2018 तक बिहार में कुल 9,084 डाकघर मौजूद थे जिनमें से 8625 (94.9 प्रतिशत) ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 459 (5.1 प्रतिशत) शहरी क्षेत्रों में। संपूर्ण भारत के डाक नेटवर्क में हिस्से के लिहाज से देखें, तो बिहार का देश में मात्र 5.8 प्रतिशत हिस्सा है जबकि देश की 8.6 प्रतिशत आबादी बिहार में रहती है। पत्रपेटियों के मामले में शीर्ष तीन राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं जिनका कुल पत्रपेटियों में लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार का देश की कुल पत्रपेटियों में 4.6 प्रतिशत हिस्सा है (तालिका 6.22)।

तालिका 6.22 : भारत के प्रमुख राज्यों में डाक नेटवर्क का विस्तार (31 मार्च, 2018 को)

(संख्या में)

राज्य	डाकघर			पत्रपेटियां		
	ग्रामीण	शहरी	योगफल	ग्रामीण	शहरी	योगफल
आंध्र प्रदेश	9707 (92.5)	783 (7.5)	10490 (100.0)	24846 (85.4)	4233 (14.6)	29079 (100.0)
बिहार	**8625 (94.9)**	**459 (5.1)**	**9084 (100.0)**	**19472 (86.2)**	**3111 (13.8)**	**22583 (100.0)**
छत्तीसगढ़	2898 (90.9)	289 (9.1)	3187 (100.0)	12219 (80.3)	2991 (19.7)	15210 (100.0)
गुजरात	8167 (91.3)	781 (8.7)	8948 (100.0)	19764 (81.9)	4381 (18.1)	24145 (100.0)
हरियाणा	2318 (86.1)	375 (13.9)	2693 (100.0)	5403 (81.2)	1250 (18.8)	6653 (100.0)
झारखंड	3190 (92.2)	270 (7.8)	3460 (100.0)	8533 (89.2)	1028 (10.8)	9561 (100.0)
कर्नाटक	8624 (89.2)	1039 (10.8)	9663 (100.0)	23951 (80.2)	5922 (19.8)	29873 (100.0)
केरल	4181 (82.6)	883 (17.4)	5064 (100.0)	11315 (76.6)	3463 (23.4)	14778 (100.0)
मध्य प्रदेश	7473 (90.3)	807 (9.7)	8280 (100.0)	34122 (88.8)	4287 (11.2)	38409 (100.0)
महाराष्ट्र	11584 (90)	1286 (10)	12870 (100.0)	36468 (81.6)	8242 (18.4)	44710 (100.0)
ओडिशा	7615 (92.7)	600 (7.3)	8215 (100.0)	16909 (87.2)	2491 (12.8)	19400 (100.0)
पंजाब	3417 (88.3)	453 (11.7)	3870 (100.0)	12044 (81.7)	2705 (18.3)	14749 (100.0)
राजस्थान	9679 (93.9)	632 (6.1)	10311 (100.0)	23690 (86.8)	3613 (13.2)	27303 (100.0)
तमिलनाडु	10283 (84.7)	1855 (15.3)	12138 (100.0)	30587 (76.4)	9427 (23.6)	40014 (100.0)
उत्तर प्रदेश	15747 (89.1)	1924 (10.9)	17671 (100.0)	45224 (87)	6785 (13)	52009 (100.0)
पश्चिम बंगाल	7940 (87.5)	1137 (12.5)	9077 (100.0)	22615 (83.7)	4416 (16.3)	27031 (100.0)
सभी राज्य	**139882 (89.9)**	**15649 (10.1)**	**155531 (100.0)**	**394004 (83.6)**	**77439 (16.4)**	**471443 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज ग्रामीण और शहरी कॉलमों के आंकड़े कुल और संपूर्ण भारत में राज्य का हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, डाक विभाग, भारत

व्यापक डाक विभाग नागरिकों के जरिए अनेक सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सेवाओं में जमा, निवेश, मासिक आय योजना (एमआइएस) और अन्य सरकारी योजनाओं के तहत भुगतान शामिल हैं। तालिका 6.23 में देश के प्रमुख राज्यों के विभिन्न प्रकार के लेखों और उनमें बकाया शेष का ब्योरा दिया गया है। डाकघर बैंक के 272 लाख खाताधारी हैं जिनका पूरे देश में 7.3 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार में कुल बकाया शेष 92,810 करोड़ रु. था जिसका संपूर्ण भारत में 15.5 प्रतिशत हिस्सा था।

तालिका 6.23 : भारत में डाकघरों की वित्तीय सेवाओं का सारांश (31, मार्च 2018 को)

राज्य	खातों की सं. (लाख में)					बाकी शेष (करोड़ रु. में)				
	जमा	निवेश	मासिक आय योजना	सुकन्या/ महिला समृद्धि योजना	**योग**	जमा	निवेश	मासिक आय योजना	सुकन्या/ महिला समृद्धि योजना	**योग**
आंध्र प्रदेश	365	1	5	6	**376**	204	71	15	467	**757**
बिहार	**252**	**1**	**14**	**5**	**272**	**42410**	**3770**	**45768**	**863**	**92810**
छत्तीसगढ़	19	2	4	2	**27**	13326	1966	9431	1996	**26720**
गुजरात	54	1	3	4	**62**	21491	4141	9911	3112	**38656**
हरियाणा	51	0	2	2	**55**	720	124	328	84	**1255**
झारखंड	129	0	3	4	**136**	11324	4277	5563	3039	**24203**
कर्नाटक	265	5	12	9	**292**	13705	1501	3723	657	**19586**
केरल	236	1	4	5	**246**	10135	491	3419	691	**14735**
मध्य प्रदेश	23	0	0	1	**24**	13800	4640	5236	844	**24520**
महाराष्ट्र	143	0	3	4	**150**	17608	7850	5864	766	**32087**
ओडिशा	167	2	5	6	**179**	12749	783	2320	928	**16781**
पंजाब	305	3	5	15	**328**	21303	7352	13446	594	**42696**
राजस्थान	334	2	12	13	**361**	8421	1206	2785	414	**12826**
तमिलनाडु	230	2	47	7	**285**	3269	222	834	230	**4556**
उत्तर प्रदेश	39	0	1	3	**44**	23034	9811	25973	1999	**60816**
पश्चिम बंगाल	58	0	1	3	**62**	5247	750	1762	254	**8013**
सभी राज्य	**3412**	**28**	**154**	**118**	**3712**	**319616**	**73084**	**181688**	**22906**	**597295**

टिप्पणी : जमा में बचत खातों, आवर्ती जमा, सावधि जमा और वरिष्ठ नागरिक जमा तथा निवेश में लोक भविष्य निधि और राष्ट्रीय बचत योजनाएं शामिल हैं।

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट 2018-19, डाक विभाग, भारत सरकार

पासपोर्ट सेवाएं : सुदूर क्षेत्रों के नागरिकों को पासपोर्ट सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए चुनिंदा मुख्य डाकघरों को डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र के बतौर अधिकृत किया गया है।

ई-कॉमर्स : ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए डाक विभाग ने 14 दिसंबर, 2018 को ई-कॉमर्स पोर्टल की शुरुआत की है। इससे विभागीय और तृतीय पक्ष के उत्पादों की बिक्री के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और ई-मार्केट प्लेस को सुगम बनाने के लिए डिजिटल और भौतिक संपर्क को बढ़ावा मिलेगा।

दर्पण : दर्पण (डिजिटल एडवांसमेंट ऑफ रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर ए न्यू इंडिया) परियोजना के तहत डाक और वित्त संबंधी ऑनलाइन लेनदेन के लिए देश के 1.29 लाख से भी अधिक शाखा डाकघरों को सिम आधारित हैंडहेल्ड डिवाइस उपलब्ध कराए गए हैं। दर्पण के जरिए निम्नलिखित प्रकार की लेनदेन की जाती है - कोर बैंकिंग सिस्टम में रुपए निकालना और जमा करना, मनरेगा और सामाजिक क्षेत्र की अन्य भुगतान प्रणालियों के तहत लाभों का वितरण, निर्बाधित और स्पीडपोस्ट की सामग्रियों की बुकिंग, मुद्रादेशों की बुकिंग, और डाक जीवन बीमा/ ग्रामीण डाक जीवन बीमा के प्रिमियम जमा करना। इन लेनदेनों से सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा मिलेगा।

परिशिष्ट

तालिका प 6.1 : मार्च के अंत में बिहार में जिलावार राष्ट्रीय उच्चपथ नेटवर्क (किमी में) (2014 से 2019)

जिला	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(सितंबर 2019)
पटना	395	395	395	395	395	395	395
नालंदा	177	177	177	177	177	177	177
भोजपुर	85	85	85	85	85	85	85
बक्सर	55	55	55	55	81	81	81
रोहतास	145	145	145	145	183	183	183
कैमूर	52	52	99	99	99	99	99
गया	120	120	120	120	155	155	155
जहानाबाद							
अरवल	134	134	134	134	134	134	134
नवादा	84	84	84	84	84	84	84
औरंगाबाद	137	137	137	137	186	186	186
सारण	181	181	181	181	227	227	227
सीवान	54	54	54	54	131	131	131
गोपालगंज	96	96	96	96	96	96	96
पश्चिम चंपारण	112	112	112	112	112	112	112
पूर्व चंपारण	94	94	94	94	126	126	126
मुजफ्फरपुर	258	259	259	259	259	259	259
सीतामढ़ी	136	168	168	168	168	168	168
शिवहर	22	22	22	22	22	22	22
वैशाली	128	128	128	128	128	128	128
दरभंगा	50	50	50	50	50	50	50
मधुबनी	208	208	236	236	236	236	236
समस्तीपुर	66	66	66	66	66	66	66
बेगूसराय	96	96	96	102	102	102	102
मुंगेर	97	73	73	85	85	85	85
शेखपुरा	12	12	46	46	46	46	46
लखीसराय	45	45	51	51	51	51	51
जमुई	88	112	197	197	197	197	197
खगड़िया	92	92	92	92	92	92	92
भागलपुर	146	146	146	146	146	146	146
बांका	-	11	86	86	86	86	86
सहरसा	79	93	93	93	93	93	93
सुपौल	205	216	216	216	216	216	216
मधेपुरा	109	109	109	109	109	109	109
पूर्णिया	120	116	116	116	116	116	116
किशनगंज	68	68	68	68	68	68	68
अररिया	154	154	154	154	154	154	154
कटिहार	102	158	158	165	158	158	158
बिहार	**4201**	**4321**	**4595**	**4621**	**4917**	**4917**	**4917**

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 6.2 : मार्च के अंत में बिहार में जिलावार राज्य उच्चपथ नेटवर्क (किमी में) (2014 से 2019)

जिला	2014	2015	2016	2017	2018	2019	(सितंबर 2019)
पटना	162	199	204	208	208	208	208
नालंदा	172	172	186	192	192	192	192
भोजपुर	153	153	177	167	167	167	167
बक्सर	79	79	78	78	52	52	52
रोहतास	235	235	231	231	193	193	193
कैमूर	99	99	91	85	85	85	85
गया	219	219	247	240	210	210	210
जहानाबाद			33	33	33	33	33
अरवल			33	39	39	39	39
नवादा	170	170	185	212	186	186	186
औरंगाबाद	151	151	157	158	124	124	124
सारण	202	202	196	202	166	166	166
सीवान	159	159	157	156	86	86	86
गोपालगंज	82	53	56	53	53	53	53
पश्चिम चंपारण	102	102	115	115	115	115	115
पूर्व चंपारण	144	144	131	131	128	128	128
मुजफ्फरपुर	70	70	76	76	76	76	76
सीतामढ़ी	49	49	94	94	94	94	94
शिवहर	14	14	12	12	12	12	12
वैशाली	151	151	113	113	113	113	113
दरभंगा	198	198	224	224	224	224	224
मधुबनी	132	132	99	98	98	98	98
समस्तीपुर	222	222	194	194	194	194	194
बेगूसराय	42	42	43	43	43	43	43
मुंगेर	11	35	34	34	34	34	34
शेखपुरा	53	53	22	22	22	22	22
लखीसराय	59	59	49	49	49	49	49
जमुई	133	109	63	63	63	63	63
खगड़िया	15	15	18	16	21	21	21
भागलपुर	81	81	72	72	72	72	72
बांका	215	204	169	169	169	169	169
सहरसा	135	121	97	81	91	91	91
सुपौल	150	139	133	134	134	134	134
मधेपुरा	99	99	100	99	99	99	99
पूर्णिया	161	149	141	141	141	141	141
किशनगंज	49	50	49	49	49	49	49
अररिया	95	94	69	69	69	69	69
कटिहार	116	100	103	103	103	103	103
बिहार	**4483**	**4426**	**4253**	**4253**	**4006**	**4006**	**4006**

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 6.3 : मार्च के अंत में बिहार में जिलावार मुख्य जिला पथ नेटवर्क (किमी में) (2014 से 2019)

जिला	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (सितंबर तक)
पटना	458	496	565	562	562	763	817
नालंदा	318	390	445	448	448	435	466
भोजपुर	258	250	282	282	282	284	286
बक्सर	126	127	127	127	127	141	162
रोहतास	398	415	366	383	404	429	439
कैमूर	233	239	264	269	269	311	326
गया	351	601	628	624	627	855	878
जहानाबाद	203	280	289	289	289	287	287
अरवल			69	65	65	65	77
नवादा	137	158	157	172	151	171	183
औरंगाबाद	259	245	256	256	256	486	486
सारण	262	219	200	360	365	398	400
सीवान	329	250	292	306	306	307	323
गोपालगंज	312	322	353	353	353	367	378
पश्चिम चंपारण	317	299	294	293	302	367	392
पूर्व चंपारण	310	330	409	474	462	461	461
मुजफ्फरपुर	394	431	456	467	467	566	596
सीतामढ़ी	222	287	214	214	214	250	323
शिवहर	33	33	101	101	101	101	43
वैशाली	177	177	179	343	347	345	423
दरभंगा	403	373	412	472	475	513	718
मधुबनी	315	371	381	380	380	418	418
समस्तीपुर	321	385	411	429	429	526	604
बेगूसराय	202	247	246	209	209	251	251
मुंगेर	45	53	46	46	46	82	91
शेखपुरा	109	127	137	137	137	141	169
लखीसराय	58	87	91	93	93	114	119
जमुई	184	198	208	208	239	329	327
खगड़िया	129	212	243	243	243	239	239
भागलपुर	253	265	264	264	280	277	277
बांका	264	206	200	200	200	213	214
सहरसा	358	332	279	279	279	286	317
सुपौल	470	547	498	505	505	539	539
मधेपुरा	74	87	103	103	103	113	126
पूर्णिया	269	257	227	227	227	344	344
किशनगंज	234	286	290	221	221	265	265
अररिया	252	241	376	376	408	482	482
कटिहार	364	304	275	275	275	253	253
बिहार	**9401**	**10128**	**10634**	**11054**	**11145**	**12774**	**13499**

स्रोत : पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 6.4 : मार्च के अंत में बिहार में जिलावार ग्रामीण पथ नेटवर्क (किमी में) (2015 से 2019)

जिला	2015	2016	2017	2018	2019	2019 (सितंबर तक)		कुल लंबाई
	पक्की	पक्की	पक्की	पक्की	पक्की	पक्की	कच्ची	
पटना	1670.15	1874.77	2382.55	2606.23	2876.13	3177.20	492.17	3669.37
नालंदा	1539.03	1712.25	1833.29	2127.37	2322.60	2617.79	706.78	3324.57
भोजपुर	1286.95	1429.29	1622.39	1798.30	1966.11	2083.77	398.20	2481.96
बक्सर	1129.04	1252.03	1418.72	1692.90	1858.80	1786.55	413.04	2199.59
रोहतास	1487.52	1786.46	2375.44	2959.76	3255.11	2751.16	626.40	3377.56
कैमूर	1424.25	1451.39	1533.56	2170.16	2378.53	2095.96	1056.66	3152.62
गया	2303.07	2686.60	3047.17	3356.88	3725.12	4484.96	859.82	5344.78
जहानाबाद	550.35	617.78	824.04	1231.13	1337.54	1236.22	178.87	1415.08
अरवल	230.37	258.60	297.13	379.52	423.30	378.94	234.83	613.77
नवादा	1105.11	1240.51	1425.34	1920.42	2162.92	1933.36	498.71	2432.08
औरंगाबाद	1615.34	2210.00	2654.51	2917.62	3178.29	3543.60	619.70	4163.30
सारण	2373.48	2532.24	3027.18	3366.44	3707.25	3599.09	984.00	4583.08
सीवान	1743.91	1825.55	1983.32	2135.82	2385.65	2599.78	990.96	3590.74
गोपालगंज	1454.13	1632.29	1989.71	2093.67	2377.60	2276.85	476.80	2753.64
पश्चिम चंपारण	2134.84	2132.35	3135.38	3278.80	3570.21	3217.45	1273.51	4490.96
पूर्व चंपारण	2958.52	3422.35	3892.55	4003.92	4458.67	4543.57	934.87	5478.44
मुजफ्फरपुर	2880.31	3481.91	3980.84	4136.23	4515.03	4332.08	1789.88	6121.96
सीतामढ़ी	1581.95	1729.77	2270.58	2351.03	2631.67	2105.96	850.27	2956.23
शिवहर	362.70	407.14	467.80	514.06	576.17	594.82	311.19	906.01
वैशाली	2287.21	2435.40	2569.83	2669.00	2930.96	3172.50	1070.73	4243.22
दरभंगा	2247.49	2499.51	2457.84	2576.41	2836.67	3146.23	1136.96	4283.19
मधुबनी	3012.76	3209.82	3464.55	3583.50	3925.20	4512.05	2427.17	6939.22
समस्तीपुर	2245.43	2388.51	2593.61	2925.57	3244.24	3437.54	651.10	4088.63
बेगूसराय	957.93	1075.29	1235.50	1352.05	1473.27	1420.27	337.02	1757.29
मुंगेर	363.09	407.58	468.31	559.73	657.73	819.93	213.68	1033.61
शेखपुरा	488.43	548.28	560.29	565.96	655.99	658.60	864.77	1523.36
लखीसराय	372.26	417.87	480.13	520.84	627.44	637.56	253.47	891.03
जमुई	1284.42	1558.48	1885.05	2314.40	2536.31	2588.81	414.73	3003.53
खगड़िया	414.01	495.40	563.24	660.79	731.14	940.71	390.28	1330.99
भागलपुर	1231.14	1498.66	1702.10	1832.88	2006.38	2054.01	371.65	2425.66
बांका	1608.35	1782.06	2401.06	2674.26	2951.36	2714.41	390.10	3104.51
सहरसा	1050.65	1078.01	1084.17	1129.13	1311.67	1438.07	1226.56	2664.63
सुपौल	1233.93	1314.41	1361.25	1459.52	1635.51	2021.17	687.50	2708.67
मधेपुरा	1191.88	1368.56	1383.75	1458.77	1645.27	2003.42	1887.06	3890.48
पूर्णिया	2298.21	2696.47	3078.37	3257.29	3558.65	3488.85	1344.76	4833.61
किशनगंज	1291.35	1698.28	1931.45	1889.81	2111.70	2134.83	848.75	2983.58
अररिया	2323.53	2359.49	2616.68	2765.60	3070.53	3121.74	1370.36	4492.09
कटिहार	1655.36	1904.16	2019.01	2101.92	2329.39	2533.89	1335.89	3869.78
बिहार	**57388.44**	**64419.49**	**74017.67**	**81337.67**	**89946.11**	**92203.69**	**30919.17**	**123122.85**

स्रोत : ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 6.5 : बिहार में 2018-19 में निबंधित वाहनों के जिलावार आंकड़े

(संख्या)

जिला	ट्रक	बस	कार	टैक्सी	जीप	तिपहिया	दोपहिया	ट्रैक्टर	ट्रेलर	अन्य	योग
पटना	4262	415	22674	1866	5030	5124	137320	868	523	1560	**179642**
नालंदा	503	76	478	138	293	694	23354	1530	1007	382	**28455**
भोजपुर	552	52	514	167	380	1156	31975	1003	865	—	**36664**
बक्सर	162	13	269	38	188	480	11032	360	303	—	**12845**
रोहतास	848	81	893	105	92	985	22766	911	655	520	**27856**
कैमूर	155	37	155	48	111	244	12241	1142	615	1	**14749**
गया	996	139	1864	183	448	2589	31261	1606	886	—	**39972**
जहानाबाद	187	68	85	16	1	518	6158	793	330	—	**8156**
अरवल	26	1	33		1	51	2768	19	18	748	**3665**
नवादा	167	31	196	62	167	202	12192	1209	1083	1086	**16395**
औरंगाबाद	516	58	647	103	153	1540	14094	1145	1056	—	**19312**
सारण	400	24	602	119	467	515	29411	911	238	167	**32854**
सीवान	665	39	662	244	648	734	28479	1389	27	4	**32891**
गोपालगंज	255	26	801	47	130	137	21646	897	30	79	**24048**
पश्चिम चंपारण	1259	10	544	5	147	787	30636	592	22	13	**34015**
पूर्व चंपारण	623	46	1311	214	361	1175	38047	1632	2	264	**43675**
मुजफ्फरपुर	4810	1119	3457	777	-	1989	75019	553	73	—	**87797**
सीतामढ़ी	143	21	145	41	124	992	28817	1198	156	—	**31637**
शिवहर	5		18	11	15	20	2534	64	6	2	**2675**
वैशाली	555	61	4435	135	751	807	35520	896	488	343	**43991**
दरभंगा	824	18	1550	403	693	2591	32791	691	22	351	**39934**
मधुबनी	192	17	227	122	360	848	27300	1623	415	18	**31122**
समस्तीपुर	129	14	263	38	18	1226	38755	1092	490	210	**42235**
बेगूसराय	573	54	1178	174	139	1134	22997	858	541	161	**27809**
मुंगेर	118		82	87	70	320	9486	2	2	488	**10655**
शेखपुरा	119	8	35	26	28	79	2802	398	246	—	**3741**
लखीसराय	274	6	201	48	8	127	4283	398	182	5	**5532**
जमुई	101	6	33	24	58	549	9250	588	536	12	**11157**
खगड़िया	69	3	53	31	159	361	9729	372	317	812	**11906**
भागलपुर	685	19	1347	199	311	1208	13301	315	228	498	**18111**
बांका	164	19	68	27	32	200	6830	242	218	1081	**8881**
सहरसा	134	20	300	47	119	587	12549	924	178	—	**14858**
सुपौल	90	216	261	99	14	99	19121	1338	465	17	**21720**
मधेपुरा	55	15	338	10	-	935	16358	1172	354	95	**19332**
पूर्णिया	2026	79	2776	327	1005	4207	34354	893	160	2343	**48170**
किशनगंज	45	5	551	18	4	688	26447	624	39	101	**28522**
अररिया	24	11	551	10	123	746	17125	1279	650	12	**20531**
कटिहार	62	6	268	31	20	451	30037	1156	474	60	**32565**
बिहार	**22773**	**2833**	**49865**	**6040**	**12668**	**37095**	**928785**	**32683**	**13900**	**11433**	**1118075**

स्रोत : परिवहन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 7

ऊर्जा क्षेत्र

मैं अपना पैस सूरज और सौर उर्जा पर लगाता हूं। ऊर्जा का स्रोत क्या! मुझे उम्मीद है कि इससे निपटने से पहले हमें तेल और कोयले का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

— थॉमस एडिसन

सारांश

ऊर्जा की उपलब्धता किसी समाज में आर्थिक विकास और सामाजिक प्रगति की पूर्वशर्त है। इस अध्याय में राज्य में ऊर्जा क्षेत्र की प्रगति का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। हाल के वर्षों में पूरे राज्य में बिजली की उपलब्धता के मामले में जबर्दस्त प्रगति हुई है। जैसे, 2012-13 से 2018-19 के बीच बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 114 प्रतिशत बढ़ी है। बिजली की मांग में संभावित वृद्धि को देखते हुए राज्य सरकार ने क्षमता में वृद्धि, कार्यसंचालन दक्षता में सुधार, वितरण नेटवर्क के पुनर्वास और विस्तार जैसे अनेक अल्पावधि और दीर्घावधि कदम उठाए हैं। बिजली को उपलब्धता में सुधार बिजली की बिक्री में वृद्धि और उसके कारण राजस्व संग्रहण बढ़ने से स्पष्ट होता है। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को प्राथमिकता देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) की स्थापना की है जो मुख्यत: कैपेक्स (पूंजीगत व्यय) मोड के तहत सौर ऊर्जा पंप और सौर विद्युत उत्पादन संबंधी विभिन्न परियोजनाओं का क्रियान्वयन करता है। ब्रेडा बिहार में ऊर्जा दक्षता संबंधी अनेक योजनाएं भी चलाता है।

किसी देश या क्षेत्र के समग्र विकास के लिए ऊर्जा एक अनिवार्य आवश्यकता है। इसलिए बिजली की पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति किसी सरकार का सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होता है। इस पृष्ठभूमि में सबको बिजली की आपूर्ति करने के लिए बिहार ने महत्वाकांक्षी योजना प्रस्तुत की है। बिजली सारेकृषीतर कार्यों के साथ-साथ कृषिकार्यों के लिए भी जरूरी है। बिहार की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में तेज दर से विकसित होती रही है और इसलिए आने वाले वर्षों में विकास का वर्तमान आवेग बनाए रखने के लिए विद्युत क्षेत्र के विकास का अत्यधिक महत्व है। उत्पादन संबंधी कार्यों के अलावा, जीवन को अधिक आरामदेह और आनंदपूर्ण बनाने के लिहाज से सुख-सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए बिजली की जरूरत घरों में भी पड़ती है। निस्संदेह, सात बुनियादी विकासों को दर्शाने वाले राज्य सरकार के 'सात निश्चय' में से तीसरा घटक 'हर घर बिजली' है। इस घटक के तहत सभी घरों के विद्युतीकरण का मकसद हासिल करने के लिए बिहार में बिजली कंपनियों ने दिसंबर 2017 तक सभी 39,073 गांवों और अप्रील 2018 तक सभी 1.06 लाख ग्रामीण टोलों को बिजली उपलब्ध कराने के लक्ष्य को समय सीमा के भीतर ही प्राप्त कर लिया। साथ ही, सभी 1.40 करोड़ इच्छुक परिवारों को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य भी अक्तूबर 2018 तक हासिल कर लिया गया।

7.1 बिजली की उपलब्धता

बिहार ने आपूर्ति की स्थिति में सुधार के लिहाज से क्षमतावृद्धि, संचरण एवं वितरण नेटवर्क में सुधार तथा ऊर्जा संरक्षण के लिए ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक कदम उठाए हैं। फलत: राज्य में बिजली की अनुमानित चरम मांग में काफी सुधार हुआ है जो 2012-13 के 2650 मेगावाट से 2018-19 में 5,300 मेगावाट हो गई है; अर्थात पिछले छ: वर्षा में यह लगभग 100 प्रतिशत बढ़ी है (तालिका 7.1)। वहीं मांग की चरम पूर्ति में लगभग 185 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो 2012-13 के 1802 मेगावाट से बढ़कर 2018-19 में 5139 मेगावाट हो गई। तालिका से स्पष्ट है कि 2012-13 तक लगभग 32 प्रतिशत की सर्वोच्च कमी (पीक डेफिसिट) रहतो थी जोकाफी घटकर 2018-19 मेंलगभग 3 प्रतिशत रह गई। बिजली की औसत उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में 6-8 घंटे से बढ़कर 20-22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 10-12 घंटे से बढ़कर 22-24 घंटे हो गई। इसके चलते राज्य में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत 2012-13 क 145 किलोवाट-आवर से बढ़कर 2018-19 में 311 किलोवाट-आवर हो गई जो छ: वर्षों में 114 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है।

तालिका 7.1 : विद्युत परिदृश्य (2012-13 से 2018-19)

वर्ष	अनुमानित चरम मांग (मेगावाट)	मांग की चरम पूर्ति (मेगावाट)	चरम कमी/ अधिशेष (मेगावाट) (-/+)	चरम कमी/ अधिशेष (%) (-/+)	ऊर्जा की जरूरत (करोड़ यूनिट)	ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (करोड़ यूनिट)	ऊर्जा की कमी/ अधिशेष (करोड़ यूनिट) (-/+)	ऊर्जा की कमी/ अधिशेष (%) (-/+)	प्रति व्यक्ति खपत (किलोवाट आवर)
2012-13	2650	1802	-848	-32.0	1532.1	1326.7	-205.4	-13.4	145
2013-14	3150	2335	-815	-25.9	1821.2	1504.5	-346.4	-19.0	160
2014-15	3500	2831	-669	-19.1	2222.6	1873.1	-349.5	-15.7	203
2015-16	4112	3459	-653	-15.6	2555.0	2167.9	-387.1	-15.2	258
2016-17	4405	3769	-636	-14.4	2824.5	2397.8	-426.7	-15.1	272
2017-18	4965	4535	-430	-9.4	3009.5	2678.8	-330.7	-12.3	280
2018-19	5300	5139	-161	-3.0	3225.7	2947.2	-278.5	-8.6	311

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 7.1 : 2012-13 से 2018-19 तक ऊर्जा की प्रति व्यक्ति खपत

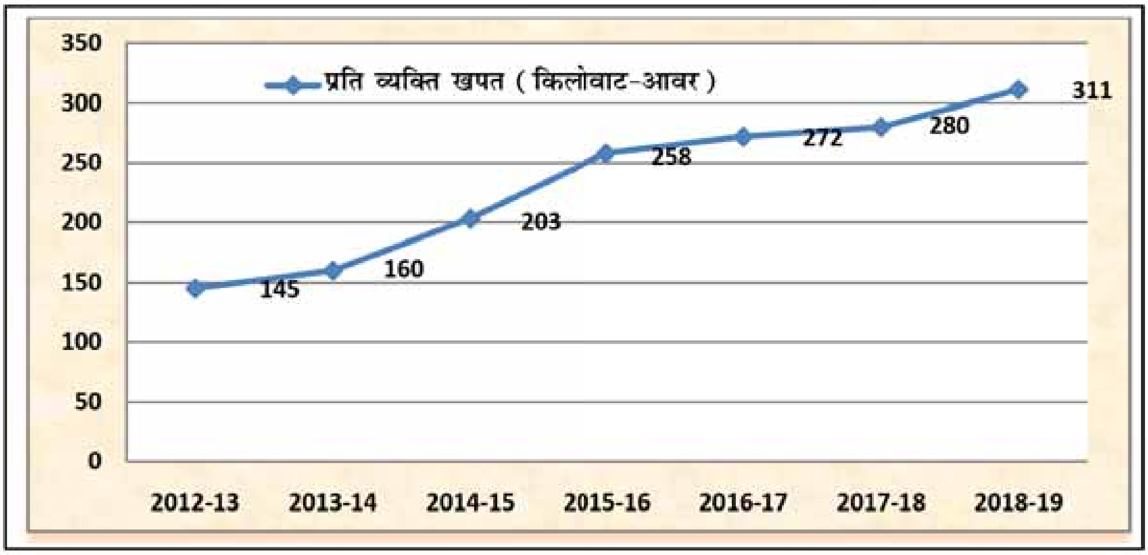

बिहार में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है (तालिका 7.2)। वर्ष 2014-15 में बिजली की कुल खपत 1537.5 करोड़ यूनिट थी जो चार वर्षों में 74 प्रतिशत से भी अधिक वृद्धि

तालिका 7.2: बिजली की जिलावार खपत (2014-15 से 2018-19)

जिला	खपत (करोड़ यूनिट)					वार्षिक चक्रवृद्धि दर (2014-19)
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
पटना	395.9	419.7	471.3	496.5	523.6	7.2
नालंदा	67.2	81.3	94.0	100.8	112.8	13.8
भोजपुर	38.0	49.4	60.1	71.5	75.6	18.6
बक्सर	27.6	35.1	43.9	45.2	48.3	15.0
रोहतास	62.5	78.5	84.2	100.4	109.9	15.1
कैमूर	35.8	43.2	54.6	71.2	71.5	18.9
गया	100.3	121.4	136.5	152.2	163.3	13.0
जहानाबाद	21.6	27.3	33.7	36.3	42.8	18.6
अरवल	6.9	9.5	12.0	13.5	16.6	24.5
नवादा	16.1	28.6	37.4	46.6	55.9	36.5
औरंगाबाद	32.1	49.7	75.9	87.7	90.8	29.7
सारण	45.9	60.5	66.1	74.0	87.7	17.6
सीवान	23.3	29.1	35.0	49.7	64.1	28.8
गोपालगंज	19.5	29.4	34.2	42.8	49.2	26.0
पश्चिम चंपारण	26.0	40.2	43.8	54.3	61.5	24.0
पूर्वी चंपारण	34.1	42.8	46.6	65.4	82.8	24.8
मुजफ्फरपुर	73.5	91.6	93.7	98.6	120.2	13.1
सीतामढ़ी	20.1	27.0	29.5	40.9	48.0	24.3
शिवहर	3.3	5.0	5.9	7.6	8.6	27.3
वैशाली	44.4	58.6	63.6	64.0	73.3	13.4
दरभंगा	38.1	48.2	52.2	57.0	63.5	13.6
मधुबनी	32.5	40.7	46.9	51.2	56.5	14.8
समस्तीपुर	34.3	45.3	50.1	57.2	68.7	19.0
बेगूसराय	37.0	45.2	48.8	54.7	60.3	13.0
मुंगेर	25.5	31.0	36.8	38.2	38.5	10.8
शेखपुरा	11.4	13.6	16.5	17.6	19.0	13.6
लखीसराय	17.1	21.3	30.0	32.7	33.5	18.3
जमुई	16.7	19.1	27.8	32.8	42.3	26.2
खगड़िया	13.4	18.0	19.4	21.8	25.6	17.6
भागलपुर	62.8	71.4	81.2	84.2	90.1	9.4
बांका	16.1	21.5	30.8	29.6	32.0	18.7
सहरसा	18.5	28.2	30.9	30.0	31.2	14.0
सुपौल	18.5	26.4	28.4	29.4	32.0	14.7
मधेपुरा	16.5	23.5	25.5	28.3	29.9	16.0
पूर्णिया	35.8	38.2	42.7	48.4	54.9	11.3
किशनगंज	14.3	18.8	19.7	21.5	21.2	10.3
अररिया	16.1	20.7	26.9	30.6	33.4	20.0
कटिहार	18.8	25.5	27.6	34.5	40.9	21.5
बिहार	**1537.5**	**1884.5**	**2164.2**	**2418.9**	**2680.0**	**14.9**

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

दर्शाते हुए 2018-19 में बढ़कर 2680.0 करोड़ यूनिट हो गई। वर्ष 2018-19 में बिजली की खपत के मामले में शीर्ष तीन जिले थे - पटना (523.6करोड़ यूनिट), गया (163.3करोड़ यूनिट) और नालंदा (112.8करोड़ यूनिट)। दूसरी ओर, सबसे पीछे के तीन जिले शेखपुरा (19.0करोड़ यूनिट), अरवल (16.6करोड़ यूनिट) और शिवहर (8.6 करोड़ यूनिट)थे। वहीं, बिजली की खपत में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने वाले तीन जिले नवादा (36.5 प्रतिशत), औरंगाबाद (29.7 प्रतिशत) और सीवान (28.8 प्रतिशत) हैं।

7.2 बिजली की जरूरत का अनुमान

पहले भी कहा गया है कि सबको बिजली की पर्याप्त और विश्वसनीय आपूर्ति करने के लिए बिहार ने महत्वाकांक्षी योजना सामने लाई है। निस्संदेह, अपने सभी नागरिकों को चौबीसों घंटे बिजली उपलब्ध कराना सामाजिक समानता का पर्यायवाची है। पहले भी कहा गया है कि राज्य सरकार ने दिसंबर 2018 तक 'हर घर बिजली' पहुंचाने का संकल्प इसीलिए लिया था। हालांकि इसे लक्ष्य के तय समय से दो महीने पहल अक्तूबर 2018 में ही हासिल कर लिया गया। अभी राज्य के सभी इच्छुक परिवारां को बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करा दिए गए हैं। अगले चरण में नए और डीजल स चलने वाले पहले से मौजूद, दोनो प्रकार के खेती वाले पंपसेटों को कनेक्शन दिए जा रहे हैं। इसे मिशन मोड में चलाया जा रहा है और इसे मार्च 2020 तक पूरा कर लेने का लक्ष्य है।

आने वाले वर्षों में राज्य में बिजली की मांग में तेज उछाल आएगा। इसका मुख्य कारण पर्ण विद्युतीकरण के लिहाज से ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सेवा कनेक्शन देना, खेतिहर उपभोक्ताओं की संख्या में तेज उछाल, (बिजली के उपकरणों के व्यापक उपयोग के कारण) वर्तमान उपभोक्ताओं की मांगों में वृद्धि, और राज्य का औद्योगीकरण है। तालिका 7.3 में 2019-20 से 2021-22 की अवधि में सभी उपभोक्ताओं की बिजली की वार्षिक जरूरत का अनुमान पेश किया गया है।

तालिका 7.3 : ग्रामीण और शहरी उपभोक्ताओं के लिए ऊर्जा की वार्षिक आवश्यकता (2019-20 से 2021-22)

(आंकड़े करोड़ यूनिट में)

वर्ष	उपभोक्ताओं की श्रेणी					
	वर्तमान विद्युतीकृत घर	नए घर	कुल घरेलू आवश्यकता	घरेलू से भिन्न उपभोक्ता	नए कृषि कनेक्शन	योगफल
2019-20	1255.8	139.6	1395.4	817.3	96.6	2309.3
2020-21	1524.5	169.4	1693.9	887.5	116.0	2697.4
2021-22	1891.5	210.5	2102.0	985.2	143.1	3230.3

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.4 में वितरण जनित ह्रास और राज्य के अंदर संचरण जनित ह्रास को ध्यान में रखते हुए राज्य की सीमा में बिजली की अनुमानित जरूरत दर्शाई गई है। वर्ष 2021-22 तक बिहार में बिजली की मांग लगभग 6900 मेगावाट और ऊर्जा की वार्षिक मांग 3984.1 करोड़ यूनिट होना अनुमानित है।

तालिका 7.4 : राज्य की सीमा में बिजली की चरम और ऊर्जा की वार्षिक मांग (2019-20 से 2021-22)

सूचक	2019-20	2020-21	2021-22
मांग के अनुमान के अनुसार ऊर्जा की जरूरत (करोड़ यूनिट)	2309.3	2697.4	3230.3
वितरण जनित ह्रास (प्रतिशत)	26.98	20.00	15.00
राज्य के अंदर संचरण जनित ह्रास (प्रतिशत)	3.92	3.92	3.92
राज्य की सीमा में ऊर्जा की जरूरत (करोड़ यूनिट)	3342.0	3545.5	3984.1
0.734 लोड फैक्टर पर चरम मांग (मेगावाट)	5868	6381	6900
0.734 लोड फैक्टर पर चरम मांग (मेगावाट) (मात्र 50 प्रतिशत तक कृषि लोड सहित)	5624	6091	6600

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2018 में राज्य में बिजली की उपलब्ध क्षमता 3889 मेगावाट थी जो 22.6 प्रतिशत बढ़कर 2019 में 4767 मेगावाट हो गई। बिजली की बढो हुई मांग को पूरी करने के लिए राज्य सरकार 2021-22 तक विभिन्न स्रोतों से 5335 मेगावाट की अतिरिक्त क्षमता चरणबद्ध ढंग से बढ़ाने की योजना पहले ही बना चुकी है। ये स्रोत हैं - अपने उत्पादन केंद्र, केंद्रोय उत्पादन केंद्र, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और प्रतिस्पर्धी बोलियों के जरिए दीर्घकालिक/मध्यकालिक खरीद समझौते (पीपीए)। इस अतिरिक्त क्षमता के स्रोतवार विवरण तालिका 7.5 में प्रस्तुत हैं। बिजली की अतिरिक्त क्षमता नई या निर्माणाधीन परियोजनाओं से अथवा जीर्णोद्धार या आधुनिकीकरण वाली पुरानी परियोजनाओं से उपलब्ध होगी। वष 2021-22 तक बिहार में बिजली की कुल उपलब्ध क्षमता 10,102 मेगावाट हो जाने की आशा है, जिसमें से 6421 मेगात्राट (63.6 प्रतिशत) पारंपरिक बिजली होगी और शेष 3681 मेगावाट (36.4 प्रतिशत) अपारंपरिक।

तालिका 7.5 : क्षमता विस्तार का वर्षवार और स्रोतवार ब्योरा (2017-18 से 2021-22)

(आंकड़े मेगावाट में)

स्रोत	2017-18	2018-19	प्रस्तावित संचयी क्षमता		
			2019-20	2020-21	2021-22
राजकीय उत्पादन केंद्र					
राजकीय तापविद्युत	110	0	0	0	0
राजकीय लघु जलविद्युत	10	54	64	64	64
केंद्रोय उत्पादन केंद्रों का हिस्सा					
केंद्रोय उत्पादन केंद्र-तापविद्युत	2596	3421	4195	4969	5733
केंद्रोय उत्पादन केंद्र-जलविद्युत	469	466	729	729	729
स्वतंत्र विद्युत उत्पादक परियोजनाएं (केस 1)	260	488	688	688	688
अपारंपरिक/ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (सौर)	220	138	138	888	1338
अपारंपरिक/ नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (पवन)	224	200	600	1200	1550
योगफल	**3889**	**4767**	**6414**	**8538**	**10102**

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.6 : विद्युत और ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (2019-20 से 2021-22)

वर्ष	कुल क्षमता (मेगावाट)	राज्य की सीमा में अनुमानित चरम उपलब्धता (मेगावाट)	राज्य की सीमा में ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (करोड़ यूनिट)
2019-20	6414	5323	3263.2
2020-21	8538	6199	3673.2
2021-22	10102	6992	4134.7

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

हालांकि राज्य में 2019-20 में बिजली की उपलब्धता में होने वाली 5.4 प्रतिशत चरम कमी अतिरिक्त उत्पादन क्षमता की उपलब्धता के जरिए2020-21 तक दूर हो जाएगी और 1.8 प्रतिशत अधिशेष बिजली उपलब्ध होगी (तालिका 7.7)। अतिरिक्त उत्पादन क्षमता के कारण यह अतिरिक्त उपलब्धता 2021-22 में और भी बढ़कर 5.9 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है। वर्ष 2019-20 में रहने वाली 5.4 प्रतिशत कमी की पूर्ति खुले बाजार से बिजली की खरीद के जरिए होगी। ऊर्जा की जरूरत और उपलब्धता के बीच मौजूद फासले में लगातार कमी आने 2019-20की2.4 प्रतिशत कमी से 2020-21 में 3.6 प्रतिशत अधिशेष में और 2021-22 में 3.8 प्रतिशत अधिशेष में बदल जाने की आशा है। वर्ष2019-20 में रहने वाली 2.4 प्रतिशत कमी की पूर्ति खुले बाजार से बिजली खरीदकर की जाएगी।

तालिका 7.7 : विद्युत और ऊर्जा का अनुमानित अधिशेष/ कमी (2019-20 से 2021-22)

विद्युत आपूर्ति की स्थिति	2019-20	2020-21	2021-22
मात्र 50 प्रतिशत कृषिगत लोड के साथ अनुमानित चरम आवश्यकता (मेगावाट)	5624	6091	6600
राज्य की उत्पादन योजना के अनुसार अनुमानित चरम उपलब्धता (मेगावाट)	5323	6199	6992
चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (मेगावाट)	(-) 301	(+) 108	(+) 392
चरम मांग अधिशेष/ कमी (प्रतिशत)	(-) 5.4	(+) 1.8	(+) 5.9
राज्य की सीमा में ऊर्जा की अनुमानित आवश्यकता (करोड़ यूनिट)	3342.0	3545.5	3984.1
राज्य की उत्पादन योजना के अनुसार राज्य की सीमा में ऊर्जा की अनुमानित उपलब्धता (करोड़ यूनिट)	3263.2	3673.2	4134.7
चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (करोड़ यूनिट)	(-) 78.8	(+) 127.7	(+) 150.6
चरम मांग अधिशेष (+)/ कमी (-) (प्रतिशत)	(-) 2.4	(+) 3.6	(+) 3.8

टिप्पणी : 50%कृषिगत लोड की आपूर्ति बारी-बारी से की जाएगी।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

7.3 विद्युत क्षेत्र का संस्थागत ढांचा

अप्रील 1958 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड का गठन मूलतः विद्युत (आपूर्ति) अधिनियम, 1948 के अनुच्छेद 5 के तहत किया गया था और उसे बिहार में विद्युत उत्पादन, संचरण, वितरण और बिजली संबंधी अन्य गतिविधियों के प्रबंधन की जिम्मेवारी दी गई थी। नई बिहार राज्य विद्युत सुधार अंतरण योजना, 2012 के तहत, नवंबर 2012 में बोर्ड को पांच कंपनियों में बांट दिया गया -(i) बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.एच.सी.एल.), (ii) बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.जी.सी.एल.), (iii) बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.टी.सी.एल.), (iv) उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एन.बी.पी.डी.सी.एल.) और (v) दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एस.बी.पी.डी.सी.एल.)। नई बनी कंपनियों के दायित्व संक्षेप में नीचे वर्णित हैं।

बिहार राज्य विद्युत (होल्डिंग) कंपनी लिमिटेड (बी.एस.पी.एच.सी.एल.): इस कंपनी को नई बनी चार कंपनियों - बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड, बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लिमिटेड, दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड - के शेयरों का स्वामित्व दिया गया है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की परिसंपत्तियां, संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व भी सुपुर्द किए गए हैं। यह मुख्यतः एक निवेश कंपनी होगी। यह अन्य कंपनियों के कार्यों का समन्वय करेगी, विवादों का निपटारा करेगी तथा उन्हें सारे आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराएगी।

बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. (बी.एस.पी.जी.सी.एल.) : यह कंपनी विद्युत उत्पादन में लगी अनुषंगी कंपनियों सहित अन्य कंपनियों और प्रतिष्ठानों का समन्वय करने और उन्हें सुझाव देने के लिए जवाबदेह है। समन्वय और सुझाव की भूमिकाओं में उत्पादन केंद्रों के निर्माण, संचालन और रखरखाव तथा संबंधित सुविधाओं से संबंधित सारे मामले शामिल हैं। यह ईंधन की खरीद और विभिन्न स्थलों तक उनकी ढुलाई तथा लंबित विवादों के निपटारे के लिए भी जवाबदेह है।

बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी लि. (बी.एस.पी.टी.सी.एल.) : यह कंपनी विद्युत संचरण के लिए जवाबदेह है। इसे पूर्ववर्ती बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की संचरण संबंधी परिसंपत्तियों का स्वामित्व दिया गया है तथा संपत्ति के हित, अधिकार और दायित्व सुपुर्द किए गए हैं। इस कंपनी से योजना निर्माण आर समन्वय संबंधी कार्यों के अलावा, उत्पादन केंद्रों से भार केंद्रों (लोड सेंटर) तक जोड़कर बिजली पहुंचाने के लिए अंतर-राज्य संचरण लाइनों की कुशल व्यवस्था विकसित करने की भी आशा की जाती है।

उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. (एन.बी.पी.डी.सी.एल.) और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. (एस.बी.पी.डी.सी.एल.): ये दोनो कंपनियां सभी उपभोक्ताओं तक बिजली के वितरण, बिजली के व्यापार और विभिन्न योजनाओं के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के क्रियान्वयन का काम करती हैं। अभी ग्रामीण विद्युतीकरण का काम अनक योजनाओं के जरिए किया जाता है। ये योजनाएं हैं - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम

ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना), पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) के तहत विशेष योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत कृषि के लिए अलग फीडर, तथा प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) के तहत सभी इच्छुक परिवारों को बिजली कनेक्शन। समेकित विद्युत विकास योजना (आइ.पी.डी.एस.), राज्य योजना और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाओं के तहत व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के लिए अन्य योजनाएं भी चल रही हैं। एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजनाएं बाहरी सहायता प्राप्त परियोजनाएं (ईएपी) हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 और नियंत्रक के दिशानिर्देश के अनुसार वितरण की खुली उपलब्धता शुरू करने का काम भी दोनो कंपनियों का दायित्व है। वे विद्युत क्रय समझौतों तथा बिजली की खरीद या बिक्री संबंधी अन्य समझौतों के लिए निविदा जारी करती हैं, उन्हें अंतिम रूप देती हैं और निष्पादित करती हैं।

वर्ष 2015-16 में बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. और इसकी अनुषंगी कंपनियों - बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) और बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) के लिए धनराशि का आबंटन 3663.49 करोड़ रु. था जो 2017-18 में बढ़कर 8271.59 करोड़ रु. हो गया था। उसके बाद धनराशि के आबंटन में कमी आई जो 2018-19 में 6185.63 करोड़ रु. और 2019-20 में 4583.13 करोड़ रु. रह गया। विभिन्न शीर्षों के तहत रकम का ब्योरा तालिका 7.8 में प्रस्तुत है।

तालिका 7.8 : बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी लि. के तहत धनराशियों का आबंटन (2015-16 से 2019-20)

(करोड़ रु.)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	2274.00	1329.40	2600.00	2013.83	1391.33
राज्य योजना					
बिहार राज्य विद्युत होल्डिंग कं. लि.	64.43	127.50	1576.10	1399.14	1989.00
उत्पादन	181.01	1155.00	592.50	61.85	3.50
संचरण	448.99	700.00	510.00	500.00	325.00
वितरण	486.00	3126.65	1680.00	1450.00	768.50
ब्रेडा	60.00	150.00	249.90	75.00	50.00
बिहार राज्य जल विद्युत निगम	15.00	10.00	10.00	20.00	50.00
बिहार राज्य जल विद्युत निगम (ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष)	67.80	67.80	67.80	5.80	5.80
बाहरी सहायता- प्राप्त परियोजनाएं	66.26	260.91	235.29	100.00	—
मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना	—	587.38	750.00	560.00	—
योगफल	**3663.49**	**7514.64**	**8271.59**	**6185.63**	**4583.13**

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

7.4 वितरण कंपनियां

वितरण पूरी विद्युत आपूर्ति- ृंखला का अत्यंत महत्वपूर्ण अवयव है क्योंकि यह राजस्व अर्जित करने वाली अकेली शाखा है। इसी राजस्व के बूते राज्य सरकार केंद्रीय क्षेत्र से अधिक बिजली खरीदकर पूरी आपूर्ति- ृंखला में सुधार कर पाती है। इसीलिए विद्युत क्षेत्र के सुधारों की प्रमुख चुनौती वितरण क्षेत्र का कुशल प्रबंधन है। बिहार में वितरण व्यवस्था दो वितरण कंपनियों के जिम्मे है - उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि.। मार्च 2019 तक ये कंपनियां 145 लाख से भी अधिक विद्युत उपभोक्ताओं को सेवा दे रही थीं (तालिका 7.9)।

तालिका 7.9 : प्रभावी उपभोक्ताओं की श्रेणीवार संख्या (बिलिंग के आंकड़ों के अनुसार) (2014-15 से 2018-19)

प्रभावी उपभोक्ताओं की संख्या								
घरेलू	व्यावसायिक	औद्योगिक (निम्न विभव)	औद्योगिक (उच्च विभव)	सार्वजनिक प्रकाश व्यवस्था	ट्रैक्शन	कृषि	सार्वजनिक जल प्रदाय	योगफल
2014-15								
5174585 (92.5)	346375 (6.2)	19599 (0.4)	1582 (0.03)	511 (0.01)	19 (नगण्य)	52980 (0.9)	1302 (0.02)	5596953 (100.0)
2015-16								
7407609 (92.5)	488690 (6.1)	31405 (0.4)	1922 (0.03)	1237 (0.02)	19 (नगण्य)	75087 (0.9)	1760 (0.02)	8007729 (100.0)
2016-17								
9499943 (91.9)	616512 (6.0)	57433 (0.6)	2050 (0.02)	679 (0.01)	22 (नगण्य)	162188 (1.6)	2030 (0.02)	10340859 (100.0)
2017-18								
10136625 (89.23)	620291 (5.46)	75023 (0.70)	2372 (0.02)	1553 (0.01)	23 (नगण्य)	176418 (1.6)	2779 (0.02)	11359508 (100.0)
2018-19								
13475313 (92.51)	762438 (5.23)	90671 (0.62)	2806 (0.02)	2483 (0.02)	23 (नगण्य)	228423 (1.56)	3700 (0.02)	14565857 (100.0)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं। वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के सारे आंकड़े अंकेक्षित वार्षिक लेखों पर आधारित हैं।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

दोनो वितरण कंपनियां अपने वितरण नेटवर्क के विस्तार और सुदृढ़ीकरण के लिए पहले से ही कई योजनाओं का क्रियान्वयन कर रही हैं। इन जारी योजनाओं में ट्रांसफर्मर बदलना, नए ट्रांसफर्मर खरीदना, उच्च विभव और निम्न विभव वाली मौजूदा लाइनों के पुराने कंडक्टर बदलना और नई उच्च विभव और निम्न विभव लाइनों, विद्युत उप-केंद्रां और बे आदि का निर्माण करना शामिल हैं।

7.5 कार्यसंचालन और वित्त संबंधी स्थिति

हाल के वर्षों में बिजली की मांग राज्य में लगातार बढ़ती गई है जिसका कारण एक ओर तेज आर्थिक विकास है तो दूसरी ओर बढ़ती आबादी। बिहार में बिजली का उत्पादन और खरीद (केंद्रीय वितरण जनित ह्रास को छोड़कर) चार वर्षों में लगभग 30 प्रतिशत बढ़कर 2015-16 के 2167.7 करोड़ यूनिट से 2018-19 में 2811.2 करोड़ यूनिट हो गई। बिजली की बिक्री बढ़ने के साथ राजस्व संग्रहण भी बढ़ा है। वर्ष 2017-18 में लागत वसूली लगभग 80 प्रतिशत थी जो 2018-19 में 86 प्रतिशत से भी अधिक हो गई है। दोनो विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति तालिका 7.10 में वर्णित है।

तालिका 7.10 : विद्युत क्षेत्र की वित्तांय स्थिति (2015-16 से 2018-19)

मद	2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी	दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी
उत्पादन और खरीद (करोड़ यूनिट)	892.9	1274.8	964.7	1338.0	1098.3	1457.6	1247.8	1563.4
बिक्री (करोड़ यूनिट)	650.5	719.9	719.5	866.1	874.5	950.3	949.3	1058.6
ह्रास (प्रतिशत)	27.4	43.5	25.6	35.6	20.38	34.80	23.92	32.29
औसत राजस्व (रु./ यूनिट)	4.14	4.45	4.02	4.58	5.48	6.02	6.55	7.01
बिजली की बिक्री (करोड़ रु.)	2696	3202	2891	3971	4798	5718	6221	7419
सब्सिडी सहित कुल आय (करोड़ रु.)	4475	6309	4620	6755	5073	6189	7461	7953
कुल व्यय (करोड़ रु.)	4815	7043	5134	7527	5814	8520	8057	9766
लागत वसूली (कुल आय/ कुल व्यय) (प्रतिशत)	92.9	89.6	90.0	89.7	87.3	72.6	92.6	81.4
वित्तीय घाटा (प्रतिशत)	7.1	10.4	10.0	10.3	12.7	27.4	7.4	18.6

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

राज्य सरकार के द्वारा किए गए संचरण एवं वितरण (टी.एंड.डी) ह्रास में कमी और लोड को दिन के चौबीसों घंटों में व्यवस्थित ढंग से बांटने के कारण हाल में राज्य में बिजली की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वितरण कंपनियों ने सभी उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाने के साथ-साथ बिल निर्माण और संग्रहण व्यवस्था में सुधार करके इस समस्या से निपटने का चौतरफा प्रयास किया। इसकी परिणति सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक (ए.टी. एंड सी.) ह्रास में हुई है जो 2011-12 के 59.2 प्रतिशत से घटकर 2016-17 में 40.6 प्रतिशत और 2017-18 में और भी घटकर 30.2 प्रतिशत रह गयाथा। हालांकि 2018-19 में यह थोड़ा बढ़कर 30.4 प्रतिशत हो गया (तालिका 7.11)। इन ह्रासों में कमी लाने के लिए फीडर और वितरण ट्रांसफर्मर के स्तर पर लेखाकरण और अंकेक्षण जरूरी हैं और वितरण कंपनियों ने ऐसा करना शुरू कर दिया है। सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास को घटाकर 15 प्रतिशत से नीचे लाने के लिए वितरण कंपनियां कठिन प्रयत्न कर रही हैं।

तालिका 7.11 : सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास (2011-12 से 2018-19)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
संचरण एवं वितरण ह्रास (प्रतिशत)	59.2	54.6	46.3	43.8	43.5	40.6	30.2	30.4

टिप्पणी : सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास की गणना पीएफसी फॉर्मूला का उपयोग करके की गई है (नेपाल छोड़कर)

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 7.2 :सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास (2011-12 से 2018-19)

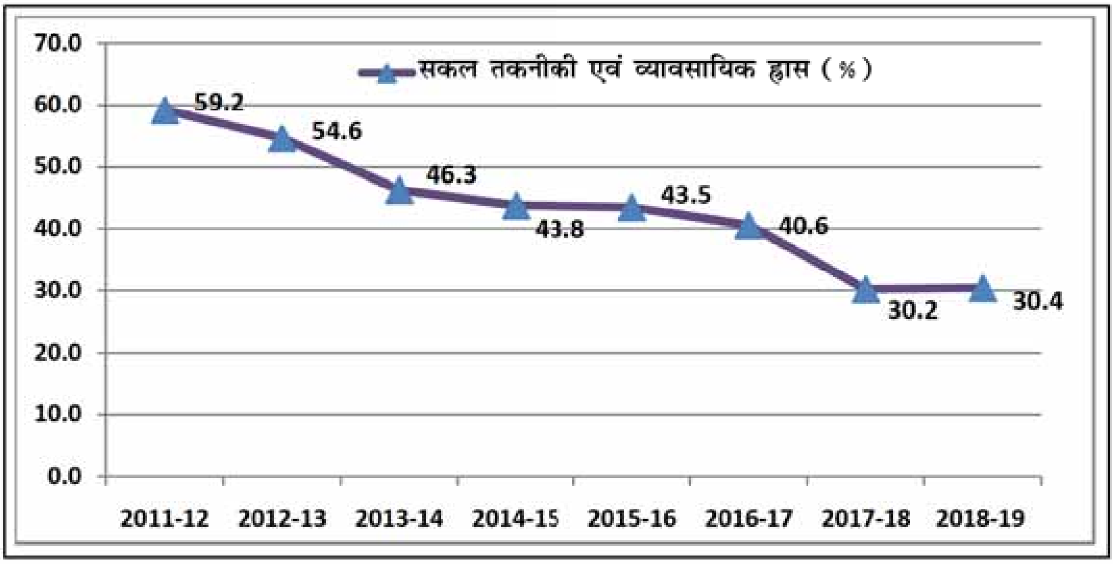

7.6 केंद्र सरकार के विद्युत क्षेत्र के कार्यक्रम

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति का दायरा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार के चार महत्वपूर्ण कार्यक्रम चल रहे हैं। ये कार्यक्रम हैं - दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (पूर्व में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना), समेकित विद्युत विकास योजना (आइपीडीएस) (पूर्व में पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम - आर-एपीडीआरपी), प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना (सौभाग्य) तथा विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)। इन कार्यक्रमों की प्रगति नीचे प्रस्तुत है :

दीनदयाल उपाध्याय गाम ज्योति योजना

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 88.7 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है। इसके कारण यह देश का सबसे अधिक ग्रामीणीकृत राज्य है। इस मामले में राष्टोय औसत लगभग 68.9 प्रतिशत है। अत: ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रिड के जरिए बिजली पहुंचाने में सुधार लाना अत्यंत महत्व का काम है। इसी लिहाज से दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत ग्रामीण विद्युतीकरण का काम राज्य के सभी 38 जिलों में पूरा किया गया है और सभी गांव-टोलों का पूर्ण विद्युतीकरण हो चुका है। केंद्र सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का

आरंभ निम्नलिखित उद्दश्यों के साथ किया था :

(1) ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और कृषीतर फीडरों को अलग करना, और कृषि और कृषीतर उपभोक्ताओं के लिए उचित आपूर्ति बहाल करने में मदद करना।

(2) ग्रामीण क्षेत्रों में टांसफर्मरों/ फीडरों/ उपभोक्ताओं के घरों में मीटरलगाने सहित उप-संचरण और वितरण अधिसंरचना का सुदृढ़ीकरण और वृद्धि करना।

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के तहत तय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना के लिए स्वीकृत परिव्यय को दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में अंतरित करके ग्रामीण विद्युतीकरण करना।

केंद्र सरकार द्वारा बारहवीं और तेरहवीं योजनाओं के दौरान स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को अब केंद्र सरकार की नई योजना दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना में समाहित कर दिया गया है।

परियोजना का कुल स्वीकृत व्यय 6500.71 करोड़ रु. है जिसमें से 3791.88 करोड़ रु. का सितंबर 2019 तक उपयोग किया जा चुका है। केंद्र सरकार परियोजना व्यय का 60 प्रतिशत भाग अनुदान के बतौर दे रही है और शेष 40 प्रतिशत हिस्से की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जा रही है।काम प्रगति पर है और पूरा होने का लक्षित समय मार्च 2020 है।

समेकित विद्युत विकास योजना

पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम को नई शुरू की गई समेकित विद्युत विकास योजना (आइपीडीएस)में समाहित कर दिया गया है। इस योजना के कई घटक हैं – वितरण क्षेत्र का सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमीकरण, वितरण संबंधी व्यवधानों को दूर करने के लिए उप-संचरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, और बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए सरकारी भवनों पर सोलर पैनल का प्रावधान। इसके अलावा योजना में नेट-मीटरिंग, और शहरी क्षेत्रों में वितरण ट्रांसफर्मरों/ फीडरों/ उपभोक्ताओं क यहां मीटर लगाना भी शामिल है।

पूर्ववर्ती पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के भाग-क के तहत 67 शहरों (4 फ्रैंचाइजी शहरों को छोड़कर) में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमीकरण का काम पूरा हो गया है। योजना के भाग-ख के तहत 60 शहरों और एशियाई विकास बैंक द्वारा वित्तपोषित योजना के तहत 7 शहरों में वितरण व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण का काम भी पूरा हो गया है। कार्यक्रम का लक्ष्य काम के समय अनुश्रवण और नियंत्रण उपलब्ध कराना, ह्रास को न्यूनतम करना, लोड संतुलित करना और वोल्टेज संबंधी विवरणी में सुधार लाना है।

नई शुरू की गई योजना - समेकित विद्युत विकास योजना - का क्रियान्वयन बिहार के 133 शहरों में किया जा रहा है। इसका मकसद (क) उप-संचरण और वितरण नेटवर्क का सुदृढ़ीकरण, (ख) सरकारी भवनों पर सोलर पैनल लगाना, (ग) फीडरों/ वितरण ट्रांसफर्मरों/ उपभोक्ताओं के यहां मीटर लगाना, और (घ) शहरी क्षेत्रों में वितरण प्रणाली में सूचना प्रौद्योगिकी का क्रियान्वयन है। परियोजना द्वारा चैबीसो घंटे बिजली आपूर्ति और सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास में कमी सुनिश्चित की जाएगी। काम प्रगति पर है और पूरा होने का लक्षित समय मार्च 2020 है।

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम औरसमेकित विद्युत विकास योजना के तहत पूंजीगत व्यय के विवरण तालिका 7.12 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 7.12 : पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम और समेकित विद्युत विकास योजना का पूंजीगत व्यय

पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम के तहत परियोजना के घटक	परिव्यय (करोड़ रु.)	किया गया व्यय (करोड़ रु.)	व्यय परिव्यय के प्रतिशत के बतौर
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम–भाग क	253.68	176.84	69.7
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम–भाग ख	1155.21	992.01	85.9
पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम–स्काडा	34.36	16.02	46.6
समेकित विद्युत विकास योजना (सूचना प्रौद्योगिकी और उद्यम संसाधनयोजना)	67.68	0.00	0.0
वास्तविक समय आंकड़ा अधिग्रहण प्रणाली	5.85	0.00	0.0
समेकित विद्युत विकास योजना (प्रणाली सुदृढ़ीकरण)	2208.91	1192.56	54.0
योगफल	**3725.69**	**2377.43**	**63.8**

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

केंद्र सरकार नेसमेकित विद्युत विकास योजना के तहत पूर्व में राज्य के वितरण फ्रैंचाइजी रहे शहरों – मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया के लिए एक और योजना स्वीकृत की है। इस योजना का मकसद 454.77 करोड़ रु. के व्यय से इन शहरों में प्रणाली का सुदृढ़ीकरण है। इसके अलावा, बोधगया और आरा में जमीन के अंदर केबल बिछाने और प्रणाली सुदृढ़ीकरण के लिए भी 71.20 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही, उत्तर और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनियों के तहत विभिन्न शहरों के लिए 14 जीआइएस (गैस इनसुलेटेट स्विचगियर) और 6 ई-हाउस कंटेनर वाले विद्युत उप-केंद्रों के लिए भी एक योजना स्वीकृत की गई है जिसका व्यय 179.80 करोड़ है। इस योजना के लिए केंद्र सरकार अनुदान के बतौर परियोजना व्यय का 60 प्रतिशत अंशदान करेगी जबकि शेष 40 प्रतिशत की व्यवस्था राज्य सरकार और वितरण कंपनियों द्वारा की जाएगी। जीआइएस विद्युत उप-केंद्रों के निर्माण के लिए अभिकरण (एजेंसी) तय कर लिए गए हैं और काम शुरू हो गया है। ई-हाउस कंटेनर वाले विद्युत उप-केंद्रों के लिएनिविदा संबंधी प्रक्रिया चल रही है।

सौभाग्य योजना के तहत हर घर बिजली

'हर घर बिजली' राज्य सरकार के सात निश्चयों में से एक है। इसका लक्ष्य हर इच्छुक परिवार को बिजली का कनेक्शन देना है। सभी ग्रामीण बीपीएल परिवार दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तहत आच्छादित हैं लेकिन ग्रामीण एपीएल परिवारों के लिए सेवा के कनेक्शन देने के लिए कोई योजना नहीं थी। इसीलिए ग्रामीण एपीएल परिवारों को मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना के तहत नया सेवा कनेक्शन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक योजना स्वीकृत की गई। इसी बीच केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने अक्तूबर 2017 में पूरे देश के हर

इच्छुक परिवार को बिजली का कनेक्शन देने के लिए सौभाग्य (प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना) को स्वीकृति प्रदान करते हुए एक स्मारपत्र जारी किया। इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने कनेक्शन के लिए 3,000 रु. प्रति परिवार और सभी परिवारों तक बिजली पहुंचाने के लिए 1,500 रु. प्रति परिवार स्वीकृत किया है।

राज्य सरकार ने सौभाग्य योजना को अपना लिया है और मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना को सौभाग्य योजना में समाहित कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी 32,59,041 इच्छुक परिवारों को बिजली के कनेक्शन देने के साथ योजना अक्तूबर 2018 में पूरी हो गई है। मांग के आधार पर ऐसे कनेक्शन शहरी क्षेत्रों में भी दिए जा रहे हैं।

विशेष योजना (पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि)

केंद्र सरकार की पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने के लिए बनाई गई है। यह केंद्र सरकार द्वारा पूर्णतः वित्तपोषित योजना है। चिन्हित पिछड़े जिलों में पहले से हो रहे विकासमूलक प्रवाहों के पूरक के बतौर तथा उनको एक जगह लाने के लिए इस निधि के जरिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसका लक्ष्य स्थानीय अधिसंरचना में और मौजूदा प्रवाहों के जरिए उपयुक्त ढंग से पूरी नहीं हो रही विकास संबंधी अन्य जरूरतों के मामले में मौजूद गंभीर कमियों को दूर करना है। निधि के जरिए स्थानीय स्तर पर महसूस की जा रही जरूरतों के संबंध में भागीदारी आधारित योजना बनाने, निर्णय लेने, और क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने में सहयोग किया जाता है। इसके जरिए राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों के निष्पादन में सुधार लाने में भी मदद की जाती है। इस योजना को चार भागों में बांटा गया है – चरण–1, चरण–2, चरण–2 (भाग–ग) और ग्रामीण विद्युतीकरण। चरण–1 का मकसद वितरण संबंधी तात्कालिक व्यवधानों को दूर करना था जबकि चरण–2 का मकसद अगले 5 वर्षों के लिए बढ़े लोड की पूर्ति करना था। वहीं चरण–2 (भाग–ग) का मकसद असुरक्षित स्थानों पर नग्न कंडक्टर वाले निम्न विभव और 11,000 वोल्ट वाली लाइनों की जगह एरियल बंच्ड केबल (एबी केबल) लगाकर वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता और सुरक्षा के मुद्द के समाधान का प्रयास करना और (11वीं योजना के चरण–2 के तहत) 11 जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण की कमी को दूर करना था। उक्त योजनाओं का अनुमानित व्यय 6431.86 करोड़ रु. है। सितंबर 2019 तक 5366.92 करोड़ रु. (आबंटन का 83.4 प्रतिशत) खर्च किए जा चुके थे – उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी के तहत 3067.81 करोड़ रु. और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी के तहत 2299.11 करोड़ रु.।

7.7 संचरण

संचरण नेटवर्क के जरिए विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं को विद्युत की आपूर्ति होती है। इसमें उच्च विभव वाली बिजली को निम्न विभव वाली में बदलने का काम भी शामिल होता है। संचरण नेटवर्क विद्युत उत्पादन और वितरण के बीच महत्वपूर्ण कड़ी का काम करता है। अतः संचरण प्रक्रिया से जुड़ी चुनौतियां अधिकांशतः अन्य दो खंडों – उत्पादन और वितरण – की बढ़ती जरूरतों से संबंधित होती हैं। बिजली की बढ़ती मांग पूरी करने के लिए राज्य के अंदर और राज्यों के बीच, दोनो स्तरों पर सशक्त और विश्वसनीय संचरण नेटवर्क की जरूरत होती है। इसीलिएसभी प्रकार के उपभोक्ताओं के लिए बिजली की चौबीसो घंटे उपलब्धता की मांग पूरी करने के लिए वर्तमान संचरण व्यवस्था का उचित योजना के साथ सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है।

बिहार में संचरण व्यवस्था में लगभग 16,644 सर्किट किमी अति उच्च विभव वाली (ईएचवी) संचरण लाइनें, तथा 220/132 केवी स्तर के कुल 8510 एमवीए और 132/33 केवी स्तर के 13,870 एमवीए रूपांतरण क्षमता वाले 148 ग्रिड उप-केंद्र हैं। वर्ष 2019-20 में यह क्षमता बढ़कर 17,300 सर्किट किमी संचरण लाइन, तथा 220/132 केवी स्तर पर 8830 एमवीए और 132/33 केवी स्तर पर 14,490 एमवीए संचरण क्षमता वाले 153 ग्रिड उप-केंद्र हो जाना अनुमानित है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक चौबीसो घंटे विद्युत आपूर्ति हेतु वांछित क्षमता का अनुमान किया गया है जो तालिका 7.13 में प्रस्तुत है। वर्ष 2019-20 से 2021-22 तक अनुमानित मांग को पूरी करने की कार्ययोजना तालिका 7.14 में दर्शाई गई है। चरम अवधि में बिजली की उपलब्धता 2015-16 में 3459 मेगावाट थी जो चार वर्षों में 70 प्रतिशत बढ़कर सितंबर 2019 में 5891 मेगावाट हो गई।

तालिका 7.13 : बिजली की अनुमानित वांछित क्षमता (2019-20 से 2021-22)

मांग/ क्षमता	2019-20	2020-21	2021-22
चरम मांग (मेगावाट)	5868	6381	6900
चरम मांग की पूर्ति के लिए जरूरी संचरण क्षमता (मेगावाट)	11002	11964	12938
उपलब्ध क्षमता (एमवीए)	शून्य	3000	4000
220/132 केवी स्तर पर	8830	13270	13670
132/33 केवी स्तर पर	14490	16800	17500

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

तालिका 7.14 : संचरण के सुदृढ़ीकरण हेतु कार्ययोजना (2019-20 से 2021-22)

वर्ष	नए ग्रिड उप-केंद्रों की संख्या	नई संचरण लाइनें (सर्किट किमी)
2019-20	▪ 400/220/132/33 केवी - 0 अदद ▪ 400/220/132 केवी - 0 अदद ▪ 220/132/33 केवी - 01 अदद ▪ 220/33 केवी - 01 अदद ▪ 132/33 केवी - 03 अदद	▪ 400 केवी -0 ▪ 220 केवी -500 ▪ 132 केवी -190
2020-21	▪ 400/220/132/33केवी - 02 अदद ▪ 400/220/132 केवी - 01 अदद ▪ 220/132/33 केवी - 10 अदद ▪ 132/33 केवी - 02 अदद	▪ 400 केवी -390 ▪ 220 केवी -1500 ▪ 132 केवी -1100
2021-22	▪ 400/220/132केवी - 01 अदद ▪ 400/220/132 केवी - 0 अदद ▪ 132/33 केवी - 07 अदद	▪ 400 केवी -70 ▪ 220 केवी -100 ▪ 132 केवी -250

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

7.8 उत्पादन

मार्च 2019 तक राज्य में कुल 4767 मेगावाट की विद्युत उत्पादन क्षमता थी। इसमें से 82 प्रतिशत कोयला आधारित तापविद्युत से, 11 प्रतिशत जलविद्युत से और शेष 7 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से उपलब्ध थी। स्वामित्व के लिहाज से देखें तो सर्वाधिक 86 प्रतिशत हिस्सा केंद्रीय क्षेत्र का, 13 प्रतिशत निजी क्षेत्र/ स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों का और 1 प्रतिशत राजकीय क्षेत्र का था। बिहार में विद्यमान उत्पादन क्षमता का ब्योरा तालिका 7.15 में प्रस्तुत है।

तालिका 7.15 : विद्यमान उत्पादन क्षमता (मार्च 2019)

(आंकड़े मेगावाट में)

स्वामित्व/ क्षेत्र	तापविद्युत				नाभिकीय	जलविद्युत (नवीकरणीय)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत (नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय)	कुल योग
	कोयला	गैस	डीजल	योग				
राज्य	0	0	0	0	0	54	0	54
निजी/ स्वतंत्र विद्युत उत्पादक	488	0	0	488	0	0	128	616
केंद्र	3421	0	0	3421	0	466	210	4097
योग	3909	0	0	3909	0	520	338	4767

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

वर्ष 2000 में झारखंड के अलग होने के बाद बिहार में बची दोनो उत्पादन इकाइयों की वर्तमान स्थिति इस प्रकार है :

(1) बरौनी तापविद्युत केंद्र (बीटीपीएस)

हालांकि बरौनी तापविद्युत केंद्र में 7 अलग-अलग इकाइयां हैं, लेकिन उनमें से 5 का कार्यकारी जीवनकाल समाप्त हो चुका है और वे उत्पादन के लिए उपलब्ध नहीं हैं। जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का काम पूरा होने के बाद सातवीं इकाई में उत्पादन आरंभ हो चुका है। छठी इकाई के जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण का काम प्रगति पर है। विस्तार कार्यक्रम के तहत 250-250 मेगावाट की दो नई इकाइयों (इकाई 8 और 9) का काम भी चल रहा है। इन दोनो नई इकाइयों के लिए कोल लिंकेज और पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है। इकाई 8 की क्षमतावृद्धि जनवरी 2018 में और इकाई 9 की मार्च 2018 में हासिल कर ली गई है। इसके अलावा, राष्ट्रीय तापविद्युत निगम की विशेषज्ञता का उपयोग करके इन इकाइयों द्वारा उत्पादित बिजली का खर्च कम करने के लिए राज्य सरकार ने बरौनी ताप विद्युत केंद्र का स्वामित्व राष्ट्रीय तापविद्युत निगम को हस्तांतरित कर दिया है।

(2) **कांटी बिजली उत्पादन निगम लि. (केबीयूएनएल)**

कांटी बिजली उत्पादन निगम राष्ट्रीय तापविद्युत निगम और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. का संयुक्त उपक्रम है जिनका इसकी इक्विटी में 65:35 अनुपात में हिस्सा है। यहां 110-110 मेगावाट की दो इकाइयां हैं। जीर्णोद्धार एवं आधुनिकीकरण के बाद गत वर्ष से दोनो इकाइयों मं उत्पादन आरंभ हो गया है। 195-195 मेगावाट की दो नई इकाइयों (इकाई 3 और 4) का भी निर्माण कार्य पूरा हो गया है और उत्पादन शुरू हो गया है। साथ ही राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार, इसका 100 प्रतिशत इक्विटी शेयर राष्ट्रीय तापविद्युत निगम को हस्तांतरित कर दिया है।

अभी बिहार में कुछ अन्य उत्पादन इकाइयों का काम भी प्रगति पर है। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर बिजली के लिए केंद्रीय क्षेत्र पर राज्य की निर्भरता घटेगी। इन नई परियोजनाओं का विवरण नीचे प्रस्तुत है-

(1) **नबीनगर चरण-1 संयंत्र :** यह परियोजना बिहार के औरंगाबाद जिले में अवस्थित है। नबीनगर विद्युत उत्पादन निगम आरंभ में राष्ट्रीय तापविद्युत निगम और बिहार राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी लि. का संयुक्त उपक्रम था जिनका इसकी इक्विटी में 50:50 अनुपात में हिस्सा था। बाद में राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार इसकी इक्विटी का 100 प्रतिशत हिस्सा राष्ट्रीय तापविद्युत निगम को हस्तांतरित कर दिया गया है। 660 मेगावाट की पहली इकाई का निर्माण कार्य सितंबर 2019 में पूरा हो गया है। 660 मेगावाट की अन्य दो इकाइयों (कुल 1320 मेगावाट) का निर्माणकार्य प्रगति पर है और उनके मार्च 2020 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है।

(2) **बक्सर में विद्युत परियोजना :** चौसा में 660-660 मेगावाट की 2 इकाइयों वाली ग्रीनफील्ड विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सतलुज जलविद्युत निगम के साथ एक समझोता हस्ताक्षरित हुआ था। परियोजना के लिए परियोजना क्षेत्र का स्थलाकृतिक सर्वेक्षण, चहारदीवारी के खंभों का निर्माण और कांटेदार तार से घेराबंदी का काम पूरा हो गया है। अगस्त 2016 में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) अद्यतन की गई है और मुख्य संयंत्र के लिए निजी जमीन अधिग्रहित की जा चुकी है। सतलुज जलविद्युत निगम को आम्रपाली कोल ब्लॉक आबंटित किया गया है। बिहार की वितरण कंपनियों के साथ बिजली खरीद का समझौता भी हस्ताक्षरित हो चुका है और 85 प्रतिशत बिजली बिहार को आबंटित की गई है। पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्राप्त की जा चुकी है। मार्च 2019 में केंद्र सरकार द्वारा निवेश संबधी स्वीकृति भी प्रदान कर दी गई है। जून 2019 में मुख्य कार्य के लिए एक प्रतिष्ठित निजी कंपनी को काम सौंप दिया गया है। 09 मार्च, 2019 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा उसका शिलान्यास किया जा चुका है।अभी कंक्रीट टेस्ट पाइल, सुविधाओं और कार्यस्थल का काम प्रगति पर है। परामर्श सेवा का काम मुख्य कार्य के लिए राष्ट्रीय तापविद्युत निगम को और रेलवे अधिसंरचना के लिए राइट्स को सौंपा गया है। परियोजना 2023 तक पूरी हो जाने की आशा है।

(3) **अतिविशाल विद्युत परियोजना (बांका) :** बांका में लगभग 4000 मेगावाट की विद्युत परियोजना स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है जिसके लिए 2,500 एकड़ जमीन चिन्हित कर ली गई है। केंद्रीय जल आयोग ने गंगा नदी से 120 क्यूसेक पानी देने के लिए सहमति प्रदान की है। परियोजना

की कार्यावधि से पहले की गतिविधियां चलाने के लिए विद्युत वित्त निगम ने दो विशेष प्रयोजन माध्यमों (एसपीवी) कोनिगमित किया है। केंद्रोय विद्युत मंत्रालय ने इसके लिए पीरपैंती/ बरहट कोयला ब्लॉक आबंटित किया है। बिहार को इस परियोजना से 2,000 मेगावाट बिजली आबंटित की गई है।

तालिका 7.16 : विद्यमान और योजना वाली उत्पादन इकाइयों के विवरण (2016-17 से 2020-21)

2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (प्रगति पर)	2020-21	2022तक (आगामी परियोजनाएं)	2022के बाद
कांटी तापविद्युत परियोजना-(2x110 मेगावाट)और (2x195 मेगावाट)						
220 मेगावाट	195 मेगावाट की यूनिट 3	195 मेगावाट की यूनिट 4 का काम पूरा	—	—	—	—
बरौनी तापविद्युत परियोजना-(2x110 मेगावाट)और (2x250मेगावाट)						
—	110 मेगावाट की यूनिट 7, नवंबर 16	500 मेगावाट की यूनिट 8 - जनवरी 18 में क्षमतावृद्धि हासिल यूनिट 9 - मार्च 18 में क्षमतावृद्धि हासिल (प्रत्येक 250 मेगावाट की)	यूनिट 8 -सीओडी 22.11.19 को (250 मेगावाट) — यूनिट 6 -दिसंबर 19 में संभावित (110 मेगावाट)	यूनिट 9 - सीओडी (250 मेगावाट)	—	—
नबीनगर तापविद्युत परियोजना -(3x660 मेगावाट)1980 मेगावाट						
—	—	—	1980 मेगावाट यूनिट 1 : सीओडी 06.09.19 को यूनिट 2 : सीओडी मार्च 20 में यूनिट 3 : सीओडी मार्च 20 में (प्रत्येक 660 मेगावाट की)	—	—	—
बक्सर तापविद्युत परियोजना -(2x660 मेगावाट)सतलुज जलविद्युत निगम लि.						
—	—	—	—	—	—	1320 मेगावाट के लिए 20.11.15 को समझौता हस्ताक्षरित
बांका अतिविशाल विद्युत परियोजना -(4000 मेगावाट)						
—	—	—	—	—	—	4000 मेगावाट
कुल स्थापित क्षमता						
220 मेगावाट	**525 मेगावाट**	**1220 मेगावाट**	**3310 मेगावाट**	**3310 मेगावाट**	**3310 मेगावाट**	**8630 मेगावाट**

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

7.9 नई योजनाएं/ परियोजनाएं

रिकंडक्टरिंग योजना

विद्युत अधिसंरचना के सुदृढ़ीकरण के लिहाज से 33,000 वोल्ट, 11,000 वोल्ट और निम्न विभव लाइनों के पुराने और जीर्ण-शीर्ण कंडक्टरों, खंभों, ब्रैकेट, इंसुलेटर आदि को बदलने के लिए राज्य सरकार द्वारा जीर्णोद्धार और आधुनिकीकरण की एक नई योजना स्वीकृत की गई है। 33,000 वोल्ट की 1062 सर्किट किमी, 11,000 वोल्ट की 25,272 सर्किट किमी, और निम्न विभव वाली 45,339 सर्किट किमी लाइनों को बदलने के लिए 3070.23 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। इस रकम में उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी का 1652.15 करोड़ रु. और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी का 1418.08 करोड़ रु. हिस्सा है। मार्च 2018 में ई-निविदा के जरिए टर्न-की अभिकरणों को चुन करके काम शुरू कर दिया गया है। योजना तीन वर्षों में पूरी कर लेने की योजना है। हालांकि पुराने और जीर्ण-शीर्ण कंडक्टरों के खराब होने से जीवन और संपत्ति की सुरक्षा को होने वाले खतरे पर विचार करके राज्य सरकार द्वारा वितरण कंपनियों को दिसंबर 2019 तक रिकंडक्टरिंग का काम पूरा कर लेने का लक्ष्य दिया गया था। अक्तूबर 2018 तक सभी इच्छुक परिवारों को बिजली का कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए सौभाग्य योजना के पूरी होने के बाद नवंबर 2018 से दोनो वितरण कंपनियों ने लक्षित अवधि में काम पूरा करने की सोच के साथ मिशन मोड में रिकंडक्टरिंग का काम शुरू किया। लक्षित प्रमंडल के आधार पर सभी संसाधनों को जुटाने की रणनीति बनाने के बाद परियोजना ने आवेग प्राप्त किया। इस रणनीति के साथ दोनो वितरण कंपनियों को सितंबर 2019 तक 17 प्रमंडलों में काम पूरा कर लेने में सफलता मिली है। सितंबर 2019 तक रिकंडक्टरिंग योजना के पूरा होने की स्थिति इस प्रकार है - 33,000 वोल्ट वाली लाइन के लिए 701 सर्किट किमी (66 प्रतिशत), 11,000 वोल्ट वाली लाइन के लिए 15,759 सर्किट किमी (62 प्रतिशत), और निम्न विभव वाली लाइन के लिए 24,071 सर्किट किमी (53 प्रतिशत)। योजना की प्रगति रिपोर्ट तालिका 7.17 में प्रस्तुत है।

तालिका 7.17 : रिकंडक्टरिंग योजनाओं की स्थिति (सितंबर, 2019)

क्र.सं.	लाइन (सर्किट किमी में)	उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी		दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी		योगफल	
		संभावना	उपलब्धि	संभावना	उपलब्धि	संभावना	उपलब्धि
1	33,000 वोल्ट लाइन	684	477 (69.7)	378	224 (59.3)	1062	701 (66.0)
2	11,000 वोल्ट लाइन	13357	9271 (69.4)	11915	6488 (54.5)	25272	15759 (62.4)
3	निम्न विभव लाइन	25500	15844(62.1)	19839	8227 (41.5)	45339	24071 (53.1)

टिप्पणी :कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े संभावना के प्रतिशत के बतौर उपलब्धि को दर्शाते हैं।

स्रोत : ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार

उज्ज्वल विद्युत वितरण सुनिश्चय योजना (उदय)

केंद्रीय विद्युत मंत्रालय ने उदय योजना की शुरुआत विद्युत वितरण कंपनियों (डिस्कॉम) के संचालन और वित्तीय स्थिति के कायापलट के लिए की थी। योजना के तहत संचालन और वित्त संबंधी कुशलताओं में सुधार के लिए विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं जिनका अंतिम लक्ष्य 2019-20 तक (क) संचरण एवं वितरण ह्रास को घटाकर 15 प्रतिशत तक लाना, और (ख) आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और औसत वसूल राजस्व (एआरआर) के बीच अंतर को घटाकर शून्य के स्तर तक लाना है। इस संबंध में फरवरी 2016 में बिहार सरकार, केंद्रीय विद्युत मंत्रालय और वितरण कंपनियों (उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी) के बीच त्रिपक्षीय समझौता हस्ताक्षरित हुआ था।

इस योजना में दो वर्षों में वितरण कंपनियों के 75 प्रतिशत ऋण को राज्य सरकार द्वारा अपने जिम्मे ले लेने का प्रावधान किया गया है (50 प्रतिशत 2015-16 में और 25 प्रतिशत 2016-17 में)। उदय योजना के तहत बिहार की दोनो वितरण कंपनियों के कुल 3109.05 करोड़ रु. ऋण में से 2332.01 करोड़ रु. को राज्य सरकार द्वारा अपने जिम्मे ले लिया गया है।

अभी उदय के वबसाइट पोर्टल (www.uday.gov.in) के जरिए सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास तथा आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूल राजस्व के बीच फासले में कमी लाने के लिए लक्षित सारे पैरामीटर ऑनलाइन कर दिए गए हैं जिस पर हर भागीदार कंपनी को अपनी प्रगति की रिपोर्ट मासिक/ त्रैमासिक आधार पर अपलोड करनी है। हर गतिविधि के लिए प्राप्तांक दिए जाते हैं और त्रैमासिक/ मासिक उपलब्धि के आधार पर प्राप्त अंकों से भागीदार राज्यों की वितरण कंपनियों की रैंकिंग तय होती है। बिहार की दोनो वितरण कंपनियों ने 2018-19 में सकल तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास 2015-16 के 43.5 प्रतिशत से घटाकर 30.42 प्रतिशत पर ले लाया है। इस अवधि में आपूर्ति की औसत लागत और औसत वसूल राजस्व के बीच का अंतर भी 89 पैसे प्रति इकाई से घटाकर 48 पैसे प्रति यूनिट तक ले लाया गया है।

7.10 विद्युत क्षेत्र में हाल में हुए विकास

1. **स्मार्ट प्रीपेड मीटरिंग :** उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी, दोनो ने शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में निम्न विभव वाली बिजली के सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं और ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि उपभोक्ताओं केलिए प्रीपेड व्यवस्था के साथ स्मार्ट मीटरिंग सॉल्यूशन की तैनाती के लिए ईईएसएल (ईनर्जी इफीशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड) के साथ एक समझौता-पत्र हस्ताक्षरित किया है। ईईएसएल ने ईडीएफ और एॅक्संचर को अपना सिस्टम इंटीग्रेटर नियुक्त किया है। जीनस द्वारा उपभोक्ताओं को स्मार्ट मीटर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। अभी जीनस ने एक और तीन फेज वाले कुल 82,610 स्मार्ट मीटरों की आपूर्ति की है जिनमें से कुल 6114 स्मार्टमीटरों को क्षेत्र में लगाया गया है। 2578 स्मार्ट मीटरों को शहरी/अर्धशहरी क्षेत्रों में और 3536 स्मार्टमीटरों को कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लगाया गया है।

स्मार्ट मीटरिंग के काम, जैसे कि कनेक्ट/डिस्कनेक्ट करना, लोड पर नियंत्रण, उपभोक्ता द्वारा रोज की खपत की मॉनीटरिंग, और बकाया प्रबंधन सहित प्रीपेड संबंधी काम शुरू किए जा चुके हैं और उन्हें वितरण कंपनियों के एनआइसी बिलिंग सॉल्यूशन के साथ जोड़ दिया गया है। दैनिक खपत की गणना मीटर डेटा मैनेजमेंट सॉल्यूशन में की जाती है और संबंधित रकम को प्रीपेड बैलेंस में से काट लिया जाता है। इस जानकारी को उपभोक्ता ऍप पर उपभोक्ता को देखने के लिए अपडेट कर दिया जाता है। औसतन 93 प्रतिशत मीटरां के लिए दैनिक आधार पर जानकारी दे दी जाती है और सभी स्मार्ट मीटर अच्छी तरह काम कर रहे हैं।

साथ ही, भागलपुर, गया, अरेराज, तेघड़ा और दलसिंहसराय शहरों में स्मार्ट मीटर लगाने के लिए उपभोक्ताओं की सूची बनाना शुरू कर दिया गया है। 'हर घर नल का जल' से संबंधित नए कनेक्शनों में भी स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं।

2. **एसएमएस के जरिए मिस कॉल करने पर बिल** :उपभोक्ता द्वारा 7666008833 नंबर पर मिस्ड कॉल करके बिजली कनेक्शन के मामले में वर्तमान में देय रकम और देने की तिथि के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। साथ ही, सबसे हाल का बिजली बिल डाउनलोड करने के लिए यूआरएल भी उपलब्ध कराया जा रहा है। इस सेवा से उपभोक्ताओं को बिजली कार्यालय जाने की जरूरत घटेगी।

3. **मिस्ड कॉल के जरिए मोबाइल नंबर का निबंधन** : उपभोक्ता द्वारा 7666008833 नंबर पर मिस्ड कॉल करके अपने सबसे हाल के मोबाइल नंबर को निबंधित/ अपडेट किया जा सकता है। उपभोक्ता के मोबाइल नंबर पर ओटीपी (एक बार उपयोग वाला पासवर्ड) भेजा जाता है जिसमें उपभोक्ता के एकाउंट में नया नंबर निबंधित करने के लिए लिंक होता है। एसएमएस में दी गई ओटीपी के साथ दिए गए लिंक पर उपभोक्ता का एकाउंट नंबर डालना होता है।

4. **ग्रामीण राजस्व फ्रैंचाइजी (आरआरएफ) मॉनीटरिंग सिस्टम** : विद्युत वितरण कंपनियां बिलिंग संबंधी कार्यों के लिए संविदा के आधार पर ग्रामीण राजस्व फ्रैंचाइजी नियुक्त कर रही हैं। ग्रामीण राजस्व फ्रैंचाइजी की हायरिंग, काम के आबंटन, भुगतान आदि की ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा एक अप्लीकेशन सॉफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है। अभी ये सेवाएं हाथों से दो जाती हैं जिससे समय अधिक लगता है और उनमें कम लचीलापन होता है।

5. **विशेष कार्य बल (एसटीएफ)** : वितरण कंपनियों ने विशेष कार्य बल की दक्षता में सुधार के लिए उसके उड़नदस्तों के द्वारा किए जाने वाले विभिन्न धावों (रेड्स) के अनुश्रवण के लिए एक सॉफ्टवेयर अप्लीकेशन विकसित किया है। इस सुविधा से वितरण कंपनियां विशेष कार्य बल के स्टाफ द्वारा किए जाने वाले धावों से संबंधित विभिन्न सूचनाओं के विश्लेषण में सक्षम हो गई हैं।

6. **सुविधा मोबाइल ऍप** : वितरण कंपनियों ने उपभोक्ताओं की विभिन्न सेवाओं को सुगम बनाने के लिए सुविधा नामक एक ऍप विकसित किया है। इन सेवाओं में शामिल हैं - ऑनलाइन बिल भुगतान, बिजली

बिल देखना, भुगतान की लेनदेन देखना, शिकायतोंका निबंधन, बिजली चोरी संबंधी सूचना, लोड बदलवाने संबंधी सेवा, नाम-पता की वर्तनी में सुधार आदि।

सारे प्रमंडलों में सुविधा काउंटर बनाए गए हैं। ये काउंटर उपभोक्ताओं की शिकायतों के निबंधन के लिए सिंगल विंडो इंटरफेस का काम करेंगे। सुविधा काउंटर पर मौजूद अधिकारी के द्वारा उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति संबंधी विभिन्न सेवाओं से संबंधित आवश्यक सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। सारे उपभोक्ता वेब पोर्टल के जरिए शिकायतों की स्थिति ऑनलाइन देख सकते हैं।

7. **रीयल टाइम डेटा ऍक्वीजीशन सिस्टम (आरटी-डैस) :** समेकित विद्युत विकास योजना वाले शहरों में बिजली की गुणवत्ता में सुधार के लिहाज से बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता के विश्लेषण हेतु सैफी/ सैदी रिपोर्ट तैयार करने के लिए वितरण कंपनियां रियल टाइम डेटा ऍक्वीजीशन सिस्टम (अर्थात तत्काल आंकड़े प्राप्त कर लेने की व्यवस्था) के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं (सैफी - सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रीक्वेंसी इंडेक्स अर्थात व्यवस्था में व्यवधान की औसत बारंबारता का सूचकांक और सैदी - सिस्टम एवरेज इंटरप्शन डिस्टोब्यूशन इंडेक्स अर्थात व्यवस्था में व्यवधान के औसत वितरण का सूचकांक)।

8. **इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) और सिंगल बिलिंग सॉल्यूशन का क्रियान्वयन :** सरकार से कर्मियों को मिलने वाली सेवाओं में सुधार के लिए वितरण कंपनियां ईआरपी अर्थात उद्यमी संसाधन योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया में हैं। ईआरपी के काम में मानव संसाधन, वित्त, खरीद और परियोजनाएं शामिल हैं। अभी बिल बनाने की दो प्रणालियां हैं - एक ग्रामीण क्षेत्र के लिए और एक शहरी क्षेत्र के लिए। अब वितरण कंपनियां सबसे ताजातरीन प्रौद्योगिकी के साथ सिंगल बिलिंग सॉल्यूशन को लागू करने की प्रक्रिया में हैं। उसके लिए क्रियान्वयन अभिकरण के चुनाव के लिहाज से निविदा जारी की गई है। इस काम के लिए एक परामर्शदाता की भी नियुक्ति को जा चुकी है।

9. **सोशल मीडिया :** अपनी अच्छी साख बनाने के लिहाज से सोशल मोडिया में उठाए गए विभिन्न मुद्दों पर जवाब देने के लिए वितरण कंपनियों द्वारा एक समर्पित कोषांग की स्थापना की जा रही है।

10. **आइएसओ 27001 का क्रियान्वयन :** सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी अपनी सारी अधिसंरचना को सुरक्षित करने के लिए साइबर सुरक्षा संबंधी सर्वोत्तम व्यवहार अपनाने के लिए वितरण कंपनियां आइएसओ 27001:2013 का प्रमाणपत्र पाने की प्रक्रिया में हैं।

7.11 बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा)

बिहार की अधिकांश स्थापित क्षमता तापविद्युत संयंत्रों में संकेंद्रित है। इससे बिजली के स्वच्छ उत्पादन के संबंध में ही चिंता नहीं पैदा होती है, कोयला के अत्यंत उतार-चढ़ाव भरे मूल्य को देखते हुए वह राज्य के लिए आर्थिक बोझ भी बन जाता है। ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण जलवायु परिवर्तन की बढ़ती चिंता को देखते हुए भावी पीढ़ियों के लिए पर्यावरण संरक्षण के लिए स्वच्छ ऊर्जाएक सक्षम समाधान है।

अतः नवीकरणीय ऊर्जा वाली विद्युत परियोजनाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (ब्रेडा) नामक अभिकरण भी बनाया है।यह अभिकरण राज्य में बिजली उत्पादन के लिए अपारंपरिक स्रोतों के उपयोग वाली परियोजनाओं के विकास के लिए उत्तरदायी है। राज्य सरकार ब्रेडा को योजनाओं के लिए और स्थापना व्यय तथा सब्सिडी पर व्यय के मकसद से धनराशि उपलब्ध कराती है।

अभी ब्रेडा द्वारा कैपेक्स (पजीगत व्यय) मॉडल के तहत सौर पंप और छतों पर सोलर पैनल लगाने की परियोजनाओं का क्रियान्वयन कर रही है। तैरते विद्युत संयंत्र और जमीन पर अवस्थित ग्रिड-संपर्कित सौर ऊर्जा संयंत्र जैसी अनेक अन्य परियोजनाएं भी स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं।

तालिका 7.18 : ब्रेडा की उपलब्धियां (2017-18 से 2019-20)

2017-18		
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु.)
क. सोलर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) योजना		
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सिंचाई योजना के तहत सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाना	280 अदद	8.63
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय योजना के तहत 1kWp का सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	2135 अदद	32.00
भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में दीवानी और सत्र न्यायालय भवनों में ई-कोर्ट मोड मिशन परियोजना के तहत 40 kWp के 2 सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	80 kWp	0.88
मुख्यमंत्री आवास, **नेक संवाद भवन** में 23 kWp का सोलर पावर प्लांट लगाना	23 kWp	0.276
अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के तहत कटिहार जिले में सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम	1425 अदद (57.01 kWp)	2.19
वामपंथी अतिवाद प्रभावित पुलिस थानों में 27 स्थानों पर 3.6 kWp के ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट लगाना	97.2 kWp	1.21
सोलर स्ट्रीट लाइटिंग सिस्टम लगाना	157 अदद	0.274
ख. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)की योजनाएं		
विद्यालयों में ऊर्जा क्लबों की स्थापना	8 अदद	0.0264
समस्तीपुर और सारण जिलों के चुनिंदा 8 गावों में एलईडी बल्बों का वितरण	8 अदद	0.059
आदर्श किफायती ऊर्जा उपयोगकर्ता ग्राम परियोजना	1 अदद	0.025

2018-19		
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु.)
क. सोलर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) योजना		
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय योजना के तहत 1kWp का सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	744अदद	11.15
गया, नालंदा, भागलपुर और मुजफ्फरपुर जिलों में दीवानी और सत्र न्यायालय भवनों में ई-कोर्ट मोड मिशन परियोजना के तहत 40 kWp के 2 सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट सिस्टम लगाना	160 kWp	1.76
BSEIDC के 62 स्थानों पर 5 kWp के ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट लगाना	310 kWp	3.875
वामपंथी अतिवाद प्रभावित पुलिस थानों में 72 स्थानों पर 3.6 kWp के ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट लगाना	259.2 kWp	3.24
कॉर्पोरेट सामाजिक पहल (सीएसआर) के तहत मंगल तालाब, पटना में 40 kWp का सोलर रूफटॉप ऑफ-ग्रिड पावर प्लांट और 04 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाना	40 kWp	0.446
गया में 25 पुलिस थानों में 9 वाट के 04 स्ट्रीट लाइटों के साथ 500 Wp के ऑफ-ग्रिड सोलर रूफटॉप सोलर पावर प्लांट लगाना	12.5 kWp	0.31
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सिंचाई योजना के तहत सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाना	841अदद	20.12
मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, जमुई, बांका और गया जिलों में जीविका के जरिए सोलर होम लाइटिंग सिस्टम का वितरण	3485 अदद	1.34
ख. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)की योजनाएं		
सरकारी विद्यालयों में ऊर्जा कुशलता : विद्यालयों के लिए मुफ्त उपकरणों का प्रावधान	23अदद	0.16
ऊर्जा संरक्षण और कुशलता पर जागरूकता अभियान	5अदद	0.17
आदर्श ऊर्जा कुशल ग्राम अभियान	1अदद	0.06
राज्यपाल निवास में ऊर्जा अंकेक्षण	1 अदद	0.03
2019-20 (सितंबर 2019 तक)		
	भौतिक उपलब्धि	वित्तीय परिव्यय (करोड़ रु.)
क. सोलर फोटोवोल्टाइक (एसपीवी) योजना		
पटना के मंगल तालाब, जमुई और मुंगेर जिलों में 90 सोलर स्ट्रीट लाइट सिस्टम लगाना	30 अदद	0.05
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय रूफटॉप सोलर संयंत्र अधिस्थापन योजना के तहत पूरे बिहार में 113 आवासीय भवनों पर ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर विद्युत संयंत्र लगाना	583 किलोवाट	3.26
पूरे बिहार में 289 विभिन्ना सरकारी भवनों पर ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर विद्युत संयंत्र लगाना	4.42मेगावाट	22.85
मुख्यमंत्री नवीन एवं नवीकरणीय सिंचाई योजना के तहत सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम लगाना	91 अदद	2.13
ख. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई)की योजनाएं		
ECBCके लिए कार्यशाला	02 अदद	0.04

स्रोत : ब्रेडा

7.12 बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड

तापविद्युत के अलावा, बिहार में जल संसाधनों से जलविद्युत उत्पादन की भी संभावना मौजूद है और अभी कुछ जलविद्युत परियोजनाओं के जरिए इसका दोहन भी किया जा रहा है। बिहार राज्य जलविद्युत निगम लि. की स्थापना राज्य में जलविद्युत परियोजनाओं के विस्तार का प्रेक्षण करने के लिए की गई थी। दसवीं योजना के दौरान निगम ने लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अपने पूर्ववर्ती अधिदेश के अतिरिक्त, बड़ी जलविद्युत परियोजनाओं की संभावनाओं का भी अन्वेषण शुरू किया। राज्य में अभी 13 लघु जलविद्युत परियोजनाएं चालू हैं जिनकी कुल स्थापित क्षमता 54.3 मेगावाट है।

(1) कोशी जलविद्युत केंद्र (केएचपीएस)

कोशी जलविद्युत केंद्र (कटैया), बीरपुर में 4.8-4.8 मेगावाट की 4 इकाइयों का निर्माण 1970 से 1978 के बीच हुआ था। नवंबर, 2003 में यह परियोजना बिहार राज्य जलविद्युत निगम (बीएसएचपीसी) को हस्तांतरित कर दी गई थी। चार में से तीन इकाइयों के जीर्णोद्धार का काम पूरा हो गया है और बिजली उत्पादन शुरू हो गया है।

(2) पूर्वी गंडक नहर जलविद्युत परियोजना

पश्चिम चंपारण के बाल्मीकिनगर स्थित पूर्वी गंडक नहर जलविद्युत परियोजना का आरंभ 1996-97 हुआ था। इसमें में 5-5 मेगावाट की 3 इकाइयां हैं।

(3) सोन पश्चिमी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना

रोहतास जिले के डेहरी-ऑन-सोन स्थित सोन पश्चिमी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना में 1.65-1.65 मेगावाट की 4 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 1991-92 हुआ था।

(4) सोन पूर्वी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना

औरंगाबाद जिले के बारुन स्थित सोन पश्चिमी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना में 1.65-1.65 मेगावाट की 2 इकाइयां हं जिनका आरंभ 1996-97 हुआ था।

(5) अगनूर जलविद्युत परियोजना

अरवल जिले की अगनूर जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2004-05 हुआ था।

(6) **ढेलाबाग जलविद्युत परियोजना**

रोहतास जिले की ढेलाबाग जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2006-07 हुआ था।

(7) **त्रिवेणी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना**

पश्चिम चंपारण जिले की त्रिवेणी लिंक नहर जलविद्युत परियोजना में 1.5-1.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2007-08 हुआ था।

(8) **नासरीगंज जलविद्युत परियोजना**

रोहतास जिले की नासरीगंज जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2007-08 हुआ था।

(9) **सेबारी जलविद्युत परियोजना**

रोहतास जिले की सेबारी जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2008-09 हुआ था।

(10) **जयनगरा जलविद्युत परियोजना**

रोहतास जिले की जयनगरा जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2007-08 हुआ था।

(11) **सिरखिंडा जलविद्युत परियोजना**

रोहतास जिले की सिरखिंडा जलविद्युत परियोजना में 0.35-0.35 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2009-10 हुआ था।

(12) **बेलसार जलविद्युत परियोजना**

अरवल जिले की बेलसार जलविद्युत परियोजना में 0.5-0.5 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं जिनका आरंभ 2011-12 हुआ था।

(15) **अरवल जलविद्युत परियोजना**

अरवल जिले की अरवल जलविद्युत परियोजना में 0.5 मेगावाट की 1 इकाई है जिसका आरंभ 2011-12 हुआ था।

अभी बिहार में 12 और विद्युत उत्पादन इकाइयों का काम प्रगति पर है। इन नई परियोजनाओं के विवरण तालिका 7.19 में प्रस्तुत हैं :

तालिका 7.19 : निर्माणाधीन लघु जलविद्युत परियोजनाएं (सितंबर, 2019)

क्र. सं.	परियोजना	जिला	क्षमता (मेगावाट)
काम की प्रगति 75 प्रतिशत से अधिक			
1	अमेठी (1x500किवा)	रोहतास	0.5
2	तेजपुरा (2x750किवा)	औरंगाबाद	1.5
3	पहरमा (2x500किवा)	रोहतास	1.0
4	राजपुर (2x350किवा)	सुपौल	0.7
काम की प्रगति 50 से 75 प्रतिशत के बीच			
5	मठौली (2x400किलोवाट)	पश्चिम चंपारण	0.8
6	रामपुर (1x250किलोवाट)	रोहतास	0.25
7	नटवार (1x250किलोवाट)	रोहतास	0.25
8	सिपहा (2x500किलोवाट)	औरंगाबाद	1.0
9	देहरा (2x500किलोवाट)	औरंगाबाद	1.0
10	वलीदाद (1x700किलोवाट)	अरवल	0.7
11	डेहरी एस्केप	रोहतास	-
काम की प्रगति 50 प्रतिशत से कम			
12	बड़वल (2x800किलोवाट)	पश्चिम चंपारण	1.6
योगफल			**9.3 मेगावाट**
क्षमतावृद्धि			54.3 मेगावाट + 9.3 मेगावाट
कुल योग			**63.6 मेगावाट**

स्रोत : बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड

बिहार राज्य जलविद्युत निगम राज्य में निम्नलिखित परियोजनाओं की संभावनाएं तलाशने में भी लगा है :

- **डगमारा जलविद्युत परियोजना (130 मेगावाट) :**सुपौल जिले में कोशी नदी पर 130 मेगावाट क्षमता की बहुद्दश्यीय डगमारा जलविद्युत परियोजना का निर्माण प्रस्तावित है। इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाने के लिए परामर्श का काम सौंप दिया गया है और उसका काम प्रगति पर है।
- **इंद्रपुरी जलविद्युत परियोजना (300 मेगावाट) :** राज्य सरकार ने सोन नदी पर 300 मेगावाट क्षमता वाली इंद्रपुरी जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की है। राज्य सरकार का जल संसाधन

विभाग इस परियोजना के लिए जलाशय निर्माण हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर रहा है जिसका काम अंतिम चरण में है।

- **गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन परियोजनाएं :** जलविद्युत की संभावना का मूल्यांकन करने और जलविद्युत परियोजनाओं के निर्माण स्थलों की पहचान करने के लिए गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन का सर्वेक्षण किया गया था। संभाव्यता रिपोर्ट के अनुसार, परियोजनाओं के स्थानों और क्षमता की पहचान कर ली गई है और उनके लिए विस्तृत सर्वेक्षण, जांच तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की जरूरत है। स्थानों का ब्योरा तालिका 7.20 में प्रस्तुत है।

- **जलविद्युत परियोजनाओं में खाली जमीन पर सौर ऊर्जा संयंत्र** :10 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए निगम ने विद्युत संयंत्रों के भवनों की छतों, खाली जमीन, पावर चैनलों और टेलरेस चैनलों पर सौर संयंत्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

तालिका 7.20 : गंडक, बूढ़ी गंडक और महानंदा नदी बेसिन परियोजनाओं के स्थान और क्षमता

क्र.सं.	परियोजना/ स्थान	क्षमता (मेगावाट)
	गंडक नदी बेसिन	
1	बेतिया जलविद्युत परियोजना	80.0
2	बगहा जलविद्युत परियोजना	50.0
	बूढ़ी गंडक नदी बेसिन	
3	रघुनाथपुर जलविद्युत परियोजना	2.0
4	बारागोविंद जलविद्युत परियोजना	4.4
	महानंदा नदी बेसिन	
5	बसंतपुर लघु जलविद्युत परियोजना	2.1
6	सोनापुर लघु जलविद्युत परियोजना	11.4
7	दालखोला लघु जलविद्युत परियोजना	7.7
8	रूपाधार लघु जलविद्युत परियोजना	2.5
	कुल क्षमता	**160.1 मेगावाट**

स्रोत : बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड

अध्याय -8

ग्रामीण विकास

गांव राष्ट के शरीर की कोशिका है और राष्ट का शरीर स्वस्थ और विकसित हो इसके लिए कोशिका के जीवन को स्वस्थ और विकसित होना ही चाहिए।

- श्री अरबिंद

सारांश

बिहार की लगभग 89 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। बिहार का आर्थिक विकास इसके ग्रामीण क्षेत्रों पर काफी निर्भर करता है क्योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण की दर सिर्फ 11.4 प्रतिशत है। बिहार सरकार ने ग्रामीण अधिसंरचना और आय वृद्धि कार्यक्रमों में निवेश के लिए रणनीतिक दृष्टिकोण अपनाया है। इस अध्याय में ग्रामीण विकास विभाग, बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति (बीआरएलपीएस), खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, पंचायती राज विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आदि राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति के तहत जीविका ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी निवारण में उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल के वर्षों में मजदूरी वाले रोजगार देने और मजदूरों का प्रवास रोकने में मनरेगा की उल्लेखनीय भूमिका रही है। राज्य सरकार पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण करके ग्रामीण लोगों की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दशा सुधारने के लिए कृतसंकल्प है। साथ ही, राज्य सरकार समाज के सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर तबकों की जीवनदशा में सुधार के लिए भौतिक और वित्तीय सहयोग प्रदान कर रही है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी और कुल आबादी का लगभग 89 प्रतिशत हिस्सा ग्रामीण बिहार में था। इसलिए ग्रामीण विकास बिहार में बहुत महत्वपूर्ण है और इतनी बड़ी आबादी की जीविका के विकल्प ग्रामीण क्षेत्रों और उनके आसपास होने वाले आर्थिक क्रियाकलापों पर निर्भर करते हैं। ग्रामीण विकास को टिकाऊ और समावेशी बनाने के लिए बहुक्षेत्रीय दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत पड़ती है। ग्रामीण लोगां के समग्र कल्याण के लिए ग्रार्माण विकास के तहत विकास के तीन अंतर्संबंधित क्षेत्र - आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र - शामिल रहते हैं। तीनो आयामों में ग्रामीण लोगों की बेहतर जीवनदशा के लिए क्षमता और अवसरों के प्रावधान सम्मिलित रहते हैं। हाल के वर्षों में ग्रामीण लोगों की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उन्नति के लिए प्रासंगिक कार्यक्रमों की शुरुआत करके राज्य सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए मेहनत से काम किया है।राज्य सरकार तीन मुख्य दीर्घस्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी)- एसडीजी-1 (कोई गरीब नहीं), एसडीजी-5 (लैंगिक समानता), ओर एसडीजी-10 (असमानता में कमी) पर लगातार काम कर रही है।

इस अध्याय में बिहार में चलने वाले विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर चर्चा की गई है। इन कार्यक्रमों में जीविका के नाम से मशहूर बिहार ग्रामीण जीविका मिशन (बीआरएलपीएम) और महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) शामिल हैं। ग्रामीण गरीबों को घर देने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण का भी क्रियान्वयन किया जाता है। इस अध्याय में बिहार में जन वितरण प्रणाली पर भी चर्चा की गई है क्योंकि ग्रामीण विकास के लिए इसके काफी निहितार्थ हैं। इस अध्याय में ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाने वाले और स्थानीय शासन के लिए जवाबदेह महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान पंचायती राज संस्था पर भी फोकस किया गया है। और भूमि सुधार के उपायों के साथ गृहस्थल वितरण पर भी चर्चा की गई है।

8.1 बिहार राज्य ग्रामीण जीविका मिशन (जीविका)

बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन सोसाइटी (बीआरएलपी) अर्थात जीविका बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के संरक्षण में कार्यरत स्वायत्त निकाय है। समिति संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत निबंधित है। जीविका को राज्य सरकार की विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन का दायित्व सौंपा गया है और अभी यह टिकाऊ जीविका के अवसरों का विस्तार करके ग्रामीण लोगों के बीच से गरीबी निवारण पर सघन काम कर हो है। सशक्त समुदाय, संस्था, सामाजिक पूंजी, वित्तोय समावेश,स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता संबंधी गतिविधियों तथा जीविका संबंधी कार्यक्रमों के जरिए ग्रामीण लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थितियों में सुधार का लक्ष्य लेकर जीविका राज्य के सभी 38 जिलों में काम कर रही है।

अपने मुख्य हस्तक्षेपों में जीविका ने उल्लेखनीय सफलता हासिल की है और स्वयं सहायता समूहों तथा उनके संघों के गठन,और वित्तोय समावेश के मामले में देश में पहला स्थान हासिल किया। वर्ष 2018-19 तक कोई 8,48,896 स्वयं सहायता समूहों का गठन हुआ। स्वयं सहायता समूहों ने खुद को 55,628 ग्राम संगठनों (वीओ) और 925 संकुल स्तरीय संघों (सीएलएफ) में संघबद्ध किया है। परियोजना 2018-19 तक 8169 करोड़ रु. के बैंक ऋण दिला पाई है (तालिका 8.1)। जीविका लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के क्रियान्वयन के लिए भी जवाबदेह है। उसने इस कार्यक्रम में स्वच्छता संबंधी हस्तक्षेप के जरिए उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। बिहार के ग्रामीण परिवारों को शौचालयों को शत-प्रतिशत उपलब्धता घोषित की गई है। इसे प्रबंधन सूचना प्रणाली में भी अपडेट कर दिया गया है। स्वच्छता संबंधी हस्तक्षेप के जरिए जीविका ने इस कार्यक्रम के लिए उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। मार्च 2019 तक सभी जिलों में 1.13 करोड़ व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय बन चुके थे।

राज्य सरकार ने अगस्त 2018 से 'सतत जीविकोपार्जन योजना' नामक एक नई योजना शुरू की है। तीन वर्षों में 840.00 करोड़ रु. बजट परिव्यय के साथ जीविका को इसके क्रियान्वयन के लिए नोडल अभिकरण बनाया गया है। इस योजना का मकसद अप्रील 2016 में शराबबंदी लागू होने के पहले देशी शराब और ताड़ी के उत्पादन और बिक्रो के काम में पारंपरिक रूप से लगे परिवारों सहित अति गरीब परिवारों को आमदनी वाली टिकाऊ परिसंपत्तियां उपलब्ध कराना है।

तालिका 8.1 : जीविका के तहत प्रगति (2015-16 से 2018-19)

मद	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
गठित स्वयं सहायता समूहों की संख्या	470220	610808	790411	848896
गठित ग्राम संगठनों की संख्या	31229	35681	46756	55628
गठित संकुल स्तरीय संघों की संख्या	318	415	706	925
बैंकों के साथ ऋण-संपर्कित स्वयं सहायता समूहों की संख्या	221261	391314	587616	810426
बैंक ऋण की रकम (करोड़ रु.)	1300	2993	5358	8169

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

हाल के वर्षों में जीविका को अपनी असाधारण उपलब्धियों के लिए राष्टोय और अंतर्राष्टोय, दोनो स्तरों पर सम्मान मिला है। दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्टोय ग्रामीण जीविका मिशन के तहत 'कृषि जीविका प्रोत्साहन' श्रेणी में अपने असाधारण प्रदर्शन के लिए जीविका को 2017-18 के लिए प्रशंसापत्र मिला है। दीर्घस्थायी जीविका एवं जलवायु परिवर्तन अनुकूलन (एसएलएसीसी) परियोजना के तहत जीविका ने अपने निशान छोड़े और 'जीविका भारत शिखर सम्मेलन 2019' में केस स्टडी प्रतिस्पर्धा में प्रस्तुति में तृतीय पुरस्कार प्राप्त किया। वहीं, सर्वोत्तम व्यक्तिगत उद्यमी की श्रेणी में मुजफ्फरपुर को एक स्वयं सहायता समूह सदस्य सुश्री रसूलन खातून को राष्टोय उद्यमिता पुरस्कार प्राप्त हुआ। स्वयं सहायता समूहों द्वारा प्रबंधित दीदी की रसोई नामक कैंटीन संबंधी नई पहल को कुछ सरकारी अस्पतालों और अन्य स्थानों पर कैंटीन चलाने के लिए सरकारी विभागों से सहायता मिली है। अभी तक दीदी की रसोई के 12 आउटलेट खोले गए हैं जो भर्ती रोगियों और बाहरी रोगियों को पका भोजन उपलब्ध कराते हैं। जीविका द्वारा स्थापित ग्रामीण खुदरा बाजार (रूरल रिटेल मार्ट) के द्वारा स्वयं सहायता समूहों के स्वामित्व वाली 650 से भी अधिक किराना दूकानों को किराना सामानों की आपूर्ति की जाती है। बाजारों का लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों को उचित मूल्य पर गुणवत्तापूर्ण उत्पाद उपलब्ध कराना है।

वैकल्पिक बैंकिंग के तहत जीविका बैंकों के लिए बैंकिंग संवाददाता अभिकर्ताओं को शामिल करके ग्रामीण परिवारों को घर-घर बैंकिंग सेवा उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। 600 से भी अधिक बैंकिंग करेस्पौंडेंट एजेंट कस्टम हायरिंग सेंटर चला रहे हैं और उनलोगों ने 1243 करोड़ रु. से अधिक टांजैक्शन किया है। कार्यक्रम में व्यावसायिक बैंक और वित्तोय संस्थाएं भी शामिल हैं जो बिहार में स्वयं सहायता समूह सदस्यों को सस्ते में बीमा उपलब्ध कराती हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए जीविका को नोडल अभिकरण बनाया गया है।

तालिका 8.2 : स्वयं सहायता समूहों द्वारा जीविका से संबंधित गतिविधियों का विस्तार (मार्च, 2019)

हस्तक्षेप	मार्च 2019 तक प्रगति
कृषि आधारित जीविका	
धान की खेती (उत्पादकता वृद्धि हस्तक्षेप) करने वाले किसानों की संख्या	464126
गेहूं की खेती करने वाले किसानों की संख्या	517711
सब्जी की खेती करने वाले किसानों की संख्या	312626
रसोई बाड़ी (किचेन गार्डन) में सब्जी उपजाने वाले किसानों की संख्या	559375
कृषीतरकार्य आधारित जीविका	
मुर्गीपालन संबंधी हस्तक्षेप में शामिल स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या	182193
दूध उत्पादन संबंधी हस्तक्षेप में शामिल स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या	55482
बकरी संबंधी हस्तक्षेप में शामिल परिवारों की संख्या	58200
कृषीतर हस्तक्षेप में शामिल स्वयं सहायता समूह सदस्यों की संख्या	29422
कौशल प्रशिक्षण एवं नियोजन	
परियोजना क्रियान्वयन अभिकरणों (पीआइए) और रूसेटी द्वारा प्रशिक्षित ग्रामीण युवाओं की संख्या	215822
पीआइए, रूसेटी तथा नियोजन मेलों आदि के जरिए नियोजित ग्रामीण युवाओं की संख्या	254034
असुरक्षित स्थिति में कमी	
खाद्य सुरक्षा कोष पाने वाले ग्राम संगठनों की संख्या	23720
स्वास्थ्य सुरक्षा कोष पाने वाले ग्राम संगठनों की संख्या	37635
स्वच्छता	
निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की संख्या	11031793
खुले में शौच से मुक्त गांवों की संख्या	27318

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

ग्रामीण क्षेत्रों में टिकाऊ जीविका के लिए जीविका द्वारा लोगों को विभिन्न आर्थिक क्रियाकलापों में लगाया जाता है और खेती, मुर्गीपालन और दूध उत्पादन जैसे स्थानीय स्तर पर पैदा रोजगार के अवसरों को बढ़ावा दिया जाता है। साथ ही, जीविका द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण भी आयोजित किए जाते हैं। श्री विधि (चावल सघनीकरण प्रणाली), गेहूं सघनीकरण प्रणाली, गेहूं के लिए जीरो टिलेज, बीज प्रतिस्थापन आदि पैकेज के जरिए 6 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्य कृषि संबंधी हस्तक्षेपों में लगे हैं। इन हस्तक्षेपों से उत्पादकता में निश्चित तौर पर सुधार हुआ है जिससे खेती किसानों के लिए अधिक लाभप्रद बन गई है। 4 लाख से भी अधिक किसानों ने धान की खेती में उत्पादकता वृद्धि संबंधी हस्तक्षेप शुरू किया है। किसानों को घर के आसपास या बाड़ी में उपजाई गई सब्जियों और फलों की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करके पोषण के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए जीविका ने रसोई बाड़ी (किचन गार्डन) पर भी जोर दिया है। 5.5 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूह सदस्यों ने रसोई बाड़ी में फल-सब्जियां उपजाना शुरू किया है। साथ ही, 3.1 लाख से भी अधिक समूह सदस्यों द्वारा सब्जियों की बड़े पैमाने पर खेती शुरू की गई।

जीविका संबंधी गतिविधियों का मार्च 2019 तक का ब्योरा तालिका 8.2 में प्रस्तुत है। कृषीतर गतिविधियों में देखें, तो लगभग 1.8 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्य मुर्गीपालन में, लगभग 55,000 दूध उत्पादन में, और 58,000 बकरी पालन में लगे थे। साथ ही, जीविका ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण भी देती है और उनके लिए अनेक प्रकार के काम की व्यवस्था भी करती है। मार्च 2019 तक कुल 2.2 लाख युवक-युवतियों को प्रशिक्षित किया गया और 2.5 लाख युवक-युवतियों को परियोजना क्रियान्वयन अभिकरण (पीआइए) या ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूसेटी) के जरिए अथवा जीविका द्वारा आयोजित रोजगारमेलों (जॉब फेयर्स) के जरिए काम में लगाया गया। यही नहीं, स्वयं सहायता समूहों ने खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेप और स्वास्थ्य सुरक्षा हस्तक्षेप उपलब्ध कराकर ग्रामीण गरीबों की असुरक्षित स्थिति में कमी लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। खाद्य सुरक्षा हस्तक्षेप पोषण स्तर में सुधार के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा, पूरे राज्य में स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता पर सघन व्यवहार परिवर्तन संवाद मॉड्यूल भी चलाया जा रहा है।

जीविका द्वारा राज्य ग्रामीण जीविका मिशन (एलएलआरएम) की एक विकेंद्रित व्यवस्था शुरू की गई है जो सामुदायिक गोलबंदी पर केंद्रित है जिसमें ग्राम पंचायतें स्थानीय कार्ययोजनाओं के जरिए क्रियान्वयन अभियान चलाती हैं। इस पहल के तहत आरंभिक चरण में सभी गंगा ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी जाएगी, और वृक्षारोपण तथा पर्यावरण सुरक्षा जैसे अतिरिक्त क्रियाकलाप भी चलाए जाएंगे। राज्य ग्रामीण जीविका मिशन के लिए कुल मिलाकर 14 जिलों के 50 ग्राम पंचायतों को चुना गया है (चार्ट 8.1)।

चार्ट 8.1 : राज्य ग्रामीण जीविका मिशन के लिए चुने गए जिलों के चुने गए ग्राम पंचायत

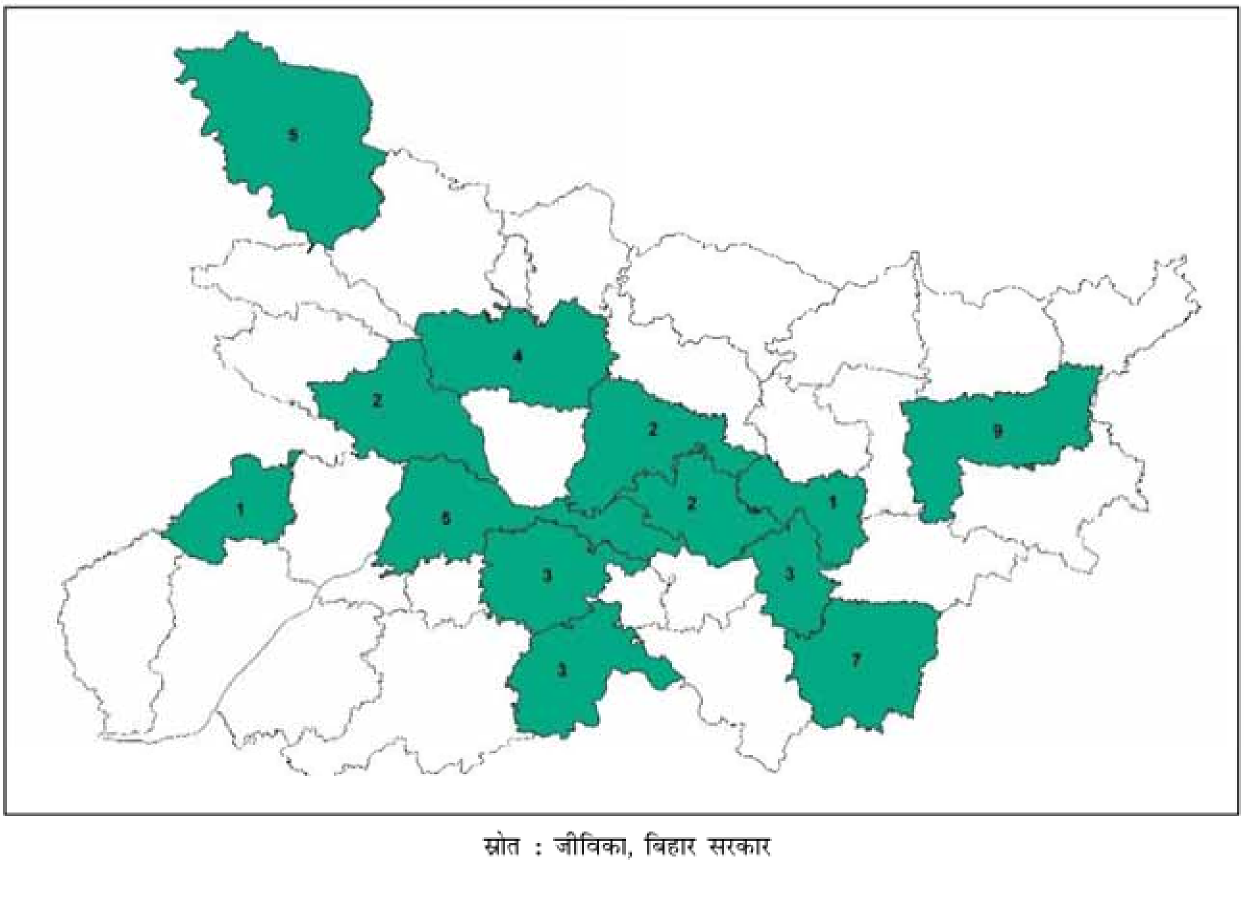

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

जीविका के तहत कौशल विकास और नियोजन

जीविका को बढ़ावा देने के लिए जीविका ने जमीनी स्तर पर जबर्दस्त काम किया है। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, रोशनी परियोजना और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान जीविका द्वारा की गई कुछ महत्वपूर्ण पहलकदमियां हैं।

ग्रामीण और वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के युवक-युवतियों को रोजगार पाने की टिकाऊ क्षमता प्रदान करने के लिए बिहार के विभिन्न जिलों में 61 नए प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए गए। प्रशिक्षण कार्यक्रम का लक्ष्य स्थानीय और प्रवास करने वाले युवक-युवतियों को कौशल विकास प्रशिक्षण उपलब्ध कराना था। वर्ष 2018-19 में कुल 10,800 प्रत्याशियों को प्रशिक्षित किया गया जिनमें से 8547 को विभिन्न क्षेत्रों में नियोजित कर दिया गया।

स्रोत : जीविका बिहार सरकार

8.2महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)

महात्मा गांधी राष्टोय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अधिनियम, 2005 परिवार केएक सदस्य को साल में कम से कम 100 दिन रोजगार देने के लिए काम के अधिकार की गारंटी करने वाला सामाजिक सुरक्षा उपाय है। अधिनियम का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में अकुशल या शारीरिक परिश्रम वाला काम करने की इच्छा रखने वाले हर परिवार को 100 दिनों का गारंटीशुदा मजदूरी वाला काम उपलब्ध कराकर जीविका संबंधी सुरक्षा में वृद्धि करना है। काम में स्थानोय प्राकृतिक संसाधनों को पुनर्जीवित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादक परिसंपत्तियों का निर्माण शामिल है। मनरेगा ग्रामीण गरीबों को क्रय क्षमता उपलब्ध कराती है और उसके जरिए स्थानीय अर्थव्यवस्था को आवेग प्रदान करती है। योजना मजदूरों का महिलाओं का सशक्तीकरण करने और प्रवास रोकने में भी मदद करती है। वर्ष 2005 से अपने आरंभ से ही मनरेगा की प्रशंसनीय उपलब्धियां रही हैं। चार्ट 8.2 में 2015 से 2019 की अवधि में जॉब कार्ड पाने वाले परिवारों की संख्या दर्शाई गई है। सर्वाधिक 8.8 लाख जॉब कार्ड 2016-17 में जारी किए गए थे और सबसे कम 5.9 लाख जॉब कार्ड 2017-18 मेंजिनकी संख्या 2018-19 में पुन: बढ़कर 7.01 लाख हो गई।

चार्ट 8.2 : 2015 से 2019 तक जारी जॉब कार्डो की संख्या (आंकड़े लाख में)

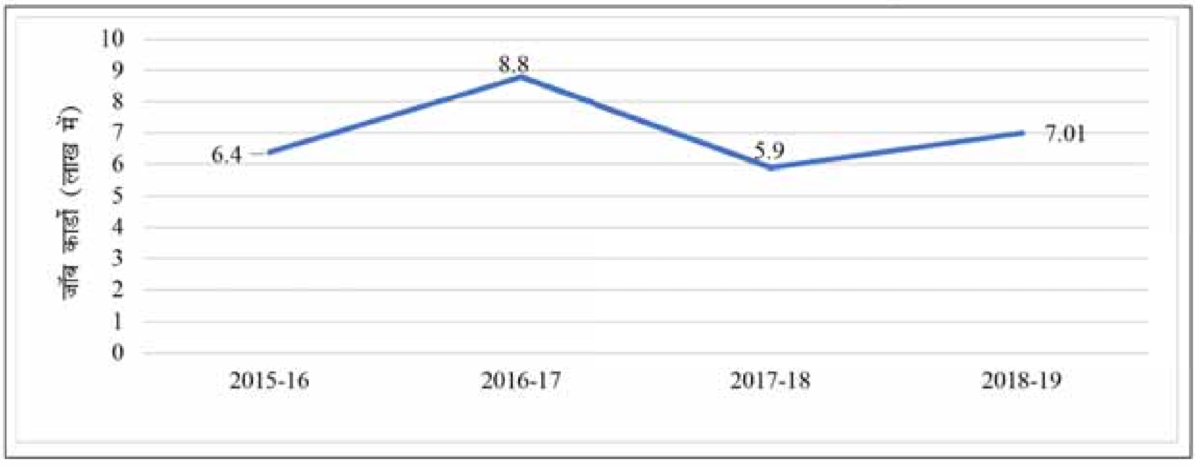

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 8.3 : रोजगार पाने वाले परिवारों का प्रतिशत

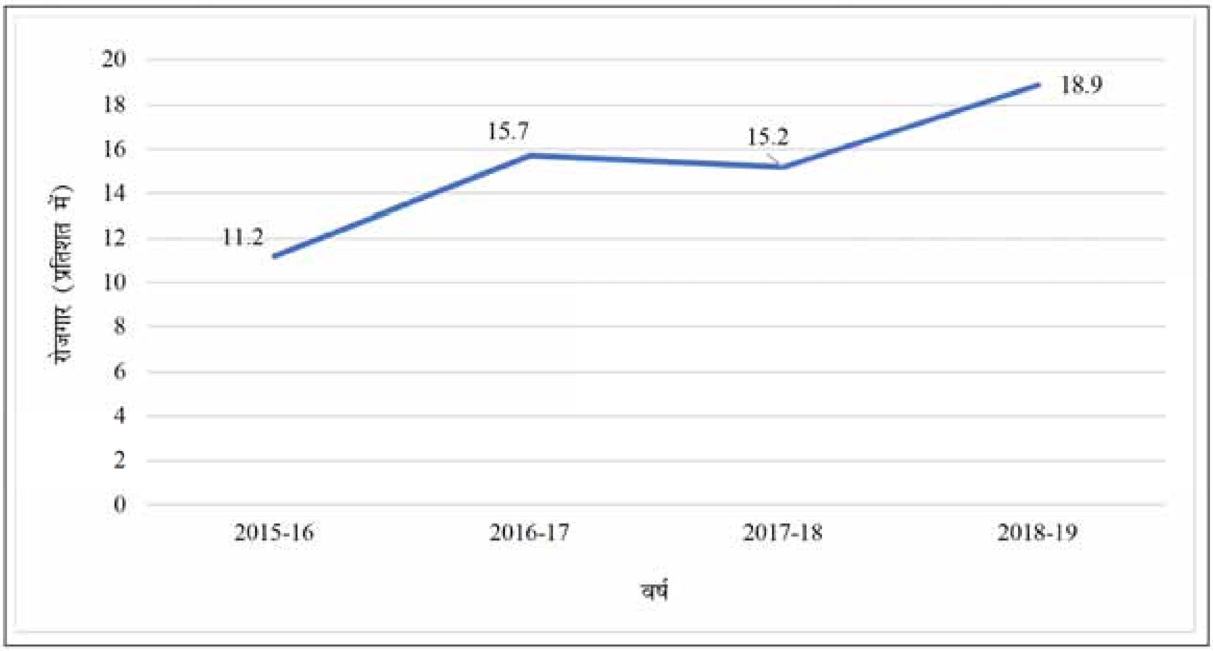

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

यह देखते हुए कि परिवारों को जॉब कार्ड जारी करने के मामले में उतार-चढ़ाव रहा है, वास्तविक रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या मनरेगा के प्रदर्शन का एक महत्वपूर्ण सूचक है। इसके आंकड़े तालिका 8.3 और चार्ट 8.3 में दर्शाए गए हैं। तालिका 8.3 में आसानी से देखा जा सकता है कि जॉब कार्ड वाले परिवारों की संख्या और रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या, दोनो में ही लगातार वृद्धि हुई है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बीच जारी किए गए जॉब कार्ड की संख्या 148 लाख से बढ़कर 155 लाख हो गई। इसी प्रकार, रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या भी लगभग 32 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 के 22 लाख से 2018-19 में 29 लाख हो गई। वहीं, पिछले तीन वर्षों में 100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या भी बढ़ी है। मिले रोजगारों के दिन तो 2014-15 के 352 लाख व्यक्ति-दिवस से साढ़े-तीनगुने होकर 2018-19 में 1234 लाख व्यक्ति-दिवस पहुंच गए। मनरेगा में कुल सृजित रोजगार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने की अंतर्निर्मित व्यवस्था है। बिहार में महिलाओं की भागीदारी कुल सृजित रोजगार (व्यक्ति-दिवस) के एक-तिहाई की वैधानिक जरूरत से अधिक थी। पिछले पांच वर्षों में कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का हिस्सा बढ़ा है और 2018-19 में यह 51.8 प्रतिशत था। हालांकि प्रति परिवार रोजगार के दिनों की औसत संख्या के मामले में विगत वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव रहा है। यह सबसे कम 34.0 व्यक्ति-दिवस 2014-15 में था और सबसे अधिक 45.1 व्यक्ति-दिवस 2015-16 में। प्रति परिवार रोजगार के इतने कम औसत दिनों और उनकी संख्या में उतार-चढ़ाव का कारण मजदूरों द्वारा 100 दिनों का काम पूरा करने के पहले ही काम छोड़ देना है। शुरुआती वर्षों में धनराशि के उपयोग का स्तर निम्न था लेकिन 2017-18 और 2018-19 में यह लगभग 90 प्रतिशत हो गया।

तालिका 8.3 : मनरेगा का प्रदर्शन (2014-15 से 2018-19)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
परिवारों को जारी जॉबकार्ड की संख्या (लाख)	127.2	133.6	142.4	148.3	155.3
रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख)	10.4	14.9	22.3	22.5	29.2
100 दिन रोजगार पाने वाले परिवारों की संख्या (लाख)	0.3	0.6	0.2	0.2	0.2
रोजगार सृजन (लाख व्यक्ति-दिवस)	352	670.9	858.4	817.2	1234.1
कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा	37.3	40.8	43.8	46.6	51.8
प्रति परिवार औसत रोजगार (व्यक्ति-दिवस)	34.0	45.1	37.4	36.4	42.2
पूरे हुए कार्यों की संख्या (लाख)	1.2	1.1	0.8	1.1	1.8
एमआइएस के अनुसारधनराशि का उपयोग (प्रतिशत)	65.7	81.6	89.9	91.0	90.0
खुले खातों की संख्या (लाख)	29.4	34	39.2	66.9	72.8

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 8.4 : 2018-19 में मनरेगा के तहत पूरे हुए कर्यों की संख्या

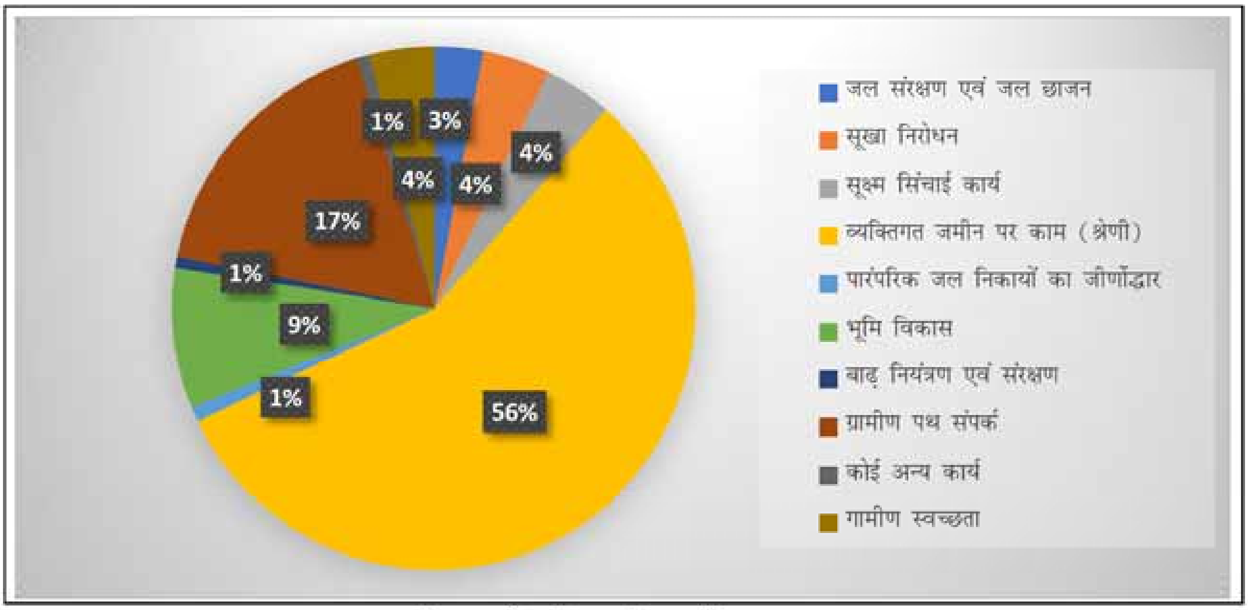

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

विगत वर्षों के दौरान बिहार में मनरेगा के तहत पूरे किए गए कार्यों की संख्या बढ़ी है। चार्ट 8.4 से पताचलता है कि मनरेगा के तहत पूरे किए गए कार्यों की संख्या 2014-15 में 116.0 हजार थी जो बढ़कर 2018-19 में 183.3 हजार हो गई। पूरे किए गए कार्यों की संख्या में बड़ी गिरावट 2016-17 में दिखी थी जब इसकी संख्या 76.9 हजार रह गई थी। मनरेगा का जिलावार ब्योरा तालिका प 8.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। मनरेगा के क्रियान्वयन में जिलों के बीच काफी अंतर रहा है। वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक 7.2 लाख जॉब कार्ड पूर्व चंपारण में और उसके बाद 6.7 लाख मुजफ्फरपुर में तथा 6.5 लाख वैशली में जारी किए गए। वहीं सबसे कम जॉब कार्ड जहानाबाद, अरवल और शेखपुरा में जारी किए गए जहां उनकी संख्या 1 लाख से कम थी।

तालिका 8.4 : मनरेगा के तहत पूर हुए श्रेणी-वार कार्य (2014-15 से 2018-19)

श्रेणियां	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
जल संरक्षण एवं जलछाजन	2464 (2.1)	3234 (2.9)	3979 (5.2)	6651 (6.13)	5464 (3.01)
सूखा अवरोधन	32201 (27.8)	42685 (38.6)	16352 (21.3)	7401 (6.82)	7597 (4.1)
सूक्ष्म-सिंचाई संबंधी कार्य	2274 (2.0)	3852 (3.5)	5501 (7.2)	9689 (8.93)	7700 (4.2)
व्यक्तिगत जमीन पर काम	4227 (3.6)	6612 (6.0)	6449 (8.4)	21162 (19.50)	103518 (56.5)
पारंपरिक जल निकायों का जीर्णोद्धार	825 (0.7)	1058 (1.0)	1324 (1.7)	1831 (1.69)	1638 (0.9)
भूमि विकास	4312 (3.7)	6928 (6.3)	8798 (11.4)	16695 (15.38)	15897 (8.7)
बाढ़ नियंत्रण एवं बाढ़ से बचाव	395 (0.3)	640 (0.6)	651 (0.8)	1354 (1.25)	1277 (0.7)
ग्रामीण संपर्क पथ	13847 (11.9)	20081 (18.2)	22494 (29.3)	32839 (30.26)	31269 (17.0)
कोई अन्य गतिविधि	55438 (47.8)	25447 (23.0)	11347 (14.8)	1563 (1.4)	1418 (0.8)
ग्रामीण अधिसंरचना	—	—	—	(0.00)	10 (0.1)
भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्र	—	—	—	198 (0.2)	109 (0.1)
तटवर्ती क्षेत्र	—	—	—	4 (0.00)	0
मछली पालन	—	—	—	11 (0.01)	8 (0.00)
खेल के मैदान	—	—	—	21 (0.02)	26 (0.01)
ग्रामीण पेयजल	—	—	—	28 (0.03)	74 (0.04)
ग्रामीण स्वच्छता	—	—	—	9076 (8.4)	7339 (4.0)
योगफल	**115983 (100.0)**	**110537 (100.0)**	**76895 (100.0)**	**108523 (100.0)**	**183344 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े पूरे हुए कुल कार्यों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 8.5 : मनरेगा के तहत पूर हुए कार्यों की कुल संख्या (2014 से 2019)

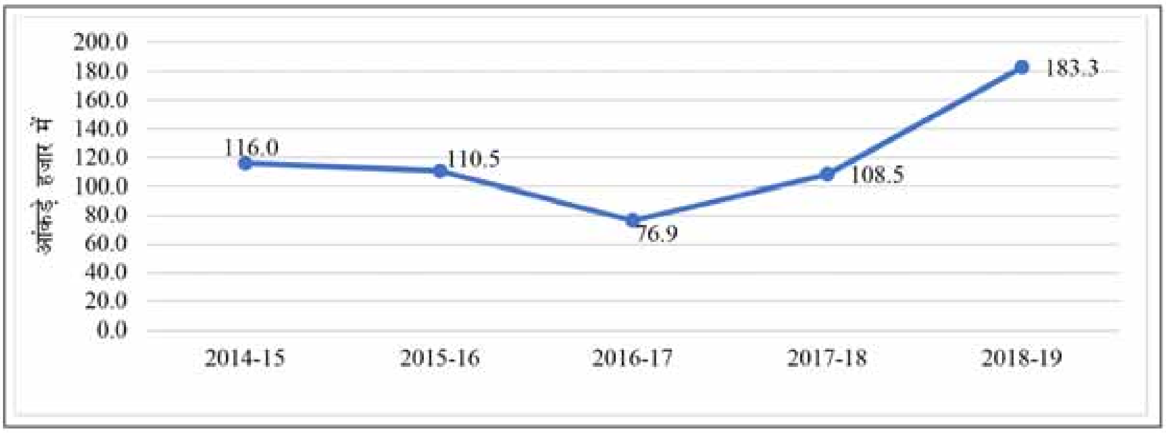

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी जॉब कार्डधारियों में अनुसूचित जाति के परिवारों का हिस्सा बहुत नहीं बदला है। वर्ष 2017-18 में यह 24.6 प्रतिशत और 2018-19 में 23.8 प्रतिशत था। वहीं जॉब कार्डधारियों में काम की मांग करने वाले परिवारों का हिस्सा 2017-18 में 19.7 प्रतिशत आर 2018-19 में 23.6 प्रतिशत था। वर्ष 2017-18 में सर्वाधिक 45.5 प्रतिशत लोगों ने अरवल में काम की मांग की जिसके बाद 37.8 प्रतिशत जहानाबाद में और 36.9 प्रतिशत शिवहर में। दूसरी ओर, पश्चिम चंपारण में सबसे कम लोगों ने काम की मांग की।

धनराशि का उपयोग योजनाओं के क्रियान्वयन की सफलता को मापने का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। पिछले तीन वर्षों में मनरेगा में धनराशि के उपयोग के जिलावार आंकड़े तालिका प 8.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। पिछले तीन वर्षों में अधिकांश जिलों में धनराशि का उपयोग 90 प्रतिशत से अधिक था।

8.3 प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण

पूर्व की इंदिरा आवास योजना प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाइ-जी) में समाहित हो गई है।केंद्र सरकार द्वारा इसका आरंभ 2022 तक ग्रामीण क्षेत्रों में सबको किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिहाज से किया गया है। योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए सामाजिक-आर्थिक और जाति गणना को आधार माना जाता है। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गृहविहीन परिवारों और पुराने घरों वाले परिवारों को पक्का घर बनाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। मैदानी इलाके में रहने वाले परिवारों को 1.20 लाख रु. तक और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को 1.30 लाख रु. तक वित्तीय सहायता दी जाती है। आर्थिक रूप से कमजोर तबका (ईडब्ल्यूएस), निम्न आय समूह (एलआइजी), मध्यम आय समूह-1 (एमआइजी-1), मध्यम आय समूह-2 (एमआइजी-2), महिलाएं, अनुसूचित जाति/ जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग परिवार योजना के लाभार्थी होने के पात्र होते हैं। बिहार में यह योजना एक महत्वपूर्ण ग्रामीण विकास योजना है क्योंकि राज्य की आबादी का अधिकांश हिस्सा गांवों में रहता है। तालिका 8.5 में प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण का 2015-19 की अवधि में प्रदर्शन दर्शाया गया ह। तालिका म यह भी दिखता है कि योजना के भौतिक लक्ष्यों को 2017-18 को छोड़कर शेष सभी वर्षों में हासिल किया गया है।

तालिका 8.5 : इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रदर्शन (2015-16 से 2018-19)

वर्ष	वार्षिक भौतिक लक्ष्य (लाख)	पूरे हो चुके आवास (लाख)			धनराशि का उपयोग					
					कुल व्यय (लाख रु.)			अजा एवं अजजा (लाख रु.)		
		प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	इंदिरा आवास योजना	योग	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	इंदिरा आवास योजना	योग	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)	इंदिरा आवास योजना	योग
2015-16	2.33	—	2.8	2.8	—	127594	127594	—	48713	48713
2016-17	6.37	—	6.9	6.9	291	61961	62252	158	25316	25474
2017-18	5.38	0.3	2.9	3.2	324341	65207	389548	131037	29467	160504
2018-19	—	5.8	1.3	7.1	560296	26502	586797	115545	12112	127658

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 8.6 : इंदिरा आवास योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का प्रदर्शन

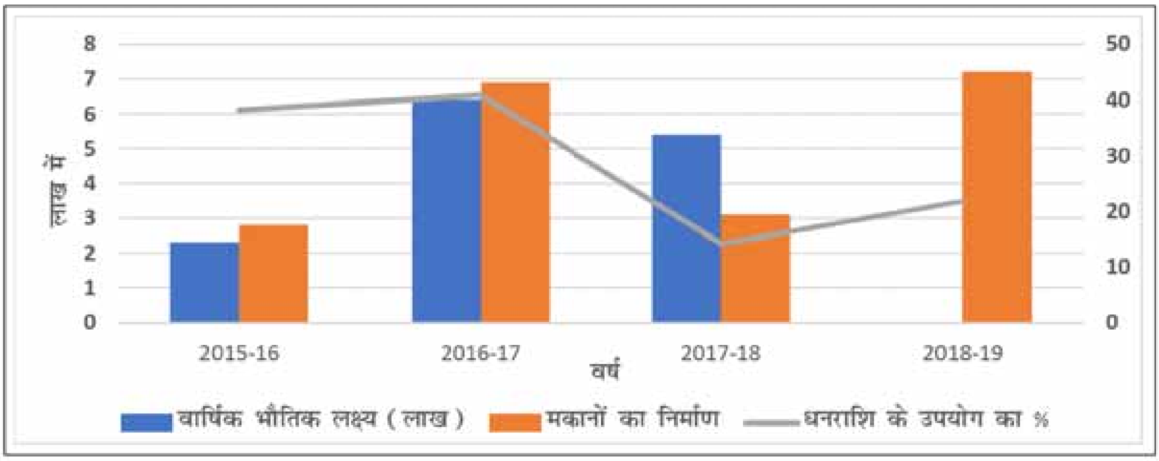

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

8.4 जन वितरण प्रणाली

जन वितरण प्रणाली (पीडीएस) केंद्र सरकार द्वारा स्थापित अपने तरह की दुनिया की सबसे बड़ी योजना है। गरीब और सीमांत आबादी की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए योजना का आरंभ उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं जन वितरण मंत्रालय के तहत किया गया था। योजना का लक्ष्य गरीबों को शक्य और प्राप्य आवश्यक खाद्य एवं खाद्येतर सुरक्षा उपलब्ध कराना है। जन वितरण प्रणाली का प्रावधान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत किया गया है जिसके अंतर्गत खाद्यान्न और तेल जैसी आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण का नियमन होता है। भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से न्यूनतम मूल्य पर खाद्यान्न खरीदे जाते हैं, भंडारित किए जाते हैं और जन वितरण प्रणाली के जरिए लोगों के बीच वितरित किए जाते हैं।

राष्टोय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए), 2013 को भोजन के अधिकार को कानूनी अधिकार बनाने के लिए पारित किया गया था। अधिनियम के तहत पूरी आबादी को तीन श्रेणियों में बांटा गया है –बेहक परिवार, हकदार परिवार और अंत्योदय अन्न योजना परिवार।

तालिका 8.6 : जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि (2015 से 2018)

दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि	दूकानों की संख्या				प्रतिशत हिस्सा			
	2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018
अनुसूचित जाति	6891	6905	6773	7103	16.4	16.4	16.3	16.7
अनुसूचित जनजाति	327	331	336	319	0.8	0.8	0.8	0.8
पिछड़ी जाति	12463	12337	11897	11801	29.6	29.3	28.7	27.8
अति पिछड़ी जाति	3109	3203	3298	3632	7.4	7.6	8.0	8.5
अल्पसंख्यक	2812	2806	2659	2705	6.7	6.7	6.4	6.4
महिला	3361	3344	3340	3640	7.0	8.0	8.1	8.6
महिला स्वयं सहायता समूह	209	204	184	208	0.5	0.5	0.4	0.5
अन्य स्वयं सहायता समूह	105	102	108	103	0.3	0.2	0.3	0.2
सहकारी समिति (पूर्व सैनिक)	4494	4469	4406	4365	10.7	10.6	10.6	10.3
नि:शक्त	180	178	181	186	0.4	0.4	0.4	0.4
सामान्य जाति	8190	8180	8301	8458	19.4	19.5	20.0	19.9
योगफल	**42141**	**42059**	**41483**	**42520**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

जन वितरण प्रणाली दूकानदारों की सामाजिक पृष्ठभूमि तालिका 8.6 में प्रस्तुत है। वर्ष 2018 में राज्य में जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों की संख्या 42,520 के आसपास थी। वर्ष 2018 में राज्य में जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों में सर्वाधिक 27.8 प्रतिशत हिस्सा पिछड़ो जातियों का और उसके बाद 19.9 प्रतिशत सामान्य जातियों का था। महिलाओं का हिस्सा विगत वर्षों के दौरान लगातार बढ़ता गया है जो 2018 में 8.6 प्रतिशत था। महिला स्वयं सहायता समूहों, अन्य स्वयं सहायता समूहों, और नि:शक्तों का हिस्सा 2014 से 2018 के बीच अपरिवर्तितरहा है।

सामाजिक पृष्ठभूमि के अनुसार जन वितरण प्रणाली के दूकानदारों का जिलावार वितरण तालिका प 8.3 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। सभी जिलों के बीच जन वितरण प्रणाली के अजा/ अजजा दूकानदारों का हिस्सा गया में सर्वाधिक 30 प्रतिशत था और उसके बाद बेगूसराय में 27.3 प्रतिशत जबकि उनका सबसे कम 10.3 प्रतिशत हिस्सा मुंगेर में था। इसी प्रकार, सभी जिलों के बीच पिछड़ी/ अति पिछड़ी जाति के दूकानदारों का सर्वाधिक 51.7 प्रतिशत हिस्सा अरवल में और उसके बाद 49.1 प्रतिशत मुंगेर में था जबकि सबसे कम 26.4 प्रतिशत किशनगंज में, 27.3 प्रतिशत बेगूसराय में और 27.9 प्रतिशत अररिया में। वहीं, अल्पसंख्यक दूकानदारों का सर्वाधिक 21.9 प्रतिशत हिस्सा अररिया और 16.2 प्रतिशत पूर्णिया में था। जहां तक जन वितरण प्रणाली के महिला दूकानदारों की बात है, तो उनका सर्वाधिक 19.5 प्रतिशत हिस्सा दरभंगा में था और उसके बाद 16.5 प्रतिशत सारण में जबकि औरंगाबाद, सुपौल और किशनगंज में महिलाओं का हिस्सा 4 पतिशत के आसपास था।

जन वितरण प्रणाली के तहत गरीबों के बीच खाद्य और खाद्येतर, दोनो तरह की चीजें बांटने का प्रावधान है। इसलिए उन दूकानों से चीनी और किरासन तेल भी बांटा जाता है, लेकिन गेहूं और चावल मुख्य चीजें हैं। गेहूं और चावल का वर्षवार आबंटन और उठाव तालिका 8.7 में प्रस्तुत है। गेहूं का कुल आबंटन 2014-15 के 4914.9 हजार टन से बढ़कर 2018-19 में 5220.2 हजार टन हो गया। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच चावल का आबंटन 183 हजार टन और गेहूं का आबंटन 122 हजार टन बढ़ा है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार खाद्यान्नों के आबंटन का पूरा उपयोग करती रही है। विगत पांच वर्षों में उठाव का प्रतिशत हमेशा ही 95 प्रतिशत से अधिक रहा है। वर्ष 2018-19 में यह 98.9 प्रतिशत था।

तालिका 8.7 : विशेषाधिकृत परिवार और अंत्योदय के तहत चावल और गेहूं का कुल आबंटन और उठाव (2014-15 से 2018-19)

(आंकड़े हजार टन में)

वर्ष	कुल आबंटन (विशेषाधिकृत परिवार + अंत्योदय)			कुल उठाव (विशेषाधिकृत परिवार + अंत्योदय)			कुल उठाव का प्रतिशत (विशेषाधिकृत परिवार + अंत्योदय)
	गेहूं	चावल	योग	गेहूं	चावल	योग	
2014-15	1966.0	2948.9	4914.9	1871.0	2828.4	4699.4	95.6
2015-16	2096.5	3144.6	5241.1	2053.6	2987.7	5041.3	96.2
2016-17	2197.4	3296.1	5493.5	2087.1	3165.0	5252.1	95.6
2017-18	2187.7	3281.6	5469.3	2135.2	3205.1	5340.3	97.6
2018-19	2088.1	3132.1	5220.2	2059.4	3104.3	5163.7	98.9

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

आबंटन और उठाव के जिलावार आंकड़े तालिका प 8.4 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2018-19 में 23 जिलों में चावल का 100 प्रतिशत उठाव देखा गया। इसी प्रकार, 22 जिलों में गेहूं का उठाव 100 प्रतिशत था। अधिकांश जिलों में चावल और गेहूं के उठाव के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखा। अपवाद बक्सर और मुंगेर थे जहां उठाव क्रमश: 89.9 प्रतिशत और 84.8 पतिशत था।

8.5 पंचायती राज संस्थाएं

बिहार पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआइ) के क्रियान्वयन के मामले में विकास प्रक्रिया में सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित ग्रामीण आबादी के प्रतिनिधित्व के लिहाज से देश के अग्रणी राज्यों में है। बिहार में पंचायत राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति और अति पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण है। सभी श्रेणियों में 50 प्रतिशत सीट महिला सदस्यों के लिए आरक्षित है। पंचायती राज संस्था के ढांचे के बारे में ब्योरा तालिका 8.8 में प्रस्तुत है। अभी जिला स्तर पर 38 जिला परिषद, प्रखंड स्तर पर 534 पंचायत समितियां और गांव के स्तर पर 8,386 ग्राम पंचायत कार्यरत हैं। राज्य में जिला परिषद सदस्यों के 1161, पंचायत समिति सदस्यों के 11,497 और ग्राम पंचायत सदस्यों के 1,14,691 पद हैं। निर्वाचित सदस्यों के अलावा कुछ अन्य कर्मी भी पंचायती राज संस्थाओं के काम में मदद करने के लिए नियोजित हैं। राज्य सरकार उनकी नियुक्ति स्वशासन के काम में सहयोग देने के लिए करती है। स्पष्ट है कि जिला और प्रखंड स्तर पर पर्याप्त संख्या में कर्मचारी हैं लेकिन गांव के स्तर पर अधिक कर्मचारियों के नियोजन की जरूरत है (तालिका 8.8)।

तालिका 8.8 : बिहार में पंचायती राज संस्थाओं का विवरण

विवरण	संख्या	विवरण	संख्या
जिला परिषद	38	ग्राम पंचायत सचिव	3701
पंचायत समिति	534	न्याय मित्र	6947
ग्राम पंचायत	8386	ग्राम कचहरी सचिव	7474
ग्राम पंचायत सदस्य	114691	जिला पंचायती राज अधिकारी	38
पंचायत समिति सदस्य	11497	प्रखंड पंचायती राज अधिकारी	528
जिला परिषद सदस्य	1161	ग्राम कचहरी सदस्य	114691

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

पंचायती राज संस्थाओं को मिलने वाले अनुदान पांचवें रज्य वित्त आयोग (2015-20) की अनुशंसा पर आधारित हैं। इसके अनुसार राज्य सरकार के वास्तविक व्यय का 2.75 प्रतिशत और राज्य के अपने कर राजस्व का 8.50 प्रतिशत हिस्सा हर साल पंचायती राज संस्थाओं को अंतरित करना होता है। कुल अंतरित धनराशि में ग्राम पंचायतों का 70 प्रतिशत, पंचायत समितियों का 10 प्रतिशत और जिला समितियों का 20 प्रतिशत हिस्सा होता है। पंचायती राज संस्था का तीनो स्तरों पर व्यय तालिका 8.9 में प्रस्तुत है। पंचायती राज संस्था के तीनो स्तरों पर व्यय का कोई पैटर्न नहीं रहा है। वर्ष 2018-19 में पंचायती राज संस्थाओं का कुल व्यय लगभग 780 करोड़ रु. था जो 2014-15 की अपेक्षा 527 करोड़ रु. अधिक था। लेकिन 2018-19 में ग्राम पंचायत के स्तर पर व्यय में

गत वर्ष की अपेक्षा कमी आई है। पंचायत समिति के स्तर पर इस अवधि में व्यय में थोड़ी वृद्धि दिखी। वर्ष 2018-19 में पंचायत समिति के स्तर पर व्यय 27.70 करोड़ रु. था।

तालिका 8.9 : पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न स्तरों पर व्यय का विवरण (2014-15 से 2018-19)

शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ग्राम पंचायत					
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	27821	0	0	0	0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	0	0	5091.1	0	0
3. मुख्यमंत्री ग्रामोदय योजना	1084	0	0	0	0
4. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	107105	237627	314208	363039	419971
5. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	0	0	135453.7	166407.9	167374.4
6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	0	0	62000	162315.5	90000
7. पंचायत सरकार भवनों का निर्माण	36863	12269	46222	5093	3553.5
8. आकस्मिक अनुदान	0	321	4035	4852	4141.5
9. ग्राम पंचायत सदस्यों/ कर्मचारियों को वेतन और भत्ते	15383	8172	9161.7	12088.1	13850.2
योगफल	**188256**	**258389**	**576171.4**	**713795.5**	**698891.3**
पंचायत समिति					
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	7949	0	0	0	0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	0	0	0	0	0
3. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	30662	2829	0	0	0
4. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	0	0	18729.8	22884.1	24695.4
5. पंचायत समिति सदस्यों को भत्ते	1946	1947	2140.7	2717.9	3004.9
6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	0	0	0	0	0
योगफल	**40557**	**4776**	**20870.5**	**25602**	**27700.3**
जिला परिषद					
1. पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि	3975	227	0	0	0
2. राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान	0	0	0	0	0
3. केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान	15287	1414	0	0	0
4. राज्य वित्त आयोग के अनुदान	5026	0	47456	56164.1	53473
5. जिला परिषद सदस्यों को भत्ते	431	432	409.4	530.8	580.1
6. मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना	0	0	0	0	0
योगफल	**24719**	**2073**	**47865.4**	**56694.8**	**54053.1**
कुल योग	**253532**	**265238**	**644907.2**	**796092.3**	**780644.7**

स्रोत : पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

8.6 गृहभूमि वितरण

बेहतर जीवनदशा और अच्छा आवास लोगों की समग्र खैरियत का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त आवास सुविधा देने के लिए केंद्र सरकार अभी प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण का क्रियान्वयन कर रही है। राज्य सरकार भी ग्रामीण आबादी को, खास कर गरीबों को पर्याप्त आवासीय सुविधा देने के लिए कृतसंकल्प है। इसीलिए राज्य सरकार अभी अभियान बसेरा कार्यक्रम के तहत सभी भूमिहीन परिवारों को घर बनाने के लिए 5 डिसिमल जमीन आबंटित कर रही है। इसके लाभार्थियों में निम्नलिखित तबकों के परिवार शामिल हैं – पिछड़ी जातियां, अति पिछड़ी जातियां, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां, और महादलित।

तालिका 8.10 : अभियान बसेरा के तहत तबकावार पात्र परिवार और लाभान्वित

	कुल सर्वेक्षित परिवार	लाभान्वित परिवार	लाभान्वितों का प्रतिशत	शेष परिवार
पिछड़ी जातियां 1	17176	10245	59.65	6931
पिछड़ी जातियां 2	10182	5460	53.62	4722
अनुसूचित जाति	12479	6338	50.79	6141
अनुसूचित जनजाति	3903	2166	55.50	1737
महादलित	67340	42187	62.65	25153
योगफल	**111080**	**66396**	**59.77**	**44684**

स्रोत : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार सरकार

अभियान बसेरा के तहत योजना के पात्र लाभार्थियों की पहचान के लिए 2014 में एक सर्वेक्षण किया गया था। उसमें विभिन्न तबकों के 1,11,080 परिवारों की पहचान की गई थी और 2017-18 तक 66,396 परिवारों को वांछित बासगीत जमीन उपलब्ध करा दी गई थी जो सभी लक्षित परिवारों का 59.7 प्रतिशत है। अभी विभिन्न सामाजिक तबकों के लिए योजना का आच्छादन इस प्रकार है – अति पिछड़ी जातियां 53.0 प्रतिशत, अनुसूचित जातियां 50.8 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियां 55.5 प्रतिशत और महादलित 62.6 प्रतिशत।

परिशिष्ट

तालिका प 8.1 : मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति (2016-17 से 2018-19)

(आंकड़े लाख में)

जिला	जॉबकार्ड पाने वाले परिवारों की सं. (लाख)			जॉबकार्ड-प्राप्त परिवारों में अजा परिवारों का प्रतिशत हिस्सा			रोजगार मांगने वाले जॉबकार्ड प्राप्त परिवारों का प्रतिशत		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
पटना	5.5	5.7	5.9	25.3	25.4	25.1	16.9	12.0	13.3
नालंदा	4.3	4.4	4.5	36.4	36.72	36.3	20.7	15.1	16.4
भोजपुर	3.5	3.6	3.7	32.7	32.51	31.7	26.5	16.6	16.4
बक्सर	2.8	2.8	2.8	29.7	29.42	29.0	27.8	24.9	22.8
रोहतास	3.6	3.7	3.8	31.2	30.9	30.2	26.1	17.4	19.8
कैमूर	2.2	2.2	2.3	37.2	36.63	35.5	27.7	18.8	24.6
गया	5.9	6.0	6.2	55.1	54.63	53.9	18.8	18.2	18.8
जहानाबाद	1.5	1.5	1.6	30.3	29.73	29.6	50.0	33.6	37.8
अरवल	1.1	1.1	1.2	27.7	25.03	22.9	52.4	42.7	45.5
नवादा	4.2	4.5	4.6	30.4	31.46	30.6	23.5	19.3	25.3
औरंगाबाद	3.6	3.8	4.0	41.4	41.13	40.2	29.0	23.4	30.0
सारण	5.2	5.4	5.9	24.8	24.36	22.9	21.9	17.4	23.1
सीवान	3.1	3.1	3.2	18.7	18.61	18.3	19.1	14.0	16.3
गोपालगंज	3.5	3.4	3.4	19.5	18.9	18.5	20.6	16.7	19.0
पश्चिम चंपारण	4.8	5.1	5.2	18.0	17.68	17.4	27.2	19.0	11.5
पूर्व चंपारण	6.5	6.8	7.1	18.9	18.29	17.4	20.3	14.7	22.1
मुजफ्फरपुर	6.3	6.1	6.7	23.0	22.25	21.4	17.4	13.0	16.3
सीतामढ़ी	4.6	5.0	5.3	21.5	20.13	19.1	28.8	25.4	28.2
शिवहर	0.9	0.9	1.0	19.8	18.68	17.3	60.1	26.8	36.9
वैशाली	5.8	6.0	6.4	32.4	30.99	29.5	16.2	18.4	25.0
दरभंगा	5.1	5.7	6.1	25.1	24.15	22.6	26.7	19.4	30.7
मधुबनी	5.4	5.6	5.9	21.5	20.86	19.9	21.2	13.5	18.5
समस्तीपुर	5.1	5.8	6.2	29.4	28.18	26.4	29.8	20.8	31.9
बेगसराय	3.4	3.5	3.7	22.4	21.47	20.4	19.7	17.2	18.7
मुंगेर	2.0	2.1	2.2	16.4	16.01	15.5	25.7	23.5	29.3
शेखपुरा	0.9	1.0	1.0	36.2	36.23	35.6	30.9	21.5	19.9
लखीसराय	1.7	1.8	1.9	23.2	23.05	22.4	29.4	27.0	31.4
जमुई	2.8	3.0	3.1	24.7	23.80	22.8	34.1	27.3	30.4
खगड़िया	1.9	2.1	2.2	24.7	23.84	22.6	21.2	16.8	17.8
भागलपुर	4.1	4.3	4.6	13.2	12.74	12.1	24.8	17.8	23.3
बांका	3.0	3.2	3.3	15.8	15.59	15.3	34.5	23.8	25.3
सहरसा	3.8	4.0	4.1	21.1	20.45	19.8	41.1	30.4	35.5
सुपौल	3.3	3.4	3.6	21.3	25.06	24.6	29.9	19.5	24.6
मधेपुरा	3.6	3.8	3.9	24.2	22.89	21.6	45.0	29.6	34.4
पूर्णिया	4.8	5.0	5.3	17.6	16.77	16.0	25.2	20.7	25.8
किशनगंज	2.6	2.7	2.8	9.7	9.33	9.2	32.1	25.7	24.5
अररिया	4.5	4.8	5.0	16.7	16.0	17.4	35.1	20.1	27.2
कटिहार	5.0	5.3	5.5	15.3	14.59	14.0	29.9	20.4	22.8
बिहार		**148.3**	**155.3**		**24.65**	**23.8**		**19.7**	**23.6**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 8.1 : मनरेगा के तहत जिलावार प्रगति (जारी)

जिला	रोजगार-प्राप्त परिवारों में 100 दिन रोजगार-प्राप्त परिवारों का प्रतिशत			सृजित रोजगार (लाख व्यक्ति-दिवस)			कुल सृजित रोजगार में महिलाओं का प्रतिशत हिस्सा		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
पटना	0.9	0.1	1.1	24.3	17.4	28.2	48.6	47.6	52.0
नालंदा	1.0	0.6	1.2	25.4	19.6	28.2	50.5	51.6	58.7
भोजपुर	0.7	0.2	0.4	15.9	13.1	17.9	34.2	39.4	43.6
बक्सर	0.5	0.6	0.6	18.8	19.4	20.5	34.5	35.6	39.5
रोहतास	0.2	0.2	0.5	184	14	23.6	30.4	34.3	40.2
कैमूर	0.9	1.3	1.3	14.8	12.5	21.3	33.7	37.4	42.4
गया	0.2	0.2	0.6	28.0	25.9	39.9	55.1	55.1	59.0
जहानाबाद	2.5	2.1	2.6	18.2	20.4	26.2	44.7	45.1	46.9
अरवल	1.0	0.4	0.7	12.4	14.4	20.9	40.2	43.0	44.8
नवादा	0.4	0.9	1.6	25.1	25.8	47.3	53.1	54.5	56.0
औरंगाबाद	1.9	2.9	3.3	31.0	32.2	48.4	35.5	38.2	43.2
सारण	2.1	2.8	3.1	38.8	34.9	57.5	28.7	34.8	41.9
सीवान	1.1	1.2	1.0	14.9	11.5	17.7	30.4	37.1	46.9
गोपालगंज	0.7	0.6	0.4	22.2	18.2	22.3	30.8	34.6	41.9
पश्चिम चंपारण	0.5	0.3	0.1	29.9	22	24.1	34.7	39.8	66.7
पूर्व चंपारण	0.4	0.5	0.7	38.0	33.9	57	35.7	39.0	45.4
मुजफ्फरपुर	0.4	0.5	0.5	23.1	21.1	23.2	41.2	44.6	49.5
सीतामढ़ी	0.2	0.3	0.3	25.6	31.3	39.6	44.2	47.1	49.6
शिवहर	0.3	0	0.4	11.0	7.4	13.3	44.2	46.1	51.1
वैशाली	0.1	0.5	0.6	24.5	28.9	49.3	45.0	46.7	52.7
दरभंगा	0.4	0.1	0.2	29.2	30.3	51	49.9	51.0	57.5
मधुबनी	0.2	0.3	0.3	25.9	18.6	34.6	50.6	52.3	58.1
समस्तीपुर	1.3	2	1.2	35.8	41.9	66.5	48.3	51.4	57.9
बेगूसराय	1.3	1.4	1.0	13.7	16.3	23	57.0	55.6	58.4
मुंगेर	0.6	0.3	0.9	12.2	14.8	25.6	44.4	47.8	50.8
शेखपुरा	0.7	0.4	0.4	8.7	6.7	8.3	54.1	51.4	56.6
लखीसराय	0.2	0.2	1.0	14.8	17.1	25.5	49.6	50.7	53.9
जमुई	0.2	0.4	0.7	19.8	23.8	33.7	47.1	50.3	53.6
खगड़िया	0.32	0.2	0.1	7.4	7.8	8.9	57.8	59.3	65.1
भागलपुर	0.6	0.9	1.1	220	21.8	36.6	39.1	40.9	45.4
बांका	0.3	0.3	0.2	23.2	20.8	26.6	48.4	49.3	52.0
सहरसा	0.3	0.1	0.3	39.0	34.3	51.3	50.4	52.8	56.0
सुपौल	0.4	0.3	0.5	19.3	16	27.6	46.9	49.6	53.4
मधेपुरा	0.7	0.9	0.1	36.3	36.7	40.5	499	51.6	53.3
पूर्णिया	0.1	0.4	0.7	24.4	26.6	47.8	49.2	53.5	56.8
किशनगंज	1.1	0.8	0.7	20.0	19	24.5	42.4	46.3	53.0
अररिया	0.2	0.1	0.2	22.0	15.9	31.7	43.5	47.9	52.5
कटिहार	0.2	0.1	0.1	24.7	24.9	35.4	48.1	50.1	55.9
बिहार	**0.6**	**0.7**	**0.8**	**858.4**	**817.2**	**1234.1**	**43.8**	**46.6**	**51.8**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 8.2 : मनरेगा के तहत जिलावार वित्तीय प्रगति(2016-17 से 2018-19)

(लाख रु.)

जिला	2016-17			2017-18			2018-19		
	उपलब्ध रकम	प्रयुक्त रकम	उपयोग का प्रतिशत	उपलब्ध रकम	प्रयुक्त रकम	उपयोग का प्रतिशत	उपलब्ध रकम	प्रयुक्त रकम	उपयोग का प्रतिशत
पटना	6764.6	3077.5	45.5	8817.4	5310.2	60.2	9772.1	6111.5	62.5
नालंदा	6544.1	6050.3	92.5	7317.7	7003.0	95.7	6769.5	6444.9	95.2
भोजपुर	4381.3	3949.0	90.1	4841.6	4354.6	89.9	5051.8	4562.5	90.3
बक्सर	8805.1	8307.8	94.4	8208.6	7630.8	93.0	5763.5	5130.5	89.0
रोहतास	4946.9	4007.6	81.0	5833.6	4899.3	84.0	6888.9	6401.8	92.9
कैमूर	4181.5	3828.2	91.6	4861.2	4232.9	87.1	6194.5	5691.1	91.9
गया	8078.1	6304.4	78.0	10888.6	8971.2	82.4	10836.8	9237.8	85.2
जहानाबाद	5010.9	4844.1	96.7	6638.7	6447.4	97.1	9542.4	6234.5	65.3
अरवल	3322.0	3282.0	98.8	5541.0	5414.2	97.7	4511.1	4426.3	98.1
नवादा	6599.5	6405.5	97.1	8527.3	8311.0	97.5	10812.5	10536.7	97.4
औरंगाबाद	8563.5	7769.3	90.7	12703.0	11771.2	92.7	11069.9	10217.5	92.3
सारण	10545.1	9792.7	92.9	15947.6	15016.1	94.2	15183.7	14234.0	93.7
सीवान	4367.2	3709.5	84.9	4695.4	4017.7	85.6	4976.6	4387.1	88.2
गोपालगंज	6720.0	6212.6	92.4	7917.8	7341.1	92.7	6589.4	6152.2	93.4
पश्चिम चंपारण	6937.3	6244.1	90.0	7373.5	6668.0	90.4	6628.8	5875.3	88.6
पूर्व चंपारण	10682.5	9938.0	93.0	13155.1	12424.6	94.4	18428.8	14282.9	77.5
मुजफ्फरपुर	6058.4	4315.9	71.2	7313.4	5416.4	74.1	8564.2	6423.6	75.0
सीतामढ़ी	7165.6	6101.6	85.2	11047.0	10096	91.4	10821.6	10028.5	92.7
शिवहर	4193.7	37086	88.4	3913.6	3431.5	87.7	4197.0	3688.5	87.9
वैशाली	6101.3	5506.7	90.3	11895.9	11116.3	93.4	13731.4	13104.2	95.4
दरभंगा	8123	6941.8	85.5	13022.6	11867	91.1	14567.9	13335.8	91.5
मधुबनी	7626	7106.8	93.2	8610.9	8075.9	93.8	9883.8	9453.5	95.6
समस्तीपुर	11260.6	10140.2	90.1	14820.7	13628	92.0	17793.2	16572.1	93.1
बेगसराय	6668.7	6144.9	92.1	9057.9	8463.5	93.4	10300.4	9757.9	94.7
मुंगेर	3148.1	2790.4	88.6	5638.7	5385.1	95.5	7772.9	7564.8	97.3
शेखपुरा	2215	2160.1	97.5	2345.5	2274.8	97.0	2091.1	2020.0	96.6
लखीसराय	3269.5	3121.2	95.5	6585.5	6422.8	97.5	6672.3	6521.1	97.7
जमुई	6301.9	6137.5	97.4	8668.4	8468.1	97.7	9753.9	9582.9	98.2
खगड़िया	1938.0	1822.5	94.0	2734.6	2548.6	93.2	2253.4	2158	95.8
भागलपुर	5773.6	5310.3	92.0	8465.6	8066.3	95.3	11428.1	10930.4	95.6
बांका	5893.2	5492.1	93.2	6939.3	6550.1	94.4	7520.8	7004.9	93.1
सहरसा	12280.9	11942.1	97.2	12079	11820.7	97.9	10244	9885.5	96.5
सुपौल	7173.0	5310.4	74.0	7879.4	5965.9	75.7	8755.2	6867.0	78.4
मधेपुरा	7558.8	7250.1	95.9	12468.4	11990.5	96.2	10628.3	10281.2	96.7
पूर्णिया	7598.9	6483.7	85.3	9793.7	8634.0	88.2	14462.8	13099.4	90.6
किशनगंज	3953.4	3644.0	92.2	6149.3	5705.1	92.8	6030.5	5553.2	92.1
अररिया	6570.4	5381.3	81.9	6842.4	5628.9	82.3	9156.6	7870.3	86.0
कटिहार	6438.7	5994.6	93.1	8643.5	8293.0	95.9	9190.6	8758.0	95.3
बिहार	**243760.0**	**219205.0**	**90.0**	**318183.0**	**289661.6**	**91.0**	**344840.4**	**310387.3**	**90.0**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 8.3 : बिहार में जन वितरण प्रणाली दूकानदारों का सामाजिक पृष्ठभूमि आधारित जिलावार वितरण (2018-19) (प्रतिशत)

जिला	दूकानदारों की सं.	अजा/ अजजा	पिछड़ी/ अति पिछड़ी जाति	अल्पसंख्यक	महिला	महिला/ अन्य स्वयं सहायता समूह	हेल्पर समिति/ पीएसी/ पूर्व-सैनिक समिति	सामान्य	योग
पटना	2531	17.3	45.6	2.5	11.8	0.4	7.2	15.3	100.0
नालंदा	1251	15.4	41.2	3.9	11.0	1.8	15.3	11.4	100.0
भोजपुर	1320	15.3	37.5	3.5	11.2	0.0	9.7	22.8	100.0
बक्सर	848	20.4	33.8	2.8	11.7	1.2	10.8	19.2	100.0
रोहतास	996	21.8	32.2	6.1	5.4	1.1	11.7	21.6	100.0
कैमूर	802	22.7	41.3	3.4	15.5	0.0	3.1	14.1	100.0
गया	1954	30.0	30.8	4.8	9.0	1.6	8.7	15.1	100.0
जहानाबाद	481	19.1	32.0	4.4	9.1	0.4	11.9	23.1	100.0
अरवल	325	22.5	51.7	0.0	3.4	0.0	0.0	22.5	100.0
नबादा	986	16.0	33.2	4.2	11.3	1.9	12.4	21.1	100.0
औरंगाबाद	1108	17.1	35.8	3.9	4.0	0.2	9.4	29.6	100.0
सारण	2255	11.8	32.2	2.4	16.5	0.0	10.3	26.9	100.0
सीवान	1571	12.5	34.4	7.3	6.8	0.4	6.7	31.9	100.0
गोपालगंज	1129	12.5	29.4	2.6	8.4	0.2	16.7	30.3	100.0
पश्चिम चंपारण	1945	20.4	31.3	12.0	6.3	0.1	13.1	16.9	100.0
पूर्व चंपारण	2169	13.2	38.1	9.0	5.1	0.6	10.0	24.0	100.0
मुजफ्फरपुर	1915	17.8	32.3	4.1	9.3	1.1	11.2	24.2	100.0
सीतामढ़ी	1608	17.7	43.3	3.3	6.3	0.0	9.4	20.0	100.0
शिवहर	333	14.1	30.6	4.8	9.9	1.5	12.0	27.0	100.0
वैशाली	1295	15.1	37.1	1.7	6.9	1.0	16.6	21.5	100.0
दरभंगा	1772	12.4	32.2	8.7	19.5	0.5	6.4	20.3	100.0
मधुबनी	1465	19.2	35.8	7.6	5.6	1.3	11.1	19.4	100.0
समस्तीपुर	1462	20.6	35.2	2.5	5.3	0.7	13.9	22.0	100.0
बेगसराय	1021	27.3	27.3	4.3	11.9	0.0	4.6	24.5	100.0
मुंगेर	619	10.3	49.1	4.5	10.8	0.2	8.9	16.2	100.0
शेखपुरा	289	16.6	36.3	2.4	6.6	0.0	12.5	25.6	100.0
लखीसराय	406	12.6	35.2	2.0	12.1	0.2	10.6	27.3	100.0
जमुई	856	20.4	33.1	2.9	5.1	0.0	12.1	26.3	100.0
खगड़िया	601	13.8	49.6	2.7	14.6	3.2	5.5	10.6	100.0
भागलपुर	1108	17.9	43.1	9.4	8.0	0.0	6.2	15.3	100.0
बांका	922	11.9	40.1	5.9	7.5	2.4	5.0	27.2	100.0
सहरसा	807	18.7	38.7	9.3	8.2	1.2	11.3	12.6	100.0
सुपौल	708	11.7	46.5	8.9	4.2	0.0	15.3	13.4	100.0
मधेपुरा	977	15.1	43.5	4.7	11.5	0.2	9.9	15.0	100.0
पूर्णिया	1154	18.6	36.1	16.2	9.7	2.8	6.2	10.3	100.0
किशनगंज	573	14.1	26.4	0.0	4.2	0.3	8.4	46.6	100.0
अररिया	1354	18.5	27.9	21.9	15.5	0.0	6.5	9.7	100.0
कटिहार	1443	16.6	34.0	7.6	12.3	0.0	9.3	20.3	100.0
बिहार	**44359**	**17.2**	**36.2**	**5.9**	**9.6**	**9.6**	**0.7**	**20.6**	**100.0**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 8.4 : राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत चावल और गेहूं का जिलावार आबंटन और उठाव (2018-19)

(आंकड़े मैट्रिक टन में)

जिला	गेहूं			चावल		
	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत	आबंटन	उठाव	उठाव का प्रतिशत
पटना	107293	104273	97.2	160945	157238	97.7
नालंदा	54597	54597	100.0	81896	79762	97.4
भोजपुर	49147	46448	94.5	73720	73720	100.0
बक्सर	21683	19476	89.8	32524	30633	94.2
रोहतास	46275	46275	100.0	69412	69397	100.0
कैमूर	25431	25431	100.0	38146	38112	99.9
गया	78051	73518	94.2	117075	116293	99.3
जहानाबाद	15768	15768	100.0	23652	23652	100.0
अरवल	13357	12941	96.9	20035	19896	99.3
नवादा	42996	42054	97.8	64495	63468	98.4
औरंगाबाद	44953	44953	100.0	67430	67430	100.0
सारण	68968	68968	100.0	103452	103452	100.0
सीवान	59633	59633	100.0	89449	89449	100.0
गोपालगंज	41915	40380	96.3	62873	62221	99.0
पश्चिम चंपारण	82918	82918	100.0	124376	124376	100.0
पूर्व चंपारण	109801	109801	100.0	164702	164702	100.0
मुजफ्फरपुर	100404	100404	100.0	150606	150606	100.0
सीतामढ़ी	75304	75304	100.0	112956	112918	100.0
शिवहर	14144	14144	100.0	21217	21217	100.0
वैशाली	77420	77420	100.0	116130	115451	99.4
दरभंगा	83995	82495	98.2	125995	123454	98.0
मधुबनी	99950	99298	99.3	149925	149877	100.0
समस्तीपुर	100645	99348	98.7	150962	149262	98.9
बेगसराय	66701	66701	100.0	100052	99977	99.9
मुंगेर	25736	21831	84.8	38604	36562	94.7
शेखपुरा	11580	11580	100.0	17369	17369	100.0
लखीसराय	17793	17165	96.5	26689	25008	93.7
जमुई	36917	36917	100.0	55376	55376	100.0
खगड़िया	37138	36749	99.0	55707	55224	99.1
भागलपुर	53297	53297	100.0	79944	79944	100.0
बांका	40673	40673	100.0	61010	61010	100.0
सहरसा	42916	40547	94.5	64374	61099	94.9
सुपौल	50145	50145	100.0	75218	75218	100.0
मधेपुरा	44100	44100	100.0	66150	66150	100.0
पूर्णिया	73318	71039	96.9	109977	105139	95.6
किशनगंज	38516	38185	99.1	57774	57747	100.0
अररिया	66036	66036	100.0	99054	99054	100.0
कटिहार	68551	68551	100.0	102826	102826	100.0
बिहार	**2088065**	**2059363**	**98.6**	**3132097**	**3104289**	**99.1**

स्रोत : खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 9

नगर विकास

शहरों और मानव समुदायों की योजना बनाने और इनके सौंदर्यीकरण हेतु अब तक के ज्ञान के सबसे महानतम सराहनीय स्वरूप की आवश्यक्ता है।

— सुकरात

सारांश

शहरीकरण आर्थिक समृद्धि का और क्षेत्रगत संरचना में कृषि क्षेत्र से अन्य क्षेत्रों की दिशा में बदलाव का संकेत देता है। बिहार में शहरीकरण की दर संपूर्ण भारत की तुलना में काफी नीचे रही है। बिहार के अंदर शहरीकरण का पैटर्न असंतुलित है क्योंकि एक ओर पटना में शहरीकरण की दर 43.1 प्रतिशत के उच्च स्तर पर है, तो दूसरी ओर बांका में मात्र 3.5 प्रतिशत है। शहरी केंद्रों में सुख-सुविधाओं में सुधार के लिए राज्य सरकार ने 'हर घर नल का जल' और 'घर तक पक्की गली-नालियां' जैसी अनेक योजनाओं की शुरुआत की है। यही नहीं, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के अनेक विकासमूलक कार्यक्रमों का भी क्रियान्वयन किया है, जैसे नमामि गंगे कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्टोय शहरी आजीविका मिशन, आदि। बिहार में पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर को स्मार्ट सिटी मिशन के लिए चुना गया और मिशन के अंतर्गत अनेक विशेष विकासमूलक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। हाल में, पटना मेटो रेल परियोजना के लिए 13,366 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। इस संबंध में कुल 31.39 किमी लंबाई में मेटो के पूर्व-पश्चिम कॉरीडोर और उत्तर-दक्षिण कॉरीडोर के निर्माण के लिए राज्य सरकार पटना मेटो रेल निगम का गठन कर चुकी है।

शहरी क्षेत्रों को 'विकास का इंजन' और 'सामाजिक परिवर्तन का तीर्थस्थल' समझा जाता है क्योंकि वे आर्थिक संपन्नता और समग्र सामाजिक-स्थानिक विकास के अग्रदूत होते हैं। इसलिए शहरीकरण को आर्थिक विकास की अनिवार्य शर्त माना जाता है। शहरीकरण विकास प्रक्रिया और क्षेत्रगत संक्रमण का परिणाम भर नहीं है। यह बाजारों में विनिमय, प्रौद्योगिकी और सामाजिक सक्रियता के जरिए विकास प्रक्रिया के सुदृढ़ीकरण के लिए आवेग का भी काम करता है। समकालीन भारत के आर्थिक और राजनीतिक इतिहास में बिहार हमेशा ही महत्वपूर्ण भागीदार रहा है। लेकिन राज्य में शहरी विकास सीमित रहा है इसलिए यहां शहरी विकास को बढ़ावा देने की जबर्दस्त संभावना है। इसके कारण कृषीतर कार्यों का विस्तार होगा और राज्य से देश के अन्य राज्यों में होने वाले बड़े पैमाने का प्रवास रुकेगा।

हाल के वर्षों में बिहार ने नियोजित और व्यवस्थित नगर विकास के सर्वाधिक व्यापक कार्यक्रमों में से एक की शुरुआत की ह। इसमें लोगों के जीवन में रूपांतरकारी परिवर्तन लाने वाले विभिन्न प्रमुख कार्यक्रम शामिल हैं और

ये कार्यक्रम समावेशी, सहभागितामूलक और दीर्घस्थायी हैं। नगर विकास की चुनौती के दो आयाम हैं। एक तो यह कि शहरी विकास को सुगम बनाने के लिए आवश्यक सहयोगी मानव और भौतिक अधिसंरचना के साथ बुनियादी नागरिक सुख-सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए। दूसरा आयाम बिहार के संदर्भ में अधिक महत्वपूर्ण है जो अपेक्षाकृत बड़े ग्रामीण केंद्रों को इस तरह से शहरी केंद्रों में बदलने से संबंधित है जिससे के वे अधिक कृषीतर गतिविधियों को बढ़ावा देने में सक्षम हों। इस संदर्भ में राज्य सरकार हाल के वर्षों में इन दोनो चुनौतियों के प्रति काफी प्रतिक्रिया दर्शाती रही है। अभी राज्य में अनेक नगर विकास पहलकदमियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिनमें से कुछ को केंद्र सरकार का भी वित्तोय सहयोग मिल रहा है।

9.1 शहरीकरण का स्तर

शहरीकरण का स्तर शहरी क्षेत्रों में रह रहे लोगों की सापेक्ष संख्या का सूचक होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 1.18 करोड़ (कुल आबादी के 11.3 प्रतिशत) लोग शहरी क्षेत्रों में रह रहे थे। शहरीकरण का राष्टोय औसत काफी अधिक - 31.2 प्रतिशत है (तालिका 9.1)। देश की कुल आबादी में राज्य का 8.6 प्रतिशत हिस्सा है लेकिन देश की शहरी आबादी में राज्य का मात्र 3.1 प्रतिशत हिस्सा है। दूसरे, गौरतलब है कि शहरीकरण का निम्न 'स्तर' दर्ज होने के अलावा बिहार में शहरीकरण की 'गति' भी धीमी है। वर्ष 2001 से 2011 के बीच भारत में शहरीकरण के स्तर में 3.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई और शहरी आबादी 2001 के 27.8 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 31.2 प्रतिशत हो गई। वहीं, बिहार में इस बीच इसमें 0.8 प्रतिशत अंकों की ही वृद्धि हुइ और यह 2001 के 10.5 प्रतिशत से 2011 में 11.3 प्रतिशत तक ही पहुंची। बिहार में शहरीकरण की यह धीमी गति निस्संदेह एक दीर्घकालिक परिघटना है। वर्ष 1961 से 2011 के बीच आधी सदी में बिहार में शहरीकरण का स्तर 3.9 प्रतिशत बढ़ा है और 1961 क 7.4 प्रतिशत से 2011 में 11.3 प्रतिशत हुआ है। वहीं, इस अवधि में देश में शहरीकरण का स्तर में 13.2 प्रतिशत अंकों से वृद्धि हुई है जो 1961 के 18.0 प्रतिशत से 2011 में 31.2 प्रतिशत हो गया है।

तालिका 9.1 : बिहार और भारत में शहरीकरण का रुझान (जनगणना वर्ष)

जनगणना वर्ष		1961	1971	1981	1991	2001	2011
शहरीकरण का स्तर	भारत	18.0	18.2	23.3	25.7	27.8	31.2
	बिहार	7.4	7.7	9.6	10.0	10.5	11.3
शहरी आबादी (लाख)	भारत	789.4	1091.1	1594.6	2175.5	2853.5	3771.1
	बिहार	25.8	33.6	51.4	67.1	86.9	117.6
शहरी आबादी की दशकीय वृद्धि दर	भारत	-	38.2	46.1	36.4	31.2	32.2
	बिहार	-	30.1	53.3	30.5	29.4	35.4

स्रोत : भारत की जनगणना, भारत के महानिबंधक, भारत सरकार

बिहार में शहरीकरण के पैटर्न से राज्य के अंदर भारी विषमता प्रकट होती है और 2011 की जनगणना के अनुसार जिला स्तर पर शहरीकरण का स्तर पटना के 43.1 प्रतिशत से बांका के 3.5 प्रतिशत तक है (तालिका 9.2)। राज्य में सर्वाधिक शहरीकरण वाले तीन जिले पटना (43.1 प्रतिशत), मुंगेर (27.8 प्रतिशत) और

भागलपुर (19.8 प्रतिशत) है। पटना, मुंगेर और भागलपुर जिले का बड़ा हिस्सा दक्षिण बिहार में है। बिहार के कुल 199 शहरों में से 26 की ही जनसंख्या 1 लाख से अधिक है जहां द्वितीयक और तृतीयक गतिविधियों की आशा की जा सकती है। राज्य की शहरी व्यवस्था में पटना ने अपनी प्रमुखता बनाए रखी है क्योंकि राज्य की 14 प्रतिशत शहरी आबादी अकेले पटना में रहती है और उसके बाद 4 प्रतिशत गया में।

शहरी आबादी की जरूरतों को व्यवस्थित और समेकित तरीके से पूरी करने के लिए राज्य सरकार अनेक योजनाएं चला रही है। नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा हाल में कराए गए एक सर्वेक्षण से बिहार में शहरी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का फैसला किया जा सकता है। इस सर्वेक्षण में बुनियादी नगर सेवाओं के चार घटकों को शामिल किया गया है – पाइप से जलापूर्ति, शौचालय, सड़कें, और नालियां। ये आंकड़े अब तीन तरह के शहरी केंद्रों के लिए उपलब्ध हैं – नगर निगम, नगर परिषद और नगर पंचायत। उक्त सर्वेक्षण में 19.08 लाख परिवारों का नमूना लिया गया था।

तालिका 9.2 : बिहार में जिलावार शहरीकरण (2001 और 2011 की जनगणना)

जिला	शहरीकरण		जिला	शहरीकरण	
	2001	2011		2001	2011
पटना	41.6	43.1	दरभंगा	8.1	9.7
नालंदा	14.9	15.9	मधुबनी	3.5	3.6
भाजपुर	13.9	14.3	समस्तीपुर	3.7	3.5
बक्सर	9.2	9.6	बेगूसराय	4.6	19.2
रोहतास	13.3	14.5	मुंगेर	27.9	27.8
कैमूर	3.3	4	शेखपुरा	15.6	17.1
गया	13.7	13.2	लखीसराय	14.7	14.3
जहानाबाद	12.1	12	जमुई	7.4	8.3
अरवल	--	7.4	खगड़िया	5.9	5.2
नवादा	7.7	9.7	भागलपुर	18.7	19.8
औरंगाबाद	8.4	9.3	बांका	3.5	3.5
सारण	9.2	8.9	सहरसा	8.3	8.2
सीवान	5.5	5.5	सुपौल	5.1	4.7
गोपालगंज	6.1	6.4	मधेपुरा	4.5	4.4
पश्चिम चंपारण	10.2	10	पूर्णिया	8.7	10.5
पूर्व चंपारण	6.4	7.9	किशनगंज	10	9.5
मुजफ्फरपुर	9.3	9.9	अररिया	6.2	6.0
सीतामढ़ी	5.7	5.6	कटिहार	9.2	8.9
शिवहर	4.1	4.3			
वैशाली	6.8	6.7	**बिहार**	**10.5**	**11.3**

स्रोत : भारत की जनगणना

चार्ट 9.1 : शहरी सेवाओं का प्रतिशत वितरण और वृद्धि दर 2011

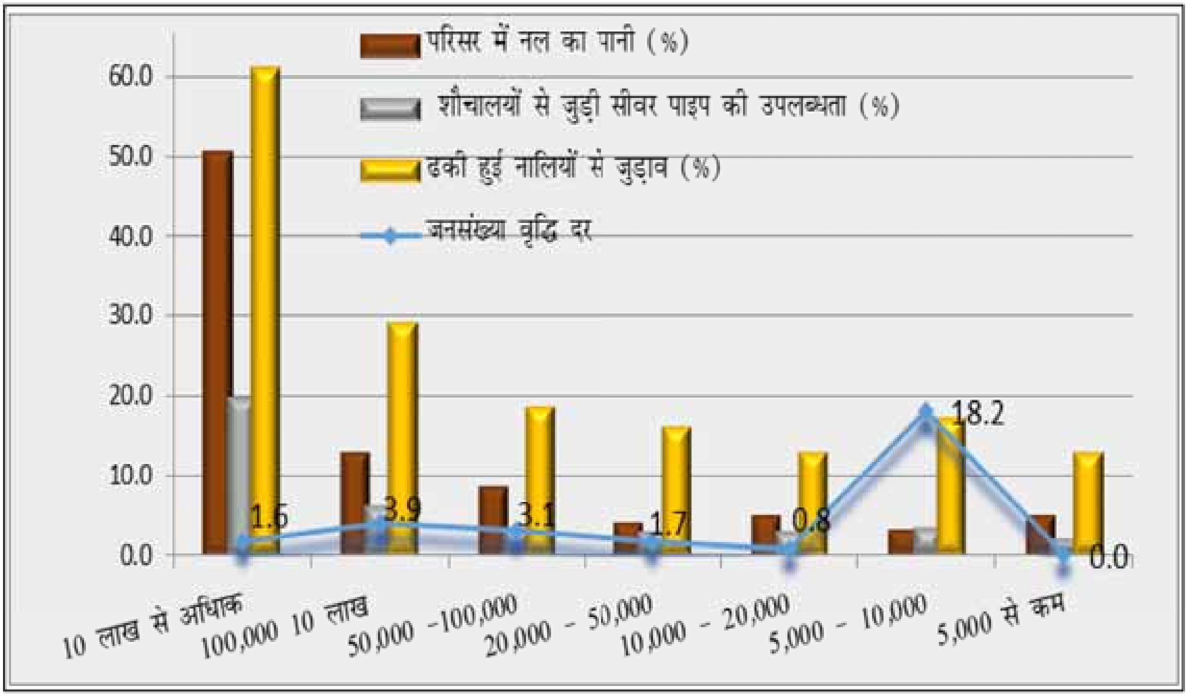

पाइप से जलापूर्ति की बात करें, तो तीनों प्रकार के शहरी बसाहटों को ध्यान में रखने पर इसका आच्छादन काफी कम – मात्र 17.6 प्रतिशत है। यहां तक कि नगर निगम वाले अपेक्षाकृत बड़े शहरों में भी 33.7 घरों तक ही पाइप से पानी पहुंचता है (तालिका 9.3)। हालांकि शौचालयों के मामले में बुनियादी सेवाओं की स्थिति काफी बेहतर है क्योंकि उसका आच्छादन लगभग 94.1 प्रतिशत था। बड़े शहरों में इसका आच्छादन और भी अधिक – 96.1 प्रतिशत था।

तालिका 9.3 : बिहार में शहरी क्षेत्रों में पाइप से पानी और शौचालयों की उपलब्धता (जून, 2016)

विवरण	सर्वेक्षित परिवारों की सं. (हजार)	पाइप से जलापूर्ति वाले परिवारों का प्रतिशत	शौचालय वाले परिवारों का प्रतिशत
नगर निगम	759.7	33.7	96.1
नगर परिषद	635.8	10.9	93.2
नगर पंचायत	522.6	3.8	92.1
योगफल	**1918.2**	**17.6**	**94.1**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.4 : बिहार में शहरी क्षेत्रों में सड़कों की स्थिति (2017)

शहरों का प्रकार	प्रकार के अनुसार सड़कों का प्रतिशत वितरण						योगफल
	कच्ची सड़कें	अलकतरा वाली सड़कें	कंक्रीट वाली सड़कें	पेविंग ब्लॉक वाली सड़कें	डब्ल्यूबीएम सड़कें	खडंजा वाली सड़कें	
नगर निगम	9.0	6.0	74.0	4.0	1.0	6.0	100.0
नगर परिषद	21.0	12.0	61.0	2.0	1.0	3.0	100.0
नगर पंचायत	20.0	17.0	52.0	2.0	1.0	8.0	100.0
योगफल	**15.0**	**9.0**	**67.0**	**3.0**	**1.0**	**5.0**	**100.0**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

शहरों के तेज विकास के लिए एक बुनियादी जरूरत अच्छी गुणवत्ता वाली पर्याप्त सड़कों की उपलब्धता है जिनसे शहरों में आसानी से आना-जाना सुनिश्चित होता है। तालिका 9.4 में बिहार के शहरों में सड़कों की स्थिति प्रस्तुत की गई है। कंक्रीट की सड़कों, ब्लॉक बिछाकर बनी सड़कों और डब्ल्यूबीए (वाटर बाउंड मकादम) वाली सड़कों को किसी शहर मं अच्छी गुणवत्ता वाली सड़क माना जा सकता है और शहरी क्षेत्रों की कुल सड़कों में उनका 71 प्रतिशत हिस्सा है। बिल्कुल आशानुरूप, गुणवत्तापूर्ण सड़कों का आच्छादन बड़े शहरों में उससे भी अधिक (79 प्रतिशत) है। हालांकि नगर परिषद और नगर पंचायत वाले शहरों में गुणवत्तापूर्ण सड़कों का हिस्सा कम है - नगर परिषदों में 64 प्रतिशत से कम और नगर पंचायतों में 55 प्रतिशत। जल निकासी सुविधा (तालिका 9.5) की बात करें, तो उसमें भी दिखता है कि आच्छादन एक जैसा नहीं है - यहां तक कि बड़े शहरों में भी लगभग 30.9 प्रतिशत सड़कों के किनारे नालियां हैं ही नहीं या कच्ची नालियां हैं। नगर परिषदों में कुल सड़कों में बिना नालियों और कच्ची नालियों वाली सड़कों का 58.1 प्रतिशत हिस्सा है जबकि नगर पंचायतों में उनका हिस्सा 73.9 प्रतिशत पहुंच जाता है।

तालिका 9.5 : बिहार में शहरी क्षेत्रों में नालियों की स्थिति (2017)

शहरों का प्रकार	नालियों की मौजूदगी के अनुसार सड़कों का प्रतिशत वितरण				
	बिना नाली वाली	कच्ची नाली वाली	पक्की नाली वाली	ह्यूम पाइप वाली	योगफल
नगर निगम	21.5	9.4	67.4	1.7	100.0
नगर परिषद	49.6	8.5	41.4	0.5	100.0
नगर पंचायत	68.4	5.5	25.9	0.2	100.0
योगफल	36.0	8.4	54.4	1.2	100.0

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

9.2 नगर विकास पर व्यय

हाल के वर्षों में राज्य सरकार शहरी सेवाओं में सुधार के लिहाज से नगर विकास पर अधिक ध्यान दे रही है। वर्ष 2017-18 में नगर विकास एवं आवास पर राज्य सरकार का बजट आबंटन 2011-12 में मात्र 2079 करोड़ रु. था जो छः वर्षों में 52 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 3151 करोड़ रु. हो गया (तालिका 9.6)। साथ ही, नगर विकास एवं आवास पर राज्य सरकार का कुल व्यय भी 2011-12 के 1395 करोड़ रु. से छः वर्षों में 131 प्रतिशत बढ़कर 2017-18 में 3227 करोड़ रु. हो गया। विभिन्न वर्षों के दौरान बजट आबंटन के प्रतिशत के बतौर नगर विकास एवं आवास विभाग के वास्तविक व्यय में अंतर रहा है। वर्ष 2014-15 में यह मात्र 51.4 प्रतिशत था तो 2016-17 में 126.2 प्रतिशत।

तालिका 9.6 : बिहार में नगर विकास एवं आवास का व्यय का पैटर्न (2011-12 से 2017-18)

(आंकड़े करोड़ रु. में)

वर्ष	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
बजट आबंटन							
आवास	846	967	1064	3826	1897	2249	756
नगर विकास	1233	1336	1784	2108	1737	2837	2395
योगफल	2079	2303	2849	5934	3634	5086	3151
वास्तविक व्यय							
आवास	823 (97.3)	827 (85.5)	927 (87.1)	1598 (41.8)	1486 (78.3)	3596 (159.9)	1113 (147.2)
नगर विकास	572 (46.4)	1139 (85.3)	1364 (76.5)	1455 (69.0)	1649 (94.9)	2824 (99.5)	2114 (88.3)
योगफल	1395 (67.1)	1966 (85.4)	2291 (80.4)	3053 (51.4)	3135 (86.3)	6420 (126.2)	3227 (102.4)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उपयोग का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : वित्तीय लेखे, बिहार सरकार

9.3 नगर विकास कार्यक्रम (राज्य योजना)

शहरी क्षेत्रों में जीवन दशा में सुधार के लिए राज्य सरकार काफी प्रयास कर रही है और इस मकसद से अभी अनेक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इस खंड में राज्य योजना के तहत क्रियान्वित होने वाले ऐसे कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना

'सात निश्चय' योजना का लक्ष्य शिक्षा, कौशल विकास, बिजली के कनेक्शन, पाइप से जलापूर्ति, और सड़क तथा नालियां उपलब्ध कराने के जरिए लोगों की जिंदगी में सुधार लाना है। इन सातो निश्चयों में से तीन शहरी क्षेत्रों से संबंधित हैं – 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान', 'हर घर नल का जल' और 'हर घर पक्की गली एवं नालियां'। नगर विकास एवं आवास विभाग इन तीनो संकल्पों से संबंधित योजनाओं का क्रियान्यवन कर रहा है।

मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना

राज्य सरकार द्वारा 'हर घर नल का जल' योजना की शुरुआत 2019–20 तक शहरी क्षेत्रों में पानी की पाइपलाइनों के कनेक्शनों के जरिए सभी परिवारों को साफ और सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए की गई है। इस योजना के तहत सारे चापाकलों को हटाने का लक्ष्य है जिन पर शहरी आबादी आम तौर पर अपनी पानी संबंधी जरूरतों के लिए निर्भर ह। एक मोटा अनुमान है कि इस कार्यक्रम से लगभग 1.95 लाख परिवारों को लाभ होगा। योजना का क्रियान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद, बिहार नगर अधिसंरचना विकास निगम (ब्यूडको), लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, और स्थानीय नगर निकायों के जरिए किया जा रहा है। सभी नगर निकायों को इन मानकों के अनुसार धनराशि आबंटित की गई है – कुल आवश्यक धनराशि का 30 प्रतिशत हिस्सा पांचवें राज्य वेतन आयोग की अनुशंसाओं के तहत आएगा, 30 प्रतिशत चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के तहत आएगा और शेष रकम राज्य योजना शीर्ष से उपलब्ध कराई जाएगी। योजना की मुख्य विशेषताएं तालिका 9.7 और 9.8 में दर्शाई गई हैं तथा जिलावार प्रगति तालिका प 9.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में दी गई है।

तालिका 9.7 : योजना की मुख्य विशेषताएं (2017-18 और 2018-19)

सूचक	2017-18	2018-19
परिवारों की कुल संख्या	19,08,164	1911721
पाइप से जलापूर्ति वाले परिवारों की संख्या	3,36,521	3,21391
पाइप से जलापूर्ति के लिए आच्छादित परिवारों की संख्या	15,71,643	15,85,430
जिन वार्डों में निविदा जारी की गई उनकी संख्या	3396 वार्डों में से 2826	3370 वार्डों में से 3286
वाडां की संख्या जिनमें काम शुरू हुआ	2333	2826
कनेक्शन पाने वाले परिवारों की संख्या	2,05,933	5,99,481

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.8 : योजना का ब्योरा (2017-18 और 2018-19)

वर्ष	विवरण
रणनीति (2017-18)	बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा राज्य योजना के तहत 32 शहरों में 99,079 परिवारों के लिए क्रियान्वयन हो रहा है।
	बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा अमृत योजना के तहत 21 शहरों में 6,05,148 परिवारों के लिए क्रियान्वयन हो रहा है।
	ब्युडको द्वारा एशियाई विकास बैंक की 2 योजनाओं और JnNURM की 3 योजनाओं के तहत 1,44,504 परिवारों के लिए क्रियान्वयन हो रहा है।
	स्थानीय नगर निकायों द्वारा सात निश्चय योजना के तहत 116 निकायों में 7,22,912 परिवारों के लिए क्रियान्वयन हो रहा है।
रणनीति (2018-19)	ब्युडको द्वारा राज्य योजना के तहत 337 वार्डों में 1,48,350 परिवारों के लिए क्रियान्वयन हो रहा है।
	ब्युडको द्वारा अमृत योजना के तहत 817 वार्डों में 500,328 परिवारों के लिए क्रियान्वयन हो रहा है।
	ब्युडको द्वारा एशियाई विकास बैंक की 1 योजना और JnNURM की 3 योजनाओं के तहत 125 वार्डों में 54,603 परिवारों के लिए क्रियान्वयन हो रहा है।
	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा राज्य योजना के तहत 233 वार्डों में 1,23,,364 परिवारों के लिए क्रियान्वयन हो रहा है।
	भागलपुर, पटना, दानापुर और बोधगया में 75,786 परिवारों वाले 125 वार्डों को योजना में शामिल करने का पस्ताव है।
	स्थानीय नगर निकायों द्वारा 1743 निकायों में 6,89,834 परिवारों के लिए सात निश्चय योजना का क्रियान्वयन हो रहा है।

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना : संकल्प लिया गया है कि राज्य में शहरी क्षेत्रों के हर वार्ड में सभी सड़कें कंक्रीट की बनाई जाएंगी। इसके अलावा हर शहरी बसाहट को कंक्रीट की सड़कों से जोड़ा जाएगा। हर घर को कंक्रीट की सड़कों के साथ-साथ जल निकासी व्यवस्था से जोड़ने के लिए विभाग ने 'घर तक पक्की गली-नालियां' योजना शुरू की है। योजना की शुरुआत शहरी क्षेत्र में अवस्थित हर घर को स्थायी नाली और सड़क से जोड़ने का लक्ष्य लेकर की गई है। वार्ड सभाओं की अनुशंसाओं के आधार पर स्थानीय नगर निकायों ने दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की हैं जिनका क्रियान्वयन अब प्राथमिकता सूची के आधार पर किया जा रहा है।

पक्की नली-गली योजना के तहत 2019-20 तक 3,65,490 मकान आच्छादित होंगे जिनमें से 3,57,2l7 मकान अब तक आच्छादित हो चुके हैं। धनराशि की जरूरत पूरी करने के लिए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा वाली धनराशियों का 20 प्रतिशत हिस्सा इस योजना के लिए आरक्षित रखा गया है और शेष की पूर्ति राज्य योजना की धनराशि से की जाएगी। वर्षवार लक्ष्य तालिका 9.9 में और योजना की मुख्य विशेषताएं तालिका 9.10 तथा 9.11 में प्रस्तुत हैं। वहीं जिलावार लक्ष्य और उपलब्धियां तालिका प 9.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

तालिका 9.9 : घर तक पक्की गली नालियां योजना का वर्षवार लक्ष्य (2016-17 से 2019-20)

वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	योगफल
लक्ष्य (परिवारों की संख्या)	72188 (20)	108282 (30)	109282 (30)	72188 (20)	360940 (100)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.10 : घर तक पक्की गली नालियां योजना की मुख्य विशेषताएं (2017-18 और 2018-19)

सूचक	2017-18	2018-19
परिवारों की कुल संख्या	1908164	1911517
निश्चय योजना के तहत आच्छादित परिवारों की संख्या	360938	360940
वार्डों की संख्या जिनमें निविदा जारी की गई	3396 में से 3234 वार्डों में	3330 में से 3329 वार्डों में
निविदा वाली योजनाओं की संख्या	7747	12281
जिन वार्डों में काम शुरू हुआ उनकी संख्या	3377 में से 3125 वार्डों में	3330 में से 3319 वार्डों में
पूरी हुई योजनाओं की संख्या	5510	8940
पूरी हुई गलियों की लंबाई	572.96 (किमी)	572.96 (किमी)
पूरी हुई नालियों की लंबाई	456.85 (किमी)	456.85 (किमी))

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.11 : घर तक पक्की गली नालियां योजना का ब्योरा (2017-18 और 2018-19)

वर्ष	विवरण
स्थिति (2017-18)	2016-17 में 73,098 के लक्ष्य में से 66,697 घरों को, 2017-18 में (पिछले साल के अपूर्ण लक्ष्य सहित) 1,12,772 के लक्ष्य में से 68,885 घरों को और 2018-19 में 30.11.2018 तक (पिछले साल के अपूर्ण लक्ष्य सहित) 1,53,029 के लक्ष्य में से 96,976 घरों को आच्छादित किया गया है।
स्थिति (2018-19)	2016-17 में 73,098 के लक्ष्य में से 66,694 घरों को, 2017-18 में (पिछले साल के अपूर्ण लक्ष्य सहित) 1,12,778 के लक्ष्य में से 76,839 घरों को और 2018-19 में (पिछले साल के अपूर्ण लक्ष्य सहित) 1,44,224 के लक्ष्य में से 1,32,819 घरों को 2019-20 में 84,588 घरों के वर्धित लक्ष्य के समक्ष आच्छादित किया गया है।

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

9.4 नगर विकास कार्यक्रम (केंद्र और राज्य द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित)

शहरी क्षेत्रों में जीवन दशा में सुधार के लिए राज्य सरकार अपने कार्यक्रमों के अलावा केंद्र सरकार के साथ मिलकर भी अनेक विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रही है। इनमें से अधिकांश कार्यक्रमों का वित्तपोषण केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है। इस खंड में संयुक्त वित्तोयन वाले इन महत्वपूर्ण

नगर विकास कार्यक्रमों के विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। ये कार्यक्रम हैं - (1) नमामि गंगे कार्यक्रम, (2) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी जीविका मिशन, (3) स्वच्छ भारत मिशन, (4) प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास, (5) अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन (अमृत), (6) स्मार्ट सिटी मिशन, तथा (7) विरासत नगर विकास एवं विस्तार योजना (हृदय)।

नमामि गंगे योजना

यह केंद्र सरकार द्वारा जून 2014 में अग्रणी (फ्लैगशिप) कार्यक्रम के रूप में स्वीकृत समेकित संरक्षण मिशन है। इसका बजट 20,000 करोड़ रु. है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य राष्ट्रीय नदी गंगा के प्रदूषण में प्रभावी कमी लाना तथा राष्टोय नदी गंगा का संरक्षण तथा पुनर्जीवन है। इस कार्यक्रम के मुख्य घटक हैं - (क) मलजल उपचार क्षमता निर्माण (मलजल प्रबंधन परियोजनाओं का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा है), (ख) नदी घाट विकास, और (ग) नदी सतह की सफाई। योजना का प्रबंधन राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा, इस योजना में वनरोपण और जागरूकता वृद्धि के घटक भी शामिल हैं। नमामि गंगे कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए गंगा नदी के किनारे 20 शहरों की पहचान की गई थी। नमामि गंगा कार्यक्रम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति तालिका 9.12 में प्रस्तुत है।

तालिका 9.12 : नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत परियोजनाओं की स्थिति (2015-16 से 2018-19)

क्षेत्र	परियोजना व्यय (करोड़ रु.)						
	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन	मलजल निकासी नेटवर्क	मलजल उपचार संयंत्र सहित नालियों पर रोक और उनका मार्ग परिवर्तन	नदी घाट विकास	शवदाहगृह	सामुदायिक शौचालय	योगफल
2015-16	-	-	-	-	-	1.05	1.05
2016-17	-	1177.00	-	243.30	40.86	4.05	1465.21
2017-18	-	2136.00	487.20	-	-	6.84	2630.04
2018-19	426.90	829.30	414.50	-	66.63	-	1737.33

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन (DAY-NULM)

शहरी गरीब परिवारों को लाभप्रद स्वरोजगार और कुशल श्रमिक के बतौर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी गरीबी और असुरक्षा में कमी लाने के लिहाज से इस मिशन का लक्ष्य गरीबों के लिए जमीनी स्तर पर सुदृढ़ संस्थाओं का निर्माण करना है। मिशन का लक्ष्य गृहविहीन शहरी लोगों को चरणबद्ध ढंग से आवश्यक सेवाओं से लैश आश्रयस्थल उपलब्ध कराना है। साथ ही, मिशन द्वारा शहरी पथ विक्रेताओं (फेरी वालों) को उपयुक्त स्थान, संस्थागत ऋण, सामाजिक सुरक्षा और बाजार में उभरते अवसरों के मूल्यांकन के लिए कौशल उपलब्ध कराने में सहयोग देकर उनकी जीविका संबंधी चिंताएं दूर की जा रही हैं। आशा है कि मिशन की गतिविधियों के फलस्वरूप शहरी गरीबों की जीविका में सराहनीय सुधार होगा।

इस कार्यक्रम के 5 घटक हैं – (1) सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास (SM&ID), (2) कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती द्वारा रोजगार (EST&P), (3) वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम FI&SEP – फाइसेप), (4) शहरी पथ विक्रेता हेतु सहायता (SUSV), और (5) शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय (SUH – सुह)।

सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास

शहरी गरीब परिवारों को उनके अपने संस्थान बनाने के लिए गोलबंद करना प्रभावी और टिकाऊ गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण साधन है। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन में सारे शहरी गरीबों की स्वयं सहायता समूहों और उनके संघों में सामाजिक गोलबंदी की बात सोची गई है। हर शहरी गरीब परिवार के कम से कम एक सदस्य को समयबद्ध ढंग से स्वयं सहायता समूह के नेटवर्क में लाया जा रहा है। सदस्य अगर महिला हो तो और भी बेहतर बात है। ये समूह गरीबों की वित्तीय और सामाजिक जरूरतों की पूर्ति के लिए सहयोगी व्यवस्था के बतौर सेवा प्रदान कर रहे हैं। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समहों की संख्या 2017-18 के 2185 से बढ़कर 2018-19 में 5640 हो गई है। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या भी 2017-18 के 21,850 से बढ़कर 2018-19 में 56,402 हो गई। चक्रानुसारी कोष (रिवॉल्विंग फंड) प्राप्त करने वाले स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की संख्या भी 2017-18 के 1260 से बढ़कर 2018-19 में 2622 हो गई (तालिका 9.13)।

तालिका 9.13 : सामाजिक गोलबंदी एवं सांस्थानिक विकास के तहत उपलब्धियां (2017-18 और 2018-19)

कार्यक्रम/ अनुश्रवण की कसौटियां	उपलब्धि	
	2017-18	2018-19
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की सं.	2185	5640
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित स्वयं सहायता समूहों की सदस्य सं.	21850	56402
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित क्षेत्र-स्तरीय संघों की सं.	25	150
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन के तहत गठित शहर-स्तरीय संघों की सं.	01	05
चक्रानुसारी कोष पाने वाले स्वयं सहायता समूहों की सं.	1260	2622

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती द्वारा रोजगार (ईएसटी एंड पी) : इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बीपीएल युवक-युवतियों को प्रशिक्षित करना और उन्हें सवैतनिक रोजगार या स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन और बिहार कौशल विकास मिशन (बीडीएसएम) के जरिए किया जा रहा है। राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के संचालनात्मक दिशानिर्देशों में संशोधन और बिहार कौशल विकास मिशन की प्रक्रिया और व्यय संबंधी मानकों के आरंभ के कारण संबंधित विभाग ने क्षेत्रगत कौशल परिषद (एसएससी) के सहयोग से प्रशिक्षित लाभार्थियों के मूल्यांकन और प्रमाणन की व्यवस्था की। तालिका 9.14 में दिखता है कि प्रशिक्षण पूरा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 2017-18 के 3504 से बढ़कर 2018-19 में 4083 हो गई।

तालिका 9.14 : कौशल प्रशिक्षण एवं तैनाती द्वारा रोजगार के तहत उपलब्धियां (2017-18 और 2018-19)

लाभार्थियों की श्रेणी	व्यक्तियों की संख्या			
	2017-18		2018-19	
	प्रशिक्षण ले रहे	प्रशिक्षण पूरा कर चुके	प्रशिक्षण ले रहे	प्रशिक्षण पूरा कर चुके
अनुसूचित जाति	487	496	519	559
अनुसूचित जनजाति	39	147	67	111
अन्य	2219	2861	2466	3413
योगफल	**2745**	**3504**	**3052**	**4083**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

वित्तोय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम (फाइसेप) : राष्ट्रीय नगर आजीविका मिशन के इस घटक के तहत शहरी गरीब व्यक्तियों या समूहों को उनके कौशल, सहज रुझान और स्थानीय स्थितियों के अनुरूप लाभप्रद स्वरोजगार उद्यम शुरू करने के लिए इच्छुक होने पर वित्तीय सहायता दने पर फोकस किया गया है। आमदनी बढ़ाने के अलावा यह घटक आत्मनिर्भर बनाकर शहरी गरीबों का सशक्तीकरण करता है। नगर स्थानीय निकाय शहरी गरीब व्यक्ति के ऋण आवदेन की प्रोसेगिंग के लिए सहायता देते हैं। कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की कौशल संबंधी जरूरतों का मल्यांकन करने और उन्हें ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (रूसेटी) के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के साथ जोड़ने में भी सहयोग किया जाता है।

तालिका 9.15 में दिखता है कि इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों की अच्छी-खासी संख्या रही है जो 2017-18 में 1819 और 2018-19 में 2891 थी। इसका अर्थ 59 प्रतिशत की वृद्धि है। वर्ष 2018-19 में 208 स्वयं सहायता समूहों का ऋण-संपर्क कराया गया।

तालिका 9.15 : वित्तीय समावेश एवं स्वरोजगार कार्यक्रम के तहत उपलब्धियां (2017-18 और 2018-19)

कार्यक्रम/ अनुश्रवण की कसौटियां	लाभान्वितों की सं.	
	2017-18	2018-19
स्वरोजगार कार्यक्रम-1 : व्यक्तिगत	1725	2680
स्वरोजगार कार्यक्रम : समूह	08	03
स्वयं सहायता समूह ऋण संपर्क	103	208
योगफल	**1819**	**2891**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

शहरी पथ विक्रता हेतु सहायता : इस कार्यक्रम का लक्ष्य बिहार के कुल 142 शहरी केंद्रों में शहरी पथ विक्रेताओं की गतिविधियों को संगठित करना है। सबसे पहले तो इसमें पथ विक्रेताओं का सर्वेक्षण करना, और उसके बाद उन्हें पहचान-पत्र जारी करना और विभिन्न कल्याण योजनाओं के साथ उनको जोड़ने में सहयोग करना प्रस्तावित है। खास कर कार्यक्रम के तहत पूरे राज्य में चिन्हित पथ विक्रेताओं के वित्तीय समावेश, प्रशिक्षण और बीमा आच्छादन को बढ़ावा दिया जाता है।

राज्य सरकार का नगर विकास एवं आवास विभाग अभी पथ विक्रेता (पथ विक्रय जीविका संरक्षण एवं विनियमन) अधिनियम, 2014 के प्रावधानों का क्रियान्वयन कर रहा है। अधिनियम की धारा 38 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग और शहरी स्थानीय निकायों तथा नगर विक्रय समितियों के साथ परामर्श करके राज्य सरकार ने बिहार पथ विक्रेता (पथ विक्रय जीविका संरक्षण एवं विनियमन) नियमावली, 2017 अधिसूचित की है और उसको लागू कर रही है। अधिनियम की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बिहार के सभी शहरों में नगर विक्रय समितियों (टीवीसी) का गठन किया गया है। इस नियमावली के अनुसार सर्वेक्षित पथ विक्रेताओं को परिचय-पत्र दिए जा रहे हैं। नगर विक्रय समितियों के परामर्श से स्थानोय नगर निकायों द्वारा नगर पथ विक्रय योजना विकसित करने की प्रक्रिया चल रही है। मोतिहारी शहर में विक्रय जोन के लिए प्रस्ताव स्वीकृत किया जा चुका है और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में है।

तालिका 9.16 : शहरी पथ विक्रेता सहायता के तहत उपलब्धियां (2017-18 और 2018-19)

कार्यक्रम/ अनुश्रवण की कसौटियां	प्रगति	
	2017-18	2018-19
पथ विक्रेताओं का संर्वेक्षण		
पथ विक्रेता सर्वेक्षण के लिए आच्छादित शहरों की संख्या	98	98
पथ विक्रेता सर्वेक्षण शुरू करने वाले शहरों की संख्या	98	98
पथ विक्रेता सर्वेक्षण पूरा कर चुके शहरों की संख्या	06	11
(बायोमेट्रिक सर्वेक्षण द्वारा) सर्वेक्षित शहरों में चिन्हित पथ विक्रेताओं की संख्या	—	61074
पथ विक्रेताओं के लिए जारी पहचान-पत्रों की संख्या	9850	17788
अन्य		
पथ विक्रेताओं के लिए खुले बुनियादी बचत खातों की संख्या	805	535
पथ विक्रेताओं के लिए आयोजित वित्तीय साक्षरता शिविरों की संख्या	25	09
पथ विक्रेताओं के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या	27	04
क्षमता विकास के तहत प्रशिक्षित पथ विक्रेताओं की संख्या	2875	298
पथ विक्रेताओं को जारी क्रेडिट कार्डों की संख्या	20	0
बीमा योजना के साथ जुड़े पथ विक्रेताओं की संख्या	192	222

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

शहरी गृहविहीन हेतु आश्रय : इस योजना का लक्ष्य शहरी गृहविहीन लोगों को जलापूर्ति, स्वच्छता, सुरक्षा और संरक्षा जैसी बुनियादी अधिसंरचना सुविधाओं से युक्त स्थायी आश्रयों की उपलब्धता और उन तक पहुंच सुनिश्चित करना है। शहरी गरीब लोगों के खास तौर पर असुरक्षित हिस्सों (आश्रित बच्चों, बुजुर्गों, नि:शक्तों, मानसिक बीमारी और गंभीर बीमारी से उबर रहे लोगों) की जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य सरकार गृहविहीनों के आश्रयों में विशेष खंड बना रही है और उनके लिए विशिष्ट सेवा संपर्क उपलब्ध करा रही है। विभाग ने 48 शहरों में 50 शय्याओं वाले 48 नए आश्रयों के निर्माण को स्वीकृति प्रदान की है। नए निर्माण के अलावा 66 मौजूदा आश्रयों की साज-सज्जा और संचालन एवं रखरखाव का काम भी इस योजना के तहत हाथ में लिया गया है।

स्वच्छ भारत मिशन

यह देश में स्वच्छता के मानकों में सुधार के लिए केंद्र सरकार की 2014 में शुरू की गई फ्लैगशिप परियोजना है। बिहार खुले में शौच की गंभीर समस्या का सामना कर रहा है। बिहार ने शहरी क्षेत्रों में 4.30 लाख शौचालयों के निर्माण का लक्ष्य तय किया है।

तालिका 9.17 : स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भौतिक प्रगति (2018 और 2019)

विवरण	2018		2019	
	निर्मित	निर्माणाधीन	निर्मित	निर्माणाधीन
व्यक्तिगत शौचालय	263368	170170	394076	45810
सामुदायिक शौचालय	5213	4311	12148	5774
सार्वजनिक शौचालय	3220	168	3220	168

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

व्यक्तिगत शौचालयों के लिए राज्य सरकार हर परिवार को 4,000 रु. की केंद्रीय सहायता के अलावा 8,000 रु. देती है। अभी तक सभी 141 शहरी केंद्रों और कुल 3367 में से सभी 3367 वार्ड खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) घोषित हो चुके हैं (तालिका 9.17)।

प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास

प्रधानमंत्री आवास योजना मिशन का आरंभ जून 2015 में हुआ था। मिशन की अवधि मार्च 2022 तक है। इस योजना का उद्देश्य विभिन्न आय वर्ग के गृहविहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम का ब्योरा तालिका 9.18 में प्रस्तुत है।

तालिका 9.18 : प्रधानमंत्री आवास योजना - सबके लिए आवास के तहत प्रगति (अक्तूबर 2019 तक)

ब्योरा	संख्या
प्रधानमंत्री आवास योजना के विभिन्न घटकों के तहत आवासों के निर्माण का कुल लक्ष्य	5,50, 000
प्रधानमंत्री आवास योजना के विभिन्न घटकों के तहत अभी तक आवासों की कुल मांग	5,21,500
i. लाभार्थी द्वारा निर्माण (BLC)	3,55,000
ii. ऋण संपर्क सब्सिडी योजना (CLSS)	30,000
iii. यथास्थान मलिनबस्ती पुनर्विकास (ISSR)	18,500
iv. साझीदारी में वहनीय आवास (AHP)	1,18,000
कुल शामिल शहर	140
कुल स्वीकृत परियोजनाएं	336 – लाभार्थी द्वारा निर्माण के तहत
कुल स्वीकृत आवासीय इकाइयां	2,70,739
ब्योरा	वित्तीय विवरण (लाख रु.)
कुल परियोजना व्यय	1380262.82
कुल केंद्रांश	406108.50
कुल राज्यांश	135369.50
विमुक्त केंद्रांश	125168.00
विमुक्त राज्यांश	32946.00
अक्तूबर 2019 तक कुल व्यय	99190.00

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

अटल पुनर्जीवन एवं नगर रूपांतरण मिशन (अमृत)

राज्य सरकार ने अमृत योजना के तहत अनेक जलापूर्ति योजनाओं, जल निकासी योजनाओं, और पार्कों को स्वीकृति दी है। इन तीनो योजनाओं के तहत आबंटन और व्यय के विवरण तालिका 9.19 में प्रस्तुत हैं। प्रत्येक श्रेणी की खास योजनाओं के विवरण तीन तालिकाओं में प्रस्तुत हैं - तालिका 9.20 में जलापूर्ति के लिए, तालिका 2.21 में जल निकासी योजनाओं के लिए और तालिका 9.22 में पार्कों के लिए।

तालिका 9.19 : अमृत के तहत आबंटन और व्यय (2018-19)

योजना	कुल परियोजना व्यय (लाख रु.)	कुल व्यय (लाख रु.)	वित्तीय उपलब्धि (प्रतिशत)
जलापूर्ति योजनाएं	226757.623	62589.276	27.6
जल निकासी योजनाएं	26673.62	485.71	1.8
पार्क	2435.018	565.00	23.2
योगफल	**255866.261**	**63639.986**	**24.9**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार 2020

तालिका 9.20 : जलापूर्ति योजनाओं का ब्योरा (2018-19 तक)

योजना	कुल परियोजना व्यय (लाख रु.)	कुल व्यय (लाख रु.)	वित्तीय उपलब्धि (प्रतिशत)
हाजीपुर जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	10869.99	4730.228	43.5
बक्सर जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	8015.60	3388.856	42.3
छपरा जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	12762.27	4798.01	37.6
जहानाबाद जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	7688.72	3604.72	46.9
बगहा जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	9407.93	3471.37	36.9
मोतिहारी जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	10544.82	2783.952	26.4
सीवान जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	11133.38	4147.00	37.2
औरंगाबाद जलापूर्ति योजना - चरण 1	6606.08	1976.02	29.1
पूर्णिया जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	21033.44	4550.00	21.6
सासाराम जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	11742.58	4291.19	36.5
कटिहार जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	15454.65	3658.00	23.7
बेगूसराय जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	12796.86	1005.77	7.9
किशनगंज जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	7583.11	1600.00	21.1
बिहारशरीफ जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	17199.62	6157.30	35.8
आरा जलापूर्ति योजना - चरण 1 और 2	13219.30	2235.25	16.9
दरभंगा जलापूर्ति योजना	6184.61	500	8.1
सहरसा जलापूर्ति योजना	9641.84	4312.00	44.7
बेतिया जलापूर्ति योजना	10192.76	1920.08	18.8
डेहरी जलापूर्ति योजना	8807.00	3459.53	39.3
मुंगेर जलापूर्ति योजना	12799.75	0.00	0.0
जमालपुर जलापूर्ति योजना	3073.313	0.00	0.0
योगफल	**226757.623**	**62589.276**	**27.6**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार 2020

तालिका 9.21 : जल निकासी योजनाओं का ब्योरा (2018-19 तक)

योजना	कुल परियोजना व्यय (लाख रु.)	कुल व्यय (लाख रु.)	वित्तीय उपलब्धि (प्रतिशत)
भागलपुर वर्षाजल निकासी योजना	3161.00	158.08	5.0
पटना वर्षाजल निकासी योजना	5172.62	327.63	6.3
मुजफ्फरपुर वर्षाजल निकासी योजना	18340.00	0.00	0.0
योगफल	**26673.62**	**485.71**	**1.8**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार 2020

तालिका 9.22 : पार्क संबंधी योजनाओं का ब्योरा (2018-19 तक)

योजना	कुल परियोजना व्यय (लाख रु.)	कुल व्यय (लाख रु.)	वित्तीय उपलब्धि (प्रतिशत)
बक्सर में पार्क विकास	43.26	21.00	48.5
आरा में पार्क विकास	156.12	69.00	44.0
बिहारशरीफ में पार्क विकास	59.44	21.00	35.3
दरभंगा में पार्क विकास	83.00	43.00	51.8
छपरा में पार्क विकास	108.499	87.00	80.2
मोतिहारी में पार्क विकास	114.03	55.00	48.2
सीवान में पार्क विकास	63.02	38.00	60.3
किशनगंज में पार्क विकास	78.40	38.00	48.5
सासाराम में पार्क विकास	95.655	32.00	33.4
बेतिया में पार्क विकास	47.454	36.00	75.7
गया में पार्क विकास	338.31	30.00	8.9
पटना में पार्क विकास	472.00	79.00	16.7
सहरसा में पार्क विकास	49.465	0.00	0.0
मुंगेर में पार्क विकास	224.175	0.00	0.0
पूर्णिया में पार्क विकास	289.00	0.00	0.0
औरंगाबाद में पार्क विकास	151.00	16.00	10.6
बोधगया में पार्क विकास	62.19	0.00	0.0
योगफल	**2435.018**	**565.00**	**23.2**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार 2020

तालिका 9.23 : स्वीकृत जलापूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति (2018-19 तक)

विवरण	परियोजनाओं की संख्या	रकम (करोड़ रु. में)	अभ्युक्ति
शीर्ष समिति द्वारा स्वीकृत	38	2184.25	—
राज्यस्तरीय उच्च शक्ति-प्राप्त संचालन समिति (SHPSC) द्वारा स्वीकृत	36	2237.48	राज्य योजना को छोड़कर
संविदा प्रदत्त	33	2076.21	संचालन एवं रखरखाव व्यय सहित
कार्य प्रगति पर	33	2076.21	संचालन एवं रखरखाव व्यय सहित
निविदा प्रक्रियाधीन	3	192.27	संचालन एवं रखरखाव व्यय सहित

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार 2020

स्मार्ट सिटी मिशन

इस योजना के तहत बिहार में चार शहरों को चुना गया है - पटना, भागलपुर, बिहारशरीफ और मुजफ्फरपुर। चूंकि भागलपुर का चुनाव पहले चरण में ही हो गया था इसलिए भागलपुर के लिए 286 करोड़ रु. कर्णांकित किए गए हैं। पटना, मुजफ्फरपुर और बिहारशरीफ के लिए भी याजना बजट पर राज्य मंत्रिमंडल की स्वीकृति दी जा चुकी है। इन तीनो शहरों के लिए विशेष प्रयोजन माध्यम (एसपीवी) की स्थापित कर दिए गए हैं। बिहार में स्मार्ट सिटी मिशन का ब्योरा तालिका 9.24, 9.25 और 9.25 में प्रस्तुत है।

तालिका 9.24 : स्मार्ट सिटी मिशन के तहत वित्तोय प्रगति

भागलपुर	रकम (करोड़ रु.)
i.) मल्टीमोडल इंटेलिजेंट सार्वजनिक परिवहन प्रणाली	138.50
ii.) एसबीआर मलजल शोधन संयंत्र के साथ भूमिगत मलजल निकासी प्रणाली का विकास	119.39
iii.) चौबीसो घंटे जलापूर्ति	493.00
iv.) कमांड एवं नियंत्रण संबंधी आंकड़ा केंद्र	31.40
बिहारशरीफ	
i.) व्यावसायिक क्षेत्र का विकास	109.00
ii.) वाहनों के आवागमन और सड़कों पर भीड़-भाड़ में सुधार	190.95
iii.) एकीकृत नगर शासन	140.90
मुजफ्फरपुर	
i.) व्यावसायिक क्षेत्र का विकास	194.02
ii.) वाहनों के आवागमन और सड़कों पर भीड़-भाड़ में सुधार	159.00
iii.) नदी और झील के किनारों का विकास	119.76
iv.) चौबीसो घंटे जलापूर्ति	52.61
पटना	
i.) रेलवे स्टेशन क्षेत्र का पुनर्विकास	433.00
ii.) स्मार्ट सड़क नेटवर्क	240.30
iii.) मलिनबस्ती मुक्त ABD	123.34
iv.) सरकारी भवनों पर सोलर रूफटॉप	99.92
v.) बहु-उपयोगी स्मार्ट खंभे	148.50
vi.) समेकित कमांड एवं नियंत्रण संबंधी आंकड़ा केंद्र	89.60

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार 2020

तालिका 9.25 : स्मार्ट सिटी मिशन के तहत प्रगति

SCP व्यय (करोड़ रु.)	SPV की स्थापना	CEO की नियुक्ति	PMC की नियुक्ति	विमुक्त केंद्रांश (करोड़ रु.)	विमुक्त राज्यांश (करोड़ रु.)
भागलपुर (फास्ट ट्रैक - 25.05.2016)					
1,309.30	14.12.2016	14.12.2016 (नगर आयुक्त)	नए PMC के चयन के लिए निविदा जारी	196.00	186.00
मुजफ्फरपुर (तृतीय चक्र- 28.06.2017)					
1,580.00	18.12.2017	18.12.2017 (नगर आयुक्त)	18.06.2018 (श्रेयी इनफ्रास्ट्रक्चर फाइनांस लि.)	60.00	52.50
पटना (तृतीय चक्र- 28.06.2017)					
2,776.16	09.11.2017	24.07.2018 (अपर नगर आयुक्त)	(IDeCK के साथ एप्टिसा)	194.00	186.00
बिहारशरीफ (चतुर्थ चक्र- 19.01.2018)					
1,517.00	17.05.2018	17.05.2018 (नगर आयुक्त)	23.07.2018 URS स्कॉट विल्सन	60.00	50.00
योगफल					
7,182.46				**510.00**	**474.50**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका 9.26 : स्मार्ट सिटी मिशन का व्यय

शहर	काम पूरा होने के चरण में		कार्यादेश जारी होने के चरण में		विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार हो रही है	
	परियोजनाओं की सं.	व्यय (करोड़ रु.)	परियोजनाओं की सं.	व्यय (करोड़ रु.)	परियोजनाओं की सं.	व्यय (करोड़ रु.)
भागलपुर	87	12.98	100	34.40	4	708.43
मुजफ्फरपुर	0	0	1	11.392 (ब्रेडा रूफ टॉप सोलर)	5	238.58
पटना	0	0	19	1233.1 (कनवर्जेंस) 1010.64 (SCM)	10	500.12
बिहारशरीफ	0	0	15	232 (कनवर्जेंस) 31.89 (SCM)	20	614
योगफल	**87**	**12.98**	**135**	**1320.322**	**39**	**2061.13**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार 2020

पटना मेट्रो रेल

कुल 13,365.77 करोड़ व्यय वाली पटना मेट्रो रेल परियोजना को फरवरी 2019 में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। परियोजना के क्रियान्वयन के लिए फरवरी 2019 में ही पटना मेटो रेल निगम लिमिटेड गठित और निबंधित हो गया है। परियोजना की कुल लंबाई 31.39 किमी है। इसके दो कॉरीडोर हैं – पूर्वी-पश्चिमी कॉरीडोर और उत्तरी-दक्षिणी कॉरीडोर।

इसके पहले चरण में कुल 16.94 किमी लंबे पूर्व-पश्चिम मेट्रो कॉरीडोर (दानापुर से बेली रोड और रेलवे स्टेशन होते हुए मीठापुर तक) के निर्माण का प्रस्ताव है। दूसरे चरण में 14.45 किमी लंबा उत्तर-दक्षिण मेट्रो कॉरीडोर प्रस्तावित है जो पटना रेलवे स्टेशन से गांधी मैदान, पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल (पीएमसीच) और राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन होकर नया अंतर-राज्य बस अड्डा (न्यू आइएसबीटी) तक जाएगा। पटना मेटो रेल परियोजना के निर्माण का जिम्मा दिल्ली मेटो रेल निगम को दिया गया है। सितंबर 2019 में पटना मेटो रेल परियोजना और दिल्ली मेटो रेल निगम के बीच समझौता-पत्र हस्ताक्षरित हुआ है। दिल्ली मेटो रेल निगम ने परियोजना पर काम शुरू कर दिया है।

9.5 नगरपालिकाओं की वित्तव्यवस्था

राज्य सरकार उन 35 स्थानीय नगर निकायों के आंकड़े संग्रहित करती रही है जिनमें 2015-16 तक दुहरी प्रविष्टि लेखाकरण प्रणाली (डीईएएस) शुरू हो गई है। प्रासंगिक आंकड़े तालिका 9.27 में प्रस्तुत हैं। नगरपालिका निकायों की कुल राजस्व आय में राजस्व अनुदानों का बड़ा हिस्सा होता है। जैसे 2018-19 में उनकी कुल 25,962.44 लाख रु. की आय में राजस्व अनुदानों का हिस्सा 20,395.74 लाख रु. (78.6 प्रतिशत) था। जब तक नगरपालिका निकायों की स्वयं अर्जित आय तेजी से नहीं बढ़ती है, तब तक राजस्व अनुदानों पर उनकी भारी निर्भरता आगे भो कई वर्षों तक बनी रहेगी। हाल के वर्षों में स्थानीय निकायों की स्वयं अर्जित आय मामूली दर से ही बढ़ी है। व्यय के मामले में मुख्य घटक स्थापना व्यय है। वर्ष 2018-19 में उनका स्थापना व्यय 4016.24 लाख रु. था जो 8349.23 लाख रु. के कुल व्यय के 48.1 प्रतिशत से कम नहीं है। सामान्यत: बिहार के नगरपालिका निकाय देश के अन्य भागों की तरह ही बाहरी सहायता पर अत्यधिक निर्भर हैं। उनकी कुल राजस्व आय में उनकी स्वयं अर्जित आय का सभी वर्षों में 16 प्रतिशत से कम ही हिस्सा रहा है। सर्वाधिक 15.3 प्रतिशत हिस्सा 2016-17 में पहुंचा था। फलत:, नगर स्थानीय निकायों की स्वयं अर्जित आय से उनका स्थापना व्यय भी पूरा नहीं हो पाता है। हालांकि कुल स्थापना व्यय के प्रतिशत में उनकी स्वयं अर्जित आय के हिस्से में बढ़त का रुझान रहा है जो 2014-15 के 36.2 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 85.3 प्रतिशत हो गया।

तालिका 9.27 : बिहार के 35 शहरों में नगरपालिका की वित्तीय स्थिति

(रकम लाख रु. में)

सूचक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व आय					
(a) स्वयं-अर्जित आय	1522.07	2179.63	12850.65	14784.76	3426.88
(i) होल्डिंग कर	418.23	452.96	7957.36	8715.84	1642.65
(ii) अन्य कर	209.69	331.51	1419.45	1426.60	1578.95
(iii) करेतर आय	894.16	1395.16	3473.84	4642.32	205.28
(b) दत्त आय	284.66	176.31	10823.83	17075.03	917.62
(c) राजस्व अनुदान	11885.73	11192.65	57913.36	71007.31	20395.74
(d) अन्य आय/ प्राप्तियां	361.97	863.26	2315.49	5063.70	1222.20
कुल राजस्व	**14054.44**	**14411.85**	**83903.33**	**107930.8**	**25962.44**
कुल राजस्व आय में स्वयं अर्जित आय का प्रतिशत हिस्सा	10.8	15.1	15.3	13.7	13.2
राजस्व व्यय					
(a) स्थापना	4206.79	5270.40	27311.26	27165.33	4016.24
(b) कार्यक्रम	1811.09	2936.65	0.00	0.00	417.49
(c) कार्यसंचालन/ रखरखाव	1095.85	1925.97	5316.37	17727.53	2028.42
(d) वित्त/ ब्याज	0.68	0.55	0.02	0.05	0.38
(e) अन्य	7330.70	9474.68	14798.24	12847.37	1886.70
योग	**14445.11**	**19608.25**	**47425.89**	**57740.28**	**8349.23**
पूंजीगत अनुदान	**32216.58**	**34418.31**	**46637.67**	**139337.05**	**26757.05**
पूंजीगत व्यय	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	**36275.74**
स्वयं अर्जित आय स्थापना व्यय के प्रतिशत के बतौर	36.2	41.4	47.0	54.4	85.3

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

परिशिष्ट

तालिका प 9.1 : मुख्यमंत्री शहरी पयजल निश्चय योजना की जिलावार प्रगति (2016-17 से 2019-20)

जिला	स्थानीय निकायों के वार्डों की सं.	परिवारों की सं.	नल से जलापूर्ति वाले परिवारों की सं.	नल से पानी की कुल उपलब्धता				योगफल
				2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	
पटना	363	334941	154630	18131	12317	23734	14751	68933
नालंदा	143	71177	21542	1908	5617	3674	11401	22600
भोजपुर	119	57531	4551	2667	1767	4835	12105	21374
बक्सर	60	22209	2261	584	2712	5209	4789	13294
रोहतास	159	69214	12625	771	1027	4522	21895	28215
कैमूर	41	14294	1663	0	100	8214	2240	10554
गया	105	86134	32467	4550	514	1526	5229	11819
जहानाबाद	52	27040	1718	3437	5512	7060	9602	25611
अरवल	25	8685	0	0	0	2430	2240	4670
नवादा	70	31307	2458	944	5695	8945	3038	18622
औरंगाबाद	86	33638	261	0	936	1903	4118	6957
सारण	162	75245	7353	1	2786	19801	6959	29547
सीवान	65	29674	76	35	1392	6921	7181	15529
गोपालगंज	78	25947	0	85	1096	4900	2253	8334
पश्चिम चंपारण	137	67902	217	1015	2516	4369	9635	17535
पूर्व चंपारण	170	69216	582	1917	2289	14567	13904	32677
मुजफ्फरपुर	91	84825	24272	0	2493	8092	6343	16928
सीतामढ़ी	103	36389	1088	670	3456	5480	8709	18315
शिवहर	15	6344	36	36	785	0	3574	4395
वैशाली	97	36713	2441	2110	1656	10195	8851	22812
दरभंगा	77	75850	5182	505	1020	2580	17487	21592
मधुबनी	71	30899	425	0	500	6394	7321	14215
समस्तीपुर	61	23375	1671	0	0	5466	3979	9445
बेगूसराय	144	87881	2426	100	371	4651	10255	15377
मुंगेर	99	40491	6370	0	0	0	1250	1250
शेखपुरा	53	18559	3252	0	1323	6566	5533	13422
लखीसराय	57	28201	6896	1183	3437	4392	2929	11941
जमुई	52	25577	0	0	600	3200	5500	9300
खगड़िया	46	18426	338	0	0	615	3956	4571
भागलपुर	116	98991	22300	451	2054	17980	1422	21907
बांका	36	12851	49	0	1180	3656	546	5382
सहरसा	55	40033	62	510	1250	6547	7437	15744
सुपौल	53	23219	1697	586	2835	2911	5027	11359
मधेपुरा	41	20293	6	163	844	4484	5987	11478
पूर्णिया	80	68697	373	0	1182	5896	4706	11784
कटिहार	77	41775	0	0	0	1866	6064	7930
अररिया	73	33818	103	1154	1756	28	946	3884
किशनगंज	64	34360	0	0	0	2825	7354	10179
योगफल	**3396**	**1911721**	**321391**	**43513**	**73018**	**226434**	**256516**	**599481**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 9.2 : घर तक पक्की गली-नालियां योजना का जिलावार लक्ष्य और उपलब्धि (अक्तूबर 2019)

जिला	शहरी		परिवारों की सं.	
	वार्डों की सं.	परिवारों की सं.	आच्छादन होना है	आच्छादित
पटना	363	334941	51911	26517
नालंदा	143	71177	11306	27152
भोजपुर	119	57531	8948	22455
बक्सर	60	22209	5469	10020
रोहतास	159	69214	16223	14150
कैमूर	41	14294	3103	2787
गया	105	86134	11591	8731
जहानाबाद	52	27040	6627	4833
अरवल	25	8685	2171	1815
नवादा	70	31307	7586	5637
औरंगाबाद	86	33638	8219	7989
सारण	162	75245	12700	9820
सीवान	65	29674	7553	7729
गोपालगंज	78	25947	6177	5824
पश्चिम चंपारण	137	67884	16633	12947
पूर्व चंपारण	170	69525	16621	15303
मुजफ्फरपुर	91	84836	11226	27276
सीतामढ़ी	103	36389	8680	7732
शिवहर	15	6344	1459	1307
वैशाली	97	36207	8840	5547
दरभंगा	77	75850	11226	15141
मधुबनी	71	30899	7431	10291
समस्तीपुर	61	23375	5609	3044
बेगूसराय	144	87881	14368	17641
मुंगेर	99	40491	8931	7716
शेखपुरा	53	18559	4994	5446
लखीसराय	57	28201	6959	3230
जमुई	52	25577	6232	3359
खगड़िया	46	18426	4442	9410
भागलपुर	116	98991	13336	11246
बांका	36	12851	2956	2910
सहरसा	55	40033	9870	4520
सुपौल	53	23219	5516	5279
मधेपुरा	41	20293	4932	3415
पूर्णिया	80	68697	9200	11934
कटिहार	77	41775	8221	5009
अररिया	73	33818	8398	7032
किशनगंज	64	34360	5276	5043
बिहार	**3396**	**1911517**	**360940**	**357237**

स्रोत : नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 10

बैंकिंग और सहवर्ती क्षेत्र

देश की पूंजी को बढ़ाना ही नहीं, अपितु उस पूंजी के बड़े हिस्से को, जोयूं ही पड़ी रहती है, सक्रिय और उत्पादक बनाना बैंकिंग का सबसे उचित कार्य ह जो देश के उद्यमों को आगे बढ़ा सकता है।

—एडम स्मिथ

सारांश

इस अध्याय में बिहार की बैंकिंग अधिसंरचना के बारे में विवरण प्रस्तुत किए गए हैं। इसमें सामाजिक-आर्थिक विकास में बैंकिंग और अन्य वित्तोय संस्थाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला गया है। ऐसा दिखता है कि राज्य में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिहाज से बेहतर ऋण सुविधाओं के लिए बैंकिंग अधिसंरचना में सुधार लाने की जरूरत है। राज्य में अर्ध-शहरी क्षत्रों में बैंकिग अधिसंरचना ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों की अपेक्षा तेज गति से बढ़ी हैं। राज्य में सभी प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं के बीच अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों (एससीबी) की उपस्थिति सर्वाधिक है। लेकिन देश के अन्य राज्यों के साथ तुलना करने पर पता चलता है कि बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की अपेक्षाकृत कम उपस्थिति है और राज्य में बैंकों की शाखाओं में स्टाफ की संख्या भी अपेक्षाकृत कम है। राज्य में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का ऋण-जमा अनुपात देश के प्रमुख राज्यों के बीच लगभग सबसे कम है। 78.2 प्रतिशत का राष्टोय ऋण-जमा अनुपात हासिल करने के लिए अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को राज्य में काफी अधिक मात्रा में ऋण देने की जरूरत है। वर्तमान परिदृश्य दर्शाता है कि अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जरिए राज्य से पूंजी का पलायन हो रहा है। राज्य में ऋण देने के मामले में निजी बैंकों, लघुवित्त बैंकों, सहकारी बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों से बेहतर है। राज्य में आर्थिक विकास में तेजी लाने के लिए अतिवांछित पूंजीगत सहायता उपलब्ध कराने हेतु आर्थिक गतिविधियों के लिए ऋण की जरूरत को देखते हुए लघुवित्त बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और सूक्ष्मवित्त संस्थाओं को मुख्य भूमिका निभानी होगी।

बैंकों और अन्य वित्तोय संस्थाओं के जरिए होने वाली वित्तोय लेनदेन आर्थिक विकास में मुख्य भूमिका निभाती है। ये संस्थाएं संपत्ति के रक्षक की भूमिका निभाती हैं और उत्पादन का मुख्य उपादान - पूंजी -उपलब्ध कराती हैं। साहित्य के प्रमाणों से पता चलता है कि वित्तोय विकास और आर्थिक वृद्धि के बीच सशक्त सकारात्मक संबंध होता है। वित्तोय विकास के सूचक सभी सामग्रियों की उत्पादकता और निवेश, दोनो की वृद्धि के साथ संबंधित हैं। उत्पादक निवेश से श्रम के पूरक के बतौर अधिक पूंजी उपलब्ध होती है जिससे प्रौद्योगिकीय प्रगति और अर्थव्यवस्था में उत्पादन को बढ़ावा मिलता है। इसके अलावा, आर्थिक विकास और बढ़ती कामकाजी आबादी के कारण,खर्च की जाने वाली आमदनी बढ़ने से ग्रामीण और शहरी, दोनो क्षेत्रों में बैंकिंग और संबंधित

सेवाओं के लिए अधिक मांग पैदा होती है। इसलिए बैंक और वित्तोय संस्थान लाभप्रद निवेश को बढ़ावा देने और आर्थिक लेनदेन को सुगम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

बिहार की अर्थव्यवस्था मुख्यत: देश-विदेश के बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों के विकासों से प्रभावित होती है। वर्तमान अध्याय में संबंधित स्थानीय, राष्टोय और वैश्विक घटनाओं को ध्यान में रखकर बिहार में मुख्य बैंक एवं वित्तोय संस्थाओं के कामकाज पर नजर डाली गई है। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्डों के उपयोग तथा एटीएम (ऑटोमटेड टेलर मशीन) के जरिए अन्य सुविधाओं जैसे वित्तोय नवाचारों के कारण हाल के वर्षों में भारत में बैंकों की संचालन संबंधी समग्र कार्यकुशलता में सुधार हुआ है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि उपभोक्ताओं के लिए बैंकिंग में इन नवाचारी साधनों के उपयोग के दौरान धोखाधड़ी के जोखिम से संबंधित चुनौतियां बनी हुई हैं। हालांकि सुरक्षा के बढ़े फीचर और वित्तोय साक्षरता तथा जागरूकता में सुधार से इन मामलों में कमी लाने में मदद मिलेगी। बिहार में इनके लाभों का पूरा उपयोग उपभोक्ताओं की वित्तोय साक्षरता और जागरूकता में सुधार लाकर ही किया जा सकता है।

वर्तमान वित्तवर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में अच्छी-खासी कमी दिखी है। फरवरी से अक्तूबर 2019 के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत ब्याज दर में 135 बुनियादी अंकों की कमी की है। अक्तूबर 2019 में रेपो रेट 5.15 प्रतिशत था जो मार्च 2010 के बाद से सबसे कम है। मार्च 2010 में रेपो रेट 5.0 प्रतिशत था। यह हावी होती आर्थिक सुस्ती के बीच विश्व-स्तर पर अधिकांश केंद्रीय बैंकों द्वारा नीतिगत ब्याज दरों में कमी और सामंजस्यकारी उद्दश्य की दिशा के अनुरूप ही है। हालांकि भारतीय अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों में इन कटौतियों के संचरण के बारे में ऋण लेने वालों में चिंता बनी हुई है। बैंकों के पास विकल्प है कि वे या तो ऋणों की बेंचमार्किंग भारतीय रिजर्व बैंक के रेपो रेट के अनुसार करें या भारत सरकार के टजरी बिलों के 3 महीने या 6 महीने के लाभ के अनुसार या फिर फाइनांसियल बेंचमार्क्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित बेंचमार्क बाजार की किसी अन्य ब्याज दर के अनुसार। भारतीय रिजर्व बैंक की हाल की गाइडलाइन ने बैंकों के लिए अनिवार्य कर दिया है कि वे 1 अक्तूबर 2019 से खुदरा, व्यक्तिगत और अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों के सारे ऋणी लोगों के लिए फ्लोटिंग रेट वाले सारे नए ऋणों को किसी बाहरी बेंचमार्क के साथ जोड़ें। इससे ब्याज दरों में कमी के कारण अर्थव्यवस्था में फ्लोटिंग रेट पर नए ऋण लेने वालों को फायदा होने की उम्मीद है।

बढ़ती अर्थव्यवस्था में पूंजी की जरूरत पूरी करने के लिहाज से सशक्त बैंकिंग अधिसंरचना के निर्माण के लिए भारत सरकार ने 2018-19 में सार्वजनिक क्षेत्र के दस बैंकों को मिलाकर चार बैंक बनाने की घोषणा की। ये वही बैंक हैं जिनका भारत सरकार द्वारा 1969 से 1980 के बीच राष्टोयकरण के जरिए अधिग्रहण किया गया था। उसके बाद के वर्षों में अर्थव्यवस्था के फैलाव के साथ-साथ बैंकिंग का काम कईगुना बढ़ा है। अर्थव्यवस्था में ऋण और जमा का ढांचा बदलने से इन बैंकों के उद्दश्य भी बदल गए हैं और इनसे निजी बैंकों ही नहीं, वैश्विक ऋणदाताओं के भी समकक्ष सेवाएं देने की आशा की जाती है। आने वाले वर्षों में अधिक धनराशि वाले बड़े बैंकों को राज्य की वित्तोय जरूरतें पूरी करने के लिहाज से बेहतर स्थिति में होना चाहिए। हालांकि बैंकों के

विलय के कारण एक ही स्थान पर मौजूद उनकी शाखाओं का भी विलय होगा जिससे लोगों को बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता घटेगी। राज्यों में बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता में सुधार लाकर इसकी क्षतिपूर्ति आवश्य की जानी चाहिए।

भारतीय अर्थव्यवस्था में नगदीरहित लेनदेन के परितंत्र को बल प्रदान करने के लिए हाल के वर्षों में अनेक उपाय किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने नेफ्ट (नेशनल इलक्ट्रॉनिक फंड टांसफर) के चैनल द्वारा चौबीसो घंटे सेवा देने और कुछ खुदरा भुगतान प्रणालियों में मनमाफिक भागीदारी की घोषणा की है। अभी आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट) प्रणाली भी बरकरार है जो मुख्यत: 2.00 लाख रु. और उससे अधिक की बड़ी रकम की लेनदेन के लिए है। भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की लेनदेन के लिए आरटीजीएस का समय भी शाम 4.30 बजे से बढ़ाकर 6.00 बजे तक कर दिया है। नगदीरहित लेनदेन को बढ़ावा देने के मामले में एक अन्य उपलब्धि मोबाइल फोनों का उपयोग करके यूपीआइ (यूनीफाइड पेमेंट्स इंटरफेस) आधारित लेनदेन को बढ़ावा देना है। यूपीआइ प्लेटफॉर्म से उपयोगकर्ता अपना बैंक संबंधी विवरण दिए बिना ईमेल या फोन नंबर का उपयोग करके या फिर क्यूआर (क्विक रिस्पांस) कोड का उपयोग करके अपने खाते से किसी दूसरे खाते में रकम भेजने में सक्षम होते हैं। यूपीआइ भारत का अपना घरेलू भुगतान प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग करने वालों की संख्या अक्तूबर 2019 तक 10 करोड़ से भी अधिक हो गई और 2016 में इसके आरंभ के बाद तीन वर्षों के अंदर इससे एक अरब से भी अधिक लेनदेन हुई है। 5 दिसंबर 2019 को वर्ष 2019-20 के लिए घोषित अपने पांचवें मौद्रिक नीतिमूलक वक्तव्य में भारतीय रिजर्व बैंक ने नए किस्म का प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्मेंट (पीपीआइ) शुरू करने का प्रस्ताव किया है जिसका उपयोग 10 हजार रु. तक की सीमा में सिर्फ वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए किया जा सकता है। ऐसी पीपीआइ में सिर्फ बैंक खाते से लोडिंग-रीलोडिंग होगी और उनका उपयोग सिर्फ डिजिटल पेमेंट क लिए किया जाएगा। यह कदम डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

लेगों द्वारा सार्वजनिक इंटरफेस वाली किसी भी रेगुलेटेड संस्था के खिलाफ अपनी वेबसाइट पर शिकायत दर्ज कराने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने एक शिकायत प्रबंधन प्रणाली (सीएमएस) की भी शुरुआत की है। इन संस्थाओं में शहरी सहकारी बैंक (यूसीबी) और गैर-बैंकिंग वित्तोय संस्थाएं (एनबीएफसी) भी शामिल हैं। इसके अलावा, एटीएम के जरिए होने वाली धोखाधड़ी की रोकथाम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सुरक्षा संबंधी नए उपाय किए जा रहे हैं।

इस पृष्ठभूमि पर बिहार के वित्तीय क्षेत्र के विश्लेषण में राज्य में कार्यरत निम्नलिखित पांच प्रकार की संस्थाओं का जायजा लिया गया हैं - (1) अनुसूचित व्यावसायिक बैंक, (2) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, (3) सहकारी बैंक, (4) लघु वित्त बैंक (एसएफबी) तथा (5) सूक्ष्मवित्त संस्थाएं। जहां अनुसूचित व्यावसायिक बैंक उद्योग और कृषि, दोनो को वित्त उपलब्ध कराते हैं वहीं क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक मुख्यत: कृषि क्षेत्र की जरूरतों का खयाल रखते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था में लघुवित्त बैंकों और सूक्ष्मवित्त संस्थानों की भूमिका हाल के वर्षों में बढ़ी है।

10.1 बैंकिंग अधिसंरचना

तालिका 10.1 में बिहार में 2005-06 से 2018-19के बीच विभिन्न बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्याप्रस्तुत की गई है। हाल के वर्षों में राज्य में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा खुलो नई शाखाओं में काफी कमी आई है। राज्य में 2018-19 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा खोली गई अधिकांश शाखाएं निजी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोली गईं। भारतीय स्टेट बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 2018-19 में राज्य में एक-एक शाखाएं ही खुलीं। भारत में बैंकिंग सेवा प्रदाता के बतौर लघुवित्त बैंकों और भुगतान बैंकों की शुरुआत के साथ बिहार में भी उनकी उपस्थिति दिखी और उनकी क्रमश: 107 और 38 नई शाखाएं खुलीं। बैंकिंग क्षेत्र में उनकी शुरुआत के तीन वर्षों के अंदर राज्य में उनकी 234 शाखाएं हो गई हैं।

तालिका 10.1 : बिहार में खुली बैंकों की नई शाखाएं (2005-06 से 2018-19)

वर्ष	भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी	राष्ट्रीयकृत बैंक	सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	निजी क्षेत्र के बैंक	विदेशी बैंक	लघुवित्त बैंक	भुगतान बैंक	सभी बैंक
2005-06	8	16	1	2	4				31
2006-07	6	36		6	10	1			59
2007-08	26	47		10	3				86
2008-09	37	80	1	30	14				162
2009-10	64	123	7	40	23				257
2010-11	38	116	5	25	25				209
2011-12	31	203	9	55	27				325
2012-13	60	182	6	142	59				449
2013-14	111	317	17	117	32				594
2014-15	28	206	13	158	29				434
2015-16	35	102	12	93	381				623
2016-17	35	77	4	30	80		1		227
2017-18	7	33	1	4	86		56	32	219
2018-19	1	17		1	57		107	38	221

स्रोत : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा और ऋण पर त्रैमासिक सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक

राज्य में 2018-19 में खुली 221 नई शाखाओं में से 42 प्रतिशत अर्ध-शहरी क्षेत्रों में खुलीं और 30 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में (तालिका 10.2)। तालिका 10.1 में यह भो देखा जा सकता है कि लघुवित्त बैंकों ने 2018-19 में बिहार में अच्छा-खासा विस्तार किया है। वर्ष 2018-19 में खुली 221 नई शाखाओं में से 107 (48.4 प्रतिशत) लघुवित्त बैंकों द्वारा खोली गईं। यह बिहार में लघुवित्त बैंकों के तेज विकास को दर्शाता है।

तालिका 10.2 : 2018-19 में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों द्वारा खोली गई शाखाओं की संख्या

क्षेत्र	संख्या	प्रतिशत
ग्रामीण	67	30.3
अर्ध-शहरी	92	41.7
शहरी	46	20.8
महानगर	16	7.2
योगफल	**221**	**100.0**

चार्ट 10.1 : 2018-19 में व्यावसायिक बैंकों द्वारा खोले गए नए कार्यालयों का प्रतिशत वितरण

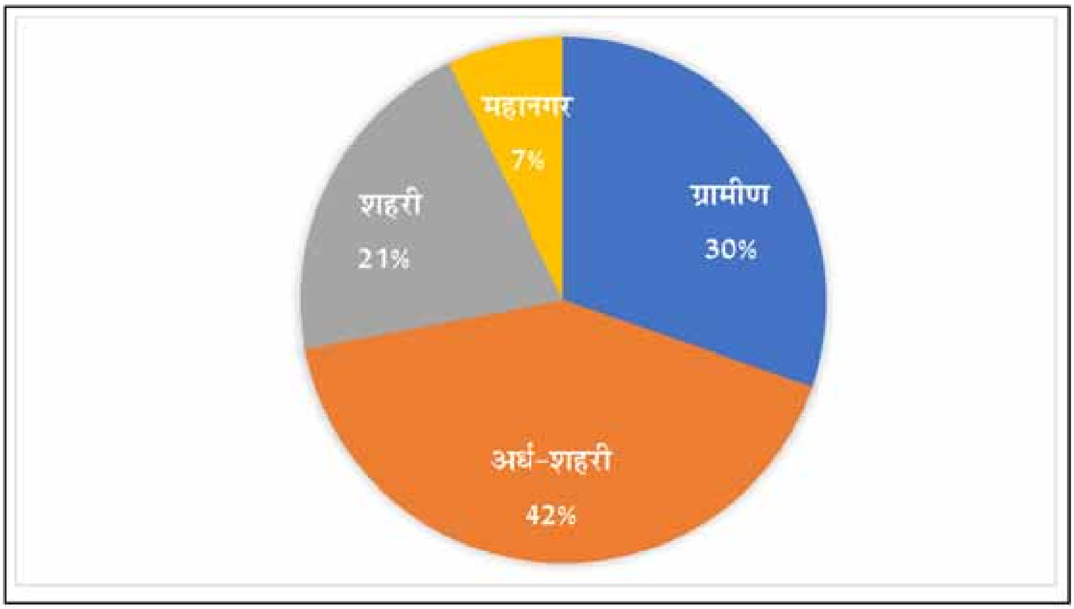

स्रोत : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा और ऋण पर त्रैमासिक सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 10.3 और चार्ट 10.1देश के विभिन्न राज्यों में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का 2015 और 2019 में हिस्सा दर्शाते हैं। वर्ष 2019 में व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं में बिहार का 4.9 प्रतिशत हिस्सा रहा है और इस लिहाज से यह देश में 10वें स्थान पर है। यह हिस्सा 2015 और 2019 में लगभग बराबर रहा है। देश की कुल आबादी में बिहार के हिस्से (8.6 प्रतिशत) के साथ इस हिस्से की तुलना करने पर दिखता है कि बिहार की बैंक शाखाएं राष्टोय औसत से अधिक आबादी को सेवा दे रही हैं। यह बात बिहार में बैंकिंग अधिसंरचना में ओर भी सुधार लाने की जरूरत को रेखांकित करती है।

तालिका 10.3 : भारत में विभिन्न राज्यों के व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का हिस्सा (मार्च 2015 से मार्च 2019)

राज्य	शाखाओं का हिस्सा	
	मार्च 2015	मार्च 2019
आंध्र प्रदेश	4.8	4.8
बिहार	4.7	4.9
छत्तीसगढ़	1.7	1.8
गुजरात	5.5	5.6
हरियाणा	3.4	3.4
हिमाचल प्रदेश	1.1	1.1
झारखंड	2.1	2.1
कर्नाटक	7.2	7.1
केरल	4.8	4.4
मध्य प्रदेश	4.6	4.7
महाराष्ट्र	9.0	8.9
ओडिशा	3.4	3.4
पंजाब	4.6	4.4
राजस्थान	4.9	5.0
तमिलनाडु	7.6	7.6
उत्तर प्रदेश	12.1	11.8
उत्तराखंड	1.5	1.4
पश्चिम बंगाल	5.6	6.1
योगफल	**100.0**	**100.0**

चार्ट 10.2 : भारत में विभिन्न राज्यों के व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं का हिस्सा

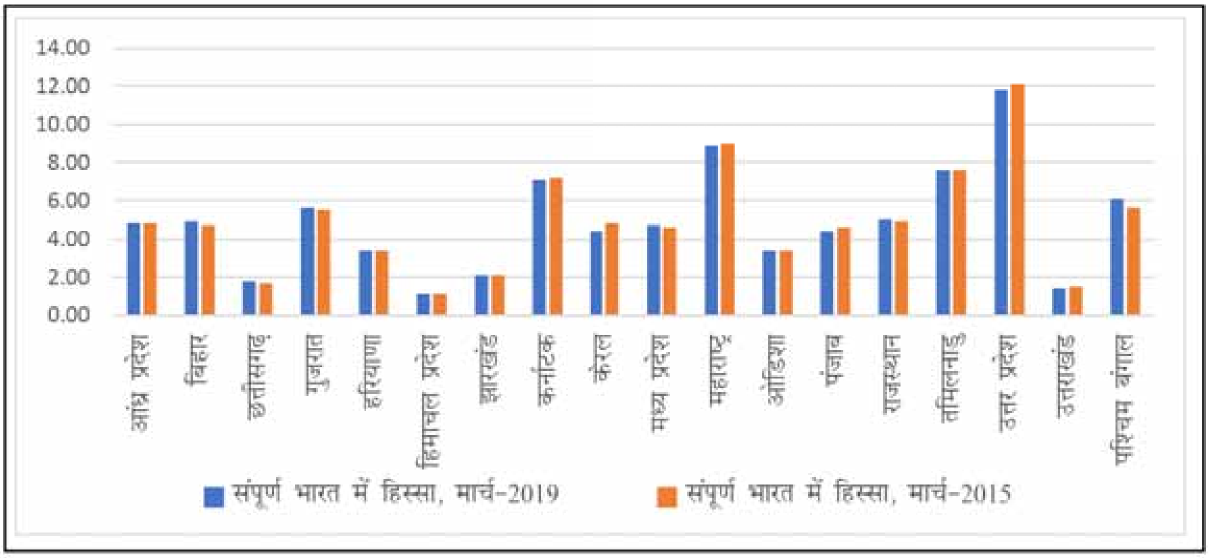

स्रोत : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा और ऋण पर त्रैमासिक सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक

अनुसूचित व्यावसायिक बैंक

तालिका 10.4 में 2013 से 2019 के बीच बिहार के ग्रामीण, अर्ध-शहरी और शहरी क्षेत्रों में अनुसूचितव्यावसायिक बैंकों को शाखाओं का वितरण और उनकीवृद्धि दर्शाई गई है। वर्ष 2018-19 के अंत में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की 7469 शाखाएं थीं। इनकी शाखाओं में ग्रामीण क्षेत्रों के हिस्से में इन वर्षों के दौरान गिरावट दिखी है। मार्च 2019 में इनको 49.6 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में अवस्थित थीं जिनका हिस्सा 2013 में 59.6 प्रतिशत था। इसी के अनुरूप शहरी क्षेत्रों में इनकी शाखाओं का हिस्सा बढ़ा है जो 2013 के 18.6 प्रतिशत से बढ़कर 2019 में 20.8 प्रतिशत हो गया। वहीं, इन वर्षों के दौरान इनकी शाखाओं में अर्ध-शहरी क्षेत्रों का हिस्सा काफी बढ़ा और 2013 के 21.8 प्रतिशत से 2019 में 29.6 प्रतिशत हो गया।

तालिका 10.4 : व्यावसायिक बैंकों के शाखा कार्यालयों का वितरण (2013-19)

वर्ष (अंतिम मार्च)	कुल शाखाएं	वृद्धि दर	अवस्थिति के अनुसार शाखाओं का प्रतिशत वितरण			
			ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	समस्त
2013	5270	8.4	59.6	21.8	18.6	100.0
2014	5908	12.1	58.7	23.0	18.3	100.0
2015	6297	6.6	57.9	23.1	19.0	100.0
2016	6661	5.8	55.4	25.2	19.4	100.0
2017	6844	2.7	51.0	28.5	20.5	100.0
2018	6905	0.9	51.0	29.0	20.0	100.0
2019	7469	8.2	49.6	29.6	20.8	100.0

स्रोत : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के जमा और ऋण पर त्रैमासिक सांख्यिकी, भारतीय रिजर्व बैंक

तालिका 10.5 में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारियों की संख्या और देश के अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारियों के योगफल में उनका प्रतिशत हिस्सा दर्शाया गया है। मार्च 2018 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के 48,136 कर्मचारी थे जिनका दश के कुल कर्मचारियों में 3.5 प्रतिशत हिस्सा था और इस लिहाज से राज्य का 12वां स्थान था जबकि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। हालांकि राज्य में बैंक कर्मचारियों की संख्या बढ़ी है और मार्च 2016 के 42,500 से मार्च 2018 में 48,316 हो गई लेकिन कुल बैंक कर्मचारियों में बिहार का कम हिस्सा होने के कारण बैंकों की शाखाओं में देश के अन्य राज्यों से अधिक भीड़ रहती है। इस प्रकार, बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की शाखाओं के कम आच्छादन के साथ-साथ शाखाओं में कर्मचारियों की संख्या भी राष्टोय औसत से कम है।

तालिका 10.5 : अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों के कर्मचारियों का वितरण (मार्च 2018 तक)

राज्य	अधिकारी	हिस्सा (प्रतिशत)	लिपिक	हिस्सा (प्रतिशत)	अधीनस्थ कर्मचारी	हिस्सा (प्रतिशत)	योगफल	हिस्सा (प्रतिशत)
आंध्र प्रदेश	30,609	3.6	16,972	4.7	6,887	4.3	54,468	4.0
बिहार	**26,472**	**3.1**	**15,393**	**4.3**	**6,271**	**3.9**	**48,136**	**3.5**
छत्तीसगढ़	11,172	1.3	5,314	1.5	2,036	1.3	18,522	1.3
गुजरात	45,386	5.3	18,688	5.2	9,409	5.8	73,483	5.3
हरियाणा	29,846	3.5	11,240	3.1	4,820	3.0	45,906	3.3
हिमाचल प्रदेश	4,950	0.6	3,458	1.0	1,959	1.2	10,367	0.8
झारखंड	12,569	1.5	7,533	2.1	2,926	1.8	23,028	1.7
कर्नाटक	61,790	7.2	26,546	7.4	12,185	7.5	1,00,521	7.3
केरल	33,972	4.0	18,038	5.0	6,400	4.0	58,410	4.2
मध्य प्रदेश	31,142	3.6	15,424	4.3	7,758	4.8	54,324	3.9
महाराष्ट्र	1,58,568	18.5	41,647	11.6	17,627	10.9	2,17,842	15.8
ओडिशा	19,823	2.3	10,631	3.0	4,509	2.8	34,963	2.5
पंजाब	32,494	3.8	13,552	3.8	6,893	4.3	52,939	3.8
राजस्थान	35,321	4.1	16,132	4.5	11,671	7.2	63,124	4.6
तमिलनाडु	78,156	9.1	32,286	9.0	10,101	6.2	1,20,543	8.7
उत्तर प्रदेश	70,823	8.2	37,655	10.5	17,513	10.8	1,25,991	9.1
उत्तराखंड	8,207	1.0	4,860	1.4	2,341	1.4	15,408	1.1
पश्चिम बंगाल	54,789	6.4	20,094	5.6	11,155	6.9	86,038	6.2
संपूर्ण भारत	**8,59,075**	**100.0**	**3,59,862**	**100.0**	**1,61,524**	**100.0**	**13,80,461**	**100.0**

स्रोत : बेसिक स्टेटिस्टिकल रिटर्न्स ऑफ शिड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स इन इंडिया, 2018-19, भारतीय रिजर्व बैंक

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

बिहार में दो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक काम कर रहे हैं -दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक।मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को मिला देने के बाद 1 जनवरी 2019 कोदक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक अस्तित्व में आया। तालिका 10.6 में बिहार के इन दोनो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं की संख्या दर्शाई गई है। इनकी अधिकांश शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं और उसके बाद अर्ध-शहरी क्षेत्रों में (चार्ट 10.3)। उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 34 प्रतिशत शाखाएं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 62 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। वहीं, दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की 19 प्रतिशत शाखाएं अर्ध-शहरी क्षेत्रों में और 75 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। इन बैंकों की कुल मिलाकर 69 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में हैं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के व्यापक नेटवर्क की उपस्थिति का उपयोग राज्य के विकास के लिए पूंजी की जरूरत पूरी करने में और अधिक सहयोग देने के लिए किया जा सकता है।

तालिका 10.6 : बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या (सितंबर 2019 के अंत तक)

	ग्रामीण	अर्ध-शहरी	शहरी	योगफल
दक्षिण बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	813 (75.41)	204 (18.92)	61 (5.65)	1078 (100)
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	639 (61.9)	349 (33.8)	44 (4.3)	1032 (100.0)
योगफल	**1452 (68.8)**	**553 (26.2)**	**105 (5.0)**	**2110 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत वितरण हैं।

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

चार्ट 10.3 : भारत में तीनो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं का वितरण

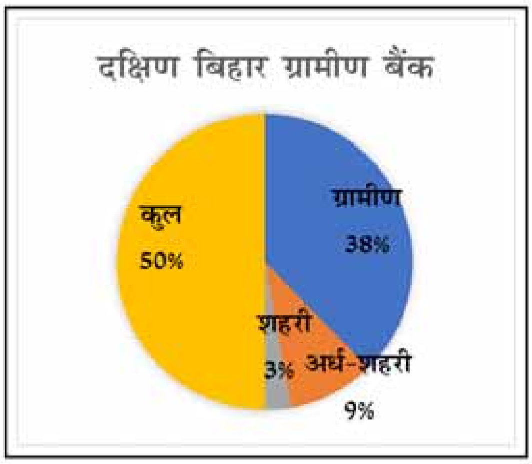

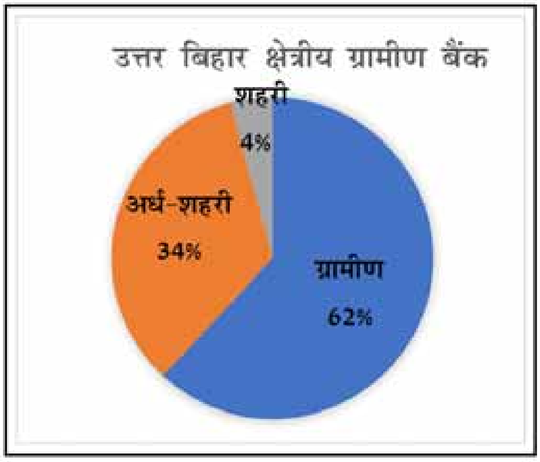

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

विगत वर्षों के दौरान देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शाखाओं में लगातार वृद्धि होती रही है (चार्ट 10.4)। बिहार में इनकी शाखाओं की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि 2013-14 और 2014-15 में हुई थी जिनकी दरें क्रमश: 13.8 प्रतिशत और 12.7 प्रतिशत थीं। राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 2117 शाखाएं थीं और शाखाओं की संख्या के लिहाज से देश में उत्तर प्रदेश के बाद बिहार का ही स्थान था।

चार्ट 10.4 : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों क कार्यालयोंकी संख्या

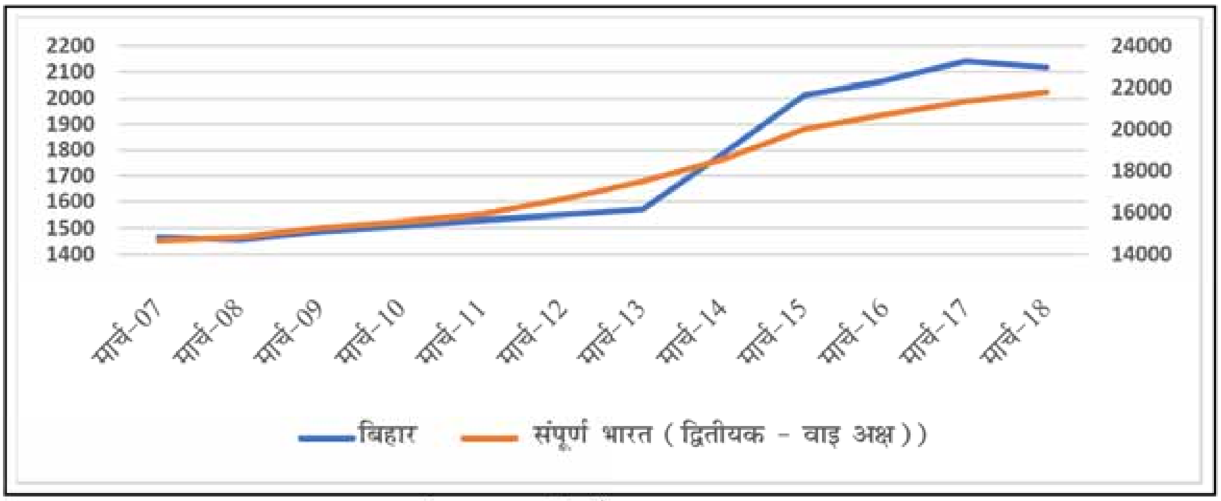

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या के आंकड़े तालिका 10.7 में दर्शाए गए हैं। इससे पता चलता है कि हाल के वर्षों में उनकी शाखाओं की संख्या के लिहाज से राज्य में उनकी उपस्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है। देश में सहकारी बैंकों की कुल संख्या में बिहार का हिस्सा 2016 से 2018 तक मात्र 2.1 प्रतिशत था। महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों के साथ तुलना करने पर यह बिहार में इन बैंकों की सीमित उपस्थिति और भूमिका को दर्शाता है।

तालिका 10.7 : राज्य और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की शाखाओं की संख्या (31 मार्च, 2016 से 2018)

राज्य	राज्य सहकारी बैंक			जिला केंद्रीय सहकारी बैंक			योग		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
आंध्र प्रदेश	7	14	14	378	397	404	385	411	418
बिहार	**11**	**12**	**12**	**312**	**312**	**313**	**323**	**324**	**325**
गुजरात	16	25	27	1322	1331	1367	1338	1356	1394
हरियाणा	14	14	14	621	625	627	635	639	641
हिमाचल प्रदेश	227	227	227	261	274	249	488	501	476
कर्नाटक	42	42	42	715	729	742	757	771	784
केरल	24	24	24	792	807	817	816	831	841
मध्य प्रदेश	25	25	26	857	857	858	882	882	884
महाराष्ट्र	48	51	55	3755	3729	3697	3803	3780	3752
ओडिशा	15	15	15	349	350	352	364	365	367
पंजाब	19	18	18	816	817	817	835	835	835
राजस्थान	17	17	17	454	460	461	471	477	478
तमिलनाडु	47	47	47	812	844	849	859	891	896
उत्तर प्रदेश	29	29	29	1406	1406	1395	1435	1435	1424
उत्तराखंड	16	16	16	255	261	269	271	277	285
पश्चिम बंगाल	48	48	48	313	318	318	361	366	366
भारत	**1168**	**1197**	**1219**	**14241**	**14252**	**14293**	**15409**	**15449**	**15512**

स्रोत : राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक महासंघ (NAFSCOB)

लघुवित्त बैंक

छोटे और सीमांत किसानों, प्रवासी मजदूरों, कम आय वाले परिवारों, छोटे व्यवसायियों तथा अन्य असंगठित हस्तियों को बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराकर वित्तीय समावेश में गहराई लाने के लिहाज से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लघुवित्त बैंकों को सितंबर 2015 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। अपनी गतिविधि के तीन वर्षों के अंदर लघुवित्त बैंकों ने बिहार में काफी प्रगति की है। राज्य में उनका ऋण-जमा अनुपात अन्य सभी बैंकिंग संस्थाओं

से काफी अधिक है। लघुवित्त बैंकों के अलावा भुगतान (पेमेंट) बैंकों ने भी राज्य में काम करना शुरू कर दिया है। मार्च 2019 के अंत में राज्य में लघुवित्त बैंकों के 163 और भुगतान बैंकों के 70 कार्यालय थे।

सूक्ष्मवित्त संस्थाएं

सूक्ष्मवित्त संस्थाएं कम आय वाले परिवारों को ऋण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। ऐसे ऋण इन परिवारों के रोजगार, आर्थिक विकास और समग्र सशक्तीकरण के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। इससे कम या बिना कॉलेटरल वाले गरीब परिवारों के लिए ऋण का बाजार खुलता है जिससे लघु ऋणों के जरिए आवश्यक पूंजी की आपूर्ति सुनिश्चित होकर उनकी उत्पादक क्षमता बढ़ती है। ये संस्थाएं बिहार में वित्तोय समावेश के स्तर में सुधार लाने में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) और अनसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों द्वारा क्रियान्वित स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम देश में प्रमुख सूक्ष्मवित्त कार्यक्रम के बतौर उभरे हैं। सूक्ष्मवित्त पर नाबार्ड की रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2019 तक देश में स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रमकी जद में 100.14 लाख स्वयं सहायता समूह आ गए जिसके तहत ग्रामीण गरीब, खास कर महिलाओं के समाजिक, आर्थिक और वित्तोय सशक्तीकरण के लिहाज से 12.00 करोड़ से भी अधिक परिवार आच्छादित हुए। वहीं, विश्व बैंक के ग्लोबल फाइंडेक्स डेटाबेस 2017 के अनुसार भारत में वित्तोय सेवाएं प्राप्त करने के लिहाज से लैंगिक अंतराल घटकर 6 प्रतिशत रह गया है। नाबार्ड की रिपोर्ट में इस बात को भी दुहराया गया है कि सूक्ष्मवित्त संबंधी पहलकदमियों ने बैंकिंग सुविधाविहीन महिलाओं को सतत आधार पर स्वयं सहायता समूह-बैंक संपर्क कार्यक्रम की जद में लाकर उन्हें मुख्य धारा में लाने में बड़ी भूमिका निभाई है। वर्ष 2018-19 में देश में 12.7 लाख नए बचत-संपर्कित स्वयं सहायता समूह जुड़े। मार्च 2019 के अंत में बिहार में 7.70 लाख स्वयं सहायता समूह थे जिनकी व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों ओर सहकारी बैंकों के पास बचत के कुल 1508.59 करोड़ रु. जमा थे। राज्य सरकार के ग्रामीण जीविका मिशन 'जीविका' द्वारा ली गई पहलके कारण स्वयं सहायता समूहों के जरिए वित्तोय समावेश में सुधार लाने में बिहार को काफी सफलता मिली है।

10.2 जमा,ऋण और ऋण-जमा अनुपात

जमा राशियों को इकट्ठा करने और ऋण लेने वालों को ऋण देने में बैंक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तालिका 10.8 में मार्च 2018 और मार्च 2019 में बिहार तथा देश के अन्य प्रमुख राज्यों का जमा और ऋण दर्शाया गया है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के बीच बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि 36,148 करोड़ रु. (11.4 प्रतिशत) बढ़ी है। लेकिन इस अवधि में राज्य में उनके द्वारा दी गई ऋण राशि 18,776 करोड़ रु. (18.5 प्रतिशत) ही बढ़ी है। वहीं संपूर्ण भारत के स्तर पर अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में जमा राशि 9.4 प्रतिशत और उनके द्वारा दी गई ऋण राशि 13.1 प्रतिशत बढ़ी है। लेकिन 2017-18 और 2018-19 में देश की कुल जमा राशि में बिहार का हिस्सा 2.8 प्रतिशत और दिए गए ऋण में हिस्सा 1.2 प्रतिशत पर स्थिर रहा है। देश की जनसंख्या में बिहार के हिस्से की तुलना करने पर अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों की जमा राशि और उनके द्वारा दी गई ऋण राशि में राज्य का हिस्सा काफी कम दिखता है। इसका आंशिक कारण अन्य राज्यों की तुलना में बिहार की कम प्रति व्यक्ति आय हो सकती है।

तालिका 10.8 : भारत में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का राज्यवार जमा और ऋण (31 मार्च,2017-18 से 2018-19)

राज्य	जमा (करोड़ रु.)		ऋण (करोड़ रु.)		ऋण-जमा अनुपात	
	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
आंध्र प्रदेश	276527 (2.4)	300863 (2.4)	310457 (3.6)	366563 (3.7)	112.3	121.8
बिहार	**317131 (2.8)**	**353279 (2.8)**	**101511 (1.2)**	**120287 (1.2)**	**32.0**	**34.0**
छत्तीसगढ़	133067 (1.2)	142551 (1.1)	83352 (1)	89824 (0.9)	62.6	63.0
गुजरात	643747 (5.6)	674702 (5.4)	482779 (5.6)	531396 (5.4)	75.0	78.8
हरियाणा	367362 (3.2)	409923 (3.3)	218336 (2.5)	247345 (2.5)	59.4	60.3
हिमाचल प्रदेश	85753 (0.7)	95522 (0.8)	26479 (0.3)	29424 (0.3)	30.9	30.8
झारखंड	199475 (1.7)	218508 (1.7)	54639 (0.6)	60196 (0.6)	27.4	27.5
कर्नाटक	840424 (7.3)	934748 (7.4)	586740 (6.8)	648887 (6.6)	69.8	69.4
केरल	440361 (3.8)	495741 (3.9)	281384 (3.2)	325280 (3.3)	63.9	65.6
मध्य प्रदेश	340117(3.0)	368521 (2.9)	221512 (2.6)	249290 (2.5)	65.1	67.6
महाराष्ट्र	2289301 (19.9)	2549943 (20.3)	2404766 (27.7)	2714809 (27.7)	105.0	106.5
ओडिशा	271019 (2.4)	309618 (2.5)	100653 (1.2)	119090 (1.2)	37.1	38.5
पंजाब	350459 (3.1)	379505 (3)	221388 (2.5)	228604 (2.3)	63.2	60.2
राजस्थान	336820 (2.9)	378636 (3)	254382 (2.9)	307134 (3.1)	75.5	81.1
तमिलनाडु	725810 (6.3)	798765 (6.4)	784172 (9)	876433 (8.9)	108.0	109.7
उत्तर प्रदेश	957832 (8.3)	1040758 (8.3)	391892 (4.5)	439716 (4.5)	40.9	42.2
उत्तराखंड	123440 (1.1)	137027 (1.1)	44669 (0.5)	51574 (0.5)	36.2	37.6
पश्चिम बंगाल	722699 (6.3)	777410 (6.2)	364454 (4.2)	379817 (3.9)	50.4	48.9
भारत	**11479288 (100)**	**12558671 (100)**	**8682573 (100)**	**9818367 (100)**	**75.6**	**78.2**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े राज्यों का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : स्टेटिस्टिकल टेबल्स रिलेटिंग टू बैंक्स इन इंडिया, 2018-19, भारतीय रिजर्व बैंक

ऋण-जमा अनुपात

अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात राज्य के आर्थिक विकास में बैंकों की संलग्नता का एक सूचक है। यह अधिकांशत: किसी राज्य की आर्थिक गतिविधि के स्तर और उसकी ऋण अवशोषण क्षमता पर भी निर्भर करता है। ऋण-जमा अनुपात किसी अवधि में बैंक द्वारा दिए गए कुछ ऋण का उसमें जमा की गई कुल राशि के प्रतिशत हिस्से को दर्शाता है। दूसरे शब्दों में, राज्य का ऋण-जमा अनुपात यह व्यक्त करता है कि बैंक ने राज्य में अपने द्वारा जमा की गई कुल रकम का कितना हिस्सा ऋण के रूप में दिया है। इस अनुपात में कमी दर्शाता है कि बैंकों ने राज्यमें आर्थिक गतिविधियों को बढावा देने के लिए अपने संसाधनों का पूरा उपयोग नहीं किया। विदित है कि ऋण की उपलब्धता राज्य में उद्यमी गतिविधि को बल देने के लिए आवश्यक होती है।

वर्ष 2018-19 में बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 2017-18 के 32.0 प्रतिशत से बढ़कर 34.0 प्रतिशत हो गया। यह आंध्र प्रदेश के 121.8 प्रतिशत, महाराष्ट के 106.5 प्रतिशत और तमिलनाडु के 109.7 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात से बहुत कम है (तालिका 10.8)। प्रमुख राज्यों में से केवल झारखंड और

हिमाचल प्रदेश का ऋण-जमा अनुपात ही बिहार से कम है। संपूर्ण भारत क स्तर पर भी ऋण-जमा अनुपात 2017-18 के 75.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 78.2 प्रतिशत हो गया।

यह मानते हुए कि राज्य में ऋण की मांग पूरी नहीं हो पा रही है, राज्य में व्यवसाय कर रहे अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को निम्न ऋण-जमा अनुपात पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। बिहार में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों में जमा के कथित स्तर को देखते हुए अगर राज्य को 78.2 प्रतिशत का राष्टोय स्तर हासिल करना हो, तो इन बैंकों को 1.56 लाख करोड़ रु. अतिरिक्त ऋण देना होगा। इतनी रकम राज्य में निवेश को अतिवांछित बल प्रदान कर सकती है। इन बैंकों द्वारा ऋणों का निम्न वितरण राज्य के लिए चिंता की बात है क्योंकि यह दर्शाता है कि राज्य की ऋण संबंधी जरूरतें वित्तोयन के दूसरे स्रोतों से अधिक ब्याज दर पर पूरी की जा रही हैं जिससे राज्य में व्यवसाय करने की लागत बढ़ जा रही है। साथ ही, इससे यह भी पता चलता है कि इन बैंकों के द्वारा राज्य से इकट्ठा की गई जमा राशि का उपयोग दूसरे राज्यों में ऋण देने के लिए किया जा रहा है जो निश्चित तौर पर बिहार जैसे गरीब राज्य से पूंजी का पलायन है।

राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में (सितंबर 2019 की स्थिति में) 16 जिलों में अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम है। बैंकों के बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक है और उसमें विगत वर्षों के दौरान वृद्धि होती रही है जबकि भारतीय स्टेट बैंक और उसके सहयोगी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात में गिरावट का रुझान दिखा है (चार्ट 10.5)।

वर्ष 2004 तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों का ऋण-जमा अनुपात लगभग बराबर था और यह 25 प्रतिशत के आसपास था। लेकिन मार्च 2018 में यह ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़कर 39.7 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 31.4 प्रतिशत हो गया (चार्ट 10.6)। बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों का ऋण-जमा अनुपात 2004 के बाद से हमेशा ही शहरी क्षेत्रों से अधिक रहा है जिसका मुख्य कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक उपस्थिति वाले क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का उच्च ऋण-जमा अनुपात है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में लक्षित ऋण योजनाओं के कारण भी हो सकता है। बिहार में बैंकों के बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक है जो मार्च 2001 के 23.0 प्रतिशत से बढ़कर मार्च 2018 में 52.1 प्रतिशत हो गया है।

चार्ट 10.5 : बिहार में बैंक-वार ऋण-जमा अनुपात

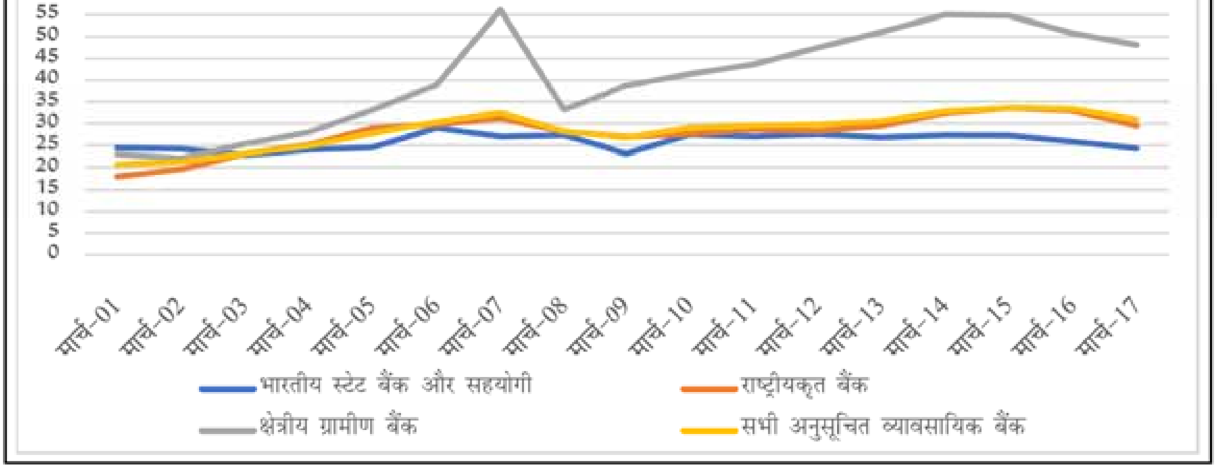

चार्ट 10.6 : बिहार में सभी अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ग्रामीण और शहरी क्षेत्र का ऋण-जमा अनुपात

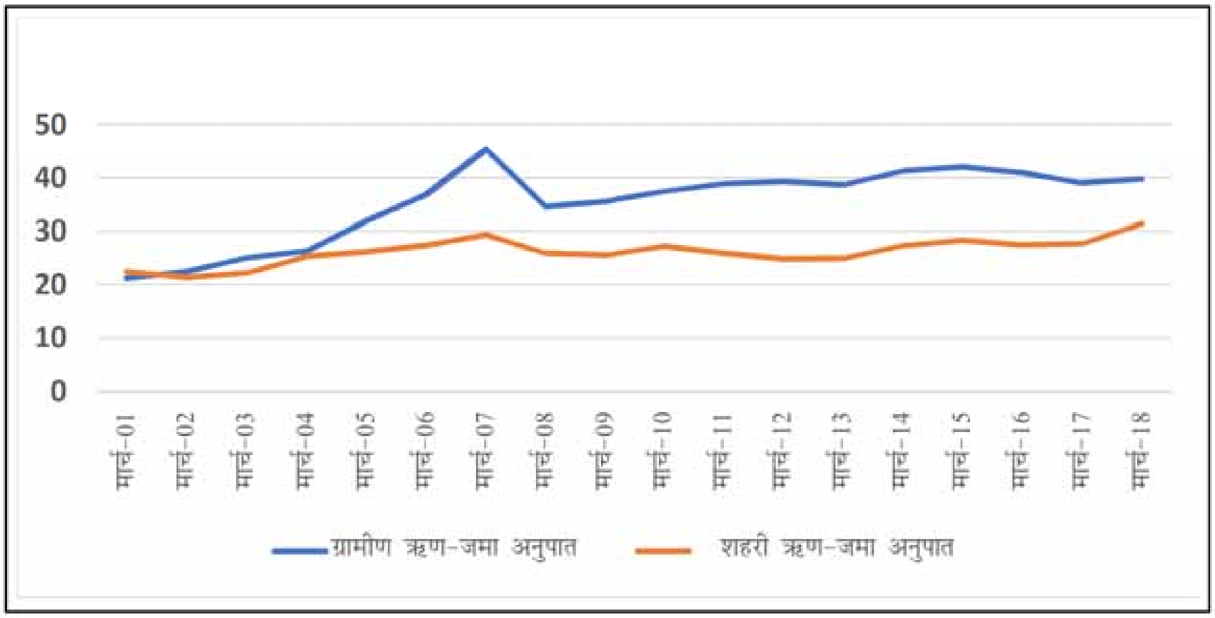

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

विगत वर्षों के दौरान बिहार में सभी बैंकों के ऋण-जमा अनुपात के आंकड़े तालिका 10.9 में प्रस्तुत हैं। बिहार का ऋण-जमा अनुपात 2012-13 में 40.6 प्रतिशत था जो 2018-19 में बढ़कर 45.9 प्रतिशत हो गया। वर्तमान वर्ष (2019-20 में सितंबर 2019 के अंत में ऋण-जमा अनुपात 41.83 प्रतिशत था जो गत वर्ष से कम है (चार्ट 10.7)। विगत वर्षों के दौरान बिहार में बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण उस गति से नहीं बढ़े हैं कि बिहार में ऋण-जमा अनुपात राष्टोय औसत तक पहुंच जाए।

चार्ट 10.7 : बिहार में ऋण, जमा और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2019 तक)

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 10.9 : बिहार में सभी बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (2012-13 से सितंबर 2019 तक)

2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सितंबर 2019 तक)
जमा (करोड़ रु.)							
161036	183458	211302	240288	280370	312829	345234	351165
ऋण (करोड़ रु.)							
65364	85334	100261	103238	129969	147797	158469	146900
ऋण-जमा अनुपात(%)							
40.6	46.5	47.4	43.0	46.4	47.24	45.9	41.8

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

सितंबर 2019 के अंत में बैंक-वार ऋण-जमा अनुपात तालिका 10.10 में दर्शाया गया है। लघुवित्त बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 452.1 प्रतिशत है जो बिहार में बैंकिंग संस्थाओं से एकदम अलग है। यह इस तथ्य को भी रेखांकित करता है कि बिहार में ऋण के अधिक अवशोषण की अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है, और लघुवित्त बैंकों की अपेक्षा व्यापक नेटवर्क वाले अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों को यह कमी दूर करनी चाहिए। हालांकि लघुवित्त बैंक इस व्यवसाय में नए हैं और राज्य के जमा और ऋण बाजार में उनका कम हिस्सा है। सितंबर 2019 के अंत तक उन्हें जमा के बतौर 720 करोड़ रु. प्राप्त हुए और इन संस्थाओं ने ऋण के बतौर 3257 करोड़ रु. प्रदान किए।

तालिका 10.10 : बैंकों का ऋण, जमा और ऋण-जमा अनुपात (सितंबर 2019 तक)

बैंक	जमा (हजार करोड़ रु.)	अग्रिम (हजार करोड़ रु.)	ऋण-जमा अनुपात (%)
व्यावसायिक बैंक	311378	123292	39.6
सहकारी बैंक	4086	2232	54.6
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	34981	18119	51.8
लघुवित्त बैंक	720	3257	452.1
योगफल	351165	146900	41.8
ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष	—	6804	—
योगफल (अग्रिम + ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष)	351165	153704	43.8
निवेश	—	8719	—
कुल योगफल (अग्रिम + ग्रामीण अधिसंरचना विकास कोष + निवेश)	351165	162423	46.2

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 10.11 में 2018-19 में बिहार में बैंक समूहों और उनकी अवस्थिति के अनुसारउनका ऋण-जमा अनुपात और निवेश सह ऋण-जमा अनुपात दर्शाया गया है। लघुवित्त बैंकों का 728.8 प्रतिशत निवेश सह ऋण-जमा अनुपात बिहार में बैंकिंग संस्थाओं से एकदम अलग दिखता है। लघुवित्त बैंकों ने ग्रामीण क्षेत्रों में963. 29 करोड़ रु. के ऋण दिए जबकि वहां से इन संस्थाओं को मात्र 3.22 करोड़ रु. जमा राशि प्राप्त हुई। लघुवित्त बैंकों से काफी पीछे सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और अनुसूचित व्यावसायिक बैंक हैं जिनके निवेश सह

ऋण-जमा अनुपात क्रमश: 88.4 प्रतिशत, 52.1 प्रतिशत और 36.9 प्रतिशत हैं। इन बैंकों में से सहकारी बैंकों का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा शहरी क्षेत्रों में अधिक है। वहीं, दूसरे बैंकों का निवेश सह ऋण-जमा अनुपात शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है।

अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि निवेश सह ऋण-जमा अनुपात बैंकों द्वारा राज्य की आर्थिक गतिविधियों में कुल संलग्नता का बेहतर सूचक है क्योंकि बैंक केवल ऋण देकर ही अर्थव्यवस्था में सहायता नहीं करते, अपितु राज्य सरकार की प्रतिभूतियों, और सरकारी उपक्रमों, अर्ध-सरकारी निकायों और संयुक्त स्टॉक कंपनियों के शेयरों और बांडों में निवेश करक भी करते हैं। 2018-19 में राज्य में सहकारी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और अनुसूचित व्यावसायिक बैंक के निवेश सह ऋण-जमा अनुपात क्रमश: 88.5 प्रतिशत, 52.1 प्रतिशत और 41.5 प्रतिशत थे। इस प्रकार यह दिखता है कि निवेश सह ऋण-जमा अनुपात को ध्यान में रखने पर भी बिहार में बैंकों के प्रदर्शन की अन्य प्रमुख राज्यों के साथ तुलना करने पर बहुत अंतर नहीं आता है।

तालिका 10.11 : बैंक समूह और क्षेत्र आधारित ऋण-जमा अनुपात (2018-19)

बैंक समूह	क्षेत्र	जमा (करोड़ रु.)	ऋण (करोड़ रु.)	ऋण-जमा अनुपात	निवेश (करोड़ रु.)	निवेश सह ऋण-जमा अनुपात
अनुसूचित व्यावसायिक बैंक	ग्रामीण	54288.22	23116.85	42.6	—	—
	अर्ध-शहरी	75828.12	28439.28	37.5	—	—
	शहरी	176332.9	61440.66	34.8	—	—
	योगफल	**306449.3**	**112996.8**	**36.9**	**6251.3**	**41.5**
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	ग्रामीण	22261.48	12881.71	57.9	—	—
	अर्ध-शहरी	7114.69	3519.99	49.5	—	—
	शहरी	4685.09	1330.81	28.4	—	—
	योगफल	**34061.26**	**17732.51**	**52.1**	**—**	**52.1**
सहकारी बैंक	ग्रामीण	1952.85	1729.95	88.6	—	—
	अर्ध-शहरी	1521.5	1247.86	82.0	—	—
	शहरी	883.15	873.23	98.9	—	—
	योगफल	**4357.5**	**3851.04**	**88.4**	**5.0**	**88.5**
लघुवित्त बैंक	ग्रामीण	3.22	963.29	29915.8	—	—
	अर्ध-शहरी	70.73	763.38	1079.3	—	—
	शहरी	291.86	939.42	321.9	—	—
	योगफल	**365.81**	**2666.09**	**728.8**	—	**728.8**
सभी बैंक	ग्रामीण	78505.77	38691.8	49.3	—	—
	अर्ध-शहरी	84535.04	33970.51	40.2	—	—
	शहरी	182193	64584.12	35.4	—	—
	योगफल	**345233.8**	**137246.4**	**39.8**	**6256.4**	**43.8**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

ऊपर जिस ऋण-जमा अनुपात पर चर्चा की गई है उस अनुपात की गणना पारंपरिक रूप से राज्य में बैंकों के द्वारा की गई ऋण स्वीकृतियों के आधार पर होती है। यह उस हद को बताता है जहां तक बैंक राज्य से एकत्र की गई जमा राशि का उपयोग उसकी ऋण की मांग पूरी करने के लिए करते हैं। इस मामले को देखने का दूसरा तरीका ऋण स्वीकृति की जगह ऋण के उपयोग का प्रयोग करना है। ऋण स्वीकृति आधारित निम्न ऋण-जमा अनुपात एक राज्य से दूसरे राज्य को होने वाला जमा राशि का पलायन दर्शाता है जबकि ऋण के उपयोग पर आधारित ऋण-जमा अनुपात राज्य में निवेश के लिए ऋण के पलायन को सूचित करता है। तालिका 10.12 में देश के प्रमुख राज्यों के लिए ऋण स्वीकृति और ऋण के उपयोग, दोनो पर आधारित ऋण-जमा अनुपात प्रस्तुत किए गए हैं। देश के स्तर पर दोनो अनुपात स्वाभाविक रूप से एक हैं। लेकिन विभिन्न राज्यों में दोनो अनुपात अलग-अलग हैं। बिहार के मामले में उपयोग के आधार पर अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात ऋण स्वीकृति आधारित अनुपात से अधिक है लेकिन दोनो के बीच बहुत कम अंतर है।

तालिका 10.12 : 31 मार्च को अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का ऋण-जमा अनुपात (2015 से 2018)

	2015		2016		2017		2018	
	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार	स्वीकृति के अनुसार	उपयोग के अनुसार
आंध्र प्रदेश	105.3	108.3	106	109.6	101.1	104.4	112.6	114.1
बिहार	**33.6**	**34.3**	**33.4**	**34.5**	**30.9**	**32.0**	**32.2**	**34.0**
गुजरात	72.7	79.0	75.4	82.4	68.9	75.2	75.6	82.2
हरियाणा	75.8	85.2	69.9	82.6	59.1	69.1	58.6	67.6
हिमाचल प्रदेश	35.3	36.6	32.9	33.6	29.7	31.1	31.1	31.8
झारखंड	29.6	30.6	29.6	30.7	27.1	29.1	27.7	30.6
कर्नाटक	67.7	72.6	70.1	75.4	67	71.2	69.7	75.7
केरल	64.6	65.4	62.1	63.0	59.8	61.2	63.8	65.5
मध्य प्रदेश	54.8	57.6	61.2	63.5	60.9	63.4	65.1	67.7
महाराष्ट्र	92.0	82.7	102.9	91.4	106	94.0	106.9	94.1
ओडिशा	41.9	43.9	40.8	43.3	38.1	40.5	37.6	40.5
पंजाब	75.1	76.8	69.8	71.7	69	71.2	63.5	68.3
राजस्थान	86.2	90.1	72.4	76.3	67.8	71.6	76.6	80.7
तमिलनाडु	119	117.5	113.7	112.4	105.8	103.8	113.5	110.8
उत्तर प्रदेश	45.4	48.9	44.6	49.6	40.0	43.0	41.2	43.9
उत्तराखंड	34.5	35.2	34.9	35.8	34.3	35.3	36.4	37.8
पश्चिम बंगाल	57.8	60.3	55.1	57.3	50.3	52.5	51.1	53.8
भारत	**77.1**	**77.1**	**78.4**	**78.4**	**73.8**	**73.8**	**76.7**	**76.7**

स्रोत : रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग ऑफ इंडिया, 2018-19, भारतीय रिजर्व बैंक

अगर हम बिहार में ऋण–जमा अनुपात पर नजर डालें तो जिलों के बीच काफी अंतर दिखता है। तालिका 10.13 में बिहार के जिलों के ऋण–जमा अनुपात प्रस्तुत हैं। सितंबर 2019 के अंत में 16 जिलों के ऋण–जमा अनुपात 40 प्रतिशत से कम और 17 जिलों के ऋण–जमा अनुपात राज्य के औसत से कम थे। किसी भी जिले का ऋण–जमा अनुपात संपूर्ण भारत के औसत से अधिक नहीं था। पूर्णिया का ऋण–जमा अनुपात सर्वाधिक 68.5 प्रतिशत और सारण का सबसे कम 27.0 प्रतिशत था। शिवहर का 57.8 प्रतिशत ऋण–जमा अनुपात दूसरे स्थान पर था। साथ ही मुंगेर, भोजपुर और सारण जिलों का भी ऋण–जमा अनुपात 30 प्रतिशत से भी कम था।

तालिका 10.13 : जिलावार ऋण-जमा अनुपात (2017-18 से सितंबर2019)

जिला	2017-18	2018-19	2019-20 (सितंबर 19)	जिला	2017-18	2018-19	2019-20 (सितंबर 19)
पटना	38.7	35.9	36.0	दरभंगा	32.5	33.4	32.8
नालंदा	37.9	34.7	32.4	मधुबनी	33.6	34.2	32.5
भोजपुर	30.1	29.4	28.5	समस्तीपुर	47.7	45.4	46.0
बक्सर	42.8	44.2	40.4	बेगूसराय	49.5	53.4	53.5
रोहतास	46.6	44.9	44.7	मुंगेर	30.3	31.4	28.7
कैमूर	57.8	52.6	57.6	शेखपुरा	40.3	41.9	42.2
गया	36.6	38.0	39.4	लखीसराय	37.0	39.1	37.1
जहानाबाद	34.5	34.8	32.1	जमुई	40.9	45.4	46.2
अरवल	38.5	35.0	31.8	खगड़िया	55.1	53.4	57.0
नवादा	42.9	39.0	39.6	भागलपुर	53.2	37.1	37.0
औरंगाबाद	42.0	38.2	45.7	बांका	43.8	46.8	48.6
सारण	28.4	29.2	27.0	सहरसा	44.6	45.1	47.4
सीवान	28.9	31.5	33.7	सुपौल	52.8	49.2	42.7
गोपालगंज	29.4	34.3	33.9	मधेपुरा	47.6	48.9	45.3
पश्चिम चंपारण	48.7	52.3	53.3	पूर्णिया	65.1	72.0	68.5
पूर्वी चंपारण	44.0	48.6	49.8	किशनगंज	59.2	59.1	56.0
मुजफ्फरपुर	46.3	49.1	48.8	अररिया	51.0	53.9	55.1
सीतामढ़ी	35.6	38.6	35.6	कटिहार	45.7	47.5	47.1
शिवहर	47.5	46.6	57.8				
वैशाली	39.1	39.5	50.9	**बिहार**	**40.6**	**39.8**	**41.8**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 10.14 में बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण-जमा अनुपात दर्शाए गए हं। सर्वाधिक 56.8 प्रतिशत ऋण-जमा अनुपात यूको बैंक का था और सबसे कम 27.7 प्रतिशत यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का। बिहार में अग्रणी (लीड) बैंकों में से भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और सेंटल बैंक ऑफ इंडिया का ऋण-जमा अनुपात पिछले पांच वर्षों के दौरानघटा है। कॉर्पोरेशन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट और यूको बैंक को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के सारे बैंकों का प्रदर्शन राज्य में पर्याप्त ऋण देने के लिहाज से निराशाजनक रहा है।

तालिका 10.14 : बिहार में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के ऋण-जमा अनुपात (2014-15 से सितंबर2019)

बैंक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20 (सितंबर2019)
अग्रणी (लीड) बैंक						
भारतीय स्टेट बैंक	37.5	36.0	35.5	35.2	31.6	31.4
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	37.2	33.0	35.2	35.2	31.4	29.4
पंजाब नेशनल बैंक	40.6	41.9	34.4	37.8	31.2	29.3
कनारा बैंक	40.2	43.7	40.0	49.2	49.0	50.0
यूको बैंक	39.3	40.7	42.8	43.1	57.0	56.8
बैंक ऑफ बड़ौदा	34.8	41.6	40.2	40.5	40.6	42.5
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	41.1	42.1	45.7	41.1	29.7	27.7
अन्य बैंक						
बैंक ऑफ इंडिया	38.5	40.3	40.2	40.3	35.0	28.2
इलाहाबाद बैंक	41.8	42.8	38.2	40.4	40.5	39.9
आंध्र बैंक	16.8	20.7	63.0	45.9	40.0	53.7
बैंक ऑफ महाराष्ट्र	32.5	67.4	50.2	59.6	62.6	53.0
कॉर्पोरेशन बैंक	89.2	72.0	90.9	70.2	57.9	40.8
देना बैंक	30.3	33.1	40.0	40.2	26.6	—
इंडियन बैंक	68.8	79.4	70.6	33.3	30.0	28.4
इंडियन ओवरसीज बैंक	60.2	73.0	54.1	42.4	34.5	38.6
ऑरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स	39.9	47.3	47.0	42.3	45.5	47.3
पंजाब एंड सिंध बैंक	108.7	21.8	9.8	36.2	39.4	48.3
सिंडिकेट बैंक	40.9	41.0	26.4	33.6	32.6	33.4
यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया	53.9	52.1	50.9	49.8	47.7	47.5
सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक	**41.9**	**43.0**	**41.9**	**43.1**	**42.0**	**34.4**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में निजी क्षेत्र के बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघुवित्त बैंकों की जमा राशियां, अग्रिम और ऋण-जमा अनुपात तालिका 10.15 में प्रस्तुत हैं। सितंबर 2019 के अंत में बिहार में कार्यालय वाले निजी क्षेत्र के 12 बैंकों के ऋण-जमा अनुपात 5.3 प्रतिशत से लेकर 465.7 प्रतिशत के बीच थे। लघुवित्त बैंकों के लिए ये अनुपात 86.9 प्रतिशत से 708.2 प्रतिशत के बीच थे। वहीं, निजी क्षेत्र के बैंकों में इंडसइंड बैंक का प्रदर्शन राज्य में सबसे अच्छा 465.8 प्रतिशत और उसके बाद बंधन बैंक का 197.8 प्रतिशत था। इंडसइंड बैंक का ऋण-जमा अनुपात 2018 में 224.6 प्रतिशत था जिससे छलांग लगाकर 2019 में वह 465.7 प्रतिशत पहुंच गया। निजी क्षेत्र के बैंकों में आइडीबीआइ बैंक, ऍक्सिस बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक के ऋण-जमा अनुपात सबसे खराब -क्रमश: 40.1 प्रतिशत, 48.9 प्रतिशत और 33.1 प्रतिशत - थे। राज्य में 2019 में निजी क्षेत्र के बैंकों का समग्रता में ऋण-जमा अनुपात 79.4 प्रतिशत था जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के 34.4 प्रतिशत अनुपात से दोगुने से भी अधिक है। लेकिन राज्य में बैंकिंग अधिसंरचना के लिहाज से सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की तुलना में निजी क्षेत्र के बैंकों की सीमित उपस्थिति ही है। अत: ऐसा दिखता है कि बिहार में ऋण उपलब्ध कराने के मामले में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रदर्शन में सुधार की जरूरत है और उसकी गुंजाइश भी है।

राज्य में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का प्रदर्शन भी सार्वजनिक क्षेत्र के अन्य बैंकों से अच्छा है। हालांकि उनके लिए भी ऋण उपलब्ध कराने के मामले में प्रदर्शन में सुधार की गुंजाइश है। राज्य में शाखाओं के लिहाज से इन बैंकों की व्यापक उपस्थिति है। राज्य में ऋण उपलब्ध कराने में सुधार के मामले में आशा की किरण लघुवित्त बैंक हैं। हालांकि बैंकिंग व्यवसाय में वे नए हैं और राज्य में उनके व्यवसाय का आकार भी अभी अन्य बैंकों से छोटा है, लेकिन ऋण उपलब्ध कराने के मामले में उनका प्रदर्शन अन्य बैंकों से काफी अच्छा है। सितंबर 2019 के अंत में लघुवित्त बैंकों का ऋण-जमा अनुपात 452.1 प्रतिशत था और उत्कर्ष लघुवित्त बैंक का ऋण-जमा अनुपात सर्वाधिक 708.2 प्रतिशत था (तालिका 10.15)।

ऋण की पर्याप्तता का निर्णय करने के लिए ऋण-सकल एवं राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात की जांच करनी होती है और पिछले चार वर्षों में बिहार के लिए यह अनुपात लगभग अपरिवर्तित रहा है (तालिका 10.16)। इससे भी निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वृद्धि और विकास के राष्ट्रीय औसत के स्तर तक पहुंचने के लिए बिहार में वित्तीय संस्थाओं के जरिए ऋण की उपलब्धता में सुधार करने की जरूरत है।

बिहार में पिछले तीन वर्षों के दौरान जमा और अग्रिम में बैंक-वार प्रतिशत हिस्सा तालिका 10.17 में प्रस्तुत है। सितंबर 2019 के अंत में जमा और अग्रिम में सर्वाधिक हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का था और उसके बाद निजी बैंकों का और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का। हालांकि पिछले तीन वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्र के बंकों का हिस्सा घटा है। अग्रिम में उनके हिस्से में अधिक गिरावट आई है जो 2017 के 73.0 प्रतिशत से घटकर 2019 में 64.4 प्रतिशत रह गया। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के घटे हिस्से की पूर्ति निजी क्षेत्र के बैंकों और लघुवित्त बैंकों द्वारा हुई है। ऐसा दिखता है कि राज्य में ऋण उपलब्ध कराने में निजी क्षेत्र के बैंकों और लघुवित्त बैंकों ने अच्छी-खासी प्रगति की है जबकि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का प्रदर्शन निराशाजनक है।

तालिका 10.15 : बिहार में निजी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और लघुवित्त बैंकों काजमा, अग्रिम औरऋण-जमा अनुपात (2018 और 2019)

	30 सितंबर2018 को			30 सितंबर2019 को		
	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)	जमा (लाख रु.)	अग्रिम (लाख रु.)	ऋण-जमा अनुपात (प्रतिशत)
निजी बैंक						
आइडोबोआइ बैंक	444643	187414	42.2	449901	181949	40.4
आइसीआइसीआइ बैंक	1011090	550172	54.4	977506	705002	72.1
फेडरल बैंक	38514	16076	41.7	44504	9811	22.0
जम्मू कश्मीर बैंक	0	0	0	9485	10140	106.9
साउथ इंडियन बैंक	0	0	0	26205	1383	5.3
ऍक्सिस बैंक	607353	284405	46.8	699649	342313	48.9
एचडीएफसी बैंक	1017866	524563	51.5	928466	698248	75.2
इंडसइंड बैंक	68754	154186	224.3	98095	456805	465.7
कर्नाटक बैंक	2328	469	20.2	2492	664	26.6
कोटक महिंद्रा बैंक	0	0	0	108886	36079	33.1
यस बैंक	37912	6958	18.4	50809	12853	25.3
बंधन बैंक	158086	317248	200.7	205250	406090	197.8
योगफल : निजी क्षेत्र के बैंक	3386546	2041491	60.3	3601248	2861337	79.4
योगफल : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	25319948	8871840	35.0	27536565	9467828	34.4
योगफल : व्यावसायिक बैंक	28706494	10913331	38.0	31137813	12329165	39.6
योगफल : सहकारी बैंक	383625	289998	75.6	408595	223162	54.6
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक						
मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1137084	532105	46.8	1894832	973655	51.4
बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	548023	367240	67.0	--	--	--
उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	1443543	765558	53.0	1603279	838258	52.3
योगफल : क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	3128650	1664903	53.2	3498111	1811913	51.8
लघुवित्त बैंक						
जना लघुवित्त बैंक	0	0	0	24767	21527	86.9
उत्कर्ष लघुवित्त बैंक	20454	151629	741.3	32639	231163	708.2
उज्जीवन लघुवित्त बैंक	0	0	0	14634	73030	499.0
योगफल : जना लघुवित्त बैंक	20454	151629	741.3	72040	325720	452.1

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 10.16 : बिहार में ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (2015-16 से 2018-19)

	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात(%)	27.9	27.6	27.7	27.8
ऋण-जमा अनुपात (%)	43.0	41.9	45.4	44.1

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट और की गई गणना

तालिका 10.17 : बिहार में जमा और अग्रिम का बैंक-वार हिस्सा (सितंबर-2017 से सितंबर-2019)

	जमा			अग्रिम		
	सितंबर-17	सितंबर-18	सितंबर-19	सितंबर-17	सितंबर-18	सितंबर-19
सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक	80.8	78.5	78.4	73.0	68.1	64.4
निजी क्षेत्र के बैंक	8.0	10.5	10.3	12.6	15.7	19.5
सहकारी बैंक	0.9	1.2	1.2	1.5	2.2	1.5
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	10.3	9.7	10.0	12.9	12.8	12.3
लघुवित्त बैंक	0.0	0.1	0.2	0.0	1.2	2.2
योगफल	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

10.3 वार्षिक ऋण योजना (एसीपी) के अंतर्गत उपलब्धियां

तालिका 10.18 में वार्षिक ऋण योजना के तहत राज्य में दिए गए अग्रिमों में क्षेत्रवार हिस्सा दर्शाया गया है। राज्य में विगत तीन वर्षों के दौरान कुल अग्रिम में प्राथमिकता वाले क्षेत्र का हिस्सा घटा है। यह 2016-17 के 75.0 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 71.5 प्रतिशत रह गया। वहीं, इस अवधि में बिना प्राथमिकता वाले क्षेत्र का हिस्सा 25.0 प्रतिशत से बढ़कर 28.5 प्रतिशत हो गया।

राज्य में वार्षिक ऋण योजना के तहत समग्र उपलब्धि 2017-18 के 90.8 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 84.3 प्रतिशत रह गई। योजना के तहत बिना प्राथमिकता वाले क्षेत्र की उपलब्धि प्राथमिकता वाले क्षेत्र से अधिक रही है। वर्ष 2018-19 में बिना प्राथमिकता वाले क्षेत्र की उपलब्धि 91.0 प्रतिशत थी जबकि प्राथमिकता वाले क्षेत्र की 81.6 प्रतिशत। विगत वर्षों के दौरान वार्षिक ऋण योजना में दोनो ही क्षेत्रों की उपलब्धि घटी है। यह गिरावट प्राथमिकता वाले क्षेत्र में अधिक थी जो 2016-17 के 86.5 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 81.6 प्रतिशत रह गई।

प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के तहत कुल ऋण में कृषि का हिस्सा सर्वाधिक है। हालांकि समग्र ऋण में इस क्षेत्र का हिस्सा थोड़ा घटकर 2016-17 के 48.0 प्रतिशत से 2018-19 में 46.2 प्रतिशत रह गया। कुल ऋण में कृषि

क्षेत्र की घटे हिस्से की जगह बिना प्राथमिकता वाले क्षेत्र ने ले ली है। वर्ष 2018-19 में कुल अग्रिम में लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई) का हिस्सा 15.4 प्रतिशत था जो पिछले तीनो वर्षों में लगभग अपरिवर्तित रहा है। बिहार में वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि सबसे अधिक लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में दिखी जो 2016-17 में 99.1 प्रतिशत थी तो 2018-19 में उससे भी अधिक 111.6 प्रतिशत। इसी अवधि में वार्षिक ऋण योजना की उपलब्धि में कृषि क्षेत्र का हिस्सा 12.9 प्रतिशत अंक घटकर 85.6 प्रतिशत से 72.7 प्रतिशत रह गया।

तालिका 10.18 : वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत अग्रिमों का क्षेत्रवार हिस्सा (2016-17 से 2018-19)

	वार्षिक ऋण योजना का लक्ष्य (करोड़ रु.)			उपलब्धि (करोड़ रु.)			उपलब्धि (प्रतिशत)		
	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19	2016-17	2017-18	2018-19
प्राथमिकता वाले क्षेत्र									
कृषि	48000	49000	60000	85.6	86.0	72.7	48.0	44.5	46.2
लघु एवं मध्यम उद्यम	15000	17000	20000	99.1	111.6	118.0	15.0	15.5	15.4
प्राथमिकता वाले अन्य क्षेत्र	12000	13000	13000	74.7	75.2	66.7	12.0	11.8	10.0
उप-योग	**75000**	**79000**	**93000**	**86.5**	**89.8**	**81.6**	**75.0**	**71.8**	**71.5**
प्राथमिकता रहित क्षेत्र									
उप-योग	**25000**	**31000**	**37000**	**92**	**93.6**	**91.0**	**25.0**	**28.2**	**28.5**
कुल योग	**100000**	**110000**	**130000**	**87.9**	**90.8**	**84.3**	**100.0**	**100.0**	**100.0**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 10.19 में वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य स्तर के लिए उपलब्ध कराए गए कुल ऋण की वृद्धि दर्शाई गई है। तालिका में यह दिखता है कि 2018-19 में लक्ष्य 18.2 प्रतिशत तय किया गया था जो गत वर्ष से अधिक था लेकिन वास्तविक ऋण में 9.7 प्रतिशत ही वृद्धि हुई जो गत वर्ष (2017-18) में दिखी 13.6 प्रतिशत वृद्धि दर से कम है।

तालिका 10.19 : वार्षिक ऋण योजनाओं के तहत ऋण के लक्ष्य और उनकी उपलब्धि (2017-18 और 2018-19)

	2017-18	2018-19
ऋण का लक्ष्य (करोड़ रु.)	110000	130000
वार्षिक ऋण (करोड़ रु.)	99880	109590
उपलब्धि (प्रतिशत)	90.8	84.3
ऋण के लक्ष्य में वृद्धि	10.0	18.2
वार्षिक ऋण में वृद्धि	13.6	9.7

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 10.20 में 2012-13 से 2018-19 तक बिहार में वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां प्रस्तुत की गई हैं। विगत वर्षों में लगातार बढ़ते हुए 2018-19 में राज्य में वास्तविक कृषि ऋण प्रवाह 1,09,582 करोड़

रु. पहुंच गया था। हालांकि उपलब्धियों के स्तर में इन वर्षों के दौरान उतार-चढ़ाव रहा है जो 2018-19 के 84.3 प्रतिशत से 2015-16 के 95.3 प्रतिशत के बीच रहा है (चार्ट 10.8)।

तालिका 10.20 : वार्षिक ऋण योजनाकी उपलब्धि- सभी बैंक(2012-13 से 2018-19)

वर्ष	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
2012-13	51400	44521	86.6
2013-14	62000	57007	91.9
2014-15	74000	68797	93.0
2015-16	83999	80084	95.3
2016-17	100000	87909	87.9
2017-18	110000	99934	90.8
2018-19	130000	109582	84.3

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

चार्ट 10.8 : बिहार में वार्षिक ऋण योजनाकी उपलब्धि का प्रतिशत

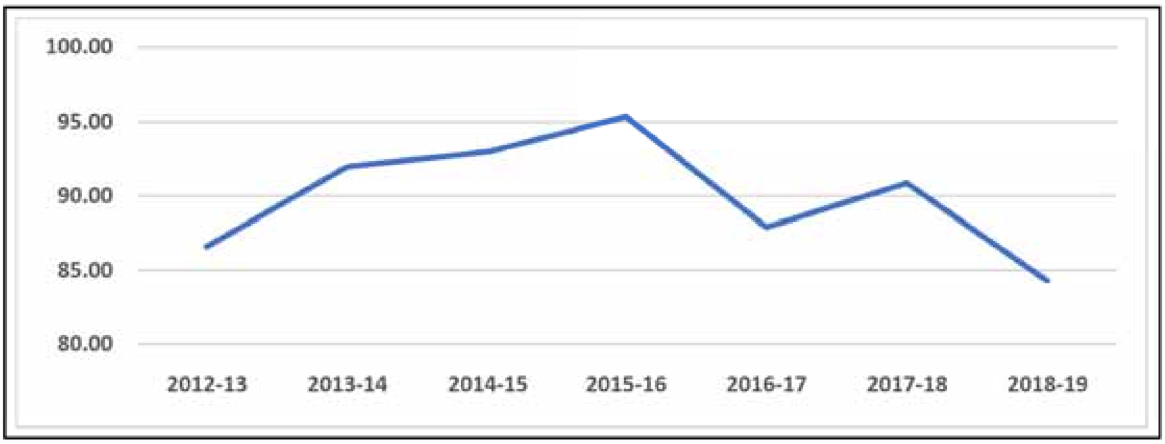

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 10.21 में बिहार में वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य और उपलब्धियां बैंकों की श्रेणी के अनुसार प्रस्तुत की गई हैं। राज्य में वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्य के मामले में लघुवित्त बैंकों की उपलब्धि सर्वाधिक दिखी है। हालांकि कुल अग्रिम में व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की तुलना में उनका हिस्सा कम है। वर्ष 2018-19 में व्यावसायिक बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि क्रमशः 82.1 प्रतिशत और 78.4 प्रतिशत थी। उपलब्धि के ये स्तर 2017-18 से काफी कम है जब ये क्रमशः 90.2 प्रतिशत और 86.3 प्रतिशत थीं। व्यावसायिक बैंक, खास कर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, जिनका राज्य के जमा और ऋण बाजार में काफी बड़ा संयुक्त हिस्सा है, वार्षिक ऋण योजना के लक्ष्यों को हासिल करने में असफल रहे हैं। यही नहीं, 2018-19 में उनका प्रदर्शन पिछले साल से भी खराब हुआ है।

तालिका 10.21 : बिहार में वार्षिक ऋण योजना के बैंक-वार लक्ष्य और उनकी उपलब्धियां (2017-18 और 2018-19)

अभिकरण	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)	लक्ष्य (करोड़ रु.)	उपलब्धि (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
	2017-18			2018-19		
व्यावसायिक बैंक	86044	77594	90.2	101331	83226	82.1
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	22920	19770	86.3	26437	20730	78.4
सहकारी बैंक	1036	2570	248.1	1980	2821	142.5
लघुवित्त बैंक	—	—	—	252	2805	1113.1
योगफल	**110000**	**99934**	**90.8**	**130000**	**109582**	**84.3**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

बिहार में कृषि में ऋण प्रवाह तालिका 10.22 में प्रस्तुत है। राज्य में वार्षिक ऋण योजना के तहत कृषि क्षेत्र में कुल ऋण प्रवाह 2018-19 में 41,798 करोड़ रु. था जो गत वर्ष के 42,161 करोड़ रु. से थोड़ा कम है। साथ ही, राज्य में कृषि क्षेत्र में वार्षिक ऋण योजना के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति में भी अच्छी-खासी कमी आई है। वार्षिक ऋण योजना के तहत कृषि क्षेत्र के लिए कुल लक्ष्य 2018-19 में 60,000 करोड़ रु. था जो 2017-18 के 49,000 करोड़ रु. से अधिक था। लेकिन कृषि क्षेत्र के लिए तय लक्ष्य का उपलब्धि प्रतिशत 2017-18 के 86.0 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 70.7 प्रतिशत रह गया। बिहार में कृषि क्षेत्र में ऋण का लक्ष्य हासिल करने के मामले में बैंकों के बीच व्यावसायिक बैंकों का प्रदर्शन सबसे खराब रहा।

तालिका 10.22 : बिहार में कृषिगत ऋण प्रवाह(2012-13 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

वर्ष	व्यावसायिक बैंक		क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		केंद्रीय सहकारी बैंक		योग	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2012-13	14674	13203 (90.0)	8407	8035 (95.6)	2319	328 (14.2)	25401	21566 (84.9)
2013-14	18709	17786 (95.1)	10777	10676 (99.1)	800	307 (38.4)	30286	28770 (95.0)
2014-15	22191	21260 (95.8)	12809	13058 (101.9)	1000	362 (36.2)	36000	34680 (96.3)
2015-16	26554	24957 (94.0)	14946	15135 (101.3)	1000	1258 (125.8)	42500	41350 (97.3)
2016-17	28317	25004 (88.3)	18682	14247 (76.3)	1000	1825 (182.6)	48000	41076 (85.6)
2017-18	29281	24734 (84.5)	18682	14879 (79.6)	1036	2548 (246.0)	49000	42161 (86.0)
2018-19	35975	21734 (60.4)	22045	17264 (78.3)	1980	2800 (141.4)	60000	41798 (70.7)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए मान प्रतिशत में हैं

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

कृषि क्षेत्र पर बकाया कृषि अग्रिम (आउटस्टैंडिंग ऍग्रीकल्चरल एडवांसेज) और उसकी वृद्धि दर तालिका 10.23 में दर्शाई गई है। बिहार में कृषि क्षेत्र पर बकाया अग्रिम 2018-19 में 45,815 करोड़ रु. था जो गत वर्ष से थोड़ा ही अधिक है। वर्ष 2018-19 में इन अग्रिमों में सर्वाधिक 31,239 करोड़ रु. हिस्सा व्यावसायिक बैंकों का है और उसके बाद 13,543 करोड़ रु. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का।

तालिका 10.23 : बकाया कृषिगत अग्रिम (2012-13 से 2018-19)

वर्ष	बकाया कृषिगत अग्रिम(करोड़ रु.)				वार्षिक वृद्धि दर
	व्यावसायिक बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	सहकारी तथा भूमि विकास बैंक	योग	
2012-13	15422	4219	2824	22538	23.2
2013-14	19231	5101	1047	25380	12.6
2014-15	23130	6311	1212	30652	20.8
2015-16	25281	8856	1536	35673	16.4
2016-17	27256	10938	3636	41830	17.3
2017-18	30932	12217	2557	45706	9.3
2018-19	31239	13543	1032	45815	0.24

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

10.4 किसान क्रेडिट कार्ड

बिहार में बैंकों द्वारा जारी किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या तालिका 10.24 में दर्शाई गई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998-1999 में हुई थी। विगत वर्षों में किसान क्रेडिट कार्ड किसानों को कर्ज देने का लोकप्रिय माध्यम बन गया है। इस योजना का क्रियान्वयन अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राजकीय सहकारी बैंकों, केंद्रीय सहकारी बैंकों, और प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) द्वारा किया जाता है। योजना के तहत लाभार्थियों को क्रेडिट कार्ड सह पासबुक जारी किए जाते हैं जिसमें उधार लेने की सीमा और वैधता अवधि का उल्लेख रहता है। ऋण सीमाओं का निर्धारण पूरे एक वर्ष के लिए उनकी पूरी उत्पादन संबंधी ऋण की जरूरतों और फसल उत्पादन संबंधी आनुषंगिक गतिविधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। ऋणदाता बैंकों के विवेकाधीन ऋणों की उप-सीमाएं भी तय की जाती हैं। फसल ऋण चक्रानुसारी नगद ऋण (रिवॉल्विंग कैश क्रेडिट) सुविधा के रूप में होता है जिसमें निर्धारित सीमा के अंदर किसी भी संख्या में निकासी और भुगतान की स्वीकृति होती है।

वर्ष 2018-19 में विभिन्न वित्तीय संस्थाओं द्वारा कुल 2.19 लाख किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए गए थे। इनमें से सर्वाधिक 1.55 लाख कार्ड व्यावसायिक बैंकों द्वारा और उसके बाद 62.3 हजार कार्ड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा जारी किए गए थे। केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा 2.0 हजार कार्ड ही जारी किए गए थ। हालांकि विगत वर्षों के दौरान 2017-18 तक हर साल 15.00 लाख कार्ड जारी करने के लक्ष्य किया जाता था लेकिन उपलब्धि का प्रतिशत लगातार गिरता गया था। नए किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लक्ष्य को 2018-19 में संशोधित करके 10.00 लाख कर दिया गया था लेकिन तब भी इस वर्ष 21.9 प्रतिशत उपलब्धि ही हासिल की जा सकी।

तालिका 10.24 : बैंकों द्वारा जारी (नए) किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (2012-13 से 2018-19)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत	लक्ष्य	उपलब्धि	प्रतिशत
	व्यावसायिक बैंक			क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक		
2012-13	811207	600343	74.0	467081	246987	52.9
2013-14	909186	675107	74.3	535348	387658	72.4
2014-15	903944	628370	69.5	537590	353841	65.8
2015-16	918912	484543	52.7	527226	269047	51.0
2016-17	873362	409441	46.9	576187	163919	28.4
2017-18	896357	405366	45.2	571902	119355	20.9
2018-19	599660	154825	25.8	367350	62311	17.0
वर्ष	केंद्रीय सहकारी बैंक			योगफल		
2012-13	221712	16492	7.4	1500000	863822	57.6
2013-14	55466	11325	20.4	1500000	1074090	71.6
2014-15	58466	13057	22.3	1500000	995268	66.4
2015-16	53860	10093	18.7	1500000	763683	51.0
2016-17	50451	7087	14.0	1500000	580447	38.7
2017-18	31742	4489	14.1	1500000	529210	35.3
2018-19	32990	2049	6.2	1000000	219185	21.9

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 10.25 में मार्च 2018 और मार्च 2019 के अंत में बिहार में बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां दर्शाई गई हैं। मार्च 2019 तक बिहार में सभी बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां 10.9 प्रतिशत थीं जो मार्च 2018 के 10.6 प्रतिशत से कुछ अधिक है। मार्च 2019 में बिहार के बैंकों के बीच क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां सर्वाधिक 25.2 प्रतिशत थीं। हालांकि मार्च 2018 में यह उससे भी अधिक - 27.5 प्रतिशत थीं। मार्च 2019 में सहकारी बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां भी 9.7 प्रतिशत से घटकर 7.2 प्रतिशत रह गईं। लेकिन मार्च 2019 में व्यावसायिक बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां गत वर्ष के 8.1 प्रतिशत से बढ़कर 9.1 प्रतिशत हो गईं।

तालिका 10.25 : बिहार में बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियां (2018 और 2019)

बैंक	मार्च 2018				मार्च 2019			
	कुल अग्रिम (करोड़ रु.)	कुल अनिष्पादित परिसंपत्तियां (करोड़ रु.)	अनिष्पादित परिसंपत्तियों का प्रतिशत	बट्टे खाते में डाली गई (करोड़ रु.)	कुल अग्रिम (करोड़ रु.)	कुल अनिष्पादित परिसंपत्तियां (करोड़ रु.)	अनिष्पादित परिसंपत्तियों का प्रतिशत	बट्टे खाते में डाली गई (करोड़ रु.)
व्यावसायिक बैंक	108272	8770	8.1	953	112997	10255	9.1	716
सहकारी बैंक	2570	250	9.7		3851	279	7.2	—
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	16205	4461	27.5		17733	4462	25.2	—
लघुवित्त बैंक	—	—	—	—	2666	6	0.2	—
योगफल	**127047**	**13481**	**10.6**	**953**	**137247**	**15002**	**10.9**	**716**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

तालिका 10.26 में बैंकों की क्षेत्रवार अनिष्पादित परिसंपत्तियां दर्शाई गई हैं। मार्च 2019 तक अनिष्पादित परिसंपत्तियों का सर्वाधिक 19.1 प्रतिशत स्तर कृषि क्षेत्र में थीं जो मार्च 2018 के 17.1 प्रतिशत से अधिक है। वहीं, मार्च 2019 में अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में अनिष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर मार्च 2018 के 13.9 प्रतिशत से घटकर मार्च 2019 में 12.8 प्रतिशत रह गया। मार्च 2019 में प्राथमिकता विहीन क्षेत्र में भी अनिष्पादित परिसंपत्तियों का स्तर घटा और मार्च 2018 के 2.1 प्रतिशत से 1.7 प्रतिशत रह गया।

तालिका 10.26 : मार्च 2019 में बिहार में बैंकों की अनिष्पादित परिसंपत्तियों का क्षेत्रवार ब्योरा

क्षेत्र	कुल बकाया (करोड़ रु.)	कुल अनिष्पादित परिसंपत्तियां	अनिष्पादित परिसंपत्तियों का प्रतिशत
कृषि	47546.36	9071.04	19.1
अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम	33078.47	4249.23	12.8
अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	11897.44	940.62	7.9
कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र	92522.27	14260.89	15.4
प्राथमिकता-रहित क्षेत्र	44724.16	741.62	1.7
योगफल	**137246.43**	**15002.51**	**10.9**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

10.5 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का आरंभ अप्रील 2015 में 'समावेशी, दीर्घस्थायी और मूल्य आधारित उद्यमिता संस्कृति के निर्माण' के लिए, खास कर छोटे उद्यमियों को प्रोत्साहित करने और उनको सहयोग देने के लिए किया गया था। सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्तोयन अभिकरण (एमयूडीआरए - मुद्रा) 10.00 लाख रु. से कम ऋण की जरूरत वाले अतिलघु और लघु उद्यमों को अनिगमित, कृषीतर क्षेत्र के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्थापित नया संस्थागत ढांचा है। इस योजना के तहत दिए जाने वाले ऋण कॉलेटरेल मुक्त होते हैं। ये ऋण व्यावसायिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघुवित्त बैंकों, सहकारी बैंकों सूक्ष्मवित्त संस्थाओं और गैर-बैंकिंग वित्तोय संस्थाओं द्वारा दिए जाते हैं। इस योजना के तहत लाभार्थी अतिलघु इकाई के विकास के चरण और धन की जरूरत के आधार पर मुद्रा के तीन उत्पाद बनाए गए हैं - शिशु, किशोर और तरुण। यह वर्गीकरण 'अगले चरण तक पहुँचने/वृद्धि के लिए संदर्भ बिंदु' भी उपलब्ध कराता है। इनमें से प्रत्येक श्रणी के तहत उपलब्ध रकम इस प्रकार है - शिशु (50,000 रु. तक ऋण), किशोर (50,000 रु. से अधिक से लेकर 5.00 लाख रु. तक ऋण) और तरुण (5.00 लाख रु. से अधिक से लेकर 10.00 लाख रु. तक ऋण)। मुद्रा के तहत व्यक्तिगत स्वामित्व या साझेदारी कंपनियों वाला अनिगमित लघु व्यवसाय खंड सहायता पाने का पात्र होता है। इन कंपनियों में ग्रामीण और शहरी क्षत्रों की लघु विनिर्माण इकाइयां, सेवा क्षेत्र की इकाइयां, दूकानदार, फल/सब्जी विक्रेता, टक ऑपरेटर, आहार सेवा इकाइयां, मरम्मत की दूकानें, मशीन ऑपरेटर, छोटे उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण तथा अन्य शामिल हैं।

तालिका 10.27 में बिहार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रदर्शन दर्शाया गया है। वर्ष 2018-19 में योजना के तहत 7458.00 करोड़ रु. के ऋण स्वीकृत किए गए थे जो 4170.45 करोड़ रु. के लक्ष्य से अधिक है। योजना के तहत तीनो श्रेणियों (शिशु, किशोर और तरुण) के बीच ऋणों का वितरण चार्ट 10.9 में दर्शाया गया है। योजना के तहत 2018-19 में दिए गए ऋणों में सर्वाधिक 47 प्रतिशत हिस्सा किशोर, 30 प्रतिशत शिशु और 23 प्रतिशत तरुण ऋणों का था। इस योजना के लिए उपलब्धि की दर शिशु के लिए 217.1 प्रतिशत, किशोर के लिए 208.3 प्रतिशत और तरुण के लिए 118.6 प्रतिशत थी। साथ ही, यह भी देखा गया कि योजना के तहत स्वीकृत ऋण 2017-18 के 9598 करोड़ रु. से 28.7 प्रतिशत घटकर 2018-19 में 7458 करोड़ रु. रह गया। स्वीकृत ऋणों की संख्या भी 2017-18 के 11.01 लाख से 25.8 प्रतिशत घटकर 2018-19 में 8.75 लाख रह गई।

तालिका 10.27 : बिहार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का प्रदर्शन (2017-18 और 2018-19)

श्रेणी	2017-18				2018-19			
	ऋणों की संख्या (लाख)	लक्षित रकम (करोड़ रु.)	स्वीकृत रकम (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)	ऋणों की संख्या (लाख)	लक्षित रकम (करोड़ रु.)	स्वीकृत रकम (करोड़ रु.)	उपलब्धि (प्रतिशत)
शिशु	8.69	2165.00	2887.00	133.3	7.14	1008.89	2190.00	217.1
किशोर	2.1	1908.00	5100.00	267.3	1.40	1693.55	3527.00	208.3
तरुण	0.22	1301.00	1611.00	123.8	0.21	1468.01	1741.00	118.6
योगफल	**11.01**	**5374.00**	**9598.00**	**178.0**	**8.75**	**4170.45**	**7458.00**	**178.8**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

चार्ट 10.9 : बिहार में प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2018-19 में स्वीकृत ऋण

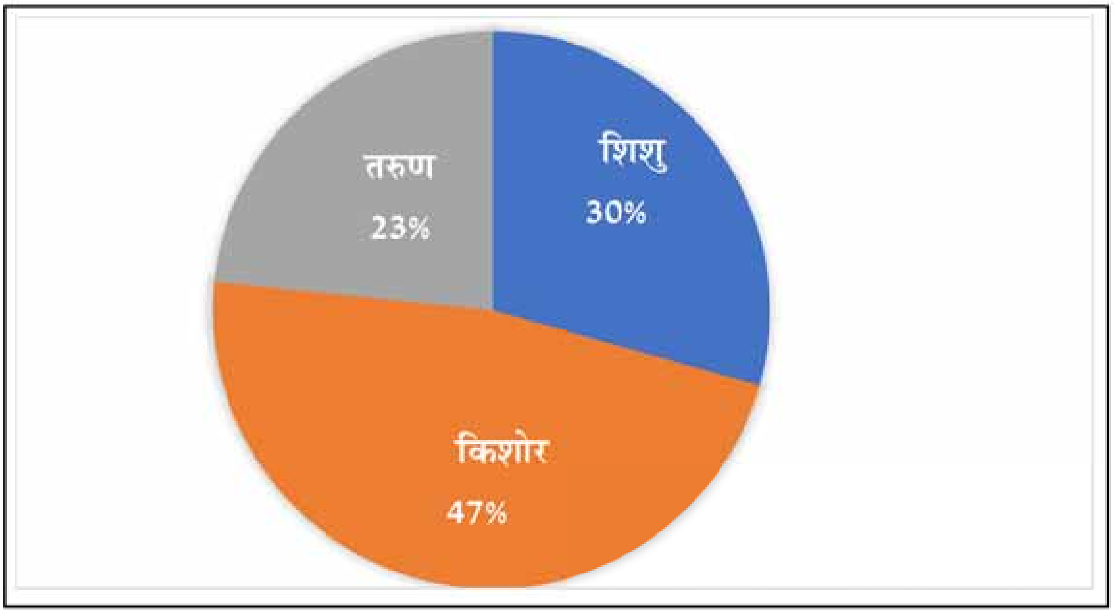

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति की रिपोर्ट

परिशिष्ट

तालिका प 10.1 : मार्च 2019 के अंत में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन(कृषि तथा लघु एवं मध्यम उद्यम)

(करोड़ रु.)

जिला	कृषि			लघु एवं मध्यम उद्यम		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
पटना	3726	2621	70.3	3583	6684	186.5
नालंदा	2047	1977	96.6	463	439	94.9
भोजपुर	1845	1104	59.9	476	491	103.2
बक्सर	1372	1007	73.4	355	431	121.4
रोहतास	1835	1696	92.4	517	620	120.0
कैमूर	1172	1126	96.1	280	267	95.5
गया	2256	1699	75.3	803	914	113.8
जहानाबाद	860	508	59.0	253	179	70.8
अरवल	581	360	62.0	118	88	74.4
नवादा	1352	944	69.9	235	289	123.0
औरंगाबाद	1668	1160	69.6	364	373	102.3
सारण	2026	1513	74.7	626	569	90.9
सीवान	1854	1144	61.7	510	510	99.9
गोपालगंज	1767	1046	59.2	355	302	85.1
पश्चिम चंपारण	1734	1421	81.9	520	480	92.3
पूर्वी चंपारण	2509	2047	81.6	706	718	101.6
मुजफ्फरपुर	2661	2211	83.1	1138	1425	125.2
सीतामढ़ी	1637	937	57.2	439	403	91.7
शिवहर	472	297	63.0	120	78	64.9
वैशाली	1896	1309	69.1	568	532	93.7
दरभंगा	1846	1215	65.8	576	622	107.9
मधुबनी	2876	1296	45.1	554	481	86.9
समस्तीपुर	2824	2187	77.4	721	776	107.5
बेगूसराय	1765	1508	85.4	708	874	123.5
मुंगेर	906	575	63.5	327	314	96.0
शेखपुरा	591	360	61.0	145	125	86.3
लखीसराय	728	489	67.2	159	174	109.7
जमुई	1111	833	75.0	227	209	92.0
खगड़िया	1077	847	78.6	301	292	96.8
भागलपुर	1773	1278	72.1	924	953	103.1
बांका	1045	593	56.8	338	247	73.0
सहरसा	747	611	81.9	270	261	96.7
सुपौल	1207	732	60.7	310	225	72.7
मधेपुरा	1144	692	60.5	273	247	90.3
पूर्णिया	1418	1314	92.7	569	831	146.1
किशनगंज	837	847	101.1	282	287	101.9
अररिया	1444	1210	83.8	407	474	116.4
कटिहार	1394	908	65.1	480	420	87.5
बिहार	**60000**	**43621**	**72.7**	**20000**	**23601**	**118.0**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

तालिका प 10.2 : मार्च 2019 के अंत में वार्षिक ऋण योजना के अंतर्गत जिलावार प्रदर्शन(अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र और कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र)

(करोड़ रु.)

जिला	अन्य प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र			कुल प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र		
	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %	लक्ष्य	उपलब्धि	उपलब्धि का %
पटना	3148	2050	65.1	10457	11356	108.6
नालंदा	270	205	75.9	2780	2622	94.3
भोजपुर	317	225	70.8	2638	1820	69.0
बक्सर	216	153	70.9	1944	1591	81.9
रोहतास	514	323	62.9	2866	2639	92.1
कैमूर	264	181	68.4	1716	1574	91.7
गया	857	528	61.7	3916	3141	80.2
जहानाबाद	107	80	75.2	1220	767	62.9
अरवल	58	55	94.9	757	503	66.4
नवादा	141	135	95.9	1728	1368	79.2
औरंगाबाद	330	223	67.6	2362	1756	74.3
सारण	553	370	67.0	3205	2452	76.5
सीवान	398	251	63.1	2762	1904	69.0
गोपालगंज	200	74	36.9	2322	1422	61.2
पश्चिम चंपारण	738	387	52.4	2992	2288	76.5
पूर्वी चंपारण	260	186	71.6	3475	2951	84.9
मुजफ्फरपुर	364	411	112.8	4163	4047	97.2
सीतामढ़ी	230	163	70.8	2306	1502	65.1
शिवहर	54	49	90.9	645	424	65.7
वैशाली	201	194	96.6	2665	2035	76.4
दरभंगा	257	192	74.8	2679	2029	75.7
मधुबनी	331	234	70.6	3760	2010	53.5
समस्तीपुर	709	366	51.6	4254	3328	78.2
बेगूसराय	407	218	53.6	2880	2600	90.3
मुंगेर	127	85	67.1	1359	974	71.6
शेखपुरा	14	15	111.4	749	500	66.8
लखीसराय	53	44	84.4	939	707	75.3
जमुई	138	77	55.9	1477	1119	75.8
खगड़िया	117	77	65.4	1496	1215	81.2
भागलपुर	218	212	97.3	2915	2443	83.8
बांका	77	69	89.2	1459	908	62.2
सहरसा	214	172	80.1	1231	1044	84.8
सुपौल	198	131	66.1	1715	1089	63.5
मधेपुरा	105	79	75.6	1523	1018	66.9
पूर्णिया	240	166	69.1	2227	2311	103.8
किशनगंज	119	61	51.2	1238	1194	96.5
अररिया	188	110	58.4	2039	1794	88.0
कटिहार	268	120	44.9	2142	1447	67.6
बिहार	**13000**	**8672**	**66.7**	**93000**	**75894**	**81.6**

स्रोत : राज्यस्तीय बैंकर समिति

तालिका प 10.3 : जिलावार उपलब्धि - नए और नवीकृत किसान क्रेडिट कार्डों की संख्या (2010-11 से 2018-19)

(हजार में)

जिला	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पटना	50.52	54.95	54.32	72.92	59.09	62.58	66.55	58.46	69.26
नालंदा	42.07	46.48	63.1	52.08	54.17	72.24	56.12	68.75	56.65
भोजपुर	59.02	84.54	86.53	96.03	90.5	83.7	50.31	99.98	57.83
बक्सर	32.04	40.53	79.49	64.99	51.36	44.43	35.63	49.55	53.15
रोहतास	57.66	76.55	95.86	78.68	72.13	93.4	113.52	102.74	60.00
कैमूर	29.36	44.17	63.62	57.32	63.94	68.04	37.91	58.98	34.13
गया	41.01	60.65	85.44	95.49	86.97	104.28	93.17	90.73	76.37
जहानाबाद	25.15	26.43	18.91	16.73	14.2	22.68	17.69	35.49	18.93
अरवल	8.36	12.75	13.46	11.1	13.47	18.68	13.99	21.65	16.00
नवादा	28.98	23.73	36.43	44.29	42.46	76.64	58.62	36.12	50.70
औरंगाबाद	42.35	54.79	67.64	31.7	54.1	73.83	75.75	55.18	55.46
सारण	34.84	39.06	66.26	72.48	61.32	91.86	82.06	76.91	55.03
सीवान	34.17	36.96	72.17	55.79	71.07	97.31	83.47	76.93	62.27
गोपालगंज	53.93	60.45	82.85	97.37	98.8	88.55	109.34	88.95	41.47
पश्चिम चंपारण	75.74	97.81	86.74	104.25	98.93	136.4	129.69	100.4	88.12
पूर्वी चंपारण	82.86	104.24	129.86	147.01	156.8	160.34	153.66	142.86	126.18
मुजफ्फरपुर	58.14	71.13	91.76	96.01	144.85	142.78	139.99	91	59.97
सीतामढ़ी	30.37	43.47	62.52	66.49	47.52	55.15	42.9	62.68	30.77
शिवहर	12.12	7.68	11.31	27.41	9.87	49.79	17.19	15.11	9.38
वैशाली	45.61	66.71	82.39	88.73	80.25	85.17	77.88	95.26	71.41
दरभंगा	26.36	41.68	56.13	52.02	39.35	41.38	48.46	47.24	37.05
मधुबनी	55.26	72.37	101.07	95.6	97.56	129.11	95.02	136.74	60.14
समस्तीपुर	80.4	95.79	94.51	155.58	154.74	173.89	170.53	206.55	120.34
बेगूसराय	72.81	89.8	111.45	152.53	134.32	134.01	119.82	122	91.51
मुंगेर	16.7	28.05	19.33	36.37	36.22	44.2	46.09	57.42	27.88
शेखपुरा	5.22	12.74	13.62	12.6	21.87	13.45	26.97	37.24	19.99
लखीसराय	15.85	18.07	16.62	35.84	39.83	37.07	38.71	44.76	25.89
जमुई	22.59	28.02	30.84	50.86	64.32	64.64	68.24	75.42	50.07
खगड़िया	39.92	57.27	45.85	69.17	78.56	76.26	83.32	71.97	57.21
भागलपुर	37.94	48.75	45.36	66.86	65.7	72.44	61.73	70.51	51.58
बांका	22.83	36.2	34.78	36.69	36.02	47.77	34.62	45.3	28.08
सहरसा	18.9	25.22	32.86	41.01	47.16	45.35	33.45	30.38	29.12
सुपौल	16.79	27.26	40.51	45.48	46.71	43.3	42.94	44.73	40.18
मधेपुरा	14.71	24.8	29.93	36.54	25.39	20.35	28.71	22.02	35.67
पूर्णिया	30.38	55.21	64.57	64.26	61.97	68.56	45.65	61.79	58.76
किशनगंज	20.79	36.76	44.19	51.11	46.03	54.16	40.5	57.6	42.23
अररिया	29.47	47.76	54.05	82.37	53.92	60.22	42.71	54.5	48.84
कटिहार	31.62	48.62	45.51	53.03	49.92	60.84	41.77	52.78	38.04
बिहार	**1402.83**	**1847.44**	**2231.79**	**2514.76**	**2471.35**	**2814.83**	**2524.66**	**2666.65**	**1955.62**

स्रोत : राज्यस्तरीय बैंकर समिति

अध्याय - 11

मानव विकास

शरीर को सुस्वस्थ रखना एक कर्तव्य है। ... अन्यथा, हम अपना मस्तिष्क मजबत और साफ नहीं रख पाएंगे।

- गौतम बुद्ध

सारांश

बिहार में आर्थिक विकास की मुख्य विशेषता स्वास्थ्य, शिक्षा, समाज कल्याण और सामाजिक सुरक्षा जैसे सामाजिक सूचकों का विकास है। पिछले आठ वर्षों में बिहार का प्रति व्यक्ति विकास व्यय 14.2 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है जबकि राष्टोय औसत 13.3 प्रतिशत है। साथ ही, राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य पर व्यय में भी क्रमश: 13.8 प्रतिशत और 20.8 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि दर दर्ज हुई है। परिणाम (शिशु मृत्यु दर), प्रक्रिया (संस्थागत प्रसव) और लागत (अधिसंरचना) जैसे विकास संबंधी तीन महत्वपूर्ण सूचकों के मामले में राज्य में स्वास्थ्य क्षेत्र का मिला-जुला रिस्पांस रहा है। जहां शिशु मृत्यु दर और संस्थागत प्रसव के मामले में सुधार हुआ है, वहीं राज्य सरकार राष्टोय स्वास्थ्य मिशन जैसे सशक्त संस्थागत तंत्रों के साथ स्वास्थ्य अधिसंरचना और व्यय को बढ़ावा देने के लिए उत्सुक है। साक्षरता दर में ऊपर जाने का और साक्षरता में लैंगिक अंतराल में गिरावट का रुझान है जो एक सकारात्मक संकेत है। प्राथमिक शिक्षा में छीजन दर में 15.5 प्रतिशत अंकों की और उच्च प्राथमिक स्तर पर 6.9 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है। सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता चिंता की बात है। अनुसूचित जातियों और जनजातियों, अल्पसंख्यकों तथा महिला समुदायों के कल्याण को राज्य के कल्याण कार्यक्रम में उच्च प्राथमिकता दी गई है। राज्य सरकार के सामाजिक सुरक्षा के उपायों से वंचित समुदायों के कल्याण में ही सुधार नहीं हुआ है, उनमें आत्मविश्वास का भी संचार हुआ है। बिहार में सामाजिक सुरक्षा पर व्यय में लगातार वृद्धि हुई है।

मानव विकास एक व्यापक अवधारणा है।इसका मकसद ऐसा वातावरण निर्मित करता है जिसमें लोग अपनी पूरी क्षमता विकसित कर सकें और अपनी जरूरतों तथा रुचियों के अनुरूप अपनी पूरी क्षमता विकसित कर सकें तथा उत्पादक जीवन जी सकें। कभी-कभी विश्वास किया जाता है कि मानव विकास आधुनिकीकरण, अवकाश, आराम और संपन्नता से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन यह मानव विकास का आंशिक और एकपक्षीय नजरिया है। व्यापक परिप्रेक्ष्य में मानव विकास में अनेक अन्य घटक शामिल होते हैं। तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में मानव विकास के विभिन्न आयामों की उपलब्धता के लिए लोक नीति सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। मानव विकास की संकल्पना आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और नागरिक स्थितियों - सारे क्षेत्रों पर विचार करते हुए मानवों के संपूर्ण विकास पर प्रकाश डालतो हैं। सिफ आर्थिक विकास पर ध्यान रखना किसी देश के लिए खराब मानव विकास का कारण बन सकता है। वर्तमान अध्याय में बिहार में जिन आयामों के जरिए सामाजिक क्षेत्र के विकासों का विस्तृत अवलोकन प्रस्तुत किया गया है वे हैं - स्वास्थ्य, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा, समाज कल्याण, महिला सशक्तीकरण, और बुजुर्गों तथा नि:शक्तों की सामाजिक सुरक्षा।

तालिका 11.1 : शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सेवाओं पर व्यय का रुझान (2011-12 से 2018-19)

वर्ष	सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय (करोड़ रु.)		शिक्षा पर व्यय (करोड़ रु.)		स्वास्थ्य पर व्यय (करोड़ रु.)	
	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार
2011-12	459980	19536	2206481	10214	566091	2125
2012-13	528655	24438	2511692	14445	663010	2398
2013-14	600231	28253	2808649	15047	744040	2574
2014-15	696207	33386	3241872	16531	965343	3604
2015-16	809664	38684	3600846	19155	1100772	4571
2016-17	919225	44329	3986071	20226	1251891	5493
2017-18	1006168	50028	4379330	24833	1463826	6182
2018-19	1297167	62346	5317587	28080	1817136	7318
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	15.2	17.0	12.8	13.8	17.9	20.8
वर्ष	कुल व्यय (करोड़ रु.)		कुल व्यय में सामाजिक सेवाओं पर व्यय का प्रतिशत हिस्सा		सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)	
	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार	सभी राज्य	बिहार
2011-12	1245816	60182	36.9	32.5	3801	1878
2012-13	1424883	69207	37.1	35.3	4296	2292
2013-14	1600303	80405	37.5	35.1	4796	2586
2014-15	1909198	94698	36.5	35.3	5470	2981
2015-16	2171650	112328	37.3	34.4	6255	3370
2016-17	2479080	126302	37.1	35.1	6983	3767
2017-18	3027178	136427	33.2	36.7	7516	4148
2018-19	3785236	153185	34.3	42.7	9524	5043
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	16.7	14.6	–	–	13.3	14.2

टिप्पणी : (1) सभी राज्यों के आंकड़ों में राजस्व और पूंजीगत व्यय शामिल हैं।

(2) वर्ष 2018-19 में सभी राज्यों के पुनरीक्षित अनुमान के आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

स्रोत : स्टेट फिनांसेज, ए स्टडी ऑफ बजट्स, भारतीय रिजर्व बैंक तथा बिहार सरकार के बजट दस्तावेज

चार्ट 11.1 : सामाजिक सेवाओं पर प्रति व्यक्ति व्यय का रुझान

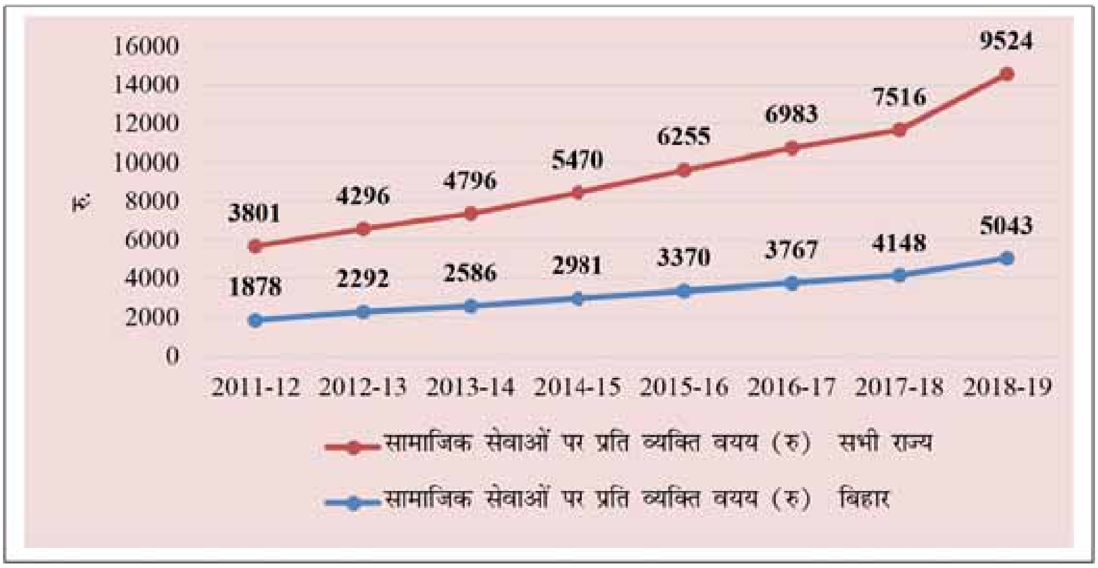

विगत आठ वर्षों में (2011-12 से 2018-19 तक) बिहार की अर्थव्यवस्था में वर्तमान मूल्य पर 11.8 प्रतिशत की स्थिर वार्षिक वृद्धि दर दिखी है। इसके चलते राज्य में मानव विकास की भी, खास कर मानव विकास के दो सबसे महत्वपूर्ण घटकों - शिक्षा और स्वास्थ्य की अच्छी प्रगति होती रही है। बिहार में विगत आठ वर्षों में प्रति व्यक्ति विकास व्यय (पीसीडीई) में 14.2 प्रतिशत की दर से वृद्धि होती रहो है जबकि राष्टोय औसत 13.3 प्रतिशत ही रही है। यह भी प्रशंसनीय है कि राज्य में शिक्षा पर व्यय 13.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है और यह भी संपूर्ण भारत के औसत (12.8 प्रतिशत) से अधिक है। रकम के रूप में देखें, तो बिहार में शिक्षा पर व्यय 2011-12 में 10,124 करोड़ रु. था जो 2018-19 में बढ़कर 28,080 करोड़ रु. हो गया। इसी तरह, स्वास्थ्य पर व्यय भी 2011-12 के 2125 करोड़ रु. से 20.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2018-19 में 7318 करोड़ रु. हो गया। यह संपूर्ण भारत के औसत से 3.0 प्रतिशत अंक अधिक था (तालिका 11.1)।

11.1 जनसांख्यिक परिदृश्य

वर्ष 2011 में बिहार की जनसंख्या 10.41 करोड़ थी और कुल 121.06 करोड़ जनसंख्या वाले भारत का यह तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। देश की कुल जनसंख्या में बिहार का 8.6 प्रतिशत हिस्सा है। अनुमान है कि 2019 में राज्य की जनसंख्या 12.48 करोड़ हो गई होगी। देश की जनसंख्या वृद्धि हाल के दशकों में घटती गई है जिसकी वार्षिक वृद्धि दर 1981-91 के दशक में 2.2 प्रतिशत थी लेकिन 2011-19 के दशक में 1.1 प्रतिशत ही रह जाना अनुमानित है। इसी प्रकार, बिहार में भी जनसंख्या की वृद्धि दर घट रही है और 1991-2001 की 2.5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर घटकर 2011-19 में 1.8 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है (चार्ट 11.2)। जनसंख्या वृद्धि दर में 1980 के दशक से गिरावट के पीछे महत्वपूर्ण कारक भारत और बिहार, दोनो में कुल प्रजनन दर में गिरावट है। गौरतलब है कि पूरे समय में लगातार गिरावट आती गई है। बिहार में कुल प्रजनन दर 1981 से 5.7 से घटकर 2017 में 3.2 बच्चे प्रति महिला रह गई और इस प्रकार 2.5 बच्चे प्रति महिला की गिरावट आई। भारत के मामले में यह 1981 के 4.5 से घटकर 2017 में 2.2 बच्चे प्रति महिला रह गई।

चार्ट 11.2 : भारत और बिहार में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत)

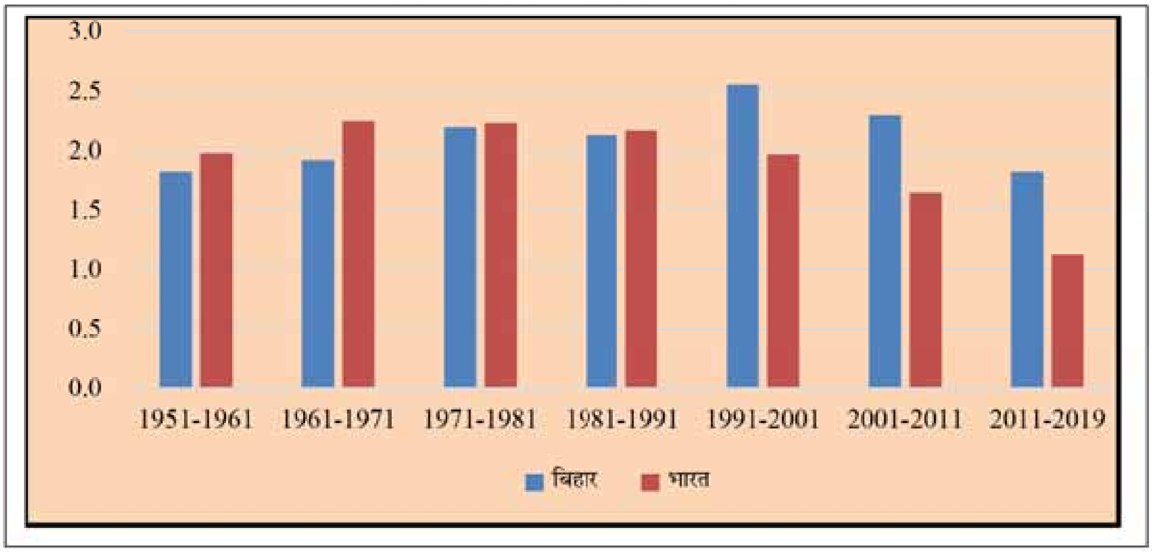

टिप्पणी : 2011-19 के आंकड़े भारत के आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19 में दी गई जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर पर आधारित हैं

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार में बिहार का जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी था जो भारत के जनसंख्या घनत्व (382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी) का तिगुना है। लिंग अनुपात की बात करें, तो यह बिहार में 918 है जो संपूर्ण भारत के 943 से कम है। लेकिन बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 है जो राष्टोय औसत (919) से अधिक है। संपूर्ण भारत के 31.2 प्रतिशत की तुलना में बिहार में शहरीकरण अत्यंत कम – मात्र 11. 3 प्रतिशत है। राज्य के 38 में से 26 जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक लोग गांवों में रहते हैं जिससे देश के प्रमुख राज्यों के बीच बिहार सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य है। गौरतलब है कि बिहार में शहरीकरण की दशकीय वृद्धि दर मात्र 0.8 प्रतिशत रही है जो संपूर्ण भारत के 3.4 प्रतिशत से काफी कम है। वहीं, 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर बिहार में 25.1 प्रतिशत थी जबकि संपूर्ण भारत में 17.6 प्रतिशत (तालिका 11.2)।

वर्ष 2001 और 2011 के बीच बिहार में शहरों की संख्या 130 से बढ़कर 199 हो गई जो 53.1 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है (तालिका 11.2 का निचला हिस्सा)। संपूर्ण भारत के मामले में शहरों की वृद्धि भी समान (53.7 प्रतिशत) ही थी जो 5161 से बढ़कर 7935 हो गई। दुखद बात यह है कि 2001 से 2011 के बीच 45,098 गांवों में से 6025 गांव ही शहरी क्षेत्रों में बदल पाए।

तालिका 11.2 : बिहार और भारत की जनसांख्यिक विवरणी और प्रशासनिक ढांचा (2001 और 2011)

	बिहार		भारत	
	2001	2011	2001	2011
जनसांख्यिक सूचक				
जनसंख्या (करोड़)				
कुल	8.29	10.41	102.87	121.06
ग्रामीण	7.43	9.23	74.25	83.37
शहरी	0.87	1.18	28.61	37.71
लिंग अनुपात (महिला प्रति 1000 पुरुष)	919	918	933	943
बाल लिंग अनुपात	942	935	927	919
घनत्व (व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	880	1106	325	382
शहरीकरण (प्रतिशत)	10.5	11.3	27.8	31.2
दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत)	28.6	25.1	21.5	17.6
प्रशासनिक ढांचा				
जिलों की संख्या	37	38	593	640
सामुदायिक विकास प्रखंडों की संख्या	533	534	5463	5924
शहरों (वैधानिक/ जनगणना) की संख्या	130	199	5161	7935
गांवों की संख्या	45098	39073	638596	597369

स्रोत : 2001 और 2011 की जनगणना

जनसांख्यिक विशेषताओं के मामलों में जिलों के बीच अंतर तालिका प 11.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है जिसमें जनसंख्या, समग्र लिंग अनुपात, बाल लिंग अनुपात, जनसंख्या घनत्व, दशकीय वृद्धि दर और शहरीकरण संबधी आंकड़े दिए गए हैं। जनसंख्या घनत्व की बात करें, तो बिहार के 38 में से 20 जिलों में जनसंख्या घनत्व 1100 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी से अधिक है। पटना राज्य का दूसरा सबसे घना बसा जिला है जहां का जनसंख्या घनत्व 1803 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। जनसंख्या घनत्व के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है जो सर्वाधिक 1882 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी शिवहर में है तो सबसे कम 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी कैमूर में। जैसा कि ऊपर वर्णित है, राज्य के 26 जिलों में 90 प्रतिशत से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है जिससे राज्य में सबसे कम शहरीकरण है। सबसे कम 3.5 प्रतिशत शहरीकरण समस्तीपुर और बांका जिलों में है और सर्वाधिक 43.1 प्रतिशत पटना जिले में। जिलों में लिंग अनुपात सर्वाधिक 1021 गोपालगंज में है तो 8 जिलों में 900 से भी कम है। यहां देखा जा सकता है कि पटना आर मुंगेर राज्य के सर्वाधिक शहरीकृत जिले हैं जिनमें लिंग अनुपात अपेक्षाकृत कम है। बिहार में बाल लिंग अनुपात 935 है जो राष्टोय औसत (919) से अधिक है। जिलों के बीच इस मामले में कम अंतर है जो सर्वाधिक 971 और सबसे कम 904 है। वर्ष 2001 और 2011 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर अरवल के 18.9 प्रतिशत से मधेपुरा के 31.1 प्रतिशत के बीच रही है। और यह भी गौरतलब है कि जनसंख्या के लिहाज से सबसे बड़ा जिला पटना है जिसकी 58.4 लाख आबादी का राज्य की कुल जनसंख्या में 5.6 प्रतिशत हिस्सा है। दूसरी ओर, 6.4 लाख आबादी वाला शेखपुरा सबसे छोटा जिला है जिसका राज्य की कुल आबादी में मात्र 0.6 प्रतिशत हिस्सा है। ऊपर भी कहा गया है कि हाल के वर्षो में राज्य सरकार द्वारा उठाए गए अनेक कदमों के कारण राज्य में प्रजनन दर घट रही है और आशा की जा सकती है कि 2021 में होने वाली जनगणना में उसका प्रभाव दिखेगा।

जिलों के जनसंख्या अनुमान

बिहार बड़ी आबादी वाला राज्य है और यहां जनसंख्या के मामले में जो होता है उसका देश की आबादी पर अच्छा-खासा असर पड़ता है। अत: देश के साथ-साथ राज्य के लिए भी जनसंख्या का अनुमान महत्वपूर्ण है। जिलावार नीतियों के निर्माण के लिए भी उनकी जनसंख्या के बारे में जानना प्रासंगिक होता है। लेकिन जिलों की जनसंख्या के बारे में कोई तात्कालिक अनुमान (प्रोजेक्शन) उपलब्ध नहीं है। इन बातों को ध्यान में रखकर वर्तमान सर्वेक्षण में राज्य के जिलों के स्तर पर 2011 से 2041 तक के लिए भावी जनसंख्या का अनुमान करने का प्रयास किया गया है। बिहार के लिए ये अनुमान भारतीय आर्थिक सर्वेक्षण, 2018-19 में अनुमानित वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दरों पर आधारित हैं। बिहार की जनसंख्या 2011 के 10.41 करोड़ से 1.82 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2021 में 12.30 करोड़, 1.34 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2031 में 13.95 करोड़ और 1.00 प्रतिशत की दर से बढ़कर 2041 में 15.34 करोड़ हो जाने का अनुमान है। ये अनुमान दर्शाते हैं कि बिहार की जनसंख्या तीस वर्षों में 47 प्रतिशत बढ़ जाएगी (तालिका 11.3)। जहां कुछ विकसित राज्य जनसंख्या में कमीकी आशा कर रहे हैं, वहीं बिहार में इतनी वृद्धि चिंता की बात है। वर्ष 2021, 2031 और 2041 में जिलावार अनुमानित जनसंख्या तालिका प11.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। तालिका से यह बात बिल्कुल साफ होती है कि उत्तर बिहार के जिलों में दक्षिण बिहार की अपेक्षा जनसंख्या अधिक बढ़ेगी।

चार्ट 11.3 : बिहार की जनसंख्या (1991 से 2041) (लाख में)

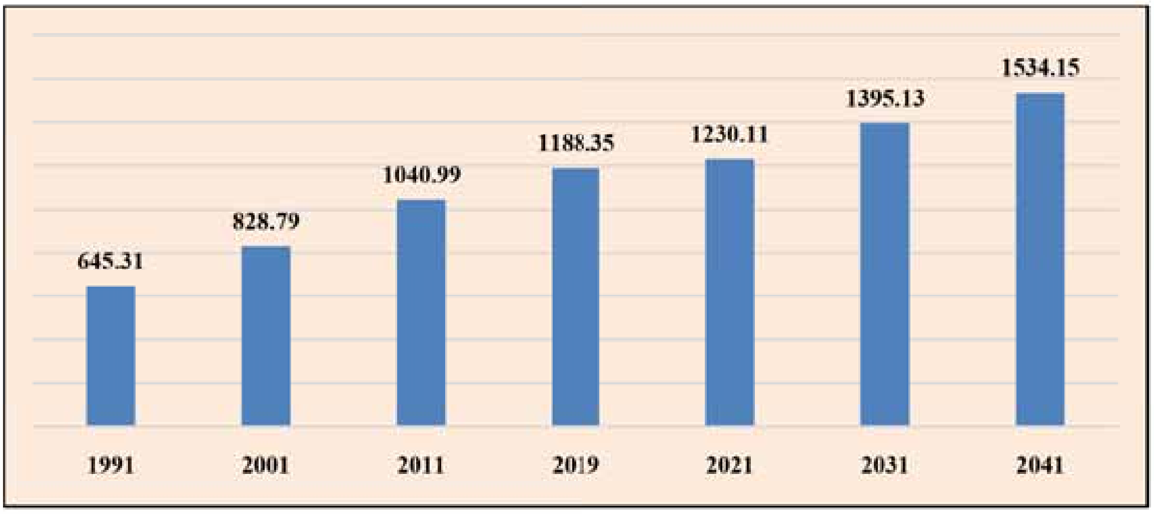

टिप्पणी : यह अनुमान भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अंकों पर आधारित है

कुल प्रजनन दर

कुल प्रजनन दर का आशय किसी प्रजनन उम्र वाली महिला द्वारा अपने पूरे जीवनकाल में पैदा किए गए बच्चों की कुल संख्या से है। वर्ष 2021 से2041 तक के अनुमानित मानों के अनुसार राज्य में कुल प्रजनन दर में तेज गिरावट आ सकती है और 2041 तक प्रजनन दर 1.8 रह जा सकती है (तालिका 11.3)। यहां गौरतलब है कि प्रजनन दर का यह स्तर कुल प्रजनन दर के प्रतिस्थानी (रिप्लेसमेंट) स्तर (2.1 बच्चे) से कम है। बिहार में 2012 और उसके बाद के कुल प्रजनन दर के रुझानों पर ध्यान से देखने पर पता चलता है कि इसमें क्रमिक रूप से कमी आ रही है।

तालिका 11.3 : बिहार में कुल प्रजनन दर का अनुमान (2012-2041)

वर्ष	2012	2019	2021	2031	2041
बिहार	3.50	2.79	2.50	2.00	1.80

स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (एसआरएस), भारतीय महानिबंधक कार्यालय, भारत सरकार

तालिका प 11.3 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत कुल प्रजनन दर के जिलावार आंकड़ों से दिखता है कि हाल के दशकों में बिहार के अनेक जिलों में कुल प्रजनन दर काफी घटी है। वर्ष 2012 में पूर्व चंपारण और शिवहर (4.60), किशनगंज (4.40), सहरसा और अररिया (4.30) तथा खगड़िया (4.20) जैसे जिलों में प्रजनन दर काफी अधिक थी। शेष जिलों में प्रजनन दरें 2.60 से 4.00 के बीच थी। सबसे कम 2.60 बच्चे प्रति महिला के साथ सबसे कम प्रजनन दर वाला जिला पटना था और उसके बाद लखीसराय (3.00), गया (3.00) और भोजपुर (3.00)। वहीं 2041 तक उच्च प्रजनन दर वाले जिलों के कुल प्रजनन दरों में काफी कमी आ जाएगी। कुल प्रजनन दर पूर्व चंपारण और शिवहर में 2.37, किशनगंज में 2.26, सहरसा और अररिया में 2.21, और खगड़िया में 2.16 रह जाने का अनुमान है। इसके अलावा, 2041 में निम्न प्रजनन दर वाले जिलों की कुल प्रजनन दर और भी घट जाएगी जो पटना 1.34, लखीसराय, गया और भोजपुर में 1.54 और जमुई तथा औरंगाबाद में 1.59 रह जाने का अनुमान है।

आयु संरचना

ऐतिहासिक रूप से निम्न प्रजनन दर और बढ़े जीवनकाल का यह अर्थ है कि आबादी बूढ़ी हो रही है। तालिका 11.4 में देखा जा सकता है कि बिहार में युवा (0-19 वर्ष की) आबादी का हिस्सा घटने लगा है और 2011 के 49.2 प्रतिशत से 2041 में 30.1 प्रतिशत रह जाने का अनुमान है। दूसरी ओर, बुजुर्ग (60 वर्ष और अधिक उम्र की) आबादी का हिस्सा आने वाले दशकों में बढ़ने का अनुमान है लेकिन कम हद तक। बुजुर्ग आबादी का हिस्सा 2011 के 7.8 प्रतिशत से 2041 में 11.6 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है जो महज 3.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि है। साथ ही, बिहार में कार्यशील उम्र समूह (20-59 वर्ष) वाली आबादी 2041 में 58.3 प्रतिशत पहुंच जाने का अनुमान है। इस प्रकार, 'जनसांख्यिक लाभांश' प्राप्त होने से बिहार में आने वाली स्थिति बिहार में आर्थिक विकास के अधिक अवसर देने वाली हो सकती है। बिहार में कार्यशील उम्र समूह की आबादी का प्रतिशत लगातार बढ़ते हुए 2011 के 43.0 प्रतिशत से 2021 में 48.9 प्रतिशत, 2031 में 55.8 प्रतिशत और 2041 में 58.3 प्रतिशत हो जाने का अनुमान है (तालिका 11.4)। आबादी की आयु संरचना में अंतर बिहार के विभिन्न जिलों में भो देखा जा सकता है (तालिका प 11.4 और 11.5) (सांख्यिकीय परिशिष्ट)।

तालिका 11.4 : बिहार में आयु संरचना के अनुसार जनसंख्या (2011 से 2041)

आयु संरचना	अनुमान के वर्ष	जनसंख्या	
		लाख	प्रतिशत हिस्सा
0-19 वर्ष	2011	511.9	49.2
	2021	535.0	43.5
	2031	489.0	35.1
	2041	462.0	30.1
20-59 वर्ष	2011	447.9	43.0
	2021	601.1	48.9
	2031	779.1	55.8
	2041	894.1	58.3
60 वर्ष और उससे अधिक	2011	81.1	7.8
	2021	94.0	7.6
	2031	127.0	9.1
	2041	178.0	11.6

टिप्पणी : यह अनुमान भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अंकों पर आधारित है

11.2 स्वास्थ्य परिदृश्य

स्वास्थ्य किसी व्यक्ति की खैरियत की स्थिति निर्धारित करने का एक अपरिहार्य आधार है। जन स्वास्थ्य हर समाज में लोक नीति संबंधी विमर्श का खास तौर पर मुख्य मुद्दा है। स्वास्थ्य देखरेख में इलाज संबंधी देखरेख ही नहीं, रोगों से बचाव संबंधी देखरेख भी शामिल होती है। और इसे अकेले सरकारी क्षेत्र द्वारा की जा रही देखरेख या सार्वजनिक व्यय से उसके वित्तोयन तक ही सीमित नहीं किया जा सकता है। उसमें निजी क्षेत्र द्वारा

उपलब्ध कराई जा रही देखरेख को भी शामिल किया जाना चाहिए। स्वास्थ्य देखरेख के आवश्यक केंद्र में होने के नाते इसे व्यापक रूप से सार्वजनिक चीज माना जाता है। इसकी मांग और आपूर्ति का निणय बाजार द्वारा नहीं किया जा सकता है और इसीलिए इसे बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता है। स्वास्थ्य की उचित देखरेख के चार मुख्य मापदंड हैं - (1) सर्वव्यापी पहुंच, (2) वित्तोय व्यय का उचित वितरण, (3) सक्षमता और उत्तरदायित्व के लिए प्रशिक्षण देना, तथा (4) बच्चों, महिलाओं, निःशक्तों और बुजुर्गों जैसे असुरक्षित समूहों पर विशेष ध्यान। इन बातों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में राज्य मं प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक - सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाओं की अधिसंरचना और जनशक्ति, दोनो को सुदृढ़ किया है। बेहतर अधिसंरचना, दवाओं की आसान उपलब्धता, और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए मानव संसाधनों का विस्तार- सभी के कारण लोक स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ है। इसका श्रेय स्वास्थ्य पर बढ़े व्यय के साथ-साथ स्वास्थ्य सेवाओं के लगातार अनुश्रवण को दिया जा सकता है।

स्वास्थ्य क्षेत्र को मृत्यु दर में कमी, भौतिक अधिसंरचना में सुधार, स्वास्थ्य बीमा देने की जरूरत, प्रशिक्षित चिकित्सा-कर्मियों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आदि ढर सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में जीर्ण रोगों समेत संचारी और असंचारी, दोनो तरह के रोगों में वृद्धि हुई है। पोलियोमाइलाइटिस, कुष्ठ, और नवजात को टेटनस जैसी बीमारियां शीघ्र ही खत्म हो जाएंगी, लेकिन कुछ संक्रामक रोगों ने वर्तमान दवाओं के मामले में हठपूर्ण प्रतिरोध विकसित करके जबर्दस्त वापसी की है। साथ ही, बुजुर्ग आबादी के बढ़ने से बिहार की स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली और सेवाओं पर काफी बोझ पड़ेगा। राज्य में स्वास्थ्य देखरेख सेवाएं मुख्यत: प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर आधारित हैं जिसमें सबके लिए स्वस्थ स्थिति हासिल करने की उम्मीद की गई है। समावेशी प्रकृति की होने से इसका लक्ष्य रोगरक्षी, रोगशामक और पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराना भी है। इस खंड में स्वास्थ्य देखरेख के इन सारे पक्षों पर चर्चा होगी।

स्वास्थ्य संबंधी चुनिंदा सूचक

राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कुछ परिणाममूलक कदमों के कारण हाल के वर्षों में स्वास्थ्य संबंधी परिणामों में काफी प्रगति हुई है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (एलईबी) का आशय मृत्यु संबंधी वर्तमान स्थिति के तहत किसी नवजात के जीवित रहने के औसत वर्षों से है। यह पर्याप्त पोषण, अच्छा स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य मूल्यवान उपलब्धियों जैसे अनेक आयामों के लिए एक परोक्ष पैमाना होता है। तालिका 11.5 में 2006-10 और 2013-17 के लिए भारत और बिहार में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के मान दर्शाए गए हैं। बिहार में 2013-17 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों के लिए 69.2 और महिलाओं के लिए 68.8 वर्ष रही है। जन्मकालीन जीवन संभाव्यता में 2006-10 की तुलना में पुरुषों के लिए 3.7 वर्षों की और महिलाओं के लिए 2.4 वर्षों की वृद्धि हुई है। वहीं, 2006-10 की अपेक्षा 2013-17 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता ग्रामीण क्षेत्रों में 2.1 वर्ष और शहरी क्षेत्रों में 4.5 वर्ष बढ़ी है। यहां गौरतलब है कि इन 7 वर्षों में भारत और बिहार के बीच जन्मकालीन जीवन संभाव्यता के मामले में फासला 2006-10 में 0.3 वर्ष था जो 2013-17 में घटकर 0.1 वर्ष रह गया है। संपूर्ण भारत के स्तर पर 2006-10 की अपेक्षा 2013-17 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों के लिए 3.2 वर्ष और महिलाओं के लिए 2.7 वर्ष बढ़ी है। इसी प्रकार, 2006-10 की अपेक्षा 2013-17 में जन्मकालीन

जीवन संभाव्यता ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 3.6 वर्ष और शहरी क्षेत्रों के लिए 2.1 वर्ष बढ़ी है। बिहार में 2013-17 में जन्मकालीन जीवन संभाव्यता पुरुषों के लिए 69.2 वर्ष थी जो महिलाओं की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (68.6 वर्ष) से लगभग 0.6 वर्ष अधिक है। इसके विपरीत संपूर्ण भारत के स्तर पर महिलाओं की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता 70.4 वष थी जो पुरुषों की जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (67.8 वर्ष) से अधिक थी।

तालिका 11.5 : जन्मकालीन जीवन संभाव्यता (2006-10 एवं 2013-17)

राज्य/ भारत	2006-10			2013-17		
	पुरुष	महिला	सभी	पुरुष	महिला	सभी
बिहार	65.5	66.2	65.8	69.2	68.6	68.9
भारत	64.6	67.7	66.1	67.8	70.4	69.0
राज्य/ भारत	ग्रामीण	शहरी	सभी	ग्रामीण	शहरी	सभी
बिहार	65.6	67.9	65.8	67.7	72.4	68.9
भारत	64.9	69.6	66.1	68.5	71.7	69.0

स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (एसआरएस), भारतीय महानिबंधक कार्यालय, भारत सरकार

स्वास्थ्य संबंधी कुछ अन्य सूचकों के तुलनीय आंकड़े भी मौजूद हैं। वे हैं - अशोधित जन्म दर (सीबीआर), शिशु मृत्यु दर (आइएमआर), बाल मृत्यु दर (सीएमआर), 5 वर्ष के पूर्व मृत्यु दर (यू5एमआर), नवजात मृत्यु दर (एनएमआर), जन्मकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) और कुल प्रजनन दर (टीएफआर)। तालिका 11.6 में इन सूचकों के लिए बिहार और भारत, दोनो के 2013 से 2017 तक के प्रासंगिक आंकड़े प्रस्तुत हैं। अशोधित जन्म दर के मामले में बिहार के आंकड़े लगातार ऊंचे रहे हैं। वर्ष 2017 में बिहार का आंकड़ा 26.4 और भारत का आंकड़ा 20.2 था जिसके कारण दोनो के बीच 6.2 अंकों का फासला था। बिहार में जनसंख्या की उच्च वृद्धि दर को लगातार ऊंची जन्म दर और अपेक्षाकृत तेजी से घटती मृत्यु दर का परिणाम कहा जा सकता है। शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म लेने वाले बच्चों में से एक वर्ष पूरा करने के पहले मृत बच्चों की संख्या को सूचित करती है। यह आबादी की स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति का एक अन्य विश्वसनीय सूचक है। सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में चौबीसो घंटे प्रसव सुनिश्चित करने के जरिए राज्य सरकार के समवेत प्रयासों क कारण बिहार में शिशु मृत्यु दर काफी घटी है। वर्ष 2017 में बिहार में शिशु मृत्यु दर ग्रामीण क्षेत्र के लिए36, शहरी क्षेत्र के लिए 31 और पूरे राज्य के लिए 35 थी। इस प्रकार गंभीर आर्थिक और सामाजिक प्रतिकूलताओं के बावजूद बिहार में स्थिति राष्टोय औसत के बहुत नजदीक थी। बाल मत्यु दर के मामले में भी राज्य में गिरावट आई जो 2013 के 11 से 2017 में 9 रह गई। संपूर्ण भारत के स्तर पर भी बाल मृत्यु दर 2013 के 11 से 2017 में 9 रह गई। यह सचमुच प्रशंसनीय है। वहीं कुल प्रजनन दर के बारे में तुलना करने पर दिखता है कि बिहार में यह 2013 मं 3.4 बच्चे प्रति महिला थी जो 2017 में 0.2 बच्चे प्रति महिला घटकर 3.2 बच्चे प्रति महिला रह गई। लेकिन पूरी अवधि में संपूर्ण भारत के स्तर पर कुल प्रजनन दर बिहार की अपेक्षा काफी कम थी लेकिन इस अवधि में उसमें अपेक्षाकृत कम कमी आई और वह 2013 के 2.3 से घटकर 2017 में 2.2 रह गई।

तालिका 11.6 : बिहार और भारत के स्वास्थ्य संबंधी चुनिंदा सूचक (2013-2017)

वर्ष	सूचक	अशोधित जन्म दर	शिशु मृत्यु दर	बाल मृत्यु दर	5 वर्ष से पूर्व मृत्यु की दर	नवजात मृत्यु दर	जन्मकालीन मृत्यु दर	कुल प्रजनन दर
				भारत				
2017	समस्त	20.2	33.0	9.0	37.0	23.0	23.0	2.2
	ग्रामीण	21.8	37.0	10.0	42.0	27.0	26.0	2.4
	शहरी	16.8	23.0	6.0	25.0	14.0	15.0	1.7
2016	समस्त	20.4	34.0	9.4	39.0	24.0	23.0	2.3
	ग्रामीण	22.1	38.0	10.7	43.0	27.0	26.0	2.5
	शहरी	17.0	23.0	6.0	25.0	14.0	14.0	1.8
2015	समस्त	20.8	37.0	10.0	43.0	25.0	23.0	2.3
	ग्रामीण	22.4	41.0	12.0	48.0	29.0	26.0	2.5
	शहरी	17.3	25.0	7.0	28.0	15.0	15.0	1.8
2014	समस्त	21.0	39.0	11.0	45.0	26.0	24.0	2.3
	ग्रामीण	22.7	43.0	12.0	51.0	30.0	27.0	2.5
	शहरी	17.4	26.0	6.0	28.0	15.0	15.0	1.8
2013	समस्त	21.4	40.0	11.0	49.0	28.0	26.0	2.3
	ग्रामीण	22.9	44.0	12.0	55.0	31.0	28.0	2.5
	शहरी	17.3	27.0	6.0	29.0	15.0	16.0	1.8
				बिहार				
2017	समस्त	26.4	35.0	9.0	41.0	28.0	24.0	3.2
	ग्रामीण	27.2	36.0	9.0	42.0	29.0	25.0	3.3
	शहरी	20.9	31.0	8.0	34.0	21.0	16.0	2.4
2016	समस्त	26.8	38.0	9.8	43.0	27.0	24.0	3.3
	ग्रामीण	27.7	39.0	10.0	44.0	28.0	25.0	3.4
	शहरी	21.1	29.0	8.0	34.0	17.0	13.0	2.5
2015	समस्त	26.3	42.0	12.0	48.0	28.0	24.0	3.2
	ग्रामीण	27.1	42.0	12.0	48.0	29.0	24.0	3.3
	शहरी	20.6	44.0	11.0	47.0	20.0	20.0	2.5
2014	समस्त	25.9	42.0	12.0	53.0	27.0	22.0	3.2
	ग्रामीण	26.9	43.0	13.0	54.0	29.0	24.0	3.3
	शहरी	19.9	37.0	9.0	43.0	13.0	9.0	2.4
2013	समस्त	27.6	42.0	11.0	54.0	28.0	23.0	3.4
	ग्रामीण	28.3	42.0	12.0	56.0	29.0	25.0	3.5
	शहरी	21.5	33.0	8.0	37.0	11.0	7.0	2.5

स्रोत : प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली (एसआरएस), भारतीय महानिबंधक कार्यालय, भारत सरकार

स्वास्थ्य अधिसंरचना

बिहार देश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और सबसे गरीब राज्य भी है। गरीबी, जनसंख्या के बोझ और जलवायु संबंधी कारकों के संयुक्त प्रभाववश बिहार की आबादी रोगों के लिहाज से गंभीर रूप से असुरक्षित है। ऐसी आबादी को पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए सशक्त स्वास्थ्य अधिसंरचना होना निहायत जरूरी है। किसी राज्य की समग्र स्वास्थ्य अधिसंरचना को कुशल श्रमशक्ति, लोक स्वास्थ्य संस्थाएं, संसाधन, समेकित इलक्टॉनिक सूचना प्रणालियां और अनुसंधान में वर्गीकृत किया जा सकता है। सभी स्तरों पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने में लोक स्वास्थ्य अधिसंरचना की मूल भूमिका होती है। राज्य में जनसंख्या संबंधी मानकों के आधार पर तृस्तरीय लोक स्वास्थ्य अधिसंरचना विकसित की गई है। स्वास्थ्य देखरेख अधिसंरचना में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक देखरेख - तीन स्तर होते हैं। प्राथमिक स्तर की स्वास्थ्य देखरेख में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी), प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), उप-केंद्र और अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (एपीएचसी) शामिल हैं। अनुमंडल अस्पताल द्वितीयक स्वास्थ्य देखरेख प्रणाली के तहत आते हैं और जिला अस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज तृतीयक स्तर की स्वास्थ्य देखरेख के तहत आते हैं।

अपनी कम आय के कारण बिहार के अधिकांश लोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर निर्भर हैं। राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाओं के कामकाज में सुधार के लिए राज्य सरकार ने हाल के वर्षों में कई कदम उठाए हैं जिसके चलते हर महीने सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की संख्या काफी बढ़ी है (तालिका 11.7)। वर्ष 2015 में सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या 9927 ही थी जो 2017 में 10,446 हो गई। यह रोगियों के अस्पताल पहुंचने में गत वर्ष की अपेक्षा 1.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाती है। हालांकि 2018 और 2019 के पहले नौ महीनों में इसमें गिरावट आई लेकिन यह गिरावट बहुत मामूली थी। इतनी बड़ी संख्या में रोगियों के अस्पताल पहुंचने का कारण मुफ्त में दवा देने का प्रावधान और गुणवत्तापूर्ण देखरेख है। राज्य सरकार लोगों में स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित कर रही है।

तालिका 11.7 : सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की औसत मासिक संख्या (2015-2019)

वर्ष	2015	2016	2017	2018	2019 (सितंबर 19 तक)
सरकार अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की मासिक संख्या	9927 (5.3)	10294 (3.7)	10446 (1.5	9738 (-6.8)	9397

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े वार्षिक वृद्धि दर्शाते हैं।
स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

चार्ट 11.4 : सरकारी अस्पताल पहुंचने वाले रोगियों की मासिक संख्या

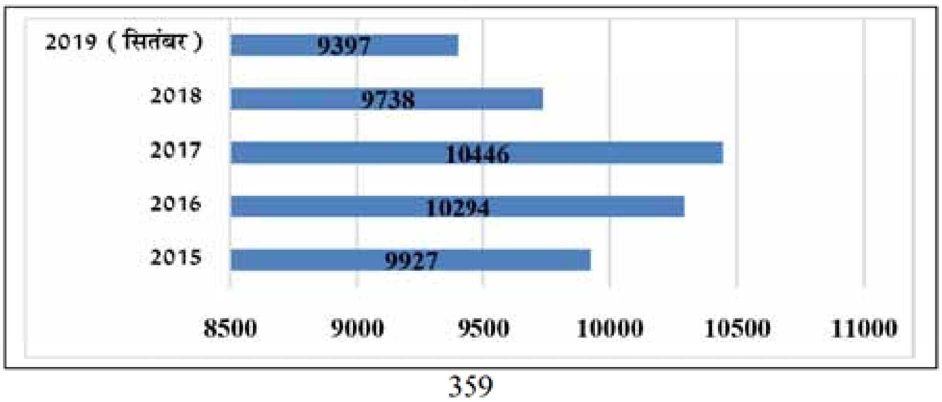

बिहार की स्वास्थ्य अधिसंरचना में जिला अस्पताल, रेफरल अस्पताल, अनुमंडल अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र होते हैं। स्वास्थ्य केंद्रों के तीन स्तर हैं - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप-केंद्र। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं की अधिसंरचना की रीढ़ हैं। उनमें बाहरी रोगियों और आउटरीच सेवाओं, दोनो के लिए व्यवस्था होती है। ये आउटरीच सेवाएं उप-केंद्रों और बहुद्देश्यीय स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा दी जाती हैं। भर्ती रोगियों को और अधिक विशेषज्ञता वाली सेवाएं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में दी जाती हैं। हर उप-केंद्र से 5,000, हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 30,000 और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स 1,00,000 की आबादी को सेवा देने की आशा की जाती है। जिला अस्पताल, मेडिकल कॉलेज अस्पताल तथा विशेषीकृत संस्थान रेफरल देखरेख उपलब्ध कराते हैं। तालिका 11.8 में राज्य में हर श्रेणी की स्वास्थ्य सेवा इकाइयों की संख्या प्रस्तुत है। पिछले आठ वर्षों में राज्य में स्वास्थ्य अधिसंरचना में विस्तार हुआ है और अभी राज्य में 37 जिला अस्पताल, 70 रेफरल अस्पताल, 55 अनुमंडल अस्पताल, 533 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, 9,949 उप-केंद्र और 1399 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मौजूद हैं। अंतिम तीन श्रेणियों वाले स्वास्थ्य केंद्रों की कुल संख्या मिलकर 11,881 हो जाती है। इस प्रकार 2019 में राज्य में प्रति दस लाख आबादी पर लगभग 114 स्वास्थ्य केंद्र हैं (तालिका 11.8)। स्वास्थ्य देखरेख सुविधाओं में मौजूद कमी की समस्या के निराकरण के लिए 533 में से 399 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 30 शय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया और उनमें से 167 अभी इस रूप में कार्यरत हैं। 70 रेफरल अस्पतालों में से 67 में वाह्य-रोगियों(ओपीडी) और भर्ती रोगियों (आइपीडी), दोनो के लिए सुविधा है जबकि शेष में सिर्फ ओपीडी की सुविधा है। इसी प्रकार, राज्य सरकार द्वारा 55 अनुमंडलीय अस्पतालों को स्वीकृति प्रदान की गई है जिनमें से 46 पूरी तरह काम कर रहे हैं और शेष 9 बेगूसराय के तेघरा और बखरी, मुंगेर के हवेली खड़गपुर, मधुबनी के बेनीपट्टी, सारण के मढ़ौरा, सीतामढ़ी के बेलसंड, वैशाली के महनार, भोजपुर के पीरो और पूर्णिया के बैसी में खोले जा रहे हैं।

तालिका 11.8 : स्वास्थ्य अधिसंरचना की समग्र स्थिति (2012-2019)

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	जिला अस्पताल	रेफरल अस्पताल	अनुमंडल अस्पताल	स्वास्थ्य केंद्र				पति 10 लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र
				प्रा. स्वा. केंद्र	उप-केंद्र	अतिरिक्त प्रा.स्वा. केंद्र	योगफल	
2012	36	70	55	533	9696	1330	11559	109
2013	36	70	55	533	9696	1330	11559	106
2014	36	70	55	533	9729	1350	11612	104
2015	36	70	55	533	9729	1350	11612	102
2016	36	70	55	533	9729	1350	11612	100
2017	36	70	55	533	9949	1366	11848	99
2018	37	70	55	533	9949	1379	11861	114
2019	37	70	*55	**533	9949	1399	11881	114

टिप्पणी : ** 399 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 शय्याओं वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रमें उत्क्रमित किएगए ह जिनमें से 239 बन गए हैं और 167 चालू हैं।

* 46 अनुमंडल अस्पताल पूरी क्षमता के साथ चालू हैं और 9 अन्य खोले जा रहे हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

चूंकि बिहार में अनेक प्रकार के सामाजिक-सांस्कृतिक समूह हैं इसलिए एक क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों में दूसरे क्षेत्र से काफी अंतर होता है। राज्य की बड़ी आबादी और रोगों के बोझ को देखते हुए लोगों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है। तालिका प 11.6 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत विभिन्न जिलों में स्वास्थ्य अधिसंरचनाओं की संख्या के आंकड़ों से स्पष्ट है कि स्वास्थ्य संस्थानों की उपलब्धता के लिहाज से जिलों के बीच में काफी विषमता मौजूद है। इसे ध्यान में रखकर प्रति लाख आबादी पर स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या के लिहाज से 3 शीर्ष जिले जमुई (179), शेखपुरा (173) और शिवहर (169) हैं। दूसरी ओर सबसे पीछे के जिले पटना (62), सीतामढ़ी (78) और दरभंगा (83) हैं।

सामान्यत: लोक स्वास्थ्य सुविधाओं की दक्षता का मूल्यांकन वाह्य-रोगियों और भर्ती रोगियों को दी जाने वाली सेवाओं के आधार पर किया जाता है। उनके प्रदर्शन में भी जिलों के बीच काफी अंतर है जो दो सूचकों से प्रकट होता है - प्रतिदिन अस्पताल पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की औसत संख्या और भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर (ऑक्यूपैंसी रेट)। वर्ष 2018-19 में अस्पताल पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की सर्वाधिक औसत दैनिक संख्या वाले शीर्ष तीन जिले मुजफ्फरपुर (515), खगड़िया (472) और दरभंगा (459) थे। दूसरी ओर, इस मामले में सबसे खराब प्रदर्शन वाले तीन जिले शिवहर (147), बक्सर (168) और जमुई (180) थे। पूरे राज्य में अस्पताल पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की औसत दैनिक संख्या में थोड़ी गिरावट आई है जो 2016-17 के 339 से घटकर 2018-19 में 311 रह गई। शय्या अधिभोग दर (ऑक्यूपैंसी रेट) और भर्ती रहने की अवधि भी किसी अस्पताल में स्वास्थ्य देखरेख के उपयोग के मूल्यांकन के लिए संवदनशील सूचक हैं। बिहार में शय्या अधिभोग दर का 2016-17 के 64 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 55 प्रतिशत रह जाना बताता है कि अपेक्षाकृत अधिक लोग निजी स्वास्थ्य देखरेख केंद्रों में जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 में जिलों में शय्या अधिभोग दर खगड़िया के 111 प्रतिशत से शिवहर के 23 प्रतिशत के बीच थी। इस वर्ष सर्वोच्च शय्या अधिभोग दर वाले तीन जिले खगड़िया (111 प्रतिशत), सहरसा (90 प्रतिशत) और मधेपुरा (88 प्रतिशत) और सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले तीन जिले शिवहर (23 प्रतिशत), नवादा (26 प्रतिशत) और अररिया/ मुजफ्फरपुर (30 प्रतिशत) थे। 5 जिलों में शय्या अधिभोग दर 80 प्रतिशत से अधिक है जो लोक स्वास्थ्य सेवाओं की उच्च मांग को दर्शाती है। तालिका प 11.7 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 - चार वर्षों के लिए अस्पताल पहुंचने वाले वाह्य-रोगियों की औसत दैनिक संख्या और भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दरें दर्शाई गई हैं।

मानव संसाधनों की अनुपलब्धता और असमान वितरण किसी क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के मामले में मुख्य चुनौती हो सकता है। बिहार में मानव संसाधनों की बात करें, तो स्वास्थ्य सेवाओं के लिए अधिसंरचना में डॉक्टर, नर्सें, एएनएम (सहायक परिचारिका सह धाई) और आशा (मान्यता-प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्यकर्मी) की मौजूदगी होती है। जनशक्ति की उपलब्धता स्वास्थ्य अधिसंरचना के कुशलतापूर्वक काम करने की पूर्वशर्त होती है। पूरे राज्य में इन कर्मियों की उपलब्धता के आंकड़े तालिका 11.9 में प्रस्तुत हैं। वहीं जिलावार आंकड़े तालिका प 11.8 से प 11.11 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। डॉक्टरों की बात करें, तो बिहार में 2018-19 में 6261 स्वीकृत पद थे लेकिन 3821 नियमित डॉक्टर ही कार्यरत थे जो 39 प्रतिशत रिक्ति अनुपात दर्शाता है। साथ ही, 2314 संविदाधीन डॉक्टरों के पद भी स्वीकृत हैं जिनमें से 533 पद ही भरे हुए हैं और यह 77 प्रतिशत का और भी अधिक रिक्ति अनुपात दर्शाता है। स्वास्थ्य देखरेख श्रम-प्रधान क्षेत्र होता है जिसमें मानव संसाधन अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन बिहार में 7 जिले (शेखपुरा, जहानाबाद, अरवल, शिवहर, नालंदा, भागलपुर और पटना) ऐसे हैं जिनमें से प्रत्येक में एक सरकारी डॉक्टर को 5 लाख से भी अधिक लोगों को सेवा देनी होती है। नियमित नर्सों की बात करें, तो उनके 4,704 स्वीकृत पद थे लेकिन

काम करने वाली नर्सों की संख्या मात्र 1994 थी जो 58 प्रतिशत का उच्च रिक्ति अनुपात दर्शाती है। इसी प्रकार, संविदाधीन नर्सों के 1719 स्वीकृत पदों में से 308 ही भरे हुए थे जो 82 प्रतिशत का उच्च रिक्ति अनुपात दर्शाते हैं। डॉक्टरों और नर्सों की स्थिति के विपरीत एएनएम और आशा कर्मियों की संख्या काफी अधिक है। वर्ष 2018-19 में नियमित एएनएम के 21,859 स्वीकृत पद थे जबकि वास्तव में 11,830 एएनएम काम कर रही थीं।यह 46 प्रतिशत रिक्ति अनुपात दर्शाता है। इसी प्रकार संविदाधीन एएनएम के 12,587 स्वीकृत पदों में से 5,889 भरे हुए थे जो 53 प्रतिशत रिक्ति अनुपात दर्शाता है। वहीं आशा कर्मियों के मामले में पाया गया कि राज्य में उनके 93 हजार स्वीकृत पद हैं जिनमें से 88 हजार भरे हुए थे जो मात्र 6 प्रतिशत रिक्ति अनुपात दर्शाता है। राज्य में अभी जिन कमियों और चुनौतियों का सामना किया जा रहा है, उनकी पहचान में स्वास्थ्य देखरेख क्षेत्र के चार खंभों (पहुंच, उपलब्धता, शक्यता और स्वीकार्यता) का विश्लेषण मददगार हो सकता है। उक्त सूचनाओं के आधार पर आसानी से महसूस किया जा सकता है कि बिहार में स्वास्थ्य प्रणाली के वर्तमान मानव संसाधन आधार के सुदृढ़ीकरण की जरूरत है। याद रखने की जरूरत है कि मानवशक्ति की अपर्याप्तता ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक है जहां परिवार नियोजन और टीकाकरण जैसी स्वास्थ्य सेवाओं की अधिक जरूरत है।

तालिका 11.9 : स्वास्थ्य कर्मियों की संख्या (2017-18 और 2018-19)

पद का नाम	नियमित			संविदाधीन		
	स्वीकृत पद	कार्यरत		स्वीकृत पद	कार्यरत	
		2017-18	2018-19		2017-18	2018-19
डॉक्टर	6261	3921	3821	2314	83	531
ग्रेड-ए नर्स	4704	1994	1994	1719	308	308
ए.एन.एम.	21859	11830	11830	12587	5889	5889
आशा	-	-	-	93687	85708	88664

स्रोत : स्वास्थ्य विभाग और राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

संस्थागत प्रसव

माताओं के स्वास्थ्य का खयाल रखना सभी लोक स्वास्थ्य सेवाओं का एक मुख्य काम होता है। वर्ष 2005 में केंद्र प्रायोजित योजना के बतौर राष्टोय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत शुरू हुई जननी सुरक्षा योजना सुरक्षित मातृत्व संबंधी एक हस्तक्षेप है। मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु में कमी लानाराष्टोय स्वास्थ्य मिशन का एक मुख्य लक्ष्य है। मिशन के आरंभ में मांग को बढ़ावा देने और सशर्त नगद हस्तांतरण करने वाली जननी सुरक्षा योजना का आरंभ मातृ मृत्यु और शिशु मृत्यु में कमी लाने के उद्दश्य से किया गया था। अपने आरंभ के बाद से इस योजना की प्रशंसा संस्थागत प्रसव में, खास कर बिहार जैसे शक्ति-प्राप्त कार्य समूह वाले राज्यों में उभार लाने वाली योजना में अत्यंत सफल योजना क बतौर की जाती है। योजना के तहत महिलाओं, खास कर निम्न सामाजिक-आर्थिक तबकों - अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और गरीबी रेखा के नीचे - के परिवारों की महिलाओं के बीच संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाता है। इसयोजना का, खास कर निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों के लिए जहां संस्थागत प्रसवों का अनुपात कम है, गरीब महिलाओं पर विशेष फोकस है। ये राज्य हैं-उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, राजस्थान, ओडिशा, और जम्मू एवं कश्मीर। इन राज्यों को निम्न प्रदर्शन वाले राज्य नाम दिया गया है जबकि अन्य उच्च प्रदर्शन वाले राज्य हैं। न्यूनतम 19 वर्ष उम्र और अधिकतम दो बच्चों के पात्रता संबंधी प्रावधान को हटा दिया गया है और अब कितनी भी उम्र और कितने भी बच्चों वाली महिलाएं इस योजना के तहत लाभ पाने की पात्र हैं। योजना राज्यों/केंद्रशासित क्षेत्रों को सरकारी

विशेषज्ञों की अनुपलब्धता वाले सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों में सिजेरियन प्रसव और प्रसव संबंधी जटिलताओं के प्रबंधन के लिए प्राइवेट विशेषज्ञों की सेवा लेने में भी सक्षम बनाती है। राज्यों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वे स्वास्थ्य देखरेख की संस्थाओं के मामले में चुनने का मौका बढ़ाने के लिए निजी स्वास्थ्य केंद्रों को भी मान्यता प्रदान करें। योजना के तहत संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए आशा कर्मियों को प्रदर्शन आधारित प्रोत्साहन राशि देने का भी प्रावधान है। निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को संस्थागत प्रसव के लिए 1,400 रु. नगद सहायता दी जाती है। साथ ही, आशा जितनी महिलाओं को प्रेरित करती हैं, उनमें से प्रत्येक के लिए उनको प्रदर्शन से जुड़ा 600 रु. शुल्क भुगतान किया जाता है जिसमें 300 रु. प्रसवपूर्व देखरेख के लिए और 300 रु. संस्थागत प्रसव में सहयोग के लिए होता है। इसी प्रकार, निम्न प्रदर्शन वाले राज्यों के शहरी क्षेत्रों में माताओं को 1,000 रु. और आंगनवाड़ी सेविका को 400 रु. (200 रु. प्रसवपूर्व देखरेख के लिए और 200 रु. संस्थागत प्रसव में सहयोग के लिए) दिए जाते हैं। आशा कर्मियों को मातृ एवं शिशु देखरेख के विभिन्न पहलुओं पर तीन सप्ताह का आरंभिक प्रशिक्षण दिया जाता है। इस योजना के तहत आशा कर्मियों का काम गर्भवती महिलाओं की पहचान करना, उन्हें कम से कम चार बार प्रसव-पूर्व देखरेख उपलब्ध कराने में सहायता देना और उन्हें संस्थागत प्रसव के लिए प्रोत्साहित करना होता है। उन्हें प्रसव के सात दिनों के अंदर जच्चा-बच्चा की प्रसवोत्तर जांच के लिए उनके पास जाना और शुरू से ही स्तनपान कराने के लिए परामर्श भी देना होता है। साथ ही,घर में ही प्रसव पसंद करने वाली बीपीएल महिलाओं को भी योजना के तहत 500 रु. दिए जाते हैं, चाहे उनकी जो भी उम्र हो और जितने भी बच्चे हों। राज्य सरकार 2013 से ही इस योजना के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) मॉडल के जरिए सहायता उपलब्ध करा रही है। आशा कर्मियों की सक्रिय भागीदारी और लाक स्वास्थ्य केंद्रों में गुणवत्तापूर्ण देखरेख के कारण बिहार में संस्थागत प्रसवों की संख्या काफी बढ़ी है।वर्ष 2014-15 और 2018-19 के बीच संस्थागत प्रसवों की संख्या के 14.94 लाख से 7.2 प्रतिशत बढ़कर 16.02 लाख हो गई।वर्ष 2019-20 में सितंबर 2019 तक 7.94 लाख संस्थागत प्रसव दर्ज किए गए (तालिका 11.10)।

तालिका 11.10 : जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों की संख्या (2014-15 से 2019-20)

वर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20(सितंबर 19 तक)
संस्थागत प्रसव (लाख)	14.94	15.33	15.45	16.37	16.02	7.94

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

चार्ट 11.5 : जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों की संख्या

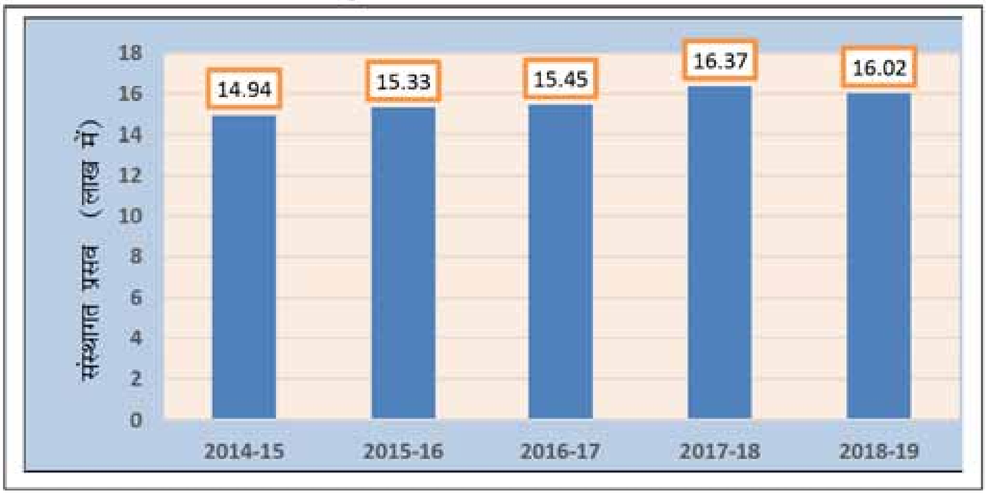

तालिका प 11.12 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में बिहार के विभिन्न जिलों में हुए संस्थागत प्रसवों की संख्या के आंकड़े प्रस्तुत हैं। तालिका से स्पष्ट है कि अपेक्षाकृत अधिक संस्थागत प्रसव वाले समस्तीपुर (88 हजार), पूर्णिया (74 हजार) और पश्चिम चंपारण (73 हजार) जैसे जिले उत्तर बिहार के हैं। इसके विपरीत, शिवहर (11 हजार) को छोड़कर सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले दो जिले अरवल (10 हजार) और शेखपुरा (13 हजार) दक्षिण बिहार के हैं।

प्रतिरक्षण

प्रतिरक्षण को उन जानलेवा बीमारियों से बच्चों को बचाने के एक मुख्य हस्तक्षेप माना जाता है जिनसे बचा जा सकता है। राज्य और राष्टोय, दोनो स्तरों पर प्रतिरक्षण के लाभ सामाजिक और आर्थिक सूचकों पर प्रभाव डालने के लिहाज से स्वास्थ्य और जीवन संभाव्यता में सुधार से कहीं बढ़कर हैं। प्रभावी और समान रूप से लक्षित प्रतिरक्षण कार्यक्रम और टीकों से बचाव लायक रोगों के बोझ में कमी लाने के मामले में उसके प्रभाव का 2030 तक शिशु मृत्यु दर को घटाकर 25 प्रति 1000 जीवित प्रसव तक लाने के दीर्घस्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी) हासिल करने में भारी योगदान होगा। प्रतिरक्षण भारत की लोक स्वास्थ्य संबधी एक सर्वोत्तम विकास गाथा है। भारत में 1978 में प्रतिरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत डीपीटी, बीसीजी, ओपीवी, टायफायड और पैरा-टायफायड बुखारों के टीकों के साथ विस्तारित प्रतिरक्षण कार्यक्रम (ईपीआइ) के बतौर की गई थी। वर्ष 1989-90 तक देश के सभी जिलों में इसके चरणबद्ध ढंग से क्रियान्वयन के लिए 1985 में इसे 'सर्वव्यापी प्रतिरक्षण कार्यक्रम' के रूप में संशोधित कर दिया गया। कई वर्षों तक चालू रहने के बाद भी इस कार्यक्रम के तहत 65 प्रतिशत बच्चों का ही जीवन के पहले साल में प्रतिरक्षण हो पाता था।प्रतिरक्षण के आच्छादन में इस धीमी प्रगति का समाधान करने और 2020 तक आच्छादन बढ़ाकर कम से कम 90 प्रतिशत बच्चों को इसकी जद में लाने के लिए भारत सरकार के परिवार एवं स्वास्थ्य केंद्र मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2014 में मिशन इंद्रधनुष नामक व्यापक नियमित टीकाकरण सघनीकरण अभियान की शुरुआत की गई। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार अभी तक देश के 640 में से 528 जिलों को मिशन के विभिन्न चरणों के तहत आच्छादित किया गया है। कार्यक्रम के तहत उप-केंद्रों में सेवा से वंचित या निम्न आच्छादन वाले पॉकेट तथा प्रवासी आबादी वाली शहरी मलिनबस्तियों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका फोकस राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के तहत चिन्हित शहरी वासस्थलों और शहरों पर भी है। मिशन के तहत जीवनरक्षी टीकों का उपयोग यक्ष्मा (टीबी), डिफ्थेरिया, कुकुरखांसी, टेटनस, पोलियो, हिपेटाइटिस बी, हिमोफिलिस इनफ्लुएंजा टाइप बी के कारण होने वाला न्यूमोनिया और मेनिंजाइटिस, खसरा, रुबेला, जापानी एनसेफेलाइटिस और रोटावायरस डायरिया के खिलाफ किया जाता है। पूरे भारत में सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 के आरंभ की तिथि 2 दिसंबर 2019 है। मिशन का लक्ष्य 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीका से रोके जा सकने वाले 8 रोगों से बचाव करना है। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 के तहत 27 राज्यों के 272 जिलों को फोकस किया जाएगा और उनमें से एक राज्य बिहार भी है। प्रतिरक्षण अभियान 2.0 के तहत कुल खास चुनिंदा क्षेत्रों में दो अन्य रोगों – हीमोफीलिस इनफ्लूएंजा और जापानी एनसेफलाइटिस – के

लिए भी टीके उपलब्ध कराए जाएंगे। सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 दिसंबर 2019 और मार्च 2020 के बीच चलाया जाएगा।

चार्ट 11.6 में मिशन इंद्रधनुष के पहले और बाद में देश के बड़े राज्यों में प्रतिरक्षण के पूर्ण आच्छादन में सुधार दर्शाया गया है। मिशन इंद्रधनुष के बाद राज्यों में बच्चों का आच्छादन ओडिशा क 75 प्रतिशत से केरल के 119 प्रतिशत के बीच था। बिहार के लिए प्रतिरक्षण का आच्छादन 41 प्रतिशत अंक बढ़ा और 2015-16 के 62 प्रतिशत से 2017-18 में 103 प्रतिशत हो गया। यहां यह भी गौरतलब है कि 7 राज्यों में आच्छादन 100 प्रतिशत से भी अधिक था - केरल में 119.2 प्रतिशत, झारखंड में 110.7 प्रतिशत, पश्चिम बंगाल में 106.9 प्रतिशत, पंजाब में 104.3 प्रतिशत, महाराष्ट में 103.4 प्रतिशत, तथा कर्नाटक और बिहार में 102.7 प्रतिशत। वहीं पूरे देश में आच्छादन 37 प्रतिशत अंक बढ़ा और 2015-16 के 62 प्रतिशत से 2017-18 में 97 प्रतिशत हो गया। उड़ीसा में 2015-16 और 2017-18 के बीच 3.4 प्रतिशत अंकों की मामूली गिरावट आई लेकिन अन्य सभी राज्यों में प्रतिरक्षण के आच्छादन में अच्छी-खासी वृद्धि दिखी है। आशा है कि लंबे दौर में मिशन इंद्रधनुष से सीखे गए सबकों को टीकाकरण संबंधी असमानता घटाने के नियमित कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा।

तालिका 11.6 : मिशन इंद्रधनुष के पहले और बाद में 12 से 23 महीने के पूर्णतः प्रतिरक्षित बच्चों का प्रतिशत

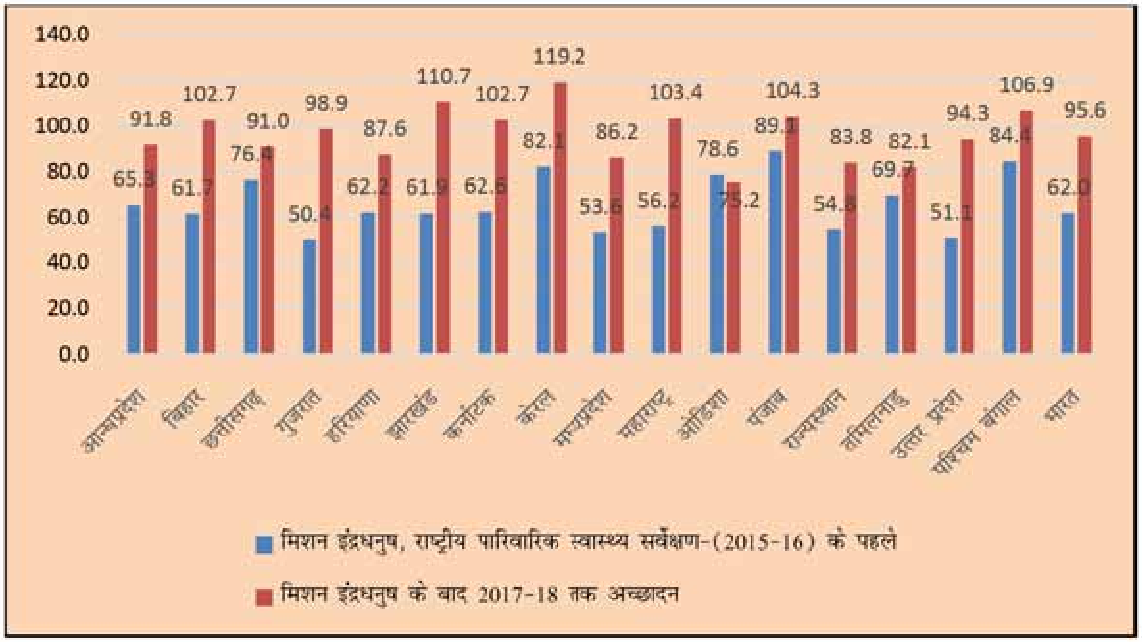

हाल के वर्षों में देश के अन्य राज्यों के साथ-साथ बिहार में भी सर्वव्यापी प्रतिरक्षण की दिशा में काफी प्रगति हुई है। इस संबंध में प्रासंगिक आंकड़े तालिका 11.11 में प्रस्तुत हैं। य आंकड़ प्रतिरक्षण के पांच घटकों से संबंधित है- टीटी (टेटनस-रोधी), बीसीजी, ओपीवी, पेंटा और खसरा (मीजल्स)। सबसे हाल के (2018-19 के) आंकड़ों में दिखता है कि बीसीजी, ओपीवी 1, ओपीवी 2 और पेंटा 1 का आच्छादन 80 प्रतिशत से अधिक है। 56.7 प्रतिशत उपलब्धि वाली ओपीवी (जीरो डोज) को छोड़कर शेष सभी टीकों में मामले में उपलब्धि

हमेशा 70 प्रतिशत से अधिक रही है। वर्ष 2019-20 के सितंबर तक के आंकड़ों को देखकर आशा की जा सकती है कि आने वाले वर्षों में राज्य में सभी टीकों के मामले में उपलब्धि दर 90 प्रतिशत से अधिक रहेगी।

तालिका 11.11 : बिहार में एंटीजेन आधारित प्रतिरक्षण आच्छादन (2017-18 से 2019-20)

एंटीजेन का नाम	2017-18		2018-19		2019-20 (सितंबर 19 तक)	
	लक्ष्य (हजार)	उपलब्धि (हजार)	लक्ष्य (हजार)	उपलब्धि (हजार)	6 महीनों के लिए लक्ष्य (हजार)	उपलब्धि (हजार)
टीटी2 + बूस्टर (पी.डब्ल्यू)	3340	2665 (79.8)	3424	2700 (78.8)	1754	1480 (84.3)
बीसीजी	3158	2722 (86.2)	3239	2689 (83.0)	1660	1302 (78.4)
ओपीवी 0	3158	1861 (58.9)	3239	1836 (56.7)	1660	906 (54.6)
ओपीवी 1	3158	2719 (86.1)	3239	2682 (82.8)	1660	1323 (79.6)
ओपीवी 2	3158	2666 (84.4)	3239	2600 (80.2)	1660	1394 (83.9)
ओपीवी 3	3158	2559 (81.0)	3239	2478 (76.5)	1660	1392 (83.8)
पंटा-1	3158	2726 (86.3)	3239	2701 (83.3)	1660	1327 (79.9)
पंटा-2	3158	2672 (84.6)	3239	2621 (80.9)	1660	1400 (84.3)
पंटा-3	3158	2565 (81.2)	3239	2495 (77.0)	1660	1398 (84.2)
खसरा	3158	2627 (83.2)	3239	2311 (71.3)	1660	1420 (85.5)

टिप्पणी : 1. 2015-16 में डीपीटी की जगह पेंटावैलेंट ने ले ली है।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उपलब्धि का प्रतिशत दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

मुख्य रोगों की व्याप्ति

लोगों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति का एक महत्वपूर्ण आयाम उनको प्रभावित करने वाले मुख्य रोग होते हैं। राष्टोय स्तर पर रोगों के बोझ में बदलाव आ रहा है। जहां संचारी रोग बड़ा खतरा बने हुए हैं, वहीं असंचारी रोग देश में लोक स्वास्थ्य और खैरियत के लिए प्रमुख खतरा बनते जा रहे हैं। इसके कई कारण हैं जिनमें मधुमेह जैसे रोगों के मामले में वंशानुगत प्रवृत्तियां और अस्वास्थ्यकर तथा आरामतलब जीवनशैली अपनाया जाना शामिल हैं। इन आदतों के कारण भारतीय लोगों के लिए उच्च रक्तचाप और हृदयाघात जैसे रोगों का जोखिम बढ़ गया है। तालिका 11.12 में विगत चार वर्षों के दौरान बिहार में मुख्य रोगों से संबंधित आंकड़े प्रस्तुत हैं। तालिका में देखा जा सकता है कि 2018-19 में बिहार में श्वसन तंत्र के तीव्र संक्रमण (एआरआइ) के सर्वाधिक मामले सामने आए जिसके 10.0 लाख रोगी थे। दूसरी महत्वपूर्ण श्रेणी अज्ञात कारणों से बुखार (एफयूओ) की थी जिसके 8.2 लाख रोगी थे। अन्य महत्वपूर्ण रोग थे – तीव्र अतिसार अर्थात डायरिया (3.3 लाख), कुत्ता काटना (2.8 लाख), पेचिस (1.7 लाख) और आंत्र ज्वर (1.4 लाख)। तालिका से यह भी पता चलता है कि डायरिया और पेचिश जैसे समय-समय पर फैलने वाले जलोत्पन्न रोग भी राज्य में अक्सर होते हैं जो सुरक्षित पेयजल की

अपर्याप्त उपलब्धता को रेखांकित करते हैं। इन रोगों के साथ-साथ कुत्तों के काटने से होने वाली रेबीज के रोगियों की भी बड़ी संख्या (2.8 लाख) थी। तालिका से यह भी पता चलता है कि लोक स्वास्थ्य देखरेख की उचित सुविधाओं में काफी सुधार के कारण रोगियों की कुल संख्या 2015-16 के 38.8 लाख से घटकर 2018-19 में 28.8 लाख रह गई जो 26 प्रतिशत की कमी दर्शाती है। जिलावार आंकड़े तालिका प 11.13 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

तालिका 11.12 : मुख्य रोगों की व्यापकता (2015-16 से 2018-19)

(रोगियों की संख्या लाख में)

रोग	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
तेज अतिसार (डायरिया)	5.1 (13.0)	2.7 (13.2)	4.2 (11.8)	3.3 (11.4)
खूनी पेचिश	2.8 (7.2)	1.4 (6.9)	2.1 (5.9)	1.7 (5.8)
वायरल हिपेटाइटिस	0.3 (0.7)	0.2 (1.0)	0.3 (0.9)	0.3 (1.0)
आंत्र ज्वर	2.6 (6.7)	1.3 (6.9)	2.1 (5.9)	1.4 (4.8)
मलेरिया	0.3 (0.8)	0.2 (1.0)	0.3 (0.7)	0.2 (0.6)
अज्ञात मूल का बुखार (एफयूओ)	10.3 (26.6)	5.1 (25.0)	9.0 (25.2)	8.2 (28.5)
तीव्र श्वास संक्रमण (एआरआइ)	13.5 (34.7)	6.9 (33.8)	12.8 (36.2)	10.0 (34.9)
न्यूमोनिया	0.4 (1.1)	0.2 (1.0)	0.4(1.0)	0.2 (0.6)
कुत्ता काटना	2.7 (7.0)	1.9 (9.3)	3.7 (10.4)	2.8 (9.8)
राज्य में होने वाला कोई अन्य खास रोग	0.3 (0.8)	0.2 (1.0)	0.2 (0.7)	0.2 (0.7)
ऊपरवर्णित रोगों से भिन्न असामान्य लक्षण	0.6 (1.5)	0.2 (1.0)	0.5 (1.3)	0.6 (2.0)
योगफल	**38.8 (100.0)**	**20.4 (100.0)**	**35.5 (100.0)**	**28.8 (100.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े योगफल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

राष्टोय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

वर्ष 2005 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के दो उप-मिशन हैं - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (NRHM) और राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM)। इनके कार्यक्रम संबंधी मुख्य घटकों में स्वास्थ्य प्रणाली का सुदृढ़ीकरण, प्रजनन-मातृ-नवजात-बाल एवं किशोरवय स्वास्थ्य (RMNCH+A) तथा संचारी और असंचारी रोग शामिल हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत यथोचित, वहनीय और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखरेख सेवाओं तक सबको पहुंच उपलब्ध कराने की बात सोची गई है जो जवाबदेह और लोगों की जरूरतों के प्रति अनुक्रियाशील हो। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के वित्तपोषण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60 और 40 के अनुपात में हिस्सा है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन लोक स्वास्थ्य प्रणालियों और स्वास्थ्य देखरेख की उपलब्धता को मजबूत करने के लिए राज्यों के वित्तपोषण और सहयोग का एक मुख्य माध्यम है। राज्यों को होने वाला वित्तपोषण राज्य की कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना (पीआइपी) पर आधारित होता है। राज्य की कार्यक्रम क्रियान्वयन योजना के निम्नलिखित मुख्य पूल होते हैं - (क) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) फ्लेक्सी पूल, (ख) राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन फ्लेक्सी पूल, (ग) संचारी रोगों के लिए फ्लेक्सी पूल, (घ) असंचारी रोगों के लिए फ्लेक्सी पूल और (च) अधिसंरचना अनुरक्षण।

तालिका 11.13 : स्वास्थ्य समितियों को संवितरित धनराशि (2011-12 से 2018-19)

(लाख रु.)

राष्टोय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन A	राष्टोय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन B	राष्टोय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन C	राष्टोय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन D	राष्टोय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन E	राष्टोय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन F	राष्टोय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन G	**योगफल**
2011-12							
43853.5	24994.7	8792.1	–	–	–	525.5	**78165.8**
2012-13							
60305.2	29520.9	7948	–	141.8	2590.1	–	**100506**
2013-14							
68535.1	17995.8	9045.7	–	178.7	1774.7	92.7	**97622.7**
2014-15							
67011.5	25135.5	9243.1	192.0	61.5	2785.1	542.6	**104971.3**
2015-16							
72371.2	21000.1	11251	2.0	552.3	5694.1	860.9	**111731.6**
2016-17							
77868.9	42949.9	7869.8	15.5	282.3	3542	834.4	**133362.8**
2017-18							
51823.69	45011.6	8904.61	1.5	5.3	4831.49	447.29	**111025.5**
2018-19							
63628.62	70675.98	15469.14	7.1	44.5	2306.57	354	**152485.9**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार सरकार

पिछले आठ वर्षों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य देखरेख पर फोकस के साथ लोक स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढोकरण के लिए विभिन्न जिला स्वास्थ्य समितियों के बीच 8898.7 करोड़ रु. वितरित किए गए। स्वास्थ्य समितियों के जरिए जिलों को मिशन की रकम सात घटकों के तहत विमुक्त की गई है। ये घटक हैं -प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) फ्लेक्सी पूल (NRHM-A), मिशन फ्लेक्सी पूल (NRHM-B), प्रतिरक्षण (पोलियो सहित) (NRHM-C), राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NRHM-D), राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (NUHM) (NRHM-E), समेकित रोग निगरानी कार्यक्रम (ISDP) (NRHM-F) और संशोधित राष्ट्रीय यक्ष्मा नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP)(NRHM-G)। वर्ष 2018-19 में सर्वाधिक 46 प्रतिशत वितरण मिशन फ्लेक्सी पूल (NRHM-B)के लिए किया गया था और उसके बाद 42 प्रतिशत आबंटन प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (RCH) फ्लेक्सी पूल (NRHM-A)के लिए था जिनका हिस्सा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्य शीर्षों से अधिक था। अन्य सभी शीर्षों पर कुल आबंटन मात्र 12 प्रतिशत था (तालिका 11.13)। इसके विवरण तालिका 11.11 में प्रस्तुत हैं। स्वास्थ्य समितियों को हुए जिलावार धनराशि वितरण के विवरण तालिका प 11.14 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं।

स्वास्थ्य के लिए जनसंख्या वृद्धि के नीतिगत निहितार्थ

लोक स्वास्थ्य सेवाओं की संभावना और जोर के ऊपर सेवित जनसंख्या की बदलती विशेषताओं का भी असर पड़ता है। जनसंख्या वृद्धि की दर लोक स्वास्थ्य और चिकित्सा सुविधाओं की दीर्घकालिक योजना को प्रभावित करती है। इसी तरह, आयु संरचना, आंतरिक प्रवास, जनसंख्या घनत्व में परिवर्तन और शहरों-गांवों के बीच आने-जाने से जो नई समस्याएं पैदा हो सकती हैं, उन सारी चीजों पर स्वास्थ्य व्यवस्था को ध्यान रखने की जरूरत पड़ती है। लोगों की ऐसी विशेषताओं में राष्टोय स्वास्थ्य पर सबसे बड़ा बोझ आबादी की उम्र बढ़ना है। अगर बिहार में स्वास्थ्य केंद्र वर्तमान स्तर पर बरकरार रहें, तो अगले दो दशकों में (जनसंख्या वृद्धि दर घटने के बावजूद) अस्पतालों (स्वास्थ्य केंद्रों) की प्रति व्यक्ति उपलब्धता घट जाएगी (चार्ट 11.7)। अत: जनसंख्या के बढ़ते बोझको पूरा करने और वृद्धावस्था में देखरेख की अधिक व्यवस्था के लिए चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार

करना बहुत जरूरी होगा। चिकित्सा सुविधाओं के प्रावधान की योजना बनाने के मामले में एक बड़ी समस्या प्रासंगिक आंकड़ों की, खास कर निजी अस्पतालों के बारे में आंकड़ों की है। अत: राज्य में उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाओं की सही तस्वीर के आकलन के लिए सार्वजनिक और निजी, दोनो प्रकार के अस्पतालों के बारे में सूचनाएं एकत्र करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

चार्ट 11.7 : बिहार में प्रति 10 लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्रों की अनुमानित संख्या

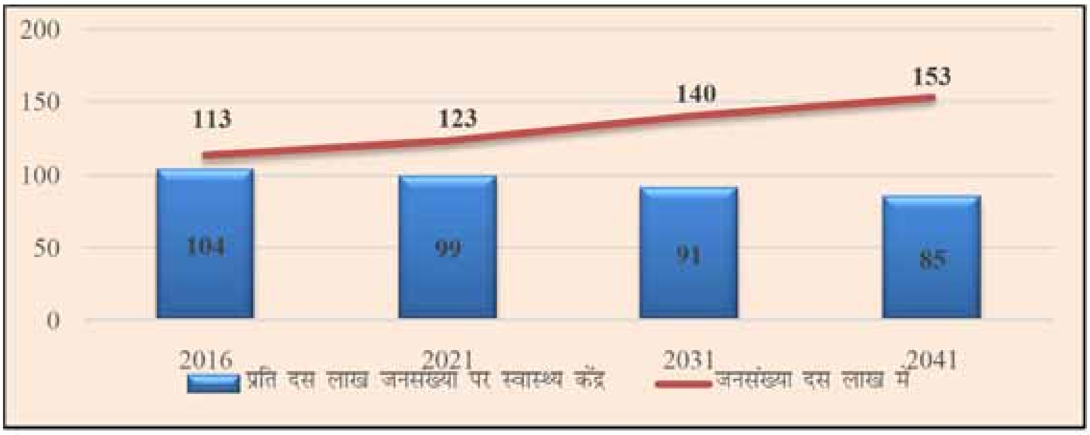

लक्ष्य

भारत सरकार ने लोक स्वास्थ्य संस्थानों के प्रसव कक्षों और प्रसवों के शल्य चिकित्सा कक्षों में देखरेख की गुणवत्ता में सुधार के लिए 2017 में 'लक्ष्य' (प्रसव कक्ष गुणवत्ता सुधार पहल) की शुरुआत की। यह प्रसव के समय और प्रसव के तत्काल बाद की अवधि पर केंद्रित सर्वपक्षीय दृष्टिकोण है।

लक्ष्य

प्रसव कक्षों और प्रसवों के शल्य चिकित्सा कक्षों में प्रसव की देखरेख से संबंधित मां और नवजात की मृत्यु, रुग्णता और मृत शिशु के जन्म को रोकने लायक स्थिति में उनमें कमी लाना और प्रसूता की सम्मानजनक देखरेख सुनिश्चित करना।

उद्देश्य

रक्तस्राव, पुरइन (प्लेसेंटा) नहीं बाहर होने, समय से पहले प्रसव, प्री-एक्लैंप्सिया और एक्लैंप्सिया, प्रसवपीड़ा नहीं होने, प्रसव से संबंधित सेप्सिस, नवजात की सांस रुकने (ऐंस्फिक्सिया), और नवजात की सेप्सिस आदि के कारण मां और नवजात की मृत्यु तथा रुग्णता में कमी लाना।

प्रसव के दौरान और प्रसव के तत्काल बाद देखरेख की गुणवत्ता में सुधार लाना, जटिलताओं पर नियंत्रण और समय पर रेफरल सुनिश्चित करना, तथा दोनो ओर से फॉलो-अप की प्रभावी व्यवस्था को सक्षम बनाना।

स्वास्थ्य संस्थानों में पहुंचने वाले लाभार्थियों की संतुष्टि बढ़ाना और लोक स्वास्थ्य केंद्रों में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं को प्रसूता की सम्मानजनक देखरेख (आरएमसी) उपलब्ध कराना।

कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित प्रकार के स्वास्थ्य देखरेख संस्थान चिन्हित किए गए हैं :

सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल

जिला अस्पताल और समकक्ष स्वास्थ्य संस्थान

11.3 पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता

सुरक्षित पेयजल और स्वच्छता की उपलब्धता स्वस्थ जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लोगों की स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के लिए स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता के प्रावधान का पूरा दायित्व राज्य सरकार पर है। भारत में पेयजल, स्वच्छता, साफ-सफाई और आवास की स्थिति पर राष्टोय सांख्यिकी संगठन की रिपोर्ट (76वां चक्र, जुलाई-दिसंबर, 2018) के अनुसार पता चला कि बिहार में परिवारों के लिए पेयजल के मुख्य स्रोत ग्रामीण क्षेत्रों में चापाकल तथा शहरी क्षेत्रों में नलकूप और चापाकल हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में 94.3 प्रतिशत परिवार चापाकलों का उपयोग करते हैं और शहरी क्षेत्रों में 75.8 प्रतिशत परिवार पेयजल के मुख्य स्रोत के बतौर नलकूप या चापाकल का उपयोग करते हैं। उनमें से ग्रामीण क्षेत्रों में 91.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 95.3 प्रतिशत परिवारों का परिसर के अंदर ही पेयजल सुविधा उपलब्ध है। संपूर्ण भारत के लिए संबंधित आंकड़े ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में 58.2 और शहरी क्षेत्रों के मामले में 80.7 प्रतिशत हैं। स्वच्छता आच्छादन की बात करें, तो बिहार में ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 63.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 95.0 प्रतिशत परिवारों को शौचालय उपलब्ध हैं। संपूर्ण भारत के लिए संबंधित आंकड़े थोड़े अधिक हैं - ग्रामीण क्षेत्रों में 71.3 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 96.2 प्रतिशत।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) देश के ग्रामीण आबादी को पर्याप्त सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए के लिए 2009 में शुरू की गई केंद्र प्रायोजित योजना है। कार्यक्रम के तहत देश में ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल अधिसंरचना के निर्माण और अनुरक्षण पर फोकस किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप क्षेत्र में काफी अतिरिक्त संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है और ऐसा वातावरण बना है जो ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति योजनाओं के सफल संचालन के लिए अधिसंरचना और क्षमताओं के विकास को सक्षम बनाए। इस कार्यक्रम का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 2024 तक देश में हर ग्रामीण परिवार को उसके परिसर में या अधिकतम 50 मीटर के अंदर कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी उपलब्ध हो जाय। इसके साथ-साथ 22 मार्च 2017 से एक उप-मिशन कार्यक्रम भी क्रियान्वित किया जा रहा है जिसका लक्ष्य 2024 तक पूरे देश में आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित लगभग 28,000 बसाहटों में पानी की गुणवत्ता की समस्या दूर करना है। इनमें से बिहार की 229 आर्सेनिक प्रभावित और 526 फ्लोराइड प्रभावित बसाहटें शामिल है। इन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए संबंधित मंत्रालय द्वारा 80.37 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हं।

राज्य सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम 'सात निश्चय' में से दो निश्चय -बिहार के हर नागरिक को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 'हर घर नल का जल' और 'शौचालय निर्माण घर का सम्मान' हैं। पहले लक्ष्य की पूर्ति के लिए राज्य सरकार ने तीन योजनाएं शुरू की हैं जिनमें से दो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हैं और एक शहरी क्षेत्र के लिए। इनमें से दो योजनाएं - मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र) तथा मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र से भिन्न) ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही हैं। पहली योजना उन क्षेत्रों के लिए है जहां का पानी की गुणवत्ता आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से प्रदूषित होने के कारण प्रभावित है और दूसरी योजना उन क्षेत्रों के लिए है जहां पानी की गुणवत्ता खराब नहीं है। वर्ष 2018-19 में गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1099.00 करोड़ रु. और गैर-गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्रों के लिए 500.00 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। कार्यक्रम का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग के जरिए किया जा रहा है। बिहार के 38 में से 29 जिले आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन से प्रदूषित हैं। तालिका 11.14 में बिहार के विभिन्न जिलों में प्रभावित वार्डों की संख्या दर्शाई गई है जहां घरेलू पानी से प्रदूषकों को हटाने के लिए काम शुरू किया गया है।

तालिका 11.14 : प्रदूषण वाले जिलों का मानचित्रण

प्रदूषक	प्रभावित जिले
आर्सेनिक (14 जिले)	बेगूसराय (432),भागलपुर (582),बक्सर (264),दरभंगा (22),कटिहार (66),खगड़िया (274),लखीसराय (166),मुंगेर (122),समस्तीपुर (314),सारण (47),सीतामढ़ी (4),पटना (155),भोजपुर (451) औरवैशाली (173)
फ्लोराइड (11 जिले)	औरंगाबाद (31),बांका (858),भागलपुर (214),गया (230),जमुई (639),कैमूर (231),मुंगेर (103),नालंदा (246),रोहतास (325),शेखपुरा (245)औरनवादा (255)
आयरन (11 जिले)	अररिया (1027),बेगूसराय (1077),भागलपुर (38),कटिहार (1004),खगड़िया (498),किशनगंज (1256),मधेपुरा (1240),मुंगेर (18),पूर्णिया (1256),सहरसा (486) और सुपौल (995)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े उन वार्डों की संख्या दर्शाते हैं जिनमें काम शुरू किया गया है।

2. लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग द्वारा अभी तक 11.24 लाख परिवारों को कनेक्शन दिया गया है।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

स्वच्छता संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2019 तक स्वच्छ भारत सुनिश्चित करने के लिहाज से स्वच्छ भारत मिशन नामक व्यापक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। राष्टपिता महात्मा गांधी ने हमेशा स्वच्छता पर बल दिया था क्योंकि यह स्वस्थ और समृद्ध भारत की कुंजी है। इसे ध्यान में रखकर केंद्र सरकार ने 2 अक्तूबर, 2014 को स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की थी। मिशन का क्रियान्वयन सभी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में किया जा रहा है। मिशन के शहरी भाग का क्रियान्वयन नगर विकास मंत्रालय द्वारा और ग्रामीण हिस्से का क्रियान्वयन पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान

स्वच्छता संबंधी समस्याओं से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा दो योजनाओं की शुरुआत की गई हैं – ग्रामीण क्षेत्रों के लिए लोहिया स्वच्छ भारत अभियान और शहरी क्षेत्रों के लिए शौचालय निर्माण (शहरी क्षेत्र) योजना। ये दोनो योजनाएं राज्य सरकार के संकल्प 'शौचालय निर्माग घर का सम्मान' द्वारा मार्गदर्शित हैं। लोहिया स्वच्छता योजना के तहत राज्य सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के सभी एपीएल या बीपीएल परिवारों को शामिल करने का निर्णय लिया है जिसके तहत हर परिवार को 12,000 रु. प्रोत्साहन राशि दी जाती है, चाहे परिवार एपीएल हो या बीपीएल। वहीं, शहरी क्षेत्रों में केंद्र सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) के तहत 4000 रु. प्रोत्साहन राशि दी जाती है। राज्य सरकार ने शौचालय निर्माण योजना (शहरी क्षेत्र) के तहत अपने कोष से 8000 रु. की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया है ताकि शहरों के सारे परिवारों को कुल 12,000 रु. प्रोत्साहन राशि प्राप्त हो। लोहिया स्वच्छ भारत अभियान राज्य सरकार का मिशन है जिसे राज्य योजना लोहिया स्वच्छता अभियान और केंद्रीय योजना स्वच्छ भारत मिशन गामीण, दोनो को संयुक्त करके तैयार किया गया है। जून 2016 में लोहिया स्वच्छ भारत अभियान को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग (पीएचईडी) से ग्रामीण विकास विभाग को हस्तांतरित कर दिया गया। उसके बाद से योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए जीविका भी मिशन मोड में काम कर रही है।जीविका के स्वयं सहायता समूह के बड़े आधार का उपयोग वांछित व्यवहार परिवर्तन हासिल करने के लिए किया जा रहा है। सितंबर 2019 तक राज्य के सभी 38 जिलों में कुल मिलाकर 1.13 करोड़ व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय निर्मित किए गए हैं और 38,691 गांवों तथा 534 प्रखंडों को खुले में शौच से मुक्त घोषित किया गया है।

पूरे राज्य के लिए जलापूर्ति एवं स्वच्छता तथा चापाकलों के तहत कार्य की प्रगति तालिका 11.15 में प्रस्तुत है। जलापूर्ति एवं स्वच्छता की वार्षिक उपलब्धि में साल-दर-साल अंतर रहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कायक्रम

(एनआरडीडब्ल्यूपी) के तहत लगाए गए चापाकलों की बात करें, तो 2015-16 तक इसमें लगातार प्रगति हुई जब 26.7 हजार चापाकल लगाए गए थे। उसके बाद हाल के वर्षों में इसमें थोड़ी गिरावट आई है। पानी की गुणवत्ता की समस्याओं के मामले में आच्छादन की बात करें, तो सर्वाधिक उपलब्धि 2013-14 में हुई थी जब इस योजना के तहत 12.8 हजार टोलों का आच्छादन हुआ था। वर्ष 2018-19 में कायक्रम के तहत कुल 3.7 हजार चापाकल लगाए गए और मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के तहत 20,290 स अधिक वार्डों में पानी की गुणवत्ता संबंधी समस्याओं का समाधान किया गया। इन आठ वर्षों में प्रमुख उपलब्धि व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों (आइएचएचएल) के निर्माण के मामले में दर्ज की गई है। कुल 61.4 लाख बने व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों में से 23.9 लाख (38.9 प्रतिशत) गरीबी रेखा से ऊपर वालों के लिए हैं और 37.5 लाख (61.1 प्रतिशत) गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए। केंद्रीय योजनाओं के जरिए जलापूर्ति एवं स्वच्छता के लिहाज से गांव-टोलों का जिलावार आच्छादन तालिका प 11.15 और तालिका प 11.16 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। वर्ष 2018-19 में चापाकल लगाने के मामले में सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले तीन जिले मुजफ्फरपुर (405), नालंदा (344) और गया (265) थे। उसी अवधि में व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों के निर्माण में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाले जिले मधुबनी (5.9 प्रतिशत), समस्तीपुर (5.2 प्रतिशत) और दरभंगा (5.1 प्रतिशत) थे।

तालिका 11.15 : जलापूर्ति एवं स्वच्छतायोजनाओं के तहत उपलब्धि (2011-12 से 2018-19)

(आंकड़े संख्या में)

वर्ष	लगे चापाकल	छूटे/ पानी की खराब गुणवत्ता वाले टोलों का आच्छादन	व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों का निर्माण		
			एपीएल	बीपीएल	योगफल
2011-12	28286	11243	193875 (23.1)	646052 (76.9)	839927 (100.0)
2012-13	31926	10960	236021 (29.6)	560678 (70.4)	796699 (100.0)
2013-14	34289	12787	63190 (39.1)	98456 (60.9)	161646 (100.0)
2014-15	24287	12236	47056 (28.4)	118401 (71.6)	165457 (100.0)
2015-16	26691	7189	146669 (34.3)	280365 (65.7)	427034 (100.0)
2016-17	6373	1289	320332 (36.7)	551999 (63.3)	872332 (100.0)
2017-18	8899	266	1246626 (36.3)	2187939 (63.7)	3434478 (100.0)
2018-19	3672	20290	2387019 (38.9)	3748536 (61.1)	6135555 (100.0)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े एपीएल और बीपीएल का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

2. 2018-19 और उसके बाद सभी वार्डों का आच्छादन मुख्यमंत्री पेयजल निश्चय योजना के अनुसार होगा।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार और जीविका

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत 2012-13 से 2018-19 तक धनराशि का उपयोग तालिका 11.16 में प्रस्तुत है। धनराशि का उपयोग लगातार बढ़ता गया है और 2012-13 के 80.8 प्रतिशत से 2016-17 के 100 प्रतिशत तक रहा है। हालांकि 2017-18 में उपयोग का प्रतिशत थोड़ा घटा और 95.6 प्रतिशत रह गया जबकि 2018-19 में काफी घटकर यह 60.8 प्रतिशत रह गया। धनराशि के उपयोग का भौतिक उपलब्धि पर निश्चित तौर पर प्रभाव पड़ता है। पूरे राज्य में स्वास्थ्यप्रद स्वच्छता सुविधाओं के आच्छादन के लिए आने वाले वर्षों में बढ़त का रुझान सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

जलापूर्ति एवं स्वच्छता योजनाओं की वित्तीय प्रगति तालिका 11.17 में और भौतिक प्रगति तालिका 11.18 मेंप्रस्तुत है। पिछले 7 वर्षों में व्यय में वार्षिक वृद्धि की दर 42.7 प्रतिशत थी।इसी अवधि में, राजस्व व्यय की वृद्धि दर क्रमशः 49.2 प्रतिशत और पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर 31.3 प्रतिशत रही। वित्तीय प्रगति के साथ-साथ, भौतिक लक्ष्य में मध्य की वर्षों में भिन्नता रही पर साथ ही पूर्ण वर्षवार वृद्धि दिखाई गई है। वर्ष 2018-19 म'हर घर नल का जल' की भौतिक आच्छादन 62,749 रही।

तालिका 11.16 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत वित्तीय प्रगति (2012-13 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
परिव्यय	351.0	353.8	426.3	296.1	340.0	400.0	400.0
व्यय	283.5	299.0	375.4	269.2	340.0	382.3	243.2
उपयोग का प्रतिशत	80.8	84.5	88.0	90.9	100.0	95.6	60.8

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 11.17 : जलापूर्ति एवं स्वच्छता की वित्तीय स्थिति (2012-13 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

वर्ष	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
कुल व्यय	620.6	1313.8	1489.5	1383.6	2366.1	4101.9	6872.6	**42.7**
राजस्व व्यय	362.2	695.7	604.3	610.1	1202.2	2338.4	5387.3	**49.2**
पूंजीगत व्यय	258.4	618.2	885.2	773.5	1163.9	1763.6	1485.4	**31.3**

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

तालिका 11.18 : राज्य योजना की जलापूर्ति एवं स्वच्छतायोजनाओं में भौतिकलक्ष्य (2012-13 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

वर्ष	पुराने चापाकलों के बदले नये चापाकल लगाना	हर घर नल का जल के तहत वार्डों का आच्छादन
2012-13	50492	15015
2013-14	94526	13832
2014-15	105688	13000
2015-16	127449	7493
2016-17	3139	7777
2017-18	11720	9263
2018-19	8450	62749*

टिप्पणी : *सात निश्चय योजना के हर घर नल का जल के तहत वार्डवार आच्छादन का लक्ष्य। आंकड़ों में पाइप आधारित जलापूर्ति योजना और पंचायती राज विभाग द्वारा किए गए कार्यों का आच्छादन भी शामिल है।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार सरकार

11.4 शिक्षा, कला, संस्कृति एवं युवा कार्य

शिक्षा ज्ञान और कौशल के जरिए बच्चों के विकास और सशक्तीकरण का आधार होती है जो उत्पादक रोजगार हासिल करने में उनकी मदद करती है। शिक्षा व्यवस्था को आबादी के डायनामिक्स में बदलाव, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की जरूरत, वहनीय व्यावसायिक शिक्षा, उच्च शिक्षा की उपलब्धता, नवाचार और अनुसंधान जैसी अनेक

चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा अनेक शैक्षिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनमें से कुछ केंद्र सरकार के साथ मिलकर चलाए जा रहे हैं। तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढाने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) और भारतीय प्रबंधन संस्थान (आइआइएम) जैसे संस्थानों की स्थापना की गई है। उच्च शिक्षा का अकादमिक स्टैंडर्ड और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने भी राष्टोय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्टोय उच्चतर शिक्षा अभियान, और पसंद आधारित क्रडिट प्रणाली जैसी योजनाएं शुरू की हैं। ये सारी चीजें आर्थिक विकास और मानव विकास में योगदान करती हैं।

भारतीय शिक्षा प्रणाली तीन मुख्य स्तरों में बंटी है – प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा में कक्षा 1 से 8 तक शामिल हैं और 6 से 14 वर्ष तक उम्र के बच्चे इसके हिस्से हैं। शिक्षाधिकार अधिनियम (आरटीई) 2010 के अधिदेश के तहत ये बच्चे मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा पाने के लिए हकदार हैं। प्रारंभिक स्तर की शिक्षा दो उप-श्रेणियों में विभाजित है – पाथमिक (कक्षा 1 से 5) और उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8)। विद्यार्थी चार वर्षों वाली माध्यमिक शिक्षा में कक्षा 9 से 12 तक की पढ़ाई के लिए जाते हैं। माध्यमिक शिक्षा भी माध्यमिक (कक्षा 9 और 10) तथा उच्च माध्यमिक (कक्षा 11 और 12) – दो स्तरों में विभाजित है। उच्च शिक्षा का अंतिम चरण भो दो धाराओं में विभाजित है – अकादमिक धारा और व्यावसायिक धारा। अकादमिक धारा का मकसद विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय या अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों में पढ़ने के लिए तैयार करना है। वहीं, व्यावसायिक धारा का मकसद विद्यार्थियों को काम के लिए या आगे की व्यावसायिक शिक्षा के लिए तैयार करना है। इस खंड में साक्षरता दर, नामांकन अनुपात, छीजन दर, विद्यालयों और शिक्षकों की संख्या, शिक्षा पर व्यय, मध्याह्न भोजन, सर्व शिक्षा अभियान और कुछ अन्य गतिविधियों के लिहाज से बिहार में शिक्षा की स्थिति प्रस्तुत की गई है।

साक्षरता दर

बिहार में साक्षरता दर अभी भी देश में लगभग सबसे कम है लेकिन राज्य ने गत दशक में इस क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है। बिहार में साक्षरता दर 2001 के 47.0 प्रतिशत से बढकर 2011 में 61.8 प्रतिशत हो गई जो एक दशक में 14.8 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती है (तालिका 11.19)। यह दशकीय वृद्धि बिहार में 1961 से हुई सारी दशकीय वृद्धि दरों से ही अधिक नहीं है, 2001 से 2011 के दशक में सारे राज्यों के बीच भी सर्वाधिक है। यहां गौरतलब है कि पूरे देश में 2011 में साक्षरता दर 72.9 प्रतिशत थी जबकि 2001 में 64.8 प्रतिशत जो एक दशक में 8.1 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाती है। साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्शाने के अलावा बिहार अपने साक्षरता दरों में लैंगिक अंतराल घटाने में भी काफी सफल रहा है। वर्ष 2001 में पुरुष साक्षरता दर 60.3 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 33.6 प्रतिशत थी जिससे लैंगिक अंतराल 26.7 प्रतिशत अंकों का था। वर्ष 2011 में पुरुष साक्षरता दर 71.2 प्रतिशत और महिला साक्षरता दर 51.5 प्रतिशत हो गई जिससे लैंगिक अंतराल घटकर 20.1 प्रतिशत रह गया। यह इसलिए संभव हुआ कि बिहार में महिला साक्षरता दर में 17.9 प्रतिशत दशकीय वृद्धि हुई जबकि पुरुषों के मामले में 10.9 प्रतिशत की। बिहार में साक्षरता को बढ़ावा देने के मामले में इस सराहनीय प्रदर्शन का श्रेय दो कारकों को दिया जा सकता है। पहला, सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता के कारण समाज के सभी तबकों में शिक्षा की मांग काफी बढ़ गई है और दूसरा, राज्य सरकार ने शिक्षा पर व्यय काफी बढ़ाया है।

तालिका 11.19 : भारत और बिहार में साक्षरता दरों के रुझान (1961 से 2011)

वर्ष	भारत			बिहार			लैंगिक अंतराल	
	पुरुष	महिला	व्यक्ति	पुरुष	महिला	व्यक्ति	भारत	बिहार
1961	40.4	15.4	28.3	35.2	8.2	22.0	25.1	27.0
1971	46.0	22.0	34.5	35.8	10.2	23.2	24.0	25.5
1981	56.4	29.8	43.6	43.8	15.8	32.3	26.6	28.0
1991	64.1	39.3	52.2	52.5	22.9	37.5	24.8	29.6
2001	75.3	53.7	64.8	60.3	33.6	47.0	21.6	26.7
2011	80.9	64.6	72.9	71.2	51.5	61.8	16.6	20.1

स्रोत : भारत की जनगणना

प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा

बिहार जैसे सामाजिक रूप से पिछड़े राज्य के लिए प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र को ही सर्वाधिक महत्व हासिल है क्योंकि यही क्षेत्र माध्यमिक क्षेत्र में विद्यार्थियों को भेजता है और माध्यमिक क्षेत्र विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भेजता है। प्रारंभिक शिक्षा की प्रगति का अर्थ यह भी है कि यह प्रक्रिया समावेशी है क्योंकि समाज के वंचित तबकों से आने वाले पहली पीढ़ी के शिक्षार्थियों की बड़ी संख्या के लिए यह अधिक प्रासंगिक है। बिहार में प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2011-12 के 40,934 से बढ़कर 2017-18 में 42,932हो गई। इसी प्रकार, उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 2011-12 के 236 से बढ़कर 2017-18 में 31,074 हो गई। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा देने वाले विद्यालयों की कुल संख्या 41,170 से 74,006 हो गई। प्रारंभिक शिक्षा की स्थिति के दो महत्वपूर्ण सूचकांकों से व्यक्त होती है -उच्च नामांकन अनुपात और निम्न छीजन दर। इन दोनों सूचकांकों का प्रदर्शन अधिकांशतः विद्यालयों, शिक्षकों आदि की उपलब्धता से प्रभावित होता है।

नामांकन अनुपात

विगत वर्षों के दौरान सबको शिक्षा की उपलब्धता के लक्ष्य की दिशा में लगातार प्रगति हुई है। तालिका 11.20 में 2012-13 से 2017-18 तक बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनो स्तरों पर कुल नामांकन दर्शाया गया है। इस अवधि में प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन 0.6 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और 2012-13 के 154.51 लाख से बढ़कर 2017-18 में 160.08 लाख हो गया। पहल प्राथमिक कक्षाओं में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी घर से उचित दूरी के अंदर उच्च प्राथमिक विद्यालयों की अनुपलब्धता के कारण उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन नहीं करा पाते थे। वर्ष 2007-08 और 2008-09 में ढेर सारे प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयां में उत्क्रमण करके राज्य सरकार द्वारा यह कमी दूर कर दी गई थी। इसलिए बिहार अब ऐसी स्थिति में पहुंच गया है जहां 6 से 14 वर्ष उम्र के बच्चों के लगभग सभी बच्चों का प्रारंभिक कक्षाओं में नामांकन हो गया है। उच्च प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन में 4.5 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा और 2012-13 के 60.36 लाख से 2017-18 में 75.76 लाख हो गया। इस प्रकार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर प्रारंभिक कक्षाओं में कुल नामांकन 2012-13 के 214.87 लाख से 1.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़कर 2017-18 में 235.84 लाख हो गया। साथ ही, इस अवधि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों का कुल नामांकन भी क्रमशः 3.0 और 4.8 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ा है। इसके अलावा, 2012-13 और 2017-18 के बीच छात्राओं का नामांकन छात्रों के 1.7 प्रतिशत की अपेक्षा 1.8 प्रतिशत की दर से बढ़ने के कारण प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल भी घट रहा है। वर्ष 2017-18 में प्रारंभिक स्तर पर लड़कों का कुल नामांकन 121.70 लाख था जो लड़कियों के 114.14 लाख नामांकन से कुछ ही अधिक है। लड़कियों के नामांकन की उच्च वृद्धि दर और विद्यार्थियों की कुल संख्या में उनका थोड़ा ही कम हिस्सा होने का पैटर्न प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनो प्रकार के विद्यालयों में दिखता है। वर्ष 2017-18 में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक को मिलाकर हुए कुल नामांकन में लड़कों का 51.6 प्रतिशत और लड़कियों का 48.4 प्रतिशत हिस्सा था।

तालिका 11.20 : प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तरों पर कुल नामांकन (2012-13 से 2017-18)

(संख्याएं लाख में)

विद्यार्थियों का स्तर/ प्रकार		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	वार्षिक चक्रवृद्धि दर
प्राथमिक								
लड़के	संयुक्त	79.74	83.34	83.72	84.4	83.97	82.69	0.6
	अजा	14.5	15.81	15.58	16.01	15.98	15.53	1.2
	अजजा	1.59	1.64	1.7	1.81	1.83	1.9	3.7
लड़कियां	संयुक्त	74.77	77.86	77.63	78.96	78.35	77.39	0.6
	अजा	13.21	14.47	14.39	14.8	14.89	14.35	1.5
	अजजा	1.33	1.36	1.4	1.5	1.48	1.53	3.0
सभी	संयुक्त	154.51	161.2	161.35	163.36	162.32	160.08	0.6
	अजा	27.71	30.29	29.97	30.81	30.87	29.88	1.3
	अजजा	2.92	3.01	3.11	3.31	3.31	3.43	3.3
उच्च प्राथमिक								
लड़के	संयुक्त	31.34	33.66	34.77	37.08	37.83	39.01	4.4
	अजा	4.81	5.59	6.12	6.47	6.75	6.68	6.7
	अजजा	0.55	0.58	0.61	0.72	0.74	0.8	8.2
लड़कियां	संयुक्त	29.02	31.75	33.14	35.23	35.5	36.75	4.6
	अजा	4.23	5.11	5.47	5.92	6.31	6.36	8.2
	अजजा	0.46	0.48	0.53	0.64	0.64	0.69	9.2
सभी	संयुक्त	60.36	65.41	67.91	72.31	73.33	75.76	4.5
	अजा	9.04	10.71	11.59	12.39	13.06	13.04	7.4
	अजजा	1.01	1.07	1.15	1.36	1.37	1.49	8.5
योगफल								
लड़के	संयुक्त	111.08	117.00	118.49	121.48	121.8	121.7	1.7
	अजा	19.31	21.40	21.7	22.48	22.73	22.21	2.7
	अजजा	2.14	2.22	2.31	2.53	2.57	2.7	5.0
लड़कियां	संयुक्त	103.79	109.61	110.77	114.19	113.85	114.14	1.8
	अजा	17.44	19.58	19.86	20.72	21.2	20.71	3.3
	अजजा	1.79	1.84	1.93	2.14	2.12	2.22	4.7
सभी	संयुक्त	214.87	226.62	229.26	235.67	235.65	235.84	1.8
	अजा	36.75	41.01	41.56	43.2	43.93	42.92	3.0
	अजजा	3.93	4.08	4.26	4.67	4.68	4.92	4.8

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 11.8 : प्रारंभिक स्तर पर कुल नामांकन

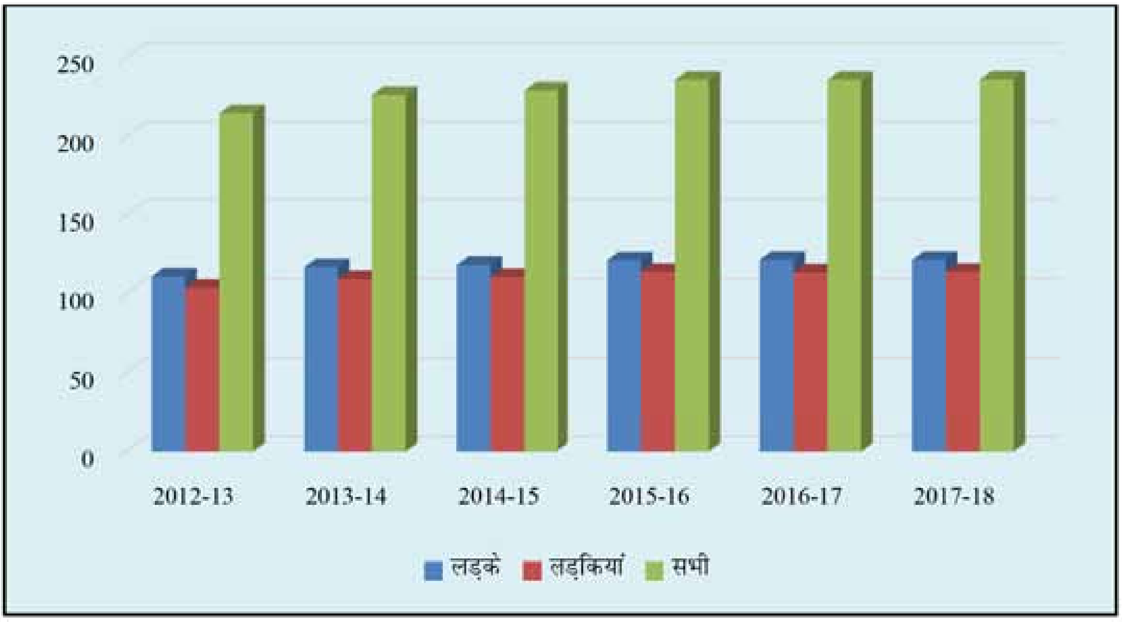

सभी विद्यार्थियों तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के नामांकन के जिलावार आंकड़े तालिका प 11.7 से तालिका प 11.9 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। तालिका से साफ पता चलता है कि जिन जिलों में साक्षरता दरें अपेक्षाकृत कम थीं उनमें प्रारंभिक कक्षाओं में नामांकन में निश्चित तौर पर अधिक तेज वृद्धि हुई। कम साक्षरता दर वाले अधिकांश जिले उत्तर बिहार के हैं। वर्ष 2017-18 में प्राथमिक कक्षाओं में सर्वाधिक नामांकन वाले तीन जिले मुजफ्फरपुर (9.91 लाख), पटना (7.32 लाख) और मधुबनी (6.85 लाख) थे। वहीं उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए सर्वाधिक नामांकन वाले तीन जिले पूर्व चंपारण (7.64 लाख), सारण (5.75 लाख) और पश्चिम चंपारण (5.18 लाख) थे। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के मामले में दोनो स्तरों पर सर्वोत्तम प्रदर्शन वाला जिला गया (2.87 लाख) और सबसे कमजोर प्रदर्शन वाला जिला प्राथमिक कक्षाओं के लिए अरवल (0.17 लाख)तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए किशनगंज (0.06 लाख) था। वहीं, अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के मामले में सर्वोत्तम प्रदर्शन वाला जिला प्राथमिक शिक्षा में कटिहार (0.56 लाख) और उच्च प्राथमिक में पश्चिम चंपारण (0.21 लाख) था।

छीजन दर

बिहार में छीजन अर्थात विद्यालय छोड़ने के मामलों में कमी शिक्षा क्षेत्र के योजनाकारों द्वारा ध्यान देने के लिए अपेक्षाकृत नया फोकस है। पहले छीजन और प्रतिधारण (अर्थात विद्यालय में टिके रहने) के रुझानों पर शैक्षिक कार्यक्रमों के प्रधान परिणाम के बजाय गौण प्रभाव के बतौर सूचनादी जाती थी। लेकिन हाल में छीजन पर अधिक ध्यान गया है और यह शिक्षा के बड़े मुद्द के बतौर उभरी है। सबको प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा देने पर जोर के साथ नामांकन बढ़ा है जिससे वंचित पृष्ठभूमि और सीमांत समूहों के विद्यार्थी विद्यालयों में आ गए हैं जो पहले विद्यालय में नहीं आ पाते थे। असुरक्षित बच्चों की बड़ी संख्या और प्रति बच्चा अपेक्षाकृत कम संसाधन के कारण शिक्षा व्यवस्थाओं में विद्यार्थियों को बुनियादी शिक्षा चक्र के पूरा होने तक टिकाए रखने के मामले में कठिनाई बढ़ रही है। चूंकि विद्यार्थी बुनियादी कौशल हासिल किए बिना ही विद्यालय छोड़ देते हैं इसलिए वे खुद को ही वंचित नहीं कर लेते हैं, उनक समय से पहले चले जाने में पहले से ही कम शैक्षिक

संसाधनों की काफी बर्बादी भी व्यक्त होती है और शिक्षा की इकाई लागत बढ़ जाती है। इसलिए बिहार जैसे राज्य में निवारक उपाय और हस्तक्षेपमूलक रणनीतियों को सावधानी से तैयार करने की जरूरत है जो छीजन रोक सके। बिहार में 2012-13 से 2017-18 तक शिक्षा के प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों की छीजन दरें तालिका 11.21 में प्रस्तुत हैं। हाल के वर्षो में छीजन दरों में सभी स्तरों पर लगातार गिरावट आई है। प्राथमिक स्तर पर छीजन दर में 2012-13 (31.7 प्रतिशत) से 2017-18 (16.2 प्रतिशत) तक 15.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई। उच्च प्राथमिक स्तर पर यह गिरावट 6.9 प्रतिशत अंकों की थी। इसका अर्थ हुआ कि दोनो स्तरों पर छीजन दरें तेजी से घट रही हैं जिससे प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को बढ़ावा मिल रहा है। माध्यमिक स्तर पर छीजन दरें प्रारंभिक स्तर से काफी अधिक हैं। माध्यमिक स्तर पर 2017-18 में 56.1 प्रतिशत छीजन दर थी जो 2012-13 के 62.8 प्रतिशत की अपेक्षा 6.7 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्शाती है। इस प्रकार बिहार में अभी कक्षा 1 में नामांकित 44 प्रतिशत विद्यार्थी ही माध्यमिक स्तर की पढ़ाई पूरी कर पाते हैं।

तालिका 11.21 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर छीजन दरें(2012-13 से 2017-18)

वर्ष		2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18
प्राथमिक	लड़कियां	26.3	23.6	24.0	24.2	22.4	16.3
	लड़के	36.0	33.6	29.2	25.6	22.0	17.1
	संयुक्त	31.7	29.1	26.8	25.0	22.2	16.2
उच्च प्राथमिक	लड़कियां	38.7	34.7	38.9	36.3	38.1	36.2
	लड़के	52.4	52.4	49.9	47.0	46.8	43.0
	संयुक्त	46.7	46.5	45.1	42.2	42.9	39.8
माध्यमिक	लड़कियां	59.5	57.6	53.9	52.5	53.1	52.5
	लड़के	65.2	64.7	61.2	61.5	59.4	59.0
	संयुक्त	62.8	61.8	58.2	57.7	56.6	56.1

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

इस पर गौर करना उत्साहवर्धक है कि प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक - शिक्षा के सभी स्तरों पर छात्राओं की छीजन दरें छात्रों से कम थीं। चूंकि प्रारंभिक शिक्षा का लक्ष्य लगभग हासिल कर लिया गया है इसलिए बिहार में अब माध्यमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे राज्य में आर्थिक और सामाजिक विकास में तेजी लाने के लिए मानव पूंजी तैयार होगी। तालिका 11.22 में बिहार में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की 2012-13 से 2017-18 तक की छीजन दरें प्रस्तुत की गई हैं। समाज के वंचित तबकों के उत्थान के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति समूह के विद्यार्थियों का नामांकन, प्रतिधारण और उपस्थिति बढ़ाने के लिए लगातार अनुश्रवण जरूरी है। तालिका के आंकड़े साफ संकेत देते हैं कि इस अवधि में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छीजन दरां में भी उत्तरोत्तर कमी आई है। प्रारंभिक और माध्यमिक, दोनो स्तरों पर अनुसूचित जाति की लड़कियों की छीजन दरें पूरो अवधि में अनुसूचित जाति के लड़कों से कम रही हैं। इस अवधि में माध्यमिक स्तर पर अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों की छीजन दरों में भी लगातार गिरावट आई है।

तालिका 11.22 : प्राथमिक, उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तरों पर अजा तथा अजजा विद्यार्थियों की छीजन दरें(2012-13 से 2017-18)

वर्ष	प्राथमिक			उच्च प्राथमिक			माध्यमिक		
	लड़कियां	लड़के	संयुक्त	लड़कियां	लड़के	संयुक्त	लड़कियां	लड़के	संयुक्त
	अनुसूचित जाति								
2012-13	24.3	36.3	31.2	49.0	61.4	56.5	65.1	70.6	68.4
2013-14	13.3	30.4	23.2	40.5	54.7	48.9	64.3	69.8	67.7
2014-15	25.5	32.9	29.6	39.7	47.1	44.0	61.5	67.8	65.3
2015-16	25.3	28.0	26.7	38.5	50.1	45.2	53.4	62.9	59.1
2016-17	23.6	23.9	23.8	34.5	49.0	42.9	51.9	60.3	56.7
2017-18	17.2	16.4	16.8	43.9	52.0	48.3	53.0	62.0	58.1
	अनुसूचित जनजाति								
2012-13	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.	23.8	13.1	26.6	38.2	33.9
2013-14	15.1	23.8	10.0	2.0	21.7	12.7	23.5	37.6	32.3
2014-15	21.2	0.9	8.3	3.2	27.8	18.0	31.8	45.7	40.5
2015-16	2.8	2.3	2.6	0.0	19.9	19.9	22.7	41.1	34.1
2016-17	15.0	11.8	13.3	31.0	39.8	37.1	34.5	47.4	42.3
2017-18	8.9	10.0	9.5	18.7	18.5	18.3	24.8	38.7	33.0

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

विद्यालयों की संख्या

बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की कुल संख्या 2011-12 के 41,170 से बढ़कर 2017-18 में 74,006 हो गई। वर्ष 2017-18 में विद्यालयों की संख्या के लिहाज से सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले जिले पूर्व चंपारण (3,852), पटना (3,366)और मुजफ्फरपुर (3,359) थे। दूसरी ओर, विद्यालयों की सबसे कम संख्या वाले तीन जिले शेखपुरा (581), अरवल (526) और शिवहर (434) थे। बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या तालिका प 11.20 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात शिक्षा की गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण सूचक होता है। बिहार में नामांकन अनुपात बढ़ने के साथ शिक्षकों की संख्या भी बढ़ाने की जरूरत है। प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 30:1 और उच्च प्राथमिक स्तर पर 35:1 होना चाहिए। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की रूपरेखा में बताया गया है कि माध्यमिक स्तर पर विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 30:1 होना चाहिए। वर्ष 2017-18 में राज्य में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की कुल संख्या 2012-13 के 3.5 लाख से बढ़कर 4.1 लाख हो गई। वर्ष 2017-18 में शिक्षकों की संख्या के लिहाज से सीवान (20,499), पटना (20,347) और पूर्व चंपारण (20,037) सबसे अच्छे प्रदर्शन वाले जिले थे जबकि शेखपुरा (2264), शिवहर (2572) और अरवल (3227) सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले जिले थे। बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों की जिलावार संख्या तालिका प 11.21 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

शिक्षा पर व्यय

शिक्षा पर पर्याप्त व्यय शिक्षा क्षेत्र में कामकाज के लिए बहुत जरूरी है। तालिका 11.23 दर्शाती है कि 2018-19 में बिहार में प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय 2013-14 के 14,946 करोड़ रु. से बढ़कर 30,736 करोड़ रु. हो गया। इसमें कुल बजट आर सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय का हिस्सा भी दर्शाया गया है। इस अवधि में शिक्षा पर कुल व्यय की वृद्धि दर 13.6 प्रतिशत रही है। कुल व्यय में शिक्षा व्यय के हिस्से की बात करें, तो यह 2013-14 के 18.6 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 20.1 प्रतिशत हो गया। दूसरी ओर और सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय में शिक्षा पर व्यय का हिस्सा 2013-14 में 52.9 प्रतिशत था जो 2018-19 में 49.3 प्रतिशत रह गया। शिक्षा पर कुल व्यय में उसके तीनों घटकों (प्रारंभिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा) के हिस्सों के वितरण से स्पष्ट है कि शिक्षा पर कुल व्यय में प्रारंभिक शिक्षा का हिस्सा अन्य दो श्रेणियों की अपेक्षा अधिक है। वर्ष 2018-19 में कुल व्यय में प्रारंभिक शिक्षा पर व्यय का 62.3 प्रतिशत,माध्यमिक शिक्षा पर व्यय का 24.2 प्रतिशत और उच्च शिक्षा पर व्यय का 13.5 प्रतिशत हिस्सा था।

तालिका 11.23 : शिक्षा पर व्यय (2013-14 से 2018-19)

वर्ष	शिक्षा पर व्यय (करोड़ रु.)			योगफल	शिक्षा पर व्यय (प्रतिशत)	
	पाथमिक	माध्यमिक	उच्च		कुल बजट का	सामाजिक क्षेत्र का
2013-14	7764 (51.9)	2987 (20.0)	4195 (28.1)	14946(100.0)	18.6	52.9
2014-15	12140 (68.1)	3368 (18.9)	2325 (13.0)	17833 (100.0)	18.8	53.4
2015-16	13327 (68.7)	3677 (19.0)	2382 (12.3)	19386 (100.0)	17.3	50.1
2016-17	13880 (70.4)	3507 (17.8)	2326 (11.8)	19713 (100.0)	15.6	44.5
2017-18	15638 (66.1)	3930 (16.6)	4088 (17.3)	23656 (100.0)	17.3	47.3
2018-19	19152 (62.3)	7450 (24.2)	4134 (13.5)	30736 (100.0)	20.1	49.3
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	16.4	15.3	4.7	13.6	13.5	16.4

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।
स्रोत : राज्य सरकार क वित्तीय आंकड़े, बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन योजना

केंद्र सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रारंभिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) आम तौर पर मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस) के नाम से जानी जाने वाली योजना 'राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा पोषण सहायता कार्यक्रम' (एनपी-एनएसपीई) की शुरुआत देश के स्तर पर 15 अगस्त, 1995 को की गई थी। योजना का उद्दश्य सरकारी और सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों मे नामांकन बढ़ाने, छीजन दर घटाने और विद्यालय के बच्चों के पोषण के स्तर में सुधार लाने के लिए बच्चों को पोषक आहार उपलब्ध कराना है। शुरू में याजना देश के 2408 प्रखंडों में लागू की गई थी लेकिन 1997-98 में इसे देश के सभी प्रखंडों में लागू कर दिया गया। वर्ष 2001 में मध्याह्न भोजन योजना साल में कम से कम 200 दिनों तक न्यूनतम 300 कैलोरी ऊर्जा और 8 से 12 ग्राम प्रोटीन वाले पके मध्याह्न भोजन की योजना बन गई। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को ही नहीं, शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा (एआइई) केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को भी शामिल करने के लिए 2002 में इसका विस्तार किया गया। संशोधित योजना में खाद्यान्नों की मुफ्त आपूर्ति के अलावा इनके लिए भी केंद्रीय सहायता दी गई - (क) खाना पकाने का खर्च 1

रु. प्रति बच्चा प्रति विद्यालय प्रतिदिन, (ख) परिवहन अनुदान को पूर्व के 50 रु. प्रति क्विंटल से बढ़ाकर विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए 100 रु. प्रति क्विंटल और अन्य राज्यों के लिए 75 रु. प्रति क्विंटल कर दिया गया, (ग) प्रबंधन, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन व्यय खाद्यान्न, परिवहन अनुदान और रसोई संबंधी सहायता पर व्यय का 2 प्रतिशत कर दिया गया, और (घ) सूखा प्रभावित क्षेत्रों में गर्मी की छुट्टियों में भी मध्याह्न भोजन का प्रावधान किया गया। खाना पकाने का खर्च बढ़ाकर उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए 1.80 रु. प्रति बच्चा प्रति विद्यालय प्रतिदिन और अन्य राज्यों के लिए 1.50 रु. प्रति बच्चा प्रति विद्यालय प्रतिदिन करने के लिए 2006 में योजना को एक बार और संशोधित किया गया। पोषण संबंधी मानक को भी संशोधित करके 450 कैलोरी और 12 ग्राम प्रोटीन कर दिया गया। उच्च प्राथमिक (कक्षा 6 से 8) के विद्यार्थियों को भी योजना के तहत लाने की योजना को आरंभ में 3479 शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में लागू करने के लिहाज से योजना को अक्तूबर 2007 में एक बार पुनः संशोधित किया गया। वर्ष 2008-09 से कार्यक्रम का आच्छादन बढ़ाकर पूरे देश के सभी क्षेत्रों में सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सभी विद्यार्थियों तथा सर्व शिक्षा अभियान के तहत समर्थित मदरसा और मक्तब सहित शिक्षा गारंटी योजना (ईजीएस) और वैकल्पिक एवं नवाचारी शिक्षा (एआइई) केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को इसमें शामिल कर लिया गया। उच्च प्राथमिक स्तर पर मिड-डे मिल में प्रति छात्र प्रतिदिन 150 ग्राम खाद्यान्न (चावल/गेहूं) की पूर्ति की जाती है, जिसमें 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन भी उपलब्ध कराया जाता है। योजना के केंद्रोय मानक के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के व्यय के पैटर्न में केंद्रांश और राज्यांश का अनुपात 60:40 है। योजना के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए मध्याह्न भोजन में पोषक पदार्थों की मात्रा और हर दिन के मेनू के लिए भी दिशानिदेश उपलब्ध कराए गए हैं (तालिका 11.24)।

तालिका 11.24 : मध्याह्न भोजन योजना के तहत आहार, पोषण और कैलोरी संबंधी मानक और हर दिन का मेनू

मद	प्राथमिक (1-5)	उच्च प्राथमिक (6-8)
क. पोषण संबंधी मानक (प्रति बच्चा प्रतिदिन)		
1. कैलोरी	450	700
2. प्रोटीन	12 ग्राम	20 ग्राम
ख. आहार संबंधी मानक (प्रति बच्चा प्रतिदिन)		
1.खाद्यान्न (चावल/ गेहूं)	100 ग्राम	150 ग्राम
2. दाल	20 ग्राम	30 ग्राम
3.सब्जियां	50 ग्राम	75 ग्राम
4.तेल और वसा	5 ग्राम	7.5 ग्राम
5.नमक-मसाले	आवश्यकतानुसार	आवश्यकतानुसार
6.सूक्ष्म-पोषक तत्व	राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अनुरूप आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन-ए आदि सूक्ष्म-पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा	
बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के लिए हर दिन का मेनू		
सोमवार	चावल + मिश्रित दाल + हरी सब्जियां	
मंगलवार	जीरा राइस + सोयाबीन-आलू की सब्जी	
बुधवार	साग डाली हुई खिचड़ी + चोखा + केला/ मौसमी फल	
वृहस्पतिवार	चावल + मिश्रित दाल + हरी सब्जियां	
शुक्रवार	पुलाव + काबली चना/ लाल चना + हरा सलाद + अंडा/ मौसमी फल	
शनिवार	साग डाली हुई खिचड़ी + चोखा + केला/ मौसमी फल	

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना, बिहार सरकार

मध्याह्न भोजन योजना के आच्छादन का आशय योजना से लाभान्वित होने वाले बच्चां के प्रतिशत से है (तालिका 11.25)। वर्ष 2018-19 में प्राथमिक स्तर पर योजना का आच्छादन 60.8 प्रतिशत था जो 2013-14 के 67.0 प्रतिशत से 6.2 प्रतिशत कम है। इसी प्रकार, उच्च प्राथमिक स्तर पर याजना का आच्छादन 2013-14 मं 67.0 प्रतिशत था जो 2018-19 में घटकर 56.3 प्रतिशत रह गया।

तालिका 11.25 : मध्याह्न भोजन योजना का आच्छादन (2013-14 से 2018-19)

वर्ष	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कक्षा 1 से 5						
कुल नामांकन (लाख में)	141.62	143.18	144.68	141.70	126.59	119.4
रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या (लाख में)	94.89	94.36	99.28	89.70	79.85	72.64
आच्छादन का प्रतिशत	67.0	65.9	68.6	63.3	63.1	60.8
कक्षा 6 से 8						
कुल नामांकन (लाख में)	57.57	60.59	62.67	66.27	62.84	61.55
रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चों की संख्या (लाख में)	38.57	36.99	40.02	37.80	36.24	34.65
आच्छादन का प्रतिशत	67.0	61.0	63.9	57.0	57.7	56.3

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना, बिहार सरकार

इस बात के अलावा कि मध्याह्न भोजन योजना का प्राथमिक और उच्च प्राथमिक, दोनो स्तरों पर वास्तविक आच्छादन 100 प्रतिशत के आदर्श स्तर से काफी कम है, तालिका प 11.22 और तालिका प 11.23 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में यह भी देखा गया कि योजना के आच्छादन में जिलों के बीच काफी अंतर है। वर्ष 2018-19 में प्राथमिक स्तर पर मध्याह्न भोजन योजना के निम्न आच्छादन वाले जिले वैशाली (53.1 प्रतिशत), भोजपुर (54.3 प्रतिशत) और कटिहार (54.4 प्रतिशत) थे जबकि अपेक्षाकृत अधिक आच्छादन वाले जिले पश्चिम चंपारण (70.7 प्रतिशत), कैमूर (67.5 प्रतिशत) और बेगूसराय (65.8 प्रतिशत) थे। वहीं, 2018-19 में उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्न आच्छादन वाले जिले कटिहार (46.7 प्रतिशत), अररिया (47.7 प्रतिशत) और पूर्णिया (48.9 प्रतिशत) थे जबकि उस वर्ष उच्च आच्छादन वाले जिले पश्चिम चंपारण (64.3 प्रतिशत), शिवहर (62.7 प्रतिशत) और सारण (61.4 प्रतिशत) थे।

समग्र शिक्षा अभियान

शिक्षा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपांतरण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए मुख्य माध्यम है। वर्ष 1976 के पहले शिक्षा पूरी तरह से राज्यों की जिम्मेवारी हुआ करती थी। बाद में 1976 के संविधान संशोधन के जरिए शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया। वर्ष 2018-19

के केंद्रोय बजट में विद्यालय-पूर्व से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा को बिना बांटे समग्रता में देखने का प्रस्ताव किया गया। विद्यालयों की प्रभाविता और शैक्षिक परिणामों में सुधार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2018-19 में विद्यालय-पूर्व से कक्षा 12 तक की शिक्षा को समेटने वाले कार्यक्रम'समग्र शिक्षा अभियान' की शुरुआत की गई है। इसमें मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहले की तीन अग्रणी योजनाओं - (1) प्रारंभिक स्तर (कक्षा 1 से 8) को कवर करने वाले सर्व शिक्षा अभियान, (2) कक्षा 9 और 10 तथा कक्षा 11 और 12 के कुछ खास घटकों को कवर करने वाले राष्टोय माध्यमिक शिक्षा अभियान, और (3) कक्षा 1 से 10 तक पढ़ाने के लिए शिक्षकों की गुणवत्ता बढ़ाने के लिहाज से शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों को अधिसंरचनात्मक और संस्थागत सहयोग देने के लिए लक्षित अध्यापक शिक्षा पर केंद्रोय प्रायोजित योजना (सीएसएसटीई) को समाहित कर दिया गया ह। क्षेत्र-वार विकास कार्यक्रम से सभी स्तरों पर क्रियान्वयन तंत्रों और लेनदेन व्ययों को संतुलित करने में भी मदद मिलेगी। योजना का मुख्य उद्दश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान और विद्यार्थियों के शैक्षिक परिणामों में वृद्धि, स्कूली शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल में कमी, तथा स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समता और समावेश सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम के संभावित परिणामों की कल्पना सबकी पहुंच, समानता और गुणवत्ता, शिक्षा के व्यावसायीकरण को बढ़ावा देने और अध्यापक शिक्षा संस्थानों का सुदृढ़ीकरण के बतौर की गई है।

विभाग द्वारा राज्य स्तर पर योजना का क्रियान्वयन एकल राजकीय क्रियान्वयन समिति के जरिए केंद्र प्रायोजित योजना के बतौर की जाएगी। वहीं राष्टोय स्तर पर मानव संसाधन विकास मंत्री की शीर्षता वाला शासी परिषद और स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव की शीर्षता वाला परियोजना स्वीकृति पर्षद (पीएबी) होगा। पहुंच, समता और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से संबंधित कार्यशील क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा देने के लिए विभाग को एडुकेशनल कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड (एडसिल) के तकनीकी सहयोग समूह (टीएसजी) से सहायता मिलेगी। तीनो पूर्ववर्ती योजनाओं के तकनीकी सहयोग समूहों को मिलाकर नए तकनीकी सहयोग समूह का गठन किया जाएगा। राज्यों से आशा की जाएगी कि वे पूरे स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एकल योजना तैयार करें। वर्तमान समय में योजना के वित्तपोषण में केंद्र और बिहार जैसे अविशेष श्रेणी वाले राज्यों का 60:40 के अनुपात में हिस्सा होगा। योजना के तहत स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर प्रस्तावित मुख्य हस्तक्षेपों में शामिल हैं : अधिसंरचना विकास और प्रतिधारण, जेंडर और समता, समावेशी शिक्षा सहित सर्वव्यापी पहुंच, डिजिटल पहलकदमियां, पोशाकों और पाठ्यपुस्तकों सहित शिक्षाधिकार आधारित हक, विद्यालय-पूर्व शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, खेलकूद और शारीरिक शिक्षा आदि। प्रस्ताव है कि हस्तक्षेपों में शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों (ईबीबी), वामपंथी अतिवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित प्रखंडों, विशेष फोकस वाले जिलों (एसएफडी), सीमावर्ती क्षेत्रों और 117 आकांक्षी जिलों को तरजीह दी जाएगी। योजना का मुख्य जोर दो 'टी' - शिक्षक और प्रौद्योगिकी - को फोकस करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार पर है।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति, अनसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक और बीपीएल परिवारों जैसे वंचित समूहों की लड़कियों के लिए स्थापित आवासीय उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इनका

लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा में लैंगिक अंतराल कम करना है और ये शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंडों में चल रहे हैं। शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंड गांवों और जिला के बीच मध्यवर्ती भौगोलिक संकुल हैं जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्टोय औसत से कम हो और साक्षरता दर में लैंगिक अंतराल राष्टोय औसत से अधिक हो। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में 75 प्रतिशत नामांकन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों का किया जाएगा और उसके बाद ही 25 प्रतिशत लड़कियां अन्य परिवारों की होंगी। समग्र शिक्षा योजना में वर्तमान कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों मेंउच्च प्राथमिक स्तर तक शिक्षा का प्रावधान है जबकि कक्षा 12 तक आवासीय विद्यालय की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए माध्यमिक स्तर पर बालिका छात्रावास होंगे। इससे हर उस शैक्षिक रूप से पिछड़े प्रखंड में जिसमें किसी अन्य योजना के तहत आवासीय विद्यालय नहीं हों, वहां कक्षा 6 से 12 तक की लड़कियों के लिए कम से कम एक आवासीय विद्यालय की सुविधा मिलेगी। अभी तक राज्य में 535 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय चल रहे हैं जिनमें से 500 विद्यालय शिक्षा समितियों द्वारा और 35 गैर-सरकारी संगठनों के जरिए चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों में कुल 50,581 लड़कियां नामांकित हैं जिनमें से 20,243 कक्षा 6 की, 15,508 कक्षा 7 की और 14,830 कक्षा 8 की लड़कियां हैं। इन 50,581 नामांकित लड़कियों में से 23,255 (46 प्रतिशत) अजा, 4189 (8 प्रतिशत) अजजा, 17,963 (35 प्रतिशत) अन्य पिछड़ा वर्ग की, 1762 (4 प्रतिशत) बीपीएल और 3412 (7 प्रतिशत) अल्पसंख्यक लड़कियां हैं। हर कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों क 10 स्वीकृत पद हैं। साथ ही, उन विद्यालयों में अभी व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए 280 अनुदेशिकाएं भी काम कर रही हैं।

वर्ष 2013 में शुरू किया गया राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (आरयूएसए- रूसा) एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसका लक्ष्य विभिन्न राज्यों में पात्र उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्तपोषण उपलब्ध कराना है। इसके वित्तपोषण में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60:40 के अनुपात में हिस्सा रहता है। चिन्हित संस्थानों तक पहुंचने के पहले धनराशि का प्रवाह केंद्रोय मंत्रालय से राज्य सरकारों को और उनसे राजकीय उच्च शिक्षा परिषदों को होता है। राज्यों को किया जाने वाला वित्तपोषण राजकीय उच्च शिक्षा योजनाओं के सख्त मूल्यांकन के आधार पर होता है जिसमें समता, पहुंच और उच्च शिक्षा में उत्कृष्टता संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए हर राज्य की रणनीति का वर्णन हो। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान के पहले चरण में राज्यों को दी जाने वाली केंद्रोय सहायता 60 शैक्षिक रूप से पिछड़े जिलों में से प्रत्येक में, जहां उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात (जीईआर) राष्टोय औसत से कम हो, एक आदर्श स्नातक महाविद्यालय के मापदंड पर दी गई थी। अभियान के दूसरे चरण में फोकस नीति आयोग द्वारा चिन्हित 'आकांक्षी जिलों' में और उत्तर-पूर्व के तथा हिमालयी राज्यों के असेवित और अल्पसेवित जिलों में नए आदर्श स्नातक महाविद्यालय शुरू करने पर है।

तालिका 11.26 में 2017-18 और 2018-19 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और सर्व शिक्षा अभियान में बंटवारा के साथ बिहार शिक्षा परियोजना (बीईपी) का स्वीकृत बजट और कुल व्यय प्रस्तुत किया गया है। तालिका से स्पष्ट है कि बिहार शिक्षा परियोजना के व्यय में सर्व शिक्षा अभियान

का मुख्य हिस्सा रहा है। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान का व्यय क्रमश: 8396.1 करोड़ रु. और 4826.3 करोड़ रु. था जो कुल व्यय का लगभग 96 प्रतिशत था। बजट के प्रतिशत के बतौर व्यय भी सर्व शिक्षा अभियान के मामले में सर्वाधिक था – 2017-18 में79.5 प्रतिशत और 2018-19 में 65.5 प्रतिशत। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, दोनो के लिए यह अनुपात बहुत कम था।

तालिका 11.26 : विभिन्न योजनाओं के तहत प्राप्त धनराशि और किए गए व्ययों की स्थिति (2017-18 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

कार्यक्रम	स्वीकृत वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट	विमुक्त धनराशि			कुल व्यय	व्यय वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के प्रतिशत में
		भारत सरकार	बिहार सरकार	योगफल		
2017-18						
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	133.33	29.51	17.75	47.26	44.37	33.3
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1448.74	186.34	134.51	320.85	320.85	22.1
सर्व शिक्षा अभियान	10558.59	2557.97	5838.13	8396.10	8396.10	79.5
योगफल	**12140.66**	**2773.82**	**5990.39**	**8764.21**	**8761.32**	**72.2**
2018-19						
राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	85.16	2.10	0.40	2.50	1.00	1.2
राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान	1353.73	113.21	96.15	209.36	208.80	15.4
सर्व शिक्षा अभियान	7371.58	2960.59	1940.39	4900.98	4826.27	65.5
योगफल	**8810.47**	**3075.90**	**2036.94**	**5112.84**	**5036.07**	**57.2**

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार सरकार

उच्च शिक्षा

18 से 23 वर्ष उम्र की 1.18 करोड़ युवा आबादी होने के कारण बिहार के लिए उच्च शिक्षा के पर्याप्त अवसर पैदा करना जरूरी है। अभी राज्य में 879 महाविद्यालय और 33 विश्वविद्यालय काम कर रहे हैं जिनमें से 28 पारंपरिक विश्वविद्यालय हैं और एक मुक्त विश्वविद्यालय। राज्य में 4 प्राइवेट विश्वविद्यालय और 15 शोध संस्थान भी हैं (तालिका 11.27)। वर्ष 2018 में राज्य में कुल 278 राजकीय महाविद्यालय और 564 स्थानीय निकाय महाविद्यालय थे। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है। वर्ष 2018 में राज्य में 60 शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान थे जिनमें से 31 के ही रिपोर्टिंग केंद्रों के बतौर होने की सूचना है। वर्ष 2018 में राज्य में 34 अभियंत्रण महाविद्यालय थे जबकि 2014 में इनकी संख्या

24 ही थी। राज्य में 54 पॉलीटेकनीक संस्थान भी हैं। अभी राज्य में 87 महाविद्यालयों और 7 विश्वविद्यालयों को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) की मान्यता प्राप्त है। संबद्ध और अंगीभूत (कंस्टीट्यूएंट) महाविद्यालयों तथा तकनीकी महाविद्यालयों का 2015-16 से 2018-19 तक का जिलावार ब्योरा तालिका प 11. 23 और तालिका प 11.24 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

तालिका 11.27 : उच्च शिक्षा केसंस्थान (2014-2018)

(संख्या)

संस्थानों का प्रकार/ वर्ष	2014	2015	2016	2017	2018
विश्वविद्यालय					
केंद्रीय विश्वविद्यालय	2	2	4	4	4
राजकीय सार्वजनिक विश्वविद्यालय	14	14	13	13	17
राष्ट्रीय महत्व के संस्थान	3	3	3	3	5
राज्यपोषित मुक्त विश्वविद्यालय	1	1	1	1	1
राज्य विधानमंडल अधिनियम के तहत संस्थान	1	1	1	1	1
समकक्ष (डीम्ड) विश्वविद्यालय	1	1	1	1	1
राजकीय प्राइवेट विश्वविद्यालय					4
योगफल	**22**	**22**	**23**	**23**	33
शोध संस्थान	15	15	15	15	15
महाविद्यालय/ केंद्र					
सरकारी महाविद्यालय/ अंगीभूत महाविद्यालय	278	276	276	277	278
स्थानीय निकाय महाविद्यालय/ संबद्ध महाविद्यालय	416	468	478	496	564
स्नातकोत्तर केंद्र/ परिसरेतर केंद्र	9	9	9	9	9
मान्यता-प्राप्त केंद्र	13	16	18	18	28
योगफल	**716**	**769**	**781**	**800**	879
शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र/ अभियंत्रण महाविद्यालय					
शिक्षा/ शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (प्राथमिक)	43	60	60	60	60
अभियंत्रण महाविद्यालय	24	23	28	28	34
शिक्षा/ शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र (प्राथमिक)	26	29	39	50	54
योग	**93**	**112**	**127**	**138**	**148**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

विद्यालयी शिक्षा सबंधी परिणाम

- मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी व्यापक योजना है जिसमें मुख्यमंत्री पोशाक योजना भी शामिल है। मुख्यमंत्री पोशाक योजना के तहत 2018-19 में 730.84 करोड़ रु. के व्यय से 77.4 लाख विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं।

- समग्र शिक्षा अभियान के अनुसार 2018-19 में कुल 5589.82 करोड़ रु. का व्यय हुआ जो आबंटित रकम का लगभग 82 प्रतिशत है।

- वर्ष 2018-19 में 21,286 प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं और 19,630 प्राथमिक विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत माध्यमिक स्तर तक उत्क्रमित किया गया है। इसी प्रकार 1106 विद्यालयों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत उच्च माध्यमिक स्तर तक उत्क्रमित किया गया है।

- 6 से 14 वर्ष की उम्र वाले विद्यालय-त्यागी बच्चों को विद्यालयों में लाने में बिहार ने उल्लेखनीय प्रगति की है। वर्ष 2018-19 में लगभग 64.14 लाख बच्चे प्रत्यक्ष नामांकन के जरिए विद्यालयों में शामिल किए गए और 64.8 हजार बच्चों का आच्छादन विशेष प्रशिक्षण के जरिए हुआ। अब विद्यालय-त्यागी बच्चों की संख्या 1 प्रतिशत से भी कम हो गई है

- शिक्षक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के मुख्य घटक हैं। अभी राज्य में 3,88,607 शिक्षक कार्यरत हैं। स्वीकृत पदों और नियुक्त शिक्षकों के बीच 42,754 अंशकालिक शिक्षकों सहित 2,46,688 का फासला है। अतिरिक्त शिक्षकों की नियुक्ति शीघ्र ही की जाएगी। कार्यरत शिक्षकों के लिहाज से विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात 50:1 है जबकि स्वीकृत शिक्षकों के अनुसार 34:1 है।

- बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षा एवं परीक्षा पर्षद (बीबीओएसई - बीबोस) राज्य सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा गठित स्वायत्त संस्था है। यह भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय के राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की तर्ज पर गठित मुक्त एवं दूर-शिक्षा संस्थान है। इसका अधिदेश मुक्त और दूर-शिक्षा माध्यम से शिक्षा और कौशल के लिहाज से 'असंपर्कित तक पहुंच' है। अभी राज्य में 3301 शिक्षण केंद्र हैं। अकादमिक सत्र 2017-18 के अनुसार कुल 66,378 विद्यार्थियों का नामांकन हुआ है जिनमें से 42,081 पुरुष हैं और 26,297 महिलाएं।

कला, संस्कृति एवं युवा कार्य

युवा वर्ग समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है क्योंकि भावी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास उन्हीं पर निर्भर करते हैं। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है जहां की 27.5 प्रतिशत आबादी 15 से 29 वर्ष उम्र की है। बिहार में इस उम्र समूह के लोगों का 24.2 प्रतिशत हिस्सा है। कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग की विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य सरकार ने 2019-20 में 155.19 करोड़ रु. कर्णांकित किए हैं। कला, संस्कृति और युवाओं के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। जैसे :

(1) **सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण :** जिला स्थापना दिवस, जिला युवा उत्सव और बिहार दिवस जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के लिए प्रत्येक जिले को 7.00 लाख रु. आबंटित किए गए हैं। श्रावणी मेला के अवसर

पर सुल्तानगंज (भागलपुर), अवरखा (बांका), कमरसार (मुंगेर), भगवानपुर (वैशाली) और मुजफ्फरपुर जैसे विभिन्न स्थानों पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। बिहार के सांस्कृतिक समूह ने हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 19 से 25 अक्तूबर, 2018 तक आयोजित कुल्लू दशहरा उत्सव में भाग लिया था। 1 से 3 फरवरी, 2019 तक पटना साहित्य उत्सव आयोजित किया गया जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों के साहित्यकारों ने हिस्सा लिया।

(2) **अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में सांस्कृतिक कार्यक्रम :** अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए जिला प्रशासन द्वारा औरंगाबाद, रोहतास, कैमूर, पटना, पश्चिम चंपारण (बेतिया), बांका, शिवहर, लखीसराय, पूर्व चंपारण (मोतिहारी), नवादा, गया, अरवल, वैशाली और जमुई में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रति जिला 2.00 लाख रु. की दर से 2018-19 में कुल 30.00 लाख रु. कर्णांकित किए गए थे।

(3) **कलाकार कल्याण कोष :** रोगों के इलाज, वाद्य यंत्रों की खरीद, आमंत्रण पर प्रदर्शन के लिए देश-विदेश के विभिन्न भागों की यात्रा और उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान में कलाकारों को सहयोग देने के लिए एक कलाकार कल्याण कोण विकसित किया गया है। कोष का उपयोग कलाकृतियों की प्रदर्शनी और व्याख्यान तथा संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए भी किया जा सकता है।

(4) **फिल्म सिटी का निर्माण :** बिहार में फिल्मों के विकास के लिए नालंदा जिले के राजगिर में सार्वजनिक-निजी साझीदारी में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए राजगिर में 20 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई है। राज्य ने बिहार राज्य फिल्म विकास एवं प्रोत्साहन नीति, 2019 भी विकसित की है।

(5) **एकलव्य राजकीय आवासीय क्रोड़ा प्रशिक्षण केंद्र :** मुख्यमंत्री खेल विकास योजना के मानकों के अनुसार सरकारी विद्यालयों के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों का चयन करके एकलव्य राजकीय आवासीय क्रीड़ा प्रशिक्षण केंद्र में भेजा जाता है ताकि उनकी प्रतिभा विकसित की जा सके। अभी ऐसे 40 प्रशिक्षण केंद्र स्वीकृत किए गए हैं जिनमें से 30 काम कर रहे हैं। ये राज्य के 22 जिलों में चल रहे हैं।

11.5 समाज कल्याण

समाज कल्याण का आशय सामाजिक सेवाओं के प्रावधान से, खास कर स्वास्थ्य देखरेख, आवास, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से है। राज्य सरकार का नजरिया समावेशी समाज बनाने का है जिसमें लक्ष्य समूह के सदस्य अपनी बेहतरी और विकास के लिए पर्याप्त सहायता पाकर सुरक्षित और सम्मानित जीवन जी सकें। राज्य सरकार का लक्ष्य शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के कार्यक्रमां, तथा जरूरत पर पुनर्वास के कार्यक्रमां के जरिए सहयोग देकर उनका सशक्तीकरण करना है। इस खंड में बिहार में दलितों, महादलितों, अन्य पिछड़ा वर्गों, अति पिछड़ा वर्गों, अल्पसंख्यकों, महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर तबकों के लिए चलने वाली विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई है।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण

राज्य में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के मकसद से राज्य सरकार ने 2007 में एक अलग विभाग का गठन किया था। बिहार में अनुसूचित जाति की 22 जातियां हैं और 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की आबादी में अनुसूचित जाति 15.9 प्रतिशत तथाअनुसूचित जनजाति 1.3 प्रतिशत हिस्सा है। बिहार में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग द्वारा उनकी आर्थिक, शैक्षिक और सामाजिक उन्नति के लिए अनेक योजनाएं चलाई जाती हैं।

- **मुसहर और भुइयां समुदाय के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति :** वर्ष 2018-19 में मुसहर और भुइयां हेतु छात्रवृत्ति योजना के तहत 10.66 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए जिसमें से 2.40 करोड़ रु. कार्यार्पित व्यय और स्थापना व्यय के थे। वर्ष 2019-20 के लिए भी 10.66 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए जिसमें से कार्यार्पित व्यय और स्थापना व्यय का हिस्सा 2.40 करोड़ रु. है।

- **सफाई और अस्वास्थ्यकर पेशों में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्रवेशिका-पूर्व छात्रवृत्ति :** सफाई और अस्वास्थ्यकर पेशों में लगे लोगों के बच्चों के लिए प्रवेशिका-पूर्व छात्रवृत्तियोजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना के तहत केंद्र सरकार से राज्य सरकारों को 100 प्रतिशत केंद्रोय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना का उद्दश्य निम्नलिखित तबकों में से किसी एक के बच्चों को वित्तोय सहायता प्रदान की जाती है : (1) सिर पर मैला ढोने वाले, (2) चमड़ा उतारने और कमाने वाले, (3) कूड़ा बीनने वाले, और (4) जोखिमपूर्ण सफाईकार्य करने वाले। कक्षा 1 से 10 के विद्यार्थियों को 10 महीनों के लिए 225 रु. प्रति माह और छात्रावास में रहने वाले कक्षा 3 से 10 तक के विद्यार्थियों को 10 महीनों के लिए 700 रु. प्रति माह छात्रवृत्ति दी जाती है। साथ ही, रोज स्कूल आने-जाने वाले विद्यार्थियों को 750 रु. और छात्रावास में रहने वाले विद्यार्थियों को 1000 रु. प्रति वर्ष प्रति विद्यार्थी तदर्थ अनुदान दिया जाता है। इसके अलावा, लक्षित समूह के नि:शक्त बच्चों के लिए अतिरिक्त भत्तों के प्रावधान भी हैं। वर्ष 2019-20 में इस योजना के तहत स्थापना और कार्यार्पित व्यय के लिए 40.00 लाख रु. स्वीकृत किए गए हैं।

- **मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना :** वर्ष 2008-09 में शुरू हुई मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना के तहत बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हर अजा/अजजा विद्यार्थी को 10,000 रु. छात्रवृत्ति दी जाती ह। वर्ष 2016-17 से द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले हर अजा/अजजा विद्यार्थी को भी 8,000 रु. छात्रवृत्ति दी जाती है। इसके अलावा उच्च माध्यमिक परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने पर 15,000 रु. और द्वितीय श्रेणी में उत्तीण होने पर 10,000 रु. मेधावृत्ति दी जाती है। इस योजना के तहत 2018-19 में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा विद्यार्थियों के लिए 101.61 करोड़ रु. और अजजा विद्यार्थियों के लिए 12.68 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। साथ ही, उच्च माध्यमिक के लिए भी 26.47 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। वर्ष 2019-20 में माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा विद्यार्थियों के लिए 105.00 करोड़ रु. और अजजा विद्यार्थियों के लिए 16.36 करोड़ रु. आबंटित किए गए। उच्च माध्यमिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले अजा/अजजा विद्यार्थियों के लिए 63.40 करोड़ रु. का आबंटन किया गया।

- **बाबू जगजीवन राम छात्रावास निर्माण योजना :** एक केंद्र प्रायोजित योजना -बाबू जगजीवन राम छात्रावास निर्माण योजना -के तहत 2018-19 में 8.50 करोड़ रु. व्यय किए गए और 2019-20 के लिए भी 8.50 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए। अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण की यह योजना इन जातियों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पाने में सक्षम बनाने और उसके लिए प्रोत्साहित करने का एक साधन है। राज्य के ग्रामीण और सुदूर क्षेत्रों के ऐसे विद्यार्थियों के लिए ऐसे छात्रावास अत्यंत लाभप्रद हैं। अनुसूचित जाति की लड़कियों के लिए छात्रावास निर्माण की योजना तो तीसरी पंचवर्षीय योजना (1961-66) से ही चल रही है, लेकिन लड़कों के लिए यह योजना 1989-90 से शुरू हुई। इस योजना को 2008 में और उसके बाद 2018 में संशोधित किया गया।

- **आवासीय विद्यालय :** अभी राज्य सरकार द्वारा अजा विद्यार्थियों के लिए 65 और अजजा विद्यार्थियों के लिए 20 आवासीय विद्यालय चलाए जा रहे हैं। इन विद्यालयों की कुल स्वीकृत क्षमता अजा विद्यार्थियों के लिए 25,040 और अजजा विद्यार्थियों के लिए7520 है। थरुहट क्षेत्र के 5 आवासीय विद्यालयों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए पढ़ाई का काम शुरू हो गया है। वर्ष 2018-19 में अजा विद्यार्थियों के लिए 119.43 करोड़ रु. और अजजा विद्यार्थियों के लिए 20.09 करोड़ रु. आबंटित किए गए।

- **परीक्षा-पूर्व कोचिंग केंद्र :** अभी अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए 7 परीक्षा-पूर्व कोचिंग केंद्र (पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण और आरा में एक-एक) चल रहे हैं जिनमें विभिन्न परीक्षाओं के लिए लगभग 1680 प्रत्याशियों को कोचिंग दी जा रही है। वर्ष 2017-18 में मुंगर, पूर्णिया और सहरसा में स्थापना के लिए 3 और परीक्षा-पूर्व कोचिंग केंद्रों को स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी। इसके अलावा, पटना के चाणक्य प्रबंधन संस्थान में एक विद्यार्थी मार्गदर्शन केंद्र भी चल रहा है। इन केंद्रों में पढ़ रहे सारे विद्याथो मासिक छात्रवृत्ति भी पाने के हकदार हैं। वर्ष 2018-19 में योजना के कार्यार्पित और स्थापना व्ययों के लिए 1.98 करोड़ रु. आबंटित किए गए।

- **समेकित थरुहट विकास परियोजना :** समेकित थरुहट विकास परियोजना के तहत ऐसे प्रखंडों के लिए 97.45 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं जिनमें थारू जनजाति सहित अनुसूचित जाति के लोग बहुसंख्यक हैं। बगहा-2, रामनगर, गौनाहा और मैनाटांड़ प्रखंडों के लिए स्वीकृत 258 योजनाओं में से 243 पूरी हो गई हैं और शेष 15 निर्माणाधीन हैं।

अजा/ अजजा कल्याण का कुल बजट 2017-18 के 1844.72 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 1926.14 करोड़ रु. हो गया (तालिका 11.28)। साथ ही, 2017-18 में वास्तविक व्यय 1364.92 करोड़ रु. था जो 2018-19 में बढ़कर 1465.20 करोड़ रु. हो गया जो उपयोगिता प्रतिशत में 2.1 प्रतिशत अंकों की वृद्धि दर्शाता है। राज्य की प्रमुख अजा/ अजजा कल्याण योजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति के जिला स्तरीय आंकड़े तालिका प 11.26 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। इन आंकड़ों से पता चलता है कि विभिन्न जिलों के बीच भौतिक और वित्तीय, दोनो प्रकार की प्रगति के लिहाज से काफी अंतर है।

तालिका 11.28 : अजा एवं अजजा कल्याण हेतु परिव्यय आबंटन का अवलोकन (2017-18 और 2018-19)

(करोड़ रु.)

मद	मुख्य शीर्ष	2017-18			2018-19		
		बजट	वास्तविक व्यय	उपयोग का प्रतिशत	बजट	वास्तविक व्यय	उपयोग का प्रतिशत
अजा एवं अजजा	2225	1388.18	920.39	66.3	1449.84	1049.09	72.4
सचिवालय सेवाएं	2251	5.22	3.86	73.9	6.60	5.58	84.5
पूंजीगत परिव्यय	4059	434.21	428.07	98.6	457.50	402.83	88.0
सहकारी समितियों पर पूंजीगत परिव्यय	4425 /2225	16.61	12.61	75.9	11.70	7.70	65.8
अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2070	0.50	0.00	0.0	0.50	0.00	0.0
योगफल		**1844.72**	**1364.92**	**74.0**	**1926.14**	**1465.20**	**76.1**

स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

महादलित

राज्य महादलित आयोग के प्रतिवेदनों के अनुरूप महादलितों की उन्नति के लिए कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन के लिहाज से गठित बिहार महादलित विकास मिशन संस्था निबंधन अधिनियम, 1860 के तहत निबंधित है। आयोग ने पाया कि बिहार की 22 में से 21 अनुसूचित जातियां आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक स्थिति के लिहाज से वास्तव में वंचित हैं। इन जातियों के लोगों को अनुसूचित जातियों के लिए चली सकारात्मक कार्रवाइयों से अधिक लाभ नहीं हुआ है। इसलिए महादलित विकास मिशन का विचार अनेक विशेष योजनाओं के जरिए सभी महादलित जातियों की बुनियादी जरूरतों की पूर्ति करने का है। मिशन की कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं :

- **विकास मित्र :** पंचायतों और वार्डों में कल्याण कार्यक्रमों के सही ढंग से क्रियान्वयन के लिए विकास मित्र नियुक्त किए गए हैं। इन्हें खुद महादलित समुदाय द्वारा ही चुना जाता है। महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने के लिए इनके 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। अभी राज्य में 9492 विकास मित्र काम कर रहे हैं।

- **दशरथ मांझी कौशल विकास योजना:** इस योजना की शुरुआत विभिन्न कार्यों के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण देकर महादलित समुदाय की रोजगार प्राप्ति की क्षमता बढ़ाने के जरिए उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार के उद्देश्य से की गई है। इस योजना का क्रियान्वयन श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा है। अभी तक कोलकाता के अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा 6 बैचों को प्रशिक्षण दना शुरू किया है जिनमें से 5 बैच का प्रशिक्षण पूरा हो गया है।

- **विकास पंजी:** सरकारी कल्याण योजनाओं से जिन महादलित परिवारों को लाभ हुआ है, उनके रिकॉर्ड रखने के लिए बिहार महादलित विकास मिशन द्वारा विकास मित्रों के जरिए विकास पंजी संधारित की जाती है। विकास मित्रों द्वारा अभी तक 35.50 लाख परिवारों का आंकड़ा आधार तैयार किया गया है।

- **सामुदायिक कक्ष सह कार्य-शेड योजना:** इस योजना के तहत 2010-11 से 2018-19 तक 4870 इकाइयों के निर्माण के लक्ष्य था। विभिन्न जिलों में इनमें से 3,488 इकाइयां का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और 743 इकाइयों का काम प्रगति पर है। वर्ष 2018-19 में और भी 400 इकाइयों का निर्माण लक्षित है।

- **विशेष विद्यालय सह छात्रावास योजना:** पटना और गया में इस योजना का संचालन गैर-सरकारी संगठन नारी गुंजन द्वारा किया जाता है। अभी तक इसके तहत पटना में 150 और गया में 100 महादलित छात्राएं लाभान्वित हुई हैं। लाभार्थियों को ओपचारिक और अनौपचारिक, दोनो प्रकार की शिक्षा दी जा रही है। विद्यालय की राष्ट्रीयस्तर पर सराहना हो रही है।

- **सहायता (कॉल सेंटर) :** इस कॉल सेंटर की स्थापना 1989 के अधिनियम और 1995 की नियमावली के तहत की गई है। अनुसूचित जाति/ जनजाति के उत्पीड़न की पूर्ण समाप्ति के लिए कॉल सेंटर द्वारा उनसे संबंधित शिकायतें दर्ज की जाएंगी।

अनुसूचित जाति के लोगों के चतुर्दिक विकास के लिए1978 में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लिमिटेड की स्थापना की गई थी। निगम के जिला कार्यालय राज्य के 36 जिलों में काम कर रहे हैं। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के बीचनिगम की सब्सिडी वाली वाली योजनाओं से 15,165 लोग लाभान्वित हुए हैं।

वर्ष 2018-19 में 2031 लोगों के बीच कुल 641.10 लाख रु. वितरित किए गए जिसमें से 203.10 लाख रु. सब्सिडी की रकम थी। विवरण तालिका 11.29 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 11.29 : बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम की सब्सिडी योजना (बैंकों द्वारा क्रियान्वित) (2013-14 से 2018-19)

(रकम लाख रु. में)

वर्ष	लाभान्वितों की सं.	बैंक ऋण	सब्सिडी	योगफल
2013-14	3301	627.90	330.10	958.00
2014-15	1806	343.50	180.60	524.10
2015-16	2921	555.61	292.10	847.71
2016-17	2827	537.75	282.70	820.45
2017-18	2279	433.50	227.90	661.40
2018-19	2031	438.00	203.10	641.10
Total	**15165**	**2936.26**	**1516.50**	**4452.76**

स्रोत : अजा/ अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार

पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण

पिछड़ी जातियां वे जातियां/ समुदाय हैं जिन्हें राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा इस रूप में अधिसूचित किया गया है। बिहार में 131 पिछड़ी जातियां हैं जिनका राज्य की आबादी में लगभग 60 प्रतिशत हिस्सा है। इन समुदायों के समग्र विकास के लिए राज्य सरकार ने 2007-08 में पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का गठन किया था। पिछड़ा और अति पिछड़ा समुदाय के कल्याण हेतु वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक की वित्तीय प्रगति का सारांश तालिका 11.30 में प्रस्तुत है। पिछले पांच वर्षों में पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए आबंटन और व्यय में उतार-चढ़ाव रहा है। वर्ष 2014-15 में विभाग का व्यय 1445.40 करोड़ रु. था जो 2018-19 में घटकर 1273.33 करोड़ रु. रह गया। हालांकि इन वर्षों में कल्याण योजनाओं के लिए उपयोग का प्रतिशत 70 प्रतिशत से अधिक रहा है।

तालिका 11.30 : पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण की वित्तीय प्रगति (2014-15 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल परिव्यय	1477.97	2975.3	2000.6	1591.72	1643.83
कुल स्वीकृत रकम	1477.97	2781.45	2000.6	1535.24	1521.35
कुल व्यय	1445.40	2695.07	1470.6	1223.16	1273.33
उपयोगिता का प्रतिशत	97.8	90.6	73.5	76.8	77.5

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए किए गए कल्याणकारी उपाय इस प्रकार हैं :

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना :** मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग मेधावृत्ति योजना के तहत 2018-19 में 55,942 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए शिक्षा विभाग को 55.94 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए। वर्ष 2019-20 में 60,000 विद्यार्थियों को लाभान्वित करने के लिए 60.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

- **प्रवेशिका-पूर्व छात्रवृत्ति योजना :** प्रवेशिका-पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत अभी तक 1359.20 करोड़ रु. के व्यय से 1.25 करोड़ विद्यार्थी लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2017-18 में छात्रवृत्ति योजना के लिए 911.94 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए थे। वर्ष 2018-19 नें यह रकम 978.71 करोड़ रु. थी।

- **मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग सिविल मेरिट योजना :** इस योजना के तहत विद्यार्थी को केंद्रीय लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 1 लाख रु. और बिहार लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर 50,000 रु. दिए जाते हैं।

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग छात्रावास अनुदान योजना :** इस योजना के तहत विद्यार्थियों को हर महीने 1000 रु. दिए जाते हैं। इस योजना से वंचित वर्गों के विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिए छात्रावास सुविधा प्राप्त करने में सक्षम होते हैं।

- **पिछडा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों के लिए खाद्यान्न योजना :** इस योजना के तहत छात्रवासों में रहने वाले पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए प्रति विद्यार्थी प्रति माह 15 किग्रा खाद्यान्न (9 किग्रा चावल और 6 किग्रा गेहूं) की आपूर्ति की जा रही है।

- **परीक्षा-पूर्व कोचिंग केंद्र:** पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग देने के लिहाज से 2015-16 में 8 विश्वविद्यालयों में परीक्षा-पूर्व कोचिंग केंद्र स्थापित किए गए थे। अब इस सुविधा का विस्तार बिहार के सभी 38 जिलों में कर दिया गया है।

- **मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कौशल विकास प्रशिक्षण योजना:** वर्ष 2017-18से इस योजना को श्रम संसाधन विभाग द्वारा डोमेन स्किलिंग के आधार पर चुने गए संस्थानों द्वारा चलाया जा रहा है। यह योजना राज्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम, पटना द्वारा प्रबंधित है।

पिछड़ा एवं अति पिछड़ा समुदाय के लोगों के लिए विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए किए गए आबंटन के भौतिक और वित्तीय विवरण तालिका 11.31 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 11.31 : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यक्रमों के भौतिक और वित्तीय विवरण(2013-14 से 2018-19)

वर्ष	प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के विद्यार्थियों का वजीफे	प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति	12 अन्य पिछड़ा वर्ग बालिका उच्च माध्यमिक आवासीय विद्यालय	अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए मुख्यमंत्री मेधावृत्ति योजना	अति पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए 38 जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रवासों का निर्माण
लाभान्वितों की संख्या (लाख में)					
2013-14	98.00	0.36	0.02	0.35	—
2014-15	122.00	2.44	0.02	0.40	—
2015-16	183.00	3.79	0.02	1.45	—
2016-17	99.04	—	0.03	0.70	—
2017-18	62.33	2.56	0.02	0.50	—
2018-19	80.95	—	0.03	0.63	—
वित्तीय आबंटन (करोड़ रु.)					
2013-14	1168.24	58.15	5.85	35.00	9.35
2014-15	1054.70	369.97	7.26	40.00	—
2015-16	2253.98	619.78	9.77	144.97	5.00
2016-17	1359.21	—	12.16	87.25	10.00
2017-18	911.94	446.81	12.26	55.96	34.58
2018-19	978.71	338.43	12.64	62.63	5.00

टिप्पणी : वर्ष 2016-17 में कोई आबंटन नहीं हुआ था।

स्रोत : पिछड़ा तथा अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण

बिहार में अल्पसंख्यक आबादी की सामाजिक-आर्थिक स्थिति देश के अन्य भागों की तरह ही आम तौर पर निम्न है। अत: सकारात्मक कार्यवाहियों के जरिए अल्पसंख्यक समुदायों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए 1991 में अलग से अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की स्थापना की गई थी। बिहार की आबादी में धार्मिक अल्पसंख्यकों का 17.3 प्रतिशत हिस्सा है जिसमें 16.9 प्रतिशत मुसलमान तथा 0.4 प्रतिशत बौद्ध, जैन, सिख और ईसाई जैसे अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक हैं। कुल आबादी में मुसलमानों का किशनगंज में 68.0 प्रतिशत, कटिहार में 44.5 प्रतिशत, अररिया में 42.9 प्रतिशत और पूर्णिया में 38.5 प्रतिशतहिस्सा है।तालिका 11.32 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए 2013-14 से 2017-18 तक का बजट आवंटन और व्यय दर्शाया गया है। प्रशंसा की बात है कि विगत तीन लगातार वर्षों में उपयोग का प्रतिशत 90 प्रतिशत से भी अधिक था।

तालिका 11.32 : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग काबजट और व्ययविवरण (2013-14 से 2017-18)

(लाख रु.)

वर्ष	बजट अनुमान	वास्तविक व्यय	उपयोग का प्रतिशत
2013-14	33390.70	9266.10	27.8
2014-15	30075.10	28417.70	94.5
2015-16	52480.12	50862.19	96.9
2016-17	44545.12	93152.85	96.9
2017-18	40152.15	37310.62	92.9

स्रोत : अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार

हाल के वर्षों में विभाग की उपलब्धियां इस प्रकार हैं :

- **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान्न योजना :** उच्च शिक्षा पर व्यय के कारण अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के वित्तीय बोझ में कमी लाने के लिए इस योजना का आरंभ 2018-19 में किया गया है। इस योजना के तहत जिन छात्रावासों में न्यूनतम एक-तिहाई विद्यार्थी पिछड़ा, अति पिछड़ा या अल्पसंख्यक समुदाय के हों, उनमें प्रति विद्यार्थी प्रति माह 6 किग्रा गेहूं और 9 किग्रा चावल (कुल 15 किग्रा अनाज) छात्रावास में ही उपलब्ध कराया जाता है। अभी 15 जिलों (पटना, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, सारण, पूर्व चंपारण, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, गया, कटिहार, भागलपुर, जहानाबाद और नवादा) के कुल 16 छात्रावासों में खाद्यान्न उपलब्ध कराए जा रहे हैं। वर्ष 2018-19 में इन जिलों में 50 लाख रु. मूल्य के खाद्यान्न वितरित किए गए। वर्ष 2019-20 में 1.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया है।

- **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास अनदान योजना :** अल्पसंख्यक समुदाय में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के तहत अल्पसंख्यक छात्रावासों में रह रहे विद्यार्थियों को प्रति विद्यार्थी प्रति माह 1,000 रु. नगद अनुदान दिया जाता है। वर्ष 2018-19 में इसके लिए 1.00 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था जिसमें से 8186 विद्यार्थियों के बीच कुल 81.86 लाख रु. वितरित किए गए। वर्ष 2019-20 के लिए 3.00 करोड़ रु. का प्रावधान उपलब्ध कराया गया है।

- **बिहार राज्य मद्रसा शिक्षा सुदृढ़ीकरण योजना** : इस योजना के तहत मदरसा शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए शैक्षिक अनुसंधान के लिहाज से पेयजल, पुस्तकालय, उपकरण, शौचालय, बहुद्दश्यीय कक्ष, कार्यालय

कक्ष, कंप्यूटर, विज्ञान प्रयोगशाला आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वर्ष 2018-19 में मधुबनी और मुजफ्फरपुर में ऐसी सुविधाओं के विकास के लिए 12.55 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए।

- **बिहार राज्य वक्फ विकास योजना :** सुन्नी और शिया वक्फ बोर्डों के तहत निबंधित संपत्ति के विकास के लिहाज से बहुद्दश्यीय भवनों, अतिथिशाला, विवाह कक्ष, वक्फ कार्यालय भवन, बाजार संकुल आदि के निर्माण और रखरखाव का काम शुरू किया जाएगा। इस योजना के लिए 2019-20 में 30.00 करोड़ रु. का बजट प्रस्तावित है।
- **राज्य प्रवेशिकोत्तर योजना :** केंद्र सरकार की प्रवेशिकोत्तर योजना से बाहर रह गए अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को इस योजना के तहत शामिल किया जाता है। इस योजना का आरंभ 2017-18 में हुआ था। वर्ष 2018-19 में 57,888 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के बीच 32.79 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं।
- **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना** : वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक जिले में एक आवासीय विद्यालय स्थापित करने का निर्णय लिया है। अभी यह योजना किशनगंज और दरभंगा में शुरू की जा रही है।
- **बिहार राज्य हज समिति :** हज के लिए जाने वाले तीर्थयात्रियों की बेहतर सुविधा के लिहाज से बिहार हज कमिटी के लिए वार्षिक अनुदान 60.00 लाख रु. से बढ़ाकर 100.00 लाख रु. कर दिया गया है। वर्ष 2018 में 32.27 लाख रु. की आकस्मिक निधि को तीर्थयात्रियों के साथ जाने के लिए सऊदी अरब भेजे गए खादिम-उल हज्जाज और सुपरवाइजरों पर अतिरिक्त सहायता के बतौर खर्च कर दिया गया है।
- **मुसलमान तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला सहायता कार्यक्रम:** इस कार्यक्रमके तहत अभी तक 12,527तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई गई है। योजना का आरंभ 2006-07 में हुआ था। वर्ष 2017-18 से हर तलाकशुदा/ परित्यक्ता महिला को प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के जरिए पहले के 10,000 रु. की जगह 25,000 की संशोधित रकम दी जा रही है। वर्ष 2018-19 में कुल 130 महिलाएं ई-कल्याण पोर्टल से लाभान्वित हुई हैं। भुगतान प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) विधि से किया जाता है।
- **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना :** इस योजना के तहत कुल 34.40 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए थे जिससे 2018-19 में 30,933 विद्यार्थी लाभान्वित हुए थे। इस योजना के तहत 2017-18 से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से फौकानिया और मौलवो की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों को भी शामिल किया गया है।

11.6 महिला सशक्तीकरण

हाल के वर्षों में महिला सशक्तीकरण की अवधारणा में काफी बदलाव आया है और कल्याणोन्मुख दृष्टिकोण की जगह समता के दृष्टिकोण ने ले ली है। इसे अब ऐसी प्रक्रिया के बतौर देखा जाता है जिसके जरिए अधिकारविहीन महिलाएं अपने जीवन की परिस्थितियों पर अधिक नियंत्रण प्राप्त करती हैं। भारत का संविधान महिलाओं को समानता ही नहीं देता है, राज्य को महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय अपनाने का अधिकार भी देता है। आठवीं योजना के दौरान पहली बार महिला सशक्तीकरण को विशिष्ट समाजिक लक्ष्य के बतौर मान्यता दी गई थी। नवीं योजना में महिला घटक योजना के आरंभ के साथ इसे और आगे बढ़ाया गया। उसमें उन मंत्रालयों की पहचान की गई थी जिनके लिए महिलाओं के कार्यक्रमों के लिए धनराशि का प्रवाह

दर्शाना वांछित था। बाद में, बारहवीं योजना में आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सशक्तीकरण के जरिए योजना प्रक्रिया में ध्यान दिए जाने वाले लैंगिक समानता के मुख्य सूचकों की पहचान की गई।

बिहार में महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए अनेक प्रयास किए जाते रहे हैं। राज्य सरकार ने महिला सशक्तीकरण नीति, 2015 का निर्माण किया और लैंगिक मुद्दों पर ध्यान रखने के लिए एक केंद्र (लैंगिक संसाधन केंद्र) की शुरुआत की। यह केंद्र समाज कल्याण विभाग के महिला विकास निगम का हिस्सा है। सामाजिक प्रथाओं और सांस्कृतिक परंपराओं से उत्पन्न लैंगिक असमानता अब उन प्रयासों के जरिए निपटा जा रहा है जो महिलाओं के बारे में नजरिया बदल देंगे। राज्य सरकार 2008-09 से ही जेंडर बजट प्रकाशित करती रही है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के जेंडर बजट का विवरण तालिका 11.33 में प्रस्तुत है। तालिका से स्पष्ट है कि महिला विकास के लिए कुल परिव्यय विगत वर्षों के दौरान बढ़ता गया है। अपवाद सिर्फ 2015-16 रहा है। राज्य के कुल बजट में महिलाओं पर परिव्यय का हिस्सा विभिन्न वर्षों के बीच थोड़े-बहुत अंतर के साथ लगभग 11 प्रतिशत रहा है। इसी प्रकार, महिलाओं के लिए परिव्यय सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 3-4 प्रतिशत रहा है।

तालिका 11.33 : जेंडर बजट का सारांश (2014-15 से 2018-19)

(रकम करोड़ रु. में)

विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19 बजट अनुमान
महिलाओं के लिए श्रेणी-1 की योजनाएं (100% लाभार्थी)	3920.10	2996.10	5564.80	8545.90	9287.99
महिलाओं के लिए श्रेणी-2 की योजनाएं (30% लाभार्थी)	8658.30	8130.90	9512.20	12069.50	16285.80
महिलाओं के लिए कुल परिव्यय	**12578.30**	**11127.00**	**15077.00**	**20615.40**	**25573.79**
संबंधित विभागों के लिए कुल परिव्यय	33703.70	31010.80	36411.50	46658.80	60559.08
संबंधित विभागों के कुल परिव्यय में महिला हेतु परिव्यय का प्रतिशत	37.20	35.90	41.40	44.20	42.23
राज्य बजट का कुल आकार	**116886.00**	**120685.00**	**144696.00**	**160086.00**	**176990.27**
राज्य बजट में परिव्ययों का हिस्सा (%)	10.80	9.20	10.40	12.90	14.45
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	**342951.00**	**369469.00**	**425888.00**	**487628.00**	**515634.00**
सकल राज्य घरेलू उत्पाद में महिला हेतु परिव्ययों का हिस्सा (%)	3.70	3.00	3.50	4.20	4.96

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

हालांकि जेंडर बजट अकेले बजटों तक ही सीमित नहीं है। इसमें लैंगिक परिप्रेक्ष्य में विभिन्न आर्थिक नीतियों का विश्लेषण भी शामिल रहता है। तालिका 11.34 में 2017-18 के लिए विभिन्न विभागों के तहत जेंडर बजट संबंधी आंकड़े प्रस्तुत हैं। श्रेणी-1 की परियोजनाओं के प्रावधान पूरी तरह महिलाओं क लिए होते हैं। वहीं श्रेणी-2 की परियोजनाएं लिंग-निरपेक्ष होती हैं। उनके बारे में माना जाता है कि उनमें कम से कम 30 प्रतिशत आबंटन महिला लाभार्थियों के लिए होगा।तालिका 11.34 में 2017-18 कीवास्तविक व्यय दिखाई गई है। आंकड़ों से पता चलता है कि जंडर बजट के तहत कुल व्यय में से, श्रेणी-1 के योजनाओं के लिए व्यय 22 प्रतिशत था और श्रेणी-2 के योजनाओं के लिए यह 78 प्रतिशत था।

तालिका 11.34 : महिला विकास पर व्यय का विवरण (2017-2018)

(करोड़ रु.)

विभाग	2017-18 (वास्तविक)			2017-18 (प्रतिशत)		
	श्रेणी-1 के तहत	श्रेणी-2 के तहत	योगफल	श्रेणी-1 के तहत	श्रेणी-2 के तहत	योगफल
समाज कल्याण	520.37	1396.94	1917.31	16.93	12.84	13.74
अजा एवं अजजा कल्याण	0.00	250.30	250.30	0.00	2.30	1.79
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	0.00	566.84	566.84	0.00	5.21	4.06
अल्पसंख्यक कल्याण	0.00	89.48	89.48	0.00	0.82	0.64
शिक्षा	572.66	5341.30	5913.96	18.64	49.10	42.39
स्वास्थ्य	454.99	914.49	1369.48	14.81	8.41	9.82
ग्रामीण विकास	1458.64	1004.73	2463.37	47.47	9.24	17.66
नगर विकास एवं आवास	0.00	38.09	38.09	0.00	0.35	0.27
पंचायती राज	0.00	200.05	200.05	0.00	1.84	1.43
श्रम संसाधन	6.15	0.00	6.15	0.20	0.00	0.04
पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण	11.06	342.79	353.84	0.36	3.15	2.54
राजस्व एवं भूमि सुधार	2.59	0.00	2.59	0.08	0.00	0.02
कला, संस्कृति एवं युवा कार्य	0.00	11.25	11.25	0.00	0.10	0.08
उद्योग	0.00	131.22	131.22	0.00	1.21	0.94
कृषि	0.00	375.35	375.35	0.00	3.45	2.69
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	46.53	0.00	46.53	1.51	0.00	0.33
भवन निर्माण	0.00	153.53	153.53	0.00	1.41	1.10
गृह	0.00	41.04	41.04	0.00	0.38	0.29
पर्यटन	0.00	21.15	21.15	0.00	0.19	0.15
योगफल	**3072.99**	**10878.52**	**13951.51**	100.00	100.00	100.00

स्रोत : वित्त विभाग, बिहार सरकार

तालिका 11.35 : लैंगिक भेदभाव से निपटने वाली प्रमुख योजनाएं (2014-15 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

योजना	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	32.51	357.48	213.86	260.47	281.83
मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	0.00	11.2	24.6	61.52	66.17
मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	143.54	26.85	21.59	38.16	46.51
मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना	—	—	—	—	96.72
योगफल	**266.05**	**395.53**	**266.2**	**436.42**	**491.23**

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

लैंगिक असमानता से निपटने के लिए किए जाने वाले राज्य सरकार के प्रत्यक्ष हस्तक्षेपों में दो मुख्य शीर्षों में समेटा जा सकता है : बाल रक्षा (कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए कन्या उत्थान योजना) तथा सामाजिक एवं

आर्थिक सुरक्षा (लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना और मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना) (तालिका 11.35)। महिलाओं का सशक्तीकरण करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से 2007-08 में नारी शक्ति योजना का आरंभ किया गया था। इस योजना के तहत हेल्पलाइन सेवाओं, अल्पावास गृहों, कामकाजी महिला आवासों, और संरक्षा गृहों की स्थापना शामिल है। बीपीएल परिवार की 18 वर्ष या उसके बाद विवाह करने वाली लड़कियों को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत 5,000 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है। विगत वर्षों के दौरान इन फ्लैगशिप योजनाओं पर व्यय क्रमश: बढ़ा है। वर्ष 2014-15 से 2018-19 के बीच इन योजनाओं पर व्यय में 84.6 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

महिलाओं के सशक्तीकरण का मूल्यांकन मीन मापदंडों के जरिए किया जा सकता है - आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। इनमें से प्रत्येक मापदंड के तहत राज्य सरकार के कदम नीचे प्रस्तुत हैं।

आर्थिक सशक्तीकरण

- **परियोजना क्रियान्वयन इकाई :** बिहार में महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सशक्तीकरण के विचार को कार्यरूप देने के लिहाज से सामाजिक ओर आर्थिक सशक्तीकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए महिला विकास निगम ने एक परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पीआइयू) स्थापित की है।
- **बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति (बीआरएलपीएस) :** ग्रामीण गरीबों, खास कर महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए बिहार ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति अपने आरंभ से ही अनेक हस्तक्षेपों को क्रियान्वित कर रही है।
- **सूक्ष्म-बीमा :** बीमा टीम द्वारा सभी 38 जिलों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत शत-प्रतिशत नामांकन हास्लि किया गया। वर्ष 2018-19 में 12.87 लाख स्वयं सहायता समूह सदस्यों का नामांकन कराया गया। उसी वर्ष 1083 दावे दर्ज हुए जिनमें से कुल 10.14 करोड़ रु. के 77 प्रतिशत दावों का निराकरण किया गया।
- **वैकल्पिक बैंकिंग -बैंक हमारे गांव :**व्यावसायिक संवाददाताओं (बीसी) ने 1.19 लाख व्यक्तिगत खाते खुलवाने में मदद की। वर्ष 2018-19 में कुल 800.40 करोड़ रु. की लेनदेन हुई और व्यावसायिक संवाददाताओं को कमीशन के बतौर कुल 236.52 लाख रु. मिले।आरंभ से सितंबर 2019 तक व्यावसायिक संवाददाताओं द्वारा कुल मिलाकर 1234 करोड रु. से भी अधिक की लेनदेन की गई थी।
- **डिजिटल वित्तपोषण :** वोडाफोन, एयरटेल, बेसिक्स, और सिडबी के साथ मिलकर काम करते हुए जीविका द्वारा डिजिटल वित्तोय समावेश हासिल कर लिया गया है। इससे डिजिटल वित्तोय साक्षरता को बढ़ावा मिला है। यह हस्तक्षेप पटना के दो प्रखंडों (बिहटा और मनेर) में शुरू हुआ। बाद में डिजिटल वित्तोय समावेश का विस्तार 25 जिलों के 165 प्रखंडों में किया गया।
- **सतत जीविकोपार्जन योजना :** अगस्त 2018 में यह योजना अत्यंत गरीब परिवारों की जरूरतें पूरी करने के मकसद से शुरू हुईजो पारंपरिक रूप से उत्पादन, देशी शराब/ ताड़ी उत्पादन, ढुलाई और बिक्री में लगे थे। इस योजना का लाभार्थी होने के लिए अत्यंत गरीब परिवारों को अनुसूचित जाति/ जनजाति या अन्य अति गरीब समुदाय का होना चाहिए। कस्मटमाइज्ड अति-गरीब उन्नयन दृष्टिकोण के जरिए तीन वर्षों में 1 लाख अति-गरीब परिवारों को योजना के तहत लाने का लक्ष्य है।

- **जीविका संबंधी मुख्य हस्तक्षेप :** परिवारों की आमदनी और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार के लिए इस हस्तक्षेप के तहत 6.28 लाख परिवारों को रसोई बाड़ी (किचेन गार्डेन) बनाने में और 3.12 लाख परिवारों को सब्जी की खेती में लगाया गया।

- **समुदाय आधारित कस्टम हायरिंग कैरियर्स** इस योजना के तहत कस्टम हायरिंग कैरियर्स द्वारा खरीदे गए कृषि उपकरणों की सेवाएं 4212 किसानों को उपलब्ध कराकर 9.87 लाख रु. राजस्व अर्जित किए गए।

- **समेकित बकरी एवं भेड़ विकास योजना :** इस योजना के तहत पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग के साथ मिलकर जीविका ने 2018-19 में 7 जिलों में 96 उत्पादक समूहों के जरिए 3434 परिवारों के बीच 10,209 बकरियों का वितरण किया है।

- **लघु इनडोर सरस मेला :** 'उन्नत महिला उज्ज्वल बिहार' थीम पर सितंबर 2018 में पटना के ज्ञान भवन के बहुद्दश्यीय कक्ष में लघु इनडोर सरस मेला आयोजित किया गया जिसमें कुल 1.25 करोड़ रु. की बिक्री हुई।

- **आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार :** सात निश्चय कार्यक्रम के तहत राज्य सरकार का एक निश्चय 'आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार' भी है। वर्ष 2016 से राज्य सरकार की सभी सेवाओं में नियुक्तियों के लिए महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है।

सामाजिक सशक्तीकरण

- **मुख्यमंत्री कोशी मलबरी परियोजना :** योजना का क्रियान्वयन 8 जिलों (सहरसा, सुपौल, मधेपुरा, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार और भागलपुर) में उद्योग विभाग, ग्रामीण विकास विभाग के मनरेगा स्कंध, कृषि विभाग की राष्टोय कृषि विकास योजना और जीविका के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। योजना का लक्ष्य भागलपुर रेशम संकुल को सहायता प्रदान करना और इन जिलों के सीमांत किसानों को आमदनी के विकल्प उपलब्ध कराना है। वर्ष 2018-19 में 639 कीटपालन गृहों का निर्माण किया गया और 63 मलबरी कीटपालकों को मध्य प्रदेश के केशला में रेशम कीट पालन का प्रशिक्षण दिलाया गया। उस वर्ष 31 क्विंटल कोयों का उत्पादन हुआ और बाजार में बिक्री हुई तथा 15 नए नोडल केंद्र स्थापित किए गए।

- **व्यवहार परिवर्तन संवाद :** इस मॉड्यूल का आरंभ स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता की सही आदतों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किया गया। सितंबर 2019 तक कुल 3.19 स्वयं सहायता समूहों को स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता विषयों पर प्रशिक्षण मिला है।

- **सौर हस्तक्षेप:** बंबई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के एक मुख्य कार्यक्रम सोलस (दीर्घस्थायित्व हेतु स्थानीयकरण द्वारा सौर ऊर्जा) पहल के तहत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ओर जीविका द्वारा अध्ययन हेतु सौर लैंप बांटे गए। यह योजना 'सबको ऊर्जा' कार्यक्रम की हिस्सा है। वर्ष 2018-19 में स्कूली बच्चों के बीच कुल 12.5 लाख सौर लैंप बांटे गए। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट (टेरी) की साझदारी में 21,500 परिवारों को सौर ऊर्जा आधारित होम लाइटिंग सिस्टम उपलब्ध कराए गए।

- **मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना :** बाल विवाह रोकने और उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत लड़की के परिवार को उसकी शादी के समय 5,000 रु. की वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना का लाभ उन लड़कियों को दिया जाता है जिनका विवाह निबंधित हुआ हो और जिनकी पारिवारिक आय 60,000 रु. प्रति वर्ष से कम हो। वर्ष 2018-19 में योजना के लिए 4801.40 लाख रु. का बजट प्रावधान किया गया जिसमें से 4,651.39 लाख रु. खर्च किए गए।

- **मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना :** योजना का मुख्य उद्देश्य भ्रूणहत्या रोकना और लड़कियों के जन्म को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता दूर करना है। इस योजना के तहत जन्म के समय 2000 रु. और एक वर्ष पूरा होने तथा आधार में नामांकन होने पर 1000 रु. दिए जाते हैं। प्रत्यक्ष लाभांतरण के लिए आधार को

माता/ पिता/ अभिभावक के बैंक खाते से जोड़ा जाएगा। यह सुविधा हर परिवार की दो लड़कियों के लिए दी जाएगी। वर्ष 2018-19 में 9672.18 लाख रु. बजट परिव्यय था जिसका लगभग 100 प्रतिशत व्यय हो गया।

- **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना :** मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत घरेलू हिंसा और मानव व्यापार की शिकार महिलाओं और किशोरियों को मुफ्त सामाजिक-मनोवैज्ञानिक सहयोग और कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। महिला विकास निगम द्वारा विभिन्न जिलों में संबंधित जिलाधिकारियों के साथ सघन समन्वय करके 38 महिला हेल्पलाइनों का संचालन किया जा रहा है। वर्ष 2018-19 में इसके लिए 6617.75 लाख रु. का बजट परिव्यय था जिसका लगभग 100 प्रतिशत व्यय हो गया।वर्ष 2019-20 में योजना के लिए 31. 98 करोड़ रु. का बजट आबंटन किया गया है।

तालिका 11.36 : सामाजिक सशक्तीकरण के अंतर्गत दर्ज और निष्पादित मामलों की संख्या (2017-18 से 2019-20)

मामलों के प्रकार	2017-18		2018-19		2019-20(सितंबर-19 तक)	
	दर्ज	निष्पादित	दर्ज	निष्पादित	दर्ज	निष्पादित
घरेलू हिंसा	4021	4113 (102.3)	3985	4418 (110.9)	2011	1726 (85.8)
दहेज उत्पीड़न	815	698 (85.6)	727	772 (106.2)	367	314 (85.6)
दहेज हत्या	3	3 (100.0)	2	6 (300.0)	3	3 (100.0)
दूसरा विवाह	107	99 (92.5)	117	152 (129.9)	43	34 (79.1)
बलात्कार और मानव व्यापार के मामले	3	3 (100.0)	12	6 (50.0)	8	10 (125.0)
अन्य स्थानों पर यौन उत्पीड़न	95	87 (91.6)	90	121 (134.4)	43	41 (95.3)
कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न	16	7 (43.8)	29	19 (65.5)	16	11 (68.8)
मोबाइल और सोशल मीडिया	0	0	4	2 (50.0)	2	1 (50.0)
अन्य	1357	1444 (106.4)	1268	1564 (123.3)	627	544 (86.8)
कुल मामले	**6417**	**6454 (100.6)**	**6234**	**7060 (113.2)**	**3120**	**2684 (86.0)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े निष्पादित मामलों का प्रतिशत दर्शाते हैं। कुछ मामलों में निष्पादित मामले विगत वर्षों स ही चलते रहे हैं जिसके कारण निष्पादित मामलों की संख्या दर्ज मामलों से अधिक है।

स्रोत : बिहार राज्य महिला विकास निगम, बिहार सरकार

महिलाओं के विरुद्ध वारदातों में सुरक्षा प्रदान करने के क्रम में महिला विकास निगम ने महिला हेल्पलाइन-सह वन स्टॉप सेंटर शुरू किया है। यहां महिलाओं के खिलाफ बड़ी संख्या में केस दर्ज किए जाते हैं और काउंसिलिंग के द्वारा हल किए जाते हैं तथा कोर्ट केस के मामले में, सीधे केस दर्ज किए जात हैं। तालिका 11. 36 मेंदिखता है कि महिला उत्पीड़न से संबंधित दर्ज और निपटाए गए मामलों की संख्या में कमी आई है। अधिकांश अपराधों के निष्पादित मामलां का अनुपात काफी ऊंचा था। इनमें सबसे अधिक मामले घरेलू हिंसा के दर्ज हुए।गौरतलब है कि 2017-18 और 2018-19 में घरेलू हिंसा के शत-प्रतिशत मामलों का निपटारा कर दिया गया। घरेलू हिंसा के बाद सबसे अधिक मामले दहेज उत्पीड़न के दर्ज हुए थे और 2019-20 में ऐसे 85.6 प्रतिशत मामलों का निपटारा कर दिया गया।

सांस्कृतिक सशक्तीकरण

- **मीना मंच :** यह 20 लड़कियों का समूह है जिसमें 15 लड़कियां उच्च प्राथमिक विद्यालयों की और 5 लड़कियां पांचवीं कक्षा की पढाई पूरी करने के बाद स्कूल छोड़ चुकी लड़कियों में से होती हैं। मंच विद्यालयों में लड़कियों और लड़कों के उम्र के हिसाब से उचित कक्षा में नामांकन, विद्यार्थियों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित करने, और प्रारंभिक परीक्षा करने के लिए विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए जवाबदेह है। साथ ही, मंच द्वारा उन्हें अपनी उन्नति के बारे में निर्णय लेने, और व्यक्तित्व विकास आदि के लिए भी संवेदित किया जाता है। मंच की लड़कियों में से एक मीना प्रेरक का चुनाव किया जाता है। मीना मंच की गतिविधियां आयोजित करने के लिए हर आदर्श संकुल विद्यालय में एक शिक्षिका को मीना सुगमकर्ता चुना जाता है।

- **स्वच्छाग्रह के बतौर सत्याग्रह :** इस महा कार्यक्रम का आयोजन महात्मा गांधी द्वारा चंपारण सत्याग्रह करने के 100 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में किया गया। पूर्व चंपारण जिले में इसका आयोजन 2018 की अप्रील में किया गया। आयोजन में देश के विभिन्न हिस्सों से आए 20,000 स्वच्छाग्रहियों ने भाग लिया।

- **शिल्पग्राम महिला प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड :** कंपनी को आसपास के सारे जिलों को शामिल करते हुए जोन के स्तर पर निबंधित किया गया है। कंपनी ने अपना काम अक्तूबर 2018 में शुरू किया है और सितंबर 2019 तक 35.00 लाख रु. की बिक्री की है।

- **दीदी की रसोई :** इस पहल के तहत सदर अस्पताल की कैंटीनों को जीविका के स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के द्वारा चलाया जा रहा है और ग्राम संगठन नोडल अभिकरण के बतौर हैं। वर्ष 2018-19 में बक्सर, शेखपुरा आर वैशाली के सदर अस्पतालोंमें कैंटीन शुरू किए गए। कैंटीन में भर्ती रोगियों और आगंतुकों के लिए आहार सेवा दी जाती है। तीनों कैंटीन द्वारा कुल 14.50 लाख रु. की बिक्री हुई। सितंबर 2019 तक दीदी की रसोई की 12 इकाइयां शुरू हो गई हैं।

11.7 वृद्ध और नि:शक्त जनों के लिए सामाजिक सुरक्षा

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की 10.41 करोड़ आबादी में 23.3 लाख (कुल आबादी के 0.02 प्रतिशत) नि:शक्त और 60.7 लाख (कुल आबादी के 0.06 प्रतिशत) लोग वृद्ध हैं। ऐसे दौर में, जब समावेशी विकास पर बल दिया जा रहा है, बुजुर्ग और विकलांग लोगों के कल्याण के लिए केंद्रित पहलकदमियां अनिवार्य हैं। इसीलिए केंद्र सरकार के साथ मिलकर राज्य सरकार अभी वृद्ध, विधवा और नि:शक्त लोगों के लिए सामाजिक सुरक्षा की अनेक योजनाएं चला रही है। पेंशन योजनाओं पर कुल व्यय 2005-06 में 98.34 करोड़ रु. था जो 2018-19 में बढ़कर 3138.88 करोड़ रु. हो गया। तालिका 11.37 में इन कल्याण योजनाओं के तहत व्यय का सारांश प्रस्तुत है। वर्ष2018-19 में इन सारी योजनाओं का कुल व्यय 3138.88 करोड़ रु. रहा जिससे 63.6 लाख लोग लाभान्वित हुए।

उक्त योजनाओं के अलावा, वरिष्ठ नागरिकों और शारीरिक नि:शक्तता से पीड़ित लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए राज्य सरकार ने अन्य नई पहलकदमियां भीली हैं जो इस प्रकार हैं :

- वर्ष 2019-20 से वरिष्ठ नागरिकों के लिए सर्वव्यापी पेंशन की एक नई योजना 'मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना' अप्रील 2019 से शुरू की गई है। इस योजना के तहत कोई अन्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन या सरकारी पेंशन योजना से लाभान्वित नहीं होने वाले (60 वर्ष और अधिक उम्र के) वरिष्ठ नागरिक लाभान्वित होंगे।

पेंशन की रकम 60 से 79 वर्ष उम्र समूह के लिए 400 रु. और 80 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए 500 रु. प्रति माह है।

- सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को सरल, सहज और पारदर्शी बनाने के लिए 2016-17 से प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के जरिए रकम सीधा लाभार्थियों के खातों में जमा कराई जा रही है। सितंबर 2019 तक लगभग 71.00 लाख पेंशनधारियों में से 63.23 लाख को लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) और आधार से जोड़ दिया गया है।

तालिका 11.37 : वृद्धों, विधवाओं और नि:शक्त जनों के लिए पेंशन योजनाएं (2017-18 और 2018-19)

योजना का नाम	2017-18		2018-19	
	व्यय (लाख रु.)	भौतिक उपलब्धि	व्यय (लाख रु.)	भौतिक उपलब्धि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	104967.69	4247145	85858.10	4266142
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना		541425	18747.97	545480
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्तता पेंशन योजना		119139	3713.72	119775
राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना		0	6990.29	2716
राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (राज्यांश)	183707.50	-	118686.41	-
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	26046.96	575391	28183.88	581109
बिहार राज्य नि:शक्तता पेंशन योजना	31732.18	724303	35200.00	733672
राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	3000.00	62491	760.00	62531
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना	4824.00	144333	4830.00	42003
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	500.00	2500	400.00	150
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	1260.00	9179	1700.00	9365
मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	20.00		755.00	
वृद्धावास	1.00		150.00	99
वृद्धावास निर्माण	726.00	2 वृद्धावास	100.00	1
बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना	1001.00		1000.00	
बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण	11429.00		6800.00	38 बुनियाद केंद्र
मुख्यमंत्री नि:शक्त विवाह अनुदान योजना	26.00		13.00	13
योगफल	**369241.33**	**6425906**	**313888.37**	**6363056**

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

- बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र श्रमिक एवं कारीगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, 2011 के तहत राज्य के असंगठित श्रमिकों और कारीगरों को सामाजिक सुरक्षा देने के मकसद से बिहार राज्य श्रम कल्याण समिति का गठन किया गया है।
- जुलाई 2014 से सभी पेंशन योजनाओं में हर पेंशनधारी के लिए पेंशन की रकम 400 रु. प्रति माह करके उनमें समरूपता ला दी गई है। राज्य सरकार अपने आंतरिक संसाधनों से राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं में अंशदान करती है – राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन में 200 रु., राष्ट्रीय विधवा पेंशन में 100 रु. और राष्ट्रीय नि:शक्तता पंशन में 100 रु.। इस अंशदान पर राज्य सरकार द्वारा 2018-19 में 1186.86 करोड़ रु. व्यय हुआ।
- राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना की शुरुआत 2012-13 में की थी। इसके तहत दुर्घटना या आपराधिक घटना से मृत्यु की स्थिति में परिवार को 20,000 रु. का एकमुश्त अनुदान दिया जाता है। इस योजना के तहत 2018-19 में 4.00 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं।
- पटना, पूर्णिया और गया में वृद्धावास के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध करा दी गई है। पटना में निर्माण कार्य पूरा हो गया है और गया में काम आंशिक रूप से पूरा हुआ है। पटना, बेगूसराय, रोहतास, पूर्णिया, भागलपुर और पश्चिम चंपारण में 6 सहारा वृद्धावास काम कर रहे हैं। इन वृद्धावासों का प्रबंधन गैर-सरकारी स्वैच्छिक संगठनों द्वारा किया जाता है।

परिशिष्ट

तालिका प 11.1 : बिहार की जिलावार जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011)

जिले	जनसंख्या (लाख)		समग्र लिंग अनुपात		बाल लिंग अनुपात		घनत्व		शहरीकरण		दशकीय वृद्धि दर
	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2001	2011	2011
पटना	47.2 (5.7)	58.4 (5.6)	873	897	923	909	1471	1803	41.6	43.1	23.7
नालंदा	23.7 (2.9)	28.8 (2.8)	914	922	941	931	1006	1220	14.9	15.9	21.4
भोजपुर	22.4 (2.7)	27.3 (2.6)	901	907	940	918	903	1136	13.9	14.3	21.6
बक्सर	14.0 (1.7)	17.1 (1.6)	900	922	929	934	864	1003	9.2	9.6	21.7
रोहतास	24.5 (3.0)	29.6 (2.8)	910	918	952	931	636	763	13.3	14.5	20.8
कैमूर	12.9 (1.6)	16.3 (1.6)	901	920	942	942	382	488	3.3	4	26.2
गया	34.7 (4.2)	43.9 (4.2)	938	937	968	960	699	880	13.7	13.2	26.4
जहानाबाद	9.2 (1.1)	11.3 (1.1)	927	922	915	922	963	1206	12.1	12	21.7
अरवल	5.9 (0.7)	7.0 (0.7)	931	928	917	940	--	1099	0	7.4	18.9
नवादा	18.1 (2.2)	22.2 (2.1)	946	939	978	945	726	889	7.7	9.7	22.6
औरंगाबाद	20.1 (2.4)	25.4 (2.4)	934	926	941	944	607	760	8.4	9.3	26.2
सारण	32.5 (3.9)	39.5 (3.8)	966	954	949	926	1231	1493	9.2	8.9	21.6
सीवान	27.1 (3.3)	33.3 (3.2)	1031	988	933	940	1221	1495	5.5	5.5	22.7
गोपालगंज	21.5 (2.6)	25.6 (2.5)	1001	1021	964	954	1057	1258	6.1	6.4	19.0
पश्चिम चंपारण	30.4 (3.7)	39.4 (3.8)	901	909	952	953	582	750	10.2	10	29.3
पूर्व चंपारण	39.4 (4.7)	51.0 (4.9)	896	902	935	933	991	1281	6.4	7.9	29.4
मुजफ्फरपुर	37.5 (4.5)	48.0 (4.6)	921	900	927	915	1180	1506	9.3	9.9	28.1
सीतामढ़ी	26.8 (3.2)	34.2 (3.3)	892	899	924	930	1214	1491	5.7	5.6	27.6
शिवहर	5.2 (0.6)	6.6 (0.6)	883	893	911	929	1161	1882	4.1	4.3	27.2
वैशाली	27.2 (3.3)	35.0 (3.4)	919	895	939	904	1332	1717	6.8	6.7	28.6
दरभंगा	33.0 (4.0)	39.4 (3.8)	914	911	913	931	1442	1721	8.1	9.7	19.5
मधुबनी	35.8 (4.3)	44.9 (4.3)	942	926	941	936	1020	1279	3.5	3.6	25.5
समस्तीपुर	33.9 (4.1)	42.6 (4.1)	928	911	937	923	1175	1465	3.7	3.5	25.5
बेगूसराय	23.5 (2.8)	29.7 (2.9)	911	895	947	919	1222	1540	4.6	19.2	26.4
मुंगेर	11.4 (1.4)	13.7 (1.3)	872	876	916	922	800	958	27.9	27.8	20.2
शेखपुरा	5.3 (0.6)	6.4 (0.6)	920	930	964	940	762	922	15.6	17.1	21.1
लखीसराय	8.0 (1.0)	10.0 (1.0)	919	902	954	920	652	815	14.7	14.3	24.8
जमुई	14 (1.7)	17.6 (1.7)	919	922	965	956	451	567	7.4	8.3	25.9
खगड़िया	12.8 (1.5)	16.7 (1.6)	885	886	931	926	859	1115	5.9	5.2	30.2
भागलपुर	24.2 (2.9)	30.4 (2.9)	875	880	967	938	946	1180	18.7	19.8	25.4
बांका	16.1 (1.9)	20.3 (2.0)	909	907	964	943	533	672	3.5	3.5	26.5
सहरसा	15.1 (1.8)	19 (1.8)	911	906	910	933	885	1125	8.3	8.2	26
सुपौल	17.3 (2.1)	22.3 (2.1)	921	929	927	944	724	919	5.1	4.7	28.7
मधेपुरा	15.3 (1.8)	20 (1.9)	916	911	930	930	853	1116	4.5	4.4	31.1
पूर्णिया	25.4 (3.1)	32.6 (3.1)	916	921	968	954	787	1014	8.7	10.5	28.3
किशनगंज	13 (1.6)	16.9 (1.6)	934	950	946	971	687	898	10	9.5	30.4
अररिया	21.6 (2.6)	28.1 (2.7)	914	921	963	957	751	992	6.2	6	30.2
कटिहार	23.9 (2.9)	30.7 (2.9)	919	919	966	961	782	1004	9.2	8.9	28.4
बिहार	**830 (100.0)**	**1041(100.0)**	**919**	**918**	**942**	**935**	**880**	**1106**	**10.5**	**11.3**	**25.4**

स्रोत : भारत की जनगणना

तालिका प 11.2 : बिहार में जिलावार अनुमानित जनसंख्या (लाख में) (2011 से 2041)

जिले	2011	2019	2021	2031	2041
पटना	58.38	67.10	69.57	79.81	88.25
नालंदा	28.78	32.89	34.06	38.74	42.71
भोजपुर	27.28	31.22	32.34	36.87	40.69
बक्सर	17.06	19.49	20.18	22.97	25.36
रोहतास	29.60	33.87	35.08	39.96	44.04
कैमूर	16.26	18.54	19.18	21.73	23.92
गया	43.91	50.12	51.88	59.01	65.23
जहानाबाद	11.25	12.87	13.32	15.16	16.71
अरवल	7.01	8.00	8.29	9.42	10.38
नवादा	22.19	25.33	26.22	29.71	32.62
औरंगाबाद	25.40	29.01	30.03	34.10	37.54
सारण	39.52	45.04	46.60	52.84	58.26
सीवान	33.30	37.97	39.29	44.58	49.20
गोपालगंज	25.62	29.17	30.17	34.12	37.51
पश्चिम चंपारण	39.35	44.86	46.42	52.42	57.40
पूर्व चंपारण	50.99	58.09	60.10	67.83	74.28
मुजफ्फरपुर	48.01	54.93	56.89	64.86	71.64
सीतामढ़ी	34.24	39.01	40.37	45.68	50.22
शिवहर	6.56	7.47	7.73	8.75	9.63
वैशाली	34.95	39.97	41.39	47.34	52.59
दरभंगा	39.37	44.94	46.52	52.71	57.91
मधुबनी	44.87	51.27	53.08	60.28	66.29
समस्तीपुर	42.62	48.62	50.32	57.01	62.64
बेगूसराय	29.71	33.90	35.10	39.73	43.58
मुंगेर	13.68	15.69	16.26	18.59	20.52
शेखपुरा	6.36	7.25	7.50	8.48	9.31
लखीसराय	10.01	11.42	11.82	13.38	14.68
जमुई	17.60	20.14	20.85	23.70	26.06
खगड़िया	16.67	18.96	19.62	22.05	24.07
भागलपुर	30.38	34.73	35.96	40.87	44.97
बांका	20.35	23.28	24.11	27.44	30.24
सहरसा	19.01	21.67	22.43	25.32	27.70
सुपौल	22.29	25.42	26.31	29.73	32.55
मधेपुरा	20.02	22.83	23.62	26.66	29.15
पूर्णिया	32.65	37.15	38.42	43.27	47.34
किशनगंज	16.90	19.20	19.85	22.21	24.13
अररिया	28.12	31.99	33.08	37.16	40.50
कटिहार	30.71	34.96	36.16	40.66	44.31
बिहार	**1040.99**	**1188.35**	**1230.11**	**1395.13**	**1534.15**

स्रोत : भारत की जनगणना

तालिका प 11.3 : बिहार के जिलों में अनुमानित कुल प्रजनन दर (2012 से 2041)

(बच्चे प्रति महिला)

जिले	2012	2019	2021	2031	2041
पटना	2.60	2.08	1.86	1.49	1.34
नालंदा	3.10	2.47	2.21	1.77	1.59
भोजपुर	3.00	2.39	2.14	1.71	1.54
बक्सर	3.20	2.55	2.29	1.83	1.65
रोहतास	3.30	2.63	2.36	1.89	1.70
कैमूर	3.20	2.55	2.29	1.83	1.65
गया	3.00	2.39	2.14	1.71	1.54
जहानाबाद	3.10	2.47	2.21	1.77	1.59
अरवल	3.10	2.47	2.21	1.77	1.59
नवादा	3.10	2.47	2.21	1.77	1.59
सारण	3.20	2.55	2.29	1.83	1.65
सीवान	3.50	2.79	2.50	2.00	1.80
गोपालगंज	3.50	2.79	2.50	2.00	1.80
पश्चिम चंपारण	4.00	3.19	2.86	2.29	2.06
पूर्व चंपारण	4.60	3.67	3.29	2.63	2.37
मुजफ्फरपुर	3.40	2.71	2.43	1.94	1.75
सीतामढ़ी	3.90	3.11	2.79	2.23	2.01
शिवहर	4.60	3.67	3.29	2.63	2.37
वैशाली	3.40	2.71	2.43	1.94	1.75
दरभंगा	3.80	3.03	2.71	2.17	1.95
मधुबनी	3.40	2.71	2.43	1.94	1.75
समस्तीपुर	3.80	3.03	2.71	2.17	1.95
बेगूसराय	3.30	2.63	2.36	1.89	1.70
मुंगेर	3.20	2.55	2.29	1.83	1.65
शेखपुरा	3.60	2.87	2.57	2.06	1.85
लखीसराय	3.00	2.39	2.14	1.71	1.54
जमुई	3.10	2.47	2.21	1.77	1.59
खगड़िया	4.20	3.35	3.00	2.40	2.16
भागलपुर	3.30	2.63	2.36	1.89	1.70
बांका	3.20	2.55	2.29	1.83	1.65
सहरसा	4.30	3.43	3.07	2.46	2.21
सुपौल	3.80	3.03	2.71	2.17	1.95
मधेपुरा	4.00	3.19	2.86	2.29	2.06
पूर्णिया	3.70	2.95	2.64	2.11	1.90
किशनगंज	4.40	3.51	3.14	2.51	2.26
अररिया	4.30	3.43	3.07	2.46	2.21
कटिहार	3.90	3.11	2.79	2.23	2.01
बिहार	**3.50**	**2.79**	**2.50**	**2.00**	**1.80**

स्रोत : भारत की जनगणना

तालिका प 11.4 : बिहार में उम्र समूह के अनुसार जिलावार अनुमानित जनसंख्या (लाख में) (2021 से 2041)

जिले	0-19 वर्ष			20-59 वर्ष			60 वर्ष और उससे ऊपर		
	2021	2031	2041	2021	2031	2041	2021	2031	2041
पटना	27.91	25.51	24.10	36.31	47.07	54.02	5.35	7.23	10.13
नालंदा	14.53	13.28	12.55	16.79	21.76	24.97	2.74	3.70	5.19
भोजपुर	13.59	12.42	11.74	16.13	20.91	24.00	2.62	3.53	4.95
बक्सर	8.60	7.86	7.43	9.85	12.76	14.65	1.74	2.35	3.29
रोहतास	14.82	13.54	12.80	17.55	22.75	26.10	2.72	3.67	5.14
कैमूर	8.42	7.70	7.27	9.18	11.89	13.65	1.58	2.14	2.99
गया	22.21	20.30	19.18	24.95	32.34	37.12	4.72	6.37	8.93
जहानाबाद	5.67	5.18	4.89	6.60	8.55	9.81	1.06	1.43	2.00
अरवल	3.56	3.26	3.08	4.04	5.24	6.02	0.68	0.92	1.29
नवादा	11.47	10.48	9.90	12.86	16.67	19.13	1.89	2.56	3.59
औरंगाबाद	12.97	11.85	11.20	14.69	19.04	21.85	2.37	3.21	4.49
सारण	20.38	18.62	17.60	22.14	28.70	32.94	4.08	5.51	7.72
सीवान	17.09	15.62	14.76	18.70	24.24	27.82	3.49	4.72	6.61
गोपालगंज	13.43	12.27	11.60	14.26	18.49	21.22	2.48	3.36	4.70
पश्चिम चंपारण	20.73	18.95	17.90	22.52	29.19	33.50	3.17	4.28	6.00
पूर्व चंपारण	26.97	24.65	23.29	28.93	37.49	43.03	4.21	5.68	7.96
मुजफ्फरपुर	23.90	21.84	20.64	28.23	36.59	41.99	4.76	6.44	9.02
सीतामढ़ी	17.84	16.30	15.40	19.31	25.02	28.72	3.22	4.36	6.10
शिवहर	3.42	3.13	2.96	3.64	4.72	5.41	0.67	0.90	1.26
वैशाली	17.10	15.63	14.77	20.12	26.08	29.93	4.17	5.63	7.90
दरभंगा	20.33	18.58	17.56	22.73	29.46	33.81	3.45	4.67	6.54
मधुबनी	22.90	20.93	19.77	26.21	33.97	38.98	3.98	5.38	7.54
समस्तीपुर	22.05	20.15	19.04	24.46	31.71	36.39	3.81	5.15	7.21
बेगूसराय	15.42	14.09	13.31	17.22	22.32	25.62	2.45	3.32	4.65
मुंगेर	6.68	6.11	5.77	8.36	10.83	12.43	1.23	1.66	2.32
शेखपुरा	3.33	3.05	2.88	3.59	4.65	5.34	0.58	0.78	1.09
लखीसराय	5.20	4.75	4.49	5.76	7.47	8.57	0.86	1.16	1.62
जमुई	8.92	8.15	7.70	10.43	13.52	15.52	1.50	2.03	2.84
खगड़िया	9.00	8.22	7.77	9.37	12.14	13.93	1.25	1.69	2.37
भागलपुर	15.42	14.09	13.31	17.84	23.13	26.54	2.70	3.65	5.11
बांका	10.22	9.34	8.83	12.03	15.59	17.89	1.86	2.51	3.52
सहरसा	10.02	9.16	8.66	10.93	14.17	16.26	1.47	1.99	2.79
सुपौल	11.70	10.69	10.10	12.86	16.67	19.14	1.75	2.36	3.31
मधेपुरा	10.57	9.66	9.13	11.54	14.96	17.17	1.51	2.03	2.85
पूर्णिया	17.47	15.97	15.09	18.27	23.68	27.17	2.68	3.62	5.08
किशनगंज	9.36	8.56	8.08	9.38	12.16	13.95	1.11	1.50	2.10
अररिया	15.26	13.95	13.18	15.84	20.53	23.56	1.98	2.68	3.76
कटिहार	16.58	15.16	14.32	17.45	22.62	25.96	2.13	2.88	4.03
बिहार	**535.04**	**489.04**	**462.04**	**601.07**	**779.09**	**894.10**	**94.01**	**127.01**	**178.01**

स्रोत : भारत की जनगणना

तालिका प 11.5 : बिहार में उम्र समूह के अनुसार जिलावार अनुमानित जनसंख्या (प्रतिशत में) (2021 से 2041)

जिले	0-19 वर्ष			20-59 वर्ष			60 वर्ष और उससे ऊपर		
	2021	2031	2041	2021	2031	2041	2021	2031	2041
पटना	40.12	31.97	27.31	52.19	58.98	61.21	7.69	9.05	11.48
नालंदा	42.66	34.28	29.38	49.29	56.16	58.47	8.04	9.55	12.15
भोजपुर	42.03	33.70	28.85	49.88	56.72	58.98	8.09	9.59	12.17
बक्सर	42.61	34.22	29.28	48.79	55.56	57.75	8.60	10.21	12.96
रोहतास	42.24	33.89	29.05	50.02	56.92	59.27	7.74	9.18	11.68
कैमूर	43.92	35.43	30.41	47.84	54.74	57.07	8.24	9.83	12.52
गया	42.81	34.40	29.40	48.10	54.81	56.91	9.09	10.80	13.69
जहानाबाद	42.54	34.17	29.29	49.52	56.40	58.72	7.94	9.43	11.99
अरवल	43.00	34.58	29.64	48.80	55.67	57.96	8.20	9.75	12.40
नवादा	43.73	35.28	30.36	49.04	56.10	58.64	7.22	8.61	11.00
औरंगाबाद	43.18	34.76	29.83	48.92	55.84	58.21	7.90	9.40	11.97
सारण	43.73	35.25	30.20	47.52	54.32	56.54	8.75	10.43	13.26
सीवान	43.50	35.03	30.00	47.61	54.38	56.56	8.89	10.59	13.45
गोपालगंज	44.50	35.98	30.91	47.27	54.19	56.55	8.23	9.83	12.54
पश्चिम चंपारण	44.66	36.15	31.19	48.51	55.69	58.36	6.83	8.17	10.45
पूर्व चंपारण	44.88	36.35	31.36	48.13	55.28	57.93	7.00	8.38	10.72
मुजफ्फरपुर	42.01	33.67	28.80	49.62	56.40	58.60	8.38	9.92	12.59
सीतामढ़ी	44.19	35.69	30.67	47.83	54.78	57.18	7.99	9.53	12.15
शिवहर	44.30	35.78	30.70	47.07	53.92	56.19	8.63	10.30	13.11
वैशाली	41.31	33.01	28.08	48.61	55.09	56.91	10.07	11.90	15.01
दरभंगा	43.71	35.25	30.32	48.87	55.89	58.39	7.43	8.85	11.29
मधुबनी	43.13	34.72	29.83	49.37	56.36	58.80	7.50	8.92	11.37
समस्तीपुर	43.82	35.35	30.40	48.61	55.62	58.09	7.57	9.03	11.51
बेगूसराय	43.93	35.47	30.55	49.07	56.19	58.78	6.99	8.35	10.67
मुंगेर	41.09	32.85	28.12	51.38	58.25	60.57	7.54	8.91	11.31
शेखपुरा	44.44	35.93	30.91	47.86	54.87	57.35	7.69	9.20	11.74
लखीसराय	44.01	35.54	30.59	48.73	55.80	58.35	7.25	8.66	11.06
जमुई	42.77	34.39	29.55	50.04	57.06	59.55	7.20	8.56	10.90
खगड़िया	45.87	37.29	32.28	47.75	55.05	57.88	6.38	7.67	9.85
भागलपुर	42.88	34.48	29.61	49.62	56.59	59.02	7.51	8.92	11.37
बांका	42.40	34.05	29.20	49.88	56.80	59.16	7.71	9.16	11.65
सहरसा	44.70	36.19	31.25	48.74	55.96	58.69	6.56	7.85	10.05
सुपौल	44.46	35.97	31.04	48.89	56.09	58.79	6.64	7.95	10.17
मधेपुरा	44.76	36.25	31.32	48.87	56.12	58.90	6.38	7.63	9.78
पूर्णिया	45.47	36.90	31.87	47.55	54.72	57.40	6.98	8.38	10.73
किशनगंज	47.17	38.53	33.50	47.25	54.73	57.81	5.58	6.74	8.69
अररिया	46.12	37.53	32.54	47.89	55.26	58.19	6.00	7.21	9.27
कटिहार	45.85	37.28	32.32	48.26	55.65	58.59	5.88	7.07	9.09
बिहार	**43.50**	**35.05**	**30.12**	**48.86**	**55.84**	**58.28**	**7.64**	**9.10**	**11.60**

स्रोत : भारत की जनगणना

तालिका प 11.6 : बिहार में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या (सितंबर 2019 में)

जिले	जिला अस्पताल (1)	रेफरल अस्पताल (2)	अनुमंडल अस्पताल (3)	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (4)	स्वास्थ्य उप-केंद्र (5)	अतिरिक्त प्रा.स्वा. केंद्र (6)	योग (1 से 6)	पति 10 लाख आबादी पर स्वास्थ्य केंद्र
पटना	1	4	4	23	234	96	362	62
नालंदा	1	3	2	20	368	46	440	153
भोजपुर	1	3	1	14	298	27	344	126
बक्सर	1	0	1	11	160	28	201	118
रोहतास	1	2	2	19	251	32	307	104
कैमूर	1	2	1	11	175	19	209	129
गया	1	2	2	24	469	42	536	122
जहानाबाद	1	2	0	7	107	34	151	134
अरवल	1	0	0	5	65	28	98	140
नवादा	1	2	1	14	174	36	228	103
औरंगाबाद	1	3	1	11	254	62	331	130
सारण	1	3	1	20	414	41	480	121
सीवान	1	3	1	19	378	44	446	134
गोपालगंज	1	3	1	14	185	24	228	89
पश्चिम चंपारण	1	2	2	18	532	33	588	149
पूर्व चंपारण	1	1	3	27	398	72	500	98
मुजफ्फरपुर	1	1	0	16	499	83	600	125
सीतामढ़ी	1	1	1	17	208	38	266	78
शिवहर	1	1	0	5	91	13	111	169
वैशाली	1	4	1	16	334	35	391	112
दरभंगा	0	2	1	18	261	50	328	83
मधुबनी	1	3	3	21	376	61	465	104
समस्तीपुर	1	1	4	20	358	56	440	103
बेगूसराय	1	2	2	18	292	23	338	114
मुंगेर	1	0	1	9	154	20	185	135
शेखपुरा	1	1	0	6	85	17	110	173
लखीसराय	1	1	0	6	102	12	122	122
जमुई	1	3	0	10	279	22	315	179
खगड़िया	1	1	0	7	186	23	218	131
भागलपुर	1	3	2	16	362	54	438	144
बांका	1	3	0	11	239	31	285	140
सहरसा	1	0	1	10	171	32	215	113
सुपौल	1	2	1	11	181	23	219	98
मधेपुरा	1	0	1	13	272	21	308	154
पूर्णिया	1	2	2	14	312	33	364	111
किशनगंज	1	1	0	7	156	10	175	104
अररिया	1	2	1	9	242	37	284	101
कटिहार	1	1	2	16	327	41	388	126
बिहार	**37**	**70**	**46**	**533**	**9949**	**1399**	**12014**	**115**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.7 : जिलावार प्रतिदिन पहुंचने वाले औसत वाह्यरोगी औरभर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर(2016-17 से 2019-20)

जिले	प्रतिदिन पहुंचने वाले औसत वाह्यरोगी				भर्ती रोगियों की शय्या अधिभोग दर			
	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
पटना	269	382	355	366	74	34	44	43
नालंदा	448	290	333	335	121	83	82	82
भोजपुर	254	244	244	271	41	33	37	35
बक्सर	219	186	168	167	50	27	31	33
रोहतास	259	237	248	259	66	53	37	35
कैमूर	297	254	280	295	54	62	75	75
गया	355	346	386	361	23	41	40	41
जहानाबाद	354	343	341	347	44	45	31	31
अरवल	263	264	241	229	24	48	55	53
नवादा	180	199	206	220	85	28	26	28
औरंगाबाद	524	425	388	399	48	33	43	45
सारण	462	349	392	406	88	48	58	72
सीवान	326	286	270	257	73	59	61	59
गोपालगंज	382	266	251	223	67	54	52	39
पश्चिम चंपारण	275	173	231	239	41	50	66	58
पूर्व चंपारण	398	268	260	285	74	50	50	53
मुजफ्फरपुर	514	493	515	544	18	27	30	32
सीतामढ़ी	217	269	246	228	81	47	44	39
शिवहर	148	145	147	139	48	27	23	14
वैशाली	432	395	420	332	93	69	68	37
दरभंगा	343	410	459	485	38	54	56	53
मधुबनी	344	388	400	420	52	74	76	73
समस्तीपुर	363	313	272	320	118	73	80	73
बेगूसराय	267	241	286	316	69	67	70	81
मुंगेर	340	315	302	296	81	47	50	48
शेखपुरा	160	237	232	229	66	40	34	42
लखीसराय	247	224	204	227	70	41	50	46
जमुई	217	242	180	176	36	43	35	32
खगड़िया	555	489	472	505	108	116	111	113
भागलपुर	318	278	260	258	126	44	48	47
बांका	440	322	307	305	65	53	55	45
सहरसा	207	258	253	258	87	86	90	85
सुपौल	375	282	298	293	80	68	78	62
मधेपुरा	392	449	411	405	126	96	88	82
पूर्णिया	467	343	317	356	90	70	69	70
किशनगंज	295	228	244	248	94	51	58	35
अररिया	480	352	329	319	147	28	30	28
कटिहार	364	335	338	348	81	78	81	74
बिहार	**339**	**309**	**311**	**317**	**64**	**53**	**55**	**53**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.8 : नियमित और संविदाधीन चिकित्सकों का जिलावार नियोजन (2017-18 और 2018-19)

(आंकड़े संख्या में)

जिले	स्वीकृत पदों की वर्तमान सं.		नियोजित चिकित्सकों की संख्या				प्रति लाख आबादी पर चिकित्सकोंकी सं.*
	नियमित	संविदाधीन	नियमित		संविदाधीन		
			2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	
पटना	422	92	376	349	4	25	6
नालंदा	158	95	169	169	4	20	6
भोजपुर	194	65	125	124	2	14	4
बक्सर	115	54	77	75	2	9	4
रोहतास	248	89	97	97	3	19	3
कैमूर	114	48	58	55	2	8	3
गया	272	106	212	207	3	31	5
जहानाबाद	150	46	97	96	1	7	8
अरवल	80	20	42	42	1	13	7
नवादा	198	45	86	83	2	8	4
औरंगाबाद	97	47	66	65	2	14	3
सारण	165	94	111	110	2	17	3
सीवान	162	10	81	80	2	28	3
गोपालगंज	101	69	71	67	2	13	3
पश्चिम चंपारण	132	83	153	151	3	18	4
पूर्व चंपारण	190	128	96	93	4	15	2
मुजफ्फरपुर	274	64	218	211	1	18	4
सीतामढ़ी	170	68	69	67	2	16	2
शिवहर	75	19	44	42	1	2	6
वैशाली	145	69	122	120	2	15	3
दरभंगा	190	72	167	159	1	42	4
मधुबनी	235	85	93	91	4	18	2
समस्तीपुर	192	95	112	111	5	19	3
बेगूसराय	122	94	81	78	3	27	3
मुंगेर	110	44	75	74	2	5	5
शेखपुरा	93	24	65	65	1	4	9
लखीसराय	114	30	52	52	1	4	5
जमुई	103	38	61	58	1	13	3
खगड़िया	101	44	57	57	1	3	3
भागलपुर	206	64	182	182	3	15	6
बांका	118	47	67	64	1	6	3
सहरसा	163	45	64	63	2	12	3
सुपौल	182	48	82	80	2	8	3
मधेपुरा	190	67	66	65	2	14	3
पूर्णिया	226	64	120	119	3	8	3
किशनगंज	83	28	49	49	1	3	3
अररिया	179	36	64	63	2	15	2
कटिहार	192	78	94	90	3	5	3
बिहार	**6261**	**2314**	**3921**	**3821**	**83**	**531**	**4**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.9 : 'ए' श्रेणी की नर्सों का जिलावार नियोजन (2017-18 और 2018-19)

(आंकड़े संख्या में)

जिले	स्वीकृत पदों की वर्तमान सं.		नियोजित 'ए' श्रेणी नर्सों की संख्या				प्रति लाख आबादी पर ए-ग्रेड नर्सों की सं.
			नियमित		संविदाधीन		
	नियमित	संविदाधीन	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	
पटना	161	46	130	130	44	44	3
नालंदा	88	59	97	97	12	12	3
भोजपुर	54	24	50	50	8	8	2
बक्सर	53	74	39	39	0	0	2
रोहतास	88	20	55	55	16	16	2
कैमूर	38	44	26	26	9	9	2
गया	146	25	27	27	15	15	1
जहानाबाद	85	34	76	76	1	1	6
अरवल	81	50	17	17	2	2	2
नवादा	82	175	73	73	0	0	3
औरंगाबाद	128	22	28	28	0	0	1
सारण	86	25	46	46	6	6	1
सीवान	110	16	34	34	0	0	1
गोपालगंज	84	18	29	29	2	2	1
पश्चिम चंपारण	120	37	24	24	2	2	1
पूर्व चंपारण	165	48	36	36	11	11	1
मुजफ्फरपुर	152	54	37	37	12	12	1
सीतामढ़ी	116	17	29	29	2	2	1
शिवहर	34	9	9	9	3	3	2
वैशाली	118	51	64	64	0	0	2
दरभंगा	154	30	27	27	10	10	1
मधुबनी	114	34	54	54	2	2	1
समस्तीपुर	146	24	133	133	1	1	3
बेगूसराय	128	24	120	120	8	8	4
मुंगेर	114	34	100	100	9	9	7
शेखपुरा	56	32	44	44	30	30	10
लखीसराय	58	60	52	52	1	1	5
जमुई	62	13	38	38	4	4	2
खगड़िया	48	13	60	60	2	2	3
भागलपुर	108	165	78	78	24	24	3
बांका	64	18	58	58	0	0	2
सहरसा	52	30	46	46	4	4	2
सुपौल	107	172	39	39	1	1	2
मधेपुरा	58	9	30	30	1	1	1
पूर्णिया	110	112	76	76	12	12	2
किशनगंज	44	34	23	23	42	42	3
अररिया	96	39	24	24	4	4	1
कटिहार	104	28	66	66	8	8	2
बिहार	**3612**	**1719**	**1994**	**1994**	**308**	**308**	**2**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.10 : एएनएम का जिलावार नियोजन(2017-18 और 2018-19)

(आंकड़े संख्या में)

जिले	स्वीकृत पदों की वर्तमान सं.		नियोजित ए.एन.एम. की संख्या				प्रति लाख आबादी पर ए.एन.एम. की सं.
			नियमित		संविदाधीन		
	नियमित	संविदाधीन	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	
पटना	1155	418	968	968	196	196	17
नालंदा	835	370	711	711	158	158	26
भोजपुर	706	350	622	622	147	147	24
बक्सर	382	162	199	199	91	91	15
रोहतास	593	308	394	394	113	113	15
कैमूर	325	287	242	242	110	110	19
गया	1170	541	587	587	287	287	17
जहानाबाद	351	151	178	178	73	73	19
अरवल	125	65	76	76	39	39	14
नवादा	443	525	217	217	102	102	12
औरंगाबाद	581	308	328	328	156	156	16
सारण	789	643	297	297	266	266	12
सीवान	501	370	325	325	97	97	11
गोपालगंज	512	186	191	191	79	79	9
पश्चिम चंपारण	535	895	277	277	546	546	18
पूर्व चंपारण	1017	503	201	201	401	401	10
मुजफ्फरपुर	956	583	674	674	238	238	16
सीतामढ़ी	684	213	207	207	99	99	8
शिवहर	97	172	25	25	98	98	16
वैशाली	764	418	411	411	181	181	15
दरभंगा	585	419	284	284	202	202	11
मधुबनी	1017	702	307	307	225	225	10
समस्तीपुर	854	486	545	545	57	57	12
बेगूसराय	661	360	475	475	196	196	20
मुंगेर	491	165	324	324	70	70	25
शेखपुरा	257	123	148	148	49	49	27
लखीसराय	400	102	205	205	54	54	22
जमुई	609	212	230	230	129	129	18
खगड़िया	362	193	216	216	89	89	16
भागलपुर	567	362	622	622	165	165	22
बांका	406	265	348	348	137	137	21
सहरसा	350	212	140	140	119	119	12
सुपौल	212	246	87	87	157	157	9
मधेपुरा	399	153	93	93	82	82	8
पूर्णिया	655	370	207	207	179	179	10
किशनगंज	338	186	69	69	117	117	10
अररिया	561	290	129	129	161	161	9
कटिहार	614	345	271	271	224	224	14
बिहार	**21859**	**12659**	**11830**	**11830**	**5889**	**5889**	**15**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.11 : आशा-कर्मियों का जिलावार नियोजन (2016-17 से 2018-19)

(आंकड़े संख्या में)

जिले	2016-17		2017-18		2018-19	
	लक्ष्य	चयन	लक्ष्य	चयन	लक्ष्य	चयन
पटना	3461	2992	3461	2992	3461	3111
नालंदा	2415	2316	2415	2316	2415	2316
भोजपुर	2331	2079	2331	2079	2331	2204
बक्सर	1551	1494	1551	1494	1551	1494
रोहतास	2538	2465	2538	2465	2538	2509
कैमूर	1570	1509	1570	1509	1570	1568
गया	3878	3448	3878	3448	3878	3680
जहानाबाद	990	870	990	870	990	960
अरवल	749	747	749	747	749	712
नवादा	2004	1957	2004	1957	2004	1931
औरंगाबाद	2299	2243	2299	2243	2299	2299
सारण	3602	3408	3602	3408	3602	3450
सीवान	3136	2822	3136	2822	3136	2885
गोपालगंज	2396	2395	2396	2395	2396	2392
पश्चिम चंपारण	3644	3178	3644	3178	3644	3452
पूर्व चंपारण	4684	4060	4684	4060	4684	4412
मुजफ्फरपुर	4510	3880	4510	3880	4510	3896
सीतामढ़ी	3259	2919	3259	2919	3259	2985
शिवहर	646	572	646	572	646	572
वैशाली	3265	3129	3265	3129	3265	3246
दरभंगा	3729	3242	3729	3242	3729	3323
मधुबनी	4298	3910	4298	3910	4298	4000
समस्तीपुर	4161	3798	4161	3798	4161	4075
बेगूसराय	2493	2410	2493	2410	2493	2410
मुंगेर	1014	953	1014	953	1014	968
शेखपुरा	526	478	526	478	526	506
लखीसराय	900	898	900	898	900	898
जमुई	1654	1509	1654	1509	1654	1583
खगड़िया	1571	1501	1571	1501	1571	1526
भागलपुर	2435	2236	2435	2236	2435	2338
बांका	1966	1819	1966	1819	1966	1820
सहरसा	1823	1471	1823	1471	1823	1646
सुपौल	2140	2111	2140	2111	2140	2111
मधेपुरा	2049	1704	2049	1704	2049	1764
पूर्णिया	2983	2833	2983	2833	2983	2966
किशनगंज	1585	1298	1585	1298	1585	1389
अररिया	2637	2284	2637	2284	2637	2476
कटिहार	2795	2770	2795	2770	2795	2791
बिहार	**93687**	**85708**	**93687**	**85708**	**93687**	**88664**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.12 : जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसवों का जिलावार आच्छादन (2014-15 से 2019-20)

(आंकड़े हजार में)

जिले	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20, (सितंबर 19)
पटना	83	64	64	64	60	29
नालंदा	41	41	39	44	42	21
भोजपुर	39	38	36	39	37	19
बक्सर	25	21	21	22	21	10
रोहतास	43	27	26	29	25	12
कैमूर	23	24	24	25	23	12
गया	63	49	47	51	50	25
जहानाबाद	16	16	14	14	14	07
अरवल	10	09	09	10	10	05
नवादा	32	30	28	33	31	16
औरंगाबाद	36	33	31	33	33	16
सारण	57	48	50	53	50	27
सीवान	48	39	40	42	40	20
गोपालगंज	37	38	38	40	37	18
पश्चिम चंपारण	57	67	68	70	73	34
पूर्व चंपारण	73	62	62	67	65	32
मुजफ्फरपुर	69	54	53	54	55	29
सीतामढ़ी	49	43	45	49	49	23
शिवहर	09	09	10	11	11	06
वैशाली	50	60	60	61	61	32
दरभंगा	57	48	50	53	56	26
मधुबनी	65	54	59	60	59	29
समस्तीपुर	61	88	89	94	88	45
बेगूसराय	43	55	54	57	52	28
मुंगेर	20	21	21	22	22	11
शेखपुरा	9	13	12	14	13	07
लखीसराय	14	16	15	16	15	07
जमुई	25	27	27	29	28	14
खगड़िया	24	34	35	38	38	19
भागलपुर	44	52	51	54	53	26
बांका	29	35	33	36	36	18
सहरसा	27	40	40	39	41	21
सुपौल	32	46	47	48	50	24
मधेपुरा	29	37	42	47	47	23
पूर्णिया	47	71	71	78	74	38
किशनगंज	24	21	23	25	26	12
अररिया	40	51	54	55	55	26
कटिहार	44	52	57	61	61	30
बिहार	**1494**	**1533**	**1545**	**1637**	**1601**	**797**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.13 : रोगों की व्याप्ति (2018-19)

(आंकड़े संख्या में)

जिले	तीव्र विसूचिका (तीव्र जठरांत्र शोथ सहित)	खूनी पेचिश	वायरल हिपेटाइटिस	आंत्र ज्वर	मलेरिया
पटना	7627	1059	2563	1365	146
नालंदा	6890	3355	6029	1610	2583
भोजपुर	9748	5030	10	575	13
बक्सर	3247	1771	0	3785	563
रोहतास	6326	1405	147	3726	253
कैमूर	5557	3085	58	14312	244
गया	0	0	0	0	0
जहानाबाद	8429	5795	136	2811	75
अरवल	2154	2087	0	2664	0
नवादा	8516	4590	4522	3138	4937
औरंगाबाद	2999	1377	0	1244	98
सारण	3204	1140	7	604	0
सीवान	6421	2263	3	9535	25
गोपालगंज	6830	557	4	592	6
पश्चिम चंपारण	14695	1829	0	0	0
पूर्व चंपारण	0	0	0	0	0
मुजफ्फरपुर	20472	4241	648	16286	128
सीतामढ़ी	4681	3268	0	1147	0
शिवहर	7654	3904	0	2449	0
वैशाली	23069	19005	8707	14933	823
दरभंगा	8190	5210	37	4586	491
मधुबनी	17528	10974	1186	8458	693
समस्तीपुर	25411	14437	0	1254	519
बेगूसराय	17181	2004	2	14076	1
मुंगेर	14941	10271	16	1800	3383
शेखपुरा	485	387	0	126	393
लखीसराय	44	29	0	13	0
जमुई	11365	14398	14	5785	272
खगड़िया	1436	902	0	64	5
भागलपुर	1105	763	0	22	0
बांका	0	0	0	0	0
सहरसा	531	324	0	117	0
सुपौल	8677	6635	0	5365	143
मधेपुरा	1333	0	0	116	0
पूर्णिया	32178	14936	83	2435	409
किशनगंज	22155	7258	18	7921	15
अररिया	3494	5828	3317	1309	1930
कटिहार	13248	6096	0	4145	172
बिहार	**327821**	**166213**	**27507**	**138368**	**18320**

स्रोत : बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.13 : रोगों की व्याप्ति (2018-19) (जारी)

(आंकड़े संख्या में)

जिले	अज्ञात मूल का ज्वर	तीव्र श्वास संक्रमण/ इनफ्लुएंजा जैसा संक्रमण	न्यूमोनिया	कुत्ता काटना	राज्य का कोई अन्य खास रोग	पूर्वोक्त से भिन्न असामान्य रोग लक्षण
पटना	2824	7404	1952	14456	1327	7315
नालंदा	6862	13398	734	12535	4848	261
भोजपुर	11617	62233	56	26845	748	0
बक्सर	4517	24065	106	4722	0	0
रोहतास	15657	25108	410	9233	0	0
कैमूर	13377	9786	608	3051	105	1759
गया	0	0	0	0	0	0
जहानाबाद	20276	51099	840	14404	0	39
अरवल	8223	7407	253	6348	0	0
नवादा	25456	5112	1729	12081	3930	20221
औरंगाबाद	699	3356	515	4135	429	2
सारण	8243	6177	315	1348	0	3828
सीवान	48701	81615	1543	14764	370	0
गोपालगंज	32731	34622	369	10195	246	0
पश्चिम चंपारण	2393	18821	822	2472	0	0
पूर्व चंपारण	0	0	0	0	0	0
मुजफ्फरपुर	37267	16852	1355	26744	0	0
सीतामढ़ी	3314	7049	255	3204	41	0
शिवहर	6617	4727	0	2452	0	0
वैशाली	71445	75645	1073	17152	0	1910
दरभंगा	7328	39584	311	11642	227	3736
मधुबनी	21843	38743	208	11199	1228	0
समस्तीपुर	77318	73338	129	5219	1002	0
बेगूसराय	32020	31317	719	13052	0	799
मुंगेर	32172	50980	884	9563	323	1828
शेखपुरा	2648	2083	152	888	0	0
लखीसराय	25	207	0	213	63	28
जमुई	106579	105303	1192	3997	0	0
खगड़िया	72333	79264	10	5457	0	0
भागलपुर	38374	8183	0	6037	0	0
बांका	0	0	0	0	0	0
सहरसा	820	2296	0	136	0	0
सुपौल	21880	9180	26	4839	1839	9191
मधेपुरा	2582	1897	2	824	0	0
पूर्णिया	52087	56431	567	8506	465	2916
किशनगंज	17240	23377	0	2974	499	0
अररिया	4105	10380	466	6278	459	83
कटिहार	9378	16760	3	5445	2413	2560
बिहार	**818951**	**1003799**	**17604**	**282410**	**20562**	**56476**

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

(समाप्त)

तालिका प 11.14 : स्वास्थ्य समितियों को वितरित जिलावार धनराशि (2013-14 से 2018-19)

(करोड़ रु.)

जिले	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पटना	40.36	52.93	39.93	55.50	55.03	60.65
नालंदा	29.63	37.80	32.37	35.07	32.87	50.47
भोजपुर	20.58	26.48	27.15	28.51	22.38	41.17
बक्सर	13.83	18.60	17.63	18.55	20.60	29.11
रोहतास	19.33	19.24	23.72	32.94	24.39	24.47
कैमूर	17.04	18.60	20.79	23.31	22.84	26.66
गया	44.60	40.57	41.18	48.20	52.89	54.08
जहानाबाद	13.30	15.36	11.74	16.24	13.96	22.43
अरवल	9.21	8.29	9.16	12.30	9.78	19.71
नवादा	17.43	20.49	19.09	27.82	19.58	26.41
औरंगाबाद	25.94	27.33	22.89	31.92	32.10	29.59
सारण	28.52	26.50	30.69	44.76	45.52	43.35
सीवान	27.21	25.38	32.85	30.22	28.81	36.64
गोपालगंज	25.21	24.10	20.63	31.87	20.60	33.07
पश्चिम चंपारण	37.13	38.35	51.11	54.83	44.71	615.20
पूर्व चंपारण	38.22	55.56	34.14	61.28	45.01	59.96
मुजफ्फरपुर	34.45	28.48	33.81	42.00	25.85	50.60
सीतामढ़ी	25.07	21.51	26.21	39.54	27.87	56.16
शिवहर	6.46	7.80	7.20	10.46	8.53	20.73
वैशाली	40.12	34.51	39.25	49.79	35.70	59.33
दरभंगा	31.13	29.21	24.66	39.08	41.65	45.19
मधुबनी	35.30	30.91	36.03	45.03	34.82	60.33
समस्तीपुर	47.15	38.73	56.85	51.96	54.54	58.85
बेगूसराय	32.33	35.52	32.36	41.95	41.93	51.47
मुंगेर	19.45	15.13	17.12	19.41	17.72	23.87
शेखपुरा	8.15	9.66	11.41	11.36	12.23	22.75
लखीसराय	10.46	11.88	13.62	13.21	14.71	19.78
जमुई	16.22	24.51	20.91	27.18	24.21	28.00
खगड़िया	17.54	23.22	19.86	24.82	19.69	27.38
भागलपुर	33.27	32.67	37.30	37.20	39.76	41.23
बांका	23.22	25.95	24.30	27.02	32.06	27.06
सहरसा	20.94	19.62	24.10	27.26	18.57	33.50
सुपौल	18.58	21.55	26.89	30.63	23.29	30.29
मधेपुरा	19.52	22.64	19.74	27.18	34.31	29.74
पूर्णिया	33.93	44.15	39.23	47.76	39.47	62.73
किशनगंज	9.66	14.05	13.27	21.74	13.47	265.91
अररिया	19.72	27.26	27.97	39.74	41.21	37.80
कटिहार	31.31	27.43	40.96	45.31	37.22	59.39
बिहार	**941.53**	**1001.97**	**1028.14**	**1272.96**	**1129.92**	**1495.05**

टिप्पणी : राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा धनराशि जिला स्वास्थ्य समिति, क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई, मेडिकल कॉलेज, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान और बिहार चिकित्सा सेवा एवं अधिसंरचना निगम लि. जैसे अपने क्रियान्वयन अभिकरणों के बीच वितरित की गई है लेकिन उक्त तालिका में सिर्फ जिला स्वास्थ्य समिति को किया गया वितरण दर्शाया गया है।

स्रोत : राज्य स्वास्थ्य समिति, पटना; बिहार सरकार

तालिका प 11.15 : राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत चापाकलों की जिलावार स्थापना(2015-16 से 2018-19)

जिले	लगे चापाकलों की संख्या				छूटे/ पानी की खराब गुणवत्ता वाले टोलों का आच्छादन			आच्छादित वार्ड
	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पटना	1000	220	98	156	373	0	0	861
नालंदा	1079	137	182	344	36	2	0	1083
भोजपुर	669	82	4	45	244	0	0	672
बक्सर	389	30	287	71	13	1	0	586
रोहतास	1066	19	250	125	253	1	0	191
कैमूर	761	58	302	111	91	38	15	364
गया	1739	148	0	265	469	34	46	673
जहानाबाद	206	0	186	60	87	7	25	219
अरवल	196	0	52	49	92	13	0	335
नवादा	856	19	0	165	207	35	19	966
औरंगाबाद	994	0	366	123	250	37	27	388
सारण	771	34	291	81	305	15	30	1409
सीवान	736	441	300	35	337	15	0	885
गोपालगंज	497	74	234	35	269	11	0	664
पश्चिम चंपारण	871	359	340	20	311	3	13	679
पूर्व चंपारण	968	314	375	167	492	20	0	2047
मुजफ्फरपुर	1179	782	475	405	222	5	0	1007
सीतामढ़ी	1113	140	303	75	21	14	23	2236
शिवहर	106	35	88	30	108	0	0	183
वैशाली	255	414	307	132	0	0	0	721
दरभंगा	588	339	410	145	0	5	0	911
मधुबनी	762	303	610	63	167	0	0	729
समस्तीपुर	937	237	431	250	336	96	0	1075
बेगूसराय	695	54	4	0	58	0	0	08
मुंगेर	453	78	376	83	301	38	25	200
शेखपुरा	230	0	86	70	0	0	0	61
लखीसराय	485	12	133	75	174	122	0	145
जमुई	700	51	306	120	250	43	23	217
खगड़िया	273	32	129	0	14	56	0	0
भागलपुर	1346	84	430	120	223	2	0	354
बांका	1132	112	360	120	281	0	0	370
सहरसा	232	69	168	0	311	101	0	36
सुपौल	458	552	91	33	358	163	0	0
मधेपुरा	551	13	50	3	132	72	अनु.	7
पूर्णिया	575	509	246	0	9	57	20	0
किशनगंज	437	252	126	0	84	90	0	0
अररिया	480	170	218	96	71	132	0	3
कटिहार	906	200	285	0	240	61	0	5
बिहार	**26691**	**6373**	**8899**	**3672**	**7189**	**1289**	**266**	**20290**

टिप्पणी : 1. एक समय 'पूर्णतः आच्छादित' रहा टोला जो ''आंशिक आच्छादित'' या ''प्रभावित गुणवत्ता वाला हो।
2. 'आच्छादित वार्डों' का आशय सात निश्चय के 'हर घर नल का जल' निश्चय के तहत आच्छादित वार्डों से है।

स्रोत : लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग और पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.16 : केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालय संबंधी जिलावार उपलब्धि(2017-18 और 2018-19)

जिले	जनसंख्या में प्रतिशत हिस्सा	2017-18			2018-19		
		बीपीएल	एपीएल	बीपीएल+एपीएल	बीपीएल	एपीएल	बीपीएल+एपीएल
पटना	5.6	48197	46565	94762 (2.8)	83544	95032	178576 (2.9)
नालंदा	2.8	94350	39371	133721 (3.9)	66154	25774	91928 (1.5)
भोजपुर	2.6	35995	17032	53027 (1.5)	96487	41867	138354 (2.3)
बक्सर	1.6	37760	29423	67183 (2.0)	31470	54009	85479 (1.4)
रोहतास	2.9	143551	79736	223287 (6.5)	4101	1716	5817 (0.1)
कैमूर	1.6	91600	25933	117533 (3.4)	83939	43440	127379 (2.1)
गया	4.2	31998	51654	83652 (2.4)	65285	182239	247524 (4.0)
जहानाबाद	1.1	9598	11777	21375 (0.6)	28904	16746	45650 (0.7)
अरवल	0.7	6386	3989	10375 (0.3)	49398	10359	59757 (1.0)
नवादा	2.1	50300	26791	77091 (2.2)	73736	32989	106725 (1.7)
औरंगाबाद	2.4	32093	31547	63640 (1.9)	79877	86879	166756 (2.7)
सारण	3.8	43232	44152	87384 (2.5)	111089	126151	237240 (3.9)
सीवान	3.2	18666	49296	67962 (2.0)	55834	175487	231321 (3.8)
गोपालगंज	2.5	27872	61616	89488 (2.6)	22783	139160	161943 (2.6)
पश्चिम चंपारण	3.8	86103	44880	130983 (3.8)	183616	105892	289508 (4.7)
पूर्व चंपारण	4.9	188239	68829	257068 (7.5)	215445	63449	278894 (4.5)
मुजफ्फरपुर	4.6	29216	150799	180015 (5.2)	84516	224262	308778 (5)
सीतामढ़ी	3.3	215910	22516	238426 (6.9)	82691	5862	88553 (1.4)
शिवहर	0.6	8106	7312	15418 (0.4)	48347	14168	62515 (1.0)
वैशाली	3.4	40242	21414	61656 (1.8)	131617	51169	182786 (3.0)
दरभंगा	3.8	67545	43470	111015 (3.2)	210959	103331	314290 (5.1)
मधुबनी	4.3	129001	40772	169773 (4.9)	280454	83668	364122 (5.9)
समस्तीपुर	4.1	38568	30015	68583 (2)	196103	125216	321319 (5.2)
बेगूसराय	2.8	36972	23301	60273 (1.8)	121519	64250	185769 (3.0)
मुंगेर	1.3	61772	14001	75773 (2.2)	41915	9242	51157 (0.8)
शेखपुरा	0.6	19487	23780	43267 (1.3)	5674	5841	11515 (0.2)
लखीसराय	1	30644	127	30771 (0.9)	60337	5314	65651 (1.1)
जमुई	1.7	42654	13323	55977 (1.6)	91476	34379	125855 (2.1)
खगड़िया	1.6	25357	35104	60461 (1.8)	52550	32981	85531 (1.4)
भागलपुर	2.9	42635	15863	58498 (1.7)	106073	49389	155462 (2.5)
बांका	2.0	27890	32293	60183 (1.8)	55009	76416	131425 (2.1)
सहरसा	1.8	37096	19515	56611 (1.6)	119777	37425	157202 (2.6)
सुपौल	2.1	98983	21162	120145 (3.5)	130525	36509	167034 (2.7)
मधेपुरा	1.9	43985	15361	59346 (1.7)	142154	39340	181494 (3.0)
पूर्णिया	3.2	63919	37085	101004 (2.9)	118666	75043	193709 (3.2)
किशनगंज	1.6	48789	2200	50989 (1.5)	121125	5728	126853 (2.1)
अररिया	2.7	92799	8232	101031 (2.9)	216889	22821	239710 (3.9)
कटिहार	3.0	40429	36390	76819 (2.2)	78498	83476	161974 (2.6)
बिहार	**100**	**2187939**	**1246626**	**3434565 (100)**	**3748536**	**2387019**	**6135555 (100)**

टिप्पणी : कोष्ठकों में लिखे आंकड़े बिहार का प्रतिशत हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : जीविका, बिहार सरकार

तालिका प 11.17 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (सभी) (2015-16 से 2017-18)

(लाख)

जिले	2015-16			2016-17			2017-18		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	7.31	3.11	10.42	7.32	3.12	10.44	7.32	3.12	10.44
नालंदा	5.65	2.79	8.44	5.97	2.79	8.76	5.85	3.13	8.98
भोजपुर	3.90	1.68	5.58	3.76	1.70	5.46	1.85	3.64	5.49
बक्सर	3.90	1.75	5.65	3.90	1.75	5.65	4.15	1.66	5.81
रोहतास	3.30	1.13	4.43	3.35	1.16	4.51	3.38	1.07	4.45
कैमूर	2.33	1.27	3.60	2.22	1.37	3.59	2.22	1.37	3.59
गया	6.13	2.95	9.08	6.05	2.80	8.86	6.15	2.48	8.63
जहानाबाद	1.55	0.71	2.26	1.28	0.68	1.95	1.47	0.81	2.28
अरवल	1.09	0.53	1.62	1.11	0.54	1.65	1.11	0.54	1.65
नवादा	3.45	1.55	5.00	3.41	1.56	4.97	3.26	2.54	5.80
औरंगाबाद	3.87	1.95	5.82	3.71	2.06	5.77	3.65	2.05	5.70
सारण	5.70	2.87	8.57	5.51	2.90	8.41	2.60	5.75	8.35
सीवान	4.49	2.36	6.85	4.49	2.36	6.85	3.67	1.99	5.66
गोपालगंज	4.08	1.91	5.99	4.38	1.91	6.29	2.35	3.72	6.07
पश्चिम चंपारण	7.08	2.38	9.46	7.08	2.38	9.46	4.31	5.18	9.49
पूर्व चंपारण	8.78	3.51	12.29	8.78	3.51	12.29	4.05	7.64	11.69
मुजफ्फरपुर	9.94	4.90	14.83	9.92	4.92	14.84	9.91	4.92	14.83
सीतामढ़ी	5.30	1.84	7.14	5.30	1.84	7.14	5.13	2.30	7.43
शिवहर	0.92	0.26	1.18	0.97	0.24	1.21	0.98	0.46	1.44
वैशाली	5.16	1.75	6.91	3.97	2.54	6.51	3.42	3.66	7.08
दरभंगा	5.47	2.29	7.76	5.48	2.30	7.79	3.59	3.72	7.31
मधुबनी	6.85	1.89	8.74	7.40	1.81	9.21	6.85	2.28	9.13
समस्तीपुर	6.27	2.66	8.93	6.31	2.67	8.98	6.05	3.02	9.07
बेगूसराय	6.90	3.15	10.05	6.72	3.15	9.87	6.78	3.15	9.93
मुंगेर	1.89	0.76	2.65	1.89	0.76	2.65	0.63	1.66	2.29
शेखपुरा	0.95	0.40	1.36	0.98	0.43	1.41	0.76	0.65	1.41
लखीसराय	1.65	0.74	2.39	1.58	0.74	2.32	1.48	0.70	2.18
जमुई	3.16	1.22	4.38	3.19	1.23	4.43	2.45	1.20	3.65
खगड़िया	2.74	1.17	3.90	2.63	1.15	3.78	2.39	1.07	3.46
भागलपुर	4.12	1.80	5.93	4.12	1.80	5.93	2.83	3.05	5.88
बांका	3.27	1.43	4.70	2.94	1.38	4.32	2.59	2.24	4.83
सहरसा	3.27	1.29	4.56	3.35	1.31	4.67	2.45	2.20	4.65
सुपौल	4.25	1.09	5.34	3.63	1.43	5.06	3.47	1.63	5.10
मधेपुरा	3.57	1.82	5.39	3.57	1.82	5.39	2.67	1.84	4.51
पूर्णिया	4.85	2.37	7.22	5.29	2.37	7.66	4.74	2.95	7.69
किशनगंज	1.94	1.92	3.86	2.10	1.37	3.47	2.21	1.41	3.62
अररिया	2.76	2.74	5.50	2.92	2.79	5.71	3.23	2.53	5.76
कटिहार	5.51	2.37	7.89	5.72	2.70	8.42	5.71	2.70	8.41
बिहार	**163.36**	**72.32**	**235.68**	**162.32**	**73.33**	**235.64**	**137.71**	**96.03**	**233.74**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.18 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजा) (2015-16 से 2017-18)

(लाख)

जिले	2015-16			2016-17			2017-18		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	1.25	0.67	1.92	1.31	0.67	1.98	1.31	0.66	1.97
नालंदा	1.85	0.85	2.7	1.85	0.85	2.7	1.87	0.81	2.68
भोजपुर	0.73	0.36	1.09	0.69	0.39	1.08	0.69	0.39	1.08
बक्सर	0.46	0.22	0.69	0.46	0.22	0.69	0.53	0.31	0.84
रोहतास	0.47	0.12	0.6	0.48	0.13	0.61	0.49	0.13	0.62
कैमूर	0.64	0.35	0.99	0.61	0.38	0.99	0.61	0.38	0.99
गया	2.38	0.97	3.35	2.34	0.93	3.28	2.03	0.84	2.87
जहानाबाद	0.38	0.16	0.53	0.29	0.13	0.43	0.34	0.18	0.52
अरवल	0.17	0.08	0.25	0.18	0.09	0.26	0.17	0.08	0.25
नवादा	0.97	0.33	1.31	1.09	0.43	1.53	1.09	0.43	1.52
औरंगाबाद	1.24	0.58	1.82	1.18	0.58	1.77	1.06	0.53	1.59
सारण	0.92	0.41	1.33	0.87	0.41	1.29	0.87	0.41	1.28
सीवान	0.63	0.33	0.96	0.63	0.33	0.96	0.56	0.27	0.83
गोपालगंज	0.67	0.28	0.96	0.67	0.28	0.96	0.67	0.28	0.95
पश्चिम चंपारण	1.2	0.37	1.57	1.2	0.37	1.57	1.01	0.35	1.36
पूर्व चंपारण	1.35	0.47	1.81	1.35	0.47	1.81	1.34	0.49	1.83
मुजफ्फरपुर	1.65	0.79	2.44	1.65	0.79	2.44	1.65	0.8	2.45
सीतामढ़ी	0.53	0.18	0.71	0.53	0.18	0.71	0.56	0.25	0.81
शिवहर	0.18	0.05	0.23	0.17	0.04	0.21	0.19	0.08	0.27
वैशाली	1.28	0.36	1.65	1.2	0.68	1.88	1.19	0.68	1.87
दरभंगा	1.14	0.41	1.56	1.17	0.5	1.67	1.07	0.47	1.54
मधुबनी	1.23	0.23	1.46	1.21	0.22	1.43	1.21	0.22	1.43
समस्तीपुर	1.32	0.49	1.8	1.32	0.49	1.81	1.32	0.48	1.8
बेगूसराय	0.91	0.36	1.27	1	0.45	1.45	0.97	0.44	1.41
मुंगेर	0.38	0.12	0.51	0.38	0.12	0.51	0.32	0.14	0.46
शेखपुरा	0.17	0.05	0.22	0.22	0.08	0.3	0.22	0.07	0.29
लखीसराय	0.31	0.13	0.44	0.29	0.14	0.42	0.23	0.1	0.33
जमुई	0.59	0.22	0.81	0.59	0.22	0.81	0.52	0.22	0.74
खगड़िया	0.57	0.19	0.76	0.61	0.2	0.81	0.53	0.19	0.72
भागलपुर	0.54	0.26	0.8	0.54	0.26	0.8	0.54	0.25	0.79
बांका	0.45	0.21	0.66	0.47	0.22	0.69	0.37	0.19	0.56
सहरसा	0.74	0.23	0.97	0.74	0.24	0.98	0.74	0.23	0.97
सुपौल	0.71	0.11	0.82	0.71	0.11	0.82	0.71	0.11	0.82
मधेपुरा	0.58	0.37	0.95	0.58	0.37	0.95	0.61	0.27	0.88
पूर्णिया	0.71	0.35	1.06	0.71	0.35	1.06	0.68	0.43	1.11
किशनगंज	0.18	0.07	0.24	0.19	0.06	0.25	0.18	0.06	0.24
अररिया	0.26	0.2	0.46	0.27	0.2	0.47	0.26	0.2	0.46
कटिहार	1.05	0.45	1.49	1.09	0.46	1.55	1.08	0.46	1.54
बिहार	**30.81**	**12.39**	**43.2**	**30.88**	**13.06**	**43.94**	**29.79**	**12.88**	**42.67**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.19 : प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर पर कुल नामांकन (अजजा) (2015-16 से 2017-18)

(लाख)

जिले	2015-16			2016-17			2017-18		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	0.04	0.00	0.05	0.04	0.00	0.05	0.04	0.04	0.08
नालंदा	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02
भोजपुर	0.05	0.02	0.06	0.04	0.02	0.06	0.04	0.02	0.06
बक्सर	0.02	0.01	0.04	0.02	0.01	0.04	0.06	0.04	0.10
रोहतास	0.04	0.02	0.05	0.04	0.02	0.06	0.04	0.02	0.06
कैमूर	0.12	0.04	0.16	0.11	0.04	0.16	0.11	0.04	0.15
गया	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02
जहानाबाद	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अरवल	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	0.00	0.07
नवादा	0.02	0.00	0.02	0.02	0.01	0.03	0.02	0.01	0.03
औरंगाबाद	0.01	0.00	0.02	0.02	0.01	0.02	0.03	0.02	0.05
सारण	0.10	0.05	0.15	0.10	0.05	0.15	0.10	0.05	0.15
सीवान	0.18	0.09	0.27	0.18	0.09	0.27	0.18	0.10	0.28
गोपालगंज	0.16	0.08	0.23	0.16	0.08	0.23	0.15	0.08	0.23
पश्चिम चंपारण	0.54	0.21	0.76	0.54	0.21	0.76	0.48	0.21	0.69
पूर्व चंपारण	0.05	0.01	0.06	0.05	0.01	0.06	0.16	0.06	0.22
मुजफ्फरपुर	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04	0.02	0.01	0.03
सीतामढ़ी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
शिवहर	0.01	0.00	0.02	0.01	0.00	0.02	0.01	0.01	0.02
वैशाली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01
दरभंगा	0.02	0.01	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मधुबनी	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
समस्तीपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बेगूसराय	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.04	0.02	0.06
मुंगेर	0.06	0.01	0.07	0.06	0.01	0.07	0.05	0.02	0.07
शेखपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
लखीसराय	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04	0.02	0.01	0.03
जमुई	0.22	0.07	0.29	0.22	0.07	0.29	0.18	0.06	0.24
खगड़िया	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
भागलपुर	0.13	0.06	0.19	0.13	0.06	0.19	0.13	0.06	0.19
बांका	0.19	0.06	0.25	0.15	0.06	0.21	0.16	0.05	0.21
सहरसा	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04	0.03	0.01	0.04
सुपौल	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00	0.03	0.02	0.00	0.02
मधेपुरा	0.04	0.04	0.08	0.04	0.04	0.08	0.03	0.01	0.04
पूर्णिया	0.33	0.16	0.49	0.33	0.16	0.49	0.33	0.20	0.53
किशनगंज	0.10	0.06	0.15	0.10	0.05	0.16	0.10	0.05	0.15
अररिया	0.19	0.14	0.33	0.19	0.13	0.33	0.19	0.13	0.32
कटिहार	0.54	0.18	0.72	0.57	0.19	0.75	0.56	0.19	0.75
बिहार	**3.30**	**1.36**	**4.69**	**3.28**	**1.36**	**4.70**	**3.42**	**1.54**	**4.94**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.20 : बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों की जिलावार संख्या (2016-17 और 2017-18)

जिले	2016-17			2017-18		
	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग	प्राथमिक	उच्च प्राथमिक	योग
पटना	2190	1176	3366	2190	1176	3366
नालंदा	1368	803	2171	1368	803	2171
भोजपुर	1210	840	2050	1210	840	2050
बक्सर	789	512	1301	812	534	1346
रोहतास	1324	556	1880	1525	1031	2556
कैमूर	649	625	1274	649	625	1274
गया	1702	1413	3115	1699	1432	3131
जहानाबाद	557	359	916	557	359	916
अरवल	333	193	526	333	193	526
नवादा	910	698	1608	996	697	1693
औरंगाबाद	961	960	1921	961	960	1921
सारण	1575	1152	2727	1575	1152	2727
सीवान	1311	1188	2499	1308	1301	2609
गोपालगंज	1140	811	1951	1093	807	1900
पश्चिम चंपारण	1694	1092	2786	1694	1116	2810
पूर्व चंपारण	2059	1427	3486	2122	1730	3852
मुजफ्फरपुर	1790	1569	3359	1790	1569	3359
सीतामढ़ी	1204	867	2071	1204	867	2071
शिवहर	233	184	417	225	209	434
वैशाली	1087	953	2040	1087	953	2040
दरभंगा	1512	909	2421	1512	909	2421
मधुबनी	1962	1005	2967	1962	1005	2967
समस्तीपुर	1708	1033	2741	1708	1033	2741
बेगूसराय	867	952	1819	862	1020	1882
मुंगेर	639	489	1128	554	521	1075
शेखपुरा	294	287	581	294	287	581
लखीसराय	486	291	777	495	248	743
जमुई	856	848	1704	829	836	1665
खगड़िया	538	515	1053	566	493	1059
भागलपुर	961	841	1802	961	841	1802
बांका	1250	885	2135	1281	904	2185
सहरसा	767	531	1298	767	531	1298
सुपौल	1111	713	1824	1111	713	1824
मधेपुरा	959	744	1703	961	647	1608
पूर्णिया	1484	958	2442	1326	955	2281
किशनगंज	823	496	1319	823	496	1319
अररिया	1327	562	1889	1327	562	1889
कटिहार	1195	719	1914	1195	719	1914
बिहार	**42825**	**30156**	**72981**	**42932**	**31074**	**74006**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.21 : बिहार में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षकों की जिलावार संख्या (2016-17 और 2017-18)

जिले	2016-17			2017-18		
	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग	प्राथमिक विद्यालय	उच्च प्राथमिक विद्यालय	योग
पटना	9237	11246	20483	9220	11127	20347
नालंदा	4948	9678	14626	4956	9676	14632
भोजपुर	4401	6580	10981	4394	6572	10966
बक्सर	3581	3650	7231	3723	3726	7449
रोहतास	3466	2733	6199	3538	2780	6318
कैमूर	2218	4079	6297	2218	4077	6295
गया	5856	8346	14202	6423	8961	15384
जहानाबाद	1884	3266	5150	1807	3363	5170
अरवल	2313	914	3227	2313	914	3227
नवादा	7131	6931	14062	7131	6931	14062
औरंगाबाद	4228	5608	9836	4173	5558	9731
सारण	6019	10061	16080	6019	10061	16080
सीवान	5808	11020	16828	8897	11602	20499
गोपालगंज	4391	6810	11201	4391	6810	11201
पश्चिम चंपारण	5779	7738	13517	6165	11963	18128
पूर्व चंपारण	7113	11470	18583	7689	12348	20037
मुजफ्फरपुर	5995	11203	17198	5990	10956	16946
सीतामढ़ी	3659	7615	11274	3469	6751	10220
शिवहर	654	1644	2298	948	1624	2572
वैशाली	3870	8328	12198	3870	8328	12198
दरभंगा	5595	7377	12972	5595	7377	12972
मधुबनी	6825	7903	14728	6825	7903	14728
समस्तीपुर	5500	7920	13420	5500	7920	13420
बेगूसराय	11764	2110	13874	8188	8851	17039
मुंगेर	1705	2948	4653	1600	4405	6005
शेखपुरा	699	1565	2264	699	1565	2264
लखीसराय	1882	2598	4480	1673	2321	3994
जमुई	5872	2453	8325	5401	2253	7654
खगड़िया	1740	4141	5881	1902	4765	6667
भागलपुर	4460	6371	10831	4460	6371	10831
बांका	2859	4555	7414	3196	5038	8234
सहरसा	2861	5540	8401	2861	5540	8401
सुपौल	6688	2013	8701	6688	2013	8701
मधेपुरा	2602	5731	8333	3869	5375	9244
पूर्णिया	5071	5841	10912	5753	5101	10854
किशनगंज	3763	2521	6284	3763	2521	6284
अररिया	7226	2099	9325	7226	2099	9325
कटिहार	4519	7717	12236	4519	7717	12236
बिहार	**174182**	**220323**	**394505**	**177052**	**233263**	**410315**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.22 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 1 से 5)(2016-17 से 2018-19)

जिले	2016-17			2017-18			2018-19		
	कुल नामांकन (लाख)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत
पटना	5.25	3.56	67.77	4.71	3.02	64.19	4.50	2.59	57.6
नालंदा	3.44	2.08	60.34	3.05	1.94	63.62	3.00	1.79	59.7
भोजपुर	3.21	2.03	63.09	2.87	1.73	60.45	2.67	1.45	54.3
बक्सर	2.20	1.38	62.74	1.81	1.20	66.26	1.61	1.05	65.2
रोहतास	3.54	2.23	62.92	3.23	2.01	62.27	2.97	1.77	59.6
कैमूर	2.11	1.36	64.73	1.80	1.23	67.96	1.69	1.14	67.5
गया	5.71	3.42	59.87	5.23	3.04	58.11	4.61	2.75	59.7
जहानाबाद	1.24	0.83	67.00	1.19	0.71	59.67	0.99	0.62	62.6
अरवल	0.94	0.57	61.12	0.88	0.50	56.14	0.81	0.46	56.8
नवादा	3.25	1.97	60.63	2.72	1.70	62.59	2.50	1.55	62.0
औरंगाबाद	3.44	2.17	63.06	3.17	1.98	62.37	3.11	1.78	57.2
सारण	5.22	3.59	68.78	5.02	3.21	63.82	4.71	2.90	61.6
सीवान	3.57	2.44	68.32	3.03	2.05	67.57	2.86	1.78	62.2
गोपालगंज	3.36	2.24	66.55	2.82	1.88	66.69	2.68	1.76	65.7
पश्चिम चंपारण	5.86	4.33	73.90	5.15	3.64	70.68	4.64	3.28	70.7
पूर्व चंपारण	7.72	5.03	65.18	7.27	4.69	64.45	6.67	4.30	64.5
मुजफ्फरपुर	6.10	3.94	64.52	5.43	3.48	64.11	5.15	3.08	59.8
सीतामढ़ी	5.56	3.48	62.51	5.14	3.00	58.35	4.50	2.77	61.6
शिवहर	1.11	0.73	65.46	1.09	0.69	63.39	1.08	0.60	55.6
वैशाली	4.11	2.29	55.63	3.63	2.05	56.47	3.50	1.86	53.1
दरभंगा	5.12	3.38	66.01	4.74	3.10	65.33	4.63	2.87	62.0
मधुबनी	6.77	4.51	66.68	6.43	4.02	62.56	6.26	3.67	58.6
समस्तीपुर	5.46	3.49	63.82	4.68	3.02	64.58	4.34	2.80	64.5
बेगूसराय	3.94	2.65	67.19	3.21	2.21	68.73	3.33	2.19	65.8
मुंगेर	1.71	1.04	60.85	1.47	0.92	62.67	1.37	0.84	61.3
शेखपुरा	0.92	0.54	58.03	0.74	0.47	63.39	0.73	0.43	58.9
लखीसराय	1.51	0.98	64.95	1.28	0.83	65.05	1.19	0.7	58.8
जमुई	2.92	1.85	63.38	2.61	1.67	64.05	2.32	1.48	63.8
खगड़िया	2.65	1.60	60.45	2.31	1.47	63.82	2.29	1.38	60.3
भागलपुर	4.02	2.50	62.31	3.56	2.27	63.71	3.35	2.08	62.1
बांका	2.69	1.65	61.28	2.28	1.48	64.97	2.18	1.40	64.2
सहरसा	3.23	1.92	59.42	2.84	1.68	59.22	2.69	1.58	58.7
सुपौल	3.26	2.01	61.74	2.93	1.80	61.38	2.76	1.66	60.1
मधेपुरा	3.29	1.94	59.08	2.76	1.74	63.17	2.58	1.63	63.2
पूर्णिया	5.30	2.91	54.87	4.70	2.74	58.28	4.59	2.59	56.4
किशनगंज	2.81	1.76	62.45	2.39	1.48	61.89	2.28	1.44	63.2
अररिया	4.44	2.54	57.29	3.94	2.32	58.71	3.87	2.22	57.4
कटिहार	4.74	2.79	58.91	4.45	2.58	57.93	4.39	2.39	54.4
बिहार	**141.70**	**89.70**	**63.30**	**126.59**	**79.55**	**62.84**	**119.40**	**72.63**	**60.8**

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 11.23 : मध्याह्न भोजन योजना का जिलावार आच्छादन (कक्षा 6 से 8)(2016-17 से 2018-19)

जिले	2016-17			2017-18			2018-19		
	कुल नामांकन (लाख)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत	कुल नामांकन (लाख)	रोज मध्याह्न भोजन पाने वाले बच्चे (लाख)	आच्छादन प्रतिशत
पटना	2.63	1.57	59.81	2.50	1.45	57.90	2.44	1.32	54.1
नालंदा	1.61	0.98	60.76	1.52	0.93	61.33	1.52	0.89	58.6
भोजपुर	1.71	0.95	55.28	1.63	0.87	53.05	1.57	0.79	50.3
बक्सर	1.19	0.70	58.50	1.07	0.65	60.39	1.00	0.61	61.0
रोहतास	1.99	1.12	56.53	1.91	1.09	56.85	1.84	1.01	54.9
कैमूर	1.21	0.69	57.41	1.10	0.68	61.52	1.07	0.65	60.7
गया	2.56	1.35	52.95	2.45	1.26	51.51	2.26	1.2	53.1
जहानाबाद	0.69	0.38	55.78	0.67	0.34	51.45	0.59	0.32	54.2
अरवल	0.56	0.27	48.13	0.53	0.24	45.49	0.50	0.25	50.0
नवादा	1.48	0.77	52.02	1.37	0.79	57.40	1.33	0.69	51.9
औरंगाबाद	1.85	1.12	60.23	1.84	1.13	61.34	1.83	1.08	59.0
सारण	2.74	1.73	63.15	2.73	1.71	62.58	2.72	1.67	61.4
सीवान	2.03	1.26	61.78	1.85	1.17	63.32	1.81	1.1	60.8
गोपालगंज	1.66	1.03	62.31	1.49	0.95	63.94	1.44	0.88	61.1
पश्चिम चंपारण	2.13	1.42	66.89	2.05	1.30	63.24	1.99	1.28	64.3
पूर्व चंपारण	3.30	2.04	61.70	3.36	2.01	59.81	3.26	1.97	60.4
मुजफ्फरपुर	3.15	1.85	58.76	3.00	1.74	57.98	2.98	1.62	54.4
सीतामढ़ी	2.39	1.40	58.76	2.40	1.41	58.92	2.33	1.4	60.1
शिवहर	0.44	0.30	67.35	0.47	0.31	65.97	0.51	0.32	62.7
वैशाली	2.13	1.09	51.28	2.02	1.06	52.65	1.98	0.99	50.0
दरभंगा	2.27	1.37	60.28	2.31	1.40	60.59	2.28	1.34	58.8
मधुबनी	3.30	1.99	60.22	3.23	1.82	56.29	3.20	1.75	54.7
समस्तीपुर	2.85	1.60	56.00	2.69	1.48	55.07	2.50	1.44	57.6
बेगूसराय	2.04	1.22	59.90	1.74	1.14	65.28	1.85	1.13	61.1
मुंगेर	0.89	0.50	56.16	0.82	0.48	58.78	0.79	0.46	58.2
शेखपुरा	0.44	0.22	49.20	0.39	0.25	64.53	0.39	0.21	53.8
लखीसराय	0.69	0.39	55.81	0.65	0.35	52.81	0.64	0.34	53.1
जमुई	1.19	0.70	59.14	1.20	0.72	59.81	1.18	0.69	58.5
खगड़िया	1.19	0.62	51.96	1.04	0.59	56.89	1.07	0.59	55.1
भागलपुर	1.94	1.13	57.90	1.81	1.10	60.63	1.81	1.07	59.1
बांका	1.30	0.72	55.85	1.20	0.72	59.86	1.16	0.69	59.5
सहरसा	1.27	0.63	49.56	1.13	0.65	57.50	1.10	0.54	49.1
सुपौल	1.43	0.71	49.82	1.31	0.69	52.83	1.26	0.63	50.0
मधेपुरा	1.57	0.81	51.58	1.23	0.70	56.91	1.19	0.66	55.5
पूर्णिया	1.97	0.95	48.28	1.85	0.92	50.03	1.84	0.9	48.9
किशनगंज	1.06	0.56	52.99	1.05	0.55	52.19	1.06	0.61	57.5
अररिया	1.44	0.68	47.18	1.31	0.66	49.87	1.30	0.62	47.7
कटिहार	2.01	0.99	49.56	1.93	0.96	49.80	1.99	0.93	46.7
बिहार	**66.27**	**37.80**	**57.04**	**62.84**	**36.24**	**57.68**	**61.58**	**34.64**	**56.3**

स्रोत : मध्याह्न भोजन योजना निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 11.24 : बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार संख्या(2016-17 से 2018-19)

जिले	संबद्ध महाविद्यालय	अंगीभूत महाविद्यालय	संबद्ध महाविद्यालय	अंगीभूत महाविद्यालय	संबद्ध महाविद्यालय	अंगीभूत महाविद्यालय
	2016-17		2017-18		2018-19	
पटना	86	37	71	38	91	38
नालंदा	26	6	25	6	32	6
भोजपुर	21	6	22	6	22	6
बक्सर	14	5	14	5	16	5
रोहतास	32	8	37	8	37	8
कैमूर	15	2	15	2	15	2
गया	27	7	32	7	30	7
जहानाबाद	7	3	9	3	12	3
अरवल	3	1	3	1	3	1
नवादा	6	4	9	4	9	4
औरंगाबाद	13	5	13	5	15	5
सारण	9	12	13	12	13	12
सीवान	7	7	13	7	14	7
गोपालगंज	4	5	7	5	7	5
पश्चिम चंपारण	8	3	7	3	8	3
पूर्व चंपारण	3	8	5	8	5	8
मुजफ्फरपुर	13	19	18	19	26	19
सीतामढ़ी	5	6	8	6	8	6
शिवहर	0	0	0	0	1	0
वैशाली	12	7	17	7	22	7
दरभंगा	27	22	28	22	29	22
मधुबनी	19	18	20	18	20	18
समस्तीपुर	18	15	19	15	20	15
बेगूसराय	8	6	10	6	12	6
मुंगेर	2	7	2	7	3	7
शेखपुरा	3	2	2	2	2	2
लखीसराय	3	2	0	2	0	2
जमुई	3	2	2	2	4	2
खगड़िया	1	5	3	5	4	5
भागलपुर	13	13	13	13	16	13
बांका	11	2	11	2	13	2
सहरसा	6	9	6	9	6	9
सुपौल	5	3	6	3	6	3
मधेपुरा	11	5	10	5	10	5
पूर्णिया	12	6	11	6	11	6
किशनगंज	6	2	5	2	5	2
अररिया	8	2	7	2	7	2
कटिहार	11	4	11	4	10	5
बिहार	**478**	**276**	**504**	**277**	**564**	**278**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.25 : बिहार में महाविद्यालयों की जिलावार और धारावार संख्या (2018-19 तक)

जिले	कला, ललित कला, सामाजिक कार्य, विज्ञान और वाणिज्य	अभियंत्रण	चिकित्सा (दंत चिकित्सा सहित)	बी.एड.	विधि	अन्य	सभी महाविद्यालय
पटना	50	4	5	47	3	20	129
नालंदा	16	2	1	18	0	1	38
भोजपुर	16	0	0	10	1	1	28
बक्सर	11	0	0	5	1	4	21
रोहतास	34	1	1	7	1	1	45
कैमूर	10	0	0	5	0	2	17
गया	11	2	1	20	0	3	37
जहानाबाद	7	0	0	7	0	1	15
अरवल	4	0	0	0	0	0	4
नवादा	7	0	0	5	1	0	13
औरंगाबाद	8	1	0	11	0	0	20
सारण	15	1	0	6	0	3	25
सीवान	11	1	0	8	0	1	21
गोपालगंज	7	0	0	3	0	2	12
पश्चिम चंपारण	7	0	1	1	0	2	11
पूर्व चंपारण	8	1	1	2	0	1	13
मुजफ्फरपुर	21	1	1	16	1	5	45
सीतामढ़ी	9	1	0	3	0	1	14
शिवहर	0	0	0	1	0	0	1
वैशाली	15	2	0	12	0	0	29
दरभंगा	24	2	3	11	1	10	51
मधुबनी	22	0	0	6	0	10	38
समस्तीपुर	19	0	0	12	1	3	35
बेगूसराय	8	1	0	6	1	2	18
मुंगेर	7	0	0	2	1	0	10
शेखपुरा	3	0	0	1	0	0	4
लखीसराय	2	0	0	0	0	0	2
जमुई	1	1	0	1	0	3	6
खगड़िया	4	0	0	3	0	2	9
भागलपुर	17	1	1	7	1	2	29
बांका	6	2	0	6	0	1	15
सहरसा	8	1	0	2	1	3	15
सुपौल	7	1	0	1	0	0	9
मधेपुरा	7	1	0	2	1	4	15
पूर्णिया	10	3	0	2	1	1	17
किशनगंज	5	2	0	0	0	0	7
अररिया	8	1	0	0	0	0	9
कटिहार	8	1	2	2	1	1	15
बिहार	**433**	**34**	**17**	**251**	**17**	**90**	**842**

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 11.26 : अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय विवरण

जिले	अजा और अजजा को दिए गए वजीफे					
	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)			भौतिक उपलब्धि (संख्या)		
	त्रिवर्षीय औसत (2013-14 से 2015-16)	2016-17	2017-18	त्रिवर्षीय औसत (2013-14 से 2015-16)	2016-17	2017-18
पटना	4953.79	5606.15	498.00	228034	162496	2232
नालंदा	2550.14	2454.71	110.00	151601	119182	3510
भोजपुर	1790.43	2056.51	322.00	118125	80336	2584
बक्सर	2225.62	2530.08	72.00	79805	60321	510
रोहतास	2187.75	2042.85	148.75	129910	135035	3655
कैमूर	2275.81	2364.90	143.50	124521	64970	4756
गया	5997.12	6077.97	513.00	289426	218571	7527
जहानाबाद	1076.28	1031.15	120.00	61116	31681	1071
अरवल	489.78	540.77	100.00	36281	27779	803
नवादा	2442.63	2204.39	167.00	166846	117681	2296
औरंगाबाद	3565.23	2431.86	132.00	270076	11875	3922
सारण	2671.59	2146.85	283.00	156606	131618	2428
सीवान	2077.69	1852.09	262.00	104196	86307	970
गोपालगंज	1752.79	1616.01	152.00	121156	75848	414
पश्चिम चंपारण	2914.80	3115.43	245.00	245979	144010	1080
पूर्व चंपारण	2213.60	2151.82	130.00	142204	156058	1839
मुजफ्फरपुर	2714.79	2405.99	506.00	179228	160850	2395
सीतामढ़ी	1330.16	1433.31	100.00	103062	97511	2184
शिवहर	309.60	361.25	20.00	25550	26708	259
वैशाली	2175.44	2054.08	350.00	156505	136421	614
दरभंगा	2123.23	2388.83	130.00	156714	123727	4950
मधुबनी	2328.07	2491.97	402.00	208065	180184	4750
समस्तीपुर	2179.31	1963.26	185.00	166204	140842	3148
बेगूसराय	1513.20	1721.89	120.00	111128	103188	4189
मुंगेर	988.75	1068.54	71.00	50339	39987	880
शेखपुरा	546.83	723.45	60.00	32098	15916	770
लखीसराय	696.56	884.49	69.00	49244	28176	526
जमुई	1218.54	1510.17	112.00	104444	75500	583
खगड़िया	762.17	940.90	75.00	50458	36518	462
भागलपुर	2584.40	3093.34	206.00	138381	82176	1205
बांका	1575.81	1816.58	97.00	70505	57199	663
सहरसा	959.87	1203.22	83.00	79790	62555	539
सुपौल	1241.26	1491.34	52.00	79737	64137	282
मधेपुरा	985.66	771.80	154.00	58385	40097	287
पूर्णिया	1899.13	2140.30	190.00	154029	114546	908
किशनगंज	607.19	701.66	72.00	44856	27147	177
अररिया	894.26	1133.88	72.00	63299	30892	357
कटिहार	1172.64	1357.21	129.00	94735	42392	1173
मुख्यालय	103.43	–	–	142	–	–
बिहार	**74316.99**	**73881.00**	**6653.25**	**4608403**	**3310437**	**70898**

स्रोत : अजा एवं अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार (जारी)

तालिका प 11.26: अनुसूचित जाति/ जनजाति कल्याण का जिला स्तरीय विवरण (जारी)

जिले	आवासीय विद्यालयों का रखरखाव (अजा)				छात्रावासों का रखरखाव (अजा)	
	वित्तीय आबंटन (लाख रु.)		भौतिक उपलब्धि (संख्या)		आबंटित रकम (लाख रु.)	
	त्रिवर्षीय औसत(2015-16 से 2017-18)	2018-19	त्रिवर्षीय औसत(2015-16 से 2017-18)	2018-19	त्रिवर्षीय औसत(2015-16 से 2017-18)	2018-19
पटना	456.2	739.9	600.7	815.0	102.1	97.2
नालंदा	347.7	409.2	793.3	796.0	18.9	36.8
भोजपुर	376.6	473.6	746.0	682.0	32.7	29.9
बक्सर	205.0	194.0	330.0	284.0	13.1	10.3
रोहतास	332.3	443.1	779.3	783.0	39.2	34.5
कैमूर	338.5	493.3	558.0	474.0	41.1	20.9
गया	1348.5	1486.1	3172.0	3232.0	29.3	23.9
जहानाबाद	163.7	247.6	407.7	346.0	10.2	11.3
अरवल	137.5	246.0	359.7	348.0	0.0	0.0
नवादा	447.9	579.5	995.0	1000.0	19.8	7.2
औरंगाबाद	135.1	179.7	325.7	378.0	9.0	8.3
सारण	162.2	133.3	317.7	293.0	25.0	26.0
सीवान	119.9	164.5	228.7	245.0	40.5	42.0
गोपालगंज	188.0	325.4	356.3	399.0	25.3	45.8
पश्चिम चंपारण	305.4	370.0	629.7	656.0	31.2	34.1
पूर्व चंपारण	139.7	207.1	324.0	350.0	32.9	28.4
मुजफ्फरपुर	598.7	619.4	1084.7	1146.0	45.9	57.1
सीतामढ़ी	192.9	210.5	400.0	367.0	32.3	40.1
शिवहर	134.0	142.9	180.7	360.0	4.5	2.4
वैशाली	197.8	209.6	335.7	288.0	9.5	6.4
दरभंगा	120.9	170.2	219.3	278.0	44.5	38.0
मधुबनी	482.3	619.7	1028.0	1064.0	11.1	2.4
समस्तीपुर	272.1	294.1	706.3	696.0	21.7	15.5
बेगूसराय	170.6	182.8	346.0	351.0	3.1	2.4
मुंगेर	155.9	216.3	319.3	335.0	18.0	16.6
शेखपुरा	108.1	144.7	229.3	200.0	2.9	2.4
लखीसराय	110.1	201.4	244.0	305.0	6.8	2.4
जमुई	136.0	198.7	242.3	325.0	2.9	7.2
खगड़िया	166.9	197.3	363.7	371.0	16.5	11.8
भागलपुर	207.2	236.0	351.0	345.0	45.5	67.5
बांका	110.6	139.3	222.3	230.0	11.4	8.3
सहरसा	193.6	271.5	378.0	373.0	25.2	15.7
सुपौल	109.9	123.2	138.0	153.0	18.2	10.7
मधेपुरा	138.9	280.2	276.3	309.0	19.9	31.5
पूर्णिया	197.3	146.7	394.0	339.0	34.2	17.9
किशनगंज	171.7	204.7	352.7	361.0	6.2	11.6
अररिया	198.7	253.3	330.7	375.0	22.7	19.0
कटिहार	154.3	185.3	374.7	353.0	24.3	12.9
बिहार	**9532.3**	**11940.0**	**19440.7**	**20005.0**	**897.5**	**856.6**

स्रोत : अजा एवं अजजा कल्याण विभाग, बिहार सरकार (समाप्त)

अध्याय -12

बाल विकास

सुरक्षा और संरक्षा ऐसे ही नहीं होती है। वे सामूहिक मतैक्य और सार्वजनिक निवेश का परिणाम होती हैं। हम पर अपने बच्चों को, जो हमारे समाज के सबसे असुरक्षित नागरिक हैं, हिंसामुक्त और भयमुक्त जीवन देने का ऋण होता है।

- नेल्सन मंडेला

सारांश

बाल विकास कार्यक्रम सुनिश्चित करते हैं कि काम, रोग, और कष्ट के कारण बच्चों का बचपन नहीं खो जाय। इसके लिए राज्य को चाहिए कि वह प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना नहीं करने वाले बच्चों समेत सभी बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करे। उत्तरजीविता, विकास, संरक्षण और भागीदारी संबंधी नीतियों का सफलतापूर्वक समेकित करना बच्चों के समग्र कल्याण का मूल है। इन सारी जरूरतों की पूर्ति के लिए बाल बजट निर्माण की प्रक्रिया बिहार में 2013-14 म शुरू की गई थी। वर्ष 2013-14 और 2018-19 के बीच बच्चों के लिए कुल आबंटन लगभग 20.9 प्रतिशत की वार्षित दर से बढ़ा है। इसी प्रकार, व्यय भी 23.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जो आबंटन से भी अधिक है। इसी अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय 1225 रु. से तिगुना से भी अधिक होकर 3727 रु. हो गया। कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का हिस्सा विभिन्न वर्षों में कुछ अंतर के साथ 12 प्रतिशत के आसपास रहा है। इसी प्रकार, व्यय का हिस्सा सकल राज्य घरेलू उत्पाद का लगभग 3 प्रतिशत है। शिक्षा में राज्य सरकार के समवेत प्रयासों के कारण राज्य में विद्यालय-त्यागी बच्चों की संख्या 2016-17 के 2.17 लाख से घटकर 2018-19 में 1.44 लाख रह गई। समेकित बाल विकास योजना, पोषण अभियान और बाल विकास के लिए राज्य सरकार की अन्य योजनाएं राज्य में बच्चों के विकास और कल्याण पर काफी असर डाल रही हैं।

बाल विकास समग्र मानव विकास का एक घटक है। बच्चों का कल्याण देश के विकास के लिए अनिवार्य है क्योंकि वे देश के भावी मानव संसाधन हैं। जैविक रूप से देखें तो बचपन जीवन के जन्म से किशोरावस्था तक का हिस्सा होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की आबादी में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह वाले बच्चों का बड़ा (4.98 करोड़) हिस्सा है। बच्चों के शारीरिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास का उनके समग्र विकास पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। इसलिए बच्चों की स्थिति को समझने का व्यापक महत्व है जिसका मूल्यांकन चार मूल मापदंडों के आधार पर किया जा सकता है - (1) उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण, (2) शिक्षा और विकास, (3) संरक्षण, और (4) भागीदारी। प्रत्येक बच्चे का अच्छी तरह विकास होना सुनिश्चित करने के लिए आरंभिक बचपन के विकास में पर्याप्त निवेश जरूरी है। प्रत्येक बच्चे का बुनियादी अधिकार है कि उसका जन्म सुरक्षित और भेदभाव-विहीन वातावरण में हो, और अपने जीवन के सृजनात्मक वर्षों के जरिए वह स्वस्थ और सम्मानजनक तरीके से बढ़े। लेकिन प्रतिकूल लिंग अनुपात, बाल मृत्यु दरें और बच्चों के संबंध में बनी मानसिकता बिहार में गंभीर चुनौती प्रस्तुत करती हैं। कुपोषण आर सूक्ष्मपोषक तत्वों की कमी का स्तर

घटाना और विद्यालय में नामांकन तथा प्रतिधारण दरें बढ़ाना बिहार में बाल विकास का केंद्रित क्षेत्र है।इस पृष्ठभूमि में इस अध्याय में बिहार में बच्चों की जनसंख्या, स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा, संरक्षण और भागोदारी की स्थिति पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ ही, इस अध्याय में बच्चों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा ली गई पहलकदमियों का भी ब्योरा प्रस्तुत किया गया है।

12.1 जनसांख्यिक स्थिति

10.4 करोड़ आबादी वाला बिहार आबादी में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट के बाद देश का सबसे बड़ा राज्य है। देश की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत हिस्सा बिहार में रहता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 39 प्रतिशत आबादी 0 से 18 वर्ष उम्र वाले लोगों की है जबकि बिहार में उनका 48 प्रतिशत हिस्सा है। इस प्रकार देश के बच्चों की कुल आबादी का 11 प्रतिशत हिस्सा बिहार में रहता है। राज्य के कुल 4.98 करोड़ बच्चों में से 4.47 करोड़ (89.9 प्रतिशत) ग्रामीण हैं और 0.51 करोड़ (10.1 प्रतिशत) शहरी। 0 से 18 वर्ष उम्र समूह में 47.4 प्रतिशत (2.36 करोड़) हिस्सा लड़कियों का है और 52.6 प्रतिशत (2.62 करोड़) लड़कों का। वर्ष 2001 से 2011 के बीच बिहार में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह की आबादी 20.3 प्रतिशत बढ़ी और 2001 के 4.14 करोड़ से 2011 में 4.98 करोड़ हो गई। वर्ष 2001 से 2011 के बीच बिहार में 0 से 14 वर्ष उम्र समूह की आबादी 19.6 प्रतिशत बढ़ी। वहीं 2011 में 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों की आबादी 1.91 करोड़ थी जो 2001 की 1.68 करोड़ आबादी से 13.7 प्रतिशत अधिक है। निचले उम्र समूहों में बच्चों की आबादी की यह घटती वृद्धि दर बिहार में जनसांख्यिक संक्रमण के आरंभिक चरण का संकेत देती ह। यह भी उल्लेखनीय है कि 0 से 6 वर्ष उम्र समूह में लिंग अनुपात ऊंचा है जो लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के राज्य सरकार के प्रयासों को सूचित करता है। बिहार के विभिन्न जिलों में विभिन्न उम्र समूहों के बच्चों की आबादी का वितरण तालिका प 12.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

तालिका 12.1 : बिहार और भारत में बच्चों की जनसांख्यिक विवरणी (2001 और 2011)

(आंकड़े करोड़ में)

भारत/ बिहार		समस्त			भारत/ बिहार		समस्त		
		व्यक्ति	लड़का	लड़की			व्यक्ति	लड़का	लड़की
		2011			2001				
भारत	0-6	16.45	8.58	7.88	भारत	0-6	16.38	8.50	7.88
बिहार		1.91	0.99	0.92	बिहार		1.68	0.87	0.82
भारत	0-14	37.24	19.44	17.81	भारत	0-14	36.36	18.95	17.41
बिहार		4.17	2.17	2.00	बिहार		3.49	1.83	1.66
भारत	0-18	47.21	24.75	22.46	भारत	0-18	45.05	23.65	21.40
बिहार		4.98	2.62	2.36	बिहार		4.14	2.20	1.94

स्रोत : जनगणना 2001 और 2011

विशेष आवश्यकता वाले बच्चे

बिहार के बच्चों के बीच नि:शक्तता चिंता की बात है क्योंकि इसके व्यापक निहितार्थ होते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना में दर्शाया गया कि राज्य में 0 से 18 वर्ष उम्र समूह के 8.3 लाख बच्चे नि:शक्त थे जिनका राज्य के कुल बच्चों में 1.63 प्रतिशत हिस्सा था। नि:शक्त लड़कों का लड़कों की कुल आबादी में 1.80 प्रतिशत और नि:शक्त लड़कियों का कुल लड़कियों में 1.44 प्रतिशत हिस्सा था। वहीं, संपूर्ण भारत के स्तर पर नि:शक्त बच्चों का कुल बच्चों में 1.57 प्रतिशत हिस्सा था। गौरतलब है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में लगभग 90 प्रतिशत नि:शक्त बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में थे और मात्र 10 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। वहीं, तेज शहरीकरण के कारण संपूर्ण भारत के स्तर पर स्थिति कुछ भिन्न थी जहां 76 प्रतिशत नि:शक्त बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में थे और 24 प्रतिशत शहरी क्षेत्रों में। दुख की बात है कि 2001 और 2011 के बीच नि:शक्त बच्चों की संख्या बिहार और भारत, दोनो जगह शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक बढ़ी।

तालिका 12.2 : विशेष आवश्यकता वाले बच्चे (0-19 वर्ष) (2001 और 2011)

(आंकड़े हजार में)

भारत/ बिहार	लड़का/ लड़की	2011		2001	
		ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
भारत	लड़का	3363.63	1054.93	3124.12	1258.01
	लड़की	2508.92	804.72	2466.35	1014.45
बिहार	लड़का	435.00	49.77	459.43	58.61
	लड़की	312.09	36.40	366.28	48.71

स्रोत : जनगणना 2001 और 2011

बाल लिंग अनुपात

लिंग अनुपात बच्चों और वयस्कों, दोनो के मामले में महिलाओं की स्थिति का एक महत्वपूर्ण सूचक है। वर्ष 2011 के जनगणना के आंकड़ों से पता चलता है कि बिहार में बाल लिंग अनुपात का स्तर संपूर्ण भारत की अपेक्षा ऊंचा है। बाल लिंग अनुपात 0-6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों में 935 लड़कियां प्रति 1000 लड़के, 0-14 वर्ष उम्र समूह के बच्चों में 923 लड़कियां प्रति 1000 लड़के और 0-18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों में 897 लड़कियां प्रति 1000 लड़के थे। सभी उम्र के लिए यह अनुपात 918 था। जिलों में 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के लिए बाल लिंग अनुपात किशनगंज (971), कटिहार (961) और गया (960) में सर्वाधिक था जोसबसे कम बाल लिंग अनुपात वाले जिलों - वैशाली (904), पटना (909) और मुजफ्फरपुर (915) -से बेहतर था। बाल लिंग अनुपात अनुसूचित जाति में 962 और अनुसूचित जनजाति में 969 था जो राज्य के औसत (935) से अधिक था। सच तो यह है कि बिहार के सभी जिलों में अनुपात अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति में बाल लिंग अनुपात राज्य के आंकड़ों से अधिक है। गौरतलब है कि 0 से 18 वर्ष उम्र समूह में बाल लिंग अनुपात 2001 के 883 से बढ़कर 2011 में 897 महिला प्रति 1000 पुरुष हो गया। तालिका प 12.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) के जिलावार आंकड़ों में देखा जा सकता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 18 वर्ष उम्र समूह के बाल लिंग अनुपात के आंकड़े 20 जिलों में राज्य के औसत से अधिक थे। सभी जिलों के बीच

सर्वाधिक लिंग अनुपात वाले तीन जिले गोपालगंज (959), किशनगंज (958) और सीवान (946) हैं। दूसरी ओर, मुंगेर और खगड़िया (861) तथा वैशाली (865) न्यूनतम लिंग अनुपात वाले जिले हैं।

बिहार में किशोरवय आबादी

10 वर्ष से 19 वर्ष तक की उम्र किशोरावस्था कहलाती है। यह शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकास के लिहाज से तरुणावस्था से कानूनी वयस्कता में विकास का संक्रमणकालीन चरण होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किशोरवय (10-19 वर्ष की) आबादी 25.32 करोड़ थी जो कुल आबादी का 20.9 प्रतिशत थी। वहीं, बिहार में किशोरवय आबादी 2.34 करोड़ थी जो कुल आबादी का 22.5 प्रतिशत थी (तालिका 12.3)। तालिका 12.3 में शक्ति-प्राप्त कार्य समूह वाले विभिन्न राज्यों की कुल किशोरवय आबादी दर्शाई गई है। इसमें देखा जा सकता है कि यह हिस्सा उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक 24.5 प्रतिशत है और उसके बाद 22.9 प्रतिशत राजस्थान मं। यह पैटर्न किशोरों और किशोरियों, दोनो के मामले में दिखता ह।

तालिका 12.3 : शक्ति-प्राप्त कार्य समूह वाले (ईएजी) राज्यों में किशोरवय जनसंख्या (2011)

(आंकड़े करोड़ में)

राज्य	व्यक्ति	किशोर	किशोरी
बिहार	**2.34 (22.5)**	**1.26 (23.2)**	**1.08 (21.7)**
छत्तीसगढ़	0.55 (21.5)	0.28 (21.8)	0.27 (21.2)
झारखंड	0.73 (22.1)	0.38 (22.4)	0.35 (21.8)
ओडिशा	0.83 (19.8)	0.42 (19.8)	0.41 (19.7)
मध्य प्रदेश	1.60 (22.0)	0.84 (22.3)	0.76 (21.7)
राजस्थान	1.57 (22.9)	0.83 (23.3)	0.74 (22.4)
उत्तर प्रदेश	4.89 (24.5)	2.60 (24.9)	2.29 (24.0)
उत्तराखंड	0.23 (22.8)	0.12 (23.4)	0.11 (22.2)
भारत	25.32 (20.9)	13.34 (21.4)	11.98 (20.4)

स्रोत : जनगणना 2011, भारत सरकार

12.2 बच्चों के लिए आबंटन

बाल बजट कोई अलग बजट नहीं होता है। इसमें मूलत: समग्र आबंटन में से बच्चों के लाभ के लिए किए आबंटन को अलग किया गया होता है। इससे हम इसका मूल्यांकन कर पाते हैं कि राज्य सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धताएं किस हद तक वित्तोय प्रतिबद्धताओं में रूपांतरित हो पाती हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि बच्चे उन कार्यक्रमों से भी लाभान्वित हो सकते हैं जो खास तौर पर उन्हीं के लिए नहीं हैं। जैसे, प्रतिरक्षण सेवाओं के सार्वजनिक प्रावधान नीतियों से प्रेरित और बच्चों के लिए ही होते हैं, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र के अस्पताल से वयस्कों के साथ-साथ बच्चे भी लाभान्वित हो सकते हैं। इसलिए सुनिश्चित आर समान लाभ, दोनो के प्रावधान महत्वपूर्ण हैं, और अगर सही तरह से डिजाइन और क्रियान्वित किया जाय, तो दोनो प्रकार के हस्तक्षेपों पर होने वाले सार्वजनिक व्यय से बच्चों की खैरियत में सुधार होगा।

बिहार में बच्चों के लिए बजट निर्माण की प्रक्रिया 2013-14 में शुरू हुई। दस्तावेज में बच्चों से संबंधित योजनाओं के सारे ब्योरे शामिल होते हैं। ये आबंटन मुख्यतः शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं, लड़कियों के लिए विशेष योजनाओं, और बच्चों की सुरक्षा से संबंधित होते हैं। तालिका 12.4 में दर्शाया गया है कि पिछले 6 वर्षों के दौरान बिहार में बाल बजट के आबंटन में लगातार वृद्धि हुई है।

तालिका 12.4 : बाल बजट का विवरण (2013-14 से 2018-19)

वर्ष	व्यय (करोड़ रु.)	प्रति व्यक्ति व्यय (रु.)	बाल बजट का हिस्सा	
			राज्य बजट में	सकल राज्य घरेलू उत्पाद में
2013-14	6329.66	1225	7.9	2.0
2014-15	10020.6	1904	10.6	2.9
2015-16	14950.63	2788	13.3	4.0
2016-17	16638.47	3046	13.2	3.9
2017-18	17530.24	3151	12.8	3.6
2018-19	19161.93	3727	12.5	3.4
वार्षिक चक्रवृद्धि दर	23.3	-	-	-

टिप्पणी : 1. प्रति व्यक्ति व्यय के लिए अनुमानित आबादी 2001 और 2011 के अंतर्वेशन पर आधारित है।
2. वर्ष 2018-19 के लिए व्यय के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।
स्रोत : बाल बजट, वित्त विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 12.1 : राज्य के बजट और सकल राज्य घरेलू उत्पाद में बाल बजट का प्रतिशत हिस्सा

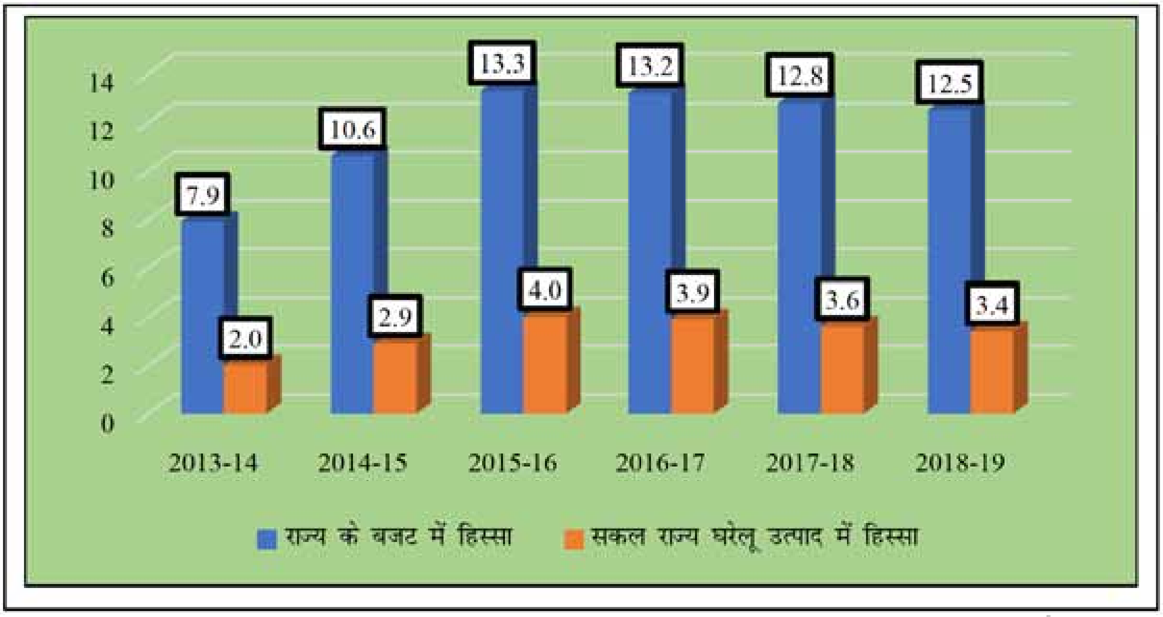

वर्ष 2013-14 से 2018-19 के बीच बच्चों के लिए व्यय 23.3 प्रतिशत की दर से बढ़ा है जो निस्संदेह प्रशंसनीय है। इस अवधि में प्रति व्यक्ति व्यय तिगुना से भी अधिक बढ़कर 2013-14 में 1,225 रु. से 2018-19 में 3727 रु. हो गया। राज्य के कुल बजट में बाल विकास पर व्यय का हिस्सा लगभग 12 प्रतिशत है

जिसमें साल-दर-साल कुछ अंतर रहा है। इसी प्रकार, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के बतौर व्यय का हिस्सा 3 प्रतिशत के आसपास रहा है।

तालिका 12.5 में बच्चों के कल्याण पर वास्तविक व्यय का ब्योरा प्रस्तुत किया गया है। तालिका में दिखता है कि पिछले 6 वर्षों में राज्य में बाल कल्याण के लिए मुख्य योगदाता शिक्षा और समाज कल्याण विभाग थे। वर्ष 2017-18 और 2018-19 में शिक्षा विभाग का हिस्सा क्रमशः 75.8 प्रतिशत और 71.2 प्रतिशत था जबकि समाज कल्याण विभाग का हिस्सा क्रमशः 11.3 प्रतिशत (2017-18) और 13.3 प्रतिशत (2018-19) था। समग्र रुझान के आधार पर आसानी से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि राज्य सरकार राज्य के बच्चों के कल्याण के प्रति बहुत संवेदनशील रही है। हालांकि बिहार में बाल विकास के अपेक्षाकृत निम्न स्तर को देखते हुए और भी कुछ करने की जरूरत है।

तालिका 12.5 : बाल बजट पर विभाग-वार व्यय (2013-14 से 2018-19)

विभाग	वास्तविक व्यय (करोड़ रु. में)					
	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कला, संस्कृति एवं युवा कार्य विभाग	2.95 (0.05)	1.46 (0.01)	5.40 (0.04)	9.31 (0.06)	6.96 (0.04)	12.00 (0.06)
पिछड़ा एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याणविभाग	1191.15 (18.8)	1167.48 (11.6)	2234.76 (15.0)	1440.25 (8.7)	1257.31 (7.6)	1630.19 (8.5)
शिक्षा विभाग	3068.07 (48.5)	5943.21 (59.3)	9299.24 (62.2)	10091.94 (60.6)	12511.44 (75.8)	13642.02 (71.2)
समाज कल्याणविभाग	1475.29 (23.3)	1509.2 (15.1)	1935.30 (12.9)	1886.59 (11.3)	2194.46 (13.3)	2861.62 (14.9)
श्रम संसाधनविभाग	1.09 (0.02)	1.06 (0.01)	1.77 (0.01)	0.88 (0.01)	1.88 (0.01)	7.96 (0.04)
अजा एवं अजजा कल्याणविभाग	588.04 (9.3)	610.55 (6.1)	1136.41 (7.6)	1870.97 (11.2)	441.11 (2.7)	768.87 (4.0)
स्वास्थ्यविभाग	-	755.36 (7.5)	329.31 (2.2)	1218.91 (7.3)	62.11 (0.4)	203.27 (1.1)
अल्पसंख्यक कल्याणविभाग	3.08 (0.05)	32.29 (0.32)	8.44 (0.06)	119.62 (0.72)	42.47 (0.26)	36.00 (0.19)
योगफल	6329.66 (100.0)	10020.6 (100.0)	14950.63 (100.0)	16638.47 (100.0)	16517.74 (100.0)	19161.93 (100.0)

टिप्पणी : 1. कोष्ठकों में दर्ज आंकड़े पुनरीक्षित अनुमान का प्रतिशत दर्शाते हैं।

2. 2018-19 के लिए व्यय के आंकड़े संशोधित अनुमान हैं।

स्रोत : बाल बजट, वित्त विभाग, बिहार सरकार

12.3 उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और पोषण संबंधी स्थिति

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 (एफ) के जरिए राज्यों को सुनिश्चित करने का निर्देश है कि बच्चों को स्वस्थ ढंग से मुक्त और सम्मानपूर्ण तरीके से विकसित होने के अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। साथ ही, संविधान के जरिए यह भी सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है कि बच्चों और युवाओं को शोषण और शारीरिक तथा नैतिक परित्याग से बचाया जाय। सामाजिक क्षेत्रों पर व्यय में कमी, जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभाव, लिंग और जाति आधारित भेदभाव जैसी सामाजिक परिघटना में ह्रास और गांव-शहर संबंधी पूर्वाग्रह - सारी चीजों ने बच्चों की असुरक्षा बढ़ाने में योगदान किया है। बच्चों का स्वास्थ्य किसी विकसित होते राष्ट क भविष्य की क्षमताओं के निर्माण का मूल है। यह बड़ी सामाजिक जिम्मेवारी है जिसमें राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका

निभानी होती है। बच्चों क अल्पपोषण के अल्पकालिक और दीर्घकालिक, दोनो तरह के नकारात्मक प्रभाव होते हैं। अल्पकालिक प्रभावों में रुग्णता और मृत्यु तथा दीर्घकालिक प्रभावों में बच्चों को उनके विकास की पूरी संभावना तक पहुंचने से रोकना और कमजोर संज्ञानात्मक प्रदर्शन शामिल होते हैं। भ्रूण के विकास से लेकर आरंभिक चरणों तक की उत्तरजीविता और विकास के लिए पोषण को उत्तरोत्तर बुनियादी स्तंभ के बतौर मान्यता दी जा रही है। अल्पपोषण से मानव जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है और यह जीवन के आरंभिक चरणों के लिए खास तौर पर नुकसानदेह है। इस मामले में इस बात की स्वीकृति बढ़ती जा रही है कि बच्चों के भावी विकास के लिए उनके जीवन के आरंभिक वर्षों में सहयोग देना निहायत जरूरी है। इन समस्याओं के समाधान के लिए वर्तमान खंड में बच्चों के पोषण संबंधी मुद्दों पर चर्चा की गई है। पांच वर्ष से कम उम्र के बच्चों के स्वास्थ्य की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए प्रासंगिक सूचक शिशु मृत्यु दर (आइएमआर), 5 वर्ष के पूर्व मृत्यु दर (यू5एमआर), नवजात मृत्यु दर (एनएमआर), जन्मकालीन मृत्यु दर (पीएमआर) और प्रतिरक्षण हैं। इन सूचकों का विश्लेषण मानव विकास विषयक अध्याय 11 में पहले ही किया जा चुका है। इनके साथ-साथ किसी बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण का मूल्यांकन करने की अन्य कसौटियां ये हैं कि पांच वर्ष के कम उम्र का बच्चा ठिगना (स्टंटेड) तो नहीं है (उम्र के अनुसार ऊंचाई), दुबला (वेस्टेड) तो नहीं है (ऊंचाई के अनुसार वजन) और कम वजन का (अंडरवेट) तो नहीं है (उम्र के अनुसार वजन)।

ठिगनापन (उम्र के अनुसार ऊंचाई)

बच्चों का ठिगनापन लंबे समय तक उन्हें पर्याप्त पोषण नहीं मिलने को सूचित करता है। इसलिए यह सूचक उम्र के अनुसार ऊंचाई हाल के नहीं, वरन कुपोषण के दीर्घकालिक प्रभाव को व्यक्त करता है। बिहार में राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) में अनुमान किया गया है कि 5 वर्ष से कम उम्र के 48.3 प्रतिशत बच्चे ठिगने (अपनी उम्र की तुलना में बहुत कम लंबे) हैं जो चिरकालिक अल्पपोषण को व्यक्त करता है (तालिका 12.6)। ठिगनापन की व्याप्ति 2005-06 के 56 प्रतिशत से घटकर 2015-16 में 48.3 प्रतिशत रह गई है। बच्चों में ठिगनापन शहरी क्षेत्र (39.8 प्रतिशत) की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्र (49.3 प्रतिशत) में 9.5 प्रतिशत अंक अधिक दिखता है। पूरे देश के मामले में ठिगनापन में 2005-06 से 2015-16 के बीच 9.6 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई। बिहार के जिलों में सर्वाधिक ठिगनापन सीतामढ़ी (57.3 प्रतिशत) और नालंदा (54.1 प्रतिशत) जिलों में और सबसे कम गोपालगंज (35.6 प्रतिशत) और सीवान (37.9 प्रतिशत) जिलों में है।

तालिका 12.6 : बिहार और भारत में कुपोषण से पीड़ित बच्चों का प्रतिशत (2005-06 और 2015-16)

बिहार/ भारत	ठिगने	दुबले	हल्के
2015-16			
बिहार	48.3	20.8	43.9
भारत	38.4	21.0	35.7
2005-06			
बिहार	55.6	27.1	55.9
भारत	48.0	19.8	42.5

स्रोत : राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण 3 और 4, भारत सरकार

दुबलापन (ऊंचाई के अनुसार वजन)

ऊंचाई के अनुसार वजन सूचकांक के जरिए शरीर की ऊंचाई के मुकाबले शरीर की मात्रा की पर्याप्तता की माप की जाती है और इससे पोषण संबंधी वर्तमान स्थिति का पता चलता है। ऊंचाई के मुकाबले वजन के लिहाज से

संबंधित आबादी के औसत (मिडियन) से बहुत कम वजन वाले बच्चों को दुबला माना जाता है जो कुपोषण को एक माप है। 'दुबले'बच्चों की गंभीर स्थिति का निर्णय एक सांख्यिकीय माप के जरिए किया जाता है : औसत घटाव मानक विचलन (स्टैंडर्ड डेविएशन) का दूना। जिन बच्चों का वजन संदर्भ आबादी के औसत घटाव मानक विचलन के तिगुने से कम हो, उन्हें 'अति' दुबला माना जाता है। दुबलापन का कारण अपर्याप्त खाना-पीना या हाल में हुई बीमारी हो सकती है जिससे वजन कम हुआ हो। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 (2015-16) के अनुसार राज्य में 5 वर्ष से कम उम्र के 20.8 प्रतिशत बच्चे दुबले (ऊंचाई के मुकाबले दुबले) हैं जो उनके तीव्र अल्पपोषण को दर्शाता है। दुबलापन की व्यापकता में 2005-06 के 27.1 प्रतिशत से 2015-16 के 20.8 प्रतिशत के बीच 6.3 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज हुई है। ठिगनापन के विपरीत, इसकी व्यापकता ग्रामीण क्षेत्रों (20.8 प्रतिशत) से शहरी क्षेत्रों (21.3 प्रतिशत) अधिक दर्ज की गई। दुर्भाग्यवश, पूरे भारत के लिए दुबलापन की व्याप्ति में 2005-06 से 2015-16 के बीच 1.2 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है (तालिका 12.6)। जिलों में अरवल (30.7 प्रतिशत), जमुई (29.4 प्रतिशत) और शेखपुरा (28.9 प्रतिशत) सबसे खराब प्रदर्शन वाले जिले हैं। इसके विपरोत शिवहर (14.8 प्रतिशत), सीवान (15.0 प्रतिशत) और वैशाली (15.1 प्रतिशत) में दुबलापन का स्तर सबसे कम दर्ज हुआ।

हल्कापन (उम्र के अनुसार वजन)

उम्र के अनुसार वजन उम्र के अनुसार ऊंचाई और ऊंचाई के अनुसार वजन का संयुक्त सूचकांक है। इसमें तीव्र और जीर्ण, दोनो प्रकार के अल्पपोषण को ध्यान में रखा जाता है। जिन बच्चों का उम्र के हिसाब से वजन संदर्भ आबादी के औसत घटाव मानक विचलन के दूने से कम हो, उन्हें हल्का या कम वजन वाले के बतौर वर्गीकृत किया जाता है। इसी प्रकार, जिन बच्चों का उम्र के हिसाब से वजन संदर्भ आबादी के औसत घटाव मानक विचलन के तिगुने से कम हो, उन्हें 'अति' दुबला माना जाता है। राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4 के अनुसार बिहार में 5 वर्ष से कम उम्र के 43.9 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वजन के अर्थात हल्के थे। वर्ष 2005-06 और 2015-16 के बीच इसमें 12 प्रतिशत अंकों की कमी आई है जो सचमुच प्रभावशाली है। यह भी पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों (44.6 प्रतिशत) और शहरी क्षेत्रों (37.5 प्रतिशत) के बीच 7.1 प्रतिशत अंकों का अंतर है। संपूर्ण भारत के मामले में सामान्य से कम वजन के बच्चों की व्याप्ति में 2005-06 के 42.5 प्रतिशत से 2015-16 के 35.7 प्रतिशत के बीच 6.8 प्रतिशत अंकों की कमी हुई है (तालिका 12.6)। सभी 38 जिलों के बीच अरवल में हल्के बच्चों का अनुपात सर्वाधिक 54.0 प्रतिशत था जिसके बाद गया का 53.1 प्रतिशत और शेखपुरा का 51.7 प्रतिशत। इसके विपरीत गापालगंज (30.5 प्रतिशत), सीवान (31.6 प्रतिशत) और पश्चिम चंपारण/ बेगूसराय (39.1 प्रतिशत) में हल्के बच्चों का अनुपात सबसे कम था। ठिगने, दुबले और हल्के बच्चों का जिलावार ब्योरा तालिका प 12.3 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है।

12.4बाल विकास कार्यक्रम

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में 0 से 6 वर्ष उम्र वाले बच्चों की संख्या लगभग 1.91 करोड़ है जिनका राज्य की कुल आबादी में 18.3 प्रतिशत हिस्सा है। चूंकि किसी राष्ट का विकास बच्चां के कल्याण पर काफी अधिक निर्भर होता है इसलिए इसलिए केंद्र और राज्य सरकारें बच्चों को बढ़ावा देने के लिए अनेक विकासमूलक योजनाएं चला रही हैं। बच्चों से संबंधित कार्यक्रमों पर नीचे विस्तार से चर्चा की गई है।

समेकित बाल विकास योजना (आइसीडीएस)

केंद्र सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना की शुरुआत 2 अक्तूबर, 1975 को 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के छोटे बच्चों और गर्भवती अथवा शिशुवती महिलाओं के लिए सुधारक हस्तक्षेप के रूप में की गई थी। इसका लक्ष्य बच्चों की देखरेख, उनकी आरंभिक प्रेरणा और पढ़ाई, स्वास्थ्य तथा पोषण में दीर्घकालिक सुधार लाना है। राष्ट्रीय बाल नीति के अनुपालनस्वरूप समेकित बाल विकास योजना का शुभारंभ प्रायोगिक आधार पर देश के 33 प्रखंडों में किया गया था जिनमें से 3 प्रखंड बिहार के थे। कार्यक्रम, प्रबंधन और संस्था संबंधी विभिन्न कमियों को दूर करने और प्रशासनिक तथा संचालन संबंधी चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना का सुदृढ़ीकरण और पुनर्गठन व्यापक समेकित बाल विकास योजना के बतौर किया। आंगनवाड़ी सेवा योजना इस योजना का एक मुख्य कार्यक्रम ह जो आरंभिक बचपन और विकास के लिए सबसे बड़े और अद्वितीय कार्यक्रम का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक ओर विद्यालय-पूर्व अनौपचारिक शिक्षा उपलब्ध कराने और दूसरी ओर कुपोषण, रुग्णता, सीखने की घटी क्षमता और मृत्यु का दुष्चक्र तोड़ने की चुनौती की प्रतिक्रिया के बतौर बच्चों और शिशुवतीमाताओं के लिए देश की प्रतिबद्धता का एक प्रमुख प्रतीक है। इस योजना के मुख्य लाभार्थी 6 माह से 6 वर्ष तक उम्र वाले बच्चे हैं। उनके साथ-साथ गर्भवती महिलाएं, शिशुवती महिलाएं, 6 माह तक के दूध पीने वाले बच्चे और स्कूल नहीं जाने वाली 11 से 14 वर्ष तक उम्र वाली किशोरियां भी इस योजना से लाभान्वित होती हैं। सरकार ने समेकित बाल विकास योजना द्वारा आंगनवाड़ी सेवा योजना के तहत छः सेवाओं का पैकेज उपलब्ध कराया जाता है - (1) पूरक पोषाहार, (2) 3 से 6 वर्ष के बच्चों को अनौपचारिक विद्यालय-पूर्व शिक्षा, (3) माताओं के लिए पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, (4) प्रतिरक्षण, (5) स्वास्थ्य जांच, आर (6) रेफरल सेवाएं। छः में से तीन सेवाएं (प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य जांच आर रेफरल सेवाएं) स्वास्थ्य से सबंधित हैं और राष्टोय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा लोक स्वास्थ्य अधिसंरचना के जरिए उपलब्ध कराई जाती हैं। योजना के लक्ष्य समूह तक आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए पहुंच होती है। समेकित बाल विकास योजना के अधिकारियों और कर्मचारियों में बाल विकास परियोजना अधिकारी (CDPO), महिला पर्यवेक्षक (LS), आंगनवाड़ी सेविका (AWW)और आंगनवाड़ी सहायिका (AWH)शामिल होते हैं।

समेकित बाल विकास योजना राज्य के सभी 38 जिलों में 544 परियोजना कार्यालयों के जरिए चल रही है। समेकित बाल विकास योजना निदेशालय ने बिहार के लिए नए स्वीकृत 23,041 आंगनवाड़ी केंद्रों को भी 2017-18 से चालू करना शुरू कर दिया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा बिहार में इन 23,041 आंगनवाड़ी केंद्रों को 2015-16 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा उठाई गई मांगों के आधार पर इन नए स्वीकृत केंद्रों के क्रियान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभी सभी 544 समेकित बाल विकास योजना परियोजनाएं 1,07,603 आंगनवाड़ी केंद्रों और अतिरिक्त आंगनवाड़ी केंद्रों तथा 7,115 लघु आंगनवाड़ी केंद्रों के जरिए संचालित होती हैं।

चूंकि समेकित बाल विकास योजना मुख्यत: सेवा-आधारित कार्यक्रम है इसलिए उसकी सफलता के लिए स्टाफ की मौजूदगी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सभी 1.07 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों की स्थापना 0 से 6 वर्ष तक उम्र समूह के 1.91 करोड़ बच्चों और 60.3 लाख गर्भवती तथा शिशुवती महिलाओं की जरूरतें पूरी करने के लिए की गई है। वर्ष 2013-14 की अपेक्षा 2018-19 में आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या तो बढ़ी है लेकिन बाल विकास परियोजना अधिकारियों और महिला पर्यवेक्षकों की संख्या में कमी आईहै। वर्ष 2017-18 में भी ऐसा ही रुझान था जब आंगनवाड़ी सेविकाओं और आंगनवाड़ी सहायिकाओं की संख्या बढ़ी थी लेकिन बाल विकास परियोजना अधिकारियों और महिला पर्यवेक्षकों की संख्या घटी थी। तालिका 12.7 के

अनुसार 2018-19 में रिक्ति अनुपात इस प्रकार थे – बाल विकास परियोजना अधिकारी (28.3 प्रतिशत), महिला पर्यवेक्षक (29.0 प्रतिशत), आंगनवाड़ी सेविका (15.1 प्रतिशत) और आंगनवाड़ी सहायिका (18.2 प्रतिशत)।

तालिका 12.7 : समेकित बाल विकास योजना में कर्मियों की संख्या (2013-14 से 2018-19)

वर्ष	पद	बाल विकास परियोजना अधिकारी	महिला पर्यवेक्षक	आंगनवाड़ी सेविका	आंगनवाड़ी सहायिका
स्वीकृत पदों की संख्या		544	3288	91677	86237
2013-14	कार्यरत	504	2859	82177	78076
	रिक्त पदों का प्रतिशत	7.4	13.0	10.4	9.5
स्वीकृत पदों की संख्या		544	3288	91677	86237
2014-15	कार्यरत	458	2499	85936	80176
	रिक्त पदों का प्रतिशत	15.8	24.0	6.3	7.0
स्वीकृत पदों की संख्या		544	3288	91677	86237
2015-16	कार्यरत	458	2499	85944	80178
	रिक्त पदों का प्रतिशत	15.8	24.0	6.3	7.1
स्वीकृत पदों की संख्या		544	3288	114718	107603
2016-17	कार्यरत	442	2427	86800	80373
	रिक्त पदों का प्रतिशत	18.7	26.2	24.3	25.3
स्वीकृत पदों की संख्या		544	4210	114718	107603
2017-18	कार्यरत	442	2349	87287	80357
	रिक्त पदों का प्रतिशत	18.8	44.2	23.9	25.3
स्वीकृत पदों की संख्या		544	4210	114718	107603
2018-19	कार्यरत	390	2237	97347	88036
	रिक्त पदों का प्रतिशत	28.3	29.0	15.1	18.2

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

वर्ष 2018-19 में समेकित बाल विकास योजना के लिए 1213.9 करोड़ रु. का बजट प्रावधान था जो 2017-18 के 988.7 करोड़ रु. से 22.8 प्रतिशत अधिक था। साथ ही, 2017-18 और 2018-19 में केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त रकमभी बजट की रकम से अधिक थी। यह भी गौरतलब है कि 2018-19 में 92 प्रतिशत विमुक्त धनराशि का उपयोग कर लिया गया जो राज्य सरकार द्वारा धनराशि के कुशल उपयोग को दर्शाता है। समेकित बाल विकास योजना के लिए पिछले छः वर्षों में केंद्र और राज्य सरकार के योगदान से संबंधित विवरण तालिका 12.8 में प्रस्तुत है।

तालिका 12.8 : समेकित बाल विकास योजना में संसाधनों का उपयोग(2013-14 से 2018-19)

वर्ष	बिहार में योजना का बजट (करोड़ रु.)	केंद्र सरकार द्वारा विमुक्त कुल राशि (करोड़ रु.)	व्यय (करोड़ रु.)	विमुक्त राशि बजट के प्रतिशत के बतौर	व्यय विमुक्त धन के प्रतिशत के बतौर
2013-14	1714.3	1153.5	1310.1	67.3	113.6
2014-15	2238.3	1281.5	1236.4	57.3	96.5
2015-16	1409.7	1062.2	983.4	75.3	92.6
2016-17	1494.1	987.3	893.5	66.1	90.5
2017-18	988.7	1075.2	940.4	108.7	87.5
2018-19	1213.9	1329.5	1119.9	84.7	92.2

स्रोत : समेकित बाल विकास योजना निदेशालय, बिहार सरकार

किशोरी योजना (एस.ए.जी.)

किशोरावस्था महिलाओं के जीवन का एक महत्वपूर्ण चरण होती है। यह बचपन आर वयस्क अवस्था के बीच का चरण होता है और किशोरियों की मानसिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक खैरियत के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर मानव संसाधन विकास के लिए लक्षित विकासमूलक कार्यक्रम से किशोरियों को बाहर रखा जाय तो संपूर्ण बाल विकास के लिए जीवनचक्र का दृष्टिकोण बिना समाधान रह जाता है। किशोरियों की जरूरतें पूरी करने के लिहाज से 11 से 19 वर्ष उम्र समूह की किशोरियों के लिए व्यापक हस्तक्षेप के बतौर राजीव गांधी किशोरी सबलीकरण योजना (सबला) का आरंभ नवंबर 2010 में किया गया था। इस कार्यक्रम का विशेष फोकस बिहार के 12 जिलों में पढ़ाई छोड़ने वाली लड़कियां थीं। अप्रील 2018 से योजना को सभी जिलों में लागू कर दिया गया है और उसका नाम बदलकर किशोरी योजना (एस.ए.जी.) कर दिया गया है। नई योजना 11 से 14 वर्ष उम्र की स्कूल नहीं जाने वाली लड़कियों के लिए भी है। देश के सभी जिलों तक इस योजना का विस्तार हो जाने के बाद पूर्ववर्ती किशोरी शक्ति योजना को समाप्त कर दिया गया है। योजना का मुख्य उद्दश्य किशोरियों को आत्मनिर्भर और सजग नागरिक बनाने के लिहाज से उनको सहयोग देना, शिक्षित करना और उनका सशक्तीकरण करना है। इस योजना के लिए केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा पोषण संबंधी घटक के लिए 50:50 के अनुपात में और गैर-पोषण घटक के लिए 60:40 के अनुपात में वित्तपोषण का प्रावधान है। इस योजना के तहत किशोरियों को आंगनवाड़ी केंद्रों में सूखा राशन के बतौर सूक्ष्मपोषक तत्वों सहित 600 किलो कैलोरी ऊर्जा देने वाला पूरक पोषाहार और 18-20 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, सूखा राशन उन्हें महीने में एक बार 25 दिनों के लिए उपलब्ध कराया जाता है जिस पर प्रतिदिन 9.50 रु. के हिसाब से खर्च होता है। इसके अतिरिक्त, पढ़ाई छोड़ देने वाली किशोरियों को जीवन कौशल शिक्षा सहित अन्य सेवाएं भी प्रदान की जाती हैं। किशोरी योजना के वेब आधारित ऑनलाइन अनुश्रवण के लिए रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम (त्वरित सूचना प्रणाली) की शुरुआत जनवरी 2018 में की गई थो। इसके जरिए योजना के अनुश्रवण और सूचना का तीव्र प्रवाह, लाभार्थियों का सटीक लक्ष्यीकरण तथा योजना से रिसाव में कमी सुनिश्चित करने के जरिए सुधारक उपाय करने में मदद मिलती है। वर्ष 2018-19 में इस योजना पर 12.71 करोड़ रु. व्यय हुए थे जिसमें से 6.86 करोड़ रु. केंद्रांश और 5.85 करोड़ रु. राज्यांश था।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना को पूर्व में मातृत्व लाभ योजना (एमबीएस) या इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के नाम से जाना जाता था। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसके व्यय में केंद्र और राज्य सरकारों का 60:40 अनुपात में हिस्सा होता है। इस योजना के तहत पात्र गर्भवती और शिशुवती महिलाओं को गर्भ और बच्चे को दूध पिलाने की अवधि में तीन किश्तों में 5000 रु. मातृत्व लाभ दिया जाता है। 1000 रु. की पहली किश्त का भुगतान अंतिम मासिक स्राव के तीन महीने के अंदर गर्भवती होने का निबंधन कराने पर दी जाती है। 2000 रु. की दूसरी किश्त गर्भ के छः महीने पूरा हो जाने और कम से कम एक बार प्रसवपूर्व देखरेख जांच कराने के बाद दी जाती है। और 2000 रु. की तीसरी किश्त प्रसव के बाद और बच्चे के टीकाकरण का पहला चक्र पूरा हो जाने के बाद दी जाती है। पात्र लाभार्थी को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी मातृत्व लाभ के बतौर 1000 रु. की नगद प्रोत्साहन राशि मिलती है बशर्ते कि संस्थागत प्रसव हुआ हो। इस प्रकार महिला को कुल 6000 रु. मिलते हैं। वर्ष 2018-19 में राज्य में इस योजना के तहत 78.22 करोड़ रु. व्यय किए गए थे।

राष्ट्रीय पोषण मिशन

केंद्र सरकार ने पोषण अभियान(राष्ट्रीय पोषण मिशन) की स्थापना की है जिसका आरंभ 8 मार्च, 2018 को राजस्थान के झुंझुनु से किया गया था। इसका कुल बजट 9046.17 करोड़ रु. है जिसमें 50 प्रतिशत केंद्र सरकार का होगा और 50 प्रतिशत रकम अंतर्राष्टोय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक (आइबीआरडी) से प्राप्त है। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों के ठिगनापन, अल्पपोषण, रक्ताल्पता और जन्म के समय कम वजन के स्तर में कमी लाना है। कार्यक्रम का फोकस, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और शिशुवती माताओं पर है और इस प्रकार कुपोषण की समस्या का हर तरह से समाधान करना है। साथ ही, इसका लक्ष्य प्रौद्योगिकी के उपयोग और व्यवहार परिवर्तन तथा कनवर्जेंस के जरिए सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। साथ ही, इसके लिए विभिन्न अनुश्रवण मानकों के लिहाज से हासिल किए जाने वाले विशिष्ट लक्ष्य भी तय किए गए हैं। संपर्णतावादी दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित क्षेत्रों को इस कार्यक्रम के तहत 2017-18 से 2019-20 तक तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्धढंग से लाया जाना है। वर्ष 2017-18 में कुल 315 जिले इसके अंतर्गत लाए गए थे। अन्य 268 जिले 2018-19 में और शेष 235 जिले 2019-20 में शामिल किए गए। इस कार्यक्रम से 10 करोड़ से भी अधिक महिलाएं लाभान्वित होंगी। मिशन का लक्ष्य हर साल ठिगनापन में 2 प्रतिशत, छोटे बच्चों, महिलाओं और किशोरियों की रक्ताल्पता में 3 प्रतिशत, अल्पपोषण में 2 प्रतिशत और जन्म के समय बच्चों के कम वजन में 2 प्रतिशत कमी लाना है।

राष्टोय शिशुशाला योजना (एनसीएस)

कामकाजी माताओं और अन्य इच्छुक महिलाओं के बच्चों को दिन में देखरेख की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए जनवरी 2017 से राष्टोय शिशुशाला योजना का क्रियान्वयन राज्य सरकारों द्वारा केंद्र प्रायोजित योजना के बतौर किया जा रहा है। योजना की मुख्य विशेषताएं हैं - (1) महीने में कम से 15 दिन या साल में कम से कम 6 महीने काम में लगी रहने वाली कामकाजी महिलाओं के 6 महीने से 6 वर्ष तक उम्र वाले बच्चों को दिन में देखरेख की सुविधाएं देना, (2) हर शिशुशाला में 25 बच्चों को सुविधाएं देना, (3) दिन में देखरेख की सुविधाओं में सोने की सुविधा, पूरक पोषाहार, स्वास्थ्य केंद्र संबंधी इनपुट (टीकाकरण, स्वास्थ्य का बुनियादी अनुश्रवण, और आपात दवाएं), 3 वर्ष से छोटे बच्चों को आरंभिक प्रेरणा, और 3 से 6 वर्ष वाले बच्चों को विद्यालय-पूर्व शिक्षा देना शामिल है, (4) शिशुशाला द्वारा बीपीएल परिवारों से 20 रु.प्रति माह प्रति बच्चा,

माता-पिता दोनो की आय 12,000 रु. होने पर 100 रु. प्रति माह प्रति बच्चा और माता-पिता, दोनो की आय 12,000 रु. से अधिक होने पर 200 रु. प्रति माह प्रति बच्चा शुल्क लिया जा सकता है। इससे समुदाय की बेहतर भागीदारी सुनिश्चित होगी और संसाधन भी बढ़ेंगे जिनका उपयोग बच्चों के कल्याण और शिशुशाला की सुविधाओं के उत्क्रमण में किया जा सकता है। वर्ष 2019-20 में इस योजना के लिए केंद्रांश के बतौर 60.00 लाख रु. और राज्यांश के बतौर 30.00 लाख रु. कर्णांकित किए गए हैं।

12.5 पेयजल और स्वच्छता

पानी, स्वच्छता और साफ-सफाई की पर्याप्त सुविधाओं वाले विद्यालय विद्यार्थियों और शिक्षकों के लिए अच्छा वातावरण उपलब्ध कराते हैं। ये सुविधाएं छोटे बच्चों, मसिक स्राव की उम्र वाली लड़कियों और नि:शक्त बच्चों समेत सभी की जरूरतें पूरी करती हैं। तालिका 12.9 में पेयजल की सुविधा वाले प्रारंभिक विद्यालयों का हिस्सा 2011-12 के 93.0 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 99.0 प्रतिशत हो गई थी। वर्ष 2011-12 में 70.3 प्रतिशत विद्यालयों में लड़कों के लिए शौचालय थे जबकि लड़कियों के लिए 52.2 प्रतिशत विद्यालयों में ही शौचालय थे। गौरतलब है कि लड़कों के लिए शौचालय सुविधा वाले विद्यालयों का हिस्सा 2011-12 के 70.3 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 97.8 प्रतिशत हो गया। इसी प्रकार, लड़कियों के लिए शौचालय वाले विद्यालयों का प्रतिशत भी काफी बढ़ा जो 2011-12 के 52.2 प्रतिशत से बढ़कर 2016-17 में 94.0 प्रतिशत हो गया। हालांकि स्वच्छता संबंधी अधिसंरचना में सुधार के लाभ हाथ धोने के लिए साबुन-पानी की उपलब्धता और शौचालयों की स्थिति पर भी निर्भर करते हैं।

तालिका 12.9 : बिहार में पेयजल और स्वच्छता सुविधाओं वाले प्रारंभिक विद्यालयों का प्रतिशत(2011-12 से 2016-17)

सुविधा संबंधी सूचक	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
पेयजल सुविधा युक्त विद्यालय	93.0	93.5	92.3	92.5	98.8	99.0
लड़कों के लिए शौचालय सुविधा युक्त विद्यालय	70.3	71.5	80.1	79.8	95.1	97.8
लड़कियों के लिए शौचालय सुविधा युक्त विद्यालय	52.2	76.8	70.2	71.2	96.4	94.0

स्रोत : जिला शिक्षा सूचना प्रणाली, भारत सरकार

12.6शिक्षा और विकास संबंधी स्थिति

शिक्षा लोकतंत्र की बुनियादी जरूरत है। व्यापक अर्थों में शिक्षा वर्गकक्ष या विद्यालय तक ही सीमित नहीं होती है। इसे आजीवन प्रक्रिया माना जाता है जिसमें किसी व्यक्ति को शिक्षा के अंग के बतौर अपने जीवन के विभिन्न चरणों में विभिन्न माध्यमों से सारे अनुभव, ज्ञान और विवेक (औपचारिक, अनौपचारिक और घटनापरक) हासिल होते हैं। इस दिशा में दीर्घस्थायी विकास लक्ष्य-4 (एजडीजी4) में 2030 तक सभी को समावेशी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने और जीवनपर्यंत सीखने के अवसरों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। भारतीय शिक्षा प्रणाली को नामांकित बच्चों की उम्र के आधार पर तीन मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है : प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। इन श्रेणियों पर मानव विकास पर अध्याय 11 में विस्तार से चर्चा की गई है। इस खंड में मुख्यत: विद्यालय-पूर्व शिक्षा और विद्यालय-त्यागी बच्चों पर चर्चा की गई है।

साक्षरता दर

साक्षरता और शिक्षा का स्तर विकास का बुनियादी सूचक है। लोगों की साक्षरता दर को '7 वर्ष और उससे अधिक उम्र वाली कुल आबादी में साक्षरों का प्रतिशत' के बतौर परिभाषित किया जाता है। बिहार में साक्षरता दर लगातार बढ़ती गई है और 2011 की जनगणना में यह 61.8 प्रतिशत थी। हालांकि बिहार में महिला साक्षरता दर अभी भी महज 51.5 प्रतिशत है जो पुरुष साक्षरता दर (71.2 प्रतिशत) से काफी पीछे है। निस्संदेह प्रशंसा की बात है कि साक्षरता दर में वृद्धि सभी उम्र समूह की महिलाओं में अपेक्षाकृत अधिक है इसलिए साक्षरता दर के मामले में लैंगिक अंतराल विगत वर्षों के दौरान लगातार घटता गया है। यह फासला 2001 के 26.6 प्रतिशत से घटकर 2011 में 19.7 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2011 में 7 से 18 साल उम्र वाले बच्चों के बीच समग्र साक्षरता दर 79.1 प्रतिशत थी और लड़कों की साक्षरता दर 81.7 प्रतिशत तथा लड़कियों की 76.2 प्रतिशत होने से मात्र 5.5 प्रतिशत अंकों का लैंगिक अंतराल दिखा (तालिका 12.10)।

तालिका 12.10 :बिहार में उम्र और लिंग के आधार पर साक्षरता का प्रतिशत (2001 और 2011)

वर्ष	उम्र समूह	7-9	10-14	07-18	7 वर्ष और ऊपर
2001	व्यक्ति	46.0	60.0	56.1	47.0
	लड़का	51.4	67.5	63.5	59.7
	लड़की	39.9	51.2	47.4	33.1
2011	व्यक्ति	73.2	83.3	79.1	61.8
	लड़का	75.2	85.5	81.7	71.2
	लड़की	71.1	80.9	76.2	51.5

स्रोत : जनगणना, भारत के महानिबंधक

विद्यालय-पूर्व शिक्षा (पीएसई)

आरंभिक बचपन को जन्म से लेकर आठ वर्षों तक की अवधि के बतौर निर्धारित किया गया है जब मस्तिष्क का तेज विकास होता है और बच्चे के आजीवन विकास की जड़ इन वर्षों में ही होती है। शैशव-कालीन देखरेख एवं शिक्षा (ईसीसीई) की अवधारणा के तहत जीवनचक्र दृष्टिकोण के अनुरूप बच्चे की देखरेख, शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य संबंधी जरूरतों पर संपूर्णता में ध्यान दिया जाता है। इसमें बच्चे के संपूर्ण विकास पर बल दिया जाता है जिसमें उसकी शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक ओर संज्ञानात्मक जरूरतों पर ध्यान दिया जाता है। इससे जीवनपर्यंत सीखने और कल्याण की ठोस और व्यापक नींव तैयार होती है। सीखना तो जन्म से ही शुरू हो जाता है इसलिए 'सबके लिए शिक्षा' के अंतर्गत हासिल किया जाने वाला बिल्कुल पहला लक्ष्य शैशवकालीन देखरेख एवं शिक्षा है। इसे संवैधानिक प्रावधान के बतौर शामिल किया गया है जिसमें निर्देश दिया गया है कि राज्य सभी बच्चों को छः वर्षों की उम्र पूरी होने तक शैशव-कालीन देखरेख एवं शिक्षा उपलब्ध कराएं। शैशव-कालीन देखरेख एवं शिक्षा संबंधी सेवाएं सार्वजनिक, निजी या गैर-सरकारी माध्यमों के जरिए दी जा सकती हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र में समेकित बाल विकास सेवा शैशव-कालीन देखरेख एवं शिक्षा प्रदान करने वाला सबसे बड़ा अग्रणी कार्यक्रम है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा किए गए त्वरित बाल सर्वेक्षण, 2013-14 के अनुसार बिहार में 3 से 6 वर्ष उम्र के 49.5 प्रतिशत बच्चे समेकित बाल विकास सेवा द्वारा संचित प्राग्विद्यालयों में और 10.4 प्रतिशत बच्चे निजी प्राग्विद्यालयों में जा रहे थे जबकि एक-तिहाई से कुछ अधिक (35.2 प्रतिशत) बच्चे किसी भी प्राग्विद्यालय में नहीं जा रहे थे। सर्वेक्षण के लिए 1.05 लाख परिवारों और 5,630 आंगनवाड़ी केंद्रों को नमूने के बतौर लिया गया था। उल्लेखनीय है कि शहरी क्षेत्र के 31.4 प्रतिशत बच्चों की तुलना में ग्रामीण क्षेत्र के 51.8 प्रतिशत बच्चे प्राग्विद्यालयों में जा रहे थे। अध्ययन से यह भी पता चलता है कि प्राग्विद्यालय शिक्षा चलाने वाले लगभग 93.3 प्रतिशत आंगनवाड़ी केंद्र एक कैलेंडर माह में 16 या अधिक दिनों तक सत्र चलाते थे। हालांकि 36 से 71 महीने उम्र के सिर्फ 34.1 प्रतिशत लड़कों और 37.4 प्रतिशत लड़कियों ने ही प्राग्विद्यालय शिक्षा में एक कैलेंडर माह में 16 या अधिक दिनों तक भाग लिया। हालांकि राज्य में समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम का सघन आच्छादन है इसलिए मूल्यांकन करने की जरूरत है कि आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा प्राग्विद्यालय शिक्षा घटक का क्रियान्वयन कैसे किया जाता है और इस सुविधा से कुछ बच्चों के वंचित होने के लिए कौन से कारक जिम्मेवार हैं।

विद्यालय-त्यागी बच्चे (ओओएससी)

चूंकि सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रारंभिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की बात सोची गई है, इसलिए यह जरूरी हो गया है कि सारे विद्यालय-त्यागी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा की जद में लाया जाय। गत दशक में प्रारंभिक शिक्षा के आच्छादन में नामांकन में वृद्धि के लिहाज से काफी सुधार हुआ है। विद्यालय-त्यागी बच्चों के वास्तविक बोझ के मूल्यांकन के लिए राज्य में हैबिटेशन मैपिंग की गई है जिसमें शिक्षाधिकार अधिनियम के मानकों के अनुरूप प्राथमिक और उच्च प्राथमिक शिक्षा की उपस्थिति के बारे में सूचना एकत्र की गई है। राज्य के कुल 1,12,067 टोलों में से 1,08,747 (97.0 प्रतिशत) में सरकारी या सरकारी सहायता-प्राप्त प्राथमिक विद्यालय सेवा देते हैं। वहीं, 3320 (3.0 प्रतिशत) टोलों में प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं जिनमें से 1524 टोले राज्य सरकार के मानकों के अनुसार नए प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के पात्र हैं। वहीं 1796 टोलों को अभी भी सेवा उपलब्ध नहीं है और 331 बच्चे विद्यालय-त्यागी बच्चों की श्रेणी में आते हैं। इसी प्रकार, उच्च प्राथमिक स्तर पर 1,10,020 (98.2 प्रतिशत) टोलों को सरकारी या सरकारी सहायता-प्राप्त विद्यालयों की सेवा प्राप्त हो रही है जबकि 2035 (1.8 प्रतिशत) टोलों में उनकी सेवा प्राप्त नहीं है। उनमें से 967 टोलों को नए उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना के लिए पात्र पाया गया। वहीं, 1068 असेवित और अपात्र टोले मौजूद हैं जिनके 13,934 बच्चे नजदीकी विद्यालयों में पढ़ रहे हैं और 192 बच्चे विद्यालय-त्यागी हैं।

वर्ष 2018-19 में 6 से 13 वर्ष उम्र समूह के 1.44 लाख विद्यालय-त्यागी बच्चों को विभिन्न हस्तक्षेपों के जरिए मुख्य धारा में लाया गया है। इनमें से 29.4 प्रतिशत अजा, 13.8 प्रतिशत अल्पसंख्यक और मात्र 3.0 प्रतिशत अजजा बच्चे थे। विद्यालय-त्यागी बच्चों की कुल संख्या 2016-17 में 2.17 लाख थी जो राज्य सरकार के केंद्रित दृष्टिकोण के फलस्वरूप 2018-19 में घटकर 1.44 रह गई (तालिका 12.11)।

तालिका 12.11 : बिहार में विद्यालय-त्यागी बच्चों की संख्या (2016-17 से 2018-19)

2018-19						
श्रेणियां	6-10 वर्ष			11-13 वर्ष		
	लड़के	लड़कियां	योगफल	लड़के	लड़कियां	योगफल
सभी	51792	47966	99758	24402	19418	43820
अनुसूचित जाति	14442	13293	27735	7988	6568	14556
अनुसूचित जनजाति	1166	976	2142	1149	991	2140
अल्पसंख्यक	6887	6269	13156	3679	3029	6708
2017-18						
श्रेणियां	6-10 वर्ष			11-13 वर्ष		
	लड़के	लडकियां	योगफल	लड़के	लडकियां	योगफल
सभी	64607	59138	123745	36562	31346	67908
अनुसूचित जाति	18053	16634	34687	10821	9789	20610
अनुसूचित जनजाति	1278	1249	2527	1293	1245	2538
अल्पसंख्यक	12572	11280	23852	7850	7059	14909
2016-17						
श्रेणियां	6-10 वर्ष			11-13 वर्ष		
	लड़के	लडकियां	योगफल	लड़के	लडकियां	योगफल
सभी	76030	71758	147788	37256	31792	69048
अनुसूचित जाति	20393	19151	39544	11728	9873	21601
अनुसूचित जनजाति	1010	1042	2052	1247	1209	2456
अल्पसंख्यक	15753	14872	30625	7359	6586	13945

स्रोत : बिहार शिक्षा परियोजना

राज्य सरकार ने विद्यालय-त्यागी बच्चों को औपचारिक शिक्षा की मुख्य धारा में लाना सुनिश्चित करने के लिए कई पहलकदमियां ली हैं। उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं।

आवासीय विद्यालय/ छात्रावास : अभी 4 स्वीकृत आवासीय विद्यालय चालू हैं जिनमें से 2 शहरी पटना में हैं और 2 जमुई में। उनकी कुल स्वीकृत क्षमता 400 है और उनमें कुल नामांकन 396 है। छात्रावासों का प्रबंधन सर्व शिक्षा अभियान के जिला स्तरीय अधिकारियों की देखरेख में विद्यालय शिक्षा समिति द्वारा किया जा रहा है।

आवासीय विशेष प्रशिक्षण : कुल 18,444 विद्यालय-त्यागी बच्चों को आवासीय विशेष प्रशिक्षण के तहत शामिल करने का लक्ष्य था जिसमें से 11,845 बच्चे उम्र, सामाजिक श्रेणी और सक्षमता के आधार पर शामिल किए गए हैं। 'कोशिश' के नाम से अलग-अलग सेतु पुस्तिकाओं और कार्यपुस्तिकाओं के सेट तैयार किए गए हैं। इन पुस्तकों को विभिन्न प्रकार के लक्ष्य समूह के बच्चों के लिए निर्धारित किया गया है।

अनावासीय विशेष प्रशिक्षण : कुल 59,498 विद्यालय-त्यागी बच्चों को अनावासीय विशेष प्रशिक्षण के तहत शामिल किए गए हैं।

प्रवासी बच्चों के लिए कार्यस्थल केंद्र : बिहार के विभिन्न जिलों में या अन्य राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम और झारखंड) से आकर काम करने वाले ईंट भट्ठा मजदूर और स्टोन क्रशर मजदूर जैसे प्रवासी परिवारों के बच्चों को काफी संख्या है। वर्ष 2017-18 में कुल 1050 प्रवासी बच्चों का 51 कार्यस्थल केंद्रों में नामांकन कराया गया।

विशेष प्रशिक्षण के लिए पठन-पाठन सामग्री : राज्य सरकार द्वारा पटना स्थित राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण हेतु सामग्रियों का विकास किया गया है। अध्ययन सामग्री के विकास में शामिल संस्थाएं बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन सोसाइटी, मामिडिपुडी वेंकटारंगैया (एमवी) फाउंडेशन और प्रथम फाउंडेशन हैं। कुछ शिक्षा विशेषज्ञ और शिक्षक भी शामिल किए गए थे।

विद्यालय-त्यागी बच्चों का सर्वेक्षण : हर विद्यालय में बालपंजी संधारण के लिए राज्य के सभी विद्यालयों में विद्यालय-त्यागी बच्चों सहित 0 से 14 वर्ष उम्र समूह क बच्चों का सर्वेक्षण किया गया है। विद्यालय-त्यागी बच्चों के आंकड़ों का कंप्यूटरीकरण किया गया है और जिलों द्वारा बच्चों से संबंधित किसी नीति निर्माण के लिए बालपंजी का उपयोग किया जा रहा है।

मुहिम : विभिन्न हितधारकों और समकक्ष समूहों के सहयोग से बच्चों के विद्यालय त्यागने पर नियंत्रण के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया है। इन विद्यालय-त्यागी बच्चों को विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए कुछ गैर-सरकारी संगठन अन्य प्रतिष्ठित गैर-सरकारी संगठनों और बिहार शिक्षा परियोजना के साथ जुड़े हैं।

12.7 बाल संरक्षण की स्थिति

बाल संरक्षण बच्चों को उनके जीवन या बचपन पर होनं वाले वास्तविक या संभावित जोखिमों से सुरक्षित रखने से संबंधित है। बच्चों को दुर्व्यवहार और उपेक्षा से बचाना, स्वास्थ्य और विकास संबंधी नि:शक्तता से दूर रखना, और उनका समग्र विकास सुनिश्चित करना सामूहिक दायित्व है। शिक्षा, पोषण, और सभी वांछित संस्थागत सहयोग तक बच्चों की पहुंच सुगम बनाकर उनका विकास, देखरेख और संरक्षण सुनिश्चित करने की जरूरत है।

बाल श्रम का प्रचलन बच्चों को विकास, समुचित जीवन-स्तर, और दुर्व्यवहार तथा उपेक्षा से बचाव के अधिकारों को प्राप्त करने से रोकता है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश के सभी राज्यों के बीच बच्चों का सर्वाधिक 48 प्रतिशत अनुपात बिहार में है। वहीं, बाल श्रमिकों की संख्या के मामले में राज्य का दूसरा स्थान है। राज्य के 19 जिलों में बाल श्रमिकों की आबादी 1.00 लाख से अधिक है। इनमें अररिया, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, गया, कटिहार, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, नालंदा, नवादा, पश्चिम चंपारण, पूर्व चंपारण, पटना, समस्तीपुर, सारण, सीतामढ़ी, सीवान और वैशाली जिले शामिल हैं। अनुमान है कि बिहार में एक-तिहाई से भी अधिक बालश्रमिक कृषि और सहवर्ती क्षेत्रों में लगे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में निराई-गुड़ाई और बुआई-रोपनी समेत कृषिकार्यों का बड़ा बोझ बच्चों पर होता है। इन मौसमों में विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति पर बुरा असर पड़ता है। चरम आर्थिक संकट की स्थिति में बच्चे शिक्षा के अवसरों को छोड़कर काम पकड़ लेते हैं। बाल श्रम निषेध एवं विनियमन अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन में कमी के कारण बच्चों को अक्सर शोषण वाले कामों और खराब कार्यस्थिति वाले अन्य कामों में लगाया जाता है। बालश्रमिक विद्यालयों में पढ़ें, इसे सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार तथा बाल श्रमिकों के लिए विशेष प्रशिक्षण और सेतु पाठ्यक्रम उपलब्ध कराना राज्य सरकार के ध्यान के प्रमुख क्षेत्र हैं।

समेकित बाल संरक्षण योजना (आइसीपीएस)

वर्ष 2009-10 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा विपदाग्रस्त बच्चों के लिए सुरक्षित-संरक्षित वातावरण निर्मित करने के उद्देश्य से पूरे देश में लागू करने के लिए समेकित बाल संरक्षण योजना (आइसीपीएस) की शुरुआत की गई थी। इस अग्रणी योजना का लक्ष्य कठिन परिस्थितियों में रहने वाले बच्चों की खैरियत में सुधार लाना और दुर्व्यवहार, शोषण, तथा अपने परिवारों से परित्याग और अलगाव का कारण बनने वाली स्थितियों और कार्यों के मामले में उनकी असुरक्षित स्थिति में कमी लाना है। राज्य सरकार ने राज्य में समेकित बाल संरक्षण योजना के क्रियान्वयन के लिए अप्रील 2010 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया था। हस्ताक्षर के बाद राज्य सरकार ने राज्य बाल संरक्षण समिति (एससीपीएस) का गठन किया है जो योजना के क्रियान्वयन, समन्वय और अनुश्रवण के लिए राज्य-स्तरीय निकाय है। राज्य बाल संरक्षण समिति राज्य सरकार के समाज कल्याण निदेशालय के तहत काम करती है।

योजना के तहत बच्चों की तथा 18 से 21 वर्ष उम्र समूह के लोगों की संस्थागत जीवन से स्वतंत्र जीवन में संक्रमण के दौरान मदद करने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। सेवाओं में आवासीय सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार पाने में सहायता, परामर्श और वजीफा आदि शामिल हैं। अप्रील 2014 में योजना के वित्तीय मानकों में संशोधन किया गया था। संशोधित योजना की मुख्य विशेषताओं में संरक्षण गृहों में रहने वाले बच्चों के लिए अनुरक्षण अनुदान 750 रु. से बढ़ाकर 2000 रु. प्रति बच्चा प्रति माह कर देना शामिल था। नवंबर 2017 से इसे और भी बढ़ाकर 2160 रु. प्रति बच्चा प्रति माह कर दिया गया। इस योजना के तहत किशोर विधि परिषद और बाल कल्याण समिति का व्यय भार केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा 35:65 के अनुपात में वहन किया जाता है। इसके अलावा, इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित अन्य कार्यक्रमों के व्यय में केंद्र सरकार और राज्य सरकार का 60:40 के अनुपात में हिस्सा होता है। गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित बाल आवास गृहों के मामले में व्यय भार तीन संस्थाओं द्वारा वहन किया जाता है - केंद्र सरकार 60 प्रतिशत, राज्य सरकार 30 प्रतिशत और गैर-सरकारी संगठन 10 प्रतिशत।

राज्य दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण

राज्य दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण (स्टेट एडॉप्शन रिसोर्स ऑथरिटी) राज्य में दत्तकग्रहण कार्यक्रम के प्रवर्तन, सुगमीकरण, अनुश्रवण और विनियमन के लिए राज्य सरकार के कार्यकारी स्कंध के बतौर काम करता है। अभिकरण अपने माता-पिता से बिछुड़ गए अनाथ बच्चों को दत्तकग्रहण नीति के जरिए नए देशी या विदेशी माता-पिता से जुड़ने में मदद करता है। अभिकरण केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित करता है और विभिन्न जिलों में मौजूद विभिन्न दत्तकग्रहण अभिकरणों के अनुश्रवण में मदद करता है। दत्तकग्रहण का काम योजना के तहत चल रहे 21 विशिष्ट दत्तकग्रहण अभिकरणों के द्वारा किया जाता है। हाल के वर्षों के दौरान 2015-16 में 100, 2016-17 में 90 और 2017-18 में 164 बच्चों को परिवारों के साथ जोड़ा गया।

बाल गृह

विपदाग्रस्त, परित्यक्त और अनाथ बच्चों के सहयोग और पुनर्वास के लिए अभी राज्य के विभिन्न जिलों में 33 बाल गृह चल रहे हैं। इन 33 बाल गृहों में से 22 लड़कों के लिए हैं और 11 लड़कियों के लिए। अभी तक विभिन्न बाल गृहों में कुल 6,540 बच्चों को आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं।

परवरिश

यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है जिसके तहत 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के पालन-पोषण के लिए हर महीने 900 रु. और 6 से 18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के लिए 1,000 रु. भत्ते का प्रावधान था। बाद में गृहविहीन, अनाथ या अपने रिश्तेदारों के साथ रहने वाले बच्चों को शामिल करने के लिए इस योजना को संशोधित किया गया है। इसके साथ-साथ, एचआइवी, कुष्ठ या कैंसर से पीड़ित बच्चों या उनके माता-पिता को भी इस योजना के तहत शामिल किया गया है। 1,000 रु. का प्रावधान 0 से 18 वर्ष उम्र समूह के सभी बच्चों के लिए कर दिया गया है। इस योजना के तहत अभी तक 15,461 बच्चों काविपदा और अत्यंत असुरक्षित स्थिति से बचाया गया है। साथ ही, जो बच्चे यौन उत्पीड़न के शिकार हैं और जिनकी सुनवाई पॉस्को (बाल यान हिंसा संरक्षण)अधिनियम, 2012 के तहत हो रही है उनको सुरक्षित और संरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा बाल-हितैषी न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

बिहार बाल विवाह निषेध नियमावली, 2010

बिहार बाल विवाह निषेध नियमावली, 2010 के अनुसार 18 वर्ष से पहले किसी लड़की और 21 वर्ष से पहले किसी लड़के की शादी को 'बाल विवाह' माना गया है जो संज्ञेय अपराध है। बाल विवाह के लड़कों और लड़कियों, दोनो के लिए दीर्घकालिक नकारात्मक परिणाम होते हैं, लेकिन लड़कियों पर इसका अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसमें कम उम्र में प्रसव, मांऔर नवजात की मृत्यु, शिक्षा में व्यवधान, रोजगार की कम संभावना, तथा हिंसा और दुर्व्यवहार की आशंका शामिल है। इन सभी के नकारात्मक शारीरिक और मनोवैज्ञानिक परिणाम होते हैं।

राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएचएफएस) के आंकड़ों के अनुसार, बिहार में 15 से 19 वर्ष उम्र की लड़कियों में बाल विवाह की व्यापकता 2005-06 में हुए तीसरे राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 25.0 प्रतिशत और 2015-16 में हुए चौथे राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण में 12.2 प्रतिशत थी। इसके कारण इस अवधि में 12.8 प्रतिशत अंकों की गिरावट दर्ज हुई। उक्त उम्र समूह के लिए बाल विवाह की बारंबारता ग्रामीण क्षेत्रों में 12.8 प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 8.3 प्रतिशत है। आंकड़ों के रुझान से स्पष्ट पता चलता है कि विभिन्न कल्याण कार्यक्रमों के जरिए बाल विवाह निषेध की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों के सकारात्मक परिणाम निकल रहे हैं।

12.8 बाल सहभागिता की स्थिति

औपचारिक हों या अनौपचारिक, सभी स्थितियों में निर्णय लेने में बच्चों की आवाज का महत्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इससे बच्चों का दृष्टिकोण जानने में मदद मिलेगी और उनके सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिए जा सकते हैं। इस परिप्रेक्ष्य में सहभागिता को संयुक्त राष्ट बाल अधिकार समझौता (यूएनसीआरसी) के द्वारा एक महत्वपूर्ण बाल अधिकार माना गया है। बच्चों के लिए सक्रिय नागरिकता और व्यवस्था की जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए बच्चों के साथ-साथ समुदाय की भी सहभागिता सुनिश्चित की जानी चाहिए। बाल अधिकारों के बारे में बच्चों को समुदायों के संवेदनीकरण और अपनी आवाज तथा मांग संबंधी हकों के संबंध में सशक्तीकरण के लिए सरकार और नागरिक समाज को संयक्त रूप से उनके साथ काम करना चाहिए। अभी राज्य सरकार और केंद्र सरकार, दोनो ने योजना निर्माण की प्रक्रिया में बच्चों की सक्रिय सहभागिता

सुनिश्चित करने के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में बच्चों की सहभागिता वाली योजनाओं के प्रावधान किए हैं। ऐसी कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं :

बाल संसद : शिक्षा में बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए बिहार के सारे प्रारंभिक विद्यालयों में बाल संसद गठित किए गए हैं। विद्यालय प्रबंधन में सहयोग के लिए हर विद्यालय में 12 सदस्यीय समिति गठित की जाती है जो विद्याथियों को अपने विचार व्यक्त करने और जीवन कौशल विकसित करने के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। इसी प्रकार, राज्य के सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मीना मंच गठित किए गए हैं।

समेकित बाल संरक्षण योजना (आइसीपीएस) : यह बच्चों के संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए लक्षित महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसके तहत विभिन्न स्तरों पर गठित बाल संरक्षण समितियों में बच्चों के प्रतिनिधित्व का प्रावधान है। समिति में मौजूद बाल प्रतिनिधियों से आशा की जाती है कि वे बच्चों संरक्षण से संबंधित विशेष जरूरतों और चिंताओं को सामने लाएं। हाल में बिहार ने सभी जिलों में बाल संरक्षण समितियों के गठन के लिए पहल की है।

बाल संवाद अदालत : यह बिहार में शुरू की गई एक अद्वितीय प्रक्रिया है। संवाद के जरिए बच्चों के साथ परामर्थ पर आधारित यह पहल किशोर मुजरिमों के छोटे-मोटे अपराधों के निपटारे के लिए अत्यंत प्रभावी साबित हुई है। प्रक्रिया में राज्य के कुछ जिलों में गठित किशोर न्याय पर्षदों के जरिए सहयोग किया जाता है। इसी प्रकार, बच्चों में नेतृत्व के गुणों के विकास के लिए राज्य के विद्यालयों में मीना मंच जैसे मंच उपलब्ध कराए जा रहे हैं।

राष्टोय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम : इस कार्यक्रम का लक्ष्य सामूहिक गतिविधियों में किशोरियों को भागीदारी के अवसर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत किशोरियों के समूहों के बतौर 'सखी' और 'सहेली' की अवधारणा विकसित की गई है। यह योजना केंद्र प्रायोजित योजना किशोरी योजना की हिस्सा है।

परिशिष्ट

तालिका प 12.1 : बिहार में बच्चों की जिलावार संख्या (2011)

(संख्या हजार में)

जिला	0-6			0-14			0-18		
	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां	कुल	लड़के	लड़कियां
पटना	943.6	494.2	449.3	1104.0	993.3	2097.2	2583.1	1372.4	1210.7
नालंदा	518.7	268.7	250.0	589.7	541.8	1131.5	1350.6	709.9	640.7
भोजपुर	459.2	239.4	219.8	541.3	490.9	1032.2	1262.4	668.5	593.9
बक्सर	295.1	152.6	142.5	343.0	313.3	656.3	800.2	422.0	378.2
रोहतास	506.8	262.5	244.3	592.9	547.9	1140.9	1376.4	722.1	654.3
कैमूर	299.3	154.1	145.2	340.4	314.7	655.1	784.9	412.3	372.6
गया	783.1	399.4	383.6	883.0	833.5	1716.5	2058.2	1063.2	995.0
जहानाबाद	198.8	103.5	95.3	230.5	211.0	441.4	527.3	276.4	250.9
अरवल	127.8	65.9	61.9	144.3	134.0	278.3	331.9	173.3	158.6
नवादा	393.5	202.3	191.2	458.2	427.4	885.5	1066.3	553.2	513.1
औरंगाबाद	455.4	234.3	221.1	518.1	486.5	1004.6	1207.2	627.0	580.2
सारण	681.1	353.7	327.4	800.1	746.4	1546.5	1896.5	989.4	907.1
सीवान	551.4	284.2	267.2	658.9	625.3	1284.2	1589.8	817.1	772.7
गोपालगंज	449.5	230.0	219.5	523.6	501.3	1024.9	1251.1	638.7	612.4
पश्चिम चंपारण	776.0	397.4	378.6	855.6	796.8	1652.4	1938.4	1020.5	917.9
पूर्व चंपारण	1018.3	526.8	491.5	1130.1	1029.0	2159.1	2522.2	1346.1	1176.0
मुजफ्फरपुर	845.3	441.3	404.0	967.2	879.8	1847.0	2220.8	1183.4	1037.3
सीतामढ़ी	663.2	343.6	319.7	742.6	671.9	1414.5	1663.4	888.3	775.1
शिवहर	128.7	66.7	62.0	142.9	129.1	272.0	319.4	170.8	148.5
वैशाली	601.9	316.1	285.8	695.9	627.7	1323.5	1586.1	850.6	735.5
दरभंगा	725.5	375.7	349.8	826.5	755.9	1582.4	1891.9	1003.8	888.1
मधुबनी	810.5	418.6	391.9	932.4	865.4	1797.8	2132.2	1122.3	1009.9
समस्तीपुर	797.4	414.6	382.8	907.1	831.4	1738.5	2054.1	1092.7	961.3
बेगूसराय	546.0	284.5	261.4	633.2	576.2	1209.4	1434.6	766.7	667.9
मुंगेर	229.9	119.6	110.2	267.6	240.4	507.9	619.3	332.8	286.5
शेखपुरा	121.6	62.7	58.9	136.4	125.9	262.3	310.3	162.8	147.5
लखीसराय	188.2	98.1	90.2	212.9	193.6	406.6	484.7	257.6	227.1
जमुई	324.5	165.9	158.6	360.2	334.9	695.0	828.7	434.2	394.5
खगड़िया	340.9	177.0	163.9	377.1	340.8	718.0	839.8	451.2	388.6
भागलपुर	546.4	281.9	264.4	620.9	570.3	1191.2	1432.2	762.4	669.8
बांका	375.3	193.2	182.1	417.7	385.7	803.4	951.2	505.1	446.0
सहरसा	387.5	200.5	187.0	425.0	383.5	808.5	936.2	501.1	435.1
सुपौल	437.4	225.0	212.4	488.8	455.4	944.2	1092.7	575.6	517.1
मधेपुरा	404.6	209.6	195.0	445.9	407.6	853.5	986.7	525.1	461.6
पूर्णिया	656.5	336.0	320.6	712.4	668.6	1381.0	1625.4	850.9	774.5
किशनगंज	346.9	176.0	170.9	371.5	360.0	731.5	873.6	446.2	427.4
अररिया	577.9	295.3	282.6	627.3	590.5	1217.8	1423.6	746.1	677.5
कटिहार	620.3	316.4	303.9	671.6	636.6	1308.2	1544.0	806.9	737.1
बिहार	**19134.0**	**9887.2**	**9246.7**	**21697.1**	**20024.1**	**41721.2**	**49797.1**	**26248.9**	**23548.2**

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महानिबंधक

तालिका प 12.2 : बिहार में आबादी का जिलावार और उम्रवार लिंग अनुपात (2011)

(महिला प्रति 1000 पुरुष)

जिला	सभी	0-6 वर्ष	0-14 वर्ष	0-18 वर्ष	7-18 वर्ष
पटना	897	909	900	882	867
नालंदा	922	931	919	903	886
भोजपुर	907	918	907	888	872
बक्सर	922	934	914	896	875
रोहतास	918	931	924	906	892
कैमूर	920	942	925	904	881
गया	937	960	944	936	921
जहानाबाद	922	922	915	908	899
अरवल	928	940	929	916	901
नवादा	939	945	933	927	917
औरंगाबाद	926	944	939	925	914
सारण	954	926	933	917	912
सीवान	988	940	949	946	949
गोपालगंज	1021	954	957	959	961
पश्चिम चंपारण	909	953	931	899	865
पूर्व चंपारण	902	933	911	874	836
मुजफ्फरपुर	900	915	910	877	853
सीतामढ़ी	899	930	905	872	836
शिवहर	893	929	903	869	831
वैशाली	895	904	902	865	841
दरभंगा	911	931	915	885	857
मधुबनी	926	936	928	900	878
समस्तीपुर	911	923	917	880	853
बेगूसराय	895	919	910	871	843
मुंगेर	876	922	898	861	827
शेखपुरा	930	940	923	906	884
लखीसराय	902	920	909	882	859
जमुई	922	956	930	908	879
खगड़िया	886	926	904	861	820
भागलपुर	880	938	918	878	844
बांका	907	943	923	883	846
सहरसा	906	933	902	868	825
सुपौल	911	944	932	898	869
मधेपुरा	929	930	914	879	845
पूर्णिया	921	954	939	910	882
किशनगंज	950	971	969	958	949
अररिया	921	957	941	908	876
कटिहार	919	961	948	913	883
बिहार	**918**	**935**	**923**	**897**	**874**

स्रोत : जनगणना 2011, भारत के महानिबंधक

तालिका प 12.3 : बिहार में कुपोषण से पीड़ित 5 वर्ष से छोटे बच्चों का जिलावार प्रतिशत (2015-16)

जिला	ठिगने		दुबले		कम वजन के	
	ग्रामीण	सभी	ग्रामीण	सभी	ग्रामीण	सभी
पटना	51.4	43.5	27.2	28.5	49.2	43.3
नालंदा	55.7	54.1	23.7	24.3	50.0	50.2
भोजपुर	44.3	43.5	24.5	26.0	46.0	47.2
बक्सर	45.4	43.9	20.5	19.6	43.1	41.2
रोहतास	48.1	48.5	19.4	19.9	44.7	45.1
कैमूर	55.0	53.8	21.6	21.4	49.1	48.1
गया	53.5	52.9	26.6	25.6	54.0	53.1
जहानाबाद	54.7	52.1	18.5	19.6	49.3	47.1
अरवल	51.1	50.2	29.2	30.7	53.8	54.0
नवादा	50.4	48.4	21.3	21.4	47.8	45.9
औरंगाबाद	48.8	48.3	25.1	24.8	48.0	47.6
सारण	46.0	46.1	17.7	18.1	40.3	40.4
सीवान	38.2	37.9	15.3	15.0	32.2	31.6
गोपालगंज	36.0	35.6	16.7	16.5	30.2	30.5
पश्चिम चंपारण	45.9	43.6	22.2	21.7	41.7	39.1
पूर्व चंपारण	47.2	47.2	17.9	18.0	40.7	40.8
मुजफ्फरपुर	48.6	47.9	17.5	17.5	42.3	42.3
सीतामढ़ी	58.1	57.3	15.7	15.8	47.9	47.7
शिवहर	53.1	53.0	15.3	14.8	42.9	42.8
वैशाली	53.6	53.7	15.5	15.1	41.9	41.3
दरभंगा	49.2	49.0	16.8	16.6	40.9	41.1
मधुबनी	51.9	51.8	19.2	19.1	45.6	45.4
समस्तीपुर	49.2	49.2	18.1	18.4	40.4	41.3
बेगूसराय	44.6	44.9	20.4	18.4	40.7	39.1
मुंगेर	48.4	46.6	21.4	21.5	44.8	43.7
शेखपुरा	47.5	46.4	28.9	28.9	52.0	51.7
लखीसराय	51.2	50.6	21.2	20.1	47.6	47.3
जमुई	46.7	45.9	29.1	29.4	48.1	47.2
खगड़िया	50.5	49.8	17.0	17.0	42.9	42.4
भागलपुर	48.6	46.6	24.8	23.1	44.5	40.8
बांका	50.3	49.6	26.0	26.0	49.1	48.5
सहरसा	44.8	43.9	23.7	24.0	45.2	44.4
सुपौल	47.7	48.1	21.4	20.9	43.2	43.4
मधेपुरा	52.7	51.8	24.4	24.2	50.0	49.2
पूर्णिया	53.9	52.1	20.6	20.8	48.3	47.0
किशनगंज	46.7	46.9	22.9	22.8	45.3	45.4
अररिया	49.0	48.4	23.0	22.8	46.7	45.4
कटिहार	50.4	49.2	21.7	20.7	46.2	45.1
बिहार	**49.3**	**48.3**	**20.8**	**20.8**	**44.6**	**43.9**

स्रोत : राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण-4, भारत सरकार

अध्याय - 13

पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन

धरती हर व्यक्ति की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त चीजें उपलब्ध कराती है लेकिन उनकी लालच पूरी करने के लिए नहीं।

- महात्मा गांधी

सारांश

सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में बिहार को अपना विकास पर्यावरण की सुस्थिरता के लक्ष्य के अनुरूप व्यवस्थित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वर्ष 2013-14 से 2018-19 तक सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वानिकी एवं काष्ठ निर्माण क्षेत्रों का 1.6 प्रतिशत योगदान रहा है। वर्ष 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र 6877 वर्ग किमी था जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.3 प्रतिशत है। बिहार के वनों के कुल कार्बन स्टॉक में मिट्टी के जैव कार्बन का 61.4 प्रतिशत हिस्सा है और उसके बाद 27.2 प्रतिशत हिस्सा जमीन से ऊपर के कार्बन का। वर्ष 2019 में राज्य में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून से राज्य के औसत वर्षापात (968.3 मिमी) की अपेक्षा अधिक वर्षा हुई। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग राज्य में पर्यावरण की स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन और बन्यजीवन तथा जैव-विविधता की रक्षा के लिए नोडल अभिकरण के बतौर काम करता है। बिहार राज्य कृषि वानिकी नीति, 2018 का प्रयास परितंत्रों के संरक्षण और स्थिरीकरण, अनुकूल फसल प्रणाली को बढ़ावा देने, और कृषिवानिकी के प्रसार के जरिए ग्रामीण परिवारां का रोजगार बढ़ाने पर है। जल-जीवन-हरियाली राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण से संबंधित समस्याओं से निपटना है। इस अभियान के तहत 2019-20 से 2021-22 तक विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का कुल व्यय 24,524 करोड़ रु. अनुमानित है। बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (बिहार-SAPCC) का लक्ष्य कृषि, जल संसाधन, वन एवं जैव विविधता तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित नीतियों पर फोकस करना है।

परिचय

वर्ष 2015 में दीर्घस्थायी विकास लक्ष्य (एसडीजी) अपनाने के बाद से संयुक्त राष्टइस बात परजोरदे रहा है कि दीर्घकालिक टिकाऊ विकास हासिल करने के लिए आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण के संसाधनों के प्रबंधन को साथ-साथ चलना चाहिए। दुनिया भर में बढ़ती आबादी, शहरीकरण और आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण संबंधी संसाधनों पर दबाव बना हुआ है और बिहार इस परिदृश्य का अपवाद नहीं है। हाल के वर्षों में सकल

घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर दो अंकों में होने के कारण बिहार देश की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। लेकिन इसके चलते बिहार को अपने विकास को पर्यावरण की सुस्थिरता के लक्ष्यों के अनुरूप संरेखित करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बिहार में 85 प्रतिशत से भी अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और अपनी जीविका के लिए कृषि, मछली पालन, तथा वानिकी जैसे जलवायु के लिहाज से संवेदनशील क्षेत्रों पर निर्भर है। चूंकि कई तरह के उपयोगों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की मांग बढ़ती जा रही है इसलिए पानी, मिट्टी, हवा आदि प्राकृतिक संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता चिंता के गंभीर विषय हैं।

प्राकृतिक संसाधनों का कुशल, उचित और टिकाऊ उपयोग सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण का उचित प्रबंधन राज्य सरकार के लिए प्राथमिकता रहा है। इस संबंध में आर्थिक प्रगति, सामाजिक समता, और पर्यावरण की सुस्थिरता को शामिल करते हुए सर्वव्यापी और समेकित विकास पथ हासिल करने के लिए राज्य सरकार दीर्घस्थायी विकास लक्ष्यों द्वारा सामने लाए गए मद्दों पर काम करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राज्य सरकार का पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग पर्यावरण की स्थिरता, पारिस्थितिक संतुलन, और वन्यजीवन तथा जैव-विविधता के संरक्षण से संबंधित गतिविधियों और नीतियों को देखने के लिए नोडल अभिकरण के बतौर काम करता है।

13.1 बिहार में जलवायु परिवर्तन

बिहार देश के पूर्वी भाग में मौजूद समुद्रतट रहित राज्य है। इसके पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड अवस्थित हैं। समुद्रतट से औसतन 52.7 मीटर पर ऊंचाई पर अवस्थित राज्य $24^0 20'$ से $27^0 31'$ उत्तरी अक्षांशों और $83^0 197'$ से $88^0 17'$ पूर्वी देशांतरों के बीच अवस्थित है। बिहार हिमालय की उपत्यकाओं, सिंधु-गंगा के मैदानों, विंध्य पर्वतमाला और लघु गोंडवाना बेसिन से घिरा है। पूर्व से पश्चिम तक इसका विस्तार 483 किमी मं और उत्तर से दक्षिण तक 345 किमी में है। गंगा नदी राज्य में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है और राज्य को दो असमान अर्धांशों में विभाजित करती है। बिहार के कृषि-जलवायु क्षेत्रों की भूआकृतिक विशेषताओं की झलक तालिका 13.1 में प्रस्तुत है। राज्य के तीन विशिष्ट कृषि जलवायु क्षेत्र हैं - (1) 13 जिलों वाला उत्तर-पश्चिमी जोन जिसमें 1040 से 1450 मिमी तक वर्षापात होता ह और मिट्टी बलुई-दोमट है, (2) 8 जिलों वाला उत्तर-पूर्वी जोन जिसमें 1200 मिमी से 1700 मिमी तक वषा होती ह और मिट्टी दोमट या चिकनी-दोमट है, और (3) 17 जिलों वाला दक्षिणी जोन जिसमें 990 से 1300 मिमी तक वषा होती है और मिट्टी दोमट, बलुई-दोमट, चिकनी या चिकनी दोमट है। उत्तर-पूर्वी जोन में सर्वाधिक वर्षा होती है आर वार्षिक वर्षापात का 80 पतिशत से भी अधिक हिस्सा खरीफ मौसम में बरसता है। बिहार की जलवायु को आर्द्र और उपोष्ण के बतौर माना जा सकता है जिसमें तीन स्पष्ट मौसम हैं - गर्मी, बरसात और जाड़ा। राज्य में गर्मी और जाड़ा के महीनोंके बीच तापमान में भारी अंतर रहता है। वार्षिक औसत तापमान जाड़ा के दिसंबर-फरवरी महीनों के 8^0 सेल्सियस से गर्मी के अप्रील-जून महीनों के 38^0 सेल्सियस तक रहता है।

तालिका 13.1 : बिहार में कृषि-जलवायु जोनों की विशेषताएं

कृषि-जलवायु जोन	मिट्टी	pH	कार्बनिक पदार्थ (%)	उपलब्ध नाइट्रोजन (किग्रा/ हे.)	उपलब्ध फॉस्फोरस (किग्रा/ हे.)	उपलब्ध पोटाश (किग्रा/ हे.)	औसत वर्षापात (मिमी)	तापमान(^{0}C)	
								अधिकतम	न्यूनतम
उत्तर-पश्चिमी	बलुआही-दोमट, दोमट	6.5-8.4	0.2-1.0	150-350	5-50	100-300	1040-1450 (1245)	36.6	7.7
उत्तर-पूर्वी	बलुआही-दोमट, चिकनी-दोमट	6.5-7.8	0.2-1.0	150-300	10-35	150-250	1200-1700 (1450)	33.8	8.8
दक्षिण-पूर्वी और पश्चिमी	बलुआही-दोमट, चिकनी-दोमट, दोमट, चिकनी	6.8-8.0	0.5-1.0	200-400	10-100	150-350	990-1240 (1115)	37.1	7.8

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

13.2 जल संसाधन

बिहार राज्य को प्रचुर भूतल जल और भूजल संसाधनों का अवदान प्राप्त है जो कृषि, उद्योग, घरेलू और पर्यावरण जैसे क्षेत्रों की बढ़ती मांगें पूरी करने के लिए पर्याप्त है। हालांकि नियमित रूप से वर्षा के जरिए आने के कारण पानी को नवीकरणीय संसाधन माना जाता है लेकिन बढ़ती आबादी और अंधाधुंध विकास के कारण प्राकृतिक जल परितंत्र पर दबाव बढ़ता जा रहा है। बिहार अत्यधिक बाढ़प्रवण भी है जहां की 70 प्रतिशत से भी अधिक आबादी बाढ़ के लगातार खतरे के बीच रहती है।

वर्षापात

जलवायु परिवर्तन प्राकृतिक संसाधनों को प्रभावित कर रहा है और पूरी दुनिया में वर्षापात के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। बिहार जैसे मुख्यत: कृषिप्रधान राज्य में अपर्याप्त वर्षा से सूखा और अधिक वर्षा से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसका कृषि उत्पादन पर असर पड़ता है। हाल के वर्षों में मॉनसून के पैटर्न का अनुमान लगाना मुश्किल हो गया है इससे बुआई चक्र, फसल संबंधी फैसले और फसलों की उपज प्रभावित हो रही ह। वर्षापात में अंतर आने से खेती के अलावा नदियों के पानी की गुणवत्ता और प्रवाह पर भी प्रभाव होता है जिससे मछुआरा समुदाय की जीविका प्रभावित होती है। इसीलिए अत्यधिक अंतर के साथ अपर्याप्त और बेसमय की बरसात से जल स्तर, कृषि उत्पादन, जीविका, और असुरक्षित आबादी की उत्तरजीविता भी प्रभावित होती है। राज्य में 2001 से 2018 तक और 2019 के पहले 9 महीनों में चार अलग-अलग मौसमों में वार्षिक औसत वर्षापात के अस्थायी पैटर्न तालिका 13.2 में प्रस्तुत हैं।

वर्ष 2018-19 में बिहार में औसतन 780 मिमी वार्षिक वर्षापात दर्ज हुआ जो 2001-18 के दीर्घकालिक औसत (987.2 मिमी) से कम है। वर्ष 2018-19 में बिहार में 88.4 प्रतिशत वर्षा जून से सितंबर तक के चार महीनों के अंदर दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के कारण हुई थी जबकि गृष्मकालीन वषा और उत्तर-पश्चिमी मॉनसून के कारण मात्र 11.6 प्रतिशत वर्षा हुई थी। राज्य में 2019-20 में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून से अप्रत्याशित रूप से 968 मिमी वर्षा हुई जो 839.4 मिमी क दीर्घकालिक औसत से अधिक है। कुल मिलाकर बिहार में हुआ वार्षिक

वर्षापात 2010 के 677 मिमी से 2007 के 1506 मिमी के बीच रहा है जो वर्षापात के पैटर्न में भारी अंतर दर्शाता है।

तालिका 13.2 : विभिन्न मौसमों में वार्षिक वर्षापात (2001 से 2019)

(वर्षापात मिमी में)

वर्ष	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण–पश्चिम मानसून	उत्तर–पश्चिम मानसून	वार्षिक वर्षापात
2001	20.9 (145.2)	86.7 (114.4)	908.2 (108.2)	192.2 (333.8)	1208 (122.4)
2002	48.9 (339.7)	66.8 (88.2)	896.9 (106.9)	33.2 (57.7)	1045.8 (105.9)
2003	19.2 (133.4)	93 (122.7)	767.6 (91.4)	128.9 (223.8)	1008.7 (102.2)
2004	23.7 (164.6)	41.4 (54.6)	906.1 (107.9)	60.1 (104.4)	1031.3 (104.5)
2005	0.1 (0.7)	89.5 (118.1)	777.6 (92.6)	30.2 (52.4)	897.4 (90.9)
2006	0.1 (0.7)	90 (118.8)	925.9 (110.3)	27.8 (48.3)	1043.7 (105.7)
2007	28.3 (196.6)	76.4 (100.8)	1360 (162)	40.5 (70.3)	1506.1 (152.6)
2008	30.6 (212.6)	61.8 (81.6)	1084 (129.1)	19.3 (33.5)	1196 (121.1)
2009	0.1 (0.7)	98.2 (129.6)	699.2 (83.3)	71.1 (123.5)	868.6 (88)
2010	0.7 (4.9)	49.3 (65.1)	584.4 (69.6)	43.4 (75.4)	677.9 (68.7)
2011	5.2 (36.1)	79.4 (104.8)	1028 (122.5)	0.5 (0.9)	1113.1 (112.8)
2012	11.2 (77.8)	31.3 (41.3)	704.2 (83.9)	51.2 (88.9)	797.9 (80.8)
2013	17.1 (118.8)	73.8 (97.4)	518.4 (61.8)	164.3 (285.3)	773.6 (78.4)
2014	33.3 (231.3)	96.1 (126.8)	788.3 (93.9)	41.9 (72.8)	959.6 (97.2)
2015	11.7 (81.3)	89.3 (117.8)	690.7 (82.3)	4.3 (7.5)	796 (80.6)
2016	7.5 (52.1)	72.6 (95.8)	936.9 (111.6)	54.5 (94.6)	1071.6 (108.5)
2017	0.4 (2.8)	103.1 (136.1)	843.2 (100.5)	47.6 (82.7)	994.4 (100.7)
2018	0.1 (0.7)	65.3 (86.2)	689.6 (82.2)	25.5 (44.3)	780.4 (79.0)
2019 (सितंबर तक)	28.2	56.9	968.3	41.0	1094.4
औसत (2001-2018)	14.4	75.8	839.4	57.6	987.2

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े दीर्घकालिक वर्षापात के प्रतिशत बतौर वास्तविक वर्षापात को व्यक्त करते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

अस्थायी अंतरों के अलावा, वर्षापात के वितरण में अलग–अलग जलवायु जोनों में अवस्थित होने के कारण राज्य के जिलों के बीच भी भिन्नता है। कृषि–जलवायु जोन 1 (उत्तर–पश्चिमी) आर 2 (उत्तर–पूर्वी) राज्य के आर्द्र जोन हैं जहां राज्य के दक्षिणी भाग के शुष्क जोन से अधिक वर्षा होती है। मौसम–वार वार्षिक वर्षापात में स्थानिक अंतर तालिका प 13.1 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। वर्ष 2018–19 के लिए वार्षिक वर्षापात का जिलावार वितरण चार्ट 13.1 में दर्शाया गया है। वर्ष 2018–19 में किशनगंज में सर्वाधिक 1522 मिमी वार्षिक वर्षापात हुआ और सबसे कम 403 मिमी जहानाबाद जिले में। राज्य के 38 में से 15 जिलों में राज्य के वार्षिक वर्षापात (780 मिमी) से अधिक वर्षा हुई।

चार्ट 13.1 : बिहार में वर्षापात का जिलावार वितरण (2018 से 2019)

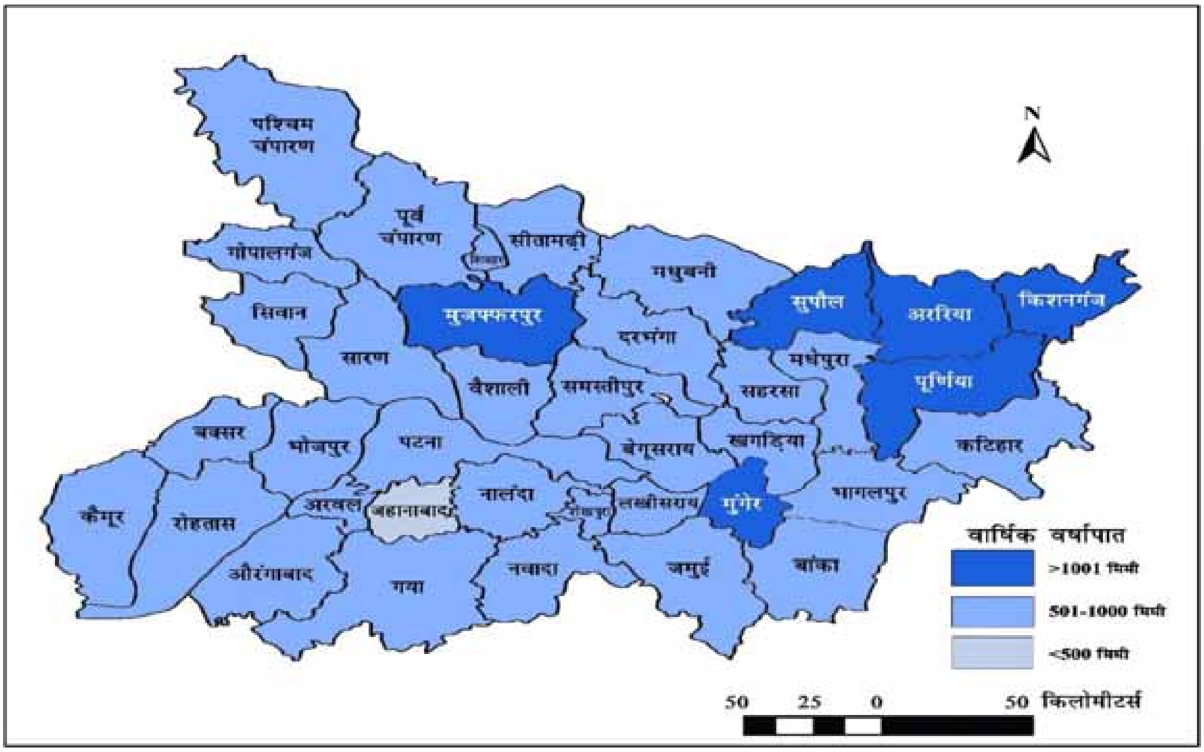

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के बारे में भी वितरण का कोई एक जैसा पैटर्न नहीं है क्योंकि 2019 में यह किशनगंज में 1581 मिमी था तो अरवल में 545.4 मिमी। वर्ष 2019 में वर्षा के लिहाज से प्रमुख जिले उत्तर के मैदानी भागों के रहे हैं - किशनगंज (1581 मिमी), सीवान (1403), और अररिया (1310)। इसके बिल्कुल विपरीत, बिहार के दक्षिणी भाग में अवस्थित शेखपुरा में 580 मिमी और अरवल में 545.4 मिमी बारिश हुई जो दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून से हुई बारिश में सबसे कम है। उत्तरी जिलों की तुलना में दक्षिणी जिलों में कम बर्षा होना भूजल स्तर के लिहाज से चिंता की बात है। राज्य में वर्षापात में इतना अधिक अंतर होने के कारण बाढ़प्रवण और सूखाप्रवण, दोनो ही क्षेत्रों में फसलों की उपज घटती है और फसल नहीं होने का जोखिम बढ़ जाता है। वर्षापात में अंतर, बार-बार बाढ़ और सूखा से उत्पन्न चुनौतियों से लड़न के राज्य सरकार के प्रयास बेहतर जलछाजन प्रबंधन, तथा जलाशयों और तटबंधों के निर्माण के लिए किए गए निवेशां से स्पष्ट हैं।

भूतल जल संसाधन

वर्षा के पानी के अतिरिक्त राज्य की नदी प्रणालियां भी भूतल जल का आधार निर्मित करती हैं। बिहार को गंगा, उसकी सहायक नदियों, और अन्य नदियों वाली अनुकूल नदी प्रणाली का अवदान प्राप्त है जिसमें से कुछ नदियां बारहमासी हैं और कुछ मौसमी। बिहार के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग के कुछ हिस्सां के जलोढ़ भूक्षेत्र में सालो भर पर्याप्त पानी उपलब्ध रहता है। बेहतरीन जलोढ़ मिट्टी के कारण बिहार के नदी बेसिन उर्वर होने के लिए मशहूर हैं और ये विभिन्न प्रकार की मछलियों के लिए रहने की जगह भी उपलब्ध कराते हैं। बिहार में गंगा की लंबाई 445 किमी है और इसका जलग्रहण क्षेत्र 5473 वर्ग किमी है। बिहार की अन्य नदियों में घाघरा नदी प्रणाली भी सबसे बड़ी नदी प्रणालियों में से एक है जिसका जलग्रहण क्षेत्र 1.27 लाख वर्ग किमी और कुल

लंबाई 1116 किमी है (तालिका 13.3)। जलग्रहण क्षेत्र के लिहाज से तीन अन्य प्रमुख नदियां कोशी (74,030 वर्ग किमी), सोन (70,228 वर्ग किमी) और गंडक (40,553 वर्ग किमी) हैं। पुनपुन, कोशी, बागमती, और महानंदा नदियों के बेसिन राज्य में काफी बाढ़ लाते हैं जिनके कारण जन-धन का काफी नुकसान होता है। 15 नदी बेसिन का क्षेत्र होने के बावजूद भूतल संसाधनों का जल-स्तर घटते जाने के कारण नदियों के पानी की गुणवत्ता को लेकर राज्य की चिंता बढ़ रही है।

तालिका 13.3 : बिहार में नदियों की स्थिति

नदियों की सूची	उद्गम	कुल लंबाई	जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी)	मौसमीपन
घाघरा	तिब्बत	1116	127950	बारहमासी
कोशी	तिब्बत	260 (बिहार में)	74030	बारहमासी
सोन	अमरकंटक (म.प्र.)	784	70228	बारहमासी
गंडक	तिब्बत	260 (बिहार में)	40553	बारहमासी
बागमती	नेपाल	589	14384	बारहमासी
महानंदा	दार्जिलिंग (प. बंगाल)	376	13308	बारहमासी
बूढ़ी गंडक	चनपटिया (बिहार)	320	12021	बारहमासी
कमला	नेपाल	328	7232	बारहमासी
गंगा स्टेम	गंगोत्री (उत्तराखंड)	2525 (बिहार में 445)	5473 (बिहार में)	बारहमासी
हरोहर	झारखंड	53	14173	मौसमी
पुनपुन	पलामू (झारखंड)	235	9026	मौसमी
कर्मनाशा	कमूर	192	7792	मौसमी
चांदन	देवघर की पहाड़ियां	118	4093	मौसमी
किउल	खजुरी (झारखंड)	181	3050	मौसमी
बडुआ	चकाई पठार	130	2215	मौसमी

स्रोत : लाल, 2005, बिहार में नदियों को आपस में जोड़ने के प्रभाव पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2.5 और बिहार राज्य सिंचाई आयोग की रिपोर्ट, खंड-5, भाग-1.

सूखाप्रवण और वर्षा आश्रित क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा जल के वितरण में अधिक समता लाने के लिए भारत में नदियों को जोड़ने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। बिहार में नदी बेसिन के वितरण का ब्योरा तालिका 13.4 में प्रस्तुत है। अनुमान के अनुसार बेसिन के आधार पर पानी की औसत क्षमता गंडक बाया नदी बेसिन में सर्वाधिक 4736 करोड़ घनमीटर है, और उसके बाद 4161.5 करोड़ घनमीटर कोशी नदी बेसिन में। दूसरी ओर, सबसे कम 71 करोड़ घनमीटर क्षमता किउल नदी बेसिन में देखी गई। घाघरा-माही बेसिन का कुल क्षेत्रफल 1,30,458 वर्ग किमी है जिसमें कुल जलग्रहण क्षेत्र 5503 वर्ग किमी है। हालांकि राज्य के बाहर के क्षेत्रफल पर जल की क्षमता के लिहाज से विचार नहीं किया गया है क्योंकि मानकर चला गया है कि ऊपर के राज्य पानी को पूरी तरह से मोड़ सकते हैं।

तालिका 13.4 : बिहार में नदियों के बेसिन का ब्योरा

नदी बेसिन	जलग्रहण क्षेत्र (वर्ग किमी)	क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	जल क्षमता (करोड़ घनमी.)
घाघरा-माही	5503(बिहार में)	130458	163.9
गंडक-बाया	43574	43574	4735.0
बूढ़ी गंडक	12021	12021	404.0
बागमती-अधवारा	14384	14384	726.5
कमला-बलान	7232	7232	324.9
कोशी	74030	74030	4161.5
महानंदा	13308	13308	589.5
कर्मनाशा	7792	7792	124.5
सोन	70228	70228	770.9
काओ-गांगी	4129	4129	88.4
पुनपुन	9026	9026	225.3
किउल	3050	3050	71.0
हरोहर	14173	14173	330.0
बडुआ	2215	2215	73.7
चांदन	4093	4093	149.1
गंगा स्टेम	5473(बिहार में)	5473	279.3

स्रोत : लाल, 2005, बिहार में नदियों को आपस में जोड़ने के प्रभाव पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का अनुलग्नक 2.5.

नदियों के पानी की गुणवत्ता

हाल के वर्षों में नदियों के पानी की गुणवत्ता पर्यावरण संबंधी बड़ी चिंता बन गई है। जनसंख्या वृद्धि और सिंचाई, उद्योग, घरेलू उपयोग तथा अन्य प्रयोजनों के लिए पानी की बढ़ती मांग के कारण भूजल स्रोतों के स्तर में गिरावट आई है। दूसरे, नदियों के जल प्रवाह में भी कमी आई है। इन दो कारकों के चलते नदियों के पानी की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। राष्टोय नदी जल अनुश्रवण कार्यक्रम के तहत केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नदियों के पानी की गुणवत्ता का अनुश्रवण कर रहा है। नदियों के प्रदूषित खंडों का घुले ऑक्सीजन, पीएच स्तर, चालकता, ऑक्सीजन की जैव-रासायनिक मांग (बीओडी), और मलजनित (फीकल) तथा कुल कॉलीफॉर्म जैसे अनेक मापदंडों के आधार पर लगातार अवधियों पर अनुश्रवण किया जाता है। विभिन्न राज्यों में नदी जल की गुणवत्ता मापने के मापदंडों की सीमा तालिका 13.5 में प्रस्तुत है। बिहार में ऑक्सीजन की जैव-रासायनिक मांग (बीओडी) के लिहाज से की गई कार्बनिक प्रदूषण की माप 3 मिग्रा प्रति लीटर से कम थी। जलीय जीवन की रक्षा के लिए पानी में घुले ऑक्सीजन का पर्याप्त स्तर बना रहना जरूरी है। घुले ऑक्सीजन का स्तर 2.1 मिगा से 10.2 मिग्रा प्रति लीटर था।

तालिका 13.5 : नदियों के जल की राज्यवार गुणवत्ता (2017)

राज्य	घुलित ऑक्सीजन (मिग्रा/ ली.)		पीएच		चालकता(µmho/ cm)		ऑक्सीजन की जैव-रासायनिक मांग (मिग्रा/ ली.)		मलजनित कॉलीफार्म (MPN/ 100 ml)		कुल कॉलीफार्म (MPN/ 100 ml)	
	न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.	न्यून.	अधिक.
आंध्र प्रदेश	1.8	8.6	6.2	8.5	210	34100	0.5	62.4	2	200	65	2400
बिहार	**2.1**	**10.2**	**6.4**	**8.84**	**62**	**975**	**0.5**	**21**	**1100**	**$16X10^6$**	**2100**	**$16X10^6$**
छत्तीसगढ़	5.2	8.6	7.09	8.5	27	588	0.2	3.8	NIL	64	22	900
गुजरात	0.2	9.2	5.9	9.52	50	67670	BDL	206	BDL	550	BDL	1600
हरियाणा	2.3	12.4	6.7	8.95	196	3720	BDL	290	33	34000	49	$16X10^5$
हिमाचल प्रदेश	2.1	11.4	6.45	8.68	27	3680	0.1	160	BDL	350	2	920
झारखंड	2.5	9	6.4	8.5	120	402	0.2	10	140	260	730	1500
मध्य प्रदेश	0.8	16.8	6.5	8.9	12	15244	0.3	430	BDL	900	BDL	1600
महाराष्ट	0.5	8.8	6.1	8.92	23	69610	2	250	BDL	1600	4	1800
ओडिशा	0.3	14.3	6.3	8.5	77	52860	0.1	130	2	$54X10^4$	2	$16X10^5$
पंजाब	0.6	8.8	6.9	8.42	136	2346	BDL	1299	43	$34X10^4$	46	$47X10^4$
राजस्थान	2.5	6.6	6.94	8.75	110	2100	0.8	11.5	2	150	2	460
तमिलनाडु	0.3	9.8	6.38	9.24	38	78500	0.4	325	2	$22X10^5$	12	$35X10^5$
तेलंगाना	0.2	8.4	6.25	8.87	78	2130	BDL	60	NIL	210	20	2000
उत्तर प्रदेश	0.2	12	6.3	8.96	14	3770	1.2	120	8	$92X10^5$	17	$16X10^6$
उत्तराखंड	0.2	10.6	6.7	8.26	63	1600	BDL	64	2	94000	NIL	920000
पश्चिम बंगाल	0.3	12.5	6.3	9.29	32	24650	0.6	23	700	$24X10^5$	280	$30X10^5$

टिप्पणी : BDL- पहचान की सीमा से नीचे

स्रोत : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (2017)

बिहार में भूजल स्रोत

जलभृतों में संग्रहित पानी और जमीन के अंदर की छिद्रित परतों की संरचना भूजल संसाधन का आधार तैयार करते हैं। भूजल बिहार के सूखाप्रवण क्षेत्रों में खास तौर पर एक प्रमुख जल भंडार का काम करता है और खेती के काम के लिए पानी उपलब्ध कराता है। तेज आर्थिक और शहरी विकास के कारण हाल के वर्षों में भूजल संसाधनों पर निर्भरता बढ़ती गई है। ऐसी वृद्धि के कारण भूजल क स्तर, डिस्चार्ज और पानी की गुणवत्ता में गिरावट आती है। पानी का आसन्न संकट खास तौर पर गंभीर होता है - खास कर गरीबों के लिए खाद्य आपूर्ति और स्वस्थ जीवन के मामले में। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्य भूजल बोर्ड राज्य में भूजल संसाधनों का अनुमान उपलब्ध कराते हैं। डायनामिक ग्राउंडवाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया (2017) के अनुसार बिहार में सारी चीजों के उपयोग के लिए भूजल के दोहन की वार्षिक मात्रा लगभग 29 अरब घनमीटर अनुमानित है जबकि धरती के अंदर साल में कुल 31.4 अरब घनमीटर पानी पहुंचता है। बिहार में जमीन के अंदर से पानी निकालने की दर 45.8 प्रतिशत ह जो संपूर्ण भारत के 63.3 प्रतिशत से कम है (तालिका 13.6)।

तालिका 13.6 : वार्षिक भूजल संभरण में संभरण के घटकों का राज्यवार योगदान (2017)

(अरब घनमीटर में)

राज्य	वार्षिक भूजल संभरण	कुल प्राकृतिक डिस्चार्ज	वार्षिक ग्रहणीय भूजल संसाधन	भूजल निकालने की स्थिति (%)
आंध्र प्रदेश	21.22	1.07	20.15	44.15
बिहार	**31.41**	**2.43**	**28.99**	**45.76**
छत्तीसगढ़	11.57	1.00	10.57	44.43
गुजरात	22.37	1.12	21.25	63.89
हरियाणा	10.15	1.01	9.13	136.91
हिमाचल प्रदेश	0.51	0.05	0.46	86.37
झारखंड	6.21	0.52	5.69	27.73
कर्नाटक	16.84	2.05	14.79	69.87
केरल	5.77	0.56	5.21	51.27
मध्य प्रदेश	36.42	1.95	34.47	54.76
महाराष्ट	31.64	1.74	29.90	54.62
ओडिशा	16.74	1.17	15.57	42.18
पंजाब	23.93	2.35	21.58	165.77
राजस्थान	13.21	1.22	11.99	139.88
तमिलनाडु	20.22	2.02	18.20	80.94
तेलंगाना	13.62	1.25	12.37	65.45
उत्तर प्रदेश	69.92	4.60	65.32	70.18
उत्तराखंड	3.04	0.15	2.89	56.83
पश्चिम बंगाल	29.33	2.77	26.56	44.60
संपूर्ण भारत	431.86	39.16	392.70	63.33

टिप्पणी: भूजल संसाधनों के मूल्यांकन में पश्चिम बंगाल में 2013 के मूल्यांकन पर विचार किया गया है।

स्रोत : केंद्रीय भूजल बोर्ड (2019)

बिहार में 2017में भूजल संभरण के जिलावार आंकड़े तालिका प 13.2 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत हैं। वर्ष 2017 में भूजल संभरण का मूल्यांकन दर्शाता ह कि बरसात के मौसम में 19.83 अरब घनमीटर भूजल संभरण हुआ था जबकि अन्य मौसमों में भूजल संभरण मात्र 3.14 अरब घनमीटर था। भूजल संभरण के मामले में अग्रणी जिले पश्चिम चंपारण (0.99 अरब घनमी.), पूर्व चंपारण (0.92 अरब घनमी.) और रोहतास (0.88 अरब घनमी.) हैं। वहीं बरसात के मौसम में शेखपुरा में 0.14 अरब घनमी., अरवल में 0.13 अरब घनमी. और शिवहर में 0.12 अरब घनमी. ही जल संभरण हुआ। कुल मिलाकर वर्ष भर में निकाले जाने लायक सबसे अधिक 1.61 अरब घनमी. भूजल संसाधन पश्चिम चंपारण में था। पूरे राज्य में भूजल के वर्षिक निष्कर्षण में सबसे अधिक सिंचाई के लिए 10.78 अरब घनमी. भूजल निकाला गया और उसके बाद घरेलू काम के लिए 1.83 घनमी.। सिंचाई क मकसद से जमीन से पानी निकालने के मामले में अग्रणी जिले मुजफ्फरपुर (0.62 अरब घनमी.), गया (0.59 अरब घनमी.) और कटिहार (0.56 अरब घनमी.) थे जिनका 2017 में जमीन से निकाले गए कुल पानी में 16.4 प्रतिशत हिस्सा था। प्रतिशत में व्यक्त भूजल का दोहन भूजल को वार्षिक निकासी और भूजल की शुद्ध वार्षिक उपलब्धता का अनुपात होता ह (तालिका 13.6)। भूजल संसाधन काअति-दोहन सबसे अधिक 95.7 प्रतिशत जहानाबाद जिले में और सबसे कम 19.6 प्रतिशत अररिया जिले में रहा है। यह बात चेतावनी की सूचक है कि राज्य के 19 जिलों में भूजल की निकासी राज्य के औसत (45.8 प्रतिशत) से अधिक है। भूजल ससांधन पर सिंचाई की निर्भरता जल स्तर नीचे जाने का मुख्य कारण है।

भूजल संसाधन की गुणवत्ता

राष्टोय जल नीति 2012 की शुरुआत के बाद से भूजल संसाधनों की मात्रा और गुणवत्ता बनाए रखने पर जोर बढ़ता जा रहा है। भूजल प्रदूषण से प्रभावित जिलों का राज्यवार विवरण तालिका 13.7 में प्रस्तुत है। भूजल प्रदूषण का अर्थ फ्लोराइड, नाइटट, आर्सेनिक, आयरन, शीशा, कैडमियम और क्रोमियम जैसे प्रदूषकों की पानी में विहित सीमा से अधिक उपस्थिति है। बिहार में आम तौर पर देखे गए प्रदूषकों में फ्लोराइड, नाइटट, आर्सेनिक और आयरन है जो पीने के लिहाज से नुकसानदेह हैं। राज्य सरकार भूजल अधिनियम, 2006 को लागू करने के जरिए प्रदूषण और भूजल की अति निकासी में कमी लाने का प्रयास कर रही है। इस अधिनियम का लक्ष्य राज्य में भूजल की निकासी को विनियमित और नियंत्रित करना है। इसके लिए राज्य में जागरूकता कार्यक्रम और जल प्रबंधन प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं।

तालिका 13.7 : भूजल प्रदूषण वाले जिलों का राज्यवार विवरण

राज्य	लवणता (EC 3000 माइक्रो mhos/ सेमी से अधिक)	फ्लोराइड (above 1.5 mg/lसे अधिक)	नाइटट (45 mg/lसे अधिक)	आर्सेनिक (0.01 mg/l से अधिक)	आयरन (1mg/l से अधिक)	शीशा (0.01 mg/l से अधिक)	कैडमियम (0.003 mg/l से अधिक)	क्रोमियम (0.05 mg/l से अधिक)
आंध्र प्रदेश	11	11	13	3	7	अनु.	अनु.	अनु.
बिहार	अनु.	**13**	**10**	**23**	**19**	अनु.	अनु.	अनु.
छत्तीसगढ़	अनु.	13	12	1	4	1	1	1
गुजरात	21	19	21	12	6	अनु.	अनु.	अनु.
हरियाणा	15	20	19	15	17	17	7	1
हिमाचल प्रदेश	अनु.	अनु.	6	1	अनु.	अनु.	अनु.	अनु.
जम्मू एवं कश्मीर	अनु.	2	4	3	6	3	1	NA
झारखंड	अनु.	12	11	1	6	1	अनु.	अनु.
कर्नाटक	29	29	22	2	22	अनु.	अनु.	अनु.
केरल	4	5	11	अनु.	15	2	अनु.	1
मध्य प्रदेश	16	39	50	8	42	16	अनु.	अनु.
महाराष्ट्र	20	17	30	अनु.	20	19	अनु.	अनु.
ओडिशा	7	25	28	1	21	अनु.	अनु.	1
पंजाब	9	19	20	10	9	6	8	10
राजस्थान	30	33	33	1	33	4	अनु.	अनु.
तमिलनाडु	23	19	27	9	2	3	1	5
तेलंगाना	7	9	10	1	8	2	1	1
उत्तर प्रदेश	9	30	46	29	15	10	2	4
पश्चिम बंगाल	4	7	2	9	15	6	2	2
संपूर्ण भारत	212	335	386	153	301	93	24	30

स्रोत : जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनरुज्जीवन मंत्रालय, भारत सरकार

नमभूमि

सर्वाधिक उत्पादक परितंत्र के बतौर नमभूमि (वेटलैंड) परितंत्र संबंधी अनेक वस्तुएं क्षरण पर नियंत्रण में सहायता, जमीन की पुन:पूर्ति, प्राकृतिक वासों के जीवन का विनियमन, और मनोरंजनतथा शैक्षिक लाभ जैसी और सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। शहरीकरण के कारण जमीन के उपयोग में बदलाव, जलग्रहण क्षेत्र में बदलाव, उद्योगों और घरां से प्रदूषण, मानवजनित दबाव, अतिक्रमण, पर्यटन, और प्राकृतिक संसाधनों के अतिदोहन के कारण नमभूमि पर काफी दबाव है। बिहार जैसे बाढ़प्रवण क्षेत्र में नमभूमि अत्यंत लाभप्रद हैं क्योंकि जलवैज्ञानिक प्रक्रिया के विनियमन के जरिए उनसे बाढ़ नियंत्रण में मदद मिलती है। विभिन्न जलवायु क्षेत्रों और स्थलाकृति से नमभूमि के प्राकृतिक वासों के विकास में सहयोग मिलता है। संख्या और क्षेत्रफल के लिहाज से नमभूमि का राज्यवार वितरण तालिका 13.8 में प्रस्तुत है।

तालिका 13.8 : दर्ज वन क्षेत्र/ ग्रीन वाश के अंदर नमभूमि (2019)

(क्षेत्रफल हेक्टेयर में)

राज्य	अंत:स्थलीय नमभूमि (प्राकृतिक)		अंत:स्थलीय नमभूमि (मानव निर्मित)		समुद्रतटीय नमभूमि		नमभूमि (2.25 हे. से कम)		कुल नमभूमि	
	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल	संख्या	क्षेत्रफल
आंध्र प्रदेश	99	9802	559	19956	213	42297	303	303	1174	72358 (1.9)
बिहार	**72**	**2573**	**50**	**1256**	**0**	**0**	**163**	**163**	**285**	**3992 (0.6)**
छत्तीसगढ़	101	39987	1182	21996	0	0	2415	2415	3698	64398 (1.2)
गुजरात	560	37958	1677	44454	681	1127652	611	611	3529	1210675 (39.9
हरियाणा	16	1700	27	150	0	0	35	35	78	1885 (3.3)
हिमाचल प्रदेश	50	6227	14	1945	0	0	49	49	113	8221 (0.6)
झारखंड	249	10100	551	5566	0	0	862	862	1662	16528 (0.9)
कर्नाटक	123	15344	633	36488	21	26	1261	1261	2038	53119 (1.7)
केरल	143	10073	76	12944	0	0	140	140	359	23157 (2.0)
मध्य प्रदेश	249	71116	2655	85821	0	0	5636	5636	8540	162573 (1.8)
महाराष्ट	686	29947	4257	73062	432	10382	3446	3446	8821	116837 (2.1)
ओडिशा	393	13389	795	40227	170	8242	2769	2769	4127	64627 (1.5)
पंजाब	46	1446	37	1586	0	0	36	36	119	3068 (3.3)
राजस्थान	284	21519	1275	28064	4	4495	2263	2263	3826	56341 (1.7)
तमिलनाडु	248	8494	743	19432	104	16865	428	428	1523	45219 (2.1)
तेलंगाना	59	13086	654	14796	0	0	357	357	1070	28239 (1.1)
उत्तर प्रदेश	792	31828	660	9497	0	0	899	899	2351	42224 (3.1)
उत्तराखंड	95	39007	10	15006	0	0	116	116	221	54129 (2.1)
पश्चिम बंगाल	353	220751	863	5542	239	202123	10060	10060	11515	438476 (32.7)
संपूर्ण भारत	7017	814521	16859	444563	4029	1499496	34561	34561	62466	2793141 (3.8)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े दर्ज वन क्षेत्र क प्रतिशत के बतौर नमभूमि का हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : भारतीय वन सर्वेक्षण की रिपोर्ट (2019)

वर्ष 2019 के भारत वन रिपोर्ट के अनुसार, देश में दर्ज वन क्षेत्र (आरएफए) के अंदर 62,466 नमभूमियों की पहचान की गई है जिनका कुल क्षेत्रफल 27,93,141 हे. है (तालिका 13.8)। नमभूमियों के क्षेत्रफल के अनुमान से पता चलता है कि बिहार में कोई 285 नमभूमियां हैं जिनका कुल क्षेत्रफल 3992 हे. है जो राज्य के कुल दर्ज वन क्षेत्र का लगभग 0.6 प्रतिशत है। इसमें से सर्वाधिक नमभूमियां प्राकृतिक अंत:स्थलीय (इनलैंड) नमभूमि हैं जिनका क्षेत्रफल 2573 हे. है जो राज्य की कुल नमभूमि के क्षेत्रफल का 64.5 प्रतिशत है। दर्ज वन क्षेत्र के अनुपात के लिहाज से देखें, तो सर्वाधिक 39.9 प्रतिशत नमभूमि गुजरात में है और उसके बाद 32.7 प्रतिशत पश्चिम बंगाल में।

बिहार में नमभूमियों का जिलावार क्षेत्रफल तालिका प 13.3 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। नमभूमि के फैलाव के मामले में जिलों के बीच काफी अंतर है। सभी प्रकार की नमभूमियों के बीच जल के फैलाव का क्षेत्रफल बरसात के पहले की तुलना में बरसात के बाद अधिक होता है। वहीं, राज्य में पानी के कुल फैलाव में योगदान के लिहाज से बरसात के पहले और बाद में सर्वाधिक योगदान कटिहार जिले का देखा गया। जिलों में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत नमभूमियों का क्षेत्रफल चार्ट13.2 में दर्शाया गया है। बेगूसराय जिले क लगभग 10.8 प्रतिशत क्षेत्रफल में नमभूमि है। राज्य की कुल नमभूमि के क्षेत्रफल में बेगूसराय, कटिहार, सहरसा, भागलपुर और वैशाली का संयुक्त रूप से 50 प्रतिशत हिस्सा है। नमभूमियों के बेहतर प्रबंधन में सक्षम बनने के लिहाज से केंद्र सरकार ने नमभूमि संरक्षण एवं प्रबंधन नियमावली, 2017 पेश की है। इसे स्वीकार करते हुए कि जीवन, जैव-विविधता और विकास का आधार बनाए रखने के लिए जल संसाधन जरूरी है, राज्य सरकार मिट्टी और पानी का नुकसान रोकने, जल भंडारण की पारंपरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करने, नमभूमि का संरक्षण करने, और अतिदोहित क्षेत्रों में भूजल संभरण कार्यक्रम चलाने के लिए कृतसंकल्प है।

चार्ट 13.2 : बिहार का जिलावार नमभूमि मानचित्र

(भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में)

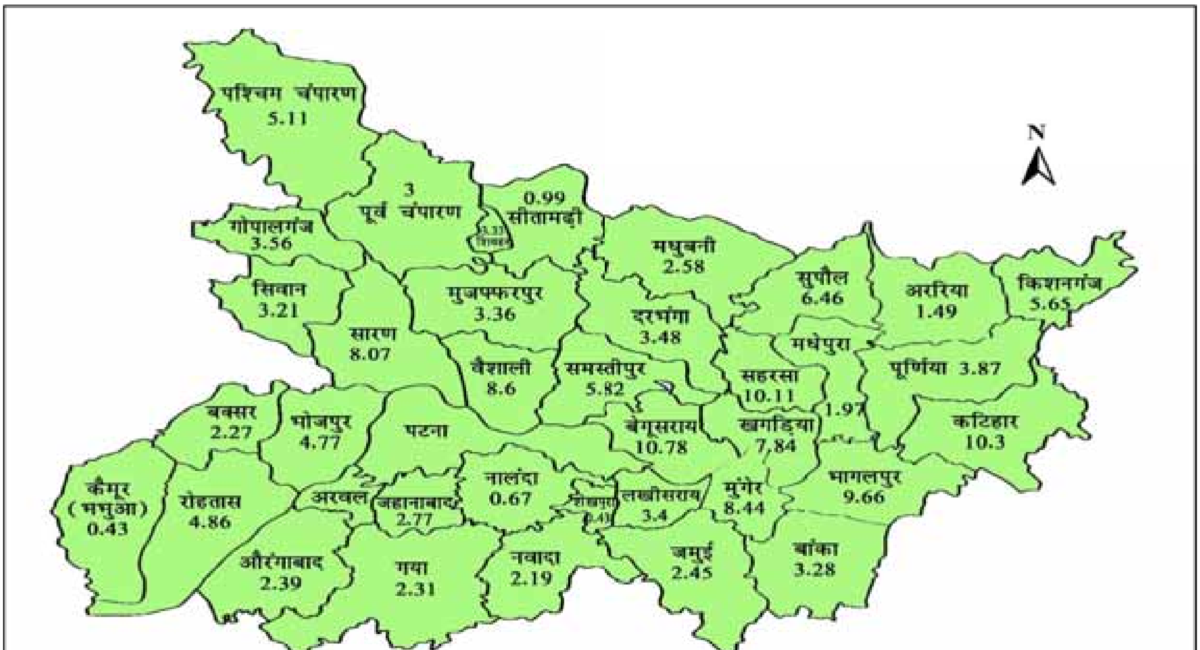

13.3 वन संसाधन

प्राकृतिक संसाधन और पारिस्थितिकी तंत्र के अभिन्न अंग के बतौर वन जलचक्र का नियमन, मृदा संरक्षण में सहायता, वन्य उत्पादों की उपलब्धता, वन्यजीवों, पशु-पक्षियों और वनस्पतियों के लिए आश्रय की उपलब्धता, तथा मनोरंजन के लिए अवसर - अनेक मकसद हल करते हैं। बिहार को समृद्ध साल वनों का अवदान प्राप्त ह जो राज्य के दक्षिणी जिलों -कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया जमुई, मुंगेर और बांका में फैले हैं। साथ ही,उत्तरी भाग में अवस्थित पश्चिम चंपारण जिले में भी नम पर्णपाती वन मौजूद हैं। बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में 2013-14 से 2018-19 तक वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन क्षेत्र का हिस्सा तालिका 13.9 में दर्शाया गया है। वर्ष 2013-14 से 2018-19 के बीच बिहार के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन क्षेत्र का कुल मिलाकर 1.6 प्रतिशत हिस्सा था। कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्रों के अंतर्गत 2018-19 में सकल मूल्यवर्धन में वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन क्षेत्र का योगदान 2013-14 के 7.3 प्रतिशत से बढ़कर 8.2 प्रतिशत हो गया।

तालिका 13.9 : कृषि के सकल राज्यगत मूल्यवर्धन में वानिकी एवं सिल्ली उत्पादन का हिस्सा (2013-14 से 2018-19)

(करोड़ रु. में) (स्थिर मूल्य पर)

क्षेत्र	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18 (अनंतिम)	2018-19 (त्वरित)
फसल	37107 (62.4)	35254 (59.4)	35330 (58.2)	39530 (58.6)	41458 (57.6)	39853 (55.0)
पशुधन	14008 (23.5)	15359 (25.9)	16281 (26.8)	17559 (26.0)	19298 (26.8)	20922 (28.9)
वानिकी एवं सिल्ली निर्माण	4330 (7.3)	4218 (7.1)	4353 (7.2)	5533 (8.2)	5671 (7.9)	5948 (8.2)
मत्स्याखेट एवं जलकृषि	4071 (6.8)	4518 (7.6)	4772 (7.9)	4793 (7.1)	5536 (7.7)	5670 (7.8)
कृषि, वानिकी एवं मत्स्याखेट	59516 (100.0)	59349 (100.0)	60735 (100.0)	67414 (100.0)	71963 (100.0)	72393 (100.0)

टिप्पणी : 1. 2017-18 के आंकड़े अनंतिम अनुमान और 2018-19 के आंकड़े त्वरित अनुमान हैं।

2. कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र के सकल मूल्यवर्धन में हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

वनभूमि का क्षेत्रफल

सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार वनों के बतौर वध रूप से अधिसूचित वन क्षेत्र को दर्ज वन क्षेत्र (आरएफए) के बतौर वर्गीकृत किया जाता है। इसमें भारतीय वन अधिनियम, 1927 या राज्यों के अधिनियमों के तहत परिभाषित आरक्षित वन, संरक्षित वन, और अवर्गीकृत वन शामिल होते हं। वनाच्छादन के विपरीत दर्ज वन क्षेत्रों के लिए जरूरी नहीं है कि वहां वास्तविक वन मौजूद ही हों। वर्ष 2019 में देश के प्रमुख राज्यों में दर्ज वन क्षेत्र का ब्योरा तालिका 13.10 में प्रस्तुत है। वर्ष 2019 में बिहार में दर्ज वन क्षेत्र 6877 वर्ग किमी था जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.3 प्रतिशत है। यह हिस्सा संपूर्ण भारत के औसत (23.3 प्रतिशत) से बहुत कम है। प्रमुख राज्यों के बीच सवाधिक 71.1 प्रतिशत दर्ज वन क्षेत्रउत्तराखंड में है और सबसे कम 3.5 प्रतिशत हरियाणा में। संरक्षित वनों की बात करें, तो बिहार में यह 6183 वर्ग किमी में था जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 6.6 प्रतिशत है।

तालिका 13.10 : भारत के प्रमुख राज्यों में दर्ज वन क्षेत्र (2019)

(क्षेत्रफल वर्ग किमी में)

राज्य	भौगोलिक क्षेत्रफल	दर्ज वन क्षेत्र (विभिन्न श्रेणियों में)			कुल दर्ज वन क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में
		आरक्षित वन	संरक्षित वन	अवर्गीकृत वन		
आंध्र प्रदेश	162968	31959	5069	230	37258	22.9
बिहार	**94163**	**693**	**6183**	**1**	**6877**	**7. 3**
छत्तीसगढ़	135192	25782	24036	9954	59772	44.2
गुजरात	196244	14373	2886	4388	21647	11.0
हरियाणा	44212	249	1158	152	1559	3.5
हिमाचल प्रदेश	55673	1898	33130	2005	37033	66.5
झारखंड	79716	4387	19185	33	23605	29.6
कर्नाटक	191791	28690	3931	5663	38284	20.0
केरल	38852	11309	—	—	11309	29.1
मध्य प्रदेश	308252	61886	31098	1705	94689	30.7
महाराष्ट	307713	49546	6733	5300	61579	20.0
ओडिशा	155707	36049	25133	22	61204	39.3
पंजाब	50362	44	1137	1903	3084	6.1
राजस्थान	342239	12475	18217	2045	32737	9.6
तमिलनाडु	130060	20293	1782	802	22877	17.6
तेलंगाना	112077	20353	5939	612	26904	24.0
उत्तर प्रदेश	240928	12071	1157	3354	16582	6.9
उत्तराखंड	53483	26547	9885	1568	38000	71.1
पश्चिम बंगाल	88752	7054	3772	1053	11879	13.4
संपूर्ण भारत	3287469	434853	218924	113642	767419	23.3

स्रोत : इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019

दर्ज वन क्षेत्र के विपरीत वनाच्छादन (फॉरेस्ट कवर) में पेड़ों वाले सभी क्षेत्र शामिल रहते हैं जिसकी शिखर सघनता (क्राउन डेंसिटी) पर 10 प्रतिशत से अधिक हो और उसका क्षेत्रफल किसी कानूनी बाध्यता से निरपेक्ष 1 हेक्टेयर या अधिक हो। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019 के मूल्यांकन के अनुसार देश के प्रमुख राज्यों में वनाच्छादन के अनुमान तालिका 13.11 में प्रस्तुत हैं। वनाच्छादन के क्षेत्रफल के मामले में सर्वाधिक 77,482 वर्ग किमी वनाच्छादन के साथ मध्य प्रदेश सबसे आगे है जिसका देश के कुल वनाच्छादन में लगभग 10.9 प्रतिशत हिस्सा है। वहीं सबसे कम 1602 वर्ग किमी (0.2 प्रतिशत) वनाच्छादन हरियाणा में है। बिहार का 7306 वर्ग किमी वनाच्छादन देश के कुल वनाच्छादन का मात्र 1 प्रतिशत है। शिखर सघनता के आधार पर वनों का

वर्गीकरण इस प्रकार है – 70 प्रतिशत या अधिक शिखर सघनता वाले अति सघन वन (वीडीएफ), 40 से 70 प्रतिशत शिखर सघनता वाले मध्यम सघन वन (एमडीएफ), और 10 प्रतिशत से 40 प्रतिशत शिखर सघनता वाले खुले वन (ओएफ)। बिहार के कुल वनाच्छादन में सें सबसे अधिक खुले वन हैं जिनका कुल वनाच्छादन में 50.5 प्रतिशत हिस्सा है।

तालिका 13.11 : भारत के प्रमुख राज्यों में दर्ज वनाच्छादन (2019)

(क्षेत्रफल वर्ग किमी में)

राज्य	भौगोलिक क्षेत्रफल	2019 का मूल्यांकन				वनाच्छादन भौगोलिक क्षेत्रफल के % में	
		अति सघन वन	मध्यम सघन वन	खुले वन	कुल वनाच्छादन	2019	2017
आंध्र प्रदेश	162968	1994	13938	13205	29137	17.9	17.3
बिहार	**94163**	**333**	**3280**	**3693**	**7306**	**7.8**	**7.8**
छत्तीसगढ़	135192	7068	32198	16345	55611	41.1	41.1
गुजरात	196244	378	5092	9387	14857	7.6	7.5
हरियाणा	44212	28	451	1123	1602	3.6	3.6
हिमाचल प्रदेश	55673	3113	7126	5195	15434	27.7	27.1
झारखंड	79716	2603	9687	11321	23611	29.6	29.5
कर्नाटक	191791	4501	21048	13026	38575	20.1	19.6
केरल	38852	1935	9508	9701	21144	54.4	52.3
मध्य प्रदेश	308252	6676	34341	36465	77482	25.1	25.1
महाराष्ट	307713	8721	20572	21485	50778	16.5	16.5
ओडिशा	155707	6970	21552	23097	51619	33.2	33.0
पंजाब	50362	8	801	1040	1849	3.7	3.6
राजस्थान	342239	78	4342	12210	16630	4.9	4.8
तमिलनाडु	130060	3605	11030	11729	26364	20.3	20.2
तेलंगाना	112077	1608	8787	10187	20582	18.4	18.2
उत्तर प्रदेश	240928	2617	4080	8109	14806	6.2	6.1
उत्तराखंड	53483	5047	12805	6451	24303	45.4	45.4
पश्चिम बंगाल	88752	3019	4160	9723	16902	19.0	19.0
संपूर्ण भारत	3287469	99278	308472	304499	712249	21.7	21.5

स्रोत : इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019

चार्ट 13.3 में भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार 2019 में राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन का हिस्सा दर्शाया गया है। राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में हिस्से के लिहाज से वनाच्छादन का

सर्वाधिक 54.4 प्रतिशत हिस्सा केरल में देखा गया। बिहार के भोगोलिक क्षेत्रफल में वनाच्छादन का हिस्सा 7.8 प्रतिशत था जो 21.7 प्रतिशत के राष्टोय औसत से कम है।

चार्ट 13.3 : वनाच्छादन राज्यों के भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत में (2019)

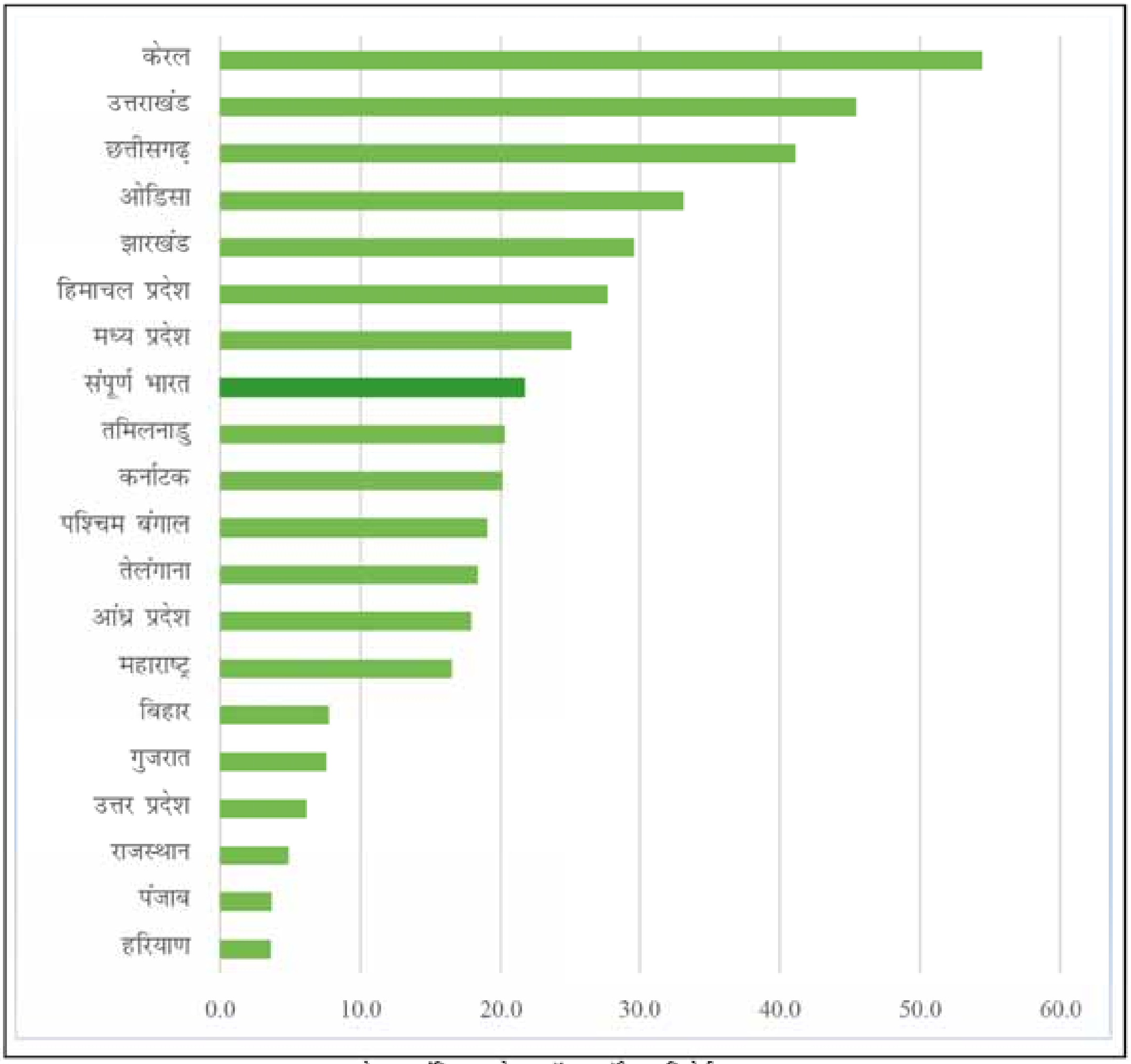

स्रोत : इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, 2019

बिहार में 2001 से 2019 तक की अवधि के लिए वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन (ट्री कवर) का क्षेत्रफल तालिका 13.12 में प्रस्तुत है। भारतीय राज्य वन रिपोर्ट, 2019 के अनुमानों के अनुसार दर्ज वन क्षेत्र के बाहर मौजूद पेड़ों वाली वनाच्छादन से भिन्न जगह को वृक्षाच्छादन कहा जाता है जिनका क्षेत्रफल मानचित्र के लिहाज से न्यूनतम क्षेत्रफल (1 हे.) से कम हो। राज्य में कुल वृक्षाच्छादन 2003 वर्ग किमी अनुमानित हे जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.1 प्रतिशत है। तालिका 13.12 में बिहार में 2011-19 की अवधि में वनाच्छादन के वितरण में देखा जा सकता है कि कुल वनाच्छादन 2011 के 6845 वर्ग किमी से थोड़ा बढ़कर 2019 में 7306 वर्ग किमी हो गया। यह गौरतलब वृद्धि राज्य सरकार और आम लोगों के वनरोपण के प्रयासों से संभव हो सकी है। वर्ष 2019 में वनाच्छादन राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 7.8 प्रतिशत है। वर्ष 2019 में कुल

वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन मिलाकर 9309 वर्ग किमी हो जाता है जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 9.9 प्रतिशत है। वर्ष 2011 से 2019 के बीच इसमें 95 वर्ग किमी की वृद्धि हुई है। वर्ष 1988 की राष्ट्रीय वन नीति का लक्ष्य देश में वनाच्छादन और वक्षाच्छादन को बढ़ाकर कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 33 प्रतिशत तक पहुंचाना रहा है। वहीं, राज्य की 2018 की कृषिवानिकी नीति में आने वाले वर्षों में वृक्षाच्छादन में लगातार वृद्धि की बात सोची गई है।

तालिका 13.12 : बिहार में वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन (2011-19)

(वर्ग किमी में)

विवरण	2011	2013	2015	2017	2019
वृक्षाच्छादन	-	2164 (2.3)	2182 (2.3)	2263 (2.4)	2003 (2.1)
वनाच्छादन	6845 (7.3)	7291 (7.7)	7288 (7.7)	7299 (7.8)	7306 (7.8)
वनाच्छादन और वृक्षाच्छादन	9214 (9.8)	9455 (10.0)	9470 (10.1)	9562 (10.2)	9309 (9.9)

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े राज्य के भौगोलिक क्षेत्रफल में हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

बिहार में विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्रफल तालिका 13.13 में प्रस्तुत है। कुल वनाच्छादन में लगभग 50.5 प्रतिशत हिस्सा खुले वनों का है और उसके बाद 44.9 प्रतिशत मध्यम सघन वनों का। वर्ष 2011 से 2019 के बीच अतिसघन वनों का क्षेत्रफल बढ़ा है। चार्ट 13.4 में विभिन्न प्रकार के वनों के अनुसार बिहार में 2011 से 2019 के बीच वन क्षेत्रों का वर्गीकरण दर्शाया गया ळें

तालिका 13.13 : विभिन्न प्रकार के वनों का क्षेत्रफल (2011-19)

(क्षेत्रफल वर्ग किमी में)

वन का प्रकार	2011	2013	2015	2017	2019
अति सघन वन	231	247	248	332	333
मध्यम सघन वन	3280	3380	3376	3260	3280
खुले वन	3334	3664	3664	3707	3693
योगफल	6845	7291	7288	7299	7306

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में हिस्सा दर्शाते हैं।

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 13.4 : बिहार में वन क्षेत्र का वर्गीकरण (2019)

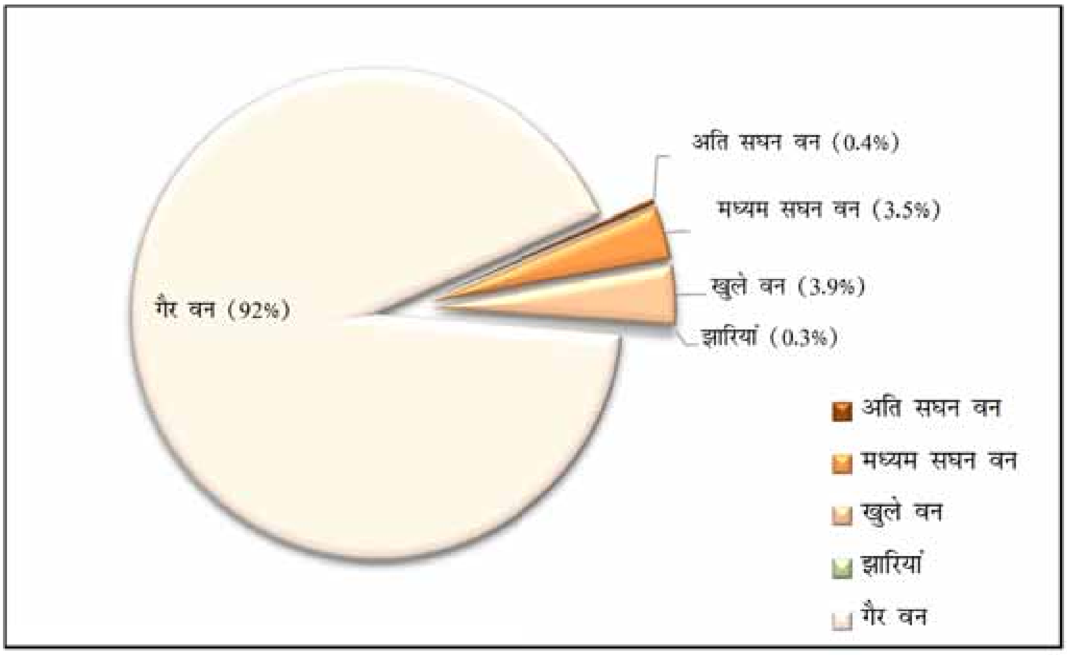

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के बतौर वनाच्छादन की तीन श्रेणियों (10 प्रतिशत से कम, 10 से 21 प्रतिशत और 21 प्रतिशत से ऊपर) के आधार पर जिलों का वर्गीकरण चार्ट 13.5 में दर्शाया गया है। वर्ष 2019 में कैमूर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, जमुई और गया जिलों का राज्य के कुल वनाच्छादन में संयुक्त रूपसे 53.0 प्रतिशत हिस्सा था। स्पष्ट है कि वनाच्छादन बिहार के दक्षिणी भागों में अधिक सघन है।

चार्ट 13.5 : बिहार में जिलावार वनाच्छादन (2019)

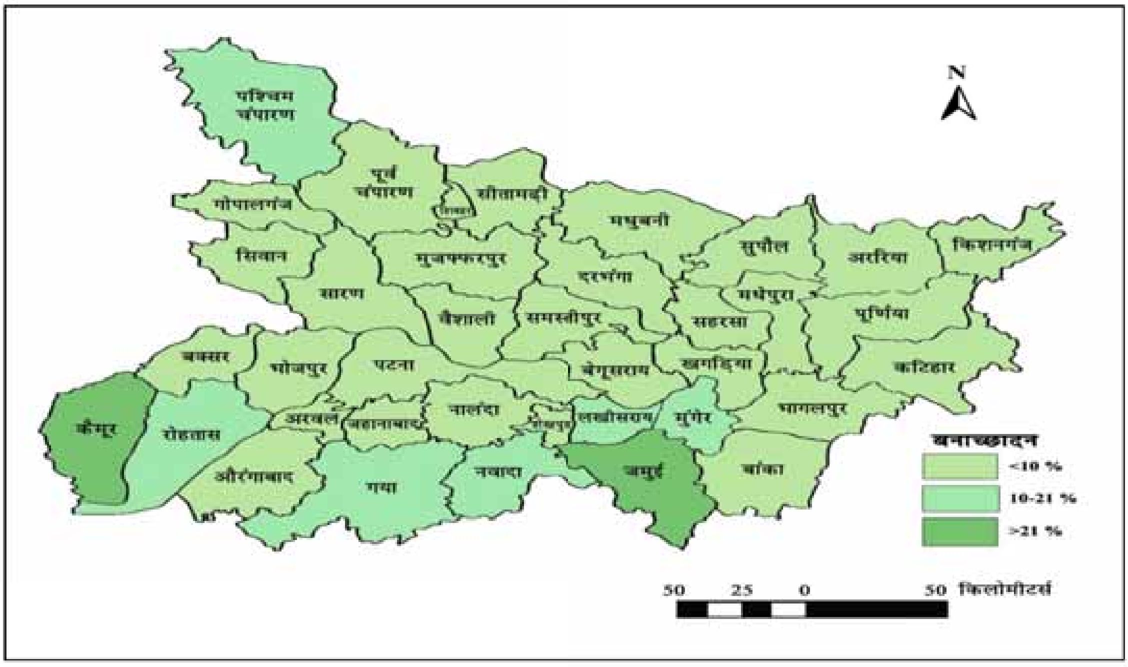

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

भारतीय राज्य वन रिपोर्ट के अनुमानों के अनुसार 2017 और 2019 के लिए जिलों के वनाच्छादन का वितरण तालिका प 13.4(सांख्यिकीय परिशिष्ट) में प्रस्तुत है। राज्य में सर्वाधिक 1056.4 वर्ग किमी वनाच्छादन कैमूर जिले में है जबकि जहानाबाद जिले में वनाच्छादन बिल्कुल नहीं है। विभिन्न प्रकार के वन क्षेत्रों की बात करें, तो 70 प्रतिशत से अधिक शिखर सघनता वाले सघन वन क्षेत्र पश्चिम चंपारण में सबसे अधिक हैं। वहीं, 10 से 40 प्रतिशत शिखर सघनता वाले खुले वन कैमूर जिले में सबसे अधिक 531.3 वर्ग किमी (राज्य के कुल वनाच्छादन का 14.4 प्रतिशत) में हैं। वहीं, जिले के भौगोलिक क्षेत्रफल में हिस्से के लिहाज से देखने पर कैमूर में सर्वाधिक 31.4 प्रतिशत वनाच्छादनहै जिसके बाद 20.9 प्रतिशत जमुई में और 20.6 प्रतिशत नवादा में।

कार्बन स्टॉक

वनों क बढ़ते विनाश और जीवाश्म इंधनों के जलने के कारण वैश्विक तापन (ग्लोबल वार्मिंग) पर्यावरण संबंधी गंभीर चिंता बन गया है। अंत:सरकारी जलवायु परिवर्तन पैनल (आइपीसीसी) की एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में लगभग 17 प्रतिशत भूमिका निर्वनीकरण की है। ऐसे प्रभावों को समाप्त करने का एक तरीका पर्याप्त हरित आच्छादन बढ़ाना है, जिससे सतह के तापमान का प्रबंधन करने और जलवायु प्रणाली को संतुलित करने में मदद मिलेगी। इस संदर्भ में कार्बन स्टॉक वन परितंत्र के अभिन्न घटक होते हैं क्योंकि वन कार्बन डायक्साइड को अवशोषित करके कार्बन को वनस्पतियों में समाहित कर देते हैं। भूमि उपयोग, भूमि उपयोग परिवर्तन एवं वानिकी हेतु सुव्यवहार दिशानिर्देश (2003) के अनुसार, वनों में कार्बन के पांच भंडार माने जाते हैं - भूम्योपरि पूंज(पेड़ की धड़, शाखाएं, पत्त, आरोहक, झाड़ियां), अधोभूमि पूंज (मूल प्रणाली), सूखी लकड़ी, कूड़ा-करकट (लीटर), और मृदागत जैव कार्बन (एसओसी)। बायोमास (जैवपूंज) कार्बन के जीवित हिस्से को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है - भूम्योपरि जैवपूंज और अधोभूमि जैवपूंज। मृदागत जैव कार्बन में खनिज और खास गहराई तक जैव मिट्टी शामिल होती है। वर्ष 2017 और 2019 के लिए विभिन्न समूहों के कार्बन स्टॉक का ब्योरा तालिका 13.14 में प्रस्तुत किया गया है। तालिका से पता चलता है कि बिहार में 2019 में सर्वाधिक 55,239 हजार टन कार्बन स्टांक था जो 2017 के 55,397 हजार टन कार्बन स्टॉक से कुछ कम है।

तालिका 13.14 : बिहार में वन्य कार्बन स्टॉक (2017 और 2019)

(हजार टन में)

घटक	वन्यकार्बन स्टॉक		कार्बन स्टॉक में % परिवर्तन
	2017	2019	
भूम्योपरि जैवपूंज (AGB)	19063 (26.12)	15007 (20.54)	-21.3
अधोभूमि जैवपूंज(BGB)	6707 (9.19)	5428 (7.43)	-19.1
मृत लकड़ी	138 (0.19)	127 (0.17)	-8.0
कूड़ा-करकट	625 (0.86)	746 (1.02)	19.4
मृदा जैव कार्बन (SOC)	28864 (39.55)	33931 (46.44)	17.6
योगफल	55397 (75.9)	55239 (75.61)	-0.3

टिप्पणी : कोष्ठकों में दिए गए आंकड़े टन में प्रति हे. स्टॉक दर्शाते हैं।

स्रोत : इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (विभिन्न संस्करण)

चार्ट 13.6 में 2019 में विभिन्न समूहों में वनों का कार्बन स्टॉक प्रस्तुत है। अधिकतम 46.44 टन प्रति हे. कार्बन स्टॉक मृदा जैव कार्बन (एसओसी) में था और उसके बाद 20.54 टन प्रति हे. भूम्योपरि पूंज में। बिहार के कुल वन्य कार्बन स्टॉक में मृदा जैव कार्बन का 61.4 प्रतिशत हिस्सा है और उसके बाद 27.2 प्रतिशत भूम्योपरि पूंज का। मृत जैव पदार्थों में मृत लकड़ी और कूड़ा-करकट का पूंज शामिल है, और इसमें 0.17 टन प्रति हे. कार्बन स्टॉक है जिसका बिहार में कुल कार्बन स्टॉक में मात्र 0.2 प्रतिशत हिस्सा है। वर्ष 2019 में 2017 की अपेक्षा मृदा जैव कार्बन में 5067 टन वन्य कार्बन स्टॉक की वृद्धि पाई गई। यह वृद्धि महत्वपूर्ण है क्योंकि मृदा जैव कार्बन से मिट्टी की जलधारण क्षमता में सुधार होगा जिससे सूखा के कारण असुरक्षा की स्थिति घटेगी।

चार्ट 13.6 : विभिन्न समूहों में वन्य कार्बन स्टॉक (2019 में)

(प्रतिशत)

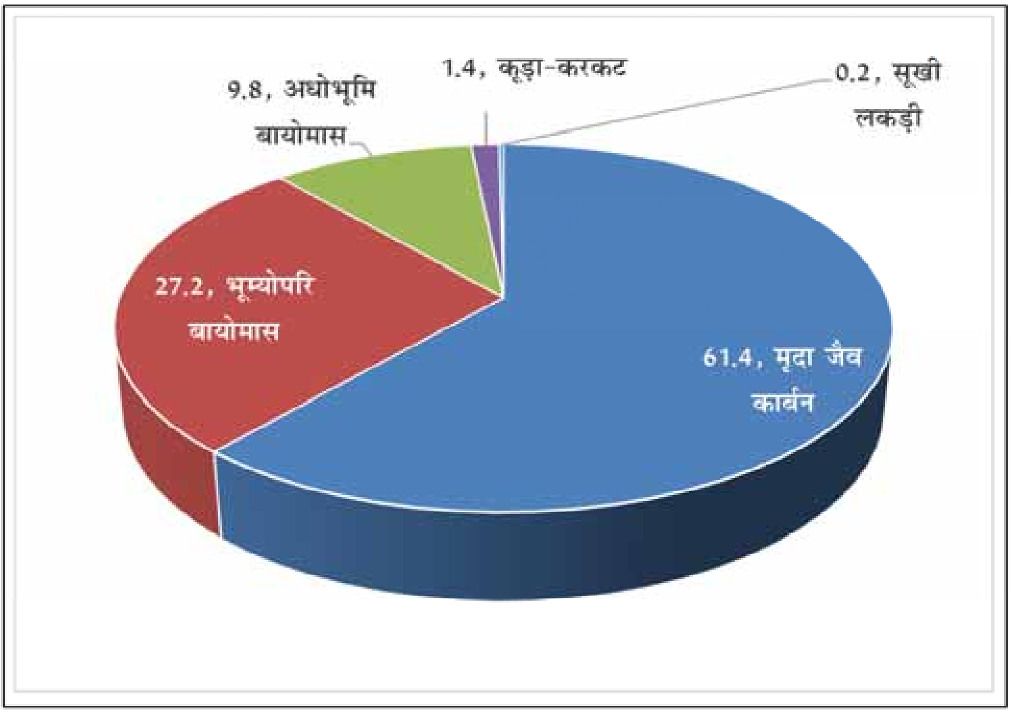

स्रोत : इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट (2019)

वन क्षेत्र का उपयोग परिवर्तन

बढ़ते शहरीकरण, बढती आबादी और कृषि का विस्तार,उद्योग, सड़क निर्माण आदि विकासमूलक गतिविधियों के कारण वन संसाधनों की बढ़ती मांग वन संसाधनों के चुकते जाने का कारण बन गई है। तालिका 13.15 में विभिन्न प्रयोजनों के लिए वनभूमि के उपयोग परिवर्तन के आंकड़े प्रस्तुत हैं। संबंधित विभाग के आंकड़ों के अनुसार 2010-11 से 2018-19 के बीच बिहार में लगभग 155 परियोजनाएं शुरू हुई हैं जिनमें 1819.68 हे. वनों की जमीन का उपयोग सड़क निर्माण, पाइपलाइन बिछाने, रेल और सिंचाई परियोजनाओं के विकास और अन्य उपयोगों जैसे विभिन्न प्रयोजनों के लिए बदला गया है।

तालिका 13.15 : विभिन्न प्रयोजनों के लिए वनभूमि का उपयोग परिवर्तन (2010-11 से 2018-19)

उपयोग/ परिवर्तित भूमि की प्रकृति	परियोजनाओं की संख्या	वनेतर उपयोग में परिवर्तित क्षेत्रफल (हे. में)
सड़क	60	1541.57
बिजली	33	145.06
रेलवे	3	50.42
सिंचाई	1	60.41
पेटॉल पंप के लिए संपर्क पथ	53	1.72
पाइपलाइन	2	5.31
अन्य	3	15.20
योगफल	155	1819.68

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

जंगल की आग

वनों के क्षरण और जैव विविधता के नुकसान के कारणों में अन्य कारकों के साथ-साथ जंगलों में लगने वाली आग भी एक बड़ा कारण है। जंगल में लगने वाली आग के लिए पहले अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, और उनका शुरू होना और फैलना मौसम की स्थितियों पर निर्भर करता है। उनसे प्राकृतिक वातावरण के प्राकृतिक संसाधन ही नहीं प्रभावित होते है, पूरा वैश्विक कार्बन चक्र भी अव्यवस्थित हो जाता है जिसके कारण तापमान में अंतर आता है। यह देखते हुए कि बड़ी संख्या में गरीब परिवार अपनी जीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वन संसाधनों पर निर्भर हैं, जंगल की आग असुरक्षित आबादी को अव्यवस्थित कर सकती है। इससे वन संपदा, जीव-जंतु और वनस्पतियों के लिए खतरा पैदा होता है और जैव विविधता तथा परितंत्र अव्यस्थित होता है और पर्यावरण प्रदूषित होता है।

तालिका 13.16 में 2005 से 2019 के बीच बिहार में जंगलों में आग और जले क्षेत्र की प्रमंडल-वार घटनाओं का ब्योरा प्रस्तुत है। बिहार में 2018-19 में जंगलों में आग लगने के 524 मामले चिन्हित किए गए थे जिनसे लगभग 734.1 हे. जंगल को नुकसान पहुंचा था। चार्ट 13.7 में 2005-06 से 2018-19 के बीच जंगल की आग की घटनाओं के रुझान प्रस्तुत हैं। प्रमंडलों के बीच सबसे अधिक घटनाओं की रिपोर्ट वाल्मीकि बाघ अभयारण्य 2 वन प्रमंडल में हुई। हाल के वर्षों में सबसे अधिक घटनाएं 2018-19 में घटने की सूचना है जबकि सबसे अधिक क्षेत्र 2010-11 में (1067.7 हे.) जला था।

तालिका 13.16 : जंगल में आग लगने की प्रमंडल-वार घटनाएं (2005-06 से 2018-2019)

वर्ष	घटनाओं की संख्या										जल गया क्षेत्र (हे.)
	रोहतास	कमूर	वीटीआर 1	बांका	वीटीआर 2	गया	जमुई	मुंगेर	नालंदा	योग	
2005-06	0	0	54	0	81	35	1	6	0	177	788.2
2006-07	13	0	141	0	43	4	0	7	0	208	420.0
2007-08	4	0	143	0	61	7	0	9	0	224	616.1
2008-09	0	2	175	1	133	70	0	5	0	386	796.9
2009-10	12	11	263	0	97	7	0	6	0	396	508.8
2010-11	34	35	222	5	64	5	11	4	5	385	1067.7
2011-12	22	0	158	0	57	3	5	1	3	249	504.4
2012-13	15	8	247	0	104	2	3	2	3	384	881.2
2013-14	10	6	191	0	79	6	4	1	3	300	956.3
2014-15	0	6	292	0	82	6	1	3	0	390	680.5
2015-16	0	8	73	3	82	9	2	0	0	177	750.3
2016-17	13	34	137	6	148	15	16	16	1	386	816.1
2017-18	19	34	179	82	24	7	1	23	0	369	495.7
2018-19	28	42	248	25	88	19	1	65	8	524	734.1

टिप्पणी - बीटीआर : वाल्मीकि बाघ अभयारण्य

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट (2018-19), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

चार्ट 13.7 : जंगल में आग लगने और वन क्षेत्र के प्रभावित होने की घटनाओं के रुझान (2005 से 2018)

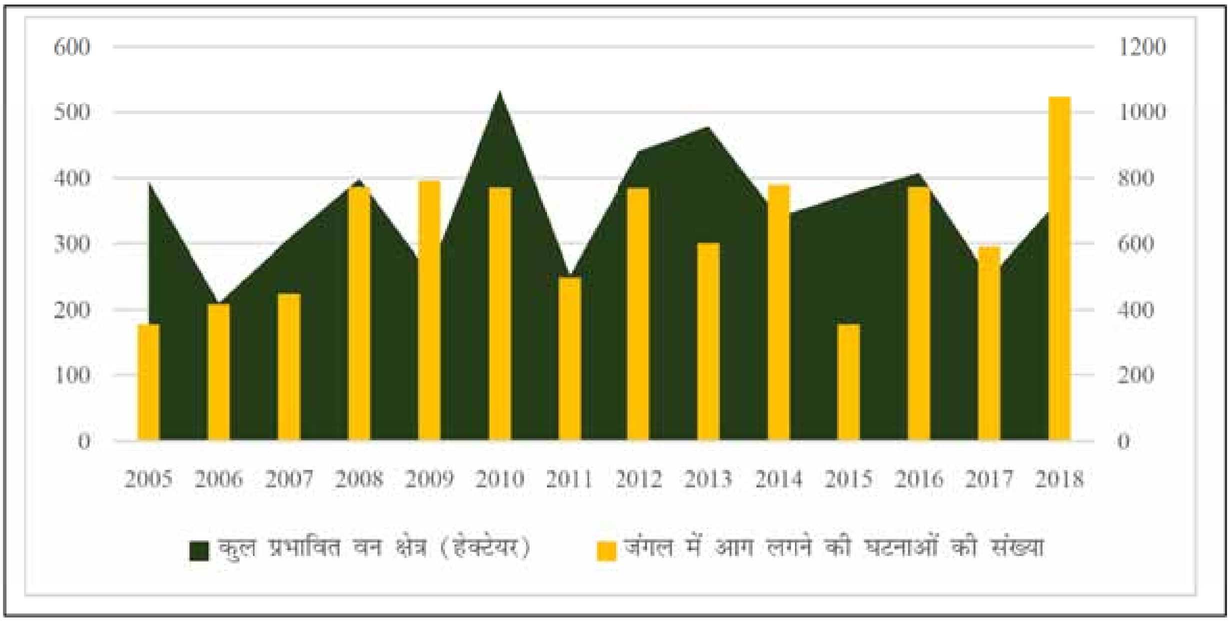

स्रोत : वार्षिक रिपोर्ट, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

वन विभाग का राजस्व और व्यय

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के 2014-15 से 2018-19 तक के राजस्व और व्यय के रुझान तालिका 13.17 और चार्ट 13.8 में प्रस्तुत हैं। विभाग के राजस्व में लगातार वृद्धि हुई है जो 11.0 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2014-15 के 16.10 करोड़ रु. से बढ़कर 2018-19 में 24.13 करोड़ रु. हो गया। हालांकि समग्र व्यय के मामले में कोई स्पष्ट रुझान नहीं है। इसका मुख्य कारण योजना व्यय में मिश्रित रुझान है जिसमें विगत पांच वर्षों में 2.5 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि दिखी है। वहीं, योजनेतर व्यय 6.2 प्रतिशत की वार्षिक दर से बढ़ते हुए 2014-15 के 95.47 करोड़ रु. से 2018-19 में 122.86 करोड़ रु. हो गया। विभाग का सर्वाधिक 346.61 करोड़ रु. व्यय 2018-19 में दर्ज किया गया।

चार्ट 13.8 : वन विभाग का राजस्व और व्यय (2014-15 से 2018-19)

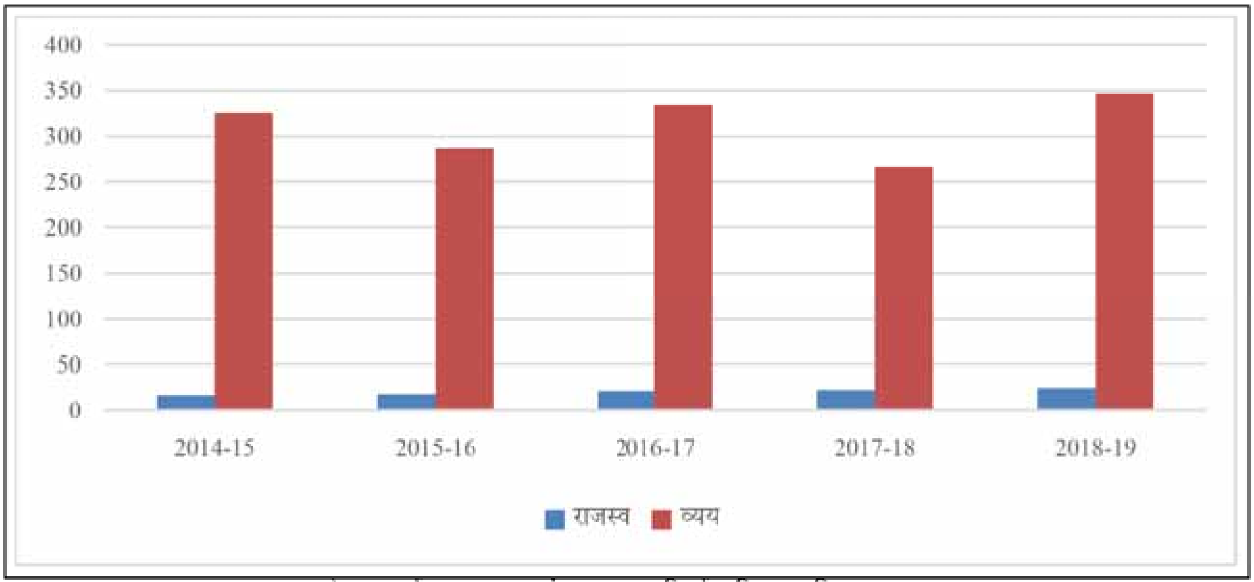

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

तालिका 13.17 : वन विभाग का राजस्व और व्यय (2014-15 से 2018-19)

(करोड़ रु. में)

वर्ष	राजस्व	व्यय		
		योजना	योजनेतर	योगफल
2014-15	16.10	230.84	95.47	326.31
2015-16	17.52	179.87	106.88	286.76
2016-17	21.22	226.15	108.51	334.67
2017-18	22.08	148.9	117.03	265.93
2018-19	24.13	223.75	122.86	346.61
वार्षिक चक्रवृद्धि दर (%)	10.97	-2.48	6.13	0.45

टिप्पणी : वार्षिक चक्रवृद्धि दर की गणना गत 5 वर्षों (2014-15 से 2018-19) के लिए की गई है।
स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

वन विभाग की योजनाएं

राज्य सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने परितंत्र और पर्यावरण की स्थिरता बरकरार रखने के लिए वनरोपण के अनेक कार्यक्रम चलाए हैं। बिहार राज्य कृषिवानिकी नीति, 2018 में परितंत्र को रक्षा और स्थिरीकरण, अनुकूल फसल प्रणाली को बढ़ावा देने, और कृषिवानिकी के विस्तार के जरिए ग्रामीण परिवारों का रोजगार बढ़ाने की बात कही गई है। क्षतिपूरक वनरोपण कोष प्रबंधन एवं नियोजन प्राधिकार (कैंपा-बिहार) की स्थापना वनेतर प्रयोजनों के लिए दी गई वनभूमि के बदले प्राप्त की गई धनराशि के उपयोग में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिहाज से की गई है। संचालन समिति ने 2018-19 में अनेक योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 37.94 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। इसके अलावा, विभाग की कुछ अन्य योजनाओं के विवरण नीचे प्रस्तुत हैं :

कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना : बिहार में 2012-13 से ही कृषि वानिकी योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है जिसका मुख्य मकसद सागवान, महोगनी, गम्हार, शीशम, खैर आदि अन्य प्रजातियों के वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करना है। इच्छुक किसानों को बरसात में इनके पौधे मुफ्त में दिए जा रहे हैं। साथ ही, लगे पौधों की देखरेख के लिए पहले दो वर्षों तक 10.00 रु. प्रति पौधा और तीसरे वर्ष 15.00 रु. प्रति पौधा नगद प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वर्ष 2018-19 में अन्य प्रजातियों के कोई 57.78 लाख पौधे लगाए गए हैं जिनसे राज्य के कोई 9513 किसानों को लाभ हुआ है (तालिका 13.18)।

तालिका 13.18 : कृषि वानिकी - अन्य प्रजाति योजना के तहत पौधों का वितरण

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	लगे पौधों की कुल सं. (लाख)
2013-14	6897	71.06
2014-15	11863	103.36
2015-16	11298	95.17
2016-17	12355	94.63
2017-18	14272	104.4
2018-19	9513	57.78

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

कृषि वानिकी -पोपलर(ईटीपी) योजना: बिहार में कृषि वानिकी की इस योजना का क्रियान्वयन कम समय में रोटेशन के लिए किया जा रहा है और पर्यावरण संरक्षण के लिए वृक्षाच्छादन बढ़ाने के लिहाज से किसानों की जमीन पर पोपलर का व्यावसायिक वृक्षारोपण कराया जाता है। चुनिंदा लाभार्थियों को विभाग द्वारा दिसंबर-जनवरी में पोपलर के ईटीपी मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं। पौधों के बचे रहने के आधार पर किसानों को उनके रखरखाव के लिए योजना के तहत नगद पहले दो वर्षों तक प्रति पौधा 10 रु. और तीसरे वर्ष 15 रु. प्रोत्साहन राशि मिलती है। वर्ष 2012 से 2019 के बीच राज्य में 40,628 किसानों को लाभान्वित करते हुए कुल 320.4 लाख पौधों का वितरण किया गया है।

तालिका 13.19 : कृषि वानिकीयोजना (2012-13 से 2018-19)

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	ईटीपी की संख्या (लाख)
2012-13	1091	4.87
2013-14	4399	31.71
2014-15	8811	87.52
2015-16	6980	60.34
2016-17	6817	52.73
2017-18	7819	56.29
2018-19	4711	26.94
योगफल	**40628**	**320.4**

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला-पोपलर(ईटीपी)योजना: पोपलर रोपण योजना का लक्ष्य उद्यमियों और किसानों के जरिए विभिन्न प्रजाति के गुणवत्तापूर्ण पौधों वाली पौधशालाओं की स्थापना कराना है। योजना का क्रियान्वयन बिहार के सभी जिलों में किया जा रहा है जहां लाभार्थियों को कटिंग के लिए 10,000 रु. प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी दी जाती है। विभाग द्वारा उन्हें 3.50 रु. प्रति पौधे की पूर्वनिर्धारित दर पर खरीद लिया जाता है। वर्ष 2018-19 में 400 किसानों को पौधशालाओं के लिए लगभग 40.00 लाख रु. प्राप्त हुए हैं (तालिका 13.20)।

तालिका 13.20 : मुख्यमंत्री निजी पौधशाला - पोपलर ईटीपी योजना की उपलब्धियां (2012-13 से 2018-19)

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	ईटीपी की संख्या (लाख)
2012-13	407	56.71
2013-14	1055	165.74
2014-15	1043	108.74
2015-16	839	108.70
2016-17	878	101.10
2017-18	550	55.00
2018-19	400	40.00

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

मुख्यमंत्री निजी पौधशाला-अन्य प्रजाति योजना: इस योजना को पौधशाला की स्थापना के लिए बीज उपलब्ध कराने के मकसद से शुरू किया गया था। विभाग द्वारा पौधों को पूर्वनिर्धारित दर पर खरीद लिया जाता है। वर्ष 2018-19 में इस योजना के तहत राज्य में 350 व्यक्ति लाभान्वित हुए (तालिका 13.21)।

तालिका 13.21 : मुख्यमंत्री निजी पौधशाला - अन्य प्रजाति योजना की उपलब्धियां

वर्ष	लाभान्वितों की संख्या	पौधों की संख्या (लाख)
2012-13	296	56.7
2013-14	379	76.4
2014-15	384	77.4
2015-16	468	93.6
2016-17	561	112.2
2017-18	300	60.0
2018-19	350	70.0

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

हर परिसर हरा परिसर योजना : इस कार्यक्रम के तहत 'हर परिसर को हरा परिसर' बनाने की बात सोची गई है। राज्य में वनभूमि की सीमित उपलब्धता के कारण इस योजना की शुरुआत हरियाली बढाने और पर्यावरण को शुद्ध करने के मकसद से की गई थी। इसके अंतर्गत सरकारी और गैर-सरकारी संस्थानों के परिसरों में खाली जमीन पर उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाए जा रहे हैं।

शहरी स्थलों का हरितीकरण : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा शहरो पार्कों को लैंडस्केपिंग और शहरी क्षेत्रों में हरित स्थलों के रखरखाव से संबंधित परियोजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है। शहरी स्थलों के हरितीकरण के लिए लगे पौधों का ब्योरा तालिका प 13.4 (सांख्यिकीय परिशिष्ट) में दिया गया है। बिहार के शहरी क्षेत्रों में 2017-18 से 2019-20 तक कुल 1,01,134 पौधे लगाए गए हैं।

जल-जीवन-हरियाली अभियान

जलवायु परिवर्तन और इसके लगातार बढ़ रहे दुष्परिणामों पर बिहार को राज्य सरकार द्वारा प्रकृति की चेतावनी के बतौर समझा जा रहा है। जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण प्रभावों को स्वीकार करते हुएपर्यावरण के क्षरण से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए राज्य सरकार जल, जंगल, और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इस संदर्भ में विधान सभा और विधान परिषद सदस्यों की एक संयुक्त बैठक जुलाई 2019 में आयोजित की गई थी। उसमें सभी दलों के प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के क्षरण पर अपनी चिंता प्रकट की थी। माननीय मुख्यमंत्री ने भी इस मुद्द पर चिंता प्रकट की थी और अपने विचार व्यक्त किए थे। सुझावों के आधार पर पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए प्रभावी रणनीतियां तैयार करना जरूरी समझा गया था और उसके फलस्वरूप जल-जीवन-हरियाली योजना की अवधारणा बनी। इस पर भी सहमति बनी कि पर्यावरण संरक्षण के लिए एक सघन जन अभियान शुरू किया जाय। राज्य में जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत पर्यावरण संरक्षण की चुनौती को ध्यान में रखकर और लोगों को पर्यावरण के प्रति जवाबदेह बनाने के लिहाज से की गई।

जिस तरह से पूरी दुनिया में पेड़ काटे जा रहे हैं और पर्यावरण क्षरण के लिहाज से उसके दूरगामी प्रभाव हा रहे ह, उस पर राज्य सरकार ने चिंता व्यक्त की है। पिछले तीस वर्षों में राज्य में होने वाली वर्षा 1200 से 1500

मिली से घटकर 1027 मिमी के आसपास रह गई है। गत दशक में इसमें अधिक कमी हुई जब राज्य में औसत वर्षापात 900 मिमी के आसपास ही रह गया। इसके साथ-साथ नेपाल की तराई और उससे जुड़े उत्तर बिहार के कुछ जिलों में अचानक अत्यंत तेज वर्षा होने के कारण अचानक बाढ़ जैसी स्थिति बनी। साथ ही, गत वर्ष किशनगंज जिले में महज चार दिनों के अंदर 500 मिमी वर्षापात रिकॉर्ड किया गया। बिहार अनियमित वर्षा, बिजली गिरने ओर लू का सामना कर रहा है। ये सारी चीजें पर्यावरण में परिवर्तन की परिणाम हैं। एक ओर राज्य के कुछ क्षेत्रों में, खास कर उत्तर बिहार में बाढ़ जैसी स्थिति बनती है, तो दूसरी ओर दक्षिण बिहार के कुछ भागों में सूखा पड़ता है। ये सारी चीजें जल-जीवन-हरियाली अभियान की जरूरत को रेखांकित करती हैं।

हाल के एक सर्वेक्षण में देखा गया कि राज्य में कुल भौगोलिक क्षेत्र के महज 9.7 प्रतिशत हिस्से में ही हरित आच्छादन है। हरित आच्छादन बढ़ाने के लिए 24 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है, जिसमें से 19 करोड़ पौधे लगाने का काम 2019 तक पूरा किया जा चुका है। हरित आच्छादन बढ़ाने के लिए प्रति वर्ष 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। सड़कों, तटबंधों, आहर-पइनों, और तालाबों के किनारे पेड़ लगाने की योजना है।

जल-जीवन-हरियाली अभियान

जल-जीवन-हरियाली राज्य सरकार की एक प्रमुख योजना है जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन और पयावरण के क्षरण से संबंधित समस्याओं से निपटना है। जल-जीवन-हरियाली योजना के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत 9 अगस्त, 2019 को बिहार धरती दिवस के मौके पर की गई। इस कार्यक्रम का प्रसारण दूरदर्शन और वबसाइटों पर तथा राज्य के सभी जिलों में इलक्टॉनिक माध्यम से किया गया और इसे करोड़ो लोगों के साथ-साथ 20 लाख से अधिक जीविका दीदियों ने भी देखा। संकुल स्तर पर विशेष बैठकें आयोजित की गईं और विभिन्न संगठनों ने 'एक सदस्य – दो पेड़' लगाने की शपथ ली। साथ ही, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत 19 जनवरी, 2020 को राज्यव्यापी मानवश्रृंखला निर्माण का आयोजन किया गया। अभियान के प्रति अपनी एकजुटता दिखाते हुए इसमें 5.17 करोड़ लोगों ने भाग लिया और 18,034 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाई। मुख्यमंत्री ने जल-जीवन-हरियाली अभियान का लोगो जारी किया जिस पर 'जल-जीवन-हरियाली, तभी होगी खुशहाली' लिखा हुआ है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए 2019-20 से 2021-22 तक तीन वर्षों के लिए कुल व्यय 24,524 करोड़ रु. अनुमानित है।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के बारे में लोगों को जागरूक बनाने के लिए सभी विभागों के सहयोग से संचार नेटवर्क विकसित किए जा रहे हैं। ग्रामीण समुदाय को जानकारी देने के लिए नुक्कड़ नाटकों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने 19 जनवरी, 2020 को पर्यावरण संरक्षण और जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिहाज से राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाने का आयोजन किया। इस ऐतिहासिक आयोजन में लगभग 5.17 करोड़ की भागीदारी दिखो। इनलोगों ने 18,034 किमी लंबी ृंखला बनाई जो दुनिया में बनी सबसे बड़ी मानवश्रृंखलाओं में से एक है।

जल-जीवन-हरियाली अभियान के लिए राज्य सरकार ने विभाग-वार, घटक-वार और वर्षवार बजट विवरण तैयार किया है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन में 12 विभाग शामिल हैं। जल-जीवन-हरियाली अभियान के तहत विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन का तीन वर्षों - 2019-20 से 2021-22 तक - का कुल व्यय 24,524 करोड़ रु. है। वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के लिए व्यय क्रमश: 5870 करोड़ रु., 9874 करोड़ रु. और 8780 करोड़ रु. अनुमानित है। जल-जीवन-हरियाली अभियान के प्रशासनिक शीर्ष के तहत अनुमानित व्यय 2019-20 में 6.19 करोड़ रु., 2020-21 में 8.42 करोड़ रु. और 2021-22 में 8.78 करोड़ रु. है। प्रस्तावित व्यय का घटकवार विवरण तालिका 13.22 में प्रस्तुत है।

तालिका 13.22 : विभागवार कार्ययोजना और अनुमानित बजट (2019-20 से 2021-22)

क्र.सं.	विभाग	घटक		अनुमानित रकम (करोड़ रु.)			
				2019-20	2020-21	2021-22	योगफल
1	ग्रामीण विकास विभाग	1	सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं, यथा तालाबों/ पोखरों/ आहरों/ पइनों का जीर्णोद्धार (लगभग 1 एकड़ तक)	737	1105	921	**2763**
		2	सार्वजनिक कुओं/ चापाकलों/ नलकूपों के किनारे सोख्ता/ रिचार्ज/ अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण (सार्वजनिक चापाकलों के किनारे सोख्ता निर्माण)	53	75	60	**188**
		3	छोटी नदियों/ नालों और पहाड़ी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों में चेक-डैम और जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण	53	98	75	**226**
		4	नए जल स्रोतों का निर्माण और नदी के अधिशेष जल को कमी वाले क्षेत्र (सार्वजनिक पोखरों और खेतों) में ले जाना	150	180	120	**450**
		5	भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण (भवन निर्माण, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के भवनों को छोड़कर)	21	50	34	**105**
		6	पौधशाला विकास और सघन वृक्षारोपण	281	401	474	**1156**
			योगफल	**1295**	**1909**	**1684**	**4888**
2	लघु जल संसाधन विभाग	1	तालाब/ पोखर/ आहर/ पइन जैसी (1 एकड़ से बड़ी) सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं को चिन्हित करके अतिक्रमण से मुक्त करना	2820	4900	4900	**12620**
		2	सार्वजनिक कुओं/ चापाकलों/ नलकूपों के किनारे सोख्ता/ रिचार्ज/ अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण (सार्वजनिक चापाकलों के किनारे)	0	15	15	**30**
		3	छोटी नदियों/ नालों और पहाड़ी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों में चेक-डैम और जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण	360	300	300	**960**
			योगफल	**3180**	**5215**	**5215**	**13610**
3	नगर विकास एवं आवास विभाग	1	शहरी क्षेत्रों में तालाब/ पोखर/ आहर/ पइन जैसी सार्वजनिक जल संचयन संरचनाओं का जीर्णोद्धार	100	100	100	**300**
		2	शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक कुओं को चिन्हित करके जीर्णोद्धार	1	2	2	**5**
		3	शहरी क्षेत्रों में सार्वजनिक कुओं/ चापाकलों/ नलकूपों के किनारे सोख्ता/ रिचार्ज/ अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण	10	10	10	**30**
			योगफल	**111**	**112**	**112**	**335**

4	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण/ पंचायती राज विभाग	1	सार्वजनिक कुओं को चिन्हित करके जीर्णोद्धार	100	200	75	**375**
		2	सार्वजनिक कुओं/ चापाकलों/ नलकूपों के किनारे सोख्ता/ रिचार्ज/ अन्य जल संचयन संरचनाओं का निर्माण (सार्वजनिक चापाकलों के किनारे)				
			योगफल	**100**	**200**	**75**	**375**
5	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग	1	छोटी नदियों/ नालों और पहाड़ी क्षेत्रों के जल ग्रहण क्षेत्रों में चेक-डैम और जल संचयन की अन्य संरचनाओं का निर्माण (वन क्षेत्रों में - हेक्टेयर में भूजल संरक्षण)	30	60	60	**150**
		2	पौधशाला विकास और सघन वृक्षारोपण	450	600	550	**1600**
			योगफल	**480**	**660**	**610**	**1750**
6	जल संसाधन विभाग	1	नए जल स्रोतों का निर्माण और नदी के अधिशेष जल को कमी वाले क्षेत्र में ले जाना (अधिशेष जल को कमी वाले क्षेत्र में ले जाना)	200	1200	600	**2000**
			योगफल	**200**	**1200**	**600**	**2000**
7	पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग	1	नए जल स्रोतों का निर्माण और नदी के अधिशेष जल को कमी वाले क्षेत्र में ले जाना (निजी जमीन पर चौर का विकास)	10	50	40	**100**
			योगफल	**10**	**50**	**40**	**100**
8	कृषि विभाग	1	वैकल्पिक फसलों, डिप इरीगेशन, जैविक कृषि और अन्न नई तकनीकों का उपयोग				
		2	जल संरक्षण के जरिए खेतों में फसलों, बगीचों, बागानों का विकास	25	50	25	**100**
		3	जैविक कृषि	48	48	48	**144**
		4	डिप इरीगेशन सिस्टम	130	140	150	**420**
		5	नए जल स्रोतों का निर्माण और नदी के अधिशेष जल को कमी वाले क्षेत्र में ले जाना (गर-वन जल ग्रहण क्षेत्रों में)	10	20	20	**50**
			योगफल	**213**	**258**	**243**	**714**
9	ऊर्जा विभाग	1	सौर ऊर्जा के उपयोग और ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहन-				
		2	सरकारी भवनों में (25% बजट ऊर्जा विभाग का होगा और 75% संबंधित विभाग/ संस्था द्वारा वहन किया जाएगा)	60	60	60	**180**
		3	निजी भवनों में (RESCO)	30	30	30	**90**
			योगफल	**90**	**90**	**90**	**270**
10	भवन निर्माण विभाग	1	भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण (भवनों का रखरखाव भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत)	65	0	0	**65**
		2	सौर ऊर्जा के उपयोग और ऊर्जा की बचत को प्रोत्साहन	15			**15**
			योगफल	**80**	**0**	**0**	**80**
11	अन्य विभाग	1	भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण (शिक्षा विभाग)	84	126	84	**294**
		2	भवनों की छतों पर वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण (स्वास्थ्य विभाग)	2	4	2	**8**
			योगफल	**86**	**130**	**86**	**302**
12	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	1	जल-जीवन-हरियाली जागरूकता अभियान	25	50	25	**100**
	कुल योगफल			**5870**	**9874**	**8780**	**24524**

स्रोत : ग्रामीण विकास विभाग, बिहार सरकार

कार्यक्रम की सफलता के लिए 25 सितंबर, 2019 को हुई एक बैठक में जल-जीवन-हरियाली मिशन की स्थापना पर सहमति बनी। मिशन को संस्था निबंधन अधिनियम के तहत निबंधित कराया गया है और मिशन के नेतृत्व के लिए अपर सचिव स्तर के अधिकारी की नियुक्ति करने का निर्णय लिया गया है। उसके शासी निकाय में 16 सदस्य हैं और मुख्य सचिव उसके अध्यक्ष हैं। विकास आयुक्त की अध्यक्षता वाली कार्यकारी समिति में 13 सदस्य हैं। जल-जीवन-हरियाली अभियान के क्रियान्वयन में परामर्श देने के लिए संसदीय कार्य मंत्री की अध्यक्षता में एक राजकीय परामर्श समिति गठित की गई है जिसमें बिहार विधान सभा द्वारा नामित 15 विधान सभा सदस्य तथा बिहार विधान परिषद द्वारा नामित 5 विधान परिषद सदस्य शामिल होंगे। परामर्श समिति में विकास आयुक्त, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव या जल-जीवन-हरियाली अभियान से जुड़े विभागों के सचिव भी शामिल होंगे। ग्रामीण विकास विभाग के सचिव उसके सदस्य सचिव होंगे। जिला स्तर पर प्रभारी मंत्री की अध्यक्षता में जिला परामर्शदातृ समिति गठित की जाएगी जिसके संयोजक जिला दंडाधिकारी होंगे और संबंधित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उसके सदस्य होंगे।

13.4 वायु प्रदूषण

वायु प्रदूषण आज की दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जीवाश्म इंधन जलाना, औद्योगिक और वाहनों के उत्सर्जन, निर्माण कार्य के दौरान धूल, कृषि अवशेष, घरेलू इंधन जलाना और खुले में शौच जैसी मानवजनित गतिविधियों के कारण बहुत अधिक वायु प्रदूषण हो रहा ह जिससे मानवों के फेफड़ों की क्षमता और श्वास प्रणाली प्रभावित हो रही है। इनके अलावा, जंगल की आग, पराग कण, रेडियोधर्मी पदार्थ, और जैविक क्षरण जैसी प्राकृतिक परिघटना से भी प्रदूषण पैदा होता है। राष्टोय वायु गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम के जरिए केंद्र सरकार देश के 312 शहरों में चार मुख्य प्रदूषकों से होने वाले वायु प्रदूषण का अनुश्रवण कर रही है। ये प्रदूषक हैं - सल्फर डायक्साइड, नाइटोजन डायक्साइड, निलंबित कण (पीएम$_{10}$) और सूक्ष्म निलंबित कण (पीएम$_{2.5}$)। बिहार में 2017 और 2018 में विभिन्न स्थानों पर व्यापक वायु गुणवत्ता का वार्षिक औसत मान तालिका 13.23 में प्रस्तुत है। चार्ट 13.9 में 2018 में बिहार के खास-खास स्थानों पर वायु गुणवत्ता के औसत वार्षिक मान दर्शाए गए हैं।

तालिका 13.23 : बिहार में व्यापक वायु गुणवत्ता के वार्षिक औसत मान (2017 और 2018)

केंद्र का नाम	स्थान	प्रकार	PM_{10} (RSPM) µg/m^{3}में		सल्फर डायक्साइड µg/m^{3}में		नाइटोजन ऑक्साइड µg/m^{3}में		$PM_{2.5}$ µg/m^3 में	
			2017	2018	2017	2018	2017	2018	2017	2018
गया	राजा मार्केट	आवासीय	77.5	90.1	11.1	11.8	21.6	21.5	—	—
दरभंगा	कदीराबाद चौक	आवासीय	72.1	116	11.1	16.8	20.3	23.6	—	—
रोहतास	सासाराम	आवासीय	84.3	87.5	11.1	11.7	21.8	21.3	—	—
राजगिर	सूर्यकुंड	आवासीय	84	88	10.9	11.9	22.1	22.3	—	—
पटना	शास्त्री नगर	आवासीय	129	128	3.39	6.2	27.78	36.4	—	—
पटना	गांधी मैदान	आवासीय	129	275	5.4	8.2	49.9	62.6	—	—
बेगूसराय	बरौनी औद्योगिक क्षेत्र	औद्योगिक	126.5	108.4	9.9	12.1	22.9	21.5	68.1	58.6
मुजफ्फरपुर	बेला औद्योगिक क्षेत्र	औद्योगिक	166.5	138.8	10.9	14	20.1	24.3	88.7	105.8

टिप्पणी : 24 घंटों के लिए मानक मान : PM_{10}(RSPM)= 100 ug/m^3, $PM_{2.5}$= 60/ug/m^3, सल्फर डायक्साइड=80 ug/m^3, नाइटोजन ऑक्साइड=80 ug/m^3

स्रोत : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

चार्ट 13.9 : बिहार में विभिन्न स्थानों पर वायु गुणवत्ता के वार्षिक औसत मान (2018)

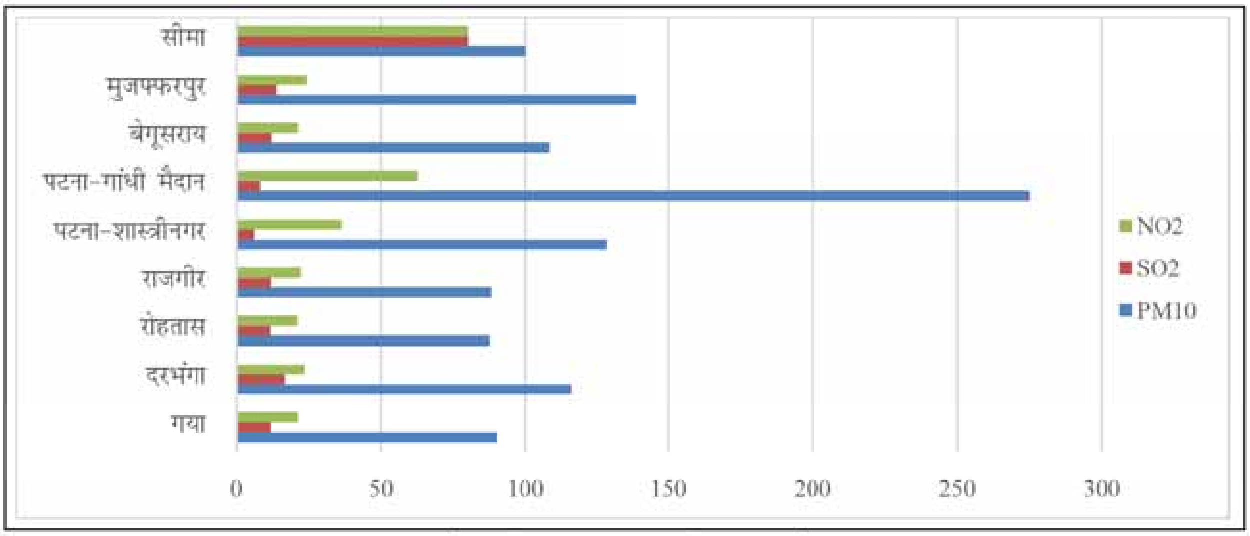

स्रोत : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

यह देखते हुए कि बिहार में कुछ शहरों (पटना, मुजफ्फरपुर और गया) में वायु गुणवत्ता के आंकड़े 'अत्यंत खराब' श्रेणी के हैं, राज्य सरकार 'केयर फॉर एयर' (हवा के लिए ध्यान) जैसे अभियानों के जरिए जागरूकता बढ़ा रही है। बिहार में खेतों में फसलों की ठूंठ जलाना भी चिंता की बात है क्योंकि इससे हवा में कणीय पदार्थों का संकेंद्रण 1000 माइक्रोग्राम प्रति घनमीटर तक पहुंच जाता है। हाल में राज्य सरकार ने घोषणा की है कि जिन किसानों को फसलों की ठूंठ जलाते पाया जाएगा, उन्हें तीन वर्षों के लिए वित्तोय सहायता से वंचित कर दिया जाएगा। पटना में वायु प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वाहनों में सीएनजी/ एलपीजी जैसे स्वच्छ इंधनों, ई-रिक्शा को बढ़ावा देने और चलवान, सड़कों की धूल नियमित साफ करान, सड़कों के किनारे वृक्षारापण, निर्माण स्थल को ढंकन, बालू, मिट्टी, गिट्टी आदि निर्माण सामग्रियों की ढंककर ढुलाई, और ईंट भट्ठों के लिए कम प्रदूषक प्रौद्योगिकी आदि अपनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार शहरों में मौजूद वायु प्रदूषण दूर करने के लिए हरित पट्टियों के विकास और सड़कों के किनारे वृक्षारोपण की पहलकदमियों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही, गैस ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) पटना भौगोलिक क्षेत्र में नगर गैस वितरण नेटवर्क बना रही है जिसमें पाइप आधारित घरेलू प्राकृतिक गैस (पीएनजी) कनेक्शन और दाबित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) नेटवर्क शामिल हैं। इसमें पहले पांच वर्षों के दौरान न्यूनतम 50,154 पीएनजी कनेक्शनों और 2445 इंच-किमी की कार्ययोजना होगी। पटना का क्षेत्रफल 3202 वर्ग किमी है और 25 वर्षों की कार्ययोजना के लिए अनुमानित परियोजना व्यय 850 करोड़ रु. ह। 98 करोड़ रु. के व्यय से गैल ने 11,000 पीएनजी अधिसंरचना का निर्माण पूरा कर लिया है और 5 सीएनजी स्टेशन चालू हैं। मार्च 2020 तक दो अतिरिक्त सीएनजी स्टेशन तथा 1500 अतिरिक्त पीएनजी कनेक्शन तैयार हो जाएंगे।

13.5 ध्वनि प्रदूषण

बढ़त शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक क्रियाकलापों के विस्तार के कारण ध्वनि प्रदूषण काफी बढ़ा है। इसके विभिन्न स्रोतों में निर्माण, सड़क यातायात, रेलवे, उद्योग, लाउडस्पीकर आदि शामिल हैं। लंबे समय तक तेज शोरगुल के बीच रहने से मनुष्यों और पशुओं के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा पटना के पांच अलग-अलग स्थानों पर ध्वनि प्रदूषण का अनुश्रवण किया जा रहा है जिससे शहर में ध्वनि प्रदूषण के स्तर पर नियंत्रण के लिए कार्ययोजना बनाई जा सके।

तालिका 13.24 में पटना मे पांच स्थानों पर दिन आर रात में शोरगुल के व्यापक स्तरों पर 2016-18 की अवधि में वार्षिक आंकड़े और उनकी मानक सीमाएं प्रस्तुत की गई हैं। तीन वर्षों की अवधि में सभी पांच स्थानों पर शोर का स्तर दिन में स्वीकार्य सीमा से अधिक था। वर्ष 2016 में रात के समय व्यापक ध्वनि प्रदूषण सबसे अधिक रेलवे स्टेशन में था जो 55 डेसिबल की स्वीकार्य सीमा से 16 अंक अधिक था। चार्ट 13.10 में इन अनुश्रवण केंद्रों के लिए दिन और रात में व्यापक ध्वनि गुणवत्ता के वार्षिक मान दर्शाए गए हैं। गौरतलब है कि पटना में इन वर्षों के दौरान ध्वनि प्रदूषण के स्तरों में कमी का रुझान है। शहर में ध्वनि प्रदूषण में कमी के लिए राज्य सरकार हॉर्न बजाने के खिलाफ जागरूकता अभियान को बढ़ावा दे रही है।

तालिका 13.24: पटना में पांच स्थानों पर व्यापक ध्वनि प्रदूषण पर वार्षिक आंकड़े (2016 से 2018)

(औसत समकक्ष सतत ध्वनि स्तरडेसिबल में)

वर्ष	बेल्टॉन भवन शास्त्रीनगर		कोका कोला पाटलिपुत्र		तारामंडल अदालतगंज		रेलवे स्टेशन गोलंबर		PMCH अशोक राजपथ	
	आवासीय क्षेत्र		औद्योगिक क्षेत्र		व्यावसायिक क्षेत्र		व्यावसायिक क्षेत्र		शोररहित क्षेत्र	
	दिन में	रात में	दिन में	रात में	दिन में	रात में	दिन में	रात में	दिन में	रात में
2016	57.0	56.0	70.0	68.9	71.0	70.5	71.3	70.9	61.0	59.9
2017	48.7	47.3	61.2	61.1	64.1	61.9	60.4	58.9	58.1	57.6
2018	47.5	43.0	58.0	57.7	63.7	56.8	59.9	55.0	51.5	48.0
सीमा	55.0	45.0	75.0	70.0	65.0	55.0	65.0	55.0	50.0	40.0

स्रोत : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

चार्ट 13.10 : अनुश्रवण केंद्रों पर व्यापक ध्वनि गुणवत्ता पर वार्षिक मान (2016 से 2018)

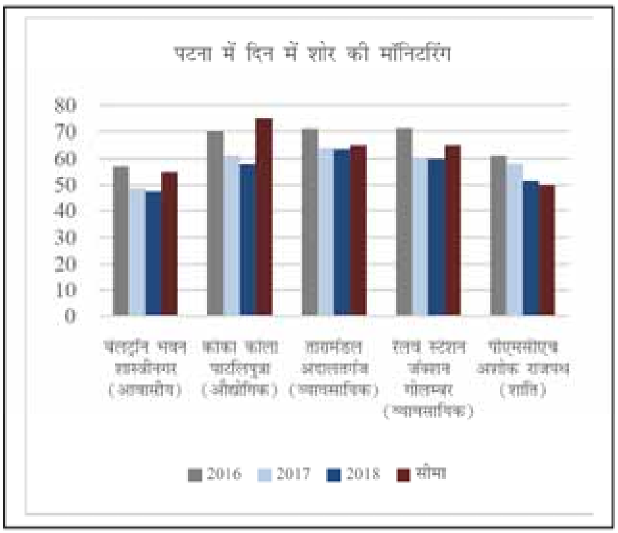

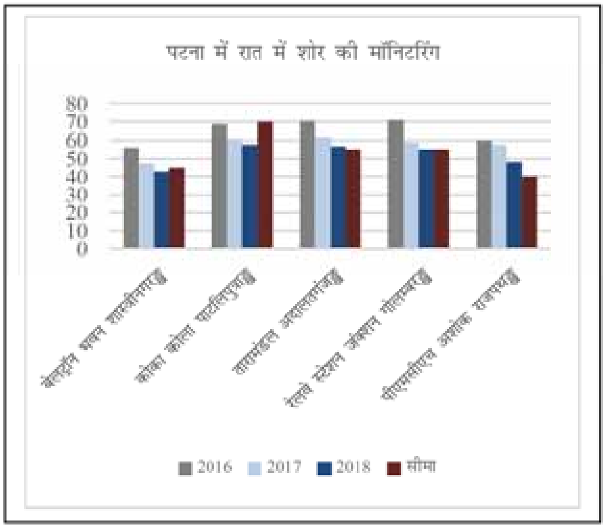

स्रोत : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद

13.6जैव विविधता और वन्यजीवन

जलवायु परिवर्तन, वन विनाश, जीवाश्म इंधन जलाने और अन्य मानवजनित प्रभावों के कारण अनेक वन्यजीवों के अस्तित्व के लिए जोखिम पैदा हो गया है। जलवायु परवर्तन का खतरा कई तरीकों से वन्यजीवों के वासस्थालों की सुरक्षा का अतिक्रमण कर रहा है जिससे उनके वासस्थल बदल रहे हैं, पारिस्थितिक संपर्क टूट रहे हैं, या

सीधे उनकी उत्तरजीविता पर संकट खड़ा हो रहा है। शिवालिक-गंगा का मैदान की दृश्यावली अनेक प्रकार की जैव विविधता और पारिस्थितिक सेवाओं के सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है। लेकिन तापमान में वृद्धि, वर्षा में उतार-चढ़ाव, नि:स्रावों का प्रवाह, निर्वनीकरण, जल संसाधनों में गिरावट और लोगों का आना-जाना वन्यजीवन और उनके परितंत्र के लिए खतरा पैदा कर रहा है। जैव विविधता और वन्य जीवन के अनुरक्षण-संरक्षण के राज्य सरकार के प्रयासों में राज्य में अनेक पक्षी और वन्यजीव अभयारण्य सहित अनेक गतिविधियां शामिल हैं। राज्य के कुछ क्षेत्रों को परितंत्र-संवेदी (इको-सेंसीटिव) क्षेत्र के बतौर अधिसूचित किया गया है।

तालिका 13.25 में बिहार में वन्यजीवन, जीवमंडल और पक्षी अभयारण्यों का विवरण प्रस्तुत है। वाल्मीकि बाघ शरणस्थल राज्य के पश्चिम चंपारण जिले में 893.73 वर्ग किमी में अवस्थित है जो भारतीय बाघ प्रजाति (पैंथेरा टाइग्रिस) का निवास स्थल है। राष्टोय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के अनुमानों के अनुसार बिहार में 2012 से 2018 के बीच 11 बाघों की मृत्यु हो गई जिनमें से 5 की स्वाभाविक मृत्यु हुई जबकि दो बाघ शिकारियों के द्वारा मारे गए और दो बेहोशी के कारण मरे। बिहार में बाघों की संख्या 2010 के 8 से बढ़कर 2018 में 31 हो गई है।

तालिका 13.25: बिहार में वन्यजीवन, जीवमंडल शरणस्थली और पक्षी अभयारण्य

अभयारण्य/ शरणस्थली का नाम	अवस्थिति (जिला) और क्षेत्रफल	अधिसूचना की तिथि	इको-सेंसिटिव जोन (क्षेत्रफल हे. में)	वन्यजीवों की प्रजाति
वाल्मीकि बाघ शरणस्थली	पश्चिम चंपारण 893.73 वर्ग किमी	07.08.2012	83576.9	बाघ, गैंडा, काला भालू, भारतीय स्लॉथ बीयर, ऊदबिलाव, भारतीय तेंदुआ, जंगली कुत्ता, भैंसा, सूअर, बार्किंग डीयर, सांभर, नीलगाय, लकड़बग्घा, तेंदुआ बिल्ली, जंगली बिल्ली, फिशिंग कैट, लंगूर, बंदर, उड़न गिलहरी, क्लाउडेड लपर्ड, भारतीय गौर, नेवला
अभयारण्य				
भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य	मुंगेर 681.9 वर्ग किमी	27.05.1976	44311.3	काला भालू, सूअर, बार्किंग डीयर, स्पॉटेड डीयर हॉग डीयर, नीलगाय, तेंदुआ बिल्ली, जंगली बिल्ली, लंगूर, बंदर, नेवला
गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य	गया 138.33 वर्ग किमी	14.09.1976	14925.0	
पंत वन्यजीव अभयारण्य	नालंदा 35.84 वर्ग किमी	25.05.1978	2954.5	
कैमूर वन्यजीव अभयारण्य	कैमूर और रोहतास 1504.96 वर्ग किमी	20.07.1979	48555.0	
रजौली (नवादा) वन्यजीव अभयारण्य	नवादा 2.72 वर्ग किमी	10.05.2019	—	
उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य	पश्चिम चंपारण 3.19 वर्ग किमी	05.05.1978	3759.0	दलदली वन सहित गोक्षुर झील
नागी डैम पक्षी अभयारण्य	जमुई 1.92 वर्ग किमी	28.11.1983	2140.4	जल पक्षी, प्रवासी पक्षी
नकटी डैम पक्षी अभयारण्य	जमुई 3.33 वर्ग किमी	22.07.1987	2329.2	जल पक्षी, प्रवासी पक्षी
काबर झील पक्षी अभयारण्य	बेगूसराय 63.12 वर्ग किमी	20.06.1989		जल पक्षी, प्रवासी पक्षी
कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य	दरभंगा 29.21 वर्ग किमी	05.07.1994	3293.0	जल पक्षी, प्रवासी पक्षी
सलीम अली जुब्बा सहनी बड़ैला झील पक्षी अभयारण्य	वैशाली 1.98 वर्ग किमी	28.01.1997	1083.6	जल पक्षी, प्रवासी पक्षी
विक्रमशिला गांगेय डॉल्फीन अभयारण्य	भागलपुर 60 किमी	22.08.1990	12221.0	गांगेय डॉल्फीन (सूंस), ताजा पानी की मछलियां और कछुए

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

विक्रमशिला गांगेय डॉल्फीन अभयारण्य भागलपुर में गंगा में 60 किमी दूरी में अवस्थित है जो सूंस, ताजा पानी की मछलियों और कछुओं का निवास स्थान है। राज्य में जल-पक्षियों और प्रवासी पक्षियों के लिए पांच पक्षी अभयारण्य हैं। राज्य में भीमबांध वन्यजीव अभयारण्य, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य, पंत वन्यजीव अभयारण्य (राजगिर), कैमूर वन्यजीव अभयारण्य, रजौली वन्यजीव अभयारण्य (नवादा) और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य जसे अनेक वन्यजीव अभयारण्य भी हैं। राज्य सरकार परितंत्र विकास समितियों के जरिए वन्यजीवों और उनके निवास स्थानों के संरक्षण के लिए लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित कर रही है।

13.7 आपदा प्रबंधन

अपनी भौगोलिक अवस्थिति और जल एवं मौसम संबंधी अनिश्चितताओं के कारण बिहार देश के जलवायु के लिहाज से संवेदनशील राज्यों में से एक है। यह बात भूकंप, आंधी-बिजली वाले तूफान, लू, बाढ़, सूखा आदि आपदाओं के होने से स्पष्ट है। इन आपदाओं से लोगों के जीवन-जीविका पर असर पड़ता है। जून स सितंबर तक जारी रहने वाले दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून से राज्य में अधिकांश बर्षा होती है और राज्य में, खास कर उत्तर बिहार के जिलों में अक्सर बाढ़ जैसी स्थिति भी पैदा हो जाती है। हाल के वर्षों में जलवायु संबंधी स्थितियां बदलने से बाढ़ और सूखा की बारंबारता और तीव्रता बढ़ी है। बिहार में 2019 में दक्षिण-पश्चिमी मॉनसून के दौरान भारी वर्षा हुई जिसके कारण स्थानीय स्तर पर चक्रवात जैसी स्थिति पैदा हो गई और बिजली गिरने तथा तूफान की घटनाएं हुई। वर्ष 2015 से 2019 के बीच तूफान और बिजली गिरने के कारण होने वाली मौतों का जिलावार विवरण तालिका प 13.6 में प्रस्तुत है। वर्ष 2019 में बिजली गिरने से राज्य में 216 लोगों की मौत होने की सूचना दर्ज हुई। जमुई, औरंगाबाद, गया और नालंदा जिलों में से प्रत्येक में 15 से अधिक लोगों की मौत बिजली गिरने से हुई।

राज्य में सूखा के कारण फसलों का व्यापक नुकसान पहुंचा। जुलाई से सितंबर 2019 के बीच बाढ़ से अनेक जिले प्रभावित हुए हैं, जैसे- शिवहर, सीतामढ़ी, पूर्व चंपारण, मधुबनी, अररिया, किशनगंज, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, कटिहार, पूर्णिया और पश्चिम चंपारण। खरीफ मौसम में अत्यधिक वर्षा और नदियों में बाढ़ आने से फसलों को काफी नुकसान पहुंचा। कृषि विभाग के अनुमान के अनुसार राज्य में 5 लाख हे. से अधिक क्षेत्र में फसल नहीं लगाई जा सकी (तालिका 13.26)। बाढ़ के कारण फसलों का नुकसान झेलने वाले किसानों को कृषि लागत अनुदान वितरित करने के लिए 772.47 करोड़ रु. अलग रखे गए हैं।

तालिका 13.26 : खरीफ 2019 में बाढ़ और सूखा संबंधी रिपोर्ट

विवरण	क्षतिग्रस्त क्षेत्र (हजार हे.)	क्षति (लाख रु.)
शुद्ध बुआई क्षेत्र	5259.34	—
प्रभावित कुल शस्य क्षेत्र	396.14	50788.62
जुलाई 2019 में बाढ़ से संबंधित क्षति (33 प्रतिशत से अधिक)	175.76	23645.70
सितंबर 2019 में बाढ़ से संबंधित क्षति (33 प्रतिशत से अधिक)	2208.38	27142.92
बोया नहीं जा सका क्षेत्र	389.10	26458.85
कुल नुकसान	785.24	77247.47

स्रोत : कृषि विभाग, बिहार सरकार

राज्य में आपदाओं के कुशल प्रबंधन को राज्य सरकार उच्च प्राथमिकता देती है। बिहार में वर्षा और बाढ़ से हुए नुकसान को देखते हुए राज्य सरकार ने 2018-19 में प्राकृतिक आपदाओं के लिए 1607.14 करोड़ रु. का अलग से व्यय तय कर रखा है। साथ ही, 2018-19 में डीजल सब्सिडी देने के लिए भी 300.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। राज्य सरकार बिहार राज्य फसल सहायता योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं से फसलों का नुकसान पहुंचने की स्थिति में किसानों को वित्तोय सहायता उपलब्ध कराती है। इस फसल सहायता योजना के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार द्वारा 2018-19 में 318.23 करोड़ रु. कर्णांकित किए गए हैं। बिहार राज्य जलवायु परिवर्तन कार्ययोजना (बिहार-SAPCC) का लक्ष्य कृषि, जल संसाधन, वन एवं जैव विविधता, तथा आपदा प्रबंधन से संबंधित रणनीतियों पर ध्यान केंद्रित करना है।बिहार के 15-वर्षीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण रोडमैप में कृषि जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में आपदा में कमी के लिए समुदाय-केंद्रित दृष्टिकोण अपनाने की बात सोची गई है। राज्य आपदा प्रबंधन योजना में समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन को सक्षम बनान के लिए 'संकल्प केंद्र' के क्रियान्वयन की जरूरत की ओर संकेत किया गया है। बाढ़ और सूखा जैसी स्थितियों से निपटने केलिहाज से जल संरक्षण के उपायों को सक्षम बनाने के लिए उत्तर बिहार में तालाबों और जलाशयों तथा दक्षिण बिहार में आहर-पइनों को पुनर्जीवित करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं। राज्य में प्राकृतिक और मानवजनित आपदाओं के प्रति बेहतर तत्परता के लिए आपदा प्रबंधन कोषांग द्वारा चौकसी रखी जा रही है। साथ ही, राज्य में जिला आपदा प्रबंधन अधिकारियों के क्षमता निर्माण, सुदृढ़ीकरण और कामकाज, जन जागरूकता अभियानों के आयोजन, और आपदा प्रबंधन में अधिक निवेश के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

परिशिष्ट

तालिका प 13.1 : विभिन्न मौसमों में जिलावार वार्षिक वर्षापात

(वर्षापात मिमी में)

जिले	2018					2019 (सितंबर तक)			
	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण-पश्चिम मानसून	उत्तर-पश्चिम मानसून	योग	जाड़े की बारिश	गर्मी की बारिश	दक्षिण-पश्चिम मानसून	योग
पटना	0.0	25.2	582.2	5.8	613.2	10.9	28.1	799.6	838.6
नालंदा	0.0	31.4	647.9	20.6	699.9	27.7	35.9	836.3	899.9
भोजपुर	0.0	19.1	723.6	0.6	743.3	17.6	33.5	814.7	865.8
बक्सर	0.0	25.3	691.3	0.2	716.8	17.5	31.4	828.8	877.7
रोहतास	0.0	1.5	607.5	6.5	615.5	1.1	2.4	777.8	781.4
कैमूर	0.0	16.5	837.2	2.8	856.5	20.8	9.2	1032.6	1062.6
गया	0.0	16	747.2	20.1	783.3	22.8	23.5	855.7	902.0
जहानाबाद	0.0	0.9	394.5	7.8	403.2	14.7	44.3	714.7	773.6
अरवल	0.0	0	581.4	3.6	585.0	19.6	7.5	545.4	572.5
नवादा	0.0	24.5	651.3	5.7	681.5	27.8	9	837.8	874.6
औरंगाबाद	0.4	2.2	727.7	26.3	756.6	16	14	854.2	884.2
सारण	0.0	37.4	464	0.6	502.0	16.6	11.9	990.6	1019.1
सीवान	0.0	74.5	599.9	0.2	674.6	24.2	18.3	1403.1	1445.6
गोपालगंज	0	75.5	665.7	0	741.2	26.8	12.3	1245.8	1284.8
पश्चिम चंपारण	0.0	55.2	483.5	7.8	546.5	32.9	15	1035.4	1083.3
पूर्व चंपारण	0.0	71.2	716.4	2.9	790.5	40	59.2	1184.5	1283.7
मुजफ्फरपुर	0.0	156.5	1011.8	3.2	1171.5	53.2	58	1248.5	1359.7
सीतामढ़ी	0.0	89.5	877.3	0.7	967.5	24.1	84	1012.3	1120.3
शिवहर	0.0	83.6	678.1	0	761.7	27.8	42.3	951.1	1021.2
वैशाली	0.0	59.1	493.2	0.6	552.9	15.2	11.9	1003.9	1030.9
दरभंगा	0.0	57.7	513.6	7	578.3	16.9	65.3	977.6	1059.8
मधुबनी	0.0	61	836.3	4.8	902.1	25.6	101.5	1025.1	1152.2
समस्तीपुर	0.0	111.1	622.3	13.5	746.9	26.2	36.8	928.2	991.2
मुंगेर	0.0	99.9	818.4	101.8	1020.1	40.2	23.2	798.8	862.2
लखीसराय	0.0	73.4	561.7	180	815.1	34	18.6	680.6	733.2
शेखपुरा	0.0	26.1	525.7	33.9	585.7	27.8	13.6	580.2	621.7
जमुई	0.0	84.7	582.1	44.4	711.2	36.7	10.6	728.3	775.6
बेगूसराय	0.0	78.6	584.2	51.2	714.0	16.1	11.7	778.2	806.0
खगड़िया	0.0	35.9	509.7	95.5	641.1	40.3	49	935.5	1024.7
भागलपुर	0.0	120	728.8	62.6	911.4	45.7	96.4	1023.5	1165.6
बांका	0.0	33.8	699.2	41.9	774.9	44.7	79.9	817.7	942.3
सहरसा	0.0	81.3	556.4	38.4	676.1	35.7	85.2	1100.4	1221.2
सुपौल	0.0	138.2	843.6	23.4	1005.2	61.7	126.9	1241	1429.6
मधेपुरा	0.0	102.7	765.6	28.8	897.1	32.4	116	1191.6	1399.9
पूर्णिया	0.0	94.6	942.5	30.9	1068.0	35.8	131.2	1130.8	1297.8
किशनगंज	0.0	138.5	1358.1	25.7	1522.3	27.5	342.8	1581.4	1951.8
अररिया	0.0	151.6	852.8	17.4	1021.8	36.4	160.2	1310.4	1507.1
कटिहार	0.0	126.9	722.6	51.6	901.1	32.3	142	993.6	1167.9
बिहार	**0.4**	**65.3**	**689.6**	**25.5**	**780.4**	**28.2**	**56.9**	**968.3**	**1053.5**

स्रोत: अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय, बिहार सरकार

तालिका प 13.2 : बिहार में जिलावार भूजल संभरण (2017)

(अरब घनमी. में)

जिले	भूजल संभरण					कुल प्राकृतिक डिस्चार्ज
	वर्षा ऋतु		अन्य मौसम		योगफल	
	वर्षा से संभरण	अन्य स्रोतों से संभरण	वर्षा से संभरण	अन्य स्रोतों से संभरण		
पटना	0.69	0.09	0.10	0.13	1.00	0.07
नालंदा	0.50	0.11	0.07	0.21	0.89	0.08
भोजपुर	0.55	0.18	0.03	0.18	0.94	0.09
बक्सर	0.30	0.17	0.02	0.16	0.66	0.07
रोहतास	0.88	0.12	0.10	0.05	1.16	0.10
कैमूर	0.59	0.15	0.04	0.21	0.99	0.09
गया	0.81	0.09	0.14	0.12	1.15	0.08
जहानाबाद	0.21	0.04	0.02	0.08	0.35	0.03
अरवल	0.13	0.05	0.02	0.03	0.22	0.01
नवादा	0.41	0.07	0.04	0.11	0.63	0.05
औरंगाबाद	0.73	0.10	0.13	0.08	1.04	0.05
सारण	0.59	0.10	0.06	0.12	0.88	0.06
सीवान	0.46	0.24	0.05	0.20	0.94	0.06
गोपालगंज	0.51	0.16	0.06	0.17	0.89	0.07
पश्चिम चंपारण	0.99	0.23	0.16	0.34	1.72	0.11
पूर्व चंपारण	0.92	0.24	0.16	0.15	1.46	0.12
मुजफ्फरपुर	0.66	0.20	0.09	0.25	1.20	0.10
सीतामढ़ी	0.56	0.07	0.03	0.05	0.70	0.05
शिवहर	0.12	0.01	0.00	0.01	0.14	0.01
वैशाली	0.48	0.12	0.07	0.10	0.77	0.07
दरभंगा	0.55	0.14	0.11	0.16	0.96	0.08
मधुबनी	0.76	0.18	0.10	0.14	1.17	0.11
समस्तीपुर	0.58	0.27	0.13	0.36	1.34	0.08
मुंगेर	0.25	0.06	0.02	0.05	0.37	0.03
लखीसराय	0.22	0.05	0.02	0.03	0.32	0.03
शेखपुरा	0.14	0.03	0.02	0.04	0.23	0.02
जमुई	0.30	0.03	0.02	0.04	0.40	0.03
बेगूसराय	0.44	0.06	0.05	0.16	0.71	0.07
खगड़िया	0.39	0.05	0.04	0.29	0.76	0.08
भागलपुर	0.60	0.03	0.09	0.03	0.76	0.05
बांका	0.31	0.08	0.06	0.05	0.50	0.03
सहरसा	0.39	0.05	0.06	0.04	0.54	0.03
सुपौल	0.54	0.11	0.19	0.09	0.92	0.07
मधेपुरा	0.38	0.07	0.09	0.10	0.65	0.04
पूर्णिया	0.80	0.04	0.29	0.04	1.17	0.06
किशनगंज	0.60	0.01	0.16	0.02	0.79	0.08
अररिया	0.68	0.05	0.23	0.02	0.99	0.07
कटिहार	0.82	0.08	0.11	0.09	1.10	0.10
बिहार	**19.83**	**3.95**	**3.14**	**4.50**	**31.41**	**2.43**

स्रोत: नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंडवाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2017

(जारी)

तालिका प 13.2 : बिहार में जिलावार भूजल संभरण (2017)

(अरब घनमी. में)

जिले	निकासी लायक वार्षिक भूजल संसाधन	वर्तमन वार्षिक भूजल निकासी				भूजल निकासी का स्तर (%)
		सिंचाई	औद्योगिक	घरेलू	योगफल	
पटना	0.93	0.43	0.03	0.10	0.56	60.1
नालंदा	0.80	0.47	0.03	0.05	0.55	68.8
भोजपुर	0.85	0.40	0.02	0.05	0.47	56.0
बक्सर	0.59	0.26	0.01	0.03	0.31	51.6
रोहतास	1.06	0.19	0.01	0.05	0.26	24.3
कैमूर	0.90	0.26	0.01	0.03	0.30	33.2
गया	1.08	0.59	0.04	0.08	0.71	65.8
जहानाबाद	0.32	0.28	0.01	0.02	0.31	95.7
अरवल	0.21	0.06	0.00	0.01	0.08	38.6
नवादा	0.58	0.26	0.02	0.03	0.31	52.9
औरंगाबाद	0.99	0.21	0.01	0.04	0.26	26.6
सारण	0.82	0.43	0.03	0.07	0.52	63.7
सीवान	0.88	0.42	0.02	0.06	0.50	56.8
गोपालगंज	0.82	0.53	0.03	0.05	0.60	73.4
पश्चिम चंपारण	1.61	0.27	0.02	0.07	0.36	22.6
पूर्व चंपारण	1.34	0.44	0.03	0.09	0.56	41.9
मुजफ्फरपुर	1.10	0.62	0.04	0.09	0.74	67.6
सीतामढ़ी	0.65	0.23	0.01	0.06	0.30	45.9
शिवहर	0.13	0.06	0.00	0.01	0.08	58.0
वैशाली	0.70	0.35	0.02	0.06	0.44	62.3
दरभंगा	0.88	0.21	0.02	0.08	0.30	34.2
मधुबनी	1.06	0.29	0.02	0.08	0.39	36.7
समस्तीपुर	1.26	0.49	0.03	0.07	0.60	47.3
मुंगेर	0.34	0.08	0.01	0.02	0.11	33.1
लखीसराय	0.29	0.06	0.00	0.02	0.09	29.9
शेखपुरा	0.22	0.07	0.00	0.01	0.08	38.4
जमुई	0.37	0.08	0.01	0.03	0.12	32.0
बेगूसराय	0.64	0.26	0.02	0.06	0.34	52.3
खगड़िया	0.69	0.18	0.01	0.03	0.22	32.3
भागलपुर	0.70	0.14	0.01	0.04	0.19	27.5
बांका	0.47	0.12	0.01	0.04	0.16	34.6
सहरसा	0.50	0.17	0.01	0.03	0.21	40.8
सुपौल	0.86	0.25	0.01	0.04	0.30	35.3
मधेपुरा	0.60	0.30	0.02	0.04	0.35	58.3
पूर्णिया	1.11	0.53	0.03	0.06	0.61	55.2
किशनगंज	0.71	0.12	0.01	0.03	0.15	21.6
अररिया	0.92	0.12	0.01	0.05	0.18	19.6
कटिहार	1.00	0.56	0.03	0.05	0.64	63.7
बिहार	**28.99**	**10.78**	**0.66**	**1.83**	**13.26**	**45.8**

स्रोत: नेशनल कंपाइलेशन ऑन डायनामिक ग्राउंडवाटर रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, 2017

तालिका प 13.3 : बिहार में जिलावार नमभूमि

जिले	भौगोलिक क्षेत्रफल (वर्ग किमी)	नमभूमि का क्षेत्रफल (हे.)	कुल नमभूमि का प्रतिशत हिस्सा	भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत हिस्सा	खुला जल क्षेत्र (हे.)	
					बरसात के बाद	बरसात के पहले
पटना	3130	20678	5.13	6.61	11943	7570
नालंदा	2362	1589	0.39	0.67	756	283
भोजपुर	2337	11154	2.77	4.77	5700	2435
बक्सर	1634	3717	0.92	2.27	2449	1408
कैमूर	1840	796	0.2	0.43	296	174
रोहतास	3838	18641	4.62	4.86	9259	4040
गया	4941	11422	2.83	2.31	3979	626
जहानाबाद	1569	4345	1.08	2.77	1843	564
अरवल	-	-	-	-	-	-
नवादा	2498	5464	1.36	2.19	2445	1241
औरंगाबाद	3389	8116	2.01	2.39	3428	1436
सारण	2624	21170	5.25	8.07	12118	7950
सीवान	2213	7105	1.76	3.21	4295	2117
गोपालगंज	2003	7122	1.77	3.56	5128	3783
पश्चिम चंपारण	4250	21697	5.38	5.11	11924	10118
पूर्व चंपारण	4155	12477	3.09	3.0	8915	5119
मुजफ्फरपुर	3123	10490	2.6	3.36	6984	4048
सीतामढ़ी	2628	2601	0.65	0.99	906	588
शिवहर	443	1476	0.37	3.33	845	782
वैशाली	1995	17148	4.25	8.6	11405	5970
दरभंगा	2502	8709	2.16	3.48	5171	2467
मधुबनी	3478	8958	2.22	2.58	2411	2280
समस्तीपुर	2579	15022	3.73	5.82	10867	7133
बेगूसराय	1889	20365	5.05	10.78	10628	7703
मुंगेर	1419	11979	2.97	8.44	7001	5498
शेखपुरा	689	296	0.07	0.43	163	73
लखीसराय	1229	4177	1.04	3.4	1759	1447
जमुई	2997	7351	1.82	2.45	3593	2734
खगड़िया	1486	11645	2.89	7.84	9060	5807
भागलपुर	2502	24171	5.99	9.66	16237	10273
बांका	3020	9895	2.45	3.28	5151	3847
सहरसा	1196	12086	3.0	10.11	7202	4125
सुपौल	2985	19285	4.78	6.46	9004	9021
मधेपुरा	1797	3539	0.88	1.97	1589	967
पूर्णिया	3203	12401	3.08	3.87	5279	3365
किशनगंज	1939	10954	2.72	5.65	5542	4886
अररिया	2797	4157	1.03	1.49	2245	1930
कटिहार	3010	31011	7.69	10.3	17135	14574
बिहार	**91689**	**403209**	**100**	**166.51**	**224655**	**148382**

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 13.4 : बिहार में जिलावार वन क्षेत्र (2017 और 2019)

(क्षेत्रफल वर्ग किमी में)

जिले	भौगोलिक क्षेत्रफल	2017				2019			
		अति सघन वन	मध्यम सघन वन	खुले वन	कुल वनाच्छादन	अति सघन वन	मध्यम सघन वन	खुले वन	कुल वनाच्छादन
पटना	3202	0.0	21.0	5.0	26.0	0.0	18.8	4.8	23.5
नालंदा	2355	0.0	7.0	25.0	32.0	0.0	6.9	25.0	31.9
भोजपुर	2474	0.0	21.0	15.0	36.0	0.0	19.4	12.8	32.3
बक्सर	1624	0.0	3.0	3.0	6.0	0.0	2.9	3.0	5.9
कैमूर	3362	0.0	520.0	551.0	1071.0	0.0	525.1	531.3	1056.4
रोहतास	3851	0.0	335.0	371.0	706.0	0.0	352.5	319.7	672.2
गया	4976	0.0	141.0	464.0	605.0	0.0	134.4	455.9	590.3
जहानाबाद	1569	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
अरवल	237	0.0	2.0	3.0	5.0	0.0	1.6	2.4	4.0
नवादा	2494	0.0	189.0	323.0	512.0	0.0	201.0	312.5	513.5
औरंगाबाद	3305	0.0	62.0	95.0	157.0	0.0	62.3	94.5	156.8
सारण	2641	0.0	26.0	31.0	57.0	0.0	26.3	32.8	59.1
सीवान	2219	0.0	2.0	5.0	7.0	0.0	2.0	5.2	7.2
गोपालगंज	2033	0.0	2.0	3.0	5.0	0.0	2.0	2.9	4.9
पश्चिम चंपारण	5228	248.0	551.0	105.0	904.0	249.2	550.2	105.2	904.7
पूर्व चंपारण	3968	0.0	66.0	89.0	155.0	0.0	65.0	98.8	163.9
मुजफ्फरपुर	3172	0.0	48.0	94.0	142.0	0.0	52.2	109.7	161.8
सीतामढ़ी	2200	0.0	37.0	109.0	146.0	0.0	37.4	110.4	147.8
शिवहर	443	0.0	2.0	17.0	19.0	0.0	2.0	18.6	20.6
वैशाली	2036	0.0	80.0	29.0	109.0	0.0	82.5	29.3	111.8
दरभंगा	2279	0.0	43.0	93.0	136.0	0.0	43.5	94.1	137.7
मधुबनी	3501	0.0	39.0	158.0	197.0	0.0	40.3	163.7	204.1
समस्तीपुर	2904	0.0	108.0	49.0	157.0	0.0	105.3	48.1	153.4
बेगूसराय	1918	0.0	29.0	54.0	83.0	0.0	28.6	53.3	82.0
मुंगेर	1419	38.0	226.0	21.0	285.0	38.0	223.7	22.0	283.6
शेखपुरा	689	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0
लखीसराय	1228	17.0	147.0	19.0	183.0	17.0	144.4	19.0	180.4
जमुई	3098	29.0	351.0	261.0	641.0	29.0	351.7	267.3	648.0
खगड़िया	1486	0.0	3.0	18.0	21.0	0.0	3.2	15.3	18.5
भागलपुर	2569	0.0	49.0	19.0	68.0	0.0	46.2	23.5	69.7
बांका	3020	0.0	104.0	136.0	240.0	0.0	103.3	157.4	260.7
सहरसा	1702	0.0	4.0	30.0	34.0	0.0	4.2	30.5	34.6
सुपौल	2410	0.0	4.0	126.0	130.0	0.0	3.9	134.9	138.8
मधेपुरा	1788	0.0	1.0	50.0	51.0	0.0	0.9	52.0	52.9
पूर्णिया	3229	0.0	5.0	48.0	53.0	0.0	5.0	50.7	55.7
किशनगंज	1884	0.0	17.0	85.0	102.0	0.0	16.3	87.4	103.7
अररिया	2830	0.0	8.0	148.0	156.0	0.0	8.1	142.9	151.0
कटिहार	3057	0.0	6.0	55.0	61.0	0.0	6.0	56.0	62.0
बिहार	**94400**	**332.0**	**3260.0**	**3707.0**	**7299.0**	**333.1**	**3280.3**	**3692.5**	**7306.0**

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 13.5 : शहरी स्थलों का हरितीकरण (2017-18 से 2019-20)

वन प्रमंडल	वनोत्सव मे लगाए गए पौधों की संख्या			
	2017-18	2018-19	2019-20	येागफल
भागलपुर	355	3000	1850	5205
मुंगेर	200	200	400	800
बांका	460	550	300	1310
जमुई	1525	710	2678	4913
पूर्णिया	155	2025	1500	3680
सहरसा	267	300	1100	1667
सुपौल	500	3300	1500	5300
अररिया	475	3190	2075	5740
तिरहुत	275	500	1500	2275
बेगूसराय	400	350	3300	4050
वैशाली	460	800	1960	3220
मोतिहारी	252	1955	2000	4207
सीतामढ़ी	650	1325	2000	3975
भितहा	131	1550	475	2156
भितहा-1	234	1000	150	1384
गोपालगंज	210	310	400	920
सारण	273	450	600	1323
रोहतास	190	650	800	1640
गया	1500	2700	485	4685
औरंगाबाद	310	3500	250	4060
नालंदा	1109	1850	20500	23459
नवादा	240	600	-	840
पटना	265	1981	4166	6412
भोजपुर	67	151	1833	2051
कैमूर			2926	2926
मिथिला	467	652	1817	2936
योगफल	**10503**	**32947**	**51822**	**101134**

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

तालिका प 13.6 : बिजली गिरने से मौत की जिलावार घटनाएं (2015 से 2019)

जिले	2015	2016	2017	2018	2019
पटना	2	7	9	4	5
नालंदा	7	6	3	2	13
भोजपुर	0	5	6	0	4
बक्सर	0	5	3	5	4
रोहतास	3	5	6	3	6
कैमूर	7	4	0	5	3
गया	3	2	2	11	15
जहानाबाद	2	0	4	2	3
अरवल	0	0	1	0	11
नवादा	2	0	4	2	14
औरंगाबाद	0	6	6	12	16
सारण	4	4	5	1	1
सीवान	1	0	2	1	5
गोपालगंज	0	0	1	0	2
पश्चिम चंपारण	0	4	7	0	3
पूर्व चंपारण	0	2	5	2	12
मुजफ्फरपुर	0	1	1	0	0
सीतामढ़ी	0	0	2	0	1
शिवहर	1	1	1	0	0
वैशाली	0	0	9	3	1
दरभंगा	1	0	2	5	5
मधुबनी	0	2	3	4	0
समस्तीपुर	0	3	6	2	3
मुंगेर	8	4	3	15	2
लखीसराय	8	0	2	2	2
शेखपुरा	1	0	4	3	1
जमुई	10	1	17	0	20
बेगूसराय	2	0	0	3	8
खगड़िया	0	0	4	8	4
भागलपुर	7	8	23	6	12
बांका	3	3	8	6	12
सहरसा	6	3	0	4	3
सुपौल	4	2	1	1	0
मधेपुरा	10	3	5	4	1
पूर्णिया	12	8	10	5	5
किशनगंज	2	9	0	0	0
अररिया	16	2	6	8	9
कटिहार	11	14	9	10	10
बिहार	**133**	**114**	**180**	**139**	**216**

स्रोत : अपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार

अध्याय - 14

ई-गवर्नेंस

ई-शासन अखंड पहुंच, अंतर्विभागीय अवरोधों को पार करने वाले सुरक्षित और प्रामाणिक सूचना प्रवाह तथा नागरिकों को निष्पक्ष और पूर्वाग्रहरहित सेवा प्रदान करने वाला पारदर्शी, स्मार्ट शासन है।

- एपीजे अब्दुल कलाम

सारांश

ई-शासन सरकार और नागरिकों के बीच सघन संपर्क-संवाद उपलब्ध कराता है। समग्रतापूर्ण तरीके से ई-शासन को बढ़ावा देने के लिहाज से सुशासन देने और न्यायपूर्ण विकास करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अनेक नीतिगत पहलकदमियां और परियोजनाएं शुरू की गई हैं। राज्य सरकार ने ई-शासन के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक पुरस्कार प्राप्त किए हैं। राज्य में कानून एवं प्रशासन बरकरार रखने के लिए राज्य सरकार ने सीसीटीएनएस, साइबर सुरक्षा, ई-प्रीजन, सीसीटीवी और वीडियो कैमरा से निगरानी, ई-कोर्ट आदि के जरिए अनेक उपाय किए हैं। अभी सीएफएमएस के जरिए राज्य सरकार लोक वित्त में आबंटन और कार्यसंचालन के लिहाज से अधिक दक्षता हासिल करने में सक्षम है। प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी) के जरिए बेहतर सेवा देने से सरकार और लोगों के बीच भरोसा कायम करने में मदद मिली है। जैसे, अकेले ई-लाभार्थी के जरिए करोड़ों लाभार्थियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज कल्याण, खाद्य सुरक्षा आदि क्षेत्रों में प्रत्यक्ष लाभांतरण किया जाता है। राज्य सरकार ने नागरिकों को अधिकार आधारित अनेक शक्तियां (सूचनाधिकार, आरटीपीस आदि) प्रदान की हैं। बिहार को अनेक प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ता है इसलिए आपदाओं के बारे में अग्रिम सूचना के जरिए लोगों को सतर्क करने के लिए कई ई-प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं। राज्य में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए भी राज्य सरकार ने अनेक ई-शासन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है।

पूरी दुनिया में सुशासन के सहयोग के लिए ई-शासन लागू करना सभी स्तरों पर प्रभावी, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहले 2001 में संयुक्त राष्ट संघ द्वारा ई-शासन को बेंचमार्क करने के प्रयास के बाद पिछले लगभग दो दशकों में ई-शासन का तेज विकास हुआ है। इससे लोक सेवाओं, नागरिकों की संलग्नता, और अधिकारियों की पारदर्शिता तथा जवाबदेही में सुधार होता है। संयुक्त राष्ट संघ द्वारा ई-गवर्नमेंटके समग्रतापूर्ण विचार पर आधारित, जिसमें ऑनलाइन सेवाओं और सूचनाओं से लाभान्वित होने में लोगों को सहयोग करनेवाले तीनों आयाम शामिल हों, ई-गवर्नमेंटके विकास पर सर्वेक्षण किया जाता है। ये आयाम हैं : दूरसंचार अधिसंरचना की पर्याप्तता, मानव संसाधन की क्षमता को बढ़ावा देना और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) का उपयोग, तथा ऑनलाइन सेवाओं और विषयवस्तु की उपलब्धता। सर्वेक्षण के जरिए ई-गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स (ईजीडीआइ) के जरिए संयुक्त राष्ट के सभी 193 सदस्य राज्यों के ई-गवर्नमेंट के विकास की प्रक्रिया पर नजर रखी जाती है। यह सूचकांक तीन सामान्यीकृत सूचकांकों के भारित औसत पर

आधारित संयुक्त सूचकांक है। इस सूचकांक में दूरसंचार अधिसंरचना सूचकांक (टीआइआइ), मानव पूंजी सूचकांक (एचसीआइ) औरऑनलाइन सेवा सूचकांक (ओएसआइ) शामिल हैं। भारत इस सूचकांक के लिहाज से उच्च श्रेणी का राज्य है जिसका 2018 में 96वां रैंक था। पूरी दुनिया में ई-शासन की स्थिति मानचित्र 14.1 के जरिए दर्शाई गई है।

मानचित्र 14.1 : विश्व में ई-गवर्नमेंटविकास सूचकांक (ईजीडीआइ) की स्थिति

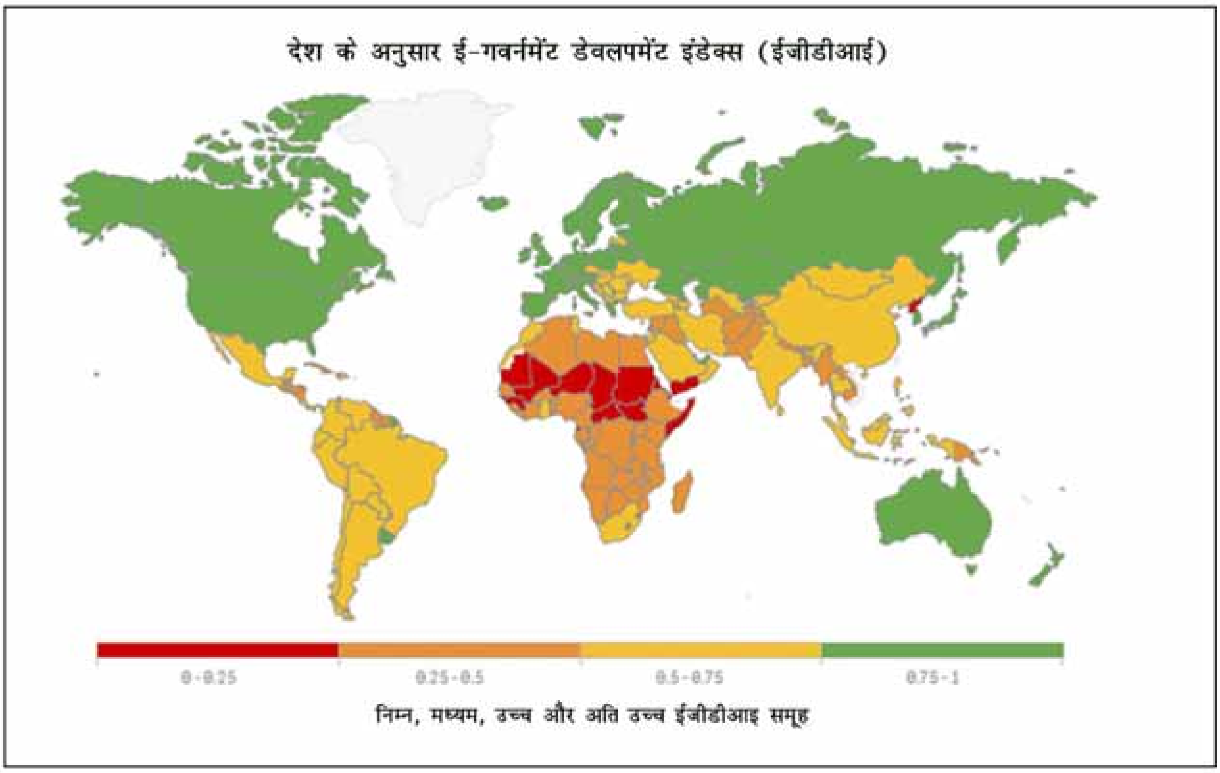

स्रोत : यूनाइटेड नेशंस ई-गवर्नमेंट सर्वे, 2018, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल अफेयर्स, यूएन

उक्त पृष्ठभूमि में राज्य सरकार ने 2005-06 से दो नुख्य प्राथमिकताएं तय की हैं -सुशासन ओर न्यायपूर्ण विकास। राज्य सरकार को ई-शासन के क्षेत्र में आठ पुरस्कार मिले हैं। बिहार को 2006 में राजस्व प्राप्ति बढ़ाने के लिहाज से मूल्यवर्धित कर संबंधी सूचनाओं का कंप्यूटरीकरण करने के लिए ओरेकल ई-शासन एक्सैलेंस अवार्ड प्रदान किया गया। भारत सरकार द्वारा बिहार को प्रतिष्ठित 11वां राष्टोय ई-शासन पुरस्कार, 2008 दिया गया। बिहार को 2007-08 में बिहार में ई-रजिस्टशन परियोजना (कंप्यूटरीकृत निबंधन हेतु स्कोर सिस्टम) के लिए प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री राष्टोय लोक प्रशासन उत्कृष्टता पुरस्कार भी दिया गया। वर्ष 2014-15 में बिहार को चार पुरस्कार मिले - (1) डिजिटल इंडिया अवार्ड-2015, (2) सीएसआइ निहिलेंट ई-शासन 2014-15 अवार्ड, (3) राष्टोय ई-शासन पुरस्कार 2014-15, और (4) राष्टोय ई-शासन पुरस्कार 2014-15 के तहत कौशल विकास एवं नियोजनीयता पुरस्कार। वर्ष 2018 में बिहार को सीटा (स्मार्ट ऊर्जा अधिसंरचना एवं राजस्व प्रशासन) के लिए एक और राष्टोय ई-शासन पुरस्कार प्राप्त हुआ जो ई-सेवाओं में वृद्धि के लिए राज्य के विद्युत क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिको संबंधी बड़ी पहल है। सुशासन प्रदान करने के लिए सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आइसीटी) संबंधी अनेक पहलकदमियों के जरिए सरकारी तंत्र को सुदृढ़ किया गया है। राज्य सरकार द्वारा ई-शासन के अनेक स्वरूपों को व्यवहार में लाया गया है। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी सरकारी प्रक्रिया को तेज करके, तेजी

से और विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लेकर, पारदर्शिता बढ़ाकर और जवाबदेही लागू करके ई-शासन को सुगम बनाती है। यह भौगोलिक और जनसांख्यिक रूप में सरकार की पहुंच का विस्तार करती है। अनेक ई-शासन परियोजनाओं के जरिए प्रायः हर विभाग द्वारा ई-सेवाएं प्रदान की जाती हैं। इस पृष्ठभूमि में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अधिसंरचना के अलावा इस अध्याय में ई-शासन के जरिए दिशाबद्ध किए गए सरकार के इन कार्यों के बारे में जानकारी दी गई है - (1) कानून एवं प्रशासन का अनुरक्षण, (2) लोक वित्त प्रबंधन, (3) सेवा प्रदान, (4) आपात सेवाएं और (5) आर्थिक विकास को प्रोत्साहन।

14.1 ई-शासन की नींव

सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी में क्रांति से संभावनाओं के क्षेत्र में गवर्नेंस के लिए एक नया एजेंडा सामने आया है। सार्वजनिक मामलों में नागरिकों की व्यापक भागीदारी के लिए ई-शासन में निर्णय प्रक्रियाएं और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग शामिल होता है। ई-शासन कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए मोबाइल फोन और इंटरनेट की उपलब्धता सहित सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अधिसंरचना का विकास अनिवार्य है। ई-शासन कार्यक्रम को सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार ने राज्य आंकड़ा केंद्र (एसडीसी), राज्यव्यापी क्षेत्र नेटवर्क (स्वान), सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) और मिडलवेयर गेटवे का विकास किया है। गेटवे में राज्य ई-शासन सेवा प्रदान गेटवे (एसएसडीजी), राष्टोय ई-शासन सेवा प्रदान गेटवे (एनएसडीजी) और मोबाइल ई-शासन सेवा प्रदान गेटवे (एमएसडीजी) शामिल हैं। अभी घर से काम करना, दूरस्थ शिक्षा, ई-बैंकिंग, और ई-शासन इंटरनेट कनेक्शन के जरिए ही संभव हैं। ऐसी अधिसंरचना से राज्य सरकार को ई-शासन के लिए ई-सेवाएं उपलब्ध कराने में मदद मिलती है। तेज और बेहतर ई-शासन सेवाओं के लिए निम्नलिखित बुनियादी अधिसंरचनाएं निर्मित की गई हैं।

बिस्वान 2.0 : यह मजबूत इंटा नेटवर्क सिस्टम ह जिसे सभी प्रखंडों और अनुमंडलों (635), सभी जिलों (38) और राज्य के मुख्यालयों में स्थापित किया गया है। यह 2500 सरकारी कार्यालयों को जोड़ता है। जोड़ने के अलावा इसमें वीडियो कंफ्रेंसिंग (वीसी) की अत्याधुनिक सुविधा उपलब्ध है जिसे कहीं से भी किसी भी समय प्रामाणिकता के साथ प्राप्त किया जा सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग के लिए विस्वान के 674 पीओपी कनेक्शनों को सौर ऊर्जा की ग्रिड कनेक्टिविटी से लैश किया गया है।

सेक्लैन 2.0 : इसका उपयोग सेवा प्रदान में सुधार लाने और नियमित प्रशासन के लिहाज से नागरिकों को ई-शासन सेवाएं और सूचनाएं देने के लिए किया जाता है। इससे सचिवालय के 25 कार्यालय जुड़े हुए हैं। राज्य सरकार द्वारा अपने 9 वर्तमान कार्यालयों और 10 नए चिन्हित भवनों को सेक्लैन 2.0 के जरिए डेटा, आवाज और वीडियो संचार को समेकित किया गया है जो एक इंटानेट है।

बिहार स्टेट डेटा सेंटर (एसडीसी) 2.0 और प्राइवेट क्लाउड : इसमें राज्य और उसके घटक विभागों के ई-शासन अप्लीकेशनों को शुरू और प्रबंधित करने के साझा, विश्वसनीय और सुरक्षित संचार सेवा प्रदान करने की अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी अधिसंरचना शामिल रहती है। इसके जरिए अपने हितधारकों को तेज और प्रभावी ढंग से सेवाएं उपलब्ध कराने में सरकार को सक्षम बनाने के लिए एक मजबूत अधिसंरचना बनाने की बात सोची गई है। इसमें एसडीसी परियोजना के हिस्से के बतौर प्राइवेट क्लाउड परियोजना भी शामिल है। हार्डवेयर, नेटवर्किंग और कनेक्टिविटी, वेब अप्लीकेशंस, ई-कॉमर्स, सूचना प्रोद्योगिकी प्रशिक्षण और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित सारे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष प्रावधान बीएसईडीसी क्लाउड के तहत किए गए हैं। यह ओपन स्टैक और एन-फ्लैश डाइव से लैश है। ओपन स्टैक डेटा सेंटर के जरिए कंप्यूटिंग, स्टोरेज और नेटवर्किंग के बड़े

समूह को नियंत्रित करता है जबकि एन-फ्लैश डाइव उपयोगकर्ताओं को अपने सर्वर में फाइलें स्टोर करने, अपने उपकरणों के साथ फाइलों को सिंक्रोनाइज करने और फाइलें शेयर करने की गुंजाइश देता है। आपदा शमन और आकस्मिक स्थितियों के लिए एक अलग बीएसईडीसी डीआर क्लाउड स्थापित किया गया है।

वाइ-फाइ परियोजना : इसके जरिए सरकारी विश्वविद्यालयों, अंगीभूत महाविद्यालयों और राज्य के अन्य अकादमिक संस्थानों के विद्यार्थियों, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारियों, तथा उनके परिसर में आने वाले अतिथि आगंतुकों को मुफ्त इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जाती है। नवंबर 2019 में कुल 2.3 लाख उपयोगकर्ताओं ने यह सुविधा प्राप्त की। इंटरनेट संपर्क के अलावा वीडियो कंफ्रेंसिंग, बायोमेटिक सुविधा, सीसीटीवी द्वारा निगरानी, और शिक्षा व्यवस्था के अनेक जागरूकता कार्यक्रमों को भी इसके जरिए क्रियान्वित किया जाता है।

सहज तकनीक योजना : लोगों को अपने हकों की जानकारी पाने और समाज कल्याण योजनाओं तथा सरकार से नागरिकों (जी2सी) को मिलनेवाली सेवाओं के लाभ पाने में मदद के लिहाज से पूर्ण डिजिटल समाधान उपलब्ध कराने के लिए इस योजना की शुरुआत 2018 में की गई थी। इस पोर्टल और मोबाइल ऍप को विभिन्न विभागों द्वारा क्रियान्वित होने वाली 100 से भी अधिक योजनाओं में लाइव बनाया गया है और श्रम संसाधन विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से संबंधित 10 और योजनाओं के लिए काम प्रगति पर है।

बिहार आधार ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क (बाफ) : यह एक अंब्रेला फ्रेमवर्क है जो निवासियों की पहचान को सुरक्षित और तेजी से इलक्टॉनिक आधार पर प्रमाणित करने के लिए आधार आधारित सारी लेनदेन को सक्षम बनाता है जिससे सेवा अदायगी अधिक प्रभावी और कुशल बनती है। सेवाएं देते समय प्रमाणन सेवाओं के उपयोग के लिए अनेक विभाग उप-प्रमाणन उपयोगकर्ता अभिकरण के बतौर इस अप्लीकेशन से जुड़े हुए हैं।

राष्टोय ऑप्टीकल फाइबर नेटवर्क (एनओएफएन)/ भारत नेट : इसके जरिए देश के सभी ग्राम पंचायतों को 100 एमबीपीएस स्पीड वाले ब्रॉडबैंड से जोड़ने की योजना है। सितंबर 2019 तक इसके जरिए बिहार के 5773 ग्राम पंचायत जुड़ चुके हैं।

मोबाइल सेवा प्रदान गेटवे (एमएसडीजी) : इसकी शुरुआत 2013 में विभिन्न सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं के साथ एसएमएस सेवाओं के जरिए एम-गवर्नेंस देने के लिए की गई थी।

सर्विस प्लस फ्रेमवर्क : इसका क्रियान्वयन कंप्यूटराइज्ड बैकएंड सिस्टम (डिजिटाइज्ड) के जरिए विभिन्न विभागों में कागजविहीन काम करने के मकसद से किया गया है। अभी इस प्लेटफॉर्म से श्रम संसाधन विभाग की 33 सेवाएं, सामान्य प्रशासन विभाग की 11 सेवाएं और समाज कल्याण विभाग की 8 सेवाएं जुड़ी हुई हैं।

नए सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान : राज्य सरकार बिहार को सूचना प्रौद्योगिकी का केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। इस मकसद से राजगिर में एक आइटी सिटां बनाने का निर्णय लिया गया है और 111 एकड़ जमीन अधिग्रहित की गई ह। साथ ही राजधानी पटना में आइटी टावर और आइटी पार्क स्थापित किया जा रहा है और उसके लिए जमीन अधिग्रहित कर ली गई है। राष्टोय इलक्टॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (नीलिट) को अपने केंद्र खोलने के लिए बिहार में 15 एकड़ जमीन और बक्सर तथा मुजफ्फरपुर में एक-एक एकड़ जमीन दी गई है। राज्य सरकार द्वारा समाज के वंचित तबके के विद्यार्थियों के प्रशिक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग (सी-डेक), पुणे के साथ एक समझौता-पत्र हस्ताक्षरित हुआ है। इसके अलावा, सॉफ्टवेयर पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआइ) को दरभंगा और भागलपुर में पार्क की स्थापना के लिए 30 वर्षों की दीर्घकालिक लीज पर 2 एकड़ जमीन मुफ्त उपलब्ध कराई गई है। इनके अलावा 26.55 करोड़

रु. के व्यय से पटना एसटीपीआइ का विस्तार किया गया जा रहा है। मेडिकल इलक्टॉनिक्स मं शोध के लिहाज से बिहार स्थित पटना भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आइआइटी) में एक इनक्यूबेशन सेंटर की स्थापना के लिए 25 करोड़ रु. का अनुरूपयोजी अनुदान (मैचिंग ग्रांट) स्वीकृत किया गया है। जून 2020 तक सी-डेक का भी एक संपूर्ण केंद्र चालू होने का रहा है।

सूचना एवं संचार प्रौद्योगकी की इन अधिसंरचनाओं में विस्तार के अलावा, हर किसी के लिए ई-शासन सेवाओं की उपलब्धता के लिए इंटरनेट और दूरसंचार की पहुंच भी जरूरी है। बिहार में दूरभाष सघनता 74.3 कनेक्शन प्रति 100 व्यक्ति है जो बताता है कि लगभग हर परिवार को कम से कम एक टेलीफोन कनेक्शन उपलब्ध है। बिहार में इंटरनेट की पहुंच आबादी के पांचवें हिस्से तक भी नहीं है जो चिंता की बात है। हालांकि भारत नेट का आच्छादन 55 प्रतिशत से अधिक ग्राम पंचायतों तक हो गया है जो आसपास के क्षेत्रों में ई-शासन की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं (तालिका 14.1)। अनेक ई-शासन कार्यक्रमों से लाभान्वित होने के लिए आधार जरूरी है और इसका आच्छादन लगभग 85 प्रतिशत है। अंतिम व्यक्ति तक ई-शासन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए इसके आच्छादन को बढ़ाने की जरूरत है। वित्तोय साक्षरता, वित्तोय समावेश, कंप्यूटर साक्षरता, आधार की हकदारी आदि की कमी से ई-शासन कार्यक्रम की सफलता और पहुंच सीमित हो जाती है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से जन-धन योजना, प्रत्यक्ष लाभांतरण, आधार सीडिंग, स्किल इंडिया, बिहार कौशल विकास मिशन, स्वयं सहायता समूह निर्माण, डिजिटल साक्षरता अभियान (दीक्षा), लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल अभियान, स्वयं आदि के जरिए इनका समाधान किया जा रहा है।

तालिका 14.1 : भारत के प्रमुख राज्यों में मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं तथा आधार का आच्छादन (मार्च 2018 में)

राज्य	दूरभाष सघनता	इंटरनेट सघनता	भारत नेट के तहत ग्राम पंचायतों का आच्छादन	आधार का आच्छादन
आंध्र प्रदेश	90.9	37.2	0.0	92.5
बिहार	**74.3**	**17.0**	**55.6**	**84.1**
छत्तीसगढ़	—	—	36.6	94.1
गुजरात	103.8	41.9	31.5	95.5
हरियाणा	91.2	35.6	93.7	100.0
झारखंड	—	—	32.4	93.5
कर्नाटक	98.5	44.3	100.0	92.9
केरल	111.0	48.0	100.0	100.0
मध्य प्रदेश	50.8	22.3	45.6	90.1
महाराष्ट	102.7	43.9	48.1	93.1
ओडिशा	73.1	24.1	38.5	93.2
पंजाब	124.4	52.7	49.4	100.0
राजस्थान	82.1	30.2	88.6	86.5
तमिलनाडु	111.7	47.3	—	93.4
उत्तर प्रदेश	74.8	22.2	49.2	87.2
पश्चिम बंगाल	83.2	29.3	60.3	93.9
संपूर्ण भारत	**83.0**	**33.5**	**42.4**	**89.5**

स्रोत : एसडीजी रिपोर्ट, नीति आयोग, भारत सरकार

चार्ट 14.1 : भारत के प्रमुख राज्यों में टेलीफोन और इंटरनेट की सघनता (2019)

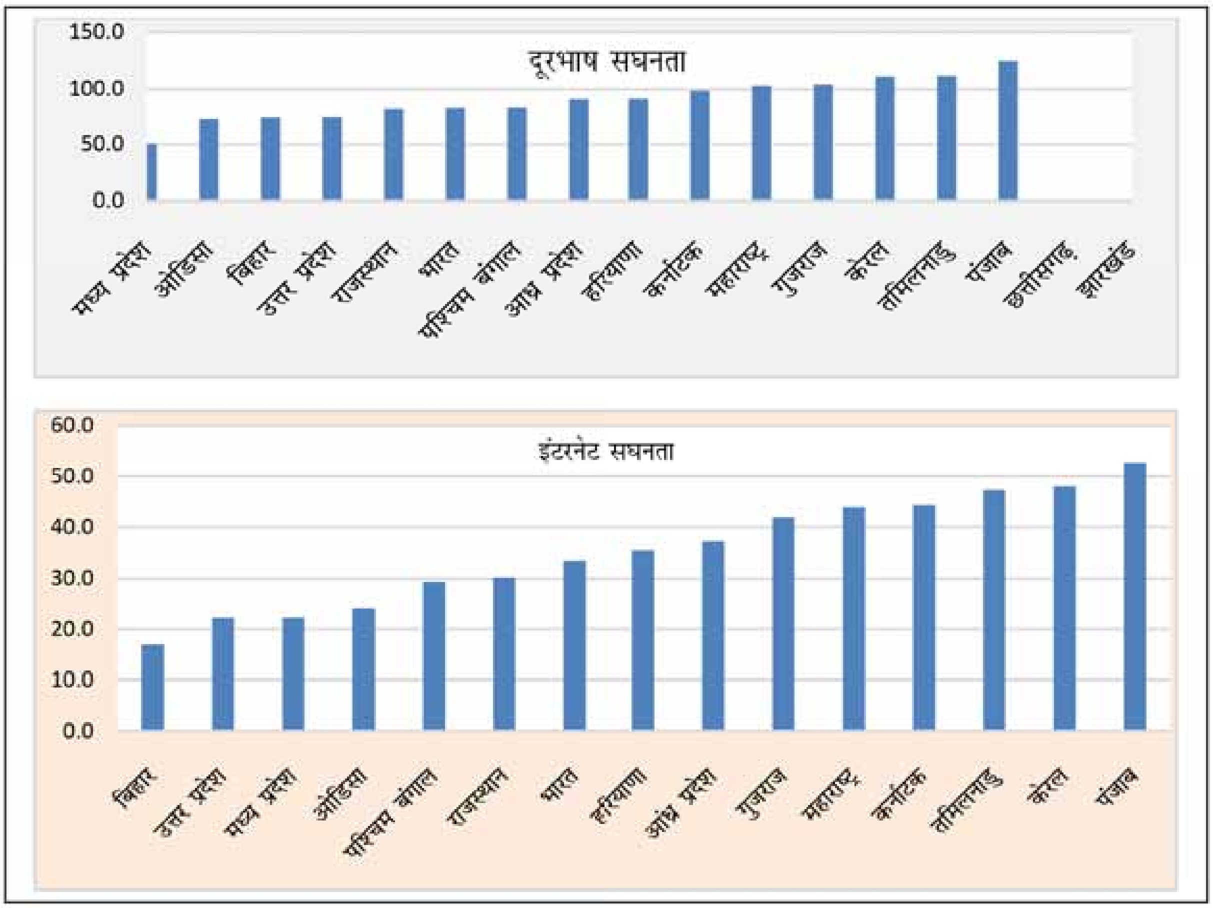

14.2 कानून एवं प्रशासन का अनुरक्षण

सबके जीवन और संपत्ति की सुरक्षा किसी भी सरकार का अनिवार्य कर्तव्य होता है और सबसे महत्वपूर्ण है। कानून एवं व्यवस्था बहाल रखना भारतीय संविधान को सातवीं अनुसूची के तहत राज्य का विषय है। राज्य सरकारों का मुख्य कर्तव्य अपराध को रोकना, पता लगाना, दर्ज करना और छानबीन करके अपराधियों को दंड दिलाना है। वहीं केंद्र सरकार राज्य आरक्षी बल आधुनिकीकरण योजना के तहत राज्य सरकार के प्रयासों को अस्त्र-शस्त्र, संचार, उपकरण, आवागमन, प्रशिक्षण और अन्य अधिसंरचनात्मक सुविधाओं के लिहाज से उनके आरक्षी बलों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तोय सहायता देकर पूरक के बतौर काम करती है। साथ ही, अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था से संबंधित घटनाएं रोकने के लिए केंद्र सरकार के सुरक्षा एवं गुप्तचर अभिकरणों के द्वारा राज्य के कानून प्रवर्तन अभिकरणों को नियमित रूप से गोपनीय संदेश उपलब्ध कराए जाते हैं। यह बहुत जटिल मामला ह और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी कानून एवं व्यवस्था बहाल रखने में कई तरीकों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। नीचे राज्य में कानून एवं व्यवस्था को लागू करने तथा प्रशासन में तेजी लाने में मददगार अनेक ई-सवाओं का वर्णन किया गया है।

अपराध एवं अपराधी निगरानी नेटवर्क तथा प्रणाली (सीसीटीएनएस) : इसका लक्ष्य सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित अत्याधुनिक टकिंग सिस्टम के जरिए पुलिस की दक्षता और प्रभाविता बढ़ाने के लिए व्यापक और

समेकित प्रणाली तैयार करना तथा अपराध की छानबीन और अपराधियों की पहचान भी करना है। यह सभी पुलिस थानों को जोड़ेगी और सभी अपराधों, अपराधियों, केस डायरी आदि से संबंधित आंकड़े शेयर करने की गुंजाइश उपलब्ध कराएगी। यह जिलों द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआइआर) अपलोड करने की सुविधा भी उपलब्ध कराती है जिसको नागरिकों के द्वारा आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। अभी तक लगभग 9 लाख एफआइआर अपलोड किए जा चुके हैं। इसके लिए कुल 280.17 करोड़ रु. धनराशि स्वीकृत है जिसमें से अभी तक 34.16 करोड़ रु. का उपयोग किया जा चुका है।

साइबर सुरक्षा : सर्ट-इन (इंडियन कंप्यूटर इमर्जेंसी रिस्पांस टीम) साइबर सुरक्षा से संबंधित मामलों से निपटती है। इसके द्वारा डेटा संग्रहित किया जाता है, साइबर संबंधी घटनाओं के आयामों का विश्लेषण किया जाता है, और साइबर सुरक्षा संबंधी घटनाओं का पूर्वानुमान और चेतावनी जारी की जाती है। इसके अलावा महिला एवं बाल विरोधी साइबर अपराध निवारण योजना (सीसीपीडब्ल्यूसी) का क्रियान्वयन महिलाओं और बच्चों के लिए साइबर खतरों को सीमित करने के मकसद से किया जा रहा है। इस योजना के लिए 2.47 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा राष्टोय साइबर सुरक्षा नीति के उद्दश्यों के अनुरूप साइबर सुरक्षा संबंधी अतिरिक्त पहलकदमियां ली जा रही हैं जिसमें देश में सुरक्षित साइबर परितंत्र तैयार करनेकी बात सोची गई है।

ई-प्रीजन : यह 2017-18 में शुरू की गई क्लाउड आधारित ई-शासन परियोजना है जिसमें कारा और कारा प्रबंधन से संबंधित सारे क्रियाकलापों को समेकित कर दिया गया है। यह कारा अधिकारियों और आपराधिक न्याय प्रणाली से जुड़ी अन्य हस्तियों को वास्तविक समय की स्थिति में बंदियों के बारे में महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराती है। यह ऑनलाइन अनुरोध और शिकायत निवारण में भी सहायता करती है। राज्य सरकार ने कारा ईआरपी परियोजना के जरिए कैदियों से संबंधित सूचनाओं के डिजिटाइजेशन के लिए अनुदान के बतौर 5.13 करोड़ रु. उपलब्ध कराए हैं। पिछले पांच वर्षों में (सितंबर 2019 तक) कुल 12.78 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। साथ ही, प्रीजन कॉलिंग सॉल्यूशन प्रोजेक्ट एक बायोमेटिक कॉलिंग समाधान है जो कारा के बंदियों को निर्धारित समय में अपने रिश्तेदारों के साथ बातचीत करने और कानूनी सलाह लेने के लिए निश्चित संख्या में कॉल करने में सक्षम बनाती है। अनुश्रवण के मकसद से ये कॉल रिकॉर्ड किए जाते हैं।

सीसीटीवी और वीडियो कंफ्रेंसिंग आधारित निगरानी

(1) **कारा-न्यायालयवीडियो कंफ्रेंसिंग एवं कारा सीसीटीवी निगरानी परियोजना** राज्य के सभी जिला और अनुमंडल कारागारों में स्थापित सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली और वीडियो कंफ्रेंसिंग सुविधा है। सीसीटीवी प्रणाली से गैरकानूनी गतिविधियों के अनुश्रवण में मदद मिलती है जिससे कारा की दैनंदिन कार्यवाहियों, और कारा अधिकारियों तथा कैदियों की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है जबकि वीडियो कंफ्रेंसिंग सुविधा से कारागारों में ही न्यायालयों की सुनवाई में मदद मिलेगी। तकनीकी संभाव्यता सर्वेक्षण के आधार पर 58 कारागारों और 53 न्यायालयों (8 केंद्रोय कारागारों और 50 उप कारागारों तथा 53 जिला न्यायालयों) को सीसीटीवी आधारित निगरानी प्रणाली और वीडियो कंफ्रेंसिंग के क्रियान्वयन के लिए उपयुक्त पाया गया।

(2) **मल्टी वीडियो कंफ्रेंसिंगपरियोजना** का क्रियान्वयन कारा में बंद अभियुक्त की सुनवाई के लिए वीडियो कंफ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित करने के लिए किया जाना है। इसका मुख्य उद्दश्य अभियुक्त, गवाह और वकील को एक ही स्क्रीन पर दिखाते हुए वीडियो कंफ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन सुनवाई करना है। इसमें पटना के कारा महानिरीक्षक, हाजीपुर स्थित बिहार सुधारक प्रशासन संस्थान (बीका) और पटना उच्च न्यायालय भी शामिल हैं।

(3) **न्यायालय सीसीटीवी निगरानी परियोजना** का क्रियान्वयन हाल में न्यायालय परिसर में और आसपास गैरकानूनी और सामाजिक रूप से परेशान करने वाली गतिविधियों के प्रतिक्रियास्वरूप किया जा रहा है। इन गतिविधियों से न्यायालय की दैनंदिन कार्यवाहियां, तथा न्यायिक अधिकारियों और न्यायालय परिसर में मौजूद अन्य नागरिकों की सुरक्षा प्रभावित होती है। सीसीटीवी निगरानी प्रणाली के जरिए कार्यवाही के लिए न्यायालय में लाए गए कैदियों, उपस्थित पुलिसकर्मियों और न्यायाधीशों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी।

(4) **पुलिस थाना और कारा आइपी आधारित सीसीटीवी निगरानी प्रणाली** के सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में थानों और पूछताछ कक्षों को लाया जाना है। राज्य सरकार ने पुलिस थानों और कारागारों में पुलिस अत्याचार के आरोपों से निपटने के कदम के बतौर सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्णय लिया जिससे मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप, हवालात में हिंसा के मामले में बार-बार आने वाली शिकायतों और पुलिस के हवालात में मौत के मामलों पर रोक लगाई जा सके। राज्य सरकार ने 960 पुलिस थानों के लिए 282 करोड़ रु. स्वीकृत किए हैं। अभी तक 625 पुलिस थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जा चुके हैं। इससे हवालात में होने वाले उत्पीड़न, प्रताड़ना, कदाचारों, रिश्वतखोरी आदि का अनुश्रवण और प्रेक्षण तथा निवारण करने में मदद मिलेगी। इससे माओवादियों, नक्सलवादियों और भीड़ द्वारा हमले के खतरे से पुलिस थानों और अधिकारियों को सुरक्षा मिलेगी। इससे मुख्यालय या नियंत्रण कक्ष जैसे केंद्रीय स्थल से जमीनी स्तर पर उपस्थिति, प्रदर्शन और किए जा रहे कार्यों पर नजर रखने में भी मदद मिलेगी।

(5) **पटना के लिए स्मार्ट सिटी मिशन परियोजना** का आरंभ सुरक्षित शहर के लिहाज से सार्वजनिक स्थानों की निगरानी के लिए मूलत: 2017 में किया गया था।

आपात अनुक्रिया सहयोग प्रणाली (ईआरएसएस) : इसमें स्वचालित वाहन अवस्थिति प्रणाली (एवीएलएस) के साथ कैड (कंप्यूटर एँडेड डिस्पैच) शामिल होगा जिससेबेहतर जवाबदेही और उत्तरदायित्व के लिए सभी गतिविधियों का डिजिटल टल होगा। इसके जरिए पुलिस, अग्निशाम सेवा, चिकित्सा सेवा, आपदा प्रबंधन आदि को अद्वितीय आपात नंबर 112 से जोड़ने की व्यवस्था होगी। यह प्रणाली नगर निगरानी, यातायात प्रबंधन प्रणाली, और सीसीटीएनएस के साथ भी जोड़ा जाएगा। इस प्रणाली के लिए केंद्र सरकार द्वारा निर्भया कोष से 12.29 करोड़ रु. उपलब्ध कराए गए हैं।

बिहार पुलिस हेल्पलाइन (18603456999): आइवीआर (इंटरएँक्टिव वाइस रिस्पांस) सुविधा के साथ एक केंद्रीकृत शिकायत निवारण कोषांग (सीजीआरसी) की शुरुआत फरवरी 2017 में की गई थी। इसमें कोई भी व्यक्ति कॉल करके या इसके वेब पोर्टल का उपयोग करके और मोबाइल ऐप के जरिए शिकायत दर्ज करा सकता है। शिकायत दर्ज होने के बाद आवेदक को एसएमएस के जरिए अद्वितीय टोकन नंबर मिलता है। अभी तक कोई

22,000 आवेदकों द्वारा लगभग 30,000 शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। महिलाओं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपात स्थिति का सामना करने के लिए केंद्र सरकार की पहल निर्भया ऍप द्वारा इंटरफेस उपलब्ध कराया जाता है।

ई-कोर्ट : इसे न्यायिक सेवा केंद्र के जरिए 79 में से 68 स्थानों पर लगाया जा चुका है। यह 37 जिला न्यायालयों और 42 अनुमंडल न्यायालयों में वाद दायर करने, स्थिति की पूछताछ आदि विभिन्न सेवाओं के लिए नागरिक सेवा इंटरफेस काउंटर ह। इसका उपयोग मुकदमे की स्थिति की जानकारी, प्रमाणित प्रतियां पाने, पूछताछ आदि सेवाओं के लिए रिसेप्शन सह पूछताछ केंद्र और केंद्रोय सुगमीकरण केंद्र, दोनो के बतौर किया जाता है। राज्य के लोगों को सूचना प्रौद्योगिक सक्षमित प्लेटफॉर्म ई-फाइलिंग की सुविधा दी गई है जिससे मुकदमा दर्ज कराने और भुगतान करने की परेशानी मुक्त सुविधाजनक ऑनलाइन सेवा मिलती है। दरभंगा जिला न्यायालय में इसकी सफलतापूर्वक जांच की जा चुकी है। साथ ही, उच्च न्यायालय और अन्य 79 निचले न्यायालयों में मुकदमों के रिकॉर्ड के डिजिटाइजेशन और डिजिटल संरक्षण के लिए अक्तूबर 2016 से **केस इनफॉर्मेशन सिस्टम**(सीआइएस) स्थापित की गई है और **डॉक्यूमेंट केस मैनेजमेंट सिस्टम** (डीसीएसएम) के जरिए अभी तक 2.72 लाख दीवानी और 4.94 लाख आपराधिक मुकदमों सहित कुल 7.66 लाख मुकदमे डिजिटाइज किए जा चुके हैं। डीसीएमएस से सभी जिलों और अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक अधिकारियों की दैनंदिन प्रगति का अनुश्रवण एवं विश्लेषण करने में मदद मिलती है। क्लाउड कंप्यूटिंग सीआइएस के क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने गया जिला न्यायालय में पायलट के आधार पर क्लाउड बेस्ड कोर्ट के लिए सहयोग उपलब्ध कराया है। कोर्ट से क्लाउड पर जाने की सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई हैं और उपयोगकर्ताओं को सॉफ्टवेयर की खुद से जांच करने और आगे विकास के लिहाज से फीडबैक उपलब्ध कराने के लिए यूआरएल उपलब्ध करा दिए गए हैं।

ई-कमान : यह एक ई-शासन परियोजना है जो कानून एवं व्यवस्था बहाल रखने तथा बैंक एवं अन्य संस्थानों में दैनिक आधार पर ड्यूटी के लिए गृहरक्षकों की ड्यूटी बांटने में मदद मिलती है।

बिहार स्पैरो : स्मार्ट प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट रिकॉर्डिंग ऑनलाइन विंडो प्रणाली (स्पैरो) व्यापक प्रदर्शन मूल्यांकन डोसियर पर आधारित एक ऑनलाइन प्रणाली है। ये डोसियर बिहार प्रशासनिक सेवा, बिहार आरक्षी सेवा, बिहार कारा सेवा, बिहार अभियोजन सेवा, बिहार गृहरक्षक सेवा, और बिहार अग्निशाम सेवा के अधिकारियों के लिए संधारित किए जाते हैं। इस प्रणाली का लक्ष्य अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पार) की ई-फाइलिंग को इस तरह से सुगम बनाना है कि वह उपयोग में आसान ही नहीं हो, सभी अधिकारियों द्वारा दर्ज रिपोर्ट निर्धारित समय सीमा में उपलब्ध भी हो जाएं।

बाल श्रम निगरानी प्रणाली (सीएलटीएस) : यह 12 जून 2016 को शुरू की गई वेब आधारित निगरानी (टकिंग) प्रणाली है जो मुक्त कराए गए बाल मजदूर के पुनर्वास और अनुश्रवण का प्रावधान करती है। मुक्त कराने के बाद बाल मजदूर को श्रम संसाधन विभाग द्वारा 3000 रु. की आर्थिक सहायता, जिला पुनर्वास कोष से 5000 रु. की सहायता, और (सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार) अभियुक्त की ओर से 20,000 रु. सहायता दी जाती है। इन सारी सहायता के अतिरिक्त इस पोर्टल पर निबंधित होने के बाद बाल श्रमिक को मुख्यमंत्री राहत

कोष से 25,000 रु. की अतिरिक्त राशि मिलेगी। अभी तक 1530 बाल श्रमिकों को ऐन्यूइटी योजना के जरिए यह रकम मिली है। दिसंबर 2019 तक सीएलटीएस के तहत निबंधित बाल मजदूरों की कुल संख्या 5759 थी।

ई-म्यूनिसीपैलिटी बिहार : नागरिकों को पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से समेकित आद्योपांत सुविधाएं उपलब्ध कराने के मकसद से इस योजना को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा फरवरी 2016 में शुरू किया गया था। यह आम नागरिकों को नगर निकायों में उपलब्ध सिंगल विंडो सिस्टम के जरिए नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराता है। इसमें नगर स्थानीय निकायों से संबंधित संपदा कर, भवन निर्माण अनुमति, जीवन और मृत्यु प्रमाणपत्र, सूचनाधिकार, टड लाइसेंस आदि सारी नागरिक सेवाएं शामिल हैं। 210 करोड़ रु. के लिए इसकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए 7.0 लाख लाभार्थी इससे जुड़े हैं। मार्च 2019 में म्यूनिसिपल ई-शासन मॉड्यूल की शुरुआत की गई है जो आम नागरिक, प्राफेशनल, व्यावसायिक हस्ती, निर्माण कंपनी आदि समेत विभिन्न हितधारकों का संपदा कर भुगतान, जन्म एवं मृत्यु प्रमाणपत्र, भवन निर्माण अनुमति और पेशा प्रमाणत्र, टड लाइसेंस, सूचनाधिकार, मानव संसाधन प्रबंधन, योजनाओं का अनुश्रवण, वीडियो कंफ्रेंसिंग, ऑनलाइन रिपोर्टिंग, जीआइएस आधारित संपदा सर्वेक्षण आदि की ऑनलाइन नागरिक केंद्रित सेवाएं उपलब्ध कराता है। दुहरी लेखाकरण प्रणाली और पीएफएमएस/ सीएफएमएस के उपयाोग के जरिए लेखाकरण प्रणाली में सुधार किया गया है। इस मॉड्यूल से स्थानीय निकायों को ई-टेंडरिंग, जेम पोर्टल, ई-ऑफिस, और सीसीटीवी कैमरों तथा बायोमेटिक उपकरणों के जरिए प्रभावी अनुश्रवण और नियंत्रण करने में सहायता मिलती है। धनराशि को आधार और जीआइएस के समन्वय के जरिए सत्यापन के बाद अंतरित किया जा रहा है।

ई-ऑफिस : इसे नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (एनआइसी) द्वारा विकसित किया गया है। इसका लक्ष्य अधिक कुशल, प्रभावी और पारदर्शी अंतर-सरकारी और सरकार अंतर्गत लेनदेन और प्रक्रियाओं की दिशा में बढ़ना है। पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने तथा सरकारी कार्य संस्कृति और नैतिकता में बदलाव लाने के लिए स्वतंत्र कार्यों और प्रणालियों को एक साथ लाते हुए इस उत्पाद को दुबारा उपयोग लायक एकल प्रणाली के बतौर विकसित किया गया है। सितंबर 2019 तक 43 विभाग/ सार्वजनिक उपक्रम/ सीमावर्ती जिले 4876 यूजर इंटरफेस के जरिए जुड़े हुए थे।

मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली (एचआरएमएस) : सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी यह परियोजना जुलाई 2019 से क्रियान्वित हो रही है। इसमें रिकॉर्ड कीपिंग और कर्मियों से संबंधित सूचनाओं (संवर्ग, पद, ग्रेड पे, वेतनमान आदि), सेवा समझौता, अन्य देय लाभ (पेंशन, छुट्टियां, भविष्य निधि आदि), ई-सर्विस बुक, वेतन निर्धारण आदि का संधारण शामिल है। ये कार्य ऑनलाइन सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली के जरिए कागजविहीन तरीके से किए जाएंगे और 3.5 लाख सरकारी कर्मचारी तथा 34.1 करोड़ रु. इसकी जद में होंगे। कर्मचारियों को उनकी यूनिक आइडी के आधार पर वांछित जानकारी ईमेल या एसएमएस के जरिए उपलब्ध करा दी जाएगी। कर्मचारी इस सूचना को प्राप्त कर सकते हैं और मोबाइल ऐंप के जरिए भी लेनदेन कर सकते हैं।

ई-निवास : राज्य सरकार ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से सरकारी क्वार्टर आबंटित करती रही है। इससे सरकारी क्वार्टर का पारदर्शी और तेज आबंटन होता है और आवेदक स्थिति पर कहीं से, किसी भी समय नजर रख सकते हैं।

14.3 राजकोषीय गवर्नेंस

राजकोषीय गवर्नेंस नियमावली, विनियमों और प्रक्रियाओं का सेट होता है जो राजकोषीय नीति के निर्माण, स्वीकृति, क्रियान्वयन और अनुश्रवण पर असर डालता है। विवेकपूर्ण लोक वित्त प्रबंधन (पीएफएम) राजकोषीय गवर्नेंस और रणनीतिक योजना निर्माण के जरिए तेज गति से बढ़ने में अर्थव्यवस्था की मदद करता है जिससे आबंटन और कार्यसंचालन में कुशलता के उद्दश्यों की प्राप्ति में मदद मिलती है। पीएफएम बजट निर्माण, बजट क्रियान्वयन, लेखाकरण, रिपोटिंग, बाहरी छानबीन और लेखापरीक्षा के चक्र के जरिए काम करता है। इन कार्यों का हाथों के जरिए करना आसान नहीं है। पिछले दो दशक से दुनिया भर में ई-फिस्कल मैनेजमेंट किया जा रहा है। सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म वैज्ञानिक तरीके से प्राक्कलन, संचालन, अनुश्रवण और मूल्यांकन की गुंजाइश देते हैं। राज्य सरकार राज्य बजट के निष्पादन के लिए सीएफएमएस का उपयोग कर रही है जबकि केंद्र सरकार केंद्रोय वित्तव्यवस्था के प्रबंधन के लिए पीएफएमएस का उपयोग कर रही है। निम्नलिखित ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म राज्य में ई-फिस्कल मनेजमेंट से संबंधित कागजविहीन, यथासमय और ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराते हैं।

सीएफएमएस : बिहार में सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित मॉड्यूल के जरिए राजकोषीय प्रबंधन का निष्पादन सबसे पहले 2008 में सीटी एमआइएस (व्यापक कोषागार प्रबंधन सूचना प्रणाली) के जरिए राजस्व और व्यय पर लगातार नजर रखने के लिए किया गया था। सरकार की लेनदेन राज्य के कोषागार के जरिए दिशाबद्ध होती है। यह राजस्व संग्रहित करता है, व्यय का उल्लेख करता है और भावी जवाबदेही के लिए कोषागारों के रिकॉर्ड व्यवस्थित तरीके से संधारित करता है। वर्ष 2018-19 तक ये काम सीटीएमआइएस के जरिए किए जाते थे। अप्रील 2019 से राज्य सरकार ने वित्त प्रबंधन मॉड्यूलों में संशोधन किया है और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी अपनाई है जिसके तहत आधारित सीएफएमएस के नाम से नशहूर उच्च सुरक्षा विशेषताओं से सुसज्जित पीएफएम प्रक्रियाओं वाली ताजातरीन सशक्त सूचना प्रौद्योगिकी काम में लाई गई है। पहली बार सीएफएमएस के जरिए सभी विभागों, कोषागारों, जिला विकास कार्यालयों, भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य सरकारी कार्यालयों को जोड़ा गया है। इससे हितधारकों के बीच अर्थोपाय अग्रिम सहित प्राप्ति, व्यय, ऋण और निवेश की तत्काल जानकारी मिल जाती है जिससे कार्यालय आधारित और खास अभिकरण के बारे में नीतिगत निर्णय में मदद मिलती है। इससे किसी भी समय आंकड़े और सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो जाने से हितधारक अवगत रहते हैं। इसमें आंकड़े अपने मूल स्रोत से ही कैप्चर हो जाते हैं जिससं आंकड़ों की बहुतायत और विसंगतियों के कारण लगने वाले समय, श्रम और खर्च की बचत हो जाती है। सीएफएम के जरिए विभाग और कोषागार स्तर पर प्राप्ति और व्यय का स्वतः मिलान होते जाने से मिलान करने की बहुत कम जरूरत पड़ती है। इससे प्रभावी सटीक बजट तैयार करने और प्रभावी व्यय नियंत्रण, बजट और ऋण के कुशल अनुश्रवण और निगरानी, नगद प्रवाह प्रबंधन आदि के लिहाज से वित्तोय अनुशासन लाने में भी मदद मिलतो है। इसके अलावा, विक्रताओं/ कर्मचारियों, इनवाइस/ दावा के तेज भुगतान, शीघ्र वापसी, तत्काल प्राप्ति स्वीकार आदि के जरिए तेज और पारदर्शी सेवा अदायगी भी हो पाती है। भारतीय रिजर्व बैंक के ई-कुबेर के द्वारा ऑनलाइन भुगतान की प्रोसेसिंग के जरिए भुगतानों को अधिकृत करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर के जरिए उच्च सुरक्षा वाले डिजिटल प्रमाणपत्रों का

अधिकृतीकरण सुनिश्चित किया गया है। ई-टजरी की स्थापना ऑनलाइन सरकारी राजस्व एवं लेखाकरण प्रबंधन प्रणाली (ओ-ग्रास) के जरिए ई-रिसिप्ट के रूप में सरकार के राजस्वों की प्राप्ति के लिए की गई है। ओ-ग्रास नागरिकों, उद्यमियों, व्यवसायियों, व्यापारियों आदि को आसान और सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिहाज से ऑनलाइन कर भुगतान में सहयोग के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित प्लेटफॉर्म है। यूजर आइडीबनाने के बाद सीएफएमएस के द्वारा सभी हितधारकों को ओटीपी के जरिए पुष्टि के आधार पर भुगतान, कार्य प्रवाह, उपयोगकर्ता की पहुंच के सत्यापन और बिल के अधिकृतीकरण की ईमेल और एसएमएस एलर्ट के जरिए जानकारी दी जाती है। इसके साथ 5.39 लाख हितधारक जुड़े हुए हैं और इससे 3,09,208 करोड़ रु. की लेनदेन हुई है। सीएफएमएस के विभिन्न मॉड्यूल से संबंधित किसी की प्रकार के प्रश्न, समस्या, गतिरोध या शिकायत के समाधान के लिए सीएफएमएस कोषांग स्थापित किया गया है।

पीएफएमएस : लोक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) एक सूचना प्रौद्योगिकी आधारित मॉड्यूल ह जिसका निष्पादन महालेखा-नियंत्रक (सीजीए) कार्यालय द्वारा किया जाता है। वर्ष 2009 से इसका क्रियान्वयन सभी केंद्रोय योजनागत योजनाओं के तहत विमुक्त धनराशियों और कार्यक्रमक्रियान्वयन के सभी स्तरों पर व्ययों की तत्काल सूचना देने के लिए किया जाता है। वर्ष 2009 में इसे केंद्रीय योजनागत योजना अनुश्रवण प्रणाली (सीपीएसएमएस) के नाम से जाना जाता था। बाद में 2013 में सभी केंद्रोय योजनाओं के लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभांतरण करने के लिए इसका विस्तार किया गया। एक वर्ष बाद मुख्य फोकस पीएफएमएस के जरिए लेखों का डिजिटाइजेशन करने पर हो गया। यह ई-शासन का टूल है जो कुशल धनराशि प्रवाह व्यवस्था और भुगतान सह लेखाकरण नेटवर्क बनाकर केंद्र सरकार को ठोस लोक वित्तप्रबंधन करने में सक्षम बनाता है। यह सभी प्रकार के हितधारकों को प्रभावी निर्णय सहायता प्रणालो उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय और वास्तविक समय में प्रबंधन सूचना प्रणाली में सहयोग देता है। इसमें केंद्र प्रायोजित योजना और केंद्रोय क्षेत्र की योजनाओं के तहत भुगतान, कर एवं करेतर प्राप्तियां, तथा व्यापक मानव संसाधन प्रबंधन सूचना प्रणाली और स्वयंसंपूर्ण पेंशन और सामान्य भविष्य निधि मॉड्यूल जैसी बजट संवंधी विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। अभी पीएफएमएस के जरिए सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंकों, भारतीय रिजर्व बैंक, पोस्ट ऑफिस बैंक और सहकारी बैंकों को कोर बैंकिंग समाधान (सीबीएस)की सुविधा दी जा रही है।

वस्तु एवं सेवा कर नेटवर्क (जीएसटीएन) : यह अद्वितीय और बहुमुखी सूचना प्रौद्योगिकी पहल है जिसे पहली बार करदाताओं के लिए केंद्र, राज्यों और भारतीय रिजर्व बैंक के बीच आम और साझा सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर समरूप इंटरफेस के बतौर स्थापित किया गया है। पोर्टल के जरिए विश्वसनीय राष्टोय सूचना उपयोग (एनआइयू) बनने की बात सोची गई है जो न्यूनतम अप्रत्यक्ष कर अनुपालन व्यय के साथ आर्थिक अभिकरणों को एक बाजार के बतौर पूरे राष्ट को देखने में सक्षम बनाते हुए वस्तु एवं सेवा कर व्यवस्था के लिए विश्वसनीय, कुशल और सुदृढ़ सूचना प्रौद्योगिकी आधार उपलब्ध कराए।

जेम : गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस या जेम (सरकारी ई-बाजारस्थल)का क्रियान्वयन बिहार में 01 अप्रील 2018 को किया गया था। इसका मकसद सार्वजनिक खरीद में पारदर्शिता, कुशलता और गति बढ़ाना है। यह वस्तुओं और

सेवाओं की ऑनलाइन खरीद के लिए सिंगल विंडो समाधान है जो सरकार के सीमित संसाधनों के आदर्श उपयोग के लिए ई-बिडिंग, रिवर्स ई-ऑक्शन और मांगों को समेकित करना सुगम बनाता है। कंप्यूटर, प्रिंटर, फोटोकॉपियर, कागज और लेखन सामग्री जैसी आम उपयोग की सारी चीजों के साथ-साथ फर्नीचर और बोतलबंद पानी जैसी चीजों की भी खरीद जेम के जरिए की जा रही है। यह व्यवसाय और सरकार के बीच का (बी2जी) प्लेटफॉर्म है जिसने कई स्तरों पर होने वाले मानव आधारित क्रमिक सत्यापनों और निर्णय प्रक्रिया को समाप्त कर दिया है जिसके कारण सरकार द्वारा खरीद के समय में नाटकीय कमी आई है। इस प्लेटफॉर्म ने बिचौलियों को दूर रखकर और विक्रताओं को शीघ्र भुगतान की गारंटी देकर आकर्षक नए विकल्प उपलब्ध कराए हैं। भुगतान के सीएफएमएस या कोषागार प्रबंधन प्रणाली के जरिए बैंकिंग व्यवस्था के साथ जुड़ने से पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त खरीद और बोली लगाना सुनिश्चित हुआ है।

ई-अधिप्राप्ति प्रणाली : यह खरीदारों के लिए रियल टाइम बिडिंग सॉल्यूशन ह जो उपयोगकर्ताओं को टेंडरविजार्ड ऑनलाइन सॉल्यूशन का उपयोग करके निविदा की प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम बनाता है। यह समाधान बिहार सरकार और बीएसईडीसी लिमिटेड की निविदाओं से संबंधित सूचनाओं तक तेज और सामान पहुंच उपलब्ध कराता है।

14.4 लोक सेवा प्रदान

प्रत्यक्ष लाभांतरण (डीबीटी)का आरंभ कल्याण योजनाओं में जारी प्रक्रिया को बदलकर लोक सेवा अदायगी व्यवस्था में सुधार लाने का लक्ष्य लेकर किया गया था। इसका लक्ष्य आधार और बैंक खातों के साथ जोड़ने के जरिए लाभार्थियों को सही-सही लक्षित करना और उनके दोबारा शामिल होने से और धोखाधड़ी को रोकना सुनिश्चित करना था।

ई-लाभार्थी : यह वेब आधारित एकीकृत पोर्टल है जिसके जरिए शिक्षा, समाज कल्याण, अजा/अजजा कल्याण, पिछड़ा/ अति पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याग आदि विभगाों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, नि:शक्तता भत्ता और लड़कियों के लिए मुफ्त साइकल, पोशाक और पठन सामग्री, तथा विभिन्न योजनाओं से संबंधित छात्रवृत्ति समेत अनेक ई-सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अभी तक 68 लाख पेंशनधारी इससे लाभान्वित हो रहे हैं। अब मुख्यमंत्री वृद्धजन योजना के लाभ 25 लाख लाभार्थियों को भी दिए जा रहे हैं।

शिक्षा : राज्य सरकार राज्य में मानव विकास के लिए कृतसंकल्प है और शिक्षा इसका केंद्रीय फोकस है क्योंकि शिक्षित समाज के निर्माण के लिए सरकार बड़े हिस्से का आबंटन इस क्षेत्र को करती है। प्रत्यक्ष लाभांतरण मेधासॉफ्ट एॅप के जरिए करने का निर्णय लिया गया है जिसमें **ई-लाभार्थी पोर्टल** के जरिए लाभार्थियों के बारे में आंकड़े और सूचनाएं (बैंक खाता से संबंधित, आधर नंबर आदि) कैप्चर होती हैं। राज्य के विद्यार्थी उच्च शिक्षा प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं। राज्य सरकार विद्यार्थियों को शिक्षा क्षेत्र में विभिन्न वित्तीय सहयोगों और पुरस्कारों के जरिए सहयोग देती रही है जिनके विवरण तालिका 14.2 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 14.2 : शिक्षा विभाग की विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभांतरण

योजना का नाम	लाभार्थी की श्रेणी	सामाजिक तबका (अजा/ अजजा/ पिछड़ो/ अति पिछड़ी जाति आदि)	रकम (रु. में)
मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना	कक्षा 1 से 4 के लड़के-लड़कियां	मुसहर और भुइयां को छोड़कर सभी तबके	50 रु. प्रति माह
	कक्षा 5 और 6 के लड़के-लड़कियां	मुसहर और भुइयां को छोड़कर सभी तबके	100 रु. प्रति माह
	कक्षा 1 से 6 के लड़के-लड़कियां	मुसहर और भुइयां	100 रु. प्रति माह
	कक्षा 7 से 10 के लड़के-लड़कियां	सभी तबके	150 रु. प्रति माह
	कक्षा 11 में 60 प्रतिशत अंक पाने वाले कक्षा 11 से 12 के लड़के-लड़कियां	सभी तबके	1200 रु. प्रति माह
मुख्यमंत्री सैनिटरी नैपकिन योजना	कक्षा 8 से 12 को लड़किय	सभी तबके	300 रु. प्रति वर्ष
मुख्यमंत्री साइकल योजना	कक्षा 9 के सभी विद्यार्थी	सभी तबके	3000 रु.
मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	कक्षा 9 से 12 को लड़किय	सभी तबके	1500 रु. प्रति वर्ष
मुख्यमंत्री छात्रावास योजना	कक्षा 1 से 12 के लड़के-लड़कियां	सामान्य को छोड़कर सभी तबके	1000 रु. प्रति माह
मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना	सभी तबके की लड़कियां और अति पिछड़े/ अजा/ अजजा लड़के	प्रथम श्रेणी में मैटिक उत्तोर्ण	10,000रु.
मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	सामान्य/ पिछड़े/ अल्पसंख्यक लड़के	प्रथम श्रेणी में मैटिक उत्तोर्ण और परिवार की वार्षिक आय 1.5 लाख रु. तक	10,000
मुख्यमंत्री अजा/ अजजा मेधावृत्ति योजना	अजा/ अजजा लड़के-लड़कियां	द्वितीय श्रेणी में मैटिक उत्तोर्ण	8,000
मुख्यमंत्री अजा/ अजजा मेधावृत्ति योजना	अजा/ अजजा लड़के-लड़कियां	प्रथम श्रेणी में इंटरमीडिएट (10+2) उत्तोर्ण	15,000
मुख्यमंत्री अजा/ अजजा मेधावृत्ति योजना	अजा/ अजजा लड़के-लड़कियां	द्वितीय श्रेणी में इंटरमीडिएट (10+2) उत्तोर्ण	10,000
कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना	लड़कियों स्नातक की पढ़ाई पूरी करने पर	सभी समुदाय	25,000

स्रोत : शिक्षा विभाग, बिहार सरकार

सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआइएस): प्रारंभिक स्तर पर शैक्षिक प्रशासकों और निर्णय लेने वालों को सहायता देने के लिए बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बीईपीसी) द्वारा सर्व शिक्षा अभियान के आरंभ से ही राज्य, जिला

और अनुमंडल स्तर पर सूचना प्रबंधन प्रणाली का संधारण किया जाता रहा है। इससे निर्णयकर्ताओं को हर स्तर पर योजना निर्माण प्रक्रिया के विश्लेषण, नियंत्रण और समेकन के लिए सूचनाओं के संग्रहण, व्यवस्थापन, वितरण और भंडारण के जरिए मदद मिलती है। शिक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली से शैक्षिक मामलों और विद्यालयों के प्रबंधन के बारे में जानकारी मिलती है। दो स्तरों पर दो अलग-अलग प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा था - प्रारंभिक स्तर के लिए डाइस (जिला शिक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली) और माध्यमिक स्तर पर सेमिस (माध्यमिक शिक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली। लेकिन प्रयासों का दुहराव रोकने के लिए 2012 से यू-डाइस (एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रबंधन प्रणाली) का उपयोग किया जा रहा है। **परियोजना सूचना प्रबंधन प्रणाली**(पीएमआइएस)का मकसद परियोजना की गतिविधियों के लक्ष्य को देखते हुए भौतिक और वित्तोय प्रगति के लिहाज से अनुश्रवण करना है। परियोजना सूचना प्रबंधन प्रणाली के पोर्टल के जरिए अनुमंडल, जिला, राज्य और राष्टोय स्तर पर परियोजना की गतिविधियों के अनुश्रवण के लिए मासिक, त्रैमासिक और वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तैयार की जाती है। उसके जरिए बजट, व्यय, पतिपूर्ति, भौतिक और वित्तोय मूल्यांकन आदि के आधार पर अनेक प्रकार की रिपोर्ट तैयार की जाती है। वित्तोय सूचना प्रबंधन प्रणाली (एफएमआइएस) टैली के जरिए संचालित संपूर्ण दुहरी प्रविष्टि लेखाकरण प्रणाली है। दैनिक बही और लेखा बही के संधारण के लिए इसे पूरे राज्य में 2014 से ही लगाया गया है। इन सूचना प्रबंधन प्रणालियों के अलावा, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद विद्यार्थी उपस्थिति सूचना प्रबंधन प्रणाली (सेमिस) जैसी सूचना प्रबंधन प्रणालियों का भी उपयोग कर रहा है। घरेलू प्रबंधन/ बाल पंजी का उपयोग जिलों की भौतिक आर वित्तोय प्रगति के मूल्यांकन के लिए भी किया जा रहा है।

बिहार ईजी स्कूल टकिंग (बेस्ट) : यह एंडायड आधारित ऍप ह जिससे विद्यालय की गतिविधियों के वास्तविक समय पर अनुश्रवण में मदद मिलती है। इससे प्रारंभिक स्तर की शिक्षा के सुदृढ़ीकरण और विनियमन के लिए निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी मदद मिलती है। इससे 39,000 विद्यालयों से संबद्ध अधिकारियों-कर्मचारियों, अभिभावकों और शिक्षकोंसहित सभी हितधारकों को सहयोग मिलता है। यह ऍप सुदूर क्षेत्रों में ऑफलाइन मोड में भी काम करता है और कनेक्टिविटी के बाद सूचनाएं उस समय के आधार पर अपलोड हो जाती हैं।

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (बीएसईबी) : यह परीक्षापूर्व और परीक्षोत्तर सॉफ्टवेयर के जरिए विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए आवेदनपत्र भरने से लेकर परिणाम के प्रकाशन तक सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराती है। समिति ने प्रमाणपत्रों का डिजिटाइजेशन भी शुरू किया है जिसे पोर्टल पर 1984 से 2016 तक अपलोड किया जा सकता है।वर्ष 2005 से 2016 तक के लिए यह काम पूरा हो चुका है। इस पोर्टल के जरिए कोई भी व्यक्ति प्रमाणपत्रों का कहीं भी सत्यापन कर सकता है। बोर्ड नेकदाचार मुक्त परीक्षा, परीक्षा पुस्तिकाओं के भंडारण और उनके मूल्यांकन के मकसद से राज्य के सभी नौ प्रमंडलों में सीसीटीवी कैमरों से सुसज्जित परीक्षा कक्ष बनवाने के लिए कदम उठाया है।

मध्याह्न भोजन योजना : वेब आधारित मासिक सूचना प्रबंधन प्रणाली 2011 में शुरू सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल है जिसका मकसद 71,000 विद्यालयों से मासिक आधार पर आंकड़े प्राप्त करना है। प्रखंड साधनसेवी द्वारा प्रधानाध्यापकों से आंकड़े एकत्र करके हर महीने की 15वीं तिथि को सूचना प्रबंधन प्रणाली में अपलोड किया जाता है। इसका उद्देश्य योजनाओं, धनराशि प्रवाह प्रबंधन, खाद्यान्न प्रवाह प्रबंधन, रसोइया सह सहायिका के

विवरण, और विद्यालय में उपलब्ध अन्य अधिसंरचनाओं का अनुश्रवण है। **दोपहर** सभी विद्यालयों से रोज वास्तविक समय पर उपस्थिति, दिए गए भोजन, मेनू के पालन, रसोईकर्मी की पर्याप्तता, खाद्यान्न की पर्याप्तता और अगले सप्ताह के लिए धनराशि के बारे में सूचनाएं प्राप्त करने के लिए 2012 में शुरू किया गया आइवीआरएस कार्यक्रम है।

स्वास्थ्य, जलापूर्ति एवं स्वच्छता

स्वास्थ्य : बिहार देश में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाला सुविधावंचित राज्य है। इसलिए सरकार के लिए किफायती खर्च पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना अनिवार्य हो जाता है। गुणवत्ता, पहुंच, उपलब्धता, जवाबदेही और पारदर्शिता में सुधार के लिए चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक ई-शासन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी आधारित इन सुधारों को बिडिंग, खरीद, स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली, मानव संसाधन प्रबंधन, फाइल प्रबंधन, स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली, ओपीडी में ऑनलाइन निबंधन, सभी स्वास्थ्य केंद्र लोकेटर के जीआइएस अप्लीकेशन आदि के लिए लागू किया गया है।

स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन प्रणाली (एचएमआइएस) : यह 2008 में शुरू हुआ ऑनलाइन रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म है जिससे स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली को समय से और नियमित रिपोर्टिंग में सहायता मिलती है। इसकी रिपोर्ट का उपयोग स्वास्थ्य केंद्रों के हर स्तर (स्वास्थ्य उप-केंद्र/ अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र/ रेफरल अस्पताल/ अनुमंडल अस्पताल/ जिला अस्पताल/ मेडिकल कॉलेज अस्पताल) पर स्वास्थ्य कार्यक्रमों की गतिविधियों के अनुश्रवण एवं समीक्षा तथा योजना निर्माण के मकसद से किया जाता है। मासिक आधार पर लगभग 12,500 स्वास्थ्य केंद्र अपने सेवा प्रदान के आंकड़ों की सूचना दे रहे हैं। इसके अलावा, इस पोर्टल में कैप्चर नहीं हो रहे आंकड़ों, यथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस, जैव-चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन, एनआरसी, सीओटीपीए, परिवार नियोजन (अतिरिक्त डेटा एलिमेंट), प्रशिक्षण आदि को कैप्चर, रिपोर्ट और विश्लेषित करने के लिए **जिला स्वास्थ्य प्रबंधन प्रणाली (डीएचआइएस)** का विकास किया गया है। **हेल्थ सिस्टम प्रोग्रेस टकर (एचएसपीटी)** मोबाइल और कंप्यूटर/ लैपटॉप समेत विभिन्न स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों की उपलब्धता के लिए सिंगल विंडो आउटले उपलब्ध कराता है। इस पोर्टल के जरिए प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करके शासन के सभी स्तरों पर निर्णय लेने के लिए उपयोग किया जाता है। **राष्टोय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम पोर्टल** का विकास आंगनवाड़ी केंद्रों और विद्यालयों का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र आधारित विवरण कैप्चर करने, सूक्ष्म योजना तैयार और अपलोड करने, मोबाइल स्वास्थ्य टीम की दैनिक उपस्थिति, तथा जांचे गए बच्चों की दैनिक और मासिक रिपोर्टिंग के लिए किया गया है।

संजीवनी : यह एक ऑनलाइन ओपीडी निबंधन एवं औषधि वितरण प्रणाली है जो 2014 से काम कर रही है। इसका अस्पताल प्रबंधन प्रणाली के लिए ऑफ-लाइन और ऑन-लाइन मॉड्यूल है जो सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, रेफरल अस्पतालों, अनुमंडल अस्पतालों और जिला अस्पतालों में काम कर रहा है। रोगियों को मिलने वाली सेवाओं के बार में रोगियों से फीडबैक पाने के लिए इसे भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 'मेरा अस्पताल' अप्लीकेशन के साथ जोड़ दिया गया है। राज्य में इससे लगभग2.5 करोड़ लोग लाभान्वित होते हैं। इसके जरिए रोगियों का ओपीडी में निबंधन, अद्वितीय आइडी के साथ कंप्यूरीकृत नुस्खा लिखना, डॉक्टरों

की रोस्टर ड्यूटी, डॉक्टर की ऑनलाइन नियुक्ति, रोगियों को मिलने वाली दवाओं का कंप्यूटरीकरण, रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी आधारित विहित जांचों, दवाओं की उपलब्धता का नियमित अनुश्रवण, दवा वितरण के बारे में रोगी को एसएमएस, और अस्पताल से रेडियोलॉजी और पैथोलॉजी आधारित जांच की रिपोर्ट, ओपीडी के डॉक्टर-वार प्रदर्शन का अनुश्रवण, ओपीडी के अस्पताल-वार प्रदर्शन का अनुश्रवण आदि सेवाएं मिलती हैं।

प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) : इस पोर्टल को महिलाओं की पूरी प्रजनन अवधि में व्यक्तिगत लाभार्थी की शीघ्र पहचान और टकिंग करने तथा परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य, बाल स्वास्थ्य और टीकाकरण समेत प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं को कैप्चर करने के लिए प्रजनन, मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच) योजनाओं को प्रोत्साहन, अनुश्रवण एवं सहयोग देने के लिहाज से तैयार किया गया है। इस अप्लीकेशन से प्रसवपूर्व, प्रसवोत्तर तथा प्रसवकालीन सेवाओं के संपूर्ण घटकों को समय पर उपलब्ध कराने तथा बच्चों के लिए पूर्ण प्रतिरक्षण सेवाओं की टकिंग करने में मदद मिलती है। इस पोर्टल के जरिए परिवार नियोजन सेवाओं, गुणवत्तापूर्ण एवं व्यापक प्रसवपूर्व देखरेख तथा एएनएम, लाभार्थियों और स्वास्थ्य प्रबंधकों को प्रजनन, मातृ, नवजात एवं बाल स्वास्थ्य (आरएमएनसीएच) कार्यक्रम की जरूरतें पूरी होती हैं। वर्ष 2018-19 में इससे कुल 10.4 लाख महिलाएं और बच्चे लाभान्वित हुए जबकि 2019-20 में सितंबर 2019 तक लाभान्वितों की संख्या 8.6 लाख थी।

पधानमंत्री मातृ वंदना योजना : यह जनवरी 2017 से राज्य द्वारा क्रियान्वित होने वाली प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना है जिसमें निबंधित गर्भवती महिलाओं को हर किश्त के लिए विशेष शर्तें पूरी करने पर तीन किश्तों में कुल 5000 रु. मिलते हैं। 1000 रु. की पहली किश्त अंतिम माहवारी की तिथि से तीन महीने के अंदर गर्भावस्था का निबंधन कराने पर मिलती है। 2000 रु. की दूसरी किश्त गर्भावस्था के छः महीने के बाद और कम से कम एक बार प्रसवपूर्व जांच कराने पर मिलती है। और 2000 की तीसरी किश्त प्रसव और बच्चे को टीकाकरण का पहला चक्र पूरा हो जाने के बाद मिलती है। इन तीन किश्तों के अलावा सरकारी संस्थान में या निबंधित निजी संस्थान में प्रसव कराने पर लाभार्थी स्वास्थ्य विभाग के मातृत्व लाभ योजना के तहत भी 1000 रु. प्राप्त करने की हकदार होती हैं। इस तरह से गर्भवती महिला कुल 6000 रु. पा सकती हैं।

ई-जननी पोर्टल : इसका विकास पहली दो बच्चियों के जन्म के बाद माताओं को 2000 रु. के भुगतान के लिए जननी बाल सुरक्षा योजना के लाभार्थियों के विवरण की प्रविष्टि के लिहाज से किया गया है। साथ ही, जन्म के 2 साल के अंदर लड़की का पूरा टीकाकरण हो जाने पर मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 2000 रु. का अतिरिक्त भुगतान किया जाता है।

आयुष्मान भारत - राष्टोय स्वास्थ्य संरक्षण मिशन(AB-NHPM): इसमें राष्टोय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना को समाहित कर दिया गया है। इसके तहत 2011 की सामाजिक-आर्थिक जाति गणना के आंकड़ा आधार और राशन कार्ड के आधार पर चिन्हित गरीब और वंचित परिवारों को द्वितीयक और तृतीयक स्तर की देखरेख के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रु. तक स्वास्थ्य आच्छादन मिलता है। इससे कुल 23.3 लाख लाभाथी जुड़े हुए हैं जिन्हें गोल्डन कार्ड मिले हैं और सितंबर 2019 तक इसके अंतर्गत चिकित्सा पर 113 करोड़ रु. व्यय हुआ है।

बिहार चिकित्सा सेवा अधिसंरचना निगम लिमिटेड (बीएमएसआइसीएल) : बिहार चिकित्सा सेवा अधिसंरचना निगम अभी दवा, चिकित्सा उपकरण, अधिसंरचना आदि के लिए ई-टेंडरिंग और ई-प्रॉक आइटी मॉड्यूल के जरिए सारी निविदाओं की प्रोसेसिंग कर रहा है। निगम गोलियां, बायोमेटिक उपकरण, सक्शन मशीन, नेबुलाइजर, फॉगिंग मशीन आदि सारी चीजों को जेम पोर्टल के जरिए खरीदता है। **डग वैक्सिन डिस्टोब्यूशन मैनेजमेंट सिस्टम (डीवीडीएमएस)** निगम द्वारा दवाओं और टीकों की आपूर्ति शृंखला के प्रबंधन, स्वास्थ्य वित्तोय प्रबंधन प्रणाली (एचएफएमएस), ई-औषधि, इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएमएस) विभिन्न क्रियाकलापों को स्वचालित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है। **इक्विपमेंट मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट सिस्टम (ईएमएमएस)** द्वारा खरीद, इनवेंटो प्रबंधन, विभिन्न क्षेत्रों तथा औषधि भंडारोंको उपकरणों और फर्नीचर का वितरण, और आपूर्ति शृंखला के अंत तक उनके वितरण का काम किया जाता है। स्वास्थ्य वित्तोय प्रबंधन प्रणाली (एचएफएमएस) आपूर्तिकर्ताओं को वास्तविक समय के आधार पर ऑनलाइन दवाओं की कीमत भुगतान करने तथा डेलीवरी, गुणवत्ता की जांच, कर और अंतिम भुगतान की स्थिति से संबंधित कार्यों के लिए विकसित वित्तोय मॉड्यूल है। **ई-पीएमएस** निगम द्वारा क्रियान्वित अधिसंरचना कार्यो के अनुश्रवण के लिए वेब आधारित अप्लीकेशन है। इसके जरिए प्रस्ताव, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, आदि की प्रक्रिया को स्वीकृति में मदद मिलती है। साथ ही कार्यस्थल पर परियोजना कार्य की प्रगति के अनुश्रवण के लिए इसका मोबाइल आधारित ऍप भी है। इसमें संवेदक, परामर्शदाता आदि हितधारकों के रिकॉर्ड भी रखे जाते हैं।

अन्य पहलकदमियां : अनमोल (एएनएम ऑनलाइन) ऍप एंडायड आधारित ऑनलाइन सिस्टम है जिसमें एएनएम द्वारा दवा आदि सेवाएं देते समय टैब का उपयोग करके एनसीडी पोर्टल पर वास्तविक समय में प्रविष्टि की जाती है। **एनसीडी पोर्टल** से रोगों के बोझ के बारे में जानकारी पाने और कमियों पर नजर रखने में मदद मिलती है। मानवसंपदा (ई-एचआरएमएस) एक संपूर्ण मानव संसाधन जीवन चक्र प्रणाली है जिसे राज्य स्वास्थ्य समिति के संविदाधीन कर्मचारियों के मानव संसाधन रिकॉर्ड संधारण के लिए काम में लाया गया है। इन सेवाओं के अलावा, **ई-ऑफिस** से पत्रों और फाइलों की टकिंग में मदद मिलती है। कॉल सेंटर ऍप (104) से शिकायत निवारण, डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य हेल्पलाइन संचालन में मदद होती है। वहीं, **दर्पण प्लस** द्वारा राज्य के सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रां में स्वास्थ्य सेवाओं का ऑनलाइन अनुश्रवण किया जाता है। इसका उपयोग प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा अधिकारी, प्रखंड स्वास्थ्य प्रबंधक और सुपरवाइजरी कर्मचारियों द्वारा किया जाता है। स्वास्थ्य केंद्र के कामकाज की तस्वीर देने के अलावा यह ऍप स्वास्थ्य केंद्र के मानव संसाधन कर्मियों का सत्यापन करता है और आइपीडी, ओपीडी, दवाओं, उपकरणों, एंबुलेंस, आउटसोर्सिंग आदि की सेवाओं की विस्तृत तस्वीर पेश करता है।

जलापूर्ति एवं स्वच्छता : सूचना प्रबंधन प्रणाली को विभिन्न योजनाओं और निविदाओं के बारे में आंकड कैप्चर करने के साथ-साथ वास्तविक समय पर अनुश्रवण के लिए भी विकसित किया गया है। **ऑनलाइन संवेदक निबंधन, प्रबंधन एवं भुगतान प्रणाली** को भी भुगतान और बोली लगाने की प्रक्रिया के एकीकरण के लिए उपयोग में लाया जा रहा है। **राज्य गुणवत्ता अनुश्रवण प्रणाली** एक ऑनलाइन मॉड्यूल है जिसे स्वतंत्र अभियंताओं के लिए विभाग द्वारा दिए गए शिड्यूल के जरिए ऑनलाइन भरकर अनुश्रवण करने के लिए विकसित किया गया है। इससे योजनाओं का निरीक्षण करने में आसानी हो रही है क्योंकि रिपोर्ट मिलने में कम देर होती

है। **मोबाइल अप्लीकेशन फॉर जियो-टैगिंग ऑफ हैंड पंप** एक मोबाइल ऍप है जिसे चापाकलों की जियो टैगिंग के लिए विकसित किया गया है जो चापाकलों पर लिखी स्थान की आइडी और विवरणों के आधार पर उनका डेटाबेस मेंटेन करता है। **मोबाइल अप्लीकेशन फॉर लोकेशन टकर** भी एंडायड आधारित मोबाइल ऍप है जिसे विभाग के अधिकारियों के अनुश्रवण के लिए विकसित किया गया है। अधिकारी के क्षेत्र भ्रमण में या कार्यालय में होने पर उनके स्थान का इससे पता चल जाता है। उनके लिए 10.00 सुबह से 6.00 बजे शाम तक इसको ऑन रखना जरूरी होता है। इसमें प्रत्यक स्थान को गूगल मैप से टैग कर दिया गया है और गूगल मैप तथा टाइमलाइन के आधार पर हर आने-जाने को टक किया जा सकता है। वाटर क्वालिटी मॉड्यूल का विकास पानी की गुणवत्ता के लिए डाले गए मापदंडों के आधार पर पानी की गुणवत्ता जानने के लिए किया जाता है। इस मॉड्यूल से पानी की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए उसको उपचारित करने में मदद मिलेगी।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति : खाद्य सुरक्षा गरीबों और समाज के कमजोर तबकों की टिकाऊ जीविका के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। **फेयर प्राइस शॉप** ऑटोमेशन को राष्टोय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत विक्रय स्थल पर खाद्यान्न पाने के लिहाज से आधार आधारित बायोमेटिक प्रमाणन के जरिए लाभार्थी के प्रमाणन के लिए काम में लाया जाता है। **इंटीग्रेटेड राशन कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम** को लाभार्थी के प्रमाणन के लिए क्रियान्वित किया गया है। राज्य सरकार ने इस प्रणाली को 2015 में सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल के जरिए जीपीएस, एसएमएस एलर्ट के आधार पर की गई डेलीवरी को टक करने और परियोजना प्रबंधन इकाई के तहत लाभार्थियों के शिकायत निवारण के जरिए सुगम आपूर्तिशृंखला प्रबंधन के लिए विकसित किया गया है। प्रोक्योरमेंट सॉफ्टवेयर के जरिए धान के मामले में खरीद संबंधी सारी प्रक्रिया ऑनलाइन की जाती है और निबंधित किसानों को आरटीजीएस/नेफ्ट के जरिए 48 घंटे के अंदर भुगतान कर दिया जाता है। **आरटीपीएस के साथ समेकित जन वितरण अन्न प्रणाली** नया राशन कार्ड बनाने, पुराने राशन कार्ड में सुधार करने, राशन कार्ड सरेंडर करने, राशन कार्ड के विभाजित किए जाने आदि के लिए एक वेब आधारित अप्लीकेशन है। अभी तक इससे 3.44 लाख नए राशन कार्ड तैयार किए गए हैं और लगभग 0.24 लाख वर्तमान राशन कार्डों को संशोधित किया गया है। खाद्य एवं उपभाक्ता संरक्षण विभाग ने रैंडम ढंग से चुनी गई जन वितरण प्रणाली की दूकानों के ऑनलाइन निरीक्षण और रिपोर्टिंग के लिए **ऑनलाइन इंस्पेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम** नामक एंडायड आधारित मोबाइल ऍप विकसित किया है।

समाज कल्याण सेवाएं : राज्य सरकार ने महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों समेत वंचित समूहों को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है और लोगों को अनेक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा पेंशन उपलब्ध कराती रही है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्रबंधन सूचना प्रणाली(SSPMIS): इस वेब आधारित अप्लीकेशन को नवंबर 2017 में विकसित किया गया है। इसके जरिए प्रत्येक लाभार्थी को अद्वितीय कोड देकर सभी लाभार्थियों को टक किया जाता है। इसके कारण धनराशि का प्रभावी तरीके से उपयोग होता है। इससे केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न पेंशन योजनाओं का सिंगल विंडो प्लेटफॉम पर निष्पादन होता है। यह भुगतान प्रक्रिया के ई-लाभार्थी पोर्टल से भी जुड़ा हुआ है। यह पारदर्शी क्रियान्वयन, केंद्रोकृत आंकड़ा आधार, लक्षित लाभार्थियों का आधार के जरिए प्रमाणन, सभी स्तरों पर आवेदनों की ऑनलाइन टकिंग, ऑनलाइन मांग और धनराशि आबंटन, ऑनलाइन भुगतान समाधान, दैनिक और समेकित मिलान, डिजिटल हस्ताक्षर का प्रमाणन, विभिन्न सूचना प्रबंधन प्रणालियों की रिपोर्ट और

योजनाओं का वास्तविक समय पर अनुश्रवण आदि में मददगार है। इससे **मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (एमवीपीवाइ)** को भी जोड़ दिया गया है। इसके अलावा, प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सितंबर 2018 में **ई-सुविधा पोर्टल** विकसित किया गया है। व्यय के अनुश्रवण, राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन संबंधी शिकायतों के निबंधन, और उपस्थिति के अनुश्रवण के जरिए समाज कल्याण योजनाओं को मजबूत करने के लिए राज्य सरकार ने उपयोगिता प्रबंधन प्रणाली, बिहार सामाजिक सुरक्षा शिकायत निवारण प्रणाली और ऑनलाइन उपस्थिति प्रबंधन प्रणाली जसे अनेक सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल भी विकसित किए हैं। कन्या उत्थान योजना को भी इस पोर्टल के जरिए क्रियान्वित किया गया है। विभिन्न योजनाओं के तहत प्रत्यक्ष लाभांतरण के विवरण तालिका 14.3 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 14.3 : बिहार में सामाजिक कल्याण योजना के तहत प्रत्यक्ष लाभांतरण का प्रावधान

योजना का नाम	उम्र समूह	श्रेणी	रकम (रु.)
इंदिरा गांधी राष्टोय वृद्धावस्था पेंशन योजना	60-79 वर्ष	बीपीएल परिवार	400प्रति माह
	80 वर्ष और अधिक	बीपीएल परिवार	500 प्रति माह
इंदिरा गांधी राष्टोय विधवा पेंशन योजना	40-79 वर्ष	बीपीएल परिवार	400 प्रति माह
इंदिरा गांधी राष्टोय नि:शक्तता पेंशन योजना	18-79 वर्ष (नि:शक्तता 80 %या अधिक)	बीपीएल परिवार	400 प्रति माह
राष्टोय परिवार लाभ योजना	18-60 वर्ष	सभी श्रेणियां (कमाऊ सदस्य की अचानक मृत्यु)	20,000/-
लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	18 वर्ष और अधिक	बीपीएल परिवार (वार्षिक आय 60,000 रु. से कम)	400 प्रति माह
बिहार नि:शक्तता पेंशन योजना	सभी उम्र समूह (नि:शक्तता40 %या अधिक)	सभी श्रेणियां	400 प्रति माह
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना	बीपीएल परिवार के सदस्य	सभी श्रेणियां	3,000/-
मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	18-60 वर्ष	सभी श्रेणियां (कमाऊ सदस्य की अचानक मृत्यु)	20,000/-
बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	दिखने वाले विरूपण ग्रेड 2	सभी श्रेणियां	1,500 प्रति माह
बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना	सभी उम्र समूह	सभी श्रेणियां	1,500/-PM
बिहार नि:शक्त विवाह अनुदान योजना	नि:शक्त (महिला 18 वर्ष और पुरुष 21 वर्ष)	सभी श्रेणियां	1,00,000/-
मुस्लिम परित्यक्ता महिला सहायता योजना	-	तलाकशुदा मुस्लिम महिला	25,000/

स्रोत : समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार

समेकित बाल विकास योजना (आइसीडीएस) : आंगन ऍप को विकसित करके महिला पर्यवेक्षकों और बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों के अनुश्रवण के लिए टैब में लोड किया गया है। इस

ऍप का उपयोग निरीक्षण के दौरान और खुले आंगनवाड़ी केंद्रों, पूरक पोषाहार, उपस्थित बच्चों आदि के बारे में सूचना देने के लिए किया जाता है। इस ऍप का उपयोग आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं की उपस्थिति दर्ज करने के लिए भी किया जाता है। इसका उपयोग पूरक पोषाहार कार्यक्रम के तहत खरीद के वाउचरों के सत्यापन के लिए भी किया जाता है। उपस्थिति और अपलोड किए गए वाउचरों के आधार पर आंगनवाड़ी सेविकाओं को उनका मानदेय प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए उपलब्ध कराया जाता है और पूरक पोषाहार कोष को आंगनवाड़ी विकास समिति के बैंक खाते में भेजा जाता है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के लिए योजना की प्रबंधन सूचना प्रणाली का उपयोग जून 2011 से ही हो रहा है। योजना को मजबूत करने के लिए सूचना प्रबंधन प्रणाली की जगह **रैपिड रिपोर्टिंग सिस्टम** ने ले ली है जिसे वेब-सक्षमित डेटा इंटो प्रणाली के बतौर राज्य/ केंद्र शासित क्षेत्र के स्तर पर बदले गए रिपोर्टिंग फॉर्मेट की प्रविष्टि के लिए लाया गया है। इसका उद्दश्य सुपरवाइजर से लेकर ऊपर के स्तर तक सभी हितधारकों द्वारा किसी भी समय सूचना का आंगनवाड़ी की मासिक प्रगति रिपोर्ट को समय पर संग्रहित, अपडेट और प्रदर्शित करने के जरिए ऑनलाइन अनुश्रवण करना है। सभी स्तरों पर केन्द्रीकृत डाटाबेस और वेब-बेस्ड संचालन करना है।**आइसीटी आरटीएम (मोबाइल बेस्ड रियल टाइम मॉनीटरिंग सिस्टम)** अक्तूबर 2019 से सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में चल रहा है। इसे केंद्रों में हुई गतिविधियों की रिपोर्टिंग के लिए स्मार्ट फोनों पर लोड किया गया है। **राष्टोय पोषण मिशन (पोषण अभियान)** की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा जून 2018 में विश्व बैंक की आइएसएसएनआइपी परियोजना पूरी होने के बाद की गई है। इसका मकसद देश में कुपोषण के सभी स्वरूपों को दूर करना है। इसे पोषण अभियान भी कहा जाता है और इसे गर्भवती महिलाओं, छोटे बच्चों और शिशुवती माताओं वाले सभी परिवारों के संवेदनीकरण के लिए तैयार किया गया है। **आइसीटी आरटीएमएस**आइएसएसएनआइपी परियोजना के लिए सफल पायलट था जिसे राष्टोय पोषण मिशन में 11 जिलों (औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, गया, जमुई, कटिहार, खगड़िया, मुजफ्फरपुर, नवादा, पूर्णिया और शेखपुरा) में लागू करने के लिए आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत मोबाइल फोनों की खरीद प्रक्रियाधीन है। **प्रशिक्षण प्रबंधन सूचना प्रणाली** एक वेब आधारित सॉफ्टवेयर है जिसका विकास समेकित बाल विकास सेवा योजना के अधिकारियों के प्रशिक्षण के प्रबंधन के लिए किया जा रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्दश्य योजना के कर्मचारियों के प्रशिक्षण से संबंधित डेटा कैप्चर, विश्लेषण और निर्णय प्रकिया को मजबूत करना है। **शिकायत निवारण प्रणाली (जीआरएस)** का शीघ्र हो क्रियान्वयन किया जाएगा और वह सूचना, फीडबैक और शिकायत प्रबंधन के लिए सिंगल कनेक्टिंग पाइंट का काम करेगा। शिकायत निवारण प्रणाली के कॉल सेंटर का मकसद नागरिकों और निदेशालय के साथ प्रत्यक्ष संवाद चैनल स्थापित करना है।

परिवहन केंद्रित सेवाएं : नागरिक परिवहन विभाग से संबंधित डाइविंग लाइसेंस, ओनर बुक, वाहन निबंधन, परमिट, चालान, अर्थदंड भुगतान, चेकपोस्ट और दस्तावेज की सुरक्षा, खास कर यात्रा के दौरान सुरक्षा जैसी सेवा संबंधी अनेक समस्याओं का सामना कर रहे हैं।केंद्र और राज्य सरकारों ने कहीं किसी भी समय आसान, तेज और किफायती सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अनेक सूचना प्रौद्योगिकी मॉड्यूल विकसित किए हैं। परिवहन विभाग में **ई-रिसिप्ट**सुविधा का क्रियान्वयन डाइविंग लाइसेंस, निबंधन आदि किसी भी सेवा के लिए ओ-ग्रास पोर्टल के जरिए ई-भुगतान के लिहाज से शुरू किया गया है। **ई-चालान** को हैंड हेल्ड डिवाइस के जरिए ऑन-स्पॉट जुर्माना वसूलने के लिए शुरू किया गया है इससे यातायात के नियमों का बार-बार उल्लंघन करने

वाले व्यक्तियों पर नजर रखने में मदद मिलती है। इसकी मॉनीटरिंग सीसीटीवी कैमरों के जरिए भी होती है और जुर्माना वेब ई-चालान के जरिए वसूला जाता है। वहीं **एम-परिवहन और चेकपोस्टों पर ऑनलाइन प्रवेश कर** से नागरिकों को परेशानी मुक्त यात्रा करने में मदद मिलती है जबकि **डिजिलॉकर** से डाइविंग लाइसेंस, ऑनर बुक आदि को सुविधा से रखने में मदद मिलती है।

पहल : इसका लक्ष्य दूसरों के जरिए नकली कनेक्शनों और एलपीजी कनेक्शनों का फायदा उठाने की घटनाओं में कमी लाना है। इस योजना के तहत एलपीजी सिलिंडरों को बाजार दर पर बेचा जाता है और हकदार उपभोक्ताओं को सब्सिडी उनके बैंक खाते में भेज दी जाती है। यह आधार और बैंक खाते के साथ जुड़ाव के जरिए किया जाता है।

अधिकार और शिकायत आधारित सेवाएं

जानकारी : यह ई-शासन की एक प्रणाली है जिसे बिना परेशानी नागरिकों द्वारा कोई शिकायत दर्ज कराने और सूचनाधिकार (आरटीआइ) के तहत 10 रु. का भुगतान करके आवेदन देने और कोई सूचना मांगने के लिहाज से तैयार किया गया है। इसके लिए मुख्य और अनिवार्य जरूरत नागरिकों से कॉल करने वाले की ओर से भौतिक टांजैक्शन के बिना सूचनाधिकार आवेदन शुल्क (10 रु.) जमा करना है।

बिहार लोक सेवा अधिकार अधिनियम 2011 : इस अधिनियम को इसलिए लाया गया है कि सरकार के जारी प्रशासनिक सुधार के अंग के बतौर प्रक्रियाओं को सरल करके और बेहतर अनुश्रवण करके जवाबदेही और पारदर्शिता लाने के लिहाज से समय की पाबंदी, पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति विकसित करके नागरिक चार्टर को वैधानिक आधार दे, और भ्रष्टाचार रोकने तथा बिचौलियों को दूर रखने में मदद करे। यह सभी आवेदकों को अद्वितीय पहचान संख्या के साथ कंप्यूटर से तैयार प्राप्ति रसीद उपलब्ध कराता है। इससे आवदेकों को एसएमएस या इंटरनेट के जरिए अपने आवेदन की स्थिति जानने में मदद मिलती है। इस परियोजना को 2013-14 तक डीएफआइडी से 101 करोड़ का सहयोग प्राप्त हुआ था। बाद में इसे लगभग 70.20 करोड़ रु. के आवर्ती व्यय के साथ राज्य सरकार से सहयोग मिल रहा है। बीआरटीपीएस के जरिए 2017-18 में 3.14 करोड़ सूचनाएं प्राप्त हुई थीं जबकि 2018-19 में 2.16 कराड़ और 2019-20 में पहले छः महीनों के दौरान 1.61 करोड़ सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम : इसे 2015 में लागू किया गया था। यह शिकायतकर्ताओं को अधिकतम 60 दिनों के अंदर सुनवाई करने और शिकायत निवारण करने का अवसर सुनिश्चित करता है। कानून ने नए स्वतंत्र अर्ध-न्यायिक अधिकारियों का नया संवर्ग तैयार किया है जो सरकार और शिकायतकर्ता के बीच निष्पक्ष माध्यम के बतौर शिकायतकर्ता और जवाबदेह लोक सेवक के प्रति पूर्वाग्रहरहित होकर काम करते हैं। यह कानूनी अधिकार सुशासन के तीन स्तंभों - क) सूचना, ख) लोक सेवा, और ग) लोक शिकायत निवारण को पूरा करता है। व्यवस्था के अधिशेष को पूरा नहीं करने पर संबंधित लोक शिकायत निवारण अधिकारियों या लोक सेवकों पर जुर्माना लगता है या आनुशासनिक कार्रवाई होती है। अधिनियम में दो स्तरों पर अपील करने और संशोधन याचिका दायर करने का प्रावधान किया गया है। राज्य

सरकार ने 40 करोड़ रु. का निवेश किया है और हर साल लगभग 40 करोड़ रु. आबंटित किए हैं। अप्रील 2017 से सितंबर 2019 तक कोई 32 लाख शिकायतों का निवारण हुआ है।

बिहार सरकारी सेवक शिकायत निवारण प्रणाली : यह 26 जून 2019 को शुरू की गई ई-शासन संबंधी पहल है। इसे राज्य सरकार के कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा और सेवानिवृत्ति लाभों से संबंधित शिकायतों के निपटारे के लिए तैयार किया गया है। इसमें जिला में और विभागों में तय किए गए सेवा शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा शिकायतकर्ता की उपस्थिति में शिकायतों पर सुनवाई की जाती है और निर्णय अधिकतम 60 कार्यदिवस के अंदर लिए जाते हैं। प्रणाली को मजबूत करने के लिए अपील का भी प्रावधान किया गया है। राज्य सरकार ने इसमें एकमुश्त पूंजी के बतौर 4.8 लाख रु. का निवेश किया है और आवर्ती वार्षिक व्यय के बतौर 10.0 लाख रु. उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पिछले 6 महीनों में 13,013 शिकायतों का निवारण किया गया है।

14.5 आपदा प्रबंधन

ई-शासन आपदाओं के पहले और आपदाओं की प्रतिक्रियास्वरूप समावेशी, जीवंत समाजों के उद्भव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एलर्ट के जरिए नागरिकों को आपदा संबंधी चेतावनी भेजी जाती है ताकि वे खुद को आपदा के संबंध में तैयार रखें। संयुक्त राष्ट एशिया एवं प्रशांत आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (एस्कैप) द्वारा आपदा जोखिम प्रबंधन के सभी चरणों में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बल दिया गया है। यह आपदाओं की जोखिम घटाने और उससे निपटने की क्षमता बढ़ाने के लिहाज से काफी अवसर उपलब्ध कराता है। राज्य सरकार ने भी आपदा संबंधी जोखिमों से निपटने के लिए अनेक प्लेटफॉर्म विकसित किए हैं। बागमती और कोशी बेसिन में 72 घंटे पहले बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए बाढ़ पूर्वानुमान मॉडल विकसित किया गया है। कोशी क्षेत्र में तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है और उसका विस्तार अन्य नदियों के लिए भी किया जा रहा है। साथ ही, राष्टोय जलविज्ञान परियोजना का क्रियान्वयन डेटा माइनिंग, प्रोसेसिंग और आगे की कार्रवाई के लिहाज से संचार के लिए किया जा रहा है। बाढ़ योजनाओं के अनुश्रवण के लिए उच्च्व गुणवत्ता के चित्रों के जरिए एक रियल टाइम प्रणाली तैयार की गई है। साथ ही, जल संसाधन विभाग ने क्षेत्र से वास्तविक समय में प्रगति की ऑनलाइन जानकारी पाने के लिए वेब आधारित डब्ल्यूएसआइएमएस का विकास किया है।

डब्ल्यूएसआइएमएस : जल संसाधन विभागकी योजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण प्रणाली वास्तविक समय पर योजना बनाने, क्रियान्वयन और अनुश्रवण करने के साथ-साथ योजनाओं की भौतिक और वित्तोय, दोनो प्रकार की प्रगति का अनुश्रवण करने में अधिकारियों की मदद करती है। यह एक ई-शासन कार्यक्रम है जिससे प्रभावी अनुश्रवण के जरिए क्षेत्र में निरीक्षण और स्पॉट पर सत्यापन में मदद मिलती है। इस वेब अप्लीकेशन के 13 मॉड्यूल हैं जो प्रशासनिक स्वीकृति, निविदा, अनुश्रवण और भौतिक और वित्तोय प्रगति का मूल्यांकन, धनराशि आबंटन आदि को सुगम बनाते हैं।

बाढ़ चेतावनी मॉडल (एफएफएम) : यह बाढ़ के बारे में 72 घंटे पहले ही चेतावनी उपलब्ध कराती है। इसके पांच उप-मॉडल हैं। (1) **बागमती-अधवारा बाढ़ चेतावनी मॉडल** को 2016 में विकसित किया गया। यह ढेंग से शुरू होकर बेनीबाद और उसके बाद हायाघाट तक में विस्तृत है जिसमें 10 स्टेशन और 4 जिले (सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और मुजफ्फरपुर) शामिल हं। यह 72 घंटे पहले ही बाढ़ और जल प्रवाह की मात्रा का पूर्वानुमान बताता है। (2) **कोशी बाढ़ चेतावनी मॉडल** का आरंभ 2018 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उपयोग के जरिए शुरू हुआ। यह चार नदियों (कोशी, कमला, भुतही बलान और खांडो) से संबंधित है। यह मॉडल 17 स्टेशनों और 7 जिलों (सुपौल, मधुबनी, सहरसा, खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और दरभंगा) को 72 घंटे पहले पूर्वानुमान बताता है। इसमें नेपाल में कोशी अंचल के अंतराष्टोय क्षेत्र के चार स्टेशन (बराहक्षेत्र, चतरा बाजार, राजाबास और बीरपुर) भी शामिल हैं। (3) **गंडक नदी बेसिन मॉडल** को 2018 में विकसित किया गया है। यह नारायणी और गंडक नदी के बारे में दो स्टेशनों - नेपाल में नारायण घाट और बिहार में वाल्मीकिनगर - को जलप्रवाह की मात्रा के बारे में पूर्वानुमान बताता है। (4) **महानंदा बेसिन बाढ़ चेतावनी मॉडल** 2018 से काम कर रहा है। यह महानंदा नदी के दो स्टेशनों (ढेंगराघाटा और झावा) को जल-स्तर का पूर्वानुमान बताता है। वर्ष 2018 में **क्षेत्रीय मॉडल** भी तैयार किए गए हैं और वे 2019 की वर्षा ऋतु से चालू हैं। इसमें बिहार की सभी महत्वपूर्ण नदी नेटवर्क शामिल हैं। इससे राज्य के 20 जिलों में 10 नदियों के 41 गॉजिंग स्टेशनों में जल स्तर और जलप्रवाह की मात्रा 72 घंटे के लिए पूर्वानुमान के साथ बताई जाती है।

नदी व्यवहार विश्लेषण मॉडल : यह उपग्रहों से प्राप्त चित्र के आधार पर कोशी की मुख्य धारा के लिए विकसित मॉडल है जो 2017 से काम कर रहा है। इससे असुरक्षित स्थानां की पहचान में मदद मिलती है। इसके आउटपुट के आधार पर नदियों के मुड़ने और धारा परिवर्तन का पता चलता है जिसके आधार पर कटावरोधी योजनाएं तैयार की जाती हैं। साथ ही, कोशी की मुख्य धारा को भी पांच हिस्सों में बांटा गया है -(1) बराहक्षेत्र से कोशी बराज तक, (2) कोशी बराज से कोशी महासेतु तक, (3) कोशी महासेतु से बसुआ तक, (4) बसुआ से बालतारा तक, और (5) बालतारा से कुरसेला तक।

तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (ईएएमएस) : इसमें नक्शे, डेटा, विश्लेषण टूल, सामुदायिक भागीदारी टूल, नदियों के क्रॉस सेक्शन, बाढ़ चेतावनी प्रणाली के आउटपुट के साथ जीवंत जुड़ाव के जरिए चेतावनी जारी करना, और कई अन्य फीचर शामिल हैं जिनसे कुशल और उन्नत बाढ़ प्रबंधन सुनिश्चित होता है। राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन प्रणाली के सुदृढोकरण के लिए ऐसी तीन प्रणालियां विकसित की हैं । (1) **बागमती तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली** का विकास सबसे पहले 2014 में विश्व बैंक के जरिए बागमती-अधवारा नदी बेसिन के लिए डीएफआइडी कार्यक्रम के तहत किया गया था। जल संसाधन विभाग के संबंधित क्षेत्र के अभियंताआं को इसके बारे में पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है। संबंधित क्षेत्राधिकारियों को तटबंध और नदी की स्थिति के बारे में तत्काल फीडबैक देना सुनिश्चित करने के लिए कुल 100 जीपीएस सक्षमित टैबलेट दिए गए हैं। (2) **कोशी तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली** को 2016 से शुरू किया गया है जिसके 10 मॉड्यूल हैं। ये मॉड्यूल हैं **:** (क) परिसंपत्ति सूचना मॉड्यूल जो बराज, तटबंध, नदी पल, स्लुइस गेट, और अन्य परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी देता है, (ख) अभियंत्रण सूचना मॉड्यूल जिससे सर्वोच्च बाढ़ स्तर और सूचना स्तर, जैव-तकनीकी

(मदा) सर्वेक्षण (कोशी नदी बेसिन में), वर्षापात, गेज और प्रवाह की मात्रा, तटबंधों के क्रॉस सेक्शन आदि की जानकारी दी जाती है, (ग) बेसिन सूचना मॉड्यूल जो नदियों के क्रॉस सेक्शन, सेक्शन (सकल/ मूल सर्वेक्षित आंकड़े) आदि की जानकारी देता है, (घ) भंडार सूचना मॉड्यूल जो मेकैनिकल स्टोर, बाढ़ और साइट स्टोर में मौजूद सामग्रियों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी देता है, (च) विश्लेषण, योजना और डिजाइन मॉड्यूल जो बाढ़ संरक्षण के लिए योजना बनाने में मदद करता है बाढ़ संरक्षण एवं योजना निर्माण, डिजाइन गाइडलाइन आदि का डिजाइन टेंप्लेट, उपलब्ध कराता है, (छ) डॉक्यूमेंटेशन मॉड्यूल विभिन्न संहिताएं, मैनुअल और रिपोर्ट उपलब्ध कराता है। इन मॉड्यूल के अलावा वास्तविक समय में कुशल, प्रभावी विश्वसनीय, तेज और जवाबदेह तटबंध प्रबंधन के लिए (ज) डेटा कंटॉल मॉड्यूल, (झ) टेलीफोन लिस्ट मॉड्यूल, (ट) कम्युनिटी एसएमएस मॉड्यूल, और (ठ) निरीक्षण टूल (एंडायड आधारित निरीक्षण) भी विकसित किए गए हैं। (3) **तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणालीके लिए मास्टर मॉड्यूल** को गंडक बेसिन पर विशेष डेटा पॉपुलेशन के साथ राष्टोय जलविज्ञान परियोजना के तहत विकसित किया जा रहा है।

रीयल टाइम डेटा एॅक्वीजिशन सिस्टम (आरटीडैस) : इसकी स्थापना विश्व बैंक वित्तपोषित परियोजना और राष्टोय जलविज्ञान परियोजना के तहत की गई थी। इस सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित परियोजना के जरिए हितधारकों को जल-मौसमवैज्ञानिक आंकड़ों के बारे में सूचना दी जाती है और उन्हें स्टोर, प्रेषित और विश्लेषित किया जाता है। इससे विश्व बैंक की बिहार कोशी बेसिन विकास परियोजना के तहत लगे 52 स्वचालित वर्षामापियों और 25 स्वचालित जल-स्तर मापियों के वर्षापात, जल स्तर और जलपवाह की मात्रा से संबंधित वास्तविक समय में आंकड़े उपलब्ध होते हैं जिससे मॉडलिंग करने में मदद मिलती है। इसी प्रकार, राष्टोय जलविज्ञान परियोजना के तहत राज्य में विभिन्न स्थानों पर स्थापित 17 स्वचालित वर्षामापियों, 54 स्वचालित जल-स्तर मापियों और 7 पैन के जरिए लक्ष्य हासिल किए जाते हैं। डेटा को डेटा लॉगर के माध्यम से संग्रहित करके इनसेट/ वीसेट/ जीएसएम के जरिए रिसीविंग स्टेशन में भेजा जाता है जिसके बाद मॉडलिंग करने के लिए उनका विश्लेषण किया जाता है।

मैथेमैटिकल मॉडलिंग सेंटर (एमएमसी) : इसकी स्थापना 2018 में उत्कृष्ट संस्थान के बतौर की गई थी जिसका मकसद जल सांसधनों पर अनुसंधान और उनका विकास है। इस केंद्र का उद्श्य राज्य में बाढ़ और गाद प्रबंधन के लिए स्वतंत्र गणितीय मॉडल विकसित करने, मौजूद मॉडल को अपडेट करने और गंगा नदी में पहुंचने तक उत्तर बिहार की नदियों के लिए क्षेत्रीय नेटवर्क का मॉडल विकसित करने के लिए देश में ही क्षमता विकसित करना है। केंद्र ने क्षेत्रीय नेटवर्क मॉडल विकसित किया है जो गंगा नदी के लिए बक्सर से शुरू होकर कहलगांव तक के लिए है और इसमें घाघरा, गंडक, बागमती, कोशी और महानंदा शामिल हैं।

अनुकृपा अनुदान और तत्काल सहायता वितरण : यह बाढ़/ सूखा प्रभावित लेगों के लिए पीएफएमएस के जरिए राहत की रकम के तेज और पारदर्शी हस्तांतरण के लिए आपदोत्तर राहत कार्याक्रम है। प्रखंड से लेकर राज्य तक प्रभावित लोगों से संबंधित आंकड़े एनआइसी के आपदा संपूर्ति पोर्टल के जरिए कैप्चर किए जाते हैं। यह एक प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना है जो धनराशि का आसान, सुविधाजनक, तेज और पारदर्शी अंतरण करता है। वर्ष 2019-20 में (नवंबर 2019 तक) अनुकृपा अनुदान के तहत प्रथम चरण में कुल 257.91 लाख परिवारों

(रु. 6000 प्रति परिवार) को प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए कुल 1547.09 करोड़ रु. और द्वितीय चरण में 6.23 लाख परिवारों के बीच 373.92 करोड. रु. अंतरित किए गए हैं। इसके अलावा, तत्काल सहायता योजना के तहत 3000 रु. प्रति परिवार के हिसाब से 9.01 लाख परिवारों को कुल 270.37 करोड़ रु. की राहत उपलब्ध कराई गई।

14.6 आर्थिक विकास को प्रोत्साहन

ई-शासन एक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्लेटफार्म है जो नागरिकों और व्यवसायियों को सरकार के अन्य स्कंधों के साथ जोड़ता और संपूर्ण अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए बेहतर तरीके से संपर्क-संवाद करने में मदद करता है। राज्य सरकार ने भौतिक अधिसंरचना परियोजनाओं, आर्थिक विकास कार्यक्रमों और व्यवसाय करने में आसानी आदि के पारदर्शी बिडिंग और सार्वजनिक खरीद, अनुश्रवण और मूल्यांकन उपलब्ध कराने के लिए अनेक ई-शासन कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया है।

अधिसंरचना

सड़क : राज्य सरकार ने सड़क नेटवर्क के विकास के लिए अनेक सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं को हाथ में लिया है ताकि राज्य में सुगम परिवहन की जरूरत पूरी हो सके। ग्रामीण कार्य विभाग और पथ निर्माण विभाग ने ऑनलाइन **संवेदक निबंधन प्रणालो** शुरू की है जहां संवेदक संबंधित श्रेणी में अपना निबंधन करा सकते हं और निबंधन के लिए ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं। सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के बाद आवेदक अपने निबंधन प्रमाणपत्र को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी और कुल 5.8 करोड़ रु. भुगतान करके इसमें 620 संवेदक निबंधित हुए हैं। राज्य सरकार ने मॉनीटरिंग और ऑनलाइन टकिंग के जरिए सड़कों के बेहतर और तेज रखरखाव के लिए जीपीएस से सुसज्जित **पथ अनुरक्षण सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली** और **रोड एंबुलेंस** का क्रियान्वयन किया है। जीआइएस मैपिंग के जरिए सड़क इनवेंटो विकसित की जा रही है। राज्य में सड़कों के रखरखाव के लिए टॉल-फ्री नंबर (18003456233) और ह्वाट्जऍप नंबर (9470001346) आबंटित किए गए हैं। अप्रील 2017 से सितंबर 2019 के बीच कुल 4890 शिकायतें मिलीं जिनमें से 4375 का निवारण किया गया। साथ ही, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से संबंधित योजनाओं के अनुश्रवण के लिए **ऑनलाइन प्रबंधन, अनुश्रवण एवं लेखाकरण प्रणाली (ओम्मास)** का विकास किया गया है। इससे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए योजना निर्माण, शिड्यल तय करने, अनुश्रवण, टकिंग और निष्पादन में मदद मिलती है। इसमें ग्रामीण पथ योजना, प्रस्ताव, निविदा, क्रियान्वयन, गुणवत्ता अनुश्रवण प्राप्ति एवं भुगतान तथा अनुरक्षण मॉड्यूल से संबंधित सारे आंकड़े मौजूद रहते हैं। योजना की प्रगति को किसी नागरिक द्वारा रोज ब रोज टक किया जा सकता है। **राज्य सूचना प्रबंधन प्रणाली** एक वेब आधारित ऑनलाइन प्रणाली है जिससे योजनाओं के निर्माण, समय निर्धारण, अनुश्रवण, टकिंग और निष्पादन की कार्यसंचालन संबंधी जरूरतें पूरी करने में मदद मिलती है। ग्रामीण कार्य विभाग का मुख्य उद्देश्य अन्य जिला पथ और ग्रामीण पथ की श्रेणी में आने वाली सड़कों का निर्माण और रखरखाव है। योजना की प्रगति को किसी नागरिक द्वारा रोज ब रोज टक किया जा सकता है और वास्तविक लाभार्थी इस कार्यक्रम में सक्रियता से भाग ले सकते हैं।

ऊर्जा : ऊर्जा विभाग और उसके सार्वजनिक उपक्रमों ने राज्य मं ऊर्जा क्षेत्र की अधिसंरचना परियोजनाओं की स्थिति और काम में तेजी लाने के लिए अनेक सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित परियोजनाएं शुरू की हैं। ई-ऑफिस कागजविहीन कार्यालय के मकसद से फाइलों की ऑनलाइन टकिंग के जरिए ऊर्जा विभाग और उसके सार्वजनिक उपक्रमों में फाइल की प्रोसेसिंग का समय घटाता और पारदर्शिता बढ़ाता है। **परियोजना अनुश्रवण सूचना प्रणाली** से ग्रिड उप-केंदां के निर्माण, मरम्मत और रखरखाव, संचरण लाइनों के निर्माण और रिकंडक्टरिंग जैसी विभिन्न अधिसंरचनात्मक परियोजनाओं के अनुश्रवण में मदद मिलती है। परियोजना की स्थिति को समय पर पूरा होने के लिहाज से परियोजनाओं की प्रगति के अनुश्रवण के लिए बने मोबाइल ऍप के जरिए संबंधित क्षेत्र के अभियंताओं द्वारा साप्ताहिक आधार पर अपडेट किया जाता है। **ऑनलाइन टकिंग सिस्टम** से अभिकरणों द्वारा परियोजनाओं की स्वीकृति, संशोधन, समय विस्तार और भुगतान विमुक्ति के लिए पेश किए गए आवेदनों की समय से प्रोसेसिंग करने में मदद मिलती है। पुनर्गठित त्वरित विद्युत विकास एवं सुधार कार्यक्रम (आर-एपीडीआरपी) का क्रियान्वयन राज्य के 67 शहरों में किया गया था - दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. के 35 शहरों और उत्तर बिहार विद्युत वितरण कंपनी लि. के 32 शहरों में। कार्यक्रम का उद्देश्य परियोजना क्षेत्रों में समूहित तकनीकी एवं व्यावसायिक ह्रास में कमी लाना है। परियोजना के तहत परियोजना आंकड़ा केंद्र और आपदा रिकवरी केंद्र स्थापित किए गए थे जिनका मकसद नए कनेक्शन, कनेक्शन हटाना और डिसमेंटलिंग, मीटर लगाना, बिलिंग, संग्रहण, ऊर्जा लेखाकरण, वेब पोर्टल, परिसंपत्ति प्रबंधन, अनुरक्षण प्रबंधन, मीटर डेटा प्रबंधन, प्रबंधन सूचना प्रणाली, जीआइएस आधारित उपभोक्ता इंडेक्सिंग और ऍसेट मैपिंग आदि विभिन्न सेवाएं उपलब्ध कराना है। यह प्रणाली लगभग 18 लाख उपभोक्ताओं को विभिन्न सेवाएं प्रदान करती है। उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी करने के लिए राज्य योजना के तहत एक और बिलिंग स्वचालन प्रणाली लगाई गई थी। इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलता है, ग्रामीण उपभोक्ताओं को ऊर्जा बिल का अपने घर में ही भुगतान करने में सहूलियत होती है और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समय से निराकरण होता है। इन पहलकदमियों के अलावा ऊर्जा क्षेत्र में तीन अतिरिक्त सूचना प्रौद्योगिकी पहलकदमियां ली गई हैं। (1) **उद्यम संसाधन नियोजन (ईआरपी)** परियोजना का आरंभ 2018 में किया गया था और यह बहुत जल्द काम करने लगेगा। इसके क्रियान्वयन का मकसद संचरण की संयंत्र अनुरक्षण, सामग्री प्रबंधन, परियोजना प्रणाली, वित्त एवं नियंत्रण तथा मानव पूंजी प्रबंधन, कर्मचारी/ प्रबंधक स्वसेवा, प्रलेख प्रबंधन प्रणाली और फियोरी (मोबाइल सॉल्यूशन) मॉड्यूलों - पांच प्रमुख उप-प्रणालियों को समेकित करके समग्र दक्षता में सुधार लाना है। (2) **समस्त (शिड्यूलिंग, एकाउंटिंग, मीटरिंग एंड सेटलमेंट ऑफ टांजैक्शंस)** परियोजना की शुरुआत 2018 में हुई थी जो मार्च 2020 में काम करना शुरू कर देगा। इसका उद्देश्य व्यापक लेखाकरण एवं निष्पादन प्रणाली को सहयोग करना है जो विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों के बीच बिजली के व्यापार और विनिमय को व्यवस्थित कर सक। इस परियोजना का लक्ष्य पात्र ओपन ऍक्सेस कंज्यूमर्स के लाइसेंस हेतु आवेदन में सहायता करना है। (3) ग्रिड निरीक्षण मॉड्यूल का आरंभ 2019 में हुआ था और यह शीघ्र ही काम करना शुरू कर देगा। इसका मकसद बिहार राज्य विद्युत संचरण कंपनी के प्रबंधन द्वारा ग्रिड की स्थिति में सुधार के लिए किए गए निरीक्षणों की रिपोर्टों को प्रोसस करना है।

सीटा (स्मार्ट इनर्जी इनफ्रास्टक्चर रेवेन्यू एडमिनिस्टशन) : यह वेब आधारित ऊर्जा बिलिंग अप्लीकेशन है जिसे उत्तर और दक्षिण बिहार विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा सभी 38 जिलों में 16 सर्किल के 68 प्रमंडलों, 212 अनुमंडलों और 794 खंडों में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। इसके जरिए 1.41 करोड़ ग्रामीण उपभोक्ताओं की जरूरतें पूरी होती हैं। साथ ही, 36.04 लाख एपीएल परिवारों का मोबाहल ऍप आधारित सर्वेक्षण किया गया है और अभी तक उनमें से 19.36 लाख परिवारों को कनेक्शन मिल चुका है। ग्रामीण उपभोक्ताओं के घर पर ही बिल उपलब्ध कराने के लिए सीटा के तहत इनर्जी स्पॉट बिलिंग मोबाइल ऍप विकसित किए गए हैं जिसका मकसद 100 प्रतिशत बिलिंग करना है और यह उपभोक्ताओं को सहयोग देने में लगा है। डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए ई-वैलेट मोबाइल ऍप विकसित किया गया है और सितंबर 2019 तक 4.42 करोड़ उपभोक्ताओं के घर से 2505.46 करोड़ रु. का भुगतान प्राप्त किया गया है। इससे भुगतान करने पर ऑनलाइन रसीद और एसएमएस मिल जाता है। इसके चलते बिल भुगतान के लिए काउंटर पर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ती है। 5000 उपभोक्ताओं के घर पायलट के आधार पर प्रीपेड मीटर भी लगाए गए हैं।

नियमावलियों और अधिनियमों की सरलता

बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति, 2016 : किसी निवेश संबंधी आवेदन की स्वीकृति/ अनापत्ति के लिए तेज, पारदर्शी और जवाबदेह प्रोसेसिंग के लिए ऑनलाइन सिंगल विंडो अनापत्ति प्रणाली विकसित की गई है। राज्य सरकार ने निवेशकों के सवालों और चिंताओं के समाधान के लिए एक कॉल सेंटर स्थापित किया है। अप्रील 2017 से सितंबर 2019 तक कुल 17,312 कॉल प्राप्त हुए और सवालों के जवाब दिए गए, 5984 कॉल जिला उद्योग केंद्रों को भेजे गए और 136 ऑनलाइन शिकायतों का उद्योग संवाद पोर्टल के जरिए निराकरण किया गया। उसी अवधि में आवेदन करने वाले 918 उद्यमियों में से 131 को 58.41 करोड़ रु. प्रोत्साहन राशि के बतौर दिए गए और 275 उद्यमियों को वित्तोय अनापत्ति उपलब्ध कराई गई।

बिहार स्टार्ट-अप नीति 2017 : यह राज्य में निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए 2017 से काम कर रहा है। इस नीति का लक्ष्य नए नवाचारी विचारों को वित्तोय सहयोग देकर बढ़ावा देना है। पिछले ढाई वर्षों में (अप्रील 2017 से सितंबर 2019 तक) 70 स्टार्ट-अप (नवांकुर उद्यम) शुरू हुए हैं और 9672 आवेदनों में से 60 स्टार्ट-अप को पहली किश्त के बतौर 1.55 करोड़ रु. और 37 को दूसरी किश्त के बतौर 2.00 करोड़ रु. प्राप्त हुए हैं। इस नीति के अतिरिक्त **मुख्यमंत्री अजा एवं अजजा उद्यमिता योजना** का 2018 में आरंभ किया गया जिसका मकसद अजा और अजजा समुदायों को राज्य में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत कुल 44,540 प्राप्त आवेदनों में से 4868 को चुना गया है और 3658 आवेदकों को वित्तोय स्वीकृति, 3641 को पहली किश्त, 137 को दसरी किश्त तथा 11 स्टार्ट-अप को तीसरी किश्त उपलब्ध कराई गई है। इन स्टार्ट-अप को ढाई वर्षों की अवधि में किश्तों में कुल 93.76 करोड़ रु. प्राप्त हुए। स्टार्ट-अप और मुख्यमंत्री अजा एवं अजजा उद्यमिता योजनाओं की प्रगति तालिका 14.4 में प्रस्तुत है।

तालिका 14.4 : बिहार में स्टार्ट-अप और मुख्यमंत्री अजा एवं अजजा उद्यमिता योजनाओं की स्थिति (2017-2020)

विवरण	2017-18	2018-19	2019-20*	**योगफल**
बिहार स्टार्ट-अप नीति				
ऑनलाइन आवेदन	4556	2756	2360	**9672**
इनक्यूबेशन हेतु संबंधित आवेदन	867	557	3537	**4961**
प्रामाणिक स्टार्ट-अप की संख्या	41	29	—	**70**
पहली किश्त (करोड़ रु.) (स्टार्ट-अप की संख्या)	0.71(29)	0.72 (27)	0.13 (04)	**1.55(60)**
दूसरी किश्त (करोड़ रु.) (स्टार्ट-अप की संख्या)	—	1.70 (33)	0.30(04)	**2.00 (37)**
मुख्यमंत्री अजा एवं अजजा उद्यमिता योजना				
ऑनलाइन आवेदन	—	33655	10885	**44540**
चयनित आवेदन	—	4545	323	**4868**
वित्तीय सहायता के लिए स्वीकृति	—	2616	1042	**3658**
पहली किश्त पाने वाले आवेदकों की संख्या	—	2337	1304	**3641**
दूसरी किश्त पाने वाले आवेदकों की संख्या	—	68	69	**137**
तीसरी किश्त पाने वाले आवेदकों की संख्या	—	—	11	**11**
कुल वितरित रकम (करोड़ रु.)	—	**58.89**	**34.87**	**93.76**

टिप्पणी : * सितंबर 2019 तक के आंकड़ों को दर्शाता है।

स्रोत : उद्योग विभाग, बिहार सरकार

बिआडा : बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार (बिआडा) नियाजित औद्योगिक क्षेत्र उपलब्ध कराने, उद्योगों को प्रोत्साहित करने और संबंधित मामलों के लिए नोडल अभिकरण है। बिआडा लीज, उप-लीज, उत्पादों में परिवर्तन, भूमि हस्तांतरण, बंधक हेतु सहमति, कंपनी में बदलाव और उपनियमों में बदलाव के लिए **माइ बिआडा** ऍप के जरिए सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित सेवाएं प्रदान करती रही है। ई-ऑफिस को फाइलें आगे बढाने के लिए उपयोग किया जाता है। **ऑनलाइन सेवा पोर्टल** 2017 से ही जमीन के आबंटन और उद्यमियों से संबंधित अन्य सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। अभी तक 447 आवेदकों को 167 भूखंड आबंटित किए गए हैं। औद्योगिक क्षेत्र की इकाइयों के विवरणों, अधिसंरचना (सड़क, नाली, बिजली) रिपोर्ट आदि से संबंधित स्थानिक या भौगोलिक सूचनाओं को कैप्चर, भंडारित, संपादित, विश्लेषित, प्रबंधित और संधारित करने के लिए **जीआइएस मैपिंग** का क्रियान्वयन 2017 से ही किया जा रहा है।

बिहार समेकित खान एवं खनिज प्रबंधन प्रणाली(बिम्स) : बिम्स को राज्य में खनन से संबंधित सूचनाओं की समेकित अंतर्विभागीय पहुंच उपलब्ध कराने के मकसद से 2017 में शुरू किया गया था। यह खान एवं भूतत्व विभाग से संबंधित चालान निकालने जैसी गतिविधियों, खनन संबंधी गतिविधियों के अनुश्रवण और अनेक अन्य गतिविधियों पर रोक लगाने में विभाग को मदद करने के लिए एक सूचना प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म है। इस

अप्लीकेशन से विभिन्न निर्णयों तक पहुंचने और क्षेत्र स्तर की गतिविधियों के अनुश्रवण में मदद मिलती है। इससे जुड़े लाभार्थियों में लीजधारक, स्टॉकिस्ट, विक्रता ओर क्रशर शामिल हैं (तालिका 14.5)। बिम्स के विकास और रखरखाव के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई स्थापित की गई है। इस सूचना प्रौद्योगिकी समाधान से अनुश्रवण करने और पारदर्शिता तथा प्रतिस्पर्धा बरकरार रखने के मामले में सक्षमता बढ़ती है। साथ ही, जीआइएस मैपिंग के जरिए सभी जिलों के लिए जिला खनिज सर्वेक्षण की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। राज्य सरकार ने ईंट भट्ठों से राजस्व संग्रहण में सुधार के लिए जियो-मैपिंग अप्लीकेशन विकसित किया है। खनन के क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने में मदद के लिए ई-लॉक और ई-बिडिंग का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

तालिका 14.5 बिहार में बिम्स परियोजना की स्थिति (2017-2020)

लाभार्थी का प्रकार		2017-18	2018-19	2019-20
लीजधारक (बालू)	लाभार्थियों की संख्या	387	536	389
	टांजैक्शन (लाख रु. में)	11.42	53.84	24.42
	खुदाई (लाख मै.टन में)	108.40	560.74	315.38
लीजधारक (पत्थर)	लाभार्थियों की संख्या	31	32	33
	टांजैक्शन (लाख रु. में)	1.13	5.38	2.28
	खुदाई (लाख मै.टन में)	18.14	107.42	50.15
स्टॉकिस्ट	लाभार्थियों की संख्या	-	384	329
	टांजैक्शन (लाख रु. में)	-	2.47	2.74
	खुदाई (लाख मै.टन में)	-	37.02	45.89
स्टोन क्रशर	लाभार्थियों की संख्या	-	77	71
	टांजैक्शन (लाख रु. में)	-	0.24	0.16
	खुदाई (लाख मै.टन में)	-	4.20	2.85

स्रोत : खनन एवं भूत्तव विभाग, बिहार सरकार

समेकित उत्पाद प्रबंधन प्रणाली(आइईएसएम) : इसे सभी उत्पाद कार्यालयों, चीनी मिलों, आसवन संयंत्रों और मुख्यालयों में 10 सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित मॉड्यूलों के जरिए 2016 से उपयोग में लाया जा रहा है। मद्यनिषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने रासायनिक प्रयोगशाला मॉड्यूल और न्यायालय वाद प्रबंधन मॉड्यूल क लिए पहल की है।

विभिन्न श्रम कानूनों के तहत ऑनलाइन सेवाएं : श्रम संसाधन विभाग द्वारा 9 श्रम कानूनों के तहत नागरिकों, नियोक्ताओं, कारखाना/ प्रतिष्ठान मालिकों और संवेदकों को 31 परेशानी मुक्त ऑनलाइन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। ये श्रम कानून (1) श्रमिक संघ अधिनियम, 1926, (2) संविदाधीन श्रमिक अधिनियम,1970, (3) मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961, (4) बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953, (5) भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1966, (6) बीड़ी एवं सिगार मजदूर अधिनियम, 1966, (7) कारखाना अधिनियम, 1948, (8) बॉयलर अधिनियम, 1923, और (9) अंतर-राज्य प्रवासी अधिनियम, 1979 हैं। सभी सेवाओं के लिए शुल्क ओ-ग्रास के जरिए जमा किए जाते हैं और सेवाएं देने की अवधि बिना प्रत्यक्ष बातचीत

किए ऑनलाइन निबंधन की तिथि से 15 दिन है। इस ई-शासन कार्यक्रम के तहत भौतिक और वित्तोय प्रगति तालिका 14.6 में प्रस्तुत है।

तालिका 14.6 : विभिन्न श्रम कानूनों के तहत ऑनलाइन सेवाओं का विवरण (2017-2020)

वर्ष	श्रमिक संघ अधिनियम, 1926	संविदाधीन श्रमिक अधिनियम, 1970	मोटर परिवहन श्रमिक अधिनियम, 1961	बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम 1953	भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम, 1966	बीड़ी एवं सिगार मजदूर अधिनियम, 1966	कारखाना अधिनियम, 1948	बॉयलर अधिनियम, 1923	अंतर-राज्य प्रवासी अधिनियम, 1979	**योगफल**
प्राप्त आवेदन (संख्या में)										
2017-18	15	5881	1211	17053	47	9	670	425	11	**25322**
2018-19	16	6439	1388	13746	57	6	743	402	7	**22804**
2019-20	16	3234	631	7956	107	9	446	269	13	**12681**
योगफल	**47**	**15554**	**3230**	**38755**	**211**	**24**	**1859**	**1096**	**31**	**60807**
दी गई सेवा (संख्या में)										
2017-18	0	4762	914	14485	35	6	450	423	2	**21077**
2018-19	0	5408	866	11021	40	5	542	365	4	**18251**
2019-20	0	2546	342	6059	81	6	312	254	8	**9608**
योगफल	**0**	**12716**	**2122**	**31565**	**156**	**17**	**1304**	**1042**	**14**	**48936**
संग्रहित शुल्क (लाख रु. में)										
2017-18	0.01	8.62	0.33	2.67	0.63	0.01	76.10	116.99	0.02	**205.36**
2018-19	0.01	8.80	0.39	2.59	0.72	0.00	72.37	100.46	0.02	**185.35**
2019-20	0.01	5.36	0.17	1.71	0.98	0.00	56.10	80.69	0.03	**145.05**
योगफल	**0.03**	**22.78**	**0.89**	**6.97**	**2.32**	**0.01**	**204.57**	**298.14**	**0.07**	**535.77**

स्रोत : श्रम संसाधन, बिहार सरकार

भूमि प्रलेखों का निबंधन और उत्क्रमण : भूमि निबंधन और निबंधन एवं स्टांप शुल्कों के भुगतान के लिए राज्य सरकार ने लाभार्थियों के लिए आसान, पारदर्शी, तेज और डिजिटल भुगतान सुविधा देने के लिहाज से सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित प्लटफॉर्म उपलब्ध कराया है। वर्ष 2008-09 से 2016-17 तक के लिए 43,758 संस्थानों और 8153 कंपनियों की हस्तलिखित पंजियों को डिजिटाइज किया जा चुका है। फरवरी 2016 से आम लोगों के लिए भूमि निबंधन की ऑनलाइन सुविधा शुरू कर दी गई है। 30 प्रकार के दस्तावेजों के मॉडल दस्तावेज वेबसाइट पर तीन भाषाओं - अंग्रेजी, हिंदी और ऊर्दू में उपलब्ध हैं और पोर्टल पर संबंधित दस्तावेज से संबंधित आंकड़े अपलोड करने और खुद से दस्तावेज तैयार करने की सुविधा दी गई है। ऑनलाइन आंकड़ा केंद्रके जरिए कुल 124 निबंधन कार्यालयों को जोड़ा गया है। राज्य सरकार सभी शुल्कों को ओ-ग्रास के ई-रिसिप्ट पोर्टल के जरिए स्वीकार कर रही है। इन ई-सेवाओं से जमीन के वास्तविक मालिकों को रिसावमुक्त

निबंधन और प्रमाणन उपलब्ध होता है। ऑनलाइन निबंधिन शुल्क के बतौर 2016-17 में 3072 करोड़ रु. भुगतान के साथ 18.93 लाख लोग, 2017-18 में 3597 लाख भुगतान के साथ 21.9 लाख लोग और 2018-19 में 4167 करोड़ रु. भुगतान के साथ 23.05 लाख लोग लाभान्वित हुए।

भूमि सुधार विभाग डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम (डीआइएलआरएमपी) के जरिए राज्य के भूमि रिकॉर्ड को डिजिटाइज करा रहा है। इसका मकसद जमीन का पूरा सर्वेक्षण कराना, दस्तावेजों का प्रकाशन और कैडेस्टल सर्वे के जरिए मापी गई जमीनों की लगान तय करना है। इस कार्यक्रम के तहत पांच मुख्य काम किए जा रहे हैं :

(1) राज्य के 534 अंचलों में **आंकड़ा केंद्र सह आधुनिक लेखागार** की स्थापना की जा रही है। उनमें से 426 अंचलों में यह तैयार है जिनके अपने भवन हैं। वहीं 145 अंचल कार्यालयों में बेल्टॉन द्वारा आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए गए हैं। शेष अंचलों के भवन शीघ्र ही बनकर तैयार हो जाएंगे। आंकड़ा केंद्र आधुनिक प्रौद्योगिकी के जरिए पुनर्सर्वेक्षित नक्शों और दस्तावेजों को डिजिटाइज करने बाद भूमि प्रलेख जमीन मालिकों को उपलब्ध कराएगा। राजस्व सर्वेक्षण के लिए पटना में एक प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया गया है जो राज्य के राजस्व-कर्मियों को तकनीकी प्रशिक्षण देगा।

(2) **सर्वेक्षण मानचित्रों का डिजिटाइजेशन** सभी 38 जिलों को कैडेस्टल मैप, 28 जिलों को रिविजनल मैप और 18 जिलों को कंसोलिडेशन (चकबंदी) मैप की उपलब्धता सुगम बनाएगा। साथ ही, मुंबई के बिहार फाउंडेशन और नई दिल्ली के बिहार भवन में प्लैटर स्थापित किए गए हैं जो काम कर रहे हैं।

(3) पूरे बिहार में वेबसाइट के माध्यम से सुगमीकरण केंद्रों के जरिए रैयतों/ किसानों को दस्तावेजों की आपूर्ति के लिए **डेटा इंटो/ री-इंटो/ डेटा कनवर्जेंस** शुरू किया गया है।

(4) राज्य के नागरिकों को पारदर्शी, तेज, और भ्रष्टाचार-मुक्त सेवाओं के साथ **ऑनलाइन बंदोबस्ती** की सुविधा दी जा रही है। इसके तहत ऑनलाइन ब्रंदोबस्ती, भूस्वामित्व प्रमाणपत्र और लगान भुगतान की सुविधा है।

(5) **पुनःसर्वेक्षण (री-सर्वे) :** सभी 38 जिलों की हवाई फोटोग्राफी पूरी कर ली गई है और 13 जिलों में नक्शे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। शेष 25 जिलों में भी निकट भविष्य में नक्शे प्रकाशित कर दिए जाएंगे।

कौशल विकास एवं रोजगार प्रोत्साहन

कौशल विकास : राज्य व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद और राष्टोय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद के तहत विनियमित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आइटीआइ) में निबंधन, तथा प्रवेश-पत्र, परिणाम और अनंतिम प्रमाणपत्र जारी करने सहित सारी सुविधाएं ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं।व्यावसायिक डिग्री और डिप्लोमा को बढ़ावा देने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामांकन से लेकर परिणाम आने तक की ऑनलाइन सूचनाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। राज्य में सात निश्चय के तहत कुल 38 अभियंत्रण महाविद्यालय (हर जिले में एक), और 44 पॉलीटेक्नीक संस्थान हैं जिनकी क्षमता क्रमशः 9613 और 11,232 सीटों की है। पढ़ाई के दौरान डिग्री पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को प्रति माह 4984 रु. और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों को 3542 रु. प्रति माह उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही, प्रत्येक संस्थान द्वारा एकवर्षीय अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए

176 डिग्रीधारियों को 15,000 रु. और 184 डिप्लोमाधारियों को 10,000 रु. प्रति माह मिल रहे हैं। इन पहलकदमियों के अलावा, डिजिटल इंडिया, कौशल विकास मिशन, नीलिट, सी-डेक आदि के अंतर्गत अनेक अनेक कौशल विकास कार्यक्रम चल रहे हैं। सात निश्चय के तहत बिहार में रहने वाले कक्षा 12 (पॉलीटेक्नीक के लिए कक्षा 10) उत्तोर्ण तथा चुनिंदा धाराओं में मान्यता-प्राप्त संस्थानों में कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुरूप उच्च शिक्षा के लिए नामांकन कराने वाले विद्यार्थियों के लिए **बिहार विद्यार्थी क्रडिट कार्ड (बीएससीसी)**योजना पूर्णत: ऑनलाइन योजना है। विद्यार्थी 4 लाख रु. तक शिक्षा ऋण पाने के हकदार है जिसके लिए संतोषजनक ऋण मूल्यांकन होने पर ब्याज दर महिला, तृतीयलिंगी और नि:शक्त विद्यार्थियों के लिए 1 प्रतिशत और अन्य विद्यार्थियों के लिए 4 प्रतिशत है। इसे न्यूनतम मानवीय हस्तक्षप, अनावश्यक विलंब से बचाव और प्रभावी अनुश्रवण तथा योजना की प्रगति की टकिंग में आसानी के मकसद से जारी किया जा रहा है।

रोजगार प्रोत्साहन : रोजगार नियोजन कार्यालय सूचना सक्षमित प्लेटफॉर्म से लैश किए गए हैं जो बेरोजगार युवक-युवतियों को निबंधन के जरिए कैरियर काउंसलिंग, रोजगार मेलों आदि के माध्यम से रोजगार के अवसरों के बारे में सूचनाएं उपलब्ध कराएंगे। साथ ही, **नेशनल कैरियर सर्विसेज पोर्टल** द्वारा नौकरी खोजने वालों को निबंधन के जरिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है और अब तक 26.80 लाख नियोजनार्थी निबंधित हुए हैं। **मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं-सहायता भत्ता योजना** को 2016 में 20-25 वर्ष वर्ष उम्र समूह के 12वीं पास बेरोजगार युवकों के लिए शुरू किया गया है जो उच्च शिक्षा नहीं पा सके हैं। इस योजना के तहत आधार आधारित प्रमाणन के जरिए 7.16 लाख बेरोजगार युवकों में 320 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तोर्ण होने वाले अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के प्रत्याशियों को मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराती है। बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) राज्य प्रशासनिक सेवाओं के तहत रोजगार के लिए पारदर्शी और आसानी से उपलब्ध ऑनलाइन सुविधाएं देता है। परीक्षा प्रणाली के अलावा विज्ञापन से लेकर परिणाम आने तक और उपस्थिति की निगरानी ऑनलाइन की जाती है।

श्रम कल्याण : बिहार भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण योजना के तहत संबंधित श्रमिकों और उनके आश्रितों को निबंधन के लिए ऑनलाइन विंडो उपलब्ध कराया जाता है और पात्रता, लाभ आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। विवाह हेतु वित्तोय सहायता की राज्य योजना (2 लड़कियों तक) के तहत 2018-19 में श्रमिकों की 351 लड़कियां लाभान्वित हुई हैं और उनके बीच 50,000 रु. प्रति लड़की की दर से कुल 175.50 लाख रु. उपलब्ध कराए गए हैं। मातृत्व लाभ योजना के तहत 2018-19 में 46 नई माताओं में से प्रत्येक 10,000 रु. पाकर लाभान्वित हुई हैं। राज्य सरकार निबंधित श्रमिकों को पेंशन उपलब्ध करा रही है और 2018-19 में 11 श्रमिकों को 1000 रु. प्रति माह पेंशन मिलती है। वार्षिक चिकित्सा सहायता योजना के तहत 2018-19 में 2,57,345 निबंधित पीएफएमएस के जरिए श्रमिक प्रति वर्ष 3000 रु. प्रति श्रमिक पाकर लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2018-19 में मृत्यु के बाद मुआबजा की राज्य योजना के तहत 59 श्रमिकों के आश्रित कुल 1.10 करोड़ रु. पाकर लाभान्वित हुए हैं। साथ ही, 37 श्रमिकों की अंत्येष्टि के लिए कुल 37,000 रु. उपलब्ध कराए गए। सितंबर 2019 तक पोर्टल पर कुल 2.41 लाख श्रमिक निबंधित हुए हैं।

उत्पादकता और निवेश वृद्धि के लिए सहायता

कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र : नेशनल ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन एँग्रीकल्चर **(एनईजीपी-ए - नेग्पा)** का आरंभ 2016 में हुआ है। इस योजना का मकसद बिचौलियों को दूर रखते हुए प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए कृषि क्षेत्र में सेवा प्रदान को मजबूत करना तथा किसानों को सेवा देने में पारदर्शिता, कुशलता और तेजी लाना है। इसके तहत 2017-18 में 4.47 करोड़ रु., 2018-19 में 3.68 करोड़ रु. और 2019-20 में सितंबर 2019 तक 2.51 करोड़ रु. वितरित किए गए हैं। राज्य सरकार सूखा प्रभावित किसानों को अपनी फसल बचाने के लिए डीजल पर 50 रु. प्रति लीटर की दर से एक एकड़ जमीन के लिए अधिकतम 500 रु. सब्सिडी उपलब्ध करा रही है। जूट की दो बार सिंचाई के लिए 1000 रु., धान की पांच बार सिंचाई के लिए 2500 रु. और मक्का तथा अन्य रबी फसलों की तीन बार सिंचाई के लिए 1500 रु. प्रति एकड़ उपलब्ध कराए जाते हैं। निबंधित किसानों को डीजल सब्सिडी ऑनलाइन अंतरण के जरिए उपलब्ध कराई जाती है और खरीफ मौसम में इससे 13.86 लाख किसान तथा रबी मौसम में सितंबर 2019 तक 2.1 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। इसके अलावा, राज्य सरकार ने 25 सूखा घोषित जिलों के 280 प्रखंडों के 13.91 लाख किसानों को इनपुट सब्सिडी उपलब्ध कराई है। वहीं, **प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना** केंद्रोय क्षेत्र की एक योजना है जिसे किसानों की आमदनी बढाने के मकसद से दिसंबर 2018 में शुरू किया गया था। इस योजना के तहत किसानों को तीन बराबर किश्तों में प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए प्रति वर्ष 6000 रु. उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके लिए 62.56 लाख किसानों ने आवेदन किए थे जिसमें से 43.95 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं। योजनाओं में सहयोग और कृषि संबंधी अन्य सूचनाएं देने के लिए सभी 38 जिला मुख्यालयों और 534 प्रखंड मुख्यालयों में ई-किसान भवन स्थापित किए गए हैं। **खरीद योजना** 2015 से चल रही है जो फसलों की न्यूनतम दर सुनिश्चित करने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराती है और भुगतान किसानों के बैंक खाते में ऑनलाइन किया जाता है। वर्ष 2018-19 में 2.10 लाख किसानों को 2478.68 करोड़ रु. का भुगतान करके 2.10 लाख मै.टन धान और 3128 किसानों को 3.04 करोड़ रु. भुगतान करके 17,504 मै.टन गेहूं की खरीद की गई ह। सहकारिता विभाग ने धान की खरीद के मोबाइल आधारित समाधान ईपैक विकसित किया है।अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा **फसल काटने के प्रयोग** के लिए किसानों को प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए वित्तोय सहायता दी जाती है और 6.10 लाख किसानों को 4.28 करोड़ रु. दिए गए हैं। 1000, 5000 और 10,000 क्षमता वाले **लेयर मुर्गी फार्म**, बकरी फॉर्म (20+1, 40+2 और 100+5 क्षमता वाले) तथा 3000 क्षमता वाले ब्रायलर मुर्गी फार्म **स्थापित करने के लिए** 2017-18 में 978 और 2018-19 में 937 लाभार्थियों को **सब्सिडी** के बतौर क्रमशः 412.00 लाख रु. और 12.06 लाख रु. ऑनलाइन उपलब्ध कराए गए हैं। **जीविका** ने पशुधन पर कई मोबाइल ऐँप विकसित किए हैं। ऐँप के जरिए पॉल्टो मातृ इकाई की प्रक्रिया को चूजे पाने, टीकाकरण और सदस्यों और परिवारों के बीच वितरण, तथा उत्पादन के अनुश्रवण के लिहाज से कैप्चर किया जाता है। पशुसखी ऐँप का उपयोग सामूहिक स्तर पर उत्पादन के लिए बकरियों के झुंड, सदस्य के स्तर पर बकरियों की मृत्यु आदि के विवरणों को कैप्चर करने के लिए किया जाता है। बकरी से लाभान्वित होने वालों के विवरण कैप्चर करने के लिए एक मोबाइल ऐँप विकसित किया गया है जिसमें जीविका द्वारा बकरी हाट में वितरित बकरियों का चित्र लिया जाता है। वेब और मोबाइल प्लेटफॉर्म पर नीरा ऐँप का विकास नीरा के उत्पादन और बिक्रो सहित ताड़ी उतारने वालों के विवरण कैप्चर करने के लिए किया गया था। **बिहार शताब्दी निजी नलकूप योजना** एक प्रत्यक्ष लाभांतरण योजना है जिसका मकसद नलकूप और मोटरपंप के लिए सब्सिडी देना है। इस योजना के तहत नवंबर 2018 से अभी तक प्रत्यक्ष लाभांतरण के जरिए 40.04 करोड़ रु. वितरित किए जा चुके हैं।

उद्योग : राज्य सरकार ने गया में पावरलूम को सहायता देने के लिहाज से सीटीआइ/ सीटीओ के क्रय शुल्क की प्रतिपूर्ति के लिए जनवरी 2019 से एक ई-शासन कार्यक्रम शुरू किया है और सितंबर 2019 तक 75 लाभार्थियों को 5.18 लाख रु. उपलब्ध कराए गए हैं। **मुख्यमंत्री गन्ना विकास योजना** का आरंभ 2016 में चीनी उद्योग के साथ-साथ किसनों को ईख उपजाने के लिए बढ़ावा देने के लिए किया गया था। वर्ष 2018-19 में 8734 किसानों के बीच 7.60 करोड़ रु. का वितरण किया गया है जबकि एक वर्ष पूर्व 17,507 किसानों के बीच 11. 42 करोड़ रु. वितरित किए गए थे। **जीविका** ने मूल्यशृंखला ऍप विकसित किया है जो सामुदायिक खरीद और उत्पादक कंपनी के जरिए वस्तुओं की खरीद करके किए गए एकत्रीकरण और मूल्यवर्धन की प्रक्रिया को कैप्चर करता है।

स्वचालन के जरिए गुणवत्ता में सुधार और कॉम्फेड का डिजिटल भगतान : इससे 73.88 करोड़ रु. का निवेश करके स्वचालित जांच मशीन लगाने के जरिए दूध की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलती है। इसके अलावा, इससे दूध की बिलिंग और दुग्ध संघों/ किसानों को एप ईआरपी सिस्टम के जरिए डिजिटल भुगतान करने में पारदर्शिता आती ह। इससे 'सुधा' ब्रांड के दुग्ध उत्पादों के प्रति उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ता है। इस परियोजना से कुल 4.5 लाख किसान, 7224 दुग्ध सहकारी समितियां और 8 दुग्ध संघ लाभान्वित हुए हैं। परियोजना का विवरण तालिका 14.7 में प्रस्तुत है।

तालिका 14.7 : दूध उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए निवेश और इससे लाभान्वितों की संख्या (2017-2020)

विवरण	2017-18		2018-19		2019-20 (सितंबर 2019 तक)	
	लाभान्वित	निवेश (करोड़ रु.)	लाभान्वित	निवेश (करोड़ रु.)	लाभान्वित	निवेश (करोड़ रु.)
AMCU की स्थापना	3777 दुग्ध सहकारी समितियां	25.88	6744 दुग्ध सहकारी समितियां	55.44	7224 दुग्ध सहकारी समितियां	60.00
मिल्को स्कीन की स्थापना	—	—	8 दुग्ध संघ	1.29	8 दुग्ध संघ	1.64
मिल्को स्कैनर की स्थापना	5 दुग्ध संघ	2.61	8 दुग्ध संघ और मुख्यालय	5.26	8 दुग्ध संघ और मुख्यालय	5.26
SAP ERP की स्थापना और कन्फिगरेशन	कार्य प्रगति पर	5.50	कन्फिगरेशन का काम सौंपा गया	6.98	पटना डेयरी परियोजना के 3 संयंत्र,1 कॉम्फेड मुख्यालय,1 दुग्ध संघ, 2700 डीसीएस एवं1.73 लाख सदस्य	6.98

स्रोत : कॉम्फेड, बिहार

वन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एफएमआइएस) : आर्थिक विकास ने पर्यावरण पर अपना प्रभाव डाला है। फलत: राज्य के अनेक शहर देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में शामिल हैं। इसीलिए राज्य सरकार ने हरित आच्छादन बढ़ाने के लिए वन सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित अप्लीकेशंस के जरिए अधिकारियों का पहुंच में प्रभावशाली ढंग से वृद्धि के मकसद से 2012 में वन प्रबंधन सूचना प्रणाली की शुरुआत की। वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक (सितंबर 2019 तक) कुल 1.4 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं और विभिन्न प्रकार के 2840 हितधारकों को 1808 लेनदेन के जरिए इस सिस्टम से जोड़ा गया है। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा अनेक सूचना प्रौद्योगिकी सक्षमित कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया गया है जिनके विवरण तालिका 14.8 में प्रस्तुत हैं।

तालिका 14.8 : हरित आच्छादन के लिए ई-शासन कार्यक्रम (2019)

अप्लीकेशन	लाभ
ई–नर्सरी	क्षेत्राधिकारियों और मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा इस ऐंप का उपयोग पौधशालाओं के जियो टैग वाले फोटो के साथ निरीक्षण रिपोर्टों को अपलोड करके किया जाता है।
ई–प्लांटेशन	संबंधित क्षेत्राधिकारियों और मुख्यालय स्तर के अधिकारियों द्वारा इस ऐंप का उपयोग वृक्षारोपण के जियो टैग वाले फोटो के साथ निरीक्षण रिपोर्टों को अपलोड करके प्रभावी अनुश्रवण के लिए किया जाता है।
ई–फॉरेस्ट्री	इस योजना का उपयोग बिहार के नागरिकों और किसानों द्वारा सरकारी वानिकी योजनाओं में आवेदन करने के लिए किया जाता है जिसके आधार पर विभाग मूल मापदंड के आधार पर पौधों का मुफ्त वितरण करता है। विभागीय पौधशाला से पौधों की खरीद जैसी अन्य सुविधाएं भी प्राप्त की जा सकती हैं। भुगतान के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनो तरीके उपलब्ध हैं।
ई–फॉरेस्ट मंडी	इसका विकास वन्य उत्पाद की बिक्री/ खरीद, गुणवत्ता में सुधार, सेवा और प्रौद्योगिकी शेयर करने में सहयोग के लिए जानकारी और सूचना देने के वाले प्लेटफॉर्म के बतौर किया गया है। इसका उपयोग गुणवत्ता में सुधार तथा बिचौलियों की सांठ-गांठ से बचने के लिए किया जाता है। इसके जरिए विक्रेता और खरीदार एक-दूसरे से सीधा संपर्क-संवाद कर सकते हैं।
विजिटर पास सिस्टम	इस वेब अप्लीकेशन का उपयोग पीसीसीएफ कार्यालय, अरण्य भवन में विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों से मिलने आने वाले आगंतुकों के लिए पास बनाने के लिए किया जाता है।
ई–जेएफएम (संयुक्त वन प्रबंधन)	इस ऐंप की सहायता से क्षेत्र के आंकड़ों को कैप्चर और निरीक्षित किया जा सकता है, तथा चापाकल, सोलर लाइट आदि और प्रवेश बिंदु के अन्य गतिविधियों की मैपिंग की जा सकती है।
ई–वाइल्डलाइफ	इससे वन्यजीवों से संबंधित मामलों में अनुश्रवण और कार्रवाई करने में आसानी होती है। इससे जानवरों के निशान और दिखने के आधार पर गणना करने में आसानी होती है कि किसी जंगल में किस प्रकार के कितने जानवर रह रहे हैं।
ई–फॉरेस्ट ऑफेंस	यह उचित और तेज रिपोर्टिंग करने के लिए उपयोगी है। इसके जरिए अवैध पेड़ काटने, खान, भूमि अतिक्रमण और आग लगने के मामलों में मॉनीटर और कार्रवाई करना आसान होता है।
ई–लेखा	इस ऐंप में विभिन्न योजनाओं यथा योजना, योजनेतर, कैंपा, एसएफडीए, और दुर्गावती के लिए आवंटन और व्यय की इंट्री की जाती है। इसके जरिए मासिक लेखा भी पेश किया जाता है।
एचआरएमएस	इसका उपयोग कर्मचारियों की सेवा पुस्तिका में मौजूद सभी उपयोगी सूचनाओं को इलक्ट्रॉनिक स्वरूप (ई-सर्विस बुक) में संरक्षित करने के लिए किया जाता है।
ई–लीव	विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा इस ऐंप का उपयोग छुट्टी यथा CL, RH, CL+RH,आउटस्टेशन लीव आदि के लिए किया जाता है। इसमें संदेश देने की सुविधा भी उपलब्ध है।
ई–आरडीएफ (योजना निर्माण प्रणाली)	इस ऐंप का उपयोग योजना, जैसे कि RDF, SMC आदि के निर्माण और उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए किया जाता है।
ई–पार्क टिकटिंग सिस्टम	इस ऐंप को आगंतुकों के लिए पार्क के क्यूआर कोड आधारित टिकट जारी करने में सहयोग करने और ऑनलाइन भुगतान को समेकित करने के लिहाज से विकसित किया जा रहा है।
ई–फोटो	यह ऐंप किसी आकस्मिक घटना का फोटो खींचने में वन अधिकारियों-कर्मचारियों की मदद करने के लिए है।
ई–हरियाली	यह ऐंप नागरिकों और आम लोगों द्वारा किए जा रहे हरियाली संबंधी काम को कैप्चर करने में मदद करने के लिए है।
ई–रिपोर्ट	यह ऐंप वन अधिकारियों-कर्मचारियों द्वारा वन संबंधी सारी रिपोर्टों को एक जगह देखने में मदद करने के लिए है।
स्पैरो	स्पैरो (ई-पार) का उपयोग भारतीय वन सेवा के अधिकारियों की APAR लिखने के लिए किया जाता है।

स्रोत : पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार सरकार

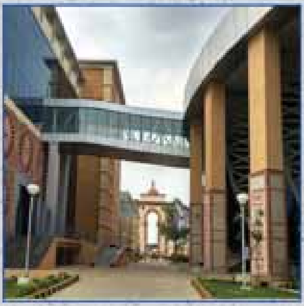

© प्रकाशनाधिकार 2020, वित्त विभाग, बिहार सरकार

Printed at : Saraswaty Press Limited, (Govt. of WB Enterprise)